सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

30 BHADRA 1948 (S)

No. 446

RANCHI FRIDAY 21st AUJUST, 2026

JHARKHAND STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, RANCHI

NOTIFICATION

18th August, 2026

JHARKHAND STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (STATE GRID CODE) REGULATIONS 2026

Notification No. 128 --In exercise of the powers conferred by clause (zp) of section 181 read along with clause (h) of section 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling on that behalf, the Jharkhand State Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title, extent and commencement

1.1 These Regulations may be called the Jharkhand State Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) Regulations, 2026.

1.2 These Regulations shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

1.3 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Introduction

2.1 The State Grid Code lays down the rules, guidelines and standards to be followed by various participants in the Jharkhand State Electricity Grid to plan, develop, maintain and operate the state grid system, in the most efficient, reliable, and economic manner, while facilitating a healthy competition in the generation and supply of electricity.

2.2 This State Grid Code contains the following parts, namely:

Part A: General- This part deals with the scope and application of these regulations and constitutions, powers and functions of Grid Coordination Committee;

Part B: Planning Code - This Code specifies the principles, procedures and criteria that shall be used in planning and development of Jharkhand State Grid System.

Part C: Connection Code- Connection Code specify the minimum technical and design criteria that shall be complied with by a Transmission Licensee and User connected to or seeking connection to the State Grid including conditions, principles and procedures for same.

Part D: Protection Code- This Code covers the protection protocol, protection settings and protection audit plan of electrical systems to be adopted in order to safeguard the State Transmission System and User's system from faults.

Part E: Operating Code - This Code describe the conditions under which the State Load Despatch Centre shall operate the State Grid System and under which Users shall operate their facilities, to maintain the security and reliability and economy of Grid operation of the State Grid System, under both normal and abnormal operating conditions and operating principles, procedures and practices for the same.

Part F: Scheduling and Despatch Code – Scheduling and Despatch Code deals with the principles and procedures to be adopted for Scheduling and Despatch Code for generation and supply of electricity in the State of Jharkhand on daily basis and flow of information between State Generators, Users, Licensees, SLDC and RLDC.

Part G: Commercial Code- This part deals with the commercial mechanism complimentary to Scheduling and Despatch for settlement of account between the concerned parties.

Part H: Cyber Security Code – This part deals with measures to be taken to safeguard the State grid from spyware, malware, cyber-attacks, network hacking, procedure for security audit from time to time, upgradation of system requirements and keeping abreast of latest developments in the area of cyber-attacks and cyber security requirements.

Part I: Miscellaneous Code - This part deals with miscellaneous aspects including compliance requirement with the State Grid Code and dispute resolution etc.

3. Definitions

3.1 In these Regulations unless the context otherwise requires:

(a) "ABT" means Availability Based Tariff.

(b) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), including amendments thereto;

(c) "Automatic Voltage Regulator" means a continuously acting automatic excitation control system to control the voltage of a Generating Unit measured at the generator terminals;

(d) "Available Transfer Capability (ATC)" means the transfer capability of the inter-control area transmission system available for scheduling commercial transactions (through long-term open access, medium-term open access and short-term open access) in a specific direction, taking into account the network security. Mathematically, ATC is the Total Transfer Capability less Transmission Reliability Margin.

(e) "Black Start Procedure" means procedure necessary to recover the grid from a partial or a total blackout;

(f) "Captive generating plant" means a power plant set up by any person to generate electricity primarily for his own use and includes a power plant set up by any co-operative society or association of persons for generating electricity primarily for use of members of such cooperative society or association;

(g) "Commission" means the Jharkhand State Electricity Regulatory Commission;

(h) "Connection Point" means a point at which a User's generation/supply or Transmission Licensee's Plant and/or Apparatus connects to the State Grid system.

(i) "Constituent "means all Licensee of the State including deemed licensee, all the State generating stations including captive generating stations, IPPs and Non-Conventional Energy Sources, STU, and open access consumers.

(j) "Continuous rating" means the normal rated full Load output capacity of Generating Unit which can be sustain on continuous basis at a specified condition.

(k) 'df/dt Relay' means a relay which operates when the rate of change of system frequency (over time) goes higher than a specified limit and provides command for load management.

(l) "Disturbance Recorder" means a device provided to record the behaviour of the pre-selected digital and analog values of the system parameters.

(m) "Data Acquisition System" means a device provided to record the sequence of operation in time, of the relays/equipments/system parameters at a location;

(n) "Demand response" means variation in electricity usage by the end consumers or by a control area manually or automatically, on stand-alone or aggregated basis, in response to system requirements as identified by the concerned Load Despatch Centre

(o) "DVC" means – Damodar Valley Corporation – a deemed licensee as provided in the section 14 proviso 4 of the Electricity Act 2003.

(p) "Energy Storage System (ESS)" in relation to the electricity system, means a facility where electrical energy is converted into any form of energy, which can be stored and subsequently reconverted into electrical energy and injected back into the grid.

(q) "Event" means an unscheduled or unplanned occurrence in the State Grid System including faults, incidents and breakdowns;

(r) "Event Logger" means a device provided to record the sequence of operation in time, of the relays/ equipment's at a location during an Event;

(s) "Fault Locator" means a device provided in transmission line to measure/indicate the distance at which a line fault may have occurred;

(t) "Forced Outage" means an outage of Generating Unit or Transmission Facility due to a fault or other reasons which has not been planned.

(u) "Flexible Alternating Current Transmission (FACT)" means facilities that enable power flows on A.C. lines to be regulated, to control loop flows, line loading etc.

(v) "Grid" means the high voltage backbone system of interconnected Transmission Lines Substations and Generating Plants.

(w) "Generating Company" means any company or body corporate or association of body individuals, whether incorporated or not or artificial judicial person, which owns or operates or maintains a Generating Station.

(x) "Generating Unit" means an electrical Generating Unit coupled to a turbine within a power station together with all plant and apparatus within a power station (upto the connection point) which relates exclusively to that Turbo-Generator.

(y) "Governor Droop" In relation to the operation of the Governor of Generating Unit means the percentage droop in system frequency which would cause the Generating Unit under free Governor action to change its output from Zero to full load.

(z) "High Tension" or "HT" means all voltages defined as "high" or "extra high" voltage under clause (av) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Indian Electricity Rules, 1956 and corresponding voltage classifications as may be specified in accordance with clause (c) of sub-section (2) of Section 185 of the Act;

(aa) "Inter –State Transmission system" includes-

i) any system for the conveyance of electricity by means of main transmission line from the territory of one State to another State

ii) the conveyance of electricity across the territory of an intervening State as well as conveyance within the State which is incidental to such inter-State transmission of electricity

iii) the transmission of electricity within the territory of a State on a system built, owned, operated, maintained or controlled by Central Transmission Utility

(bb) "Intra-State Transmission System" means any system for transmission of electricity other than an inter-State Transmission system.

(cc) "JSEB"- Jharkhand State Electricity Board or its unbundled organizations as provided in section 172 of the Act.

(dd) "Low Tension" or "LT" means all voltages other than those defined as "high" or "extra high" voltage under clause (av) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Indian Electricity Rules, 1956 and corresponding voltage classifications as may be specified in accordance with clause (c) of sub-section (2) of Section 185 of the Act;

(ee) "Licensee" means a person who has been granted Licensee under section 14 of the Act;

(ff) "Maximum Continuous Rating (MCR)" means the maximum continuous output in MW at the generator terminals guaranteed by the manufacturer at rated parameters;

(gg) "Off- Bar declared Capacity" means the difference between Declared Capacity and On-Bar Declared Capacity in MW;

(hh) "On- Bar declared Capacity" in relation to a generating station means the capability to deliver ex-bus electricity in MW from the units on-bar declared by such generating station in relation to any time block of the day or whole of the day, duly taking into account the availability of fuel and water and subject to further qualification in the relevant Regulations;

(ii) "Pool Account" means state account for receipts and payments on account of deviation by buyers or sellers including wind and solar generators;

(jj) "Qualified Coordinating Agency or QCA" means the agency coordinating on behalf of Wind/ Solar Generators connected to a pooling station. QCA may be one of the generators or any other mutually agreed agency. QCA shall be treated as a State Entity

(kk) "Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)" means the combination of transducers, RTU, communication links and data processing systems, which provides information to SLDC on the operational state of the State Transmission System.

(ll) "Single Line Diagram" means diagrams which are a schematic representation of the LT/HV/EHV apparatus and the connections to all external circuits at a Connection Point incorporating its numbering nomenclature and labelling;

(mm) "Site Common Drawing" means drawings prepared for each Connection Point, which incorporates layout drawings, electrical layout drawings, single line diagram common protection/control drawings and common service drawings;

(nn) "Spinning Reserve" means generating capacity with some reserve margin, at standard rated frequency of 50 Hz, that is synchronized to the system and is ready to provide increased generation at short notice pursuant to dispatch instruction or instantaneously in response to a frequency drop;

(oo) "State Generating Station" means all generating Station in the state of Jharkhand connected to State Grid.

(pp) "Static VAR Compensator" means an electrical facility designed for the purpose of generating or absorbing Reactive Power;

(qq) "STU" means the State Transmission utility –the Government company/entity specified as such by the State Government under sub-section (1) of section 39;

(rr) "Total Transfer Capability (TTC)" means the amount of electric power that can be transferred reliably over the inter-control area transmission system under a given set of operating conditions considering the effect of occurrence of the worst credible contingency.

(ss) "Trial Operation or Trial Run" shall have the same meaning as specified in this Grid Code, as applicable

(tt) "Under Frequency Relay" means a relay which operates when the system frequency falls below a specified limit and initiates commands for system operation to achieve stability.

(uu) "User" means persons, including State Generating Stations, Distribution Licensees Consumers of the Distribution Licensees directly connected to intra-State Transmission System and persons availing of Open Access, who are connected to and/or use the intra-State Transmission System.

(vv) "WS Seller" means a seller in case of a generating station based on wind or solar or hybrid of wind-solar resources. Provided that WS Seller shall have the same meaning as defined in the *CERC(Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations* as amended from time to time;

Words or expressions used herein and not defined shall have the meanings assigned to them under the Actor any other Regulations of the Commission.

Reference to any Acts, Rules and Regulations shall include amendments or consolidation or re-enactment thereof.

3. **PART A: GENERAL**

3.1 Scope of regulation and extent of application

These regulations shall apply to-

(1) State Load Despatch Centre;
(2) State Transmission Utility;
(3) Intra-State Transmission Licensee;
(4) Generating Stations in the State connected to the State Grid system;
(5) Distribution Licensee (s)
(6) User who is connected to and/or uses the State Grid system;

Provided that the Commission may issue directions relieving any Transmission Licensee or User, either suo-motu or based on an application submitted by such Transmission Licensee or User, of their obligations to implement or comply with the State Grid Code to the extent as may be stipulated in the directions:

Provided further that the provisions under these Regulations shall be construed in consistency with the Indian Electricity Grid Code (IEGC) notified by the Central Electricity Regulatory Commission under section 79(1)(h) of the Electricity Act, 2003 and amendments thereof.

3.2 Transmission Licensee and User having connections to the State Grid system as on date of notification of these Regulations shall ensure forthwith compliance with the following requirements under these Regulations with immediate effect:

(i) Entering into a connection agreement in accordance with Section 14;
(ii) Developing Site Responsibility Schedules in accordance with Section 19.2;
(iii) Developing Single Line Diagrams in accordance with Section 19.3; and
(iv) Developing Site Common Drawings in accordance with Section 19.4.

3.3 The date of applicability of provisions related to Free Governor Action, as provided in these Regulations, shall be consistent with relevant provisions as provided in the Indian Electricity Grid Code (IEGC) specified by Central Electricity Regulatory Commission under clause (h) of Section 79 of the Act and amendments thereof.

4 State Grid Code

4.1 The Commission shall put up a copy of the State Grid Code on its website and make available, through State Load Despatch Centre and State Transmission Utility, a copy of State Grid Code to any person requesting it, at a price not exceeding the reasonable cost of reproducing it.

4.2 The Commission shall make available a copy of the notified State Grid Code to the State Load Despatch Centre and State Transmission Utility for it to be put up on the irrespective websites.

4.3 **Monitoring of Non- Compliance**

(a) State Transmission Utility and State Load Despatch Centre shall be responsible for monitoring the compliance of Users and State Transmission Licensees with the provisions, contained in the Jharkhand State Electricity Grid Code and with the procedures developed under such provisions:

Provided that the State Transmission Utility and/ or State Load Despatch Centre shall not unduly discriminate against or unduly prefer any User or Transmission Licensee.

(b) If any User fails to comply with any of the provision(s) of the Grid Code, it shall be required to inform STU without any delay, the reason for its non-compliance and shall remove its non- compliance promptly.

(c) Wrong declaration of capacity, non-compliance of SLDC's instructions, non compliance of SLDCs instructions for backing down without adequate reasons, non-furnishing data, non-payment of charges such as Deviation settlement charges, scheduling and system operation charges, Open Access charges, etc. shall constitute non-compliance of Grid Code and shall be subject to financial penalty as may be decided by the Commission.

(d) Non- compliance of the provisions of the Code shall be taken into cognizance by the Commission or by Grievance Redressal Forum as specified under *JSERC (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Electricity Ombudsman) Regulations*, as amended from time to time, as the case may be, either Suo-Motu or through an application submitted by the stakeholders.

(e) In case of persistent non-compliance of the provisions of the Grid Code and/ or with the procedures developed under such provisions, such matter shall be reported to the Commission by SLDC. Consistent failure to comply with the Grid Code may lead to disconnection of the User's plant and/or facilities.

(f) State Load Despatch Centre may give such directions and exercise such supervision and control as provided under this Code that may be required for ensuring the integrated grid operations and for achieving the maximum economy and efficiency in the operation of power system in the State.

(g) Every Transmission Licensee and User connected with the operation of the power system shall comply with the directions issued by the State Load Despatch Centre.

(h) If any dispute arises with reference to the quality of electricity or safe, secure and integrated operation of the State grid or in relation to any direction given under the provisions of the Jharkhand State Electricity Grid Code, it shall be referred to the Commission by SLDC for decision:

Provided that till the time the decision of the Commission is pending; the direction of the State Load Despatch Centre shall be complied with by the Transmission Licensee or User.

(i) The Commission may order independent third-party compliance audit for any User, as deemed necessary based on the facts brought to the knowledge of the Commission.

5 Grid Coordination Committee

5.1 A Grid Coordination Committee (GCC) shall be constituted by the Commission.

5.2 The Grid Coordination Committee shall be responsible for the following matters, namely-

(i) implementation of these Regulations and the rules and procedures developed under the provisions of these Regulations;

(ii) operational coordination including coordination of relay planned outage and maintenance among members i.e. SLDC, STU, State Generating Station, Licensee and Users;

(iii) carrying out all functions of planning of Intra-State Transmission system including review and approval of transmission schemes and planning for maintaining proper voltage by reactive compensation;

(iv) reviewing the results of the planned schemes submitted by STU along with results of system studies, scenarios, investments, cost-benefit analysis, assumptions, methodologies, planning criteria, stakeholder comments etc. The members of the GCC shall review the proposal of the STU in totality and give comments/ suggestions. In case any modifications are required, it shall suggest the modifications to STU. The revised schemes, after incorporating the suggested modification (if any), will again be submitted to GCC for review;

(v) evolving consensus in the finalization of planned Intra-State Transmission scheme (s) and seek feedback of all stakeholders involved. The members of GCC to undertake prudence check and give their consent to the planned scheme (s) in the form of a joint sign-off. In case, GCC does not reach to a consensus upon receipt of the modified proposal, then the GCC shall approach the Commission with the points of contention and represent a detailed case for review. In case STU is of the view that the scheme is in interest of grid security/ stability or decongesting the network or overcoming a contingency, it shall record this in writing and submit the same before the Commission;

(vi) develop the protection protocol and revise the same, after review from time to time, in consultation with the stakeholders in the State and discharge other functions as specified in the Protection Code

(vii) evolving consensus on all issues relating to secure, reliable and economic operation of the State Grid

(viii) review of the State Grid Code and assessing and recommending remedial measures for issues that might arise during the course of implementation of provisions of these Regulations and the rules and procedures developed under the provisions of these Regulations;

(ix) commercial coordination among members including State Level Energy Accounting with the consent of all the members;

(x) preparation of data formats and to prescribe such formats for collection of data from relevant stakeholders for transmission planning. GCC shall also prescribe formats for collecting the

implementation status of Generation/ Transmission projects under construction and intending to connect to Intra-State Transmission System;

(xi) liaising with the Eastern Regional Power Committee (ERPC) on all matters that overlap with the regional grid, including protection protocol review, outage coordination and relay setting coordination, to ensure consistency between State and Regional Grid Code requirements

(xii) such other matters as may be directed by the Commission from time to time.

5.3 The decision of the Grid Coordination Committee arrived by consensus regarding operation of State Grid and Scheduling and Despatch of electricity will be followed by SLDC subject to direction of JSERC, if any.

5.4 The Grid Coordination Committee shall comprise of the following members:

(a) One member from State Transmission Utility;

(b) One member of the State Load Despatch Centre;

(c) One member to represent each generating company in the State;

(d) One member to represent each Transmission Licensee in the State, other than the State Transmission Utility;

(e) One member to represent each Distribution Licensee in the State including that of Deemed Licensee;

(f) One member to represent each Intra-State Trading Licensee;

(g) One member to represent the State Government;

(h) Such other persons as may be nominated by the Commission as special invitee.

Provided that the member from State Transmission Utility shall be the Chairperson of the Committee:
Provided that the representative of State Load Despatch Centre shall be Convener of the Grid Coordination Committee:
Provided further that the State Transmission Utility in coordination with State Load Despatch Centre, shall set up a dedicated Secretariat for the Grid Co-ordination Committee to facilitate and manage the functioning of the Grid Coordination Committee.

5.5 The members of the Grid Coordination Committee shall be selected as follows:

(i) the Chairperson or Director of Board of Directors of State Transmission Utility, having the responsibility of looking after technical activities/ operations of State Transmission Utility shall be the member referred to in clause (a) of Section 5.4 above;

(ii) the member referred to in clause (b) of Section 5.4 above shall be the head of State Load Despatch Centre;

(iii) the members referred to in clauses (c), (d), (e), (f), (g) and (h) of Section 5.4 above shall be nominated by their respective organizations

(iv) The Commission shall approve the constitution of Grid Coordination Committee through separate order on receipt of proposal from the SLDC which should be within 30 days from the date of issue of

this Code and thereafter upon receiving the same the Commission shall approve the constitution of GCC.

Provided that the members nominated by each of the organization to the above Committee shall be holding very senior position (not below a rank of Chief Engineer in case of government utilities and functional director in case of private companies or equivalent) in their respective organization and would be from Engineering discipline. Members can co-opt another eligible person from same group to support/ substitute during their absence.

6 Meeting of the Grid Coordination Committee

6.1 Member Secretary of the Grid Coordination Committee shall be responsible for arranging the meetings in a timely manner. The procedure to be followed by the Committee in conducting its business shall be formulated by the Committee and shall be approved by the Commission. Representative of SLDC (Convener) shall also function as the Member Secretary of the Grid Coordination Committee, or the GCC may designate a specific official as Member Secretary.

6.2 Grid Coordination Committee shall meet at least once in a Quarter with pre-notified Agenda. The Chairperson of the Grid Coordination Committee shall submit list of attendees and minutes of meeting to the Commission every Quarter for information. The member (s) of the GCC will be required to attend the scheduled meetings and in case of repeated absence/ abstention, the Chairperson of the GCC shall bring it to the notice of the Commission. The Commission may seek clarification/ response from such member(s) and may undertake necessary action.

Provided that additional meetings shall be convened by GCC within seven (7) days, whenever requested by ERLDC or SLDC, in the event of a grid disturbance, significant system constraint, or as required for coordination with ERPC."

6.3 Grid Coordination Committee shall send to the Commission, the following Reports within 15 days after the conclusion of every meeting:

(a) An Action Taken report on the outcome of such review meetings

(b) Any proposed revisions to the Grid Code as STU reasonably thinks necessary for removal of difficulty/inconsistency discovered in implementation of the provisions of this Code.

(c) All written representations or objections from Users arising during there view/consultation process

6.4 All revisions in the Grid Code shall be made by the Commission. The Commission shall reserve the right to review the Grid Code as and when required.

7 State Load Despatch Centre shall discharge the functions assigned to it under the provisions of the Act and these Regulations in an independent and unbiased manner:

Provided that in event of a State Load Despatch Centre being operated by the State Transmission Utility, as per first proviso of sub-section (2) of Section 31 of the Act, adequate autonomy shall be

provided to the State Load Despatch Centre for it to able to discharge its functions in the abovementioned manner.

PART B: PLANNING CODE

8 Transmission System Planning

8.1 The nodal agency for planning of State Transmission System shall be STU.

8.2 The State Transmission Utility shall publish on its website the transmission system plan for the Intra-State Transmission system and shall also make the same available to any person upon request for making investment/connection decision. STU shall also co-ordinate development of inter-state transmission system passing through or related to state of Jharkhand through CTU.

8.3 The transmission system plan shall cover a plan period of five (5) years commencing from the financial year in which this regulation is published:

Provided that the transmission system plan shall be updated by the State Transmission Utility each year and published in the manner specified in Regulation 8.2 by the 30th day of September each year and shall cover a plan period of five (5) years commencing from the financial year in which it is published.

Provided that inter-state transmission system and intra-state transmission system shall be developed to complement and supplement each other with reference to the State Grid.

8.4 As per JSERC Regulations for providing Open Access in Intra-State Transmission System, the nodal agency providing long term Transmission Access shall be STU and for short term Transmission Access the nodal agency shall be SLDC.

8.5 The transmission system plan shall describe the plan for the Intra-State Transmission System and shall include the proposed Intra-State transmission schemes and system strengthening schemes for the benefit of all Users, grid stability and grid efficiency.

Provided that the transmission system plan should include information related not only to intra-State Transmission lines but also additional equipment including transformers, capacitors, reactors, Static VAR Compensators and Flexible Alternating Current Transmission Systems: Provided further that the transmission system plan shall also include information on progress achieved on the identified intra-State transmission schemes and system strengthening schemes.

Provided also that the transmission system plan shall incorporate RE generation forecasts for wind, solar, and hybrid generating stations, and ESS capacity planning, to address variability and intermittency impacts on the intra-State transmission system.

8.6 The State Transmission Utility may, for the purpose of preparing the transmission system plan under these Regulations, seek such information as may be required by it, including generation capacity addition, inter-state transmission system plan covering State of Jharkhand and neighbouring States, system augmentation and long-term load forecast and all applications for long term Open Access in State Transmission networks:

Provided that the State Transmission Utility shall consider, but not be bound by, the information provided under this Regulation in preparing the transmission system plan.

8.7 The State Transmission Utility shall also consider the following for the purpose of preparing the transmission system plan under these Regulations-

(i) Plans formulated by the Authority for the transmission system under the provisions of clause (a), (b),(c) of Section 73 of the Act;

(ii) Electric Power Survey of India report of the Authority;

(iii) Grid Standards specified by the Authority under clause (d) of Section 73 of the Act;

(iv) Transmission Plan formulated by Central Transmission Utility.

(v) Transmission Planning Criteria and Guidelines issued by the Authority;

(vi) Recommendations/ inputs, if any, of the Regional Power Committee and Grid Coordination Committee.

(vii) Reports on National Electricity Policy which are relevant for development of intra-State Transmission System; and

(viii) Any other information/data source suggested by the Commission.

8.8 The State Transmission licensee shall, while submitting its application under subsection (1) of Section 64 of the Act to the Commission for approval, also submit therewith its investment plan based on the identified intra-State transmission schemes and system strengthening schemes projected in the transmission system plan.

8.9 The cost of the transmission system planning study undertaken in accordance with this Regulation shall be allowed in the determination of the Transmission charges for the State Transmission Licensee under clause (b) of sub-section (1) of Section 62 of the Act.

9 **Planning Criterion**

9.1 The planning criterion shall be based on the security philosophy on which the State Grid System has been planned. The security philosophy may be as per the Transmission Planning Criteria and other guidelines as given by the Authority.

Provided that State Transmission Utility shall carry out appropriate system studies while developing the transmission system plan in consultation with CTU/Authority.

9.2 The State Grid System, as a general rule, shall be capable of withstanding and be secured against the following contingency outages without necessitating load shedding or rescheduling of generation during Steady State Operation:

(i) Outage of a 110kV/132kV D/C line or,

(ii) Outage of a 220kV D/C line or,

(iii) Outage of a 400kV S/C line or,

(iv) Outage of a single Interconnecting Transformer.

Provided that the above contingencies shall be considered assuming a pre-contingency system depletion (planned outage) of another 132 KV D/C line or 220kV D/C line or 400kV S/C line in another corridor and not emanating from the same substation.

9.3 All the Generating stations may operate within their reactive capability curves and the network voltage profile shall be maintained within voltage limits specified.

9.4 The Intra-State Transmission System shall be capable of withstanding the loss of most severe single infeed without loss of stability.

9.5 Any one of the events defined in the Section 9.2 above shall not cause:

(i) Loss of supply;
(ii) Prolonged operation of the system frequency below and above specified limits;
(iii) Unacceptable high or low voltage;
(iv) System instability;
(v) Unacceptable overloading of intra-State Transmission System elements.

9.6 In all substations (110kV/132kV and above), at least two transformers shall be provided.

9.7 State Transmission Utility shall carry out planning studies for Reactive Power compensation of State Grid System including reactive power compensation at the State Generating Station's switchyard.

10 **Planning Data**

10.1 Transmission Licensees and Users are to supply following types of data to the State Transmission Utility for purpose of developing the transmission plan:

(i) Standard Planning Data;
(ii) Detailed Planning Data

10.2 **Standard Planning Data**

10.2.1 Standard Planning Data shall consist of details which are expected to be normally sufficient for the State Transmission Utility to investigate the impact on the intra- State Transmission System due to User/Transmission Licensee development.

10.2.2 Transmission Licensees and Users shall provide the following data to the State Transmission Utility from time to time in the standard formats provided by State Transmission Utility:

(a) Preliminary project planning data;
(b) Committed project planning data; and (c)
Connected planning data.

Provided that the State Transmission Utility shall develop standard formats, for submission of above mentioned data and make the same available on its website within three (3) months of notification of these Regulations after approval from JSERC:

Provided also that the State Transmission Utility shall be guided by the formats, developed for submission of above mentioned data, under the provisions of Indian Electricity Grid Code specified by Central Electricity Regulatory Commission under clause (h) of Section 79 of the Act.

10.3 **Detailed Planning Data**

10.3.1 Detailed Planning Data shall consist of additional, more detailed data not normally expected to be required by State Transmission Utility to assess the impact of User/Transmission Licensee development on the intra-State Transmission System.

10.3.2 Detailed Planning Data shall be furnished by the state Generation stations, Users and Transmission Licensees as and when requested by the State Transmission Utility.

10.4 **Schedule of Assets**

STU shall submit annually to JSERC by 30th September each year a schedule of Assets of State Grid giving details of transmission lines, State Generating Stations, their ownership with basic capacity & production/utilization details and list of distribution licensee & bulk consumers giving details of annual power, active & reactive energy drawl.

The schedule of assets shall also include all RE generating stations (wind, solar, hybrid) and Energy Storage Systems connected to the State Grid, with their installed capacity, connectivity point, and associated pooling/ evacuation infrastructure.

10.5 **Implementation of Transmission Plan**

The actual programme of implementation of Transmission lines, interconnecting Transformers, substations, Reactors/capacitors and other Transmission elements will be determined by STU in consultation with concerned agencies. The completion of these works/Projects in the time frame, shall be ensured by STU through proactive actions through concerned agencies.

PART C: CONNECTION CODE.

11 The applicable technical standards for construction of electrical plants and electric lines connected to the State Grid system shall be as per the standards notified by the Authority under clause (b) of Section 73 of the Act.

11.1 The applicable safety requirements for construction, operation and maintenance of electrical plants and electric lines shall be as per the standards notified by the Authority under clause (c) of Section 73 of the Act.

12 **Objective and Scope**

12.1 **Objective**

The connection codes are designed to ensure that

(a) The basic rules for connection are complied with to treat all agencies in a non-discriminatory manner.

(b) Any new or modified connection when established shall neither suffer unacceptable effects due to its connections to State Transmission Grid nor impose unacceptable effects on any other agency. Harmonisation of State Grid with connected agency for efficient grid operation would be the aim to be achieved.

(c) Responsibility and ownership of equipment shall be clearly specified in a schedule (standard life responsibility schedule) for every connection point. Minimum deviations would be permitted from standards so that clarity of scope remains near the set standards. Deviations, if any, from standards shall be clearly brought out in the site responsibility schedule by STU.

12.2 **Scope**

The connection condition shall apply to all constituents, STU, Inter- State Transmission (ISTS) licensees, State Generating Stations and any other agency/licensee connected to or involved in developing the State Grid and SLDC. This connection Code also applies to all agencies, which are planning to generate/Transmit and/or are generating/Transmitting energy to/from State Transmission Grid.

13 **Application for connection**

13.1 Application for establishing new arrangement or modifying existing arrangement of connection to and/or use of the State Grid System shall be submitted by the concerned Transmission Licensee, State Generating Stations or User to the State Transmission Utility:

Provided that the standard format for application mentioned in the Section 13.1 shall be developed by State Transmission Utility and shall be made available at STU website within two (2) months of notification of these Regulations after approval from JSERC.

Provided further that the prospective users shall be required to pay to the Transmission Licensees the charges as approved by the Commission, for the purpose of conducting initial inter connection studies, any additional studies as well as processing the application.

13.2 The application mentioned in Section 13.1 shall include the following details:

(a) Report stating the purpose of the proposed connection and/or modification, transmission licensee to whose system connection is proposed, description of apparatus to be connected or modification of the apparatus already connected and beneficiaries of the proposed connection;

(b) Construction schedule and target completion date; and

(c) Confirmation that the Transmission Licensee or the User shall abide by the provisions of State Grid Code, Indian Electricity Rules and various standards etc, including Grid Connectivity Standards made pursuant to the Act.

Provided that the applicant shall supply any further details/information as required by State Transmission Utility.

13.3 The State Transmission Utility shall forward a copy of the application to the Transmission Licensee in whose system the connection is being sought, to State Load Despatch Centre, CTU, and to every Transmission Licensee within the State whose Transmission System is likely to be affected by such application, for their comments and suggestions.

13.4 The State Transmission Utility shall, within thirty (30) days, from the receipt of an application under Regulation 13.1 and after considering all suggestions and comments received by the parties identified under Regulation 13.3: make a formal offer to the applicant setting out the requirements, procedures, terms and conditions including connection agreement to be entered into.

13.5 Upon compliance of the required terms and conditions of offer by the concerned Transmission Licensee/ User, State Transmission Utility shall notify the concerned Transmission Licensee/User that it can be connected to the State Grid System.

13.6 **First-Time Energization:**

(i) SLDC shall prepare and publish a detailed procedure for first-time energisation of new or modified power system elements within six (6) months of notification of these Regulations after due approval from JSERC.

(ii) In the absence of such procedure, the NLDC procedure shall apply.

(iii) The connectivity grantee shall request SLDC for permission at least seven (7) days in advance.

14. **Connection Agreement**

14.1 Connection Agreement shall include (but not limited to), as appropriate, within its terms and conditions, the following information relating to the connection of the User or Transmission Licensee to the State Grid system:

(a) A condition requiring both parties to comply with the State Grid Code;

(b) Details of connection, technical requirements and commercial arrangements;

(c) Details of any capital expenditure arising from necessary reinforcement or extension of the system and demarcation of the same between the concerned parties;

(d) Site Responsibility Schedule;

(e) General philosophy and guidelines on protection;

(f) Protection systems;

(g) System recording instruments;

(h) Communication facilities; and

(i) Any other details considered appropriate by the State Transmission Utility or the Commission.

15 **Grid Parameter Variations**

15.1 **General**

Transmission Licensees and Users shall ensure that Plant and Apparatus requiring service from or providing service to the State Grid System is of such design and construction that satisfactory operation of such Plant and Apparatus will not be prevented by normal instantaneous variation in Grid operational parameters.

15.2 **Frequency Variation**

Rated frequency of the system shall be 50.0 Hz and shall normally be controlled within the limits as per regulations / standards specified by Authority.

15.3 **Voltage Variation**

The variations of voltage may not be more than the voltage range specified in the regulations/Standards framed by Authority.

16 **Equipment at Connection Points**

16.1 **Sub-station Equipment**

16.1.1 All EHV/High/LT tension sub-station equipment's shall comply with Bureau of Indian Standards/International Electro Technical Commission.

16.1.2 All equipment shall be designed, manufactured and tested and certified in accordance with the quality assurance requirements as per the standards of International Electro Technical Commission / Bureau of Indian Standards.

16.1.3 Each connection between a User and intra-State Transmission System shall be controlled by a circuit breaker appropriate of short circuit withstand capability and interrupting capacity, at the connection point, as advised by State Transmission Utility in the specific Connection Agreement.

16.2 **Fault Clearance Times**

16.2.1 The fault clearance time for primary protection schemes, for a three phase fault (close to the bus-bars) on Users' equipment directly connected to intra-State Transmission System and for a three phase fault (close to the bus-bars) on intra-State Transmission System connected to Users' equipment, shall beas given below or as per the CEA Technical Standards for Construction Regulations and amendments thereof, whichever is lower:

(a) 100 milli seconds for 800 kV class & 400 kV

(b) 160 milli seconds for 220 kV & 132 kV/110kV

16.2.2 Back-up protection shall be provided for required isolation/protection in the event of failure of the primary protection systems provided to meet the above fault clearance time requirements. If a Generating Unit is connected to the State Grid System directly, it shall be capable of withstanding, until clearing of the fault by back-up protection on the State Grid System.

16.3 **Reactive Power Compensation**

16.3.1 Reactive Power compensation and/or other facilities shall be provided by Users, as far as possible, in the low voltage systems close to the load points thereby reducing the need for exchange of Reactive Power to/from the State Grid System and to maintain the State Grid System voltage within the specified range.

16.3.2 Line Reactors may be provided by licensee to control temporary over voltage within the limits as set out in grid standard / connection agreement.

16.3.3 The additional reactive compensation to be provided by the User shall be indicated by State Transmission Utility in the Connection Agreement for implementation. Further additional reactive compensation equipment based on actual performance may have to be provided as required by STU by Distribution Licensee/Users.

16.3.4 Users shall endeavour to minimize the Reactive Power drawal at an interchange point when the voltage at that point is below 97% of rated voltage, and shall not inject Reactive Power when the voltage is above 103% of rated voltage. Interconnecting Transformer taps at the respective drawal points may be changed to control the Reactive Power interchange as per a User's request to the State Load Despatch Centre, but only at reasonable intervals.

16.3.5 Switching in/out of all 400/220/132 kV bus and line Reactors throughout the grid shall be carried out as per instructions of State Load Despatch Centre. Tap changing on Interconnecting Transformers shall also be done as per the instructions of State Load Despatch Centre only.

16.3.6 The State Generating Station shall generate/absorb reactive power as per instructions of SLDC, within the capability limit of respective Generating Units.

16.3.7 Notwithstanding above SLDC may direct a User/Licensee to curtail its VAR drawal /injection in case the security of the Grid or safety of any equipment is endangered.

16.4 **Communication Facilities**

16.4.1 Reliable and efficient speech and data communication systems shall be provided to facilitate necessary communication and data exchange, and supervision/control of the State Grid by the State Load Despatch Centre, under normal and abnormal conditions on continuous basis.

16.4.2 All Users and Transmission Licensees shall provide the required facilities at their respective ends as specified in the Connection Agreement.

16.4.3 All agencies shall provide system to telemeter power system operational parameters such as flow, voltage, status of switches/Transformer taps etc. in line with interface requirement and other guidelines made available by SLDC or RLDC through SLDC. Associated communication system to facilitate data flow upto SLDC shall also be established by concerned agency as required by STU.

16.4.4 All agencies in co-ordination with STU shall provide required facilities at their respective ends and at SLDC.

17. **Generating units and Power stations**

(a) A Generating Unit shall be capable of continuously supplying its normal rated active/reactive output within the system frequency and voltage variation range, above subject to design limitations specified by the manufacturer.

(b) A generating unit shall be provided with an AVR, protective and safety devices, as set out in connection agreements.

(c) Subject to size of generating unit required for auto governor operation made,each Generating Unit shall be fitted with a turbine speed governor having an overall droop characteristic within the range of 3% to 6% (for thermal generating units and WS Seller) or 0-10% (for hydro generating units) as specified in the CEA Technical Standards for Connectivity Regulations,which shall always be in service. The primary response requirement of various types of generating units shall be as mentioned below:

Fuel/ Source	**Minimum unit size/ Capacity**	**Up to**
Coal/Lignite Based	200 MW and above	±5% of MCR

Fuel/ Source	Minimum unit size/ Capacity	Up to
Hydro	25 MW and above	±10% of MCR
Gas based	Gas Turbine above 50 MW	±5% of MCR (corrected for ambience temperature)
WS Seller	Capacity of Generating station more than 10 MW and connected at 33 kV and above	As per CEA Technical Standards for Connectivity Regulations.

Provided that:

i) WS Sellers commissioned after the date as specified in CEA Technical Standards for Connectivity Regulations, shall have the option to provide primary response individually through ESS or through a common ESS installed at its pooling station.

ii) Nuclear generating stations and hydro generating stations (with pondage up to 3 hours or Run of the river projects) shall be exempt from mandatory primary response. They may provide the primary response to the extent possible, considering the safety and security of machines and humans.

iii) The primary response requirement of various types of generating units shall be guided by the IEGC and amendments thereof. In case of any difference in Primary response requirement as defined under the IEGC and as defined above, primary response requirement as defined under IEGC and amendments thereof shall be applicable.

(d) Each Generating Unit as mentioned in the above Table shall be capable of instantaneously increasing output by minimum 5% of their operating level and up to 105% or 110% of their MCR, as the case may be, when the frequency falls suddenly and thus providing primary response whenever conditions arise.

(e) All generating stations, including the WS seller as mentioned in above table, shall have the capability of reducing output at least by 5% or 10%, as applicable, of their operating level and up to 5% or 10% of their MCR, as applicable, limited to the minimum turndown level when the frequency rises above the reference frequency and thus, providing primary response, whenever conditions arise.

(f) Any generating station not complying with the above requirements shall be kept in operation (synchronized with the regional grid) only after obtaining permission from SLDC.

(g) The ramping up / ramping down rates in respect of different categories of stations would be as follows:

i) Coal or lignite fired plants shall declare a ramp up or ramp down rate of not less than 1% of ex-bus capacity corresponding to MCR on bar per minute;

ii) Gas power plants shall declare a ramp up or ramp down rate of not less than 3% of ex-bus capacity corresponding to MCR on bar per minute;

iii) Hydro power plants shall declare a ramp up or ramp down rate of not less than 10% of ex-bus capacity corresponding to MCR on bar per minute;

iv) Renewable Energy generating stations shall declare a ramp up or ramp down rate as per CEA Technical Standards for Connectivity Regulations.

Provided that ramping up / ramping down rates of various types of generating units shall be guided by the IEGC and amendments thereof. In case of any difference in ramping up / ramping down rates as defined in IEGC and as defined above, ramping up / ramping down rates as defined under IEGC and amendments thereof shall be applicable.

(h) Secondary Control and Tertiary Control shall be such as may be notified by the Commission separately.

18 **System Recording Instruments**

18.1 Recording instruments such as Data Acquisition System/Disturbance Recorder/Event Logger/Fault Locator (including time synchronization equipment) shall be provided in the State Grid system for recording of dynamic performance of the system.

18.2 All Users and Transmission Licensees shall provide all the requisite recording/indicating/integrating instruments as specified in the connection agreement in accordance with the agreed time schedule.

19 **Responsibilities for operational safety**

19.1 Transmission Licensees and the Users shall be responsible for safety as indicated in Site Responsibility Schedules for each connection point.

19.2 **Site Responsibility Schedule**

19.2.1 Site Responsibility Schedule shall be produced by the concerned Transmission Licensee and the User detailing the ownership responsibilities of each, before execution of the project or connection, including safety responsibilities.

19.2.2 The Site Responsibility Schedule shall be developed by the concerned Transmission Licensee pursuant to the relevant Connection Agreement and shall state the following for each item of plant and apparatus installed at the Connection point:

(a) Ownership of the Plant/Apparatus;
(b) Responsibility for control of the Plant/Apparatus;
(c) Responsibility for operation of the Plant/Apparatus;
(d) Responsibility for maintenance of the Plant/Apparatus; and
(e) Responsibility for all matters relating to safety of any persons at the connection point.

19.2.3 The format, principles and basic procedure to be used in the preparation of Site Responsibility Schedules shall be formulated by State Transmission Utility within three (3) months of notification of

these Regulations and shall be provided to each User and Transmission Licensee for compliance and submit the compliance Report to the Commission thereafter:

Provided that the State Transmission Licensee shall also put up the information related to above mentioned format, principles and procedures on its Website.

19.3 **Single Line Diagrams**

19.3.1 Single Line Diagram shall be furnished for each connection point by the connected User or Transmission Licensee to the State Load Despatch Centre.

19.3.2 Single Line Diagram shall include all High Voltage (HV) connected equipment and the connections to all external circuits and incorporate numbering, nomenclature, rating and labelling.

19.3.3 In the event of a proposal to change any equipment, the concerned User or Transmission Licensee shall intimate the necessary changes to State Transmission Utility and to all concerned. Single Line Diagram shall be updated appropriately by the concerned Users or Transmission Licensee and a copy of the same shall be provided to the State Load Despatch Centre.

19.4 **Site Common Drawings**

19.4.1 Site Common Drawings shall be prepared for each Connection Point and will include the following information:

(a) Site Layout;
(b) Electrical Layout;
(c) Details of Protection; and
(d) Common Services Drawings.
(e) Division/boundary between user and Transmission Licensee.

19.4.2 Detailed drawings shall be prepared individually by Transmission Licensee and User in respect of their system/facility at each Connection Point and copies of the same shall be made available to the other party.

19.4.3 In case of any changes in the Site Common Drawings that are found necessary by Transmission Licensee or User in respect of their system/facility at the Connection Point, the details of such changes shall be furnished to the other party as soon as possible.

20 **Access at Connection Site**

20.1 The Transmission Licensee or User owning the Connection Site shall provide reasonable access and other required facilities to another Transmission Licensee or User whose equipment is proposed to be installed / installed at the Connection Site for installation, operation, maintenance, etc.

20.2 Written procedures and agreements shall be developed between STU, Transmission Licensees and Users to ensure that mandatory access is available to the concerned Transmission Licensee or STU or User for installation, inspection, maintenance and recording as and when needed.

21 **Trial Run of Intra-State Transmission system**

Trial run of a transmission system or an element thereof shall mean successful energization of the transmission system or the element thereof at its nominal system voltage through inter-connection with the grid for a continuous twenty-four(24) hours flow of power and communication signal from the sending end to the receiving end and with the requisite metering system, telemetry and protection system:

Provided that under exceptional circumstances and with the prior approval of STU and SLDC, a transmission element can be energized at lower nominal system voltage level:

Provided further that the STU and SLDC may allow anti-theft charging where the transmission line is not carrying any power.

22 **Declaration of Commercial Operation and Commercial Operation Date (COD)**

Transmission System

The commercial operation date in the case of an Intra-State Transmission System or an element thereof shall be the date declared by the Transmission Licensee on which the Transmission System or an element there of is in regular service at 0000 hours after successful trial operation for transmitting electricity and communication signals from the sending end to the receiving end as per these Regulations and submission of a declaration:

Provided that the commercial operation date of a transmission element shall be declared only after a successful trial run of the last element of the said transmission system:

Provided further that where only some of the transmission elements of the transmission system have achieved a successful trial run and seeks commercial operation of such elements, the commercial operation date of such transmission elements of the transmission system may be declared by the Transmission Licensee as per this Grid Code:

Provided also that where only some of the transmission element(s) of the transmission system have achieved a successful trial run and if the operation of such transmission elements is certified by the STU and concerned Regional Power Committee(s) for improving the performance, safety and security of the grid, the commercial operation date of such transmission element(s) of the transmission system may be declared by the Transmission Licensee as per this Grid Code:

Provided also that in case a transmission system or an element there of executed under regulated tariff mechanism is prevented from regular service on or after the scheduled COD for reasons not attributable to the Transmission Licensee or its supplier or its contractors but is on account of the delay in commissioning of the concerned generating station or in commissioning of the upstream or downstream transmission system of other Transmission Licensee or downstream distribution system of Distribution Licensee, the Transmission Licensee shall approach the Commission through an appropriate petition along with a certificate from the STU to the effect that the transmission system

is complete as per the applicable CEA Standards, for approval of the commercial operation date of such transmission system or an element thereof:

Provided also that in the case of Intra-State Transmission System executed through Tariff Based Competitive Bidding, the Transmission Licensee may declare deemed COD of the Intra-State Transmission System in accordance with the provisions of the Transmission Service.

In the event of any inconsistency, ambiguity, omission, or gap between the provisions of these State Grid Code Regulations and the provisions of the Indian Electricity Grid Code (IEGC), including any amendments, modifications, or revisions made thereto from time to time, with respect to Trial Run or COD of the Transmission system, the corresponding provisions of the Indian Electricity Grid Code shall prevail to the extent of such inconsistency, ambiguity, omission, or gap.

PART D: PROTECTION CODE

23 **Protection Code**

The chapter covers the protection protocol, protection settings and protection audit plan of electrical systems to be adopted in order to safeguard the State Transmission System and User's system from faults. The objective of this chapter is to define the minimum protection requirements for any equipment connected to the State Transmission System and thereby minimize the disruption due to faults.

24 **Protection Protocol**

(a) All Users connected to the State grid shall provide and maintain effective protection system having reliability, selectivity, speed and sensitivity to isolate faulty section and protect element(s) as per CEA Technical Standards for Connectivity Regulations, CEA Grid Standards Regulations, CEA Technical Standards for Communication Regulations, CEA Technical Standards for Construction Regulations and amendments thereof and any other applicable CEA Standards specified from time to time.

(b) Back-up protection system shall be provided to protect an element in the event of failure of the primary protection system.

(c) Grid Coordination Committee (GCC) shall develop the protection protocol and submit to the Commission and revise the same, after review from time to time, in consultation with the stakeholders in the State, and in doing so shall be guided by the principle that minimum electrical protection functions for equipment connected with the grid shall be provided as per CEA Technical Standards for Connectivity Regulations, CEA Grid Standards Regulations, CEA Technical Standards for Communication Regulations, CEA Technical Standards for Construction Regulations, CEA Safety Regulations and amendments thereof and any other CEA standards specified from time to time. The Commission may make necessary changes, if required, in the Protection Protocol.

(d) The protection protocol in a particular system may vary depending upon operational experience. Changes in protection protocol, as and when required, shall be carried out after deliberation and approval of the Grid Coordination Committee.

(e) Violation of the protection protocol of the State shall be brought to the notice of Grid Coordination Committee by SLDC.

25 **Protection Settings**

(a) Grid Coordination Committee shall undertake review of the protection settings, assess the requirement of revisions in protection settings and revise protection settings in consultation with the

stakeholders of the State from time to time and at least once in a year. The necessary studies in this regard shall be carried out by the Grid Coordination Committee. The data including base case (peak and off-peak cases) files for carrying out studies shall be provided by SLDC and STU to Grid Coordination Committee.

Provided that the GCC shall coordinate with the ERPC on protection setting reviews for all elements connected at 132 kV and above, to ensure consistency with Regional protection philosophy.

(b) All Users connected to the grid shall:

i. furnish the protection settings implemented for each element to Grid Coordination Committee in a format to be prescribed by GCC

ii. obtain approval of Grid Coordination Committee for any revision in settings and implementation of new protection system;

iii. Intimate to Grid Coordination Committee about the changes implemented in protection system or protection settings within a fortnight of such changes;

iv. ensure correct and appropriate settings of protection as specified by Grid Coordination Committee; and

v. ensure proper coordinated protection settings.

vi. keep the recording instruments (disturbance recorder and event logger) in proper working condition

(c) SLDC shall maintain a centralized database and update the same on periodic basis in respect of State containing details of relay settings for grid elements connected to 66 kV and above.

(d) All 132 kV and above substations, generating stations and major grid substations shall provide Disturbance Recorders, Event Loggers and Fault Locators. Disturbance records shall be made available to SLDC/STU within twenty-four hours of occurrence of a reportable event. The disturbance recorders shall have time synchronization and a standard format for recording analogue and digital signals which shall be included in the guidelines issued by the GCC and in absence of any guideline, guidelines issued by RPC to be followed.

25.1 Protection Systems shall be provided by all Transmission Licensees and Users to isolate the faulty equipments and protect the other components against all types of faults, internal/external to them, within specified fault clearance time with reliability, selectivity and sensitivity:

Provided that all Users or Transmission Licensees connected to the State Grid System shall provide protection systems as specified in the Connection Agreement.

25.2 Relay setting coordination shall be done at State level by Grid Coordination Committee. The Grid Coordination Committee would also identify critical locations where a particular type of protection needs to be provided if not available already.

25.3 Schemes/ Remedial Action Schemes implemented for system security shall be approved, periodically tested and reviewed under supervision of STU and SLDC. Special Protection Scheme (SPS) performance

shall be assessed as per protection performance indices. In case of SPS failure, corrective actions and detailed report shall be submitted to GCC within a fortnight**.**

26. Protection Audit Plan

(a) Generating Stations shall conduct internal audit of their protection systems annually and any shortcomings identified shall be rectified and informed to Grid Coordination Committee and SLDC. The audit report along with action plan for rectification of deficiencies detected if any, shall be shared with Grid Coordination Committee and SLDC.

(b) All Users except those under Regulation 26 (a) of the Grid Code and having sub-stations at voltage level 220 kV and above shall conduct internal audit of their protection systems annually and third-party protection audit of each substation once in five (5) years. The audit report along with action plan for rectification of deficiencies detected if any, shall be shared with Grid Coordination Committee and SLDC.

(c) All Users except those under Regulation 26 (b) of the Grid Code and having sub-stations at voltage level 66 kV / 110 kV/ 132 kV shall conduct internal audit of their protection systems annually. The audit report along with action plan for rectification of deficiencies detected if any, shall be shared with Grid Coordination Committee and SLDC.

(d) After analysis of any event, Grid Coordination Committee shall identify a list of sub-stations/ generating stations where third-party protection audit is required to be carried out and accordingly advise the respective Users to complete third-party audit within three months.

(e) The third-party protection audit report shall contain information sought in the format enclosed as **Appendix–I**. The protection audit reports along with action plan for rectification of deficiencies detected, if any, shall be submitted to Grid Coordination Committee and SLDC within a month of submission of third-party audit report. The necessary compliance to such protection audit report shall be followed up regularly in Grid Coordination Committee meetings.

(f) Annual audit plan for the next financial year shall be submitted by the Users to Grid Coordination Committee and SLDC by 31stOctober. The Users shall adhere to the annual audit plan and report compliance of the same to Grid Coordination Committee and to SLDC for record purposes.

(g) Users shall submit the following protection performance indices of previous month to Grid Coordination Committee and SLDC on monthly basis for 66 kV and above system, which shall be reviewed by the Grid Coordination Committee:

The Dependability Index defined as D =Nc/ (Nc+Nf);
The Security Index defined as S =Nc/(Nc+Nu); and

The Reliability Index defined as R =Nc/ (Nc+Ni);

where,
Nc is the number of correct operations at internal power system faults;
Nf is the number of failures to operate at internal power system faults;
Nu is the number of unwanted operations; and
Niis the number of incorrect operations and is the sum of Nf and Nu.

(h) Each User shall also submit the reasons for performance indices less than unity of individual element-wise protection system to Grid Coordination Committee and action plan for corrective measures. The action plan will be followed up regularly by the Grid Coordination Committee.

(i) In case any User fails to comply with the protection protocol specified by Grid Coordination Committee or fails to undertake remedial action identified by the Grid Coordination Committee within the specified timelines, Grid Coordination Committee / STU may approach the Commission with all relevant details for suitable directions.

PART E: OPERATING CODE

27 Operating code

27.1 State Load Despatch Centre shall supervise the overall operation of the State Grid System including import to and export from State of active and reactive power. Export from and import to shall be supervised in close co-ordination with RLDC. RLDC shall supervise and control inter-state transmission lines as per Section 28(2) (d) of the Act as well as be responsible for overall scheduling and dispatch insofar as the regional basis is concerned.

27.2 State Load Despatch Centre shall develop, document and maintain detailed internal operating procedures for managing the State Grid.
Provided that such procedures shall be developed in consultation with RLDC, STU, Transmission Licensees and Grid Coordination Committee.
Provided further that such procedures shall be consistent with State Grid code and IEGC and amendments thereof.

27.3 The control rooms of the State Load Despatch Centre including load control centres of Licensee/State generating stations Power Plants, substations of 132 kV and above and any other control Centres of Transmission Licensees and Users shall be manned round-the-clock by qualified and adequately trained personnel.

28 System security aspects

28.1 All Users and Transmission Licensees shall endeavour to operate their respective power systems and power stations in synchronism with each other at all times, such that the entire system within the State operates as one synchronised system.

28.2 No part of the State Grid shall be deliberately isolated from the rest of the intra-State Transmission System except

(i) Under an emergency, and conditions in which such isolation will prevent a total grid collapse and/or will enable early restoration of power supply;
(ii) When serious damage to a costly equipment is imminent and such isolation will prevent it;
(iii) When such isolation is specifically instructed by the State Load Despatch Centre.

28.3 Complete synchronism of the State Grid shall be restored as soon as the conditions again permit it. The restoration process shall be supervised by State Load Despatch Centre as per the operating procedures separately formulated by State Load Despatch Centre.

28.4 No important element of the State Grid shall be deliberately opened or removed from service at any time, except when specifically instructed by State Load Despatch Centre or with specific and prior clearance of State Load Despatch Centre. The list of such important grid elements on which the above stipulations apply shall be prepared by the State Load Despatch Centre in consultation with the Transmission Licensees and Users and shall be available at the State Load Despatch Centre and concerned Transmission licensee and users.

28.5 Any tripping, whether manual or automatic, of any of the elements of the State Grid, referred in Section 28.4, shall be precisely intimated by the concerned Transmission Licensee or User to the State Load Despatch Centre as soon as possible. The reason, to the extent determined, and the likely time of restoration shall also be intimated. All reasonable attempts shall be made for the elements' restoration as soon as possible.

28.6 An intra-State Generating Unit shall be capable of continuously supplying its normal rated active/reactive output at the rated system frequency and voltage, subject to the design limitations specified by the manufacturer.

28.7 A Generating Unit shall be provided with automatic voltage regulators (AVRs), Power System Stabilizers (PSSs), voltage (reactive power) controllers (Power Plant Controller) and any other requirements in operation, as per the CEA Technical Standards for Connectivity, as set out in Connection Agreement.

Provided that the tuning of AVR, PSS, Voltage Controllers (PPC) including for low and high voltage ride through capability of wind and solar generators or any other requirement as per CEA Technical Standards for Connectivity shall be carried out by the respective generating station once every five years or based on SLDC operational feedback after grid events or major network changes.

28.8 Each In-State Generating Unit shall be fitted with a turbine speed governor having an overall droop characteristic within the range of 3% to 6%(for thermal generating units and WS Seller) or 0-10% (for hydro generating units) as specified in the CEA Technical Standards for Connectivity Regulations and such turbine speed governor shall always be in service:

Provided that if any in-State generating unit of over fifty (50) MW size is required to be operated without its governor in normal operation, the State Load Despatch Centre shall be immediately advised about the reason and duration of such operation.

28.9 Facilities available with/in load limiters, Automatic Turbine Run-up System, Turbine supervisory control, coordinated control system, etc., shall not be used to suppress the normal governor action in any manner. No dead bands and/or time delays shall be deliberately introduced. The inherent dead band of a generating unit or frequency controller shall not exceed ±0.03 Hz. The governor shall be set with reference frequency of 50.000 Hz. Thermal and hydro units shall not resort to Valve Wide Open (VWO) operation to make available margin for governor action.

28.10 Each in-State Generating Unit shall be capable of instantaneously increasing output by 5%, when the frequency falls, subject to limit of 105% or 100% of Maximum Continuous Rating as the case may be, as per CEA Technical Standards. This shall be in accordance with Regulations 17.
Ramping back to the previous generation level, in case the increased output level cannot be sustained, shall be in accordance with Regulations 17.

Provided that any in-State generating unit of over Fifty (50) MW size not complying with the above requirements, shall be kept in operation (synchronized with the State Grid) only after obtaining the permission of State Load Despatch Centre:
Provided also that User can make up the corresponding short fall in spinning reserve by maintaining an extra spinning reserve on the other generating units of the User.

28.11 The recommended rate for changing the governor setting, i.e., supplementary control for increasing or decreasing the output (generation level) for all generating units, irrespective of their type and size, would be one (1.0) per cent per minute or as per manufacturer's limits. However, if frequency falls below 49.9 Hz or the lower limit as specified by CEA from time to time, all partly loaded generating units shall pick up additional load at a faster rate, according to their capability.

28.12 Except under an emergency, or to prevent an imminent damage to costly equipment, no User shall suddenly reduce his generating unit output by more than one hundred (100) MW without prior intimation to and consent of the State Load Despatch Centre, particularly. Similarly, no User shall cause a sudden increase in its load by more than one hundred (100 MW) without prior intimation to and consent of the State Load Despatch Centre.

In this regard, any verbal direction issued by SLDC under this Section shall be confirmed in writing or through electronic communication within twenty-four (24) hours of issuance.

28.13 All generating units shall normally have their Automatic Voltage Regulators in operation, with appropriate settings.
Provided that in case a generating unit of over fifty (50) MW is required to be operated without its Automatic Voltage Regulator in service, the State Load Despatch Centre shall be immediately intimated about the reason and duration, and its permission be obtained and written confirmation obtained from SLDC.

28.14 Power System Stabilizers in Automatic Voltage Regulators of generating units, wherever provided, shall be properly tuned by the respective generating unit owner as per a plan prepared for the purpose by the State Transmission Utility from time to time. State Transmission Utility will be allowed to carry out checking of Power System Stabilizer and further tuning it, wherever considered necessary.

28.15 Provision of protections and relay settings shall be coordinated periodically throughout the State grid, as per a plan to be separately finalized by Grid Coordination Committee and RLDC.

28.16 The rated frequency of the system shall be 50.000 Hz and shall normally be regulated within the allowable band of 49.900-50.050 Hz in line with IEGC and amendments thereof. The frequency shall be measured with a resolution of +/- 0.001 Hz by SLDC and such frequency data measured every second shall be archived by SLDC. State Load Despatch Centre, in coordination with Regional Load Despatch Centre, Users and Transmission Licensees shall make all possible efforts to ensure that the grid frequency always remains within the band as specified by IEGC and amendments thereof, the frequency range within which steam turbines conforming to the IEC specifications can safely operate continuously.

28.17 Users and Transmission Licensees shall provide automatic under-frequency and df/dt load shedding/islanding schemes in their respective systems, wherever applicable, to arrest frequency decline that could result in a collapse/disintegration of the State grid, as per the plan separately finalized by Grid Coordination Committee and shall ensure its effective application to prevent cascade tripping of generating units in case of any contingency.

Provided that the under-frequency load shedding relay settings shall be calibrated as per the Under Frequency Load Shedding (UFLS) scheme finalized by GCC in consultation with ERLDC, with Stage-1 trigger at 49.40 Hz (or as revised by CEA Grid Standards from time to time), Stage-2 at 49.20 Hz, and Stage-3 at 49.00 Hz. SLDC shall maintain and publish these thresholds on its website.

28.18 Users and Transmission System Licensees shall ensure that the under-frequency and df/dt relay-based load shedding/islanding schemes, mentioned in Section 28.17 are always functional:

Provided that the relays may be temporarily kept out of service, in extreme contingencies, with prior consent of State Load Despatch Centre.

Provided also that demand disconnection through Under Frequency Relay (UFR) shall not be set with any time delay in addition to the operating time of the relays and circuit breakers. RLDC shall inform SLDCs as well as the concerned RPC on a quarterly basis, durations during the quarter when the combined load in MW of these feeders was below the level considered while designing the UFR scheme by the RPC. SLDC shall take corrective measures within a reasonable period.

28.19 Sub-Committee constituted by Grid Coordination Committee for this purpose shall carry out periodic inspection of the under frequency and df/dt relays and Grid Coordination Committee shall maintain proper record of these inspection.

28.20 Users and Transmission Licensees shall facilitate identification, installation and commissioning of System Protection Schemes, as finalized by Grid Coordination Committee, in the power system to protect against situations such as voltage collapse and cascading:

Provided that such schemes shall always be kept in service and in case any of these are taken out of service, SLDC shall be promptly informed.

28.21 Each User and Transmission Licensee shall provide adequate and reliable communication facility internally and with State Load Despatch Centre, other Users and other Transmission Licensees to ensure exchange of data/information necessary to maintain reliability and security of the grid. Wherever possible, redundancy and alternate path shall be maintained for communication along important routes, e.g., SLDC to Users.

28.22 User and Transmission Licensee shall send the requested information/data including disturbance recorder/sequential event recorder output etc. to State Load Despatch Centre for purpose of analysis of any grid disturbance/event. No User or Transmission Licensee shall block any data/information required by the State Load Despatch Centre. Data required may also cover data for maintaining reliability and security of the State or Regional Grid and for analysis of an event.

28.23 State Load Despatch Centre, State Generating Stations Users and Transmission Licensees shall make all possible efforts to ensure that the grid voltage as per CEA Grid Standards Regulations and amendments thereof shall always remain within the following operating range:

Voltage (kV rms)		
Nominal	Maximum	Minimum
765	800	728
400	420	380
220	245	207
132	145	120
66	72	60

28.24 In the event of anticipated or prevailing conditions that may result in sustained high electricity demand or pose risks to the secure and reliable operation of the power system, all concerned entities shall undertake appropriate coordinated measures to ensure uninterrupted power supply, grid security, and reliable operation of the power system. Priority shall be accorded to maintaining uninterrupted electricity supply to critical infrastructure and essential services, including hospitals, water supply systems, emergency services, transport systems, and other critical loads.

29 Demand forecast

29.1 Each distribution Licensee shall develop methodology/mechanism for daily/weekly/monthly/yearly demand estimation of active power as well as reactive power. STU shall provide for procedures as well as time guidelines to be followed for exchange of information between concerned entities for arriving at these estimates/forecasts.

29.2 The demand estimation shall cover the time scales as applicable for operational purposes. The time scales should be decided after giving due considerations to the requirements under other existing regulations for furnishing demand forecast related information.

30 Manual Demand Disconnection

30.1 Users shall endeavour to restrict their actual drawal within their respective drawal schedules whenever the system frequency is below 49.9 Hz or lower limit as defined under IEGC from time to time:

30.2 In case of falling Frequency, SLDC shall take appropriate action to issue instructions, in co-ordination with ERLDC to arrest the falling frequency and restore it, within permissible range. Such instructions may include dispatch instruction to generators under control area of SLDC and/or instruction to DISCOMs/Users to reduce load demand manually and/or through automatic load shedding.

Provided that load shedding shall be resorted to after the demand response option has been exhausted.

30.3 In case of rising Frequency, SLDC shall take appropriate action to issue instructions to the generators under its control in co-ordination with ERLDC, to arrest the rising frequency and restore frequency within permissible range. SLDC shall also issue instructions to DISCOMs/ Users in coordination with ERLDC to lift Load shedding, if any.

30.4 In case of certain contingencies and/or threat to system security, the State Load Despatch Centre may direct Distribution Licensees and Users to decrease their drawal by certain quantum and such Users shall act upon such directions immediately.

30.5 Users shall make arrangements that will enable manual disconnection to take place as instructed by the State Load Despatch Centre.

30.6 The measures taken to reduce Users drawal from the State Grid shall not be withdrawn so long as frequency/voltage remains at low level unless specifically permitted by SLDC.

31 Reports

31.1 A weekly report shall be issued by State Load Despatch Centre to STU, Transmission Licensees, users and Grid-coordination Committee to inform about the performance of the State Grid for the previous week. The weekly report shall contain the following:

(i) Frequency profile;
(ii) Voltage profile of selected substations;
(iii) Major Generation and Transmission Outages;

(iv) Transmission constraints; and

(v) Instances of persistent / significant non-compliance of State Grid Code.

(vi) Grid Security events, leading to curtailment along with reasons.

Provided that the weekly report shall also be available in copying mode on the website of State Load Despatch Centre for at least twelve (12) weeks:

Provided that the weekly report may categorize the grid incidents (GI) as GI-1 to GI-2 and grid disturbance (GD) as GD-1 to GD-5 based on the severity of tripping as per the provisions of CEA (Grid Standards) Regulations, 2010, as amended from time to time.

31.2 The State Load Despatch Centre shall prepare a quarterly report which shall bring out the system constraints, reasons for not meeting the requirements, if any, of security standards and quality of service, along with details of various actions taken by different Users/Transmission Licensees, and the Users/Transmission Licensees responsible for causing the constraints.

31.3 SLDC shall also provide information/report which can be called by Grid Coordination Committee in the interest of smooth operation of State Grid.

Provided further that SLDC shall also endeavour to provide Real time information of the Grid on its website.

32 Operational Liaison

32.1 **Operations and events on the State Grid**

32.1.1 State Load Despatch Centre shall, before any Operation is carried out on State grid, inform RLDC each User and Transmission Licensee, whose system may or will experience an operational effect, and give details of the operation to be carried out.

32.1.2 State Load Despatch Centre shall, immediately following an event on State grid, inform each User and Transmission Licensee, whose system may or will experience an operational effect following the event, and give details of what happened in the event but need not give the reasons for the same.

32.2 **Operations and events on Users' or Transmission Licensees' System**

32.2.1 Before any Operation is carried out on system of a User or a Transmission Licensee, the concerned User or Transmission Licensee shall inform the State Load Despatch Centre, in case the State Grid may or will, experience an operational effect, and shall give details of the operation to be carried out.

32.2.2 User or a Transmission Licensee shall, immediately following an event on its system, inform the State Load Despatch Centre, in case the State Grid may or will, experience an operational effect following the event, and give details of what happened in the event but need not give the reasons for the same.

33 Outage planning and coordination

33.1 Introduction

(a) This section sets out the procedure for preparation of outage schedules for State Grid as well as planning for the elements of State Grid in a co-ordinated and optimum manner keeping in view the condition of State Grid, State Generation and status of export import and load demand.

(b) Transmission system and State Generation including export/import should be adequate after taking into account the outages to achieve security standards.

(c) Annual outage plan should be prepared in advance for the financial year by Grid Coordination Committee for the State Grid and reviewed on quarterly and monthly basis.

33.2 Objective

(a) To develop a co-ordinated Generation/Transmission line outage programme for State Grid taking into account State Generation, Transmission line constraints and load demand.

(b) To minimize demand supply gap for power demand, active energy demand and reactive energy demand to achieve proper security standards.

(c) To optimize Transmission line outage of State transmission line and other transmission networks to achieve proper security standards.

33.3 Outage Planning Process

33.3.1 All Users and Transmission Licensees shall provide Grid Coordination Committee with their proposed outage programmes in writing for the next financial year by 30th November of each year. These shall contain identification of each Generating Unit/Transmission Line/Interconnecting Transformer for which outage is being planned, reasons for outage, the preferred date for each outage and its duration and where there is flexibility, the earliest start date and latest finishing date.

33.3.2 Grid Coordination Committee shall come out with a draft outage programme for the next financial year by 31st December of each year for the State Grid:

Provided that outage plan shall be developed after giving due considerations to system security and reliability and shall be developed such that the extent of unmet system demand on account of such a plan is kept to a minimum:

Provided further that in case of hydro generating stations such a plan shall also endeavour to maximize the utilization of water for purpose of power generation subject to applicable constraints related to alternate use of such water.

33.3.3 Transmission Outage Planning shall be harmonized with Generation Outage Planning and Distribution System Outage Planning shall be harmonized with Generation and Transmission Outage Planning.

33.3.4 The final outage plan shall be intimated to all Users and Transmission Licensee latest by 31st January each year:

Provided that the above annual outage plan shall be reviewed by Grid Coordination Committee on monthly basis in coordination with all parties concerned, and adjustments made wherever found to be necessary.

33.3.5 Each User or Transmission Licensee shall, at least two (2) weeks prior to availing an outage as per the planned schedule, inform the State Load Despatch Centre about the same and obtain prior approval from State Load Despatch Centre for availing the schedule plan. Without prior approval from SLDC, scheduled plan should not be availed.

33.3.6 The State Load Despatch Centre shall have the authority to defer any planned outage in case of occurrence of following events:

(i) Major grid disturbances (total black out);
(ii) System isolation;
(iii) Any other event in the system that may have an adverse impact on the system security by the proposed outage.
(iv) Black out in User area.

Provided that the State Load Despatch Centre shall inform about the revised outage plan, with appropriate reasons for revisions in the outage plan, as soon as possible.

34 Recovery Procedures

34.1 Detailed plans and procedures for restoration after partial/total blackout shall be developed by State Load Despatch Centre in coordination with the Users and Transmission Licensees and Grid Coordination Committee.

34.2 The procedure shall be reviewed, confirmed and/or revised once every subsequent year. Mock trial runs of the procedure for different sub-systems shall be carried out by the State Load Despatch Centre, in coordination and consultation with Users and Transmission Licensees, at least once every six months under intimation to the Regional Load Despatch Centre

34.3 List of State Generating Stations with black start facility, inter-State ties, synchronizing points and essential loads to be restored on priority, shall be prepared by SLDC and be available with State Load Despatch Centre.

Provided that SLDC shall identify and maintain an updated list of State Generating Stations with grid-forming black start capability, including ESS. The black start reserve list shall be shared with ERLDC.

34.4 State Load Despatch Centre shall be authorized during the restoration process following a black out, to operate with reduced security standards for voltage and frequency as necessary in order to achieve the fastest possible recovery of the grid in consultation with RLDC. Reduced security standards shall be documented in consultation with RLDC. During restoration, SLDC shall operate in coordination with ERLDC's restoration sequence.

34.5 All communication channels required for restoration process shall be used for operational communication only, till grid normalcy is restored.

35 Event information

35.1 Scope

(a) This section deals with reporting procedure in writing of all reportable events in State Grid.

(b) The objective of this section is to define the events to be reported along with reporting route and details of information to be reported to achieve consistency of approach.

(c) This Section cover all Users, Transmission Licensees, STU, SLDC and RLDC.

35.2 **Reportable Events**

Any of the following events shall require reporting by User, Transmission Licensee, STU or State Load Despatch Centre as the case may be.

(i) Violation of security standards;
(ii) Grid indiscipline;
(iii) Non-compliance of State Load Despatch Centre’s instructions;
(iv) System islanding/system split;
(v) Black out/partial system black out;
(vi) Protection failure on any element of intra-State Transmission System;
(vii) Power system instability; and
(viii) Tripping of any element of the State Grid.

35.3 **Reporting Procedure**

35.3.1 All communications between STU and Users shall be in accordance with theprovision of the Indian Electricity Grid Code and subsequent amendments thereof and shall be made with thedesignated nodal officer, appointed by STU.

35.3.2 Unless otherwise specifically required by the Grid Code, all communications shall be inwriting, save as where operation time scales require oral communication.
Such oral communications shall be confirmed in writing as soon as practicable.

35.3.3 A written report shall be sent to State Load Despatch Centre or Users/Transmission Licensees, as the case may be, and shall confirm the oral notification together with the following details of the event:

(i) Time and date of event;
(ii) Location;
(iii) Plant and/or Equipment directly involved;
(iv) Description and cause of event;
(v) Antecedent conditions;
(vi) Demand and/or Generation (in MW) interrupted and duration of interruption;
(vii) All relevant system data including copies of records of all recording instruments including Disturbance Recorder, Event Logger and Data Acquisition System;
(viii) Sequence of tripping with time;
(ix) Details of Relay Flags; and
(x) Remedial measures.

Provided that a copy of the report shall also be forwarded to the Commission.

36 State Load Despatch Centre and Sub-Load Despatch Centres

36.1 Procedures and processes developed by State Load Despatch Centre, in discharge of its functions under the provisions of these Regulations, shall clearly provide for the following aspects, wherever applicable:

(i) Roles and Responsibilities of Load Control Centres;
(ii) Communication facilities between the State Load Despatch Centre and Load Control Centres;
(iii) Information flow between State Load Despatch Centre and Load Control Centres; and
(iv) Any other aspect considered appropriate by the State Load Despatch Centre or the Commission.

37 State Load Despatch Centre, Transmission Licensees and Users.

37.1 Procedures and processes developed by State Load Despatch Centre, in discharge of its functions under the provisions these Regulations, shall clearly provide for the following aspects, wherever applicable:

(i) Roles and Responsibilities of State Load Despatch Centre, Users and Transmission Licensees;
(ii) Information flow between State Load Despatch Centre, Users and Transmission Licensees; and
(iii) Any other aspect considered appropriate by the State Load Despatch Centre or the Commission.

PART F:SCHEDULING AND DESPATCH CODE

38 SLDC has the exclusive responsibility for optimum scheduling and dispatch of electricity within the state in accordance with the contracts entered into between Licensees, Users and State Generating Stations including captives and non-conventional energy sources.

39 The following specific points would be taken into consideration while preparing and finalizing the schedules:

(a) SLDC will issue despatch instruction for all State Generating Stations and imports from ISGS, IPPs, CPPs and NCES as 15-min day ahead generation schedule, unless rescheduling is required due to unforeseen circumstances.

(b) SLDC shall despatch the overall State generation in such a manner that generation from following types of power stations where energy potential, if unutilized, goes, as a waste shall not be curtailed

- Run of river or canal based hydro stations.
- Hydro-station where water level is at peak reservoir level or expected to touch peak reservoir level (as per inflows).
- Renewable Energy Sources.

(c) Despatch instructions shall recognize declared availability and other parameters that have been made available by the generators to SLDC. These instructions shall also include time, power station, generating units, (total export in case of CPP) and name of operators sending and receiving the same.

(d) Standard despatch instructions may include:

- To switch a generator into or out of service.
- Details of reserve to be carried on a unit.
- To increase or decrease MVAr generation to assist with voltage profile as per unit capability at that time.
- To begin pre-planned Black Start procedures.
- To hold spinning reserve.
- To hold generating units on standby.
- To control MW/MVAr drawal by Users / Distribution Licensees.

40 Demarcation of responsibilities

40.1 The SLDC shall have the total responsibility for:

(i) Scheduling / despatching the generation of all agencies including the Utilities, IPPs, NCES, Co-Generators, etc. connected to the Grid.

(ii) Regulating the demand of the Users / Distribution Licensee in the State.

(iii) Regulating the drawal from the central generating stations and regulating the bilateral interchanges, if there is any.

(iv) Adopting merit order despatch, ABT procedures and free governor operation at power stations wherever possible.

(v) utilizing EMS (Energy Management System)/SCADA and network analysis tools for real-time monitoring, contingency analysis, and operational planning of the State Grid. Users shall ensure availability of accurate telemetry and operational data

(vi) carrying out day-ahead, weekly, monthly, and yearly operational studies, including:

a) TTC and ATC assessment.
b) Outage and contingency analysis;
c) SPS and defence mechanism assessment;
d) Natural disaster and emergency scenario assessment; and
e) Other studies necessary for secure grid operation

(vii) periodically review and publishing TTC and ATC, identify potential operational limit violations and implement appropriate corrective measures to maintain grid security

(viii) maintaining records of operational studies and periodically review the effectiveness of SPS, islanding schemes, load shedding schemes and other defence mechanisms

40.2 SLDC shall always endeavour to restrict its net drawal from central generating stations and other generating stations within their respective drawal schedules and the guidelines of ABT.

40.3 The generating stations shall be responsible for power generation generally according to the daily schedule provided to them by the SLDC on the basis of the drawal schedules received from the Users /Distribution Licensee and entities outside the state control area, and also in accordance with Merit Order Despatch and Connectivity Agreements. However, the generating stations may deviate from the given schedules depending on the plant and system conditions with the prior approval from SLDC. Provided that when, the frequency is higher than the specified frequency Band, the actual net injection shall not exceed the scheduled despatch for that hour. Also, while the frequency is above specified frequency Band, the generating stations may (at their discretion) back down without waiting for the advice from SLDC. When the frequency falls below specified frequency Band, the generation at all stations (except those on peaking duty) shall be maximized, at least up to the level, which can be sustained, without waiting for the advice from SLDC.

Notwithstanding the above, the SLDC may direct the generating stations / beneficiaries to increase / decrease their generation / drawal in case of contingencies e.g. overloading of lines / transformers, abnormal voltages, threat to system security. Such directions shall immediately be acted upon.

40.4 For all outages of generation and transmission system, which may have an effect on the State Grid, all entities shall co-operate with each other and co-ordinate their actions as per the approved procedures prepared separately. In particular, outages requiring restriction of generation which a User's / Distribution Licensee can receive (and which may have a commercial implication) shall be planned carefully to achieve the best optimization. The entities shall furnish to the SLDC all requisite information for billing purposes.

40.5 All entities shall abide by the concept of frequency linked load dispatch and pricing of deviations from schedule i.e. unscheduled interchanges. All generating units of the entities and the licensees shall normally be operated according to the standing frequency linked load dispatch guidelines issued by the SLDC to the extent possible, unless otherwise advised by the SLDC.

40.6 The STU shall install special energy meters on all inter connections between the State entities and other identified points for recording of actual net MWh interchanges and MVArh drawal. The SLDC shall be responsible for computation of actual net MWh injection of each generating stations and actual net drawal of each beneficiary, 15 minute wise, based on the above meter readings. The SLDC shall be responsible for Intra-State Energy Accounting as per the scheme approved by Grid Coordination Committee and all entities shall extend the necessary assistance to the SLDC personnel in timely collection of metered data. The generators shall furnish the data as per **Annexure-1**.

40.7 The STU will undertake necessary Energy Audits in the Grid.

41 Scheduling and Despatch procedure

41.1 The generation scheduling and despatch procedure has been devised taking into account the ABT (Availability Based Tariff) regime.

41.2 Each day starting from 00.00 hours will be divided into 96 time blocks of 15 minutes intervals.

41.3 The following scheduling related activities shall be carried out daily for intra-State entities, on day ahead basis, 'D-1' day, for supply of power on 'D' day, as follows:

a) Declaration of Declared Capacity by generating stations

By 6 AM on 'D-1' day, each Intra-State SSGS/IPPs/CGPs/REGS/other generators under SLDC control area jurisdiction will intimate SLDC, station wise ex-power plant MW and MWH capabilities foreseen for the next day 'D', i.e., between 0000 hours to 2400 hours, at 15-minute intervals in the formats prescribed by SLDC. The Generating Stations shall submit the following information:

(i) Generating Station based on coal, gas and lignite:

1. Time block-wise On-bar Declared Capacity (MW) for on-bar units.
2. Time block-wise Off-bar Declared Capacity (MW) for off-bar units.
3. Time block-wise Ramp up rate (MW/ min) for on-bar capacity.
4. Time block-wise Ramp down rate (MW/min) for on -bar capacity.
5. MWh capability for the day.
6. Minimum turndown level (MW) and in percentage (%) of ex-bus capacity onbar.

Note: Declared Capacity shall be given as per unit wise/plant wise as requested by SLDC.

(ii) Generating Station based on hydro energy:

1. Time block-wise ex-bus declared capacity.
2. MWh capability for the day.
3. Ex-bus peaking capability in MW and MWh.
4. Time block-wise Ramp up rate (MW/min) for on-bar capacity.
5. Time block-wise Ramp down rate (MW/min) for on-bar capacity.
6. Unit-wise forbidden zones in MW and percentage (%) of ex-bus installed capacity.
7. Minimum MW and duration corresponding to requirement of water release for irrigation, drinking water and other considerations.
8. Unit-wise maximum MW along with probable combination of unit maximum in case adequate water is not available.

(iii) The renewable energy generating station based on wind/ solar, hybrid of wind and solar, individually or represented by a lead generator or Qualified Coordinating Agency (QCA), shall submit aggregate available capacity of the pooled generation and aggregate schedule along with contract-wise breakup for each time block for 0000 hours to 2400 hours of the 'D' day, by 6 AM on 'D-1' day. The source-wise breakup of aggregate available capacity of the pooled generation shall also be furnished.

Provided that QCA for Renewable Energy, i.e., Wind, solar, hybrid RE, and ESS generating stations:

(a) to be assigned for the purpose of scheduling, deviation settlement, and commercial coordination with SLDC.

(b) shall be registered with SLDC in a format prescribed by SLDC within three (3) months of notification of these Regulations.

(c) shall be responsible for all operational and commercial obligations of the RE generators it represents with SLDC.

Provided that RE generating stations shall indemnify SLDC for any act of omission or commission by the QCA. Contracts between RE generators and QCA shall contain internal dispute resolution provisions.

(iv) ESS including pumped storage plant, individually or represented by the lead ESS or QCA on their behalf, shall submit aggregate available capacity of the pooled generation and aggregate schedule along with contract-wise breakup for each time-block for 0000 hours to 2400 hours of the 'D' day, by 6 AM on 'D-1' day. The source-wise breakup of aggregate available capacity of the pooled generation shall also be furnished.

(v) The availability declaration by generating station shall have a resolution of two decimal (0.01) MW and three decimal (0.001) MWh.

(vi) The entitlement of each Beneficiary /or Buyer, from generating stations, shall be in accordance with Regulation 49.1(b) of Indian Electricity Grid Code and amendments thereof.

b) ERLDC shall declare share of each Beneficiary or Buyer for 0000 hours to 2400 hours of 'D' day, by 7 AM on 'D-1' day.

c) SLDC will compile the generator-wise availability for ISGS/ other agreements /SSGS/ IPPs/REGS entitlement of each Beneficiary or Buyer for 'D' day at 15-minute interval and shall intimate the same to the Distribution Licensee(s) including Deemed Licensees by 07:15AM on 'D-1' day.

d) By 07:45 AM of 'D-1' day, the Distribution Licensee(s) including Deemed Licensees will furnish requisition to SLDC in each ISGS, other agreements, Intra-State, SSGS/ IPPs/ REGS for 0000 hours to 2400 hours of 'D' day.

e) By 8 AM of 'D-1' day, SLDC shall convey the requisition of the State to ERLDC from ISGS/other agreements/SSGS/ IPPs/ REGS for 0000 hours to 2400 hours of 'D' day.

f) The SLDC on behalf of the intra-State entities while furnishing time block-wise requisition under this Grid Code, subject to technical constraints, duly factor in merit order of the generating stations with which intra-State entities have entered into contract(s) for drawal of power:
Provided that the renewable energy generating stations shall not be subjected to merit order despatch, and subject to technical constraints shall be requisitioned first followed by requisition from other generating stations in merit order.

g) ERLDC shall check if drawal schedules as requisitioned can be allowed based on available transmission capability:
Provided that in case of constraint in transmission system, the available transmission corridorshall be allocated in proportion depending upon the transmission constraint, whether it is within the region or from outside the region, as the case may be. The same shall be intimated by 8:15 AM on 'D-1' day.

h) The Intra-State Entity shall revise their requisition for drawal schedule based on availability of transmission corridors by 8:30 AM on 'D-1' day.

i) ERLDC shall issue initial drawal schedules and injection schedules for the State by 9 AM on 'D-1' day. ERLDC shall convey the generating station-wise drawal schedule of the State by 9:00 AM on 'D-1' day.

j) The SLDC shall issue initial dispatch/drawl schedules at 9.15 AM on 'D-1' day for the intra-state entities under SLDC purview.

k) In case a generating station under the purview of ERLDC other than REGS intends to replace its schedule by power supplied from REGS, it shall intimate the quantum and source of power in the ERLDC/NLDC website by which it intends to replace the power already scheduled by 9:15 AM on 'D-1' day.

l) ERLDC and subsequently SLDC, shall incorporate the request from the above said generating station and finalize the injection and drawal schedules by 9:45 AM on 'D-1' day.

m) SLDC shall issue modified dispatch/drawl schedules at 10 AM on 'D-1' day for the intra-state entities under SLDC purview if there are any changes in the intra-state entities.

n) ERLDC shall release the balance corridors after finalisation of schedules for day ahead collective transactions.

o) Power Exchange(s) shall open bidding window for day ahead collective transactions from 10:00 AM to 11:00 AM of 'D-1' day. NLDC shall validate the same from system security point and inform the Power Exchange(s) with revisions required, if any, due to transmission congestion or any other system constraint by 12:15 PM of 'D-1' day. The Power Exchange(s) shall submit the final trade schedules to NLDC for regional entities and to SLDC for intra-State entities by 1:00 PM of 'D-1' day.

p) ERLDC shall release balance corridors after finalisation of schedules under day ahead collective transactions by 1:00 PM of 'D-1' day.

q) ERLDC/ SLDC shall process exigency applications received till 1:00 PM of 'D-1' day for 'D' day by 2:00 PM of 'D-1' day.

r) ERLDC, and subsequently SLDC, shall update the availability of balance transmission corridors, if any, after finalisation of schedules for exigency applications by 2:00 PM of 'D-1' day on its website. The balance transmission corridor may be utilised by way of revision of schedule, under any contract for exigency applications or in real time market on first-come-first-served basis.

s) SLDC shall issue dispatch/drawl schedules for State entities at 22:45 hours on 'D-1' day as final revision before real-time market operation.

t) All the entities participating in the real-time market may place their bids and offers on the Power Exchange(s) for purchase and sale of power. The window for trade in real-time market for 'D' day shall open from 22:45 hours to 23:00 hours of 'D-1' for the delivery of power for the first two time-blocks of 1st hour of 'D' day, i.e., 0000 hours to 0030 hours, and will be repeated every half an hour thereafter. NLDC shall indicate to the Power Exchange(s) the available margin on each of the transmission corridors before the gate closure. The Power Exchange(s) shall clear the real-time bids from 23:00 hours till 23:15 hours of 'D-1' day based on the available transmission

corridor and the buy and sell bids for the real time market (RTM) for the specified duration and intimate the cleared bids to NLDC by 23:15 hours, for scheduling.

u) NLDC shall finalise schedules under real time market (RTM) by 23:30 hours of 'D-1' day and ERLDC, subsequently SLDC, shall publish the final schedules for dispatch by 23:35 hours of 'D-1'day. Subsequently, the SLDC shall publish the schedules during intra-day operations.

v) Scheduling process for the inter-state entities is liable to change as per the IEGC and amendments thereof. Subsequently, SLDC shall change the scheduling process by incorporating the changes in the inter-state entities whenever, there is change in scheduling timeline.

w) The scheduled finalized by SLDC shall have the following:
- Ex-power plant generation schedule of SSGS/IPPs and other State generators including wind/solar generators, Hybrid of wind and solar Generating Stations and Energy Storage System (ESS).
- Drawal schedule of State Distribution Licensees including Deemed Licensees.

x) Digital Platform for Scheduling Communication:
All declarations of Declared Capacity, requisitions, scheduling Instructions, dispatch and drawal schedules, revisions thereto, and related communications under this Grid Code should be exchanged only through a secured web- based platform as notified by the SLDC from time to time after due approval of the Commission.
Provided that, in case of temporary Non availability of the designated digital platform, SLDC may permit alternative modes of communication, which shall be subsequently regularized through the notified platform.

41.4 **Rules for revision in schedule**

(a) In the event of a situation arising due to bottleneck in evacuation of power due to transmission constraint, SLDC shall revise the schedule, which shall become effective from 7thor 8th time block (any revision made in an odd time block shall become effective from the 7th time block, and any revision made in an even time block shall become effective from the 8th time block)counting the time block in which the transmission constraint has been brought to the notice of SLDC as the first one.

(b) In case of any grid disturbance, the scheduled generation of all the generating stations and scheduled drawal shall be deemed to have been revised to be equal to their actual generation/ drawal for all the time blocks affected by grid disturbance. The certificate of grid disturbance and its duration shall be declared by SLDC/ERLDC and the same will be binding on all intra-State transmission system Users:
Provided that in case, SLDC observes that there is a need for revision of schedule in the interest of better system operation, it may do so on its own and in such cases, the revised schedule shall

become effective from 7thor 8thtime block, counting the time block in which the revised schedule is issued by SLDC to be the first one.

(c) Revision of Declared Capacity and schedule shall be allowed on account of forced outage of a unit of an intra-State generating station or ESS (as an injecting entity) only in case of bilateral transactions and not in case of collective transaction. Such generating station or ESS (as injecting entity) or the electricity trader or any other agency selling power from the unit of the generating station or ESS shall immediately intimate the outage of the unit along with the requisition for revision of Declared Capacity and schedule and the estimated time of restoration of the unit, to SLDC. The schedule of beneficiaries, sellers and buyers of power from this generating unit shall be revised on pro-rata basis for all bilateral transactions. The revised Declared Capacity and schedules shall become effective from 7thor 8thtime block, counting the time block in which revision is advised by the generators to be the first one:

Provided that for intra-state bilateral transactions, forced outage revision shall be communicated simultaneously to the affected buyer and to ERLDC by SLDC, within one (1) time block of receiving the outage intimation from the generating station.

Provided that the generating station or ESS (as injecting entity) or Trading Licensee or any other agency selling power from a generating station or unit(s) thereof or ESS, may revise its estimated restoration time once in a day and the revised schedule shall become effective from 7thor 8thtime block, counting the time block in which the revision is informed by the generator or ESS to be the first one:

Provided further that the SLDC shall inform the revised schedule to the seller and the buyer. The original schedule shall become effective from the estimated time of restoration of the unit.

(d) The generating station (other than lignite, gas based thermal generating station, and hydro generating station) or ESS (as an injecting entity) shall be allowed a maximum of 4 (four) revisions of Declared Capacity and schedule in a day subject to a maximum of 60 (sixty) revisions during a month, due to reasons such as a partial outage of the unit or variation of fuel quality or any other technical reason to be recorded in writing:

Provided that SLDC may allow upward revision of DC beyond the above limit keeping in view grid requirementsin coordination with ERLDC.

(e) The generating station based on lignite, gas, or hydro generating station shall be allowed 6(six) revisions of Declared Capacity and schedule in a day subject to a maximum of 120 (One hundred twenty) revisions during a month, due to reasons such as a partial outage of the unit or water availability for hydro generating stations or fuel quality or variations in the supply of gas for gas generating stations or any other technical reason to be recorded in writing:

Provided that SLDC may allow upward revision of DC beyond the above limit keeping in view grid requirementsin coordination with ERLDC.

(f) In case of requirement of revision of schedule due to forecasting error, a WS seller may revise its schedule only in case of bilateral transactions and not in case of collective transaction. Such

revision of schedule shall become effective from 7th or 8th time block, counting the time block in which the revision is informed by WS seller to be the first one.

(g) In case of requirement of revision of Declared Capacity due to forecasting error, a Run-of-River generating station may request for revision of its Declared Capacity and schedule only in case of bilateral transactions and not in case of collective transaction. Such revision shall become effective from 7th or 8th time block, counting the time block in which the revision is informed to SLDC to be the first one.

(h) If a revision is received from any ISGS stations, RLDC will flash the information in real-time basis containing all the relevant information needed to revise the schedule based on which SLDC will process the revision in parallel. The implementation time of revision will be same for RLDC and SLDC.

(i) SLDC, on behalf of intra-State drawee entities may revise their schedules, which shall become effective from 7th or 8th time block, counting the time block in which the revised schedule is issued by SLDC to be the first one:
Provided that scheduled transactions under short term open access once scheduled cannot be revised.

(j) After the operating day is over at 24:00 hours, the schedule finally implemented during the 'D' day (taking into account all before-the-fact changes in Despatch Schedule of Electricity Generating Stations and Drawal Schedule of the other Intra-State Entities) shall be issued by SLDC within three (3) days or on receipt of ERLDC implemented schedule. Further, the implemented schedule may be revised by SLDC, if Ex-post facto revision in implemented schedule is made by ERPC. These Schedules shall form the basis for commercial accounting. The average ex-bus capability for each SSGS and IPPs shall also be worked out based on all before-the-fact advice to SLDC.

41.5 **Scheduling from alternate source of power by a generating station**

(a) A generating station may supply power from alternate source in case of Unit Shut Down (USD) or forced outage of unit(s). This facility shall also be available to a generating station other than REGS replacing its scheduled generation by REGS, irrespective of whether such identified sources are located within or outside the premises of the generating station.

(b) The methodology for scheduling of power from alternate sources covered under USD or forced outage of unit(s) shall be as per the following steps:

(i) The generating station may enter into contract with alternate supplier under bilateral transaction or collective transaction.

(ii) In case of bilateral transaction, the generating station shall request SLDC to schedule power from such alternate supplier to its beneficiaries, which shall become effective from 7th or 8th time block.

(iii) The power scheduled from alternate supplier shall be reduced from the schedule of the generating station.

(iv) In case of alternate supply is arranged through collective transactions, the transacted quantum shall be reduced from the scheduled generation of the generating station.

(v) The generating station shall not be required to pay the transmission charges and losses for such purchase of power to supply to the buyer from alternate sources.

(c) The methodology for scheduling of power from alternate sources for a generating station other than REGS replacing its scheduled generation by power supplied from REGS shall be as per the following steps:

(i) The generating station shall enter into contract with REGS for supply of power from alternate sources.

(ii) The generating station shall request SLDC to schedule power from such alternate source to its beneficiaries, which shall become effective from 7thor 8thtime block.

(iii) The power scheduled from alternate source shall be reduced from the schedule of the generating station.

(iv) The generating station shall not be required to pay the transmission charges and losses for such purchase and supply from alternate sources to the buyer.

(d) In case of a generating station whose tariff is determined by the Commission under Section 62 of the Act, supply of power by such generating station to its buyer from an alternate source, shall be subject to the Commission's Regulations/Orders issued from time to time.

(e) In case of a generating station other than whose tariff is determined by the Commission under Section 62 of the Act, supply of power by such generating station to its buyer from an alternate source shall be in accordance with the contract with the buyer and in the absence of a specific provision in the contract, in terms of mutual consent including on sharing of net savings between the generating station and the buyer.

41.6 The SLDC shall properly document all the above information i.e. station-wise foreseen ex-power plant capabilities advised by the generating stations, the drawal schedule indented by the Users / Distribution Licensees, all schedules issued by the SLDC and all revisions / updating of the above.

41.7 The procedure for scheduling carried out by SLDC, shall be open to all entities for any checking / verification. In case any mistake / omission is detected, the SLDC shall forthwith make a complete check and rectify the same.

41.8 A procedure for recording the communication regarding changes to schedules duly taking into account the time factor shall be evolved by Grid Coordination Committee.

42 Minimum Turndown Level for operation of Thermal Generating Stations

(a) The technical minimum level for operation in respect of thermal generating units connected to STU network and which is in control area of SLDC shall be 55% of the MCR of the said unit or such other minimum power level as specified in the CEA *Flexible Operation Regulations* as amended from time to time, whichever is lower:

Provided that the Commission may, through an order, fix a different minimum turndown level of operation in respect of specific unit(s) of a thermal generating station for the reasons to be recorded in writing in Public interest:

Provided further that such generating station on its own option may declare a minimum turndown level below the minimum turndown level specified in this Regulation:

Provided also that the Thermal Generating stations connected to STU network and is in control area of SLDC and whose tariffs are determined underSection 62 or Section 63 of the Act and such, shall be compensated for part load operation, i.e., for generation below the normative level of operation as per the mechanism specified in the *JSERC (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulations, 2025* as amended from time to time.

(b) The SSGS having 100% installed capacity tied up/contracted with DISCOM(s) of the State through long-term PPA and whose tariff is determined by the Commission, may be directed by SLDC to operate below normative plant availability factor but at or above technical minimum. In such cases, SSGS shall be compensated on the parameters- Station Heat rate, Auxiliary Energy consumption and Secondary Oil consumption, on monthly basis duly supported by relevant data verified by SLDC:

(c) The compensation so computed shall be borne by the entity who has caused the plant to be operated at schedule lower than corresponding to Normative Plant Availability Factor up to technical minimum based on the compensation mechanism finalized by SLDC, which shall be guided by the mechanism finalized by ERPC.

(d) There shall be reconciliation of compensation at the end of financial year taking into due consideration of actual weighted average operational parameters of station heat rate, auxiliary energy consumption and secondary oil consumption.

(e) No compensation for Heat Rate degradation and Auxiliary Energy Consumption shall be admissible, if the actual Station Heat Rate and/ or actual Auxiliary Energy Consumption are lower than normative Station Heat Rate and / or normative Auxiliary Energy Consumption applicable to unit or generating station in a month or after annual reconciliation at the end of year.

(f) In case of generating stations other than SSGS, wherein the 100% installed capacity is not tied up with DISCOM(s) of the State or whose tariff for only partial/contracted capacity is determined by the Commission, such generating station may have to appropriately factor in the above provisions in their PPAs entered with DISCOM(s) for sale of power, in order to claim compensation for operating at the technical minimum schedule.

43 Data Registration

User shall provide SLDC with requisite data as mentioned above in this chapter within 20 days of such information called for by SLDC.

PART G: COMMERCIAL CODE

44 Commercial Issues

44.1 In regard to central sector allocation of power, the CERC has full jurisdiction to determine the tariff and other commercial issues.

44.2 The entities connected exclusively to the intra-State transmission systems shall be under the control area jurisdiction of SLDCs for scheduling and despatch of electricity.

44.3 Entities connected to both inter-State transmission systems and intra-State transmission systems shall be under the control area jurisdiction of RLDC, if more than or equal to 50% of the quantum of connectivity is with ISTS, and if more than 50% of the quantum of connectivity is with intra-State transmission system, it shall be under the control area jurisdiction of SLDC

44.4 Notwithstanding anything contained in the above clauses, the appropriate commission may, on its own motion or on the application made by a grid connected entity, grant approval for a change in the control area jurisdiction of such an entity

44.5 Subject to any scheme of tariff, as may be approved by the JSERC, the bulk power supply agreements between the constituents shall duly specify the relationship between capacity charges to be paid and plant availability, and energy charge rates (in rupees per MWh) for each station, in ex-power plants. Regarding the other commercial issues, the following are applicable:

44.5.1 The transmission charges and other open access charges shall be paid to the respective constituents as per the JSERC regulations issued time to time.

44.5.2 The summation of the station-wise ex-power plant drawal schedules for all generating stations after deducting the apportioned transmission losses (estimated), shall constitute the State beneficiaries / distribution licensees drawal schedule which in turn shall be used for billing.

44.5.3 In case of a deviation from the generation schedule, the frequency linked Deviation Settlement Mechanism Charges (DSM charges) shall be applicable for such deviations as may be approved by the CERC/JSERC from time to time and dependent on average frequency for the concerned 15-minute block.

44.5.4 Energy Accounts shall be prepared by the SLDC on a monthly basis. The Users / Distribution Licensees as per provision in the respective PPAs shall pay these bills.

44.5.5 The SLDC shall in parallel issue the weekly bills for DSM charges and Reactive Energy Charges to all constituents by Tuesday for the seven-day period ending on the penultimate Sunday mid night. These bills shall have a higher priority, and the generating stations and Users / Distribution Licensees shall pay the billed amounts within 10 days of billing date.

44.5.6 If payments against the above bills are delayed beyond 10 days, the defaulting entities shall have to pay a simple interest rate of 0.04 percent for each day of delay. The interest so collected shall be paid to the entities who have to receive the payment which got delayed.

44.5.7 SLDC shall periodically review the actual deviation from the generation and net drawal schedules to check whether any of the entities is indulging in unfair gaming. In case any such practice is detected the matter shall be reported to the Grid Coordination Committee for further investigation /action and if so needed the Grid Coordination Committee shall refer the matter to the Commission with their recommendation for appropriate action.

44.5.8 All energy accounting calculation carried out by SLDC shall be open to all the users of the State Grid for any checking / verification. In case any mistake is detected, the SLDC shall forthwith make a complete check and rectify the mistake.

44.5.9 Energy accounting (including billing of DSM charges and reactive energy charges) is one of the most important and critical function of SLDC. Any flaw in the energy accounting will lead to serious financial consequences. Hence, a Sub-committee to be designated by the Grid Coordination Committee will conduct annual audit on the accounting and technical performance of SLDC and present a report to the Commission before the end of May every year for the previous financial year.

44.5.10 Energy accounting computations, implemented schedules, and IEM data shall be accessible through a secured portal and open for verification and error reporting for fifteen (15) days. Errors detected within this period shall be rectified by SLDC within thirty (30) days.

44.5.11 Regarding VAR drawal / absorption from Inter-State Grid, the SLDC has to follow IEGC and amendments thereof. The charge/payment for VARs, shall be at a nominal paise / kVARh rate as may be approved by CERC / JSERC from time to time, and will be between the beneficiary and the Pool Account and between two beneficiaries. The generating stations shall generate / absorb reactive power as per instructions of SLDC, within the capability limits of the respective generating units. No payments shall be made to the generating companies for such VAR generation / absorption.

44.5.12 The basic rules for absorption / generation of VAR are:

- The Beneficiary pays for VAR drawal when voltage at the metering point is below 97%.
- The Beneficiary gets paid for VAR return when voltage is below 97%.
- The Beneficiary gets paid for VAR drawal when voltage is above 103%.

- The Beneficiary pays for VAR return when voltage is above 103%

PART H:CYBER SECURITY CODE

45 General

(a) This chapter deals with measures to be taken to safeguard the State grid from spyware, malware, cyber-attacks, network hacking, procedure for security audit from time to time, upgradation of system requirements and keeping abreast of latest developments in the area of cyber-attacks and cyber security requirements.

(b) All Users, SLDC and STU shall have in place, a Cyber Security framework in accordance with Information Technology Act, 2000, CEA Technical Standards for Connectivity Regulations, CEA (Cyber Security in Power Sector) Guidelines, 2021and any such Regulations issued from time to time, by an appropriate authority to identify the critical cyber assets and protect them so as to support reliable operation of the grid.

46 Cyber Security Audit

All Users, SLDC and STU, shall conduct Cyber Security Audit as per the guidelines mentioned in the CEA (Cyber Security in Power Sector) Guidelines, 2021 and any other guidelines issued by an appropriate Authority.

47 Mechanism of Reporting

(a) All entities shall immediately report to the appropriate government agencies in accordance with the Information Technology Act, 2000, as amended from time to time, and CEA (Cyber Security in Power Sector) Guidelines, 2021, in case of any cyber- attack.

(b) SLDC and the Commission shall also be informed by such entities in case of any instance of cyber-attack.

48 Cyber Security Coordination Forum

(a) The sectoral CERT (Computer Emergency Response Team) for wings of power sector, as notified by Government of India, from time to time, shall form a Cyber Security Coordination Forum with members from all concerned utilities and other statutory agencies to coordinate and deliberate on the cyber security challenges and gaps at appropriate level. A sub-committee of the same shall be formed at the regional level.

(b) The sectoral CERT shall lay down rules of procedure for carrying out their activities.

(c) SLDC shall submit the annual cyber security audit report to JSERC by June 30 of each year, along with an action plan for remediation of identified vulnerabilities

PART I: MISCELLANEOUS CODE

49 Dispute

49.1 In the event of any dispute, regarding interpretation of any provision of the State Grid Code or rules and procedures notified under the provisions of the State Grid Code, the matter may be referred to the Commission for its decision:

Provided that the dispute may be referred to a forum as specified by the Commission

50 Compliance

50.1 As stipulated under Section 33 (2), (4) and (5) of the Act, every licensee, user, generating company, generating station, substation and any other person connected with the operation of the power system shall comply with the directions issued by SLDC. If any dispute arises with reference to the quality of electricity or safe, secure and integrated operation of the State Grid or in relation to any direction given by SLDC, it shall be referred to the Commission for decision. Pending decision of the Commission the licensee or the user or the generating company shall comply with the directions of the SLDC. JSERC, in turn, after due process, may order the defaulting entity for compliance, failing which it may take penal action and other regulatory measures, which includes termination of connectivity agreement/ de-linking from the Grid etc., through STU/SLDC.

50.2 The timelines specified in this Grid Code for various compliances to be undertaken by different Users are set out in the **Annexure-2** to these Regulations.

51 Independent Compliance Audit:

JSERC may conduct an independent third-party compliance audit of SLDC's adherence to the provisions of this Grid Code, at intervals not exceeding three (3) years. The audit report shall be made available publicly on the JSERC website. The Cost of conducting such independent third-party compliance audit by JSERC to be borne by the SLDC.

52 Non-payment of dues

52.1 In case of non-payment of capacity and energy charges, unscheduled interchange charges, transmission/SLDC charges, etc. by any beneficiary of the State Grid, the affected beneficiary shall report the matter to the Grid Coordination Committee. The latter shall verify and take up the defaulting entity for paying up the dues. In case of inadequate response, the Grid Coordination Committee shall report the same to JSERC. JSERC in turn, after due process, may order the defaulting entity to pay the dues within a certain period, failing which the JSERC may initiate necessary regulatory measures.

53 Power to amend

The Commission may, at anytime, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations

54 Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

By order of the Commission

Sd/-
(R.P.Nayak)
Secretary

Annexure-1

MONITORING OF GENERATION

(Refer clause 40.6)

Item	Description	Due date/ time
1	State Generating stations shall provide 15 minutes time block generation to SLDC	Real time basis
2	CPP's shall provide hourly export/ import MW to SLDC	Real time basis
3	Logged readings of Generators to SLDC	As required
4	Detailed report of Generating Unit tripping on monthly basis	In the first week of the succeeding month

Annexure-2

LIST OF COMPLIANCES

(Refer clause 50.2)

Regulations	Stakeholder	Compliance	Timeline
5.5	SLDC	Receipt of proposal from the SLDC for the constitution of Grid Coordination Committee	Within 30 daysfrom the date of issue of this Code
8.3	State Transmission Utility	Transmission system plan to be updated each year and to be published in the specified manner	By the 30th day of September each year
10.2.2	State Transmission Utility	To develop standard formats, for submission of Planning data and make the same available on its website	Within three (3) months of notification of these Regulations after approval from JSERC
10.4	State Transmission Utility	To submit a schedule of Assets of State Grid giving details of transmission lines, State Generating Stations, their ownership with basic capacity & production/utilization details and list of distribution licensee & bulk consumers giving details of annual power, active & reactive energy drawl.	By 30th September each year
13.1	State Transmission Utility	To develop standard format for application mentioned in the Section 13.1 shall be developed by State Transmission Utility and shall be made available at STU website	Within two (2) months of notification of these Regulations after approval from JSERC
13.6	SLDC	To prepare and publish a detailed procedure for first-time energisation of new or modified power system elements after due approval from JSERC	Within six (6) months of notification of these Regulations
19.2.23	State Transmission Utility	To formulate the format, principles and basic procedure to be used in the preparation of Site Responsibility Schedules	Within three (3) months of notification of these Regulations

Regulations	Stakeholder	Compliance	Timeline
33.3.1	All Users and Transmission Licensees	All Users and Transmission Licensees shall provide Grid Coordination Committee with their proposed outage programmes in writing for the next financial year	By 30th November of each year
33.3.2	Grid Coordination Committee (GCC)	GCC shall come out with a draft outage programme for the next financial year	By 31st December of each year
48 (c)	SLDC	SLDC to submit the annual cyber security audit report to JSERC along with an action plan for remediation of identified vulnerabilities	By June 30 of each year

Appendix-I: Third Party Protection System Checking & Validation
Template for A Sub-Station

1. INTRODUCTION

(i) The audit reports, along with action plan for rectification of deficiencies found, if any, shall be submitted to GCC and/or SLDC within a month of submission of report by auditor.

(ii) The third-party protection system checking shall be carried at site by the designated agency. The agency shall furnish two reports:

(a) Preliminary Report: This report shall be prepared on the site and shall be signed by all the parties present.

(b) Detailed Report: This report shall be furnished by agency within one month after carrying out detailed analysis.

2. CHECKLIST

(i) The protection system checklist shall contain information as per this Regulation.

(a) General Information (to be provided prior to the checking as well as to be included in final report):

- (i) Sub-station name
- (ii) Name of Owner Utility
- (iii) Voltage Level (s) or highest voltage level?
- (iv) Short circuit current rating of all equipment (for all voltage level)
- (v) Date of commissioning of the sub-station
- (vi) Checking and validation date
- (vii) Record of previous trippings (in last one year) and details of protection operation
- (viii) Previous Relay Test Reports
- (ix) Overall single line diagram (SLD)
- (x) AC aux SLD
- (xi) DC aux SLD
- (xii) SAS architecture diagram
- (xiii) SPS scheme implemented (if any)

(b) The preliminary report shall inter-alia contain the following:

TABLE: FORMAT OF PRELIMINARY REPORT

. No.	**Issues**	**Remarks**
1	Recommendation of last protection checking and validation	Status of works and pending issues if any
2	Review of existing settings at sub-station	Recommended Action
3	Disturbance Recorder output available for last 6 tripping (Y/N)	Recommended Action
4	Chronic reason of tripping, if any	Recommended Action
5	Major non-conformity / deficiency observed	Recommended Action

(c) The relay configuration checklist for available power system elements at station:

(i) Transmission Line
(ii) Bus Reactor/Line Reactor
(iii) Inter-connecting Transformer
(iv) Busbar Protection Relay
(v) AC auxiliary system
(vi) DC auxiliary system
(vii) Communication system
(viii) Circuit Breaker Details
(ix) Current Transformer Details
(x) Capacitive Voltage Transformers Details
(xi) Any other equipment/system relevant for protection system operation

(d) The minimum set of points on which checking and validation shall be carried out is covered in this Regulation. The detailed list shall be prepared by checking and validation team in consultation with concerned entity, GCC and SLDC.

(i) Transmission Line Distance Protection/Differential Protection

a. Name and Length of Line
b. Whether series compensated or not
c. Mode of communication used (PLCC/OPGW)
d. Relay Make and Model for Main-I and Main-II
e. List of all active protections & settings
f. Carrier-aided scheme if any
g. Status of Power Swing/Out of Step/SOTF/Breaker Failure/Broken Conductor / STUB/Fault Locator/DR/VT fuse fail/ Overvoltage Protection /Trip Circuit supervision/Auto-reclose/Load encroachment etc.
h. Relay connected to Trip Coil-1 or 2 or both
i. CT ratio and PT ratio
j. Feed from DC supply-1 or 2
k. Connected to dedicated CT core (mention name)
l. Other requirements for protection checking and validation

(ii) Shunt Reactor & Inter-connecting Transformer Protection

a. Whether two groups of protections used (Group A and Group B)
b. Do the groups have separate DC sources
c. Relay Make and Model
d. List of all active protections along with settings
e. Status of Differential Protection/Restricted Earth Fault Protection/Back-up Directional Over current/Backup Earth fault/ Breaker Failure
f. Status of Oil Temperature Indicator/Winding Temperature Indicator / Bucholz/Pressure Release Device etc.
g. Relay connected to Trip Coil-1 or 2 or both
h. CT ratio and PT ratio
i. Feed from DC supply-1 or 2
j. Connected to dedicated CT core (mention name)
k. Other requirements for protection checking and validation

(iii) Bus-bar Protection Relay
   a. Bus-bar and redundant relay make and model
   b. Type of Bus-bar arrangement
   c. Zones
   d. Dedicated CT core for each busbar protection (Yes/No)
   e. Breaker Failure relay included (Yes/No), if additional then furnish make and model
   f. Trip issued to both Busbar protection in case of enabling
   g. Isolator indication and check relays
   h. Other requirements for protection checking and validation

(iv) AC auxiliary system
   a. Source of AC auxiliary system
   b. Supply changeover between sources (Auto/Manual)
   c. Diesel generator (DG) details
   d. Maintenance plan and supply changeover periodicity in DG
   e. Single Line Diagram
   f. Other requirements for protection checking and validation

(v) DC auxiliary system
   a. Type of Batteries (Make, vintage, model)
   b. Status of battery Charger
   c. Measured voltage (positive to earth and negative to earth)
   d. Availability of ground fault detectors
   e. Protection relays and trip circuits with independent DC sources
   f. Other requirements for protection checking and validation
   g. Communication system
      i. Mode of communication for Main-1 and Main-2 protection
      ii. Mode of communication for data and speech communication
      iii. Status of PLCC channels
      iv. Time synchronization equipment details
      v. OPGW on geographically diversified paths for Main-1 and main-2 relay
      vi. Other requirements for protection checking and validation

(vi) Circuit Breaker Details
   a. Details and Status
   b. Healthiness of Tripping Coil and Trip circuit supervision relay
   c. Single Pole/Multi pole operation
   d. Pole Discrepancy Relay available(Y/N)
   e. Monitoring Devices for checking the dielectric medium
   f. Other requirements for protection checking and validation

(vii) Current Transformer (CT)/Capacitive Voltage Transformer (CVT) Details
   a. CT/CVT ID name and voltage level
   b. CT/CVT core connection details
   c. Accuracy Class
   d. Whether Protection/Metering
   e. CT/CVT ratio available and ratio adopted
   f. Details of last checking and validation of CT/CVT healthiness

g. Other requirements for protection checking and validation

h. Other protections: Direction earth fault, negative sequence, over current, over voltage, over frequency, under voltage, under frequency, forward power, reverse power, out of step/power swing, HVDC protection etc.

3.SUMMARY OF CHECKING:

The summary shall specifically mention minimum following points:

(i) The settings and scheme adopted are in line with agreed protection philosophy or any accepted guidelines

(ii) The deviations from the RPC protection philosophy, if any and reasons for taking the deviations shall be recorded.

(iii) All the major general deficiency shall be listed in detail along with remedial recommendations.

(iv) The relay settings to be adopted shall be validated with simulation based or EMTP studies and details shall be enclosed in report.

(v) The cases of protection mal-operation shall be analysed from protection indices report furnished by concerned utility, the causes of failure along with corrective actions and recommendations based on the findings shall be noted in the report.

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 446-- 50.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14092026-276179
SG-DL-E-14092026-276179

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2026/भाद्र 23, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 209
No. 270]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2026/BHADRA 23, 1948	[N. C. T. D. No. 209

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

माप एवं तौल विभाग (विधिक माप विज्ञान विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 12 सितम्बर, 2026

फा. सं. 12(3)/माप एवं तौल/प्रवर्तन/2026/1244—जबकि, दिल्ली विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2026 का प्रारूप, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 53 की उप-धारा (4) को धारा 2 के खंड (q) के साथ पठित करने के अधीन, अधिसूचना संख्या F.No.12(3)/W&M/Enforcement/ 2026/853 दिनांक 24.08.2026 के माध्यम से दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित किया गया था तथा 26.08.2026 को 02 हिंदी एवं 02 अंग्रेजी दैनिक अखिल भारतीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, ताकि उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/हितधारकों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियाँ जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से दस (10) दिनों की अवधि के भीतर आपत्तियाँ या सुझाव आमंत्रित किए जा सकें;

और जबकि, उक्त प्रारूप अधिसूचना 24 अगस्त 2026 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थी;

और जबकि, उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विधिवत विचार किया गया है;

अतः अब, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 53 की उप-धारा (1) को उसकी उप-धारा (2) के खंड (e) के साथ तथा धारा 24 की उप-धारा (3) को धारा 2 के उप-खंड (q) के साथ पठित करते हुए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार के परामर्श के पश्चात्, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

दिल्ली विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2026

अध्याय–I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

(1) इन नियमों को दिल्ली विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियमावली, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) से है।

(ख) "सरकार" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल से है।

(ग) "विभाग" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माप एवं तौल विभाग (विधिक माप विज्ञान विभाग) से है।

(घ) "नियंत्रक" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विधिक माप विज्ञान नियंत्रक से है।

(ङ) "सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र" का अभिप्राय ऐसी निगम/संगठन/फर्म/किसी अन्य विधिक संस्था से है, जिसे इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट ऐसे माप एवं तौल के सत्यापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(च) "प्रधान अधिकारी" का अभिप्राय सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रभारी व्यक्ति से है।

(छ) "अनुसूची" का अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है।

(2) वे शब्द और अभिव्यक्तियां जो इसमें प्रयुक्त हैं तथा इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम अथवा विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियमावली, 2013 (केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए) अथवा दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उनमें क्रमशः उन्हें निर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय–II

माप एवं तौल का सत्यापन

3. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का सत्यापन

(1) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट माप एवं तौल का सत्यापन या तो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा या विभाग की प्रयोगशालाओं द्वारा कराया जाएगा।

(2) कोई भी निगम/संगठन/फर्म/किसी अन्य विधिक संस्था एक या अधिक बाट या माप के सत्यापन या पुनः सत्यापन हेतु आवेदन कर सकता है।

अध्याय–III

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन

4. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र से संबंधित सामान्य प्रावधान : (1) सरकार समय–समय पर अनुमोदित सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्रों की सूची अधिसूचित करेगी।

(2) अधिनियम, विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 तथा सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य मानकों अथवा विनिर्देशों के उपबंधो के अनुसार माप एवं तौल का सत्यापन इन नियमों के अंतर्गत अनुमोदित सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा किया जाएगा।

(3) प्रत्येक सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र ऐसे मानक माप, तौल, परीक्षण उपकरण तथा अन्य अवसंरचना को अनुरक्षित रखेगा जैसा कि विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 और सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य मानकों या विनिर्देशों के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट है।

5. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदनः (1) कोई भी निगम/संगठन/फर्म/कोई अन्य विधिक संस्था, जो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के रूप में अनुमोदन प्राप्त करना चाहती है, उसे द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में नियंत्रक को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के लिए आवेदन करते समय प्रत्येक माप या तौल के लिए प्रति वर्ष दो लाख पचास हजार रुपये (2,50,000/– रुपये) शुल्क का भुगतान "नियंत्रक, माप एवं तौल विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में नई दिल्ली में देय होगा।

(2) आवेदन प्रस्तावित सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रधान अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) अनुमोदन हेतु आवेदन पर विचार करते समय नियंत्रक निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:–

(क) भूमि एवं भवन की उपलब्धता तथा पहुँच;

(ख) परीक्षण सुविधाओं, मापन उपकरणों एवं अवसंरचना की पर्याप्तता;

(ग) तकनीकी रूप से योग्य जनशक्ति की उपलब्धता;

(घ) कुशल एवं समयबद्ध सेवा प्रदान करने की क्षमता;

(ङ) प्रधान अधिकारी तथा तकनीकी स्टाफ की योग्यता एवं अनुभव;

(च) कोई अन्य कारक, जो नियंत्रक के मत में, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के समुचित संचालन को प्रभावित कर सकता हो।

(4) नियंत्रक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व आवेदक के परिसर का निरीक्षण कर सकता है।

(5) नियंत्रक इन नियमों के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(6) इन नियमों के अंतर्गत प्रदत्त अनुमोदन प्रारम्भ में एक कैलेंडर वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा तथा तत्पश्चात् इन नियमों के अनुसार उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(7) नियंत्रक प्रत्येक अनुमोदित सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को एक अद्वितीय कोड संख्या आवंटित करेगा।

(8) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा, अर्थात्:

(i) विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सत्यापन प्रक्रिया का पालन करेगा;

(ii) उपकरण का समय–समय पर द्वितीयक मानक प्रयोगशाला अथवा नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा सत्यापन कराएगा;

(iii) अमानक माप या तौल का सत्यापन नहीं करेगा;

(iv) नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप एवं रीति से सत्यापित माप एवं तौल की संख्या संबंधी त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(9) जहां सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, वहां नियंत्रक, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् तर्कसंगत आदेश द्वारा आवेदन अस्वीकार कर सकेगा।

(10) उपनियम (9) के अंतर्गत किसी आदेश से व्यथित कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र अधिमानतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विधिक माप विज्ञान विभाग के सचिव के समक्ष तीस दिनों के भीतर अपील कर सकेगा।

(11) नियंत्रक अधिनियम अथवा इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को प्रदान किए गए अनुमोदन को निलंबित कर सकेगा।

(12) नियंत्रक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का निरीक्षण कर सकेगा तथा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(13) यदि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो नियंत्रक उसका अनुमोदन निरस्त कर सकेगा।

बशर्ते कि, ऐसा कोई अनुमोदन संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना निरस्त नहीं किया जाएगा।

(14) नियंत्रक अनुमोदन, निलंबन अथवा निरस्तीकरण के प्रत्येक आदेश की सूचना भारत सरकार के विधिक माप विज्ञान निदेशक को प्रेषित करेगा।

(15) नियंत्रक, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा की जाने वाली सत्यापन गतिविधियों की प्रकृति तथा उनसे उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिम को ध्यान में रखते हुए, ऐसे सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र से अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, अथवा सरकार अथवा नियंत्रक द्वारा जारी किए गए किसी भी विधिसम्मत निर्देश के प्रावधानों के उल्लंघन या लापरवाही, चूक अथवा त्रुटिपूर्ण सत्यापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के विरुद्ध पर्याप्त तृतीय पक्ष देयता बीमा कवरेज प्राप्त करने एवं उन्हें अनुरक्षित रखने की अपेक्षा कर सकेगा।

(16) अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के अधीन, निम्नलिखित संस्थाएँ, विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 अथवा विधि के अंतर्गत मान्यता प्राप्त ऐसे अन्य मानकों में यथा विनिर्दिष्ट इस प्रकार के माप एवं तौल के सत्यापन हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होंगी, अर्थात्:–

(i) भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाएँ;

(ii) राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अंतर्गत माप एवं तौल के अंशशोधन हेतु प्रत्यायित प्रयोगशालाएँ, बशर्ते कि वे उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हों;

(iii) भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत राष्ट्रीय परीक्षणशाला की प्रयोगशालाएँ; तथा

(iv) केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र अथवा उनके समकक्ष प्रयोगशालाएँ।

6. **सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का नवीनीकरण** (i) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को प्रदत्त अनुमोदन का नवीनीकरण नियंत्रक द्वारा एक बार में अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए किया जा सकेगा, बशर्ते कि केन्द्र का कार्य निष्पादन संतोषजनक हो तथा वह अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं जारी निर्देशों का निरंतर अनुपालन करता हो।

(ii) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को प्रदत्त अनुमोदन के नवीनीकरण हेतु आवेदन के साथ प्रत्येक माप या तौल के लिए प्रति वर्ष दो लाख पचास हजार रुपये (2,50,000/– रुपये) का शुल्क "नियंत्रक, माप एवं तौल विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में नई दिल्ली में देय होगा।

(iii) नियंत्रक, आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे निरीक्षण अथवा सत्यापन के उपरांत तथा उपर्युक्त खंड (ii) में विनिर्दिष्ट निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के अनुमोदन का नवीनीकरण एक बार में न्यूनतम एक कैलेंडर वर्ष तथा अधिकतम पाँच कैलेंडर वर्षों की अवधि के लिए कर सकेगा।

(iv) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को जारी अनुमोदन प्रमाण–पत्र उसमें उल्लिखित अवधि तक वैध रहेगा, जब तक कि इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उसे निलंबित अथवा निरस्त न कर दिया जाए।

अध्याय–IV

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के कर्तव्य, अर्हताएँ एवं कार्य

7. **प्रधान अधिकारी के कर्तव्यः**– सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रधान अधिकारी–

(क) परीक्षण केन्द्र की स्वतंत्र रूप से स्थापना एवं संचालन करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि तकनीकी स्टाफ अपने कर्तव्यों का निष्पक्षतापूर्वक निर्वहन करें;

(ग) परिचालन बंद करने के संबंध में नियंत्रक को सूचित करेगा;

(घ) परीक्षण उपकरणों की शुद्धता तथा अंशशोधन बनाए रखेगा;

(ङ) सत्यापन तथा जारी किए गए प्रमाण–पत्रों का रिकॉर्ड रखेगा;

(च) उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगा;

(छ) नियंत्रक द्वारा जारी किए गए विधिसम्मत निर्देशों का अनुपालन करेगा;

(ज) यह सुनिश्चित करेगा कि केवल मानक अनुरूप माप एवं तौल पर ही मुहर लगाई जाए;

(झ) सत्यापन मुहरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा ताकि उनका दुरुपयोग न हो;

(ञ) सत्यापन किए गए माप अथवा तौल को प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर वापस करेगा।

8. **अर्हताएँ** :–

(i) प्रधान अधिकारी तथा तकनीकी स्टाफ विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान अधिकारियों के लिए निर्धारित अर्हताओं के समतुल्य अर्हताएँ रखते होंगे।

(ii) प्रधान अधिकारी तथा तकनीकी स्टाफ को विधिक माप विज्ञान के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा।

(iii) कर्मचारियों को नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा नामित संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए।

9. **सत्यापन अथवा पुनः सत्यापन हेतु शुल्क** :– (1) सत्यापन अथवा पुनः सत्यापन के लिए देय शुल्क पाँचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क के अनुसार होगाः

ब"ार्ते कि, पाँचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट न किए गए किसी माप या तौल के संबंध में, जहां उसका सत्यापन अथवा पुनः सत्यापन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा किया जाता है, तो वहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क लागू होगा।

(2) सत्यापन के दौरान अस्वीकृत किसी भी माप या तौल को सुधार किए जाने के पश्चात् नए सिरे से सत्यापन शुल्क के भुगतान पर पुनः प्रस्तुत किया जा सकेगा।

10. **सत्यापन चिह्न** :– (1) किसी माप या तौल का सत्यापन केवल निर्धारित शुल्क प्राप्त होने तथा निम्नलिखित विवरणयुक्त आवेदन प्राप्त होने पर ही किया जाएगा–

(क) विनिर्माता, आयातक, डीलर अथवा उपयोगकर्ता का नाम एवं पता;

(ख) उस परिसर का पता एवं स्थान जहाँ इस प्रकार के माप या तौल का निर्माण, आयात अथवा उपयोग किया जाना वांछित है;

(ग) विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 के अनुसार उस माप या तौल की अधिकतम एवं न्यूनतम क्षमता, 'ड.' अथवा 'घ' मान तथा शुद्धता वर्ग;

(2) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र सफल सत्यापन के उपरांत संबंधित माप या तौल पर मुहर लागाएगा तथा उसके सत्यापन के प्रमाणस्वरूप सत्यापन प्रमाण–पत्र जारी करेगा। सत्यापन चिह्न में निम्नलिखित अंकित होगा–

(क) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार" अक्षर तथा सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को आवंटित कोड संख्या; तथा

(ख) सत्यापन की तिमाही तथा वर्ष।

(3) सत्यापन प्रमाण–पत्र, विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध रहेंगे तथा पाँचवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उसका आगे की अवधि के लिए भी नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक माप या तौल के संबंध में परीक्षण केन्द्र द्वारा पृथक सत्यापन प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा तथा ऐसा प्रमाण–पत्र वि"ोष रूप से सत्यापित व्यक्तिगत उपकरण के अनुरूप होगा।

11. **अभिलखों का अनुरक्षण एवं निरीक्षण** :– (1) प्रत्येक सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र माप या तौल के सत्यापन एवं मुहर लगाने से संबंधित अभिलेख को न्यूनतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षित रखेगा।

(2) ऐसे अभिलेख आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

12. **सत्यापन का स्थान** :– सत्यापन या तो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के अनुमोदित परिसरों में या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर ऐसे अन्य स्थान पर किया जा सकेगा जिसकी अनुमति नियंत्रक द्वारा प्रदान की गई हो।

13. **पर्यवेक्षण** :– नियंत्रक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी अधिनियम तथा इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के कार्यों का निरीक्षण कर सकेगा।

14. **दायित्व** :– प्रधान अधिकारी, लापरवाहीपूर्ण सत्यापन अथवा अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के कारण उत्पन्न किसी भी हानि, क्षति अथवा विधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी होगा।

अध्याय–V

प्रमाण–पत्र, निलंबन एवं निरस्तीकरण

15. अनुमोदन प्रमाण–पत्र की विषय–वस्तु :– (1) इन नियमों के अंतर्गत जारी प्रत्येक अनुमोदन प्रमाण–पत्र में निम्नलिखित विवरण अंकित होंगे, अर्थात्:–

(क) प्रमाण–पत्र संख्या;

(ख) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का नाम एवं पता;

(ग) सत्यापन हेतु प्राधिकृत माप या तौल की श्रेणी;

(घ) आवंटित कोड संख्या;

(ङ) अनुमोदन की शर्तें, यदि कोई हों;

(च) अनुमोदन की वैधता अवधि;

(छ) सत्यापन हेतु प्राधिकृत सीमा;

(ज) उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु संपर्क विवरण।

(2) जहाँ किसी माप या तौल को किसी विशिष्ट अथवा विशेष प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया गया हो, वहाँ उससे संबंधित अनुमोदन प्रमाण–पत्र में उस विशेष प्रयोजन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(3) नियंत्रक इन नियमों के अंतर्गत प्रदत्त प्रत्येक अनुमोदन प्रमाण–पत्र का विवरण आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कराएगा।

(4) नियंत्रक उपर्युक्त उपनियमों में उल्लिखित जानकारी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित किसी पत्रिका अथवा प्रकाशन में भी प्रकाशित करा सकेगा।

16. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को आवंटित चिह्न :– सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को आवंटित चिह्न में "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार", पहचान अक्षर के रूप में और उसके पश्चात अनुमोदन प्रमाण–पत्र जारी किए जाने वाले वर्ष के अंतिम दो अंक (उदाहरणार्थ "26") तथा उसके बाद उस परीक्षण केन्द्र को आवंटित कोड संख्या अंकित होगी।

17. प्रमाण–पत्र का निलंबन :– (1) नियंत्रक निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुमोदन प्रमाण–पत्र को निलंबित कर सकेगा, यदि–

(क) सत्यापन अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार नहीं किया जाता हो;

(ख) सत्यापन के मानकों से समझौता किया गया हो; अथवा

(ग) अनुमोदन की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(2) ऐसा कोई निलंबन संबंधित सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा।

(3) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा लागू निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन कर लेने तथा नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा उल्लंघन की प्रकृति एवं गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अधिरोपित, अधिकतम एक लाख रुपये अर्थदण्ड का भुगतान करने पर निलंबन वापस लिया जा सकेगा।

18. प्रमाण–पत्र का निरस्तीकरण :– (1) यदि नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान इस बात से संतुष्ट हो कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र अब अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रहा है अथवा नियंत्रक द्वारा समय–समय पर जारी किसी भी निर्देशों का उल्लंघन किया है, तो वह उस परीक्षण केन्द्र को प्रदान किए गए अनुमोदन प्रमाण–पत्र को निरस्त कर सकेगा।

बशर्ते कि, ऐसा कोई प्रमाण–पत्र तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया जाए।

(2) अनुमोदन प्रमाण–पत्र के निरस्त होने पर सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र तत्काल प्रभाव से सभी सत्यापन गतिविधियाँ बंद कर देगा।

(3) बशर्ते कि, जहां निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि ऐसे निरस्तीकरण के पश्चात भी किसी माप या तौल का कोई सत्यापन अथवा पुनः सत्यापन किया गया है, तो वहां नियंत्रक आदेश द्वारा ऐसे माप या तौल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकेगा तथा विधि के अनुसार उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकेगा।

(4) अनुमोदन प्रमाण–पत्र के निलंबन अथवा निरस्तीकरण से संबंधित प्रत्येक आदेश को नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट इस प्रकार की रीति में विधिवत अधिसूचित किया जाएगा।

अध्याय–VI

विविध

19. **कैलेंडर वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के आंकलन, पुनःआंकलन अथवा निरीक्षण पर व्यय** :– सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के आंकलन, पुनःआंकलन अथवा अनिवार्य वार्षिक निरीक्षण के संबंध में होने वाले सभी व्यय, जिनमें संबंधित अधिकारी(अधिकारियों) के यात्रा व्यय, आवास व्यय तथा अन्य अनुमन्य भत्ते, एवं निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा सहयोग प्रदान करने से संबंधित व्यय भी सम्मिलित होंगे, जो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा वहन किए जाएंगे।

20. **माप एवं तौल का जोखिम वर्गीकरणः**– (1) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त माप या तौल का सत्यापन एवं मुहर लगाना, निम्न जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत उपकरणों के संबंध में स्व–प्रमाणन के आधार पर किया जाएगा। अन्य जोखिम श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले माप या तौल के मामले में सत्यापन एवं मुहर लगाना या तो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा या विभाग की विधिक माप विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाएगा।

(2) माप या तौल की जोखिम श्रेणियाँ, उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम तथा निम्न जोखिम के रूप में वर्गीकृत होंगी, जैसा कि अनुसूची **VI** में विनिर्दिष्ट है।

21. **अपराधों का शमन** :– अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत शमनीय अपराधों का शमन अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

22. **निर्देश जारी करने की शक्ति** :– नियंत्रक, इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिनियम एवं इन नियमों के उपबंधों के साथ असंगत न होने वाले प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकेगा।

23. निरसन एवं बचाव :– (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी तत्संबंधी कार्यकारी अनुदेश निरस्त माने जाएंगे।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद, उक्त अनुदेशों के अंतर्गत किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के अंतर्गत किया गया अथवा की गई मानी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,

पंकज कुमार आई.ए.एस नियंत्रक

पहली अनुसूची

[नियम 3 के उप–नियम (1) देखें]

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा सत्यापित माप एवं तौल

(i) निम्नलिखित माप एवं तौल का सत्यापन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा किया जा सकता हैः

1. पानी का मीटर
2. स्फिग्मोमैनोमीटर
3. क्लिनिकल थर्मामीटर
4. स्वचालित रेल वजन पुल
5. मापक फीता
6. सटीकता श्रेणी III (150 किलोग्राम तक) के गैर–स्वचालित वजन उपकरण
7. सटीकता श्रेणी III के गैर–स्वचालित वजन उपकरण
8. लोड सेल
9. बीम स्केल
10. काउंटर मशीन
11. सभी श्रेणियों का भार
12. गैस मीटर
13. ऊर्जा मीटर
14. नमी मीटर
15. वाहनों के लिए गतिमापी
16. श्वास विश्लेषक
17. बहुआयामी मापन उपकरण
18. प्रवाह मीटर
19. पेट्रोल/डीजल डिस्पेंसर
20. सीएनजी डिस्पेंसर
21. एलपीजी डिस्पेंसर
22. एलएनजी डिस्पेंसर
23. हाइड्रोजन डिस्पेंसर

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य माप या तौल।

दूसरी अनुसूची

[नियम 5 के उप–नियम (1) देखें]

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षा केंद्र के अनुमोदन हेतु आवेदन

(1) आवेदक का पूरा नाम और पूरा पता;
(2) उस माप या तौल का नाम जिसके लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के लिए आवेदन किया गया है:
(3) आवेदक के संबंधित क्षेत्र में अनुभव का विवरण:
(4) संगठनात्मक संरचना का विवरण;
(5) प्रधान अधिकारी और अन्य तकनीकी स्टाफ की अर्हता:
(6) आवेदक/केंद्र के पास उपलब्ध मानकों और अन्य परीक्षण सुविधाओं का विवरण:
(7) प्रयोगशाला की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रति, यदि उपलब्ध हो तो:
(8) मांग प्रारूप के विवरण:
(9) वह क्षेत्राधिकार/क्षेत्र जिसके लिए आवेदन किया गया है:
(10) उपभोक्ता शिकायत संख्या

आवेदक के हस्ताक्षर

टीप : प्रत्येक आवेदन तीन प्रतियों में होना चाहिए और इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज तथा नियम एवं शर्तें संलग्न होने चाहिए। सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के लिए आवेदन करते समय प्रत्येक माप या तौल के लिए प्रति वर्ष दो लाख पचास हजार रुपये (2,50,000/– रुपये) के शुल्क का भुगतान "नियंत्रक, माप एवं तौल विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में नई दिल्ली में देय होगा।

तीसरी अनुसूची

[नियम 10 देखें]

सत्यापन प्रमाणपत्र

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र (नाम और पता).....
संख्या.....
अधिकारी का नाम.....

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने आज....., स्थानीय क्षेत्र.....से संबंधित निम्नलिखित माप, तौल आदि का सत्यापन किया है और उन पर मुहर लगाई है/उन्हें अस्वीकार किया है।

मात्रा	मूल्यवर्ग		वजन मापने का उपकरण				मापने का उपकरण	सत्यापन शुल्क रु0 पै0	ढुलाई, परिवहन, समायोजन प्रभार आदि
	वजन	माप	क्षमता	वर्ग	विनिर्माता	प्रकार			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

दिनांक.....की राशि रसीद संख्या.....के द्वारा जमा की गई कुल राशि.....
द्वारा मरम्मत/उपयोग

.....(हस्ताक्षर)

अगला सत्यापन दिनांकः..... प्रधान अधिकारी

टीप :– अस्वीकृत माप, तौल आदि की स्थिति में, प्रधान अधिकारी प्रत्येक वस्तु निमित्त अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए अलग से अस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करेगा।

चौथी अनुसूची
[नियम 15 देखें]
सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
माप एवं तौल विभाग (विधिक माप विज्ञान विभाग)
सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का अनुमोदन प्रमाण पत्र
(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24 के अंतर्गत)

फा0सं0: दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स..... (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का नाम और पता) को निम्नलिखित माप एवं तौल और उनकी श्रेणियों के सत्यापन हेतु..... (स्थान/जिले का नाम) के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के रूप में अनुमोदित किया गया है:

(i).....
(ii).....
(iii).....

प्रमाणपत्र संख्या: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र/..... (राज्य कोड के दो अंक)/2026/.....

दिनांक ..... तक मान्य

विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा प्रतिलिपि निम्न को:
निदेशक, विधिक माप विज्ञान, भारत सरकार को सूचना हेतु।

टीप : उपभोक्ता शिकायत की स्थिति में, कृपया .....पर संपर्क करें।

पांचवीं अनुसूची [नियम 9(1)] – सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए परीक्षण केंद्र को देय शुल्क

क्र0 सं0	मद	सत्यापन शुल्क (रुपये में)
1	पानी का मीटर	(i) घरेलू पानी के मीटर के लिए 250.00 रुपये (ii) वाणिज्यिक पानी के मीटरों के लिए 1000.00 रुपये (iii) औद्योगिक पानी के मीटरों के लिए 2500.00 रुपये
2	स्फिग्मोमैनोमीटर	प्रति स्फिग्मोमैनोमीटर के लिए 100.00 रुपये
3	क्लिनिकल थर्मामीटर	प्रति क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए 50.00 रुपये
4	स्वचालित रेल वजन पुल	राज्य सरकार के शुल्क के अनुसार
5	मापक फीता	(i) श्रेणी I: 2.00 रुपये प्रति मीटर या उसके भाग के लिए (ii) श्रेणी II: 1.00 रुपये प्रति मीटर या उसके भाग के लिए (iii) श्रेणी III: 0.50 रुपये प्रति मीटर या उसके भाग के लिए
6	सटीकता श्रेणी III (150 किलोग्राम तक) के गैर–स्वचालित वजन उपकरण	(i) 10 किलोग्राम तक के लिए 2000.00 रुपये (ii) 10 किलोग्राम से अधिक और 150 किलोग्राम तक के लिए 3000 रुपये
7	सटीकता श्रेणी III के गैर–स्वचालित वजन उपकरण	(i) 10 किलोग्राम तक के लिए 2000.00 रुपये (ii) 10 किलोग्राम से अधिक और 150 किलोग्राम तक के लिए 3000.00 रुपये
8	लोड सेल	(i) 5 केएन तक के लिए 2000.00 रुपये (ii) 5 केएन से अधिक और 100 केएन तक के लिए 5000.00 रुपये
9	बीम स्केल	(i) 5 किलोग्राम तक के लिए 500.00 रुपये (ii) 5 किलोग्राम से अधिक के लिए 1000.00 रुपये
10	काउंटर मशीन	(i) 5 किलोग्राम तक के लिए 500.00 रुपये (ii) 5 किलोग्राम से अधिक के लिए 1000.00 रुपये
11	सभी श्रेणियों का भार	(i) ई1 श्रेणीी के लिए शुल्कः (अ) 1 मि0ग्रा0 से 200 ग्राम तक (राइडर सहित 22 पीस): 15,000 रुपये (ब) मिश्रित भार (प्रति भार): (क) 10 किलोग्राम तक के लिए 1000.00 रुपये (ख) 10 किलोग्राम से अधिक और 50 किलोग्राम तक के लिए 2000.00 रुपये का जुर्माना। (ii) ई2 श्रेणी के भार के लिए शुल्क ई1 श्रेणी के भार के लिए निर्धारित शुल्क का आधा होगा (iii) एफ1 श्रेणी के भार के लिए शुल्क ई1 श्रेणी के भार के लिए निर्धारित शुल्क का एक चौथाई होगा (iv) एफ2 श्रेणी के भार के लिए शुल्क ई1 श्रेणी के भार के लिए निर्धारित शुल्क का एक आठवां हिस्सा होगा (v) बुलियन का भारः (अ) 1 ग्राम से 500 ग्राम तकः 25 रुपये प्रति भार (ख) 500 ग्राम से अधिक और 10 किलोग्राम तकः 50 रुपये प्रति भार (vi) कैरेट का भारः 50 रुपये प्रति भार (vii) बेलनाकार घुंडी प्रकार का भारः (अ) 1 ग्राम से 500 ग्राम तकः 10 रुपये प्रति भार (ब) 500 ग्राम से अधिक और 10 किलोग्राम तकः 25 रुपये प्रति भार

		(vii) शीट धातु का भार (बुलियन के अलावा): 1 मि0ग्रा0 से 500 मि0ग्रा0 तक: 25 रुपये प्रति भार (ix) लोहे के 'ाट्कोणीय, घुंडीनुमा भार तथा समांतर चर्तुभुज का भार: (अ) 1 ग्राम से 500 ग्राम तक: 10 रुपये प्रति भार (ब) 500 ग्राम से अधिक और 10 किलोग्राम तक: 25 रुपये प्रति भार (स) 10 किलोग्राम से अधिक और 50 किलोग्राम तक: 50 रुपये प्रति भार (x) उच्च मूल्यवर्ग के भार: (अ) 50 किलोग्राम से अधिक और 1000 किलोग्राम तक: 1000 रुपये (ब) 1000 किलोग्राम से अधिक और 5000 किलोग्राम तक: 1500 रुपये
12	गैस मीटर	(i) घरेलू: 500.00 रुपये (ii) वाणिज्यिक: 2000.00 रुपये (iii) औद्योगिक 5000.00 रुपये
13	ऊर्जा मीटर	(i) घरेलू: 1000.00 रुपये (ii) वाणिज्यिक: 3000.00 रुपये (iii) औद्योगिक 5000.00 रुपये
14	नमी मीटर	2500 रुपये
15	वाहनों के लिए गतिमापी	15,000 रुपये
16	श्वास विश्लेषक	2500 रुपये
17	बहुआयामी मापन उपकरण	3600 रुपये
18	प्रवाह मीटर	(i) 100 मि0मी0 तक: 5000.00 रुपये (ii) 100 मि0मी0 से अधिक: प्रत्येक 25 मि0मी0 के लिए 5000.00 रुपये+1000.00 रुपये
19	पेट्रोल/डीजल डिस्पेंसर	प्रत्येक नोजल के लिए 5,000 रुपये
20	सीएनजी डिस्पेंसर	प्रत्येक नोजल के लिए 10,000 रुपये
21	एलपीजी डिस्पेंसर	प्रत्येक नोजल के लिए 10,000 रुपये
22	एलएनजी डिस्पेंसर	प्रत्येक नोजल के लिए 10,000 रुपये
23	हाइड्रोजन डिस्पेंसर	प्रत्येक नोजल के लिए 10,000 रुपये

छठी अनुसूची
[नियम 20 देखें]
सत्यापन और मुहर लगाने के लिए जोखिम श्रेणी का वर्गीकरण

क्र0सं0	जोखिम का वर्गीकरण	माप एवं तौल वस्तु
01	भारी जोखिम	1. यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी II और I दोनों के लिए उच्च सटीकता श्रेणी और विशेष सटीकता वाले भार उपकरण 2. स्वचालित वजन मशीन 3. टोटलाइजिंग मशीन 4. आयतनमापन उपकरण 5. प्रवाह / बल्क मीटर 6. स्वचालित रेल वजन पुल 7. स्वचालित ग्रेविमेट्रिक फिलिंग उपकरण (इसमें मिलीलीटर या लीटर या इनके गुणकों में फिलिंग शामिल है) 8. असंतत योगात्मक स्वचालित भार यंत्र (हॉपर भार योगात्मक) 9. संपीड़ित प्राकृतिक गैस 10. ऑटो एलपीजी 11. गतिमान स्वचालित सड़क भार पुल 12. जल के अलावा अन्य द्रव मापन प्रणालियाँ 13. टैंकर ट्रक 14. बिजली मीटर 15. रक्तचाप मापने का उपकरण 16. पानी का मीटर 17. उच्च क्षमता वाली भार मशीनों का भार
02	मध्यम जोखिम	1. भार 2. लंबाई माप 3. बीम स्केल श्रेणी ए और बी 4. बीम स्केल श्रेणी सी और डी 5. काउंटर मशीनें 6. ट्यूबलर संतुलन 7. व्यक्ति का वजन मापने वाली मशीन, बाथरूम को मापने वाले पैमाने को छोड़कर 8. पेग या शराब मापने का यंत्र 9. गैर–स्वचालित भार यंत्र, यांत्रिक (एनालॉग संकेत) / डिजिटल, सामान्य और मध्यम सटीकता श्रेणी III और IV से संबंधित 10. भंडारण टैंक 11. निरंतर योगात्मक स्वचालित वजन मापने वाले यंत्र (बेल्ट वजन) 12. तेल की मात्रा मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले टेप 13. वजन और वजन ग्रेडिंग मशीनों की जांच करना 14. रेखीय मापन उपकरण 15. शिशु या बच्चे का वजन मापने का तराजू 16. क्लिनिकल थर्मामीटर
03	कम जोखिम	1. रसोई का पैमाना 2. बाथरूम का पैमाना

WEIGHTS & MEASURES DEPARTMENT (DEPARTMENT OF LEGAL METROLOGY)

NOTIFICATION

Delhi, the 12th September, 2026

F. No. 12(3)/W&M/Enforcement/2026/1244.—Whereas the draft of the Delhi Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2026, was published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV, vide No. F.No.12(3)/W&M/Enforcement/2026/853 dated 24.08.2026, as required under sub-section (4) of section 53 read with clause (q) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and 02 Hindi & 02 English Daily All India Newspapers on 26.08.2026, for inviting objections or suggestions from the persons/stakeholders likely to be affected thereby, within a period of ten (10) days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification was made available to the public;

And whereas, the said draft notification was made available to the public on the 24th August 2026.

And whereas, the objections/suggestions received in the said period with regard to the said draft notification have been duly considered.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (e) of sub-section (2) of section 53 and sub-section (3) of section 24 read with sub-clause (q) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), and after consultation with the Central Government, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules, namely;

DELHI LEGAL METROLOGY (GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE) RULES, 2026

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and Commencement -

(1) These rules shall be called the Delhi Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

(1) In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Act" means the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010);

(b) "Government" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi.

(c) "Department" means "Weights & Measures Department (Department of Legal Metrology), Government of National Capital Territory of Delhi

(d) "Controller" means the Controller, Legal Metrology, Government of National Capital Territory of Delhi;

(e) "Government Approved Test Centre" means a "Corporation/Organisation/Firm/Any other Legal Entity' approved by the Government of National Capital Territory of Delhi for verification of such weights or measures as may be specified under these rules;

(f) "Principal Officer" means the person in-charge of the Government Approved Test Centre;

(g) "Schedule" means the Schedule appended to these rules.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act or The Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013 (framed by Central Government) or the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 shall have the meanings respectively assigned to them therein.

CHAPTER II

VERIFICATION OF WEIGHTS AND MEASURES

3. Verification by Government Approved Test Centre:- (1) The weights and measures specified in the First Schedule shall be got verified either by a Government Approved Test Centre or by the laboratories of the Department.

(2) A "Corporation/Organisation/Firm/Any other Legal Entity" may apply for verification or re-verification of one or more weights or measures.

CHAPTER III

APPROVAL OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE

4. General provisions relating to Government Approved Test Centre:- (1) The Government shall notify from time to time the list of approved Government Approved Test Centres.

(2) A Government Approved Test Centre approved under these rules shall carry out verification of weights or measures in accordance with the provisions of the Act, the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and such other standards or specifications as may be notified by the Government.

(3) Every Government Approved Test Centre shall maintain such standard weights, measures, testing equipment and other infrastructure as specified under the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and such other standards or specifications as may be notified by the Government.

5. Approval of Government Approved Test Centre:- (1) Any Corporation/Organisation/Firm/Any other Legal Entity' desirous of obtaining approval as a Government Approved Test Centre shall submit an application to the Controller in the form specified in the Second Schedule and a fee of Rs. Two Lakh Fifty Thousand (Rs. 2,50,000/-) per weight or measure per year will be paid in the form of Demand Draft in favour of "Controller, Weights & Measures Department, GNCTD" payable at New Delhi at the time of applying for Government Approved Test Centre".

(2) The application shall be made by the Principal Officer of the proposed Government Approved Test Centre.

(3) While considering the application for approval, the Controller shall have regard to the following factors, namely:—

(a) availability and accessibility of land and building;

(b) adequacy of testing facilities, measuring equipment and infrastructure;

(c) availability of technically qualified manpower;

(d) capacity for efficient and timely service;

(e) qualification and experience of the Principal Officer and technical staff;

(f) any other factor which, in the opinion of the Controller, may affect the proper functioning of the Government Approved Test Centre;

(4) The Controller or any officer authorised by him may inspect the premises of the applicant before grant of approval.

(5) The Controller shall be the competent authority for grant of approval under these rules.

(6) Approval granted under these rules shall initially remain valid for a period of one calendar year and may thereafter be renewed as specified in these rules.

(7) The Controller shall assign a unique code number to every approved Government Approved Test Centre.

(8) The Government Approved Test Centre shall comply with the following conditions, namely:—

(i) Follow the verification procedure prescribed under the Legal Metrology (General) Rules, 2011;

(ii) Get the equipment periodically verified by the Secondary Standard Laboratory or any other agency approved by the Controller;

(iii) Not verify Non-standard weight or measure;

(iv) Submit to the Government, quarterly and annual reports regarding the number of weights and measures verified, in such form and manner as may be specified by the Controller.

(9) Where the Government Approved Test Centre does not fulfil the prescribed requirements, the Controller may reject the application by a reasoned order after giving the Government Approved Test Centre a reasonable opportunity of hearing.

(10) Any Government Approved Test Centre aggrieved by an order under sub-rule (9) may prefer an appeal before the Secretary, Department of Legal Metrology, Government of National Capital Territory of Delhi within thirty days.

(11) The Controller may suspend the approval granted to a Government Approved Test Centre for violation of the provisions of the Act or these rules.

(12) The Controller or any officer authorised by him may inspect the Government Approved Test Centre and call for such records as may be necessary.

(13) The Controller may cancel the approval granted to a Government Approved Test Centre where it ceases to fulfil the prescribed requirements:

Provided that no such approval shall be cancelled except after giving an opportunity of being heard.

(14) The Controller shall communicate every order of approval, suspension or cancellation to the Director of Legal Metrology, Government of India.

(15) The Controller may, having regard to the nature of verification activities undertaken by a Government Approved Test Centre and the potential risk arising therefrom, require such Government Approved Test Centre to obtain and maintain adequate third-party liability insurance coverage against any claim arising out of negligence, omission, wrongful verification, or violation of the provisions of the Act, the rules made thereunder, or any lawful directions issued by the Government or the Controller.

(16) The following entities shall, subject to compliance with the provisions of the Act and the rules made thereunder, be eligible to function as Government Approved Test Centres for verification of such weights and measures as specified under the Legal Metrology (General) Rules, 2011 or such other standards recognised under law, namely:—

(i) Regional Reference Standard Laboratories functioning under the administrative control of the Department of Consumer Affairs, Government of India;

(ii) laboratories accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) under ISO/IEC 17025:2017 for calibration of weights and measures, subject to fulfilment of the conditions specified under sub-rule (3);

(iii) laboratories of the National Test House functioning under the administrative control of the Department of Consumer Affairs, Government of India; and

(iv) Government Approved Test Centres or equivalent laboratories functioning under the Central Government or any State Government or Union Territory Administration.

6. **Renewal of Government Approved Test Centre –** (i) The approval granted to a Government Approved Test Centre may be renewed by the Controller, for a period not exceeding five years at a time, subject to the satisfactory functioning of the centre and continued compliance with the provisions of the Act, rules and directions issued thereunder.

(ii) An application for renewal of approval as a Government Approved Test Centre shall be accompanied by a fee of Rs. Two Lakh Fifty Thousand (Rs. 2,50,000/-) per weight or measure per year, payable through Demand Draft drawn in ſavour of "Controller, Weights & Measures Department, GNCTD" payable at New Delhi.

(iii) The Controller may, after such inspection or verification as deemed necessary, renew the approval of the Government Approved Test Centre for a period of not less than one calendar year and not exceeding five calendar years at a time, on payment of the prescribed fee specified in clause (ii) above.

(iv) The certificate of approval issued to a Government Approved Test Centre shall remain valid for the period specified therein, unless suspended or cancelled in accordance with provisions of these rules.

CHAPTER IV

DUTIES, QUALIFICATIONS AND FUNCTIONS OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE

7. Duties of Principal Officer.- The Principal Officer of a Government Approved Test Centre shall—

(a) establish and operate the test centre independently;

(b) ensure impartial discharge of duties by technical staff;

(c) inform the Controller regarding cessation of operations;

(d) maintain accuracy and calibration of testing equipment;

(e) maintain records of verification and certificates issued;

(f) establish a consumer grievance redressal mechanism;

(g) comply with lawful directions issued by the Controller;

(h) ensure that only conforming weights and measures are stamped;

(i) ensure security of verification stamps against misuse;

(j) return the verified weights or measures within fifteen days from the date of receipt.

8. Qualification:

(i) The Principal Officer and technical staff shall possess qualifications equivalent to those prescribed for Legal Metrology Officers under the Legal Metrology (General) Rules, 2011;

(ii) the Principal Officer and technical staff shall possess minimum three years' experience in the field of legal metrology.

(iii) the employees shall be trained in institutions recognised or nominated by the Controller;

9. Fees for Verification or Re-verification - (1) The fee payable for verification or re-verification shall be such as specified in the Fifth Schedule:

Provided that, in respect of any weight or measure not specified in the Fifth Schedule, the fees prescribed under the Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 of the Government of National Capital Territory of Delhi shall apply where such verification or re-verification is carried out by a Government Approved Test Centre.

(2) Any weight or measure rejected during verification may be re-submitted after rectification on payment of fresh verification fee.

10. Mark of Verification - (1) Verification of weight or measure shall be carried out only upon receipt of prescribed fee together with an application containing—

(A) name and address of the manufacturer, importer, dealer or user;

(B) address and location of the premises where such weight or measure is manufactured, imported or intended to be used;

(C) maximum and minimum capacity, 'e' or 'd' value and accuracy class of the weight or measure as per the Legal Metrology (General) Rules, 2011;

(2) A Government Approved Test Centre shall, after successful verification, stamp the weight or measure and issue a certificate of verification as proof of verification of the weight or measure concerned. The verification mark shall contain—

(a) the letters "GNCTD" and the code number assigned to the Government Approved Test Centre; and

(b) the quarter and year of verification.

(3) The certificate of verification shall remain valid for the period specified under the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and may be renewed for a further period upon payment of the prescribed fee as specified in the Fifth Schedule;

(4) A separate certificate of verification shall be issued by the test centre in respect of each weight or measure, and such certificate shall specifically correspond to the individual instrument verified.

11. Maintenance and Inspection of Records- (1) Every Government Approved Test Centre shall maintain records relating to verification and stamping of weights or measures for a minimum period of five years.

(2) Such records shall be produced before the Controller or any authorised officer whenever required.

12. Place of Verification - Verification may be carried out either at the approved premises of the Government Approved Test Centre or at such other place within the National Capital Territory of Delhi as may be permitted by the Controller.

13. Supervision - The Controller or any authorised Legal Metrology Officer may inspect the functioning of a Government Approved Test Centre to ensure compliance with the Act and these rules.

14. Liability - The Principal Officer shall be responsible for any loss, damage or legal liability arising from negligent verification or non-compliance with the provisions of the Act or rules made thereunder.

CHAPTER V

CERTIFICATE, SUSPENSION AND REVOCATION

15. Contents of Certificate of Approval - (1) Every certificate of approval issued under these rules shall contain—

(a) certificate number;

(b) name and address of the Government Approved Test Centre;

(c) category of weights or measures authorised for verification;

(d) assigned code number;

(e) conditions of approval, if any;

(f) validity period of approval;

(g) range of verification authorised;

(h) contact details for consumer grievance redressal.

(2) Where any weight or measure is approved for a specific or special use, the certificate of approval relating thereto shall clearly specify such special use.

(3) The Controller shall cause the particulars of every certificate of approval granted under these rules to be published in the Official Gazette.

(4) The Controller may also publish the information referred to in the foregoing sub-rules in any journal or publication brought out by the Government of National Capital Territory of Delhi or Central Government.

16. Mark assigned to Government Approved Test Centre.—The mark assigned to a Government Approved Test Centre shall consist of the identification letters "GNCTD", followed by the last two digits of the year of issue of the certificate of approval (for example,"26"), and the code number assigned to it.

17. Suspension of Certificate - (1) The Controller may suspend the certificate of approval where—

(a) verification is not carried out in accordance with the Act or the rules made thereunder;

(b) verification standards are compromised; or

(c) conditions of approval are violated.

(2) No such suspension shall be made except after giving the concerned Government Approved Test Centre an opportunity of being heard.

(3) The suspension may be revoked upon compliance by the Government Approved Test Centre with the applicable terms and conditions and payment of such penalty, not exceeding Rupees One Lakh, as may be imposed by the Controller, Legal Metrology, having regard to the nature and gravity of the violation.

18. Revocation of Certificate - (1) The certificate of approval granted to a Government Approved Test Centre may be revoked by the Controller, Legal Metrology, if the Controller is satisfied that the Government Approved Test Centre no longer complies with the provisions of the Act or the rules made thereunder, or has violated any directions issued by the Controller from time to time.

Provided that no such certificate shall be revoked unless the holder thereof has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.

(2) Upon revocation, the Government Approved Test Centre shall immediately cease verification activities.

(3) Provided that where, upon inspection, it is found that any verification or re-verification of weights or measures has been carried out after such revocation, the Controller may, by order, prohibit the use of such weight or measure and initiate appropriate penal action in accordance with law.

(4) Every order relating to suspension or revocation of a certificate of approval shall be duly notified in such manner as may be specified by the Controller.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

19. Expenditure on assessment or re-assessment or inspection of Government Approved Test Centre during the calendar year - All expenses incurred in connection with the assessment, re-assessment, or mandatory annual inspection of a Government Approved Test Centre, including transportation, accommodation, and other admissible entitlements of the officer(s) concerned, as well as expenses relating to provision of necessary facilities and cooperation during such process, shall be borne by the Government Approved Test Centre.

20. Risk Categorisation of Weights and Measures - (1) Verification and stamping of weights or measures used for commercial purposes shall be carried out on the basis of self-certification in respect of instruments classified as Low Risk Categories. In the case of weights or measures falling under other risk categories, verification and stamping shall be undertaken either by a Government Approved Test Centre or by the Legal Metrology Laboratories of the Department.

(2) The risk categories of weights or measures have been classified as High Risk, Medium Risk, and Low Risk, as specified in Schedule VI.

21. Compounding of Offences - Offences compoundable under section 48 of the Act may be compounded in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder.

22. Power to Issue Directions - The Controller may issue administrative directions, not inconsistent with the Act and these rules, for effective implementation of these rules.

23. Repeal and Savings - (1) Any corresponding executive instructions in force immediately before commencement of these rules shall stand superseded.

(2) Notwithstanding such supersession, anything done or any action taken under the said instructions shall be deemed to have been done or taken under these rules.

CONTROLLER, LEGAL METROLOGY, GNCTD

PANKAJ KUMAR, IAS

FIRST SCHEDULE

(See sub rule (1) of rule 3)

Weights and measures verified by Government Approved Test Centre.

(i) The following weights and measures may be verified by Government Approved Test Centre:

1. Water meter
2. Sphygmomanometer
3. Clinical thermometer
4. Automatic rail weighbridges
5. Tape measures
6. Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class III (upto 150kg)
7. Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class IIII
8. Load cell
9. Beam scale
10. Counter machine
11. Weights of all category
12. Gas meters
13. Energy meters
14. Moisture meters
15. Speed meters for vehicles
16. Breath analyzers
17. Multi-dimensional measuring instruments
18. Flow meters.
19. Petrol/ diesel dispenser
20. CNG dispenser
21. LPG dispenser
22. LNG dispenser
23. Hydrogen dispenser.

(ii) Any other weight or measure prescribed by the Govt. of NCT of Delhi.”.

SECOND SCHEDULE

(See sub-rule (1) of rule 5)

Application for Approval of Government Approved Test Centre

(1) Full name and complete address of the applicant;

(2) Name of the weight or measure for which Government Approved Test Centre has been applied:

(3) Experience detail in the relevant field of the applicant:

(4) Detail of the organizational structure;

(5) Qualification of Principal Officer and other technical staff:

(6) Detail of the standards available and other testing facilities available with the applicant/centre:

(7) Copy of the Quality management system of the laboratory, if available:

(8) Details of the Demand Draft:

(9) Jurisdiction/area for which application is made:

(10) Consumer complaint number.

Signature of Applicant

Note: Every application shall be in triplicate accompanied by complete documents and terms and conditions. A fee of Rs. Two Lakh Fifty Thousand (Rs. 2,50,000/-) per weight or measure per year will be paid in the form of Demand Draft in favour of "Controller, Weights & Measures Deptt, GNCTD" payable at New Delhi at the time of applying for Government Approved Test Centre".

THIRD SCHEDULE
[SEE RULE 10]
CERTIFICATE OF VERIFICATION

Government Approved Test Centre (Name and Address)..... No.....
Name of the Officer .....

I hereby certify that I have this day verified and stamped / rejected the under mentioned weights, measurers, etc. Belonging to ..... Locality .....

Quantity	Denomination		Weighing instruments				Measuring instruments	Verification Fee Rs. p	Carriage, conveyance adjusting charges etc.
	Weights	Measures	Capacity	Class	Manufacturer	Type			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Total Rs. ..... deposited vide Money receipt .No.....dated
Repaired by/ Used by

…….(Signature)

Next verification due on ..... Principal Officer

Note:- In the case of rejected weights, measures, etc. the principal officer shall give separate Certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.

FOURTH SCHEDULE [SEE RULE 15]
CERTIFICATE OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
WEIGHTS AND MEASURES DEPARTMENT (DEPARTMENT OF LEGAL METROLOGY)
CERTIFICATE OF APPROVAL OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE
[Under Section 24 of the Legal Metrology Act, 2009]

F.No: Dated:

Certify that M/s ……..(name and address of Government Approved Test Centre) has been approved as Government Approved Test Centre for .....(name of place/ district) for the verification of following weights and measures with their ranges:

(i) ……
(ii)
……
(iii)
……

Certificate No: GNCTD/ GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE/..... (two digits of the State Code)/ 2026/ .....

Valid up to:..... ……

Controller of Legal Metrology Copy to: The Director of Legal Metrology, Govt. of India for kind information.

Note: in case of consumer complaint please contact .....”

FIFTH SCHEDULE [Rule 9(1)] - FEE PAYABLE TO TEST CENTRE FOR VERIFICATION OR RE-VERIFICATION

S.No	Item	Verification Fee (In Rupees)
1	Water Meter	(i) Rs. 250.00 for domestic water meter (ii) Rs. 1000.00 for commercial water meters (iii) Rs. 2500.00 for industrial water meters
2	sphygmomanometer	Rs. 100.00 per sphygmomanometer
3	clinical thermometer	Rs. 50.00 per clinical thermometer
4	Automatic rail weighbridges	As per State Government fees
5	Tape measures	(i) Class I: Rs. 2.00 per meter or part thereof (ii) Class II: Rs. 1.00 per meter or part thereof (iii) Class III: Rs. 0.50 per meter or part thereof
6	Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class III (upto 150kg)	(i) Rs. 2000.00 upto 10 kg (ii) Rs. 3000.00 above 10 kg and upto 150 kg
7	Non-automatic weighing instruments of Accuracy class IIII	(i) Rs. 2000.00 upto 10 kg (ii) Rs. 3000.00 above 10 kg and upto 150 kg
8	Load cell	(i) Rs. 2000.00 upto 5 kN (ii) Rs. 5,000.00 above 5 kN and upto 100kN
9	Beam scale	(i) Rs. 500.00 upto 5 kg (ii) Rs. 1000.00 above 5 kg
10	Counter machine	(i) Rs. 500.00 upto 5 kg (ii) Rs. 1000.00 above 5 kg
11	Weights of all category	(i) Fees for E1 Class: (A) 1mg to 200g (22 pieces including rider): Rs. 15,000 (B) Assorted weights (per weight): (a) Rs. 1,000 upto 10 kg (b) Rs. 2,000 above 10 kg upto 50 kg (ii) Fees for E2 class weights will be one half the fees specified for E1 class weights (iii) Fees for F1 class weights will be one fourth the fees specified for E1 class weights (iv) Fees for F2 class weights will be one eighth the fees specified for E1 class weights (v) Bullion weights: (A) 1g to 500 g: Rs. 25 per weight (B) Above 500g to 10kg: Rs. 50 per weight (vi) Carat weights: Rs. 50 per weight (vii) Cylindrical knob type weight: (A) 1g to 500 g: Rs. 10 per weight (B) Above 500g to 10kg: Rs. 25 per weight (viii) Sheet metal Weight (other than Bullion): 1mg to 500 mg: Rs. 25 per weight

		(ix) Iron hexagonal, knob type weights and parallelepiped weight: (A) 1g to 500 g: Rs. 10 per weight (B) Above 500g to 10kg: Rs. 25 per weight (C) Above 10kg to 50kg: Rs. 50 per weight (x) Higher denomination weights: (A) Above 50 kg to 1000 kg: Rs. 1000 (B) Above 1000 kg to 5000 kg: Rs. 1500
12	Gas meters	(i) Domestic: Rs. 500.00 (ii) Commercial: Rs. 2000.00 (iii) Industrial Rs. 5000.00
13	Energy meters	(i) Domestic: Rs. 1000.00 (ii) Commercial: Rs. 3000.00 (iii) Industrial Rs. 5000.00
14	Moisture meters	Rs. 2500
15	Speed meters for vehicles	Rs. 15,000
16	Breath analysers	Rs. 2500
17	Multi-dimensional measuring instruments	Rs. 3600
18	Flow meters	(i) Upto 100 mm: Rs. 5000.00 (ii) Above 100 mm: Rs. 5000.00+ Rs. 1000.00 for every 25 mm".
19	Petrol/ diesel dispenser	Rs. 5,000.00 each nozzle
20	CNG dispenser	Rs. 10,000.00 each nozzle
21	LPG dispenser	Rs. 10,000.00 each nozzle
22	LNG dispenser	Rs. 10,000.00 each nozzle
23	Hydrogen dispenser	Rs. 10,000.00 each nozzle

SIXTH SCHEDULE [See rule 20]

CLASSIFICATION OF RISK CATEGORY FOR VERIFICATION AND STAMPING

S.No	Classification of Risk	Weights and Measures articles
01	High Risk	1. Weighing instruments, of high accuracy class and special accuracy both mechanical and electronics class II & I. 2. Automatic Weighing Machine: 3. Totalizing Machine 4. Volumetric measuring instruments 5. Flow / Bulk meters 6. Automatic Rail weighbridge 7. Automatic Gravimetric Filling Instruments (it includes fill in ml or liter or in Multiples thereto) 8. Discontinuous totalizing automatic weighing instruments (Totalizing Hopper Weights) 9. Compressed Natural Gas 10. Auto LPG 11. Automatic in motion road weigh bridge 12. Liquid measuring systems other than water 13. Tank Trucks 14. Electricity meter 15. Blood Pressure Measuring instrument 16. Water meter 17. Weights for high capacity weighing machines
02	Medium Risk	1. Weights 2. Length Measures 3. Beam Scale Class A & B 4. Beam Scales Class C& D 5. Counter Machines 6. Tubular balance 7. Person weighing machine excluding bath room scales 8. Peg or liquor measure 9. Non-Automatic weighing Instruments, mechanical (analogue indication) / digital belonging to ordinary and medium accuracy class III & IV 10. Storage Tank

		11. Continuous totalizing automatic weighing Instruments (Belt Weights) 12. Tapes for use in measurement of Oil quantities 13. Check Weighing and Weight Grading Machines 14. Linear Measuring Instruments 15. Baby or child weighing Scales 16. Clinical Thermometer
03	Low Risk	1. Kitchen Scale 2. Bathroom Scales

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

क्रम-संख्या–263

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 अगस्त, 2026

भाद्रपद 5, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग–3

———

संख्या 1431/36–3–2026–1399661

लखनऊ, 27 अगस्त, 2026

———

अधिसूचना

सा0प0नि0–56

चूंकि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2020) की धारा 154 की उपधारा (1) और धारा 156 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली, 2026 का प्रारूप सरकारी गजट में, अधिसूचना संख्या 427/36–03–2026–1399661 दिनांक 10 मार्च, 2026 द्वारा उससे सम्भावित रुप से प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों से, उस दिनांक, जिससे उक्त अधिसूचना से युक्त गजट जनसामान्य को उपलब्ध कराया गया था, से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था;

और चूंकि पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 10 मार्च, 2026 को जनसामान्य के लिए उपलब्ध कराई गयी थी;

और चूंकि, व्यक्तियों और हितधारकों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 24 के साथ पठित 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' (अधिनियम संख्या 36 सन् 2020) की धारा 154 की उपधारा (1) व धारा 156 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, और–

(एक) उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकर नियमावली, 1975;

(दो) उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकर (व्यवसायिक रोग) नियमावली, 1964;

(तीन) उत्तर प्रदेश प्रसूति प्रसुविधा नियमावली, 1983;

(चार) उत्तर प्रदेश उपदान संदाय नियमावली, 1975;

(पाँच) उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, 2009; तथा

(छः) उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली, 2016;

(सात) उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली, 2021;

का सिवाय उन बातों का अधिक्रमण करके जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी हो या करने से लोप की गयी हो, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; अर्थातः–

उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली, 2026

अध्याय–एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली, 2026 कही जाएगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2–(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में, –

(क) "अपील" का तात्पर्य धारा 37 की उपधारा (7) के खंड (ख) और धारा 56 की उपधारा (8) और धारा 72 की उपधारा (3) और धारा 99 की उपधारा (1) के अधीन की गयी अपील से है;

(ख) "अपील प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 56 की उपधारा (8) के अधीन, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या संहिता की धारा 105 के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मूल्याँकन अधिकारी से उच्चस्थ अधिकारी से है;

(ग) "मूल्याँकन अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी, जो राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य हो जिसे ऐसी राज्य सरकार द्वारा संहिता के अधीन उपकर के मूल्याँकन हेतु नियुक्त किया गया हो, से है;

(घ) "प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा धारा 72 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से है;

(ङ) ″बोर्ड″ का तात्पर्य क्रमशः संहिता की धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और संहिता की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से है;

(च) "वृत्तिक केंद्र (राज्य)" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कैरियर केन्द्र से है;

(छ) "उपकर संग्राहक" का तात्पर्य संहिता के अधीन उपकर संग्रह के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से है;

(ज) "अध्यक्ष" का तात्पर्य, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष से है;

(झ) "चार्टड इंजीनियर" का तात्पर्य किसी व्यक्ति, जिसके पास इंजीनियरिंग डिग्री और इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स इण्डिया की कारपोरेट सदस्यता हो, से है;

(ञ) "संहिता' का तात्पर्य सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2020) से है;

(ट) ″न्यायालय″ का तात्पर्य संहिता की धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन गठित कर्मचारी बीमा न्यायालय से है;

(ठ) "इलेक्ट्रानिक रूप से" का तात्पर्य संहिता के प्रयोजन के लिये किसी रीति से ई–मेल द्वारा प्रस्तुत जानकारी या अभिहित पोर्टल पर अपलोड करने या डिजिटल भुगतान करने से है;

(ड) "रिक्तियों को बाहर रखा गया" का तात्पर्य उन रिक्तियों से है, जिन्हें धारा 140 की उपधारा (1) और (2) के उपबंधों के अनुसार धारा 139 के क्षेत्राधिकार के बाहर रखा गया है:

(ढ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है;

(ण) "निधि" का तात्पर्य यथास्थिति, धारा 108 और धारा 141 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट सामाजिक सुरक्षा निधि से है;

(त) "सरकारी प्रतिभूतियों" का तात्पर्य सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 में परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों से है,

(थ) "अचल सम्पत्ति" में भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, पृथ्वी से जुड़ी चीजें या भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी कोई चीज सम्मिलित है;

(न) "चल सम्पत्ति" का तात्पर्य अचल सम्पत्ति को छोड़कर प्रत्येक ब्यौरे की सम्पत्ति से है;

(प) "नाम निर्देशन" का तात्पर्य संहिता की धारा 55 के अधीन कृत नामनिर्देशन से हैं;

(फ) "पोर्टल" का तात्पर्य भारत सरकार के श्रम सुविधा पोर्टल या श्रम विभाग या भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासित किसी अन्य पोर्टल से है;

(ब) "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" का तात्पर्य ऐसे चिकित्सा व्यवसायी से है, जिसका नाम दवा व्यवसाइयों के पंजीकृत करने के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बनाये गये रजिस्टर में अभिलिखित किया गया हो;

(म) "महिला कर्मचारियों का रजिस्टर' का तात्पर्य नियम 55 के अधीन अनुरक्षित महिला कर्मचारी रजिस्टर से है;

(य) "अनुसूची" का तात्पर्य संहिता की अनुसूची से है;

(र) "धारा" का तात्पर्य संहिता की धारा से है;

(ब) "विनिर्दिष्ट" का तात्पर्य केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा ऐसी सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट से है।

2— इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु संहिता में परिभाषित शब्दों और पदों के कमश: वही अर्थ होंगे जैसा कि संहिता में उनके लिये समनुदेशित हैं ।

अध्याय—दो
सामाजिक सुरक्षा संगठन
भाग—एक
उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

धारा 6 की उपधारा (12) के अधीन उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों के नाम—निर्देशन की रीति

3—(1) संहिता की धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी।

(2) बोर्ड में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे:—

(क) श्रम एवं सेवायोजन मन्त्री, उत्तर प्रदेश— पदेन अध्यक्ष;

(ख) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश— पदेन उपाध्यक्ष;

(ग) कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश, श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय, भारत सरकार— सदस्य;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले इकतीस सदस्य, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(एक) असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य, जो व्यवसाय संघों के अनुमोदित परिसंघों या असंगठित कर्मकारों के किसी मान्यता प्राप्त अम्ब्रेला व्यवसाय संघ (ट्रेड यूनियनों का एक विशाल महासंघ, जो विभिन्न छोटी यूनियनों को एक साथ लाता है) द्वारा प्रदत्त 14 सदस्यीय पैनल से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(दो) सात सदस्य, जो असंगठित कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें से तीन असंगठित क्षेत्र के नियोजकों के संघ से तीन राज्य स्तरीय व्यवसायियों के संघों से तथा एक पंजीकृत संविदाकारों या सेवाप्रदाता, जो असंगठित क्षेत्र में प्रमुखता से कार्य कर रहे हों, से होंगे;

(तीन) दो राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होंगे;

(चार) पाँच सदस्य ऐसे प्रख्यात व्यक्ति होंगे जो सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करते हों, जिसमें से एक विधि के क्षेत्र में, एक प्रख्यात व्यक्ति अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या समाजकार्य के क्षेत्र से, जिनका असंगठित कर्मकारों के क्षेत्र में कार्य करने का परिसिद्ध कीर्तिमान रहा हो, गैर सरकारी संगठनों के दो ऐसे व्यक्ति, जिनका असंगठित कर्मकारों के क्षेत्र में कार्य करने का

परिसिद्ध कीर्तिमान हो, जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति, घरेलू असंगठित कर्मकारों के क्षेत्र से होना चाहिए और एक व्यक्ति वित्त के क्षेत्र से हो जिसका जनआंककीय या असंगठित क्षेत्र से जुड़े मामलों में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव रहा हो:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा ।

(पाँच) दस सदस्य ऐसे होंगे जो राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों का प्रतिनिधित्व करते हों, अर्थात् अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति (जो संयुक्त सचिव से अन्यून हों) जो समाज कल्याण, चिकित्सा और स्वास्थ्य, नगर विकास, आवास, पंचायती राज, वित्त, बेसिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ग्राम्य विकास तथा नियोजन, से हों;

(छह) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देष्ट अधिकारी सदस्य–सचिव के कर्तव्यों का पालन करेगा।

पदावधि

4–(1) बोर्ड की अवधि, अपने गठन के दिनाँक से तीन वर्ष होगी, किन्तु वह तब तक बना रहेगा जब तक उसका पुनर्गठन नही हो जाता है और उसका विनिश्चय इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा कि बोर्ड की अवधि समाप्त हो चुकी है।

(2) बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, बोर्ड की अवधि के साथ विद्यमान रहेगी।

(3) संहिता की धारा 6 की उपधारा (10) के खण्ड (घ) के उपखण्ड (तीन) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, बोर्ड का सदस्य होने से प्रविरत हो जायेंगे, जब वे राज्य विधान सभा का निर्वाचित सदस्य होने से प्रविरत हो जायेंगे ।

(4) बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार के प्रसादपर्यन्त पदधारण।

(5) कोई गैर सरकारी सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित–पत्र के माध्यम से त्याग-पत्र दे सकता है। ऐसे सदस्य का पद उसका त्याग-पत्र स्वीकृत किये जाने के दिनाँक से, अथवा त्याग-पत्र की सूचना प्राप्त किये जाने के दिनाँक से तीस दिन की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, रिक्त हो जायेगा ।

(6) संहिता की धारा 6 की उपधारा (10) के खण्ड (घ) के उपखण्ड (एक), (दो) और (चार) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य बोर्ड से हटा दिये जायेंगे, यदि वे उस हित का प्रतिनिधित्व करने से प्रविरत हो जाते हैं, जिसके लिये उन्हें नामनिर्दिष्ट किया गया था।

(7) समस्त नामनिर्दिष्ट सदस्य दो से अधिक पदावधि के लिये पुनः नामनिर्देशन हेतु पात्र नहीं होंगे।

पता में परिवर्तन

5–यदि नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना पन्द्रह दिनों के भीतर बोर्ड के सदस्य सचिव को लिखित रूप में दी जायेगी जो तदनुसार अभिलेख तैयार करेगा:

परन्तु यह कि यदि सदस्य अपने नये पते की सूचना देने में विफल रहता है तो, अधिकारिक अभिलेखों में अंकित पता ही समस्त प्रयोजनों के लिये ऐसे सदस्य का सही पता माना जायेगा।

रिक्तियों का भरा जाना

6–(1) किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा, यदि–

(एक) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त या अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या

(दो) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिकता अधमता अंतर्वलित हो; या

(तीन) वह अध्यक्ष से, अनुपस्थित रहने की अनुमति के बिना बोर्ड की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहा हो; या

(चार) वह ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व न कर रहा हो, जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे नियुक्त किया गया था; या

(पाँच) वह राज्य सरकार द्वारा हटा दिया गया हो;

(2) जब बोर्ड की सदस्यता में किसी कारणवश कोई रिक्ति होती है या होने की सम्भावना होती है तब सदस्य सचिव, राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो व्यक्तियों की ऐसी श्रेणी, जिससे सदस्यता रिक्त करने वाला व्यक्ति सम्बन्धित हो, के मध्य से रिक्ति को भरने के लिये कदम उठायेगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे सदस्य, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया हो, की शेष पदावधि तक के लिये पद धारण करेगा।

बोर्ड की बैठकें

7–(1) बोर्ड ऐसे स्थानों पर तथा ऐसे समयों पर बैठक करेगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय;

(2) बोर्ड तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(3) किसी मामले की अत्यावश्यकता की स्थिति में विचार–विमर्श की विषयवस्तु तथा अत्यावश्यकता के कारणों के सम्बन्ध में सदस्यों को अग्रिम में सूचना देने के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठकें आहूत की जा सकती हैं।

(4) किसी मामले की अत्यावश्यकता की स्थिति में बैठक परिचालन द्वारा या अन्य माध्यम से आयोजित की जा सकती है।

(5) अध्यक्ष, बोर्ड की ऐसी प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसमें वह उपस्थित हो तथा उसकी अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

बैठक की नोटिस तथा कार्यसूची

8–(1) सामान्यतया, बोर्ड के सदस्यों को किसी प्रस्तावित बैठक के सम्बन्ध में पन्द्रह दिन की नोटिस दी जायेगी:

परन्तु यह कि यदि अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना समीचीन है तो वह अल्पतर अवधि की नोटिस दे सकता है।

(2) बोर्ड की बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य के सिवाय किसी अन्य कार्य पर अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विचार नहीं किया जायेगा ।

गणपूर्ति

9–बोर्ड की किसी बैठक में कोई कार्य तब तक संव्यवहृत नही किया जायेगा जब तक कि उस बैठक में कम से कम दस सदस्य उपस्थित न हों:

परन्तु यह कि यदि किसी बैठक में दस से कम सदस्य उपस्थित हों तो अध्यक्ष, उपस्थित सदस्यों को गणपूर्ति के साथ या गणपूर्ति के बिना स्थगित बैठक के कार्य का निस्तारण किये जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचित करते हुए और अन्य सदस्यों को तत्सम्बन्ध में नोटिस देते हुए बैठक को अन्य दिनाँक के लिये स्थगित कर सकता है और तदोपरान्त उसके लिये उपस्थित सदस्यों की संख्या पर ध्यान दिये बिना स्थगित बैठक का कार्य निस्तारण करना विधि सम्मत होगा ।

किसी सदस्य की अनुपस्थिति के दौरान वैकल्पिक व्यक्ति का नामनिर्देशन

10–(1) यदि कोई सदस्य बोर्ड या किसी समिति की बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, जिस बोर्ड या उसकी समिति का वह प्रतिनिधित्व करता है, तो वह उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित-पत्र द्वारा संबंधित बोर्ड के या समिति के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए और बैठक में भाग लेने में असमर्थता के कारणों की व्याख्या करते हुए बोर्ड या समिति की इस बैठक में भाग लेने के लिए उसके विकल्प के रूप में संगठन के किसी भी प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अनुरोध कर सकता है:

परन्तु यह कि ऐसी कोई नियुक्ति तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि–

(एक) इस तरह की नियुक्ति किये जाने वाले आवेदन, बैठक के लिए नियत दिनांक से पूर्व संबंधित बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्राप्त किए गए हों; तथा

(दो) ऐसी नियुक्ति, को सम्बंधित बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन वैध रूप से नियुक्त वैकल्पिक व्यक्ति के पास सदस्य के सभी अधिकार और शक्तियां होंगी, जैसा कि, सम्बंधित बोर्ड की बैठक के सम्बंध में हो सकता है जिसके बदले में वह नियुक्त हो और वह भत्ते प्राप्त करेगा तथा उन दायित्वों के अधीन होगा मानों वह संहिता के अधीन नियुक्त सदस्य हो।

(3) कोई सदस्य, जो बोर्ड या किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी सदस्य का विकल्प करता है, इस उपनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वैकल्पिक व्यक्ति द्वारा निधि के दुर्विनियोजन या दुरुपयोग के लिए निरन्तर उत्तरदायी होगा और वह अपने द्वारा नियुक्त वैकल्पिक व्यक्ति द्वारा निधि के सम्बंध में कृत किसी अपकरण या गैर साध्यता के किसी कृत्य के लिए उत्तरदायी होगा।

बोर्ड की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य। कार्य का निस्तारण।

11–(1) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 6 की उपधारा (15) के अतिरिक्त, बोर्ड निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा: –

(क) असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा करना;

(ख) राज्य में असंगठित कर्मकरों के लाभ के लिए विशेष रूप से चलाए जा रहे कल्याणकारी परियोजनाओं, विकास कार्यक्रमों और गरीबी उन्मूलन से सम्बंधित उत्तरदायी प्रशासनिक विभागों/कार्यपालक संस्थाओं को उपयुक्त सलाह/अनुशंसा देना;

(ग) बोर्ड और प्रशासनिक विभाग/कार्यकारी संस्था के बीच मतभेद होने पर मामले को राज्य सरकार के निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना।

(2) बोर्ड निम्नलिखित के लिये भी उत्तरदायी होगा :–

(क) निधि का प्रशासन;

(ख) स्वीकृति के लिये वार्षिक बजट को तैयार करना एवं राज्य सरकार को प्रस्तुत करना;

(ग) लेखा का रख–रखाव;

(घ) निधि हेतु अंशदान एवं अन्य शुल्कों को संग्रह करना;

(ङ) बोर्ड के कार्यों के निस्तारण एवं बोर्ड से सम्बंधित उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु समितियों का गठन करना,

(च) शिकायतों की सुनवायी व निस्तारण;

(छ) निधि के बेहतर प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन संस्थाओं में विनिधान करना;

(ज) कुशल प्रशासन हेतु आवश्यकतानुसार बोर्ड की समस्त या किसी शक्ति को सचिव अथवा बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित करना;

(झ) विभिन्न योजनाओं के अधीन निधि से किये गये व्ययों का अनुश्रवण करना;

(ञ) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना।

(3) बोर्ड की बैठक में ऐसे प्रत्येक मामले पर विचार किया जायेगा जिस पर बोर्ड विचार करने की अपेक्षा करे अथवा यदि प्रत्येक सदस्य को राय के लिये आवश्यक पत्रजात प्रेषित करके अध्यक्ष ऐसा निदेश देता है तो मामले का निस्तारण बहुमत के विनिश्चय के अनुसार किया जायेगा :

परन्तु यह कि जहाँ किसी मामले पर बहुमत की कोई राय न हो तथा बोर्ड के सदस्य समान रूप से विभाजित हों तो अध्यक्ष का मत द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

(4) बोर्ड की बैठक में किया गया प्रत्येक विनिश्चय लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा ।

सदस्यों के भत्ते

12–(1) सरकारी सदस्यों के यात्रा–भत्ते तथा दैनिक भत्ते, कार्यालयीय प्रयोजन से की जाने वाली ऐसी यात्राओं हेतु उन पर लागू नियमों से शासित होंगे तथा उनका भुगतान वेतन भुगतान करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(2) बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिये यात्रा-भत्ता तथा दैनिक भत्ता उस दर पर संदत्त किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों के लिये निम्नतम दर पर अनुज्ञेय हो।

बोर्ड का पुनर्गठन

13–(1) राज्य सरकार बोर्ड की अवधि के अवसान होने के छः माह पूर्व बोर्ड का पुनर्गठन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी।

(2) जहां किसी कारण से चाहे, वह जो भी हो, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि वह उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड का गठन करने की स्थिति में नहीं है और राज्य सरकार ऐसा करना समीचीन समझती हो, वहां वह शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को अधिकतम छः माह की अवधि के लिए या जब तक उपधारा (1) के अधीन बोर्ड का सम्यक् रूप से गठन न हो जाए, जो भी पूर्वतर हो, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकती है।

(3) उपनियम (2) के अधीन प्रशासक द्वारा किये गये विनिश्चय का वही प्रभाव होगा मानों यह स्वयं बोर्ड द्वारा किया गया हो ।

बोर्ड की समितियाँ

14–(1) बोर्ड ऐसी समितियां नियुक्त कर सकेगा जैसा कि वह अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए उचित समझे ।

(2) प्रत्येक समिति की अध्यक्षता, बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा उसमें असंगठित कर्मकारों, नियोजकों और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंडल के सदस्यों के बराबर संख्या होगी ।

(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, समिति के उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक का निर्वाचन करेंगे।

(4) समिति की बैठक में कोई भी कार्य तब तक संपादित नहीं किया जाएगा, जब तक कि, उसके सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न हों, जिसमें नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य होगा तथा कम से कम एक असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा ।

(5) अल्पावधि प्रयोजन के लिए गठित उपसमिति को छोड़कर, किसी समिति का कार्यकाल, उसके गठन के दिनांक से एक वर्ष का होगा किन्तु ऐसी समिति, जब तक कि नयी समिति का गठन नहीं होता है, कार्य करती रहेगी; किन्तु किसी भी दशा में कोई समिति, उसके मूल गठन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के परे कार्य नहीं करेगी ।

(6) प्रत्येक समिति की अनुशंसायें, बोर्ड के समक्ष उसके विनिश्चय के लिये रखी जाएंगी।

बोर्ड का मुख्यालय

15–बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय ।

बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारीवृन्द

16–(1) बोर्ड का सदस्य – सचिव, बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में सदस्य–सचिव, बोर्ड की समस्त गतिविधियों के संचालन के लिये उत्तरदायी होगा, वह –

(क) ऐसे प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करेगा, जैसा कि समय–समय पर बोर्ड द्वारा उसे प्राधिकृत किया जाये;

(ख) बोर्ड अपना कुशल संचालन करने हेतु आवश्यक रूप में वांछित सीमा तक अपने नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन अन्य अधिकारी को ऐसी शर्तों, जिन्हें, वह आवश्यक समझे, के अध्यधीन कर सकता है।

(2) सदस्य–सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन से बोर्ड की बैठक आयोजित करने की सूचना जारी करेगा और ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त के अभिलेखों को रखेगा तथा बोर्ड के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

(3) सदस्य–सचिव, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से संहिता के अधीन बोर्ड के कृत्यों का कुशलतापूर्वक निस्तारण करने में सहायता हेतु उसके कर्मचारिवृंद के रूप में अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।

धारा 120 की उपधारा (4) के अधीन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया और सेवा शर्तें

17–(1) बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वर्गीकरण, वेतनमान, भत्ते, भर्ती की प्रक्रिया तथा सेवा की निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि, राज्य सरकार की सहमति से बोर्ड द्वारा अवधारित की जायें ।

(2) यदि किसी विशिष्ट मामले में, उपनियम (1) में उल्लिखित किसी उपबंध के निर्वचन तथा प्रवर्तन के सम्बंध में कोई विवाद या कठिनाई उद्भूत हो तो मामला राज्य सरकार को निर्देशित किया जाएगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

(3) (क) बोर्ड, बोर्ड में कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियाँ, चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति लाभ एवं अन्य सभी सेवा संबंधी लाभ प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य सरकार के अन्य अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के मूल विभाग में कार्यरत अन्य अधिकारी/कर्मचारी प्राप्त करने के हकदार हैं।

(ख) बोर्ड में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम अथवा अन्य किसी माध्यम से (विभिन्न सेवा चयन आयोगों के अलावा) से कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी अपने नियोक्ता के माध्यम से ऐसे वेतन, भत्ते, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य सेवा संबंधी लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे, जेसा कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों, विनियमों एवं शासनादेशों के अधीन उपबंध किया जाए।

धारा 141 की उपधारा (5) के खण्ड (दो) के अधीन निधि का गठन

18–धारा 141 की उपधारा (5) के खण्ड (एक) में उल्लिखित निधि के स्रोत के अतिरिक्त, निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त धनराशि, निधि में जमा की जायेगी जिसे उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा निधि कहा जायेगा–

(एक) राज्य सरकार द्वारा निधि की स्थापना हेतु प्रदत्त एकमुश्त धनराशि।

(दो) भारत सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकरणों तथा सांविधिक निकायों द्वारा प्रदत्त अनुदान धनराशि।

(तीन) बोर्ड के पोर्टल पर रजिस्टर्ड असंगठित कर्मकारों के रजिस्ट्रीकरण और नवीनीकरण के लिए मिली धनराशि और उनका योगदान।

(चार) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त धनराशि।

(पाँच) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त धनराशि।

(छः) नियोजकों, उनके संघों या राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) के अर्थान्तर्गत यथा अवधारित, नियोजक, उनके संघ या निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से अभिदान या दान या कोई अन्य वित्तीय सहायता; तथा

(सात) कोई अन्य स्रोत, जिसे राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचना के माध्यम से अनुमोदित किया जाय ।

(आठ) निधि के खाते में जमा धनराशि पर अर्जित होने वाला समस्त ब्याज निधि का अंश होगा।

उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा निधि का प्रशासन

19–(1) धारा 141 की उपधारा (5) के खण्ड (एक) और (दो) के अधीन प्राप्त सम्पूर्ण निधि, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक खाते में रखी जायेगी।

(2) निधि, बोर्ड द्वारा प्रशासित तथा संव्यवहृत की जायेगी ।

(3) निधि के बैंक खाते का परिचालन ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से अवधारित किया जाय ।

(4) सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की निधि का प्रयोग / व्यय निम्नलिखित की पूर्ति के लिये किया जायेगा–

(एक) संहिता के अधीन बोर्ड के अपने कृत्यों के सम्पादन हेतु व्यय;

(दो) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्तों एवं अन्य पारिश्रमिकों के भुगतान हेतु व्यय;

(तीन) राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के असंगठित कर्मकारों की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये तथा बोर्ड के प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने हेतु व्यय;

(चार) संहिता द्वारा अधिकृत उद्देश्यों एवं प्रयोजनों हेतु व्यय।

(5) बोर्ड के प्रशासनिक व्यय कुल योजनागत व्ययों के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(6) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष हेतु अपना बजट, जिसमें बोर्ड की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण दर्शित हो, ऐसे प्रपत्र पर तथा ऐसे समय में तैयार करेगा तथा उसे राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार को अग्रसारित करेगा।

(7) बोर्ड, पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान, अपनी क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करते हुए अपना वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

लेखा और संपरीक्षा

20–(1) बोर्ड, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा जैसाकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित किया जाए।

(2) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, संहिता एवं उसके बाद बनाए गए नियमों के अनुसार बोर्ड के खातों के लेखापरीक्षा के संबंध में, ऐसे लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त करेंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सरकारी खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में प्राप्त होते हैं, और विशेष रूप से, उन्हें संहिता एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार पुस्तकों, खातों, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों एवं कागजातों को प्रस्तुत करने की मांग करने और बोर्ड के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(3) बोर्ड के लेखाओं की वार्षिक संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(4) बोर्ड, अपने लेखाओं की सपरीक्षित प्रति और संपरीक्षक रिपोर्ट तथा ऐसी रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

भाग–दो

उत्तर प्रदेश भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

बोर्ड का गठन

21–(1) संहिता की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड नामक बोर्ड का गठन करेगी।

(2) बोर्ड में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे:–

(एक) अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रमुख सचिव/सचिव श्रेणी से अनिम्न अधिकारी होगा ।

(दो) एक सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(तीन) बोर्ड का सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न होगा;

(चार) समाज कल्याण विभाग, वित्त विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में संलग्न विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश शासन के चार सरकारी सदस्य, जो विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न हों;

(पांच) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट चार व्यक्ति, जिनमें से एक महिला होगी, जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण उद्योग के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करेगी;

(छ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट चार व्यक्ति, जिसमें से एक महिला होगी, जो भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करेगी।

(3) जहां किसी कारण से चाहे, जो भी हो, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि वह उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड का गठन करने की स्थिति में नहीं है और राज्य सरकार ऐसा करना समीचीन समझती हो, वहां वह, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को छः माह से अनधिक अवधि के लिए या जब तक उपधारा (2) के अधीन बोर्ड का सम्यक रूप से गठन न हो जाए, जो भी पूर्वतर हो, एक प्रशासक (प्रमुख सचिव/सचिव श्रेणी से अनिम्न) नियुक्त कर सकती है,

पदावधि

22–(1) बोर्ड की अवधि बोर्ड की अवधि उसका गठन किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष तक होगी, परन्तु उसके पुनर्गठन किये जाने तक जारी रहेगी परन्तु यह कि उक्त अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा इस अवधि के दौरान इसके विनिश्चय, इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझे जायेंगे कि बोर्ड की अवधि का अवसान हो गया है :

परन्तु यह कि किसी भी दशा में कोई गैर सरकारी सदस्य अपनी नियुक्ति के दिनांक से चार वर्ष की अवधि के उपरान्त पद धारण नहीं करेगा जब तक कि बोर्ड में सदस्य के रूप में उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो जाती है।

(2) बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल बोर्ड की अवधि के साथ विद्यमान रहेगा ।

(3) नियम 21 के उपनियम (2) के खण्ड (पाँच) और (छः) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य बोर्ड से हटा दिये जायेंगे, यदि वे उन हितों का प्रतिनिधित्व न कर रहे हों जिनके लिये वे नाम निर्दिष्ट किये गये थे ।

(4) बोर्ड के गैर–आधिकारिक सदस्य राज्य सरकार की इच्छा पर पद धारण करेंगे और, इसके अधीन, यदि वे अपने पद से त्यागपत्र न दें, उनकी मृत्यु न हो जाए या वे किसी अन्य कारण से पूर्व में ही पद रिक्त न कर दें, तो वे आधिकारिक राजपत्र में उनके बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे:

परंतु कोई निवर्तमान सदस्य तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो जाती।

(5) सभी मनोनीत सदस्य एक और कार्यकाल के लिए पुनः मनोनीत होने के पात्र होंगे।

बोर्ड का पुनर्गठन

23–(1) राज्य सरकार, बोर्ड की अवधि के अवसान होने के छः माह पूर्व बोर्ड का पुनर्गठन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी।

(2) जहां किसी कारण से चाहे, जो भी हो, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि वह नियम 21 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड का यथास्थिति गठन या पुनर्गठन करने की स्थिति में न हो और राज्य सरकार ऐसा करना समीचीन समझती हो, वहां वह, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को अधिकतम छः माह की अवधि के लिए या नियम 21 के उपनियम (2) के अधीन बोर्ड का सम्यक रूप से गठन या पुनर्गठन होने तक, जो भी पूर्वतर हो, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकती है।

(3) उपनियम (2) के अधीन नियुक्त प्रशासक द्वारा कृत विनिश्चय का वही प्रभाव होगा मानों यह स्वयं बोर्ड द्वारा किया गया हो ।

बोर्ड की उपसमितियॉ

24–(1) बोर्ड ऐसी उपसमितियां नियुक्त कर सकेगा, जैसाकि अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यकतानुसार उचित समझे और ऐसी समितियों के सदस्यों को नियमावली के अधीन विनिर्दिष्ट दरों तथा शर्तों के अधीन यात्रा–भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा ।

(2) कोई उप समिति गठित करते समय बोर्ड अपने सदस्यों में से किसी एक को उप समिति के अध्यक्ष के रूप् में नाम निर्दिष्ट कर सकता है और उसमें राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के भवन कर्मकार तथा नियोजक में से एक–एक सदस्य का होना अनिवार्य होगा ।

(3) अल्पावधिक के प्रयोजन के लिये गठित उपसमिति को छोड़कर, किसी उपसमिति का कार्यकाल अपने गठन के दिनांक से एक वर्ष का होगा किन्तु ऐसी उपसमिति, जब तक कि नयी उप समिति गठित नहीं हो जाती है, कार्य करती रहेगी, किन्तु किसी भी दशा में ऐसी कोई उपसमिति, अपने मूल गठन के दिनांक से डेढ़ वर्ष की अवधि के परे कार्य नहीं करेगी। बोर्ड द्वारा किसी भी उपसमिति को कभी भी भंग किया जा सकता है।

(4) उप समिति की बैठक ऐसे समय पर होगी जैसाकि, उक्त उप समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाये और उप समिति अपनी बैठकों के कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में ऐसी कार्य प्रक्रिया नियमावली का पालन करेगी, जैसाकि बोर्ड विनिश्चय करें।

(5) उपसमिति की संस्तुतियाँ, बोर्ड के समक्ष उसके विनिश्चय के लिये रखी जाएंगी।

पता का परिवर्तन

25–यदि नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना पन्द्रह दिनों के भीतर बोर्ड के सदस्य सचिव को लिखित रूप में दी जायेगी जो तदनुसार अभिलेख तैयार करेगा:

परन्तु यह कि यदि सदस्य अपने नये पते की सूचना देने में विफल रहता है तो, आधिकारिक अभिलेखों में अंकित पता ही समस्त प्रयोजनों के लिये ऐसे सदस्य का सही पता माना जायेगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

26–(1) किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा, यदि–

(एक) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त या अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या

(दो) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिकता अधमता अंतर्वलित है; या

(तीन) वह अध्यक्ष से, अनुपस्थित रहने की अनुमति लिए बिना बोर्ड की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहा हो; या

(चार) वह ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे नियुक्त किया गया था; या

(पाँच) वह राज्य सरकार द्वारा हटा दिया गया है।

(2) जब बोर्ड की सदस्यता में किसी कारण से कोई रिक्ति हो अथवा उसका होना संभाव्य हो तो सदस्य–सचिव, राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो उन व्यक्तियों की श्रेणी, जिससे सदस्यता रिक्त करने वाला व्यक्ति सम्बन्धित हो, में से आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये कदम उठायेगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उस सदस्य के शेष कार्यकाल तक पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गयी है ।

बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य

27–सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 7 की उपधारा (6) के अतिरिक्त, बोर्ड निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा: –

(एक) निधि के प्रबन्धन और प्रशासन से सम्बन्धित सभी विषय और संहिता तथा नियमावली के प्रयोजनों के अनुसार सभी सम्बन्धित मामले, जिनमें निधियों के आवंटन के लिये नीति निर्माण सम्मिलित है;

(दो) लेखाओं का समुचित अनुरक्षण और उनकी वार्षिक लेखा परीक्षा;

(तीन) अंशदान और अन्य शुल्कों का निधि में संग्रहण

(चार) बोर्ड के कारबार के निस्तारण हेतु अथवा बोर्ड से सम्बन्धित विभिन्न मामलों में राय/सलाह देने हेतु समितियों को नियुक्त करना;

(पाँच) शिकायतों का सुना जाना तथा उनका निपटान;

(छः) कृत, किसी संविदा तथा करार की पूर्ति किया जाना सुनिश्चित करना;

(सात) किसी व्यक्ति को किसी समझौता वार्ता के लिये और किसी संविदा को निष्पादित करने और ऐसे सभी संविदाओं को रद्द करने और उनमें परिवर्तन करने के लिये प्राधिकृत करना;

(आठ) बोर्ड की ओर से बोर्ड के अधिकारियों को बैंक में खाता खोलने, संचालित करने, निकासी करने, स्वीकृति देने तथा चेक और बिलों को पृष्ठांकित करने और विनिमय करने हेतु प्राधिकृत करना;

(नौ) बोर्ड की सामान्य मुद्रा को लगाने और सुरक्षित रखवाने विषयक नियम बनाना;

(दस) राष्ट्रीयकृत बैंकों में तथा सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान की जाने वाली निधि का परिसम्पत्तियाँ।

(2)–(एक) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेजेगा;

(दो) बोर्ड पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट और सम्परीक्षित लेखा तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा;

(तीन) बोर्ड समय–समय पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध करायेगा।

सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों के वेतन और भत्ते

28–(1) किसी सरकारी सदस्य का वेतन यात्रा – भत्ता तथा दैनिक भत्ता कार्यालयीय प्रयोजन से की जाने वाली यात्रा हेतु उसके पद के लिए लागू नियमों से शासित होंगे तथा उनका भुगतान वेतन भुगतान करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(2) बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिये यात्रा–भत्ता तथा दैनिक भत्ता उस दर पर संदत्त किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों के लिये निम्नतम दर पर अनुज्ञेय हो ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कर्तव्य एवं कार्य

29–(1) बोर्ड के सदस्य–सचिव बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे।

(2) बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वह ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जो बोर्ड द्वारा समय–समय पर अधिकृत की जा सकती हैं।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष की स्वीकृति से बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए सूचना जारी करेगा और ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त का रिकॉर्ड रखेगा तथा बोर्ड के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य सरकार की पूर्व सहमति से ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर सकता है जो संहिता के अधीन बोर्ड के कार्यों के कुशल निर्वहन में बोर्ड की सहायता करें।

बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की भर्ती प्रक्रिया एवं सेवा शर्तें

30–(1) बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वर्गीकरण, वेतनमान, भत्ते, भर्ती की प्रक्रिया तथा सेवा की निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड द्वारा अवधारित की जायें ।

(2) (क) बोर्ड, बोर्ड में कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियाँ, चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति लाभ एवं अन्य सभी सेवा सम्बंधी लाभ प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य सरकार के अन्य अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के मूल विभाग में कार्यरत अन्य अधिकारी/कर्मचारी प्राप्त करने के हकदार हैं ।

(ख) बोर्ड में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम अथवा अन्य किसी माध्यम से(विभिन्न सेवा चयन आयोगों के अलावा) से कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी अपने नियोक्ता के माध्यम से ऐसे वेतन, भत्ते, कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0), कर्मचारी राज्य बीमा (ई0एस0आई0) एवं अन्य सेवा संबंधी लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे, जेसा कि केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नियमों, विनियमों एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों के अधीन उपबंधित किया जाए ।

बोर्ड की बैठकें

31–(1) बोर्ड ऐसे स्थानों पर तथा ऐसे समयों पर बैठक करेगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय ।

(2) बोर्ड तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा ।

(3) किसी मामले की अत्यावश्यकता की स्थिति में विचार–विमर्श की विषयवस्तु तथा अत्यावश्यकता के कारणों के सम्बन्ध में सदस्यों को अग्रिम में सूचना देने के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठकें आहूत की जा सकती हैं।

(4) किसी मामले की अत्यावश्यकता की स्थिति में बैठक परिचालन द्वारा या अन्य माध्यम से आयोजित की जा सकती है।

(5) अध्यक्ष, बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसमें वह उपस्थित हो और उसकी अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

बैठक की नोटिस तथा कार्यसूची

32–(1) सामान्यतः बोर्ड के सदस्यों को प्रस्तावित बैठक की सूचना और कार्यसूची पंद्रह दिन पहले दी जाएगी:

परन्तु यह कि यदि अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना समीचीन है तो वह अल्पतर अवधि की नोटिस दे सकता है।

(2) बोर्ड की बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य के सिवाय किसी अन्य कार्य पर अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विचार नहीं किया जायेगा ।

(3) बोर्ड की अगली बैठक में पुष्टिकरण के अध्यधीन बैठक के पश्चात् बोर्ड के प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियाँ, अभिलिखित की जायेंगी और अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र समस्त सदस्यों को परिचालित की जायेंगी । ऐसी पुष्टिकरण के पश्चात् उन्हें कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जायेगा जिन्हें स्थायी अभिलेख हेतु रखा जायेगा।

गणपूर्ति

33–(1) बोर्ड की किसी बैठक में कोई कार्य तब तक संव्यवहृत नही किया जायेगा जब तक कि उस बैठक में कम से कम आठ सदस्य उपस्थित न हों ।

(2) परन्तु यह कि यदि किसी बैठक में आठ से कम सदस्य उपस्थित हों तो अध्यक्ष, उपस्थित सदस्यों को गणपूर्ति के साथ या गणपूर्ति के बिना स्थगित बैठक के कार्य का निस्तारण किये जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचित करते हुए और अन्य सदस्यों को तत्सम्बन्ध में नोटिस देते हुए बैठक को अन्य दिनाँक के लिये स्थगित कर सकता है और तदोपरान्त उसके लिये उपस्थित सदस्यों की संख्या पर ध्यान दिये बिना स्थगित बैठक का कार्य निस्तारण करना विधि सम्मत होगा ।

(3) अध्यक्ष, पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य को बोर्ड की बैठक में प्रतिभाग करने से विवर्जित कर सकता है यदि –

(क) वह अध्यक्ष को लिखित सूचना दिये बिना तथा उसकी सहमति प्राप्त किये बिना बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में स्वयं अनुपस्थित रहता है; या

(ख) अध्यक्ष की दृष्टि में, ऐसा सदस्य ऐसे हित का प्रतिनिधित्व करने से प्रविरत हो गया हो जिसके लिये वह बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने हेतु तात्पर्यित हो।

सदस्य की अनुपस्थिति के दौरान किसी वैकल्पिक सदस्य का नामनिर्देशन

34–(1) यदि कोई सदस्य बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो वह अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित-पत्र द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए और बैठक में भाग लेने में असमर्थता के कारणों को स्पष्ट करते हुए बोर्ड या उसकी किसी समिति की उस बैठक में उसके स्थान पर भाग लेने के लिए उसके विकल्प के रूप में ऐसे संगठन, जिसका वह बोर्ड या उसकी, किसी समिति में प्रतिनिधित्व करता हो, के किसी प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है:

परन्तु यह कि ऐसी कोई नियुक्ति तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि–(एक) ऐसी नियुक्ति को बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो; और

(दो) इस तरह की नियुक्ति करने वाला आवेदन, बैठक के लिए नियत की गई दिनांक से पूर्व संबंधित बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्राप्त न कर लिया जाय।

(2) उप नियम (1) के अधीन विधिक रूप से नियुक्त किसी वैकल्पिक सदस्य के पास सम्बंधित निकाय जिसमें वह नियुक्त हो, की बैठक के सम्बंध में सदस्य के समस्त अधिकार और शक्तियां होंगी, और भत्ते प्राप्त करेगा तथा उन दायित्वों के अधीन होगा मानो वह संहिता के अधीन नियुक्त कोई सदस्य हो।

(3) ऐसा सदस्य, जो बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए कोई वैकल्पिक सदस्य नियुक्त करता है, इस उपनियम में अन्तर्विष्टि किसी बात के होते हुए भी वैकल्पिक सदस्य द्वारा निधि का दुर्विनियोजन या दुरुपयोग किये जाने के लिए निरन्तर उत्तरदायी होगा और स्वयं द्वारा नियुक्ति वैकल्पिक सदस्य निधि के सम्बंध में कृत अपकरण या अविश्वास के किसी कार्य के लिये भी उत्तरदायी होगा ।

कार्य का निस्तारण

35–(1) बोर्ड की बैठक में ऐसे प्रत्येक मामले पर विचार किया जायेगा जिस पर बोर्ड विचार करने की अपेक्षा करे अथवा यदि प्रत्येक सदस्य को राय के लिये आवश्यक पत्रजात प्रेपित करके अध्यक्ष ऐसा निदेश देता है तो मामले का निस्तारण बहुमत के विनिश्चय के अनुसार किया जायेगा:

परन्तु यह कि जहाँ किसी मामले पर बहुमत की कोई राय न हो तथा बोर्ड के सदस्य समान रूप से विभाजित हों तो अध्यक्ष का मत द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

(2) बोर्ड की बैठक में किया गया प्रत्येक विनिश्चय लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा ।

धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन सामाजिक सुरक्षा योजनायें तथा कल्याणकारी उपाय

36–(1) बोर्ड, यथास्थिति धारा 7 की उपधारा (6) के खण्ड (क) से खण्ड (ज) तक में विहित राज्य सरकार के अनुमोदन से या संहिता की धारा 7 की उपधारा (6) के खण्ड (झ) के अधीन केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से सामाजिक सुरक्षा योजना और कल्याणकारी उपायों का सूत्रपात करेगा और उन्हें अधिसूचित करेगा ।

(2) बोर्ड, ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कल्याणकारी उपायों का सूत्रपात करेगा जिनमें पात्रता सीमा, विभिन्न प्रसुविधा दर, आवेदन प्रक्रिया और प्रारूप तथा अनुमोदन करने की प्रकिया एवं अनुमोदन प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी और वितरण प्रकिया तथा अन्य आनुषंगिक मामलों का भी अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और तत्पश्चात् अनुमोदन हेतु उसे राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा ।

लेखा और संपरीक्षा

37–(1) बोर्ड, समुचित लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को अनुरक्षित करेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा जैसाकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श करके विहित किया जाए।

(2) बोर्ड के लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बंध में उपगत कोई व्यय बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या उनके द्वारा इस सम्बंध में नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, बोर्ड के खातों का लेखा परीक्षा करेगा तथा ऐसे लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए, उसे वे सभी अधिकार, विशेषाधिकार एवं प्राधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सरकारी खातों की लेखा परीक्षा के सम्बंध में प्राप्त हैं, और विशेष रूप से, उसे संहिता एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन पुस्तकों, सम्बंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों एवं कागजातों को प्रस्तुत करने की मांग करने तथा बोर्ड के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) बोर्ड, ऐसी रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियों सहित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखाओं की लेखा परीक्षित प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय–तीन

कर्मचारी बीमा न्यायालय

धारा 37 की उपधारा (7) के खंड (ख) के अधीन रीति और समय जिसके भीतर बीमाकृत व्यक्ति या निगम द्वारा कर्मचारी बीमा न्यायालय में दूसरी अपील दाखिल की जा सकती है

38–(1) बीमाकृत व्यक्ति या कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चिकित्सा बोर्ड या चिकित्सा अपील अधिकरण के विनिश्चय की संसूचना बीमित व्यक्ति या कर्मचारी राज्य बीमा निगम को प्राप्त होने की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करके कर्मचारी बीमा न्यायालय में दूसरी अपील कर सकता है:

परंतु यह कि कर्मचारी बीमा न्यायालय नब्बे दिन की अवधि के पश्चात कोई आवेदन ग्रहण कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अपीलकर्ता के पास उक्त अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण हैं ।

(2) कर्मचारी बीमा न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने में अपनाये जाने वाले प्रपत्र और रीति के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली, इस नियमावली के अधीन प्रस्तुत आवेदनों पर लागू होगी ।

कर्मचारी बीमा न्यायालय की संरचना और बैठक स्थल

39–(1) किसी कर्मचारी बीमा न्यायालय में सामान्यतः एक न्यायाधीश होगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श के पश्चात सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी विशेष कार्यवाही अथवा कार्यवाही खण्ड के लिये और अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के लिये किसी न्यायालय हेतु दो या उससे अधिक न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है ।

(2) उक्त न्यायालय ऐसे स्थान अथवा स्थानों पर तथा ऐसे समय पर बैठक करेगा जैसाकि राज्य सरकार, समय–समय पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श के पश्चात विनिर्दिष्ट करे ।

(3) जहाँ एक ही स्थानीय क्षेत्र के लिये एक से अधिक न्यायालय गठित किये गये हों, वहाँ राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उनके मध्य कार्य का वितरण कर सकेगी ।

धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

40–(1) बैठने का समय नियत किया जाना–जहाँ दो या अधिक स्थानीय क्षेत्रों के लिए एक ही न्यायालय हो वहाँ –

(एक) जहाँ दो या दो से अधिक स्थानीय क्षेत्रों के लिये एक न्यायालय का गठन किया गया हो वहाँ न्यायालय, राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन, प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के सम्बंध में या संहिता के अधीन किसी श्रेणी की कार्यवाही के सम्बंध में न्यायालय के बैठने को स्थान नियत करेगी;

(दो) खण्ड (एक) के अधीन नियत समय की नोटिस ऐसी रीति में प्रकाशित की जाएगी, जैसाकि राज्य सरकार समय–समय पर निर्दिष्ट करे ।

(2) प्रक्रिया जहाँ एक से अधिक न्यायाधीश हों –

(एक) जहाँ एक से अधिक न्यायाधीश किसी न्यायालय में नियुक्त किये गये हों, वहाँ सरकार उनकी रैंक तथा ज्येष्ठता विनिर्दिष्ट करेगी ।

(दो) वरिष्ठ न्यायाधीश समय – समय पर कुछ समय के लिये न्यायाधीशों के मध्य न्यायालय के कार्य वितरण हेतु ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसाकि वह उचित समझे ।

(तीन) जब दो या दो से अधिक आसीन न्यायाधीशों के मध्य किसी प्रश्न पर मतभेद हो, तब ऐसे न्यायाधीशों के बहुमत की राय अभिभावी होगी, जहाँ बहुमत न हो, वहाँ वरिष्ठतम न्यायाधीश की राय जब तक कि सरकार अन्यथा निदेश न दे, अभिभावी होगी ।

(3) किसी न्यायालय का समापन आदि– राज्य सरकार, सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा, किसी न्यायालय को समाप्त कर सकती है या तद्नुरूप अधिसूचना द्वारा किसी न्यायालय की अधिकारिता में परिवर्तन कर सकती है ।

न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा शर्ते आदि

41–(1) राज्य सरकार, संहिता की धारा 48 के अधीन किसी अर्ह व्यक्ति को न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है ।

(2) न्यायाधीश, ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जैसाकि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए ।

(3) न्यायाधीश, महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते ऐसी दर और शर्तों पर प्राप्त करेगा, जैसाकि एक ही स्थान पर तैनात किसी तत्समान रैंक के सरकारी अधिकारी के लिए लागू हैं ।

(4) कोई न्यायाधीश समान प्रास्थिति के तथा समान परिलब्धियाँ आहरित करने वाले अन्य सरकारी सेवकों के लिये समय–समय पर लागू अवकाश नियमों के अधीन अवकाश तथा अवकाश वेतन के लिए हकदार होगा ।

(5) कोई न्यायाधीश राज्य सरकार की राय में ऐसे न्यायाधीश के समान श्रेणी वाले अधिकारियों के लिये लागू वेतनमान के अनुसार शासकीय कार्य हेतु निष्पादित यात्रा के लिये यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(6) न्यायाधीश ऐसी अन्य सेवाशर्तों के अधीन होगा जैसाकि राज्य सरकार अवधारित करे ।

(7) उपनियम (2) से (5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, न्यायाधीश, यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में हो, का वेतन, भत्ते और अन्य सेवाशर्तें वही होंगी, जैसाकि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय–समय पर अवधारित करे।

अन्य अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति

42–(1) राज्य सरकार ऐसे लिपिक वर्गीय अधिकारियों तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति कर सकती है, जैसाकि संहिता द्वारा या तद्धीन न्यायालय हेतु प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उसे अधिरोपित कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए आवश्यक हो ।

(2) न्यायालय के लिपिक वर्गीय अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारिवर्ग ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जैसा कि न्यायाधीश या यदि एक से अधिक न्यायाधीश हों तो, वरिष्ठ न्यायाधीश, राज्य सरकार किसी आदेश के अध्यधीन समय–समय पर निदेश दें ।

(3) न्यायालय के लिपिक वर्गीय अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारिवर्ग ऐसी सेवाशर्तों के अधीन होंगे और ऐसे वेतन आहरित करेंगे एवं अन्य उपलब्धियां तथा लाभ प्राप्त करेंगे जैसाकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियन्त्रण

43–समस्त न्यायालय, उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण और अधीक्षण के अध्यधीन होंगे; और–

(एक) उसके पास ऐसे रजिस्टर, पुस्तकें तथा लेखा रखेंगे, जैसा कि उच्च न्यायालय समय– समय पर विहित करें; और

(दो) ऐसी अध्यपेक्षाओं का पालन करेंगे जैसाकि उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा सेवा अभिलेख, विवरणियाँ और कथन को ऐसे प्रपत्र और ऐसी रीति में, जैसाकि अध्यपेक्षा करने वाले प्राधिकारी द्वारा निदेशित किया जाए, प्रस्तुत करने के लिए की जा सकती है ।

कर्मचारी बीमा न्यायालय की मुहर

44–न्यायालय ऐसे आकार, माप तथा रूपांकन की मुहर रखेगा जैसाकि सरकार निदेशित करे ।

प्रक्रिया तथा आदेशों का निष्पादन

45–(1) आवेदन–

(एक) धारा 49 के अधीन प्रत्येक कार्यवाही न्यायालय को आवेदन प्रस्तुत कर संस्थित की जाएगी ।

(दो) ऐसा प्रत्येक आवेदन उस रीति से सत्यापित किया जाएगा, जैसाकि किसी सिविल न्यायालय में किसी अभिवचन का किया जाता है और उसके साथ उसकी दो प्रतियां संलग्न की जाएंगी ।

(तीन) आवेदन प्रपत्र–एक में प्रस्तुत किया जाएगा । इसे इस नियमावली के अनुसार सम्यक रूप से स्टाम्पित किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात :–

(क) न्यायालय का नाम, जिसमें आवेदन किया गया हो;

(ख) पूरा नाम, जिसमें पिता का नाम सम्मिलित हो और विवरण जिसमें आवेदक की आयु, व्यवसाय तथा निवास स्थान सम्मिलित हों;

(ग) पूरा नाम, जिसमें पिता का नाम सम्मिलित हो और विवरण, जिसमें विरोधी पक्षकार की आयु, व्यवसाय तथा निवास स्थान सम्मिलित हों, जहाँ तक उनको अभिनिश्चित किया जा सकता है;

(घ) जहाँ आवेदक या विरोधी पक्षकार अवयस्क हो या विकृत चित्त का व्यक्ति हो, वहाँ उस आशय का विवरण तथा उसके निकट–मित्र या संरक्षक का पूरा नाम, आयु, व्यवसाय तथा पता;

(ङ) वाद हेतुक सृजित करने वाले तथ्य तथा दिनांक जब वह उत्पन्न हुआ हो;

(च) यह दर्शाने वाला तथ्य कि न्यायालय की अधिकारिता है;

(छ) न्यायालय की अधिकारिता के भीतर यह दर्शाने वाली विशिष्टियाँ जिनके आधार पर नोटिस या समन आवेदक पर तामील किए जा सकें; और

(ज) अनुतोष, जिसका आवेदक दावा करे ।

(चार) आवेदन खारिज हो सकता है यदि वह खण्ड (तीन) के अनुसार न हो ।

(2) दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण –

(एक) जब कोई आवेदन किसी दस्तावेज पर आधारित हो, तब उक्त दस्तावेज, आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ।

(दो) कोई अन्य दस्तावेज जिसे कोई पक्षकार साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हो, प्रथम सुनवाई पर या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

(तीन) कोई दस्तावेज जिसे यथास्थिति, खण्ड (1) या (2) में विनिर्दिष्ट समय पर या उसके भीतर प्रस्तुत किया गया हो, उस पक्षकार की ओर से, जिसे उसे प्रस्तुत करना चाहिए था, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगा ।

(चार) ऐसे समस्त दस्तावेजों के साथ प्रपत्र–दो में विहित रीति में तैयार की गई उनकी सही सूची होगी ।

(पाँच) इस नियमावली की कोई बात ऐसे किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगी जिसे साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के प्रयोजन के लिये प्रस्तुत किया जाता है या उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए किसी साक्षी को सौंप दिया जाता है ।

(3) कार्यवाहियों का रजिस्टर–समस्त आवेदन प्रपत्र–तीन तीन के रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा, जिसे कार्यवाही रजिस्टर कहा जाता है। ऐसी प्रविष्टियां प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए उस क्रम के अनुसार क्रमांकित की जाएंगी, जिस क्रम में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए हों ।

(4) वाद प्रस्तुत करने का स्थान–किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही उस न्यायालय में संस्थित की जाएगी जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर–

(एक) विरोधी पक्षकार या जहाँ एक से अधिक विरोधी पक्षकार हों, वहाँ उनमें से प्रत्येक विरोधी पक्षकार कार्यवाहियों के प्रारंभ के समय वस्तुतः तथा स्वेच्छापूर्वक निवास करता हो या कारोबार करता हो या लाभ के लिये व्यक्तिगत रूप से काम करता हो; या

(दो) जहां एक से अधिक विरोधी पक्षकार हों, वहां कोई भी विरोधी पक्षकार कार्यवाही प्रारंभ होने के समय वस्तुतः तथा स्वेच्छापूर्वक निवास करते हों या कारबार करते हों या लाभ के लिये व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हों।

परन्तु यह कि ऐसे मामले में या तो न्यायालय की इजाजत दी जाती हो या विरोधी पक्षकार, जो निवास नही करते है, या कारबार करते हों या व्यक्तिगत रूप से ऐसे संस्था में पूर्वोक्त रूप में लाभ के लिए काम करते हों, या

(तीन) वाद हेतु पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न हुआ हो ।

(5) गलत न्यायालय में प्रस्तुत किये गये आवेदन–

(एक) यदि कोई आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय को यह प्रतीत हो कि उसे किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तो वह उस पर प्रस्तुत किए जाने तथा वापस किए जाने के दिनांक, उसे वापस करने का कारण तथा उस न्यायालय का, जिसको कि उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, पदनाम पृष्ठांकित करने के पश्चात् आवेदक को वापस कर देगा ।

(दो) यदि कोई आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात किसी प्रक्रम में न्यायालय को यह प्रतीत हो कि आवेदन उसी राज्य में किसी दूसरे न्यायालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था तो वह आवेदन को ऐसे न्यायालय को जो उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए सशक्त हो, प्रेषित करेगा और तद्नुसार आवेदक को तथा विरोधी पक्षकार को सूचित करेगा, यदि उसने आवेदन की एक प्रति प्राप्त किया हो ।

(तीन) ऐसा न्यायालय, जिसे उपनियम (2) के अधीन आवेदन अन्तरित किया जाय, कार्यवाही जारी रख सकता है मानों पूर्ववर्ती कार्यवाही या उसका कोई भाग उसके समक्ष लाया गया था, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पक्षकारों के हितों पर उससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(6) समन जारी किया जाना –

(एक) आवेदन प्राप्त होने हो जाने पर न्यायालय यदि प्राप्त होने के बीस दिन के भीतर अस्वीकृत न कर दिया गया हो, तो उस पक्षकार को, जिससे कि आवेदक अनुतोष का दावा करता हो, ऐसे दिनांक को, जो ऐसे समन के जारी होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के पश्चात् का नहीं होगा, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाएगा, उपसंजात होने तथा आवेदन का उत्तर देने के लिए यथास्थिति, प्रपत्र–चार या प्रपत्र–पांच में समन प्रेपित करायेगा:

परंतु यह कि ऐसा कोई समन जारी नही किया जायेगा, जब आवेदन प्रस्तुत कि जाने पर विरोधी पक्षकार उपसंजात हुआ हो और उसके आवेदन का दावा स्वीकार कर लिया हो ।

(दो) खण्ड (एक) के अधीन समन के साथ आवेदन की एक प्रति प्रेषित की जाएगी।

(7) समन या नोटिस का तामीलीकरण –

(एक) समन या नोटिस, अपेक्षित फीस के भुगतान पर उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा उसे जारी किया गया हो, या तो रजिस्टर्ड डाक से या ऐसी अन्य रीति में, प्रेषित की जा सकती है, जैसा कि न्यायालय द्वारा उचित समझा जाए ।

(दो) जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि यह विश्वास करने का कारण है कि विरोधी पक्षकार तामील का परिवर्जन कर रहा है या किसी कारण से

समन या नोटिस साधारण ढंग से तामील नहीं की जा सकती है वहाँ न्यायालय समन या नोटिस की एक प्रति, न्यायालय भवन के किसी सहजदृश्य स्थान पर तथा उस गृह के जिसमें विरोधी पक्षकार अन्तिम बार निवास किया हो या कारबार किया हो या लाभ के लिये व्यक्तिगत रूप से कार्य किया हो, के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकवाकर या ऐसी अन्य रीति से, जैसाकि न्यायालय उचित समझे, समन या नोटिस को तामील किये जाने का आदेश देगा और उक्त तामीलीकरण उसी प्रकार से प्रभावी होगा मानो वह व्यक्तिगत रूप से विरोधी पक्षकार को की गई हो ।

(तीन) जहां समन या नोटिस इस खण्ड के अधीन तामील की गयी हो, वहाँ न्यायालय विरोधी पक्षकार को उपसंजात होने के लिए ऐसा समय नियत करेगा, जैसाकि मामले की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो ।

(8) समन में अतिरिक्त बातें –

(एक) न्यायालय, समन जारी करते समय यह अवधारित करेगा कि क्या यह केवल विवाद्यकों के निस्तारण के लिए होगा तथा/या आवेदन के अंतिम निपटारे के लिए होगा और इस संबंध में तद्नुसार समन में निदेश अन्तर्विष्ट होगा ।

(दो) न्यायालय, उस दिनांक को पक्षकारों से ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा कर सकता है, जो वे प्रस्तुत करना चाहते हों ।

(9) जहां न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में, संहिता की धारा 37 में परिभाषित अक्षमता का प्रश्न उठता है और ऐसे प्रश्न पर किसी चिकित्सा बोर्ड या चिकित्सा अपील न्यायाधिकरण का विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है, तो न्यायालय दावे या ऐसे प्रश्न का अवधारण करने से पहले कर्मचारी राज्य बीमा निगम को निदेश देगा कि प्रश्न का विनिश्चय धारा 37 में अधिकथित रीति से किया जाए, और उसके बाद संहिता की धारा 49 के अनुसार दावे या प्रश्न का अवधारण करेगा।

(10) लिखित कथन –

(एक) विपक्षी पक्षकार, प्रथम सुनवाई पर या उसके पूर्व या ऐसे समय के भीतर जैसा कि न्यायालय अनुज्ञात करे, ऐसे दस्तावेजों, जिनका वह अवलंबन लेता हो तथा प्रपत्र–दो में उनकी सही सूची सहित अपनी प्रतिरक्षा में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और यदि ऐसा करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाय तो प्रस्तुत कर सकता है।

(दो) प्रत्येक ऐसा लिखित कथन उसी रीति से सत्यापित किया जाएगा जैसा कि किसी सिविल न्यायालय में अभिवचन सत्यापित किया जाता है और उसके साथ उसकी दो प्रतियां संलग्न की जाएंगी ।

(तीन) खण्ड (एक) के अधीन प्रस्तुत किसी लिखित कथन में विरोधी पक्षकार, आवेदक द्वारा अभिकथित तथ्य के प्रत्येक अभिकथन को, जिसकी सत्यता को वह स्वीकार करता हो या स्वीकार न करता हो या जिससे वह इनकार करता हो, विशेष रूप से व्यवहृत करेगा। लिखित कथन की ऐसी समस्त बातें, जो यह दर्शाती हों कि आवेदन सम्पोपणीय नहीं है तथा प्रतिरक्षा के समस्त आधार यदि नहीं प्रस्तुत किये गये तो आवेदन के कपटपूर्ण असम्यक असर प्रपीड़न एवं निर्मोचन से युक्त तथा संदाय एवं निप्पादन सम्बंधी अविधिमान्य संव्यवहार को दर्शाने वाले तथ्यों से युक्त होना संभाव्य होगा।

(11) न्यायालय द्वारा मांगे गये लिखित कथन को प्रस्तुत करने में विफल होना –

जहाँ कोई पक्षकार जिससे लिखित कथन की अपेक्षा की गयी हो, न्यायालय द्वारा निहित समय के भीतर प्रस्तुत करने में विफल हो गया हो, वहां न्यायालय उसके विरूद्ध निर्णय सुना सकता है या ऐसी कार्यवाही के सम्बंध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा कि वह उचित समझे ।

(12) विवाद्यक विरचित किया जाना –

(एक) समन जारी किए जाने के पश्चात् आवेदन की प्रथम सुनवाई पर न्यायालय, आवेदन तथा लिखित कथन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् या पक्षकारों या किसी व्यक्ति या किसी दस्तावेज का ऐसा परीक्षण करने के पश्चात, जैसा कि आवश्यक प्रतीत हो, यह अभिनिश्चिय करेगा कि तथ्य या विधि की किस सारवान प्रस्थापना पर पक्षकारों में मतभेद है और तदुपरि ऐसे विवाद्यकों को विरचित तथा अभिलिखित करने के लिये कार्यवाही करेगा जिन पर न्यायोचित विनिश्चय का निर्भर होना प्रतीत होता है।

(दो) विवाद्यकों को अभिलिखित करने में न्यायालय उन विवाद्यकों की, जो उसकी राय में तथ्य के बिन्दुओं से सम्बन्धित हों तथा उन विवाद्यकों की, जो विधि की बातों से सम्बन्धित हो, के मध्य भेद करेगा।

(तीन) न्यायालय, समान रीति से, अपना अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व किसी समय, विवाद्यक में ऐसे निबंधनों पर, जैसा कि वह उचित समझे, कुछ जोड़ सकता है, उसमें से कुछ हटा सकता है या उनमें किसी प्रकार से संशोधन कर सकता है।

(13) उस मामले में आदेश जहाँ पक्षकार विवादग्रस्त न हों –

जहाँ मामले की किसी सुनवाई में यह प्रतीत हो कि पक्षकार विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर विवादग्रस्त नहीं हैं वहाँ न्यायालय तत्काल अपना अंतिम आदेश सुना सकता है।

(14) पक्षकारों का उपसंजात होना और उपसंजात न होने के परिणाम –

(एक) विरोधी पक्षकार को उपसंजात होने तथा उत्तर देने के लिए समन में नियत दिनांक को पक्षकार, या तो वैयक्तिक रूप से या अपने–अपने विधि व्यवसायियों द्वारा धारा 51 के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होंगे और तब आवेदन पर सुनवाई की जायेगी जब तक कि न्यायालय द्वारा सुनवाई स्थगित न कर दी जाय ।

(दो) आवेदन की सुनवाई के लिए बुलाये जाने पर जब कोई पक्षकार उपसंजात न हो तो न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि आवेदन खारिज कर दिया जाय ।

(तीन) जहाँ आवेदन की सुनवाई के लिए बुलाये जाने पर विरोधी पक्षकार उपसंजात हो और आवेदक उपसंजात न हो तो न्यायालय यह आदेश कर सकता है कि आवेदन खारिज कर दिया जाय जब तक कि विरोधी पक्षकार दावा या उसके किसी भाग को स्वीकार न करता हो, जिस में न्यायालय ऐसी स्वीकारोक्ति पर विरोधी पक्षकार के विरूद्ध आदेश करेगा और जहां दावे का केवल कोई भाग स्वीकार किया गया हो, वहां वह मामले को जहां तक कि वह शेष भाग से संबंधित हो, खारिज कर देगा ।

(चार) जहाँ आवेदन पत्र की सुनवाई के लिए बुलाये जाने पर आवेदक उपसंजात हो और विरोधी पक्षकार समन प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी उपसंजात होने में विफल रहे, वहाँ न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही कर सकता है ।

(पाँच) जहाँ आवेदन खण्ड (दो) या (तीन) के अधीन पूर्णत: या अंशत: खारिज कर दिया गया हो वहाँ आवेदक ऐसे खारिज किए जाने के तीस दिन के भीतर, खारिज किए जाने को अपास्त करने के लिए प्रपत्र–छह में आवेदन कर सकता है और न्यायालय का यदि समाधान हो जाए कि आवेदक, कार्यवाही की सुनवाई के लिए बुलाये जाने के समय किसी पर्याप्त कारण से उपसंजात नहीं हो सका था, तो वह लागतों या अन्यथा के संबंध में ऐसे निबंधनों पर, जैसा कि वह उचित समझे, ऐसे खारिज किए जाने को अपास्त करने का आदेश दे सकता है और उक्त मामले में आगे कार्यवाही कर सकता है या उस पर कार्यवाही करने के लिए दिनांक नियत कर सकता है:

परंतु यह कि इस खण्ड के अधीन ऐसे आवेदन, जो खण्ड (3) के अधीन खारिज कर दिया गया हो, के सम्बंध में कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदन की नोटिस, प्रपत्र–सात में विरोधी पक्षकार पर तामील न कर दी गई हो ।

(छ:) किसी ऐसे आवेदन में, जिसमें विरोधी पक्षकार के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश किया गया हो, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस न्यायालय को, जिसने उक्त आदेश पारित किया हो, उस आदेश को अपास्त करने के लिए प्रपत्र–छः में आवेदन कर सकता है और यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि वह किसी पर्याप्त कारण से सम्यक सुनवाई के लिये बुलाये जाने के समय उपसंजात नहीं हो सका था, तो वह उसकी सूचना प्रपत्र–सात में आवेदक को उसकी नोटिस तामील करने के पश्चात, लागतों तथा अन्यथा के संबंध में ऐसे निबंधनों पर जैसा कि वह उचित समझे, आदेश को अपास्त करने का आदेश दे सकता है और उक्त मामले में कार्यवाही कर सकता है या उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए दिनांक नियत कर सकता है।

(15) साक्षियों को समन करना –

(एक) विवाद्यक विरचित किये जाने के पश्चात् किसी समय न्यायालय, पक्षकारों को विवाद्यकों के समर्थन में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है ।

(दो) न्यायालय किसी पक्षकार के आवेदन पर किसी साक्षी को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने का निदेश देते हुए प्रपत्र–आठ में समन जारी कर सकता है।

(तीन) न्यायालय खण्ड (दो) के अधीन आवेदन पर किसी साक्षी को समन करने से पूर्व, यह अपेक्षा कर सकता है कि न्यायालय में उपस्थित होने के लिए होने वाले उसके युक्तियुक्त व्यय, उसके पास जमा कर दिए जाएं।

(16) समय का प्रदान किया जाना तथा सुनवाई का स्थगन किया जाना–

(एक) न्यायालय यदि पर्याप्त कारण दर्शाया जाए, कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर पक्षकारों को या उनमें से किसी को समय प्रदान कर सकता है और समय–समय पर आवेदन की सुनवाई स्थगित कर सकता है।

(दो) ऐसे प्रत्येक स्थगन में न्यायालय आवेदन की आगे की सुनवाई के लिए ऐसा दिनांक नियत करेगा जो उस दिनांक से, जिस दिनांक को ऐसा स्थगन किया गया हो, पन्द्रह दिन से अनधिक नहीं होगा तथा स्थगन द्वारा होने वाली लागतों के संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है, जैसा कि, वह उचित समझेः

परंतु यह कि जब एक बार आवेदन की सुनवाई प्रारम्भ हो चुकी हो, तब सुनवाई जब तक कि न्यायालय को अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, सुनवाई को आगामी दिनांक के लिए स्थगित करना आवश्यक प्रतीत न हो, प्रतिदिन तब तक चालू रखी जाएगी, जब तक कि समस्त उपस्थित साक्षियों की पृच्छा न हो जाए।

(17) कार्यवाही प्रारम्भ करने का अधिकार –

आवेदक को कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकार होगा, जब तक कि विरोधी पक्षकार, आवेदक द्वारा अभिकथित तथ्यों को स्वीकार न करे और यह प्रतिवाद न करे कि या तो विधि के बिंदु पर या विरोधी पक्षकार द्वारा अभिकथित किन्हीं अतिरिक्त तथ्यों पर, आवेदक, उसके द्वारा चाहे गये अनुतोष का हकदार नहीं है, उस मामले में विरोधी पक्षकार को कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकार होगा।

(18) कथन तथा साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना –

(एक) आवेदन की सुनवाई के लिए नियत दिनांक को या किसी अन्य दिनांक को, जिस दिनांक के लिए सुनवाई स्थगित की गई हो, वह पक्षकार जिसको कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकार हो, अपने मामले का कथन करेगा और अपने मामले को प्रस्तुत करेगा तथा उन विवाद्यकों के, जिन्हें परिषिद्ध करने के लिए वह बाध्य हो, समर्थन में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

(दो) दूसरा पक्षकार तब अपने मामले का कथन करेगा और अपना साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगा और तब न्यायालय से सामान्यतः संपूर्ण मामले के संबंध में निवेदन करेगा ।

(तीन) कार्यवाही प्रारंभ करने वाला पक्षकार तब सामान्यतः संपूर्ण मामले पर उत्तर दे सकता है।

(चार) इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना या न्यायालय से निवेदन किया जाना किसी ऐसे क्रम में होगा, जैसाकि वह उचित समझे ।

(19) साक्ष्य अभिलिखित किये जाने की रीति –

प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य, न्यायाधीश द्वारा, या जहां एक से अधिक न्यायाधीश हों, वहाँ कनिष्ठ न्यायाधीश द्वारा या किसी ऐसे न्यायाधीश के लिखवाने पर खुले न्यायालय में, न्यायालय की भाषा में, साधारणतः प्रश्नोत्तर के रूप में, लेखबद्ध न किया जाकर, वर्णनात्मक रूप से अभिलिखित किया जायेगा और पूरा हो जाने पर, वह ऐसे न्यायाधीश की उपस्थिति में, साक्षी को पढ़कर सुनाया जायेगा या जहाँ आवश्यक हो, वहाँ उसका अनुवाद कर साक्षी को दिया जाएगा और ऐसा न्यायाधीश, यदि आवश्यक हो, उसे सुधारेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(20) किसी साक्षी को वापस बुलाया जाना –

न्यायालय कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर किसी साक्षी को वापस बुला सकता है

जिसका परीक्षण किया जा चुका हो और (तत्समय प्रवृत्त किसी साक्ष्य सम्बंधी विधि के अध्यधीन) उससे ऐसा प्रश्न कर सकता है, जैसाकि न्यायालय उचित समझे।

(21) न्यायालय द्वारा निरीक्षण –

न्यायालय कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर किसी सम्पत्ति या सम्बधित वस्तु का निरीक्षण कर सकता है जिसके सम्बंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो ।

(22) आदेश का सुनाया जाना –

न्यायालय, आवेदन की सुनवाई के पश्चात् अपना अंतिम आदेश खुले न्यायालय में या तो तुरंत या किसी आगामी दिवस को सुनाएगा, जिसके सम्बंध में पक्षकारों को सम्यक नोटिस दी जाएगी।

(23) आदेश को हस्ताक्षरित किया जाना–

अंतिम आदेश सुनाए जाने के समय खुले न्यायालय में दिनांकित तथा हस्ताक्षरित किया जाएगा और एक बार हस्ताक्षरित हो जाने के पश्चात् उसमें आकस्मिक चूक या लोप के कारण उद्भूत होने वाली लिपिकीय या अंकगणितीय भूल होने की दशा के अतिरिक्त कोई अन्य परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं किया जाएगा ।

(24) प्रत्येक के विवाद्यक पर विनिश्चय का कथन –

उन मामलों में, जिनमें विवाद्यक विरचित किए गए हों, न्यायालय अपने प्रत्येक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उसके कारणों सहित पृथक–पृथक उल्लिखित करेगा, जब तक कि किसी एक या अधिक विवाद्यकों पर निष्कर्ष, मामले के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो ।

(25) वाद का समझौता –

जहां न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध हो जाए कि किसी विधिपूर्ण करार या समझौते द्वारा मामला पूर्णतः या अंशतः समायोजित किया जा चुका है या जहाँ विरोधी पक्षकार मामले की विषय–वस्तु के संबंध में आवेदक का पूर्णतः या आंशिक समाधान कर दे, वहां न्यायालय ऐसे करार, समझौते या समाधान को अभिलिखित किए जाने का आदेश देगा और उसके अनुसार, जहाँ तक वह मामले से संबंधित हो, अंतिम आदेश पारित करेगा ।

(26) आदेश का अन्तिम रूप दिया जाना –

धारा 52 में यथा उपबंधित के सिवाय, न्यायालय का आदेश अंतिम तथा पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा ।

लागत, डिक्री आदि

46–(1) लागत–

(एक) आवेदन के आनुषंगिक व्यय न्यायालय के विवेक पर होंगे और न्यायालय को यह अवधारित करने कि किसके द्वारा या किस संपत्ति में से तथा किस सीमा तक, ऐसे व्यय का भुगतान किया जाना है तथा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए, समस्त आवश्यक निदेश देने की पूर्ण शक्ति होगी। यह तथ्य कि न्यायालय को मामले का परीक्षण करने की अधिकारिता नहीं है, ऐसी शक्तियों के प्रयोग को वर्जित करने वाला नहीं होगा ।

(दो) जहाँ न्यायालय यह निदेश देता है कि कोई व्यय परिणाम के अनुरूप नहीं होगा, वहाँ न्यायालय अपना कारण लिखित रूप में उल्लिखित करेगा ।

(2) डिक्री की अन्तर्वस्तु –

(एक) प्रपत्र–नौ में कोई डिक्री, न्यायालय द्वारा किए गए आदेश के अनुरूप तैयार की जाएगी। उसमें आवेदन पत्र का क्रमांक, पक्षकारों के नाम तथा विवरण और दावे की विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी और वह प्रदत्त अनुतोष या कार्यवाही के अन्य अवधारण को स्पष्ट करेगा ।

(दो) डिक्री में कार्यवाही में उपगत व्ययों की धनराशि तथा ऐसे व्यय, किसके द्वारा तथा किस अनुपात में चुकाये जाएंगे, भी उल्लिखित किये जायेंगे।

(तीन) न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि एक पक्षकार को अन्य पक्षकार द्वारा संदेय लागत का, किसी ऐसी धनराशि के प्रति मुजरा किया जाएगा जो कि, पहले द्वारा बाद वाले के लिए स्वीकार्य या देय पायी जाय ।

(3) आदेश तथा डिक्री की प्रमाणित प्रतियों का प्रदान किया जाना –

(एक) अंतिम आदेश, डिक्री या अभिलेख के किसी अन्य आदेश या मामले की प्रमाणित प्रतियाँ, न्यायालय को आवेदन किए जाने पर उनके व्यय पर प्रदान की जाएंगी।

(दो) यदि कोई पक्षकार, यथास्थिति, न्यायालय द्वारा कृत या उसे प्रस्तुत किसी आदेश, डिक्री या अभिलेख के किसी अन्य मामले की प्रतियाँ चाहता है, तो न्यायालय को तद्निमित आवेदन प्रस्तुत करने के अड़तालिस घंटे के भीतर उसे प्रदान की जाएगी। ऐसी प्रत्येक प्रति के लिए उसे दो रूपये की अतिरिक्त फीस का भुगतान करना होगा ।

(तीन) यदि कोई पक्षकार, यथास्थिति, न्यायालय द्वारा कृत या उसे प्रस्तुत किसी आदेश, डिक्री या अभिलेख के किसी अन्य मामले की प्रतियों के लिए, यथास्थिति, इस प्रकार कृत या प्रस्तुत आदेश के दिनांक से बारह माह समाप्त होने के पश्चात् आवेदन करे तो उसे दो रूपये प्रति पृष्ठ की अतिरिक्त खोज शुल्क का भुगतान करना होगा ।

डिक्री का निष्पादन

47–(1) निष्पादन –

(एक) किसी व्यक्ति को जिसके पक्ष में आदेश पारित किया गया हो, आदेश के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उस न्यायालय को जिसने उक्त आदेश किया हो, उसके निष्पादन के लिए प्रपत्र–दस पर आवेदन देगा।

(दो) ऐसा आवेदन किये जाने पर, न्यायालय उसे आवश्यक अभिलेख सहित सक्षम अधिकारिता वाले किसी सिविल न्यायालय को उसके निष्पादन हेतु प्रेषित करेगा और ऐसे सिविल न्यायालय के पास उक्त आदेश का निष्पादन करने के लिए वही शक्तियां होंगी मानो वह उसके द्वारा ही पारित किया गया हो ।

(2) निष्पादन के तथ्य या अन्यथा की संसूचना –

ऐसा सिविल न्यायालय, जिसे कोई डिक्री निष्पादन के लिये प्रेषित की जाय, ऐसे निष्पादन के तथ्य के सम्बंध में जहाँ उक्त न्यायालय उसका निष्पादन करने में विफल हो ऐसी विफलता वाली परिस्थितियों के सम्बंध में उस न्यायालय को जिसने उसे पारित किया हो, प्रमाणित करेगा ।

धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन फीस और लागतें

48–(1) फीस–

(एक) धारा 49 में निर्दिष्ट किसी मामले के सम्बंध में किसी आवेदन पर संदेय फीस दस रूपये होगी ।

(दो) इस नियमावली के अधीन न्यायालय द्वारा तलब किए गए किसी लिखित कथन के अतिरिक्त किसी अन्य आवेदन के संबंध में संदेय फीस पाँच रूपये होगी: परंतु यह कि अभिलेख पर किसी दस्तावेज या यथास्थिति, न्यायालय को प्रस्तुत कथन या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत डिक्री आदेश की प्रति या उसका अनुवाद प्राप्त करने के लिए आवेदन की फीस दो रूपये प्रति पृष्ठ होगी।

(तीन) अभिलेख पर किसी दस्तावेज या कथन या आदेश या डिक्री की प्रतियों के लिए फीस वही होगी, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय ।

(चार) किसी मामले में पक्षकारों में से किसी पक्षकार की ओर से धारा 79 के अधीन किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये कोई प्राधिकार फीस दस रूपये होगी।

(पाँच) किसी न्यायालय में किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियाँ दाखिल करने की फीस पाँच रूपये होगी ।

(छः) इस नियम में निर्दिष्ट समस्त फीस, साधारण न्यायालयों में प्रयुक्त न्यायालय फीस स्टाम्प के माध्यम से संग्रहीत की जाएगी और कोई दस्तावेज, जिसमें इस नियमावली के अधीन स्टाम्प धारित हो, तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि वह समुचित रूप से स्टाम्पित न किया गया हो:

परन्तु यह कि जहाँ ऐसा कोई दस्तावेज भूल से या अनवधानता से, समुचित रूप से मुद्रित किए बिना ही न्यायालय में ले लिया गया हो, फाइल कर लिया गया हो या उपयोग में लाया गया हो, वहाँ न्यायालय यदि उचित समझे, यह आदेश दे सकता है कि ऐसा दस्तावेज इस प्रकार स्टाम्पित किया जाए, जैसा कि वह निदेश दे और ऐसे दस्तावेज के अनुसार स्टाम्पित किए जाने पर वह तथा उससे संबंधित प्रत्येक कार्यवाही उसी प्रकार विधिमान्य होगी जैसाकि वह पहले से ही समुचित रूप से स्टाम्पित किया गया था ।

(सात) किसी दस्तावेज, जो इस नियम के अधीन स्टाम्पित किए जाने के लिए अपेक्षित हो, के आधार पर न्यायालय की किसी कार्यवाही में तब तक कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक की स्टाम्प को रद्द न कर दिया गया हो ।

(2) समन आदि की तामीलीकरण के व्यय का भुगतान –

(एक) किसी मामले में समन या नोटिसों की तामीलीकरण के व्यय या साक्षियों के व्यय या किसी विषय के संबंध में जो पूर्ववर्ती नियम में निर्दिष्ट न किए गए हों, संदेय फीस, ऐसी धनराशि होगी जैसाकि न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट किया जाय और ऐसी धनराशि या इस नियमावली के अधीन संदेय कोई अन्य धनराशि का भुगतान ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर किया जाएगा, जैसा कि न्यायालय इसके लिए विनिर्दिष्ट करे ।

(दो) ऐसी कोई धनराशि, जो अन्य व्ययों की पूर्ति करने के पश्चात, जिनके लिए वह आशयित थी, बची रहे, न्यायालय द्वारा उस पक्षकार को वापस कर दी जाएगी, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से धनराशि मूलतः न्यायालय में जमा की गई थी।

(तीन) न्यायालय उपनियम (1) के अधीन प्राप्त तथा संवितरित धनराशि के समुचित लेखाओं को अनुरक्षित करेगा।

(3) निर्धन व्यक्तियों की फीस तथा लागतें –

न्यायालय, जब कभी उचित समझे, ऐसे व्यक्तियों से जो अकिंचन हों, संहिता के अधीन संस्थित कार्यवाहियां तथा इस नियमावली के अधीन कृत आवेदन प्राप्त कर सकता है और उन्हें रजिस्टर में अंकित कर सकता है और नियम 46 तथा 48 में उल्लिखित फीस और लागतों के भुगतान के बिना या आंशिक भुगतान के आधार पर ऐसे व्यक्तियों की ओर से समन या नोटिस जारी कर सकता है ।

प्रक्रिया या साक्ष्य के प्रतिग्रहण से सम्बन्धित ऐसे मामले जिनके लिये इस नियमावली में कोई विनिर्दिष्ट उपबन्धन किये गये हों

49–प्रक्रिया व साक्ष्य प्रतिग्रहण से संबंधित मामलों के संबंध में, जिनके लिए इस नियमावली में कोई विशिष्ट उपबंध न किया गया हो, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) जिसमें तद्धीन बनायी गयी नियमावली सम्मिलित है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 47 सन् 2023) के उपबन्ध, यथाशक्य अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में लागू होंगे।

धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां प्रारम्भ करने की रीति, उसकी फीस और प्रक्रिया

50–(1) यथास्थिति, निगम पीड़ित व्यक्ति या किसी अधिष्ठान के नियोजक द्वारा आवेदन के माध्यम से कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी ।

(2) संहिता के अध्याय – चार के उपबन्धों और राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली के अध्यधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष समस्त कार्यवाहियाँ, उस स्थानीय क्षेत्र के लिए नियुक्त न्यायालय में संस्थित की जाएंगी, जिसमें बीमित व्यक्ति उस समय कार्य कर रहा था, जब यह प्रश्न या विवाद उद्भूत हुआ था ।

(3) यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित किसी कार्यवाही से उत्पन्न कोई मामला, उसी राज्य में किसी अन्य कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा अधिक आसानी से निपटाया जा सकता है तो वह राज्य सरकार द्वारा इस सम्बंध में बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन इस तरह के मामले के निस्तारण के लिए ऐसे अन्य न्यायालय में अंतरित करने के आदेश दे सकता है और उस मामले से जुड़े अभिलेखों को तुरंत ऐसे न्यायालय को प्रेपित करेगा ।

(4) राज्य सरकार राज्य के किसी कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को किसी अन्य राज्य के ऐसे किसी न्यायालय में, उस राज्य की सहमति से अंतरित कर सकती है।

(5) जिस न्यायालय को उपनियम (3) एवं उपनियम (4) के अधीन कोई मामला अन्तरित किया जाता है, वह इस प्रकार अपनी कार्यवाहियां जारी रखेगा, मानों वे इसमें ही मूल रूप में संस्थित की गयी हों ।

अध्याय–चार

उपदान

बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान, जिसमें धारा 53 की उपधारा (1) के तृतीय परन्तुक के अधीन अवयस्क की प्रसुविधा के लिए उपदान का विनिधान किया जायेगा

51–नामनिर्देशिती या किसी उत्तराधिकारी, जो अवयस्क है, के मामले में सक्षम प्राधिकारी ऐसे अवयस्क की प्रसुविधा के लिए, उसके पास जमा की गई, उपदान धनराशि का विनिधान भारतीय स्टेट बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक में आवधिक जमा के रूप में करेगा।

स्पष्टीकरण–राष्ट्रीयकृत बैंक का तात्पर्य बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1970) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी तत्स्थानी नवीन बैंक या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 40 सन् 1980) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी तत्स्थानी नवीन बैंक से है।

धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशन का समय, प्रपत्र और रीति, उपधारा (4) के अधीन नवीन नामनिर्देशन करने का समय, उपधारा (5) के अधीन किसी नामनिर्देशन में उपांतरण का प्रपत्र और रीति और उपधारा (6) के अधीन नवीन नामनिर्देशन के लिए प्रपत्र

52–(1) नामनिर्देशन प्रपत्र– ग्यारह में विहित रीति से किया जायेगा और उसे दो प्रतियों में कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उचित रसीद लेने के उपरान्त या रजिस्ट्रीकृत डाक से पावती द्वारा या इलेक्ट्रानिक रूप से नियोजक को प्रस्तुत किया जायेगा–

(क) किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में, जो इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक को एक वर्ष या उससे अधिक समय से पहले से ही नियोजित हो, किन्तु उसने ऐसे दिनांक से नब्बे दिनों के भीतर साधारणतया नामनिर्देशन प्रस्तुत न किया हो; और

(ख) किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में, जिसने इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक के बाद सेवा का एक वर्ष पूर्ण कर लिया हो, सामान्यतया सेवा के एक वर्ष पूर्ण होने के तीस दिनों के भीतर हो:

परन्तु प्रपत्र– ग्यारह में नामनिर्देशन उक्त अवधि के पश्चात् नियोजक द्वारा स्वीकार किया जायेगा, यदि वह विलम्ब के युक्ति – युक्त आधारों पर अवलम्बित हो, और इस प्रकार स्वीकार किया गया कोई नामनिर्देशन मात्र इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा कि यह विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् दाखिल किया गया था:

परन्तु यह कि नियतकालिक नियोजन के मामले में नामनिर्देशन, उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के दिनाँक से एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) ऊपर यथा उल्लिखित प्रपत्र–ग्यारह में नामनिर्देशन प्राप्त किये जाने के तीस दिन के भीतर नियोजक, नामनिर्देशन-पत्र में यथाउल्लिखित कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी विशिष्टियों को प्राप्त कर अधिष्ठान के अभिलेख के सन्दर्भ में सत्यापन करायेगा और नियोजक या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से साक्ष्यांकित नामनिर्देशन-पत्र की द्वितीय प्रति कर्मचारी को नामनिर्देशन के साक्ष्य स्वरूप उसे प्राप्ति रसीद प्राप्त कराते हुये वापस करेगा और अन्य प्रति को अभिलेखार्थ रखेगा।

(3) कोई कर्मचारी, जिसके पास नामनिर्देशन कराते समय परिवार न हो, परिवार होने के नब्बे दिन के भीतर धारा 55 की उपधारा (4) के अधीन यथाअपेक्षित नवीन नामनिर्देशन उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति से प्रपत्र–ग्यारह में दो प्रतियों में नियोजक को प्रस्तुत करेगा और तत्पश्चात् उपनियम (2) का उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा मानों वह उपनियम (1) के अधीन किया गया हो ।

(4) ऐसे मामलों, जहाँ कोई नामनिर्देशिती किसी कर्मचारी का पूर्व मृत नामनिर्देशिती हो, सहित किसी नामनिर्देशन में उपान्तरण किये जाने की नोटिस, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट नियोजक को प्रपत्र– ग्यारह में दो प्रतियों में प्रस्तुत की जायेगी और तत्पश्चात् उपनियम (2) का उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा मानों यह उपनियम (1) के अधीन किया गया हो।

(5) कोई नामनिर्देशन अथवा कोई नया नामनिर्देशन अथवा नामनिर्देशन उपान्तरण की नोटिस पर कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा, अथवा यदि कर्मचारी निरक्षर हो तो उक्त नामनिर्देशन पर उसकी अंगूठा निशानी ऐसे दो साक्षियों की उपस्थिति में अंकित की जायेगी जो यथास्थिति नामनिर्देशन, नये नामनिर्देशन या नामनिर्देशन उपान्तरण की नोटिस में उस आशय की घोषणा पर भी हस्ताक्षर करेंगे तथा कर्मचारी द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से पावती द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा ।

(6) कोई नामनिर्देशन, नया नामनिर्देशन अथवा नामनिर्देशन उपान्तरण की नोटिस नियोजक द्वारा उसे प्राप्त किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी ।

धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन लिखित आवेदन प्रस्तुत करने हेतु विहित समय एवं प्रपत्र

53–(1) उपदान के लिये आवेदन –

(क) कोई कर्मचारी अथवा उसका नामनिर्देशिती अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी, जो संहिता के अधीन उपदान के संदाय के लिये पात्र हों अथवा उसकी/उनकी ओर से लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति, प्रपत्र–बारह में नियोजक को सामान्यतः उपदान के संदेय होने के दिनाँक से तीस दिन के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक से या इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा रूप से आवेदन करेगा/करेंगे:

परन्तु यह और सुसंगत विशिष्टियों सहित सादे कागज पर भी आवेदन स्वीकार किया जायेगा। नियोजक ऐसी अन्य विशिष्टियाँ भी प्राप्त कर सकता है जैसाकि उसके द्वारा आवश्यक समझा जाय:

परन्तु यह और कि जहाँ किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता या उसकी सेवानिवृत्ति का दिनाँक ज्ञात हो वहाँ कर्मचारी अधिवर्षिता अथवा सेवानिवृत्ति के दिनाँक से तीस दिन पूर्व नियोजक को आवेदन कर सकता है:

परन्तु यह भी कि नियत कालिक रोजगार पर नियुक्त कोई कर्मचारी उपदान के लिए पात्र होगा, यदि वह संविदा के अधीन एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा प्रदान करता है और उसे पन्द्रह दिनों की मजदूरी की दर पर उपदान का संदाय किया जाएगा, जो उसके द्वारा सेवा के प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष अथवा उसके बाद जो छः माह से अधिक हो, के लिए, उसके द्वारा आहरित अंतिम मजदूरी की दर पर आधारित होगा ।

(ख) जहां इस नियमावली के प्रारंभ होने से पूर्व, संहिता के अधीन उपदान संदेय हो जाता है, वहां खंड (एक) में विनिर्दिष्ट समय सीमा की अवधि ऐसे प्रारंभ होने के दिनांक से प्रभावी समझी जाएगी।

(ग) इस नियमावली में विनिर्दिष्ट अवधि का अवसान होने के पश्चात् दाखिल किया गया उपदान संदाय हेतु आवेदन भी नियोजक द्वारा ग्रहण किया जायेगा, यदि आवेदक अपना दावा प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिये पर्याप्त कारण देता है, और संहिता के अधीन उपदान का कोई दावा मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि दावेदार अपना आवेदन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत करने में विफल हो गया है। इससे सम्बन्धित कोई विवाद सक्षम प्राधिकारी को उसके विनिश्चय के लिये निर्दिष्ट किया जायेगा:

परन्तु यह कि सक्षम प्राधिकारी, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर उपदान के आवेदन का निपटारा करेगा:

परन्तु यह और कि सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उक्त अवधि को तीन महीने से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

(2) उपदान के संदाय के लिये नोटिस –

(क) उपनियम (1) के अधीन उपदान के संदाय के लिए कोई आवेदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर, नियोजक –

(एक) यदि सत्यापन पर दावा स्वीकार्य पाया जाता है तो, यथास्थिति, आवेदक कर्मचारी, नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी को संदेय उपदान की धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुए और उसके संदाय के लिए कोई दिनांक नियत करते हुये जो आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से बीसवें दिन के पश्चात् का न हो, प्रपत्र–तेरह में एक नोटिस जारी करेगा ।

(दो) यदि उपदान के लिए दावा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है तो, यथास्थिति, आवेदक कर्मचारी, नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी को उन कारणों को निर्दिष्ट करते हुये कि, उपदान के लिए दावे को स्वीकार्य क्यों नहीं माना गया है, प्रपत्र–तेरह में एक नोटिस जारी करेगा और ऐसी नोटिस की एक प्रति, सक्षम प्राधिकारी तथा महानिदेशक, श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ को पृष्ठांकित की जायेगी ।

(ख) यदि उपादान का संदाय नियोजक के कार्यालय में किये जाने योग्य हो तो उपनियम (2) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) के अधीन प्रपत्र–तेरह की नोटिस में इस प्रयोजन हेतु नियत किया गया दिनांक नियोजक द्वारा पुनः नियत किया जायेगा यदि इस सम्बंध में एक लिखित आवेदन आदाता द्वारा यह बताते हुए किया गया हो कि उसके लिए विनिर्दिष्ट दिनांक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना क्यों संभव नहीं है।

(ग) यदि उपदान के लिए दावेदार नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी है तो, नियोजक ऐसे साक्षी या साक्ष्य की मांग कर सकता है, जो यथास्थिति, उसकी पहचान स्थापित करने या उसके दावे के पोषण के लिए सुसंगत माना जा सके। उस दशा में उपनियम (2) के खंड (क) के अधीन नोटिस जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा, नियोजक द्वारा बुलाए गए यथास्थिति ऐसे साक्षी या साक्ष्य के नियोजक को प्रस्तुत किए जाने के दिनांक से प्रभावी होगी ।

(घ) प्रपत्र–तेरह में कोई नोटिस आवेदक को या तो रसीद लेने के बाद व्यक्तिगत रूप से या पावती के साथ या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से तामील की जाएगी।

(ङ) धारा 56 की उपधारा (2) के अधीन कोई नोटिस प्रपत्र–तेरह में होगी।

(3) उपदान के संदाय की रीति–संहिता के अधीन संदेय उपदान का संदाय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या यथास्थिति, पात्र कर्मचारी, नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी के बैंक खाते में जमा करके किया जायेगा :

परंतु यह कि संदाय के ब्यौरे के सम्बन्ध में सूचना, नियोजक द्वारा क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को दी जायेगी ।

धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति

54–राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में सहायक श्रम आयुक्त पद धारण करने वाला एक राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करेगी जो संहिता के अध्याय पाँच तथा तत्पश्चात् उसकी अधिकारिता क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करते हुए बनाये गये नियमों के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा।

धारा 56 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को आवेदन

55–(1) सक्षम प्राधिकारी को आवेदन –

(क) जहाँ धारा 56 की उपधारा (5) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट मामले अथवा मामलों में कोई विवाद होता है, वहाँ नियोजक अथवा कर्मचारी अथवा विवाद उठाने वाला कोई अन्य व्यक्ति उपदान देय होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर प्रपत्र–चौदह में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है:

परन्तु यह कि सक्षम प्राधिकारी एक वर्ष के पश्चात् आवेदन ग्रहण कर सकता है, यदि उसका, आवेदक द्वारा दिये गये कारणों से समाधान हो जाता हो।

(ख) आवेदन के साथ आवेदक द्वारा साक्ष्य के रूप में ऐसे दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे जो दाखिल किये जाने हेतु आवश्यक हों ।

(ग) उपदान दावा आवेदन, व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट से या इलेक्ट्रानिक रीति से सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(घ) आवेदन के साथ विरोधी पक्षकारों की संख्या के अनुपात में रजिस्ट्रीकृत डाक हेतु स्टाम्प युक्त लिफाफे संलग्न किये जायेंगेः

(2) निदेश के लिये आवेदन पर कार्यवाही की प्रक्रिया –

(क) यदि सक्षम प्राधिकारी का दावा आवेदन के सम्बंध में प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है और यदि उसे यह लगता है कि आवेदन की जांच की जा सकती है तो वह, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक पावती द्वारा या व्यक्तिगत रूप से प्रपत्र–पन्द्रह में नोटिस जारी करके आवेदक के साथ–साथ, नियोजक को भी या तो स्वयं या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, सभी सम्बंधित दस्तावेजों और साक्षियों के साथ, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट दिनांक, समय और स्थान पर अपने समक्ष बुलाएगाः

परन्तु यह कि कोई आवेदन केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि वह विहित प्रपत्र में नही है।

(ख) कोई व्यक्ति, जो यथास्थिति, नियोजक कर्मचारी, नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी की ओर से कार्य करने की इच्छा रखता है, सक्षम प्राधिकारी को, यथास्थिति, नियोजक या सम्बंधित व्यक्ति की ओर से अधिकार-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसकी ओर से वह मिलकर कार्य करना चाहता है। सक्षम प्राधिकारी या तो अपने अनुमोदन के अनसार या प्रार्थना-पत्र पर अनुज्ञा देने से इंकार करने के मामले में, इंकार के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक आदेश अभिलिखित करेगा।

(ग) प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने वाला कोई पक्षकार, प्रतिनिधि के कृत्यों से आबद्ध होगा ।

(घ) खण्ड (क) के अधीन नियत दिनांक को सुनवाई पूरी होने के पश्चात, या ऐसे अन्य साक्ष्य, दस्तावेजों, गवाहों, सुनवाई और जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, का परीक्षण करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या संहिता के अधीन आवेदक को कोई धनराशि संदेय है। प्रत्येक पक्षकार को ऐसे निष्कर्ष की एक प्रति दी जायेगी;

(ङ) यदि संबंधित नियोजक नोटिस की उचित तामीलीकरण के पश्चात् पर्याप्त कारण के बिना सुनवाई के निर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित होने में विफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन एकपक्षीय रूप से सुनने और विनिश्चित करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकेगा। यदि आवेदक सुनवाई के विनिर्दिष्ट दिनांक को पर्याप्त कारण के बिना उपस्थित होने में विफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर सकता है:

परन्तु यह कि इस उपनियम के अधीन किसी आदेश की, उक्त आदेश के तीस दिनों के भीतर उचित कारण दर्शाये जाने पर समीक्षा की जाएगी और विरोधी पक्षकार को पुनः सुनवाई के लिए नियत दिनांक से अन्यून चौदह दिनों की नोटिस देने के पश्चात् आवेदन की पुनः सुनवाई की जायेगी ।

(3) सुनवाई का स्थान और समय–सक्षम प्राधिकारी की बैठकें, ऐसे समय पर और ऐसे स्थानों पर आयोजित की जाएंगी, जैसा कि वह नियत करे, और वह उनके पक्षकारों को ऐसी रीति में सूचित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे तथा प्रपत्र–पन्द्रह में नोटिस प्रेषित करेगा।

(4) साक्षियों को समन किया जाना तथा उनकी उपस्थिति– सक्षम प्राधिकारी, अपने समक्ष कार्यवाही में सम्मिलित किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर या उसके बिना, कार्यवाही के किसी भी स्तर पर ऐसे निबंधनों पर, जो कि सक्षम प्राधिकारी को न्याय संगत प्रतीत हों, प्रपत्र–पन्द्रह में किसी व्यक्ति को किसी विनिर्दिष्ट दिनांक, समय और स्थान पर या तो साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए या दोनों प्रयोजन के लिए समन जारी कर सकता है।

(5) समन या नोटिस की तामीली –

(क) खण्ड (ख) के उपबन्धों के अध्यधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई नोटिस, समन, आदेशिका या आदेश या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक पावती द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) में विहित किसी अन्य रीति से तामील कराया जा सकता है;

(ख) जहाँ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही के पक्षकार के रूप में अनेक व्यक्ति हों और ऐसे व्यक्ति किसी ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन के सदस्य हों या जिनका प्रतिनिधित्व किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो तो सचिव पर नोटिस की तामीलीकरण या जहाँ कोई सचिव न हो वहाँ ट्रेड यूनियन एसोसिएशन के प्रमुख अधिकारी पर या किसी प्राधिकृत व्यक्ति पर नोटिस की तामीलीकरण को ऐसे व्यक्तियों पर तामीलीकरण समझा जायेगा।

(6) राक्षम प्राधिकारी द्वारा मामलों के अभिलेखों का अनुरक्षण –

(क) सक्षम प्राधिकारी धारा 56 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन प्रत्येक मामले की विशिष्टियों को अभिलिखित करेगा और आदेश पारित करते समय इस प्रकार अभिलिखित विशिष्टियों पर हस्ताक्षर और दिनांक अंकित करेगा;

(ख) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक मामले में आदेश पारित करते समय, मामले में योग्यताओं के आधार पर निष्कर्ष भी अभिलिखित करेगा और इसे साक्ष्य के ज्ञापन के साथ आदेश पत्रक के साथ दाखिल करेगा;

(ग) किसी आदेश या निदेश के अभिलेख से भिन्न कोई अभिलेख जो इस नियमावली के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजनार्थ लिखित रूप में नियुक्त किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की ओर से और उसके निदेश के अधीन, हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

(7) उपदान के संदाय हेतु निदेश – यदि उपनियम (2) के खण्ड (घ) के अधीन कोई निष्कर्ष अभिलिखित किया जाता है कि आवेदक संहिता के अधीन, उपदान के संदाय का हकदार है तो सक्षम प्राधिकारी, सम्बन्धित नियोजक को, देय धनराशि को निर्दिष्ट करते हुये प्रपत्र–सोलह में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक पावती द्वारा या व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी करेगा और नियोजक द्वारा नोटिस प्राप्त किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को नोटिस के आवेदक को संदाय करने का निदेश देगा। नोटिस की एक प्रति यथास्थिति आवेदक कर्मचारी, नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी को पृष्ठांकित की जायेगी ।

धारा 56 की उपधारा (8) के अधीन अपील प्राधिकारी

56–राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संहिता के अध्याय–पाँच के अधीन उद्भूत होने वाली अपीलों की सुनवाई एवं उनके निर्धारण के लिये अपर/उप श्रमायुक्त का पद धारण करने वाले अधिकारियों को उनकी अधिकारिता क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करते हुये अपील प्राधिकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी ।

अपील दाखिल किये जाने की रीति और ऐसी अपील व्यवहृत करने की प्रक्रिया

57–(1) संहिता की धारा 56 की उपधारा(8) के अधीन अपील का ज्ञापन, अपील प्राधिकारी को उसकी एक प्रति, विरोधी पक्षकार और सक्षम प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक पावती द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जायेगी ।

(2) अपील ज्ञापन में मामले के तथ्य, सक्षम प्राधिकारी का विनिश्चय, अपील का आधार और वांछित अनुतोष अन्तर्विष्ट होंगे ।

(3) अपील ज्ञापन के साथ सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्ष की प्रमाणित प्रति तथा उपदान संदाय निदेश संलग्न किये जायेंगे ।

(4) अपील ज्ञापन की प्रति प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी मामले का अभिलेख अपीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(5) अपील ज्ञापन की प्रति प्राप्त किये जाने के चौदह दिनों के भीतर, विरोधी पक्षकार, ज्ञापन के प्रत्येक पैरा पर, अतिरिक्त दलीलों, यदि कोई हों, के साथ अपनी टिप्पणी, अपीलकर्ता को एक प्रति के साथ, अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(6) अपील प्राधिकारी, अपील को सुनने का एक युक्तियुक्त अवसर पक्षों को देने के पश्चात् अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा। विनिश्चय की एक प्रति अपील से सम्बन्धित समस्त पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक या रजिस्ट्रीकृत डाक से या व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी और उसकी एक प्रति मामले के अभिलेख वापस करते हुए सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगीः

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी, आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से छह महीने के भीतर उपदान के आवेदन का निपटारा करेगाः

परन्तु यह और कि अपील प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उक्त अवधि को तीन महीने से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

(7) सक्षम प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी के विनिश्चय प्राप्त किये जाने पर, उसके द्वारा अनुरक्षित किये गये मामले के अभिलेखों में, आवश्यकतानुसार प्रविष्टियाँ अभिलिखित करेगा ।

(8) अपील प्राधिकारी का विनिश्चय प्राप्त किये जाने पर, सक्षम प्राधिकारी, यदि उस विनिश्चय के अधीन आवश्यक हो तो, उपदान के संदाय के लिए अपने निदेश में उपांतरण करेगा और प्रपत्र-सोलह में सम्बन्धित नियोजक को उपांतरित संदेय धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुये तथा आवेदक को संदाय करने का निदेश देते हुए, सक्षम प्राधिकारी को सूचना दिये जाने के अधीन आयोजक द्वारा नोटिस प्राप्त किये जाने के पन्द्रह दिनों के भीतर नोटिस जारी करेगा। नोटिस की एक प्रति यथास्थिति अपीलकर्ता कर्मचारी, नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी तथा अपील प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जायेगी ।

उपदान की वसूली के लिये आवेदन

58–जहाँ कोई नियोजक, यथास्थिति, नियम 55 के उपनियम (7) या नियम 57 के उपनियम (8) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त नोटिस के अनुसार, संहिता के अधीन देय उपदान का संदाय करने में विफल रहता है, वहाँ यथास्थिति, संबंधित कर्मचारी, उसका नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी, जिसको उपदान संदेय हो, संहिता की धारा 129 के अधीन उसकी वसूली के लिए प्रपत्र–सत्रह में, दो प्रतियों में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है।

अध्याय–पाँच

प्रसूति प्रसुविधा

धारा 72 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को की जाने वाली शिकायत

59–(1) धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन कोई शिकायत लिखित रूप में प्रपत्र–अट्ठारह में उस क्षेत्र के अधिकारिता वाले निरीक्षक–सह– सुविधादाता को दी जायेगी।

(2) धारा 72 में निर्दिष्ट कोई शिकायत जब निरीक्षक–सह–सुविधादाता को प्राप्त होगी, वह इस संबंध में नियोजक द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले सुसंगत अभिलेखों, अधिष्ठान में नियोजित किसी व्यक्ति का परीक्षण करेगा और ऐसी जांच के लिए आवश्यक बयान लेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि प्रसूति प्रसुविधा या धनराशि अनुचित रूप से रोके गए हैं, तो वह नियोजक को, यथास्थिति, संबंधित महिला या धारा 63 के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को, तत्काल किन्तु 45 दिन की अवधि से अधिक नहीं, ऐसा आदेश करेगा जो वह उचित समझता है।

अपील प्राधिकारी

60–(1) धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, राज्य सरकार के क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त के समक्ष अपील कर सकता है।

(2) अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रपत्र–उन्नीस में लिखित रूप से अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जायेगीः

परन्तु यह कि अपील हेतु कोई आवेदन–पत्र मात्र इस कारण से अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि अपील हेतु प्रस्तुत आवेदन विहित प्रारूप में नहीं है।

(3) जब कोई अपील प्राप्त होती है तो अपील प्राधिकारी, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता से नियत दिनांक से पूर्व मामले से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त करेगा। अपील प्राधिकारी दोनों पक्षकारों को सुनेगा और यदि वह उचित समझे, तो निरीक्षक–सह–सुविधादाता का कथन भी अभिलिखित कर सकता है।

(4) दस्तावेजों, उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों और उसे प्रस्तुत किए गए या उसके द्वारा पता लगाए गए तथ्यों पर विचार करते हुए, अपील प्राधिकारी तीन महीने के भीतर अपना विनिश्चय देगाः

परंतु यह कि अपील प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उक्त अवधि को तीन महीने से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

अध्याय–छह

कर्मचारी का प्रतिकर

अंत्येष्टि व्ययों का संदाय

61–यदि कर्मचारी की चोट लगने के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है तो नियोजक, संहिता के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पास प्रतिकर जमा करने के अतिरिक्त ऐसे कर्मचारी की अन्त्येष्टि के व्यय के निमित्त कर्मचारी के ज्येष्ठतम् उत्तरजीवी आश्रित को पच्चीस हजार रूपये की धनराशि का संदाय करेगा अथवा जहाँ उक्त कर्मचारी के कोई आश्रित न हों अथवा उसकी मृत्यु के समय उसके साथ कोई आश्रित न रह रहा हो वहाँ ऐसी स्थिति में अन्त्येष्टि व्ययों के निमित्त उक्त संदाय ऐसे व्यक्ति को किया जायेगा जिसने वस्तुतः ऐसा व्यय उपगत किया हो :

परन्तु यह कि यदि केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा धारा 76 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट धनराशि में वृद्धि करती है तो इस नियम के अधीन जमा की जाने वाली धनराशि स्वतः बढ़ जायेगी ।

धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन चिकित्सा प्रमाण–पत्र के बिना अर्द्धमासिक संदायों की समीक्षा हेतु आवेदन तथा प्रक्रिया

62–(1) जब चिकित्सा प्रमाण–पत्र के बिना आवेदन किया जाये–धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन अर्द्धमासिक संदाय की समीक्षा हेतु आवेदन, चिकित्सा प्रमाण–पत्र संलग्न किये बिना निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है–

(क) नियोजक द्वारा इस आधार पर कि जब से प्रतिकर का अधिकार अवधारित किया गया है तब से कर्मचारी की मजदूरी बढ़ गयी है;

(ख) नियोजक द्वारा इस आधार पर कि जब से प्रतिकर का अधिकार अवधारित किया गया है तब से उसकी मजदूरी घट गयी है;

(ग) कर्मचारी द्वारा इस आधार पर कि, नियोजक ने प्रतिकर का संदाय करना प्रारंभ करके उसका संदाय करने से प्रविरत हो गया है, इस बात के होते हुए भी कि कर्मचारी की दशा में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिसमें कि ऐसी प्रविरति की वारण्टी हो सके;

(घ) नियोजक या कर्मचारी द्वारा इस आधार पर कि तत्समय प्रवृत्त प्रतिकर की दर का अवधारण कपटपूर्वक अथवा असम्यक प्रभाव से या अन्य अनुचित साधनों से किया गया था; या

(ङ) नियोजक या कर्मचारी द्वारा इस आधार पर कि प्रतिकर का अवधारण किये जाने में कोई ऐसी चूक या त्रुटि हुई है जो अभिलेखावलोकन से प्रकट होती है।

(2) पुनर्विलोकन के लिये आवेदन की प्रक्रिया – यदि किसी नियोजक द्वारा पुनर्विलोकन के लिये किये गये आवेदन, जिसमें अर्द्ध–मासिक संदाय की कटौती या रोक वांछित हो, का परीक्षण करने पर यदि समक्ष प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि यह विश्वास करने का युक्ति–युक्त कारण है कि नियोजक को ऐसी कटौती या रोक का अधिकार है तो वह किसी भी समय प्रभावित होने वाले संभावित कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आवेदन पर अपना विनिश्चय विचाराधीन रखते हुए अर्द्ध–मासिक संदाय को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकने के लिये आदेश जारी कर सकता है।

(3) सारांशीकरण के लिये आवेदन की प्रक्रिया–

(क) जहां एक मुश्त राशि के संदाय द्वारा अर्द्ध–मासिक संदाय प्राप्त करने के अधिकार के मोचन के लिए उपधारा (7) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया जाता है, वहाँ सक्षम प्राधिकारी निःशक्तता की संभावित अवधि का प्राक्कलन करेगा और सम्पूर्ण अर्द्ध–मासिक संदाय के बराबर धनराशि अधिनिर्णीत नहीं करेगा, जो उस अवधि के लिए संदेय होगी, जब तक उसकी प्राक्कलित निःशक्तता जारी रहेगी, उस अवधि की प्रत्येक माह की कुल धनराशि का आधा प्रतिशत कम घटाकर होगीः

परंतु यह कि इस प्रकार संगणना में सम्मिलित रुपयों के भिन्नों की उपेक्षा की जायेगी;

(ख) किसी ऐसे मामले में जिसमें उपनियम (क) लागू होता है, जब सक्षम प्राधिकारी निःशक्तता की अधिसंभाव्य अवधि का अनुमान आकलित करने में असमर्थ रहे, तो वह समय–समय पर एक अवधि के लिए, जो एक समय पर दो महीने से अधिक न हो, आवेदन पर विनिश्चय टाल सकता है।

धारा 82 की उपधारा (4) के अधीन नियोजकों के वर्ग और नोटिस पुस्तिका का प्रपत्र

63–राज्य सरकार नियोजकों के किसी वर्ग, जैसा कि राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह अपने परिसर में जहाँ कर्मचारी नियोजित हों, प्रपत्र–बीस में एक नोटिस–पुस्तिका अनुरक्षित करेंगे, जो परिसर में नियोजित किसी घायल कर्मचारी को या उसकी ओर से सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के लिये सभी युक्तियुक्त अवसरों पर आसानी से सुलभ हो।

धारा 84 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन चिकित्सीय परीक्षण के लिये आवृत्ति तथा निर्बंधन

64–(1) नियमानुसार के सिवाय कर्मचारी से चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रस्तुत होने की अपेक्षा न किया जाना–कोई कर्मचारी, जिसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना अपेक्षित हो, इस भाग में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार ही ऐसा करने हेतु वह बाध्य होगा, अन्यथा नहीं ।

(2) कर्मचारी और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी दोनों के परिसर में होने पर परीक्षण–जब प्रत्येक कर्मचारी अपने नियोजक के परिसर में उपस्थित हो और नियोजक, योग्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जो उपस्थित हो, से उसका निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण कराना चाहता हो तो कर्मचारी तुरंत परीक्षण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा ।

(3) अन्य मामलों में परीक्षण–उन मामलों में जिनमें नियम 61 लागू नहीं होता है–

(क) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को उस स्थान पर भेज सकता है जहाँ कर्मचारी उस समय निवास कर रहा हो, इस दशा में चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किये जाने पर कर्मचारी स्वयं को चिकित्सीय परीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगा; या

(ख) कर्मचारी के पास रजिस्ट्रीकृत अर्ह चिकित्सा व्यवसायी द्वारा निःशुल्क परीक्षण करवाने के लिए लिखित प्रस्ताव प्रेषित कर सकता है, इस दशा में कर्मचारी नियोजक के परिसर में अथवा उसके समीप ऐसे स्थान पर, जैसा कि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसे समय पर जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, चिकित्सीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत होगा:

परन्तु यह कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय कर्मचारी की स्पष्ट सहमति के साथ शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के मध्य नहीं होगा:

परन्तु यह और कि ऐसे मामले में जहाँ कर्मचारी की दशा ऐसी हो, जिसमें उसके स्थान, जहां वह तत्समय रह रहा हो, को छोड़ना असंभव या अनुपयुक्त हो तो वह चिकित्सीय परीक्षण के लिए ऐसे स्थान पर प्रस्तुत होने के लिये अपेक्षित नहीं होगा।

(4) परीक्षणों की संख्या पर निर्बन्धन– ऐसे किसी कर्मचारी, जो अर्द्धमासिक संदाय प्राप्त करता हो, से दुर्घटना के पश्चात् प्रथम माह में दो बार से अधिक अथवा किसी अनुवर्ती माह में एक बार से अधिक, उसके वर्तमान निवास से भिन्न स्थान पर, चिकित्सीय परीक्षण के लिये स्वयं प्रस्तुत होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(5) प्रतिकर के अधिकार के निलंबन के बाद परीक्षण–यदि कोई कर्मचारी जिसके प्रतिकर का अधिकार, संहिता की धारा 84 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निलंबित कर दिया गया हो, बाद में चिकित्सीय परीक्षण के लिए स्वयं प्रस्तुत होता है, तो उसका परीक्षण नियोजक के परिसर में या समीप में ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर जैसा कि नियोजक द्वारा नियत किया जाय जो कर्मचारी द्वारा स्पष्ट सहमति के साथ स्वयं को प्रस्तुत किये जाने के बहत्तर घण्टे का बाद का न हो, किया जायेगा ।

(6) महिला का परीक्षण–

(क) किसी महिला की, उसकी सहमति के बिना अन्य महिला की उपस्थिति के सिवाय, पुरूष व्यवसायी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया जाएगा;

(ख) किसी महिला से पुरुष व्यवसायी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण की अपेक्षा नहीं की जायेगी, यदि वह इतनी धनराशि जमा कर देती है, जो किसी महिला व्यवसायी द्वारा परीक्षण किये जाने के व्ययों के लिए पर्याप्त हो ।

घातक दुर्घटनाओं का विवरण

65–(1) संहिता की धारा 88 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा भेजी जाने वाली नोटिस प्रपत्र–इक्कीस में होगी और उसके साथ प्रपत्र–बाइस की रिक्त प्रति संलग्न की जायेगी।

(2) धारा 88 के अधीन नियोजक के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला कथन प्रपत्र – बाईस में होगा ।

(3) धारा 88 की उपधारा (1) के अधीन किसी दुर्घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट, उस प्राधिकारी को प्रेषित की जा सकती है, जिसे ऐसी दुर्घटना की नोटिस दी जानी अपेक्षित हो ।

ज्ञापन का प्रपत्र

66–धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया समझौता ज्ञापन, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे, दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा और यह प्रपत्र–तेईस, प्रपत्र–चौबीस या प्रपत्र–पच्चीस में होगा, जैसा कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित हो।

यदि सक्षम प्राधिकारी ज्ञापन प्राप्त करने से इनकार करता है या उसकी प्राप्ति स्वीकार नहीं करता है, तो ज्ञापन को विधिवत तामील माना जाएगा और ऐसी तामील वैध मानी जाएगी।

प्रक्रिया जहाँ सक्षम प्राधिकारी यह नहीं मानता है कि उसे ज्ञापन अभिलिखित करने को अस्वीकृत करना चाहिए

67–(1) करार ज्ञापन प्राप्त किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी, ज्ञापन अभिलिखित करने अथवा उसे अभिलिखित करने से अस्वीकृत करने का विनिश्चय करने हेतु करार के पक्षकारों को प्रपत्र–छब्बीस में सुनवाई का दिनांक तथा स्थान नियत करते हुये एक नोटिस जारी करेगा और यह कि आपत्तियों में त्रुटि होने पर वह इस प्रकार नियत दिनांक को ज्ञापन अभिलिखित करने का प्रस्ताव करेगा। इस उपनियम के अधीन नोटिस, व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा इलेक्ट्रानिक रूप से प्रेषित की जा सकती है :

परन्तु यह कि जब नोटिस लिखित रूप से अन्यथा रूप में जारी की जाय, तब नोटिस उस समय उपस्थित पक्षकारों को मौखिक रूप से संसूचित की जा सकती है।

(2) इस प्रकार नियत दिनांक को करार के पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी ज्ञापन अभिलिखित करने या उसे अभिलिखित करने से अस्वीकृत करने का विनिश्चय करेगा :

परन्तु यह कि उपनियम (1) के अधीन नोटिस जारी किया जाना, इस प्रकार नियत दिनांक को ज्ञापन अभिलिखित करने को अस्वीकृत करने से सक्षम प्राधिकारी को रोका जाना नहीं समझा जायेगा, भले ही सम्बन्धित किसी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति न की जाय।

(3) यदि ऐसे दिनांक को सक्षम प्राधिकारी यह विनिश्चय करता है कि ज्ञापन अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिये तो वह उपस्थित पक्षकारों को अपने विनिश्चय तथा तत्सम्बन्धी कारणों को सूचित करेगा और यदि ज्ञापन को अभिलिखित किये जाने की वांछा रखने वाला कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो वह प्रपत्र–सत्ताईस में उक्त सूचना उस पक्षकार को प्रेषित कर देगा।

प्रक्रिया जहाँ सक्षम प्राधिकारी ज्ञापन अभिलिखित करने से अस्वीकृत करने का विचार करता है

68–(1) यदि कोई करार ज्ञापन प्राप्त किये जाने पर, सक्षम प्राधिकारी का यह विचार हो कि ज्ञापन अभिलिखित करने से अस्वीकृत करने के आधार हैं, तो वह पक्षकार या पक्षकारों की सुनवाई के लिए, जो ज्ञापन को अभिलिखित कराने की वांछा रखते हैं, दिनांक नियत करेगा और ऐसे पक्षकार या पक्षकारों को, और यदि वह उचित समझे किसी अन्य संबंधित पक्षकार को, इस प्रकार नियत दिनांक और आधार, जिन पर वह समझता है कि ज्ञापन अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए की सूचना देगा।

(2) यदि सूचना दिए जाने वाले पक्षकार उपस्थित न हों, तो यथास्थिति प्रपत्र–अट्ठाईस अथवा प्रपत्र–उन्तीस में उन्हें एक लिखित नोटिस प्रेषित की जायेगी और ऐसी किसी नोटिस में नियत दिनांक नोटिस निर्गत होने के दिनांक के पश्चात् सात दिन से कम का नहीं होगा।

(3) यदि उपनियम (1) के अधीन नियत दिनांक को ज्ञापन अभिलेखित कराने की वांछा रखने वाला पक्षकार या वाले पक्षकार, ज्ञापन अभिलिखित कराने के लिए कार्यवाही करने के लिए उचित कारण दर्शाते हैं तो सक्षम प्राधिकारी, यदि सभी संबंधित पक्षकारों को पहले सूचना दी जा चुकी हो, करार अभिलिखित कर सकता है। यदि ऐसे समस्त पक्षकारों को सूचना न दी गई हो, तो वह उपनियम (2) के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

(4) यदि इस प्रकार नियत दिनांक को, सक्षम प्राधिकारी ज्ञापन अभिलिखित करने से अस्वीकृत करेगा, तो वह ऐसे किसी पक्षकार को प्रपत्र–सत्ताईस में नोटिस भेजेगा, जिसने उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त नहीं की थी।

ज्ञापन अभिलिखित करने से अस्वीकृत करने की प्रक्रिया

69–(1) यदि किसी मामले में सक्षम प्राधिकारी करार के ज्ञापन को अभिलिखित करने से अस्वीकृत करता है, तो वह ऐसी अस्वीकृति के कारणों को संक्षिप्त रूप से अभिलिखित करेगा।

(2) यदि सक्षम प्राधिकारी करार ज्ञापन को अभिलिखित करने से अस्वीकृत करता है तो वह करार में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक किसी धनराशि या रकम का संदाय करने को निदेशित करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं करेगा, जब तक ऐसी धनराशि के भुगतान हेतु दायी पक्षकार को यह कारण बताने का, कि क्यों भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, अवसर न दे दिया गया हो ।

(3) जहां करार एकमुश्त धनराशि के संदाय द्वारा अर्द्ध–मासिक संदाय से मोचन के लिए हो, और सक्षम प्राधिकारी का यह विचार हो कि करार का ज्ञापन, करार में यथा नियत धनराशि की अपर्याप्तता के कारण अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए, तो वह कर्मचारी की निःशक्तता की संभाव्य अवधि का अपना प्राक्कलन अभिलिखित करेगा ।

अभिलिखित करने के लिये स्वीकृत ज्ञापन का रजिस्ट्रीकरण

70–करार ज्ञापन अभिलिखित करने में सक्षम प्राधिकारी स्वीकृत ज्ञापन का प्रपत्र–तीस में विद्यमान किसी रजिस्टर में प्रविष्ट करायेगा और उसका पृष्ठांकन, स्वयं द्वारा प्रतिधारित की जाने वाली ज्ञापन की प्रति पर अपने हस्ताक्षर से निम्नलिखित निबन्धनों के अनुसार प्रविष्ट करायेगा, अर्थात्

यह करार ज्ञापन, जिसकी क्रम संख्या....., वर्ष 20.....रजिस्टर में अंकित है, आज दिनांक .....सन्..... को अभिलिखित किया गया।

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी

धारा 91 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की अर्हता तथा उसका अनुभव

71–(1) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति सहायक श्रमायुक्त की श्रेणी से अन्यून ऐसा राजपत्रित अधिकारी होगा जिसकी शैक्षिक अर्हता वही होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उक्त पद के लिये अवधारित किया जाय ।

(2) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास सहायक श्रम आयुक्त के पद पर कम से कम पाँच वर्ष की सेवा का अनुभव होना चाहिए; अथवा यदि उसने श्रम प्रवर्तन अधिकारी के रूप में पाँच वर्ष तक अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी या सुलह अधिकारी के रूप में कार्य किया हो और तत्पश्चात उसे सहायक श्रम आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया हो।

दावा हेतु आवेदन और आवेदन निस्तारण की प्रक्रिया

72–(1) नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संहिता या इस नियमावली के अधीन मामलों का निस्तारण करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा और ऐसे मामलों में पक्षकारों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया इस अध्याय में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

(2) दावा के लिये आवेदन–धारा 93 में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई आवेदन सक्षम प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जा सकता है अथवा उसके पास प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधीनस्थ व्यक्ति को या इलेक्ट्रानिक रूप से प्रेषित किया जा सकता है और इस प्रकार भेजा गया या प्रस्तुत किया गया आवेदन, जब तक सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, समुचित प्रपत्र (यथास्थिति प्रपत्र–इकतीस, प्रपत्र–बत्तीस या प्रपत्र–तैंतीस) में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा और उस पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के नियम 15 के आदेश छः द्वारा विहित रीति से आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा और उसका सत्यापन किया जायेगा ।

(3) दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना –

(क) जब राहत के लिए आवेदन किसी दस्तावेज पर आधारित हो तब उक्त दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ;

(ख) कोई अन्य दस्तावेज जो आवेदक साक्ष्य में देना चाहता है, प्रथम सुनवाई पर अथवा उसके पहले प्रस्तुत किया जाएगा ;

(ग) कोई दस्तावेज, जिसे यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय पर या विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, वह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना आवेदक की ओर से साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं होगा ;

(घ) इस नियम की कोई बात किसी ऐसे दस्तावेज पर लागू नहीं होती है जो साक्षियों की प्रति परीक्षा के प्रयोजनों के लिए हो या साक्षियों को उसकी याददाश्त को ताजा करने के लिए सौंपा गया हो ।

(4) गलत सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत आवेदन–

(क) यदि आवेदन प्राप्त करने पर सक्षम प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, तो वह उस समय पर प्रस्तुत किये जाने और वापस किये जाने का दिनांक, वापस किये जाने का कारण और उस सक्षम प्राधिकारी का पदनाम, जिसको इसे भेजा जाना चाहिए, पृष्ठांकित कर आवेदक को वापस भेजेगा;

(ख) यदि मामले के किसी प्रक्रम में सक्षम प्राधिकारी को यह महसूस हो कि आवेदन किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए था तो वह उस प्राधिकारी को मामले की पत्रावली प्रेषित कर देगा जिसके पास अधिकारिता हो और तत्सम्बन्धी सूचना आवेदक तथा अन्य पक्षकारों को देगा;

(ग) वह सक्षम प्राधिकारी जिसको उपनियम (2) के अधीन मामला अंतरित किया गया हो, कार्यवाही उसी प्रकार जारी रखेगा मानो पूर्व की कार्यवाहियाँ उसके समक्ष की गई हों, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि इससे पक्षकारों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(5) आवेदक का परीक्षण –

(क) धारा 93 में निर्दिष्ट प्रकृति का आवेदन प्राप्त किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी आवेदक का शपथ पर परीक्षण कर सकता है, अथवा आवेदक को इस निमित्त अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी के पास प्रेषित कर सकता है, और ऐसे अधिकारी को आवेदक का और उसके साक्षियों का परीक्षण करने का निदेश दे सकता है और उसके अभिलेख को सक्षम प्राधिकारी के पास अग्रसारित कर सकता है;

(ख) उपनियम (1) के अधीन किये गये किसी परीक्षण का सार उसी रूप से अभिलिखित किया जाएगा, जैसा कि धारा 97 में साक्ष्य को अभिलिखित करने के लिए उपबन्ध किया गया है।

(6) आवेदन का संक्षिप्त रूप में खारिज किया जाना–

(क) सक्षम प्राधिकारी, आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और आवेदक की किसी परीक्षा के परिणाम के पश्चात, आवेदन को संक्षेपतः खारिज कर सकता है, यदि, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उसकी यह राय हो कि उस पर कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार नहीं है:

परन्तु यह कि इस खंड के अधीन आवेदन की अस्वीकृति स्वयं आवेदक को उसी मामले के निपटारे के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करने से नहीं रोकेगी;

(ख) यदि आवेदन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा संक्षेपतः खारिज नहीं किया जाता है तो वह विरोधी पक्षकार या पक्षकारों, जिसके/जिनके विरूद्ध राहत की अपेक्षा की गयी हो, आवेदन और अन्य संलग्न दस्तावेजों की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा।

(7) विपक्षी पक्षकार को नोटिस– यदि सक्षम प्राधिकारी उपनियम (6) के अधीन आवेदन खारिज नहीं करता है, तो वह आवेदन की एक प्रति उस दिनांक जिस दिनांक को वह आवेदन का निस्तारण करेगा, को नोटिस सहित उस पक्षकार (जिसे आगे विरोधी पक्षकार कहा गया है) के पास भेजेगा जिससे आवेदक राहत का दावा करता है और पक्षकारों को उस दिनांक को कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, जिस दिनांक को वह प्रस्तुत करना चाहे।

(8) पक्षकारों की पेशी–

(क) जहां विपक्षी पक्ष दावे का विरोध करना चाहता है, वह प्रासंगिक दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ एक लिखित बयान दाखिल कर सकता है, जहां कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया गया है, सक्षम प्राधिकारी दावे के आधार पर उसका परीक्षण करने की कार्यवाही करेगा और परीक्षण के परिणाम को लिखित रूप में दर्ज करेगा;

(ख) यदि विरोधी पक्षकार लिखित बयान दर्ज करता है, तो आवेदक दस्तावेज सहित प्रत्युत्तर दर्ज कर सकता है।

(9) विवाद की विरचना–

(क) पक्षकारों के किसी लिखित कथन और उनकी किसी परीक्षा के परिणाम पर विचार करने के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी मामले के विनिश्चय के लिये विवाद विरचित कर सकता है, यदि वह आवश्यक समझे;

(ख) जहाँ विधि और तथ्यों के विवाद विरचित किये जायं और यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि मामले का विनिश्चय विधि विवादों के आधार पर किया जा सकता है तो वह उन विवादों पर सुनवाई की कार्यवाही करेगा और विधि विवादों पर विनिश्चय के पश्चात् तथ्यों के विवादों पर सुनवाई की कार्यवाही की जायेगी ।

(10) साक्ष्य और गवाहों का बुलाया जाना–

(क) विवादों को विरचित करने के पश्चात्, पक्षकार अपने साक्ष्य, शपथ–पत्र पर दाखिल कर सकते हैं, जिसमें विरोधी पक्षकार को प्रति–परीक्षण करने का अधिकार होगा;

(ख) किसी पक्षकार द्वारा कार्यवाहियों के सम्बन्ध में आवेदन किये जाने पर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत की गयी ऐसी फीस और व्ययों को जमा किये जाने पर, सक्षम प्राधिकारी किसी साक्षी को समन कर सकेगा, जिसे वह ऐसे मुद्दे के न्यायपूर्ण विनिश्चय हेतु आवश्यक समझता हो;

(ग) समस्त साक्षियों के साक्ष्य, सक्षम प्राधिकारी की उपस्थिति में अभिलिखित किये जायेंगे और उसके हस्ताक्षर तथा मुहर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे |

(11) स्थगन के कारणों को अभिलिखित किया जाना– यदि सक्षम प्राधिकारी यह पाता है कि किसी आवेदन-पत्र का निस्तारण एक सुनवाई में किया जाना सम्भव नहीं है, तो वह ऐसे कारणों को अभिलिखित करेगा जिनके कारण स्थगन किया जाना आवश्यक हो गया है ।

(12) तथ्यों के विवादों के विचारण के स्थगन की शक्ति जहाँ विधि विवाद पैदा होते हैं–जहाँ एक ही मामले में तथ्य के विवाद्यक एवं विधि के विवाद उत्पन्न हों और सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि मामले का निपटारा केवल विधि के विवादों के आधार पर हो सकेगा तो वह उन विवादों का पहले ही विचारण करेगा और उस प्रयोजन के लिये यदि वह

उचित समझे, तथ्य के विवादों को तब तक स्थगित रख सकेगा, जब तक कि तथ्य के विवादों का अवधारण नहीं हो जाता है ।

(13) डायरी–सक्षम प्राधिकारी किसी आवेदन से सम्बंधित कार्यवाहियों की एक संक्षिप्त डायरी अनुरक्षित करायेगा ।

(14) स्थानीय निरीक्षण के लिए प्रवेश करने का अधिकार– सक्षम प्राधिकारी जिसके समक्ष दुर्घटना द्वारा हुई क्षति से संबंधित कोई कार्यवाही लंबित हो, स्थानीय निरीक्षण करने के लिए अथवा कार्यवाहियों से संबंधित सूचना देने वाले किसी व्यक्ति का परीक्षण करने के लिए, उस स्थान में कभी भी प्रवेश कर सकता है जहाँ कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था अथवा जहां सामान्य रूप से कर्मचारी कार्य करता थाः

परन्तु यह कि सक्षम प्राधिकारी अधिष्ठान के प्रबंधन के लिए नियोजक या उसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी किसी व्यक्ति की अनुमति के सिवाय, उस अधिष्ठान के सामान्य कार्य समय के दौरान को छोड़कर, किसी औद्योगिक अधिष्ठान के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा ।

(15) स्थानीय निरीक्षण के सम्बन्ध में प्रक्रिया–

(क) यदि सक्षम प्राधिकारी उन परिस्थितियों, जिनमें दुर्घटना घटी हो, की घटना स्थल पर जांच करने की दृष्टि से स्थानीय निरीक्षण करने के लिए प्रस्ताव करता है, तो वह ऐसा निरीक्षण करने के अपने इस आशय की सूचना पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों को देगा, जब तक कि उसकी राय में मामले की आवश्यकता से इस प्रकार की सूचना अव्यवहार्य न हो जाय;

(ख) ऐसी सूचना मौखिक या लिखित दी जा सकती है और नियोजक के मामले में, ऐसे किसी व्यक्ति को दी जा सकती है जिस पर धारा 88 की उपधारा (2) के अधीन दावे की सूचना तामील की जा सकती है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधियों को दी जा सकती है;

(ग) स्थानीय निरीक्षण में कोई पक्षकार अथवा किसी पक्षकार का प्रतिनिधि सक्षम प्राधिकारी के साथ हो सकेगा;

(घ) स्थानीय निरीक्षण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी ज्ञापन में परिलक्षित किन्हीं तथ्यों के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी अंकित करेगा और ज्ञापन किसी ऐसे पक्षकार को अवलोकित करायेगा, जो उसे देखना चाहे, और विहित शुल्क के संदाय के पश्चात, उसकी प्रति किसी भी पक्षकार को देगा;

(ङ) ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा ।

(16) संक्षिप्त परीक्षण की शक्तियां–

(क) सक्षम प्राधिकारी अपने समक्ष लंबित किसी मामले की औपचारिक सुनवाई के समय के सिवाय, स्थानीय निरीक्षण के दौरान अथवा किसी समय, किसी व्यक्ति का संक्षिप्त परीक्षण कर सकता है, जो ऐसे मामले से संबंधित सूचना देने में समर्थ प्रतीत होता हो, चाहे ऐसा व्यक्ति मामले में साक्षी के रूप में पुकारा गया हो अथवा पुकारा जाए या नहीं, और चाहे कोई पक्षकार या सभी पक्षकार उपस्थित हों या न हों, जाएगी;

(ख) उपनियम (1) के अधीन परीक्षित व्यक्ति को शपथ नहीं दिलाई;

(ग) उपनियम (1) के अधीन परीक्षित व्यक्तियों द्वारा कृत कथन, यदि लिखे गए हों, कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होंगे, न ही एतद्पश्चात् उपबंधित के सिवाय उन्हें मामले में किसी विनिश्चय पर पहुंचने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त अभिलेख में सम्मिलित किया जाएगा;

(घ) यदि कोई साक्षी, जिसका उपनियम (1) के अधीन परीक्षण किया गया हो, साक्ष्य में कोई सारवान कथन करता है, जो ऐसे परीक्षण में उसके द्वारा किए गए और लिखे गए कथनों से विरोधात्मक हो, तो सक्षम प्राधिकारी उसका ध्यान ऐसे कथन की ओर दिला सकता है और उसमें निदेश दे सकता है कि गवाह का परीक्षण अथवा प्रति– परीक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे कथन का संगत भाग पक्षकारों को दे दिया जाएगा;

(ङ) कोई कथन अथवा कथन का हिस्सा जो उपनियम (4) के अधीन पक्षकारों को दिया गया हो, अभिलेख में सम्मिलित किया जाएगा;

(च) जहां कोई मामला पक्षकारों के मध्य करार द्वारा निपटा लिया गया हो, वहाँ सक्षम प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी कथन को अभिलेख में सम्मिलित कर सकता है और कृत करार को स्वीकार करने अथवा स्वीकार करने से इंकार करने को न्यायोचित ठहराने के प्रयोजन के लिए, ऐसे कथन का प्रयोग कर सकता है।

(17) सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय का अनुपालन करने का करार–

(क) यदि कोई पक्षकार सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय का अनुपालन करने की अपनी इच्छा, लिखित रूप में करता है, तो सक्षम प्राधिकारी इसकी जांच करेगा कि क्या पक्षकार विनिश्चय का अनुपालन करने का इच्छुक है ?

(ख) यदि अन्य पक्षकार, सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय का अनुपालन करने के लिए सहमत होगा, तो उसके करार का तथ्य लिखित में अभिलिखित किया जाएगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा;

(ग) यदि अन्य पक्षकार सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय का अनुपालन करने के लिये सहमत नहीं होगा तो प्रथम पक्षकार विनिश्चय का अनुपालन करने हेतु बाध्य नहीं होगा ।

(18) निर्णय–

(क) सक्षम प्राधिकारी आदेश पारित करने में निर्णय और विरचित विवाद्यकों के प्रत्येक विवाद पर अपने निष्कर्ष को, और अपने निष्कर्ष के कारणों को, संक्षिप्त रूप से अभिलिखित करेगा;

(ख) हस्ताक्षर करते समय और निर्णय पर दिनांक डालते समय सक्षम प्राधिकारी, अपना विनिश्चय सुनाएगा, और उसके पश्चात् किसी आकस्मिक भूल अथवा लोप से उत्पन्न लिपिकीय अथवा गणितीय त्रुटि में सुधार करने से भिन्न, निर्णय में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन दावाकृत क्षतिपूर्ति

73–(1) जहां विपक्षी पक्ष दावा करता है कि उससे मुआवजा वसूल किया जा सकता है, तो आवेदन का उत्तर देने के लिए पहली बार बुलाए जाने पर वह सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित शुल्क सहित ऐसे दावे की सूचना प्रस्तुत करेगा, और सक्षम प्राधिकारी इसके बाद ऐसे व्यक्ति को प्रपत्र–चौंतीस में नोटिस जारी करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसे उपनियम (1) के अधीन सूचना तामील की गई हो, आवेदक के प्रतिकर के दावे का प्रतिरोध करने की इच्छा व्यक्त करता है अथवा विरोधी पक्षकार के दावे की क्षतिपूर्ति किए जाने की इच्छा व्यक्त करता है, तो वह मामले की सुनवाई के लिए नियत दिनांक को या किसी उस दिनांक को जब तक मामले को स्थगित किया गया हो, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और यदि इस प्रकार उपस्थित होता है, तो कार्यवाही के पक्षकार के समस्त अधिकार उसे प्राप्त होंगे और उपस्थित होने का व्यतिक्रम करने पर यह माना जाएगा कि विरोधी पक्षकार के विरूद्ध कृत किसी अधिनिर्णय की विधिमान्यता उसे स्वीकार है और उससे वसूल किए गए किसी प्रतिकर के लिये विरोधी पक्षकार की क्षतिपूर्ति करने का उसका स्वयं का दायित्व स्वीकार है:

परंतु यह कि यदि इस प्रकार नोटिस तामील कृत व्यक्ति बाद में उपस्थित होता है और सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण था, तो पूर्वोक्त विरोधी पक्षकार को नोटिस देने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति की सुनवाई करेगा और ऐसे निबंधनों, जो न्यायसंगत हो, के आधार पर इस नियम के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कृत अधिनिर्णय को अपास्त कर सकता है अथवा उसमें परिवर्तन कर सकता है।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसे उपनियम (1) के अधीन सूचना तामील करायी गई हो, चाहे वह प्रतिकर हेतु आवेदक के दावे को अथवा विरोधी पक्षकार के दावे का प्रतिरोध करने की इच्छा करे या ना करे, यह दावा करता है कि संविदाकार होते हुए, वह स्वयं मालिक है और किसी संविदाकार, जिससे कर्मकार प्रतिकर प्राप्त कर सकते थे, के सम्बन्ध में उसके स्थानापन्न किसी व्यक्ति द्वारा क्षतिपूर्ति किये जाने हेतु हकदार हो तो वह उपनियम (1) के अधीन नोटिस में नियत दिनाँक को या उसके पूर्व विहित शुल्क के साथ सक्षम प्राधिकारी को ऐसे दावे की नोटिस प्रस्तुत करेगा और सक्षम प्राधिकारी इस पर प्रपत्र–पैंतीस में ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा ।

(4) यदि कोई व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन नोटिस तामील की गयी हो, प्रतिकर हेतु आवेदक के दावे का अथवा उपनियम (3) के अधीन क्षतिपूर्ति किए जाने हेतु दावा प्रतिरोध करने की इच्छा व्यक्त करता है तो वह प्रपत्र–पैंतीस में नोटिस में नियत दिनांक को या किसी ऐसे दिनांक को, जब तक मामले को स्थगित किया गया हो, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और यदि वह इस प्रकार उपस्थित होता है, तो उसके पास कार्यवाहियों के पक्षकार के समस्त अधिकार होंगे और इस प्रकार उपस्थित होने का व्यतिक्रम करने पर यह माना जाएगा कि मूल विरोधी पक्षकार के विरूद्ध अथवा उस व्यक्ति, जिसे उपनियम (1) के अधीन सूचना तामील की गयी हो, के विरूद्ध कृत किसी अधिनिर्णय की विधिमान्यता उसे स्वीकार है और उससे अपेक्षित प्रतिकर के लिये कृत अधिनिर्णय के विरूद्ध पक्षकार को क्षतिपूर्ति करने का उसका स्वयं का दायित्व स्वीकार है :

परन्तु यह कि यदि कोई व्यक्ति जिसे इस प्रकार नोटिस तामील करा दी गयी हो, बाद में प्रस्तुत होकर सक्षम प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसे उपसंजात होने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो सक्षम प्राधिकारी पूर्वोक्त विरोधी पक्षकार को नोटिस देने के पश्चात, ऐसे व्यक्ति की सुनवाई करेगा और ऐसी निबंधनों, जो न्यायोचित हों, के अधीन इस नियमावली के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध दिये गये किसी अधिनिर्णय को अपास्त या परिवर्तित कर सकता है।

(5) ऐसी किसी कार्यवाही, जिसमें उपनियम (1) या उपनियम (3) के अधीन किसी व्यक्ति को कोई नोटिस तामील करा दी गई हो, में सक्षम प्राधिकारी यदि प्रतिकर का अधिनिर्णय देता है, तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में अपने निर्णय में निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, चाहे वह किसी विरोधी पक्षकार को क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायी हो या न हो, और पक्षकार, या किसी अन्य को, विनिर्दिष्ट करेगा, जिसकी क्षतिपूर्ति का वह उत्तरदायी है ।

सम्बन्धित मामलों की प्रक्रिया

74–(1) जहां एक ही दुर्घटना से उत्पन्न दो या दो से अधिक मामले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित हों और सामान्यतः अंतर्वलित कोई विवाद्यक, दो या दो से अधिक मामले में समान हों, तो जहां तक ऐसे विवाद्यकों में साक्ष्य का संबंध है, ऐसे मामले की सुनवाई साथ–साथ की जा सकती है।

(2) जहाँ उपनियम (1) के अधीन कार्यवाही की जाती है, वहाँ सामान विवाद्यक या विवाद्यकों वाले साक्ष्य का अभिलेखन, एक मामले के अभिलेख में किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी ऐसे अन्य मामले से सम्बन्धित अभिलेख पर अपना हस्ताक्षर करके उसे उस सीमा तक प्रमाणित करेगा कि इस प्रकार अभिलिखित साक्ष्य ऐसे अन्य मामले में लागू हो, और इस तथ्य के होते हुए कि ऐसे अन्य मामले के पक्षकारों को प्रस्तुत होने का अवसर प्राप्त हुआ हो और यदि वे उपस्थित रहे हों, तो साक्षियों को प्रति परीक्षित करने का अवसर प्राप्त हुआ हो ।

फीस का पैमाना

75–मामले की कार्यवाहियों से संबंधित फीस वही होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय :

परन्तु यह कि यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि आवेदक, निर्धनता या किसी अन्य कारणवश विहित फीस का संदाय करने में असमर्थ हो तो वह ऐसी किसी या समस्त फीस में छूट प्रदान कर सकता है :

परन्तु यह और कि यदि मामले का विनिश्चय आवेदक के पक्ष में किया जाय तो विहित फीस, यदि वह छूट प्राप्त न होती, संदत्त किये जाने हेतु देय होती, मामले की लागत में जोड़ी जा सकती है और उसकी वसूली इस रीति से की जा सकती है जैसा कि सक्षम प्राधिकारी लागतों से सम्बन्धित अपने आदेश में निदेश दे।

आनुषंगिक लागतें

76–(1) विवाद का कोई पक्षकार, जो विनिश्चय, डिक्री अथवा अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना चाहे, उन्हें निम्नलिखित दर पर संदाय करके प्राप्त कर सकता है:–

(क) किसी अभिलेख दस्तावेज अथवा कथन अथवा आदेश अथवा डिकी की प्रतियों की लागत, प्रति पृष्ठ 2/–रूपये तथा आवेदन की प्रति के लिए 10 रूपये होगी;

(ख) समन अथवा नोटिसें तामील किये जाने की लागत अथवा साक्षियों के व्यय अथवा पूर्व में निर्दिष्ट न किये गये किसी मामले में संदेय लागत की धनराशि वही होगी जैसा कि न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट किया जाय और ऐसी धनराशि तथा इस नियम के अधीन संदेय किसी अन्य धनराशि का संदाय ऐसी रीति से तथा ऐसे समय के भीतर किया जायेगा जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय;

(ग) न्यायालय, जब कभी आवेदक के आवेदनों पर या अन्यथा रूप में यह पाता है कि आवेदक लागत का संदाय करने में असमर्थ है, आवेदक को व्यय का संदाय किये जाने से छूट प्रदान कर सकता है।

(2) कोई व्यक्ति, जो विवाद का पक्षकार न हो, ऊपर विहित शुल्कों का संदाय करके गोपनीय दस्तावेजों को छोड़कर विनिश्चय, डिक्री या अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है।

आवेदन के निस्तारण हेतु समय–सीमा

77–(1) संहिता के अधीन प्रत्येक आवेदन का विचारण जहाँ तक सम्भव हो, तत्परता के साथ किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि विचारण विरोधी पक्षकार पर आवेदन की नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से छः माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जाये।

(2) उन मामलों में, जहाँ छः माह की अवधि समाप्त हो गयी हो, सुनवाई दिन–प्रतिदिन की जायेगी।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के कतिपय उपबंधों का लागू किया जाना

78–उक्त संहिता या इस नियमावली में अभिव्यक्त रूप अन्यथा उपबंधित के सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) की प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित उपबंध अर्थात, वे उपबंध, जो आदेश पाँच के नियम 9 से 13 और नियम 15 से 30 में अन्तर्विष्ट हों; आदेश नौ; आदेश बारह के नियम 3 से 10; आदेश सोलह के नियम 2 से 21; आदेश सत्तरह; और आदेश तेईस के नियम 1 और 2 सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष कार्यवाहियों के लिये लागू होंगे, जहाँ तक वे उन पर लागू हों:

परन्तु यह कि–

(क) उक्त उपबंधों को लागू करने को सुगम बनाने के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी ऐसे परिवर्तनों के साथ उन्हें संन्निर्मित कर सकता है, जिनसे सारभूत अंश प्रभावित न हो, जैसा कि उसके समक्ष प्रस्तुत मामले के लिये उन्हें अंगीकृत करना आवश्यक या उचित हो;

(ख) सक्षम प्राधिकारी, पर्याप्त कारणों से उक्त उपबंध से भिन्न अन्यथा रूप में कार्यवाही कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि उससे पक्षकारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय–सात

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के सम्बन्ध में उपकर

धारा 101 के अधीन उपकर की धनराशि जमा किये जाने की समय–सीमा

79–(1) यदि कोई नियोजक निर्माण कार्य पूर्ण होने के साठ दिनों के भीतर, या निर्धारण आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, या निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, देय उपकर की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऐसा नियोजक देय उपकर की राशि पर धारा 101 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विहित दर से, भुगतान की देय तिथि से लेकर वास्तव में भुगतान की गई राशि के भुगतान की तिथि तक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगाः

परन्तु यह और कि जहाँ निर्माण कार्य के सम्बन्ध में किसी स्थानीय प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित हो, वहाँ ऐसे अनुमोदन हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ, निर्माण की आंकलित लागत के आधार पर अधिसूचित दरों पर संदेय उपकर की धनराशि हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में लखनऊ में संदेय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट, संलग्न किया जायेगाः

परन्तु यह भी कि जहाँ निर्माण कार्य या परियोजना की अवधि एक वर्ष से अधिक हो जाय वहाँ उपकर का भुगतान, निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के दिनाँक से एक वर्ष पूर्ण होने के साठ दिन के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष सुसंगत अवधि के दौरान उपगत सन्निर्माण लागत की अधिसूचित दरों पर किया जायेगा।

(2) यथास्थिति उपकर के भुगतान का दिनांक वह दिनांक होगा, जिस दिनांक को उपकर की धनराशि उपकर संग्राहक के पास जमा की जाये या स्रोत पर कटौती का दिनांक या वह दिनांक होगा जिस दिनांक को ड्राफ्ट स्थानीय प्राधिकारी के पास जमा किया गया हो।

(3) यदि किसी निर्धारण अधिकारी को निर्धारण आदेश के विरुद्ध समीक्षा या बहाली के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उस पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित और जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) के अनुसार ही सख्ती से कार्यवाही की जाएगी।

धारा 105 की उपधारा (2) के अधीन अपील के लिए फीस

80–(1) यदि कोई नियोजक जारी निर्धारण आदेश से अथवा लगाये गये जुर्माने के आदेश से असंतुष्ट हो तो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील प्राधिकारी को प्रपत्र–37(क) में अपील कर सकता है ।

(2) ऐसी अपील में अन्य बातों के साथ निम्नांकित संलग्न होंगेः–

(क) आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई हो;

(ख) उपकर संग्राहक से प्राप्त इस संबंध में एक प्रमाण–पत्र कि अपील से संबंधित उपकर या शास्ति जैसा भी मामला हो, की राशि जमा कर दी गई है।

बशर्ते कि अपील प्राधिकारी, लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए, अपीलकर्ता के आवेदन पर नियम–79 के अधीन जमा की जाने वाली राशि को अधित्यजन या कम कर सकता है।

(ग) यदि अपील के साथ विवादित राशि के 0.5 प्रतिशत के बराबर फीस या शास्ति या दोनों, जैसा भी मामला हो, अधिकतम 25000 (पच्चीस हजार) रुपये की सीमा के अध्यधीन जमा किया जाता है, तो ऐसी अपील स्वीकार की जा सकती है। उक्त राशि राज्य सरकार के 'उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' उपकर लेखा में जमा की जाएगी।

(घ) विवाद के बिंदुओं से संबंधित एक विवरणी, और

(ङ) विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य।

(3) अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी निर्धारक अधिकारी से ब्यौरा अथवा उसके निर्धारण आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के आधार पर विवरण की मांग कर सकता है, जिसे वह इस अपील के निपटान के लिए वह आवश्यक समझे।

(4) अपील प्राधिकारी मामले में अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देगा और अपील का निपटान यथासम्भव शीघ्रता से परन्तु अपील की प्राप्ति की तिथि से अनधिक 60 दिनों के अंदर करेगा।

(5) उपकर की प्रमात्रा से संतुष्ट हो जाने पर अपील प्राधिकारी निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करेगा अथवा अगर उनकी राय में निर्धारण गलत है अथवा उच्चतर निर्धारण की तरफ है, तो वह निर्धारण के आदेश को उपांतरित करेगा अथवा उनकी राय में निम्नतर निर्धारण की तरफ है अथवा अगर निर्धारण का आधार गलत है, तो निर्धारण आदेश को अपनी समुक्ति के साथ निर्धारण अधिकारी को इसमें सुधार हेतु लौटा देगा।

(6) निर्धारण अधिकारी उपनियम (5) के अधीन प्रतिप्रेषित आदेश का 30 दिनों के अंदर अपील प्राधिकारी की समुक्तियों के दृष्टिगत निपटान करेगा;

परन्तु यह कि यदि उपकर की राशि में वृद्धि प्रस्तावित की जाती है तो, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(7) अगर अपील प्राधिकारी की यह राय है कि अधिरोपित शास्ति की प्रमात्रा उच्चतर निर्धारण की ओर है अथवा सही तरीके से आकलित नहीं किया गया है तो वह समुचित तरीके से इसे उपांतरित कर सकता है अथवा निर्धारक अधिकारी के आदेश को अपास्त कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

(8) इस नियम के अधीन की गई अपील को एक आख्यापक आदेश द्वारा निस्तारित किया जाएगा और ऐसे आदेश की प्रति प्रत्येक अपीलकर्ता, निर्धारण अधिकारी और सचिव, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को इस आदेश के जारी होने के पांच दिनों के भीतर प्रेषित की जाएगी।

(9) अपील के ऐसे आदेश जिसमें उपकर की राशि को घटाया गया हो, द्वारा सचिव, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से समय का उल्लेख करते हुए आधिक्य उपकर का प्रतिदाय करने की पृच्छा की जायेगी।

(10) अपील के ऐसे आदेश जिसमें उपकर या शास्ति अथवा दोनों की राशि को बढ़ाया गया हो अथवा घटाया गया हो, जैसा भी मामला हो, उसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट होगा जिस दिनांक को उपकर या शास्ति अथवा दोनों की राशि संदाय की जायेगी या प्रतिदाय की जायेगी।

(11) इस नियम के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

अध्याय–आठ
वित्त तथा लेखे

धारा 120 की उपधारा (1) के अधीन किसी चल या अचल सम्पत्ति को अर्जित करने, रखने, विक्रय करने या अन्यथा अन्तरण के लिये शर्तें

81–(1) सम्पत्ति का अर्जन–उपनियम (3) के उपबन्धों और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसाकि समय–समय पर राज्य सरकार की पूर्वानुमति से उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उत्तर प्रदेश राज्य असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाय, सम्बन्धित बोर्ड का सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी संहिता के प्रयोजनार्थ बोर्डों के लिये चल या अचल सम्पत्ति अर्जित कर सकता है:

परन्तु यह कि इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा पारित किसी संकल्प पर राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन, किसी अचल संपत्ति का विनिमय करने के लिए छत्तीस माह से अधिक अवधि के लिए किसी संपत्ति को पट्टा पर लेने के लिए, या किसी उपहार की स्वीकृति के लिये या भारयुक्त सम्पत्ति की वसीयत के लिये अपेक्षित होगा ।

(2) संपत्ति का निस्तारण–उपनियम (3) के उपबंधों और बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित शर्तों के अध्यधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड का सचिव या मुख्य कार्यपालक अधिकारी–

(क) बोर्ड की किसी अचल सम्पत्ति जिसका मूल्य प्रत्येक मामले में पचास लाख रूपये से अनधिक हो, का निस्तारण विक्रय या विनिमय द्वारा कर सकता है या बोर्ड से सम्बन्धित किसी अचल सम्पत्ति को पट्टे पर ऐसी अवधि के लिये, जो बारह माह से अनधिक हो, अनुदान में दे सकता है;

(ख) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में पारित किसी प्रस्ताव के आधार पर बोर्ड की किसी चल या अचल सम्पत्ति को पट्टे पर दे सकता है, उसका विक्रय कर सकता है या उसका अन्यथा निस्तारण कर सकता है ।

(3) संविदाओं के निष्पादन की प्रक्रिया–

(क) बोर्ड ऐसी समस्त संविदाएं कर सकता है जैसा कि वह संहिता के उपबन्धों को प्रभावी करने हेतु आवश्यक या समीचीन समझे;

(ख) संहिता के अधीन या उसके प्रयोजनार्थ की गयी प्रत्येक संविदा बोर्ड की ओर से बोर्ड के सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जायेगी;

(ग) खण्ड (ख) में यथा उपबंधित किसी व्यक्ति द्वारा की गयी प्रत्येक संविदा ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में की जायेगी जैसाकि उसके लिये उस रूप में बाध्यकारी हो यदि वह उसकी ओर से की गयी हो और वह समान रूप से तथा प्रपत्र में भिन्न हो सकती है या उन्मोचित हो सकती है:

परंतु यह कि बोर्ड की यथास्थिति सामान्य या शासकीय मुहर, पाँच लाख रूपये से अधिक की धनराशि वाली प्रत्येक संविदा पर लगायी जायेगी ।

धारा 120 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड द्वारा धारित बोर्ड की तत्काल अनपेक्षित निधियों या धनराशियों के विनिधान की रीति

82–(1) राज्य सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी शर्तों एवं पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन बोर्ड समय–समय पर अपनी ऐसी धनराशियां जिनकी तात्कालिक आवश्यकता न हो या निधि का विनिधान केंद्र अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में, राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों की परिधि के अधीन कर सकता है।

(2) किसी विनिधान के सम्बन्ध में या उससे हुई किसी क्षति, यदि कोई हो, से उपगत समस्त व्यय बोर्ड की निधि में प्रभारित किये जायेंगे और किसी विनिधान के विक्रय से उपगत लाभ, यदि कोई हो, बोर्ड की निधि में प्रोद्भूत की जायेगी।

(3) इस नियम के अधीन कृत कोई विनिधान उपनियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन समय–समय पर उपान्तरित, परिवाहित या उपाप्त हो सकता है;

तथापि परन्तु यह कि यदि इस तरह की भिन्नता, परिवर्तन या उपाप्ति के परिणामस्वरूप हानि होने की सम्भावना हो, तो राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

(4) राज्य सरकार किसी भी समय, पूर्ण या आंशिक रूप से स्थगन निदेशित कर सकती है या किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों या किसी भूमि या भवन में विनिधान पर रोक लगा सकती है।

(5) किसी विनिधान के सम्बन्ध में प्राप्त सभी लाभांश, ब्याज या अन्य धनराशि यथाशक्य शीघ्र प्राप्ति के पश्चात् बोर्ड की निधि के लेखा में जमा की जायेगी ।

धारा 120 की उपधारा (3) के अधीन ऋणों का जुटाया जाना तथा उसका प्रतिसंदाय किया जाना

83–(1) बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, बोर्ड संहिता के प्रयोजनार्थ ऋण जुटा सकता है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड भूमि अर्जन हेतु और/या भवनों के निर्माण के लिये; या इस नियम के अन्तर्गत लिये गये ऋण को चुकाने के लिये; या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उद्देश्य के लिये, ऋण जुटा सकता है।

(3) इस उपनियम के अधीन सभी ऋण निम्नलिखित से प्राप्त किये जायेंगेः–

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिसंदाय के समय तथा रीति के अनुसार निबन्धनों तथा ब्याज भुगतान की दरों पर केन्द्र सरकार से; या

(ख) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिसंदाय के समय तथा रीति के अनुसार निबन्धनों तथा ब्याज भुगतान की दरों पर राज्य सरकार से; या

(ग) राज्य सरकार के अनुमोदन से राष्ट्रीयकृत बैंकों से ।

(4) जहाँ उपनियम (3) के खंड (तीन) में विनिर्दिष्ट बैंक से ऋण प्राप्त किया जाय वहाँ बोर्ड राज्य सरकार के अनुमोदन से अग्रिम में दी गयी धनराशियों का ब्याज सहित प्रतिसंदाय सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड में निहित समस्त या किसी सम्पत्ति का बंधक स्वीकृत कर सकता है।

(5) ऋण पर ब्याज और उसके प्रतिसंदाय हेतु बोर्ड से देय समस्त भुगतान उस रीति से और ऐसे समय में किया जायेगा जैसाकि करार किया गया होः

परन्तु यह कि बोर्ड किसी भी धनराशि के लिये आवेदन कर सकता है, जो किसी ऋण के मूलधन के संबंध में देय किसी धनराशि के प्रतिसंदाय पर लागू होगा, यद्यपि उसका प्रतिसंदाय देय न हो ।

(6) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन (या निदेश के अधीन) को छोड़कर, ऋण में से उपगत कोई व्यय बोर्ड द्वारा मूलधन में प्रभारित नहीं किया जायेगा।

(7) बोर्ड प्रत्येक वर्ष तीस अप्रैल तक राज्य सरकार को एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें पिछले वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों और किए गए पुनर्भुगतानों को दर्शाया जाएगा।

धारा 121 के अधीन अप्रतिसंहरणीय देयों को बढ़े खाते में रखने की शर्तें और रीति

84–जहां, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अथवा उत्तर प्रदेश राज्य असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की यह राय हो कि बोर्ड के प्रति देय अभिदाय, उपकर, ब्याज और नुकसान की धनराशि अप्रतिसंहरणीय हो गयी है वहाँ यथास्थिति उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अथवा उत्तर प्रदेश राज्य असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उक्त धनराशि को बट्टे खाते में डालने के लिये अनुमोदन कर सकता है, अर्थात् :–

(क) अधिष्ठान को पाँच साल से अधिक समय से बंद कर दिया गया है और समस्त सम्भव प्रयासों के बावजूद नियोजक का पता अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है;

(ख) बोर्ड द्वारा प्राप्त डिक्री का निष्पादन व्यतिक्रमी नियोजक की पर्याप्त आस्तियों के अभाव में सफलतापूर्वक नहीं किया जा सका: या

(ग) निम्नलिखित द्वारा अनुदान का दावा पूर्ण रूप से नहीं किया गया हैः–

(एक) कारखानों/अधिष्ठानों के परिसमाप्त हो जाने की स्थिति में शासकीय परिसमापक; या

(दो) इकाई का राष्ट्रीयकरण हो जाने या सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर लिये जाने की स्थिति में संदायों हेतु सक्षम प्राधिकारी।

अध्याय–नौ

प्राधिकारी तथा अनुपालन

निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की नियुक्ति

85–(1) राज्य सरकार, ऐसे उपबंधों के सम्बन्ध में जहां समुचित सरकार राज्य सरकार हो, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा उतनी संख्या में अधिकारियों, जितना वह उचित समझे, को निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता के रूप में, इस संहिता एवं तद्धीन बनायी गयी नियमावली के प्रयोजनार्थ, नियुक्त कर सकती है और उनके लिये ऐसी सीमायें, जैसा कि वह उचित समझे, समनुदेशित कर सकती है ।

(2) प्रत्येक निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 की उपधारा (28) के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।

निरीक्षण योजना

86–(1) संहिता तथा इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से संहिता की धारा 122 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण सम्बन्धित एक वेब आधारित निरीक्षण जनरेट करने हेतु उपबंध करने वाली निरीक्षण योजना एवं सूचना संकलन का सूत्रपात किया जायेगा।

(2) प्रत्येक निरीक्षण, निरीक्षण योजना के अनुसार किया जायेगा।

निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता की शक्तियां

87–निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायेंगी।

धारा 123 के खण्ड (क) के अधीन अभिलेखों, रजिस्टरों और अन्य विशिष्ट विवरणों के रख–रखाव हेतु प्रपत्र और रीति

88–(1) इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्रों के अतिरिक्त ऐसे प्रत्येक अधिष्ठान का नियोजक, जिसमें कर्मचारी नियोजित हों, मजदूरी संहिता, 2019 और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन अनुरक्षित अभिलेखों और रजिस्टरों के अनुसार संहिता की धारा 123 की उपधारा (क) के अधीन अनुरक्षित किये जाने हेतु अपेक्षित अभिलेख और रजिस्टर तैयार और उनको पिछली की गयी प्रविष्टियों से पाँच वर्ष तक अनुरक्षित रखेगा।

(2) प्रत्येक नियोजक अपने कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली 2026 में यथाविनिर्दिष्ट प्रपत्र–9 में इलेक्ट्रानिकली अथवा भौतिक रूप में मजदूरी पर्ची जारी करेगा।

(3) ऐसे प्रत्येक अधिष्ठान का नियोजक जिसमें महिला कर्मचारी नियोजित हों, प्रपत्र–36 में एक रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिकली या अन्यथा रीति से, जिसमें महिला कर्मचारियों का विवरण तैयार करेगा और अनुरक्षित करेगा तथा उसमें अधिष्ठान में नियोजित सभी महिला कर्मचारियों के सम्पूर्ण विवरण रखेगा और यह निरीक्षण योजना के अन्तर्गत निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के निरीक्षण के लिये सदैव उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों के ऐसे सभी अधिष्ठानों, जिनके लिये समुचित सरकार, राज्य सरकार हो और जिन पर संहिता के अध्याय–आठ के उपबंध लागू होते हैं, प्रपत्र–37(ख) पर उनके द्वारा कराये गये भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों के सापेक्ष भुगतान किये गये उपकर का विवरण रखेगा ।

धारा 123 के खण्ड (ख) के अधीन कर्मचारियों के नियोजन स्थल पर प्रदर्शित की जाने वाली नोटिसों की रीति और प्रपत्र

89–प्रत्येक ऐसे अधिष्ठान का नियोजक जिसमें कर्मचारी नियोजित हों, ऐसी नोटिसों और सूचनाओं, जैसा कि संहिता तथा इस नियमावली के विभिन्न उपबन्धों में अपेक्षित हैं, उस रूप में, जैसा कि इस नियमावली के साथ संलग्न हैं, सहज दृश्य स्थान पर तथा अधिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर, जहाँ कर्मचारियों की ऐसी नोटिसों तथा सूचनाओं तक पहुँच सुलभ हो, प्रदर्शित करेगा ।

धारा 123 के खण्ड (घ) के अधीन अधिकारियों या प्राधिकारियों के समक्ष विवरणियाँ प्रस्तुत करने का समय एवं उनकी रीति

90–(1) ऐसा नियोजक, जिसके लिये संहिता के अध्याय– पाँच और अध्याय– छः के उपबन्ध लागू होते हैं, प्रत्येक वर्ष एक फरवरी को या उससे श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वेब पोर्टल पर प्रपत्र–38 में पूर्ववर्ती वर्ष के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट विवरणों की सूचना देते हुये एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करेगाः

परन्तु यह कि निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता खातों, पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है, जिनका रखरखाव इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य रूप में किया जाता है ।

स्पष्टीकरण:– इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्त "इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) की धारा 2 के खंड (द) में समनुदेशित है।

(2) यदि ऐसा नियोजक जिसके लिये संहिता लागू होती है, अधिष्ठान को बेच देता है, त्याग देता है या उसकी कार्यप्रणाली को बंद कर देता है, तो वह यथास्थिति इस तरह की बिक्री या परित्याग के दिनांक से एक माह के भीतर या इस तरह की बंदी के दिनांक से चार माह के भीतर हो, श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर खण्ड (1) में निर्दिष्ट प्रपत्र–38 में अग्रतर एकीकृत विवरणी अपलोड करेगा, जो कि पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति तथा बिक्री, परित्याग या बंदी के दिनांक के मध्य की अवधि के संबंध में होगा ।

(3) प्रत्येक नियोजक श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर ऐसी विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा रूप में सक्षम प्राधिकारी, जो संहिता एवं तत्पश्चात् बनायी गयी नियमावली के विभिन्न उपबन्धों के अधीन नियुक्त हो, को दाखिल करेगा ।

अध्याय–दस
अपराध और शास्तियां

धारा 138 के अधीन अपराधों के प्रशमन हेतु आवेदन और उसकी रीति

91–अपराधों का प्रशमन–

(1) धारा 138 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों के प्रशमन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, अधिसूचना द्वारा धारा 138 के अधीन प्रशमन योग्य अपराधों के लिए प्रपत्र–39 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक प्रशमन सूचना जारी करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसा सूचित किया गया व्यक्ति प्रपत्र–39 के भाग तीन में अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है और नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा या अन्यथा पूरी प्रशमन राशि जमा कर सकता है।

(3) प्रशमन अधिकारी, प्रपत्र–40 के भाग चार में प्रशमन राशि प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर ऐसे व्यक्ति को प्रशमन प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिससे ऐसी राशि प्रशमन सूचना की संतुष्टि में प्राप्त हुई है।

(4) यदि ऐसा सूचित किया गया व्यक्ति प्रशमन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रशमन राशि जमा करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उन अपराधों के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाया जाएगा जिनके संबंध में प्रशमन सूचना जारी की गयी थी।

(5) किसी सक्षम न्यायालय में उसके संबंध में अभियोजन के संस्थित किये जोन के बाद किसी अपराध के प्रशमन के लिए, धारा 138 की उपधारा (6) के उपबंध लागू होंगे।

अध्याय–ग्यारह
नियोजन सम्बंधी सूचना और उसे साझा किया जाना

धारा 2 के खण्ड (9) के अधीन वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र स्थापित किये जाने और कैरियर सेवाएं अनुरक्षित किये जाने की रीति

92–(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र स्थापित, संचालित और अनुरक्षित कर सकती है अथवा इसके पहले से स्थापित कार्यालय या रोजगार कार्यालय या दोनों को किसी पोर्टल में उपान्तरण कर सकती है या ऐसी घोषणा कर सकती है अथवा ऐसे किसी अन्य केन्द्र को अधिसूचना द्वारा वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र के रूप में प्राधिकृत कर सकती है। जब तक ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तब तक विद्यमान स्थानीय रोजगार कार्यालय वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र (क्षेत्रीय) के रूप में कार्य करेंगे ।

(2) राज्य सरकार कोई वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र संचालित करने के लिये किसी संस्था, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय निकाय या निजी निकाय के साथ करार भी कर सकती है ।

(3) उपरोक्त उपनियम (1) और (2) के अधीन स्थापित वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेंगे, अर्थात:–

(क) रजिस्टर अनुरक्षित करके या अन्यथा द्वारा हस्तकृत रूप से, डिजिटल रूप से, यथार्थ रूप में या किसी अन्य रीति से निम्नलिखित से सम्बन्धित सूचना संगृहीत किया जाना तथा उपलब्ध कराया जाना:–

(एक) ऐसे व्यक्ति, जो कर्मचारियों को नियोजित करना चाहते हैं;

(दो) ऐसे व्यक्ति, जो नियोजन चाहते हैं;

(तीन) रिक्तियां होना; और

(चार) ऐसे व्यक्ति, जो व्यावसायिक मार्गदर्शन और वृत्तिक परामर्श या स्वरोजगार प्रारम्भ करने का मार्गदर्शन चाहते हैं;

(ख) वृत्तिक परामर्श एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना;

(ग) रोजगार मेलों और रोजगार अभियानों का आयोजन;

(घ) नियोजन संबंधी सर्वेक्षण और अध्ययन;

(ङ) नियोजन क्षमता बढ़ाने वाली गतिविधियाँ; और

(च) अन्य सेवायें, जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किया जाय।

धारा 139 की उपधारा (2) के अधीन सम्बंधित वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र में नियोजक द्वारा रिक्तियाँ रिपोर्ट किये जाने की रीति तथा प्रपत्र और उसके द्वारा विवरणी दाखिल किये जाने का प्रपत्र

93–(1) वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र को रिक्तियों की रिपोर्ट किया जाना:–

(क) राज्य या उसके किसी क्षेत्र में इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् नियोजक, राज्य या उसके क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक अधिष्ठान में नियोजन के लिये कोई रिक्ति भरने से पूर्व उस रिक्ति से संबंधित सूचना ऐसे वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र को देगा या दिलायेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय;

(ख) निजी क्षेत्र के प्रत्येक अधिष्ठान का नियोजक या निजी क्षेत्र के किसी वर्ग या श्रेणी का प्रत्येक अधिष्ठान, उस अधिष्ठान के किसी नियोजन में कोई रिक्ति भरने के पूर्व उक्त रिक्ति की रिपोर्ट ऐसे दिनाँक से ऐसे वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र(क्षेत्रीय) को देगा या दिलायेगा जैसाकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय;

(ग) राज्य सरकार, नियोजकों द्वारा रिपोर्ट की गयी रिक्तियों की प्राप्ति के लिए तन्त्र (डिजिटल सहित) का उपबंध करेगी। वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र, जिसे रिक्तियां रिपोर्ट की जाय, रिपोर्ट की गई रिक्ति के लिए एक विशिष्ट रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या का उपबंध करेगा और इसे नियोजक को तत्काल लिखित रूप में ई–मेल के माध्यम से या डिजिटल रूप से या किसी अन्य माध्यम से किन्तु किसी भी स्थिति में रिक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के दिनांक से तीन कार्य दिवस के अपश्चात् सूचित करेगा ।

स्पष्टीकरण:–

(1) "सार्वजनिक क्षेत्र" का अधिष्ठान का तात्पर्य निम्नलिखित द्वारा स्वामित्व प्राप्त, नियंत्रित या प्रबंधकृत किसी अधिष्ठान से है:–

(क) सरकार या सरकारी विभाग;

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) की धारा 2 के खण्ड (45) में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी;

(ग) कोई निगम (जिसमें सहकारी समिति सम्मिलित है) या कोई स्वायत्तशासी संगठन या कोई प्राधिकरण या कोई निकाय जो केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या तद्धीन स्थापित हो; जो सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त, नियंत्रित या प्रबंधकृत हो; और

(घ) कोई स्थानीय प्राधिकरण।

(2) "निजी क्षेत्र का अधिष्ठान' का तात्पर्य ऐसे किसी अधिष्ठान से है जो सार्वजनिक क्षेत्र का अधिष्ठान न हो और जिसमें सामान्यतः 50 या उससे अधिक कर्मचारी या उतनी संख्या में कर्मचारी हों जैसाकि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(2) रिक्तियों की रिपोर्टिंग के लिए रिक्तियों के प्रकार और भिन्न–भिन्न वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र–

(क) निम्नलिखित रिक्तियां, अर्थात:–

(एक) केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित न्यूनतम वेतन या वेतन स्तर या दोनों के रूप में प्राविधिक और वैज्ञानिक प्रकृति के पदों वाली ऐसी समस्त रिक्तियां, जो ऐसे अधिष्ठानों में होती हैं जिनके सम्बंध में केन्द्र सरकार संहिता के अधीन समुचित सरकार हो; और

(दो) ऐसी रिक्तियाँ, जिन्हें कोई नियोजक राज्य के बाहर के वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र को परिचालित करना चाहे, ऐसे वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र (क्षेत्रीय) को सूचित की जायेंगी जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विहित किया जाये ।

(ख) ऐसी रिक्तियाँ, जिन्हें वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र (क्षेत्रीय) को सूचित किया गया हो और जिनके लिए भर्ती राज्य या अन्तर्राज्यीय या अखिल भारतीय आधार पर की जानी हो, वृत्तिक केन्द्र (केन्द्रीय) को भी सूचित की जायेंगी अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से यथा विहित डिजिटल पोर्टल पर अपलोड की जायेंगी ।

(3) रिक्तियों को सूचित किये जाने का प्रपत्र तथा उनकी रीतिः

(क) रिक्तियां लिखित रूप में या विधिमान्य शासकीय ई–मेल के माध्यम से या डिजिटल रूप से राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र को सूचित की जायेंगी।

(ख) रिक्तियों की रिपोर्ट प्रपत्र–इकतालीस में दिए गए प्रारूप में की जाएगी, जिसमें प्रत्येक प्रकार की रिक्तियों के बारे में जितनी हो सके उतनी ज्यादा जानकारी अलग से दी जाएगी।

(ग) उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र को पहले से उपलब्ध कराये गये विवरणों में किसी प्रकार के परिवर्तन के सम्बंध में सूचना यथास्थिति लिखित रूप में या शासकीय ई–मेल के माध्यम से या डिजिटल रूप में विनिर्दिष्ट वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र को दी जायेगी।

(4) रिक्तियों को सूचित किये जाने की समय–सीमा:

वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र (क्षेत्रीय) को सूचित किये जाने हेतु अपेक्षित रिक्तियाँ, सूचित की गयी रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्ति के प्रयोजनार्थ या साक्षात्कार या परीक्षा लेने के लिये भावी अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त किये जाने के अन्तिम दिनांक से कम से कम चालीस दिन पूर्व सूचित की जायेगी ।

(5) अभिलेखों का अनुरक्षण किया जानाः

(क) राज्य या उसके क्षेत्र में इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् राज्य या उसके क्षेत्र में स्थित सार्वजानिक क्षेत्र के किसी अधिष्ठान में नियोजक को निम्नलिखित के सम्बंध में हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रानिक या डिजिटल रूप से अभिलेख अनुरक्षित करना होगा:

(एक) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अनुसार कुल कर्मचारी संख्या (नियमित, संविदात्मक या नियत कालिक नियोजन);

(दो) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भर्ती किये गये व्यक्ति;

(तीन) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने कर्मचारियों का व्यावसायिक विवरण;

(चार) रिक्तियाँ, जिनके लिये 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए; और

(पाँच) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली सम्भावित रिक्तियों की अनुमानित संख्या ।

(ख) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से निजी क्षेत्र के प्रत्येक अधिष्ठान का नियोजक अथवा निजी क्षेत्र के किसी वर्ग या श्रेणी का प्रत्येक अधिष्ठान निम्नलिखित के संबंध में हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप से अभिलेख अनुरक्षित रखेगाः

(एक) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अनुसार कुल कर्मचारी संख्या (नियमित, संविदात्मक या नियतकालिक नियोजन);

(दो) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भर्ती किये गये व्यक्तिय

(तीन) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने कर्मचारियों का व्यावसायिक विवरणय

(चार) रिक्तियाँ, जिनके लिये 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हुए हों; और

(पाँच) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली सम्भावित रिक्तियों की अनुमानित संख्या ।

(6) विवरणी प्रस्तुत किया जानाः कोई नियोजक, प्रपत्रदृबयालीस में यथा प्रदत्त प्रपत्र–ई0आई0आर0 (नियोजन सूचना विवरणी) में वार्षिक विवरणी संबंधित वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र को उपलब्ध करायेगा। वार्षिक विवरणी नियत दिनांक अर्थात् वर्ष के 31 मार्च से तीस दिन के भीतर संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से यथा विनिर्दिष्ट रुप में यथा स्थिति हस्तकृत रुप से या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रुप में उपलब्ध करायी जायेगी ।

(7) कार्यपालक अधिकारी की घोषणाः नियोजन निदेशक या उसके समकक्ष या उससे ऊपर के श्रेणी के अधिकारी सम्बन्धित राज्य सरकार के वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र (क्षेत्रीय) के कार्य का देखभाल करने वाला अधिकारी लिखित में घोषित करेगा और सम्बन्धित राज्य का वृत्तिक एवं परामर्श केन्द्र (क्षेत्रीय) धारा 133 में यथा उल्लिखित संहिता के अधीन किसी अपराध के लिये शास्ति उदग्रहण को संस्थित किये जाने को अनुमोदित करने या संस्थित किये जाने को मंजूर करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगा।

अध्याय–बारह

प्रकीर्ण

वह समय जिसके भीतर बोर्ड या निगम धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन अपना विचार समुचित सरकार को भेजेगा।

94–बोर्ड या निगम, जैसा भी मामला हो, छूट के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर संहिता की धारा 143 के तहत छूट मांगने वाले आवेदन पर अपने विचार उपयुक्त सरकार को भेजेगा। यदि बोर्ड या निगम, जैसा भी मामला हो, उक्त अवधि के भीतर अपने विचार प्रदान करने में असमर्थ है, तो राज्य सरकार समय सीमा बढ़ा सकती है या छूट के आवेदन पर कार्रवाई कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे ।

शर्तें जिनका यथास्थिति छूट प्राप्त अधिष्ठान या अधिष्ठानों का वर्ग या कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग, उपधारा (2) और उपधारा (5) के अधीन ऐसी छूट के पश्चात् पालन करेगा

95–(1) वह अधिष्ठान जिसे संहिता के अध्याय–4 के उपबंधों से छूट दी गई है–

(क) छूट प्राप्त कर्मचारियों के संबंध में ऐसे अभिलेख बनाए रखेगा और बोर्ड या निगम को ऐसे विवरण और अन्य सूचनाएं प्रस्तुत करेगा जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है; और

(ख) किसी प्रतिष्ठान की कानूनी स्थिति में परिवर्तन की स्थिति में, जिसे संहिता की धारा 143 के तहत छूट दी गई है, विलय, विभाजन, अधिग्रहण, बिक्री, समामेलन, सहायक कंपनी में गठन, चाहे वह पूर्ण स्वामित्व वाली हो या नहीं, आदि के कारण छूट रद्द कर दी गई मानी जाएगी और अधिष्ठान को छूट के लिए उपयुक्त सरकार को नए सिरे से आवेदन करना होगा;

(2) अध्याय–3 के प्रयोजनों के लिए, अधिष्ठान और/या नियोजक, छूट प्रदान किए जाने के पश्चात, ऐसे सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन करेगा जो संहिता की धारा 15 के अधीन तैयार की गई भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना में विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(3) धारा 143 के न्यास के प्रबंधन हेतु निबंधन और शर्तें–

1–न्यासियों के बोर्ड का गठन–

प्रत्येक छूट प्राप्त अधिष्ठान, केंद्रीय सरकार अथवा केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, भविष्य निधि या पेंशन निधि के प्रबंधन हेतु न्यासियों का एक बोर्ड गठित करेगा।

2–बोर्ड की संरचना–

न्यासियों के बोर्ड में नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या समान होगी, जैसा कि लागू भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना में उपबंधित है।

3–अध्यक्ष–

नियोक्ता, न्यासियों के बोर्ड का अध्यक्ष होगा तथा मतों की समानता की स्थिति में उसे निर्णायक मत का अधिकार होगा। अध्यक्ष सभी बैठकों में निष्पक्ष एवं तटस्थ तरीके से कार्य करेगा तथा "आर्म्स–लेंथ" सिद्धांतों का पालन करेगा।

4–बोर्ड की बैठकें –

न्यासियों का बोर्ड कम से कम प्रत्येक तीन माह में एक बार बैठक करेगा तथा केंद्रीय सरकार या केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा।

5–ट्रस्ट प्रबंधन की अन्य शर्तें –

निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रावधान अर्थात् –

(क) न्यासियों का कार्यकाल,

(ख) निर्वाचन या नामांकन,

(ग) अयोग्यता या पदत्याग,

(घ) गणपूर्ति,

(उ) अभिलेखों का अनुरक्षण, तथा

(च) ट्रस्ट प्रबंधन की अन्य सभी शर्तें यथा लागू भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना द्वारा विनियमित होंगी।

6–विवादों का निस्तारण –

ट्रस्ट के सामान्य प्रशासन से संबंधित किसी भी विवाद या संदेह को उस क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास संदर्भित किया जाएगा, जिसकी अधिकारिता में संस्थान का प्रधान कार्यालय स्थित है, तथा उक्त आयुक्त का विनिश्चय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

धारा 148 के अधीन किसी अधिष्ठान या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी लाभ के दुरुपयोग का अवधारण करने की रीति

96–प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी या सामाजिक सुरक्षा संगठनों की सिफारिश पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि किसी अधिष्ठान या किसी व्यक्ति ने संहिता या इन नियमों के अधीन उसे दिए गए किसी लाभ का दुरुपयोग किया है, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसे अधिष्ठानों या अन्य व्यक्ति को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय के लिए ऐसे लाभ से वंचित कर सकती है परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे अधिष्ठान या अन्य व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए।

धारा 155 की उपधारा (2) के खंड (य फ) के अधीन महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के कार्यालय को प्रपत्र की एक प्रति प्रस्तुत किया जाना

97–प्रपत्र–13 (उपदान के दावे के भुगतान या अस्वीकृति के लिए नोटिस) की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी और श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के साथ साझा की जाएगी।

आज्ञा से,

डॉ0 एम0 के0 शन्मुगा सुन्दरम्,

प्रमुख सचिव।

प्रपत्र-1

[नियम *45* के उपनियम (*1)* का खंड (*iii)* देखें]

कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील के लिए आवेदन

समक्ष कर्मचारी बीमा न्यायालय, …….....

AB (आवेदक का विवरण और पता).....

बनाम

CD (विपक्षी पार्टी/पार्टियों का विवरण और पता) .....

नियम 45 में निर्दिष्ट आवेदन के अन्य विवरण

1. ……
2. ……
3. ……

दिनांक ……..
……

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक द्वारा सत्यापन)

इस आवेदन में दिए गए तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, सही और सत्य हैं ।

दिनांक : ……
……..

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रपत्र-2

[नियम 45 के उपनियम (2) का खंड (iv) देखें]

कर्मचारी बीमा न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए अभिलेखों की सूची

समक्ष कर्मचारी बीमा न्यायालय, …….....

AB (आवेदक का विवरण और पता).....

बनाम

CD (विपक्षी पार्टी/पार्टियों का विवरण और पता) .....

आवेदक/ विपक्षी पक्ष द्वारा पेश किए गए अभिलेखों की सूची :

1. अभिलेख प्रस्तुत करने वाले पक्ष का नाम और अन्य जानकारी: …….
2. विवरण : ……
3. विषय : ……..

क्र0सं0	अभिलेखों का विवरण	अभिलेखों पर अंकित तारीख
1	2	3

.....
पार्टी अथवा उसके
अधिकृत प्रतिनिधि या
वकील के हस्ताक्षर

प्रपत्र-3

[नियम 45 का उपनियम (3) देखें]

कार्यवाही का रजिस्टर

कर्मचारी बीमा न्यायालय, ... का रजिस्टर

साल 20..... में कार्यवाही

आवेदन जमा करने की तारीख	कार्यवाहियों की संख्या	आवेदक का नाम	पता	प्रार्थनापत्र का - विवरण
1	2	3	4	5

विपक्षी पार्टी का नाम	विपक्षी पार्टी का विवरण	पता	विवरण	दावा राशि का मूल्य, यदि कोई हो	जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है
6	7	8	9	10	11

पार्टियों के पेश होने का दिन	पेश होने वाला आवेदक	विपक्षी पार्टी	दिनांक	फाइनल आदेश किसके लिए	कितनी रकम के लिए
12	13	14	15	16	17

अपील				कार्यान्वयन			अन्य टिप्पणियाँ, यदि कोई हों
अपील के विवरण की तिथि, यदि कोई हो	अपील का आदेश	प्रार्थना-पत्र का दिनांक	किसके विरूद्ध	कितनी धनराशि के लिए	लागत धनराशि	दूसरे सिविल कोर्ट में ऑर्डर ट्रांसफर करने की तारीख.....	
18	19	20	21	22	23	24	25

प्रपत्र-4

[नियम 45 का उपनियम (6) देखें]

समक्ष - कर्मचारी बीमा न्यायालय, ...

कार्रवाई के निपटारे के लिए समन

सेवा में,

..... (नाम, जानकारी और पता)

चूंकि ..... ने आपके विरुद्ध ..... के लिए कार्यवाही शुरू की है, इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, जो मामले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो और विधिवत निर्देशित हो, इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है या आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो, दिनांक ..... को दोपहर ..... बजे, दावे का उत्तर देने के लिए और कार्यवाही के अंतिम निपटान के लिए उपस्थिति के लिए तिथि नियुक्त की जाती है, आपको उस दिन सभी गवाहों को और उन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिन पर आप अपने बचाव के समर्थन में भरोसा करने का इरादा रखते हैं।

ध्यान दें, अगर आप ऊपर बताई गई तारीख पर नहीं आते हैं, तो केस की सुनवाई और फैसला आपकी गैरमौजूदगी में होगा।

यह समन मेरे हस्ताक्षर और कोर्ट की मुहर से, आज .....20.... को जारी किया गया है।

न्यायालय

नोटिस :-

1. यदि आपको आशंका है कि आपका कोई गवाह अपनी इच्छा से उपस्थित नहीं होगा, तो आप न्यायालय में आवेदन करके तथा आवश्यक व्यय जमा करके किसी भी गवाह को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने के लिए इस न्यायालय से सम्मन प्राप्त कर सकते हैं।
2. यदि आप दावे को स्वीकार करते हैं, तो आपको कार्यवाही की लागत के साथ न्यायालय में धनराशि जमा कर देनी चाहिए, ताकि आपके विरुद्ध पारित डिक्री के निष्पादन से बचा जा सके, जो आपके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से, संपत्ति के रूप में या दोनों के रूप में पारित की जा सकती है।

प्रपत्र-5

[नियम 45 का उपनियक (6) देखें]

समक्ष - कर्मचारी बीमा न्यायालय, ...

मुद्दों के निपटारे के लिए सम्मन

सेवा में,

..... (नाम, जानकारी और पता)

चूँकि ..... ने आपके विरुद्ध ..... के लिए कार्यवाही शुरू की है। आपको इस न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, जो विधिवत निर्देशित हो और मामले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो, उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है या आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो, 20 तारीख को ..... दोपहर ..... बजे, उत्तर देने के लिए और कार्यवाही के अंतिम निपटान के लिए उपस्थिति होने हेतु तिथि नियत की जाती है, आपको उस दिन सभी गवाहों को, जिनके साक्ष्य पर, और उन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिन पर आप अपने बचाव के समर्थन में भरोसा करने का इरादा रखते हैं ।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त तिथि पर आपके उपस्थित न होने पर, मामले की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

यह मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर से , आज दिनांक 20 तारीख को जारी किया गया।

न्यायालय

नोटिस :-

1. यदि आपको आशंका है कि आपका कोई गवाह अपनी इच्छा से उपस्थित नहीं होगा, तो आप न्यायालय में आवेदन करके और आवश्यक व्यय जमा करके, किसी भी गवाह को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने हेतु इस न्यायालय से सम्मन प्राप्त कर सकते हैं।
2. यदि आप दावे को स्वीकार करते हैं, तो आपको कार्यवाही की लागत के साथ-साथ न्यायालय में धनराशि जमा करनी चाहिए ताकि आपके विरुद्ध पारित डिक्री के निष्पादन से बचा जा सके, जो आपके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से, संपत्ति के रूप में या दोनों के रूप में पारित की जा सकती है।

प्रपत्र-6

[नियम 45 के उप-नियम (14) का खंड (v) देखें]

एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने हेतु आवेदन

समक्ष - कर्मचारी बीमा न्यायालय , ...

विषय:- दिनांक ..... के एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने हेतु आवेदन ।

महोदय,

सम्मान के साथ, नीचे हस्ताक्षरकर्ता विनम्रतापूर्वक निम्नलिखित बताते हैं :–

(न्यायालय से आवेदन और प्रार्थना का आधार नीचे दिया जाना चाहिए)

1. .....
2. .....
3. .....

दिनांक:.....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक द्वारा सत्यापन)

इस आवेदन में निहित तथ्यों का विवरण, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, सत्य और सही है।

दिनांक: .....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रपत्र-7

[नियम 45 के उप-नियम (14) का खंड (V) देखें]

एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने संबंधी आवेदन के निपटान हेतु सूचना

कर्मचारी बीमा न्यायालय, ...

AB (आवेदक का विवरण और पता जोड़ें)

.....

विरुद्ध

CD (विपक्षी/पक्षों का विवरण और पता जोड़ें)

.....

वाद संख्या 20 .....

सेवा,

.....

विषय: दिनांक ..... के एकपक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए (पक्ष का नाम) के आवेदन के निपटान हेतु नोटिस।

चूँकि, उपर्युक्त व्यक्ति ने इस न्यायालय में आवेदन किया है, अतः आपको दिनांक .....20..... को दोपहर ..... बजे न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर आवेदन के विरुद्ध कारण बताने हेतु उपस्थित होने हेतु आदेशित किया जाता है, जहाँ उक्त एकपक्षीय आदेश पर सुनवाई की जाएगी और निर्णय दिया जाएगा।

यह मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से आज .....20 को जारी किया गया।

न्यायालय

प्रपत्र-8

[नियम 45 के उप-नियम (15) का खंड (ii) देखें]

गवाह को सम्मन

कर्मचारी बीमा न्यायालय, ...

AB (आवेदक का विवरण और पता जोड़ें)

.....

विरुद्ध

CD (विपक्षी/पक्षों का विवरण और पता जोड़ें)

.....

वाद संख्या .....20.....

सेवा में,

चूंकि उपरोक्त कार्यवाही में आपकी उपस्थिति ..... की ओर से अपेक्षित है, अतः आपसे व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय के समक्ष दिनांक .....20..... को दोपहर ..... बजे उपस्थित होने और अपनी वसीयत लाने (या इस न्यायालय को भेजने) की आवश्यकता है।

आपके आने-जाने और दूसरे खर्चों और एक दिन के गुज़ारे के लिए कुछ रुपये इस कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं और जिस दिन आप कोर्ट में पेश होंगे, उस दिन आपको दे दिए जाएँगे। अगर आप बिना किसी कानूनी वजह के इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं, तो आपको कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर, 1908 (एक्ट नंबर 5 ऑफ़ 1908) के ऑर्डर XVI के रूल 12 में बताए गए गैर-हाज़िरी के नतीजे भुगतने होंगे।

यह मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से आज .....20 को जारी किया गया।

न्यायालय

नोटिस :-

1. अगर आपको सिर्फ़ कोई अभिलेख पेश करने के लिए बुलाया गया है, सबूत देने के लिए नहीं, तो अगर आप उस अभिलेख को बताए गए दिन और समय पर कोर्ट में पेश करवाते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपने समन का पालन किया है।
2. अगर आपको बताए गए दिन के बाद हिरासत में लिया गया था, तो बताए गए दिन के बाद हर दिन की हाज़िरी के लिए आपको ..... रुपये दिए जाएँगे।

प्रपत्र-9

[नियम 46 के उप-नियम (2) का खंड (i) देखें]

मामले में डिक्री

कर्मचारी बीमा न्यायालय, ...

AB (आवेदक का विवरण और पता जोड़ें)

.....

विरुद्ध

CD (विपक्षी/पक्षों का विवरण और पता जोड़ें)

.....

वाद संख्या ..... 20.....

दावा

यह मामला अंतिम निपटारे की इस तिथि को आवेदक की ओर से ..... और विपक्षी की ओर से ..... की उपस्थिति में ..... के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, और यह आदेश दिया जाता है कि .....और .....रुपये की राशि ..... द्वारा ..... को उसके वाद की लागत के रूप में, उस पर इस तिथि..... से वसूली की तिथि तक .....प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित, भुगतान की जाए।

आइटम	**कॉस्ट (रुपये में)**
एप्लीकेशन के लिए टिकट	
पावर के लिए टिकट	
लिखे हुए स्टेटमेंट के लिए टिकट	
प्रदर्शनियों के लिए टिकट	
वकील की फीस	
गवाह के लिए गुज़ारा भत्ता	
सम्मन और नोटिस की तामील	
सक्षम प्राधिकारी की फीस	
कोई अन्य खर्च	
कुल	

यह मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से आज .....20 को जारी किया गया।

न्यायालय

प्रपत्र-10

[नियम 47 के उप-नियम (1) का खंड (i) देखें]

डिक्री के निष्पादन हेतु आवेदन

कर्मचारी बीमा न्यायालय, ...

AB (आवेदक का विवरण और पता जोड़ें)

.....

विरुद्ध

CD (विपक्षी/पक्षों का विवरण और पता जोड़ें)

.....

वाद संख्या ..... 20.....

इस न्यायालय के समक्ष, डिक्री धारक, नीचे दिए गए अनुसार डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करता है –

कार्यवाहियों की संख्या	पक्ष/पक्षों का नाम	डिक्री की तिथि	क्या डिक्री के विरूद्ध अपील की गयी है	यदि कोई समायोजन किया गया हैतो उसका भुगतान ,
1	2	3	4	5

पिछला आवेदन, यदि कोई हो, दिनांक और परिणाम सहित	डिक्री या उसके द्वारा प्रदान की गई अन्य राहत पर देय ब्याज सहित राशि, किसी भी क्रॉस डिक्री के विवरण के साथ	लागत की राशि, यदि कोई हो, प्रदान की गई	किसके विरूद्ध निष्पादित	कोर्ट की मदद किस तरह ज़रूरी है
6	7	8	9	10

* मैं प्रार्थना करता हूं कि कुल धनराशि (भुगतान की तिथि तक मूलधन पर ब्याज सहित) तथा इस निष्पादन की लागत को संलग्न सूची के अनुसार विपक्षी की चल संपत्ति की कुर्की तथा बिक्री द्वारा वसूल किया जाए तथा मुझे भुगतान किया जाए।

** (जब अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री की मांग की जाती है) मैं प्रार्थना करता हूं कि कुल रुपये की राशि ... (भुगतान की तारीख तक मूल राशि पर ब्याज सहित) और इस निष्पादन को लेने की लागत इस आवेदन के नीचे निर्दिष्ट विरोधी पक्ष की अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूल की जाए और मुझे भुगतान की जाए।

मैं घोषणा करता हूँ कि इसमें जो कुछ भी कहा गया है, वह मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

दिनांक: ..... दिन.....

(हस्ताक्षर)

डिक्री धारक

प्रपत्र-11

[**नियम** 52 **का उप-नियम (**1), (2), (3), (4), (5) **देखें]**

ग्रैच्युटी के लिए नॉमिनेशन/नया नॉमिनेशन/नॉमिनेशन में बदलाव

(* जो लागू न हो उसे काट दें।)

सेवा में,

.....

(यहां प्रतिष्ठान का नाम या विवरण और पूरा पता लिखें।)

1. मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी (पूरा नाम), जिनका विवरण नीचे दिए गए विवरण में है, एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को मनोनीत करता/करती हूँ/मैंने संहिता की धारा 2 की उपधारा (33) के अर्थ में (यहाँ तिथि का उल्लेख करें) से नीचे दिए गए तरीके से परिवार प्राप्त कर लिया है, और अतः मैं अपनी मृत्यु के बाद देय ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए, और साथ ही मेरी मृत्यु से पहले देय ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए, या देय होने के बाद भी भुगतान न किए जाने की स्थिति में, मेरे खाते में जमा ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए, पुनः मनोनीत करता/करती हूँ, और निर्देश देता/देती हूँ कि उक्त ग्रेच्युटी की राशि मनोनीत व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम के सामने दर्शाए गए अनुपात में भुगतान की जाए।

अथवा

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी (पूरा नाम), जिनका विवरण नीचे दिए गए विवरण में है, एतद्द्वारा सूचित करता/करती हूँ कि दिनांक को मेरे द्वारा भरा गया और आपके संदर्भ क्रमांक ..... के अंतर्गत दर्ज नामांकन निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया जाएगा-

(* जो लागू नहीं है उसे काट दें।)

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों का परिवार, भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 की धारा 2 के खंड (एच) या सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2 की उपधारा (33) के अर्थ के अंतर्गत है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करती/करता हूँ कि भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 की धारा 2 के खंड (h) या संहिता की धारा 2 की उपधारा (33) के अर्थ में मेरा कोई परिवार नहीं है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करती/करता हूँ कि-

क. मेरे पिता/माता/माता-पिता मुझ पर आश्रित नहीं हैं।

ख. मेरे पति के पिता/माता/माता-पिता मेरे पति पर आश्रित नहीं हैं।

मैंने उक्त संहिता की धारा 2 के खंड (33) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को दिनांकित सूचना द्वारा अपने पति को अपने परिवार से बाहर कर दिया है।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

इस पत्र में किया गया नामांकन मेरे पिछले नामांकन को अमान्य कर देता है।

नामांकित व्यक्ति(यों)

नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों का पूरा नाम और पता	**कर्मचारी के साथ संबंध**	**नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों की आयु**	**ग्रेच्युटी को बाँटने का अनुपात**
1	2	3	4
1. 2. 3. 4. so on			

"परिवार" बनाने का तरीका

(यहाँ परिवार के गठन के तरीके का विवरण दें, अर्थात् विवाह के माध्यम से, माता-पिता के आश्रित होने से, या गोद लेने जैसी अन्य प्रक्रिया से)

विवरण

1. कर्मचारी का पूरा नाम
2. लिंग
3. धर्म
4. अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर
5. कार्यरत विभाग/शाखा/अनुभाग
6. पद का विवरण (यदि कोई हो) टिकट संख्या या क्रम संख्या सहित
7. नियुक्ति तिथि
8. स्थायी पता

ग्राम ..... थाना ..... तहसील ..... डाकघर .....जिला..... राज्य ..... पिन कोड ..... ईमेल आईडी: ..... मोबाइल नंबर: .....

स्थान : कर्मचारी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनांक :

गवाह द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त नामांकन प्रपत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाया गया है।

गवाह का पूरा नाम और पता	गवाह के हस्ताक्षर
1.	1.
2.	2.

नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामांकन की जानकारी सत्यापित कर ली गई है और प्रतिष्ठान में दर्ज कर ली गई है।

नियोक्ता का संदर्भ क्रमांक (यदि कोई हो): .....

नियोक्ता/अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम

दिनांक :

प्रतिष्ठान का नाम और पता
या उसकी मुहर।

कर्मचारी द्वारा पावती

मुझे भरे गए और नियोक्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित **प्रपत्र-11** में नामांकन की प्रतिलिपि प्राप्त हुई ।

दिनांक: कर्मचारी के हस्ताक्षर।

प्रपत्र-12

[नियम 53 के उप-नियम (1) के खंड (क) देखें]

कर्मचारी/नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा ग्रेच्युटी के लिए आवेदन

सेवा में,

.....

[संस्थान का नाम या विवरण और पूरा पता दें]

महोदय/महोदया,

मैं, ... (कर्मचारी/नामित व्यक्ति/कानूनी वारिस का नाम)/स्वर्गीय .....(कर्मचारी का नाम) का नामित व्यक्ति/..... (कर्मचारी का नाम) के कानूनी वारिस के रूप में, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 53 की उपधारा (1) के तहत मुझे प्राप्त होने वाली ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए आवेदन करता/करती हूँ।

क. .....कम से कम पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के बाद मेरी सेवानिवृत्तिसेवानिवृत्ति/इस्तीफा/दुर्घटना के कारण पूर्ण / विकलांगता/बीमारी के कारण पूर्ण विकलांगता/निश्चित अवधि के रोजगार के तहत अनुबंध अवधि की समाप्ति पर; या

ख. ..... ख. सेवा के दौरान उपरोक्त कर्मचारी की मृत्यु/सेवा के ... वर्ष पूरे होने के बाद सेवानिवृत्ति/सेवा के दौरान दुर्घटना या बीमारी के कारण उपरोक्त कर्मचारी की पूर्ण विकलांगता;

ग......आपके प्रतिष्ठान के उपर्युक्त कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु/सेवानिवृत्ति की तिथि (दिनांक) को बिना किसी नामांकन के सेवा के वर्षों की पूर्ति के बाद मृत्यु/सेवानिवृत्ति की तिथि से सेवा के दौरान उपर्युक्त कर्मचारी की पूर्ण विकलांगता की स्थिति में सेवा के दौरान ..... से प्रभावी।

संस्था में मेरी नियुक्ति से संबंधित आवश्यक विवरण/आवेदक (नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी) का विवरण नीचे दिए गए विवरण में दिया गया है:

विवरण

1. कर्मचारी का पूरा नाम (यदि कर्मचारी द्वारा ग्रेच्युटी का दावा किया जा रहा है):

क. कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर):

ख. कर्मचारी का पूरा पता:

ग. मैं निम्नलिखित दुर्घटना/बीमारी के परिणामस्वरूप पूर्णतः विकलांग हो गया/गई: (बीमारी या दुर्घटना की प्रकृति का विवरण प्रमाण सहित दें):

या

2. नामांकित व्यक्ति/कानूनी वारिस का नाम (यदि नामांकित व्यक्ति/कानूनी वारिस द्वारा ग्रेच्युटी का दावा किया जाता है):

क. कर्मचारी का नाम:

ख. नामांकित व्यक्ति/कानूनी वारिस की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर):

ग. नामांकित व्यक्ति/कानूनी वारिस का कर्मचारी से संबंध:

घ. नामांकित व्यक्ति/कानूनी वारिस का पूरा पता:

ङ. कर्मचारी की मृत्यु तिथि और मृत्यु का प्रमाण:

च. यदि उपलब्ध हो, तो पंजीकृत नामांकन का संदर्भ क्रमांक:

3. वह विभाग/शाखा/अनुभाग जहां अंतिम बार कार्यरत थे:

4. पद का विवरण, यदि कोई टिकट संख्या या क्रम संख्या हो:

5. नियुक्ति तिथि:

6. सेवा समाप्ति की तिथि और कारण:

7. कर्मचारी की कुल सेवा अवधि:

8. कर्मचारी द्वारा अंतिम बार प्राप्त वेतन:

9. कर्मचारी को देय कुल ग्रेच्युटी/नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दावा की गई ग्रेच्युटी का हिस्सा:

10. कृपया भुगतान क्रॉस्ड बैंक चेक द्वारा या मेरे बैंक खाता संख्या .....आईएफएससी कोड ..... बैंक का नाम ..... शाखा..... में जमा करके किया जाए।

स्थान:

दिनांक:

भवदीय,

आवेदक/कर्मचारी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान।

प्रपत्र-13

[नियम 53 के उप-नियम (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और नियम 98 देखें]

ग्रेच्युटी के भुगतान अस्वीकृति दावे के लिए सूचना

(लागू नहीं होने वाले शब्दों को काट दें)

सेवा में,

.....

(आवेदक कर्मचारी/नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम और पता)

1. आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि,-

क.....*नियम 53 के उपनियम (2) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन अपेक्षित, रु. …….. (केवल रुपये) की राशि आपको ग्रेच्युटी के रूप में/ग्रेच्युटी के आपके हिस्से के रूप में देय है, जो ……. द्वारा ……. को किए गए नामांकन के अनुसार है और इस ……. में इस प्रतिष्ठान के कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज है;

ख. .....*नियम 53 के उप-नियम (2) के खंड (क) के उप-खंड (ii) के तहत आवश्यकतानुसार, उक्त नियमों के तहत फार्म-XII में आपके आवेदन पर दर्शाए गए अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए आपका दावा नीचे दिए गए कारणों से स्वीकार्य नहीं है: (यहाँ कारण निर्दिष्ट करें) ।

2. * कृपया अपनी ग्रेच्युटी/क्रॉस्ड चेक का भुगतान लेने के लिए ……. पर …….(उसके द्वारा निर्दिष्ट स्थान)…….(दिनांक) और .....(समय) पर आएं।

3. *देय राशि आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी जाएगी या आपकी इच्छानुसार आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी।

4. गणना का संक्षिप्त विवरण:

क. नियुक्ति तिथि:

ख. सेवा समाप्ति/ सेवानिवृत्ति/ त्यागपत्र/ अक्षमता/ मृत्यु तिथि:

ग. संबंधित कर्मचारी की कुल सेवा अवधि …… वर्ष माह

घ. अंतिम प्राप्त वेतन:

ङ. नामांकन/ कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में देय स्वीकार्य ग्रेच्युटी का अनुपात:

च. देय राशि:

* यदि लागू न हो तो पैराग्राफ को काट दें

स्थान :

दिनांक :

नियोक्ता/अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

संस्थान का नाम या विवरण, या उनकी मुहर

<u>प्रति:</u>

1. सक्षम प्राधिकारी (ग्रेच्युटी अस्वीकृत होने की स्थिति में)

2. महानिदेशक कार्यालय, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, चंडीगढ़ ।

प्रपत्र-14

[नियम 55 के उप-नियम (1) के खंड (क) देखें]

ग्रेच्युटी भुगतान के लिए निर्देश हेतु आवेदन

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय V के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष

आवेदन संख्या: दिनांक:

मध्य

(आवेदक का पूरा नाम और पूरा पता)

और

(संबंधित नियोक्ता का पूरा नाम और पूरा पता)

1. आवेदक उपर्युक्त नियोक्ता का कर्मचारी है/उपरोक्त नियोक्ता के स्वर्गीय कर्मचारी का नामांकित व्यक्ति है/उपरोक्त नियोक्ता के स्वर्गीय कर्मचारी का कानूनी वारिस है, और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 53 के तहत अपनी/उपरोक्त कर्मचारी की सेवानिवृत्ति (दिनांक)/अपनी सेवानिवृत्ति/उपरोक्त कर्मचारी के इस्तीफे (दिनांक) और निरंतर सेवा के वर्षों की समाप्ति/अपनी/उपरोक्त कर्मचारी की दुर्घटना/बीमारी/उपरोक्त कर्मचारी की मृत्यु (दिनांक) के कारण पूर्ण विकलांगता के लिए ग्रेच्युटी का हकदार है।

2. आवेदक ने उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा नियम संहिता, 2021 के नियम 53 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उपर्युक्त नियोक्ता ने इसे स्वीकार नहीं किया/नियम 53 के उप-नियम (2) के खंड (ख) और (ङ) के अंतर्गत दिनांकित नोटिस जारी कर मेरी देय राशि से कम ग्रेच्युटी राशि की पेशकश की/नियम 53 के उप-नियम (2) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अंतर्गत दिनांकित नोटिस जारी कर ग्रेच्युटी भुगतान के लिए मेरी पात्रता को अस्वीकार कर दिया। उक्त नोटिस की प्रति संलग्न है।

3. आवेदक निवेदन करता है कि इस मामले में विवाद है (विवाद का विवरण दें)।

4. आवेदक ने संलग्नक में आवश्यक विवरण प्रस्तुत किए हैं और प्रार्थना करता है कि सक्षम प्राधिकारी याचिकाकर्ता को देय ग्रेच्युटी की राशि निर्धारित करने और उपर्युक्त नियोक्ता को याचिकाकर्ता को इसका भुगतान करने का निर्देश देने की कृपा करें।

आवेदक घोषणा करता है कि संलग्नक में दी गई जानकारी उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

दिनांक : **आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान**

संलग्नक

1. आवेदक का पूरा नाम और पता:
2. दावे का आधार :(कर्मचारी की मृत्यु/सेवानिवृत्ति/त्याग/अक्षमता/निश्चित अवधि के रोजगार के तहत अनुबंध अवधि की समाप्ति)
3. कर्मचारी का पूरा नाम और पता:
4. कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति :(अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर)
5. नियोक्ता का पूरा नाम और पता:
6. विभाग:शाखा/अनुभाग जहां कर्मचारी अंतिम बार कार्यरत था (यदि ज्ञात हो)/
7. कर्मचारी द्वारा धारित पद, टिकट या क्रमांक सहित। यदि कोई हो, तो क्रमांक यदि ज्ञात)हो:(
8. कर्मचारी की नियुक्ति तिथि :(यदि ज्ञात हो)
9. कर्मचारी की सेवा समाप्ति की तिथि और कारण सेवानिवृत्ति/त्याग/अक्षमता/मृत्यु/निश्चित अवधि रोजगार के अंतर्गत अनुबंध अवधि की) :(समाप्ति
10. कर्मचारी द्वारा दी गई कुल सेवा अवधि:
11. कर्मचारी द्वारा अंतिम बार प्राप्त वेतन:
12. यदि कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, तो तिथि और कारण:
13. कर्मचारी की मृत्यु के समर्थन में साक्ष्य:गवाह/
14. यदि कोई नामांकित व्यक्ति है, तो नियोक्ता के पास नामांकन दर्ज करने की क्रमांक और तिथि:
15. यदि कोई वैधानिक उत्तराधिकारी है, तो वैधानिक उत्तराधिकारी होने के समर्थन में साक्ष्य:गवाह/
16. कर्मचारी को देय कुल ग्रेच्युटी :(यदि ज्ञात हो)
17. नामांकित व्यक्ति:वैध उत्तराधिकारी के रूप में आवेदक को देय ग्रेच्युटी का प्रतिशत/
18. आवेदक द्वारा दावा की गई ग्रेच्युटी की राशि :

दिनांक :
स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रपत्र-15

[नियम-55 के उप-नियम (2) के खंड (a), उप-नियम (3) और (4) देखें]

सक्षम प्राधिकारी के सामने पेश होने के लिए नोटिस/सम्मन

(जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें)

सेवा में,

.....

यहकि श्री .....आपके अधीन एक कर्मचारी/श्री .....के नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी(यों) ने उपर्युक्त नियोक्ता के अधीन उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली, 2021 के नियम 55 के उपनियम (1) के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि-

(उक्त आवेदन की एक कॉपी साथ में संलग्न है, यदि समन जारी किया जाता है तो आवेदन की कॉपी की आवश्यकता नहीं होगी)

अतः, आपको (स्थान) पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या इस संबंध में विधिवत अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित होने के लिए कहा जाता है/बुलाया जाता है, ताकि आप आवेदन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दे सकें, दिनांक .....20 को सुबह/शाम को बजे, आरोप के समर्थन में/उत्तर देने के लिए।

और क्योंकि आपकी उपस्थिति के लिए तय किया गया दिन आवेदन के अंतिम निपटान के लिए तय किया गया है, इसलिए आपको उस दिन उन सभी गवाहों को पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिनके सबूतों पर, और उन दस्तावेजों पर जिन पर आप अपने आरोप/बचाव के समर्थन में भरोसा करना चाहते हैं।

ध्यान दें कि ऊपर बताए गए दिन आपकी अनुपस्थिति में, आवेदन खारिज कर दिया जाएगा/आपकी अनुपस्थिति में सुना और तय किया जाएगा ।

चूंकि आपकी उपस्थिति साक्ष्य देने के लिए आवश्यक है/आपको नीचे दी गई इस सूची में उल्लिखित दस्तावेज पेश करने होंगे, ... द्वारा ग्रेच्युटी के दावे से उत्पन्न मामले में की ओर से और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 56 के तहत एक आवेदन द्वारा इस प्राधिकरण को भेजा गया है, आपको इसके द्वारा ..... दिन को.....20..... को सुबह/दोपहर 'O' बजे इस प्राधिकरण के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और उक्त दस्तावेजों को अपने साथ लाने या इस प्राधिकरण को भेजने के लिए बुलाया जाता है ।

और चूंकि आपकी उपस्थिति के लिए निर्धारित दिन आवेदन के अंतिम निपटान के लिए नियुक्त किया गया है, इसलिए आपको उस दिन उन सभी गवाहों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना होगा जिनके साक्ष्य और उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा जिन पर आप अपने आरोप/बचाव के समर्थन में भरोसा करने का इरादा रखते हैं।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप उपर्युक्त दिन उपस्थित नहीं होते हैं, तो आवेदन खारिज कर दिया जाएगा/आपकी अनुपस्थिति में उस पर सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा।

चूंकि ग्रेच्युटी के दावे से संबंधित मामले में साक्ष्य देने के लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है/आपको नीचे दी गई सूची में उल्लिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे, जो सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 56 के तहत आवेदन द्वारा इस प्राधिकरण को भेजा गया है, इसलिए आपको एतद्वारा दिनांक 2020 को सुबह/शाम को इस प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन भेजा जाता है और उक्त दस्तावेज़ अपने साथ लाने के लिए कहा जाता है, ताकि उन्हें इस प्राधिकरण को भेजा जा सके।

अभिलेखों की प्रति :-

1. .....
2. .....
3. .....

यह मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत, ...दिन .....20..... को दिया गया।

सक्षम प्राधिकारी।
अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा संहित

नोट :

1. जो शब्द और अनुच्छेद लागू नहीं होते, उन्हें काट दें।
2. जो भाग लागू नहीं होता उसे हटा दिया जाएगा। समन दो प्रतियों में जारी किया जाएगा। प्रति पर हस्ताक्षर करके निर्धारित तिथि से पहले उन व्यक्तियों को वापस करना होगा जिन्हें समन भेजा गया है।
3. यदि समन केवल दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए जारी किया गया है, न कि साक्ष्य देने के लिए, तो समन का पर्याप्त अनुपालन तब माना जाएगा जब दस्तावेज़ निर्धारित दिन और समय पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाएं।

प्रपत्र-16
[नियम 55 **के उप-नियम (**7**) देखें]**

सक्षम/अपीलीय अथॉरिटी द्वारा तय ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए नोटिस

(जो शब्द लागू नहीं हैं**,** उन्हें काट दें**)**

सेवा में,

.....
(सेवायोजक का नाम और पता)

1. चूंकि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो आपके अधीन एक कर्मचारी हैं .....(पता) या आपके अधीन दिवंगत कर्मचारी के नॉमिनी/कानूनी वारिस ने सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 की धारा 56 के तहत मेरे सामने एक आवेदन दायर किया है**;** या चूंकि आपको ..... को एक नोटिस दिया गया था जिसमें आपसे श्री/श्रीमती/कुमारी..... को सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के तहत ग्रेच्युटी के रूप में **Rs.....** का भुगतान करने के लिए कहा गया था**;**
2. और चूँकि**,** एप्लीकेशन पर आपकी मौजूदगी में/एकतरफ़ा सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद यह नतीजा निकला है कि उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी सोशल सिक्योरिटी कोड**,** 2020 के तहत ग्रेच्युटी के तौर पर **Rs.** के पेमेंट के हकदार हैं**;** या

चूँकि आप/आवेदक ने अपीलीय अथॉरिटी के सामने अपील की थी, जिसने फैसला किया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के तहत ग्रेच्युटी के तौर पर श्री/श्रीमती/कुमारी को ..... रुपये की रकम दी जानी है।

इसलिए, मैं आपको निर्देश देता हूं कि आप उक्त राशि श्री/श्रीमती/कुमारी को इस नोटिस के मिलने के तीस दिनों के अंदर भुगतान करें और मुझे इसकी सूचना दें।

मेरे हस्ताक्षर और मुहर से , दिनांक .....दिन.....20.....जारी किया गया ।

सक्षम प्राधिकारी
अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

1. आवेदक को पेमेंट लेने के लिए एम्प्लॉयर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
2. अपीलीय प्राधिकारी, (यदि लागू हो)।

नोट: यदि पैराग्राफ लागू नहीं हैं तो उन्हें काट दें।

प्रपत्र-17

[नियम 58 देखें]

ग्रेच्युटी की वसूली हेतु आवेदन

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय V के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष

आवेदन संख्या: दिनांक

:

मध्य

---------- (आवेदक का पूरा नाम और पूरा पता)

और

---------- (संबंधित नियोक्ता/ट्रस्ट/बीमाकर्ता का पूरा नाम और पूरा पता)

1- आवेदक ऊपर बताए गए एम्प्लॉयर का कर्मचारी है/दिवंगत ..... जो ऊपर बताए गए नियोजक का कर्मचारी था, उसका नॉमिनी है/ऊपर बताए गए एम्प्लॉयर के कर्मचारी दिवंगत का कानूनी वारिस है, और आपने उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा नियमावली-..... के के नियम ..... के उपनियम (7) या नियम **57** के उपनियम (8) के तहत, दिनांकित ..... अपने नोटिस में उक्त नियोजक को सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के तहत देय ग्रेच्युटी के रूप में राशि..... रू0 का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

2- आवेदक निवेदन करता है कि उक्त नियोक्ता ने आपके निर्देशानुसार मुझे ग्रेच्युटी की उक्त राशि का भुगतान नहीं किया, जबकि मैंने भुगतान के लिए उनसे संपर्क किया था।

3- अतः आवेदक निवेदन करता है कि आपके निर्देशानुसार ग्रेच्युटी के रूप में मुझे देय उक्त राशि की वसूली के लिए संहिता की धारा **129** के तहत प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान।

नोट: "लागू नहीं" शब्दों को काट दें।

प्रपत्र-18
[नियम 59 का उपनियम (1) देखें]

निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को शिकायत

सेवा में,
निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता,
.....
(अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020)

महोदय ,

मैं, ... (महिला का नाम), …….. (संस्थान का नाम और पूरा पता) में कार्यरत, या मैं (नाम), धारा 62 के तहत नामित व्यक्ति या ..... (महिला का नाम) की कानूनी प्रतिनिधि, जो ……. (संस्थान का नाम और पूरा पता) में कार्यरत है, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और उसके अंतर्गत नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद, मातृत्व लाभ के रूप में रु.…….. और/या चिकित्सा बोनस के रूप में रु. और/या धारा 65 के अंतर्गत देय अवकाश के लिए रु. वेतन की हकदार हूँ, लेकिन सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय VI के प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता द्वारा अनुचित रूप से रोक लिया गया है/कार्य से अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण मुझे सेवामुक्त कर दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है।

अत: आपसे अनुरोध है कि नियोक्ता को मुझे यह राशि भुगतान करने का निर्देश दें/नियोक्ता द्वारा की गई सेवामुक्ति या बर्खास्तगी को रद्द करें।

दिनांक :
स्थान :

.....
महिला/नामित व्यक्ति/कानूनी प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

.....
महिला/नामित व्यक्ति/कानूनी प्रतिनिधि का पूरा पता:

.....
सत्यापितकर्ता के हस्ताक्षर

(यदि महिला/नामित व्यक्ति/कानूनी प्रतिनिधि हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं और अंगूठे का निशान लगाती हैं तो)

प्रपत्र-19
[**नियम 60 का उपनियम (2)** देखें]

संहिता के अध्याय VI **के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील**

सेवा में,

अपीलीय प्राधिकारी,
(सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय VI के अंतर्गत नियुक्त)
.....(पता)

महोदय,

मैं, ...नीचे हस्ताक्षर करने वाली, ...(संस्थान का नाम और पूरा पता) की महिला कर्मचारी –

1- *धारा 72 की उपधारा (2) के तहत निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता के आदेश से व्यथित होकर, संलग्न कारणों से, मैं धारा 68 की उपधारा (2) के तहत यह अपील प्रस्तुत करता/करती हूँ और निवेदन करता/करती हूँ कि उक्त नियोक्ता को मुझे उपर्युक्त राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाए। इस संबंध में निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता के आदेश की एक प्रति संलग्न है; या

2- श्रीमान निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता ने धारा 72 की उपधारा (2) के तहत निर्देश दिया है कि मातृत्व लाभ या अन्य राशि ..... (राशि का स्वरूप) का भुगतान किया जाए, जिसके लिए (महिला का नाम) हकदार मानी जाती है/सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय V के प्रावधानों के अनुसार कार्य से अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण मेरी सेवामुक्ति या बर्खास्तगी को रद्द किया जाए।

मैं धारा 72 की उपधारा (3) के तहत यह अपील प्रस्तुत करता/करती हूँ। संलग्न ज्ञापन और साथ में प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों में उल्लिखित तथ्यों के मद्देनजर यह निवेदन किया जाता है कि महिला मातृत्व लाभ या उक्त राशि की हकदार है, अतः निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता का वह आदेश, जिसकी प्रति संलग्न है, रद्द किया जाए।

*अनावश्यक भाग को काट दें।

दिनांक :
स्थान :

.....
.
महिला/नामित व्यक्ति/कानूनी
प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

.....
महिला/नामित व्यक्ति/कानूनी प्रतिनिधि का पूरा पता:

.....
सत्यापितकर्ता के हस्ताक्षर

(यदि महिला/नामित व्यक्ति/कानूनी प्रतिनिधि हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं और अंगूठे का निशान लगाती हैं तो)

प्रपत्र- 20
[**नियम 63 दखें**]

दुर्घटना की सूचना पुस्तिका

1. प्रतिष्ठान का नाम, ...
2. व्यवसाय का प्रकार, ...
3. खुलने की तिथि, ...
4. पंजीकरण संख्या (यदि कोई हो), ...
5. नियोक्ता/अधिभोगी का नाम .....

कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से भरा जाना है

1. दुर्घटना की तिथि और समय:**……**
2. सूचना की तिथि और समय:**……**
3. घायल व्यक्ति का नाम: **……**
4. पता: **……**
5. चोट का कारण: **……**

जानकारी देने वाले व्यक्ति के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा भरा जाना है

दुर्घटना की तिथि	दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण	घायल व्यक्ति का नाम	मजदूरी की दर	दुर्घटना का स्थान	चोटों की प्रकृति	प्रत्यक्षदर्शियों के नाम	क्या दुर्घटना में मौत हुई?	क्या दुर्घटना के परिणामस्वरूप पूर्ण विकलांगता हुई?	क्या दुर्घटना के परिणामस्वरूप आंशिक विकलांगता हुई है?	क्या दुर्घटना के परिणामस्वरूप अस्थायी विकलांगता हुई है?	कर्मचारी या उसके आश्रित को भुगतान की गई मुआवज़े की राशि	सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की गई मुआवज़े की राशि	मुआवजे के भुगतान या जमा करने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रपत्र- 21

[नियम 65 के उप-नियम (1) को देखें]

घातक दुर्घटनाओं में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भेजा जाने वाला नोटिस

चूंकि मुझे यह जानकारी मिली है कि ..... में आपके यहां काम करने वाले एक कर्मचारी की नौकरी के दौरान हुए एक हादसे में मौत हो गई है, इसलिए मैं आपको कोड की धारा 88 की उप-धारा (1) के अनुसार, यह निर्देश देता हूं कि आप इस नोटिस मिलने के तीस दिनों के अंदर, संलग्न फॉर्म को पैराग्राफ 1 और 2 में मांगी गई जानकारी और पैराग्राफ 3 या पैराग्राफ 4 में मांगी गई जानकारी के साथ, ठीक से भरकर मुझे जमा करें।

यदि आप मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तो संहिता की धारा 88 की उपधारा (1) के तहत आवश्यक जमा राशि इस सूचना की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर जमा करनी होगी।

दिनांक :

सक्षम प्राधिकारी
मुहर

प्रपत्र- 22
[नियम 65 के उप-नियम (1) और (2) देखें]

जानलेवा दुर्घटनाओं के मामले में नियोक्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाने वाला बयान

सेवा में,

कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी,

.....

महोदय/महोदया ,

1. आपके दिनांक …… के नोटिस के जवाब में, जो मुझे …….. 20…… को मिला था, यह बताया जाता है कि …….. में काम करने वाला, 15 साल से ज़्यादा/कम उम्र का कर्मचारी, जो …….. में रहता था, उसका ……. 20…… को एक एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसकी ….. 20…. के ….. दिन मौत हो गई। मृतक की मासिक सैलरी …… रुपये थी।

2. जिन परिस्थितियों में मृतक की मृत्यु हुई, वे इस प्रकार थीं –

   …….
   …….
   .....

3. मैं मृतक की मृत्यु के कारण मुआवज़े के तौर पर …….. रुपये की राशि का भुगतान करने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करता हूँ, जो …….. 20…… के ……. दिन या उससे पहले आपके पास जमा कर दी जाएगी/दी गई है।

4. मैं निम्नलिखित आधारों पर मृतक की मृत्यु के कारण मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी से इनकार करता हूँ-

   …….
   .....
   .....

मृतक कर्मचारी का नाम: .....

प्रतिष्ठान का नाम: .....

दिनांक :

स्थान :

नियोजक के
हस्ताक्षर
मोहर

प्रपत्र- 23
[नियम 66 देखें]

अस्थायी विकलांगता की स्थिति में समझौता ज्ञापन

सेवा में,

कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी,

.....

महोदय/महोदया ,

इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि ..... 20 के ..... तारीख को, ... में रोज़गार के दौरान हुए एक दुर्घटना में, ... में रहने वाले ..... को व्यक्तिगत चोट लगी ।

अचानक लगी चोट के कारण कर्मचारी अस्थायी रूप से विकलांग हो गया है, जिसके चलते वह ..... महीने की अवधि के लिए अपने पिछले वेतन से अधिक कमाने में असमर्थ रहेगा । उक्त कर्मचारी को ..... 20 ..... की ..... तारीख से लेकर ..... 20..... की ..... तारीख तक अर्धमासिक भुगतान प्राप्त होता रहा है, जिसकी कुल राशि ... . रुपये है। उक्त कर्मचारी का अनुमानित मासिक वेतन ..... रुपये है। कर्मचारी की आयु 15 वर्ष से अधिक है/ वह ..... को 15 वर्ष का हो जाएगा।

आगे यह निवेदन है कि उक्त कर्मचारी के नियोजक ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत सभी दावों के पूर्ण निपटारे के रूप में ..... रुपये की राशि का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है और उक्त कर्मचारी ने उक्त दुर्घटना से उत्पन्न होने वाली सभी अस्थायी विकलांगताओं के संबंध में, चाहे वे अभी हों या बाद में सामने आएं, यह राशि स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। इसलिए अनुरोध है कि इस ज्ञापन को विधिवत रिकॉर्ड किया जाए।

नियोजक के हस्ताक्षर

नियोजक के गवाह :

1-

2-

श्रमिक/श्रमिकों के हस्ताक्षर

श्रमिक/श्रमिकों के गवाह

1-

2-

नोट: किसी समझौते को पंजीकृत करने के लिए आवेदन एक पक्ष के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते कि दूसरा पक्ष शर्तों से सहमत हो, लेकिन जहां तक संभव हो, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर संलग्न किए जाने चाहिए।

रसीद
(भुगतान होने पर रसीद भरें)

उपरोक्त समझौते के अनुसार, मुझे आज रुपये ..... की राशि प्राप्त हुई है।

दिनांक :

श्रमिक के हस्ताक्षर

यह राशि चुका दी गई है और इस रसीद पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं।

दिनांक :

गवाह के हस्ताक्षर

प्रपत्र- 24

[नियम-66 देखें]

स्थायी विकलांगता की स्थिति में समझौता का ज्ञापन

सेवा में,

कर्मचारी प्रतिकर हेतु सक्षम प्राधिकारी,

.....

महोदय/महोदया,

यह निवेदन है कि दिनांक ..... 20..... को ..... (कर्मचारी का नाम) को रोजगार के दौरान, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के समय, दुर्घटना के कारण व्यक्तिगत चोट पहुँची। उक्त चोट के कारण कर्मचारी को स्थायी अपंगता हुई, जो वर्तमान में भी विद्यमान है। दुर्घटना से पूर्व कर्मचारी को प्राप्त मजदूरी की राशि रुपये ..... प्रतिमाह थी।कर्मचारी विधिक दायित्व के अंतर्गत प्रतिकर का हकदार है।

उक्त कर्मचारी के नियोक्ता ने सहमति व्यक्त की है कि वह उक्त अस्थायी अपंगता की अवधि के लिए आधे मासिक भुगतान के रूप में रुपये ..... की दर से प्रतिकर का भुगतान करेगा।

यह समझौता इस शर्त के अधीन होगा कि आधे मासिक भुगतान की राशि में संहिता की धारा 93 के उप-खंड (3) के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। इस समझौते से उक्त संहिता की धारा 93 के अंतर्गत कर्मचारी के सभी प्रतिकर अधिकार अप्रभावित रहेंगे।

अतः यह निवेदन है कि इस समझौता ज्ञापन को विधिवत अभिलेखित किया जाए।

दिनांक: .....

नियोक्ता के हस्ताक्षर

नियोक्ता के साक्षी:

1.
2.

कर्मचारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

कैरियर सेंटर

.....

टिप्पणी :-

1. यह रिटर्न कैरियर सेंटर (क्षेत्रीय) को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रतिष्ठानों/नियोक्ताओं द्वारा संहिता के अंतर्गत दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रस्तुत किया जाना है (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 – अध्याय XIII: रोजगार सूचना एवं अनुश्रवण)।
2. इसका मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं से निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त करना है—(i) उपलब्ध रिक्तियाँ (रोजगार के प्रकार सहित),(ii) रोजगार उपलब्ध कराने के इच्छुक व्यक्तियों का प्रकार, तथा(iii) रोजगार सेसंबंधित अन्य अवसर।यह जानकारी कौशल आवश्यकताओं का आकलन करने में सहायक होगी। नियोक्ता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता हेतु कैरियर सेंटर से संपर्क कर सकेंगे।

कर्मचारी के साक्षी:

1.
2.

टिप्पणी:किसी समझौते के पंजीकरण हेतु आवेदन एक पक्ष के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते दूसरा पक्ष शर्तों से सहमत हो; तथापि, जहाँ तक संभव हो, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर संलग्न किए जाने चाहिए।

रसीद

(राशि का वास्तविक भुगतान हो जाने पर भरी जाए)

उपरोक्त समझौते के अनुसार, मैंने रुपये ..... की राशि प्राप्त की है।

दिनांक:

कर्मचारी के हस्ताक्षर

यह राशि मेरे समक्ष अदा की गई है और यह रसीद मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई है।

साक्षी के हस्ताक्षर

प्रपत्र- 25
[नियम 66 देखें]

समझौते का ज्ञापन

सेवा में,

कर्मचारी प्रतिकर हेतु सक्षम प्राधिकारी,

.....

महोदय/महोदया,

यह निवेदन है कि दिनांक ..... 20..... को ..... (कर्मचारी का नाम) को रोजगार के दौरान, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के समय, दुर्घटना के कारण व्यक्तिगत चोट पहुँची। उक्त चोट के कारण कर्मचारी को अस्थायी अपंगता हुई, जो वर्तमान में भी विद्यमान है। दुर्घटना से पूर्व कर्मचारी को प्राप्त मजदूरी की राशि रुपये ..... प्रतिमाह थी।कर्मचारी विधिक दायित्व के अंतर्गत प्रतिकर का हकदार है।

उक्त कर्मचारी के नियोक्ता ने सहमति व्यक्त की है कि वह उक्त अस्थायी अपंगता की अवधि के लिए आधे मासिक भुगतान के रूप में रुपये ..... की दर से प्रतिकर का भुगतान करेगा।

यह समझौता इस शर्त के अधीन होगा कि आधे मासिक भुगतान की राशि में संहिता की धारा 93 के उप-खंड (3) के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। इस समझौते से उक्त संहिता की धारा 93 के अंतर्गत कर्मचारी के सभी प्रतिकर अधिकार अप्रभावित रहेंगे।

अतः यह निवेदन है कि इस समझौता ज्ञापन को विधिवत अभिलेखित किया जाए।

दिनांक: .....

नियोक्ता के हस्ताक्षर

नियोक्ता के साक्षी:

1.
2.

कर्मचारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

कैरियर सेंटर

.....

टिप्पणी :-

3. यह रिटर्न कैरियर सेंटर (क्षेत्रीय) को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रतिष्ठानों/नियोक्ताओं द्वारा संहिता के अंतर्गत दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रस्तुत किया जाना है (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 – अध्याय XIII: रोजगार सूचना एवं अनुश्रवण)।
4. इसका मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं से निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त करना है—(i) उपलब्ध रिक्तियाँ (रोजगार के प्रकार सहित),(ii) रोजगार उपलब्ध कराने के इच्छुक व्यक्तियों का प्रकार, तथा(iii) रोजगार सेसंबंधित अन्य अवसर।यह जानकारी कौशल आवश्यकताओं का आकलन करने में सहायक होगी। नियोक्ता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता हेतु कैरियर सेंटर से संपर्क कर सकेंगे।

कर्मचारी के साक्षी:

1.
2.

टिप्पणी:किसी समझौते के पंजीकरण हेतु आवेदन एक पक्ष के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते दूसरा पक्ष शर्तों से सहमत हो; तथापि, जहाँ तक संभव हो, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर संलग्न किए जाने चाहिए।

रसीद

(राशि का वास्तविक भुगतान हो जाने पर भरी जाए)

उपरोक्त समझौते के अनुसार, मैंने रुपये ..... की राशि प्राप्त की है।

दिनांक:

कर्मचारी के हस्ताक्षर

यह राशि मेरे समक्ष अदा की गई है और यह रसीद मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई है।

साक्षी के हस्ताक्षर

प्रपत्र- 26

[नियम 67 का उप-नियम (1) देखें]

समझौता ज्ञापन अभिलेखित किए जाने हेतु पक्षकारों को सूचना

चूँकि ..... तथा ..... के मध्य देय प्रतिकर(मुआवजा) के भुगतान के संबंध में एक समझौता संपन्न हो गया है;और चूँकि उक्त समझौते के पंजीकरण हेतु संहिता की धारा 89 के उप-खंड (1) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है;

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त समझौते पर दिनांक ..... 20..... को विचार किया जाएगा, और यदि उक्त समझौते के पंजीकरण के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह उसी तिथि को प्रस्तुत की जा सकती है।

वैध आपत्तियों के अभाव में, मेरा यह अभिप्राय है कि उक्त समझौते का पंजीकरण किया जाए।

संलग्न: समझौता ज्ञापन की प्रति

दिनांक: .....

सक्षम प्राधिकारी
मुहर

प्रपत्र-27

[नियम 67 का उप-नियम (3) और नियम 64 का उप-नियम (4) देखें]

समझौता ज्ञापन दर्ज करने से इंकार किए जाने के संबंध में पक्षकारों को सूचना

प्रति,

1. **.....(नियोक्ता का नाम एवं पता)**
2. **.....(कर्मचारी का नाम एवं पता)**

कृपया यह सूचना स्वीकार करें कि प्रतिकर (मुआवजा) के भुगतान से संबंधित जिस समझौते का पंजीकरण---------- दिनांक ..... 20.... को किया जाना बताया गया था, उसका पंजीकरण निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत किया गया है —

1. **.....**
2. **.....**
3. **.....**

दिनांक :.....

सक्षम प्राधिकारी
मुहर

प्रपत्र- 28

[नियम 68 के उप-नियम (2) देखें]

समझौता ज्ञापन को दर्ज करने से इनकार करने पर पक्षों को कारण बताओ नोटिस

प्रति,

1. .....(नियोक्ता का नाम एवं पता)

2. .....(कर्मचारी का नाम एवं पता)

चूँकि प्रतिकर (मुआवजा) के भुगतान के संबंध में एक समझौता उपर्युक्त पक्षकारों के मध्य संपन्न हुआ बताया गया है;और उक्त समझौते के पंजीकरण हेतु सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 89 के उप-खंड (1) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है;तथा यह सक्षम प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि उक्त समझौते का पंजीकरण निम्नलिखित कारणों से नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात्—

1. .....

2. .....

3. .....

अतः आपको ..... दिनांक ..... 20 ..... को अवसर प्रदान किया जाता है कि आप यह स्पष्ट करें कि उक्त समझौते को पंजीकृत क्यों किया जाए। यदि उक्त तिथि को कोई संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो समझौते का पंजीकरण अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

दिनांक :.....

सक्षम प्राधिकारी
मुहर

प्रपत्र- 29

(नियम 68 का उप-नियम (2) देखें)

समझौता ज्ञापन को दर्ज न किए जाने के संबंध में पक्षकारों को कारण बताओ सूचना

सेवा में,

1. .....(नियोक्ता का नाम एवं पता)
2. .....(कर्मचारी का नाम एवं पता)

चूँकि प्रतिकर (मुआवजा) के भुगतान के संबंध में एक समझौता उपर्युक्त पक्षकारों के मध्य संपन्न हुआबताया गया है;और उक्त समझौते के पंजीकरण हेतु सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 89 केउप-खंड (1) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है;तथा यह सक्षम प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि उक्त समझौते का पंजीकरण निम्नलिखित कारणों से नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात्—

1. .....
2. .....
3. .....

अतः उपर्युक्त पक्षकारों को ..... दिनांक ..... 20..... को अवसर प्रदान किया जाता है कि वे यह स्पष्ट करें कि उक्त समझौते को पंजीकृत क्यों न किया जाए।यदि आप उक्त तिथि को अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किसी अन्य तिथि को पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उक्त समझौते को पंजीकृत किया जा सकता है।

दिनांक :.....

सक्षम प्राधिकारी
मुहर

प्रपत्र- 30

[नियम 70 देखें]

<u>वर्ष 20..... के लिए समझौतों का रजिस्टर</u>

क्रम सं0	समझौते की तिथि	पंजीकरण की तिथि	नियोक्ता	कर्मचारी	सक्षम प्राधिकारी के अधोहस्ताक्षरी	रजिस्टर को ठीक करने के आदेशों का संदर्भ
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र- 31

[नियम 72 के उप-नियम(2) के अंतर्गत]

कर्मचारी द्वारा प्रतिकर (मुआवजा) हेतु आवेदन

सेवा में,

कर्मचारी प्रतिकर के लिए सक्षम प्राधिकारी

.....

..... **(आवेदक का निवास स्थान)**

बनाम

..... **(विपक्षी पक्ष का निवास स्थान)**

महोदय/महोदया,

सविनय निवेदन है कि—

1. आवेदक, जो विपक्षी पक्ष के अधीन _____ दिनांक _____ 20___ को संविदा के अंतर्गत नियोजित था, को रोजगार के दौरान एवं रोजगार के कारण हुई दुर्घटना से व्यक्तिगत चोट पहुँची। चोट का कारण (साधारण भाषा में संक्षेप में लिखें):
2. आवेदक को निम्नलिखित प्रकार की चोटें आईं, अर्थात्—
3. आवेदक की मासिक मजदूरी ₹ _____ है। आवेदक की आयु 15 वर्ष से अधिक/कम है।
4. यह प्रस्तुत किया जाता है कि—
   a. दुर्घटना की सूचना दिनांक _____ 20___ को दी गई।
   b. दुर्घटना की सूचना यथाशीघ्र यथासंभव दी गई।
   c. दुर्घटना की सूचना (समय पर) नहीं दी जा सकी, कारण: _____
5. आवेदक इस प्रकार निम्नलिखित प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है—
   a. अर्ध-मासिक भुगतान ₹ ____, *दिनांक*_____ *20 से दिनांक*_____ *20*तक।
   b. एकमुश्त प्रतिकर राशि ₹ _____।
6. आवेदक ने आपसी सहमति से निपटारा सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए, परंतु विवाद का निपटारा संभव नहीं हो सका क्योंकि—

   आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित विवादित प्रश्नों का निर्णय किया जाए, अर्थात्—
   a. क्या दुर्घटना संहिता (Code) के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर हुई थी;
   b. क्या दुर्घटना आवेदक के रोजगार के दौरान अथवा रोजगार के कारण हुई;
   c. क्या दावा की गई प्रतिकर राशि देय है अथवा उसका कोई भाग देय है;
   d. क्या विपक्षी पक्ष उक्त प्रतिकर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है;
   e. कोई अन्य विवादित विषय (यदि आवश्यक हो)।

   अतः आपसे निवेदन है कि कृपया उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर उचित आदेश पारित करने कीकृपा करें।

दिनांक : _____ 20___

स्थान : _____

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा-निशान

* जो धाराएँ/क्लॉज लागू न हों, उन्हें काट दिया जाए (Strike out).

प्रपत्र- 32

[नियम 72 के उप-नियम (2) के अंतर्गत]

<u>प्रतिकर(मुआवजा)जमा कराने के आदेश हेतु आवेदन</u>

सेवा में,

कर्मचारी प्रतिकर के लिए सक्षम प्राधिकारी

.....

.....

..... (आवेदक का निवास स्थान)

बनाम

..... (विपक्षी पक्ष का निवास स्थान)

महोदय/महोदया,

सविनय निवेदन है कि—

1. एक श्रमिक, जो विपक्षी पक्ष के अधीन _____ दिनांक _____ 20___ को संविदा के अंतर्गत नियोजित था, को रोजगार के दौरान एवं रोजगार के कारण हुई दुर्घटना से व्यक्तिगत चोटपहुँची/दिनांक _____ 20___ को उसकी मृत्यु हो गई।चोट/दुर्घटना का कारण (साधारण भाषा में संक्षेप में लिखें):
2. आवेदक मृतक श्रमिक का आश्रित/आश्रितगण है/हैं।
3. मृतक श्रमिक की मासिक मजदूरी ₹ _____ थी।
4. मृतक की आयु मृत्यु के समय 15 वर्ष से अधिक थी/नहीं थी।
   a. दुर्घटना की सूचना दिनांक _____ को दी गई।
   b. दुर्घटना की सूचना शीघ्रतम यथासंभव दी गई।
   c. दुर्घटना की सूचना (समय पर) नहीं दी जा सकी, कारण: _____
5. मृतक श्रमिक को कुल ₹ _____ की प्रतिकर राशि प्राप्त हुई/नहीं हुई।
6. आवेदक इस प्रकार ₹ _____ की एकमुश्त प्रतिकर राशि प्राप्त करने का हकदार है/हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि कृपया आवेदक को उक्त प्रतिकर राशि अथवा वह अन्य प्रतिकर, जिसका वह हकदार हो सकता/सकती/सकते हैं, प्रदान किए जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

दिनांक : _____ 20___

स्थान : _____

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठा-निशान

* जो धाराएँ/क्लॉज लागू न हों, उन्हें काट दिया जाए (Strike out).

प्रपत्र- 33

[नियम 72 के उप-नियम (2) के अंतर्गत]

सरांशीकरण(Commutation) हेतु आवेदन

सेवा में,

कर्मचारी प्रतिकर के लिए सक्षम प्राधिकारी

.....

.....

..... **(आवेदक का निवास स्थान)**

बनाम

..... **(विपक्षी पक्ष का निवास स्थान)**

महोदय/महोदया,

सविनय निवेदन है कि—

1. आवेदक/विपक्षी पक्ष को _____ से _____ तक, रोजगार के दौरान एवं रोजगार के कारण हुई दुर्घटना से उत्पन्न अस्थायी अपंगता के कारण, अर्ध-मासिक भुगतान प्राप्त होता रहा है।
2. आवेदक यह चाहता/चाहती है कि अर्ध-मासिक भुगतान प्राप्त करने के अधिकार का सरांशीकरण (Commutation) किया जाए।
3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि—

   a. विपक्षी पक्ष अर्ध-मासिक भुगतान प्राप्त करने के अधिकार के परिवर्तन के लिए सहमत है।

   b. पक्षकार अर्ध-मासिक भुगतान प्राप्त करने के अधिकार के परिवर्तन हेतु देय राशि के संबंध में सहमत होने में असमर्थ रहे हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि कृपया निम्नलिखित आदेश पारित करने की कृपा करें—

a. अर्ध-मासिक भुगतान प्राप्त करने के अधिकार का परिवर्तन किए जाने का आदेश।

b. अर्ध-मासिक भुगतान प्राप्त करने के अधिकार के परिवर्तन हेतु देय राशि निर्धारित करने का आदेश।

दिनांक : ..... 20 .....
स्थान : .....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

***जो धाराएँ/क्लॉज लागू न हों, उन्हें काट दिया जाए**

प्रपत्र- 34

[नियम 73 का उप-नियम(1) देखें]

सूचना

चूँकि _____ द्वारा _____ के विरुद्ध प्रतिकर (मुआवजा) का दावा प्रस्तुत किया गया है,और उक्त _____ ने यह दावा किया है कि वह सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 93 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उक्त दावे के संबंध में देय किसी भी प्रतिकर के लिए उत्तरदायी है तथा स्वयं को उसप्रतिकर के भुगतान से विमुक्त (Indemnify) किए जाने का अधिकारी है;

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप _____ दिनांक _____ 20___ को _____ बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर उक्त आवेदक द्वारा किए गए प्रतिकर के दावे अथवा विपक्षी पक्ष द्वारा किए गए क्षतिपूर्ति/विमुक्ति (Indemnity) के दावे का प्रतिवाद कर सकते हैं।

यदि आप अनुपस्थित रहते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपने विपक्षी पक्ष के विरुद्ध किए गए किसी भी निर्णय (Award) की वैधता तथा आवेदक को दिए गए प्रतिकर के संबंध में विपक्षी पक्ष को विमुक्त करने के अपने दायित्व को स्वीकार कर लिया है।

दिनांक : _____

सक्षम प्राधिकारी
मुहर

प्रपत्र- 35
[नियम 73 के उप-नियम (3) और उप-नियम (4) देखें]

सूचना

चूँकि _____ द्वारा _____ आवेदक के विरुद्ध प्रतिकर का दावा प्रस्तुत किया गया है, और उक्त _____ ने यह दावा किया है कि वह सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 93 की उप-धारा (3) के अंतर्गत उक्त दावे के संबंध में देय किसी भी प्रतिकर हेतु उत्तरदायी है;तथा यह भी कि उक्त _____ ने यह दावा किया है कि आप _____ के ठेकेदार के रूप में उससे संबंधित हैं, जिनसे आवेदक प्रतिकर की वसूली कर सकता था।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप _____ दिनांक _____ 20___ को _____ बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर उक्त आवेदक द्वारा किए गए प्रतिकर के दावे अथवा विपक्षी पक्ष द्वारा किए गए विमुक्ति/क्षतिपूर्ति (Indemnity) के दावे का प्रतिवाद कर सकते हैं।

यदि आप अनुपस्थित रहते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपने विपक्षी पक्ष के विरुद्ध किए गए किसी भी निर्णय (Award) की वैधता तथा उससे वसूल किए गए किसी भी प्रतिकर के संबंध में विपक्षी पक्ष को विमुक्त करने के अपने दायित्व को स्वीकार कर लिया है।

दिनांक : _____

सक्षम प्राधिकारी
मुहर

प्रपत्र- 36

[नियम 88 के उप-नियम (3) के अंतर्गत]

महिला कर्मचारियों का रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम : _____

1. क्रम संख्या :
2. महिला का नाम तथा उसके पिता का नाम (या विवाहित होने पर पति का नाम) :
3. नियुक्ति की तिथि :
4. कार्य का स्वरूप :
5. जिस माह एवं वर्ष में वह नियोजित रही, कार्यमुक्त (Lay-off) रही अथवा नियोजित नहीं रही, उनका विवरण :

माह	कार्य किए गए दिनों की संख्या	छंटनी किए गए दिनों की संख्या	नियोजित न रहने के दिनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

6. धारा 62 के अंतर्गत महिला द्वारा सूचना देने की तिथि :
7. यदि कोई हो, तो सेवा से पृथक्करण/बर्खास्तगी की तिथि :
8. धारा 62 के अंतर्गत गर्भावस्था के प्रमाण प्रस्तुत करने की तिथि :
9. शिशु के जन्म की तिथि :
10. धारा 62 के अंतर्गत जीवित जन्म/गर्भपात/गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति/ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन/मृत्यु/दत्तक ग्रहण के प्रमाण प्रस्तुत करने की तिथि :
11. धारा 65 के अंतर्गत बीमारी से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करने की तिथि :
12. अपेक्षित प्रसव तिथि से पूर्व अग्रिम रूप से भुगतान किए गए मातृत्व लाभ की राशि सहित तिथि
13. मातृत्व लाभ के उपरांत शेष भुगतान की गई मातृत्व लाभ की राशि सहित तिथि :
14. यदि कोई हो, तो धारा 64 के अंतर्गत भुगतान किए गए बोनस की राशि सहित तिथि :
15. धारा 65(1) एवं 65(3) के अंतर्गत प्रदान किए गए अवकाश के कारण भुगतान की गई मजदूरी की राशि सहित तिथि :
16. धारा 65(2) के अंतर्गत प्रदान किए गए अवकाश एवं अवकाश अवधि के दौरान भुगतान की गई मजदूरी की राशि सहित तिथि :
17. धारा 62 के अंतर्गत महिला द्वारा नामित व्यक्ति का नाम :
18. यदि महिला की मृत्यु हो जाती है, तो मातृत्व लाभ एवं/या अन्य देयों के भुगतान की तिथि तथा उस व्यक्ति का नाम, जिसे मातृत्व लाभ का भुगतान किया गया :
19. यदि महिला की मृत्यु हो जाती है और बच्चा जीवित रहता है, तो उस व्यक्ति का नाम, जिसे बच्चे की ओर से मातृत्व लाभ की राशि का भुगतान किया गया तथा भुगतान की अवधि :

महिला कर्मचारियों के रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को प्रमाणित करते हुए प्रतिष्ठान के नियोक्ता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर : _____

नाम/पद : _____

मुहर : _____

प्रपत्र- 37(क)

[दखें उ0प्र0 सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली2026 का नियम -80)

निर्धारण आदेश या अधिरोपित करने के आदेश के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील के लिए प्ररूप

1.	स्थापना का नाम और पता (स्थायी)			
2.	नियोक्ता का नाम और पता के ब्यौरे			
3.	उस स्थान का नाम और पता / अवस्थान जहां भवन या अन्य संनिर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है			
4.	संपर्क ब्यौरे के साथ प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता			
5.	प्रस्तावित भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के लिए पत्राचार का पता			
6.	प्रस्तावित संनिर्माण कार्य की प्रकृति			
7.	कार्य प्रारंभ होने की तारीख (टिप्पणी संनिर्माण प्रारंभ हो गया है			
8.	कार्य पूर्ण होने की तारीख			
9.	कार्य की अवधि			
10.	संनिर्माण कार्य का कुल पूर्ण क्षेत्र			
11.	नियम 41 के अनुसार दस्तावेजों (मूल) के साथ (यथास्थिति पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी या रेरा या कुछ अन्य दरों हो) की दरों के आधार पर संनिर्माण की कुल अनुमानित लागत			
12.	संनिर्माण कार्य की कुल व्यय लागत			
13.	देय उपकर की कुल रकम		केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संनिर्माण की कुल खर्च की गई लागत का प्रतिशत	देय उपकर की कुल रकम
14.	ब्यौरे के साथ भुगतान किया गया अग्रिम उपकर (परियोजना के अनुमोदन के समय या संनिर्माण कार्य आरंभ होने से पहले)/ स्रोत पर कटौती, टिप्पणी कोई हो			
15.	भुगतान किये गये उपकर के ब्यौरे (जब प्रस्तावित सन्निर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक हों)			
	क्र0सं0	वर्ष	रकम (रूपये में)	
	15.1	पहला वर्ष		
	15.2	दूसरा वर्ष		
	15.3	तीसरा वर्ष		
16.	भुगतान किए गई उपकर की कुल रकम (क्र. सं. 14 + क्र. सं. 15			
17.	बकाया उपकर की रकम (क्र. सं. 13 - क्र. सं. 16)			
18.	बकाया उपकर के भुगतान का प्रमाण, टिप्पणी कोई हो			
19.	अधिक भुगतान उपकर की रकम, टिप्पणी लागू हो			
20.	निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित उपकर की रकम			
21.	नियोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली बकाया उपकर की रकम			
22.	निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गई उपकर/बकाया उपकर का भुगतान न करने पर शास्ति की रकम।			
23.	सहायक दस्तावेजों के साथ अपील के लिए आधार			
24.	टिप्पणी कोई प्रयोजन हो			

घोषणा

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूं / करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं / हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा की गई उपरोक्त गणना कुछ भी छुपाया या किसी तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं / हम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के शास्तिक प्रावधानों के बारे में पूरी तरह से अवगत हूं/हैं और टिप्पणी भविष्य में उपकर रकम के उपरोक्त स्व-निर्धारण में उल्लिखित कुछ भी है, गलत या अनुचित पाए जाने पर या तथ्यों को छिपाने या उपकर की रकम की गणना के अधीन पाए जाने पर मेरे /हमारे विरूद्ध दांडिक कार्रवाई की जा सकती है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर और मुहर
नाम: दिनांक:
स्थान:
मोबाइल संख्या:
ई-मेल (टिप्पणी कोई हो):

निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता के उपयोग हेतु

प्रपत्र- 37(ख)

[नियम 88 का उपनियम (4) देखें]

भवन एवं अन्य निर्माण कार्य के नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए उपकर (Cess) का अभिलेख

क्रम सं.	विवरण	विवरण/राशि
1	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता (स्थायी)	
2	नियोक्ता का नाम एवं पता	
3	वह स्थान/पता जहाँ भवन एवं अन्य निर्माण कार्य प्रस्तावित/किया जाना है	
4	अधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम एवं पता (संपर्क विवरण सहित)	
5	प्रस्तावित भवन या अन्य निर्माण कार्य हेतु पत्राचार का पता	
6	प्रस्तावित निर्माण कार्य का स्वरूप	
7	कार्य प्रारंभ की तिथि (यदि निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका हो)	
8	कार्य पूर्ण होने की तिथि	
9	कार्य की अवधि	
10	निर्माण कार्य का कुल पूर्ण क्षेत्रफल	
11	CPWD/CPWD या RERA अथवा अन्य लागू दरों के अनुसार निर्माण कार्य की कुल अनुमानित लागत (जैसा लागू हो)	
12	निर्माण कार्य की कुल वहन की गई लागत	
13	देय उपकर (Cess) की कुल राशि	
14	अग्रिम रूप से भुगतान किया गया उपकर, विवरण सहित (परियोजना की स्वीकृति के समय या निर्माण कार्य प्रारंभ से पूर्व, यदि कोई हो)	
15	उपकर का विवरण (जब प्रस्तावित निर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक हो): प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष	राशि (रुपयों में) ....
16	कुल भुगतान किया गया उपकर (क्रम सं. 14 + 15)	
17	बकाया उपकर की राशि (क्रम सं. 13 – क्रम सं. 16)	
18	बकाया उपकर के भुगतान का प्रमाण, यदि कोई हो	
19	अतिदेय/विलंब शुल्क (Overdue Cess), यदि लागू हो	
20	आकलन अधिकारी द्वारा आकलित उपकर की राशि	
21	नियोक्ता द्वारा देय शेष उपकर की राशि	
22	उपकर के भुगतान न करने/बकाया उपकर के संबंध में आकलन अधिकारी द्वारा आरोपित दंड की राशि	

प्रपत्र- 38

[नियम 90 का उपनियम (1) और उपनियम (2) देखें]

एकीकृत वार्षिक रिटर्न

A. सामान्य भाग :

क. प्रतिष्ठान का नाम :.....

ख. प्रतिष्ठान का पता :

मकान संख्या/फ्लैट संख्या : .....गली/प्लॉट संख्या : ..... नगर/कस्बा : .....जिला : .....राज्य : ..... पिन कोड : .....

ग. नियोक्ता का नाम : ..... ,

नियोक्ता का पता : मकान संख्या/फ्लैट संख्या : .....गली/प्लॉट संख्या : .....नगर/कस्बा :.....जिला : .....राज्य : .....पिन कोड : .....

ई-मेल आईडी : .....टेलीफोन नंबर : .....मोबाइल नंबर : .....

घ. प्रतिष्ठान के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु उत्तरदायी प्रबंधक/व्यक्ति का नाम:.....

पता : मकान संख्या/फ्लैट संख्या : ..... गली/प्लॉट संख्या : ..... नगर/कस्बा : .....

जिला : ..... राज्य : ..... पिन कोड : .....

ई-मेल आईडी : .....टेलीफोन नंबर : .....मोबाइल नंबर : .....

B. नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ (2) में उल्लिखित संहिताओं के अंतर्गत नियोक्ता का पंजीकरण/लाइसेंस विवरण :

क्रम सं.	संहिता का नाम	पंजीकरण विवरण (यदि कोई हो)	
		पंजीकरण संख्या	वर्ष
1	2	3	4
1	व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-स्थितियाँ संहिता, 2020		
2	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020		
3	समय-समय पर लागू कोई अन्य कानून		

C. नियोक्ता, ठेकेदार एवं संविदा श्रमिकों का विवरण :

1	ठेकेदार के प्रतिष्ठान के मामले में नियोक्ता का नाम	
2	प्रतिष्ठान के प्रारंभ होने की तिथि	
3	वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान में संलग्न ठेकेदारों की संख्या	
4	वर्ष के दौरान जिन दिनों में संविदा श्रमिक नियोजित रहे, उनकी कुल संख्या	
5	वर्ष के दौरान संविदा श्रमिकों द्वारा किए गए कुल मानव-दिवस (Man-days)	

D. कार्य समय एवं साप्ताहिक अवकाश :

1	वर्ष के दौरान कार्य किए गए दिनों की संख्या	
2	वर्ष के दौरान किए गए कुल मानव-दिवस (Man-days)	
3	प्रतिदिन कार्य के घंटे	
4	साप्ताहिक अवकाश का दिन	

E. वर्ष के दौरान किसी एक दिन में नियोजित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या :

क्रम सं.	पुरुष	महिलाएँ	किशोर (14 से 18 वर्ष की आयु के बीच)	बच्चे (14 वर्ष से कम)	कुल

F. मजदूरी दर (श्रेणीवार)

श्रेणी	मजदूरी दर	श्रमिकों कीसंख्या							
		नियमित				संविदा			
		पुरुष	महिला	किशोर	बालक	पुरुष	महिला	किशोर	बालक
अत्यधिक कुशल									
कुशल									
अर्द्ध-कुशल									
अकुशल									

G. भुगतान का विवरण:

सकल मजदूरी का भुगतान		कटौतियाँ			शुद्ध मजदूरी का भुगतान	
नगद	वस्तु के रूप में	जुर्माना	क्षति/हानि हेतु कटौती	अन्य	नगद	वस्तु के रूप में

H. वर्ष के दौरान वेतन सहित अवकाश प्रदान किए गए श्रमिकों की संख्या:

क्रम संख्या	वर्ष के दौरान	श्रमिकों की संख्या	वेतन सहित अवकाश प्रदान

I. वैधानिक योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई विभिन्न कल्याणकारी सुविधाओं का विवरण:

क्रम संख्या	प्रदान की गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं का स्वरूप	वैधानिक (अधिनियम/नियम का उल्लेख करें)

J. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत मातृत्व लाभ के रूप में प्रदान किया गया अवकाश:

1	वर्ष के दौरान नियोजित महिला कर्मचारियों की कुल संख्या		
2	प्रदान किए गए अवकाश के कुल दिनों की संख्या		
3	मातृत्व अवकाश/लाभ प्रदान की गई कर्मचारियों की संख्या (ESI के अंतर्गत)		

घोषणा (Declaration)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दी गई जानकारी सत्य एवं सही है तथा मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे प्रतिष्ठान पर लागू सभी श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन किया गया है।

दिनांक :

स्थान :

नियोक्ता

नियोक्ता के हस्ताक्षर/
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मुहर (यदि कोई हो)

प्रपत्र- 39
[नियम 91 का उपनियम (1) देखें]

धारा 138 की उप-धारा (1) के तहत अपराधों के उपशमन के लिए, संहिता के प्रावधानों के तहत पहली बार किए गए अपराध के लिए नियोक्ता को नोटिस।

नोटिस सं0.. …….. दिनांक ……..

मेरे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों और दस्तावेजों के आधार पर, अधोहस्ताक्षरी को यह विश्वास करने का कारण है कि आप, प्रतिष्ठान (पंजीकरण संख्या.....) के नियोक्ता होने के नाते, संहिता या योजनाओं या नियमों या उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अपराध कर चुके हैं, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण में वर्णित है:-

भाग-I

1.	व्यक्ति का नाम:	
2.	संस्थान का नाम और पता:	
3.	संस्थान का पंजीकरण क्रमांक:	
4.	अपराध का विवरण:	
5.	जिस संहिता/योजना/नियम/विनियम के अंतर्गत अपराध किया गया है, उसके प्रावधान:	
6.	अपराध के निपटारे के लिए भुगतान की जाने वाली राशि:	
7.	क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करने के लिए खाते का नाम और विवरण:	

भाग-II

ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, आपके पास यह विकल्प है कि आप इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर भाग-I में क्रमांक-6 में बताई गई पूरी धनराशि का भुगतान कर दें और इस नोटिस के भाग-III में आवेदन को ठीक से भरकर वापस भेज दें।

यदि निर्धारित समय के भीतर उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस संबंध में कोई और अवसर दिए बिना अभियोग दायर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

दिनांक:
स्थान:

(हस्ताक्षर)
(उपशमन अधिकारी का नाम एवं पदनाम)

सेवा में,
.....(नियोक्ता/संस्थान)
……(नाम और पंजीकरण संख्या)
……...(पता)

भाग-III
[नियम 91 का उपनियम (2) देखें]

धारा 138 की उपधारा (4) के तहत अपराध के समझौते हेतु आवेदन

संदर्भ: सूचना संख्या..... दिनांक: ……

मैंने, जैसा कि भाग-I के क्रमांक- 6 में बताया गया है, पूरी धनराशि जमा कर दी है और भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि भाग-I में बताए गए अपराधों का उपशमन किया जाए ।

8. जमा की गई उपशमन राशि का विवरण (इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेनरेटेड रसीद की कॉपी संलग्न करें):
9. अगर ऊपर बताए गए अपराधों के उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया गया है, तो उसका विवरण दें:
10. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई और अपराध किया है, यदि किया है, तो अपराध का पूरा विवरण:
11. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक देना चाहता है:

आवेदक का हस्ताक्षर
(नाम और पदनाम)

दिनांक:
स्थान:
सेवा में,
……...(उपशमन अधिकारी)
…….(कार्यालय का नाम)

प्रपत्र- 40

[नियम 91 का उपनियम (3) देखें]

भाग-IV

उपशमन प्रमाण-पत्र

संदर्भ नोटिस सं0:..... **दिनांक: .....**

यह प्रमाणित किया जाता है कि धारा 133 की उप-धारा के तहत अपराध, जिसके संबंध में नोटिस नंबर दिनांक:..... को श्री……..... (आवेदक), जो …….. (प्रतिष्ठान का नाम और पंजीकरण संख्या) के मालिक हैं, को जारी किया गया था, उसे अपराधों के निपटारे के लिए पूरी राशि Rs ……..... (रुपये……..) की छूट के कारण निपटा दिया गया है, जिससे उक्त नोटिस की शर्तें पूरी होती हैं।

(हस्ताक्षर)
उपशमन अधिकारी का नाम
और पदनाम

सेवा में,

.....(नियोक्ता/संस्थान)
……(नाम और पंजीकरण संख्या)
……...(पता)

प्रपत्र- 41

[**नियम 93** के उप-नियम (3) का खंड (b) देखें]

कैरियर एवं काउन्सिलिंग सेंटर को रिक्तियों की सूचना देने हेतु प्रपत्र

(प्रत्येक प्रकार के पद हेतु पृथक प्रपत्र का उपयोग किया जाए)

1	नियोक्ता का विवरण नाम : पता (पिन कोड सहित) : दूरभाष संख्या : मोबाइल नंबर : ई-मेल पता : स्थापना का नाम एवं प्रकार (केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, स्वायत्त, निजी आदि) संहिता के अंतर्गत स्थापना का पंजीकरण क्रमांक : आर्थिक गतिविधि का विवरण :		
2	माँग प्रस्तुत करने वाले अधिकारी (Indenting Officer) का विवरण: नाम : पदनाम : दूरभाष संख्या : मोबाइल नंबर : ई-मेल पता :		
3	रिक्ति/रिक्तियों का विवरण: (क)भरे जाने वाले पद/रिक्ति का पदनाम/नामकरण (ख)पद के कर्तव्यों का विवरण (कार्य भूमिका/कार्यात्मक भूमिका)		
	(ग)आवश्यक योग्यताएँ/कौशल (शैक्षणिक, तकनीकी, अनुभव)	आवश्यक	वांछनीय/प्राथमिकता योग्य
	i. शैक्षणिक योग्यता ii. तकनीकी योग्यता iii. कौशल iv. अनुभव		
	(घ)आयु सीमा, यदि कोई हो*(आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार आयु)*		

<table>
<tr><td></td><td>(ङ)वरीयता, यदि कोई हो(जैसे—
भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाएँ आदि)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>(च)रोजगार की अवधि
i. 3–6 माह
ii. 6–12 माह
iii. 12 माह या अधिक</td><td colspan="2">पदों की संख्या</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">क्या रिक्तियों को भरने में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजन (PWD) आदि किसी श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण/वरीयता देने का कोई दायित्व है?हाँ / नहीं(यदि हाँ, तो नीचे दर्शाई गई श्रेणियों के अनुसार भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या बताएं)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>श्रेणी</td><td colspan="2">भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td>(क) अनुसूचित जाति (SC)
(ख) अनुसूचित जनजाति (ST)
(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
(घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
(ङ) भूतपूर्व सैनिक(Ex-Serviceman)
(च) दिव्यांगजन (Persons with Disabilities – PWD)
(छ) महिलाएँ
(ज) अन्य (उल्लेख करें)</td><td>कुल</td><td>* प्राथमिकता उम्मीदवारों द्वारा
(राज्य सरकार की रिक्तियों पर लागू)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>वेतन एवं भत्ते:
सरकारी रिक्तियों के लिए:पद का वेतन स्तर/वेतनमान, मूल वेतन/मासिक वेतन तथा अन्य विवरण (यदि कोई हो)।
अन्य के लिए: न्यूनतम कुल मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य विवरण (यदि कोई हो)।</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7</td><td>कार्यस्थल का स्थान:
(नगर/ग्राम का नाम, जिला, पिनकोड आदि, जहाँ स्थापना स्थित है)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8</td><td>आवेदन का माध्यम:
(ई-मेल/ऑनलाइन/लिखित आदि) तथाआवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि।</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9</td><td>जिस अधिकारी को आवेदन भेजे जाने हैं/जिससे अभ्यर्थी संपर्क करें:
(नाम, पदनाम, ई-मेल आईडी, पता, दूरभाष संख्या; ऑनलाइन होने की स्थिति में वेबसाइट पता)</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

10	भर्ती की प्रक्रिया: { **कैरियर एवं काउन्सिलिंग सेंटर** के माध्यम से /प्लेसमेंट एजेंसी /स्व-प्रबंधन/अन्य (उल्लेख करें)}		
11	क्या **कैरियर एवं काउन्सिलिंग सेंटर** में पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत करना वांछनीय है?	हाँ / नहीं	
12	अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी		

हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम

स्थापना/नियोक्ता के अधिकृत हस्ताक्षरी का

(मोहर सहित एवं दिनांक)

(आधिकारिक उपयोग के लिए, कैरियर एवं काउन्सिलिंग सेन्टर द्वारा भरा जाना है)

13	**कैरियर एवं काउन्सिलिंग सेंटर** का नाम, पता एवं ई-मेल आईडी:	
14	रिक्तियों की प्राप्ति की तिथि	
15	स्थापना का NIC कोड	
16	पद का NCO कोड	
17	**विशिष्ट रिक्ति आईडी (संख्या)**	

दिनांक:

कैरियर एवं काउन्सिलिंग सेंटर के अधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर,

नाम एवं पदनाम (मोहर सहित)

टिप्पणी :

1. जिस **कैरियर एवं काउन्सिलिंग सेंटर** को रिक्तियाँ सूचित की जाती हैं, वह प्राप्ति की तिथि से **अधिकतम 3 कार्य दिवसों** के भीतर रिक्ति की **विशिष्ट रिपोर्टिंग संख्या** प्रदान करेगा तथा इसे नियोक्ता को लिखित रूप में/ई-मेल/डिजिटल माध्यम से सूचित करेगा।

2. यदि नियोक्ता किसी भी माध्यम से रिक्ति का विज्ञापन करता है या किसी एजेंसी/अन्य माध्यम से भर्ती करता है, तो उस विज्ञापन/भर्ती प्रक्रिया में उक्त**विशिष्ट रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या**का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेगा।

3. **कैरियर एवं काउन्सिलिंग सेंटर** को पूर्व में दी गई किसी भी जानकारी में परिवर्तन होने पर, उसे लिखित रूप में या वैध आधिकारिक ई-मेल अथवा डिजिटल माध्यम(पोर्टल सहित) से संबंधित **कैरियर एवं काउन्सिलिंग सेंटर** को सूचित किया जाएगा।

प्रपत्र-42

[**नियम 93** का उपनियम(6) देखें]

प्रपत्र EIR (Employment Information Return)

वर्ष समाप्ति ..... के लिए **कैरियर एवं काउन्सिलिंग सेंटर(क्षेत्रीय)**में प्रस्तुत की जाने वाली **वार्षिक विवरणी**

निम्नलिखित जानकारी **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** (अध्याय XIII– रोजगार सूचना एवं निगरानी) के अंतर्गत प्रस्तुत की जानी है—

नियोक्ता का नाम एवं पता		
क्या—प्रधान कार्यालय है		
शाखा कार्यालय स्थापना का प्रकार (सार्वजनिक क्षेत्र /निजी क्षेत्र)		
व्यवसाय की प्रकृति/मुख्य गतिविधि का स्वरूप		
संहिता के अंतर्गत स्थापना पंजीकरण संख्या		

1.(क) रोजगार

स्थापना की कुल मानव-शक्ति, जिसमें कार्यरत स्वामी/भागीदार/आकस्मिक भुगतान पर कार्यरत कर्मचारी एवं संविदात्मक कर्मी, आउट-सोर्स्ड कर्मी सम्मिलित हों; अंशकालिक कर्मचारी एवं प्रशिक्षुओं को छोड़कर। **(आंकड़ों में प्रत्येक वह व्यक्ति शामिल होगा जिसे वेतन/मानदेय का भुगतान किया जाता है।)**

श्रेणी	पिछले वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर	रिपोर्ट किए जा रहे वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर
पुरुष महिला अन्य (ट्रांसजेंडर) कुल दिव्यांग (PWD)— उपर्युक्त कुल में से-		

2. वर्ष के दौरान उत्पन्न एवं **कैरियर एवं काउन्सिलिंग सेंटर** को सूचित रिक्तियों* की संख्या तथा वर्ष के दौरान भरी गई रिक्तियों* की संख्या

उत्पन्न	सूचित		भरी गई	स्रोत
	कैरियर एवं काउन्सिलिंग सेंटर (क्षेत्रीय)	कैरियर सेंटर (केंद्रीय)		**कैरियर एवं काउन्सिलिंग सेंटर**/NCS पोर्टल/ सरकारी भर्ती एजेंसियाँ/निजी प्लेसमेंट संगठन /अन्य
1	2	3	4	5

* सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अध्याय XIII) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार।

मानव-शक्ति की कमी(MANPOWER SHORTAGES):

उपयुक्त आवेदकों की कमी के कारण रिक्त रह गए पद/रिक्तियाँ-

पद/व्यवसाय का नाम या पदनाम	रिक्त रह गई रिक्तियों/पदों की संख्या		
	निर्धारित (कौशल/योग्यताएँ) (शैक्षिक/तकनीकी/अनुभव)	आवश्यक	वांछनीय
1	2	3	4

(कृपया उन अन्य व्यवसायों/पदों की सूची भी दें, जिनके लिए इस स्थापना को हाल के समय में उपयुक्त आवेदक प्राप्त करने में कठिनाई हुई हो।)

4. आगामी कैलेंडर वर्ष के लिए व्यावसायिक वर्गीकरण अनुसार अनुमानित मानव-शक्ति आवश्यकता
(कृपया प्रत्येक व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या पृथक-पृथक दें।)

व्यवसाय	कर्मचारियों की संख्या कृपया यथासंभव प्रत्येक व्यवसाय में उन अनुमानित रिक्तियों की संख्या भी बताएं, जिन्हें आप अगले वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्ति /विस्तार/पुनर्गठनके कारण भरने की संभावना रखते हैं।				
विवरण(पद/व्यवसाय)	पुरुष	महिला	अन्य (ट्रांसजेंडर)	कुल	दिव्यांग (PWD) — कुल में से
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
~~Total :~~					

* (विवरण)कॉलम में सटीक पदनाम का उपयोग करें, जैसे—अभियंता(यांत्रिक), सहायक निदेशक(धातुकर्म), अनुसंधान अधिकारी(अर्थशास्त्री), पर्यवेक्षक(सिलाई), निरीक्षक(स्वच्छता), अधीक्षक(कार्यालय), प्रबंधक(विक्रय), प्रबंधक(लेखा), कार्यकारी(विपणन), डाटा एंट्री ऑपरेटर.....शीघ्र ही"

हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम
स्थापना/नियोक्ता के अधिकृत हस्ताक्षरी का
(मोहर सहित एवं दिनांक)

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1431/XXXVI-3–2026-1399661, dated August 27, 2026:

No. 1431/XXXVI-3–2026-1399661

Dated Lucknow, August 27, 2026

WHEREAS the draft of The Uttar Pradesh Code on Social Security Rules, 2026 were published as required under sub-section (1) of section 154 and sub-section (1) of Section 156 of the Social Security Code, 2020 (Act no. 36 of 2020) in the Official *Gazette vide* Notification no. 427/36-03-2026-1399661, dated 10th of March, 2026 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date on which the *Gazette* containing the said notification was made available to the public;

AND WHEREAS the aforesaid notification was made available to the public on 10th of March, 2026;

AND WHEREAS suggestions and objections received from persons and stakeholders have been duly considered by the State Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 154 and sub-section (1) of Section 156 of the Social Security Code, 2020 (Act no. 36 of 2020) *read* with Section 24 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of,-

(i) the Uttar Pradesh Workmen's Compensation Rules, 1975;

(ii) the Uttar Pradesh Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Rules, 1964;

(iii) the Uttar Pradesh Maternity Benefit Rules, 1983;

(iv) the Uttar Pradesh Payment of Gratuity Rules, 1975;

(iv) the Uttar Pradesh Building and Other Construction (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2009; and

(vi) the Uttar Pradesh Unorganized Workers Social Security Rules, 2016;

(vii) the Uttar Pradesh Code on Social Security Rules, 2021;

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor is pleased to make the following rules, namely:-

THE UTTAR PRADESH CODE ON SOCIAL SECRURITY RULES, 2026

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Code on Social Security Rules, 2026.

(2) They extend to whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.

Definitions

2. (1) In these rules, unless the subject or context otherwise requires, -

(a) "appeal" means an appeal preferred under clause (b) of sub-section (7) of Section 37, sub-section (8) of Section 56, sub-section (3) of Section 72, sub-section (1) of Section 99;

(b) "Appellate authority" means the authority specified by the State Government under sub-section (8) of Section 56 or an officer, senior in rank to the Assessing Officer for the purposes of Section 105 of the Code, appointed by the State Government, as the case may be;

(c) "Assessing Officer" means a Gazetted officer of a State Government or an officer of a local authority holding an equivalent post to a Gazetted officer of the State Government appointed by such State Government for assessment of cess under the Code;

(d) "Authority" means the State Government or the authority specified by the State Government under sub-section (3) of Section 72;

(e) "Board" means the Uttar Pradesh Unorganised Workers Social Security Board and the Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board constituted under sub-section (9) of Section 6 of the Code and under sub section (1) of Section 7 of the code respectively;

(f) "Career centre (State)" means that career centre as notified by the State Government;

(g) "Cess collector" means an officer appointed by the State Government for collection of cess under the Code;

(h) "Chairperson" means the Chairperson of the Uttar Pradesh Unorganised Workers' Welfare Board or the Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board, as the case may be;

(i) "Chartered engineer" means a person having an engineering degree and the corporate membership of Institute of Engineers India;

(j) "Code" means the Code on Social Security, 2020 (Act no 36 of 2020);

(k) "Court" means the employee insurance court constituted under sub-section (1) of Section 48 of the Code;

(l) "Electronically" means any information submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of the Code;

(m) "Excluded vacancies" means those vacancies which have been excluded from the purview of the section 139 as per the provisions of sub-sections (1) and (2) of Section 140;

(n) "Form" means a form appended to these rules;

(o) "Fund" means the Social Security Fund, as specified under section 108 and sub-section (5) of Section 141, as the case may be;

(p) "Government Securities" means Government Securities as defined in the Government Securities Act, 2006 (Act no. 38 of 2006);

(q) "Immovable property" includes land, benefits to arise out of land, things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;

(r) "Movable property" means property of every description except immovable property;

(s) "Nomination" means nomination made under section 55 of the code;

(t) "Portal" means Shram Suvidha Portal of Government of India or official web-portal of Labour Department or Building and Other Construction Workers Welfare Board or Uttar Pradesh Unorganised Workers Social Security Board or any other portal governed by Government of Uttar Pradesh;

(u) "Registered medical practitioner" means a medical practitioner whose name has been enrolled in the register maintained under any law for the time being in force regulating the registration of practitioners of medicine;

(v) "Register of woman employees" means a register of women employees maintained under rule 55;

(w) "Schedule" means the Schedule of the Code;

(x) "Section" means a section of the Code;

(y) "Specified" means specified by an order of the Central Government or the State Government or any officer so authorized by such Government.

(2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code

CHAPTER- II

SOCIAL SECURITY ORGANIZATION

PART – I

The Uttar Pradesh Unorganized Workers Social Security Board

Manner for nomination of the Members of the Uttar Pradesh Unorganized Worker Board under sub-section (12) of Section 6

3. (1) The State Government shall constitute a Board under sub-section (9) of Section 6 of the Code by notification to be named as the Uttar Pradesh Unorganized Workers Social Security Board.

(2) The Board shall consist of, -

(a) the Minister of Labour and Employment, Uttar Pradesh as *ex officio*– Chairperson;

(b) the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Labour and Employment, Uttar Pradesh as *ex officio*–Vice-Chairperson;

(c) the Welfare Commissioner, Uttar Pradesh, Ministry of Labour and Employment, Government of India - Member

(d) thirty-one members to be nominated by the State Government out of whom-

(i) seven members representing unorganized workers, to be nominated from a panel of fourteen persons, nominated by approved Federations of Trade Unions or by any recognized umbrella Trade Union **("a large federation of trade unions that brings together various smaller unions")** of unorganized workers;

(ii) seven members representing employers of unorganized workers out of which three to be nominated from Association of employers belonging to Unorganized Sector, three from State level traders organizations and one from registered contractors or service provider working prominently in unorganized sector;

(iii) two elected members of State Legislative Assembly;

(iv) five members representing eminent persons from Civil Society out of which one person from the field of Law, one eminent person in the field of economics or sociology or in social work with a proven record of working in the field of unorganized workers, two persons among Non- Government Organization with a proven record of working in the field of unorganized workers of whom at least one should be from the field of domestic unorganized workers and one person from the field of finance with experience of at least five years working in the field of demography or matters related with unorganized workers:

Provided that adequate representation shall be given to persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Minorities and Women;

(v) ten members representing State Government departments concerned namely the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary or his/her nominee (not below the rank of Joint Secretary) of department of Social Welfare, Medical and Health, Urban Development, Housing, Panchayati Raj, Finance, Primary Education, Vocational Education and Training, Rural Development and Planning;

(vi) The officer nominated by the State Government shall perform the duties of the Member-Secretary.

Term of the office

4. (1) The term of Board shall be three years from the date of its constitution, but it shall continue till the reconstitution and its decision shall not be deemed invalid on the ground that term of the Board has been expired.

(2) The term of the members of the Board shall be co-existing with the term of the Board.

(3) The members nominated under sub-clause (iii) of clause (d) of sub-section (10) of Section 6 shall cease to be a member of the Board when they cease to be an elected member of the State Legislative Assembly.

(4) The non-official members of the Board shall hold office at the pleasure of the Government of Uttar Pradesh.

(5) Any non-official member may resign by a letter addressed to the State Government signed under his hand. The seat of such member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted or on the expiry of thirty days from the date of receipt of intimation of resignation, whichever is earlier.

(6) A member nominated under sub-clause (i), (ii) and (iv) of clause (d) of sub-section (10) of Section 6 shall be removed from the Board if he cease to represent the interest for which he was nominated.

(7) All nominated members shall not be eligible for renomination for more than two terms.

Change of address

5. If any change occurs in the address of nominated members, the same shall be communicated in writing, within fifteen days to the Member Secretary of the Board, who shall make a record accordingly:

Provided that if a member fails to furnish his new address, the address in the official record shall for all purposes be deemed to be the member's correct address.

Filling of the Vacancies

6. (1) A non-official member shall be deemed to have vacated his office, if, -

(i) he is declared to be of unsound mind or an un discharged insolvent by a Competent Court; or

(ii) he is convicted of an offence, which in the opinion of the State Government involves moral turpitude; or

(iii) he is absent from three consecutive meetings of the Board without leave of absence from the Chairperson; or

(iv) he seizes to represent the interest for representing which he was appointed; or

(v) he is removed by the State Government.

(2) When a Vacancy occurs for any reason or is likely to occur in the membership of the Board, the Member Secretary shall submit a report to the State Government who shall take steps to fill the vacancy from amongst the category of persons, to which the person vacating membership belongs and the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of the office of the member in whose place he is appointed.

Meetings of the Board

7. (1) The Board shall meet at such places and at such times as may be decided by the Chairperson.

(2) The Board shall meet at least once in three months.

(3) In case of any matter of urgency, special meetings may be called by the Chairperson after informing the members in advance about the subject- matter of discussion and the reasons of urgency.

(4) In case of any matter of urgency, meeting by circulation or by other mode may be held.

(5) The Chairperson shall preside over every meeting of the Board in which he is present and in his absence the meeting of the Board shall be chaired by the Vice- Chairperson.

Notice of meeting and list of business

8. (1) Ordinarily, fifteen day's notice shall be given to the members of the Board of a proposed meeting:

Provided that the Chairperson, if he is satisfied that it is expedient so to do, may give notice of shorter period.

(2) No business other than that included in the agenda of the Board meeting shall be considered without the permission of the Chairperson.

Quorum

9. No business shall be transacted at any meeting of the Board unless at least ten members are present in that meeting:

Provided that if at a meeting, less than ten member are present, the Chairperson may adjourn the meeting to another date informing the members present and giving notice to the other members that he proposes to dispose of the business at the adjourned meeting whether there is prescribed quorum or not, and it shall thereupon be lawful for him to dispose of the business at the adjourned meeting irrespective of the number of members attending.

Nomination of a substitute during the absence of a Member

10. (1) If a member is unable to attend any meeting of the Board or any Committee thereof, he may, by a written instrument, signed by him, addressed to the Chairperson of the Board and explaining the reasons for his inability to attend the meeting, appoint any representative of the organisation, which he represents in the Board or any Committee thereof, as his substitute for attending that meeting of the Board or any Committee thereof in his place:

Provided that no such appointment shall be valid unless, -

(i) the instrument making such appointment has been received by the Chairperson of the Board before the date fixed for the meeting;

(ii) such appointment has been approved by the Chairperson of the Board, and

(2) A substitute validly appointed under sub-rule (1) shall have all the rights and powers of a member, in relation to the meeting of the body concerned, in respect of which he is appointed and shall receive allowances, and be under obligations as if he were a member appointed under the Code.

(3) The member appointing a substitute for attending any meeting of the Board or any Committee thereof, shall, notwithstanding anything contained in this sub-rule, continue to be liable for the misappropriation or misapplication of the Fund by the substitute and shall also be liable for any Act of misfeasance or non-feasance committed in relation to the Fund by the substitute appointed by him.

Powers, duties and function of the Board, Disposal of the business

11. (1) In addition to sub-section (15) of the Section 6 of the Code on Social Security, 2020, the Board shall be responsible,-

(a) to recommend the State Government for better implementation of the Schemes for workers of unorganized sector;

(b) to give suitable advice/ recommendation to responsible administrative departments/ executive institutions relating to welfare projects, development programs, elevation of poverty specially being carried out for the benefit of unorganized workers in the State;

(c) to refer the matter to the State Government where there is difference of opinion between Board and the administrative department/executive institution for its decision.

(2) The Board shall also be responsible for,

(a) administration of the Fund;

(b) preparation and submission of annual budget to the State Government for sanction;

(c) maintenance of accounts;

(d) collections of contributions to the fund and other charges;

(e) appointment of Committees for the disposal of the works of the Board and for the fulfillment of pertaining objects of the Board;

(f) hearing and deciding complaints;

(g) investment of the fund in the nationalized banks, or in the institutions owned and controlled by the State Government or the Central Government for better management;

(h) delegation of all or any of the powers of the Board to the Secretary or any other officer of the Board as may be necessary for the efficient administration;

(i) to monitor the expenditures made from fund under various schemes;

(j) compliance of directions given by the Central/State Government from time to time.

(3) Every matter which the Board is required to take into consideration shall be considered at a meeting of the Board, or if the Chairperson so directs, by sending the necessary papers to every member for opinion, the matter shall be disposed of in accordance with the decision of the majority:

Provided that where there is no opinion of majority on a matter and the members of the Board are equally divided, the Chairperson shall have a second or a casting vote.

(4) Every decision taken at the meeting of the Board shall be recorded in writing.

Allowances of Members

12. (1) The travelling allowance and daily allowance of an official member shall be governed by the rules applicable to him for journey performed by him on official duties and shall be paid by the Authority paying his salary.

(2) Non-Official Members of the Board shall be paid travelling allowance and daily allowance for attending meetings of the Board at such rates as are admissible to lowest of Group "A" Officer of the State Government.

Reconstitution of the Board

13. (1) The State Government shall initiate the process for reconstitution of the Board, six months prior to the expiry of the term of the Board.

(2) Where for any reason whatsoever, it appears to the State Government that it is not in a position to constitute or reconstitute a Board in accordance with the provisions of sub-rule (2) of rule 3, as the case may be, the State Government considers it expedient to do so it, may by notification in the Official *Gazette*, appoint a

person to be known as the Administrator for a period not exceeding six months or till the Board is duly constituted or reconstituted under sub-rule (2) of rule 3, as the case may be, whichever is earlier.

(3) The decision taken by the Administrator, appointed under sub-rule (2), shall have the same effect as if it has been carried out by the Board itself.

Committees of the Board

14. (1) The Board may appoint such committees as it may deem fit for the proper discharge of its duties.

(2) Each committee will be headed by the Chairperson of the Board and will have an equal number of unorganized workers, representative of employers of unorganised workers and members of the Board representing the State Government.

(3) In the absence of the Chairperson, the present members of the committee shall elect one of their own to preside over the meeting.

(4) No work shall be performed at a meeting of the committee unless at least one third of its members are present of which, there shall be one representing the employer and at least one unorganized worker.

(5) The term of any committee, except the sub-committee constituted for the short-term purpose, shall be one year, from the date of its constitution but the committee shall continue to function until the new committee is formed, but in any case, no such committee shall function beyond the period of two years from the date of its original formation.

(6) The recommendations of the committee shall be placed before the Board for its decisions.

Headquarter of the Board

15. The office of the Board shall be in Lucknow at such place as determined by the State Government.

Officers and staff of the Board

16. (1) The Member-Secretary of the Board shall be the Chief Executive Officer of the Board. As the Chief Executive Officer of the Board, the Member-Secretary shall be responsible to conduct the activities of the Board and for such actions he shall–

(i) exercise such administrative and financial powers as are authorised to him from time to time by the Board;

(ii) the Board may from time to time delegate, subject to such conditions as it may deem fit, administrative and financial powers to any other officer under its control and supervision to the extent considered necessary for its sufficient functioning.

(2) The Member-Secretary shall with the approval of the Chairperson, issue notice to convene a meeting of the Board and shall keep the records of the minutes of such meetings and shall take necessary steps for carrying out the decisions of the Board.

(3) The Member-Secretary may, with the prior concurrence of the State Government, appoint such other officers and employees as its staff to assist the Board in the efficient discharge of the functions of the Board under the Code.

Recruiting procedure and service conditions of officers and staff of the Board under sub-section (4) of Section 120

17. (1) Classification, pay-scales, allowances, recruitment procedure, terms of condition of service of Officers and employees of the Board shall be such, as may be determined by the Board, with the approval of the State Government.

(2) If, in any specific case, any dispute or difficulty arises regarding the interpretation and enforcement of a provision, mentioned in sub-rule (1), the matter shall be referred to the State Government whose decision shall be final thereon.

(3) (a) the Board shall provide salary, allowances, and other emoluments, medical benefits, retirement benefits, and all other service-related benefits to the officers and employees of the State Government working within the Board, as other officers of the State Government or other officers/employees working in the parent department of such officers/ employees are entitled to receive;

(b) officers and employees working in the Board through the Uttar Pradesh Outsource Service Corporation or any other medium (other than various service selection commissions) shall be entitled to receive such salary, allowances, Employee Provident Fund (EPF), Employee State Insurance (ESI), and other service-related benefits through their employer, as may be provided under the rules, regulations, and Government Orders (GOs) issued from time to time by the Central or State Government.

Constitution of Fund under clause (ii) of sub-section (5) of Section 141

18. In addition to source of fund mentioned in clause (i) of sub-section (5) of Section 141, the amount received from the following sources shall be credited to the Fund which shall be called as the Uttar Pradesh Social Security Fund, –

(i) lump sum amount given by the State Government for the establishment of the fund;

(ii) the amount of grant given by the Government of India, the State Government and other authorities and statutory bodies;

(iii) amount received for registration and renewal of unorganised workers registered on portal of the Board and their contribution;

(iv) amount received for implementation of the scheme notified by the Government of India;

(v) amount received for implementation of the scheme notified by the State Government;

(vi) contribution or donation or any other financial support from employer, their association or from Corporate Social Responsibility (CSR) Fund within the meaning of the Companies Act, 2013 (Act no. 18 of 2013), as determined by the State Government by general or special order;

(vii) any other source which is approved by the State Government by notification in the Official *Gazette*; and

(viii) all interest earned on the money deposited in the fund's account shall form part of the Fund.

Administration of the Uttar Pradesh Social Security Fund

19.(1) All the funds received under clauses (i) and (ii) of sub-section (5) of Section 141 shall be kept in a separate Bank Account in a Nationalized Bank.

(2) The Fund shall be administered and transacted by the Board.

(3) The Bank Account of the Fund shall be operated in such a manner as determined by the State Government by general or special order.

(4) The fund of the Social Security Board shall be utilized/expended for meeting-

(i) expenses of the Board in the discharge of its functions under the Code;

(ii) salaries, allowances and other remuneration of the members, officers and other employees of the Board;

(iii) the implementation of the welfare schemes for unorganized workers of the State and Central Government and for meeting out administrative expenses of the Board;

(iv) expenses on objects and for purposes authorized by the Code.

(5) The administrative expenses of the Board shall not be more than five percent of the total expenditure on schemes formulated by the Board.

(6) The Board shall prepare in such form and such time, each financial year, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Board and forward the same, to the State Government and the Central Government.

(7) The Board shall prepare, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and submit a copy thereof to the State Government and the Central Government.

Accounts and Audit

20. (1) The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form, as may be prescribed in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(2) The Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him, in connection with the auditing of the accounts of the Board, under the Code and rules made thereafter, shall have same rights and privileges and authority in connection with such audit as a Comptroller and Auditor General of India has in connection with the auditing of the Government accounts and in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Board, under the Code and rules made their under.

(3) The accounts of the Board shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India annually and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Board to the Comptroller and Auditor General of India.

(4) The Board shall furnish to the State Government its audited copy of accounts together with auditor's report along with its comments on such report.

PART-II

THE UTTAR PRADESH BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS WELFARE BOARD

Composition of the Board

21. (1) The State Government shall by notification constitute a Board namely the Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board under sub-section (1) of section 7 of the Code.

(2) The Board shall consist of, –

(i) the Chairperson shall be an officer not below the rank of Principal Secretary/Seretary nominated by the State Government;

(ii) a member to be nominated by the Central Government;

(iii) the Secretary/Chief Executive Officer of the Board shall not be below the rank of Special Secretary;

(iv) four official members not below the rank of Special Secretary, Government of Uttar Pradesh, nominated by the State Government representing the Social Welfare Department, Finance Department, Basic Education Department and the Department engaged in building and other construction work;

(v) four persons, out of which one shall be a woman, representing the employers of the building and other construction industry, to be nominated by the State Government;

(vi) four persons, out of which one shall be a woman, representing the building workers, to be nominated by the State Government.

(3) Where for any reason whatsoever, it appears to the State Government that it is not in a position to constitute a Board in accordance with the provisions of sub-rule (2), the State Government considers it expedient to do so it may by notification in the Official *Gazette*, appoint a person to be known as the Administrator (not below the rank of Principal Secretary/Secretary) for a period not exceeding six months or till the Board is duly constituted under sub-rule (2), whichever is earlier.

Term of office

22. (1) The term of the Board shall be three years from the date of its constitution, but it shall continue until its reconstitution, provided that such period shall not exceed one year, and during this period, its decisions shall not be deemed invalid on the ground that the term of the Board has expired:

Provided that in no case any non-official member shall continue in office beyond a period of four years from the date of their appointment unless they are re-appointed as member in the Board.

(2) The term of the members of the Board shall be co-terminus with the term of the Board.

(3) The members nominated under clauses (v) and (vi) of sub-rule (2) of Rule 21 shall be removed from the Board if they cease to represent the interest for which they were nominated.

(4) The non-official members of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government and, subject thereto, unless they resign their office, die or otherwise vacates their office earlier, shall hold office for a term not exceeding three years from the date of publication of the notification in the Official *Gazette*, appointing them as member of the Board:

Provided that an outgoing member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official *Gazette*.

(5) All nominated members shall be eligible for renomination for one more term of office term.

Reconstitution of the Board

23. (1) The State Government shall initiate the process for reconstitution of the Board, six months prior to the expiry of the term of the Board.

(2) Where for any reason whatsoever, it appears to the State Government that it is not in a position to constitute or reconstitute a Board in accordance with the provisions of sub-rule (2) of Rule 21, as the case may be, the State Government considers it expedient to do so it, may by notification in the Official *Gazette,* appoint a person to be known as the Administrator for a period not exceeding six months or till the Board is duly constituted or reconstituted under sub-rule (2) of Rule 21, as the case may be, whichever is earlier.

(3) The decision taken by the Administrator, appointed under sub-rule (2), shall have the same effect as if it has been carried out by the Board itself.

Sub-committees of the Board

24. (1) The Board may appoint such sub-committees as it deems necessary for the proper discharge of its duties, and the members of such committees shall be entitled to travel allowance and daily allowance at the rates and subject to the conditions specified under the rules.

(2) When constituting a sub-committee, the Board may nominate one of its members as the chairperson of the sub-committee, and it shall be mandatory for the sub-committee to include one member each representing the State Government, the building workers, and the employers on the Board.

(3) Except for sub-committee constituted for short-term purposes, the term of any sub-committee shall be one year from the date of its formation. However, such a sub-committee shall continue to function until a new sub-committee is constituted, but in no case shall any such sub-committee function beyond a period of one and a half years from the date of its original formation. Any sub-committee may be dissolved by the Board at any time.

(4) The sub-committee shall meet at such times as may be determined by the chairperson of the said sub-committee, and the sub-committee shall follow such rules of procedure for the conduct of its meetings as the Board may determine.

(5) The recommendations of the sub-committee shall be placed before the Board for its decisions.

Change of address

25. If any change occurs in the address of nominated members, the same shall be communicated in writing, within fifteen days to the Member-Secretary of the Board, who shall make a record accordingly:

Provided that if a member fails to furnish his new address, the address in the official record shall for all purposes be deemed to be the member's correct address.

Filing up of casual vacancies

26. (1) A non-official member shall be deemed to have vacated his office, if-

(i) he is declared to be of unsound mind or an undischarged insolvent by a Competent Court; or

(ii) he is convicted of an offence, which in the opinion of the State Government , involves moral turpitude; or

(iii) he is absent from three consecutive meetings of the Board without leave of absence from the Chairperson; or

(iv) he seizes to represent the interest for representing which he was appointed; or

(v) he is removed by the State Government.

(2) When a vacancy occurs for any reason or is likely to occur in the membership of the Board, the Member-Secretary shall submit a report to the State Government who shall take steps to fill the casual vacancy from amongst the category of persons, to which the person vacating membership belongs and the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of the office of the member in whose place he is appointed.

Duties and functions of the Board

27. (1) In addition to the sub-section (6) of the Section 7 of the Code on Social Security, 2020, the Board shall be responsible for,-

(i) all matters related to the management and administration of the Fund and all related matters in accordance with the Code and rules, applicable for the purpose, including setting policies for the allocation of funds in it;

(ii) proper maintenance of accounts and its annual audit;

(iii) collection of contribution and other charges in the fund;

(iv) appointing committees for disposal of the business of the Board or advice in various matters pertaining to the objects of the Board;

(v) hearing and deal with the complaints;

(vi) securing the fulfillment of any contract and agreement entered into;

(vii) authorizing any person to enter into negotiations and execute contracts and to rescind and vary all such contracts;

(viii) opening account with the Bank authorize officers of the Board to operate on them as well as draw, accept, endorse and execute cheques, bills of exchange *etc.* on behalf of the Board;

(ix) laying down rules for affixation and safe custody of common seal of the Board;

(x) the fund's assets to be invested in nationalized banks and government securities.

(2) (i) the Board shall prepare in such form and such time each financial year, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Board and forward the same, to the State Government and the Central Government;

(ii) the Board shall prepare its annual report and audited accounts, giving a full account of its activities during the previous financial year and submit a copy thereof to the State Government;

(iii) the Board, shall, from time to time furnish such information as may be required by the Central Government or the State Government.

Salary and allowances to official and non-official members

28. (1) The salary, travelling allowance and daily allowance of an official member shall be governed by the rules applicable to him against his post, journey performed by him on official duties and shall be paid by the Authority paying his salary.

(2) Non-Official Members of the Board shall be paid travelling allowance and daily allowance for attending meetings of the Board at such rates as are admissible to lowest of Group "A" Officer of the State Government.

Duties and Functions of the Chief Executive Officer

29. (1) The Member-Secretary of the Board shall be the Chief Executive Officer of the Board.

(2) As the Chief Executive Officer of the Board he shall exercise such administrative and financial powers as may be authorized by the Board from time to time.

(3) The Chief Executive Officer shall with the approval of the Chairperson, issue notice to convene a meeting of the Board and shall keep the records of the minutes of such meetings and shall take necessary steps for carrying out the decisions of the Board.

(4) The Chief Executive Officer may with the prior concurrence of the State Government appoint such other officers and employees as its staff to assist the Board in the efficient discharge of the functions of the Board under the Code.

Recruiting procedure and service conditions of officers and staff of the Board

30. (1) Classification, pay-scales, allowances, recruitment procedure, and terms of condition of service of Officers and employees of the Board shall be such, as may be determined by the Board, with the prior approval of the State Government.

(2) (a) the Board shall provide salary, allowances, and other emoluments, medical benefits, retirement benefits, and all other service-related benefits to the officers and employees of the State Government working within the Board, as other officers of the State Government or other officers/employees working in the parent department of such officers/ employees are entitled to receive;

(b) officers and employees working in the Board through the Uttar Pradesh Outsource Service Corporation or any other medium (other than various service selection commissions) shall be entitled to receive such salary, allowances, Employee Provident Fund (EPF), Employee State Insurance (ESI), and other service-related benefits through their employer, as may be provided under the rules, regulations, and Government Orders (GOs) issued from time to time by the Central Government or State Government

Meetings of the Board

31. (1) The Board shall meet at such places and at such times as may be decided by the Chairperson.

(2) The Board shall meet at least once in three months.

(3) In case of any matter of urgency, special meetings may be called by the Chairperson after informing the members in advance about the subject-matter of discussion and the reasons of urgency.

(4) In case of any matter of urgency, meeting by circulation or by other mode may be held.

(5) The Chairperson shall preside over every meeting of the Board in which he is present and in his absence the meeting of the Board shall be chaired by the person nominated by the Chairperson.

Notice of meeting and list of business

32. (1) Ordinarily, fifteen days notice and list of business of proposed meeting shall be given to the members of the Board:

Provided that the Chairperson, if he is satisfied that it is expedient so to do, may give notice of shorter period.

(2) No business except which is included in the list of business for a meeting of the Board shall be considered at the meeting without the permission of the Chairperson.

(3) The proceedings of each meeting of the Board shall be recorded and circulated to all members after approval by the Chairperson, as soon as possible, after the meeting, subject to confirmation in next meeting of the Board. After such confirmation they shall be recorded in the minute book, which shall be kept for permanent record.

Quorum

33. (1) No business shall be transacted at any meeting of the Board unless at least eight members are present in that meeting:

Provided that if in a meeting, less than eight members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to another date informing the members present and giving notice to the other members that he proposes to dispose of the business at the adjourned meeting whether there is prescribed quorum or not, and it shall thereupon be lawful for him to dispose of the business at the adjourned meeting irrespective of the number of members attending.

(2) The chairperson may debar any member other than *ex-officio* members from taking part in the meetings of the Board, if –

(a) he absents himself from three consecutive meetings of the Board without written information to and consent of the Chairperson; or

(b) in view of the Chairperson, such member has ceased to present the interest, which he purports to represent in the Board.

Nomination of a substitute during the absence of a member

34. (1) If a member is unable to attend any meeting of the Board or any Committee thereof, he may, by a written instrument, signed by him, addressed to the Chairperson of the Board and explaining the reasons for his inability to attend the meeting, appoint any representative of the organisation, which he represents in the Board or any Committee thereof, as his substitute for attending that meeting of the Board or any Committee thereof in his place:

Provided that no such appointment shall be valid unless—

(i) such appointment has been approved by the Chairperson of the Board; and

(ii) the instrument making such appointment has been received by the Chairperson of the Board before the date fixed for the meeting.

(2) A substitute validly appointed under sub-rule (1) shall have all the rights and powers of a member, in relation to the meeting of the body concerned, in respect of which he is appointed and shall receive allowances, and be under obligations as if he were a member appointed under the Code.

(3) The member appointing a substitute for attending any meeting of the Board or any Committee thereof, shall, notwithstanding anything contained in this sub-rule, continue to be liable for the misappropriation or misapplication of the Fund by the substitute and shall also be liable for any act of misfeasance or non-feasance committed in relation to the Fund by the substitute appointed by him.

Disposal of the business

35. Every matter which the Board is required to take into consideration shall be considered at a meeting of the Board, or if the Chairperson so directs, by sending the necessary papers to every member for opinion, the matter shall be disposed of in accordance with the decision of the majority.

Provided that where there is no opinion of majority on a matter and the members of the Board are equally divided, the Chairperson shall have a second or a casting vote. Every decision taken at the meeting of the Board shall be recorded in writing.

Social security schemes and welfare measures under sub-section (6) of Section 7

36. (1) The Board shall formulate and notify social security scheme and welfare measures with the prior approval of the State Government prescribed in clauses (a) to (h) of sub-section (6) of Section 7 or with the prior concurrence of the Central Government under clause (i) of sub-section (6) of Section 7 of the Code, as the case may be.

(2) The Board shall formulate social security schemes and welfare measures in which eligibility limit, rate of various benefits, application procedure and formats and procedure for sanctioning and the competent authority to grant approval and procedure for disbursement and other incidental matters shall also be determined by the Board and thereafter it shall forward the same to the State Government for approval

Accounts and Audit

37. (1) The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form, as may be prescribed in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(2) The accounts of the Board shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India annually and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Board to the Comptroller and Auditor General of India.

(3) The Comptroller and Auditor General of India, or any other person appointed by him in this behalf, shall audit the account of the Board and, for the purpose of the such audit, shall have the same rights, privileges and authority as the Comptroller and Auditor General of India has in connection with the audit of Government account, and in particular, shall have the right to demand the production of books, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Board, under the Code and rules made their under.

(4) The Board shall furnish to the State Government its audited copy of accounts together with auditor's report along with its comments on such report.

CHAPTER-III

EMPLOYEES' INSURANCE COURT

Manner and time within which second appeal may be filed to the Employees' Insurance Court by the Insured Person or the Corporation under clause (b) of sub-section (7) of Section 37

38. (1) The Insured person or the Employees State Insurance Corporation may prefer a second appeal to the Employees' Insurance Court by presenting an application within ninety days of the date of communication of the decision of the Medical Board or of the Medical Appeal Tribunal to the Insured person or the Employees State Insurance Corporation, as the case may be:

Provided that the Employees' Insurance Court may entertain an application after the period of ninety days, if it is satisfied that the appellant had sufficient reasons for not presenting the application within the said period.

(2) The Rules made by the State Government in respect of the form and manner to be followed in presenting applications to the Employees' Insurance Court, shall be applicable to the applications presented under this rule.

Composition of Employees' Insurance Court and place of sitting

39. (1) An Employees' Insurance Court shall ordinarily consist of one Judge:

Provided that the State Government may after consultation with the Employees State Insurance Corporation, by notification in the Official *Gazette* appoint two or more Judges to a Court for any particular proceeding or clause of proceeding and for such period as may be specified in the notification.

(2) The said Court shall sit at such place or places and at such time as the State Government may after consultation with the Employees State Insurance Corporation, from time to time specify.

(3) Where more than one Court is constituted for the same local area, the State Government may, by a general or special order, distribute business among them.

Procedure to be followed by the Employees' Insurance Court under sub-section (2) of Section 50

40. (1) Fixing of timing of sitting- Where there is one Court for two or more local areas,–

(i) where one Court is constituted for two or more local areas the Court shall, subject to the approval of the State Government, appoint the time at which the court shall sit in respect of each local area or in respect of any class of proceedings under the Code;

(ii) a notice of the time appointed under clause (i) shall be published in such manner, as the Government may, from time to time, direct.

(2) Procedure where there are more than one Judges,–

(i) where more than one Judge has been appointed to a Court, the Government shall specify their rank and precedence;

(ii) the senior Judge for the time being shall, from time to time, make such arrangements, as he thinks fit, for the distribution of business of the Court among the Judges thereof;

(iii) when two or more Judges sitting together, differ on any question the opinion of the majority of such Judges shall prevail, where there is no majority, the opinion of the senior most Judge shall, unless the Government otherwise directs, prevail.

(3) Abolition *etc.* of a Court- The State Government may, by notification in the Gazette abolish any court or by a like notification alter the jurisdiction of any court.

Appointment, salaries, allowances and Conditions of Service of Judges *etc.*

41. (1) The State Government may appoint a person qualified under section 48 of the Code to be Judge of the court.

(2) A Judge shall receive such salary and allowances as the Government may from time to time determine.

(3) A Judge shall receive dearness allowance, compensatory city allowance, house rent allowance and other allowances at such rate and conditions as are applicable to officer of the Government of a corresponding rank stationed at the same place.

(4) A Judge shall be entitled to leave and leave salary under the leave rules which may from time to time be applicable to other Government servants of similar status and drawing similar emoluments.

(5) A Judge shall be entitled to travelling allowances for journeys performed on official business in accordance with the scale applicable to the class of officers to which in the opinion of the State Government such Judge belongs.

(6) A Judge shall be subject to such other conditions of service, as the State Government may determine.

(7) Notwithstanding, anything contained in sub-rule (2) to (5) the pay, allowances and other conditions of service of a Judge, if he is a person already in the service of the State Government shall be such as the State Government may by a general or special order, from time to time, determine.

Appointment of other officers and subordinate staff

42. (1) The State Government may appoint such ministerial officers and other subordinate staff as may be necessary for the exercise and, performance of the powers and duties conferred and imposed on a Court by or under the Code.

(2) The ministerial officers and the subordinate staff of a Court shall exercise such powers and discharge such duties as the Judge, or, if there are more Judges than one, the senior Judge, may, subject to any order of the State Government from time to time, direct.

(3) The ministerial officers and the subordinate staff of a Court shall be subject to such conditions of service and draw such salaries and other emoluments and receive such benefits as may be fixed by the State Government.

Administrative control of the High Court

43. (1) All Courts shall be subject to the administrative control and superintendence of the High Court, and shall –

(i) keep such registers, books and accounts as the High court may, from time to time, prescribe; and

(ii) comply with such requisitions as may, be made by the High Court or the State Government for submission of service records, returns and statements in such forms and in such manner as the authority making the requisition directs.

Seal of Employee's Insurance Court

44. A Court shall keep a seal of such size, dimensions and design as the State Government may direct.

Procedure and execution of orders

45. (1) Application -

(i) every proceeding under section 49 shall be instituted by presenting an application to the Court;

(ii) every such application shall be verified in the same manner as a pleading in a Civil Court and shall be accompanied by two copies thereof;

(iii) an application shall be presented in Form-I. It shall be duly stamped in accordance with these rules, and shall contain the following particulars, namely:–

(a) the name of the Court in which the application is brought;

(b) the full name including the father's name, description including age, occupation and place of residence of the applicant;

(c) the full name including the father's name, description including age, occupation and place of residence of the opposite party so far as they can be ascertained;

(d) where the applicant or the opposite party is a minor or a person of unsound mind a statement to that effect and the full name, age, occupation and address of his or her next friend or guardian;

(e) the facts constituting the cause of action and the date when it arose;

(f) the facts showing that the court has jurisdiction;

(g) particulars giving the address within the jurisdiction of the Court at which notice or summons may be served on the applicant; and

(h) the relief which the applicant claims.

the application may be rejected if it is not in accordance with clause (iii).

(2) Production of documents -

(i) when any application is based upon documents, the document shall be appended to the application;

(ii) any other document which any party desires to tender in evidence shall be produced at or before the first hearing;

(iii) any document which is not produced at or within the time specified in clause (i) or (ii), as the case may be, shall not, without the permission of the Court, be admissible in evidence on behalf of the party who should have produced it;

(iv) all such documents shall be accompanied by an accurate list thereof prepared in the manner prescribed in Form-II;

(v) nothing in this rule shall apply to any document which is produced for the purpose of cross-examining witness or is handed to a witness to refresh his memory.

(3) Register of proceeding- All applications shall be entered in a register in Form-III, called the register of proceedings. Such entries shall be serially numbered for every calendar year according to the order in which the applications are presented.

(4) Place of suing- A proceeding against any person shall be instituted in the Court within the local limits of whose jurisdiction –

(i) the opposite party or each of the opposite parties, where there are more than one, at the time of commencement of the proceedings actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain; or

(ii) any of the opposite party, where there are more than one, at the time of the commencement of the proceeding, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain:

Provided that in such case either the leave of the court is given, or the opposite parties who do not reside, or carry on business or personally work for gain as aforesaid, acquiesce in such institution;

or

(iii) the cause of action, wholly or in part, arose.

(5) Application presented to wrong Court -

(i) if on receiving an application it appears to the Court that it should be presented to another Court, it shall return it to the applicant after endorsing upon it the dates of the presentation and return with the reasons for returning it and the designation of the Court to whom it should be presented;

(ii) if it appears to the court at any stage subsequent to the presentation of an application, that the application should have been presented to another Court, in the same State, it shall send the application to the Court empowered to deal with it and shall inform the applicant and the opposite party, if he has received a copy the application, accordingly;

(iii) the Court to whom an application is transferred under sub-rule (2) may continue the proceeding as if the previous proceeding or any part of it had been taken before it, if it is satisfied that the interests of the parties will not thereby be prejudiced.

(6) Issue of summons –

(i) on receiving an application the Court shall, if the same has not been rejected, within twenty days thereof, cause to be sent to the party from whom the applicant claims relief (hereinafter referred to as the 'opposite party'), a summons in Form-IV or Form-V, as the case may be to appear and answer the application in a day, not later than fifteen days from the day of issue of such summons, to be specified therein:

Provided that no such summons shall be issued when the opposite party has appeared at the presentation of the application and admitted the applicant's claim;

(ii) a copy of the application shall also be sent along with the summons under clause (i).

(7) Service of summons or notice –

(i) a summon or notice may, on payment of the required fee, be sent by the Court by whom it is issued either by registered post or in such other manner as the Court thinks fit;

(ii) where the Court is satisfied that there is reason to believe that the opposite party is avoiding service or that for any reason the summons or the notice cannot be served in the ordinary way, the Court shall order the summons or the notice to be served by affixing a copy thereof in some

conspicuous place in the Court-house, and also upon some conspicuous part of the house in which the opposite party is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain or in such other manner as the Court thinks fit and it shall be effectual as if it had been made on the opposite party personally;

(iii) where a summon or notice is served under this clause, the Court shall fix such time for the appearance of the opposite party as the circumstances of the case may require.

(8) Additional matters in the summon -

(i) the Court shall determine at the time of issuing the summons, whether it shall be for the settlement of the issues only and /or for the final disposal of the application and the summons shall contain a direction accordingly;

(ii) the Court may also call upon the parties to produce upon that date any evidence which they wish to render.

(9) Where, in any proceeding before the court, a disablement question, as defined in Section 37 of the Code, arises and the decision of a medical board or a medical appeal tribunal on such question has not been obtained, the Court shall, before proceeding to determined the claim or such question, direct the Employees State Insurance Corporation that the question be decided in the manner laid down in Section 37, and shall their after proceed with the determination of the claim or question in accordance the section 49 of the Code.

(10) Written statement –

(i) the opposite party may, and, if so, required by the Court, shall, at or before the first hearing or within such time as the Court may permit, present a written statement of his defense along with the documents on which he relies and an accurate list thereof in Form-II;

(ii) every such written statement shall be verified in the same manner as a pleading in a Civil Court and shall be accompanied by two copies thereof;

(iii) in any written statement submitted under clause (i), the opposite party shall deal specifically with each allegation of fact alleged by the applicant, of which he admits or does not admit or denied the truth. The written statement must also contain all matters which show that the application is not maintainable and all such grounds of defense as, if not raised, would be likely to take the application as for instance, fraud, undue influence or coercion release, payment, performance of facts showing illegality of the transaction.

(11) Failure to present written statement called for by the Court- Where any party from whom a written statement is required fails to present the same within the time prescribed by the Court may, pronounce judgment against him or make such order in relation to the proceeding as it thinks fit.

(12) Framing of issues-

(i) at the first hearing of the application, after the summons has been issued, the Court shall, after considering the application and the written statement, if any, or after such examination of the parties or any person or any document as may appear necessary, ascertain upon what material proposition of fact or of law the parties are at variance, and shall thereupon proceed to frame and record the issues upon which the right decision appears to depend;

(ii) in recording the issues, the Court shall distinguish between those issue which in its opinion concern points of fact and those which concern points of law;

(iii) the Court may, in like manner, at any time before passing its final order add to, strike out from, or in any way amend, the issues on such terms as it may think fit.

(13) Order where parties are not at issue - Where at any hearing of the case it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact the Court may at once pronounce its final order.

(14) Appearance of parties and consequences of non-appearance –

(i) on the day fixed in the summons for the opposite party to appear and answer the parties shall be in attendance at the Court in person or by their respective legal practitioners or any other person authorized under section 51 and the application shall then be heard unless the hearing is adjourned by the Court;

(ii) when neither party appears, when the application is called on for hearing, the Court may make an order that the application be dismissed;

(iii) where the opposite party appears and the applicant does not appear when the application is called on for hearing, the Court may make an order that the application be dismissed unless the opposite party admits the claim or part thereof in which case the Court may make an order against the opposite party upon such admission and where party only of the claim has been admitted it shall dismiss the case so far as it relates to the remainder;

(iv) where the applicant appears and the opposite party after receiving the summons fails to appear, when the application is called on for hearing the Court may proceed ex-parte;

(v) where the application is wholly or partly dismissed under clause (ii) or (iii), the applicant may within thirty days of such dismissal apply in Form-VI for an order to set the dismissal aside and the Court shall, if it is satisfied that he was prevented from appearing when the proceeding was called on for hearing due to any sufficient cause, make an order setting aside the dismissal upon such terms, as to costs or otherwise as it thinks fit, and may proceed with the case or appoint a day for proceeding with the same :

Provided that no order under this clause shall be made in respect of an application which is dismissed under clause (iii), unless notice of the application has been served in Form-VII on the opposite party;

(vi) in any application in which an ex-parte order has been passed against the opposite party, he may within thirty days from the date of such order apply in Form-VI to the Court which passed the order, to set it aside and, if the Court is satisfied that he was prevented from appearing when the proceedings was called on for hearing due to any sufficient cause, it may after serving notice thereof to the applicant in Form-VII make an order setting aside the order upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit and may proceed with the hearing of the case or appoint a day for proceeding with the same.

(15) Summoning of witness -

(i) at any time after framing of the issues the Court may call upon the parties to produce their evidence in support of the issues;

(ii) the Court may, on the application of either party issue a summons in Form VIII to any witness directing him to attend or to produce any document;

(iii) the Court may, before summoning any witness on application under clause (ii), require that his reasonable expenses to be incurred in attending the Court be deposit with it.

(16) Grant of time and adjournment of hearing –

(i) the Court may, if sufficient cause is shown, at any stage of the proceeding, grant time to the parties or to any of them, and may, from time to time, adjourn the hearing of the application;

(ii) in every such adjournment the Court shall fix a day, not exceeding fifteen days from the date on which such adjournment is made for the further hearing of the application and may make such order as it thinks fit with respect to the costs occasioned by the adjournment:

Provided that, where the hearing of the application has once begun, the hearing shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Court, for the reasons to be recorded in writing considers it necessary to adjourn the hearing beyond the following day.

(17) Right to begin proceeding- The applicant has the right to begin unless the opposite party admits the facts alleged by the applicant and contends that either in point of law or on some additional facts alleged by the opposite party, the applicant is not entitled to the relief which he seeks, in which case the opposite party has the right to begin.

(18) Statement and production of evidence –

(i) on the day fixed for the hearing of the application or on any other day to which the hearing is adjourned, the party having the right to begin shall State his case and produce his case and produce his evidence in support of the issues which he is bound to prove;

(ii) the other party, shall, then State his case and produce his evidence, (if any) and may then address the Court generally on the whole case;

(iii) the party beginning may then reply generally on the whole case;

(iv) notwithstanding anything contained in this rule, the Court may, order that the production of evidence or the address to the Court may be in any order, which it may deem fit.

(19) Method of recording evidence- The evidence of each witness shall be taken down in writing by the Judge or where there is more than one Judge by the junior Judge, or at the dictation of any such Judge in the open Court in the language of the Court, not ordinarily in the form of question and answer, but in that of a narrative and, when completed, shall be read over or translated, where necessary, in the presence of such Judge, to the witness, and such Judge shall if necessary, correct the same, and shall sign it.

(20) Recall of a witness- The court may, at any stage of a proceeding recall any witness, who has been examined and may (subject to the law of evidence for the time being in force) put such question to him, as the Court thinks fit.

(21) Inspection by Court - The Court may at any stage of a proceeding, inspect any property or thing concerning which any question, may arise.

(22) Pronouncement of order - The Court, after the application has been heard, shall pronounce its final order in open Court, either at once or on some future day, of which due notice shall be given to the parties.

(23) Signing of order - The final order shall be dated and signed in open Court at the time of pronouncing it and, when once signed, shall not afterwards be altered or added to, save in the case of clerical or arithmetical mistake arising from accidental slip or omission.

(24) Statement of decision on each issue - In cases, in which issues have been framed, the Court shall State its finding or decision, with the reason there for, upon each separate issue, unless the finding upon any one or more of the issues is sufficient for the decision of the case.

(25) Compromise of suit - Where it is proved to the satisfaction of the Court that a case had been adjusted wholly or in partly by any lawful agreement or compromise, or where the opposite party satisfies the applicant in respect of the whole or any part of the subject matter of the case, the Court shall order such agreement, compromise or satisfaction to be recorded, and shall pass final order in accordance therewith so far as it relates to the case.

(26) Finality or Order- Save as provided in section 52 the order of a Court shall be final and binding upon the parties.

Costs, Decree *etc.*

46. (1) Costs-

(i) the costs of and incidental to the application shall be in the discretion of the Court, and the Court shall have full power to determine by whom or out of which property and to what extent such costs are to be paid, and to give all necessary direction for the purposes aforesaid. The fact that the Court has no jurisdiction to try the case shall be no bar to the exercise of such powers;

(ii) where the Court directs that any cost shall not follow the event, the Court shall State its reasons in writing.

(2) Contents of the decree-

(i) a decree in Form-IX shall be prepared in conformity with the order made by the Court it shall contain the number of the application, the names and descriptions of the parties, and particulars of the claim, and shall specify clearly the relief granted or other determination of the proceeding;

(ii) the decree shall also State the amount of costs incurred in the proceeding and by whom and in what proportion such costs are to be paid;

(iii) the Court may direct that the cost payable to one party by the other shall be set off against any sum which is admitted or found to be due from the former to the later.

(3) Certified copies of order, decree *etc*. to be furnished -

(i) certified copies of the final order, decree or any other order or matter on record shall be furnished to the parties on application to the Court and at their expenses on payment of fee of two rupees for each such page;

(ii) if any party requires copies of any order, decree or any other matter on record made by or furnished to the Court, as the case may be, to be supplied to him within forty-eight hours of the submission of an application thereof to the Court, he shall pay an additional fee of two rupees for each such page;

(iii) if any party applies for copies of any order, decree or any other matter on record made by or furnished to the court, as the case may be, after the expiry of twelve months from the date of such making or furnishing as the case may be, he shall pay an additional searching fee of two rupees per page.

Execution of Decree

47. (1) Execution –

(i) any person in whose favour an order has been passed shall, within one year from the date of the order, apply in Form-X to the Court which made the order for its execution;

(ii) on such application being made, the court shall send the same together with the necessary record to a Civil Court, of competent jurisdiction, for its execution and such Civil Court shall have the same power in executing such order as, if it had been passed by it.

(2) Communication of fact of execution or otherwise - The Civil Court to which a decree is sent for execution shall, certify to the Court which passed it, the fact of such execution or where that Court fails to execute the same, the circumstances attending such failure.

Fees and costs under sub-section (3) of Section 50

48. (1) Fees –

(i) the fee payable on an application in respect of any matter referred to in Section 49 shall be ten rupees;

(ii) the fee payable in respect of any other application except a written statement called for by the Court under these rules shall be five rupees:

Provided that the fee for an application for obtaining a copy or translation of any document on record or statement, order to decree presented to or made before or by the Court, as the case may be, shall be two rupees per page;

(iii) the fee for copies of any document on record, or statement or order or decree shall be such as may, from time to time be determined by the State Government;

(vi) the fee for any authorization for the appearance of any person under section 79 on behalf of any of the parties in a case shall be ten rupees;

(v) the fee for filling certified copies of any document in a Court shall be five rupees;

(vi) all fees referred to in this rule shall be collected by means of Court-fee stamps used in ordinary Courts and no document which ought to bear stamps under these rules shall be of any validity unless and until it is properly stamped:

Provided that where any such document is through mistake or inadvertence received, filed or used in a Court without being properly stamped, the Court may, if it thinks fit, order that such document be stamped as it may direct and on such document being stamped accordingly the same and every proceeding relating thereto shall be as valid as it had been properly stamped in the first instance;

(vii) no document requiring a stamp under this rule shall be acted upon in any proceeding in a Court until the stamp has been cancelled.

(2) Payment of Costs of services of summons, *etc.*-

(i) the cost of service of summons or notices or the expenses of the witnesses in any case or the fee payable in respect of any matter not referred to in the preceding rule shall be such amount as may be specified in each case by the Court; and such amount or any other sum of money payable under these rules shall be paid in such manner and within such time as it may specify therefore;

(ii) any amount which is left over after meeting the expenses, if any, for which it was intended shall be returned by the Court to the party by whom or on whose behalf the amount was originally paid into the Court;

(iii) the Court shall maintain proper accounts of the amount received and disbursed under sub-rule (1).

(3) Fees and costs of poor persons- The Court may, whenever it thinks fit, receive and register proceedings instituted under the Code and applications made under these rules, by persons who are paupers, and may issue summons or notice on behalf of such persons, without payment or on a part payment of the fees and costs mentioned in Rule 46 and Rule 48.

Matters relating to procedure or admission of evidence for which no specific provision is made in these rules

49. In respect of matters relating to procedure or admission of evidence for which no specific provision is made in these rules, the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908), including the rule made there under and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (Act no. 47 of 2023), so far as may be apply to proceedings under the Act.

Manner of commencement of proceedings before the Employees' Insurance Court, fees and procedure thereof under sub-section (1) of Section 51

50. (1) The proceeding before an Employees' Insurance Court shall be commenced by application by the Corporation, aggrieved person or the employer of an establishment as the case may be.

(2) Subject to the provisions of Chapter-IV of the Code and rules made by the State Government, all proceedings before the Employees' Insurance Court shall be instituted in the Court appointed for the local area in which the insured person was working at the time the question or dispute arose.

(3) If the Court is satisfied that any matter arising out of any proceedings pending before it can be more conveniently dealt with by any other Employees' Insurance Court in the same State, it may, subject to any rules made by the State Government in this behalf, order such matter to be transferred to such other Court for disposal and shall forthwith transmit to such other Court the records connected with that matter.

(4) The State Government may transfer any matter pending before any Employees' Insurance Court in the State to any such Court in another State with the consent of the State Government of that State.

(5) The Court to which any matter is transferred under sub-rule (3) or sub-rule (4) shall continue the proceedings as if they had been originally instituted in it.

CHAPTER-IV
GRATUITY

Bank or other financial institution in which the gratuity shall be invested for the benefit of minor under the third proviso to sub-section (1) of Section 53

51. In the case of a nominee, or an heir, who is a minor, the Competent Authority shall invest the gratuity amount deposited with him for the benefit of such minor in term deposit with the State bank of India or Nationalized Bank.

Explanation: Nationalized Bank means a corresponding new bank specified in the first schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act no. 5 of 1970) or a corresponding new bank specified in the first schedule of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Act. no. 40 of 1980).

Time, form and manner of nomination by an employee under sub-section (1), the time to make fresh nomination under sub-section (4), the form and manner of modification of nomination under sub-section (5) and the form for the fresh nomination under sub-section (6) of Section 55

52. (1) A nomination shall be made in the manner prescribed in Form-XI and be submitted in duplicate by the employee either by personal service after taking proper receipt or registered post acknowledgement due or electronically to the employer-

(a) in case of an employee who is already in employment for a year or more, on the date of commencement of these rules, but has not submitted the nomination ordinarily within ninety days from such date; and

(b) in the case of an employee who has completed one year of service after the date of commencement of these rules, ordinarily within thirty days of the completion of one year of service:

Provided that nomination in Form-XI shall be accepted by the employer after the said period, if the same is supported by reasonable grounds for delay and no nominations accepted shall be invalid merely on the ground that it was filled after the specified period:

Provided further that in case of a fixed term employment, the nomination shall be submitted within one month from the date, the employee joins the service.

(2) Within thirty days of receipt of the nomination in Form-XI, as mentioned above, the employer shall get the service particulars of the employee as mentioned in the Form of the nomination, verified with reference to the record of the establishment and return to the employee, after obtaining a receipt thereof, the duplicate copy of the nomination Form-XI, duly attested either by employer or an officer authorized by him in this behalf as a token of recording of the nomination by the employer and the other copy of the nomination shall be recorded.

(3) An employee, who has no family at the time of making a nomination shall within ninety days of acquiring a family, submit in the manner specified in sub-rule (1), a fresh nomination as required under sub-section (4) of Section 55, in duplicate in Form-XI to the employer and thereafter provision of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis as if it was made under sub-rule (1).

(4) A notice of modification of a nomination, including cases where a nominee predeceases an employee, shall be submitted in duplicate in Form-XI to the employer specified in sub-rule(1), and thereafter provision of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis as if it was made under sub-rule (1).

(5) A nomination or a fresh nomination or a notice of modification of nomination shall be signed by the employee, or if the employee is illiterate, the said nomination shall bear his thumb-impression in the presence of two witnesses who shall also sign a declaration to that effect in the nomination, fresh nomination or notice of modification of nomination, as the case may be, and shall be submitted by the employee electronically or by registered post acknowledgement due.

(6) A nomination, fresh nomination or notice of modification of nomination shall take effect from the date of receipt thereof by the employer.

Time within which and the form in which a written application shall be made under sub-section (1) of Section 56

53. (1) Application for gratuity-

(a) an employee or his nominee or his legal heirs, who are eligible for payment of gratuity under the Code, or any person authorised, in writing, to act on his behalf, shall apply, for gratuity personally or by registered post or electronically or otherwise, ordinarily within thirty days from the date the gratuity became payable, in Form-XII to the employer:

Provided that an application on plain paper with relevant particulars shall also be accepted. The employer may obtain such other particulars as may be deemed necessary by him:

Provided further that where the date of superannuation or retirement of an employee is known, the employee may apply to the employer before thirty days of the date of superannuation or retirement:

Provided also that an employee on fixed term employment shall be eligible for gratuity, if he renders service under the contract for a period of one year and he shall be paid gratuity at the rate of fifteen days' wages, based on the rate of wages last drawn by him, for every completed year of service or part thereof in excess of six months;

(b) where gratuity becomes payable under the Code before the commencement of these rules, the periods of limitation specified in clause (i) shall be deemed to be operative from the date of such commencement;

(c) an application for payment of gratuity filed after the expiry of the period specified in this rule shall also be entertained by the employer, if the applicant adduces sufficient cause for the delay in preferring his claim, and no claim for gratuity under the Code shall be invalid merely because the claimant failed to present his application within the specified period. Any dispute in this regard shall be referred to the competent authority for his decision:

Provided that the competent authority shall dispose of the application for gratuity within six months from the date of the receipt of the application:

Provided further that the competent authority may, for reasons to be recoded in writing, extend the said period for a further period not exceeding three months.

(2) Notice for payment of gratuity-

(a) within fifteen days of the receipt of an application under sub-rule (1) for payment of gratuity, the employer shall,-

(i) if the claim is found admissible on verification, issue a notice in Form-XIII to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the amount of gratuity payable and fixing a date, not being later than the thirtieth day after the date of receipt of the application, for payment thereof, or

(ii) if the claim for gratuity is not found admissible, issue a notice in Form-XIII to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the reasons why the claim for gratuity is not considered admissible and a copy of the such notice shall be endorsed to the competent authority and to the Director, General, Labour Bureau, Chandigarh;

(b) in case payment of gratuity is due to be made in the employer's office, the date fixed for the purpose in the notice in Form-XIII under sub-clause (a) of clause (i) of sub-rule (2) shall be re-fixed by the employer, if a written application in this behalf is made by the payee explaining why it is not possible for him to be present in person on the date specified;

(c) if the claimant for gratuity is a nominee or a legal heir, the employer may ask for such witness or evidence as may be deemed relevant for establishing his identity or maintainability of his claim, as the case may be. In that case, the time limit specified for issuance of notices under clause (a) of sub-rule (2) shall be operative with effect from the date such witness or evidence, as the case may be, called for by the employer is furnished to the employer.

(d) a notice in Form-XIII shall be served on the applicant either by personal service after taking receipt or by registered post with acknowledgement due or electronically;

(e) a notice under sub-section (2) of Section 56 shall be in Form-XIII.

(3) Mode of payment of gratuity - The gratuity payable under the Code shall be paid through Demand Draft or by crediting in the bank account of the eligible employee, nominee or legal heir, as the case may be:

Provided that intimation about the details of payment shall also be given by the employer to the competent authority of the area.

Appointment of competent authority under sub-section (1) of section 58

54. The State Government, by notification, shall appoint a Gazetted Officer, having the post of Assistant Labour Commissioner, to be a Competent Authority, who shall be responsible for the administration of Chapter-V of the Code and rules made thereafter specifying the area of their jurisdiction.

Application to the competent authority under clause (b) of sub-section (5) of section 56

55. (1) Application to the competent authority–

(a) where there is a dispute with regard to any matter or matters as is specified in clause (a) of sub-section (5) of section 56, the employer or employee or any other person eligible for payment of gratuity, may make an application to the competent authority in Form–XIV within one year from the date on which the gratuity becomes due: Provided that the competent authority may entertain the even after one year, if he is satisfied with the reasons given by the applicant;

(b) the application shall be accompanied by such documents as are necessary to be filed as evidences by the applicant;

(c) application for claim of gratuity may be submitted personally or by registered post or speed post or electronically to the competent authority;

(d) applications shall also be accompanied with envelope with a stamp for registered post in a proportion of number of opposite parties.

(2) Procedure for dealing with application for direction–

(a) if the competent authority is *prima facie* satisfied with the application for claim and if he thinks that the application may be inquired, he shall issue a notice in Form–XV, either electronically or by registered post acknowledgment due or in person call upon the applicant as well as the employer to appear before him on a specified date, time and place, either by himself or through his authorised representative together with all relevant documents and witnesses, if any:

Provided that any application shall not be rejected merely on the ground that it is not in the prescribed Form;

(b) any person desiring to act on behalf of an employer or employee, nominee or legal heir, as the case may be, shall present to the competent authority a letter of authority from the employer or the person concerned, as the case may be, on whose behalf he seeks to act together with a written statement explaining his interest in the matter and praying for permission so to act. The competent authority shall record thereon an order either according his approval or specifying, in the case of refusal to grant the permission prayed for, the reasons for the refusal;

(c) a party appearing by an authorised representative shall be bound by the acts of the representative;

(d) after completion of hearing on the date fixed under clause (a), or after such further evidence, examination of documents, witnesses, hearing and inquiry, as may be deemed necessary, the competent authority shall record his finding as to whether any amount is payable to the applicant under the Code. A copy of the finding shall be given to each of the parties;

(e) if the employer concerned fails to appear on the specified date of hearing after due service of notice without sufficient cause, the competent authority may proceed to hear and determine the application *ex parte*. If the applicant fails to appear on the specified date of hearing without sufficient cause, the competent authority may dismiss the application:

Provided that an order under this sub-rule may, on good cause being shown within thirty days of the said order, be reviewed and the application reheard after giving not less than fourteen days' notice to the opposite party of the date fixed for rehearing of the application.

(3) Place and time of hearing- The sittings of the competent authority shall be held at such times and at such places as he may fix and he shall inform the parties of the same in such manner as he thinks fit, in the notice sent to them in Form–XV.

(4) Summoning and attendance of witnesses- The competent authority may, at any stage of the proceedings before him, either upon or without an application by any of the parties involved in the proceedings before him, and on such terms as may appear to the competent authority just, issue summons to any person in Form–XV, either to give evidence or to produce documents or for both purposes on a specified date, time and place.

(5) Service of summons or notice-

(a) subject to the provisions of clause (b) any notice, summons, process or order issued by the competent authority may be served either personally or by registered post acknowledgement due or electronically or in any other manner as prescribed under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908).

(b) where there are numerous persons as parties to any proceeding before the competent authority and such persons are members of any trade union or association or are represented by an authorised person, the service of notice on the Secretary, or where there is no Secretary, on the principal officer of the trade union or association, or on the authorised person shall be deemed to be service on such persons.

(6) Maintenance of records of cases by the competent authority:-

(a) the competent authority shall record the particulars of each case under clause (b) of sub-section (5) of Section 56 and at the time of passing orders shall sign and date the particulars so recorded;

(b) the competent authority shall, while passing orders in each case, also record the findings on the merits of the case and file it together with the memoranda of evidence with the order sheet;

(c) any record, other than a record of any order or direction, which is required by these rules to be signed by the competent authority, may be signed on behalf of and under the direction of the competent authority by any subordinate officer appointed in writing for this purpose by the competent authority.

(7) Direction for payment of gratuity- If a finding is recorded under clause (d) of sub-rule (2) that the applicant is entitled to payment of gratuity under the Code, the competent authority shall issue a notice to the employer concerned in Form–XVI electronically or registered post acknowledgment due or in person specifying the amount payable and directing payment thereof to the applicant under intimation to the competent authority within thirty days from the date of the receipt of the notice by the employer. A copy of the notice shall be endorsed to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be.

Appellate authority under sub-section (8) of Section 56

56. The State Government may, by notification, appoint appellate authority, holding the post of Additional/Deputy Labour Commissioner, specifying the area of their jurisdiction, to hear and determine the appeals which arise under the provisions of Chapter V of the Code

Manner of filing of appeal and procedure for dealing such appeal

57. (1) The Memorandum of appeal under sub-section (8) of section 56 of the Code shall be submitted to the appellate authority with a copy thereof to the opposite party and the competent authority either through delivery in person or under registered post acknowledgement due or electronically.

(2) The Memorandum of appeal shall contain the facts of the case, the decision of the competent authority, the grounds of appeal and the relief sought.

(3) There shall be appended to the Memorandum of appeal a certified copy of the finding of the competent authority and direction for payment of gratuity.

(4) On receipt of the copy of Memorandum of appeal, the competent authority shall forward records of the case to the appellate authority.

(5) Within fourteen days of the receipt of the copy of the Memorandum of appeal, the opposite party shall submit his comments of each paragraph of the memorandum with additional pleas, if any, to the appellate authority with a copy to the appellant.

(6) The appellate authority shall record its decision after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard. A copy of the decision shall be

given to the parties to the appeal by electronically or registered post or in person and a copy thereof shall be sent to the competent authority returning his records of the case:

Provided that the appellate authority shall dispose of the appeal within six months from the date of the receipt of the appeal.

Provided further that the appellate authority may, for reasons to be recoded in writing, extend the said period for a further period not exceeding three months.

(7) The competent authority shall, on receipt of the decision of the appellate authority, make necessary entry in the records of the case maintained by him.

(8) On receipt of the decision of the appellate authority, the competent authority shall, if required under that decision, modify his direction for payment of gratuity and issue a notice to the employer concerned in Form–XVI specifying the modified amount payable and directing payment thereof to the applicant, under intimation to the competent authority within fifteen days of the receipt of the notice by the employer. A copy of the notice be endorsed to the appellant employee, nominee or legal heir, as the case may be, and to the appellate authority.

Application for recovery of gratuity

58. Where an employer fails to pay the gratuity due under the Code in accordance with the notice by the competent authority under sub-rule (7) of Rule 55 or sub-rule (8) of Rule 57, as the case may be, the employee concerned, his nominee or legal heir, as the case may be, to whom the gratuity is payable may apply to the competent authority in duplicate in Form-XVII for recovery thereof under section 129 of the Code.

CHAPTER-V

MATERNITY BENEFIT

Complaint to Inspector-cum-Facilitator under clause (a) and (b) of sub-section (1) of Section 72

59. (1) A complaint under sub-section (1) of section 72 shall be made in writing in Form-XVIII to the Inspector-cum-Facilitator of the area, having jurisdiction.

(2) When the complaint referred to in Section 72 is received by an Inspector-cum-Facilitator, he shall examine the relevant records maintained by the employer in this behalf, examine any person employed in the establishment and take down necessary statement for the purpose of the enquiry and if he is satisfied that the maternity benefit or the amount has been improperly withheld, he shall direct the employer to make the payment for the women or to the person claiming the payment under the Section 63, as the case may be, immediately but not exceeding the period of 45 days.

Appellate Authority

60. (1) A person aggrieved by the order of Inspector-cum-Facilitator under sub-section (2) of Section 72, may appeal to Regional Additional/Deputy Labour Commissioner of the State Government.

(2) The appeal shall be filed in writing to the appellate authority in Form-XIX along with other supporting documents:

Provided that no application for appeal shall be rejected merely on this ground that the application for appeal is not in the prescribed format.

(3) Where an appeal is received, the appellate authority, shall call from the Inspector-cum-Facilitator before a fixed date, the record of the case. The appellate authority shall hear both the parties and if he thinks fit, he may, also record the statements of the Inspector-cum-facilitator.

(4) Considering the documents, the evidence produced before him and the facts presented to him or ascertained by him, the appellant authority, shall give his decision within three months:

Provided that the appellate authority may for reasons to be recorded in writing, extend the said period for a further period not exceeding three months.

CHAPTER-VI
EMPLOYEE'S COMPENSATION

Payment of funeral expenses

61. If the injury to employee results in death, the employer shall in addition to the compensation to be deposited under the Code with the Competent Authority, pay a sum of twenty five thousand rupees to the eldest surviving dependent of the employee towards the expenditure of the funeral of such employee, or where the employee does not have dependents or was not living with his dependent at the time of his death, then in such a case the said payment towards funeral expenses shall be made to the person who actually incurred such expenditure:

Provided that if the Central Government by notification enhances the amount specified in the sub-section (7) of section 76, the amount to be deposited under this rule shall be automatically enhanced.

Application and procedure for review of half monthly payments without medical certificate under sub-section (1) of Section 79

62. (1) When applications may be made without medical certificates application for review of half monthly payment under sub-section (1) of Section 79 may be made without being accompanying a medical certificate, –

(a) by the employer, on the ground that since the right of compensation was determined, the employee's wages have increased;

(b) by the employee, on the ground that since the right to compensation was determined, his wages have diminished;

(c) by the employee on the ground that the employer, having commenced to pay compensation, has ceased to pay the same, notwithstanding the fact that there has been no change in the employees conditions as such to warrant such cessation;

(d) either by the employer or by the employee, on the ground that the determination of the rate of compensation for the time being in force was obtained by fraud or undue influence or other improper means; or

(e) either by the employer or by the employee on the ground that in the determination of compensation there is a mistake or error apparent on the face of the record.

(2) Procedure on application for review-If, on examining an application for review by an employer in which the reduction or discontinuance of half monthly payment is sought it appears to the Competent Authority that there is reasonable grounds for believing that the employer has the right to such reduction or discontinuance, he may at any time issue an order after giving the employee likely to be affected thereby an opportunity of being heard, for withholding the half monthly payments in whole or in part pending his decision on the application.

(3) Procedure on application for commutation-

(a) where application is made to the Competent Authority under sub-section (7) for redemption of the right to receive half-monthly payments by the payment of a *lump-sum*, the Competent Authority shall form an estimate of the probable duration of the disablement and a sum of equivalent to the total of half-monthly payments would be payable for the period during which he estimated the disablement with continue, less one-half per cent, of the total for each month comprised in that period:

Provided that fractions of a rupee included in the sum so computed, shall be disregarded;

(b) when in any case to which sub-rule (a) applies, the Competent Authority is unable to form an approximate estimate of the probable duration of the disablement, he may from time to time postpone a decision on the application for a period not exceeding two months at any one time.

Class of employers and the form of notice book under sub-section (4) of Section 82

63. The State Government may require that any class of employers as may be prescribed by general or special order of the State Government, shall maintain at their premises at which employees are employed, a notice book in Form-XX which shall be readily accessible at all reasonable times to an injured employee employed on the premises and to any person acting *bona-fide* on his behalf.

Frequency and restrictions for medical examination under the proviso to sub-section (1) of Section 84

64. (1) Employee not to be required to submit to medical examination save in accordance with rule- An employee who is required to submit himself for medical examination shall be bound to do so in accordance with the rules contained in this part and not otherwise.

(2) Examination when employee and registered medical practitioner both are available at premises- When each employee is present at their employer's premises and the employer offers to have him examined free of charge by a qualified registered medical practitioner, who is so present, the employee shall submit himself for examination forthwith.

(3) Examination in other cases- In cases to which Rule 61 does not apply, the employer may -

(a) send the registered medical practitioner to the place where the employee is residing for the time being, in which case the employee shall submit himself for medical examination on being requested to do so by the medical practitioner; or

(b) send to the employee any offer in writing to have him examined free of charge by a qualified registered medical practitioner, in which case the employee shall submit himself for medical examination at the employer's premises or at such other place in the vicinity as is specified in such offer and at such time as is so specified:

Provided that the time so specified shall not, save with the express consent of the employee, be between the hours of 7 p.m. and 6 a.m.:

Provided further that in case where the employee's condition renders it impossible or inadvisable that he should leave the place where he is residing for the time being, he shall not be required to submit himself for medical examination.

(4) Restriction on number of examination- An employee who is in receipt of a half-monthly payment shall not be required to submit himself for medical examination elsewhere then at a place where he is residing for the time being, more than twice in the first month following the accident, or more than once in any subsequent month.

(5) Examinations after suspension of right to compensation- If any employee whose right to compensation has been suspended under sub-section (2) or sub-section (3) of Section 84 of the code, subsequently offers himself for medical examination, the examination shall take place on the employer's premises or at such other place in the vicinity as may be fixed by the employer and at a time to be fixed by the employer, not being saved with the express consent of the employee more than seventy-two hours after the employee has so offered himself.

(6) Examination of woman -

(a) no woman shall without her consent be medically examined by a male practitioner, save in the presence of another woman;

(b) no woman shall be required to be medical examined by a male practitioner, if she deposits a sum sufficient to cover the expenses of examination by a female practitioner.

Statement of fatal accidents

65. (1) The notice to be sent by the Competent Authority under sub-section (1) of Section 88 of the Code shall be in Form-XXI and shall be accompanied by a blank copy of Form-XXII.

(2) The statement to be submitted by an employer under section 88 shall be in Form-XXII.

(3) The report in respect of an accident under sub-section (1) of Section 88 may be sent to the Authority to whom the notice of such accident is required to be given.

Form of memorandum

66. A memorandum of agreement send to the competent authority under sub-section (1) of Section 89 shall, unless the competent authority otherwise directs, be submitted in duplicate and shall be in Form-XXIII, Form-XXIV or Form–XXV, as the circumstances of the case admit.

Where the competent authority refuses to receive the memorandum or does not acknowledge its receipt, the memorandum shall be deemed to have been duly served and such service shall be treated as valid.

Procedure where Competent Authority does not consider that he should refuse to record memorandum

67. (1) On receiving a memorandum of agreement, the Competent Authority shall, for taking decision to record memorandum or refusing to record, issue notice to the parties to agreement in Form-XXVI fixing the date and place of hearing and that in default of objections, he proposes to record the memorandum on the date so fixed. The notice under this sub-rule may be sent personally or through registered post or speed post or electronically:

Provided that the notice may be communicated orally to any party who are present at the time when notice in writing would otherwise issue.

(2) On the date so fixed the Competent Authority after hearing the parties to agreement shall take decision to record or refuse to record the memorandum:

Provided that the issue of notice under sub-rule (1) shall not be deemed to prevent the Competent Authority from refusing to record the memorandum on the date so fixed even if no objection is made by any party concerned.

(3) If on such date, the Competent Authority decides that the memorandum ought not to be recorded, he shall inform the parties present of his decision and of the reasons thereof and if any party desiring the memorandum to be recorded is not present, he shall send the said information to that party in Form-XXVII.

Procedure where Competent Authority considers he should refuse to record memorandum

68. (1) If, on receiving a memorandum of agreement, the Competent Authority considers that there are grounds for refusing to record the same, he shall fix a date for hearing the party or parties desiring the memorandum to be recorded and shall inform such party or parties and, if he thinks fit, any other party concerned, of the date so fixed and of the grounds on which he considers that the memorandum should not be recorded.

(2) If the parties to be informed are not present, a written notice shall be sent to them in Form–XXVIII or Form–XXIX, as the case may be, and the date fixed in such a notice shall be not less than seven days after the date of the issue of the same.

(3) If, on the date fixed under sub-rule (1), the party or parties desiring the memorandum to be recorded show adequate cause for proceeding to record the same, the Competent Authority may, if information has already been given to all the parties concerned, record the agreement. If information has not been given to all such parties, he should proceed in accordance with sub-rule (2).

(4) If, on the date so fixed, the Competent Authority refuses to record the memorandum, he shall send notice in Form–XXVII to any party who did not receive information under sub-rule (1).

Procedure on refusal to record memorandum

69. (1) If, in any case the Competent Authority refuses to record a memorandum of agreement, he shall briefly record his reasons for such refusal.

(2) If, the Competent Authority refuses to record a memorandum of agreement, he shall not pass any order directing the payment of any sum or amount over and above the sum specified in the agreement unless, opportunity has been given to the party liable to pay such sum to show-cause why it should not be paid.

(3) Where the agreement is for the redemption of half-monthly payments by the payment of *lump-sum* and the Competent Authority considers that the memorandum of agreement should not be recorded by reason of the inadequacy of the amount of such sum as fixed in the agreement, he shall record his estimate of the probable duration of the disablement of the employee.

Registration of memorandum for record

70. In recording a memorandum of agreement, the Competent Authority shall cause the same to be entered in a register in Form-XXX and shall cause an endorsement to be entered under his signature on a copy of an accepted memorandum to be retained by him in the following terms, namely:–

"The memorandum of agreement bearing serial number …… of 20…… in the register has been recorded on this …… day of ..... 20……

Signature

Competent Authority."

Qualifications of Competent Authority under sub-section (1) of Section 91

71. (1) The person to be appointed as the Competent Authority for the purpose of this Chapter shall be a Gazetted Officer not below the rank of Assistant Labour commissioner having education qualification as determined for the post by the State Government.

(2) A person to be appointed as Competent Authority for the purpose of this Chapter shall have experience of at least five years of service on the post of Assistant Labour Commissioner or he has worked as quasi judicial authority or conciliation officer for five years as a labour enforcement officer and promoted to Assistant Labour Commissioner.

Application for claim and procedure for disposal of application

72. (1) Save as otherwise provided in the rules the procedure to be followed by the Competent Authority in the disposal of cases under the Code, or these rules and by the parties in such cases shall be regulated in accordance with the rules contained in this Chapter.

(2) Application for claim- Any application of the nature referred to in Section 93 may be sent to the Competent Authority by registered post or may be presented to him or to any of the subordinate authorized by him in this behalf or electronically and, so sent or presented, shall unless the Competent Authority otherwise directs, be made in duplicate in the appropriate Form (Form-XXXI or Form-XXXII or Form-XXXIII, as the case may be) and shall be signed and verified by the applicant in the manner prescribed by Order VI, Rule 15 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. 5 of 1908).

(3) Production of documents-

(a) when the application for relief is based upon a document, the document shall be appended to the application;

(b) any other document which the applicant desires to tender in evidence shall be produced at or before the first hearing;

(c) any document which is not produced at or within the time specified in sub-rules (1) or (2), as the case may be, shall not without the sanction of the Competent Authority be received in evidence on behalf of the applicant;

(d) nothing in this rule applies to any document which is for the purposes of cross-examining a witness or is handed to a witness to refresh his memory.

(4) Application presented to wrong Competent Authority -

(a) if it appears to the Competent Authority on receiving the application that it should be presented to another Competent Authority, he shall return it to the applicant after endorsing upon it the date of the presentation and return, the reason for returning it and the designation of the Competent Authority to whom it should be presented;

(b) if at any stage of case it appears to Competent Authority that the application should be entertained by another Competent Authority, he shall send the file of the case to the Authority which has the jurisdiction and inform about the same to applicant and other parties;

(c) the Competent Authority to whom the case has been transferred, shall continue to proceed as if the previous proceedings were done before him, if he is satisfied that it will not adversely affect the interest of parties.

(5) Examination of applicant-

(a) on receiving the application of the nature referred to in Section 93, the Competent Authority may examine the applicant on oath or may send the application to any Gazetted officer, subordinate to him, in this behalf and direct such officer to examine the applicant and his witness and forward the record thereof to the Competent Authority;

(b) the substance of any examination made under sub-rule one shall be recorded in the manner provided for the recording of evidence in Section 97.

(6) Summary dismissal of application-

(a) the Competent Authority may after considering the application and the result of any examination of the applicant, summarily dismiss the application for reasons to be recorded if he is of the opinion that there are no sufficient grounds for proceeding thereon:

Provided that dismissal of the application under this clause shall not itself preclude the applicant from presenting a fresh application for the settlement of the same matter;

(b) if the application is not summarily dismissed by the Competent Authority, he shall issue notice to the opposite party or parties against whom relief is sought together with copy of application and other documents appended.

(7) Notice to opposite parties- If the Competent Authority does not dismiss the application under sub-rule (6), he shall sent to the party from whom the applicant claims relief (hereinafter referred to as the opposite party) a copy of the application together with the notice of date on which he will dispose of the application and may call upon the parties to produce upon that date, any evidence which they may wish to tender.

(8) Submission of parties-

(a) where the opposite party desires to contest the claim, it may file a written statement accompanied by relevant documents and evidence, if any, and where no written statement has been filed, the Competent Authority shall proceed to examine the opposite party upon the claim and shall reduce the result of such examination to writing;

(b) if the opposite party files the written statement, the applicant may file rejoinder with documents.

(9) Framing of issues-

(a) after considering any written statement and the result of any examination of the parties, Competent Authority may frame issues for decision of the case, if he thinks necessary;

(b) where the issues of law and facts are framed and if the Competent Authority is of the opinion that the case may be decided on issues of law, he shall proceed to hear on those issues and after decision on the issues of law, hearing on the issues of facts shall be proceeded.

(10) Evidences and summoning of witnesses-

(a) after framing of issues, the parties may submit their evidence on affidavit on which opposite party shall have the right of cross-examination;

(b) on an application made by any party to the proceedings and on deposit of fees and expenses fixed by the Competent Authority, the Competent Authority may summon any witness whose evidence he thinks is necessary for just decision of the case;

(c) evidences of all witnesses shall be recorded in the presence of Competent Authority and shall be attested by his signature and seal.

(11) Reasons for postponement to be recorded- If the Competent Authority finds it impossible to dispose of an application at one hearing, he shall record the reasons which necessitate a postponement.

(12) Power to postpone trial of issues of fact where issues of law arise- When issues, both of law and of fact arise in the same case and the Competent Authority is of opinion that the case may be disposed of on the issues of law only, he may try those issues first and for the purpose may, if he thinks fit, postpone the settlement of the issues of fact until after the issues of law have been determined.

(13) Diary- Competent Authority shall cause to be maintained a brief diary of the proceedings on an application.

(14) Right of entry for local inspection– The Competent Authority before whom any proceeding relating to an injury by accident is pending may, at any time enter the place where the employee was injured or where the employee ordinarily performed his work, for the purpose of making a local inspection or of examining any persons likely to be able to give information relevant to the proceedings:

Provided that the Competent Authority shall not enter any premises of any industrial establishment except during the ordinary working hours of that establishment save with the permission of the employer or of some person directly responsible to him for the management of the establishment.

(15) Procedure in connection with local inspection-

(a) if the Competent Authority proposes to conduct local inspection with a view to examining on the spot the circumstances in which an accident took place, he shall give the parties or their representative notice of his intention to conduct such inspection unless in his opinion the urgency of the case renders the giving of such notice impracticable;

(b) such notice may be given orally or in writing and in the case of an employer, may be given to any person upon whom notice of claim can be served under sub-section (2) of section 88 or to the representatives of such person;

(c) any party or the representative of any party, may accompany the Competent Authority at a local inspection;

(d) the Competent Authority after making local inspection shall note briefly in a memorandum any facts observed and shall show the memorandum to any party who desires to see the same and on payment of the prescribed fees, shall supply any party with a copy there of;

(e) the memorandum shall form part of the record.

(16) Powers of summary examination-

(a) the Competent Authority during local inspection or at any other time, save at a formal hearing of a case pending before him, may examine summarily any person likely to be able to give information relating to such a case, whether such person has been or is to be called as a witness in the case or not, and whether any or all of the parties are present or not;

(b) no oath shall be administered to a person examined under clause (i);

(c) statements made by persons examined under sub-rule (1) if reduced to writing, shall not be signed by the person making the statement nor shall they except as hereinafter provided, be incorporated in the record on utilized by the Competent Authority for the purpose of arriving at a decision in the case;

(d) if a witness who has been examined under clause (i) makes in evidence any material statement, contradicting any statement made by him in such examinations and reduced to writing the Competent Authority may call his attention to such a statement, and shall in that case direct the parties be

furnished with the relevant part of such a statement for the purpose of examining or cross-examining the witness;

(e) any statement or part of the statement which is furnished to the parties under clause (iv) shall be incorporated in the record;

(f) where a case is settled by agreement between the parties, the Competent Authority may incorporate in the record any statement made under clause (i) and may utilize such a statement for the purpose of justifying his acceptance of, or refusal to accept, the agreement reached.

(17) Agreement to abide by Competent Authority's decision-

(a) if a party states in writing his willingness to abide by the decision of the Competent Authority, the Competent Authority shall enquire whether the other party is willing to abide by his decision;

(b) if the other party agrees to a bide by Competent Authority's decision, the fact of his agreement shall be recorded in writing and signed by him;

(c) if the other party does not agree to abide by the Competent Authority's decision, the first party shall not remain under an obligation so to abide.

(18) Judgment-

(a) the Competent Authority in passing orders, shall record concisely a judgment and his findings on each of the issues framed and his reason for such finding;

(b) the competent authority at the time of signing and dating his judgment, shall pronounce his decision and thereafter no addition or alteration shall be made to the judgment other than the correction of a clerical or arithmetical mistake arising from any accidental slip or omission

Indemnity claimed under sub-section (2) of Section 85

73. (1) Where the opposite party claims that the compensation is recoverable from him, he shall, when first called upon to answer the application, present a notice of such claim to the Competent Authority, accompanied by the prescribed fee, and the competent authority shall thereupon issue notice to such person in Form-XXXIV.

(2) If a person served with the notice under sub-rule (1) desires to contest the applicant's claim for compensation, or the opposite party's claim to be indemnified, he shall appear before the Competent Authority on the date fixed for the hearing of the case or on any date to which the case may be adjourned and if so appears, shall have all the rights of a party to the proceedings and in default of so appearing he shall be deemed to admit the validity of any award made against the opposite party and to admit its own liability indemnify the opposite party for any compensation recovered from him:

Provided that, if any person so served appears subsequently and satisfies the Competent Authority that he was prevented by any sufficient cause from appearing, the Competent Authority shall after giving notice to the aforesaid opposite party, hear such person and may set-aside or vary any award made against such person under his rule upon such terms as may be just.

(3) If the opposite party is himself a principal employer and claims to be indemnified by a person standing to him in the relation of a contractor, from whom the compensation could have been recovered, he shall, on or before the date fixed in the notice under sub-rule (1), present a notice of such claim to the Competent Authority, accompanied by the prescribed fee, and the Competent Authority shall thereupon issue notice to such person in Form–XXXV.

(4) If any person served with the notice under sub-rule (3), desires to contest the applicant's claim for compensation or the claim under sub-rule (3) to be indemnified, he shall appear before the Competent Authority on the date fixed in the

notice in Form–XXXV or on any date to which the case is adjourned and if he so appears shall have all the rights of a party to the proceedings and in default of so appearing, he shall be deemed to admit the validity of any award made against the original opposite party or the person served with the notice under sub-rule (1) and to admit his own liability to indemnify the party against whom such award is made for any compensation required from him:

Provided that, if any person so served appears subsequently and satisfies the Competent Authority that he was prevented by any sufficient cause from appearing, the Competent Authority shall after giving notice to the aforesaid opposite party, hear such person and may set-aside or vary any award made against such person under his rule upon such terms as may be just.

(5) In any proceeding in which a notice has been served on any person under sub-rule (1) or sub-rule (3) the Competent Authority shall, if he awards compensation, record in his judgment a finding in respect of each of such persons, whether he is or is not liable to indemnify any of the opposite parties and shall specify the party or any other person to whom he is liable to indemnify.

Procedure in connected cases

74. (1) Where two or more cases pending before a Competent Authority arise out of the same accident and any issue involved in common to two or more such cases, may, so far as the evidence bearing on such issues is concerned be heard simultaneously.

(2) Where action is taken under sub-rule (1) the evidence bearing the common issue or issues, shall be recorded on the record of one case, and the Competent Authority shall certify under his hand on the record of any such other case, the extent to which the evidence so recorded applies to such other case, and the fact that the parties to such other case had the opportunity of being present, and, if they were present, of cross-examining the witnesses.

Scale of fee

75. Fees relating to proceedings of the case shall be such as determined by the State Government from time to time:

Provided that if Competent Authority is satisfied that the applicant is unable, by reason of poverty or any other reason, to pay the prescribed fees he may remit any or all of such fees:

Provided further that if the case is decided in favour of the applicant, the prescribed fees which, had they not been remitted, would have been due to be paid may be added to the cost of the case and recovered in such manner as the Competent Authority in his order regarding costs may direct.

Incidental costs

76. (1) Any party to the dispute who desires to get certified copies of decision, decree, or other document may get the same on payment of cost at the following rate, namely : –

(a) the cost for the copies of any document of record or statement or order or decree shall be Rs. 2/- per page along with Rs. 10/- for the application for the copies;

(b) the cost of service of summons or notices or expenses of witnesses or the cost payable in respect of any matter not referred before shall be such amount as may be specified in each case by the Court and such amount or any other sum of money payable under this rule shall be paid in such manner and within such time as may be specified;

(c) the Court, whenever it finds either on application of applicant or otherwise that the applicant is unable to pay the cost, may exempt the applicant from the payment of cost.

(2) Any person who is not a party to dispute, may get the certified copy of decision, decree or other documents except the confidential documents, on payment of the fees prescribed in above mentioned clauses.

Time limit for disposal of application

77. (1) Every application under the Code shall be tried as expeditiously as possible, and endeavor shall be made to conclude the trial within six months from the date of service of notice of the application on the opposite party.

(2) In the cases, where the period of six months has been expired, hearing shall be conducted day-to-day.

Certain provisions of Code of Civil Procedure, 1908 to apply

78. Save as otherwise expressly provided in the Code or these rules, the following provisions of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908), namely, those contained in Order V rules 9 to 13 and 15 to 30, order IX, order XII rules 3 to 10, order XVI rules 2 to 21, order XVII and order XXIII rule 1 and 2, shall apply to proceedings before Competent Authorities in so far as they may be applicable thereto:

Provided that-

(a) for the purpose of facilitating the application of the said provisions the Competent Authority may construct them with such alterations not affecting the substance as may be necessary or proper to adapt them to the matter before him;

(b) the Competent Authority may, for sufficient reasons, proceed otherwise than in accordance with the said provision, if he is satisfied that the interest of the parties will not thereby be prejudiced.

CHAPTER-VII

CESS IN RESPECT OF BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS

Time limit to deposit the amount of cess under section 101

79. (1) If an employer fails to pay the amount of cess payable within sixty days of the completion of the construction work, or within such time as may be specified in the assessment order, or within thirty days from the date on which the assessment order is made, whichever is earlier, such employer shall be liable to pay interest on the amount of cess so payable, at such rate as may be prescribed by the Central Government under section 101, from the date on which such payment was due till the date on which such amount is actually paid :

Provided that where the approval of a construction work by a local authority is required, every application for such approval shall be accompanied by a crossed demand draft in favour of the Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board payable at Lucknow for an amount of cess payable at the notified rates on the estimated cost of construction:

Provided further that where the duration of the project or construction work exceeds one year, cess shall be paid within sixty days of completion of one year from the date of commencement of work and every year thereafter at the notified rates on the cost of construction incurred during the relevant period.

(2) Date of payment of cess shall be the date on which the amount is deposited with the cess collector or the date of deduction at source or the date on which the draft has been deposited with the local authority, as the case may be.

(3) In case an application for review or restoration is received by an Assessing Officer against assessment order, the same shall be dealt with strictly in accordance with the standard operating procedure(S.O.P) approved and issued by the State Government.

Fees for appeal under sub-section (2) of section 105

80. (1) An employer aggrieved by an order of assessment or an order imposing penalty made by assessing officer may file an appeal in Form-XXXVII(A) against such order, within 90 days of the receipt of the such order to the appellate authority.

(2) Such appeal, *inter alia*, shall be accompanied with, -

(a) the order appealed against;

(b) a certificate from the cess collector to the effect that the amount of cess or penalty or both, as the case may be, relating to such appeal has been deposited:

Provided that the appellate authority may, with reasons to be recorded in writing, waive or reduce the amount to be deposited under rule-79 on application by the appellant;

(c) Such appeal may be admitted if, accompanied by a fee equivalent to 0.5 percent of the amount in dispute or penalty or both, as the case may be, subject to maximum of 25000 (twenty five thousand) rupees. The said amount shall be deposited in the 'U.P. Bhawan Evam Anya Sannirman Karmkar Kalyan Board' cess account of the State Government;

(d) a statement of points in dispute; and

(e) documentary evidence relied upon.

(3) On receipt of the appeal, the appellate authority may, call details from the assessing officer, or his statement on the basis of his assessment order appealed against, as such appellate authority may consider necessary for the disposal of such appeal.

(4) The appellate authority shall give the appellant an opportunity of being heard in the matter and dispose of the appeal as expeditiously as possible but not exceeding sixty days from the date of receipt of such appeal.

(5) On being satisfied on the quantum of cess the appellate authority shall confirm the order of the assessing officer or if in his opinion the assessment was wrong; or on the higher side shall modify the order of assessment or if in his opinion the assessment is on the lower side or if the basis of assessment is wrong, it shall remand back the assessment order to the assessing officer along with his observations to rectify the wrong.

(6) An order remanded back under sub-rule (5) shall be disposed of by the assessing officer within thirty days in view of the observation made by the appellate authority:

Provided that, if the amount of cess is proposed to be enhanced the assessee shall be given an opportunity of being heard.

(7) If the appellate authority is of the opinion that the quantum of penalty imposed is on the higher side or not correctly made it shall suitably modify or set aside the order of the assessing officer, as he deems appropriate.

(8) The appeal under this rule shall be disposed of by making a speaking order and a copy of such order shall be sent to each of the appellant, the assessing officer and to the Secretary, the Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board within five days of the date on which such order is made.

(9) An order in appeal, reducing the amount of cess, shall also ask the Secretary of the Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board to refund the excess cess stating clearly the specified time to the appellant.

(10) An order in appeal enhancing or reducing the amount of cess or penalty or both, as the case may be, shall also specify the date by which the amount of cess or penalty or both shall be paid or refunded.

(11) No appeal shall lie against the order of the appellate authority under this Rule

CHAPTER-VIII
FINANCE AND ACCOUNTS

Conditions to acquire hold sale or otherwise transfer any movable or immovable property under sub-section (1) of Section 120

81. (1) Acquisition of property- Subject to the provisions of sub-rule (3) and such conditions as may, from time to time, be laid down by the Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board or by the Uttar Pradesh Unorganized Workers Social Security Board, with the prior permission of the State Government, the Secretary/Chief Executive Officer of respective Board may, for the purposes of the Code, acquire on behalf of the Board, movable or immovable property:

Provided that, prior approval of the State Government on a resolution passed by Board in this regard, shall be required for the exchange of any immovable property, for the taking of any property on lease for a term exceeding thirty six months, or for the acceptance of any gift or bequest of property burdened an obligation.

(2) Disposal of property- Subject to the provisions of sub-rule (3) and such conditions as may be laid down by the Board from time to time, the Secretary/Chief Executive Officer of the Board may -

(a) dispose of, by sale or exchange, any movable property belonging to the Board, the value of which does not exceed rupees fifty lakh in each case, or grant a lease of any immovable property belonging to the Board for a term not exceeding twelve months;

(b) with the prior approval of the State Government on a resolution passed by the Board in this behalf, lease, sell or otherwise dispose of any movable or immovable property belonging to the Board.

(3) Procedure for execution of contracts -

(a) the Board may enter into and perform all such contracts as it may consider necessary or expedient for carrying into effect the provisions of the Code;

(b) every contract made under or for any purpose of the Code shall be made on behalf of the Board by the Secretary/ Chief Executive Officer of the Board;

(c) every contract entered into by any person as provided in clause (ii) shall be entered into in such manner and form as would bind him if it were made on his own behalf and may in like manner and form be varied or discharged:

Provided that the common or official seal, as the case may be, of the Board shall be affixed to every contract for amounts exceeding rupees five lakh.

Manner of investment of Board's not immediately required funds or any money which is held by Board under sub-section (2) of Section 120

82. (1) Subject to the conditions and prior approval, as may be prescribed, from time to time, the Board may invest any money or funds in Central or State Government securities, within the ambit of the guidelines issued by the State Government, vested in it, which are not immediately required.

(2) All expenses incurred in respect of, and loss, if any, arising from any investment shall be charged to the Board's Fund and the profit, if any from the sale of any investment shall also accrue to the Board's Fund.

(3) Any investment made under this rule may, subject to the provisions of sub-rule (1), be varied, transposed or realised from time to time:

Provided, that if such variation, transposition or realisation is likely to result in a loss, the prior approval of the State Government shall be obtained.

(4) The State Government may, at any time, direct the vacation in part or in whole, or prohibit investment in any security or class of securities or any land or building.

(5) All dividends, interest or other sums received in respect of any investment shall, as soon as possible after receipt, be paid into or credited to the account of the Board's Fund.

Raising and re-payment of loans under sub-section (3) of section 120

83. (1) In pursuance of a resolution passed at a meeting of the Board, and with the prior approval of the State Government, the Board may, raise loans for the purposes of the Code.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Board may raise loans for the acquisition of land and/or the raising of buildings thereon; or to repay a loan raised under this sub-rule; or for any other purpose approved by the State Government.

(3) All loans under this sub-rule shall be obtained-

(a) from the Central Government on such rates of interest and such terms as to the time and method of repayment as the Central Government may specify; or

(b) from the State Government on such rates of interest and such terms as to the time and method of repayment as the State Government may specify; or

(c) with the approval of the State Government from a Nationalized Bank.

(4) Where a loan is obtained from such bank specified in clause (iii) of sub-rule (3) the Board may, with the approval of the State Government, grant mortgages of all or any of the property vested in it for securing the repayment of the sums so advanced, with interest.

(5) All payments due from the Board for interest on and repayment of loans shall be made in such manner and at such times as may have been agreed upon:

Provided that the Board may apply any sums, which can be so applied, in repayment of any amount due in respect of the principal of any loan although the repayment of the same may not be due.

(6) No expenditure incurred out of any loan shall be charged to capital, except with the previous sanction or under the directions of the State Government.

(7) The Board shall submit to the State Government an annual statement by the thirtieth day of April each year, an annual statement showing the loans raised and repayments made during the preceding year.

Conditions and manner of writing off irrecoverable dues under section 121

84. Where the Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board or the Uttar Pradesh Unorganized Workers Social Security Board, as the case may be, is of the opinion that the amount of contribution, cess, interest and damages due to the Board has become irrecoverable, the Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board or Uttar Pradesh Unorganized Workers Social Security Board as the case may be, or any other officer authorised by it in this behalf may sanction the writing off of the said amount, subject to the following conditions, namely:-

(a) establishment has been closed for more than five years and the whereabouts of the employer cannot be ascertained, despite all possible efforts;

(b) decree obtained by the Board could not be executed successfully for want of sufficient assets of the defaulting employer; or

(c) claim for contribution is not fully met by,-

(i) the Official Liquidator in the event of factories/establishments having gone into liquidation; or

(ii) the Competent Authority for payments in the event of unit being Nationalized or taken over by the Government.

CHAPTER-IX
AUTHORITIES AND COMPLAINCE

Appointment of Inspector-*cum*-Facilitators

85. (1) The State Government may, by notification, in the Official *Gazette*, appoint such number of its officers as it thinks fit to be Inspector-*cum*-Facilitators for the purpose of this Code and rules made thereafter, in relation to the provisions for which the appropriate Government is the State Government and may assign to them such local limits as it may think fit.

(2) Every Inspector-cum-Facilitator shall be deemed to be public servant within the meaning of sub-section (28) of Section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023).

Inspection Scheme

86. (1) For the purposes of the Code and these rules, there shall be formulated a Inspection scheme providing for generation of a web-based inspection and calling of information relating to inspection electronically in accordance with Section 122 of the Code, by the Labour Commissioner, Uttar Pradesh with the approval of the State Government.

(2) Each inspection shall be made in accordance with the Inspection scheme.

Powers of Inspector-*cum*-Facilitators

87. The Inspector-*cum*-Facilitator can exercise such powers which shall be determined by the State Government from time to time.

Form and manner for maintenance of records and registers and other particulars and details under clause (a) of Section 123

88. (1) In addition to the forms attached to these rules, the employer of every establishment employing employees shall prepare and maintain the records and registers required to be maintained under sub-section (a) of Section 123 of the Code, in accordance with the Code on Wages, 2019 and the rules made thereunder, and shall preserve them for a period of five years from the date of the last entry made therein.

(2) Every employer shall issue wage slips electronically or in physical form to employees in Form-IX as specified in the Uttar Pradesh Code on Wages Rules, 2026.

(3) The employer of every establishment in which women employees are employed, shall prepare and maintain register of women employees in Form–XXXVI electronically or otherwise and shall enter therein particulars of all women workers in the establishment and the same shall always be available for inspection under notified inspection scheme by the Inspector-*cum*-Facilitator.

(4) The employer of every building and other construction work and for whom the appropriate Government is State Government, to which the Chapter VIII of the Code applies, shall maintain a record of cess paid in respect of building and other construction work he has undertaken in Form-XXXVII(B).

Manner and form for display of notices at the work places of the employees under clause (b) of Section 123

89. The employer of every establishment in which employees are employed, shall display all notices and information, as are required under the various provisions of the Code and these rules, in such form, as they are appended to these rules, at a conspicuous place and at the notice board of the establishment where employees may easily get an access to these notices and information.

Manner and period of filing returns to the officers or authority under clause (d) of Section 123

90. (1) The employer to which the provisions of Chapter V and Chapter VI of the Code applies shall, on or before the 1st day of February in each year, upload a unified annual return in Form-XXXVIII online on the web portal of the Labour Commissioner, Uttar Pradesh, giving information as to the particulars specified, in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, register and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation- For the purposes of this sub-rule, the expression "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of Section 2 of the Information Technology Act, 2000 (Act no. 21 of 2000).

(2) If the employer to which the Code applies sells, abandons or discontinues the working of the establishment, then, he shall, within one month of the date of such sale or abandonment or four months of the date of such discontinuance, as the case may be, upload online, on the web portal of the Labour Commissioner, Uttar Pradesh, a further unified return in Form-XXXVIII referred to in clause(1) in respect of the period between the end of the preceding year and the date of the sale, abandonment or discontinuance.

(3) Every employer shall file such returns electronically on the portal of Labour Commissioner, Uttar Pradesh or otherwise to Competent Authority, appointed under the various provisions of the Code and rules made thereafter.

CHAPTER-X

OFFENCES AND PENALTIES

Application for composition of offences under section 138 and manner thereof

91. Compounding of offences-

(1) The officer authorised by the State Government, (hereinafter in this Rule referred to as the Compounding Officer) by notification, for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of Section 138 shall issue electronically a compounding notice in Form-XXXIX for the offences which are compoundable under section 138.

(2) The person so noticed under sub-rule(1) may apply in Part-III of the Form-XXXIX to the officer electronically and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.

(3) The Compounding Officer shall issue a composition certificate in Part-IV of the Form-XL within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.

(4) If a person so noticed fails to deposit the composition amount within the time specified by the Compounding Officer, the prosecution shall be instituted before the Competent Court against such person for the offences in respect of which the compounding notice was issued.

(5) For the compounding of an offence after the institution of prosecution in a Competent Court in respect thereof, the provisions of sub-section (6) of Section 138 shall apply.

CHAPTER-XI

EMPLOYMENT INFORMATION AND SHARING

manner of establishment and maintenance of career and counseling centre and the career services under clause (9) of Section 2

92. (1) the State Government may establish, run and maintain Career and Counseling Centre or modify and declare its already established office or employment exchange or both or a portal or authorize any other such centre as career and counseling centre by notification. until such notification, existing local employment exchanges would function as Career and Counseling centre (Regional).

(2) the State Government may also enter into an agreement with any institution, local authority, local body or private body for running a Career and Counseling Centre.

(3) the Career and Counseling Centre established under sub-rules (1) and (2) above shall *inter-alia* perform the following functions namely:–

(a) collection and furnishing of information, either by the keeping of registers or otherwise, manually, digitally, virtually or through any other mode; relating to,-

(i) persons who seek to employ employees;

(ii) persons who seek employment;

(iii) occurrence of vacancies; and

(iv) persons who seek vocational guidance and career counseling or guidance to start self-employment.

(b) providing career counselling and vocational guidance;

(c) organizing job-fairs and job drives;

(d) employment related surveys and studies;

(e) employability enhancement activities; and

(f) other services as may be decided by the State Government from time to time

93. (1) Reporting of vacancies to Career and Counseling Centres:–

manner and form of reporting vacancies and form of filing the return by the employer, to the concerned career and counseling centre under sub-section (2) of Section 139

(a) after the commencement of this code in Uttar Pradesh the employer in every establishment in public sector shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, report or cause to be reported that vacancy to such career and counseling centre as may be specified in the notification by the State Government;

(b) the employer in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishments in private sector shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, report that vacancy or cause it to be reported to such Career and Counseling Centre (regional) from such date as may be specified in the notification by the state government;

(c) the state government shall provide for mechanism (including digital) for receipt of vacancies reported by the employers. career and counseling centre to which the vacancies are reported, would provide a unique vacancy reporting number for the vacancy reported and convey it to the employer in writing, through email or digitally or through any other such media immediately but in any case not later than three working days from the date of receipt of reporting of vacancies.

Explanation: -

(1) Establishment in "public sector" means an establishment owned, controlled or managed by,-

(a) the Government or a department of the Government;

(b) a Government company as defined in clause (45) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (act no. 18 of 2013);

(c) a corporation (including a co-operative society) or an autonomous organization or an authority or a body established by or under a Central or State Act, which is owned, controlled or managed by the Government; and

(d) a local authority.

2. "Establishment in private sector" means an establishment which is not an establishment in public sector and with ordinarily 50 or more employees or such number of employees as may be notified by the Central Government.

(2) type of vacancies and respective Career and Counseling Centre for reporting of vacancies.

(a) the following vacancies, namely :-

(i) all vacancies in posts of Technical and Scientific nature carrying a minimum pay or pay level or both as notified by the Central Government, occurring in establishments in respect of which the Central Government is the appropriate government under the Code; and

(ii) vacancies which an employer may desire to be circulated to the Career and Counseling Centre outside the state shall be reported to such Career and Counseling Centre (regional) as may be specified by the State Government by notification.

(b) vacancies which have been reported to the Career and Counseling Centre (regional) and for which recruitment is to be made on state or *inter-state* or all india basis, shall also be reported to Career Centre (Central) or uploaded on a digital portal as specified by the Central Government by notification.

(3) Form and manner of reporting of vacancies, -

(a) the vacancies shall be reported in writing or through valid official email or digitally to the career and counseling centre specified by the state government.

(b) the vacancies shall be reported in the format given at Form-XLI, furnishing as many details as practicable, separately in respect of each type of vacancy.

(c) any change in the particulars already furnished to the career and counseling centre under clause (i) shall be reported in writing or through official e-mail or digitally as the case may be, to the specified career centre.

(4) Time limit in the reporting of vacancies:

Vacancies, required to be reported to the career and counseling centre (regional), shall be reported at least forty days before the last date of receipt of the applications of the prospective candidates for purpose of appointment or taking interview or test against the vacancies reported.

(5) Maintenance of records –

(a) after commencement of this code in the state or area thereof, the employers in every establishment in the public sector in that state or area shall maintain records manually or electronically or digitally about,–

(i) total number of employees (regular, contractual or fixed term employment) on 31st March of every year

(ii) persons recruited during the year ending on 31st March;

(iii) occupational details of its employees on 31st March of every year;

(iv) vacancies for which suitable candidates were not available during the year ending on 31st March; and

(v) approximate number of vacancies likely to occur during the next financial year.

(b) the state government may by notification, require that from such date as may be specified in the notification, the employer in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishment in private sector shall maintain records manually or electronically or digitally about,–

(i) total number of employees (regular, contractual or fixed term employment) on 31st March of every year;

(ii) persons recruited during the year ending on 31st March;

(iii) occupational details of its employees on 31st March of every year;

(iv) vacancies for which suitable candidates were not available during the year ending on 31st March; and

(v) approximate number of vacancies likely to occur during the next financial year.

(6) submission of returns –

An employer shall furnish to the concerned career and counseling centre (regional) yearly returns in form eir (employment information return) as given at form-XLII yearly returns shall be furnished manually or, electronically, or digitally, as the case may be, as specified by the state government by way of a notification, within thirty days of the due date namely 31st March of the year.

(7) Declaration of Executive Officer –

The Director of employment or officer of his equivalent or above rank, controlling the work of Career and Counseling Centre (Regional) of the State Government, shall declare in writing an officer looking after the work of career and Counseling Centre (Regional) of the respective state shall be the competent authority to approve institution or sanction the institution of levy of penalty for an offence under the code as mentioned in Section 133.

CHAPTER-XIII
MISCELLANEOUS

Time within which the Board or Corporation, shall forward its view to the appropriate Government under sub-section (1) section 143

94. The Board or Corporation as the case may be shall forward its advice on the application seeking exemption under section 143 of the Code to the appropriate Government within three months of receipt of proposal for exemption. If organization or corporation as the case may be, is unable to provide its advice within the said period, the State Government may extend the time limit or take action on the application of exemption, as it may deem fit.

Conditions which the exempted establishment or the class of establishments, or employee or class of employees, as the case may be, shall comply with after such exemption under sub-section (2) and sub-section (5)

95.(1) The establishment to which exemption has been granted from the provisions of Chapter IV of the Code,-

(a) shall maintain such records regarding the exempted employees and submit such returns and other information to the Board or Corporation as may be specified in the regulations; and

(b) in case of change of legal status of an establishment which has been granted exemption under section 143 of the Code, due to merger, demerger, acquisition, sale, amalgamation, formation into a subsidiary, whether wholly owned or not, *etc.* the exemption shall be deemed to be cancelled and the establishment shall be required to apply afresh for exemption, to the appropriate Government;

(2) For the purposes of Chapter III, the establishment and/or employer, after the grant of exemption, shall comply with all such terms and conditions as may be specified in the Provident Fund Scheme or the Pension Scheme or the Insurance Scheme, as the case may be, framed under section 15 of the Code.

(3) Terms and Conditions for the Management of the Trust–

Terms and conditions for the management of the Trust of Section 143

1. Constitution of the Board of Trustees –

Every exempted establishment shall constitute a Board of Trustees for the management of the Provident Fund or Pension Fund, in accordance with the instructions issued by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner.

2. Composition of the Board –

The Board of Trustees shall comprise an equal number of representatives from the employers and the employees, as provided for in the applicable Provident Fund Scheme or Pension Scheme.

3. Chairperson –

The employer shall serve as the Chairperson of the Board of Trustees and shall have the right to exercise a Casting Vote in the event of a tie in votes. The Chairperson shall conduct all meetings in a fair and impartial manner with arm's length principles.

4. Meetings of the Board –

The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines issued by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner.

5. Other Conditions for Trust Management –

Provisions relating to the following matters namely:-

(a) tenure of the Trustees;

(b) election or nomination;

(c) disqualification or resignation;

(d) quorum;

(e) maintenance of records; and

(f) all other conditions regarding the management of the Trust—shall be governed by the Provident Fund Scheme or Pension Scheme, as applicable.

6. Resolution of Disputes –

Any dispute or doubt concerning the general administration of the Trust shall be referred to the Regional Provident Fund Commissioner within whose jurisdiction the Head Office of the establishment is situated, and the decision of the said Commissioner shall be final and binding.

Manner of determining the misuse of any benefit by an establishment or by any other person under section 148

96. On the recommendation of the authority or the competent authority or Social Security Organisations, if the State Government is satisfied that any establishment or any person has misused any benefit provided to him or her under the Code or these rules, then the State Government may by notification, deprive such establishments or other person, as the case may be, from such benefit for such time as may be specified in the notification:

Provided that no such order shall be passed unless an opportunity of being heard is given to such establishment or other person, as the case may be.

Submission of copy of the form to the office of the Director General, Labour Bureau under clause (zv) of sub-section (2) of Section 155

97. A copy of Form–XIII (Notice for payment or rejection of claim of gratuity) shall be shared electronically or otherwise with the Competent Authority of the State Government and the Director General, Labour Bureau.

By order,
DR. M. K. SHANMUGA SUNDARAM,
Pramukh Sachiv.

FORM-I

[*See* clause (iii) of sub-rule (1) of rule 45]

Application for second appeal before Employee's Insurance Court

Before the Employees' Insurance Court at…….....

AB (add description and address of applicant)

.....

Against

CD (add description and address of opposite party/parties)

.....

Other Particulars of Application as specified in rule-45

1. ……
2. ……
3. ……

Date……

Signature of Applicant

(Verification by the applicant)

The statement of facts contained in this application is, to the best of my knowledge and belief, true and correct.

Date:……

Signature of applicant

FORM-II

[*See* clause(iv) of sub-rule(2) of rule45]

List of documents produced before Employee's Insurance Court

Before the Employees' Insurance Court, at……..... AB (add description and address of applicant)
.....

Against

CD(add description and address of opposite party/parties)

.....

List of documents produced by Applicant/Opposite party :

1. Name and other particulars of party presenting document: …….
2. Description:……
3. Subject:……..

S.no.	Description of the document	The date which the document bears
1	2	3

Signature of the party
or pleader or
any Authorized represe
ntative

FORM-III

[*See* sub-rule (3) of rule 45]

Register of proceedings

Employees' Insurance Court, at …….

Register of proceedings in the year 20……..

Date of presentation of application	No. of proceedings	Name of the applicant	Address	Application description
1	2	3	4	5

Name of opposite party	Details of opposite party	Address	Particulars	Value of claim amount, if any	When the cause of action arise
6	7	8	9	10	11

Day for the parties to appear	Appearance applicant	Opposite party	Date	Finalorderfor whom	For what of amount
12	13	14	15	16	17

Appeal				Execution			Other remarks, if any
Date of description of appeal, if any	Judgement of appeal	Date of application	Against whom	For what of amount of money	Amount of cost	Date of order transferring to another Civil Court at……..	
18	19	20	21	22	23	24	25

FORM-IV
[See sub-rule (6) of rule 45]

Before the Employees' Insurance Court, at……

Summons for disposal of proceedings

To,

.....

(Name, description and address)

Whereas ……. has instituted proceedings against you for ……..You are hereby summoned to appear in this Court in person or by authorized agent duly instructed and able to answer all material questions relating to the case or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions at …… o'clock in the …… noon on the ……. day of..... 20, to answer the.

Claim and the date fixed for appearance is appointed for the final disposal of the proceedings you must be prepared to produce on that day all the witnesses, upon whose evidence, and all the documents upon which you intend to rely in support of your defence.

Take notice, that in default of your appearance on the above mentioned, the case will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court, on this…….day of……..20….

COURT

Notice:

1. If you are apprehend that you will witness will not attend of their own accord, you can have a summons from this Court to compel the attendance of any witness to produce, on applying to the Court and on depositing the necessary expenses.
2. If you admit the claim you should pay the money into Court together with the cost of the proceedings to avoid execution of the decree which may be passed against you in person or property or both.

FORM-V

[*See* sub-rule(6) of rule45]

Before the Employees' Insurance Court, at…….

Summons for Settlement of issues

To,

.....

(Name, description and address)

Whereas ……. has instituted proceedings against you for …….. You are hereby summoned to appear in this Court in person or by authorized agent duly instructed and able to answer all material questions relating to the case or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions at …… o'clock in the …… noon on the ……. day of..... 20, to answer the.

Claim and the date fixed for appearance is appointed for the final disposal of the proceedings you must be prepared to produce on that day all the witnesses, upon whose evidence, and all the documents upon which you intend to rely in support of your defence.

Take notice, that in default of your appearance on the above mentioned, the case will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court, on this…….day of..... 20….

COURT

Notice:

1. If you are apprehend that you will witness will not attend of their own accord, you can have a summons from this Court to compel the attendance of any witness to produce, on applying to the Court and on depositing the necessary expenses.
2. If you admit the claim you should pay the money into Court together with the cost of the proceedings to avoid execution of the decree which may be passed against you in person or property or both.

FORM-VI
[*See* clause (v) of sub-rule (14) of rule 45]

Application for setting aside the *ex-parte* order

Before the Employees' Insurance Court, at…….

The……

Subject: Application for setting aside the *ex-parte* order dated…….

Sir,

With due respect, undersigned humbly states as follows:–
(ground of application and prayer from Court should be stated below)

1. ……
2. ……
3. …….....

Date: ……
Signature of the applicant

(Verification by the applicant)

The statement of facts contained in this application is, to the best of my knowledge and belief, true and correct.
Date:……

…….
Signature of applicant

FORM-VII

[*See* clause (v) of sub-rule (14) of rule 45]
Notice for disposal of application regarding setting aside the *ex-parte* order
The Employees' Insurance Court, at…….

AB (add description and address of applicant)
…….....

Against

CD (add description and address of opposite party/parties)
…….....

Case number..... of 20……

To,
…….

***Subject:* - Notice for disposal of application of..... (name of party) for setting aside the *ex-Part*e order dated…….**

Whereas, the above named..... has made application to this Court, you are here by warred To appear in the Court, in person or by a pleader duly instructed, at……o'clock in the..... noon on the…… day of…….. 20……..to show cause against the application, filling where in the said application will be heard and determined *ex-parte*.

Given under my hand and the seal of the Court on this…….day of..... 20…

COURT

FORM-VIII

[*See* clause (ii) of sub-rule (15) of rule 45]

Summons to witness

The Employees' Insurance Court, at…….

AB (add description and address of applicant)
…….....

Against

CD (add description and address of opposite party/parties)
…….....

Case number..... of 20……

To,
……

Whereas your attendance is required to……..on behalf of the..... in the above proceedings you are hereby required personally to appear before this Court on the……day of …….. 20……at…….o'clock in the……noon and to bring will you (or send it to this Court)…….

A sum of Rupees..... as your travelling and other expenses and subsistence allowance for One day, is deposited with this Court and will be tendered to you, on the day you appear before the Court. If you fail to comply with this order without lawful excuse, you will be subject to the consequence of non- attendance laid down in the rule 12 of Order XVI of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908).

Given under my hand and the seal of the Court on this…….day of 20…

COURT

Notice:

1. If you are summoned only to produce a document and not to give evidence, you shall be deemed to have complied with the summons, if you cause such document to be produced in the Court on the day and hour aforesaid.
2. If you were detained beyond the day aforesaid, sum of Rupees..... will be tendered to You for each day's attendance beyond the day specified.

FORM-IX

[*See* clause (i) of sub-rule (2) of rule 46]

Decree in case

The Employees' Insurance Court, at…….

AB (add description and address of applicant)
…….....

Against

CD (add description and address of opposite party/parties)
…….....

Case number of 20……

Claim for

This case coming on this day of final disposal before …… in the presence of …… for the applicant and of …… for the opposite party, it is ordered and decreed the …… and the sum of Rupees…….be paid by the……..to the on account of the cost of his suit, with interest thereon, at the rate of.....percent per annum from this date to the date of realization.

Costs of Suits

Item	Cost(in Rupees)
Stamp for application	
Stamp for power	
Stamp for written statement	
Stamp for exhibits	
Pleader's fee	
Subsistence for witness	
Service of summons and notices	
Competent Authority's fees	
Any other expenses	
Total	

Given under my hand and the seal of the Court on this…….day of…….20…

COURT

FORM-X

[*See* clause (i) of sub-rule (1) of rule 47]

Application for execution of Decree

Before The Employees' Insurance Court, at …….

A B (add description and address of applicant)

…….....

Against

C D (add description and address of opposite party/parties)

…….....

Case number of 20……

Before this Court, the Decree Holder, hereby apply for execution of the decree herein below set forth-

Number of proceedings	Name(s) of Party/ Parties	Date of Decree	Whether an appeal preferred from Decree	Payment of adjustment made, if any
1	2	3	4	5

Previous application, if any with date and result	Amount with interest due upon the Decree or other relief granted thereby together with particulars of any cross Decree	Amount of costs, if any awarded	Against whom to be executed	Mode in which the assistance of the Court is required
6	7	8	9	10

- I pray that the total amount of Rupees..... (together with interest on the principal sum up to date of payment) and the cost of taking out this execution be realized by attachment and sale of the opposite party's movable property as per annexed list and paid to me.
- *(when attachment and sale of immovable property sought)* I pray that the total amount of Rupees …..... (together with interest on the principal sum up to date of payment) and the cost of taking out this execution be realized by attachment and sale of the opposite party's immovable property specified at the foot of this application and paid to me.

I,..... declare, that what is stated herein, is true to the best of my knowledge and belief.

Date:The …… day of …….. 20……

(Signature)

Decree Holder

FORM-XI

[*See* sub-rule (1), (2), (3), (4), (5) of rule 52]

Nomination/ Fresh nomination/ Modification of nomination for Gratuity

(strike off whichever is not applicable.*)**

To,

…….

(Give here name or description of the establishment with full address)

I, Shri/Srimati/Kumari..... (full name)whose particulars are given in the statement below, hereby nominate the person(s) mentioned below/ have acquired a family within the meaning of sub-section (33) of section 2 of the Code with effect from (mention date here) in the manner indicated below and therefore nominate afresh the person(s) to receive the gratuity payable after my death, and also the gratuity standing to my credit in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid and direct that the said amount of gratuity shall be paid in proportion indicated against the name(s) of the nominee(s).

or

I, Shri/Srimati/Kumari..... (full name) whose particulars are given in the statement below, hereby give notice that the nomination filled by me on date..... and recorded under your reference number …….. dated..... shall stand modified in the following manner-

(** strike out whichever is not applicable.*)

2. I, hereby certify that the person(s) mentioned is/are member(s) of my family within the meaning of clause (h) of section 2 of the Payment of Gratuity Act, 1972 or sub-section (33) of section 2 of Code on Social Security, 2020.
3. I hereby declare that I have no family within the meaning of clause (h) of section 2 of the Payment of Gratuity Act, 1972 or sub-section (33)of section 2 of the Code.
4. I hereby declare that-

a. My father/mother/parents is/are not dependent on me.

b. My husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.

5. I have excluded my husband from my family by a notice dated..... to the Competent Authority in terms of clause (33) of section 2 of the said code.

7. *strike off whichever is not applicable.*
8. Nomination made herein invalidates my previous nomination-

NOMINEE(S)

Name in full with address of nominee(s)	Relationship with the employee	Age of nominee(s)	Proportion by which the gratuity will be shared
1	2	3	4
1. 2. 3. 4. so on			

Manner of acquiring a "family"

(Here give details as to how a family was acquired, *i.e.* whether by marriage or parents being rendered dependent or through other process like adoption).

STATEMENT

1. Name of the Employee in full
2. Sex
3. Religion
4. Whether unmarried/married/widow/widower
5. Department/branch/section where employed
6. Post held with ticket no., or serial no., if any
7. Date of appointment
8. Permanent address

Village …… Thana …… Sub-Division …… Post office ……..… District…… State …… Pin code …… e-mail id: ……..…….. Mobile number: ……

Place Signature/thumb-impression
Date of the employee.

Declaration by witness

I..... hereby declare that the above nomination form has been signed/thumb impressed before me.

Name in full and full address of witness Signature of witness

1. 1.
2. 2.

Certificate by the employer

Certified that the particulars that of the above nomination have been verified and recorded in the establishment.

Employer's reference no. (If any): ……

Signature of the employer/
Officer
authorized Designation

Date: Name and the address of the establishment

or rubber stamp thereof.

Acknowledgement by the employee

Received the duplicate copy of nomination in Form-XI filed by me and duly certified by the employer .

Date: Signature of the employee.

FORM-XII

[*See* clause (a) of sub-rule (1) of rule 53]

Application of Gratuity By An Employee/Nominee/ Legal Heir

To,

……

[Give the name or description of the establishment with full address] Sir/Madam,

I,…….....(name of employee/nominee/legal heir)/nominee of Late ……(name of employee)/as a legal heir of ……. (name of employee), beg to apply for payment of gratuity to which I am entitled under sub-section (1) of section 53 of the Code on Social Security, 2020 on account-

a. of my superannuation/retirement/resignation after completion of not less than five years of continuous service/total disablement due to accident/ total disablement due to disease/ on termination of contract period under fixed term employment with effect from the; or

b. death of the aforesaid employee while in service/ superannuation on..... after completion of

…..... years of service/ total disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from the..... ; or

c. death of aforesaid employee of your establishment while in service/ superannuation on ……..(date) without making any nomination after completion of..... years of service/ total disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from ……..

Necessary particulars relating to my appointment in the establishment/details of applicant (nominee/ legal heir) are given in the statement below:

STATEMENT

1. Name of employee, in full (if the gratuity is claimed by employee):
   a. Marital status of employee (unmarried/ married/ widow/ widower):
   b. Full address of employee:
   c. I was rendered totally disabled as a result of accident/ disease from: (give the details of the nature of disease or accident with evidence):

Or

2. Name of nominee/ legal heir (if the gratuity is claimed by nominee/ legal heir):
   a. Name of employee:
   b. Marital status of nominee/ legal heir (unmarried/ married/ widow/ widower):
   c. Relationship of nominee/ legal heir with the employee:
   d. Full address of nominee/ legal heir:
   e. Date of death and proof of death of the employee:
   f. Reference number of recorded nomination, if available:
3. Department /Branch/Section where last employed:
4. Post held with Ticket No. or Serial No. if any:
5. Date of appointment:
6. Date and cause of termination of service:
7. Total period of service of the employee:
8. Amount of wages last drawn by the employee:.
9. Total gratuity payable to the employee/ share of gratuity claimed by a nominee/ legal heir:
10. Payment may please be made by crossed bank cheque/ credit in my bank account number

…….IFSC code ……Name of the Bank …… branch ……

Place:

Date:

Yours faithfully,

Signature/ Thumb impression of the applicant/employee.

FORM-XIII

[*See* clause (a), (b), (c), (d), (e) of sub-rule (2) of rule 53]

Notice for payment/rejecting claim of Gratuity

(strike out the words not applicable)

To,

……..

(Name and address of the applicant employee/ nominee/ legal heir)

1. You are here by informed that,-
   a. *as required under sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 53, a sum of Rs. …….. (Rupees .....only) is payable to you as gratuity/ as your share of gratuity in terms of nomination made by ……. on …… and..... recorded in this …….. as a legal heir of..... , an employee of this establishment; or

1.
   b. *as required under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 53, that your claim for payment of gratuity, as indicated on your application in Form-XII under the said rules, is not admissible for the reasons stated below:(here specify the reason).

2.* Please call at ……. on …….(here specify place)…….(date) at …..... (time) for collecting your payment of gratuity/ crossed cheque.

3. *Amount payable shall be sent to you, through demand draft or shall be credited in your bank account as desired by you.

4. Brief statement of calculation:

3.
   a. Date of appointment:
   b. Date of termination/ superannuation/ resignation/ disablement/death:
   c. Total period of service of the employee concerned …… years..... months
   d. Wages last drawn:
   e. Proportion of the admissible gratuity payable in terms of nomination/ as a legal heir:
   f. Amount payable:

* strike out para, if not applicable

Place:
Date:

Signature of the employer/

authorized officer

Name or description of the establishment or
rubber stamp their of
Copy to:

1. The Competent Authority,..... (in case of denial of gratuity)
2. Office of the Director General, Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Chandigarh.

FORM-XIV

[*See* clause (a) of sub-rule (1) of rule 55]

Application for Direction for payment of gratuity

Before the Competent Authority for Chapter V under the Code on Social Security, 2020
Application No: Date:

BETWEEN
(Name in full of the applicant with full address)
AND
(Name in full of the employer concerned with full address)

1. The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late..... an employee of the above-mentioned employer/a legal heir of late..... and employee of the above- mentioned employer, and is entitled to payment of gratuity under section 53 of the Code on Social Security, 2020 on account of his own/aforesaid employee's superannuation on.....(date)/his own retirement/ aforesaid employees resignation on.....(date) completion of.....years of continuous service/his own/aforesaid employees' total disablement with effect from.....(date) due to accident/disease/ death of aforesaid employee on.....

2. The applicant submitted an application under rule 53 of the Uttar Pradesh Code on Social Security Rules, 2021 on the but the above-mentioned employer refused to entertain it/issued a notice dated the..... under clause (b) and (e) of sub-rule (2) of rule 53, offering an amount of gratuity which is less than my due/issued a notice dated..... the under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 53, rejecting my eligibility to payment of gratuity. The duplicate copy of the said notice is enclosed.

3. The applicant submits that there is a dispute on the matter (specify the dispute).

4. The applicant furnishes the necessary particulars in the annexure hereto and prays that the Competent Authority may be pleased to determine the amount of gratuity payable to the petitioner and direct the above-mentioned employer to pay the same to the petitioner.

The applicant declares that the particulars furnished in the annexure hereto are true and correct to the best of his knowledge and belief.

Date:

Signature/ Thumb impression
of the applicant

ANNEXURE

1. Name in full of applicant with full address:
2. Basis of claim (Death/Superannuation/Retirement/Resignation/Disablement of Employee/Completion of contract period under Fixed Term Employment):
3. Name and address in full of the employee:
4. Marital status of the employee (unmarried/married/widow/widower):
5. Name and address in full of the employer:
6. Department/Branch/Section where the employee was last employed (if known):
7. Post held by the employee with Ticket or Sl. No., if any (if known):
8. Date of appointment of the employee (if known):
9. Date and cause of termination of service of the employee (Superannuation / retirement /resignation /disablement / death/Completion of contract period under Fixed Term Employment):
10. Total period of service by the employee:
11. Wages last drawn by the employee:
12. If the employee is dead, date and cause thereof:
13. Evidence/witness in support of death of the employee:
14. If a nominee, No. and date of recording of nomination with the employer:
15. Evidence/witness in support of being a legal heir if a legal heir:
16. Total gratuity payable to the employee (if known):
17. Percentage of gratuity payable to the applicant as nominee/legal heir:
18. Amount of gratuity claimed by the applicant:

Date:
Place:

Signature/ Thumb impression
of the applicant

FORM-XV

[*See* clause (a) of sub-rule (2), sub-rule (3) and (4) of rule-55]

Notice for Appearance before the Competent Authority/Summon

(Strike out the words not applicable)

To,

……..

Whereas Shri .....an employee under you/a nominee(s)/legal heir(s) of Shri.....an employee under the above-mentioned employer, has/have filed an application under sub-rule (1) of rule 55 of the Uttar Pradesh Code on Social Security Rules, 2021 alleging that-

(A copy of the said application is enclosed, if, summon is issued then copy of application is not required)

Now, therefore, you are hereby called upon/summoned to appear before the Competent Authority at (place) either personally or through a person duly authorized in this behalf for the purpose of answering all material questions relating to the application on the ……... day of .....20 at ..... 'O' clock in the forenoon/afternoon in support of/to answer the allegation;

and as the day fixed for your appearance is appointed for final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence, and the documents upon which you intend to rely in support of your allegation/ defence.

Take notice that in default of your appearance on the day before-mentioned, the application will be dismissed/heard and determined in your absence.

Whereas your attendance is required to give evidence/you are required to produce the documents mentioned in this list below, on behalf of..... in the case arising out of the claim for gratuity by..... form..... and referred to this Authority by an application under section 56 of the Code on Social Security, 2020, you are hereby summoned to appear personally before this Authority on the ..... day of .....20..... at..... 'O'clock in the forenoon/afternoon and to bring with you for to send to this Authority, the said documents. List of documents-

1.
2.
3.

Given under my hand and seal, this .....day of .....20.....

Competent Authority under
the Code on Social Security Code, 2020

NOTE:

1. Strike out the words and paragraphs not applicable.
2. The portion not applicable to be deleted.
3. The summons shall be issued in duplicate. The duplicate is to be signed and returned by the persons served before the date fixed.
4. In case the summons is issued only for producing a document and not to given evidence it will be sufficient compliance to the summons if the documents are caused to be produced before the Competent authority on the day and hour fixed for the purpose.

FORM-XVI

{See sub-rule (7) of Rule 55}

Notice for Payment of Gratuity as determined by Competent/Appellate Authority

(Strike out the words not applicable)

To,

…….

(Name and address of employer)

1. Whereas Shri/Smt./Kumari..... of an employee ..... (address) under you/a nominee(s)/legal heir(s) of late..... an employee under you, filed an application under section 56 of the Code on Social Security, 2020, before me; or whereas a notice was given to you on .....requiring you to make payment of Rs..... to Shri/Smt./Kumari.....as gratuity under the Code on Social Security, 2020;

and whereas, the application was heard in your presence/ ex-parte on..... and after the hearing have come to the finding that the said Shri/Smt./ Kumari..... is entitled to a payment of Rs..... as gratuity under the Code on Social Security, 2020; or whereas you/the applicant went in appeal before the appellate authority, who has decided that an amount of Rs..... is due to be paid to Shri/Smt./Kumari..... as gratuity due under the Code on Social Security, 2020.

Now, therefore, I hereby direct you to pay the said sum of Rs..... to Shri/Smt./Kumari..... within thirty days of the receipt of this notice with an intimation thereof to me.

Given under my hand and seal, this .....day of.....20.....

Competent Authority under the
Code on Social Security Code, 2020

Copy to:

1. The Applicant..... with a advise to contact the employer for collecting payment.
2. The Appellate Authority,..... (if applicable).

Note: *Strike out paragraphs if not applicable.*

FORM-XVII

[*See* Rule 58]

Application for Recovery of Gratuity

Before the Competent Authority for Chapter V under the Social Security Code, 2020

Application No: Date:

BETWEEN

(Name in full of the applicant with full address)

AND

(Name in full of the employer/Trust/Insurer concerned with full address)

1. The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late.....an employee of the above mentioned employer/a legal heir of late an employee of the above-mentioned employer, and you were pleased to direct the said employer in your notice dated the under sub-rule (7) of rule 55 or sub-rule (8) of rule 57 of Uttar Pradesh Code on Social Security Rules, 2021 for payment of a sum of Rs..... as gratuity payable under the Code on Social Security, 2020.

2. The applicant submits that the said employer failed to pay the said amount of gratuity to me as directed by you although I approached him for payment.
3. The applicant therefore prays that a certificate may be issued under section 129 of the Code for recovery of the said sum of Rs..... due to me as gratuity in terms of your direction.

Date:
Place:

Signature/Thumb impression

of applicant.

Note: Strike out the words not applicable.

FORM-XVIII

[See sub-rule(1) of Rule 59]

Complaint to the Inspector-cum-Facilitator

The Inspector-cum-Facilitator,

……..

(Under The Code on Social Security, 2020)

Sir,

I, ... (name of woman) employed in ……..... (name and full address of the establishment) or I …….……name), a person nominated under section 62 by or a legal representative of……..... (name of woman) employed in ……..…… (name and full address of the establishment) having fulfilled the conditions laid down in the Code on Social Security , 2020 and the Rules there under, am entitled to Rs. ……..... being maternity benefit and/or Rs …… being the medical bonus and/ or Rs.....being wages for leave due under section 65, but the same has been improperly withheld by the employer/discharged or dismissed during or on account of her absence from work in accordance with the provisions of this Chapter VI of Code on Social Security , 2020.

You are therefore requested, to direct the employer to pay the amount to me/ to set aside the discharge or dismissal done by the employer.

Date:
Place:

Signature or thumb impression
of the Woman/ nominee/legal representative

Full address of the women/
nominee/legal representative:

Signature of an Attester

(in case the woman/ nominee/ legal representative is unable to sign and affixes thumb impression)

-

FORM-XIX

[**See sub-rule (2) of Rule 60**]

Appeal before Appellate Authority under Chapter VI of the Code

To,

The Appellate Authority,

(Appointed under Chapter VI of the Code on Social Security , 2020)

..... (Address)

Sir,

I, ..., the undersigned, woman employee of (name and full address of the establishment) –

1. *Feel aggrieved by the order of Inspector-cum-Facilitator under sub-section (2) of section 72 for the reasons attached hereto, prefer this appeal under sub-section (2) of section 68 and request that the said employer be ordered to pay the above mentioned amount to me. A copy of the order of Inspector-cum-Facilitator in this behalf is enclosed; or
2. *Shri..... , Inspector-cum-Facilitator, having directed under sub-section (2) of section 72 to pay the maternity benefit or other amount being ……..... (Nature of amount) to which (Name of woman) is said to be entitled/to set aside my discharge or dismissal during or on account of absence from work in accordance with the provisions of this Chapter V of the Code on Social Security , 2020.

I prefer this appeal under sub-section (3) of section 72. In view of the facts mentioned in the memorandum attached hereto and other documents filed herewith it is submitted that the woman is entitled to the maternity benefit or the said amount and hence the order of the Inspector-cum-Facilitator in the copy of which is enclosed, may be set aside.

*Strike out unnecessary portion.

Date:
Place:

Signature or thumb impression
of the Woman/nominee/
legal representative

.....
Full address of the women/nominee/
legal representative:

Signature of an Attester

(in case the woman/ nominee/ legal representative is unable to sign and affixes thumb impression)

FORM-XX

{ See Rule 63}

Notice book of the accidents

Name of the Establishment…….……

Nature of Business …….……

Date of opening……..…

Registration no (if any)-……..…

Name of the employer/occupier……..

To be filled up by or in behalf of employee

1. Date and time of accident: …….
2. Date and time of notice: …….
3. Name of person injured: ……
4. Address: ……
5. Cause of injury: ……

Signature /Thumb-impression
of the person giving information

To be filled up by employer or his agent

Date of Accident	short detail of accident	name of the injured person	rate of of wages	Place of accident	Nature of injuries	Names of eye-witnesses
1	2	3	4	5	6	7

whether accident result in death	wheather accident result in total disablement	wheather accident result in partial disablement	whether accident result in temporary disablement	Amount of compensation paid to employee or his	Amount of Compensation deposited to competent authority	Date of payment or deposit of compensation
8	9	10	11	12	13	14

FORM-XXI

{See sub-rule (1) of Rule 65}
Notice to be sent by the competent authority in fatal accidents

Whereas I have received information that ……an, employee employed by you in .....…has died, as a result of an accident arising out of and in the course of employment, I hereby, require you in accordance with sub-section (1) of section 88 of the Code to submit to me within thirty days of the receipt of this notice, the enclosed Form with the particulars, required in paragraph 1 and 2 and the particulars required in either paragraph 3 of paragraph 4, duly filled.

In the event of your admitting liability to pay compensation, the necessary deposit must under sub-section (1) of Section 88 of the Code be made within thirty days of the receipt of this notice.

Date :

Competent Authority
Seal

FORM-XXII

{See sub-rule (2) of Rule 65}

Statement to be submitted by the employer to Competent Authority in Fatal accidents

To,

The Competent Authority for Employee's Compensation,

…….

Sir/Madam,

1. In reply of your notice dated …… of …… 20……. , which was received by me on ….. 20……., it is submitted that residing at employee over/ under 15 years of age and employed in …….. met with an accident on the day of ……. 20…… as a result of which he died on the ….. day of ….. 20…. The monthly wages of the deceased amounted to rupees ……
2. The circumstances in which the deceased met his death were as follows–

   …….

   …….

   …….

3. I admit liability to pay as compensation on account of the deceased's death with the amount of rupees ……. which was/ will be deposited with you on or before the ……. day of ……. 20……
4. I disclaim liability to pay compensation on account of the deceased's death on the following grounds-

   …….

   …….

   …….

Name of deceased employee:
Name of establishment:
Date:
Place:

Signature of employer Seal

FORM-XXIII

{See Rule 66}

Memorandum of agreement in case of temporary disablement

To,

The Competent Authority for Employee's Compensation,

…….

Sir/Madam,

It is hereby submitted that on the …….. day of …… 20 personal injury was caused to …… residing at …… by accident arising out of and in the course of employment in …….

The sudden injury has resulted in temporary disablement to the employee whereby it is submitted that he will be prevented for earning more than of his previous wages for a period of ……. month. The said employee has been in receipt of half monthly payment which have continued from the …….. day of …… 20…… until …….. day of …… 20…… amounting to rupees ……..... in all. The said employee's monthly wages are estimated rupees The employee is over the age of 15 years/ will reach the age of 15 years on …….

It is further submitted that the employer of the said employee has agreed to pay and the said employee has agreed to accept the sum of rupess in full settlement of all and every claim under the Code on Social Security, 2020 in respect of all disablement of a temporary nature arising out of the said accident, whether now or hereafter to become manifest it is therefore requested that this memorandum duly be recorded.

Date: Signature of employer

Witness of employer:

1.

2.

Signature of workmen

Witness of employer:

1.

2.

Note: An application to register an agreement can be presented under signature of one party provided that the other party has agreed to the terms, but both signatures should be appended, whenever possible.

Receipt

(Receipt to be filled in when the money has actually been paid)

In accordance with the above stated agreement, I have this day received the sum of rupees …….

Date:

Signature of employee

This money has been paid and this receipt is signed in my presence.

Signature of witness

FORM-XXIV

{See Rule 66}

Memorandum of agreement in case of permanent disablement

To,

The Competent Authority for Employee's Compensation,

…….

Sir/Madam,

It is hereby submitted that on the …….. day of …… 20..... personal injury was caused to …… residing at …… by accident arising out of and in the course of employment in.....The sudden injury has resulted in permanent disablement to the said employee of the following nature-

……..

……..

The said employee's monthly wages are estimated rupees..... The employee is over the age of 15 years/ will reach the age of 15 years on …….

It is further submitted that..... the employer of the said employee has agreed to pay and the said employee has agreed to accept the sum of rupees..... in full settlement of all and every claim under the Code on Social Security, 2020 in respect of disablement stated above and all disablement now manifest.

It is, therefore requested that this memorandum duly be recorded.

Date: Signature of employer

Witness of employer:

1.

2.

Signature of workmen

To,

The Career Centre,

.....

Note :–

This return is to be rendered to the Career Centre (Regional) within 30 days after the end of the financial year concerned by establishments/employers vide their obligation under the Code on Social Security, 2020 (Chapter XIII-Empoyment Information and Monitoring).

The main purpose in obtaining the information from employers is to know

(i) the vacancies/employment opportunities available;

(ii) type of personnel who are in short supply; and

(iii) future job opportunities for providing vocational guidance to hte jobseekers and conecting them with the employers. This is helpful in ascertaining the skill needs also. Employers too will be able to call on the Career Centre for getting suitable candidates as per their requirements.

Witness of employee:

1.

2.

Note: An application to register an agreement can be presented under signature of one party provided that the other party has agreed to the terms, but both signatures should be appended, whenever possible.

Receipt

(Receipt to be filled in when the money has actually been paid)

In accordance with the above stated agreement, I have this day received the sum of rupees.....

Date:

Signature of employee

This money has been paid and this receipt is signed in my presence.

Signature of witness

FORM-XXV

(*See* rule 66)

Memorandum of agreement

To,

The Competent Authority for Employee's Compensation,

…….

Sir/Madam,

It is hereby submitted that on the …….. day of …… 20..... personal injury was caused to …… residing at …… by accident arising out of and in the course of employment in …….

The said injury has resulted in temporary disablement to the said employee, who is at present in the receipt of wages amounting to rupees.....per month.

The said employee monthly wages prior to the accident are estimated at rupees ……..

The workmen is subject to a legal disability by reason of …….....

It is further submitted that the employer of the said employee has agreed to pay and on behalf of the said employee has agreed to accept half-monthly payments at the rate of the period of the said temporary disablement. This agreement is subject to the condition that the amount of half-monthly payments may be varied in accordance with the provisions of the Code on account of an alteration in the earnings of the said employee during disablement. It is further stipulated that all rights of commutation under sub-section (3) of section 93 of the Code are unaffected by this agreement.

It is, therefore requested that this memorandum duly be recorded.

Date:

Signature of employer

Witness of employer:

1.

2.

Signature of workmen

To,

The Career Centre

.....

NOTE :–

1. This return is to be rendered to the Career Centre (Regional) within 30 days after the end of the financial year concerned by establishments/employers *vide* their obligation under the Code on Social Security, 2020 (Chapter XIII-Employment Information and Monitoring).

The main purpose in obtaining the information from employers is to know (i) the vacancies/employment opportunities available; (ii) type of personnel who are in short supply; and (iii) furure job opportunities for providing vocational guidance to the jobseekers and connecting them with the employers. This is helpful in ascertaining the skill needs also. Employers too will be able to call on the Career Centre for getting suitable candidates as per their requirements.

Witness of employee:

1.

2.

NOTE: An application to register an agreement can be presented under signature of one party provided that the other party has agreed to the terms, but both signatures should be appended, whenever possible.

Receipt

(Receipt to be filled in when the money has actually been paid)

In accordance with the above stated agreement, I have this day received the sum of rupees.....

Date:

Signature of employee

This money has been paid and this receipt is signed in my presence.

Signature of witness

FORM-XXVI

{See sub-rule (1) of Rule 67}

Notice to parties to record memorandum of settlement

Whereas in agreement to pay compensation is said to have been reached between…… …… and…….. whereas..... has/ have applied for registration of the agreement under sub-section (1) of section 89 of the Code, notice is hereby given that the said agreement will be taken into consideration on …… day of …… 20…….. and that any objection to the registration of the said agreement should be made on that date.

In the absence of valid objections, it is my intention to proceed to the registration of the agreement.

Enclosed: Copy of memorandum of settlement

Date:

Competent Authority.

Seal

FORM-XXVII

{See sub-rule (3) of Rule 67 and sub-rule (4) of Rule 68}

Notice to parties for refusal to record memorandum of settlement

To,

1 (Name and address of the employer)

2 (Name and address of the employee)

Take notice that registration of the agreement to pay compensation said to have been reached between you ……. and …….. on the …….. day of …….. 20…… has been refused for the following reasons:

1. ……..
2. ……..
3. ……..

Date:

Competent Authority.

Seal

FORM-XXVIII

{See sub-rule (2) of Rule 68}

Show-cause Notice to parties for refusal to record memorandum of settlement

To,

1 (Name and address of the employer)

2 (Name and address of the employee)

Whereas, an agreement to pay compensation is said to have been reached between…….. and …….. and whereas..... has/ have applied for registration of the said agreement under sub-section (1) of section 89 of the Code and whereas it appears to me, that the said agreement ought not to be registered for the following reasons, namely-

1. …….
2. …….
3. …….

an opportunity will be afforded to you of showing cause on why the said agreement should be registered on …… day of …….. 20..... If no adequate cause is shown on this day, the registration of the agreement will be refused.

Date:

Competent Authority.

Seal

FORM-XXIX

{See sub-rule (2) of Rule 68}

Show-cause Notice to parties for refusal to record memorandum of settlement

To,

1 (Name and address of the employer)

2 (Name and address of the employee)

Whereas, an agreement to pay compensation is said to have been reached between …….. and …….. and whereas..... has/ have applied for registration of the said agreement under sub-section (1) of section 89 of the Code and whereas it appears to me, that the said agreement ought not to be registered for the following reasons, namely-

1. …….
2. …….
3. …….

an opportunity will be afforded to the said for showing cause on …… day of ……..

20..... why the said agreement should be registered. Any representation which you have to make with regard to the said agreement, should be made on that date.If adequate cause is shown, the agreement may be registered.

Date:

Competent Authority.

Seal

FORM-XXX

{See Rule 70}

Register of agreement for the year 20…..

S.No.	Date of agreement	Date of registration	Employer	Employee	Initial of Competent Authority	Reference to orders rectifying the register
1	2	3	4	5	6	7

FORM XXXI

{See sub-rule (2) of Rule 72}

Application for Compensation by employee

To,

The Competent Authority for Employee's Compensation

……..

(Applicant residing at)

Versus

…… (Opposite Party residing at)

Sir/Madam,

It is hereby submitted that: -

1. The applicant, an employee, employed by (contractor with) the opposite party on the ……. day of ……. of 20 received personal injury by accident arising out of and in the course of his employment. The cause of the injury was (here insert briefly in ordinary language the cause of the injury)-
2. The applicant sustained the following injuries namely: -
3. The monthly wages of the applicant amount of Rs._____The applicant is over/under the age of 15 years.
4. It is submitted that-

2.

a. Notice of the accident was served on the ……..day of……. 20…….
b. Notice was served as soon as practicable on the ……..day of……. 20…….
c. Notice of the accident was not served (in due time) by reason of-

5. The applicant is accordingly entitled to receive: -

2.

a. half monthly payment of Rs._____From the _____day of_____20____to _____day of_____20 __

2.

b. a lump sum payment of Rs. _____

6. The applicant has taken the following steps to secure a settlement by agreement, namely, but it has proved impossible to settle the question in dispute because _____

You are therefore requested to determine the following questions in dispute, namely: --

2.

a. Whether the applicant is a workman within the meaning of the Code;
b. Whether the accident arose out of or in the course of the applicants employment;
c. Whether the a amount of compensation claimed is due, or any part of that amount;
d. Whether the opposite party is liable to pay such compensation as is due;
e. any other issues (as required)

Date:_____20_____

Place: _____

Signature/ Thumb impression

of the applicant

* strike out of the clauses which are not applicable.

FORM-XXXII

{See sub-rule (2) of Rule 72]

Application for order to Deposit Compensation

To,

The Competent Authority for Employee's Compensation

……..

……..….. (Applicant residing at)

Versus

…… (Opposite Party residing at)

Sir/Madam,

It is hereby submitted that: --

1. A workman employed by (a contractor with) the opposite party on the_____day of_____20_____, received personal injury by accident arising out of an in the course of employment resulting in his death on the day of_____20_____he cause of injury was (here insert briefly in ordinary language the cause of the injury)_____.

2. The applicant(s) is/are dependant(s) of the deceased workman being his _____.
3. The monthly wages of the deceased amount Rs. _____. The deceased was over/under the age of 15 years at the time of his death.
4. It is submitted that-

a. Notice of the accident was served on the day of_____.

b. Notice was served as soon as practicable on_____.

c. Notice of the accident was not served (in due time by reason of) .

5. The deceased before his death received as compensation the total sum of Rs..... .

6. The applicant(s) is/are accordingly entitled to receive a lump sum payment of Rs._____.

You are, therefore, requested to award to the applicant the said compensation or any other compensation to which he may be entitled.

Date:_____20_____

Place: _____

Signature/ Thumb impression
of the applicant

- strikeout of the clauses which are not applicable.

FORM-XXXIII

[See sub-rule (2) of Rule 72]

Application for Commutation

To,

The Competent Authority for Employee's Compensation

……..

……..... Applicant residing at)

Versus

……..... (Opposite Party residing at)

Sir/Madam,

It is hereby submitted that –

1. The applicant/opposite party has been in receipt of half monthly payment from_____to

_____in respect of temporary disablement by accident arising out of and in the course of his employment.

2. The application is desirous that the right to receive half-monthly payments should be redeemed.
3. It is submitted that-

monthly a. The opposite party is unwilling to agree to the redemption of the right to receive half- payments.
b. The parties have been unable to agree regarding the sum for which the right to receive half- monthly payment should be redeemed.

You are therefore requested to pass order—

a. directing that the right to receive half-monthly payments should be redeemed.
b. Fixing a sum for the redemption of the right to receive half-monthly payments.

Date:______20_____

Place: _____

Signature/ Thumb impression

of the applicant

○ strikeout of the clauses which are not applicable.

FORM-XXXIV

[See sub-rule (1) of Rule 73]

Notice

Whereas a claim for compensation has been made by applicant, against_____and the said has claimed that you are liable under sub-section (3), (4) of Section 93 of the Code on Social Security, 2020 to indemnify him against any compensation which he may be liable to pay in respect of the aforesaid claim;

you are hereby informed that you may appear before me on _____day of_____20_____at _____ O'clock and contest the claim for compensation made by the said applicant or the claims for indemnity made by the opposite party.

In default of your appearance you will be deemed to admit the validity of any award made against the opposite party and your liability to indemnify the opposite party for the compensation recovered from him.

Date:

Competent Authority
Seal

FORM-XXXV

[See sub-rule (3) and sub-rule (4) of Rule 73]

Notice

Whereas a claim for compensation has been made by_____applicant against _____ and the said has claimed that____-_____is liable under sub-section (3), (4) of Section 93 of the Code on Social Security, 2020, to indemnify him against any compensation which he may be liable to pay in respect of the aforesaid claim;

and whereas the said_____ on notice served has claimed that you _____stand to him in the relation of a contractor from whom the applicant could have recovered compensation;

you are hereby informed that you may appear before me on _____day of_____20_____at _____ O'clock and contest the claim for compensation made by the said applicant or the claim for indemnity made by the opposite party_____

In default of your appearance you will be deemed to admit the validity of any award made against the opposite party_____and your liability to indemnify the opposite party for any compensation recovered from him.

Date:

Competent Authority
Seal

FORM-XXXVI

[See sub-rule (3) of Rule 88]

REGISTER OF WOMEN EMPLOYEE

Name of establishment:

1. Serial Number:
2. Name of woman and her father's (or, if married, husband's) name:
3. Date of appointment:
4. Nature of work:
5. Dates with month and year in which she is employed, laid off and not employed.

Month	No. of days employed	No. of days laid off	No. of days not employed	Remarks
1	2	3	4	5

6. Date on which the woman gives notice under section 62:
7. Date of discharge/dismissal, if any:
8. Date of production of proof of pregnancy under section 62:
9. Date of birth of child:
10. Date of production of proof of delivery/miscarriage/Medical Termination of pregnancy/ tubectomy operation /death / adoption of child:
11. Date of production of proof of illness referred to in section 65:
12. Date with the amount of maternity benefit paid in advance of expected delivery:
13. Date with the amount of subsequent payment of maternity benefit:
14. Date with the amount of bonus, if paid, under section 64:
15. Date with the amount of wages paid on account of leave under section 65(1) & 65(3):
16. Date with the amount of wages paid on account of leave under section 65(2) and period of leave granted:
17. Name of the person nominated by the woman under section 62:
18. If the woman dies, the date of her death, the name of the person to whom maternity benefits and/or other amount was paid, the amount thereof, and the date of payment:
19. If the woman dies and the child survives, the name of the person to whom the amount of maternity benefit was paid on behalf of the child and the period for which it was paid:

Signature of the employer of the
establishment authenticating the entries
in the register of women employees.

FORM – XXXVII (A)

[See rule 80 of the U. P. Social Security Rules, 2026)

Proforma for appeal before the Appellate Authority against Order of assessment or Order imposing penalty

	Name and address (permanent) of the establishment.			
	Name of the employer and address details.			
	Name and address/ location of place where the building or other construction is proposed to be carried on.			
	Name, designation and address of the authorised Person along with contact details.			
	Correspondence address for the proposed building or other construction work.			
	Nature of proposed construction work.			
	Date of commencement of work(in case construction has has started).			
	Date of completion of work.			
	Duration of work.			
	Total completed area of construction work.			
	Total estimated cost of the construction based on the rates of (PWD or CPWD or RERA or some other rates, as the case may be) along with documents (original) as per Rule 41.			
	Total incurred cost of the construction work 13 Total amount of cess payable.			
	Total amount of cess payable		%age of total incurred cost of the construction as notified by Central Government	Total cess payable (in the Rs.)
	Advance cess paid, along with details (at the time of approval of the Project or before the commencement of the construction work) /deduction at source, if any			
	Details of cess paid (when duration of the proposed construction work is more than one year)			
	Sl. No.	Year	Amount (In Rs.)	
	15.1	1st Year		
	15.2	2nd Year		
	Total amount of the cess paid (Sl. No. 14+ Sl. No. 15)			
	Amount of outstanding cess (Sl. No. 13 – Sl. No.16)			
	Proof of payment of outstanding Cess, if any			
	Amount of overpaid cess, if applicable			
	Amount of cess assessed by the Assessing Officer			

	Amount of outstanding cess to be paid by the employer	
	Amount of penalty for non-payment of cess imposed/ outstanding cess claimed by the assessing officer.	
	Ground for appeal with supporting documents	
	Remarks, if any	

Declaration

1. I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

2. I/We hereby declare that I/We am/are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature and seal of employer
Name:
Date:
Place:
Mobile Number:
E-mail (if any):

For the use of the Inspector-cum-Facilitator.

FORM-XXXVII (B)

[See sub-rule (4) of Rule 88]

Record of Cess paid by the employer of building and other construction work

1	Name and address (permanent) of the establishment.	
2	Name of the employer and address details	
3	Name and address/ location of place where the building and other construction is proposed to be carried on.	
4	Name, designation and address of the authorised Person along with contact details	
5	Correspondence address for the proposed building or other construction work may be sent	
6	Nature of proposed construction work	
7	Date of commencement of work(in case construction has started)	
8	Date of completion of work	
9	Duration of work	
10	Total completed area of construction work	
11	Total estimated cost of the construction based on the rates of (UP-PWD or CPWD or RERA or some other rates as the case may be) along with documents (original)	
12	Total incurred cost of the construction work	
13	Total amount of cess payable	
14	Advance cess paid, along with details (at the time of approval of the Project or before the commencement of the construction work) /deduction at source, if any	
15	Details of cess paid (when duration of the proposed construction work is more than one year) Year st year nd year rd year	Amount (in rupees)
16	Total of the cess paid (Sl.No. 14 + 15)	
17	Amount of outstanding cess (Sl. No. 13 – Sl. No.16)	
18	Proof of payment of outstanding Cess, if any	
19	Amount of overpaid cess, if applicable	
20	Amount of cess assessed by the Assessing Officer	
21	Amount of outstanding cess to be paid by the employer	
22	Amount of penalty for non-payment of cess imposed / outstanding cess claimed by the Assessing Officer.	

FORM-XXXVIII

[See sub-rule (1) and sub-rule (2) of Rule 90]

Unified Annual Return

A. General Part:

a. Name of the establishment.....

Address of the establishment:.....

House No./Flat No. .....Street No./Plot No. .....

Town.....District.....State.....pincode.....

A.

b. Name of the employer..... Address of the employer:

House No./Flat No. .....Street No./Plot No. ..... Town.....District.....State.....pincode.....

e-mail ID.....Telephone Number.....Mobile number.....

A.

c. Name of the manager or person responsible for supervision and control of establishmen.....

Address:

House No./Flat No.....Street No./Plot No.....

Town.....District.....State.....pin code.....

e-mail ID.....Telephone Number.....Mobile number….....

B. Employer's Registration/Licence number under the Codes mentioned in column (2) of the table below:

S.No.	Name of the Code	Details of registration (if any)	
		registration no.	year
1	2	3	4
1	The Code on Occupational Safety Health and working condition code 2020.		
2	The Code on Social Security 2020.		
3	Any other Law for the time being in force.		

C. Details of Employer, Contractor and Contract Labour:

1	Name of the employer in the case of a contractor's establishment	
2	Date of commencement of the establishment.	
3	Number of Contractors engaged in the establishment during the year.	
4	Total Number of days during the year on which Contract Labour was employed.	
5	Total number of man-days worked by Contract Labour during the year.	

D. Working hours and weekly days rest-

1	Number of days worked during the year.	
2	Number of man-days worked during the year.	
3	Daily hours of work.	
4	Weekly day of rest.	

E. Maximum number of persons employed in any day during the year-

S. No	Males	Females	Adolescents (between the age of 14 to 18 years.)	Children (below 14 years of age.)	Total

F. Wage rate (category wise)

Category	Rates of wages	No. of workers							
		Regular				Contract			
		Male	Female	Adolescent	Children	Male	Female	Adolescent	Children
Highly skilled									
Skilled									
semi- skilled									
un-skilled									

G. Details of payments:

Gross wage paid		Deductions			Net wages paid	
In cash	In kind	Fines	Deductions for damages or loss	Others	In cash	In kind

H. Number of workers who were granted leave with wages during the year:

S.No.	During the year	Number of workers	Granted leave with wages

I. Details of various welfare amenities provided under the statutory schemes:

S.No.	Nature of various welfare amenities provided	Statutory (specify the statute)

J. Leave granted as Maternity benefits under the Code on Social Security, 2020:

1	Total number of female employees in the establishment		
2	Total number days of leave granted		
3	Number of employees granted maternity leave/benefited by ESI		

Declaration

It is to certify that the above information is true and correct and I also certify that I have come compiled with all the provisions of Labour Laws applicable to my establishment.

Date:
Place:

Signature of employer/
Authorized signatory
Seal (if any)

FORM-XXXIX

[See sub-rule (1) of Rule 91]

Notice to the employer for an offence committed under the provisions of the Code for the first time for compounding of offences under sub-section (1) of section 138

Notice No.. …….. **Date: ……..**

On the basis of records and documents produced before me, the undersigned has reasons to believe that you, being the employer of the establishment.....(Registration No.....), have committed an offence for the violation of provision of the Code or the Schemes or the Rules or the Regulations framed thereunder as per the details given below:-

PART-I

	Name of the person:	
	Name and Address of the establishment:	
	Registration No. of the establishment:	
	Particulars of the offence:	
	Provisions of the Code/Scheme/ Rules/Regulations under which the offence is committed:	
	Compounding amount required to be paid towards composition of the offence:	
	Name and details of account for depositing the amount specified in serial no. 6:	

PART-II

In view of the above, you have an option to pay the entire amount mentioned in serial no. 6 in Part-I within fifteen days from the date of issue of this notice and return the application duly filled in Part - III of this notice.

In case the said amount is not paid within the specified time, necessary action for filing of prosecution shall be initiated without giving any further opportunity in this regard.

Date:
Place:

(Signature)
(Name and Designation of Compounding Officer)

To:
…….(Employer/Establishment)
……(Name and registration number)
……...(Address)

PART-III

[See sub rule (2) of rule 91]

Application under sub-section (4) of section 138 for compounding of offence

Ref: Notice No..... **Date: …….**

The undersigned has deposited the entire amount as specified in serial 6 of Part-I and the details of payment are given below with a request to compound the offences mentioned in Part-I.

8. Details of the compounding amount deposited (Copy of electronically generated receipt to be attached):
9. Details of the prosecution, if filed for the violation of above-mentioned offences may be given:
10. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence:
11. Any other information which the applicant desires to provide:

Signature of the applicant
(Name and Designation)

Date:
Place:

To:
……...(Compounding Officer)
…….(Name of the Office)

Form- XL

PART-IV
[See sub rule (3) of rule 91]
Composition Certificate

Ref Notic No..... **Date:**

This is to certify that the offence under sub-section of section 133 in respect of which Notice No. Dated:…… was issued to Sh……..... (Applicant), the employer of …….. (name and registration, number of establishment) has been compounded on account of remission of full amount of Rs ……..... (Rupees……..) towards the composition of offences to the satisfaction of the said notice.

(Signature)

Name and Designation of the Compounding Officer

Date: ……..

Place: …….

To:

……...(Employer/Establishment)

……...(Name and registration number)

…….(Address)

Form XLI

{ See clause (b) of sub-rule (3) of rule-93}

Form for Reporting vacancies to Career and Counseling Centers

(Separate forms to be used for each type of posts)

<table>
<tr><td>1</td><td>Particulars of the employer:
Name:
Address with pin code:
Telephone No. :
Mobile No.:
email- address :
Name & Type of Establishment
(Central Government, State Government, PSU, Autonomous, Private, etc) Registration No. of establishment under Code: Economic activity details:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Particulars of the indenting Officer: Name:
Designation: Telephone
No. : Mobile No.:
Email address :</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">3.</td><td>Particulars of vacancy(ies):

Designation/nomenclature of the vacancy(ies) to be filled
Description of duties of the post (job role/functional role)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(c) Qualifications/Skills required (educational, technical, experience)</td><td>Essential</td><td>Desirable/Preferable</td></tr>
<tr><td>Educational Qualifications
Technical Qualifications
Skills
Experience</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(d) Age Limits, if any
(Age as on last date of application)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(e) Preferences (such as Ex-servicemen, persons with disabilities, women, etc) if any</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(f) duration of employment

3-6 months
6-12 months
12 months and more</td><td colspan="2">Number of posts</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">Whether there is any obligation for arrangement for giving reservation/ preference to any category of persons such as Scheduled Caste(SC), Scheduled Tribe(ST), Economically Weaker Sections(EWS), Other Backward Classes(OBC), Ex-serviceman and persons with disabilities (pwd) , etc, in filling up the vacancies: Yes/No (if yes, give the number of vacancies to be filled by such categories of persons as detailed below)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Category</td><td colspan="2">Number of vacancies to be filled</td></tr>
<tr><td></td><td>

Scheduled Caste
Scheduled Tribe
OBC</td><td>Total</td><td>*By Priority candidates *(Applicable for State Government Vacancies)</td></tr>
</table>

	EWS Ex-Serviceman Persons with disabilities (pwd) women Others(specify)		

6.	Pay and Allowances: For Government vacancies: Mention pay level/pay scale of the post with basic pay/pay per month with other details if any For others: Mention minimum total emoluments per month with other details, if any.		
7.	Place of work (Name of the town/village and district, pin code ,etc. in which it is situated)		
8.	Mode of Application(email, online, in writing, etc) and Last date for receipt of applications.		
9.	Particulars of officer to whom the applications be sent/candidates should approach (Mention Name, designation, email id, address , telephone No., website address in case of online)		
10.	Mode of Recruitment {Through Career Centre, Placement Agency , self- management, any other mode(specify) }		
11.	Would like to prefer submission of list of eligible candidates registered with **Career and Counseling** Centre		Yes/No
12.	Any other relevant information		

Signature, Name & Designation

of Authorised Signatory of establishment/
employer with seal & date

(For official use, to be filled by Career and Counseling Centre)

13.	Name, address, email id of the **Career and Counseling Centers**
14.	Date of receipt of Vacancies
15.	NIC Code of the establishment/
16.	NCO Code of the post
17.	Unique Vacancy ID(number)

Date:

Signature, Name & Designation of

Authorised Signatory of **Career and Counseling Centre**

Seal

NOTE:

1. **Career and Counseling Centers** to which the vacancies are reported, would provide a unique vacancy reporting number for the vacancy reported and convey it to the employer in writing, through email or digitally or through any other such media immediately but in any case not later than 3 working days from the date of receipt of reporting of vacancies.
2. An employer, if advertises that vacancy in any media or makes recruitment through any agency or any other mode, may invariably quote that unique vacancy reporting number in that advertisement or recruitment process.
3. Any change in the particulars already furnished to the **Career and Counseling Centers**, shall be reported in writing or through valid official email or digitally (including through a portal) as the case may be, to the appropriate **Career and Counseling Centers**.

FORM-XLII

[See sub-rule (6) of Rule 93]

Form EIR (Employment Information Return)

Yearly Return to be submitted to the **Career and Counseling Centers** (Regional) for the Year ended…….

The following information is required to be submitted under the Code on Social Security (Chapter XIII – Employment Information &Monitoring) 2020.

Name & Address of the Employer	
Whether – Head Office	
Branch Office Type of Establishment (Public /Private Sector)	
Nature of business/Principal activity	
Establishment Registration No. under the Code	

1. (a) EMPLOYMENT

Total number of manpower of establishment including working proprietors/partners/contingent paid and contractual workers, out-sourced workers excluding part-time workers and apprentices. (The figures should include every person whose wage or salary is paid).

Category	On the last working day of the previous Year	On the last working day of the Year under report
MEN WOMEN Other (Transgender) TOTAL : PWD (persons with disabilities) out of above total		

2. Number of vacancies* occurred and reported to **Career and Counseling Centers** during the year and the number of vacancies filled during the year.

Occurred	Reported		Filled	Source(**Career and Counseling Centers** / NCS Portal/Govt. Recruiting agencies/Private Placement Organisations /others)
	Career and Counseling Centers (Regional)	Career Centre (Central)		
1	2	3	4	5

*As per provisions of Code on Social Security, 2020(Chapter XIII) and Rules made there under,

3. MANPOWER SHORTAGES:

Vacancies/posts remained unfilled because of shortage of suitable applicant

Name of the occupation or designation of the post	Number of unfilled vacancies/posts		
	Skill/qualifications (educational / technical/ experience) prescribed	Essential	Desirable
1	2	3	4

(Please list any other occupations also for which this establishment had any difficulty in obtaining suitable applicants recently.)

4. Estimated Manpower Requirement by Occupational Classification during the next calendar year (Please give below the number of employees in each occupation separately).

Occupation	Number of employees Please give as far as possible approximate number of vacancies in each occupation you are likely to fill during the next financial year due to retirement/ expansion ore- organisation.				
Description	**Men**	**Women**	**Others (trans- gender)**	**Total**	**PWD (persons with disabilities) out of total**
1	2	3	4	5	6
Total :					

* In the column (description)-Use exact terms such as Engineer (Mechanical), Assistant Director (Metallurgist); Research Officer (Economist); Supervisor (Tailoring), Inspector (Sanitary), Superintendent (Office), Manager (Sales), Manager (Accounts), Executive (Marketing), Data Entry Operator..... soon.

Signature, Name & Designation of
Authorised Signatory of
establishment/ employer with seal & date

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 479 राजपत्र–2026–(1174)–599 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 5 सा0 श्रम–2026–(1175)–600 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

क्रम-संख्या–245

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 12 अगस्त, 2026

श्रावण 21, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग–3

संख्या 1377/36-03-2026-1901341

लखनऊ, 12 अगस्त, 2026

अधिसूचना

सा0प0नि0–53

चूँकि मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2019) की धारा 67 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 का प्रारुप सरकारी गजट में, अधिसूचना संख्या 426/36-03–2026–1901341 दिनांक 10 मार्च, 2026 द्वारा, उससे सम्भावित रूप से प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों से, उस दिनांक, जिससे उक्त अधिसूचना से युक्त गजट जनसामान्य को उपलब्ध कराया गया था, से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था;

और चूँकि, पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 10 मार्च, 2026 को जनसामान्य को उपलब्ध कराई गयी थी;

और चूँकि व्यक्तियों और हितधारियों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 24 के साथ पठित मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2019) की धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, और,–

(क) उत्तर प्रदेश मजदूरी भुगतान नियमावली, 1936;

(ख) उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1952;

(ग) उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2021

का सिवाय उन बातों का अधिक्रमण करके जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी हो या करने से लोप की गयी हों, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; अर्थातः–

उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2026

अध्याय–एक

प्रारम्भ

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2–(1) जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,–

(क) "प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 19 की उपधारा (1) तथा धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "अपील प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपील प्राधिकारी से है;

(ग) "अपील" का तात्पर्य धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन की गई किसी अपील से है;

(घ) "बोर्ड" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा 42 की उपधारा (4) के अधीन गठित राज्य सलाहकार बोर्ड से है;

(ङ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है;

(च) "संहिता" का तात्पर्य मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2019), से है;

(छ) "समिति" का तात्पर्य धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति से है;

(ज) "दिन" का तात्पर्य मध्य रात्रि से प्रारम्भ होने वाली 24 घंटे की अवधि से है;

(झ) "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" का तात्पर्य संहिता के प्रयोजनों के लिए ई-मेल द्वारा प्रस्तुत की गई या अभिहित पोर्टल या मोबाइल ऐप्लीकेशन या वेब साइट पर अनुरक्षित या प्रदर्शित की गई या किसी भी माध्यम से किया गया डिजिटल भुगतान सम्बंधी किसी सूचना से है;

(ञ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र से हैं;

(ट) ''भौगोलिक क्षेत्र'' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये;

(ठ) "अत्यधिक कुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसमें इसके निष्पादन में विनिर्दिष्ट स्तर की उत्कृष्टता की मांग होती है और एक पर्याप्त अवधि में गहन तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा व्यवहारिक व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित होती है और साथ ही कर्मचारी से यह अपेक्षा होती है कि वह ऐसे व्यवसाय के निष्पादन में सम्मिलित अपने निर्णय या विनिश्चय के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करे;

(ड) "निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता" का तात्पर्य धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ढ) "सदस्य" का तात्पर्य बोर्ड के किसी सदस्य से है, जिसमें इसका अध्यक्ष भी सम्मिलित है;

(ण) "सामान्य मजदूरी दर" का तात्पर्य संहिता की धारा 2(म) के अधीन यथापरिभाषित मजदूरी से है;

(त) "अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी से है;

(थ) "रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय संघ से है, जो औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) के अधीन पंजीकृत है;

(द) "धारा" का तात्पर्य, इस संहिता की धारा से है;

(ध) "अर्द्धकुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसके निष्पादन में काम पर अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है और कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्शन में इसका उपयोग किये जाने लायक होता है और इसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी सम्मिलित है;

(न) "कुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसमें इसके निष्पादन में काम पर अनुभव के द्वारा अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता और सक्षमता अपेक्षित होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने तथा निर्णय करने की आवश्यकता होती है;

(प) "अकुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसमें इसके निष्पादन में केवल प्रचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसमें कोई अतिरिक्त कौशल सम्मिलित नहीं होता है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किन्तु संहिता में परिभाषित अन्य समस्त शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो संहिता के अधीन उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हों।

अध्याय–दो

न्यूनतम मजदूरी

धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन मजदूरी की प्रति घण्टा तथा प्रति माह दर की गणना की रीति

3–(1) धारा 6 की उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन के आधार पर उन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी जिन्हें राज्य सरकार किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा अलग से विनिर्दिष्ट करेगी:

परन्तु यह कि राज्य सरकार इस संहिता के अधीन राज्य सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं करेगी।

(2) जब एक दिन के लिए मजदूरी की दर नियत की जाती है, तब एक घंटे की दर के लिए ऐसी मजदूरी को आठ से भाग और एक महीने की मजदूरी की दर नियत करने के लिए छब्बीस से गुणा किया जायेगा और ऐसे भाग और गुणा में आधे या आधे से अधिक भागफल और गुणनफल को अगले अंक में पूर्णांकित किया जायेगा और आधे से कम भागफल और गुणनफल को नजर–अंदाज किया जायेगा।

(3) यदि कार्य सप्ताह छह दिनों से कम का हो तो इस प्रकार गणना की गई न्यूनतम मजदूरी की प्रति घंटा दर का उपयोग उस दिन की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

धारा 6 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर नियत किये जाने हेतु मानदण्ड

4–धारा 6 की उपधारा (6) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए, दैनिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी दर नियत की जायेगी, अर्थातः–

(क) मानक श्रमिक वर्ग परिवार, जिसमें कमाने वाले कर्मकार के अलावा उसकी पत्नी या पति और दो बच्चे, सम्मिलित हैं, जो तीन वयस्क उपभोग इकाईयों के समान हैं;

(ख) प्रतिदिन प्रति उपभोग इकाई हेतु निवल 2700 कैलोरी की खपत;

(ग) प्रति मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए प्रतिवर्ष 66 मीटर कपड़ा;

(घ) आवासीय किराया व्यय, जो भोजन और वस्त्र व्यय का 10 प्रतिशत होगा;

(ङ) ईंधन, बिजली और अन्य विविध मदों के व्यय, जो न्यूनतम मजदूरी की 20 प्रतिशत होगी;

(च) बच्चों की शिक्षा का व्यय, चिकित्सा आवश्यकतायें, मनोरंजन एवं अन्य आकस्मिक मदों पर व्यय, जो न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत होगा।

धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण के मानक तथा दुष्कर कार्य पर विचार किया जाना

5–(1) धारा 6 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करते समय राज्य सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगीः–

(एक) भौगोलिक क्षेत्र;

(दो) रोजगार के क्षेत्र में अनुभव; और

(तीन) अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल की श्रेणियों के अधीन कार्य करने के लिए अपेक्षित कौशल का स्तरः

परन्तु यह कि राज्य सरकार इस संहिता के अधीन राज्य सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और भत्ते नियत नहीं करेगी।

(2) राज्य सरकार, व्यवसायों के कौशल वर्गीकरण, कार्य की कठिनता, परिसंकटमय व्यवसायों या प्रक्रियाओं और भूमिगत कार्य तथा इसी तरह के अन्य वर्गीकरण के सम्बंध में राज्य सरकार को परामर्श देने के प्रयोजनार्थ एक तकनीकी समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः–

(क) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश – अध्यक्ष;

(ख) निदेशक, सेवायोजन – सदस्य;

(ग) मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन या उनका प्रतिनिधि– सदस्य;

(घ) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश या उनका प्रतिनिधि – सदस्य;

(ड़) कारखाना निदेशक – सदस्य;

(च) अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश (प्रवर्तन) – सदस्य;

(छ) अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश (औद्योगिक सम्बंध) – सदस्य-सचिव;

(ज) राज्य सरकार द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट मजदूरी निर्धारण के दो तकनीकी विशेषज्ञ– सदस्य;

(झ) नियोक्ताओं और कर्मचारियों के दो-दो प्रतिनिधि जो कौशल विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हों – सदस्य।

(3) राज्य सरकार, उपनियम (2) में निर्दिष्ट तकनीकी समिति की सलाह पर, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची-क में विनिर्दिष्ट व्यवसायों के सम्बंध में किसी प्रविष्टि को संशोधित, सम्मिलित या लोपित (हटाकर) करके, व्यवसायों के अकुशल, अर्द्ध–कुशल, कुशल और अति–कुशल श्रेणियों में वर्गीकरण के सम्बंध में अनुसूची–क में संशोधन कर सकती है।

(4) उपनियम (2) में निर्दिष्ट तकनीकी समिति, राज्य सरकार को सलाह देते समय, संभव सीमा तक, व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण या राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे या केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यवसायों की पहचान करने के लिये तत्समय बनाए जा रहे अन्य समान ढांचे को ध्यान में रखेगी।

धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन परिवर्ती मंहगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिये समय अन्तराल

6–न्यूनतम मजदूरी पर कर्मचारियों को सदेय परिवर्ती महंगाई भत्ते को पुनरीक्षित करने के लिये निर्वाह भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में रियायत के नकद मूल्य की संगणना, प्रत्येक वर्ष एक बार 1 अप्रैल के पूर्व और तत्पश्चात 1 अक्टूबर के पूर्व श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक कर्मकारों के लिये प्रकाशित औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार करते हुए की जायेगी।

धारा 8 के प्रयोजनार्थ न्यूनतम वेतन के निर्धारण एवं पुनरीक्षण हेतु समितियों का गठन

7–(1) राज्य सरकार किसी वर्ग के अन्तर्गत प्रथम बार न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने अथवा न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण करने अथवा कौशल वर्गीकरण के सम्बन्ध में जाँच करने तथा राज्य सरकार को सलाह देने के प्रयोजनार्थ एक अथवा एक से अधिक समितियाँ गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः–

(एक)	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
(दो)	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट अपर श्रमायुक्त	सदस्य
(तीन)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
(चार)	निदेशक, सेवायोजन, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य

(पाँच)	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट मजदूरी निर्धारण के क्षेत्र के दो तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य
(छः)	नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट तीन प्रतिनिधि	सदस्य
(सात)	कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट तीन प्रतिनिधि	सदस्य
(आठ)	श्रम आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक उप/सहायक श्रमायुक्त	सदस्य–सचिव

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट समिति, राज्य सरकार को सलाह देते समय यथा सम्भव सीमा तक राज्य व्यवसाय वर्गीकरण अथवा राज्य कौशल अर्हता ढाँचे अथवा व्यवसायों की पहचान करने के लिए तत्समय बनाये गये अन्य समान ढाँचे को ध्यान में रखेगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन गठित समिति की सलाह पर राज्य सरकार इस नियमावली की अनुसूची ''क'' में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रचालन के वर्गीकरण में किसी प्रविष्टि में संशोधन, अपमार्जन और परिवर्धन करते हुये कर्मचारियों के व्यवसायों को चार श्रेणियों–अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा अतिकुशल में वर्गीकृत कर सकेगी।

(4) राज्य सरकार धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जितनी आवश्यक समझे, उतनी संख्या में समितियां गठित कर सकती है।

धारा 10 के परन्तुक के खण्ड (दो) के अधीन परिस्थितियाँ

8–कोई कर्मचारी धारा 10 के अधीन पूर्ण सामान्य कार्यदिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा यदि वहाँ नियोजन के निबंधनों के अनुसार अंशकालिक आधार पर कार्य करने के लिए सहमत हुआ हो या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य श्रम विधि के अधीन ऐसी मजदूरी प्राप्त करने का हकदार न हो।

कार्य के घण्टों की संख्या जो धारा 13 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ एक सामान्य कार्य दिवस का गठन करेंगे

9–(1) कार्य के घण्टों की संख्या जो सामान्य कार्य दिवस का गठन करे, ऐसे कर्मचारी के लिए जिसकी मजदूरी अवधि दैनिक आधार पर है, 8 घंटे होगी और विश्राम का अंतराल उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 37 सन् 2020) के अधीन इस सम्बंध में जारी अधिसूचना के अनुसार होगा।

(2) कार्य के घण्टों की संख्या जो सामान्य कार्य दिवस का गठन करे, ऐसे कर्मचारी के लिए जिसकी मजदूरी अवधि दैनिक आधार के अतिरिक्त है, इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि प्रति सप्ताह कार्य के कुल घंटे 48 घंटे से अधिक न हो।

धारा 13 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ साप्ताहिक विश्राम दिवस का अवधारण और विश्राम दिवस पर लिये गये कार्य के सापेक्ष किये जाने वाला भुगतान

10–(1) इस नियम के उपबंधों के अधीन, किसी कर्मचारी को प्रत्येक सप्ताह एक दिन या एक से अधिक के दिन का, जैसी भी स्थिति हो, विश्राम की अनुमति दी जायेगी (जिसे आगे ''विश्राम दिवस'' कहा गया है), जो छः दिवसीय सप्ताह की स्थिति में सामान्यतः रविवार होगा और छः दिन से कम के कार्य सप्ताह की स्थिति में शनिवार और रविवार सम्मिलित होंगे, तथापि नियोक्ता किसी भी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग के लिए सप्ताह के किसी भी अन्य दिन को विश्राम दिवस के रूप में नियत कर सकता है:

परन्तु यह कि, छः दिवसीय कार्य सप्ताह या छः दिन से कम के कार्य सप्ताह में, जैसी भी स्थिति हो, सप्ताह के शेष दिन ऐसे कर्मचारियों के लिए सवेतन विश्राम दिवस होंगे:

परन्तु यह और कि, इस उपनियम के अधीन कोई कर्मचारी विश्राम दिवस का हकदार तब होगा जब उसने उसी नियोक्ता के अधीन छः दिवसीय सप्ताह की स्थिति में अन्यून छः दिन की निरंतर अवधि के लिए कार्य किया हो, और छः दिन से कम के कार्य सप्ताह की स्थिति में, जैसी भी स्थिति हो, कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या की निरंतर अवधि के लिये कार्य किया हो:

परन्तु यह भी कि, कर्मचारी को विश्राम के रूप में नियत दिनों की और विश्राम दिवस में किसी भी आगामी परिवर्तन की सूचना, परिवर्तन प्रभावी होने से पूर्व, नियोजन के स्थान पर किसी सहज दृश्य स्थान पर उस आशय का नोटिस प्रदर्शित करके अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना दी जाएगी।

स्पष्टीकरण– इस उपनियम के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्यून छः दिनों की निरंतर अवधि या सप्ताह में कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए,–

(क) कोई भी दिन जिस पर किसी कर्मचारी को काम के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे केवल उपस्थिति के लिए भत्ता दिया जाता है और काम प्रदान नहीं किया जाता है;

(ख) कोई भी दिन जिस दिन औद्योगिक सम्बंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) के अधीन मुआवजे के भुगतान पर किसी कर्मचारी का ले-ऑफ किया गया हो; और

(ग) नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को छः दिनों की अवधि में या सप्ताह के कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या के दौरान जैसा भी मामला हो विश्राम दिनों से ठीक पहले को वेतन के साथ या बिना वेतन के दी गई कोई भी छुट्टी या अवकाश, उन दिनों के रूप में माना जाएगा जिन पर कर्मचारी ने काम किया है।

(2) ऐसे किसी भी कर्मचारी से उसके विश्राम के दिन कार्य करने की अपेक्षा नही की जायेगी या उसे कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि उसे उस विश्राम दिवस से ठीक पहले या बाद वाले सप्ताह के कार्य दिवसों में से किसी एक दिन उसे उसके बदले में कोई अन्य विश्राम दिवस प्रदान किया गया होः

परन्तु यह कि ऐसा कोई प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी को पूर्ण विश्राम दिवस के बिना लगातार दस दिनों से अधिक कार्य करना पड़े।

(3) उपनियम (1) और (2) के अनुसार जहाँ, कोई कर्मचारी विश्राम के दिन कार्य करता है और उसे विश्राम के दिन से पहले या बाद के कार्य दिवसों में से किसी एक दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिया जाता है, तो कार्य के साप्ताहिक घंटों की गणना के प्रयोजनार्थ, उस विश्राम दिवस को उसी सप्ताह में सम्मिलित किया जाएगा जिसमें वह प्रतिस्थापित विश्राम का दिन आया है।

(4) किसी कर्मचारी को विश्राम दिवस के लिए अगले पूर्ववर्ती दिन के लिये लागू दर पर आगणित मजदूरी प्रदान की जाएगीः

और जहाँ वह विश्राम दिवस पर कार्य करता है और उसे एक वैकल्पिक विश्राम दिवस दिया गया है तो उसे उस विश्राम दिवस के लिए जिस पर उसने कार्य किया था अतिकाल दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और वैकल्पिक विश्राम दिवस के लिए पूर्ववर्ती कार्यदिवस पर लागू दर से मजदूरी दी जाएगी;

परंतु यह कि छः दिवसीय कार्य सप्ताह के मामले में जहाँ,–

(क) संहिता के अधीन यथा अधिसूचित कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दर, मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर को छब्बीस से विभाजित करके निकाली गई है; या

(ख) कर्मचारी की वास्तविक दैनिक मजदूरी की दर, मजदूरी की मासिक दर को छब्बीस से विभाजित करके निकाली गई है और ऐसी वास्तविक दैनिक मजदूरी की दर कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दर से कम नहीं है, तो विश्राम के दिन के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और

(ग) कर्मचारी विश्राम के दिन कार्य करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया है, तो उसे केवल उस विश्राम दिवस के लिए जिस पर उसने कार्य किया था, अतिकाल दर पर देय मजदूरी के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा; जो सामान्य मजदूरी दर के दोगुने से कम नहीं होगी;

और, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस परन्तुक के उपबंधों के अनुसार दैनिक मजदूरी की दर निकाली गई है, तो श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश या क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले अपर/उप श्रम आयुक्त, इस निमित्त उन्हें दिए गए आवेदन पर, सम्बंधित पक्षकारों को लिखित अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, उस पर विनिश्चय कर सकता है:

परन्तु यह और कि, मात्रानुपाती दर प्रणाली द्वारा शासित कर्मचारी के मामले में, उसे उस विश्राम दिवस के लिए जिस पर वह कार्य करता है, अतिकाल दर पर मजदूरी दी जाएगी और प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के लिए पूर्ववर्ती कार्यदिवस पर लागू दर पर मजदूरी दी जाएगी।

स्पष्टीकरण– इस उपनियम के प्रयोजनार्थ शब्द ''पूर्ववर्ती कार्यदिवस'' का तात्पर्य उस अंतिम दिन से है जिस दिन कर्मचारी ने कार्य किया है, जो विश्राम दिवस या प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के पहले, जैसा भी मामला हो, आता है; और जहाँ प्रतिस्थापित विश्राम दिवस, विश्राम दिवस के तुरन्त अगले दिन आता है तब पूर्ववर्ती कार्यदिवस का तात्पर्य वह अंतिम दिन होगा, जिस दिन कर्मचारी ने कार्य किया है, जो विश्राम दिवस के पहले था।

(5) इस नियम के उपबंधों के प्रवृत्त होने से अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल शर्तों, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसमें कोई कर्मचारी किसी अन्य विधि के अधीन अथवा किसी अधिनिर्णय, करार अथवा सेवा संविदा के निबंधनों के अधीन हकदार हो और ऐसी स्थिति में कर्मचारी केवल पूर्वोक्त अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल निबंधनों का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनार्थ, ''सप्ताह'' का तात्पर्य शनिवार रात्रि की अर्द्धरात्रि से प्रारम्भ होने वाली सात दिनों की अवधि से है।

धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन रात्रि पाली का निर्धारण

11–जहाँ पर कर्मचारी, नियोजन में पाली में काम करता है जो अर्द्धरात्रि के पश्चात् भी चलती है तब:–

(क) नियम 10 के प्रयोजनार्थ पूरे दिवस के लिए विश्राम दिवस का तात्पर्य इस मामले में, उसकी पाली समाप्त होने के समय से प्रारम्भ होकर लगातार चौबीस घण्टे की अवधि से है; और

(ख) ऐसे मामले में अगला दिवस ऐसी पाली के समाप्त होने के समय से प्रारम्भ होकर चौबीस घण्टे की अवधि का होगा, और अर्द्धरात्रि के बाद के घण्टों को, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है, पूर्व दिवस में गिना जाएगा।

धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन विस्तार और शर्तें

12–धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन कर्मचारियों की कतिपय श्रेणियों के लिए कार्य के घंटों की संख्या नियम 9 में विनिर्दिष्ट सामान्य कार्य घंटों से अधिक हो सकती है:

परन्तु यह कि कर्मचारियों की इन श्रेणियों का अतिकाल धारा 14 के अनुसार होगा।

धारा 14 के अधीन लम्बी मजदूरी अवधि

13–मजदूरी के प्रयोजनार्थ लम्बी मजदूरी की अवधि एक माह से अधिक नहीं होगी।

अध्याय–तीन

मजदूरी का भुगतान

धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन कटौतियों की वसूली की रीति

14–धारा 18 की उपधारा (4) के अनुसार जहाँ धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत कुल कटौतियाँ किसी कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक हों, वहाँ अधिक धनराशि को अग्रेनीत किया जाएगा और यथास्थिति उत्तरवर्ती मजदूरी अवधि, में ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी ताकि किसी भी माह में वसूली उस माह में कर्मचारी की मजदूरी की पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकारी

15–क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त जिसके पास संबंधित कर्मचारी के कार्य स्थल का अधिकारिता हो, धारा 19 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी होगा।

धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस प्रदर्शित करने की रीति

16—धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट नोटिस, उस कार्यस्थल के परिसर में जहाँ नियोजन संचालित होता है, भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हिंदी और अंग्रेजी में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी नोटिस की सामग्री को आसानी से पढ़ सके और नोटिस की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा अड़तालीस घंटे के भीतर निरीक्षक—सह—सुविधाप्रदाता और अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को भेजी जाएगी।

धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने की प्रकिया तथा उपधारा (8) के अधीन अनुरक्षित किये जाने वाली पंजिका का प्रपत्र एवं जुर्माने की धनराशि को व्यय करने की रीति

17—(1) प्रत्येक नियोजक जिसके लिये किसी नियोजित व्यक्ति के कार्यों या लोपों के लिये जुर्माना लगाने हेतु अनुमोदन प्राप्त करना अभीष्ट हो, वह अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त को भेजेगा,—

(क) दो प्रतियों में, ऐसे कार्यों एवं लोपों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती हुयी एक सूची;

(ख) ऐसे मामलों में जहाँ नियोजक जुर्माना अधिरोपित करने हेतु एकमात्र व्यक्ति होने की इच्छा नहीं रखता है, अधिष्ठान में नियुक्त ऐसे व्यक्तियों की सूची जिनके ऊपर वह अधिष्ठान में जुर्माना अधिरोपित करने हेतु निर्भर रह सकता है और अधिष्ठान के वर्ग, जिनके ऊपर ऐसे प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति पर निर्भर रह सकता है, की दो प्रतियों में सूची प्रदर्शित करते हुये प्रेषित करेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, सूची प्राप्त होने के उपरान्त ऐसी जाँच जिसे किया जाना वह अभीष्ट समझे, आदेश पारित कर सकेगा,—

(क) सूची को अनुमोदित न किया जाना;

(ख) सूची को या तो उसके मूल स्वरूप में या उसके द्वारा संशोधित रूप में अनुमोदन किया जाना, इस मामले में, ऐसी सूची को अनुमोदित सूची माना जायेगाः

परन्तु यह कि किसी सूची को अनुमोदित या संशोधित करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि नियोजक को लिखित में कारण बताने का अवसर न दिया गया हो कि उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी सूची को क्यों अनुमोदित किया जाना चाहिये।

(3) नियोजक ऐसी अनुमोदित सूची की एक प्रति को अधिष्ठान के प्रवेश द्वार तथा नोटिस बोर्ड पर अंग्रेजी तथा उसके हिन्दी अनुवाद सहित प्रदर्शित करेगा।

(4) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रस्तुत सूची में नामित नियोक्ता या नियुक्त व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(5) धारा 19 की उपधारा (3) के अनुसार नियोक्ता सम्बंधित कर्मचारी को इलेक्ट्रानिक रूप से या लिखित रूप में सूचना देगा जिसमें कर्मचारी द्वारा किए गए कृत्यों और लोपों का विवरण विनिर्दिष्ट होगा जो सात दिनों के भीतर कारण बताने हेतु एवं जुर्माना अधिरोपित करने का समुचित आधार होगा।

(6) आरोप स्थापित होने पर दोषी कर्मचारी पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।

(7) जहाँ अनुसूचित अवधि के भीतर कर्मचारी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है वहाँ जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा और ऐसे जुर्माना अधिरोपण के दिनांक से 15 दिनों के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

(8) जुर्माना अधिरोपित करने वाला व्यक्ति या नुकसान या हानि के लिये कटौती किये जाने का निर्देश देने वाला व्यक्ति बिना अनावश्यक विलम्ब के नियोजक को समस्त विवरण के साथ अवगत करायेगा और नियोजक ऐसे जुर्माने या कटौती को प्रपत्र-1 में विनिर्दिष्ट रजिस्टर में अनुरक्षित करेगा।

(9) सभी प्रकार की कटौतियों, जुर्मानों तथा वसूलियों के माध्यम से इस प्रकार एकत्रित धनराशि का प्रयोग अधिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों के लिए ऐसी कल्याणकारी योजनाओं या उपबंधों के माध्यम से, लाभकारी प्रयोजनों के लिए लागू की जायेगी जो नियोक्ता द्वारा तैयार की गयी हो श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले अपर/उप श्रमायुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया हो, किया जायेगाः

परन्तु यह कि इस नियमावली की कोई बात नियोक्ता को इन कल्याणकारी उपायों अथवा योजनाओं में उसे किसी धनराशि का अभिदान करने से निवारित नहीं करेगी।

धारा 20 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन कटौती की रीति एवं कटौती सूचना

18–(1) जब कोई नियोक्ता धारा 20 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन कोई कटौती करने का इच्छुक है तब वह सम्बंधित कर्मचारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या लिखित रूप में सात दिनों की अवधि के भीतर उत्तर देने की अपेक्षा करते हुए ऐसी कटौती करने के अपने आशय के सम्बंध में सूचित करेगा और आरोप स्थापित होने पर धारा 18 की उपधारा (3) के अनुसार कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जाएगी।

यदि सम्बंधित कर्मचारी से सात दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो नियोक्ता मजदूरी से ऐसी कटौती करेगा और ऐसी कटौती के दिनांक से पन्द्रह दिनों के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन नुकसान अथवा हानि के लिए कटौती की प्रक्रिया एवं उपधारा (3) के अधीन रजिस्टरों में प्रविष्टि

19–कोई नियोक्ता, जो धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी की मजदूरी से नुकसान या हानि के लिए कटौती करने का इच्छुक हो, तो,–

(एक) कर्मचारी को सात दिनों की अवधि के भीतर सौंपे गए माल की क्षति या हानि के मूल्य के सम्बंध में कारण दर्शाते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगा;

(दो) आरोप स्थापित होने पर धारा 18 की उपधारा (3) के अनुसार कर्मचारियों की मजदूरी से कटौती की जाएगी;

(तीन) यदि सम्बंधित कर्मचारी से सात दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो नियोक्ता सम्बंधित कर्मचारी की मजदूरी से ऐसी कटौती करेगा और ऐसी कटौती के दिनांक से पन्द्रह दिनों के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

(चार) नियोक्ता प्रपत्र-एक में यथाविनिर्दिष्ट रजिस्टर में ऐसी कटौती अभिलिखित करेगा।

धारा 23 के अधीन अग्रिम वसूली के सम्बन्ध में शर्तें

20–यथास्थिति हो–

(एक) धारा 23 के खण्ड (ख) के अधीन नियोजन शुरू होने के पश्चात् किसी कर्मचारी को दिए गए धन के अग्रिम; या

(दो) धारा 23 के खण्ड (ग) के अधीन किसी कर्मचारी को पहले से अर्जित न की गई मजदूरी के अग्रिम की वसूली;

यथास्थिति, नियोक्ता द्वारा सम्बंधित कर्मचारी की मजदूरी से नियोक्ता द्वारा अवधारित किश्तों में की जाएगी, ताकि किसी भी मजदूरी अवधि में कोई भी या सभी किश्तें उस मजदूरी अवधि में नियम 14 में विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक न हों और ऐसी वसूली के विवरण प्रपत्र-1 में रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किए जाएंगे।

ऋण की सीमा तथा धारा 24 के अधीन कटौती

21–धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन स्वीकृत ऋण की सीमा तथा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ऋणों और उनके देय ब्याज की वसूली हेतु ऐसी कटौतियां, ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने की सीमा तथा इन पर देय ब्याज दर को विनियमित करने वाले समय-समय पर केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश अथवा जारी परिपत्र के अध्यधीन होगी।

अध्याय–चार

राज्य सलाहकार बोर्ड

धारा 42 की उपधारा (4) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड, उसकी समितियों तथा उप–समितियों का गठन

22–(1) धारा 42 की उपधारा (4) के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी।

(2) बोर्ड, ऐसे व्यक्तियों, जो नियोजक एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हों, जैसा कि धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट हैं और ऐसे स्वतन्त्र व्यक्तियों, जैसा कि इस उपधारा के खण्ड (ग) में विहित किया गया है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये, से मिलकर बनेगा।

(3) धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या बारह से कम नहीं होगी और इस उपधारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बारह से कम नही होगी।

(4) धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्तियों, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, में निम्नलिखित व्यक्ति होंगेः–

(एक) मा0 मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश सरकार – पदेन अध्यक्ष;

(दो) राज्य विधान मण्डल के दो नाम निर्दिष्ट–सदस्य;

(तीन) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश सरकार;

(चार) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश सरकार;

(पांच) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(छः) मजदूरी एवं श्रम सम्बंधी मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले दो सदस्य।

(5) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य–सचिव होगा।

(6) राज्य सलाहकार बोर्ड, धारा 42 की उपधारा (6) के अनुसार एक या उससे अधिक समितियों या उप–समितियों का गठन कर सकती है। बोर्ड द्वारा गठित की जाने वाली समितियों तथा उप–समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी तथा ऐसा अध्यक्ष, बोर्ड के स्वतन्त्र सदस्यों में से ही एक होगा।

(7) राज्य सरकार बोर्ड के सदस्यों का नामनिर्देशन करते समय इस तथ्य का ध्यान रखेगी कि स्वतन्त्र सदस्यों की संख्या बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या के एक–तिहाई से अधिक न हो तथा बोर्ड के सदस्यों में न्यूनतम एक–तिहाई महिलायें होंगी।

धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन बोर्ड, समितियों तथा उप समितियों की बैठक

23–बोर्ड तथा उसके द्वारा गठित समितियों तथा उप-समितियों के अध्यक्ष, यथास्थिति, नियम 22 के उपबन्धों के अध्यधीन किसी भी समय जब वह उचित समझे, बोर्ड की बैठक बुला सकता हैः

परन्तु यह कि न्यूनतम आधे सदस्यों द्वारा लिखित मांग प्राप्त होने पर, अध्यक्ष, ऐसी मांग प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर एक बैठक बुलायेगा।

बोर्ड, समितियों और उप समितियों की बैठकों की नोटिस

24–अध्यक्ष, प्रत्येक बैठक का दिनांक, समय एवं स्थान का निर्धारण करेगा तथा पूर्वोक्त विवरण को सम्मिलित करते हुए बैठक में की जाने वाली कार्यवाही के साथ लिखित नोटिस ऐसी बैठक के नियत दिनाँक से कम से कम 15 दिन पहले, पंजीकृत डाक एवं इलेक्ट्रॉनिक रीति से, प्रत्येक सदस्य को भेजेगाः

परन्तु यह कि, आकस्मिक बैठक के मामले में प्रत्येक सदस्य को केवल 7 दिन का नोटिस भी दिया जा सकता है।

अध्यक्ष के कृत्य

25–अध्यक्ष–

(1) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगेः

परन्तु यह कि किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, ऐसी बैठक की अध्यक्षता हेतु बोर्ड के सदस्यों में से किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेंगे;

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का निर्धारण करेंगे;

(3) जब बोर्ड की बैठक में, कोई मुद्दा मतदान द्वारा निर्धारित किया जाना है, तो मतदान करायेगा तथा बैठक में गुप्त मतदान की गणना करेगा अथवा करायेगा।

गणपूर्ति

26–किसी बैठक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा यदि, न्यूनतम एक तिहाई सदस्य तथा नियोजकों एवं कर्मचारियों का न्यूनतम एक-एक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होः

परन्तु यह कि यदि किसी बैठक में एक तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित हों तो अध्यक्ष ऐसी बैठक को अधिकतम सात दिन के लिए स्थगित कर सकता है तथा स्थगन में कार्य का निस्तारण किया जाना विधिमान्य होगा, भले ही गणपूर्ति की कमी में सदस्य बैठक में भाग ले रहे होंः

परन्तु यह और कि ऐसी स्थगित बैठक का दिनांक, समय एवं स्थान सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रीति से या पंजीकृत डाक द्वारा सूचित की जायेगी।

राज्य सलाहकार बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित समितियों तथा उप समितियों के कार्य का निस्तारण

27–राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप समितियों के समस्त कार्यों पर विचार, राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप समितियों की बैठक में किया जायेगा और उस पर विनिश्चय, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के मतों के बहुमत से किया जायेगा और समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगाः

परन्तु यह कि अध्यक्ष, यदि उचित समझे तो यह निदेश दे सकता है कि किसी मामले का विनिश्चय आवश्यक पत्रजातों के परिचालन द्वारा तथा सदस्यों का लिखित मत प्राप्त करके किया जाएगाः

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन किसी मामले में कोई विनिश्चय नहीं किया जाएगा जब तक कि अन्यून दो–तिहाई सदस्य इसका समर्थन न करें।

मतदान पद्धति

28—राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप समितियों में मतदान, सामान्यतः हाथ उठाकर किया जाएगा किन्तु यदि कोई सदस्य मतपत्र द्वारा मतदान की मांग करता है अथवा यदि अध्यक्ष ऐसा विनिश्चय करता है तो मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा किया जायेगा और वह इस रीति से किया जायेगा जैसाकि अध्यक्ष विनिश्चित करे।

बैठक की कार्यवाहियाँ

29—(1) राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप समितियों की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियाँ, जिनमें अन्य बातों के साथ—साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम दर्शाते हुये, यथा सम्भव बैठक के तुरन्त बाद और किसी दशा में अगली बैठक से अन्यून सात दिन पहले, प्रत्येक सदस्य तथा राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप समितियों की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की पुष्टि ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हों, जैसाकि अगली बैठक में आवश्यक समझा जाय, की पुष्टि की जायेगी।

साक्षियों को समन किया जाना और दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना

30—(1) अध्यक्ष किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिये समन कर सकता है यदि वह कर्तव्य निर्वहन के प्रक्रम में अपेक्षित समझे, और वह किसी व्यक्ति से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे समन किया जाय और जो बोर्ड के समक्ष साक्षी के रूप में प्रस्तुत हो, किसी सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले साक्षियों के लिये भत्ता संदाय हेतु तत्समय प्रवृत्त मान के अनुसार अपने द्वारा कृत व्ययों हेतु भत्ता का हकदार होगा।

धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड की समितियों तथा उपसमितियों के सदस्यों का कार्यकाल

31—(1) यथास्थिति, बोर्ड के किसी नाम निर्दिष्ट सदस्य अथवा किसी समिति या उप समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल, धारा 42 की उपधारा (6) के अधीन यथास्थिति उसकी नियुक्ति अथवा नामनिर्देशन के दिनांक से प्रारम्भ होने वाले सामान्यतः दो वर्ष का होगा।

(2) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए बोर्ड का नाम निर्दिष्ट स्वतंत्र सदस्य, उस सदस्य के शेष कार्यकाल की अवधि तक के लिए पद पर बना रहेगा जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट किया गया हो;

(3) बोर्ड के आधिकारिक सदस्य, तब तक अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक कि उनका स्थान, अन्य आधिकारिक सदस्यों द्वारा न ले लिया जाये;

(4) उपनियम (1), (2) एवं (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के सदस्य, राज्य सरकार के प्रसाद—पर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे।

(5) एक निवर्तमान सदस्य बोर्ड की सदस्यता के लिए पुनर्नामांकन हेतु पात्र होगा, परन्तु यह कि वे अधिकतम दो कार्यकाल के लिए पद धारण करेंगे।

यात्रा भत्ता

32—राज्य सलाहकार बोर्ड, समितियों और उप समितियों के अध्यक्ष और गैर—सरकारी सदस्य, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में की गयी किसी यात्रा के लिए राज्य सरकार के श्रेणी—क के अधिकारी के लिये लागू न्यूनतम दर पर तथा शर्तों के अध्यधीन यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा ठहराव भत्ता आहरित करने के हकदार होंगे।

अधिकारी और कर्मचारी वर्ग

33—राज्य सरकार, बोर्ड के लिये, बोर्ड के सदस्य—सचिव से भिन्न, एक सचिव और बोर्ड की समितियों और उप—समितियों के लिए एक या एक से अधिक सचिवों, जो उत्तर प्रदेश सरकार के उप श्रम आयुक्त से अनिम्न रैंक का हो तथा बोर्ड, समितियों, उप समितियों के लिये अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है, जैसा कि वह बोर्ड, समितियों और उप—समितियों के संचालन के लिए आवश्यक समझे।

बोर्ड, समितियों और उपसमितियों के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का त्याग-पत्र

34—(1) अध्यक्ष से भिन्न बोर्ड, समितियों और उप समितियों का कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष को लिखित रूप में नोटिस देकर अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकता है और अध्यक्ष, राज्य सरकार को सम्बोधित पत्र के द्वारा त्याग-पत्र दे सकता है।

(2) कोई त्याग-पत्र, उसकी स्वीकृति की सूचना के दिनांक या त्याग-पत्र के दिनांक, जो भी कम हो, से 30 दिन की समाप्ति पर प्रभावी होगा।

(3) जब बोर्ड की सदस्यता के लिए कोई रिक्ति होती है या होने की संभावना हो तो सदस्य—सचिव, उसकी सूचना तत्काल राज्य सरकार को देगा और तब राज्य सरकार संहिता के उपबंधों के अनुसार रिक्ति को भरने के लिये कदम उठायेगी।

सदस्यता का समापन

35–यदि बोर्ड, समितियों और उपसमितियों का कोई सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिये बिना, तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो वह उसका सदस्य रहने से प्रविरत हो जायेगा।

निरर्हता

36–(1) कोई व्यक्ति राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य होने तथा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिये निरर्ह हो जायेगा–

(एक) यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का घोषित कर दिया जाय; अथवा

(दो) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो; अथवा

(तीन) यदि संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् वह नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध में सिद्ध–दोषी हो।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या उपनियम(1) के अधीन कोई निरर्हता हुई है, तो इस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

अध्याय–पाँच

असंवितरित बकायों, दावों इत्यादि का भुगतान

धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कर्मचारी की मृत्यु की दशा में नाम–निर्देशितियों को असंवितरित देयों का भुगतान

37–(1)(क) धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक कर्मचारी प्रपत्र-12 में एक घोषणा करेगा, जिसमें वह किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु की स्थिति में उसके खाते में जमा धनराशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हुए नामनिर्देशित करेगा, यदि वह राशि संदेय होने से पहले या संदेय होने के पश्चात भुगतान किए जाने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है।

(ख) यदि नामनिर्देशन के समय कर्मचारी का परिवार है, तो नामनिर्देशन पति/पत्नी के पक्ष में या वरीयता के आधार पर पति/पत्नी और उसके बाद उसके परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में होगाः

परन्तु यह कि परिवार वाले कर्मचारी द्वारा अपने परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन अविधिमान्य होगाः

परन्तु यह और कि कर्मचारी द्वारा अपने विवाह पर अपने पति/पत्नी के पक्ष में नया नामनिर्देशन किया जाएगा और ऐसे विवाह से पहले किया गया कोई भी नामनिर्देशन अविधिमान्य माना जाएगा।

(ग) जहाँ नामनिर्देशन पूर्णतः या अंशतः किसी नाबालिग के पक्ष में है, वहाँ कर्मचारी अपने परिवार के किसी वयस्क व्यक्ति को नाबालिग नामनिर्देशिती का अभिभावक नियुक्त कर सकता है, या जहाँ परिवार में कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है, वहाँ वह अपने विवेक से किसी अन्य व्यक्ति को नाबालिग नामनिर्देशिती का अभिभावक नियुक्त कर सकता है।

(घ) यदि कर्मचारी एक से अधिक सदस्यों को नामनिर्देशित करता है, तो वह नामनिर्देशन में अपने विवेक से प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय धनराशि या हिस्सा विनिर्दिष्ट करेगा, ताकि उसकी सम्पूर्ण जमापूंजी की धनराशि का भुगतान किया जा सके।

2–जब संहिता के अधीन कर्मचारी को देय कोई राशि उसकी मृत्यु या कर्मचारी का ठिकाना नहीं पता होने के कारण उसको देनी बकाया है तथा इस राशि के कर्मचारी को देय होने के दिनांक से तीन माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामित को यह धनराशि भुगतान नहीं की जा सकी, को नियोक्ता द्वारा यह धनराशि क्षेत्राधिकार रखने वाले अपर/उप श्रमायुक्त के पास जमा की जाएगी जो उसके पास राशि जमा कराने की दिनांक के दो मास के अंदर कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति की पहचान का पता लगाकर उस राशि का वितरण करेगा।

धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कर्मचारी की मृत्यु की दशा में असंवितरित देयों को जमा किया जाना

38–(1) जहाँ धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी कर्मचारी को संदेय कोई राशि कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशन नहीं करने के कारण या अन्य किसी कारण से असंवितिरित रह जाती है, और कर्मचारी के नामनिर्देशिती को ऐसी राशि संदत्त नही की जा सकती है, तो राशि के संदेय होने के दिनांक से छह माह की समाप्ति के पश्चात् नियोक्ता द्वारा ऐसी संपूर्ण राशि छह माह की उक्त अवधि के अंतिम दिन से पन्द्रह दिन की समाप्ति से पूर्व अधिकारिता वाले अपर/उप श्रमायुक्त के पास जमा की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन जमा की जाने वाली धनराशि नियोक्ता द्वारा ऐसे अपर/उप श्रमायुक्त के पक्ष में बैंक अंतरण या भारत में किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक से प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी।

(3) जो धनराशि जमा होने के दिनांक से दो माह के भीतर कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात उसे धनराशि संवितरित करेंगे। नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपर/उप श्रमायुक्त राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की सहायता ले सकेंगे।

(4) जहाँ इस संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को संदेय कोई धनराशि उसकी मृत्यु के पश्चात या उसके पते का पता न होने के कारण देय है, और वह इस कारण असंवितरित रह जाती है क्योंकि या तो ऐसे कर्मचारी द्वारा कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है या किसी अन्य कारण से, ऐसी धनराशि संदेय होने के दिनांक से तीन महीने की समाप्ति तक कर्मचारी के नामनिर्देशिती को भुगतान नहीं की जा सकी है, तो ऐसी सभी धनराशियाँ नियोक्ता द्वारा उक्त तीन महीने की अवधि के अंतिम दिन के बाद पंद्रहवें दिन की समाप्ति से पहले, डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार के पास जमा की जाएगी।

धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन असंवितरित देयों के निस्तारण की रीति

39–(1) नियम 37 और नियम 38 में निर्दिष्ट धनराशि (जिसे आगे इस नियम में धनराशि कहा गया है), जो अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार के पास जमा की गई है, उनके पास रहेगी और उक्त धनराशि केन्द्रीय या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में विनिधानित की जाएगी या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा की जाएगी।

(2) अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, यथाशक्य–शीघ्र धनराशि से सम्बंधित विवरणों, जैसा कि क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त द्वारा पर्याप्त समझा जाय, से अन्तर्विष्ट नोटिस कम से कम पन्द्रह दिनों के लिए सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति नियोक्ता को भी हस्तकृत रूप से और इलेक्ट्रॉनिक रीति, दोनों माध्यमों से प्रेषित की जाएगी तथा इसे अधिकतम प्रसार वाले दो स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। यह नोटिस श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक अलग लिंक के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाएगाः

परंतु यह कि स्थानीय समाचार-पत्रों में नोटिस के प्रकाशन का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(3) उपनियम (4) के उपबंधों के अध्यधीन अधिकारिता वाला क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, यथास्थिति नामनिर्देशिती को या उस व्यक्ति को जिसने ऐसी धनराशि का दावा किया है, धनराशि अवमुक्त करेगा, जिसके पक्ष में ऐसे क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त ने सुनवाई का अवसर देने के पश्चात धनराशि भुगतान किए जाने का विनिश्चय किया है। नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा विधिक वारिस की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की सहायता ले सकेंगे।

(4) यदि असंवितरित धनराशि दो वर्ष की अवधि तक के लिए अदावाकृत रहती है, तो अधिकारिता रखने वाला क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, ब्याज सहित, यदि कोई हो, ऐसी धनराशि को उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 14 सन् 1965) की धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि में अंतरित करेगा।

(5) उपनियम (4) के अनुसार उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि में इस प्रकार अंतरित धनराशि, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 14 सन् 1965) और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों द्वारा प्रशासित की जाएगी।

अध्याय– छः

प्रपत्र, रजिस्टर, मजदूरी पर्ची

नियोजन कों द्वारा अनुरक्षित किये जाने वाले रजिस्टर

40–प्रत्येक नियोजक, जिस पर मजदूरी संहिता, 2019 लागू होता है, एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगाः–

(एक) उक्त संहिता के अनुसार प्रपत्र–एक में की गयी मजदूरी, अतिकाल, जुर्माना, विभिन्न कटौतियों का विवरण उल्लिखित होगा;

(दो) प्रपत्र–दो में उक्त संहिता की धारा 50 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार होगा;

(तीन) संहिता की धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशन प्रपत्र, प्रपत्र–बारह में अनुरक्षित किये जायेंगें;

(चार) सभी रजिस्टर भौतिक रूप में अथवा इलेक्ट्रानिक रीति से डिजिटल स्वरूप में अनुरक्षित किये जायेंगे;

(पांच) इन नियमों के अधीन अनुरक्षित किये जाने वाले आवश्यक रजिस्टर को उनमें की गयी अन्तिम प्रविष्टि के दिनांक के बाद पाँच वर्ष की अवधि के लिये संरक्षित किया जायेगा।

इस नियमावली के प्रयोजनार्थ प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न प्रपत्र

41–(1) इस नियमावली के साथ संलग्न और नीचे सारणी में उल्लिखित प्रपत्र, इस नियमावली के विभिन्न उपबंधों के लिये प्रयोग किये जायेंगे–

प्रपत्र संख्या	सम्बन्धित नियम	प्रपत्र की विशिष्टियाँ
तीन	नियम 43	धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन एकल आवेदन-पत्र
चार	नियम 44 (1)	प्राधिकार प्रमाण-पत्र
पाँच	नियम 44 (5)(एक)	आवेदन-पत्र के निस्तारण हेतु नोटिस
छः	नियम 44 (6)(एक)	निदेश के आदेश का अभिलेख
सात	नियम 45 (1)	मजदूरी संहिता की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन अपील
आठ	नियम 45 (3)	मजदूरी संहिता की धारा 49 के अधीन अपील की सुनवाई हेतु प्रत्यर्थी को नियत दिनांक की नोटिस
नौ	नियम 42	मजदूरी पर्ची
दस	नियम 50 (1)	मजदूरी संहिता की धारा 56 की उपधारा (4) के अधीन अपराध के प्रशमन के लिये नियोजक का आवेदन-पत्र
ग्यारह	नियम 50 (2)	मजदूरी संहिता की धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों का प्रशमन करने हेतु प्रशमनकर्ता अधिकारी द्वारा अनिवर्तनकर्ता नियोजक को नोटिस
बारह	नियम 37 (क)	धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशन प्रपत्र

(2) धारा 19 की उपधारा (8) के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी, अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त होंगें।

(3) इस नियमावली के अधीन अनुरक्षित रजिस्टरों को उनमें की गयी अन्तिम प्रविष्टि के दिनांक के पश्चात पांच वर्ष की अवधि के लिये संरक्षित किया जायेगा।

मजदूरी पर्ची

42–प्रत्येक नियोजक, मजदूरी का संदाय करने या उसके पूर्व, कर्मचारियों को प्रपत्र-नौ में मजदूरी पर्चियाँ, इलेक्ट्रानिक रूप में अथवा भौतिक रूप से जारी करेगा।

अध्याय–सात

दावा आवेदनों और अपीलों के निपटान हेतु प्रक्रिया

दावे के लिये प्राधिकारी के समक्ष आवेदन-पत्र

43–एक ही अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों की किसी भी संख्या या समूह की ओर से या उनके सम्बंध में एक एकल आवेदन जिसमें उनके दावे एक ही मजदूरी अवधि या भेदभाव की किसी घटना से संबंधित है, संहिता के उपबंधों के अधीन उत्पन्न होने वाले दावों को सुनने और अवधारित करने के लिए धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी के समक्ष उक्त प्रपत्र में यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ प्रपत्र-तीन में भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन दाखिल किया जा सकेगा।

प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये आवेदनों के लिये प्रक्रिया

44–(1) जहां नियम 43 के अधीन कोई आवेदन दाखिल किया जाता है तो प्राधिकारी नियोक्ता को प्रपत्र–पांच में नोटिस इलेक्ट्रॉनिक रूप से या डाक द्वारा नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक को सभी सम्बंधित दस्तावेजों और साक्षियों, यदि कोई हो, के साथ अपने समक्ष उपस्थित होने हेतु भेजेगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट दिनांक की सूचना आवेदक को देगा।

(2) यदि नियोक्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, जिसे सम्यक रूप से और प्रपत्र–चार में प्राधिकृत किया गया हो, विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित होने में विफल रहते हैं तो ऐसी दशा में प्राधिकारी आवेदन पर एकपक्षीय सुनवाई कर सकेगा और अवधारण कर सकेगा।

(3) यदि आवेदक अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि पहले से कोई उचित कारण बताए बिना विनिर्दिष्ट दिनांक पर उपस्थित होने में विफल रहता है तो प्राधिकारी ऐसे आवेदन को निरस्त कर सकता है।

(4) प्राधिकारी प्रपत्र छः में आदेश पारित करेगा।

अपील के निस्तारण हेतु प्रक्रिया

45–(1) धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन प्रपत्र–सात में अपीलार्थी द्वारा उल्लिखित दस्तावेजों सहित अधिकारिता वाले अपील प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा अपील कर सकेगाः

परंतु यह कि किसी नियोक्ता द्वारा की गई कोई किसी अपील को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक अपील करते समय अपीलार्थी अपील प्राधिकारी के पास दावा की गई धनराशि जमा नहीं करता है।

(2) जहाँ धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपील पर विचार किया जाता है वहाँ अपील प्राधिकारी प्रतिवादी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा नोटिस प्रपत्र-आठ में अपने समक्ष नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित होने हेतु देगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट दिनांक के सम्बंध में अपीलार्थी को सूचित करेगा।

(3) जहाँ आवेदक या उसका प्रतिनिधि विनिर्दिष्ट दिनांक पर उपस्थित होने में विफल रहता है तो वहाँ प्राधिकारी एकपक्षीय सुनवाई और अवधारण कर सकेगा।

(4) जहाँ आवेदक या उसका प्रतिनिधि विनिर्दिष्ट दिनांक पर उपस्थित होने में विफल रहता है तो वहाँ प्राधिकारी अपील को निरस्त कर सकेगा।

अध्याय–आठ

निरीक्षण एवं निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता

धारा 51 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण योजना

46–(1) संहिता तथा इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से संहिता के अधीन आच्छादित अधिष्ठानों के निरीक्षण हेतु एक निरीक्षण योजना लागू की जायेगी।

(2) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश निरीक्षण योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा तथा इस सन्दर्भ में कोई भी आदेश–निदेश जारी कर सकेगा।

धारा 51 की उपधारा (6) के खण्ड (ड़) के अधीन निरीक्षण–सह–सुविधाप्रदाता की शक्तियाँ

47–धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा–

(क) ऐसे सभी उचित समय पर, ऐसे सहायकों (यदि कोई हो), जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण की सेवा में हों, जैसा वह उचित समझे, के साथ किसी भी ऐसे परिसर अथवा स्थान जहां कर्मचारी नियोजित हैं अथवा कार्य को वाह्य श्रमिकों को दिया गया है, चाहे वह अति–कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल अथवा अकुशल व्यवसाय के कार्य कर रहे हों, जिसके सन्दर्भ में संहिता के अधीन न्यूनतम मजदूरी दरें नियत किया गया हो, किसी रजिस्टर, मजदूरी के अभिलेखों, नोटिसों जिसे संहिता अथवा उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन रखा जाना अथवा प्रदर्शित की जाना अभीष्ट हो, के परीक्षण करने के उद्देश्य से प्रवेश कर सकेगा तथा ऐसे अभिलेखों एवं सूचनाओं को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

(ख) ऐसे किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकेगा, जिसे वह ऐसे किसी परिसर या स्थान पर पाता है और जिसके सम्बन्ध में निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को यह विश्वास करने का उचित कारण है कि वह व्यक्ति वहाँ नियोजित कर्मचारी है अथवा वह कोई ऐसा कर्मचारी है जिसे वहां काम दिया जाता है और किसी ऐसे व्यक्ति जो बाह्य कार्य और बाह्य श्रमिकों से देता है, से उन व्यक्तियों के नाम और पते के सम्बंध में किसी सूचना को, जिसे दिया जाना उसकी शक्ति में है, जिनके लिये और जिनके माध्यम से वाह्य कार्य दिया जाता है अथवा प्राप्त किया जाता है, तथा ऐसे कार्यों के लिए किये जाने वाले भुगतानों के सम्बन्ध में, उपलब्ध कराये जाने की मांग करना।

(ग) ऐसे रजिस्टर, मजदूरी के अभिलेखों, नोटिसों अथवा उनके किन्हीं भागों की प्रतियाँ प्राप्त अथवा जब्त करना, जैसा कि वह इस संहिता के अधीन अपराध के सम्बंध में सुसंगत समझे जिनके सन्दर्भ में उसके पास यह विश्वास करने के कारण करते हों कि नियोक्ता द्वारा अपराध को कारित किया गया है।

(घ) किसी कारखाने, उद्योग अथवा किसी अन्य अधिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले मजदूरी का पर्यवेक्षण करना।

(ङ) किसी न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस संहिता के अधीन आवर्त किसी शिकायत या प्रक्रिया अथवा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के रूप में अपने कर्तव्यों के निवर्हन में, अभियोजन प्रस्तुत करना, संचालन करना, अथवा बचाव करना तथा ऐसे साक्ष्य सुरक्षित रखना, जैसा कि इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(च) किसी कर्मचारी अथवा श्रमिक अथवा अधिष्ठान से सम्बंधित रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ से शिकायत प्राप्त होने पर, इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि क्या कोई निरीक्षण योजना धारा 51 की उपधारा (2) के अनुसार तैयार की गई है, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता से यह अपेक्षित होगा कि वह श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश की लिखित पूर्वानुमोदन से अधिष्ठान का पूर्ण निरीक्षण करेगा तथा यथावश्यक अधिष्ठान (अधिष्ठानों) का भ्रमण करेगाः

परंतु यह कि, निरीक्षण, क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त की पूर्व स्वीकृति से किया जायेगा और यदि शिकायत, विधि के अधीन स्थापित किसी आयोग (**उदाहरणार्थ**–राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग इत्यादि) से प्राप्त हो अथवा शिकायत बाल श्रमिकों और/अथवा बन्धुआ श्रमिकों के नियोजन से सम्बंधित हो अथवा यदि निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को किसी स्रोत से यह सूचना प्राप्त होती है कि अधिष्ठान में कोई संघातक दुर्घटना घटित हुई है, तो ऐसे निरीक्षण के 72 घण्टों के भीतर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश से भूतलक्षी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(छः) प्रत्येक निरीक्षक–सह–सुविधादाता भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) के प्रयोजनों के अर्थ में लोक सेवक समझा जायेगा।

(ज) कोई व्यक्ति, जिससे निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा उपनियम (क) से उपनियम (ङ) के अधीन किसी ऐसे अभिलेख अथवा साक्ष्य अथवा किसी सूचना को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जाती है, वह ऐसा करने के लिये भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 210 एवं धारा 211 के अर्थ में विधिक रूप से बाध्य होगा।

अध्याय– नौ

अपराध और शास्तियाँ

धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने हेतु अधिकारी की नियुक्ति

48–राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से, न्यूनतम पे-मैट्रिक्स 11 तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अनु सचिव अथवा उप श्रमायुक्त की रैंक से अन्यून राजपत्रित अधिकारी को उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर यथास्थिति धारा 54 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा खण्ड (ग) तथा उपधारा (2) तथा धारा 56 की उपधारा (7) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनार्थ, इन नियमावली के अधीन नियम 49 तथा नियम 50 में यथाविहित मामलों में जांच करने हेतु नियुक्त करेगी।

धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन जांच करने की रीति

49–(1) नियम 48 के अधीन जब धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी (जिसे आगे प्रशमनकर्ता अधिकारी कहा गया है) के समक्ष, उक्त उपधारा में संदर्भित अपराधों के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अधिकारी अथवा पीड़ित कर्मचारी अथवा औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अथवा किसी निरीक्षक–सह– सुविधाप्रदाता द्वारा शिकायत दाखिल की जाती है एवं शिकायतकर्ता द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत ऐसे साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात अधिकारी की यह राय है कि अपराध किया गया है तो वह अपराधी को प्रस्तुत होने के लिए तिथि का निर्धारण करते हुए शिकायत में विनिर्दिष्ट पते पर समन जारी करेगा।

(2) यदि अपराधी, जिसे उपनियम (1) के अधीन समन जारी किया गया है, उपस्थित होता है अथवा अधिकारी के समक्ष उपस्थित किया जाता है, तो वह उसे उसके विरुद्ध शिकायत किए गए अपराध का उल्लेख करेगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार करता है तो अधिकारी संहिता के उपबन्धों के अनुसार उस पर शास्ति अधिरोपित करेगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार नहीं करता है तो अधिकारी शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पर साक्ष्य लेगा तथा प्रस्तुत गवाहों की प्रतिपरीक्षा का अवसर उपलब्ध कराएगा।

(3) अधिकारी अपराधी को गवाहों के लिखित में प्रतिपरीक्षा में और शपथ पर गवाहों के बयान अभिलिखित करेगा और दस्तावेजी साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लेगा।

(4) अधिकारी शिकायतकर्ता के साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात, दोषी व्यक्ति को बचाव का अवसर देगा और दोषी द्वारा प्रस्तुत गवाहों की प्रतिपरीक्षा की जायेगी तथा बचाव में दस्तावेजी साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लिया जाएगा।

(5) अधिकारी पक्षकारों को सुनने तथा मौखिक एवं दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों पर विचार करके के पश्चात संहिता के उपबंधों के अनुसार शिकायत पर विनिश्चय करेगा।

धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन जुर्माना लगाने की रीति

50–(1) कोई दोषी व्यक्ति यदि धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन अपराध का प्रशमन चाहता है तो वह नियम 49 के अधीन अधिसूचित प्रशमनकर्ता अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी को इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र 10 में इलेक्ट्रॉनिक रीति से अथवा भौतिक रूप से आवेदन कर सकता है।

(2) उपनियम (1) में संदर्भित प्रशमनकर्ता अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर स्वयं को संतुष्ट करेगा कि यह अपराध संहिता के अधीन प्रशमन योग्य है या नहीं और यदि अपराध प्रशमन योग्य है तो वह प्रपत्र–11 में एक नोटिस प्रेषित करेगा तथा यदि दोषी व्यक्ति प्रशमन के लिए सहमत हो जाता है, तो संहिता के अधीन ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि पर अपराध का प्रशमन करेगा, जिसका भुगतान ऐसे अधिकारी द्वारा जारी प्रशमन आदेश के तीस दिन के भीतर दोषी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रशमन अधिकारी प्रपत्र–ग्यारह के भाग (ख) में प्रशमन राशि की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर ऐसे व्यक्ति को प्रमाण-पत्र जारी करेगा जिससे प्रशमन नोटिस के अनुपालन में ऐसी राशि प्राप्त की गई है।

(4) यदि इस प्रकार सूचित कोई व्यक्ति, प्रशमन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रशमन धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो अभियोजन सक्षम न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे अपराध के लिये संस्थित किया जाएगा जिनके सम्बंध में नोटिस जारी किया गया था।

(5) जहाँ अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् उपनियम (1) के अधीन अपराध का प्रशमन हो गया है, वहाँ अधिकारी ऐसे आदेश की प्रति धारा 56 की उपधारा (6) के अधीन कार्यवाही हेतु धारा 53 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी को भेजेगा।

(6) प्रशमनकर्ता अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, इस नियम के अधीन अपराध प्रशमन करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अध्याय–दस

प्रकीर्ण

मजदूरी का समय पर संदाय किया जाना

51–जहाँ कर्मचारी किसी अधिष्ठान में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हों वहाँ उक्त कम्पनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जो उस अधिष्ठान का स्वत्वधारी हो, संहिता के उपबंधों के अनुसार कर्मचारियों की मजदूरी के सम्बन्ध में संदेय धनराशि का भुगतान, ठेकेदार को करेगा।

स्पष्टीकरण:– इस नियम के प्रयोजनार्थ पद ''फर्म'' का वही अर्थ होगा जो इसके लिये भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1932) में समनुदेशित है।

धारा 26 के अधीन न्यूनतम लाभांश के भुगतान हेतु उत्तरदायित्व

52—जहाँ किसी अधिष्ठान में कर्मचारी, ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किए जायें और ठेकेदार धारा 26 के अधीन उन्हें न्यूनतम लाभांश का भुगतान करने में विफल हो, वहाँ कम्पनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा धारा 43 के परन्तुक में यथा निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति, किसी रजिस्ट्रीकृत श्रमिक संघ अथवा संघों, जिनके कर्मचारी सदस्य हों, के कर्मचारियों द्वारा ऐसी विफलता के सम्बन्ध में लिखित सूचना दिये जाने पर तथा ऐसी विफलता की पुष्टि किये जाने पर कर्मचारियों को ऐसे न्यूनतम लाभांश का भुगतान करेगा तथा ऐसी धनराशि की वसूली ठेकेदार से कर सकेगा।

धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन नियोजकों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली सूचनायें

53—(1) धारा 50 की उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ, सभी नियोजक तथा मुख्य नियोजक यह सुनिश्चित करेंगें कि अधिष्ठान की प्रत्येक इकाई के प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वारों पर प्रदर्शित की जाने वाली सभी सूचनाओं की सामग्री प्रमुखता के साथ प्रदर्शित की जाये।

(2) प्रदर्शित की जाने वाली सूचनायें ऐसी भाषा में होंगी जो अधिष्ठान की उस इकाई में नियोजित श्रमिकों में से अधिकांश द्वारा समझ ली जाये।

(3) प्रदर्शित की जाने वाली सूचनायें ऐसे आकार में प्रदर्शित की जायेंगी जिससे सामान्य दृष्टि वाला कोई व्यक्ति सहज रूप से कम से कम दस मीटर की दूरी से प्रदर्शित सामग्री को पढ़ सके।

(4) प्रदर्शित की जाने वाली सूचनायें सभी दिवसों पर तथा सभी समय पर प्रदर्शित होंगी।

(5) प्रदर्शित की जाने वाली सूचनाओं की अनुसूची—

(क) सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी दर;

(ख) विश्राम का साप्ताहिक दिवस;

(ग) सवेतन विश्राम दिवस;

(घ) कार्य के घण्टे;

(ङ) अतिकाल का भुगतान;

(च) किसी सप्ताह में कराया जा सकने वाले कार्य के अधिकतम घण्टे;

(छ) अनुसूचित अन्तराल;

(ज) मजदूरी भुगतान का समय एवं तिथि;

(झ) अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक—सह—सुविधाप्रदाता का विवरण;

(ञ) धारा 45 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी का विवरण;

(ट) मजदूरी अवधि;

(ठ) इस नियमावली के अधीन यथाविहित ऐसी अन्य सूचनाएं।

वार्षिक विवरणी

54—इस नियमावली के अधीन विवरणी (रिटर्न), अधिष्ठान के प्रत्येक नियोजक द्वारा, जिस पर यह संहिता लागू होती है, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 37 सन् 2020) के अधीन बनाए गए नियमों में ऐसे प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्र के सुसंगत स्तम्भों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की जाएगी।

आज्ञा से,
डॉ0 एम0 के0 शन्मुगा सुन्दरम्,
प्रमुख सचिव।

———

फॉर्म–I

[नियम 17 (8), नियम 19 (4) और नियम 20 देखें]

मजदूरी, ओवरटाइम, जुर्माना, क्षति और हानि के लिए कटौती का रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम (Name of Establishment) : _____

नियोक्ता का नाम (Name of Employer) : _____

मालिक का नाम (Name of Owner) : _____

नियोक्ता का PAN/TAN : _____

श्रम पहचान संख्या (LIN) : _____

कर्मचारी रजिस्टर में क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग	मजदूरी भुगतान की अवधि*	मजदूरी की अवधि (कब से कब तक)	कुल कार्य दिवस	कुल ओवरटाइम (कार्य के घंटे अथवा पीस रेट के मामले में उत्पादन)	मजदूरी की दर		
								मूल वेतन	महंगाई भत्ता	भत्ते
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अर्जित मजदूरी की रकम					कटौतियाँ										शुद्ध भुगतान
मूल मजदूरी	महंगाई भत्ता	भत्ते	अति कालिक	कुल अर्जित मजदूरी	EPF	ESIC	सोसाइटी	आयकर	बीमा	अग्रिम रकम	जुर्माने की वसूली	क्षति/हानि की वसूली	कुल कटौतियाँ	अन्य	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

भुगतान की तारीख	कर्मचारी द्वारा रसीद/बैंक संव्यवहार आई0डी0	जिन कृत्यों और चूको के लिए जुर्माना लगाया गया है, उनकी प्रकृति और तारीख का उल्लेख करे	लगाए गए जुर्माने की रकम	कर्मचारियों की उपेक्षा या चूक के कारण नियोक्ताओं को हुई क्षति या हानि	नियोक्ता/ नियोक्ता प्रतिनिधि के हस्ताक्षर**
28	29	30	31	32	33

* मासिक/पाक्षिक/साप्ताहिक/दैनिक/कार्य अवधि के आधार पर

****टिप्पणी:** यदि रजिस्टर का भौतिक रूप से रखरखाव किया जाना आवश्यक है

फार्म–II

[उपनियम (2) नियम 40 देखें]

कर्मचारी रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम : _____ नियोक्ता का नाम : _____

मालिक का नाम :_____ नियोक्ता का PAN/TAN : _____

श्रम पहचान संख्या (LIN) :_____

क्र0 सं0	कर्मचारी कोड	नाम	उपनाम	लिंग	पिता / पति का नाम	जन्म तिथि	राष्ट्रीयता	शिक्षा का स्तर	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	पदनाम	श्रेणी (HS/ S/ SS/ US)*	रोजगार का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

मोबाइल नंबर	UAN	PAN	ESIC IP नंबर	आधार	बैंक खाता संख्या	बैंक का नाम	शाखा (IFSC)	वर्तमान पता	स्थायी पता
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

सर्विस बुक नंबर	कार्य छोड़ने की तिथि	निकास का कारण	पहचान चिन्ह	फोटो	नमूना हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान	टिप्पणी
24	25	26	27	28	29	30

जन्म स्थान	तैनाती का विवरण	मजदूरी	पदोन्नति	नामित व्यक्ति	परिवार का विवरण	EPS/ NPS
31	32	33	34	35	36	37

* अति कुशल / कुशल / अर्ध कुशल / अकुशल

———

फॉर्म–III

(नियम 43 देखें)

मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उप-धारा (5) के तहत एकल आवेदन

मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45 की उपधारा (1) के तहत नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष

क्षेत्र (AREA):_____ के लिए

आवेदन संख्या : _____ वर्ष 20_____

ABC और (संख्या बताएं) _____ अन्य के बीचः ..... आवेदक

(सम्बंधित कर्मचारियों या पंजीकृत ट्रेड यूनियन या निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के माध्यम से)

पता : _____

बनाम

XYZ : _____

पता : _____

आवेदन में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत हैः–

(1) आवेदक, जिनका नाम संलग्न अनुसूची (Schedule) में है, श्री/मेसर्स _____ (नियोक्ता का नाम) के _____ (प्रतिष्ठान) में दिनांक _____ से _____ तक _____ (श्रेणी) के रूप में कार्यरत थे/हैं और _____ (कार्य की प्रकृति) में लगे हुए थे, जो मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत आता है।

(2) विपक्षी, मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 2(1) के अर्थ के अंतर्गत नियोक्ता है/हैं।

(3) (क) आवेदक(कों) को संहिता के तहत उनके रोजगार की श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से ₹_____ प्रति दिन की कम दर से दिनांक _____ से _____ तक की अवधि के लिए मजदूरी दी गई है।

(ख) आवेदक(कों) को _____ से _____ तक के साप्ताहिक विश्राम के दिनों के लिए ₹_____ प्रति दिन की दर से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) आवेदक(कों) को _____ से _____ तक की अवधि के लिए ओवरटाइम दर(रों) पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) आवेदक(कों) को _____ से _____ तक की अवधि की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ङ) मजदूरी से ऐसी कटौतियां की गई हैं जो संहिता के उल्लंघन में हैं, जिसका विवरण इस आवेदन के साथ संलग्न अनुबंध (Annexure) में दिया गया है।

(च) आवेदक(कों) को लेखा वर्ष _____ के लिए न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) आवेदक(कों) द्वारा मांगी गई राहत का अनुमानित मूल्य प्रत्येक मद में निम्नानुसार हैः–

(क) ₹_____

(ख) ₹_____

(ग) ₹_____

कुल योगः ₹_____

(5) अतः, आवेदक प्रार्थना करता/करते हैं कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45(2) के तहत निम्नलिखित के लिए निर्देश जारी किया जाएः

(क) संहिता के तहत देय मजदूरी और वास्तव में भुगतान की गई मजदूरी के अंतर का भुगतान;

(ख) विश्राम के दिनों के लिए पारिश्रमिक का भुगतान;

(ग) ओवरटाइम दरों पर मजदूरी का भुगतान;

(घ) विलंबित मजदूरी का भुगतान;

(ङ) संहिता के उल्लंघन में की गई कटौतियों का भुगतान;

(च) अदत्त (Unpaid) बोनस का भुगतान;

(छ) ₹_____ की राशि का मुआवजा।

(6) आवेदक एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषित करता/करते हैं कि इस आवेदन में बताए गए तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी, विश्वास और सूचना के अनुसार सत्य हैं।

दिनांकः _____

नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान,
या विधिवत अधिकृत पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी
या निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता।

मोबाइल नंबर और ईमेल आईडीः _____

नोटः यदि आवश्यक हो, तो आवेदक इस आवेदन के साथ विवरण वाले अनुबंध (Annexures) संलग्न कर सकता/सकते हैं।

फॉर्म–IV

[नियम 44 का उपनियम (2) देखें]

प्राधिकर प्रमाण-पत्र

मैं/हम नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी _____, जो कि एक कानूनी व्यवसायी (वकील) हैं/श्री/श्रीमती/कुमारी _____, जो _____ (पंजीकृत ट्रेड यूनियन का नाम) के पदाधिकारी हैं, को मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 अथवा धारा 49 के तहत मेरी/हमारी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करता हूँ/करते हैं।

यह अधिकार _____ (विपक्षी/नियोक्ता का नाम) के विरुद्ध दावे/अपील के सम्बंध में है, जो संहिता के तहत देय मजदूरी और वास्तव में भुगतान की गई मजदूरी के अंतर/विश्राम के दिनों के पारिश्रमिक के भुगतान/ओवरटाइम दरों पर मजदूरी के भुगतान/भुगतान में देरी/मेरी–हमारी मजदूरी से अवैध कटौती/ _____ (अवधि) के बोनस का भुगतान न करने के कारण है।

साक्षी (Witnesses) : हस्ताक्षर (Signatures):

1–

2–

3–

4–

दिनांकः _____

स्थानः _____

मैं इस प्राधिकार को स्वीकार करता हूँ।

अधिकृत व्यक्ति/कानूनी व्यवसायी/
पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी के हस्ताक्षर
(सील सहित)।

———

फॉर्म–V

[नियम 44 के उपनियम (1) देखें]

आवेदन के निस्तारण हेतु नोटिस

चूँकि, मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) के तहत आपके विरुद्ध एक दावा मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है; आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आप स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से, जिसे विधिवत निर्देश दिए गए हों और जो आवेदन से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, या जिसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके, दिनांक ..... माह ..... 20.... को ..... बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह (सुबह/शाम) दावे का उत्तर देने के लिए मेरे समक्ष उपस्थित हों;

और, चूँकि आपकी उपस्थिति के लिए नियत किया गया दिन दावा आवेदन के अंतिम निपटान के लिए निर्धारित है, इसलिए आपको उस दिन उन सभी गवाहों को पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिनके साक्ष्य पर, और उन दस्तावेजों को जिनके आधार पर आप अपने बचाव में भरोसा करना चाहते हैं।

यह ध्यान रखें कि, यदि आप ऊपर बताए गए दिन उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो दावा आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

आज दिनांक ..... 20..... को मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी किया गया।

प्राधिकारी
मुहर

फॉर्म–VI

[नियम 44 का उपनियम (4) देखें]

आदेश या निर्देश का रिकॉर्ड

क्रम संख्याः .....

आवेदन की तिथिः .....

आवेदक का नाम (या नाम), पिता का नाम, पता या एक ही अदत्त समूह से संबंधित कुछ या सभी आवेदकों के पतेः _____

नियोक्ता का नाम और पताः _____

दावा की गई राशि (Amount Claimed):

(क) इस संहिता के तहत देय मजदूरी और वास्तव में भुगतान की गई मजदूरी के अंतर के रूप मेंः ₹.....

(ख) विश्राम के दिनों के पारिश्रमिक के भुगतान के रूप मेंः ₹ .....

(ग) ओवरटाइम दरों की मजदूरी के भुगतान के रूप मेंः ₹ .....

(घ) विलंबित मजदूरी के भुगतान के रूप मेंः ₹ .....

(ङ) संहिता के उल्लंघन में की गई कटौतियों के भुगतान के रूप मेंः ₹ .....

(च) भुगतान न किए गए बोनस के रूप मेंः ₹ .....

(छ) मुआवजे की कुल राशिः ₹ .....

नियोक्ता का तर्क और उसका परीक्षण (यदि कोई हो): _____

निष्कर्ष, और उसके कारणों का संक्षिप्त विवरणः _____

निर्धारित (पुरस्कृत) राशिः

(क) संहिता के तहत देय मजदूरी और वास्तव में भुगतान की गई मजदूरी के अंतर के रूप मेंः ₹ .....

(ख) विश्राम के दिनों के पारिश्रमिक के भुगतान के रूप मेंः ₹ .....

(ग) ओवरटाइम दरों की मजदूरी के भुगतान के रूप मेंः ₹ .....

(घ) विलंबित मजदूरी के भुगतान के रूप मेंः ₹ .....

(ङ) संहिता के उल्लंघन में की गई कटौतियों के भुगतान के रूप मेंः ₹ .....

(च) भुगतान न किए गए बोनस के रूप मेंः ₹ .....

स्वीकृत मुआवजाः .....

निर्धारित लागतः

(क) न्यायालय शुल्कः .....

(ख) वकील की फीसः .....

(ग) गवाहों का खर्चः .....

वह तिथि जिस तक निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगाः .....

दिनांकः _____

प्राधिकारी

नोटः जिस मामले में अपील की गुंजाइश हो, वहां साक्ष्य (Evidence) का सार एक अलग शीट पर संलग्न करें।

फॉर्म–VII

[नियम 45 के उपनियम (1) देखें]

मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 49(1) के तहत अपील

मजदूरी संहिता, 2019 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

A.B.C

पताः _____ अपीलकर्ता

बनाम

X.Y.Z

पता : _____ प्रत्यर्थी विपक्षी /

_____

अपील का विवरणः

1- उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील की गई हैः

संख्या और दिनांक : _____

प्राधिकारी जिसने विवादित आदेश पारित किया है : _____

निर्धारित (पुरस्कृत) राशि : _____

निर्धारित मुआवजा (यदि कोई हो) : _____

2- मामले के तथ्यः

(यहाँ कालानुक्रमिक क्रम में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें, प्रत्येक पैराग्राफ में यथासंभव एक अलग मुद्दा या तथ्य होना चाहिए)

3- अपील के आधारः

4- मामले जो पहले किसी अन्य न्यायालय या अपीलीय प्राधिकारी के पास दायर नहीं किए गए या लम्बित नहीं हैंः

अपीलकर्ता आगे घोषित करता है कि उसने उस मामले के सम्बंध में, जिसके लिए यह अपील की गई है, पहले किसी भी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष न तो कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा दायर किया है, और न ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा उनमें से किसी के पास लम्बित है।

5- मांगी गई राहतः

ऊपर वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत की प्रार्थना करता हैः–

[नीचे मांगी गई राहत (राहतों) को निर्दिष्ट करें]

6- संलग्नकों की सूचीः

दिनांक : _____

स्थान : _____

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

मोबाइल नंबर और

ई–मेल आईडी : _____

कार्यालय उपयोग के लिए

दायर करने की तिथि : _____

या डाक द्वारा प्राप्ति की तिथि : _____

पंजीकरण संख्या : _____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

फॉर्म – VIII

[नियम 45 के उपनियम (2) देखें]

मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 49 के तहत अपील की सुनवाई के लिए निर्धारित दिन का प्रत्यर्थी (विपक्षी) नोटिस को

..... क्षेत्र के प्राधिकारी के दिनांक ..... माह ..... 20.... के निर्णय के विरुद्ध अपील

सेवा में,

.....

..... (प्रत्यर्थी / विपक्षी)

आपको सूचित किया जाता है कि ..... क्षेत्र के प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध एक अपील, जिसकी प्रति संलग्न है, ... X.Y.Z. (और अन्य) द्वारा प्रस्तुत की गई है और इस कार्यालय में पंजीकृत की गई है। इस अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील की सुनवाई के लिए ..... तारीख ..... माह 20..... का दिन निर्धारित किया गया है।

यदि आपकी ओर से आप स्वयं, या कानून द्वारा आपके लिए कार्य करने हेतु अधिकृत कोई व्यक्ति इस अपील में उपस्थित नहीं होता है, तो इस पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

आज दिनांक ..... माह ..... 20.. को मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी किया गया।

मुहर

अपीलीय प्राधिकारी

———

फॉर्म – IX

(नियम 42 देखें)

वेतन पर्ची

जारी करने की तिथि : _____

प्रतिष्ठान का नाम : _____

पता : _____

अवधि : _____

कर्मचारी का नाम : _____

पिता / पति का नाम : _____

पदनाम (Designation) : _____

UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) : _____

बैंक खाता संख्या : _____

वेतन अवधि : _____

देय मजदूरी की दर :

(क) मूल वेतन : _____

(ख) महंगाई भत्ता : _____

(ग) अन्य भत्ते : _____

कुल उपस्थिति / कार्य की इकाई : _____

ओवरटाइम मजदूरी : _____

देय सकल मजदूरी : _____

कुल कटौतियां:

(क) PF: _____

(ख) ESI: _____

(ग) अन्य : _____

भुगतान की गई शुद्ध मजदूरी : _____

नियोक्ता/
भुगतान प्रभारी के हस्ताक्षर

———

फॉर्म– X

[नियम 50 के उपनियम (1) देखें]

भाग– क

मजदूरी संहिता की धारा 56 की उपधारा (1) के तहत अपराधों के समझौते के लिए नियोक्ता का आवेदन

सेवा में,

उपशमन अधिकारी,

अपर/उप श्रम आयुक्त का कार्यालय,

क्षेत्र: .....

दिनांक: .....

आदरणीय महोदय/महोदया,

मैं/हम ..... , पिता/पति/पत्नी _____मेसर्स ..... (पता: .....) का नियोक्ता, मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 56 की उपधारा (1) के तहत अपराध का समझौता करने का इच्छुक हूँ/हैं। मैंने/हमने संहिता के तहत निम्नलिखित अपराध किए हैं/किए थे:

.....

.....

.....

उपरोक्त उल्लंघनों के लिए अभियोजन–

* अधोहस्ताक्षरी के विरुद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में दायर नहीं किया गया है ।

* अधोहस्ताक्षरी के विरुद्ध ..... के न्यायालय में दायर किया गया है ।

दायर किए गए अभियोजन का विवरण नीचे दिया गया है:

निरीक्षण/शिकायत की तिथि: .....

मामला संख्या और अभियोजन दायर करने की तिथि: .....

धारा(एँ) और नियम जिनका उल्लंघन पाया गया: .....

अभियोजन दायर करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम: .....

क्या आवेदक के विरुद्ध अभियोजन लम्बित है या नहीं: .....

क्या यह पहला अपराध है, या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया है? यदि हाँ, तो पिछले अपराध का पूरा विवरण: .....

कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रदान करना चाहता है:.....

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे निर्देश दें या मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 56 की उपधारा (1) के अनुसार उपशमन राशि जमा करने की अनुमति दें। समझौता अधिकारी से यह भी अनुरोध है कि वह धारा 52 के तहत सक्षम न्यायालय और/या धारा 53 के तहत जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत अधिकारी को सूचित करें।

दिनांक : _____ आवेदक का नाम और हस्ताक्षर : _____

स्थान : _____ प्रतिष्ठान का नाम : _____

प्रतिष्ठान का पता : _____

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

———

भाग–ख

प्रशमन–प्रमाण-पत्र

संदर्भ सूचना संख्या:_____ तारीख : _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि धारा 54 की उपधारा _____के अधीन वह अपराध जिसके सम्बंध में श्री _____ (आवेदक) _____(संस्थान का नाम और पंजीयन संख्या) के नियोक्ता को तारीख _____ को नोटिस संख्या _____जारी की गई थी, उक्त नोटिस के संतोषजनक अनुपालन में अपराधों के निपटारे के लिए रुपया _____(रुपया _____) की पूरी रकम जमा करने के कारण प्रशमित कर दिया गया है।

(हस्ताक्षर)

प्रशमनकर्ता अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख:_____

स्थान:_____

सेवा में,

_____ (नियाक्ता)

_____ स्थापन का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या

_____ पता

———

फॉर्म–XI

[नियम 50 के उपनियम (2) देखें]

मजदूरी संहिता की धारा 56 की उपधारा (1) के तहत अपराधों के समझौते हेतु समझौता अधिकारी द्वारा उल्लंघनकर्ता नियोक्ता को नोटिस

नोटिस

सेवा में,

..... (नियोक्ता का नाम)

मेसर्स .....

..... (पता)

कृपया आपके/आपकी कम्पनी/प्रतिष्ठान द्वारा मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का अधिनियम संख्या 29) के प्रावधानों के उल्लंघन में किए गए अपराध (अपराधों) के समझौते के सम्बंध में आपके दिनांक ..... के आवेदन का संदर्भ लें;

चूँकि आपने उक्त अपराध (अपराधों) के उपशमन के लिए अनुरोध किया है, इसलिए आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध मजदूरी संहिता, 2019 की धारा (धाराओं) ..... के उल्लंघन के लिए अपराध करने का आरोप लगाया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके आवेदन की जाँच की गई और यह पाया गया कि धारा (धाराओं) ..... के तहत उल्लंघन समझौते योग्य हैं, जबकि धारा (धाराओं) ..... के तहत अपराधों का समझौता मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत नीचे दिए गए कारणों से नहीं किया जा सकता है–

.....

.....

अपराधों के समझौते के लिए आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली समझौता राशि ..... रुपये है।

इस नोटिस के माध्यम से, आपको अपराध (अपराधों) के उपशमन के लिए इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपरोक्त उपशमन राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो आपको आगे कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और आपके विरुद्ध संहिता के प्रावधानों के अनुसार धारा (धाराओं) ..... के तहत अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे;

आपको एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उपरोक्त उपशमन राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो आप संहिता की धारा 56 की उपधारा (7) के प्रावधान के अनुसार इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

यह नोटिस आज दिनांक ..... माह ....., 20..... को मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी किया गया है।

उपशमन अधिकारी

मुहर

———

फॉर्म– XII

[नियम 40 का उपनियम (3) देखें]

नामांकन-प्रपत्र

सेवा में,

.....

.....

.....

(यहाँ प्रतिष्ठान का नाम अथवा विवरण पूर्ण पते सहित लिखें)

1- मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी ....., जिनका विवरण नीचे दिए गए विवरण–पत्र में अंकित है,

.....

.....

.....

.....

(यहाँ पूरा नाम लिखें)

एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत मेरी मृत्यु के पश्चात देय समस्त अवैतनिक बकाया राशि, जो मेरी मृत्यु से पूर्व देय नहीं हुई हो अथवा देय होने के बावजूद भुगतान न की गई हो, प्राप्त करने हेतु नामित करता/करती हूँ तथा निर्देश देता/देती हूँ कि उक्त अवैतनिक वेतन एवं अन्य राशियाँ नामित व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम के समक्ष उल्लिखित अनुपात में अदा की जाएँ।

2- मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तिगण,उत्तर प्रदेश वेतन संहिता नियमावली, 2026 के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (f) के अर्थों में मेरे परिवार के सदस्य हैं।

3- मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा कोई परिवार नहीं है।

4- (क) मेरे पिता/माता/अभिभावक मुझ पर आश्रित नहीं हैं।

(ख) मेरे पति के पिता/माता/अभिभावक मेरे पति पर आश्रित नहीं हैं।

(ग) मेरे आश्रित माता–पिता, जिनमें महिला कर्मचारी के मामले में मेरे ससुर/सास भी सम्मिलित हैं, की सभी स्रोतों से प्राप्त आय राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु निर्धारित आय सीमा से अधिक नहीं है।

(घ) मेरे पति के पिता/माता/अभिभावक मेरे पति पर आश्रित नहीं हैं।

5- इस प्रपत्र में किया गया नामांकन मेरे पूर्ववर्ती नामांकन को निरस्त करता है।

नामित व्यक्ति/व्यक्तिगण

(1) नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का पूरा नाम एवं पूर्ण पता .....

कर्मचारी से सम्बंध .....

नामित व्यक्ति की आयु .....

अवैतनिक राशि में प्राप्त होने वाला अनुपात .....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

विवरण–पत्र

1-कर्मचारी का पूरा नाम .....

2-लिंग .....

3-धर्म .....

4-अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर .....

5-नियोजन का विभाग/शाखा/अनुभाग .....

6-धारित पद, टिकट अथवा क्रम-संख्या सहित (यदि कोई हो) .....

7-नियुक्ति की तिथि .....

8-स्थायी पताः

ग्राम ..... थाना ..... उप–मंडल ..... डाकघर .....

जनपद .....

राज्य .....

स्थानः_____

दिनांकः_____

कर्मचारी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

साक्षियों द्वारा घोषणा

नामांकन मेरे समक्ष हस्ताक्षरित/अंगूठा–निशानित किया गया।

साक्षियों का पूरा नाम एवं पूर्ण पताः साक्षियों के हस्ताक्षर

1-

2-

स्थानः_____

दिनांकः_____

नियोजक द्वारा प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामांकन का विवरण सत्यापित कर इस प्रतिष्ठान में अभिलिखित कर लिया गया है।

यदि कोई हो, तो नियोजक संदर्भ संख्याः .....

नियोजक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं दिनांक

पदनाम

प्रतिष्ठान का नाम एवं पता अथवा उसकी मोहर

कर्मचारी द्वारा अभिस्वीकृति

मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र–XII में नामांकन की द्वितीय प्रति, जो नियोजक द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई है, प्राप्त हुई।

दिनांक एवं कर्मचारी के हस्ताक्षर

फॉर्म– XIII

[मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 50 की उपधारा (1) देखें]

उपस्थिति रजिस्टर–सह–हाजिरी सूची

1- स्थापन का नामः

2- नियोक्ता का नामः

3- स्वामी का नामः

4- स्थापना की रजिस्ट्रीकरण संख्या [श्रमिक पहचान संख्या (LIN) स्थापना की रजिस्ट्रीकरण संख्या]

क्रम-संख्या	कर्मचारी कोड	नाम	पद	पाली	कार्य स्थल / अनुभाग / विभाग का स्थान
1	2	3	4	5	6

उपस्थिति की तारीख और समय (7)																						
तारीख	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
समय	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना
हस्ताक्षर																						

तारीख	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
समय	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना
हस्ताक्षर																						

तारीख	23		24		25		26		27		28		29		30		31	
समय	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना
हस्ताक्षर																		

कुल कार्य दिन की संख्या	कुल ओवर टाइम घंटों की संख्या	यदि कार्य स्थल से बाहर कोई दौरा या कार्य सौंपा गया हो तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा	रजिस्टर धारक के हस्ताक्षर टिप्पणी*
8	9	10	11

* यदि रजिस्टर को भौतिक रूप से रखा जाता है तो यह अपेक्षित है ।

अनुसूची–क

[नियम 7 का उपनियम (3)]

श्रमिकों का कौशल के आधार पर श्रेणी में वर्गीकरण

क्रमांक	अकुशल
1	परिचारक
2	परिचारक
3	बजरी फैलाने वाला
4	कूटने वाली महिला
5	बेलदार/बेलदार (कैंटीन)
6	बेल महिला
7	बोट मैन
8	बोरी मैन
9	तोड़ना (दस्ती औजारों के इस्तमाल से)
10	पुल
11	बकेट मैन
12	कसाई
13	ग्वाला
14	रखवाल (पुल)
15	रखवाला (कॉपर, क्रोमाइट और ग्रेफाइट खानों के अलावा जहाँ यह अर्धकुशल है)
16	संवाहक
17	वाहक (पत्थर)
18	वाहक (जल)
19	कार्टमैन
20	चरवाहा
21	चेनकर्मी
22	चौकीदार
23	क्लीनर
24	क्लीनर (क्रेन, ट्रक, राख के गड्ढों के लिए सुलगता कोयला)
25	क्लीनर (मोटर हेड, ट्रैक्टर, पशु-अहाता, एम0टी0)
26	कोयला कर्मी
27	चारा इकट्ठा करना
28	कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला)
29	कंडेनसर
30	कंडेनसर परिचारक
31	रसोइया सहायक
32	कुली
33	दफादार
34	डेयरी कुली
35	डेयरी कामगार
36	खोदने वाला
37	विखण्डन भंडार
38	ड्रेसर/ड्रेसिंग मजदूर
39	चालक (खच्चर, बैल, ऊँट, गधा)
40	मृदा कटर
41	इलेक्ट्रिकल

क्रमांक	अकुशल
42	उत्खनन श्रमिक
43	फ्लैग मैन
44	फ्लैगमैन (ब्लास्ट ट्रेन)
45	गैंगमैन
46	गेट मैन
47	गेटिंग मैन (स्थायी मार्ग)
48	घास काटने वाला
49	गड़ेरिया
50	हैंडर मैन, जम्पर मैन
51	हेल्पर
52	छिद्र काटने वाला
53	जैली बनाने वाला
54	कमीन (महिला कामगार)
55	खलास
56	मशीनों पर काम न करने वाला खलासी
57	श्रमिक (बॉयलर, पशु–अहाता, खेती, सामान्य भार चढ़ाना–उतारना, बन्डिंग, कार्टिग–फर्टिलाइजर, हार्वेस्टिंग, विविध बीज–अंकुरण, बीज बोना, छाजन, प्रत्योरोपण, बागानो के खरपतवार की छँटाई)
58	लैम्पमैन
59	लोडर
60	लॉरी सहायक
61	लॉरी प्रशिक्षु
62	माली
63	मैरिन
64	मजदूर (बागबान, डेयरी में फूस के ढेर लगाना, सिंचाई, गोबर ढेर लगाना, दूध दोहने का कक्ष, राशन कक्ष स्टोर, मलेरिया-रोधी, एम0आर0)
65	संदेशवाहक (पुरुष/महिला)
66	संदेशवाहक (कार्यालय)
67	मोपलाह
68	मुच्छड़ जमादार
69	नंबर टेकर
70	परिचर अर्दली
71	ऑफिस बॉय
72	कार्यालय चपरासी/चपरासी (बॉक्साइट खानों के अलावा)
73	अधिभारित अपसारक
74	लादने और उतारने में नियोजित व्यक्ति
75	किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले अकुशल प्रकृति के स्वीपिंग और क्लीनिंग तथा अन्य वर्गो में नियोजित व्यक्ति।
76	पेट्रोलमैन
77	खदान कामदार
78	रॉलर सर्वेक्षण
79	सर्चर
80	शेयर
81	शन्टर्स

क्रमांक	अकुशल
82	सिग्नल मैन
83	सईस
84	स्टीम रोड
85	स्टोर मजदूर
86	स्टोर
87	स्ट्रेचर वाहक
88	स्ट्राइकर (मोपलाह गैंग)
89	स्ट्राइकर
90	सतही लोडर
91	सतही मुकर
92	सर्वेक्षण खलासी
93	स्वीपर
94	सईस
95	टॉल बॉय
96	टाइल
97	ट्रेमर
98	ट्रॉली रिट्रीवर्स (विमानपत्तन)
99	ट्रॉली मैन
100	ट्रॉली ट्राइपर
101	टर्नर
102	फूस बांधना और ले जाना
103	भूमिगत मुकर
104	उतारने वाला
105	वैक्स नियंत्रक
106	वाल्व कर्मी
107	अपशिष्ट उपसारक मजदूर
108	पहरेदार
109	वाटर कैरियर
110	पानी वाला
111	गट्ठर तौलना और ले जाना
112	तुलाईकार (गट्ठर, पल्ली)
113	लकड़हारा
114	लकड़हारा (स्त्री)
115	लकड़हारा

क्रमांक	अर्धकुशल
1	पशु परिचर
2	सहायक
3	सहायक (चौकीदार)
4	सहायक ड्रिलर
5	सहायक वायरमैन
6	सहायक–नलसाज
7	उपस्थिति रक्षक

क्रमांक	अर्धकुशल
8	परिचारक (बुल–काल्विंग लाइन्स, चौकीदार, चाफ कटर, होस्टल, शुष्क स्टॉक, अनाज भंजक, पम्प, सीकलाइन)
9	बेयरर
10	बेलचा वाला
11	भिस्ती
12	भिस्ती (मुश्क के साथ)
13	बोटमैन (मुखिया)
14	ब्रांडर
15	ब्रेकर (पत्थर, चट्टान, पहाड़ी पत्थर, पत्थर धातु)
16	ब्रेकर (मशीनी उपकरणों के इस्तमाल से)
17	ब्रेकर
18	ब्रेकमैन
19	बुलमैन
20	बटलर/रसोइया
21	बटरमैन
22	कैनवीवर
23	चेनमैन (मुखिया)
24	चार्जमैन
25	चारपाई बुनकर
26	चेकर
27	चौकीदार/वॉचमैन/नाईट गार्ड
28	क्लासमैन
29	कोचमैन
30	मोची
31	रसोइया
32	क्रैकर
33	शिशु–सदन आया/अप्रशिक्षित शिशु–सदन परिचारक
34	क्राउल्डरमैन
35	खेतिहर
36	सिलेंडर हैंडलर
37	दफ्तरी
38	डेंडी
39	डार्क रूम अटेंडेंट
40	डिलीवरी बॉय
41	डिलीवरी मैन
42	धोबी
43	डॉलीमैन
44	ड्रेसर
45	ड्रिलर
46	सुचालक (त्वचा)
47	इंजन ड्राइवर और/या फीडर
48	उत्खनक
49	फेरोमैन
50	फायरमैन

क्रमांक	अर्धकुशल
51	फायरमैन (ईट भट्टा, वाष्प, रोड रोलर)
52	फिटर
53	फिटर (सहायक अर्द्ध कुशल)
54	मशीन के साथ फर्श क्लीनर
55	फ्राश
56	गैंग
57	गेट कीपर
58	घरामी
59	ग्वाला
60	ग्रेटर
61	ग्रीजर–सह–फायरमैन
62	ग्राइंडर
63	आरी कामगार
64	हैमरमैन
65	परिचारक
66	हेल्पर (कारीगर)
67	हेल्पर (लोहार)
68	हेल्पर (लॉको–क्रेन/ट्रक)
69	हेल्पर (राजमिस्त्री/बढ़ई/लुहार)
70	हेल्पर (आराकस)
71	हाउसकीपिंग जैनिटर
72	जमादार
73	जमादार (स्टैंड)
74	कसाब
75	कीमैन
76	खलासी
77	खलासी (मुख्य पर्यवेक्षण कार्य, रिवटर्स–मोपलाह, गैंग, पर्यवक्षी)
78	खलासी (संरचनात्मक)
79	लैब अटेंडेंट
80	प्रयोगशाला सहायक
81	श्रमिक (पत्थर काटना)
82	लास्कर
83	लिफ्ट/एस्केलेटर ऑपरेटर
84	माली (मुखिया)
85	माली (वरिष्ठ)
86	मांझी (बोटमैन)
87	मसालची पी0एम0 मेट्स
88	मेट
89	मेट (लुहार/बढ़ई/सड़क)
90	मेट (पत्थर)
91	मैट/मिस्त्री
92	मजदूर (हेवी वेट)
93	मजदूर (शिक्षित)
94	मजदूर राजमिस्त्री

क्रमांक	अर्धकुशल
95	खनिक
96	मिस्त्री (मुखिया)
97	मुकाडम
98	मुक्काडेम (धात्विक बुलडोजर चालक खान विनियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाण-पत्र के बिना)
99	नलबंद
101	ऑयलमैन
102	ऑयलमैन/ऑयलर
103	स्थायी मार्ग कार्यकर्ता
104	हलवाला
105	पॉइंट्समैन सेनकम्मी
106	पम्प परिचारक
107	पम्प चालक/टर्नर
108	खदान कर्मी
109	खदान परिचारक
110	रनर (पोस्ट डाक)
111	वरिष्ठ वार्ड अर्दली
112	अस्तबल, अहाता स्टॉक
113	स्टोकर
114	स्टोकर्स और बॉयलरमैन
115	पत्थर खान तथा अर्द्धकुशल प्रकृति की किसी भी नाम से पुकारे जाने वाली श्रेणियाँ श्रमिक
116	स्टोनमैन
117	पर्यवेक्षक
118	छप्पर
119	थूमबामैन (फावड़ा कामगार)
120	टिंडेल
121	टोपाज
122	टोपकार (बड़ा पत्थर भंजक)
123	ट्रॉली जमादार
124	ट्रॉलीमैन (हैड मोटर)
125	अप्रशिक्षित मेंट/खनन मेंट/धात्विक बुलडोजर चालक खान विनियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाण-पत्र के बिना मेंट
126	वाल्वमैन
127	वाल्वमैन (वरिष्ठ)
128	वीटेकर्स
129	वेटर
130	विंचमैन
131	टिन केबले लगाने वाला वायरमैन

क्रमांक	कुशल
1	ए0सी0 ऑपरेटर
2	लेखालिपिक
3	एयर कंप्रेसर परिचर
4	एयर कंडीशनर मैकेनिक
5	एयर विनेह होलेज परिचालक
6	आर्मेचर वाइंडर (श्रेणी–दो और तीन)
7	शिल्पकार (श्रेणी–2, 3, 4)
8	सहायक (कैशियर)
9	सहायक (फार्म)
10	सहायक मिस्त्री
11	सहायक (रेडियो)
12	ऑटो इलेक्ट्रीशियन
13	बी0आई0एम0 मुकद्दम (प्रमुख)
14	बी0आई0एम0 मार्ग
15	बैटरी कार ऑपरेटर (विमानपत्तन)
16	भंडारी
17	लोहार
18	लोहार (श्रेणी–दो)
19	लोहार (चयनग्रेड, ग्रेड–दो, ग्रेड–तीन, श्रेणी–दो और तीन)
20	ब्लास्टर
21	ब्लास्टर–शॉट / फायरर
22	बॉयलर फोरमैन (ग्रेड–दो)
23	बॉयलरमैन (प्रमाण-पत्र सहित)
24	बॉयलरमैन
25	बॉयलरमैन (ग्रेड–दो और तीन)
26	बुक कीपर
27	बोरमैन
28	बोरर
29	ब्रिक लेयर
30	ब्रिक लेयर (चयन ग्रेड, श्रेणी–दो)
31	कैबिनेट बनाने वाला
32	केन मैन
33	बढ़ई
34	बढ़ई (श्रेणी–दो) बढ़ई–सह–लोहार
35	बढ़ई (चयन ग्रेड, ग्रेड–दो और तीन, श्रेणी–एक और तीन सहायक)
36	सेलोटेक्स
37	चार्जमैन
38	चेकदर (कनिष्ठ)
39	केमिस्ट और सहायक केमिस्ट
40	चिक निर्माता
41	चिकमैन (कनिष्ठ) क्रांकिट मिक्स जयोर मिक्सचर
42	चिपर
43	चिपर–सह–ग्राइंडर
47	चौकीदार

क्रमांक	कुशल
48	चौकीदार (मुख्य)
49	लिपिक/फाइल लिपिक
50	लिपिक
51	मोची
52	कम्प्रेसर परिचर
53	कम्प्रेसर ड्रिलर
54	कम्प्रेसर चालक
55	कम्प्रेसर प्रचालक
56	कम्प्यूटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर
57	क्रॉकीट मिक्सचर प्रचालक
58	रसोइया (मुखिया)
59	कोरमेकर
60	क्रेच परिचर (केवल मैग्नोसाइट, मैग्नीज और मीका माइंस में)
62	क्रशर प्रचालक
63	कटर
64	कटरमेकर चार्गमैन (द्वितीय श्रेणी और श्रेणी तीन, बढ़ई साधारण)
65	डेटा प्रविष्टि पर्यवेक्षक
66	डी0जी0 ऑपरेटर
67	डीजल इंजन
68	डीजल इंजन (ग्रेड–दो)
69	डीजल (ग्रेड–दो)
70	टर्नर
71	आहारविद
72	औषधालय परिचारक
73	डिस्टेम्परर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन (ग्रेड–दो श्रेणी–दो और श्रेणी–तीन)
74	डोजर संचालक
75	ड्राफ्टमैन
76	ड्रेसर (ग्रेड–वन) अभ्रक
77	ड्रिल मैकेनिक
78	ड्रिलर
79	ड्रिलर (कुआं खोदना)
80	चालक इंजन स्टैटिक स्टोन क्रशर, ट्रैक्टर बुलडोजर/स्टीम रोड रोलर, वाटर पंप, मैकेनिकल सहायक, रोड रोलर, मैकेनिकल, स्टीम क्रेन, बुलडोजर मैकेनिकल, सहित ट्रैक्टर, परिवहन, इंजन स्टैटिक और रोड रोलर बॉयलर परिचर
81	चालक (इंजन ट्रैक्टर, एम0टी0 मोटर)
82	चालक/ रोकड़ वाहन चालक
83	ड्राइवर ऑटो
84	चालक मोटर वाहन
85	चालक (लोको/ट्रक)
86	ब्वायलर सहित ड्राइविंग पेंटुम्स
87	डंपर ट्रैक्टर ऑपरेटर सहित
88	ई0सी0जी0 तकनीशियन
89	इलेक्ट्रीशियन
90	इलेक्ट्रीशियन (सहायक)

क्रमांक	कुशल
91	इंजन चालक
92	इंजन परिचालक (स्टोन क्रशर मैकेनिकल)
93	इंजनमैन
94	कार्यकारी हाउसकीपर (रेलवे कोच)
95	फेरो प्रिंटर सह–अध्यक्ष
96	फेरी चालक
97	खानों में केवल फायरमैन
98	फिटर
99	फिटर (चयन ग्रेड, ग्रेड–दो और तीन, श्रेणी–दो और तीन) सहायक, पाइप (श्रेणी–दो), पाइपलाइन बंद करने वाले लड्डे
100	फोरमैन
101	भूविज्ञानी
102	घरामी (प्रमुख)
103	ग्लेज़ियर (शीशा जड़ने वाला)
104	हैंडहोल्ड ड्रिलर
105	हालेज प्रचालक
106	मुख्य रसोइया
107	हेडवेटर
108	लहरा संचालक
109	ब्लास्टिंग के लिए होल्ड ड्रिलर
110	हाउसकीपिंग मशीन ऑपरेटर
111	आई0एम0सी0ई0 चालक
112	जारीकर्ता लोको
113	ज्वॉइनर
114	ज्वॉइनर (केबल, केबल ग्रेड–दो)
115	प्रयोगशाला टेक्नीशियन
116	पुस्तकालय अध्यक्ष
117	लिम्को लोडर प्रचालक
118	लाइनमैन
119	लाइनमैन (ग्रेड–दो, तीन, उच्च तनाव/ निम्न तनाव)
120	लोडर प्रचालक
121	लोको ड्राइवर
122	लॉरी (ग्रेड–दो)
123	एम0सी0 लिपिक
124	मशीन हैंड (श्रेणी– 2, 3, 4)
125	मशीनरमैन
126	मशीनरी परिचर
127	पत्रिका लिपिक
128	राजमिस्त्री (घरामी)
129	राजमिस्त्री
130	राजमिस्त्री (चयन ग्रेड, ग्रेड–दो और तीन और कक्षा–बी मिस्त्री)
131	राजमिस्त्री (श्रेणी–क)
132	राजमिस्त्री (श्रेणी–दो)
133	मेट (ग्रेड–वन) (वरिष्ठ)

क्रमांक	कुशल
134	मैकेनिक
135	मैकेनिक ग्रेड दो एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग ग्रेड दो
136	मैकेनिक (ट्यूबवेल)
137	मैकेनिक / मशीनिस्ट
138	मैकेनिकल रोड रोलर आई0सी0 और सीमेंट मिक्सर आदि
139	चिकित्सा सामाजिक कामगार
140	मीटर रीडर
141	मौसम अवलोकनकर्ता नवघानी
142	अभ्रक कटर (ग्रेड–वन)
143	प्रसाविका
144	मिल्क राइटर
145	खान ग्रेड–वन
146	खनन इंजन चालक ग्रेड–दो
147	धात्विक खान विनियम, 1961 के तहत योग्यता प्रमाण-पत्र के साथ खनन मेट
148	मिस्त्री
149	मिस्त्री (मुखिया)
150	मिस्त्री (ग्रेड–दो), एयर कंडीशनिंग (ग्रेड–दो) (पी०वे०,सर्वे , संतरा कार्य)
151	मिस्त्री (स्टील, ट्यूबवेल, टेलीफोन)
152	मोटर लॉरी
153	मोटर वाहन (चयन ग्रेड)
154	मोटर लॉरी (ग्रेड–दो)
155	माउल्डर
156	माउल्डर (ईंट, टाइल)
157	मुकद्दम (धात्विक खान विनियमन, 1961 के तहत क्षमता प्रमाण-पत्र)
158	मुंशी
159	मुंशी (मैट्रिकुलेट, गैर मैट्रिकुलेट)
160	मस्टर राइटर
161	नर्सिंग सिस्टर
162	प्रचालक (बैचिंग संयंत्र, सिनेमा परियोजना, क्लैम सेल्फ, कंप्रेसर, ग्रेन, डोरिक, डीजल इंजन, डोजर, ड्रगलिंग ड्रिल डंबर, उत्खनक, फार्कलिफ्ट जेनरेटर, ग्रेडर, जैक हैमर और पाइमेंट ब्रेकर लोडर, पंप, पाइल ड्राइविंग, स्क्रेपर, स्क्रीनिंग संयंत्र, शोवल, ट्रैक्टर, वाइब्रेटर, वेट बेचर, रेलवे गार्ड, मरम्मत (बैटरी)
163	ऑपरेटर
164	प्रचालक (ट्यूबवेल)
165	ऑपरेटर न्यूनेट्रिक उपकरण, ऑपरेटर (फिटर)
166	साधारण मैकेनिक
167	पेंटर
168	पेंटर (चयन ग्रेड, ग्रेड–दो और तीन, श्रेणी–दो, सहायक लोटर और पालिशगर, पालिशगर, रफ)
169	पेंटर स्प्रे (श्रेणी–दो)
170	एयरलाइन्स काउंटर पर काम करने वाले व्यक्ति (विमानपत्तन)
171	किट नियंत्रण
172	फार्मासिस्ट
173	फिजियोथेरेपिस्ट / थेरेपिस्ट
174	पाइप फिटर
175	लेपक

क्रमांक	कुशल
176	लपक राज मिस्त्री (ग्रेड–दो)
177	नलसाज
178	प्लंबर (चयन ग्रेड, श्रेणी–दो, सहायक लोटर और पॉलिशर, रफ)
179	प्लंबर (चयन ग्रेड, श्रेणी–दो, सहायक वरिष्ठ, जूनियर, मिस्त्री ग्रेड–दो)
180	प्लंबर–सह–फिटर
181	पाइप लाइन मिस्त्री
182	पॉलिशर
183	पॉलिशर (तल)
184	पॉलिशर (स्प्रे के साथ) (ग्रेड–दो)
185	पावर और पंप हाउस प्रचालक
186	फावड़ा ऑपरेटर
187	केवल जिप्सम, बेराइट्स और रॉक फॉस्फेट में पंप परिचर
188	पंप चालक
189	पंप चालक (चयन ग्रेड) (ग्रेड दो और तीन) (श्रेणी–दो)
190	पंपमैन चालक, अभ्रक खानों में ग्राइंडर
191	पंप ऑपरेटर/चालक
192	पंपमैन (सहायक)
193	पंप चालक (चयन ग्रेड, पी0ई0, चालक)
194	रेडियोग्राफर
195	रतन मैन
196	रिकॉर्ड धारक
197	रजिस्टर कीपर
198	सुदृढ़ीकरण–सह–मकैनिक, मकैनिक और प्लंबर
199	रिबेट कटर (सहायक)
200	रिबिटर
201	रिविटर (कटर)
202	सड़क निरीक्षक (ग्रेड–दो), रेलवे प्लेटलेयर
203	रोड रोलर ड्राइवर
204	रोड रोलर (ग्रेड–दो)
205	रोड बेंडर
206	आराकस
207	आराकस (चयन ग्रेड श्रेणी–दो) सेरंग
208	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र)
209	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र) और अन्य वर्ग जो भी नाम से कुशल प्रकृति के हैं
210	वरिष्ठ मकेनिक
211	सेरंग पाइल
212	शेप्समैन
213	शार्पर/स्लोटर
214	पाली प्रभारी
215	फावरा प्रचालक
216	सिरधर लेथ मैन
217	कुशल मजदूर
218	स्प्रेअर (असॉल्ट) स्टेशन मास्टर
219	स्पेयरमैन

क्रमांक	कुशल
220	स्प्रेयरमैन (सड़क)
221	स्टाफ नर्स (श्रेणी–ख)
222	स्टेशनरी इंजन परिचर जेनरेटर ऑपरेटर, लोडिंग फोरमैन
223	स्टोन (स्टोन क्लास–दो, ईंट वर्क, स्टोन वर्क)
224	स्टोन ब्लास्टरर
225	स्टोन चिसलर
226	स्टोन चिसलर (श्रेणी–दो)
227	स्टोन क्रेशर प्रचालक
228	पत्थर काटने वाला
229	पत्थर काटने वाला (चयन ग्रेड) (ग्रेड–दो श्रेणी–दो)
230	स्टोर परिचर
231	स्टोर लिपिक
232	स्टोर लिपिक (मैट्रिकुलेट, गैर मैट्रिकुलेट)
233	स्टोर जारीकर्ता
234	स्टोर कीपर
235	स्टोर कीपर ग्रेड–एक, ग्रेड–दो मैट्रिकुलेट
236	उप–पर्यवेक्षक (निर्रहक)
237	सुपरफोरमैन
238	पर्यवेक्षक
239	पर्यवेक्षी फायरमैन
240	सुपरवाइजरी मकेनिक
241	भूतल पर्यवेक्षक
242	पर्यवेक्षक सिल्ट
243	पर्यवेक्षक
244	पर्यवेक्षक (सहायक)
245	दर्जी
246	दर्जी (तोशक)
247	टेली लिपिक
248	टारमैन
249	तकनीकी सहायक / वैज्ञानिक सहायक
250	टेलीफोन ऑपरेटर, टाइपिस्ट
251	टेलेक्स या टेलीफोन ऑपरेटर
252	टेलर लिपिक
253	टिकट वेंडर (मेट्रो)
254	टाइल बिछाना
255	टाइलर (चयन ग्रेड)
256	टाइलर (श्रेणी–दो)
257	टिंबरमैन / टिंबर मिस्त्री विद्युत
258	टाइमकीपर
259	टाइमकीपर (मैट्रिकुलेट, नॉन मैट्रिकुलेट)
260	टिन स्मिथ (चयन ग्रेड, ग्रेड–दो और तीन, श्रेणी–दो)
261	टिन स्मिथ
262	औजारधारक
264	ट्रैक्टर चालक

क्रमांक	कुशल
265	ट्रैक्टर ऑपरेटर, टब रिपेयरर, खराद मिस्त्री
266	ट्रेड्स मैन
267	ट्रेलर्स
268	ट्रेन जांचकर्ता
269	ट्रांस प्रेयर
271	टर्नर/मिलर
272	टाइपिस्ट और अन्य श्रेणी जो भी नाम से पुकारना हैं जो लिपिक प्रकृति के हैं
273	टायर वल्केनाइजर
274	पोशिश साज
275	अपोलोस्टर (ग्रेड–दो और तीन)
276	वॉल्वमैन
277	वाहन चालक
278	दीवार (फर्श, छत)
279	वेल्डर
280	वेल्डर (श्रेणी–दो, ब्रिजकार्य)
281	वेल्डर गैस
282	वेल सिंकर
283	व्हाइट वॉशर
284	व्हाइट वॉशर (चयन ग्रेड, द्वितीय श्रेणी)
285	व्हाइट वॉशिंग और कलर वाशिंग मैन
286	विंडिंग इंजन चालक ग्रेड–दो
287	वायरलेस संचालक सहायक फोरमैन
289	वायरमैन
290	लकड़हारा
291	लकड़हारा श्रेणी–दो
292	लकड़हारा (चयनग्रेड)
293	कार्य (सहायक)
294	कार्यमिस्त्री
295	कार्य मुंशी
296	कार्य मुंशी (अधीनस्थ)
297	वर्कशकर

क्रमांक	अति-कुशल
1	लेखाकार
2	एयर कंडीशनिंग ग्रेड–एक/श्रेणी एक, मिस्त्री ग्रेड–एक
3	आर्मेचर विंडर ग्रेड–एक
4	आर्टिफिशियल श्रेणी–एक
5	लोहार श्रेणी–एक
6	लोहार ग्रेड–एक और श्रेणी–एक
7	बॉयलरमैन फोरमैन ग्रेड–एक
8	बॉयलरमैन ग्रेड– एक
9	ईंट परत श्रेणी–एक
10	केबल जॉइनर ग्रेड–एक
11	बढ़ई ग्रेड–एक और श्रेणी–एक

क्रमांक	अति-कुशल
12	सेलो कटर और डेकोरेटर
13	चार्जमैन श्रेणी–एक
14	चापर सीटर ग्रेड–एक
15	चेकर (सीनियर) ड्राइवर लॉरी ग्रेड–एक
16	क्लैम्प शैल ग्रेड–वन
17	कम्पाउंडर
18	कंप्रेसर ग्रेड–वन
19	क्रेन ग्रेड–वन
20	डीजल इंजन ग्रेड–वन
21	डोजर ग्रेड–वन
22	ड्रैग लाइन (ग्रेड–एक)
23	ड्रिल ग्रेड–एक
24	जैक हैमर के अतिरिक्त ड्रिल ऑपरेटर
25	डंपर ग्रेड–एक
26	योग्यता प्रमाण-पत्र सहित विद्युत पर्यवेक्षक
27	खुदाई ग्रेड–एक
28	फिटर (ग्रेड–एक, श्रेणी–एक)
29	फोरमैन (सहायक) लाइनमैन ग्रेड–एक राजमिस्त्री (कुशल ग्रेड–एक श्रेणी–एक)
30	कांटा लिफ्ट ग्रेड–एक
31	जेनरेटर ग्रेड–एक
32	ग्रेडर ग्रेड–वन
33	चक्की (उपकरण) ग्रेड–एक
34	हस्त श्रेणी– एक
35	मुख्य इलेक्ट्रीशियन
36	मुख्य मकैनिक
37	वॉच और वार्ड के प्रभारी
38	लीडर ग्रेड–एक
39	मशीन
40	मशीन टूल मकेनिक
41	राजमिस्त्री श्रेणी–एक
42	मकेनिक (डीजल ग्रेड–एक और रोड रोलर ग्रेड–एक)
43	मकैनिक (वरिष्ठ)
44	मकेनिक श्रेणी–एक और श्रेणी–दो
45	मकेनिकल/ प्लांट फोरमैन
46	खनन पर्यवेक्षक
47	मिस्त्री एयर कंडीशनिंग ग्रेड–एक
48	मिस्त्री ग्रेड–एक
49	मोटर लॉरी ग्रेड–एक
50	मोटर व्हीकल श्रेणी–एक और डीजल इंजन ग्रेड–एक
51	प्रचालक (बैचिंग प्लांट) ग्रेड–एक
52	ऑपरेटर (भारी मिट्टी उठाने वाली बेलचा और बुलडोजर)
53	ओवरसीयर (सीनियर और जूनियर)
54	पेंटर (ग्रेड–एक श्रेणी–एक स्प्रे) प्लास्टर (राजमिस्त्री) श्रेणी–एक
55	पाइल ड्राइविंग ग्रेड–एक

क्रमांक	अति-कुशल
56	पाइप श्रेणी (श्रेणी–एक) (मुख्य)
57	प्लम्बर (मुख्य) (श्रेणी–एक)
58	पालिशगर (स्प्रे ग्रेड–एक)
59	पम्प क्लास इलेक्ट्रीशियन ग्रेड–एक और श्रेणी–एक/ग्रेड एक
60	पम्प ग्रेड
61	पम्प ग्रेड–एक
62	योग्य और अनुभवी वेल्डर
63	रिगर ग्रेड–एक
64	रिगर ग्रेड–दो
65	रोड इंस्पेक्टर (ग्रेड–एक)
66	रोड रोलर ग्रेड–एक
67	लकड़हारा श्रेणी–एक
68	स्क्रेपर ग्रेड–एक
69	स्क्रीनिंग प्लांट ग्रेड–एक
70	सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र)
71	सिक्योरिटी गार्ड (सशस्त्र) और अन्य श्रेणियों को जो भी नाम से बुलाया जाता है जो अत्यधिक कुशल प्रकृति के हैं
72	शिफ्ट प्रभारी
73	फावड़ा और ड्रैगलाइन
74	फावड़ा और ड्रैग लाइन ट्रैक्टर ग्रेड–एक
75	बेलचा ग्रेड–वन
76	स्टाफ नर्स श्रेणी–क
77	सात वर्ष की सेवा वाले स्टेनो
78	स्टोन चिस्लर श्रेणी–एक
79	स्टोनकटर ग्रेड–एक
80	स्टोन मेशन श्रेणी–एक
81	स्टोर प्रभारी
82	उप ओवरसीयर (कुशल)
83	पर्यवेक्षक
84	सर्वेयर
85	टीलर श्रेणी–एक
86	टीन स्मिथ ग्रेड–एक और श्रेणी–एक
87	ट्रैक्टर ग्रेड–वन
88	ट्रेडसमैन क्लास–एक
89	टर्नर मिलर ग्रेड–एक
90	टायर वेलकुलर ग्रेड–वन
91	अंडरग्राउंड शिफ्ट बॉस
92	गद्दी लगाने वाला ग्रेड–एक
93	वार्निश करने वाला श्रेणी–एक
94	वाइब्रेटर ग्रेड–वन
95	व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षक/शिक्षक
96	वेल्डर (गैस) श्रेणी–एक
97	वेल्डर–कम–फिटर और एयर कंडीशनिंग मकैनिक
98	व्हाइट वॉशर श्रेणी–एक
99	विंडिंग इंजन चालक
100	वायरमैन ग्रेड–एक श्रेणी–एक
101	लकड़हारा श्रेणी–एक
102	कार्य (सहायक) ग्रेड–एक
103	मस्त रिग
104	हाउसकीपिंग पर्यवेक्षक
105	कैश/ए0टी0एम0 कस्टोडियन
106	कैश वैन सशक्त सुरक्षा गार्ड

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1377/XXXVI-03-2026-1901341, dated August 12, 2026:

No. 1377/XXXVI-03-2026-1901341

Dated Lucknow, August 12, 2026

WHEREAS the draft of the Uttar Pradesh Code on Wages Rules, 2026 was published as required under sub-section (1) of Section 67 of the Code on Wages, 2019 (Act no. 29 of 2019) in the Official *Gazette vide* notification no. 426/36-03-2026-1901341, dated 10th of March, 2026 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date on which the *Gazette* containing the said notification was made available to the public;

AND WHEREAS, the aforesaid notification was made available to the public on the 10th of March, 2026;

AND WHEREAS, suggestions and objections received from persons and stakeholders have been duly considered by the State Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 67 of the Code on Wages, 2019 (Act no. 29 of 2019) *read* with Section 24 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of the,-

(a) Uttar Pradesh Payment of Wages Rules, 1936;

(b) Uttar Pradesh Minimum Wages Rules, 1952;

(c) Uttar Pradesh Code on Wages Rules, 2021

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor is pleased to make the following rules, namely:-

THE UTTAR PRADESH CODE ON WAGES RULES, 2026

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Code on Wages Rules, 2026.

(2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official *Gazette*.

Definitions

2.(1) In these rules, unless the subject or context otherwise requires, —

(a) "Authority" means the authority appointed by the State Government under sub-section (1) of Section 19 and sub-section (1) of Section 45;

(b) "Appellate authority" means the appellate authority appointed by the State Government under sub-section (1) of Section 49;

(c) "Appeal" means an appeal preferred under sub-section (1) of Section 49;

(d) "Board" means the State Advisory Board constituted by the State Government under sub-section (4) of Section 42;

(e) "Chairperson" means the Chairperson of the Board;

(f) "Code" means the Code on Wages, 2019 (Act no. 29 of 2019);

(g) "Committee" means a committee appointed by the State Government under clause (a) of sub-section (1) of Section 8;

(h) "Day" means a period of 24 hours beginning at mid-night;

(i) "Electronically" means any information submitted by e-mail or maintained or displayed on the designated portal or mobile application or website or digital payment in any mode for the purposes of the Code;

(j) "Form" means a form appended to these rules;

(k) "Geographical area" means the areas notified as such by the State Government from time to time;

(l) "Highly skilled occupation" means an occupation which calls in its performance a specific level of perfection and required competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires of an employee to assume full responsibility for his judgment or decision involved in the execution of such occupation;

(m) "Inspector-*cum*-Facilitator" means a person appointed by the State Government, by notification under sub-section (1) of Section 51;

(n) "Member" means a member of the Board and includes its Chairperson;

(o) "Normal rate of wage" means wage as defined under Clause (y) of Section 2;

(p) "Officer" means an officer appointed by the State Government under sub-section (1) of Section 53;

(q) "Registered trade union" means a trade union registered under Industrial Relations Code, 2020 (Act no. 35 of 2020);

(r) "Section" means a Section of the Code;

(s) "Semi-skilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;

(t) "Skilled occupation" means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiating and judgment;

(u) "Unskilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no further skills.

(2) Words and expressions used herein in these rules and not defined but defined in the Code shall have the meanings respectively assigned to them under the Code.

CHAPTER-II

MINIMUM WAGES

Manner of calculating the rate of wages per hour and per month under sub-section (5) of Section 6

3.(1) For the purposes of sub-section (5) of Section 6, the minimum rate of wages shall be fixed by the day basis keeping in the view the criteria which shall be separately specified by the State Government by the special or general order:

Provided that the State Government shall not fix the minimum wages of the State Government employees under this Code.

(2) When the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored.

(3) In case there is less than six days working week, the hourly rate of minimum wages so calculated shall be used to derive the minimum wages for the day.

Criteria for fixing the minimum rate of wages under clause (c) sub-section (6) of Section 6

4. For the purposes of sub-section (6) of Section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria, namely:-

(a) the standard working-class family which includes a spouse and two children apart from the earning employee; an equivalent of three adult consumption units;

(b) a net intake of 2700 calories per day per consumption unit;

(c) 66 meters cloth per year per standard working class family;

(d) housing rent expenditure to constitute 10 percent of food and clothing expenditure;

(e) fuel, electricity and other miscellaneous items of expenditure to constitute 20 percent of minimum wage;

(f) expenditure for children education, medical requirement, recreation and expenditure on contingencies to constitute 25 percent of minimum wage.

Norms of fixation of minimum rate of wages and the arduousness of work to be considered under sub-section (6) of Section 6

5.(1) While fixing the minimum rates of wages under section 6, the State Government shall take into account the followings:–

(i) geographical area;

(ii) experience in the area of employment; and

(iii) level of skill required for working under the categories of unskilled, semi skilled, skilled and highly skilled:

Provided that the State Government shall not fix minimum wages and allowances of State Government employees under this Code.

(2) The State Government shall constitute a technical committee for the purpose of advising the State Government in respect of skill categorization of occupation, arduousness of work, hazardous occupations or processes and underground work and like other categorization, which shall consist of the following members, namely:-

(a) Labour Commissioner, Uttar Pradesh - Chairperson;

(b) Director, Employment – Member;

(c) Mission Director, Uttar Pradesh Skill Development Mission or his representative - Member;

(d) Commissioner and Director, Industries, Uttar Pradesh or his representative- Member;

(e) Director of Factories – Member;

(f) Additional/Deputy Labour Commissioner, UP (Enforcement)- Member;

(g) Additional/Deputy Labour Commissioner, UP (Industrial Relations)– Member - Secretary;

(h) Two technical experts in wage determination as nominated by the State Government - Members;

(i) Two representatives each of employers and employees who are experts in the area of skill development - Members;

(3) The State Government may, on the advice of the technical committee referred to in sub-rule (2), by notification amend the Schedule-A in respect of categorization of occupations into unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, inserting or omitting, any entry in respect of occupations specified in the said Schedule.

(4) The technical committee referred in sub-rule (2) while advising the State Government, shall take into account, to the possible extent, the national classification of occupation or national skills qualification framework or other similar frame work for the time being formulated by Central Government to identify occupations.

Interval for revision of variable dearness allowance under clause (a) of sub-section (1) of Section 7

6. The cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities at concession rate shall be computed once before 1st April and then before 1st October in every year to revise the variable dearness allowance payable to the employees on the minimum wages considering the Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers published by the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Government of India.

Constitution of Committees to fix and revise minimum wages for the purpose of Section 8

7. (1) The State Government shall constitute one or more committees for the purpose to fix minimum wages for the first time in any category or to revise minimum wages or to enquire about skill categorization to advise the State Government, which shall consist of the following members, namely:-

(i)	Labour Commissioner, Uttar Pradesh	Chairperson
(ii)	Additional Labour Commissioner as nominated by Labour Commissioner, Uttar Pradesh	Member
(iii)	A representative from the Department of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of Uttar Pradesh	Member
(iv)	Director of Employment, Government of Uttar Pradesh	Member
(v)	Two technical experts in wage determination as nominated by the Labour Commissioner, Uttar Pradesh	Member
(vi)	Three persons representing employers as nominated by Labour Commissioner, Uttar Pradesh	Member
(vii)	Three persons representing employees as nominated by Labour Commissioner, Uttar Pradesh	Member
(viii)	One Deputy/Assistant Labour Commissioner nominated by Labour Commissioner	Member-Secretary

(2) The committee referred in sub-rule (1) shall, while advising the State Government, take into account, to the possible extent, the State classification of occupation or State skills qualification framework or other similar framework for the time being formulated to identify occupations.

(3) The State Government on the advice of the Committee constituted under sub-rule (1) shall categorize the occupations of the employees in four categories *i.e.* unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, deleting or adding an entry in the categorization of such of operation specified in Schedule-A of these rules.

(4) The State Government may for the purposes specified under clause (a) of sub-section (1) of Section 8, constitute such number of Committees, as it considers necessary.

Circumstances under clause (ii) of the proviso to Section 10

8. An employee shall not be entitled to receive wages for a full normal working day under section 10, in case the employee has agreed to work on part time basis as per the terms of the employment or not entitled to receive such wage under any other labour law for the time being in force.

Number of hours of work which shall constitute a normal working day for the purpose of sub-section (1) of Section 13

9.(1) The number of hours of work which shall constitute a normal working day, for an employee whose wage period is on a daily basis shall be eight hours and interval for rest shall be in accordance with notification issued in this regard under Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020).

(2) The number of hours of work which shall constitute a normal working day for an employee whose wage period is other than on a daily basis shall be so fixed that the total number of weekly working hours shall not exceed forty-eight hours.

Determination of weekly rest day for the purpose of sub-section (1) of Section 13 and payment to be made in relation to the work done on the rest day

10.(1) Subject to the provisions of this Rule, an employee shall be allowed rest for one day or more than one day as the case may be, every week (hereinafter referred to as "the rest days") which in case of six day week shall ordinarily be Sunday and in case less of than six day week shall include Saturday and Sunday, however, the employer may fix any other days of the week as the rest days for any employee or class of employees:

Provided that in a six day working week or less than six days working week, as the case may be, the remaining days of the week shall be paid rest days for such employees:

Provided further that an employee shall be entitled for the rest days under this sub-rule if he has worked under the same employer in case of six day week for a continuous period of not less than six-days and in case of less than six day working week for a continuous period of the stipulated number of working days as the case may be:

Provided also that the employee shall be informed of the days fixed as the rest days and of any subsequent change in the rest days before the change is effected, by display of a notice to that effect at a conspicuous place in the place of employment or electronically.

Explanation:- For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days or the stipulated number of working days in a week specified in the second proviso to this sub-rule,–

(a) any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work;

(b) any day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Relations Code, 2020 (Act no. 35 of 2020); and

(c) any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee in the period of six days or during the stipulated number of working days of a week as the case may be, immediately preceding the rest days, shall be deemed to be days on which the employee has worked.

(2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or shall have a substituted rest day for a whole day on one of the working days in a week immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(3) Where in accordance with the sub-rules (1) and (2), any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the working days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee shall be granted, for rest day, wages calculated at the rate applicable to the previous working day; and where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the previous working day:

Provided that in case of six day week where-

(a) the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty- six; or

(b) the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee, then, no wages for the rest day shall be payable; and

(c) the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate, which shall not be less than twice the normal rate of wages,

and, if any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, the Labour Commissioner, Uttar Pradesh or the Additional/Deputy Chief Labour Commissioner having territorial jurisdiction may, on application made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations:

Provided further that in case of an employee governed by a piece-rate system, he shall be paid wages for the rest day on which he works, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the previous working day.

***Explanation*:-** For the purposes of this sub-rule the words "previous working day" means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the previous working day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favourable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favourable terms aforesaid.

***Explanation*:-** For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of seven days beginning at midnight on Saturday night.

Determination of night shift under sub-section (1) of Section 13

11. Where an employee in an employment works on a shift which extends beyond midnight, then:-

(a) a rest day for the whole day for the purposes of rule 10 shall, in this case means a period of twenty-four consecutive hours beginning from the time when his shift ends; and

(b) the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.

The extent and conditions under sub-section (2) of Section 13

12. The number of working hours for certain categories of employees under sub-section (2) of Section 13 may exceed the normal working hours specified in Rule 9:

Provided that the overtime of these categories of implied shall be as per Section 14.

Longer wage period under Section 14

13. For the purpose of wages, the wage period shall not be more than a month.

CHAPTER-III
PAYMENT OF WAGES

Manner of recovery of deductions made under sub-section (4) of Section 18

14. As per sub-section (4) of Section 18, where the total deductions authorised under sub-section (2) of Section 18 exceed fifty percent of the wages of an employee, the access shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period. In instalments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty percent of the wages of the employee in that month.

The Authority under sub-section (1) of Section 19

15. The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction over the place of work of the employee concerned shall be the authority for the purposes of sub-section (1) of Section 19.

The manner of exhibiting the notice under sub-section (2) of Section 19

16. A notice referred to in sub-section (2) of Section 19 shall be displayed in physical form or electronically in Hindi and English at the conspicuous places in the premises of the workplace in which the employment is carried on, so that every concerned employee would be able easily to read the contents of the notice and a copy of the notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator and regional Additional/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction, speed post or electronically within forty-eight hours.

The procedure under sub-section (3) of Section 19 to impose fine and format of register to be maintained under sub-section (8) and manner to expense the amount of fine

17.(1) Every employer requiring the approval to impose fines in respect of any act or omission on the part of the employed person shall send to the regional Additional/ Deputy Labour Commissioner and having jurisdiction:–

(a) a list, in duplicate, clearly defining such acts and omissions;

(b) in cases where the employer himself does not intend to be the sole person empowered to impose fines, a list in duplicate, showing those appointments in the establishment of which the incumbents may pass orders imposing fines and the class of establishment on which the incumbent of each such appointment may impose fines.

(2) The Authority mentioned in sub-rule (1), on receipt of the list may, after such enquiry as he considers necessary, pass orders either:–

(a) disapproving the list;

(b) approving the list either in its original form or as amended by him, in which case such list shall be considered to be an approved list:

Provided that no order disapproving or amending any list shall be passed unless the employer shall have been given an opportunity of showing cause in writing why the list, as submitted by him should be approved.

(3) The employer shall display at the main entrance and on notice board of the establishment a copy of such approved list in English together with a literal translation in Hindi.

(4) No fine may be imposed by any person other than an employer or a person holding an appointment named in the list submitted under clause (b) of sub-rule (1).

(5) As per sub-section (3) of Section 19, the employer shall give intimation electronically or in writing to the employee concerned specifying therein the particulars of acts and omissions done by the employee, warranting the imposition of fine for showing cause within seven days.

(6) On establishment of charges, fine shall be imposed on the delinquent employee.

(7) Wherein no reply is received from the employee within the scheduled period, fine shall be imposed and the same shall be intimated to the employee within fifteen days of the implementation of such fine.

(8) The person imposing a fine or directing the making of deduction for damage or loss shall without unnecessary delay inform the employer of all particulars and the employer shall maintain the details of such fines or deductions in a register as mentioned in Form-I.

(9) The amount so accumulated, by way of all sorts of deductions, fines and realisations shall be applied only to such beneficial purposes to the persons employed in the establishment through such welfare schemes or measures, to be prepared by the employer and approved by Labour Commissioner, Uttar Pradesh or Additional Labour Commissioner/ Deputy Labour Commissioner, having territorial jurisdiction:

Provided that, nothing in these rules, prevents the employer to contribute any amount for these welfare measures or schemes meant for these purposes.

Manner of deduction and intimation of deduction under the proviso of sub-section (2) of Section 20

18.(1) Where an employer desires to make deductions under proviso to sub-section (2) of Section 20, the employer shall intimate electronically or in writing to the employee concerned regarding their intention of making such deduction seeking their reply within a period of seven days and on establishment of charges deduction shall be made from the wages of the employee in accordance with sub-section (3) of Section 18.

(2) If no reply is received from the employee concerned within seven days, the employer shall make such deduction from the wages and the same shall be intimated to the employee within fifteen days of the date of such deduction.

Procedure for deduction for damage or loss under sub-section (1) of Section 21 and entry in registers under sub-section (3)

19. Any employer, desiring to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of Ssection 21, from the wages of an employee:–

(i) shall give the employee an opportunity to submit explanation within a period of seven days, showing cause, the value of the damage caused or loss of goods expressly entrusted to the employee.

(ii) On establishment of the charges, deduction shall be made from the wages of the employee in accordance with sub-section (3) of Section 18.

(iii) In case no reply is received from the employee concerned within seven days, the employer shall make such deduction from the wage of the employee concerned and the same shall be intimated to the employee within fifteen days of the date of such deduction.

(iv) The employer shall record such deductions in register as specified in Form-I.

Conditions regarding recovery of advance under Section 23

20. The recovery, as the case may be, of:–

(i) advances of money given to an employee after the employment begins under clause (b) of section 23; or

(ii) advances of wages to an employee not already earned under clause I of Section 23,

as the case may be, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in installments determined by the employer, so as any or all installments in a wage period shall not exceed fifty percent of wages of the employee subject to the celling specified in Rule 14 in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-I.

Extent of loan and deduction under Section 24

21. The extent of loans granted under clause (g) of sub-section (2) of Section 18 and the deductions for recovery of such loans granted for house building or other purposes approved by the Central or State Government, and the interest due in respect thereof shall be, subject to any direction made or circular issued by the Central or State Government from time to time regulating the extent to which such loans may be granted, and the rate of interest shall be payable thereon.

CHAPTER-IV

STATE ADVISORY BOARD

Constitution of State Advisory Board, its Committees and sub-committees under sub-section (4) of Section 42

22.(1) The State Government shall constitute a State Advisory Board for the purpose of sub-section (4) of Section 42.

(2) The Board shall consist of the persons to be nominated by the State Government representing employers and employees, as specified in clauses (a) and (b) of sub-section (6) of Section 42 and the independent persons of that sub-section as specified in clause (c).

(3) The persons representing employers as referred to in clause (a) of sub-section (6) of Section 42 shall not be less than twelve and the persons representing employees referred to in clause (b) of that sub-section shall also not be less than twelve.

(4) Independent Persons referred under clause (c) of sub-section (6) of Section 42, to be nominated by State Government in State Advisory Board shall consist of following: -

(i) Minister for Labour and Employment, Government of Uttar Pradesh– *ex-officio* Chairperson;

(ii) Two nominated members of State Legislature;

(iii) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Labour and Employment, Government of Uttar Pradesh;

(iv) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Finance, Government of Uttar Pradesh;

(v) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Industries, Government of Uttar Pradesh;

(vi) Two members having expertise on wage and labour related matters;

(5) The Labour Commissioner, Uttar Pradesh shall be Member-Secretary of State Advisory Board.

(6) The State Advisory Board may constitute one or more Committees or sub-committees in accordance with sub-section (6) of Section 42. The Chairperson of the Committees and sub-committees, formed by the Board shall be appointed by the Board and the so chairperson, shall be a member from the independent members of the Board.

(7) The State Government shall, while nominating the members of the Board, take into account that the independent members under sub-rule (2) shall not exceed one third of the total members of the Board and minimum one third of the members of the Board shall be women.

Meeting of the Board, Committees and sub-committees under sub-section (10) of Section 42

23. The Chairperson of the Board or Committees or sub-committees constituted by Board, as the case may be, may, subject to the provisions of Rule 22 call a meeting of the Board at any time he thinks fit:

Provided that on requisition in writing from not less than one half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of receipt of such requisition.

Notice of meetings of the Board, Committees and sub-committees

24. The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting shall be sent to each member by registered post and electronically at least fifteen days before the date fixed for such meeting:

Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days only may be given to every member.

Functions of the Chairperson

25. The Chairperson shall:–

(i) preside at the meetings of the Board:

Provided that in the absence of the Chairperson at any meeting, the Chairperson shall nominate a person, amongst the members of the Board, to preside at such meeting;

(ii) decide agenda of each meeting of the Board;

(iii) wherein the meeting of the Board, if any, issue must be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting.

Quorum

26. No business shall be transacted in a meeting if at least one-third of the members and at least one member each from employers and employees are present in a meeting:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn such a meeting for maximum seven days and in the adjourn it shall be lawful to transact the business even if the members attending the meeting for short of the Quorum:

Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to all the members electronically or by a registered post.

Disposal of business of the State Advisory Board, Committees and sub-committees of State Advisory Board

27. All business of the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board shall be considered at a meeting of the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.

Method of voting

28. Voting in the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.

Proceedings of the meeting

29.(1) The proceedings of each meeting of the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board showing *inter alia* the names of the members present there at shall be forwarded to each member and to the State Government as soon after the meeting as possible, and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

Summoning of witnesses and production of documents

30.(1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil Court.

Term of office of members of the Board, Committees and sub-committees of State Advisory Board under sub-section (2) of Section 42

31.(1) The term of office of a nominated member of the Board or the Chairperson of any committee or sub-committee, as the case may be, shall be normally two years commencing from the date of his appointment or nomination, as the case may be, under sub-section (6) of Section 42.

(2) An independent member of the Board nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by respective such other official members.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), the members of the Board, shall hold office during the pleasure of the State Government.

(5) An outgoing member shall be eligible for re-nomination to the Board:

provided that they shall hold office for a maximum of two terms.

Travelling allowance

32. The Chairperson and the non-official members of the State Advisory Board, Committees and sub-committees, shall be entitled to draw travelling, daily and halting allowances for any journey performed by them in connection with their duties at such rates as are admissible to lowest of Group-A officers of the State Government.

Officers and Staff

33. The State Government may, apart from Member-Secretary of the Board, appoint a Secretary to the Board and one or more secretaries to Committees and sub-committees of the Board not below the rank of Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh and other officers and staff to the Board, Committees and sub-Committees, as it may think necessary for the functioning of the Board Committees and sub-Committees.

Resignation of the Chairperson and other members of the Board, Committees and sub-committees

34.(1) A nominated member of the Board, other than the Chairperson, Committees and sub-committees, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign his membership and the Chairperson, may resign by a letter addressed to the State Government.

(2) A resignation shall take effect from the date of Communication of its acceptance or on the expiry of 30 days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3)When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Member-Secretary shall submit a report to the State Government immediately and the State Government shall, then, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

Cessation of membership

35. If a member of the Board, Committees and sub-committees fails to attend three consecutive meetings, without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.

Disqualification

36.(1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the State Advisory Board –

(i) If he is declared to be of unsound mind by a competent Court; or

(ii) If he is an un-discharged insolvent; or

(iii) If before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude.

(2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the State Government thereon shall be final.

CHAPTER-V

PAYMENT OF UNDISBURSED DUES, CLAIMS ETC.

Payment Of undisbursed dues to nominees in case of death of employeeunder clause (a) of sub-section (1) of Section 44

37.(1) (a) Under clause (a) of sub-section (1) of Section 44, every employee shall make a declaration in Form-XII in physical form or electronically, nominating a person conferring the right to receive the amount that may stand in the credit of the employee on the event of death, before that amount standing to the credit of such employee has become payable or where the amount has become payable, before payment has been made.

(b) If the employee has a family at the time of making nomination, the nomination shall be in favour of the spouse or the spouse is in preference followed by one or more members of the family:

Provided that nomination made by an employee having a family in favour of a person other than member of the family shall be invalid:

Provided further, that a fresh nomination towards the spouse of the employee shall be made by the employee on marriage and any nomination made before such marriage shall be deemed to be invalid.

(c) where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the employee may appoint a major person of the family to be the guardian of the minor nominee and where there is no major person in the family, the employee may by description appoint any other person to be the guardian of the minor nominee.

(d) If the employee nominates more than one member, the nominations shall specify the amount or share payable to each of the nominees at employee's own discretion, so as to cover the whole of the amount that may stand to the credit of the employee.

(2) Where any amount payable to an employee under the Code is due after the date on account of where abouts not being known of employee and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount has become payable, the such amount shall be deposited by the employer with the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction, who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining the identity of the employee within two months from the date on which the amount was so deposited.

Deposit of the undisbursed dues in case of death of employeeunder clause (b) of sub-section (1) of Section 44

38.(1) Where any amount payable to an employee under clause (b) of sub-section (1) of Section 44 remains undisbursed, since no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amount could not be paid to the nominee of the employee, all such amount shall be deposited by the employer after the expiry of six months from the date the amount become payablewith the Additional/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction, before the expiry of fifteenth day after the last day of the said period of six months.

(2) The amount to be deposited under sub-rule (1) shall be through bank transfer or through a crossed demand draft obtained from any nationalised or scheduled bank in India drawn in favour of such Additional/ Deputy Labour Commissioner.

(3) Who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him. For the purpose of ascertaining the identity of nominated person, the Additional/Deputy Labour Commissioner may seek help from the officers of the Revenue and Police Department.

(4) Where any amount payable to an employee under this Code is due after his death or on account of his where abouts not being known, remains undisbursed because either no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction through Demand Draft or electronic transfer before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of three months.

Manner of dealing with the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of Section 44

39.(1) The amount referred to in Rule 37 and 38 (hereinafter in this rule referred to as the amount) deposited with the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction shall remain with him and be invested in the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a nationalized bank.

(2) The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction shall exhibit, as soon as may be possible, a notice containing such particulars regarding the amount as the Regional Additional/ Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh considers sufficient for information at least for fifteen days on the notice board and a copy of such information shall be sent to the employer as well, through manually and electronically both and the same shall be published in two local newspapers having maximum circulation. This notice shall also be displayed on the web-site of Labour Commissioner, Uttar Pradesh through a separate link meant for this purpose:

Provided that the expenses against the publication of notices in local newspapers shall be borne by the State Government.

(3) Subject to the provision of sub-rule (4), the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favour such Regional Additional/Deputy Labour Commissioner has decided, after giving the opportunity of being heard, the amount to be paid. For the purpose of ascertaining the identity of nominated person or legal heirs, the Additional/ Deputy Labour Commissioner may seek help from the officers of the Revenue and Police Department.

(4) If the undisbursed amount remains unclaimed for a period of two years, the Regional Additional/ Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction, shall transfer the amount, with interest, if any, to Uttar Pradesh Labour Welfare Fund constituted under Section 3 of the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1965 (Act no. 14 of 1965).

(5) The amount so transferred to Uttar Pradesh Labour Welfare Fund in accordance with sub-rule (4), shall be administered by the provisions of the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1965 (Act no. 14 of 1965) and rules made thereafter.

CHAPTER-VI
FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

Registers to be maintained by employers

40. Every employer to whom Code on Wages, 2019 applies shall maintain following registers-

(i) mentioning the details of wages, overtime, fines, various deduction made in accordance with the Code in Form-I;

(ii) as per the provisions of sub-section (1) of Section 50 of the Code in Form-II;

(iii) nomination form as per the provisions of Clause (a) of sub-section (1) of Section 44 of the Code in Form-XII;

(iv) all the registers shall be maintained in physical format or in a digital format electronically;

(v) registers required to be maintained under these rules shall be preserved for a period of 5 years after the date of the last entry made therein.

Various Forms to be used for the purposes of these rules

41.(1) Forms appended to these rules and mentioned in the table below shall be used for the various provisions of these rules:–

Form No.	Related Rules	Particulars of Form
III	Rule 43	Single application under sub-section (5) of Section 45
IV	Rule 44 (1)	Certificate of Authorization
V	Rule 44 (5) (i)	Notice for the disposal of application
VI	Rule 44 (6) (i)	Record of order of direction
VII	Rule 45 (1)	Appeal under Section 49(1) of the Code on Wages, 2019
VIII	Rule 45 (3)	Notice to respondent of the day fixed for the hearing of the appeal under section 49 of the Code on Wages, 2019
IX	Rule 42	Wage slip
X	Rule 50 (1)	Application of employer for compounding the offences under sub-section (4) of Section 56 of the Code
XI	Rule 50 (2)	Notice to offending employer by Compounding Officer for compounding the offences under sub-section (1) of Section 56 of the Code
XII	Rule 37 (a)	Nomination form as per the provisions of clause (a) of sub-section (1) of Section 44

(2) The Authority referred to in sub-section (8) of Section 19 shall be Regional Additional/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction.

(3) The registers maintained under these Rules shall be preserved for a period of five years after the date of last entry made therein.

Wage slip

42. Every employer shall issue wage slips, electronically or physically to the employees in Form-IX on or before payment of wages.

CHAPTER-VII
PROCEDURE FOR DISPOSAL OF CLAIM APPLICATIONS AND APPEALS

Application form for claim before authority

43. A single application on behalf of or in respect of any number or of group of employees employed in the same establishment wherein their claims relate to the same wage period or any incident of discrimination, may be filed under sub-section (5) of Section 45 in Form-III, manually or electronically along with documents as specified in the said Form before the Authority notified by the State Government under sub-section (1) of the Section 45 to here and determine claims which arise under the provisions of the Code.

Procedure for applications filed before Authority

44.(1) Where an application under Rule 43 is filed the Authority shall serve upon the employer electronically or by post a notice in Form-V to appear before them on the date specified in the notice with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the applicant of the date so specified.

(2) In case where the employer or their authorised representative, duly authorised and in Form-IV, fails to appear on the specified date, the Authority may hear and determine the application *ex-parte*.

(3) In case where the applicant or their authorised representative fails to appear on the specified date without any reasonable cause, shown in advance, the authority may dismiss the application.

(4) The Authority shall pass the order in Form-VI.

Procedure for disposal of Appeal

45.(1) Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub section 2 of Section 45 may prefer an appeal under sub-section one of Section 49 in form 7 electronically or by post speed post along with documents mentioned by the applicant in the set form to the appellate authority having jurisdiction:

provided that no appeal by an implied shall be admitted unless at the time of preferring the appeal the appellant has deposited the claim amount with the appellate authority.

(2) Where an appeal under sub-section (1) of Section 49 is entertained, the Appellate Authority shall serve upon the respondent electronically or by speed post, a notice in Form-VIII to appear before them on the date specified in the notice and shall inform the appellant of the date so specified.

(3) In case where the employer or their representative fails to appear on the specified date, the Authority may hear and determine the application *ex-parte.*

(4) In case where the applicant or their representatives failed to appear on the specified date the authority may dismiss the appeal.

CHAPTER-VIII

INSPECTIONS AND INSPECTOR-*CUM*-FACILITATOR

Inspection scheme under sub-section (2) of Section 51

46.(1) For the purposes of this Code and these rules, there shall be formulated an inspection scheme by the Labour Commissioner, Uttar Pradesh with the approval of the State Government for inspection of the establishments covered under the Code.

(2) Labour Commissioner, Uttar Pradesh shall be the competent authority to resolve the problems arising in the course of implementation of inspection scheme and can issue any order or directions regarding the same.

Powers of Inspector-*cum*-Facilitator under Clause (e) of sub-section (6) of Section 51

47. Inspector-*cum*-Facilitator appointed under sub-section (1) of Section 51 shall exercise the following powers:–

(a) enter, at all reasonable hours, with such assistants (if any) being persons in the service of the Government or any local or other public authority, as he thinks fit, any premises or place where employees are employed or work is given out to out-workers whether unskilled occupation, skilled occupation, semi-skilled, occupation, and highly skilled occupation in respect of which minimum rates of wages have been fixed under this Code, for the purpose of examining any register, records of wages or notices, required to be kept or exhibited by or under this Code or rules made there under, and require the production thereof for inspection;

(b) examine any person whom he finds in any such premises or place and who, he has reasonable cause to believe, is an employee employed therein or an employee to whom work is given out therein and require any person giving out-work and out-workers, to give any information, which is his power to give, with respect to the names and addresses of the persons to, for and from whom the work is given out or received and with respect to the payments to be made for the work;

(c) seize or take copies of such register, record of wages or notices or portions thereof, as he may consider relevant in respect of an offence under this Code, which he has reason to believe, has been committed by an employer;

(d) supervise the payment of wages to persons employed in any factory or industrial or any other establishment;

(e) to prosecute, conduct or defend before a Court or competent Authority, any complaint or other proceeding arising under the Code or in discharge of his duties as an Inspector-*cum*-Facilitator and secure such evidence, as may be necessary for the purpose;

(f) upon complaint received from an employee or worker or a registered trade union related to the establishment, regardless of the fact, whether an inspection scheme stands formulated as per sub-section (2) of Section 51, the Inspector-*cum*-Facilitator shall be required to undertake complete inspection of the establishment(s) and make as many visit to the establishment(s) as may be necessary, with the prior written approval of Labour Commissioner Uttar Pradesh:

Provided that, inspection shall be done with the prior approval of regional Additional/Deputy Labour Commissioner and *ex-facto* approval shall be obtained from Labour Commissioner, Uttar Pradesh within 72 hours of such inspection, in case if complaint is received through any Commission established under law (*e.g.* National Human Rights Commission, State Human Rights Commission, National Commission for Protection of Child Rights, State Commission for Protection of Child Rights *etc.*) or the compliant is related to issues regarding employment of child labour and/or bonded labour or if the Inspector-*cum*-Facilitator is informed by any means that any fatal accident has occurred in the establishment.

(g) Every Inspector-*cum*-Facilitator shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023).

(h) Any person required to produce any document or thing or to give any information to an Inspector-*cum*-Facilitator under sub-rule (a) to (e) shall be deemed to be legally bound to do so within the meaning of Section 210 and Section 211 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023).

CHAPTER-IX

OFFENCES AND PENALTIES

Appointment of officer to impose penalty under sub-section (1) of Section 53

48. The State Government by notification in the Official *Gazette*, shall appoint an Gazetted Officer not below the rank of Under Secretary of Government of Uttar Pradesh or Deputy Labour Commissioner of minimum pay matrix-11 within the limits of its territorial jurisdiction for the purpose of imposing penalty under clauses (a) and (c) of sub-section (1) and sub-section (2) of Section 54 and sub-section (7) of Section 56, as the case may be, for holding enquiry in such matter, as prescribed in Rule 49 and Rule 50 of these rules.

Manner of holding enquiry under sub-section (1) of Section 53

49.(1) Where a complaint is filed before the officer appointed under sub-section (1) of Section 53 under Rule 48 (hereinafter in this Rule referred to as the Compounding Officer) in respect of the offences referred to in said sub-section either by an officer authorized for such purpose by the State Government or by an employee aggrieved or a registered trade union registered under Code on Industrial Relations, 2020 (Act no. 35 of 2020) or an Inspector-*cum*-Facilitator, the officer, after considering such evidence as produced before him by the complainant, is of the opinion that an offence has been committed, shall issue summons to the offender on the address specified in the complaint fixing a date for his appearance.

(2) If the offender to whom the summons has been issued under sub-rule (1) appears or is produced before the Officer, he shall explain the offender the offence complained against and if the offender pleads guilty, the Officer shall impose penalty on him in accordance with the provisions of the Code and if the offender does not plead guilty, the Officer shall take evidence of the witnesses produced by the complainant on oath and provide opportunity of cross examination of the witnesses so produced.

(3) The officer shall record the statement of the witnesses on oath and in cross-examination in writing and take the documentary evidence on record.

(4) The officer shall, after the complainant's evidence is complete, provide an opportunity of defense to the accused person and the witnesses produced by the accused shall be cross examined after their statements on oath by the complainant and documentary evidence in defense shall be taken on record by the officer.

(5) The officer shall after hearing the parties and considering the evidence both oral and documentary decide the complaint in accordance with the provisions of the Code.

The manner of imposing fine under sub-section (1) of Section 56

50.(1) An accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of Section 56 may make an application in Form-X, physically or electronically, appended to these rules, electronically or otherwise to the Compounding Officer/Gazetted Officer notified under said sub-section (1).

(2) The Compounding Officer/Gazetted Officer referred to in sub-rule (1), shall, on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable, he shall send a notice on Form-XI and if the accused person agrees for the composition, compound the offence for a sum of fifty percent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within thirty days of the order of composition issued by such officer.

(3) The Compounding Officer shall issue a composition certificate in Part-B of Form-XI within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in compliance of the composition notice.

(4) In case where a person should noticed fails to deposit the composition amount within the time specified by the Compounding Officer prosecution shall be instituted before the Competent Court against such person for such offense in respect of which the compound notice was issued.

(5) Where the offence has been compounded under sub-rule (2) after the institution of the prosecution, the Officer shall send a copy of such order for intimation to the Officer referred to in sub-section (1) of Section 53 for action under sub-section (6) of Section 56.

(6) The Compounding Officer/Gazetted Officer shall exercise the powers to compound the offence under this Rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government.

CHAPTER-X

MISCELLANEOUS

Timely payment of wages

51. Where the employees are employed in an establishment through contractor, then, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor the amount payable in respect of the wages of employees in accordance with the provisions of the Code.

Explanation:– For the purpose of this Rule, the expression "firm" shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (Act no. 9 of 1932).

Responsibility for payment of minimum bonus under Section 26

52. Where in an establishment, the employees are employed through contractor and the contractor fails to pay minimum bonus to them under section 26, then, the company or firm or association or other person as referred to in the proviso to Section 43 shall, on the written information of such failure, given by the employees or any registered trade union or unions of which the employees are members and on confirming such failure, pay such minimum bonus to the employees and may recover the same from the contractor.

Display Notices to be put up by employers under sub-section (2) of Section 50

53.(1) In terms of sub-section (2) of Section 50, all employers and principal employers shall ensure that the contents of display notices shall be displayed prominently at each entry and exit of each unit of the establishment.

(2) The display notices shall be put up in languages that are understood by majority of the workers working in the said unit of the establishment.

(3) The display notices shall be put up in such size to enable a person with normal eyesight to conveniently read the contents thereof, from a distance of 10 meters at least.

(4) The display notices shall be visible at all times and on all days.

(5) Schedule for display notices:–

(a) Minimum wage rate fixed by State Government for all categories of employees;

(b) Weekly day of rest;

(c) Paid rest day;

(d) Working hours;

(e) Overtime payment;

(f) Overall maximum hours of work in a week;

(g) Scheduled breaks;

(h) Date and time of payment of wages;

(i) Details of inspector-*cum*-facilitator having jurisdiction;

(j) Details of authority appointed under section 45;

(k) Wage period;

(l) Other such notices as prescribed under these rules.

Annual Returns

54. The return under these rules shall be filed electronically by every employer of an establishment to which the Code applies in the relevant Columns of the Form specified for such purpose in the rules made under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (Act no. 37 of 2020).

By order,
DR. M.K. SHANMUGA SUNDARAM,
Pramukh Sachiv.

———

FORM-I

[*See* Rule 17 (8), Rule 19 (4) and Rule 20]

REGISTER OF WAGES, OVERTIME, FINE, DEDUCTION FOR DAMAGE AND LOSS

Name of the Establishment: Name of the Employer:

Name of the Owner: PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN)

Sl. no. in Employee Register	Name of the employee	Designation	Department	Duration of payment of Wages (Monthly fortnightly/ Weekly/ Daily/ piece rated)	Wage Period Form-To	Total no. of days worked during the period	Total overtime (hours worked or production in case of piece workers)	Rates of wages		
								Basic	DA	Allowances
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Amount of wages earned					Deductions										Net Payment
Basic	DA	Allowances	Over time	Total wages earned	EPF	ESIC	Society	In-come Tax	Insu-rance	Advances	Recovery of Fines	Recovery on account of damages/ losses	Total deduc-tions	Others	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Date of Payment	Receipt by employee/ Bank transaction ID	Nature of acts and omissions for which fine imposed with date	Amount of fine imposed	Damages or loss caused to the employer by neglect or default of the employee	Signature of employer/ employer representatives**
28	29	30	31	32	33

** if it is necessary to maintain the register in physical form.

FORM-II

[*See* sub-rule (2) Rule 40]

EMPLOYEE REGISTER

Name of the Establishment: Name of the employer:

Name of the Owner: PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN):

Sl. no.	Employee code	Name	Sur-name	Gender	Father's/ Spouse name	Date of birth	Nationality	Edu-cation level	Date of Joining	Designation	Categogary (HS/S/ SS/US)*	Type of Employment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Mobile No.	UAN	PAN	ESIC IP No.	AADHAR	Bank A/c Number	Bank	Branch (IFSC)	Present Address	Permanent Address
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Service Book No.	Date of Exit	Reasons for Exit	Mark of Identification	Photo	Specimen Signature/ Thumb Impression	Remarks
24	25	26	27	28	29	30

Place of Birth	Details of posting	Pay	Promotion	Nominee	Details of family	EPS/ NPS
31	32	33	34	35	36	37

* = Highly skilled/ Skilled/ Semi-skilled/ Unskilled

FORM-III

(*See* Rule 43)

SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45 OF THE CODE

BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE ON WAGES, 2019 (29 of 2019)

FORAREA…….

Application No……of 20…….

Between ABC and (State the number)……..other……. Applicant

(Through employees concerned or registered trade union or Inspector-cum-Facilitator)

Address……

versus

XYZ……

Address…….....……

The application states as follows:

(1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed from …….. to ……. as (category) in ……..(establishment) of Shri/M/s……..(name of the employer) and was/were/has been/ have been engaged in ……(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

(2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of Section 2(1) of the Code of Wages, 2019.

(3) (a) The applicant(s) has/have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category (categories) of employment(s) under the Code by Rs…….. per day for the period(s) from ……. To …….

(b) The applicant(s) has/have not been paid wages at Rs…… per day for the weekly days of rest from …….. to ……

(c) The applicant(s) has/have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from …….. to …….

(d) The applicant(s) has/have not been paid wages from period(s) from ……. To ……

(e) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicants(s) as per details specified in the annexure appended with this application.

(f) The applicants(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year……

(4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought by him/them on each amount as under:

(a) Rs…….

(b) Rs……..

(c) Rs……

Total Rs……

(5) The applicant(s), therefore, pray (s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code of Wages, 2019 for ;

(a) Payment of the difference between the wages payable under the Code of Wages and actually paid;

(b) Payment of renumeration for the days of rest;

(c) Payment of wages at the overtime rates;

(d) Payment of delayed wages;

(e) Payment of deductions in wages made in contravention of the Code;

(f) Payment of unpaid bonus;

(g) Compensation amounting Rs……

(6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated: ……..

Signature or thumb impression of the employed person(s), or official of a registered trade union duly authorized or Inspector-*cum*-Facilitator.

Mobile number and Email-id: …….

NOTE:- The applicant(s), if required may append annexures containing details, with this application.

FORM-IV

[*See* Sub-rule (2) of Rule 44]

CERTIFICATE OF AUTHORISATION

I/We employed person(s) hereby authorize Sri/Smt/Ku. …….. , a legal practitioner …… / Sri/Smt/Ku. ……an official of ..... which is a registered Trade Union to Act on my/our behalf under section 45 or Section 49 of the Code on Wages 2019 (29 of 2019), in respect of the claim/ appeal against ..... on account of the difference between wages payable and actually paid under the Code/ payment of remuneration of days of rest/ payment of wages at the overtime rates/ delay in payment/ illegal deductions from my/our wages/ non-payment of bonus for.....

Witnesses:	Signature:
(1)	(1)
(2)	(2)
(3)	(3)
(4)	(4)

Date:

Place:

I accept the authorisation.

Signature of authorized person/ Legal practitioner/ Official of a registered trade union with Seal.

FORM-V

[*See* Sub-rule (1) of Rule 44]

NOTICE FOR THE DISPOSAL OF APPLICATION

Whereas, under the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) a claim against you has been presented to me in the application of which a copy is enclosed, you are hereby called upon to appear before me either in person or by any person duly instructed, and able to answer all material questions relating to the application, or who shall be accompanied by some person able to answer all material questions relating to the claim application, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions, on the ..... day of .....20..... at ..... o'clock in the forenoon/ afternoon to answer the claim;

and, as the day fixed for your appearance is appointed for the final disposal of the claim application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence, and the documents upon which you intend to rely in support of your defence.

Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the claim application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and seal, this day of .....20...

Authority

Seal

FORM – VI

[*See* Sub-rule (4) of Rule 44]

RECORD OF ORDER OF DIRECTION

1. Serial number.....
2. Date of the application.....
3. Name or names, parentage, address or addressed of the applicant, or some, or all of the applicants belonging to the same unpaid group:
4. Name and address of the employer:
5. Amount claimed:
   (a) as difference of wages payable under this Code and actually paid: Rs …….
   (b) as payment of remuneration of days of rest: Rs ……..
   (c) as payment of wages of overtime rates: Rs …….
   (d) as payment of delayed wages: Rs. .....
   (e) as payment of deductions made in contravention to the Code: Rs ……..
   (f) as non-paid bonus: Rs …….
   (g) compensation amounting as: Rs …….
6. Plea of the employer and his examination (if any):
7. Finding, and a brief statement of the reasons therefore:
8. Amounts awarded:
   (a) as difference of wages payable under this Code and actually paid: Rs …….
   (b) as payment of remuneration of days of rest: Rs ……..
   (c) as payment of wages of overtime rates: Rs …….
   (d) as payment of delayed wages: Rs. .....
   (e) as payment of deductions made in contravention to the Code: Rs ……..
   (f) as non-paid bonus: Rs …….
9. Compensation awarded.....
10. Costs awarded to:
    (a) Court-fee Charges.....
    (b) Pleader' s fee.....
    (c) Witnesses' expenses.....
11. Date by which the amounts awarded shall be paid.

Dated:

Authority

NOTE:- In case where an appeal lies, attach on a separate sheet the substance of the evidence.

FORM-VII

[*See* Sub-rule (1) of Rule 45]

APPEAL UNDER SECTION 49(1) OF THE CODE ON WAGES, 2019

Before the Appellate Authority under the Code on Wages, 2019

A.B.C

Address……Appellant.

Vs

X.Y.Z.

Address…….Respondent.

DETAILS Of APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal is made:
   Number and Date:
   The authority who has passed the impugned order:
   Amount awarded:
   Compensation awarded, if any:
2. Facts of the case:
   (give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact)
3. Grounds for Appeal:
4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any appellate Authority:
   The appellant further declares that he had neither previously filed any appeal, writ petition nor suit regarding the matter in respect of which this appeal has made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.
5. Reliefs sought:
   In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s):-
   [Specify below the relief(s) sought]
6. List of enclosures
   1.
   2.
   3.
   4.
   ……
   Date:
   Place:

Name and Signature of the applicant

Mobile. number and email id: …….

For office use

Date of filing
Or
Date of receipt by post
Registration No.

Authorized Signatory

FORM–VIII

[*See* Sub-rule (2) of Rule 45]

NOTICE TO REPONDENT OF THE DAY FIXED FOR THE HEARING OF THE APPEAL UNDER SECTION 49 OF THE CODE ON WAGES, 2019

Appeal from the decision of the Authority for the ..... area dated the .....day of 20.....

To

…….

……. (Respondent)

Take notice that an appeal of which a copy is enclosed from the decision of the Authority for ..... Area has been presented by ……X,Y.Z. (and others), and registered in this office, and that the .....day of 20….. has been fixed by this Appellate Authority for the hearing of the appeal.

If no appearance is made on your behalf by yourself, or by someone by law authorized to Act for you this appeal, it will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal, this .....day of .....20..

Seal

Appellate Authority

FORM – IX

(*See* Rule 42)

WAGE SLIP

Date of issue:

Name of the Establishment…….

Address……

Period……

1. Name of the employee:
2. Father's/ Spouse name:
3. Designation:
4. UAN:
5. Bank Account No.:
6. Wage period:
7. Rate of Wages payable: (a) Basic. (b) D.A. (c) other allowances
8. Total attendance/unit of work done:
9. Overtime wages:
10. Gross wages payable:
11. Total Deductions: (a) PF (b) ESI (c) Others.
12. Net wages paid:

Employer/

Pay-in-charge signature.

FORM-X

[*See* Sub-rule (1) Rule 50]

PART-A

APPLICATION OF EMPLOYER FOR COMPOUNDING THE OFFENCES UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 56 OF THE CODE

To,

The Compounding Officer,
Office of the Additional/ Deputy Labour Commissioner,
Region ……

Date: ……..

Dear Sir/ Madam,

I/We …… , son of/ wife of/ husband of …… employer of M/s ……. address …… am/ are desirous of making composition of offence under sub-section (1) of Section 56 of the Code on Wages, 2019. I/We have/had committed following offence(s) under the Code:

1. …….
2. …….
3. …….

Prosecution for the above violations-

1. * has not been filed in any competent Court against the undersigned.
2. * has been filed against the undersigned in the Court of …….

The details of the prosecution filed are given below:

1. Date of Inspection/ complaint: ……..
2. Case no. and date of filing of prosecution: ……..
3. Section(s) and Rule(s) which were found violated: ……..
4. Name and designation of the person who has filed the prosecution: ……
5. Whether prosecution against the applicant is pending or not: ……
6. Whether the offence is first offence, or the applicant has committed any other offence prior to this offence? If yes, then full details of the prior offence: …… ……
7. Any other information which the applicant desires to provide: …… ……

It is therefore requested that kindly give me direction or allow me to deposit the compounding amount as per sub-section (1) of the Section 56 of the Code on Wages, 2019. It is also requested to the Compounding Officer to inform the competent Court under section 52 and /or Officer authorized under section 53 for imposing penalty.

Date: Name and signature of applicant

Place: Name of the establishment:……

Address of Establishment:……

*** strike out whichever is not applicable**

PART-B

COMPOSITION CERTIFICATE

Reference Notice number: …….. Date: ……

This is to certify that the offence under sub-section ……. of Section 54 in respect of which notice number …… dated ……. was issued to ……(applicant), the employer of ……(name and registration number of the establishment) has been compounded on account of remission of full amount of Rs. …….. (Rupees ……) towards the composition of offences to the satisfaction of the said notice.

(Signature)

Name and Designation of the Compounding Officer

Date:

Place:

To,

……(employer/ establishment)

…… (name and registration number)

……(address)

FORM-XI

[*See* Sub-rule (2) of Rule 50]

NOTICE TO OFFENDING EMPLOYER BY COMPOUNDING OFFICER FOR COMPOUNDING THE OFFENCES UNDER SUB-SECTION (1) OF 56 OF THE CODE

NOTICE

To,

…….. (Name of employer)

M/s ……

…… (Address)

Kindly refer to your application dated …….. regarding the composition of offence(s) committed in contravention to the provisions of Code on Wages, 2019 (Act no 29 of 2019) by you/ your company/ establishment;

Since you have requested for the composition of the said offence(s), you are hereby intimated that the allegation has been made against you for committing offence for violation of section(s) …….. of the Code on Wages, 2019. Your application has been examined by undersigned and it was found that the violations under the section(s) …… are compoundable while the offence(s) under the section(s) …… may not be compounded for the reasons stated below under the Code on Wages, 2019–

1. …….
2. …….

The compounding amount required to be paid by you towards composition of offences is rupees …….. By this notice, you are hereby directed to deposit the abovementioned compounding amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding of the offence(s). In case if you fail to deposit the said amount within specified time, no further opportunity shall be provided to you and necessary direction for filing prosecution under section(s) …….. as per the provisions of the Code against you shall be issued;

You are also hereby informed, that if you fail to deposit the abovementioned compounding amount within the specified time, you will be liable to pay the same as per the provision of sub-section (7) of Section 56 of the Code.

This notice is issued under my signature and seal on …….. day of ……., 20……

Compounding Officer,

Seal

FORM-XII

[*See* Sub-rule (3) of Rule 40]

NOMINATION FORM

To

……

……

……

[Give here name or description of the establishment with full address]

1. I, Shri/Shrimati/Kumari **……** whose particulars are given in the statement below,
   …….
   …….
   …….
   …….
   [Name in full here]

   hereby nominate the person(s) mentioned below to receive all the unpaid dues as per Code on Wages, 2019 payable after my death standing to my credit in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid and direct that the said unpaid wages and other amounts shall be paid in proportion indicated against the name(s) of the nominee(s).

2. I hereby certify that the person(s) mentioned is a/are member(s) of my family within the meaning of clause (f) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Uttar Pradesh Code on Wages Rules, 2026.

3. I hereby declare that I have no family.

4. (a) My father/mother/parents is/are not dependent on me.
   (b) my husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.
   (c) the income of my dependent parents including my father-in-law/mother-in-law (in case of women employees) from all sources does not exceed such income as specified by State Government for this purpose.

   (d) my husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.

5. Nomination made herein invalidates my previous nomination.

Nominee(s):

(1) Name in full with full address of nominee(s) ……..
Relationship with the employee ……
Age of nominee**…….**
Proportion by which the unpaid amount will be shared ……..

(2) ……..

(3) …….

(4) ……..

Statement:

1. Name of employee in full ……
2. Gender ……..
3. Religion ……
4. Whether unmarried/married/widow/widower ……..
5. Department/Branch/Section where employed ……..
6. Post held with Ticket or Serial No., if any ……
7. Date of appointment ……
8. Permanent address: Village **……** Thana **……** Sub-division **……** Post Office **……**
District **……** State**……**

Place:
Date:

Signature/Thumb impression
of the employee

Declaration by witnesses

Nomination signed/thumb impressed before me.

Name in full and full address of witnesses. Signature of witnesses

1.
2.

Place:
Date:

Certificate by the employer

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in this establishment.

Employer's Reference No., if any: ……

Date and Signature of the employer/
Officer authorised
Designation

Name and address of the
establishment or rubber stamp
thereof.

Acknowledgement by the employee

Received the duplicate copy of nomination in Form-XII filed by me and duly certified by the employer.

Date and Signature of the employee

FORM-XIII

[*See* Sub-section (1) of Section 50 of The Code on Wages, 2019]

ATTANDENCE REGISTER-CUM-MUSTER ROLL REGISTER

Name of the establishment:

Name of the employer:

Name of the owner:

Registration number of the establishment (Labour Identification Number (LIN) shall be the registration number of the establishment:

For the month of:

Sl. No	Employee code	Name	Designation	Shift	Place of work/ Section/ department
1	2	3	4	5	6

Date and time of attendance (7)																						
Date	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
Time	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
Signature																						

Date	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Time	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
Signature																						

Date	23		24		25		26		27		28		29		30		31	
Time	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
Signature																		

Total number of days worked	Total number of overtime hours worked	Brief details of tour or assignment outside the workplace, if any	Signature of register keeper*
8	9	10	11

* **NOTE:** Required in case register is maintained physically.

SCHEDULE-A

[*See* sub-rule (3) of Rule 7]

CLASSIFICATION OF WORKERS IN CATEGORIES AS PER THEIR SKILL

Sl. no.	UNSKILLED
1	Attendant
2	Attender
3	Bajri Spreader
4	Beater Women
5	Beldar/Beldar (Canteen)
6	Bell-Woman
7	Boat Man
8	Borryman
9	Breaker (using manual appliances)
10	Bridge
11	Bucket Man
12	Butcher
13	Calf boy
14	Caretaker (Bridge)
15	Caretaker (except in Copper, Chromite and Graphite mines where it is semiskilled)
16	Carrier
17	Carrier (Stone)
18	Carrier (Water)
19	Cartman
20	Cattleman
21	Chain Man
22	Chowkidar
23	Cleaner
24	Cleaner (Crane, Truck, Cinder for ash Pit)
25	Cleaner (Motor shed, Tractor, Cattle, Yard, M.T)
26	Coalman
27	Collecting loose fodder
28	Concrete (Hand Mixer)
29	Condenser
30	Condenser Attendant
31	Cook-helper
32	Coolie
33	Daffadar
34	Dairy coolie
35	Dairyman
36	Digger
37	Dismantling stocks
38	Dresser / Dressing Mazdoor
39	Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule)
40	Earth Cutter
41	Electrical
42	Excavating Labour
43	Flag Man

Sl. no.	UNSKILLED
44	Flagman (Blast Train)
45	Gangmen
46	Gate Man
47	Gatingman (Permanent Way)
48	Grass Cutter
49	Grazler
50	Handle Man, Jumper Man
51	Helper
52	Hole Cutter
53	Jelly Maker
54	Kamin (Female Work)
55	Khalas
56	Khalasi not attending to machines
57	Labourer (Boiler, Cattle Yard, Cultivation, General Loading and Unloading, Bunding, Carting- Fertilizers, Harvesting, Miscellaneous Seeding, Sowing, Thatching, Transplanting, Weeding)
58	Lampman
59	Loader
60	Lorry Helper
61	Lorry Trainees,
62	Mali
63	Marine
64	Mazdoor (Arportculturist Compost, Dairy's Haystaking, Irrigation, Manure,Stacking, Milk- room, Ration room Store, Anti-Malaria, M.R.)
65	Messanger (Male / Female)
66	Messenger (Office)
67	Moplah
68	Muchhers Jamadars
69	Number Taker
70	Nursing Orderlies
71	Office Boy
72	Office Peon /Peon (except in Bauxite Mines)
73	Over burden Remover
74	Person employed in loading and unloading
75	Person employed in sweeping and cleaning and other cateogires by whatever name called which are of unskilled nature
76	Petrolman
77	Quarry Worker
78	Roller Survey
79	Searcher
80	Share
81	Shunters
82	Signal man
83	Stable man
84	Steam Road
85	Store-Mazdoor

Sl. no.	UNSKILLED
86	Store
87	Stretcher Bearer
88	Striker (Moplah gang)
89	Strikers
90	Surface loader
91	Surface Mukar
92	Survey Khalasi
93	Sweeper
94	Syce
95	Tall Boy
96	Tile
97	Trammer
98	Trolley Retriever (Airport)
99	Trolly man
100	Trolly Triper
101	Turner
102	Tying and Carrying loose hay
103	Under Ground Mukar
104	Unloader
105	Vaks Controller
106	Valveman
107	Waste removing mazdoor
108	Watchman
109	Water Carrier
110	Waterman,
111	Weighing and Carrying bales
112	Weighman (Bales, pally)
113	Wood Cutter
114	Wooder Woman
115	Wooderman

Sl. no.	SEMI SKILLED
1	Animal Attendant
2	Assistant
3	Assistant (Chowdhary)
4	Assistant Driller
5	Assistant Wireman
6	Assistant-Plumber Attendant
7	Attendance-keeper
8	Attendant (Bull-calving lines, Chowkidar, Chaff cutter, Hostel, Dry Stock, Grain crusher, Pump, Siekline
9	Bearer
10	Belchawala
11	Bhisti
12	Bhisti (with Mushk)
13	Boatman (head)

Sl. no.	SEMI SKILLED
14	Brander
15	Breaker (Stone, Rock, Rock Stone, Stone Metal
16	Breaker (using mechanical appliances)
17	Breaker
18	Breakman
19	Bullman
20	Butler/Cook
21	Butterman
22	Canweaver
23	Chainman(Head)
24	Charge-man
25	Charpoy-Stringer
26	Checker
27	Chowkidar/ Watchman/ Night Guard
28	Classman
29	Coachman
30	Cobbler
31	Cook
32	Cracker
33	Crech Ayah/Ayah/Untrained Crech Attendant
34	Crowlder Man
35	Cultivator
36	Cylinder handler
37	Daftry
38	Dandee
39	Dark Room Attendant
40	Delivery boy
41	Deliveryman
42	Dhobi
43	Dollyman
44	Dresser
45	Driller
46	Driver (Skin)
47	Engine Driver and/or Feeder
48	Excavator
49	Ferroman
50	Fireman
51	Fireman (Brick Kiln, Steam Road Roller)
52	Fitter
53	Fitter (Assistant Semi-Skilled)
54	Floor Cleaner with machine
55	Frash
56	Gang
57	Gate keeper
58	Gharami
59	Gowala

Sl. no.	SEMI SKILLED
60	Grater
61	Greaser-*cum*-Fireman
62	Grinder
63	Hacksaw man
64	Hammerman
65	Helper
66	Helper (Artisan)
67	Helper (Blacksmith)
68	Helper (locco-Crane/Truck)
69	Helper (Mason, Carpenter, Blacksmith)
70	Helper (Sawyer)
71	Housekeeping janitor
72	Jamadar
73	Jamadar (stand)
74	Kasab
75	Keyman
76	Khalasi
77	Khalasi (Head Survey, Rivertters-Moplah Gang, Supervisory)
78	Khalasi (Structural)
79	Lab. Attendant
80	Laboratory Boy
81	Labourer (Rock-Cutting)
82	Lascar
83	Lift and Escalator Operator
84	Mali (Head)
85	Mali Senior
86	Manjhee (Boatman)
87	Masalchi P.M. Mates
88	Mate
89	Mate (Blacksmith, Road, Carpenter)
90	Mate (Stone)
91	Mate/Mistry
92	Mazdoor (Heavy-weight)
93	Mazdoor (literate)
94	Mazdoor Mason
95	Miner
96	Mistri (Head)
97	Muccadam
98	Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Bulldozer Driver Mines Regulations, 1961)
99	Nalband
100	Night Guard
101	Oilman
102	Oilman/Oiler
103	Permanent Way
104	Ploughman

Sl. no.	SEMI SKILLED
105	Pointsman Sencummy
106	Pump Attendant
107	Pump-Driver Turner
108	Quarry man
109	Quarry Operator
110	Runner (Post dak)
111	Sr. Ward Orderlies
112	Stable, (Yard Stock)
113	Stocker
114	Stockers and Boilerman
115	Stone mines and other cateogires by whatever name called which are of semi-skilled nature
116	Stoneman
117	Supervisor
118	Thatcher
119	Thoombaman (Spade worker)
120	Tindals
121	Topas
122	Topkar (Big Stone Breaker)
123	TrollyJamadar
124	Trollyman (Head Motor)
125	Untrained Mate/ Mining Mate/ Mate without Competency certificate Under Metalliferous Mines Regulations, 1961
126	Valveman
127	Valveman (Senior)
128	Vtackers
129	Waiter
130	Winchman
131	Wireman fixing tin cables

Sl. no.	SKILLED
1	AC Operator
2	Accounts Clerk
3	Air Compressor Attendant
4	Air-conditions Mechanic
5	Airwineh Haulage Operator
6	Armature Winder Grade-II and III
7	Artificer (Class-II, III, IV)
8	Assistant (Cashier)
9	Assistant (Farm)
10	Assistant Mistry
11	Assistant, Radio)
12	Auto-electrician
13	B.I.M Muccadam (Head)
14	B.I.M. Road
15	Battery car operator (Airport)
16	Bhandari

Sl. no.	SKILLED
17	Blacksmith
18	Blacksmith (Class II)
19	Blacksmith (Selection Grade, Grade II, III, Class II and III)
20	Blaster
21	Blaster/Shot-firer Driver
22	Boiler Foreman Grade II
23	Boiler Man (with Certificate)
24	Boilerman
25	Boilerman Grade II and III
26	Book Keeper
27	Boreman
28	Borer
29	Brick Layer
30	Bricklayer (Selection Grade, Class II)
31	Cabinet Maker
32	Caneman
33	Carpenter
34	Carpenter (Class II) Carpenter-*cum*-Blacksmith
35	Carpenter (Selection Grade, Grade II and III, Class I and III Assistant)
36	Celotex
37	Chargeman
38	Checkder (Junior)
39	Chemist and Assistant/ Chemist
40	Chick Maker
41	Chickman (Junior) Concrete Mixure Mixer
42	Chipper
43	Chipper-*Cum*-Grinder
47	Chowdhary
48	Chowkidar (Head)
49	Clerk / File Clerk
50	Clerks
51	Cobbler
52	Compressor Attendant
53	Compressor Driller
54	Compressor Driver
55	Compressor Operator
56	Computer/Date Entry Operator
57	Concrete Mixure Operator
58	Cook (Head)
59	Coremaker
60	Crech Attendant only in Magnesite, Manganese and Mica Mines
62	Crusher Operator
63	Cutter
64	Cutter Maker Chargeman, Class II and Class III, Carpenter Ordinary)
65	Data Entry Supervisor
66	DG Operator

Sl. no.	SKILLED
67	Diesel Engine
68	Diesel Engine Grade II
69	Diesel Grade II
70	Diesel Mechanic
71	Dietician
72	Dispensary Attendant
73	Distemprer, Electrician, Electrician (Grade II, Class II and Class III)
74	Dozer Operator
75	Drafts Man
76	Dresser Grade -I Mica
77	Drill Mechanic
78	Driller
79	Driller (Well Boring)
80	Driver (Engine Static Stone Crusher, Tractor/Bull Dozer, Steam Road Roller,Water Pump, Mechanical Assistant, Road Roller, Mechanical, Steam Crane,Tractor with Bull Dozer Mechanical, Transport, Engine Static and Road Roller Boiler Attendant)
81	Driver (Engine Tractor, M.T.Motor)
82	Driver / CashVan Driver
83	Driver Auto
84	Driver Motor Vehicle
85	Driver(Loco/Truck)
86	Driving Pantooms with Boiler
87	Dumper Tractor Operator
88	ECG Technician
89	Electrician
90	Electrician (Assistant)
91	Engine Driver
92	Engine Operator (Stone Cursher Mechanical)
93	Engineman
94	Executive House Keeper (Railway Coach)
95	Ferro Printer cum-chairman
96	Ferry Driver
97	Fireman only in Mines
98	Fitter
99	Fitter (Selection Grade, Grade II and III) class II and III Assistant, Pipe class II, Pipe Line ending Bars for
100	Foreman
101	Geologist
102	Gharami (Head)
103	Glazier
104	Handhole Driller
105	Haulage Operator
106	Head cook
107	Head Waiter
108	Hoist Operator
109	Hole Drillar for Blasting

Sl. no.	SKILLED
110	Housekeeping Machine operator
111	IMCE Driver
112	Issuer Loco
113	Joiner
114	Joiner (Cable, Cable Grade II)
115	Lab. Technician
116	Librarian
117	Limco Loader Operator
118	Line Man
119	Lineman (Grade II,III, High Tension/Low Tension) Mason
120	Loader Operator
121	Loco Driver
122	Lorry Grade II
123	M. C. Clerk
124	Machine hand (Class II, III, IV)
125	Machineman
126	Machinery Attendant
127	Magazine Clerk
128	Manson (Gharami)
129	Mason
130	Mason (Selection Grade, Grade II, III and Class B Mistry)
131	Mason Class A
132	Mason Class II
133	Mate Gr. I (Senior)
134	Mechanic
135	Mechanic (Class II, Air conditioning, Air conditioning Grade II)
136	Mechanic (Tube-Well)
137	Mechanic/ Machinist
138	Mechanical Road Roller I.C. and Cement Mixer *etc*. Road Roller
139	Medical Social Worker
140	Meter Reader
141	Meterorogical Observer Navghani
142	Mica Cutter Grade -I
143	Mid Wife
144	Milk Writer
145	Miner Grade - I
146	Mining Engine Driver Grade -II
147	Mining Mate with competency certificate under Metalliferous Mines/Regulations, 1961
148	Mistry
149	Mistry (Head)
150	Mistry Grade II, Air conditioning Grade II, P. Way, Survey, Santras Works)
151	Mistry (Stell, Tube-Well, Telephone)
152	Motor Lorry
153	Motor Vehicle Selection Grade
154	Motor-Lorry Grade II
155	Moulder

Sl. no.	SKILLED
156	Moulder (Brick, Tile)
157	Muccatam (with Compentency Certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961).
158	Munshi
159	Munshi (Matriculate, Non-matriculate)
160	Muster Writer
161	Nursing sister
162	Operaor (Batching Plant, Cinema Project,Clamp Shelf, Compressor, Grane, Dorrick, Diesel Engine, Doser, Dragling Drill Dumber, Excavator, Fork Lift Generator, Grader, Jack Hammer and Payment breaker Loader, Pump, Pile Driving,Scrapper, Screening Plant, Shoval, Tractor, Vibrator, Weight Batcher, Railway Guards, Repairer (Battery)
163	Operator
164	Operator (Tube-well)
165	Operator Pneumatic Tools, Operator (Fitter)
166	Ordinary Machanis
167	Painter
168	Painter (Selection Grade,Grade II and III, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Polisher, Rough)
169	Painter Spray (Class II)
170	Persons working at Airlines counter (Airport)
171	Pest control
172	Pharmacist
173	Physiotherapist / Therapist
174	Pipe Fitter
175	Plasterer
176	Plasterer (Mason Grade II)
177	Plumber
178	Plumber (Selection Grade, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Rough)
179	Plumber (Selection Grade, Class-II, Assistant Senior, Junior, Mistry Grade II)
180	Plumber-*cum*-Fitter
181	Plumbing Mistry
182	Polisher
183	Polisher (Floor)
184	Polisher (with spray) Grade II
185	Power and Pump House Operator
186	Power Shovel Operator
187	Pump Attendant only in Gypsum, Barytes and Rock Phosphates
188	Pump Driver
189	Pump Driver (Selection Grade), Grade II and III, Class II)
190	Pump Man Driver, Grinder in Mica Mines
191	Pump Operator/Driver
192	Pumpman (Assistant)
193	Pumpman Pump Driver (Selection Grade, P.E., Driver
194	Radiographer
195	Ratan Man
196	Record Keeper
197	Register Keeper

Sl. no.	SKILLED
198	Reinforcement-*cum*-mechanic, Mechanic and Plumber)
199	Rivet Cutter (Assistant)
200	Rivetter
201	Rivetter (Cutter)
202	Road Inspector Grade II, Railway Plate Layer
203	Road Roller Driver Grade II
204	Road Roller Grade II
205	Rod Bender
206	Sawyer
207	Sawyer (Selection Grade Class II) Serang
208	Security Guard (without arms)
209	Security Guard (without arms) and other cateogires by whatever name called which are of skilled nature
210	Senior Mechanic
211	Serangpile
212	Shapesman
213	Sharper/Slotter
214	Shift-incharge
215	Shovel Operator
216	Sirdhar Lathe Man
217	Skilled Mazdoor
218	Sprayer (Ashalt) Station Master
219	Sprayman
220	Sprayman (Roads)
221	Staff Nurse Grade 'B'
222	Stationery Engine Attendant, Generator Operator, Loading Foreman
223	Stone (Stone Class II, Brick Work, Stone work)
224	Stone Blasterer
225	Stone Chisler
226	Stone Chisler (Class II)
227	Stone Crusher Operator
228	Stone Cutter
229	Stone Cutter (Selection Grade, Grade II, Class II)
230	Store Attendant
231	Store clerk
232	Store Clerk (Matriculate Non-matriculate)
233	Store Issuer
234	Store Keeper
235	Store Keeper Grade I, Grade II, (Matriculate)
236	Sub-Overseer (Unqualified)
237	Super Foreman
238	Supervisor
239	Supervisory Fireman
240	Supervisory Mechanic
241	Surface Supervisor
242	Surveyor (Silt)

Sl. no.	SKILLED
243	Surveyors
244	Surveyors (Assistant)
245	Tailor
246	Tailor (Upholstry)
247	Tally Clerk
248	Tar man
249	Technical Asstt. / Scientific Asst.
250	Telephone Operator, Typist
251	Telex or Telephone Operator
252	Teller Clerk
253	Ticket Vendor (Metro)
254	Tile Flooring
255	Tiler (Selection Grade)
256	Tiler Class II
257	Timber Man/Timber Mistry Elect.
258	Time Keeper
259	Time Keeper (Matriculate Non-Matriculate)
260	Tin Smith (Selection Grade, Grade II and III, Class II) Tinker
261	Tin-Smith
262	Tool Keeper
263	Tracer
264	Tractor Driver
265	Tractor Operator, Tub Repairer, Lathe Mistry
266	Trades-Man
267	Trailors
268	Train Examiner
269	Transprayer
270	Turner
271	Turner/Miller
272	Typist and other categories by whatever name called which are of clerical nature
273	Tyre Vulcaniser
274	Upholsterer
275	Upholsterer (Grade II and III)
276	Valveman
277	Vehicle Driver
278	Wall (Floor, Roof)
279	Welder
280	Welder (Class II, Bridge work)
281	Welder gas
282	Well Sinker
283	White Washer
284	White Washer (Selection Grade, Class II)
285	White Washing and Colour Washing Man
286	Winding Engine Driver Grade - II
287	Wirelesss Operator Asstt. Foreman
288	Wireman (Grade II and III, Mechanic, Electrical)

Sl. no.	SKILLED
289	Wireman,
290	Wood Cutter
291	Wood Cutter Class II
292	Wood Cutter Section Grade
293	Work (Assistant)
294	Work Mistry
295	Work Munshi
296	Work Munshi (Subordinate)
297	Work Sakar

Sl. no.	HIGHLY SKILLED
1	Accountant
2	Airconditioning Grade I/Class I, Mistry Grade I
3	Armature Winder Grade I
4	Artificier Class I
5	Blacksmith Class I
6	Blacksmith Grade I and Class I
7	Boilerman Foreman Grade I
8	Boilerman Grade I
9	Brick Layer class I
10	Cable Joiner Grade I
11	Carpenter grade I and Class I
12	Celo Cutter and Decorator
13	Chargeman Class I
14	Charper/Sletter Grade I
15	Checker (Sr.) Driver Lorry Grade I
16	Clamp Shell Grade I
17	Compounder
18	Compressor Grade I
19	Crane Grade I
20	Diesel Engine Grade I
21	Dozer Grade I
22	Dragline Grade I
23	Drill Grade I
24	Drill Operator other than Jack Hammer
25	Dumper Grade I
26	Electrical Supervisor with Competency Certificate
27	Excavator Grade I
28	Fitter (Grade I, Class I)
29	Foreman (Assistant) Line Man Grade I Mason (Skilled Grade I, Class I) Mast Rig
30	Fork Lift Grade I
31	Generator Grade I
32	Grader Grade I
33	Grinder (Tool) Grade I
34	Hand Class I
35	Head Electrician

Sl. no.	HIGHLY SKILLED
36	Head Mechanic
37	Incharge of Watch and Ward
38	Leader Grade I
39	Machine
40	Machine Tool Mechanic
41	Mason Class I
42	Mechanic (Diesel Grade I and Road Roller Grade I)
43	Mechanic (Senior)
44	Mechanic Class I and Class II
45	Mechanical/Plant Foreman
46	Mining Supervisor
47	Mistry (Airconditioning Grade I)
48	Mistry Grade I
49	Motor Lorry Grade I
50	Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I
51	Operator (Batching Plant Grade I)
52	Operator (Heavy Earth Moving Shovel and Bulldozer)
53	Overseer (Senior and Junior)
54	Painter (Grade I, Class I, Spray) Plasterer (Mason) Class I
55	Pile Driving Grade I
56	Pipe Class I (Head)
57	Plumber (Head, class I)
58	Polisher (with spray Grade I)
59	Pump Class Electrician Grade I and Class I/ Grade I
60	Pump Grade
61	Pump Grade I
62	Qualified and Experienced Welder
63	Rigger Grade I
64	Rigger Grade II
65	Road Inspector Grade I
66	Road Roller Grade I
67	Sawyer Class I
68	Scrapper Grade I
69	Screening Plant Grade I
70	Security Guard (Armed)
71	Security Guard (with Arms)and other categories by whatever name called which are of Highly- skilled nature
72	Shift Incharge
73	Shovel and Dragline
74	Shovel and Dragline Tractor Grade I
75	Shovel Grade I
76	Staff Nurse with Diploma
77	Steno with 7 years of service
78	Stone Chisler Class I
79	Stone Cutter Class I
80	Stone Mason Class I

Sl. no.	HIGHLY SKILLED
81	Store Incharge
82	Sub-Overseer (Qualified)
83	Supervisor
84	Surveyor
85	Tiler Class I
86	Tinsmith Grade I and Class I
87	Tractor Grade I
88	Tradesman Class I
89	Turner/Miller Grade I
90	Tyre vulcanser Grade I
91	Underground Shift Boss
92	Upholsterer Grade I
93	Varnisher Class I
94	Vibrator Grade I
95	Vocational Training Instructor/Teacher
96	Welder (Gas) Class I
97	Welder-*cum*-Fitter and Air Conditioning Mechanic
98	White Washer Class I
99	Winding Engine Driver
100	Wireman Grade I, Class I
101	Wood Cutter Class I
102	Work (Assistant) Grade I
103	Mast Rig
104	Housekeeping Supervisor
105	Cash/ ATM custodian
106	Cashvan armed security guard

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 459 राजपत्र–2026–(1130)–599 प्रतियाँ (डीटी0पी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 3 सा0 श्रम–2026–(1131)–600 प्रतियाँ (डीटी0पी0/आफसेट)।

459 RPH 2026 (Shram Anubhag-3) data 1e

क्रम-संख्या–262

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 अगस्त, 2026

भाद्रपद 5, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग–3

संख्या 962/36-3-2026-1903305

लखनऊ, 27 अगस्त, 2026

अधिसूचना

सा0प0नि0–55

चूँकि, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 37 सन् 2020) की धारा 133 और 135 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, उत्तर प्रदेश उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा नियमावली, 2026 का प्रारूप, सरकारी गजट में अधिसूचना संख्या 500/XXXVI–3–2026–1903305, दिनांक 23 मार्च, 2026 द्वारा, उससे सम्भावित रूप से प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों से, उस दिनांक, जिससे उक्त अधिसूचना से युक्त गजट जनसामान्य को उपलब्ध कराया गया था, से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और चूँकि, पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 23 मार्च, 2026 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी;

और चूँकि, व्यक्तियों और हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचार किया गया है;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 37 सन् 2020) की धारा 133 और धारा 135 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, और –

(एक) उत्तर प्रदेश ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) नियमावली, 1975;

(दो) उत्तर प्रदेश अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) नियमावली, 1983;

(तीन) उत्तर प्रदेश बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) नियमावली, 1969;

(चार) उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950;

(पाँच) उत्तर प्रदेश कारखाना (कल्याण अधिकारी) नियमावली, 1955; और

(छः) उत्तर प्रदेश कारखाना (सुरक्षा अधिकारी) नियमावली, 1984;

(सात) उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण (नियोजन एवं सेवाशर्त का विनियमन) नियमावली, 2009;

(आठ) उत्तर प्रदेश उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त नियमावली, 2022

का सिवाय उन बातों का अधिक्रमण करके जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने से लोप की गई हों, राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तर प्रदेश उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा नियमावली, 2026

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा नियमावली, 2026 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली कारखानों, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्यों से सम्बंधित कार्यस्थलों और अन्य समस्त प्रतिष्ठानों पर लागू होगी।

(4) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएँ

2–(1) जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,–

(क) ''परिशिष्ट'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट से है;

(ख) ''अनुमोदित'' का तात्पर्य इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित यथास्थिति 'मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या अधिकारी या लाइसेंसिंग प्राधिकारी' द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित, किये जाने से है;

(ग) ''प्राधिकरण'' का तात्पर्य और इसमें संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा पदाभिहित समितियां सम्मिलित हैं;

(घ) ''अपीलीय अधिकारी'' का तात्पर्य संहिता की धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी से है;

(ङ) ''अपीलीय प्राधिकारी'' का तात्पर्य संहिता की धारा 119 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथाविहित अपीलीय प्राधिकारी से है;

(च) ''शिक्षु'' का तात्पर्य प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1961) की धारा 2 के खंड (कक) के अधीन यथा परिभाषित शिक्षु से है;

(छ) ''बेल्ट'' में कोई ड्राइविंग पट्टा या रस्सी सम्मिलित है;

(ज) ''बोर्ड'' का तात्पर्य संहिता की धारा 17 के अधीन गठित बोर्ड से है;

(झ) ''कैलेंडर वर्ष'' का तात्पर्य जनवरी के पहले दिन से प्रारम्भ होने वाले बारह महीनों की अवधि से है;

(ञ) ''मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता'' का तात्पर्य अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठानों के लिए नियुक्त उत्तर प्रदेश के मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता से हैः

परन्तु यह कि कारखानों के प्रयोजन के लिए और संहिता और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन कर्मचारियों/कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण से सम्बंधित उपबंधों के लिए मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता वह व्यक्ति होगा जिसे उत्तर प्रदेश के कारखानों के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हो;

(ट) ''मुख्य चिकित्सा अधिकारी'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ठ) ''सतत प्रक्रिया'' का तात्पर्य किसी कारखाने या कारखाने के एक हिस्से में एक प्रक्रिया से है जहां प्रक्रिया अनुसूची–II में घोषित के अनुसार की जाती है;

(ड) ''बालक'' का वही अर्थ होगा जो बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1986) की धारा 2 के खंड (दो) में इसके लिये समनुदेशित है;

(ढ) ''संहिता'' का तात्पर्य उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 37 सन् 2020) से है;

(ण) ''डिग्री'' (तापमान का) का तात्पर्य सेंटीग्रेड पैमाने पर डिग्री से है;

(त) ''पदाभिहित प्राधिकारी'' का तात्पर्य संहिता की धारा 46 और धारा 119 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए नियुक्त राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/समिति से है;

(थ) ''कारखानों के निदेशक'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश श्रम विभाग (कारखाना और बॉयलर विसर्जन) अधिकारी सेवा नियम, 1980'' के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कारखानों के निदेशक के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(द) ''इलेक्ट्रॉनिक रूप से'' का तात्पर्य और इसमें कुशल और पारदर्शी पेरोल सॉफ्टवेयर का अनुरक्षण सम्मिलित है ताकि उपस्थिति रजिस्टर, मस्टर रोल, छुट्टी रजिस्टर, अतिकाल रजिस्टर या मजदूरी रजिस्टर, आदि के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित जानकारी को व्यवस्थित तरीके से देखा जा सके;

(ध) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है;

(न) ''धुएं'' में गैस और वाष्प सम्मिलित है;

(प) ''परिसंकटमय पदार्थ'' का तात्पर्य विनिर्माण, भंडारण और परिसंकटमय रसायनों के आयात नियमावली, 1989 के नियम 2 के खंड (ङ) में यथा परिभाषित रसायनों या किसी अन्य ऐसे पदार्थ से है जिसे राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधिसूचित करें;

(फ) ''परिसंकटमय अपशिष्ट'' का तात्पर्य परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (17) में यथा परिभाषित परिसंकटमय अपशिष्ट से है;

(ब) ''गृह कर्मकार'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे घर पर बीड़ी बनाने के लिए नियोक्ता या संविदाकार द्वारा कच्चा माल दिया जाता है;

(भ) ''श्रम आयुक्त'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(म) ''लाइसेंसिंग प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन नियुक्त प्राधिकारी से है;

(य) ''लाइसेंसिंग अधिकारी'' राज्य सरकार द्वारा संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन नियुक्त किया गया प्राधिकारी है;

(र) ''प्रमुख दुर्घटना जोखिम (एमएएच) स्थापना'' का तात्पर्य विनिर्माण, भंडारण और परिसंकटमय रसायनों के आयात नियमावली, 1989 के नियम 2 (ञक) में यथा परिभाषित से है;

(ल) ''प्रबंधक'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे संहिता और तद्धीन बनयी गयी नियमावली के प्रयोजनों के लिए किसी प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किया गया हो और व्यक्ति अपनी स्थिति से सौंपे गए मामलों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता हो;

(व) ''राष्ट्रीय मानक'' का तात्पर्य भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित मानक और ऐसे मानकों के अभाव में, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मानकों से है;

(श) ''अन्य शिक्षु'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन एक के अलावा नियोक्ता के साथ एक संविदा के अधीन किसी भी संविदात्मक प्रशिक्षण से गुजर रहा हो;

(स) ''अन्य प्रतिष्ठान'' का तात्पर्य संविदा श्रमिकों, अंतर–राज्यीय प्रवासी कर्मकारों, ऑडियो–विजुअल कर्मकारों, बीड़ी और सिगार कर्मकारों, भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों, कारखानों, वृक्षारोपण के अलावा अन्य प्रतिष्ठान से है;

(ष) ''अंशकालिक कर्मकार/कर्मचारी'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो संहिता के अधीन सामान्य दिनों के आधे से भी कम समय के लिए कार्य करता हो;

(ह) ''पोर्टल'' का तात्पर्य श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक वेब–पोर्टल से है;

(क्ष) ''सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकारी'' का तात्पर्य क्षेत्र पर अधिकारिता वाले स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी से है;

(त्र) ''अर्हित नर्स'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 के अधीन मान्यता प्राप्त नर्सिंग में अर्हता धारित करता हो, और जो उत्तर प्रदेश नर्स और मिडवाइव्स काउंसिल, या अन्यथा, या भारत में किसी अन्य राज्य के इसी तरह के रजिस्ट्रीकृत निकाय के साथ रजिस्ट्रीकृत हो;

(ज्ञ) ''तिमाही'' का तात्पर्य 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाले लगातार तीन महीनों की अवधि से है;

(कक) ''रजिस्ट्रीकरण अधिकारी'' का तात्पर्य संहिता की धारा 3 और इस नियमावली के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से है;

(खख) ''धारा'' का तात्पर्य संहिता से है;

(गग) ''मानक संचालन प्रक्रियाएं (सुरक्षा)'' का तात्पर्य कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य और मशीनरी, प्रक्रिया और उपकरणों के सुरक्षित संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रथा से है, और ऐसी प्रथाएं निम्नलिखित में से सभी या किसी की पुष्टि करती हैं, अर्थात् :–

(1) भारतीय मानक ब्यूरो या अंतर्राष्ट्रीय मानक द्वारा अनुमोदित सुसंगत मानक;

(2) राष्ट्रीय भवन संहिता;

(3) उपकरण और मशीनरी के सुरक्षित उपयोग पर विनिर्माता निर्देश;

(4) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित और समय–समय पर संशोधित सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रथाओं पर अभ्यास संहिता।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित समस्त शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो संहिता के अधीन उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हों।

धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (दस) के अधीन अन्य स्रोतों से आय

3–धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (दस) के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आश्रितों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जो उस उद्योग पर तत्समय लागू न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं।

धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (1) के अधीन सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति

4–(1) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता किसी भी व्यक्ति को ऐसे क्षेत्र के भीतर और ऐसी अवधि के लिये एक सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता दे सकता है जो किसी कारखाना में अवस्थित ऐसी इमारतों, खतरनाक मशीनरी, होइस्ट और लिफ्ट, लिफ्टिंग मशीनों और लिफ्टिंग, प्रेशर प्लांट, सीमित स्थानों, वेंटिलेशन सिस्टम और ऐसी अन्य प्रक्रियाओं या प्लांट्स और उपकरणों के लिए परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण करने के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट किया जाय, जैसा कि संहिता और तद्धीन बनाए गए नियमों में निर्धारित किया गया है, यदि ऐसा व्यक्ति इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची–I में निर्धारित अर्हताएं, अनुभव और अन्य अपेक्षाएं धारित करता हो:

परन्तु यह कि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता किसी सक्षम व्यक्ति के सम्बंध में अर्हता की अपेक्षाओं को शिथिल कर सकता है, यदि ऐसा व्यक्ति असाधारण रूप से अनुभवी और जानकार है, लेकिन उसके कमांड में विद्यमान प्रसुविधाओं के सम्बंध में अपेक्षाओं को नहीं:

परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन मान्यता प्राप्त सक्षम व्यक्ति की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी और परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त होगा।

(2) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता किसी प्रतिष्ठित संस्थान को, जिसके पास इस नियमावली से संलग्न अनुसूची–I में उल्लिखित अर्हता एवं अनुभव धारित करने वाले व्यक्ति हों, को भवनों, खतरनाक मशीनरी, होइस्ट और लिफ्ट, लिफ्टिंग मशीनों और लिफ्टिंग टैकल, प्रेशर प्लांट, सीमित स्थानों, वेंटिलेशन सिस्टम और ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्रों और उपकरणों जैसा कि संहिता और तद्धीन बनायी गयी नियमावली में निर्धारित है, के लिए परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण करने के उद्देश्य से, एक सक्षम व्यक्ति के रूप में, ऐसे क्षेत्र के भीतर और ऐसी अवधि के लिए जो निर्दिष्ट की जाय, मान्यता प्रदान कर सकता है;

(3) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, संहिता और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के प्रयोजनार्थ एक सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आशयित व्यक्ति या संस्था से, प्रपत्र–1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा आवेदन प्राप्त होने पर, इस तरह के आवेदन को रजिस्ट्रीकृत कर सकता है और आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए आवेदन को अस्वीकार करें या यदि आवेदक के निपटान में उपलब्ध क्षमता और सुविधाओं के बारे में संतुष्ट हैं, तो आवेदक को एक सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्रपत्र–2 में योग्यता का प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।

(4) सक्षम व्यक्ति या संस्था प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अधिकारिता वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को मासिक रिपोर्ट भेजेगी। रिपोर्ट में उन प्रतिष्ठानों का नाम और पता, जहाँ परीक्षण/परीक्षा की गई थी, प्रतिष्ठान का दौरा करने वाले व्यक्तियों का नाम, यात्रा की तारीख और इस प्रकार परीक्षित पहचान संख्या के साथ उपकरणों की सूची सम्मिलित होगी। सक्षम व्यक्ति कोई अन्य जानकारी भी प्रस्तुत करेगा जो एक निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के स्वयं के समाधान के उद्देश्य से अपेक्षित हो सकती है कि नियम या निर्देशों के किसी भी उपबंध का अनुपालन किया गया है या नहीं। वह तुरंत रिपोर्ट भी करेगा यदि उसकी यात्रा के दौरान उसे लगता है कि प्रतिष्ठान में जीवन के लिए किसी भी आसन्न खतरे का अस्तित्व है।

(5) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, उपनियम (3) के अधीन उसे जारी किए गए प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकता है–

(एक) यदि उसके पास यह मानने का कारण है कि सक्षम व्यक्ति,–

(क) प्रमाण-पत्र में निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है; या

(ख) एक परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण किया है या अन्यथा उन्हें संहिता के उद्देश्य या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के आशय या उद्देश्य के साथ असंगत तरीके से किया है; या

(ग) संहिता और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन अपेक्षित अधिनियम को निकाल दिया गया है;

(दो) लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी अन्य कारण के लिए।

स्पष्टीकरण– इस नियमावली के प्रयोजन के लिए, एक संस्था में एक संगठन सम्मिलित है।

(6) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, लिफ्टिंग मशीनों, लिफ्टिंग टैकल, प्रेशर प्लांट या वेंटिलेशन सिस्टम, जैसा भी मामला हो, के पुनः प्रमाणन की अपेक्षा कर सकता है, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

अध्याय–दो

प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रीकरण

धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण, शुल्क और विलंब शुल्क के लिए आवेदन दाखिल करने की रीति और प्रपत्र

5–(1) आवेदन दाखिल करने का प्रपत्र,–

(क) किसी प्रतिष्ठान के लिए रजिस्ट्रीकरण चाहने वाले नियोक्ता को इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट वेब–पोर्टल पर प्रपत्र–3 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करना होगा, जिसमें प्रतिष्ठान के बारे में विवरण दिया जाएगा, और अपेक्षित दस्तावेज, पहचान का प्रमाण और नियोक्ता का पता अपलोड किया जाएगा, जैसा कि उक्त प्रपत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) उक्त प्रपत्र पर डिजिटल रूप से या पोर्टल पर आवश्यक किसी अन्य तरीके से हस्ताक्षर किए जाएंगे। आवेदक आवेदन में प्रस्तुत सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961/आयकर अधिनियम, 2025 के अधीन आवंटित आवेदक या प्रतिष्ठान की स्थायी खाता संख्या (पैन)/कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टीएएन) या किसी अन्य अधिनियम के अधीन प्रतिष्ठान को आवंटित कोई अन्य विशिष्ट संख्या या उक्त प्रपत्र में दी गयी कोई अन्य विशिष्टियाँ ऑनलाइन सत्यापित की जा सकती है।

(2) संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियोक्ता को निदेश दे सकता है जो उपनियम (1) की अपेक्षाओं का पालन करने में विफल रहता है, उसमें बताए गए समय के भीतर ऐसा करने के लिए और ऐसा नियोक्ता इसके बाद इस सम्बंध में अधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन करेगा।

(3) नियोक्ता यथास्थिति संहिता या नियमों या विनियमों या योजना के सम्बंध में उसके द्वारा तैयार किए गए या पूरे किए गए सभी दस्तावेजों पर और सम्बंधित कार्यालय के साथ सभी पत्राचार में रजिस्ट्रीकरण संख्या उद्धृत करेगा।

(4) (क) प्रतिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क का भुगतान निम्नलिखित दरों पर किया जाएगाः–

प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मकारों की संख्या	शुल्क की धनराशि रुपये में
दस या अधिक लेकिन बीस से कम कर्मकार	5000.00
बीस या अधिक लेकिन पचास से कम कर्मकार	10000.00
पचास या अधिक लेकिन सौ से कम कर्मकार	15000.00
सौ या अधिक लेकिन ढाई सौ से कम कर्मकार	20000.00
दो सौ पचास या अधिक लेकिन पाँच सौ से कम कर्मकार	25000.00
पाँच सौ या उससे अधिक लेकिन एक हजार से भी कम कर्मकार	50000.00
एक हजार या अधिक कर्मकार	100000.00

परन्तु यह कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क की धनराशि में परिवर्तन कर सकती है।

(ख) संहिता के उपबंध के अनुसार, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवेदन को संसाधित करेगा और प्रपत्र 3(क) में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रपत्र–4 में इलेक्ट्रॅनिक रूप से प्रतिष्ठान का एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें उस प्रतिष्ठान का विवरण दर्शाया जाएगा जिसके सम्बंध में उसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

(6) जहां एक प्रमुख नियोक्ता ने धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित साठ दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, तो वह दस प्रतिशत वार्षिक दर से विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(7) नियोक्ता, किसी भी केंद्रीय श्रम कानून के अधीन पहले से ही रजिस्ट्रीकृत प्रतिष्ठान के सम्बंध में, जैसा कि धारा 3 की उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट है, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक से छह महीने के भीतर राज्य सरकार के पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों का विवरण प्रदान करेगा।

(8) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्रतिष्ठान के परिसर में हार्डकॉपी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

(9) विनिर्दिष्ट पोर्टल पर जमा किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रपत्र में स्वामित्व, प्रबंधन या किसी विशिष्टि में किसी परिवर्तन को नियोक्ता द्वारा इस तरह के परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर पोर्टल पर लागू किया जाएगा।

(10) किसी प्रतिष्ठान का नियोक्ता और जिसका कारबार क्रियाकलाप बंद होने की प्रक्रिया में हैं, केंद्रीय श्रम संहिता के अधीन देय बकाया राशि का पूरा विवरण देने के पश्चात, आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता हैः

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि नियोक्ता ने सभी वैधानिक विवरणी प्रस्तुत नहीं किए हैं, केंद्रीय श्रम संहिताओं और किसी अन्य प्रवृत्त केंद्रीय या राज्य श्रम कानून के अधीन सभी वैधानिक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, जो उस समय लागू कानून के अनुसार है और आवेदन के साथ उस आशय का स्व–प्रमाणन प्रस्तुत नहीं करता है।

धारा 4 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील

6–(1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश से व्यथित नियोक्ता, ऐसे आदेश के विरूद्ध, राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन हेतु यथा नियुक्त अपीलीय अधिकारी के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप से अन्यथा अपील दाखिल कर सकता है।

(2) अपील ज्ञापन के रूप में होगी और आदेश पर आपत्ति के आधारों को संक्षिप्त रूप से निर्धारित करेगी। अपील के विरूद्ध अपील किए गए आदेश की एक प्रमाणित प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अपील के साथ होगी।

(3) जहां अपील का ज्ञापन क्रम में है, अपीलीय अधिकारी अपील को स्वीकार करेगा, इसे अभिस्वीकृत करेगा और ऐसी अपील की स्वीकृति को संसूचित करेगा, और अपील को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगा, जिसे ''अपील रजिस्टर'' कहा जाता है।

(4) जब अपील स्वीकार कर ली जाती है, तो अपीलीय अधिकारी अपील का नोटिस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेगा, जिसके आदेश के विरूद्ध अपील को प्राथमिकता दी गई है और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इसके बाद मामले के रिकॉर्ड को अपीलीय अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन भेजेगा।

(5) अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय अधिकारी, अपीलकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा, नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक और समय पर अपील की सुनवाई के लिये उसके सामने उपस्थित होने के लिए एक नोटिस भेजेगा।

(6) यदि सुनवाई के लिए निर्धारित दिनांक पर, अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है, तो अपीलीय अधिकारी आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से खारिज के आदेश की प्रति भेजकर अपीलकर्ताओं की उपस्थिति में चूक के लिए अपील को खारिज कर सकता है।

(7) जहां उपनियम (6) के उपबंधों के अधीन अपील खारिज कर दी गई है, अपीलकर्ता खारिज के आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर अपील की बहाली के लिए अपीलीय अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है और यदि अपीलीय अधिकारी संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से रोका गया था, अपीलीय अधिकारी अपील को बहाल करेगा।

(8) अपीलीय अधिकारी के आदेश को, अपीलकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा संसूचित किया जाएगा और उसकी प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी जाएगी जिसके आदेश के विरूद्ध अपील को प्राथमिकता दी गई है और अपील प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा।

धारा 5 के अधीन कार्य प्रारम्भ करने और बंद करने के नियोक्ता द्वारा नोटिस

7–(1) प्रत्येक नियोक्ता, जिस पर संहिता की धारा 5 लागू होती है, किसी भी कार्य के प्रारम्भ होने और पूरा होने के तीस दिनों के भीतर, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को, जिसके पास उस क्षेत्र में अधिकारिता है जहां प्रस्तावित प्रतिष्ठान या जैसा भी मामला हो, कार्य निष्पादित किया जाना है, राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र–5 में यथास्थिति कार्य के प्रारम्भ होने, पूर्ण होने और प्रतिष्ठान के बंद होने की वास्तविक दिनांक की सूचना देगा।

(2) संचालन की समाप्ति की सूचना के साथ एक प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा कि प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मकारों को सभी बकाया का भुगतान कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भंडारण से मुक्त रखा गया है।

अध्याय–तीन

नियोक्ता और कर्मचारियों के कर्तव्य

धारा 6 की खंड (क) उपधारा (1) और धारा 135 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन शारीरिक चोटों की रोकथाम

8–(1) कोई भी भवन, दीवार, चिमनी, पुल, सुरंग, सड़क, गैलरी, सीढ़ी, रैंप, फर्श, प्लेटफॉर्म, मंचन, या अन्य संरचना, चाहे वह स्थायी या अस्थायी चरित्र की हो, किसी भी प्रतिष्ठान में इस तरह से निर्मित, स्थित या अनुरक्षित नहीं की जायेगी जिससे शारीरिक चोट का खतरा हो।

(2) किसी भी प्रतिष्ठान में किसी भी मशीनरी, संयंत्र या उपकरण का निर्माण, स्थित, संचालन या रखरखाव इस तरह से नहीं किया जाएगा जिससे शारीरिक चोट का खतरा हो।

(3) किसी भी प्रतिष्ठान में इस तरह से कोई प्रक्रिया या कार्य नहीं किया जाएगा जिससे शारीरिक चोट का खतरा हो।

(4) किसी भी सामग्री या उपकरण को इस तरह से ढेर या संगृहीत नहीं किया जाएगा जिससे शारीरिक चोट का खतरा हो।

(5) (क) किसी भी कर्मकार को लगातार चलने वाली कन्वेयर लाइन पर या मशीन के पुर्जों, घटकों की असेंबली के लिए या विनिर्दिष्ट रीति से काम करने के लिये सामग्री हैंडलिंग हेतु प्रयुक्त किसी भी समान उपकरण पर इतने लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं होगी, जहाँ आराम के लिए उचित अंतराल के बिना, सीमित या दोहराव वाली मुद्राओं में निरंतर मैनुअल काम करना हो, और/या कन्वेयर बेल्ट या लाइन की अत्यधिक गति से थकान होने या कर्मकार की सुरक्षा या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(ख) नियोक्ता, किसी सक्षम व्यक्ति की सिफारिश पर, ऐसी मशीनरी या मैनुअल कार्य आउटपुट की अधिकतम अनुमेय गति और किसी कर्मकार के काम की सम्बंधित अनुमेय अवधि को निर्दिष्ट करने वाले मैट्रिक्स तैयार करेगा और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का अनुमोदन प्राप्त करेगाः

परन्तु यह कि उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य से सम्बंधित किसी मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट या अनुशंसित ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को इस संहिता के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित माना जाएगा।

(ग) अनुमोदित मैट्रिक्स को सम्बंधित कन्वेयर लाइन, असेंबली लाइन या कार्यस्थल पर या उसके पास स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण– इस उपबंध के प्रयोजनों के लिए, ''मैट्रिक्स'' का तात्पर्य एक प्रलेखित अनुसूची से है जो मशीन की गति या काम की अनुमेय अवधि के साथ मैनुअल कार्य आउटपुट को सहसम्बंधित करती है, जिसे एर्गोनोमिक और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य सिद्धांतों पर तैयार किया गया है।

(6) प्रसुविधाओं और सुविधाओं के लिए कोई शुल्क या प्रभार नहीं– धारा 24(1)(पाँच) के उपबंधों के अध्यधीन उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अधीन नियोक्ता या अधिभोगी द्वारा प्रदान किये जाने हेतु अपेक्षित किसी व्यवस्था या प्रसुविधा जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्कर (पीपीई), या आपूर्ति किये जाने हेतु अपेक्षित कोई उपस्कर या साधित्र सम्मिलित है, के सम्बंध में किसी कर्मकार या कर्मचारी से कोई प्रभार या शुल्क नहीं लिया जाएगा।

उन कर्मचारियों के लिए विशेष उपबंध जो धारा 2(1)(यठ) से आच्छादित नहीं हैं

9—संहिता और नियमावली के उपबंध, जिनमें कर्मचारियों के लिए विनिर्दिष्ट नहीं हैं, निम्नलिखित के सम्बन्ध में धारा 2(1)(यठ) के अधीन अनाच्छादित कर्मकारों पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वे संहिता एवं नियमावली के अर्थ में कर्मकार हों :—

(एक) सुरक्षा और स्वास्थ्य;

(दो) अभिलेखों, रजिस्टरों और प्रपत्रों का रखरखाव;

(तीन) किसी प्रतिष्ठान के लिए संहिता के अध्याय सात में सामान्य दैनिक कार्य घंटों और संहिता का धारा 27 के अधीन उपबंधों को छोड़कर।

धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन प्रतिष्ठानों में यांत्रिक परिवहन से उत्पन्न होने वाले खतरे के विरूद्ध उपबंध

10—(1) किसी भी रेलवे वैगन को शक्ति या हाथ से तब तक नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति या विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षरूप से आवाजाही की निगरानी न की जाए और एक व्यक्ति को उपयुक्त घंटी या अन्य श्रव्य उपकरण के साथ शंट किए जा रहे वैगन या वैगनों के आगे चलने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी व्यक्ति को चलती वैगन या वैगनों के सामने या बीच से गुजरने की अनुमति नहीं है। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम प्रपत्र—6 में उपस्थिति रजिस्टर में अलग से दिखाए जाएंगे।

(2) यांत्रिक परिवहन या परिवहन वाहन जब स्थानांतरित किया जाता है तो केवल उन्हें काम करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाएगा, और इस तरह के संचालन एक जिम्मेदार पर्यवेक्षक के प्रभार में होंगे। नियोक्ता उचित कदम उठाएगा और ऐसे वाहनों की सुरक्षित आवाजाही के लिए व्यवस्था करेगा।

अन्य प्रशिक्षुओं के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों के लिए विशेष उपबंध

11—(1) जहां कोई प्रशिक्षु या अन्य प्रशिक्षु किसी प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण ले रहे हैं, संहिता और नियमावली के उपबंध इन प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के सम्बंध में लागू होंगे जैसे कि वे संहिता के अर्थ के भीतर कर्मकार थे।

(2) धारा 25 की उपधारा (1) और (4) के उपबंध और सामान्य कार्य घंटों के सम्बंध में उसके अधीन बनाए गए नियम 'अन्य शिक्षुओं' पर लागू होंगे जैसे कि वे संहिता के अर्थ के भीतर कर्मकार थे।

धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन पाँच मंजिला या उससे अधिक या बीस मीटर या उससे अधिक की इमारत वाले प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा उपबंध

12—(1) किसी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के एक समूह का नियोक्ता, स्वामी या दोनो, जिसकी इमारत में पाँच मंजिलें या उससे अधिक हैं या जिसकी ऊंचाई बीस मीटर या उससे अधिक है, आग की आपात स्थिति या लिफ्ट की विफलता आदि से निपटने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक (National Building Construction Standards) 2026 के भाग—F (Fire and Life Safety) के मानकों के अनुसार करेगा।

(2) नियोक्ता, स्वामी या दोनों, जैसा भी मामला हो, भारतीय मानकों के अनुसार अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता, व्यक्तियों का प्रशिक्षण, लोगों को सूचना का प्रसार और सुरक्षा के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।

धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कतिपय प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच

13—(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोक्ता उन सभी कर्मचारियों की, जिन्होंने चालीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है, हर बारह महीने में कम से कम एक बार, नियोजित करने से पहले सभी व्यक्तियों, और उन कर्मचारियों की जो रोजगार के दौरान पिछले दो वर्षों में गंभीर शारीरिक चोट के परिणामस्वरूप दुर्घटना का सामना कर चुके हैं, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच आयोजित करने की व्यवस्था करेगाः

परन्तु यह कि परिसंकटमय प्रक्रिया या खतरनाक संचालन में नियोजित कर्मचारियों की जांच विशेष रूप से उसमें प्रदान किए गए नियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) स्वास्थ्य परीक्षा एक योग्य चिकित्सक या कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी, जैसा भी मामला हो। इस तरह की वार्षिक परीक्षा का रिकॉर्ड प्रपत्र—7 में एक स्वास्थ्य रजिस्टर में रखा जाएगा। यदि परीक्षा पूर्व—रोजगार के लिए आयोजित की जाती है, तो इसे फिटनेस प्रमाण-पत्र के रूप में प्रपत्र—8 में भी रखा जाएगा। ऐसी परीक्षाओं के निष्कर्षों को सम्बंधित कर्मचारी के साथ साझा किया जाएगा।

(3) चिकित्सा परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–

(एक) सम्पूर्ण चिकित्सा एवं व्यावसायिक इतिहास;

(दो) नैदानिक परीक्षण, विशिष्ट रूप से निम्नवत संदर्भ में–

(क) सामान्य शारीरिक बनावट;

(ख) दृष्टि–इसमें दृश्य तीक्ष्णता और धब्बेदार कार्य परीक्षण या फंडोस्कोपी परीक्षा सम्मिलित होगी;

(ग) सुनवाई – ऑडियोमेट्री परीक्षण, यदि आवश्यक हो;

(घ) श्वास – फुफ्फुसीय समारोह परीक्षण या एक्स– रे, यदि आवश्यक हो;

(ङ) ऊपरी अंग– पर्याप्त भुजा कार्य क्षमता और पकड़ (दोनों भुजा);

(च) निचले अंग– पर्याप्त पैर और पंजे की कार्य क्षमता;

(छ) रीढ़– सम्बंधित नौकरी के लिए पर्याप्त रूप से लचीला;

(ज) सामान्य– अच्छी आंख, हाथ और पैरों के समन्वय के साथ मानसिक सतर्कता और स्थिरता;

(झ) पूर्ण रक्त गणना परीक्षण, लिपिड प्रोफाइल।

(तीन) कोई अन्य परीक्षण जिसे जांच करने वाला डॉक्टर आवश्यक समझता है।

धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नियुक्ति-पत्र और पहचान-पत्र

14–(1) नियोक्ता, नियुक्ति पर या काम शुरू करने से पहले प्रतिष्ठान में प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति-पत्र जारी करेगा। नियुक्ति-पत्र में प्रपत्र–9 में निर्दिष्ट विवरण सम्मिलित होंगे। नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि नियुक्ति-पत्र का विवरण संहिता और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अनुरूप है। नियुक्ति-पत्र की शर्त के बारे में किसी भी विवाद का विनिश्चय संहिता की धारा 4 के अधीन अपीलीय अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक अलग संख्या या कोड का व्यवस्थित आवंटन भी सुनिश्चित करेगा और नियुक्ति के एक महीने के भीतर इस तरह के कर्मचारी कोड और अन्य आवश्यक विवरणों वाला एक पहचान-पत्र जारी करेगाः

परन्तु यह कि इन नियमावली के लागू होने के तीन महीने के भीतर सभी कर्मचारियों को ऐसे नियुक्ति-पत्र और पहचान-पत्र जारी किए जाएंगे।

(3) यदि किसी कर्मचारी का पहचान-पत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है या खो जाता है, तो नियोक्ता एक महीने के भीतर कर्मचारी को एक नया पहचान-पत्र जारी करेगा। नियोक्ता, मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 21 के उपबंधों के अधीन एक कैलेंडर वर्ष के भीतर एक नया जारी करने के लिए कर्मचारी से दस रुपये और बाद में किसी भी जारी करने के लिए पचास रुपये का शुल्क ले सकता है।

(4) नियोक्ता यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षण का अनुबंध अन्य प्रशिक्षुओं के साथ भी निष्पादित किया गया है और उन्हें एक महीने के भीतर पहचान-पत्र जारी किए गए हैं।

धारा 10 और 11 के अधीन दुर्घटना और खतरनाक घटनाओं की सूचना

15–(1) जहां किसी प्रतिष्ठान में किसी स्थान पर दुर्घटना होती है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, प्रतिष्ठान का नियोक्ता या अधिभोगी या प्रबंधक तुरन्त अधिकारिता वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को एक नोटिस प्रेषित करेगा और इसकी पुष्टि इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्रपत्र-10 में बारह घंटे के भीतर करेगा और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, जिला मजिस्ट्रेट या उपमंडल अधिकारी और निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारीय और मृतक व्यक्ति के परिवार के सदस्यों या परिजनों को टेलीफोन या मैसेंजर द्वारा सूचित करेगा।

(2) जहाँ किसी प्रतिष्ठान में किसी भी स्थान पर एक दुर्घटना होती है जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक चोट लगती है जिसके कारण घायल व्यक्ति को दुर्घटना के तुरंत बाद अड़तालीस घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए काम करने से रोका जाता है, तो प्रतिष्ठान का नियोक्ता या अधिभोगी या प्रबंधक अड़तालीस घंटे पूरा होने के बाद बारह घंटे के भीतर तुरंत प्रपत्र-10 में, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक नोटिस भेजेगा।

(3) जहाँ किसी प्रतिष्ठान में, नियम 16 में निर्दिष्ट कोई खतरनाक घटना होती है, चाहे वह किसी शारीरिक चोट या विकलांगता का कारण हो या नहीं, प्रपत्र-11 में एक नोटिस बारह घंटे के भीतर निम्नलिखित को भेजा जाएगा,–

(क) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट या उप–मंडल अधिकारीः

परन्तु यह कि यदि किसी दुर्घटना या खतरनाक घटना के मामले में, पूर्वगामी उपनियमों में निर्दिष्ट नोटिस भेजे जाने के बाद ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना से घायल किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो प्रतिष्ठान का नियोक्ता या अधिभोगी या प्रबंधक मृत्यु के बारह घण्टे के भीतर उपनियम (1) और (2) में उल्लिखित अधिकारियों और व्यक्तियों को टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी सूचना भेजेगा और इस जानकारी की लिखित रूप में भी पुष्टि करेगाः

परन्तु यह कि, यदि उपनियम (3) में निर्दिष्ट 48 घंटे या उससे अधिक समय तक काम करने से विकलांगता की अवधि दुर्घटना या खतरनाक घटना के तुरंत बाद नहीं होती है, लेकिन बाद में एक से अधिक अवधि में होती है, तो उसकी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर प्रपत्र-10 में निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को भेजी जाएगी, जब दुर्घटना या खतरनाक के परिणामस्वरूप काम करने से विकलांगता की वास्तविक कुल अवधि घटना 48 घंटे हो जाती है।

(4) किसी भी व्यक्ति को उस स्थल को जिस पर कोई घातक दुर्घटना हुई है या दुर्घटना में सम्मिलित किसी अन्य वस्तु को निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, या पुलिस अधिकारी, जो उप–निरीक्षक से अनिम्न रैंक का हो, के आने से पूर्व, या ऐसे अधिकारी की सहमति के बिना छेड़ने की अनुमति नही दी जायेगीः

परन्तु यह कि आगे की दुर्घटना को रोकने या व्यक्तियों को खतरे से सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

धारा 11 के अधीन खतरनाक घटनाओं की श्रेणियां

16–खतरनाक घटनाओं के वर्ग निम्नलिखित हैं, चाहे उनमें व्यक्तिगत चोट या विकलांगता हो या नहीं, अर्थात्:–

(क) वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव पर पेट्रोलियम, भाप, संपीड़ित हवा या अन्य पदार्थ युक्त किसी भी संयंत्र या पाइपलाइन या उपकरण का फटना;

(ख) क्रेन, डेरिक, चरखी, लहरा या अन्य उपकरणों का अचानक से गिर जाना या विफल हो जाना जिसका उपयोग व्यक्तियों या सामानों को उठाने या नीचे उतारने में किया जाता है, या उसके किसी भी हिस्से, या क्रेन का पलटना;

(ग) विस्फोटक, विस्फोटकों के कारण विस्फोट, आग, हानिकारक जहरीली गैसों का रिसाव या निर्मोचन, तेजी से बाहर निकलना, किसी भी पिघली हुई धातु का रिसाव या बाहर निकलना, या गर्म तरल या गैस से किसी भी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाना या किसी भी कक्ष या स्थान को नुकसान पहुंचाना जिसमें व्यक्ति नियोजित हैं;

(घ) किसी भी गैस या गैसों (हवा सहित) या गैस के संपीड़न के परिणामस्वरूप किसी भी तरल या ठोस के वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव पर भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले रिसीवर या कंटेनर का विस्फोट;

(ङ) भवन या निर्माण सामग्री को संभालने के लिए उपकरणों या लहरा या कन्वेयर या अन्य समान उपकरणों को उठाने या रस्सी, चेन या ढीले गियर के टूटने या विफलता के लिए पतन या विफलताय भवन या अन्य निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली क्रेन को पलटना; ऊंचाई से वस्तुओं का गिरना;

(च) किसी भी दीवार, फर्श, गैलरी, छत के पुल, सुरंग, चिमनी, दीवार, भवन या मिट्टी या किसी अन्य संरचना, मंचन, मचान या फॉर्मवर्क सहित पहुंच के किसी भी साधन का ढहना या धंसना; संपर्क कार्य, उत्खनन और संचरण का पतन;

(छ) खतरनाक पदार्थों का रिसाव या रिसाव और उनके कंटेनर को नुकसान;

(ज) प्रतिष्ठान के भीतर परिवहन उपकरणों का ढहना, पलटना, गिरना या टक्कर;

(झ) किसी भी खुदाई, लोडिंग या परिवहन मशीनरी की ऊंचाई से गिरना;

(ञ) जमीन के नीचे काम करने में एक स्तंभ, एक स्तंभ का हिस्सा या कोयले के कई खंभे (यानी, एक टक्कर) की तात्कालिक विफलता;

(ट) जमीन के नीचे काम करने में एक चट्टान का विस्फोटय काम के किसी भी हिस्से का समय से पहले पतन;

(ठ) किसी भी मशीन या उपकरण के एक आवश्यक हिस्से का टूटना, फ्रैक्चर या विफलता जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है;

(ड) एक स्लाइड जिससे किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है, किसी भी मशीनरी को नुकसान होता है, या सामान्य खनन कार्यों में रुकावट आती है;

(ढ) ओपनकास्ट काम करने में डंप या साइड की विफलता; एक झटका;

(ण) किसी भी संरचना या स्थापना की विफलता जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है; या बिजली के फ्लैश–ओवर के कारण उत्पन्न चिंगारी जिससे किसी भी व्यक्ति को जलने की चोट लगती है;

(त) पेट्रोलियम या रासायनिक रिसाव का एक प्रमुख अनियंत्रित उत्सर्जन;

(थ) कोई अन्य घटना जिसे राज्य सरकार द्वारा एक आदेश द्वारा ''खतरनाक घटना'' के रूप में घोषित किया जा सकता है।

धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन कुछ बीमारियों की सूचना

17–जहां किसी प्रतिष्ठान में कोई कर्मकार संहिता की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी बीमारी से संक्रमित हो जाता है, वहां प्रतिष्ठान का प्रबंधक या नियोक्ता सम्बंधित निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्रपत्र–12 में, जिस दिन यह प्रतिष्ठान के नियोक्ता या प्रबंधक की जानकारी में आता है, के अड़तालीस घण्टे के भीतर एक नोटिस प्रेषित करेगा।

धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन एक चिकित्सक द्वारा मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट करने का तरीका और समय

18–यदि कोई चिकित्सक किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करता है जो किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत है या रहा हो और जिसके विषय में चिकित्सक को यह विश्वास है या जो, संहिता की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी बीमारी से पीड़ित है, तो चिकित्सक बिना किसी देरी के, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होगाः–

(क) रोगी का नाम और पूरा डाक पता;

(ख) वह बीमारी जिससे वह रोगी को पीड़ित मानता है;

(ग) उस कारखाने का नाम और पता जिसमें रोगी है या अंतिम बार कार्यरत था;

(घ) ऐसी बीमारी के संभावित कारण;

(ङ) अन्य पीड़ित रोगियों की स्थिति और ऐसी बीमारी के फैलने की संभावना;

(च) रोग फैलने की जांच के लिए किए जा सकने वाले निवारक उपाय (यदि कोई हो); तथा

(छ) अन्य मुद्दे, जिसे चिकित्सक इस सम्बंध में उल्लेख करने के लिए महत्वपूर्ण समझता हो।

धारा 13 के अधीन कर्मचारियों के कर्तव्य

19–(1) यदि किसी कर्मचारी को कार्यस्थल में किसी भी असुरक्षित या अस्वास्थ्यकर स्थिति के बारे में पता चलता है, तो वह कारखानों के मामले में जितनी जल्दी हो सके अध्यासी/नियोक्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिनिधि या सुरक्षा अधिकारी या प्रबंधक को रिपोर्ट करेगा।

(2) प्रत्येक कर्मचारी, सामान्य रूप से, प्रतिष्ठान में अपने काम के घंटों के दौरान नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया पहचान-पत्र पहनेगा या अपने साथ रखेगा। यदि पहचान-पत्र खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो कर्मचारी प्रबंधक को लिखित रूप में रिपोर्ट करेगा। कोई भी कर्मचारी कार्ड का दुरुपयोग नहीं करेगा।

धारा 14 के अधीन कर्मचारियों के अधिकार

20–प्रत्येक कर्मचारी को अधिकार होगाः–

(क) अध्यासी/नियोक्ता से कार्यस्थल पर कर्मचारी के स्वास्थ्य और सुरक्षा से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करना;

(ख) कारखाने के भीतर जहां भी संभव हो, सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये प्रशिक्षण प्राप्त करना, या मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित प्रशिक्षण केन्द्र या संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अध्यासी द्वारा स्वयं को प्रायोजित कराना;

(ग) कारखाने में उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त उपबंध के मामले में सीधे या उसके प्रतिनिधि के माध्यम से निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को प्रतिनिधित्व करना।

धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन आसन्न खतरे के अस्तित्व की रिपोर्ट

21–(1) यदि किसी भी समय नियोक्ता/अध्यासी को आसन्न गंभीर व्यक्तिगत चोट या मृत्यु या सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आसन्न खतरे की संभावना की उचित आशंका के बारे में कर्मचारी/कर्मकार से सूचना प्राप्त होती है तो नियोक्ता/अध्यासी तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करेगा।

(2) नियोक्ता/अध्यासी, चाहे संतुष्ट हो या नहीं, ऐसे आसन्न खतरे और उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा इंस्पेक्टर–सह–सुविधाप्रदाता और यदि आवश्यक हो तो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजेगा।

अध्याय–चार

उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य

धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन

22–संहिता की धारा 17 के अधीन गठित राज्य उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार– पदेन अध्यक्ष;

(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार– उपाध्यक्ष, पदेन;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दो अधिकारी, विशेष सचिव के रैंक से अनिम्न होंगे, जिनमें से एक महिला होगी– सदस्य;

(घ) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ – सदस्य, पदेन;

(ङ) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार – सदस्य–सचिव, पदेन ;

(च) महानिदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार– सदस्य, पदेन ;

(छ) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, उत्तर प्रदेश सरकार– सदस्य, पदेन सदस्य ;

(ज) सचिव, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड – सदस्य, पदेन सदस्य;

(झ) सचिव, उत्तर प्रदेश असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कल्याण बोर्ड – सदस्य, पदेन ;

(ञ) सचिव, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड– सदस्य, पदेन ;

(ट) निदेशक, ईएसआईसीएस, उत्तर प्रदेश सरकार– सदस्य, पदेन ;

(ठ) कारखाना निदेशक, उत्तर प्रदेश– सदस्य;

(ड) इस मामले से जुड़े वृत्तिक निकाय का एक प्रतिनिधि जिसके लिए मानकों, नियमों, नीतियों को तैयार किया जा रहा है– राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना है– सदस्य;

(ढ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले नियोक्ताओं के पाँच प्रतिनिधि– सदस्य ;

(ण) रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियनों या फेडरेशन के पाँच प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे– सदस्य;

(त) उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र के पाँच प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनके पास इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और अन्यून दस वर्ष का अनुभव, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट– सदस्यः

परन्तु यह कि इस नियम के खंड (ढ), (ण) और (त) के अधीन नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्यों के लिए महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगाः

परन्तु यह भी कि, राज्य सरकार, बोर्ड की किसी बैठक में किसी व्यक्ति को विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित कर सकती है, जिसके लिए राज्य सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा व्यक्ति ऐसे किसी मामले का विशेषज्ञ है जिस पर निर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष चर्चा की जानी है या उत्पन्न हुई हैः

परन्तु यह कि, ऐसे विशेष आमंत्रित व्यक्ति बोर्ड की बैठकों में मतदान करने का हकदार नहीं होंगे।

धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल

23–(1) बोर्ड के गैर–सरकारी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(2) बोर्ड के गैर–सरकारी सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।

(3) गैर–सरकारी सदस्यों को बोर्ड से हटा दिया जाएगा यदि वे उस हित का प्रतिनिधित्व करना बंद कर देते हैं जिसके लिए उन्हें नामनिर्दिष्ट किया गया था।

(4) सभी नामनिर्दिष्ट सदस्य दो से अधिक कार्यकाल के लिए पुनरू नामांकन के पात्र नहीं होंगे।

धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य का त्याग-पत्र

24–(1) कोई भी गैर–सरकारी सदस्य अपने हाथ से हस्ताक्षरित राज्य सरकार को संबोधित-पत्र द्वारा त्याग-पत्र दे सकता है।

(2) ऐसे सदस्य की सीट उस तारीख से रिक्त हो जाएगी जिस दिन उसका त्याग-पत्र स्वीकार किया जाता है या त्याग-पत्र की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो।

धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन आकस्मिक रिक्तियों को भरना

25–(1) सदस्य की मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्यथा के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त नामनिर्दिष्ट सदस्य, उस सदस्य के पद की अवधि की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है।

(2) जब किसी कारण से रिक्ति होती है या बोर्ड की सदस्यता में होने की संभावना होती है, तो सदस्य–सचिव राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो रिक्त स्थान को भरने के लिए, व्यक्तियों की श्रेणी में से, जिससे सदस्यता रिक्त करने वाला व्यक्ति सम्बंधित है, कदम उठाएगी और इस प्रकार नामित व्यक्ति उस सदस्य के पद की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है।

धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यता की समाप्ति

26–यदि बोर्ड का कोई सदस्य, पदेन सदस्य नहीं होने के नाते, बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत अनुमति प्राप्त किए बिना, बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, तो ऐसी अनुपस्थिति के लिए वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगाः

परन्तु राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसे सदस्य को लगातार तीन बैठकों में भाग लेने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो यह निदेश दे सकती है कि ऐसी समाप्ति नहीं होगी और ऐसे निदेश दिए जाने पर ऐसा सदस्य बोर्ड का सदस्य बना रहेगा।

धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यता के लिए निरर्हताएं

27–एक व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाएगाः–

(एक) यदि वह विकृतचित मस्तिष्क का घोषित हो और ऐसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाता है;

(दो) यदि वह एक गैर–डिस्चार्ज दिवालिया है;

(तीन) यदि उसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें तीन महीने या उससे अधिक का कारावास है या जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता सम्मिलित है।

धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यता से हटाना

28–राज्य सरकार राज्य बोर्ड के किसी भी सदस्य को हटा सकती है, यदि उसकी राय में ऐसे सदस्य ने उस हित का प्रतिनिधित्व करना बंद कर दिया है जिसका वह बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने हेतु तात्पर्यित होः

परन्तु यह कि ऐसे किसी भी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस नियम के अधीन प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया जाए।

धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता

29–(1) किसी आधिकारिक सदस्य का यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता आधिकारिक कर्तव्यों पर उसके द्वारा की गई यात्रा के लिए उस पर लागू नियमों द्वारा शासित होगा और उसके वेतन का भुगतान करने वाले प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(2) बोर्ड के गैर–सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते और बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ते का भुगतान ऐसी दरों पर किया जाएगा जो राज्य सरकार के समूह ''क'' अधिकारी के न्यूनतम स्तर पर स्वीकार्य हैं।

(3) बोर्ड की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्यों को बोर्ड की ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते मिलेंगे जो बोर्ड के अन्य गैर–सरकारी सदस्य प्राप्त करने के हकदार हैं।

धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड की बैठक और कार्य की सूची

30–(1) राज्य बोर्ड की बैठक हर छह महीने में कम से कम एक बार होगीः

परन्तु यह कि अध्यक्ष, बोर्ड के अन्यून एक तिहाई सदस्यों से लिखित रूप में मांग प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, उसकी एक विशेष बैठक बुलाएगा।

(2) किसी भी बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम आधे सदस्य उपस्थित न होंः

परन्तु यह कि यदि किसी बैठक में एक–तिहाई से कम सदस्य उपस्थित होते हैं, तो अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों को सूचित करते हुए और अन्य सदस्यों को नोटिस देते हुए बैठक को किसी अन्य तारीख तक स्थगित कर सकता है कि वह स्थगित बैठक में कार्य का निपटान करने का प्रस्ताव करता है, चाहे कोई विहित गणपूर्ति हो या नहीं, और उसके बाद उसके लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह सदस्य या सदस्यों के उपस्थित होने पर ध्यान दिए बिना स्थगित बैठक में कार्य का निपटान करेः

परन्तु यह कि जब अध्यक्ष किसी ऐसे विषय पर विचार करने के लिए बैठक बुलाता है जो उसकी राय में तात्कालिक प्रकृति का है, तो अन्यून तीन दिनों की नोटिस पर्याप्त समझी जाएगी।

(3) बोर्ड की बैठक के लिए कार्य सूची में सम्मिलित किसी भी कार्य पर बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति के बिना ऐसी बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।

धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन कार्य का निपटान

31–(1) प्रत्येक मामला जिसे बोर्ड द्वारा विचार करना आवश्यक है, बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा, या यदि बोर्ड का अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को राय के लिए आवश्यक पत्रजात भेजकर ऐसा निदेश देता है और मामले का निपटान बहुमत के निर्णय के अनुसार किया जाएगाः

परन्तु यह कि जहां किसी विषय पर बहुमत की कोई राय नहीं है और बोर्ड के सदस्य समान रूप से विभाजित हैं, बोर्ड के अध्यक्ष के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा।

(2) बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल बोर्ड में किसी रिक्ति या बोर्ड के गठन में किसी दोष के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष

32—(1) अध्यक्ष, बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा, और यदि अध्यक्ष, किसी भी कारण से, बोर्ड की बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, और इस तरह के नामांकन के अभाव में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(2) बोर्ड की बैठक में लिए गए प्रत्येक निर्णय को एक कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा, जो एक स्थायी रिकॉर्ड होगा।

धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति

33—किसी भी बैठक में कोई भी कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न हों:

परन्तु यह कि यदि किसी बैठक में एक—तिहाई से कम सदस्य उपस्थित होते हैं, तो अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों को सूचित करते हुए और अन्य सदस्यों को नोटिस देते हुए बैठक को किसी अन्य तारीख तक स्थगित कर सकेगा कि वह स्थगित बैठक में कार्य को निपटाने का प्रस्ताव करता है, चाहे कोई विहित गणपूर्ति हो या नहीं और उसके बाद उसके लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह स्थगित बैठक में कार्य का निपटान करे, चाहे उपस्थित सदस्यों की संख्या कुछ भी हो।

धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

34—(1) राज्य सरकार, राज्य सरकार के जितने राजपत्रित अधिकारी और ऐसे अन्य कर्मचारी राज्य सरकार की सेवा में हैं, नियुक्त कर सकती है, जो बोर्ड को अपने कृत्यों और कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक समझे।

(2) ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक ऐसा होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाए।

(3) इसके अधीन नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी बोर्ड की बैठकें बुलाने में बोर्ड के अध्यक्ष की सहायता करेंगे।

(4) उसके अधीन नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी, बोर्ड की बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन ऐसी बैठकों में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

(5) उसके अधीन नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी, राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख रखेंगे।

(6) उसके अधीन नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी, बोर्ड की बैठकों में लिए गए विनिश्चयों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड की तकनीकी समिति या सलाहकार समिति

35—(1) राज्य सरकार अपने कृत्यों के निर्वहन में राज्य सरकार या राज्य सलाहकार बोर्ड की सहायता करने के लिए बोर्ड की सिफारिश पर जितनी तकनीकी समितियां या सलाहकार समितियां गठित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।

(2) तकनीकी समितियां बहु—सदस्यीय समिति हो सकती हैं, और इसमें सरकारी, सार्वजनिक, स्वायत्त या निजी संस्थानों/उद्योगों के सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं।

(3) समिति के सदस्यों के पास औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या औद्योगिक स्वास्थ्य के एसोसिएट फेलो (एएफआईएच) के साथ एमबीबीएस या (भौतिक शास्त्र/रसायन विज्ञान) में स्नातकोत्तर उपधि के साथ सम्बंधित क्षेत्र/उद्योग में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव होगा।

(4) तकनीकी समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पदेन सदस्य होगा।

(5) तकनीकी समिति विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उप—समितियों का गठन कर सकती है।

(6) तकनीकी समिति समय-समय पर राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा जारी किये गये ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेगी जिसमें उसके कार्य संव्यवहार भी सम्मिलित है।

धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन तकनीकी समिति या सलाहकार समिति के गैर—सरकारी सदस्यों के भत्ते

36—तकनीकी समिति या सलाहकार समिति के गैर—सरकारी सदस्य उसी यात्रा और महंगाई भत्ते के हकदार होंगे जो बोर्ड के गैर—सरकारी सदस्य प्राप्त करने के हकदार हैं।

धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन तकनीकी समितियों या सलाहकार समिति के कार्य

37—(1) तकनीकी समितियां या सलाहकार समिति संहिता के अधीन उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर मानकों, नियमों और विनियमों को तैयार करेंगी, निर्माण करेंगी और समीक्षा करेंगी।

(2) तकनीकी समिति आवश्यकता के आधार पर नियमित रूप से बैठक करेगी और छह महीने में कम से कम एक बार होगी।

धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन सदस्यों का त्याग-पत्र और तकनीकी समिति या सलाहकार समिति की रिक्तियां

38—(1) तकनीकी समिति या सलाहकार समिति का कोई सदस्य जो पदेन सदस्य नहीं है, तकनीकी समिति या सलाहकार समिति के अध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को संबोधित लिखित-पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है।

(2) तकनीकी समिति का अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार को सम्बोधित लिखित-पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है।

(3) ऐसे सदस्य या अध्यक्ष की सीट, जैसा भी मामला हो, उस तारीख से रिक्त हो जाएगी जिस दिन उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, या राज्य सरकार द्वारा त्याग-पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो।

धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन सदस्यता की समाप्ति

39—यदि तकनीकी समिति या सलाहकार समिति का कोई सदस्य, पदेन सदस्य नहीं है, ऐसी समिति के अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये बिना, ऐसी समिति की लगातार दो बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, तो ऐसी अनुपस्थिति के लिए वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं रहेगाः

परन्तु कि राज्य सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसे सदस्य को पर्याप्त कारण से लगातार दो बैठकों में भाग लेने से रोका गया था, तो यह निदेश दे सकेगी कि ऐसी समाप्ति नहीं होगी और ऐसे निदेश दिए जाने पर ऐसा सदस्य ऐसी समिति का सदस्य बना रहेगा।

धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन सदस्यता के लिए निरर्हताएं

40—(1) कोई व्यक्ति तकनीकी समिति का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगाः—

(क) यदि वह विकृत चित्त है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(ख) यदि वह एक अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता सम्मिलित है।

(2) जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या उपनियम (1) के अधीन निरर्हता का सामना किया गया है, राज्य सरकार ऐसे प्रश्न पर विनिश्चय करेगी, इसे अंतिम माना जाना चाहिए।

धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन सदस्यता से हटाना

41—राज्य सरकार तकनीकी समिति के किसी सदस्य या अध्यक्ष को हटा सकती है, यदि उसकी राय में ऐसे सदस्य ने उस हित का प्रतिनिधित्व करना बंद कर दिया है जिसका वह ऐसी समिति में प्रतिनिधित्व करने हेतु तात्पर्यित होः

परन्तु यह कि ऐसे किसी भी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस नियम के अधीन प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का उचित अवसर न दिया जाए।

धारा 21 के अधीन अंतर—राज्यीय प्रवासी कर्मकारों के लिए सांख्यिकी और रजिस्ट्रीकरण पोर्टल का संग्रह

42—(1) प्रत्येक नियोक्ता राज्य सरकार के साथ—साथ महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के कार्यालय को ऐसे पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे रूप और तरीके से उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य आंकड़ों का विवरण प्रस्तुत करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) प्रत्येक अंतर—राज्यीय प्रवासी कर्मकार, चाहे वह उत्तर प्रदेश राज्य में नियोजित हो या स्व—नियोजित, इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रीकरण कराएगा।

धारा 22 के अधीन सुरक्षा समितियों का गठन

43–(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान में, एक सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जहांः–

(क) दो सौ पचास कर्मचारी या उससे अधिक आमतौर पर कार्यरत होते हैं; या

(ख) धारा 82 के अधीन खतरनाक घोषित की गई कोई भी प्रक्रिया या प्रचालन किया जाता है; या

(ग) धारा 2(1)(य क) के अधीन यथा परिभाषित एक 'खतरनाक प्रक्रिया' या खतरनाक पदार्थ को संभालने के लिए किया जाता है; या

(घ) प्रमुख दुर्घटना जोखिम कारखाने।

(2) सुरक्षा समिति में प्रबंधन के प्रतिनिधियों में सम्मिलित होंगेः–

(क) नियोक्ता, सुरक्षा समिति का अध्यक्ष होगा; तथा

(ख) एक वरिष्ठ अधिकारी जो संगठन में अपने पद के आधार पर समिति के कामकाज में प्रभावी ढंग से योगदान दे सकता है, उपाध्यक्ष होगा; और

(ग) एक सुरक्षा अधिकारी, जिसे इस नियमावली के अधीन नियुक्त किया गया है, या कोई अन्य जिम्मेदार व्यक्ति समिति का सदस्य–सचिव होगा; और

(घ) प्रतिष्ठान के चिकित्सा अधिकारी– सदस्य; और

(ङ) उत्पादन, रखरखाव और खरीद विभागों से एक–एक प्रतिनिधि सहित तीन प्रतिनिधि; और

(च) कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी। कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन प्रतिष्ठान से जुड़े रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा उनके बीच आम सहमति से या चुनाव के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे प्रतिष्ठानों में, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन नहीं है, कर्मकारों के प्रतिनिधियों को कर्मकारों द्वारा आम सहमति के आधार पर या चुनाव के आधार पर ही चुना जाएगाः

परन्तु यह कि ऐसी सुरक्षा समिति के गठन में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

(3) सुरक्षा समिति का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए होगाः

परन्तु यह कि किसी भी आपात स्थिति में दो तिहाई सदस्यों की सहमति से 6 माह का विस्तार दिया जा सकता है।

(4) सुरक्षा समिति के गठन की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से सम्बंधित अधिकारिता वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को दी जायेगी।

(5) सुरक्षा समिति जितनी बार आवश्यक हो, लेकिन प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार, बैठक करेगी। अनुवर्ती कार्य योजनाओं के साथ बैठक के कार्यवृत्त को एक रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा और मांग पर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह की बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अधिकारिता वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को भेजी जाएगी।

(6) सुरक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त रूप से सूचित होने का अधिकार होगा–

(क) कार्यस्थल पर कर्मचारियों को जिन संभावित सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्बंधी खतरों का सामना करना पड़ सकता है;

(ख) दुर्घटनाओं के आंकड़ों के साथ–साथ कारखाने से सम्बंधित खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों के कार्यस्थल और स्वास्थ्य की निगरानी से प्राप्त आंकड़ेः

परन्तु यह कि समिति काम के माहौल और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के उपायों पर आंकड़ों का उपयोग करने का कार्य करेगी।

धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन सुरक्षा समिति के कृत्य और कर्तव्य

44–(1) सुरक्षा समिति के कृत्यों और कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः–

(एक) प्रतिष्ठान की ;स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति; में उल्लिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन की सहायता और सहयोग करना; और

(दो) स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से सम्बंधित सभी मामलों से निपटना और सामने आने वाली समस्याओं के समाधान पर पहुंचना; और

(तीन) सभी कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता पैदा करना; और

(चार) शैक्षिक, प्रशिक्षण और प्रचार गतिविधियों का आयोजन करना; और

(पाँच) सुरक्षा, पर्यावरण और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा, जोखिम मूल्यांकन, आपातकालीन और आपदा प्रबंधन योजनाओं और रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट पर चर्चा करना; और

(छः) स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वेक्षण करना और दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान करना; और

(सात) कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आसन्न खतरे की संभावना पर की गई किसी भी शिकायत को देखना और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना; और

(आठ) इसके द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना; और

(नौ) दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं आदि की जांच की रिपोर्ट पर चर्चा करना और उचित सिफारिशें करना; और

(दस) दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर उपयुक्त सुरक्षा अभियान तैयार करना और कार्यान्वित करना; और

(ग्यारह) सुरक्षा और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य मामलों पर संचार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने के लिए; और

(बारह) विभिन्न परिचालनों के लिए तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए।

(2) जहां प्रतिष्ठान के आकार के कारण, या किसी अन्य कारण से, उपनियम (1) में निर्दिष्ट कृत्यों को सुरक्षा समिति द्वारा प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है, वह उप–समितियों की स्थापना कर सकता है जो इसकी सहायता के लिए आवश्यक हो सकती हैः

परन्तु यह कि किसी भी प्रतिष्ठान में जिसमें एक हजार से अधिक कर्मचारी सामान्यतः कार्यरत हैं, विभागवार या अन्यथा कम से कम दो उप–समितियों का गठन किया जाएगा और विभागीय प्रमुख के पद का एक कर्मचारी उप–समिति का प्रमुख होगा। बैठक का कार्यवृत्त सुरक्षा समिति के सदस्य सचिव के साथ साझा किया जाएगा।

धारा 22 की उपधारा (2) और धारा 133 की उपधारा (2) के खंड (ययथ) के अधीन सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति

45–(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान में जो एक–

(क) कारखाना जिसमें पाँच सौ या उससे अधिक कर्मकार हैं; या

(ख) खतरनाक प्रक्रिया पर चलने वाला कारखाना जिसमें दो सौ पचास कर्मकार या उससे अधिक हैं; या

(ग) भवन और अन्य निर्माण कार्य जिसमें दो सौ पचास कर्मकार हैं; या

(घ) प्रमुख दुर्घटना जोखिम स्थापना; या

(ड.) सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कारखाना नियोक्ता द्वारा अन्यून एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगाः

परन्तु यह कि, –

(एक) खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान के लिए, यदि नियोजित कर्मकारों की संख्या एक हजार से अधिक है, लेकिन एक हजार पाँच सौ से अधिक नहीं है तो एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार कर्मकारों या उसके भाग के लिए एक और सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा;

(दो) खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ड़) में विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों के लिए यदि नियोजित कर्मकारों की संख्या पाँच सौ से अधिक है लेकिन एक हजार से अधिक नहीं है तो एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार कर्मकारों या उसके भाग के लिए एक और सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

(2) कारखाने के अधिभोगी या भवन या अन्य निर्माण प्रतिष्ठान के नियोक्ता, जैसा भी मामला हो, ऐसी नियुक्ति से सात दिनों के भीतर सुरक्षा अधिकारी या मुख्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के बारे में अधिकारिता वाले सम्बंधित मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और अधिकारिता वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को सूचित करेगा।

धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन सुरक्षा अधिकारी की अर्हता

46–(1) कोई व्यक्ति सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह–

(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में डिग्री धारित करता हो और अन्यून दो वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन या रखरखाव या सुरक्षा विभाग में पर्यवेक्षी क्षमता में एक कारखाने में काम करने का व्यावहारिक अनुभव हो; या

(ख) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से भौतिकी या रसायन विज्ञान में डिग्री धारित करता हो और अन्यून पाँच वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन या रखरखाव या सुरक्षा विभाग में पर्यवेक्षी क्षमता में एक कारखाने में काम करने का व्यावहारिक अनुभव हो; या

(ग) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में डिप्लोमा धारित करता हो और अन्यून पाँच वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन या रखरखाव या सुरक्षा विभाग में पर्यवेक्षी क्षमता में एक कारखाने में काम करने का व्यावहारिक अनुभव हो; या

(घ) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिग्रीधारित करता हो, और किसी भी अधिनियम या संहिता के अधीन प्रशासन के सम्बंध में केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग में अन्यून दो वर्ष का अनुभव रखता हो जो किसी कारखाने या भवन या अन्य निर्माण कार्यों में कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से सम्बंधित है; या

(ङ) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में एक मान्यता प्राप्त डिग्रीधारित करता हो, और उद्योग या किसी संस्थान में दुर्घटना की रोकथाम के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श या अनुसंधान से सम्बंधित संस्थानों में काम करने का अन्यून पाँच वर्ष का अनुभव हो; और

(2) इस सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा या महानिदेशालय कारखाना परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान (डीजीएफएएसएलआई) के अधीन किसी श्रम संस्थान से मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री या डिप्लोमा धारित करता हो:

परन्तु यह कोई भी व्यक्ति, जिसके पास किसी भी राज्य या केंद्र सरकार में सहायक निदेशक (कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से सम्बंधित) से अनिम्न हैसियत का कम से कम दो वर्ष का अनुभव है, को ऐसी अर्हता से छूट दी जाएगी।

(3) वह स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण या फायर इंजीनियरिंग में बीटेक या एम0टेक0 की डिग्री धारित करता हो या विधि द्वारा विधिवत स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य समकक्ष अर्हता धारित करता हो:

परन्तु यह और कि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता किसी गैर परिसंकटमय प्रकृति के प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग के लिए लिखित रूप में शर्तों के साथ खण्ड (2) और (3) के सम्बंध में अर्हताओं को शिथिल कर सकता है।

धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य, और अन्य शर्तें

47–(1) सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य व्यक्तिगत चोटों की रोकथाम और एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने के सम्बंध में अपने दायित्वों चाहे वे वैधानिक हों या अन्यथा, को पूरा करने में कारखाने के प्रबंधन को सलाह देना और सहायता करना होगा। इन कर्तव्यों में निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) व्यक्तिगत चोटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक उपायों की योजना बनाने और व्यवस्थित करने में विभागीय प्रमुखों, पर्यवेक्षकों और ऐसे अन्य अधिकारियों को सलाह देना;

(ख) सभी नौकरी अध्ययनों में सुरक्षा पहलुओं पर सलाह देने के लिए, और चयनित नौकरियों के विस्तृत नौकरी सुरक्षा अध्ययन करना;

(ग) व्यक्तिगत चोटों को रोकने के लिए की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन करना;

(घ) स्टोर खरीद विभाग के कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों आदि की उच्च गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सलाह देना;

(ड.) संयंत्र सुरक्षा निरीक्षण करने से सम्बंधित मामलों पर सलाह देना;

(च) काम की भौतिक स्थितियों और कर्मचारियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य अभ्यास प्रक्रियाओं का निरीक्षण करने के लिए और असुरक्षित शारीरिक स्थितियों को कम करने और कर्मचारियों द्वारा असुरक्षित परिस्थितियों को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर सलाह देने के लिए संयंत्र सुरक्षा निरीक्षण करना;

(छ) औद्योगिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रिपोर्टिंग और जांच से सम्बंधित मामलों पर सलाह देना;

(ज) घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की जांच करने और प्रबंधन को उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना ;

(झ) औद्योगिक बीमारी के अनुबंध और खतरनाक घटनाओं के रिपोर्ट करने योग्य मामलों की जांच करना;

(ञ) दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और औद्योगिक बीमारियों से सम्बंधित ऐसे अभिलेखों के रखरखाव पर सलाह देना जो आवश्यक हैं;

(ट) सुरक्षा समितियों की स्थापना को बढ़ावा देने और ऐसी समितियों के सलाहकार और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना;

(ठ) सम्बंधित विभाग के सहयोग से अभियान, प्रतियोगिताओं, प्रतिस्पर्धाएं और अन्य क्रियाकलाप आयोजित करना जो काम और प्रक्रिया की सुरक्षा स्थितियों को स्थापित करने और बनाए रखने में कर्मचारियों के हित को विकसित और बनाए रखेंगे;

(ड) औद्योगिक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संगठनों, विभागों के साथ स्वतंत्र रूप से सहयोग से व्यक्तिगत चोटों की रोकथाम के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करना और संचालित करना और वर्ष में कम से कम एक बार सुरक्षा सेमिनार आयोजित करना;

(ढ़) दुर्घटनाओं और औद्योगिक रोगों की एक वार्षिक रिपोर्ट करना जिसमें उनके निवरणात्मक उपायों का सुझाव दिया गया हो, और इसे निदेशक मंडल की वार्षिक बैठक के समक्ष प्रस्तुत करना;

(ण) पिछली तिमाही के लिए सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रतिष्ठान में कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बेहतर कार्य दशाओं को बढ़ावा देने के कार्यों के सम्बंध में अपने नियोक्ता के माध्यम से अधिकारिता वाले सम्बंधित निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन अन्य कर्तव्यों के प्रदर्शन का निषेध

48–(1) किसी भी सुरक्षा अधिकारी को किसी अन्य कार्य को करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों के प्रदर्शन के साथ असंगत या हानिकारक हो।

(2) प्रतिष्ठान का नियोक्ता प्रत्येक सुरक्षा अधिकारी को ऐसी सुविधाएं, उपकरण और जानकारी प्रदान करेगा जो उसे अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं।

अध्याय–पाँच

कार्य के घंटे और मजदूरी के साथ छुट्टी

धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन दैनिक और साप्ताहिक कार्य घंटे

49–(1) किसी भी कर्मचारी को किसी भी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक समय तक किसी प्रतिष्ठान में काम करने की आवश्यकता नहीं होगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) किसी कर्मकार के काम की अवधि को इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि विश्राम के लिए अंतराल सहित, एक दिन में साढ़े दस घंटे से अधिक न होः

परन्तु यह कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी समूह या वर्ग या प्रकार प्रतिष्ठान के सम्बंध में विश्राम के लिए उसके अंतराल को सम्मिलित करते हुए 12 घंटे तक ऐसी शर्तों पर जो वह धारा 25 के अधीन समीचीन समझे बढा सकती है।

(3) कर्मकारों के काम की अवधि पाँच घंटे से अधिक नहीं होगी और कोई भी कर्मकार कम से कम आधे घंटे के विश्राम अंतराल होने से पहले पाँच घंटे से अधिक काम नहीं करेगा।

(4) एक दिन में काम के घंटों को राज्य सरकार द्वारा उपनियम (1), (2) और (3) के अध्यधीन संशोधित किया जा सकता है, ताकि एक सप्ताह में काम के घंटों की कुल संख्या इस तरह से निर्धारित की जा सके और उनका पालन किया जा सके।

धारा 26 और 135 (2) (य क) की उपधारा (2) के अधीन विश्राम का साप्ताहिक दिन

50–(1) धारा 26 के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक प्रतिष्ठान के कार्यालय के बाहर एक विशिष्ट स्थान पर एक नोटिस लगाया जाएगा, जिसमें विश्राम का साप्ताहिक दिन दिखाया जाएगा।

(2) जहां प्रतिष्ठान में कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए विश्राम का साप्ताहिक दिन एक ही दिन नहीं है, नोटिस प्रत्येक रिले, या व्यक्तियों या व्यक्ति के सेट को अनुमन्य विश्राम का दिवस दर्शाया जायेगा।

(3) किसी भी कर्मचारी को सप्ताह के पहले दिन (जिसे आगे उक्त दिन कहा जायेगा) किसी प्रतिष्ठान में काम करने की आवश्यकता नहीं होगी या अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसके पास उक्त दिन से ठीक पहले या बाद में तीन दिनों में से एक दिन के लिए पूरे दिन की छुट्टी न मिली हो या मिलने वाली होः

परन्तु यह कि कोई प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप कोई भी कर्मचारी लगातार दस दिनों से अधिक समय तक बिना किसी पूरे दिन की छुट्टी के काम करेः

परन्तु यह भी कि कारखाना या कारखाने का एक भाग या कारखानों का एक वर्ग जो अनुसूची–दो में निर्धारित सतत् प्रक्रिया कारखाने के दायरे में आता है, को दैनिक आधार पर कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और साप्ताहिक अवकाश के प्रयोजन के लिए कर्मकारों के समूहों के सप्ताह का पहला दिन भिन्न हो सकता है।

(4) जहाँ, उपनियम (3) के उपबंधो के अनुसार, कोई भी कर्मकार उक्त दिन काम करता है और उससे ठीक पहले तीन दिनों में से एक दिन छुट्टी पर रहा हो, तो उसके साप्ताहिक घंटों की गणना करने के प्रयोजन के लिए,उक्त दिनों को पिछले सप्ताह में सम्मिलित किया जाएगा।

(5) किसी कर्मकार के शिफ्ट बदलने के उद्देश्य से; धारा 28 के अधीन पारियों के बीच लगातार 24 घंटे की छुट्टी सुनिश्चित की जायेगी।

(6) विश्राम के प्रतिपूरक दिन इस प्रकार निर्धारित किये जाएगें कि किसी भी एक सप्ताह में किसी भी व्यक्ति को ऐसे दो दिनों से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(7) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के नियंत्रण के अधीन, अधिकारिता के निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, किसी विशेष क्षेत्र या प्रतिष्ठानों के एक वर्ग के लिए सप्ताह के पहले दिन के रूप में किसी अन्य दिन को लिखित रूप में अनुमोदित कर सकता हैं।

(8) राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, लिखित रूप में विनिर्दिष्ट कारणों से, कारखाने के अलावा किसी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठान के वर्ग के लिए साप्ताहिक अवकाश और/या कार्य की अवधि के लिए अधिसूचनाएं या कार्यालय आदेश जारी कर सकता है और धारा 26 के उपबंधो के अध्यधीन उपनियम (3) को छूट दे सकता है।

(9) उक्त दिन के लिए प्रतिस्थापित दिन की सूचना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्रतिस्थापित दिन या उक्त दिन से पहले, एक कारखाने के मामले में जो भी पहले हो, वितरित की जाएगी। प्रबंधक इस तरह के प्रतिस्थापित अवकाश का रिकॉर्ड रखेगा।

(10) उपनियम (2) के अधीन दिए गए नोटिस को निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के कार्यालय में दिए गए नोटिस और कारखाने में प्रदर्शित एक नोटिस जो उक्त दिन या रद्द किए जाने वाले अवकाश से एक दिन पहले तक, जो भी पहले हो, द्वारा रद्द किया जा सकता है।

(11) इस नियम के अधीन विश्राम के साप्ताहिक दिन और संहिता के अधीन स्वीकार्य मजदूरी के साथ वार्षिक अवकाश के अलावा, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठानों के वर्ग, या सभी प्रतिष्ठानों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में मजदूरी के साथ आठ छुट्टियों का उपबंध कर सकती है, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु यह कि जहां एक सतत प्रक्रिया प्रतिष्ठान में लगे एक कर्मकार को ऐसे किसी भी अवकाश पर काम करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे कर्मकार को ऐसी अवधि के भीतर जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, मजदूरी के साथ प्रतिपूरक अवकाश प्रदान किया जाएगा, जो एक महीने से अधिक नहीं होगा।

धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकारत्मक अवकाश

51–(1) संहिता की धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन अनुमत प्रतिकरात्मक अवकाशों को इस प्रकार अंतराल पर रखा जायेगा कि एक सप्ताह में दो से अधिक प्रतिपूरक अवकाश नहीं दिए जाएं।

(2) प्रतिष्ठान का प्रबंधक जिस माह में अवकाश रद्द हुए हैं,उस माह के अंत में या उससे पहले, अगले माह में प्रकिरात्मक अवकाश प्राप्त करने वाले और उनके दिनांको के सम्बंध में एक नोटिस उस स्थान पर प्रदर्शित करेगा जहाँ धारा 26 के अधीन विहित कार्य अवधियों को नोटिस प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी प्रतिकारत्मक अवकाश के सम्बंध में नोटिस में कोई भी बाद में परिवर्तन उस अवकाश की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले नहीं किया जाएगा।

(3) कोई भी प्रतिकरात्मक अवकाश या अवकाशों जिसके लिए एक कर्मचारी हकदार है, उसे उन्मुक्त या बर्खास्त करने से पहले दिया जाएगा और इसे उन्मुक्ति या बर्खास्तगी से पहले दिए जाने वाले नोटिस की किसी भी अवधि के हिस्से के रूप में नहीं माना जाएगा।

धारा 27 के अधीन अतिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी और शर्तें

52–(1) जहां, किसी प्रतिष्ठान में, कोई कर्मकार किसी भी दिन में आठ घंटे से अधिक या किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक समय तक काम करता है, जैसा भी मामला हो, वह इस तरह के अतिकाल कार्य के सम्बंध में मजदूरी की अपनी सामान्य दर से दोगुनी की दर से मजदूरी का हकदार होगा और प्रत्येक मजदूरी अवधि के अंत में भुगतान किया जाएगा।

(2) किसी भी दिन अतिकाल की गणना करते समय 15 से 30 मिनट के बीच के एक घंटे के अंश को 30 मिनट के रूप में गिना जाएगा और 30 मिनट से अधिक के मामले में इसे पूर्णांकित किया जाएगा और वास्तविक आधार पर एक घंटे के रूप में गिना जाएगा।

(3) माह के हिसाब से भुगतान किए गए कर्मकार के मामले में मजदूरी या आय की गणना करते समय, दैनिक मजदूरी उसकी मासिक मजदूरी का 1/26वां हिस्सा होगा; और किसी अन्य कर्मकार के मामले में यह दैनिक मजदूरी या आय होगी, जैसा भी मामला हो।

(4) कर्मकारों को निम्नलिखित परिस्थितियों और शर्तों के अध्यधीन काम के सामान्य घंटों से अधिक समय तक अतिकाल पर काम करने की अनुमति दी जा सकती है, अर्थात्:–

(क) तत्काल मरम्मत;

(ख) प्रारंभिक या पूरक कार्य की प्रकृति में काम करना;

(ग) काम जो आवश्यक रूप से इतना रुक-रुक कर होता है कि जिस अंतराल के दौरान वे ड्यटी पर रहते हुए काम नहीं करते हैं, वह आमतौर पर विश्राम के अंतराल से अधिक होता है;

(घ) काम जो, तकनीकी कारणों से, लगातार किया जाना चाहिए;

(ङ) प्रमुख आवश्यकता की वस्तुओं को बनाने या आपूर्ति करने में लगे हुए हैं जिन्हें हर दिन बनाया या आपूर्ति की जानी आवश्यक है;

(च) एक ऐसी प्रक्रिया में संलग्न होना जिसे निश्चित मौसमों को छोड़कर नहीं किया जा सकता है;

(छ) एक ऐसी प्रक्रिया में संलग्न होना, जिसे प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित कार्रवाई पर निर्भर होने के अलावा कई बार नहीं किया जा सकता है;

(ज) इंजन–रूम या बॉयलर–हाउस में कार्यरत हों या विद्युत–संयंत्र या ट्रांसमिशन मशीनरी की देखरेख में लगें हो;

(झ) मशीनरी के टूटने के कारण प्रक्रिया में लगे हुए;

(ञ) रेलवे वैगनों या लॉरी या ट्रकों की लोडिंग या अनलोडिंग में लगे हुए;

(ट) काम का असाधारण दबाव; और

(ठ) किसी भी कार्य में लगे हुए हैं, जिसे राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में सार्वजनिक महत्व के कार्य के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(5) किसी कर्मकार को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किसी भी कार्य दिवस में अतिकाल काम करने की अनुमति दी जा सकती है:–

(क) कारखाने के मामले में अतिकाल के ऐसे घंटे के लिए शिफ्ट का कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा;

(ख) ऐसे घंटों के लिए काम शुरू करने से पहले कर्मकार को अतिकाल के ऐसे घंटों के लिए लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा और उसे प्रबंधक या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित डुप्लिकेट में अतिकाल पर्ची सौंप दी जाएगी, जिसमें दिन के लिए काम की अवधि और समय बताई जाएगी;

(ग) किसी कर्मकार को एक बार में 5 दिनों से अधिक अतिकाल पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(घ) नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि कारखाना के मामले में खतरनाक संचालन या जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं में संलग्न होने के कारण ऐसे अतिरिक्त घण्टे कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेंगे।

(ङ) अतिकाल के लिए कर्मकार की सहमति लिखित रूप में ली जाएगी;

(च) मशीनरी या संयंत्र या अन्यथा, या ''अप्रत्याशित घटना'' के मामले में, या प्रारंभिक या पूरक कार्य के मामले में तत्काल कार्य करने के लिए अतिकाल की अनुमति दी जाती है, जिसके लिए कारखाने के मामले में इस तरह के अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है।

(6) किसी भी दिन में काम के घंटे की कुल संख्या दस घंटे से अधिक नहीं होगी।

(7) किसी कर्मकार के कार्य की अवधि इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि विश्राम के लिए उसके अंतराल सहित, एक दिन में बारह घंटे से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह कि वर्ष की किसी भी तिमाही में अतिकाल के घंटों की कुल संख्या एक सौ पंद्रह घंटे से अधिक नहीं होगी, जिसे किसी भी प्रकार के प्रतिष्ठान के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिकतम एक सौ चवालीस घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।

ऐसी परिस्थितियां जहां धारा 30 के अधीन दोहरा नियोजन अनुमन्य होना

53–किसी कारखाने में एक अंशकालिक कर्मकार/कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कार्य की किसी भी श्रेणी में किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति दी जा सकती है, अर्थात्:–

(क) एक अलग उपस्थिति रजिस्टर बनाए रखा जाएगा;

(ख) आनुपातिक आधार पर अवकाश और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी;

(ग) काम के घंटे, स्प्रेड घंटे, साप्ताहिक अवकाश और अतिकाल से सम्बंधित संहिता और नियमावली से सम्बंधित नियम लागू रहेंगे:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, दोहरे नियोजन के लिए कर्मकारों की किसी भी श्रेणी और शर्तों को जोड़ सकती है।

धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन कार्य की अवधि की नोटिस

54–(1) शिफ्ट प्रणाली में काम करने वाले श्रमिकों को उपयुक्त रूप से चक्रानुक्रम किया जायेगा। एक ही शिफ्ट में काम करने वाले कर्मकारों के काम की अवधि भी तय की जाएगी। काम की ऐसी अवधि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को सूचित किया जाएगा।

(2) वयस्क कर्मकारों के लिए काम की अवधि की सूचना संहिता और नियमावली के उपबंधों के अनुसार प्रपत्र-13 में होगी और इसे मुख्य प्रवेश द्वार पर या उसके पास प्रतिष्ठान में सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा और इस तरह के नोटिस को अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा। इसे संहिता की धारा 31 के उपबंधों के अधीन अद्यतन भी रखा जाएगा।

(3) उपरोक्त उपनियम (2) में उल्लिखित नोटिस स्पष्ट रूप से प्रत्येक दिन के लिए इंगित करेगा, जिस अवधि के दौरान एक वयस्क कर्मचारी को काम करने की आवश्यकता हो सकती है।

(4) किसी भी व्यक्ति को उपनियम (2) के अलावा किसी अन्य अनुसार किसी प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परन्तु यह कि यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अतिकाल पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे घंटे की अवधि और ऐसे कर्मचारी का विवरण सहजदृश्य स्थान पर प्रबंधक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रदर्शित किया जाएगा।

(5) किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य प्रणाली में कोई भी प्रस्तावित परिवर्तन, जिसके लिए उपनियम (2) में निर्दिष्ट नोटिस में परिवर्तन की आवश्यकता होगी, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(6) किसी भी वयस्क कर्मकार को कारखाने में प्रदर्शित वयस्कों के लिए काम की अवधि की सूचना और प्रतिष्ठान के वयस्क कर्मकरों के रजिस्टरों में उसके नाम के समक्ष पहले से की गई प्रविष्टियों के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्याय–छह

रजिस्टरों, अभिलेखों और विवरणियों का अनुरक्षण

धारा 33 के अधीन रजिस्टरों और अभिलेखों का अनुरक्षण

55–(1) प्रत्येक अधिष्ठान का नियोक्ता संहिता या नियमावली में यथाविहित अभिलेख, रजिस्टर, परीक्षण प्रमाण-पत्र, परीक्षाएं, प्रपत्र, रिपोर्ट, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रानिक रूप से अन्यथा अनुरक्षित करेगा। ये अधिष्ठान के परिसर में सहजरूप से उपलब्ध होंगे।

(2) मैनुअल रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों के मामले में, उन्हें हिंदी/अंग्रेजी में स्याही में या नियोजित अधिकांश व्यक्तियों द्वारा आसानी से समझी जाने वाली भाषा में सुपाठ्य रूप से दर्ज किया जाएगा।

(3) सभी रजिस्टरों और अभिलेखों को नियोक्ता द्वारा अंतिम रिपोर्ट या उसमें की गई प्रविष्टि के दिनांक से पाँच कैलेंडर वर्षों की अवधि के लिए मूल रूप में संरक्षित किया जाएगा:

परन्तु कि जब मूल अभिलेख एक वर्ष की समाप्ति से पहले खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो उसकी सत्य प्रतियां, यदि उपलब्ध हो, निर्धारित अवधि के लिए संरक्षित की जाएंगी;

परन्तु यह भी कि सभी रजिस्टर और अभिलेख नियोक्ता द्वारा ऐसे मामलों में अनुरक्षित किये जाएंगे जहां कोई मामला किसी प्राधिकारी के समक्ष या किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित है, जब तक कि ऐसे मामलों का अंतिम निपटान और आदेशों का निष्पादन न हो जाय।

(4) प्रत्येक नियोक्ता सभी रजिस्टरों और अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा या मैन्युअल रूप से माँग पर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बंध में प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

धारा 32 और धारा 33 के अधीन छुट्टी–पुस्तिका

56–(1) नियोक्ता या प्रबंधक प्रत्येक कर्मचारी को धारा 32 के उपबंधों के अधीन प्रपत्र–14 में एक पुस्तक प्रदान करेगा, जिसे आगे ''छुट्टी पुस्तिका'' कहा जाएगा।

(2) छुट्टी पुस्तिका कर्मकार की संपत्ति होगी और प्रबंधक या उसका एजेंट छुट्टी की तारीखों की प्रविष्टियां या सेवा में रुकावट के अलावा इसकी मांग नहीं करेगा और इसे एक बार में एक सप्ताह से अधिक समय तक नहीं रखेगा। प्रबंधक द्वारा आवश्यक होने पर कर्मकार तीन दिनों के भीतर छुट्टी पुस्तिका जमा करेंगे।

(3) यदि कोई कर्मकार अपनी छुट्टी पुस्तिका खो देता है, तो प्रबंधक मजदूरी संहिता अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2019) की धारा 21 के अध्यधीन उसे दस रुपये के भुगतान पर एक और प्रति प्रदान करेगा, और इसे उसके रिकॉर्ड से पूरा करेगा।

धारा 32 और धारा 33 के अधीन मजदूरी के साथ छुट्टी

57–नियोक्ता या प्रबंधक, संहिता की धारा 32 के उपबंधो के अधीन प्रपत्र-15 में प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक रजिस्टर रखेगा, जिसे आगे ''मजदूरी सहित छुट्टी रजिस्टर'' कहा जायेगा, जो साप्ताहिक, या पाक्षिक या महीने में कम से कम एक बार भरा जाएगा।

धारा 33 के अधीन अतिकाल रजिस्टर

58–(1) नियोक्ता या प्रबंधक इस उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 के अधीन यथा विहित प्रारूप में संहिता की धारा 27 के उपबंधों के अधीन कर्मकार के अतिकाल कार्य के लिए एक रजिस्टर बनाए रखेंगे।

(2) काम की सामान्य निर्दिष्ट अवधि से परे किसी कर्मकार द्वारा किया गया कोई भी कार्य, अतिकाल पर्ची में दो प्रतियों में दर्ज किया जाएगा, जिसमें उसके द्वारा काम किए गए अतिकाल की वास्तविक अवधि को दर्शाया जाएगा। इस तरह के अतिकाल पर्ची की एक प्रति प्रबंधक द्वारा या उस सम्बंध में उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित अतिकाल कार्य पूरा होने के तुरंत बाद कर्मकारों को दी जाएगीः

परन्तु कि यदि निरीक्षक सह–सुविधाकर्ता या संहिता की धारा 111 के अधीन नियुक्त अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि प्रतिष्ठान में किए गए कार्य की प्रकृति के कारण कर्मकारों को दैनिक पर्ची जारी करना संभव नहीं है, तो वह निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की सिफारिश पर कर्मकारों को साप्ताहिक पर्ची जारी करने की अनुमति दे सकता है।

(3) अतिकाल पर्ची निम्नलिखित प्रारूप में रखी जाएगी, इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी जारी किया जा सकता हैः

अतिकाल पर्ची

अधिष्ठान का नाम और पता	
कर्मकार का नाम और पदनाम	
कार्य का दिनांक और कार्य की सामान्य अवधि	
अतिकाल अवधि और घंटों में अवधि	
अतिकाल पर किया गया कार्य	
प्रबंधक/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर	

धारा 33 की उपधारा (क) के खंड (पाँच) के अधीन कर्मकार रजिस्टर

59–प्रत्येक प्रतिष्ठान का प्रबंधक या नियोक्ता, कर्मकारों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जब कारखाने में कोई कार्य किया जा रहा हो, जिसमें निम्नलिखित दिखाया गया होः–

(क) कारखाने में प्रत्येक कर्मचारी का नाम;

(ख) उनके काम की प्रकृति;

(ग) समूह, यदि कोई हो, जिसमें वह सम्मिलित है;

(घ) जहां उनका समूह शिफ्ट में काम करता है, वह रिले जिसके लिए उन्हें आवंटित किया जाता है;

(ङ) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जायं।

(2) किसी भी कर्मकार को किसी भी अधिष्ठान में कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी या अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसका नाम और अन्य विवरण कर्मकार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया हो।

(3) कर्मकार रजिस्टर या उपस्थिति रजिस्टर प्रपत्र-6 में रखा जाएगा।

(4) यह रजिस्टर एक निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या चिकित्सा अधिकारी द्वारा मांग पर प्रस्तुत या दिखाया जाएगा। नियोक्ता या प्रबंधक ऐसी मांग पर रजिस्टर के प्रस्तुत किये जाने हेतु जिम्मेदार होगा, इस तथ्य के बावजूद कि वह निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में उपस्थित है या नहीं।

(5) किशोर कर्मकारों के लिए एक रजिस्टर, यदि कोई नियोजित हो, को भी प्रपत्र–6 में अलग से रखा जाएगा और इसे ''किशोर श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर'' के रूप में लेबल किया जाएगा।

(6) यदि कोई व्यक्ति भोजन या विश्राम के अंतराल के अलावा किसी समय किसी कारखाने में पाया जाता है, जब काम प्रगति पर है या मशीनरी चालू है, तो, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, उसे संहिता और तद्दीन बनायी गयी नियमावली के प्रयोजनों के लिए उस समय कारखाने में नियोजित माना जाएगा।

धारा 10, धारा 11 और धारा 33 के अधीन दुर्घटना रजिस्टर

60–प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोक्ता या प्रबंधक इस संहिता के अधीन इस नियमावली के नियम 15 और 16 के अधीन यथाविहित प्रतिष्ठान में होने वाली सभी दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं का एक रजिस्टर प्रपत्र–16 में एक रजिस्टर में रखेगा।

धारा 33 और मजदूरी संहिता, 2019 के उपबंधों के अधीन मजदूरी पर्ची और भुगतान

61–(1) प्रत्येक नियोक्ता मजदूरी भुगतान से पहले या उस दिन कर्मकारों को ऐसे प्रपत्र में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा मजदूरी पर्ची जारी करेगा, जैसा कि मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2019) के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया गया है।

(2) अतिकाल कार्य के भुगतान के लिए वेतन पर्ची नियमित मजदूरी से अलग होगी और इसमें कर्मकार द्वारा किए गए अतिकाल कार्य घंटों का उल्लेख किया जाएगा।

धारा 33 के अधीन विवरणी

62–प्रत्येक अधिष्ठान का नियोक्ता या प्रबंधक इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा सम्बंधित अधिकारिता वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विवरणी प्रस्तुत करेगाः–

(अ) प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को या उससे पूर्व प्रपत्र 17 में वार्षिक विवरणी;

(आ) प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को या उससे पूर्व 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के लिए प्रपत्र–18 में, एक बड़ी दुर्घटना जोखिम अधिष्ठान के मामले में अर्ध–वार्षिक विवरणीः

परन्तु यह कि किसी ऐसे अधिष्ठान के मामले में जिसमें वर्ष के किसी निश्चित मौसम या मौसमों के दौरान कार्य किया जाता है, नियोक्ता या प्रबंधक यथास्थिति उस मौसम के या इन मौसमों में अंतिम मौसम के समाप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर विवरणी प्रस्तुत करेगा।

धारा 33 के अधीन नोटिस का प्रदर्शन

63–(1) इस संहिता या नियम द्वारा या उसके अधीन किसी भी प्रतिष्ठान में प्रदर्शित किए जाने वाले आवश्यक नोटिसों के अलावा, प्रत्येक प्रतिष्ठान में धारा 18, धारा 23 और धारा 24 के अधीन स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण उपबंधों के लिए निर्धारित संहिता, अधिसूचनाओं और केन्द्रीय सरकार के नियमों के ऐसे सार वाले एक नोटिस प्रदर्शित किया जाएगा और मुख्य बिंदुओं के साथ ऐसे सार में अन्यून 2000 शब्द होंगे। अधिकारिता वाले सम्बंधित निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का नाम और कार्यालय का पता भी प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) किसी प्रतिष्ठान में इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदर्शित किए जाने के लिए आवश्यक सभी नोटिस हिंदी और अंग्रेजी में होंगे और किसी सहजदृश्य और सुविधाजनक स्थान पर, नोटिस बोर्ड पर और कारखाने के मुख्य प्रवेश द्वार पर या उसके पास प्रदर्शित किए जाएंगे, और इसे साफ और सुपाठ्य स्थिति में बनाए रखा जाएगा।

(3) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, किसी कारखाने या भवन या अन्य निर्माण कार्य के नियोक्त या प्रबंधक को लिखित रूप में दिए गए आदेश द्वारा, यह अपेक्षा कर सकता है कि कारखाने में कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण से सम्बंधित कोई अन्य नोटिस या पोस्टर कारखाने में प्रदर्शित किया जाएगा।

(4) प्रत्येक नियोक्ता और प्रबंधक प्रत्येक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर किसी भी रंग के सफेद या चमकदार पेंट में लिखे गए विशिष्ट अक्षरों के साथ एक चित्रित साइन बोर्ड प्रदर्शित करेगा, जो निम्नलिखित विवरणों को बताते हुए बाहर से दिखाई देता है:

(क) प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रीकरण या लाइसेंस संख्या;

(ख) प्रतिष्ठान का नाम;

(ग) प्रतिष्ठान का पता (प्लॉट नंबर, इलाका, गली नंबर, पिन कोड आदि देना);

(घ) नियोक्ता का नाम;

(ङ) प्रबंधक का नाम।

यदि कर्मकार की मृत्यु हो जाती है तो मजदूरी का भुगतान और धारा 133 की उपधारा (2) के खंड (यय थ) के अधीन प्रपत्र

64–(1) जहां किसी कर्मकार की कार्य पुनः प्रारंभ करने से पूर्व मृत्यु, हो जाती है तो मजदूरी सहित छुट्टी की अवधि के लिये देय उसके वेतन की शेष धनराशि, जिसको प्राप्त नही किया गया हो, संहिता की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (छह) के अनुसार कर्मकार की मृत्यु के एक माह के भीतर उसके नामनिर्देशिती को भुगतान किया जायेगा।

(2) प्रत्येक कर्मकार को प्रपत्र–19 में एक नामनिर्देशन प्रस्तुत करना होगा, जिस पर उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे और दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। नामनिर्देशन तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे संशोधित या किसी अन्य नामनिर्देशन द्वारा रद्द नहीं किया जाता है।

रजिस्टरों का प्रस्तुत किया जाना

65–(1) किसी प्रतिष्ठान का नियोक्ता, स्वामी या प्रबंधक ऐसी कोई भी जानकारी प्रस्तुत करेगा जिसकी आवश्यकता एक निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से हो सकती है कि क्या संहिता के किसी उपबंध का अनुपालन किया गया है या क्या किसी निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के किसी आदेश का विधिवत पालन किया गया है। निरीक्षण के दौरान ऐसी किसी भी जानकारी के लिए एक निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा की गई कोई भी मांग, यदि की जाती है, यदि सूचना प्रतिष्ठान में उपलब्ध है, तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाएगा या, यदि लिखित रूप में की गई है, तो उसकी प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर अनुपालन किया जाएगा।

(2) संहिता और नियमावली के अधीन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी रजिस्टर, प्रपत्र, प्रमाण पत्र, अभिलेख को कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा, जिससे वे सम्बंधित हैं, जिसमें कर्मकारों के परीक्षण और चिकित्सा परीक्षा के अभिलेख सम्मिलित हैं।

(3) उन कर्मचारियों के चिकित्सा अभिलेख जो किसी भी अधिसूचित रोग से ग्रस्त हो गये थे या उन्हे अयोग्य घोषित किया गया था या किसी भी उपजीविकाजन्य रोग या दुर्घटना से पीड़ित थे, उन्हें सात वर्ष के लिए संरक्षित किया जाएगा।

अध्याय–सात

निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और अन्य प्राधिकारी

धारा 34 की उपधारा (5) के अधीन मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के पद के लिए अर्हता और अनुभव

66–संहिता के अधीन विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता के पद के लिए अर्हता और अनुभव निम्नानुसार होगा:–

(1) कारखानों के लिए: उत्तर प्रदेश बॉयलर और कारखाना सेवा नियम, 1980 के अधीन कारखानों के मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता के पद के लिए अर्हता और अनुभव वही होंगे, जैसा कारखानों के निदेशक के पद के लिए विहित किया जाय:

परन्तु यह कि यदि कारखानों के निदेशक का पद रिक्त है, तो राज्य सरकार व्यक्ति की उपयुक्तता के अध्यधीन कारखानों के निदेशक के पद पर पदोनत्ति, या प्रभार धारण करने के प्रयोजन के लिए उपर्युक्त नियम के अधीन विहित अनुभव की अवधि में छूट दे सकती है।

(2) कारखानों के अलावा अन्य प्रतिष्ठानों के लिएः उत्तर प्रदेश श्रम सेवा नियमावली, 1991 के अनुसार कारखानों के अलावा अन्य प्रतिष्ठानों के लिए मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के पद के लिए अर्हता और अनुभव वही होंगे, जैसा अतिरिक्त श्रम आयुक्त, प्रवर्तन मुख्यालय के पद के विहित किया जायः

परन्तु यह कि कारखाना के अलावा किसी रजिस्ट्रीकृत प्रतिष्ठान में स्वास्थ्य और सुरक्षा से सम्बंधित उपबंधों के सम्बंध में, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता की शक्ति का प्रयोग इस नियम के खण्ड (1) में यथा विहित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (चार) के अधीन नरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की शक्तियां

67–एक निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को संहिता की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (चार) के प्रयोजन के लिए, वृक्षारोपण के सम्बंध में निम्नलिखित सभी या किसी भी काम को करने की शक्ति होगी अर्थातः–

(क) किसी बाल कर्मकार की तस्वीर लेने के लिएः निरीक्षण, जांच, माप के लिए नमूने लेना; किसी भी सुसंगत दस्तावेज, फोटोग्राफ, स्केच या परीक्षण, जैसा भी मामला हो, किसी भी घर, भवन या कमरे, या बागान में कार्यरत कर्मकारों के स्वास्थ्य या कल्याण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रदान की गई किसी भी चीज की प्रतियां लेना और संहिता और इन नियमावली के अधीन बनाए गए किसी भी रजिस्टर या दस्तावेज का निरीक्षण करनें या प्रतियां लेना;

(ख) किसी नियोजक से संहिता या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों से सम्बंधित कोई विवरणी या सूचना प्रदान करने या भेजने की मांग करना;

(ग) प्रत्येक निरीक्षण पर खुद को संतुष्ट करना, कि,–

(एक) बागान में नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य और कल्याण के सम्बंध में संहिता और नियमावली के उपबंधों का पालन किया जाता है;

(दो) बागान में नियोजित किशोरों को समर्थता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए हैं और यह कि कोई भी किशोर जो अयोग्य है; नियोजित नहीं है ;

(तीन) मजदूरी संहिता, 2019 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के अधीन विहित रजिस्टरों और अभिलेखों का उचित अनुरक्षण किया जाता है;

(चार) संहिता द्वारा प्रदान की गई विश्राम और छुट्टियों की अवधि प्रदान की जाती है और इसमें निर्धारित कार्य के घंटों की सीमा को पार नहीं किया जाता है;

(पाँच) अपेक्षित कार्य की अवधि की सूचना विधिवत चिपकाई जाती है;

(छह) मजदूरी और बीमारी के साथ छुट्टी और प्रसूति लाभ संहिता और लागू अन्य श्रम विधियों के उपबंधों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं;

(सात) यह नोट करने के लिए कि पिछले निरीक्षणों में इंगित किए गए दोषों को कितना दूर किया गया है और पहले जारी किए गए आदेशों का कितना अनुपालन किया गया है; तथा

(आठ) ऐसे सभी दोषों या अनियमितताओं को इंगित करना जो वह पाता है;

और उन्हें हटाने के लिए आदेश देना और नियोजक को दोषों या अनियमितताओं और उनके आदेशों का सारांश अभिलिखित करना और प्रस्तुत करना।

धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (चौदह) के अधीन निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की शक्तियां

68–(1) एक निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, संहिता और नियमावली के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए, संहिता की धारा 35 में विनिर्दिष्ट सभी या किसी भी कार्य को करने की शक्ति होगीः

परन्तु यह कि लोक अधिकारियों, जो समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश बॉयलर और कारखाना सेवा नियम, 1980 में कारखानों के निरीक्षक के पद के लिए नियुक्त नहीं किए गए हैं, की शक्तियां, जैसा कि धारा 34 के अधीन निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को नियत की जाती हैं या अन्यथा, संहिता के अध्याय XI के भाग VII की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख), धारा 10, धारा 11, धारा 18, धारा 22, धारा 26, धारा 31, धारा 33 की उपधारा (घ), धारा 37, धारा 43, के उपबंधों का प्रशासन कारखानों और भवन या अन्य निर्माण कार्य से सम्बंधित प्रतिष्ठानों में प्रशासन नहीं करेंगें। संहिता तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बंधित अन्य उपबंध।

उपर्युक्त के अलावा अन्य प्रतिष्ठानों के सम्बंध में स्वास्थ्य और सुरक्षा से सम्बंधित शक्तियों का प्रयोग सम्बंधित निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा प्रशासनिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप में आदेश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(2) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता निरीक्षणों, पूछताछ, आदेशों और उनके अनुपालनों के अभिलेखों की एक फाइल रखेगा।

(3) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, जैसा कि वह आवश्यक समझे, निरीक्षण के बाद अधिष्ठान के नियोजक या अधिभोगी को प्रपत्र-20 में प्रतिषेध आदेश या सुधार नोटिस जारी कर सकेगा, जिसमें संहिता के अधीन सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों के उपबंधो और तद्धीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली के गैर–अनुपालन को इंगित किया गया हो;

परन्तु यह कि इस तरह के आदेश या नोटिस प्राप्त करने के बाद, नियोजक/अधिभोगी यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त आदेश/नोटिस के अधीन उल्लिखित उल्लंघनों का अनुपालन किया गया है और वह अधिष्ठान का पुनः निरीक्षण करने के लिए सम्बंधित निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को एक अनुरोध भेजेगाः

परन्तु यह और कि उक्त अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, यदि वह उचित समझता है, तो अधिष्ठान का सत्यापन कर सकता है और यदि उसे पता चलता है कि पूर्वोक्त आदेश या नोटिस में उसके द्वारा देखे गए उल्लंघनों का अनुपालन नहीं किया गया है, तो वह ऐसे अपराध के शमन की प्रक्रिया शुरू करेगा, यदि ऐसा उल्लंघन शमनीय है, या वह अभियोजन की स्वीकृति देने के लिए निरीक्षण अधिकारी से एक रैंक ऊपर के उप श्रम आयुक्त अथवा कारखानों के उप निदेशक अथवा मुख्य निरीक्षण–सह–सुविधाप्रदाता से अनिम्न रैंक के व्यक्ति को जैसा भी मामला हो रिपोर्ट भेजेगा और अभियोजन पक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने पर, वह संहिता के उपबंधों और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अनुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियोजन शुरू करेगा।

धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (दस) के अधीन नमूने लेने की रीति

69–(1) एक निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, किसी भी समय अधिष्ठान के अधिभोगी या प्रबंधक या अधिष्ठान के प्रभारी होने का दावा करने वाले अन्य व्यक्ति के सामान्य कार्य घंटों के दौरान अधिष्ठान में उपयोग किये गये या उपयोग किये जाने हेतु आशयित किसी पदार्थ का पर्याप्त नमूना ले सकता है, ऐसा उपयोग इस प्रकार किया जा रहा होः

(क) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के विश्वास में, संहिता के किसी भी उपबंध या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उल्लंघन में; या

(ख) निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता की राय में, अधिष्ठान में कर्मकार को शारीरिक क्षति, स्वास्थ्य की समस्त क्षति पहुंचने की संभावना है।

(2) जहां निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता उपनियम (1) के अधीन एक नमूना लेता है, वह उस उपनियम के अधीन सूचित व्यक्ति की उपस्थिति में, जब तक कि ऐसा व्यक्ति जानबूझकर स्वयं अनुपस्थित न हो, नमूने को तीन भागों में विभाजित करेगा और प्रभावी रूप से सील करेगा और उन्हें उपयुक्त रूप से चिन्हित करेगा, और ऐसे व्यक्ति को अपनी मुहर और निशान लगाने की अनुमति देगा।

(3) पूर्वोक्त के रूप में सूचित व्यक्ति, यदि निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता अपेक्षा करें, तो इस नियम के अधीन लिए गए नमूने को विभाजन, अधिकतम सीमा और अंकन के लिए उपकरण प्रदान करेगा।

(4) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता –

(क) उपनियम (1) के अधीन सूचित व्यक्ति को नमूने का एक भाग तुरंत देंगा;

(ख) दूसरे भाग को विश्लेषण और उस पर रिपोर्ट के लिए एक सरकारी विश्लेषक को;

(ग) तीसरे भाग को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए बनाए रखेंगा, जिसके पहले पदार्थ के सम्बंध में कार्यवाही, यदि कोई हो, संस्थित की जाती है।

(5) इस नियम के अधीन विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए उसे प्रस्तुत किए गए किसी पदार्थ पर किसी सरकारी विश्लेषक के हाथ में रिपोर्ट होने का तात्पर्य रखने वाला कोई दस्तावेज, पदार्थ के सम्बंध में संस्थित किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (पन्द्रह) के अधीन निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के कर्त्व्य

70–(1) सभी निरीक्षण अधिकारी, यदि नियोजक या अधिष्ठान के प्रबंधक द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा जारी किए गए प्राधिकृत पहचान-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(2) धारा 42 के अधीन नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के लिए पहचान पत्र निदेशक सेवायें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य या श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश या उनके सम्बंधित नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाएंगे। निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के लिए, पहचान-पत्र श्रम आयुक्त या मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा जारी किए जा सकते हैं।

धारा 37 के अधीन तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक

71–(1) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता धारा 37 के प्रयोजन के लिए किसी तृतीय–पक्ष लेखा परीक्षक या किसी संस्था को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मान्यता दे सकता है।

(2) तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक दो प्रकार का होगाः–

(क) श्रम विधि लेखा परीक्षक जो संहिता की धारा 2 (1) (फ) के अधीन स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के अलावा अन्य उपबंधों के लिए अधिष्ठान की लेखा परीक्षा करेगा।

(ख) तकनीकी व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण, लेखा परीक्षक जो संहिता की धारा 2(1)(ब) के अधीन परिभाषित अधिष्ठान और धारा 21(1)(फ) के अधीन और कल्याण के उपबंधों की लेखा परीक्षा करेगा।

(3) तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा फर्मों के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित होंगे–

(क) फर्म को कंपनी अधिनियम, 2013, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 जैसे उपयुक्त विधिक ढांचे के अधीन भारत में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, जिसमें स्वामित्व या साझेदारी होनी चाहिए;

(ख) फर्म को श्रम विभाग के साथ रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए;

(ग) श्रम विधि लेखा परीक्षा फर्म के पास श्रम विधियों में अर्ह अनुभव होना चाहिए और तकनीकी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लेखा परीक्षा फर्म को कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके सम्बंधित नियमों के अधीन लेखा परीक्षा का अनुभव होना चाहिए।

(4) तृतीय पक्ष श्रम विधि लेखा परीक्षक या विशेषज्ञ के पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगी :–

विधि में स्नातक उपाधि और श्रम विधियों का न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव;

या

विधि स्नातक उपाधि और एक विधि व्यवसायी के रूप में न्यूनतम कम 7 वर्ष का अनुभव;

या

उत्तर प्रदेश राज्य का एक सेवानिवृत्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त या केन्द्रीय सरकार का समकक्ष अधिकारी जिसे उस क्षमता में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो।

(5) तृतीय पक्ष तकनीकी/व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, लेखा परीक्षक या विशेषज्ञ के पास निम्नलिखित अर्हताए होगीः–

(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से केमिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल या प्रोडक्शन या एनवायरनमेंटल या अग्नि एवं सुरक्षा इंजीनियरिंग की शाखा में उपाधि और अन्यून दस वर्षों की अवधि के लिए कारखानों में या व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता में या उससे ऊपर, विनिर्माण, अनुरक्षण या सुरक्षा विभाग में व्यावहारिक अनुभव हो; या

(ख) केमिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल या प्रोडक्शन या एनवायरनमेंटल या अग्नि एवं सुरक्षा इंजीनियरिंग की शाखा में डिप्लोमा और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा और अन्यून बारह वर्षों की अवधि के लिए कारखानों में पर्यवेक्षी क्षमता में या उससे ऊपर, विनिर्माण, अनुरक्षण या सुरक्षा विभाग में व्यावहारिक अनुभव हो; या

(ग) भौतिकी या रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान स्नातक में उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा और अन्यून बारह वर्षों की अवधि के लिए कारखानों में पर्यवेक्षक या उससे ऊपर के पद पर अधिष्ठान के विनिर्माण, अनुरक्षण या सुरक्षा विभाग में व्यावहारिक अनुभव हो; या

(घ) किसी भी संयोजन में उपर्युक्त चार खंडों का कोई समकक्ष परन्तु यह कि अर्हताओं और अनुभवों की समकक्षता के सम्बंध में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा; और

(ङ) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमाः

परन्तु यह कि खंड (घ) में विहित अर्हता और अनुभव वाले व्यक्ति को ऐसी आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

(6) विशेषज्ञ या तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगीः

परन्तु यह कि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को एक अर्ह चिकित्सक से इस प्रयोजन के लिए चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(7) तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक या विशेषज्ञ का पैनल एक बार में 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा।

धारा 38 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (घ) के अधीन वैकल्पिक नियोजन की रीति

72—(1) अधिभोगी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को वैकल्पिक नियोजन प्रदान करे जिसका नियोजन धारा 38 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (क) के अधीन आदेश से प्रभावित हुआ हो, यदि उसी नियोजक का कोई अन्य अधिष्ठान सौ किलोमीटर की त्रिज्या में मौजूद हो।

(2) वैकल्पिक नियोजन की पेशकश केवल तभी की जा सकती है जब आदेश से प्रभावित रोजगार की अवधि पंद्रह दिन या उससे अधिक हो।

(3) ऐसे व्यक्तियों को ऐसे आदेश की वास्तविक तारीख से कम से कम तीन दिन पहले नोटिस दिया जाएगा।

(4) ऐसे व्यक्ति की हानि के लिए मजदूरी और अन्य सुविधाएं प्रभावित नहीं होंगी।

धारा 42 के अधीन चिकित्सा अधिकारी की अर्हता

73—(1) एक चिकित्सा व्यवसायी के पास एक कारखाने, भवन या अन्य सन्निनिर्माण कार्य, बागान, मोटर परिवहन उपक्रमों और किसी भी अन्य अधिष्ठानों के सम्बंध में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिएः—

(क) राष्ट्रीय चिकित्सा व्यवसायी आयोग अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2019) में यथा परिभाषित कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होना चाहिए और धारा 2 के खंड (ड) में यथापरिभाषित राष्ट्रीय रजिस्टर पर या पूर्वोक्त अधिनियम की धारा (2) के खण्ड (फ) में यथा परिभाषित राज्य रजिस्टर पर नामांकित होना चाहिए; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम तीन महीने की अवधि के औद्योगिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र होना चाहिए या औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा या जोखिमपूर्ण प्रक्रिया या खतरनाक संक्रिया वाले कारखानों या भवन और अन्य सन्निनिर्माण कार्यों के मामले में समकक्ष होना चाहिए।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी चिकित्सा अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त, या प्राधिकृत नहीं किया जाएगा, या इस प्रकार नियुक्त या प्राधिकृत किया गया व्यक्ति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जारी नहीं रखेगा, जो किसी कारखाने का अधिभोगी है या बन जाता है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें या उसके साथ जुड़े किसी पेटेंट या मशीनरी में उस पर किए गए किसी भी प्रक्रिया या कारबार में रूचि रखता है या अन्यथा कारखाने के कर्मचारी

परन्तु यह कि राज्य सरकार, लिखित रूप में आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किसी कारखाने या वर्ग या कारखानों के विवरण के सम्बंध में इस उपनियम के उपबंधों से छूट दे सकती है।

अधिष्ठानो के प्रकार, खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रियायें जहां चिकित्सा अधिकारी धारा 42 के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा

74–(1) चिकित्सा अधिकारी ऐसी जांच करेगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जैसा कि राज्य सरकार निदेश दे:–

(क) संहिता की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रियाओं में एक अधिष्ठान में कर्मकारों की जांच और प्रमाणन के लिए;

(ख) किसी भी अधिष्ठान या अधिष्ठान के वर्ग के चिकित्सा पर्यवेक्षण के लिए जहां पुरानी व्यावसायिक बीमारी के मामले किसी भी प्रक्रिया की कठिन प्रकृति या काम की खतरनाक स्थिति के कारण हुए हैं;

(ग) किसी भी अधिष्ठान या अधिष्ठान के वर्ग या अधिष्ठान के विवरण के सम्बंध में जिसमें किसी भी व्यक्ति या वर्ग या उसमें नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य को क्षति के जोखिम वाली संक्रियायें सम्मिलित हैं;

(घ) किसी भी अधिष्ठान के किसी भी या वर्ग के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना, जहां बीमारी के मामले हुए हैं या संहिता की तीसरी अनुसूची में यथाविहित बीमारी की व्यापकता है;

(2) चिकित्सा अधिकारी, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या एक निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की मांग पर किसी भी कारखाने या वर्ग या कारखानों के विवरण के लिए, ऐसी जांच करेगा और उसे ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जैसा वह प्रदर्शित करें:–

(क) बीमारी के मामले हुए हैं जिससे यह विश्वास करना उचित है कि ये विनिर्माण प्रक्रिया की प्रकृति, या उसमें प्रचलित काम की अन्य स्थितियों के कारण हैं; या

(ख) विनिर्माण प्रक्रिया में किसी भी परिवर्तन के कारण, या उसमें उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में, या किसी भी नई विनिर्माण प्रक्रिया को अपनाने या विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग में लाए गए किसी भी नए पदार्थ के कारण, उस विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य को क्षति होने की संभावना है; या

(ग) युवा व्यक्ति किसी ऐसे काम में नियोजित हैं या होने वाले हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की संभावना है।

(3) किशोरों की जांच और प्रमाणन समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

(4) कर्मकारों के चिकित्सा परीक्षण के प्रयोजन हेतु खतरनाक संक्रियायें या खतरनाक प्रक्रियाएं होंगी जो निम्नलिखित में कार्यरत हैं, अर्थात् :–

(एक) संहिता की धारा 82 के अधीन संक्रिया को खतरनाक संक्रिया घोषित किया गया;

(दो) संहिता की पहली अनुसूची के अनुसार खतरनाक प्रक्रिया को कराने वाले कारखाने;

(तीन) बायोमेडिकल कचरे का उपचार;

(चार) सीवरेज उपचार;

(पाँच) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन;

(छरू) संगमरमर काटन;

(सात) तैयार मिश्रण कंक्रीट;

(आठ) गर्म मिश्रण कंक्रीट;

(नौ) ऐसे अन्य व्यवसाय या प्रक्रिया, जिन्हें राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर खतरनाक संक्रिया घोषित किया जाए।

(5) चिकित्सा अधिकारी उपनियम (3) के अधीन प्रक्रियाओं में नियोजित व्यक्तियों की जांच कर सकेगा और अपनी परीक्षा के परिणामों को स्वास्थ्य रजिस्टर में प्रपत्र-7 में अभिलिखित करेगा।

(6) यदि चिकित्सा अधिकारी अपनी जांच के परिणामस्वरूप यह पाता है कि ऐसी प्रक्रिया में नियोजित कोई व्यक्ति अब उस प्रक्रिया में कार्य करने के लिए चिकित्सा कारणों से उपयुक्त नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को उस प्रक्रिया में काम करने से बेहतर वातावरण में स्थानांतरित करने की सिफारिश करेगा, जैसा कि वह उचित समझे और ऐसी सिफारिश के पश्चात् कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य रजिस्टर में चिकित्सा अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना उस प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया जाएगा।

(7) किसी कारखाने का प्रबंधक किसी भी प्रक्रिया का जिसमें कोई व्यक्ति नियोजित है या नियोजित होने की संभावना है, निरीक्षण करने के लिए चिकित्सा अधिकारी को सुविधा प्रदान करेगा।

(8) चिकित्सा अधिकारी रिपोर्ट/निरीक्षण रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और अधिकारिता वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को भेजेगा।

(9) इस नियम के अधीन प्रमाण-पत्र या परीक्षा के लिए फीस राज्य सरकार द्वारा विशेष या साधारण आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी और इसका भुगतान नियोजक द्वारा किया जाएगा।

धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन किशोरों की चिकित्सा परीक्षा और प्रमाणन और धारा 93 की उपधारा (2) के अधीन किशोरों के नियोजन के लिए रक्षोपाय

75–(1) चिकित्सा अधिकारी, किसी किशोर या उसके माता–पिता या अभिभावक के आवेदन पर, किसी अधिष्ठान के नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज के साथ कि ऐसे व्यक्ति को उसमें नियोजित किया जाएगा, ऐसे किशोर को किसी अधिष्ठान में काम करने के लिए उपयुक्त होने के लिए प्रमाणित करेगा, या किसी ऐसे अधिष्ठान के नियोजक के आवेदन पर जिसमें कोई किशोर काम करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति की जांच करेंगा और उस अधिष्ठान में काम करने के लिए उसकी समर्थता अभिनिश्चित करेगा।

(2) चिकित्सा अधिकारी, जांच के बाद, ऐसे किशोर को प्रपत्र–8 में या किशोरावस्था में किसी अधिष्ठान में कार्य करने के लिए समर्थता प्रमाण-पत्र प्रदान या नवीनीकरण कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि किशोर ने अपना चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है, विहित शारीरिक मानकों को प्राप्त कर लिया है और ऐसे कार्य के लिए उपयुक्त है:

परन्तु यह कि, चिकित्सा अधिकारी किशोरों की आयु के अवधारण के प्रयोजन से रेडियोलॉजिस्ट, दंत चिकित्सक और आर्थोपेडिक सर्जन जैसा भी मामला हो, जैसे विशेषज्ञों की राय ले सकता है:

परन्तु यह और कि, जब तक चिकित्सा अधिकारी को उस स्थान का जहां किशोर काम करने का प्रस्ताव करता है और उस विनिर्माण प्रक्रिया के बारे में जिसमें वह नियोजित किया जाएगा, व्यक्तिगत ज्ञान न हो, तब तक वह इस उपनियम के अधीन एक प्रमाण-पत्र प्रदान या नवीनीकृत नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसे स्थान की जांच न कर ले।

(3) उपनियम (2) के अधीन दी गई या नवीनीकृत समर्थता प्रमाण-पत्र –

(क) उसके दिनांक से केवल बारह महीने की अवधि के लिए वैध होगा;

(ख) उस कार्य की प्रकृति के सम्बंध में शर्तों के अध्यधीन बनाया जा सकता है जिसमें किशोर को नियोजित किया जा सकता है, या बारह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले किशोर की पुनः परीक्षा की आवश्यकता होती है।

(4) एक चिकित्सा अधिकारी उपनियम (2) के अधीन दिए गए या नवीनीकृत किए गए किसी भी प्रमाण-पत्र को रद्द कर देगा, यदि उसकी राय में, ऐसे प्रमाण-पत्र का धारक अब किसी अधिष्ठान में उसमें उल्लिखित क्षमता में काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

अध्याय–आठ

महिलाओं के नियोजन से सम्बंधित विशेष उपबंध

धारा 43 के अधीन महिलाओं के नियोजन से सम्बंधित विशेष उपबंध

76–महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किसी भी अधिष्ठान में सुबह 06:00 बजे से पहले और शाम 07:00 बजे के बाद नियोजित किया जा सकता है:–

(क) कोई भी महिला कर्मकार सुबह 06:00 बजे से पहले और शाम 07:00 बजे के बाद लिखित रूप में उसकी सहमति के बिना काम करने के लिए बाध्य नहीं होगी;

(ख) नियोजक उसके निवास से अधिष्ठान तक आने और वापस जाने के लिए उसके परिवहन हेतु अधिष्ठान के खर्च पर आवश्यक व्यवस्था करेगा और वह एक हेल्पलाइन नंबर के लिए दृश्यमान सामान्य स्थान पर एक व्यवस्था करेगा;

(ग) नियोजक ऐसी सभी महिला कर्मकारों को रात के खाने का उपबंध करेगा;

(घ) नियोजक ऐसे कार्य घंटों और उसकी यात्रा के दौरान पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगा;

(ङ) नियोजक महिलाओं के लिए अच्छी तरह से अनुरक्षित शौचालय, चेंजिंग रूम, पीने की सुविधाएं, प्रवेश और निकास बिंदु सुनिश्चित करेगा और वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन सुविधाओं के लिए मार्ग अच्छी तरह से प्रकाशित हों और कार्यस्थल के पास हों; और इन सुविधाओं के रास्ते में क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) निगरानी के उपयुक्त प्रावधान हो;

(च) रात्रि पाली के दौरान अन्यून चार महिला कर्मकारों को परिसर या किसी विशेष विभाग में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी या अपेक्षित नहीं होगी;

(छ) नियोजक अपने द्वारा प्रस्तावित व्यवस्थाओं को सत्यापन के लिए क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को इस तरह के सत्यापन के लिए कम से कम सात दिनों की अवधि देते हुए सूचित करेगा;

(ज) नियोजक रात की पाली के दौरान कार्यरत महिला कर्मकारों के ब्यौरे के बारे में संहिता के अधीन निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा मासिक रिपोर्ट भेजेगा और जब कभी कोई अप्रिय घटना होती है तो निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी स्पष्ट रिपोर्ट भेजेगा;

(झ) क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाला निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता महिला कर्मकारों की सुरक्षित कार्य स्थितियों को लागू करेगा और समय–समय पर उनके निरीक्षणों में किसी भी गैर–अनुपालन पर सावधानीपूर्वक ध्यान देगा;

(ञ) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2020) के अधीन निर्धारित मातृत्व लाभ उपबंधों के विरुद्ध किसी भी महिला कर्मकार को नियोजित नहीं किया जाएगा;

(ट) महिला कर्मकारों को रात्रि पाली के लिए मासिक धर्म अवधि के दौरान अतिरिक्त संवैतनिक अवकाश की अनुमति दी जा सकती है;

(ठ) नियोजक लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा। नियोजक महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 14 सन् 2013) या किसी अन्य सम्बंधित अधिनियमों में यथाविहित अधिष्ठान में ही एक शिकायत तंत्र बनाए रखेगा;

(ड) महिला कर्मकारों को उनके अधिकारों के बारे में विशेष रूप से आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देशों को प्रमुखता से प्रदर्शित करके जागरूक किया जाएगा;

(ढ) भारतीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त मात्रा के सैनिटरी नैपकिन उनके उपयोग के लिए महिलाओं के शौचालयों में उपलब्ध कराए जाएंगे और उनका अनुरक्षण किया जाएगा और उन्हें दैनिक आधार पर फिर से भरा जाएगा;

(ण) प्रयुक्त नैपकिन के संग्रह के लिए महिलाओं के शौचालयों के भीतर ढक्कन के साथ डिस्पोजेबल डिब्बे उपलब्ध कराए जाएंगे। उपयोग किए गए नैपकिन का निपटान निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(त) अधिष्ठान के समर्पित टेलीफोन नंबर अधिष्ठान के साथ–साथ वाहनों के अंदर भी विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि कोई भी महिला कर्मकार किसी भी आपात स्थिति या अत्यावश्यक स्थिति में उनका उपयोग कर सके।

धारा 44 के अधीन खतरनाक प्रक्रिया या खतरनाक संक्रिया में महिलाओं के नियोजन के लिए पर्याप्त रक्षोपाय

77–(1) महिला कर्मकारों को उनकी सहमति से खतरनाक और परिसंकटमय कार्यों में नियोजित किया जा सकता है।

(2) दूध पिलाने वाली माताओं या गर्भवती महिला कर्मकारों को खतरनाक और परिसंकटमय ग्रस्त कार्यों में नियोजन से छूट दी जाएगी।

(3) परिसंकटमय प्रक्रिया और खतरनाक संक्रियाओं से सम्बंधित संहिता में यथाउल्लिखित सभी उपायों का पालन अधिभोगी या जैसा भी मामला हो नियोजक द्वारा किया जाएगा।

(4) महिलाओं को उनके काम पर अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें अपने कार्यस्थल पर संभाले जा रहें संग्रहीत या निर्मित किए जा रहे पदार्थों के परिसंकटमय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी और उस पर काबू पाने के उपाय किए जाएंगे।

(5) परिसंकटमय प्रक्रिया या खतरनाक संक्रिया में कार्यरत महिलाओं को कार्यस्थल पर सभी आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे, जहाँ उन्हें तैनात किया जाता है।

अध्याय–नौ

संविदा श्रमिकों, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों, दृश्य–श्रव्य कर्मकरों और बीड़ी और सिगार कर्मकारों के लिए विशेष उपबंध

भाग–एक

संविदा श्रमिक

धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन संविदाकार को लाइसेंस स्वीकृत करने, उपांतरित करने और संशोधन करने की रीति और प्रपत्र

78–(1) संविदा श्रम की आपूर्ति या नियुक्ति या संविदा श्रम के माध्यम से कार्य करने या ऐसे लाइसेंस में उपांतरण या संशोधन के सम्बंध में लाइसेंस प्रदान करने के लिए संविदाकार द्वारा प्रत्येक आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी पोर्टल पर प्रपत्र–25 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

(2) लाइसेंस प्रदान करने या उसमें उपातंरण या संशोधन करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ प्रपत्र–26 में प्रधान नियोजक द्वारा एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा, जिसमें अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों के नियोजन से सम्बंधित सूचना का विवरण भी सम्मिलित होगा, इस आशय का कि आवेदक को उसके द्वारा उसके अधिष्ठान के सम्बंध में एक संविदाकार के रूप में नियोजित किया गया है और वह संहिता के सभी उपबंधों और तद्धीन बनायी गयी नियमावली से बाध्य होने का वचन देता है, जहां तक आवेदक द्वारा संविदा श्रमिकों के नियोजन के सम्बंध में प्रमुख नियोजक के रूप में उसके लिए उपबंध लागू होते हैं।

(3) आवेदन के साथ आवेदक की घोषणा की जाएगी कि लाइसेंस प्रदान करने या उसमें उपांतरण या संशोधन के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना सभी प्रकार से सही है और वह नियम 79 में विहित अपेक्षा को पूरा करता है।

(4) ऐसे लाइसेंस प्रदान करने के लिए भुगतान की जाने वाली फीस नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होगीः –

संविदा श्रम लाइसेंस के लिए शुल्क की तालिका

क्रमांक	अधिष्ठान में संविदाकार द्वारा नियोजित कर्मकारों की संख्या	फीस की राशि (रुपये में)
(एक)	49 संविदा कर्मकार तक	शून्य (किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है)
(दो)	पचास या पचास से अधिक परन्तु सौ से कम कर्मकार	2500.00
(तीन)	सौ या अधिक परन्तु दो सौ पचास से कम कर्मकार	5000.00
(चार)	दो सौ पचास या उससे अधिक परन्तु पाँच सौ से कम कर्मकार	12500.00
(पाँच)	पाँच सौ से अधिक कर्मकार	25000.00

परन्तु यह कि राज्य सरकार संविदा श्रम लाइसेंस के लिए फीस की उपर्युक्त सारणी में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संशोधन कर सकेगी।

(5) संविदाकार संविदा श्रमिक के रूप में नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक कामगार के लिए एक हजार रुपये की दर से गणना की गई सुरक्षा राशि जमा करेगा, जिसके सम्बंध में लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है।

धारा 47 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन लाइसेंस के निबंधन और शर्ते एवं संविदाकार के उत्तरदायित्व

79–(1) पोर्टल द्वारा प्रदान किया गया प्रत्येक संविदा श्रम लाइसेंस प्रपत्र–27 में होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रदान किए गए प्रत्येक लाइसेंस में संविदाकार के उत्तरदायित्व होंगे और वह निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होंगे, अर्थात्:–

(क) लाइसेंस गैर–हस्तांतरणीय होगा;

(ख) अधिष्ठान में संविदा श्रमिक/प्रवासी कामगार के रूप में नियोजित कामगारों की संख्या, किसी भी दिन, लाइसेंस में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;

(ग) नियमावली में यथा उपबंधित के सिवाय लाइसेंस के प्रदान या नवीकरण के लिए भुगतान की गई फीस जैसा भी मामला हो, अप्रतिदाय होगी;

(घ) संविदाकार द्वारा कर्मकारों को संदेय मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) या मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2019) के अधीन नियोजन के लिए विहित दरों से कम नहीं होंगी, जहां लागू हो, और जहां दरें करार, समझौते,अवार्ड या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं, इस प्रकार निर्धारित दरों से कम नहीं होगी;

(ङ) संविदाकार के कर्मकारों की मजदूरी दरें, छुट्टियाँ, काम के घंटे और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय;

(च) प्रत्येक संविदा श्रमिक/प्रवासी कर्मकार संहिता और इन नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट भत्ते, लाभ, सुविधाएं आदि का हकदार होगा;

(छ) प्रत्येक अधिष्ठान में जहां तीस या अधिक महिलाएं आमतौर पर कार्यरत हैं, छह वर्ष से कम उम्र के उनके बच्चों के उपयोग के लिए उचित आयाम के दो कमरे प्रदान किए जाएंगे। ऐसे कमरों में से एक का उपयोग बच्चों के लिए खेल के कमरे के रूप में और दूसरे का उपयोग बच्चों के लिए बेडरूम/सोने के कमरे के रूप में किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए संविदाकार खेल के कमरे में पर्याप्त संख्या में खिलौने और खेल और सोने के कमरे में पर्याप्त संख्या में खाट और बिस्तर की आपूर्ति करेगा। शिशुकक्षों के निर्माण और अनुरक्षण का मानक ऐसा हो सकता है जो इस सम्बंध में सम्बंधित नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या अधिकारिता वाले प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है;

(ज) लाइसेंसधारी कामगारों की संख्या या कार्य की स्थितियों में किसी भी बदलाव को प्राधिकरण को सूचित करेगा;

(झ) लाइसेंस की एक प्रति उस परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी जहां संविदा का कार्य किया जा रहा है;

(ञ) संविदाकार संहिता के सभी उपबंधों और इस नियमावली का पालन करेगा;

(ट) लाइसेंसधारी, प्रत्येक संविदा कार्य के शुरू होने और पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर, संहिता की धारा 46 के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण को एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें प्रारंभ की वास्तविक तारीख की या, जैसा भी मामला हो, प्रपत्र–28 में ऐसे संविदा कार्य के पूर्ण होने की सूचना दी गयी हो;

(ठ) संविदाकार या प्रधान नियोजक संहिता की धारा 57 की उपधारा(1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर धारा 2(त) में परिभाषित मुख्य गतिविधियों में किसी भी संविदा कर्मकार को नियुक्त नहीं करेगा।

धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्रधान नियोजकों का रजिस्टर

80—प्रधान नियोजकों का एक रजिस्टर, जिसे इस नियमावली के अधीन रजिस्ट्रीकरण जारी किया गया है, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र—4 में अनुरक्षित किया जाएगा।

धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन संविदाकारों का रजिस्टर

81—जिन संविदाकारों को इस नियमावली के अधीन लाइसेंस जारी किए गए हैं, उनका एक रजिस्टर नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र—29 में अनुरक्षित किया जाएगा।

धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेंस देने या अस्वीकार करने में ध्यान में रखे जाने वाले मामले

82—लाइसेंस देने या देने से इनकार करने में, लाइसेंसिंग अधिकारी निम्नलिखित मामलों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:—

(क) लाइसेंस प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, संविदाकार एक इकाई या एक व्यक्ति के रूप में एक अनुन्मोचित दिवालिया न हो, या पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी समय ऐसे अपराध का दोषी न हो, जो तीन माह से अधिक कारावास के लिए दंडनीय हो;

(ख) क्या जिस अधिष्ठान के लिए आवेदक संविदाकार है, उस अधिष्ठान में विशेष प्रकार के कार्य के सम्बंध में संविदा श्रम को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार का कोई आदेश है या कोई अधिनिर्णय या समझौता है;

(ग) क्या संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या 37 सन् 1970) अथवा संहिता की धारा 51 की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन आवेदक के सम्बंध में कोई आदेश दिया गया है और यदि हां, तो क्या उस आदेश के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है;

(घ) क्या आवेदन के लिए फीस विनिर्दिष्ट दर पर जमा कर दिया गया है; तथा

(ङ) क्या आवेदक द्वारा प्रतिभूति विनिर्दिष्ट दरों पर जमा कर दी गई है।

धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेंस देने से इंकार

83—(1) संविदाकार से आवेदन प्राप्त होने पर, और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके, लाइसेंसिंग अधिकारी ऐसे आवेदन में प्रस्तुत तथ्यों और विवरणों की शुद्धता और लाइसेंस के लिए आवेदक की पात्रता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए जांच करेगा या जांच करवाएगा।

(2) जहां लाइसेंसिंग अधिकारी की राय है कि लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए, वह आवेदक को सुनवाई के लिए उचित अवसर प्रदान करने के बाद, आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश देगा।

(3) आदेश अस्वीकार करने के कारणों को अभिलिखित करेगा और आवेदक को संसूचित किया जाएगा।

धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेंस प्रदान करने की रीति

84—यदि लाइसेंस प्रदान करने या इसके उपांतरण या संशोधन के लिए आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, तो प्राधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर ऐसे आवेदन को लाइसेंस या संशोधन प्रदान किया गया माना जाएगा, और लाइसेंस या संशोधन का प्रमाण-पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः तैयार किया जाएगा।

धारा 48 की उपधारा (2) की प्रतिभूति जमा राशि का प्रतिदाय

85—(1) लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर या कार्य पूरा होने के बाद, संविदाकार, यदि वह अपने लाइसेंस का और कराने हेतु आशयित नहीं है, तो इस सम्बंध में प्रधान नियोजक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्राधिकरण को लाइसेंस की प्रति और कार्य पूरा होने की सूचना और बैंक विवरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाइसेंस की प्रति और कार्य पूरा होने की सूचना और बैंक विवरण के साथ उनके द्वारा जमा प्रतिभूति राशि के प्रतिदाय हेतु आवेदन कर सकता है ।

(2) यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी संतुष्ट है कि लाइसेंस की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है या सुरक्षा जमा या उसके किसी हिस्से को जब्त करने का कोई आदेश नहीं है, तो वह आवेदक को प्रतिभूति जमा की वापसी का निर्देश देगा।

(3) यदि संविदाकार की प्रतिभूति जमा राशि के किसी भी हिस्से को जब्त करने का निदेश देने वाला कोई आदेश है, तो जब्त की जाने वाली राशि को प्रतिभूति जमा से काट लिया जाएगा, और शेष, यदि कोई हो, संविदकार को वापस कर दिया जाएगा।

(4) प्रतिदाय के लिए कोई भी आवेदन, जहां तक संभव हो, आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर निपटाया जाएगा।

(5) जमा की गई और प्रतिदाय की गई प्रतिभूति राशि का अभिलेख प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र–30 में अनुरक्षित किया जाएगा।

धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन लाइसेंस में उपांतरण या संशोधन के लिए फीस

86–यदि संविदा श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिए लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन किया जाता है, तो नियम 82 के उपनियम (4) में यथाविहित अतिरिक्त फीस और नियम 82 के उपनियम (5) में यथाविहित अतिरिक्त प्रतिभूति फीस आवेदक द्वारा जमा किया जाएगा।

धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन लाइसेंस का नवीकरण

87–(1) प्रत्येक संविदाकार राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल पर लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन लाइसेंस अवधि की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले लेकिन लाइसेंस की ऐसी समाप्ति के नब्बे दिनों से पहले उक्त पोर्टल पर नहीं प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रतिभूति जमा और प्रभार्य फीस नियम 82 के अधीन लाइसेंस प्रदान करने के लिए समान होगाः

परन्तु यह कि यदि नवीकरण के लिए आवेदन उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो इस तरह के नवीकरण के लिए पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त फीस देय होगी।

(4) उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लाइसेंस का नवीकरण करना सम्बंधित प्राधिकारी का उत्तरदायित्व होगा, जिसमें विफल रहने पर ऐसे लाइसेंस का नवीकरण किया गया माना जाएगा और लाइसेंस के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः तैयार किया जाएगा।

धारा 48 की उपधारा (4) के अधीन संविदाकार का उत्तरदायित्व

88–(1) संविदा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए संविदाकार का उत्तरदायित्व मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2019) और तद्धीन बनायी गयी नियमावली मे नियोजक की तरह होगी।

(2) संविदाकार अधिष्ठान के प्रधान नियोजक को ऐसे भुगतान के दिनांक से सात दिनों के भीतर मजदूरी का विवरण और मजदूरी के रजिस्टर की प्रति उपलब्ध कराएगा।

(3) जहां धारा 55 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन, धारा 55 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट मोड में भुगतान का संवितरण करना व्यावहारिक नहीं है, वहां भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को पूर्व सूचना के साथ प्रधान नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में सख्ती से किया जाएगा।

(4) प्रत्येक लाइसेंसधारी/संविदाकार इस सम्बंध में केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी केन्द्रीय श्रम संहिताओं और अन्य श्रम विधियों और नियमों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा भी लागू हो।

(5) लाइसेंसधारी/संविदाकार उन निबंधन और शर्तों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा जिनके अधीन उसे लाइसेंस प्रदान किया गया है।

(6) सभी संविदा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अधिनियम 36 सन् 2020) के सम्बंधित उपबंधों के अधीन लागू होने के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सदस्य बनाया जाएगा।

(7) संविदाकार कर्मकारों की संख्या या कार्य की शर्तों में किसी भी बदलाव को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाइसेंसिंग प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(8) यदि किसी स्थिति में, संविदाकार संहिता और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों का पालन करने में विफल रहता है या अन्य श्रम विधियों का उल्लंघन करता है, तो प्राधिकारी उसका लाइसेंस रद्द कर सकेगा और प्रतिभूति राशि जब्त कर सकेगा। प्राधिकारी ऐसे संविदाकार के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए अधिकारिता प्राप्त निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निदेश भी दे सकता है।

धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन कार्य आदेश की सूचना और सूचना की समय सीमा

89–(1) जब कोई संविदाकार किसी अधिष्ठान से या तो अधिष्ठान में संविदा श्रमिकों की आपूर्ति करने के लिए या अधिष्ठान में संविदा श्रमिकों के माध्यम से निष्पादित करने के लिए कार्य आदेश प्राप्त करता है, तो वह इस तरह के आदेश की प्राप्ति के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा या राज्य सरकार के श्रम विभाग के सरकारी पोर्टल के माध्यम से प्रपत्र–28 में संहिता की धारा 119 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(2) कार्य आदेश का विवरण संविदाकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भेजा जाएगा।

(3) सूचना वेब–पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा सम्बंधित नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और अधिकारिता वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को भेजी जाएगी।

धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन उपयुक्त सरकार को सूचित करने में विफलता के मामलों में लाइसेंस के निलंबन या रद्द करने की रीति

90–जहां संविदाकार उपरोक्त सूचना देने में विफल रहता है, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी कम से कम पंद्रह दिनों का कारण बताओ नोटिस देने के बाद और उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकता है।

धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अपील

91–अपीलीय प्राधिकारी संहिता की धारा 52 की उपधारा(1) के अधीन श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश होगा।

धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन मजदूरी के भुगतान के लिए मजदूरी की अवधि

92–(1) संविदाकार मजदूरी की अवधि तय करेगा जिसके सम्बंध में मजदूरी संदेय होगी और कोई भी मजदूरी अवधि एक महीने से अधिक नहीं होगी।

(2) किसी अधिष्ठान में या संविदाकार द्वारा संविदा श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी का भुगतान मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2019) और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(3) मजदूरी केवल बैंक अंतरण या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वितरित की जाएगी।

धारा 55 की उपधारा (2) के अधीन उन संविदा श्रमिकों को भुगतान का रीति जहां बैंक अंतरण या इलेक्ट्रॉनिक मोड संभव नहीं है।

93–(1) जहां धारा 55 की उपधारा(2) के परन्तुक के अधीन, धारा 55 की उपधारा(2) में विनिर्दिष्ट मोड में भुगतान का संवितरण करना व्यावहारिक नहीं है, वहां भुगतान प्रधान नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अधिकतम दो महीने की अवधि तक या उनके बैंक खाते के खुलने तक जो भी पहले हो, अनिवार्य रूप से किया जाएगा,

(2) संविदाकार कर्मकारों को अपने बैंक खाते खोलने की सुविधा प्रदान करेगा।

(3) यह सुनिश्चित करना प्रधान नियोजक का उत्तरदायित्व होगा कि किसी भी कर्मकार को उपनियम (1) के उपबंधों के उल्लंघन में, अधिकतम समय सीमा से परे भुगतान नहीं किया जाता है।

यदि संविदाकार धारा 55 की उपधारा (4) के अधीन भुगतान करने में विफल रहता है, तो प्रतिभूति जमा से संविदा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान की रीति

94–(1) यदि संविदाकार या प्रधान नियोजक अपने द्वारा नियोजित संविदा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं करता है, तो नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी जांच करेगा या करवाएगा और सुनवाई का अवसर देने के बाद, संविदाकार को प्रतिभूति जमा के रूप में संविदाकार द्वारा जमा की गई राशि से ऐसी मजदूरी, यदि कोई हो, का भुगतान करने का आदेश पारित करेगा।

(2) संविदाकार पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर प्रतिभूति जमा को पुनः प्रस्तुत करेगा या अन्यथा, उसका लाइसेंस निलम्बन या निरस्त किये जाने हेतु दायी होगा।

धारा 56 के अधीन अनुभव प्रमाण-पत्र

95– सम्बंधित प्रत्येक संविदाकार संविदा श्रमिक को अपने लेटर हेड पर अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ प्रपत्र–31 में मांग पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसमें ऐसे संविदा श्रमिकों द्वारा अवधि, किए गए कार्य, विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव जैसे प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया जाएगा।

धारा 57 की उपधारा (2) के खंड (क) और (ख) के अधीन मुख्य गतिविधि की घोषणा के लिए आवेदन का प्रपत्र और रीति

96–(1) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी अधिष्ठान की कोई गतिविधि मुख्य गतिविधि है या अन्यथा, तो पीड़ित पक्ष संहिता की धारा 57(1)(क) के अधीन नियुक्त अधिकारी को प्रपत्र –32 में आवेदन कर सकता है।

(2) उक्त आवेदन में विचाराधीन गतिविधि और अधिष्ठान की विनिर्माण प्रक्रियाओं का पूरा विवरण होगा।

(3) इस तरह के आवेदन में ऐसा आवेदन करने का औचित्य भी शामिल होगा।

(4) आवेदन ऐसे दस्तावेजों के साथ किया जाएगा जो आवेदक द्वारा आवश्यक समझा जाय।

(5) जहां राज्य सरकार ऐसे किसी प्रश्न को स्वतः संदर्भित करती है या धारा 57 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को आवेदन भेजती है, वहां ऐसा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे प्रश्न या आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगा और तत्पश्चात् राज्य सरकार ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के दिनांक से दो माह के भीतर प्रश्न पर विनिश्यच करेगी।

भाग– दो

अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार

धारा 61 के अधीन हक, आवधिकता, यात्रा की श्रेणी और यात्रा भत्ते से सम्बंधित मामलों की न्यूनतम सेवा

97–(1) नियोजक अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार को ट्रेन से (द्वितीय श्रेणी के स्लीपर से कम नहीं) या बस द्वारा या गृह राज्य में निवास स्थान तक यात्री परिवहन के किसी अन्य साधन से आने–जाने के लिए किराए के रूप में एकमुश्त उचित राशि का भुगतान करेगा, यदि उसने पिछले बारह महीनों में सम्बंधित अधिष्ठान में अन्यून 180 दिनों की अवधि के लिए काम किया है। इस तरह की राशि का भुगतान अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार को निम्नलिखित स्थितियों में किया जाएगाः –

(क) किसी भी कारण से नियोजन की अवधि की समाप्ति से पहले उसकी सेवा की समाप्ति पर;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा विधिवत प्रमाणित चोट या निरंतर बीमार स्वास्थ्य के कारण आगे के नियोजन के लिए उसे असक्षम होने पर;

(ग) ऐसे अधिष्ठान में कार्य बंद होने के सम्बंध में जो प्रवासी कामगार की ओर से किसी गलती के कारण नहीं है; और

(घ) संविदाकार द्वारा अपने नियोजन के निबंधन और शर्तों को पूरा न करने के कारण सेवा से उनके त्याग-पत्र पर।

(2) यदि प्रवासी कर्मकार छह माह से अधिक समय से कार्यरत है, तो उसे प्रत्येक छह माह की समाप्ति के बाद रोजगार के स्थान से निवास स्थान तक आने–जाने की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता दिया जाएगा।

(3) जहां तक संभव हो यात्रा भत्ते का भुगतान प्रधान नियोजक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

धारा 62 के अधीन अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों के लिए लाभार्थी योजनाएं

98–(1) यदि कोई अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार उत्तर प्रदेश राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उठाने का विकल्प चुनता है, तो सम्बंधित जिले में कार्य कर रहे खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग या अन्य विभाग या प्राधिकरण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, उन्हें विभाग या प्राधिकरण की योजना के अनुसार खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार और बोर्ड, यथास्थिति, अपना तंत्र और प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं।

धारा 63 के अधीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर

99–(1) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश प्रवासी श्रमिकों के प्रश्नों और शिकायतों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित रीति से अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों के लिए एक टोल–फ्री हेल्पलाइन स्थापित करेगा।

(2) टोल–फ्री नंबर पर कॉलों का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे प्रपत्र और प्रारूप में रखा जाएगा जैसा इस निमित्त श्रम आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

धारा 64 के अधीन अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार का अध्ययन

100–(1) राज्य सरकार किसी भी समय, जैसा वह आवश्यक समझे, या यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशित हो, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तर प्रदेश राज्य से अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों का अध्ययन कर सकेगी।

(2) ऐसे अध्ययन की रीति, अध्ययन दल की संरचना और अन्य मामले ऐसे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चय किये जाएं।

(3) जहां कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकार विशेषज्ञ संगठनों और अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण में सम्मिलित विभिन्न हितधारकों से भी परामर्श कर सकती है।

भाग–तीन

दृश्य– श्रव्य कर्मकार

धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन दृश्य–श्रव्य कर्मकार और दृश्य–श्रव्य कार्यक्रम के निर्माता या संविदाकार के बीच करार

101–(एक) दृश्य–श्रव्य कर्मकार, दृश्य–श्रव्य कार्यक्रम के निर्माता या संविदकार, यदि कोई हो, के बीच करार प्रपत्र –33 में होगा।

(दो) इस तरह के करार में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगेः–

(क) दृश्य–श्रव्य कार्यक्रम का नाम;

(ख) निर्माता और संविदाकार का नाम और पता (यदि कोई हो);

(ग) दृश्य–श्रव्य कर्मकार का नाम और पता;

(घ) दृश्य–श्रव्य कर्मकार के नियोजन की प्रकृति;

(ड.) नियोजन की अवधि; तथा

(च) नियोजन के नियम और शर्तें जैसे मजदूरी और अन्य लाभ, स्वास्थ्य और कार्य करने की स्थिति, सुरक्षा, कार्य के घंटे, कल्याण सुविधाएं, विवाद समाधान प्रक्रिया या तंत्र, जो संहिता में दृश्य–श्रव्य कर्मकार की पात्रता से कम नहीं होंगी।

(तीन) यदि ऐसे दृश्य–श्रव्य कर्मकार भविष्य निधि का लाभ प्रदान करने के लिए तत्समय लागू अधिनियम के उपबंध के अधीन आच्छादित हैं, तो ऐसे करार की एक प्रति दृश्य–श्रव्य कार्यक्रम के निर्माता द्वारा केन्द्रीय सरकार के सम्बंधित भविष्य निधि प्राधिकारियों को अग्रेषित की जाएगी।

विवाद समाधान तंत्र, गठन और प्राधिकारियों के अन्य विवरण

102–विवाद समाधान तंत्र, प्रक्रिया और प्राधिकरणों और न्यायालयों का गठन औद्योगिक सम्बंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) और राज्य सरकार द्वारा तद्धीन बनायी गयी नियमावली में प्रदान किया गया है।

भाग–चार

बीड़ी और सिगार कर्मकार

धारा 74 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन का प्रपत्र

103–(1) धारा 74 की उपधारा (2) के अधीन किसी स्थान या परिसर को औद्योगिक परिसर के रूप में उपयोग करने या उपयोग करने की अनुमति देने के लिए लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन राज्य सरकार के सरकारी पोर्टल पर प्रपत्र–34 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

(2) आवेदन के साथ योजनाओं को जिसमें निम्नलिखित दर्शित हो, दिखाया जाएगाः–

(क) ऐसे स्थान या परिसर की साइट, विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र और ऐसे स्थान या परिसर के तत्काल परिवेश, जिसमें आसन्न भवन, संरचनाएं, सड़कें, नालियां और ऐसी अन्य संरचनाएं सम्मिलित हैं; तथा

(ख) प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था, संवातन, आग लगने की स्थिति में भागने के साधन, संयंत्र और मशीनरी की स्थिति, यदि कोई हो, उपयोग किए गए, गलियारों और मार्ग–मार्गों से सम्बंधित विवरण, या विभिन्न भवनों के सम्बंध जो विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने हेतु आशयित है, की योजना, ऊंचाई और आवश्यक क्रॉस–सेक्शन का विवरण।

(3) ऐसा लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व प्राधिकारी इस बात पर भी विचार करेगा कि क्या किसी औद्योगिक परिसर के स्थल में परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है या क्या आवेदक द्वारा आवेदन के दिनांक से ठीक पहले बारह माह की अवधि के दौरान औद्योगिक परिसर को बंद कर दिया गया है ताकि श्रमिकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सके।

(4) नियम 109 के उपनियम (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट लाइसेंस प्रदान करने या नवीकरण के लिए फीस का भुगतान इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से किया जाएगा।

(5) आवेदन प्रपत्र–35 में धारा 74 की उपधारा (4) के अधीन नियोजक की सकारात्मक घोषणा के साथ संलग्न किया जाएगा।

धारा 74 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेंस प्रदान करने या नवीकरण के लिए फीस

104–(1) लाइसेंस प्रदान करने या नवीकरण के लिए भुगतान की जाने वाली फीस नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट होगी:

	वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले प्रस्तावित कर्मचारियों की संख्या	फीस (रुपये में)
(क)	बीस से अधिक नहीं है	500
(ख)	बीस से अधिक लेकिन पचास से अधिक नहीं	1000
(ग)	पचास से अधिक लेकिन सौ से अधिक नहीं	1500
(घ)	सौ से अधिक	2000

(2) अनुलिपि लाइसेंस प्रदान करने के लिए भुगतान की जाने वाली फीस एक सौ रुपये होगी।

(3) यदि प्राधिकारी धारा 74 के अधीन कोई लाइसेंस प्रदान करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार करता है, तो उसके लिए भुगतान की गई फीस वापस नहीं की जाएगी।

धारा 119 और धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन लाइसेंस के लिए आवेदन के सम्बंध में सूचना और स्थल योजना

105–यदि बीड़ी और सिगार अधिष्ठान का अधिभोगी/नियोजक संहिता की धारा 119 के उपबंधों के अधीन लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है, तो वह उस स्थान या परिसर में दिन के किसी भी समय नियोजित किए जाने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का उल्लेख करेगा और प्रपत्र–34 में उपयोग किए जाने वाले स्थल या परिसर की योजना को संलग्न करेगा।

धारा 74 की उपधारा (4) के अधीन लाइसेंस के निबंधन और शर्तें

106–धारा 74 के अधीन प्रदान या नवीकृत प्रत्येक लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात्–

(क) विनिर्माण प्रक्रिया केवल औद्योगिक परिसर के उस हिस्से में की जाएगी जिसे लाइसेंस में ऐसे प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ख) औद्योगिक परिसरों में नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या किसी भी दिनांक को लाइसेंस में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगी;

(ग) लाइसेंस में विनिर्दिष्ट नहीं की गई विद्युत चालित मशीनरी, परिसर में विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग नहीं की जाएगी;

(घ) लिखित रूप में प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, औद्योगिक परिसर का विस्तार नहीं किया जाएगा और समान अनुमति के बिना ऐसे परिसर में किसी भवन में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा;

(ङ) लाइसेंस अंतरणीय नहीं होगा;

(च) नियमावली मं यथाबंधित के सिवाय, लाइसेंस के प्रदान या नवीकरण, जैसा भी मामला हो, के लिए भुगतान की गयी फीस, अप्रतिदाय होगी।

धारा 74 की उपधारा (4) के अधीन लाइसेंस प्रदान करना और नवीकरण

107—यदि प्राधिकारी लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन के विवरण के बारे में संतुष्ट है, तो वह उत्तर प्रदेश जनहीत गारंटी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र—36 पर लाइसेंस का प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसमें विफल रहने पर ऐसा लाइसेंस प्रदान किया गया माना जाएगा और लाइसेंस प्रदान करने का प्रमाण पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः तैयार किया जाएगा।

धारा 74 की उपधारा (4) के खंड (ड़) के अधीन कल्याणकारी उपाय

108—लाइसेंस प्रदान करते समय या लाइसेंस का नवीकरण करते समय, लाइसेंसिंग प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बीड़ी और सिगार अधिष्ठान के अधियोगी ने परिक्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण और जनता के हित के सम्बंध में निम्नलिखित उपबंध किए हैं :—

(क) स्वच्छता—

(1) प्रत्येक औद्योगिक परिसर में, —

(क) गंदगी और कचरे के संचय को दैनिक रूप से फर्श और कार्यकक्षों के मार्ग और सीढ़ियों और मार्गों से झाड़ू लगाकर या किसी अन्य प्रभावी तरीके से हटाया जाएगा और उपयुक्त तरीके से निपटाया जाएगा;

(ख) प्रत्येक कार्य—कक्ष के फर्श को हर सप्ताह में कम से कम एक बार धोकर, कीटाणुनाशक का उपयोग करके, जहां आवश्यक हो, या किसी अन्य प्रभावी विधि से साफ किया जाना चाहिए;

(ग) दीवारों और विभाजनों के अंदर, छत, कमरों और दीवारों, साइड और सीढ़ियों सभी के अंदर, —

(एक) जहां उन्हें पेंट या वार्निश किया जाता है या जहां उनकी चिकनी अभेद्य सतह होती है, वहां चौदह महीने की हर अवधि में कम से कम एक बार ताजे पानी से साफ किया जायेगा और सुखाया जायेगा;

(दो) जहां उन्हें पेंट या वार्निश किया जाता है, पाँच साल की हर अवधि में कम से कम एक बार फिर से पेंट किया जायेगा या फिर से वार्निश किया जायेगा;

(तीन) किसी अन्य मामले में, प्रत्येक बारह महीने में कम से कम एक बार सफेदी या रंगीन धुलाई की जानी चाहिए।

(2) उपनियम (1) के अधीन जिन तिथियों पर सफेदी, रंग धुलाई, वार्निशिंग, पेंटिंग या सफाई की गई थी, का अभिलेख, जैसा भी मामला हो, नियोजक द्वारा प्रपत्र—37 में रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(ख) संवातन— औद्योगिक परिसर के प्रत्येक कार्यकक्ष या हॉल में, ताजी हवा की निरंतर आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त संख्या में खिड़कियां और संवातन के अन्य रूपों की व्यवस्था की जाएगी ताकि ऐसे कमरे या हॉल के अंदर का वातावरण आरामदायक और धूल, धुएं और अन्य अशुद्धता से मुक्त रहे।

(ग) शौचालय और मूत्रालय—

(1) प्रत्येक औद्योगिक परिसर में प्रत्येक बारह पुरुष कर्मचारियों के लिए अलग—अलग एक शौचालय और मूत्रालय सीट की दर से शौचालय और मूत्रालय स्थल उपलब्ध कराया जाएगाः

परन्तु यह कि जहां ऐसे पुरुष कर्मचारियों की संख्या सौ से अधिक हो तो यह पर्याप्त होगा यदि पहले सौ तक प्रत्येक पच्चीस पुरुष कर्मचारियों के लिए एक शौचालय की सीट हो और उससे अधिक में प्रत्येक पचास के लिए एक सीट हो।

स्पष्टीकरण— इस उपनियम के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित सीटों की संख्या की गणना करने में, बीस, पच्चीस या पचास से कम कर्मचारियों की कोई पुरानी संख्या, जैसा भी मामला हो, बीस, पच्चीस या पचास के रूप में गिना जाएगा।

(2) जहां महिला कर्मचारी किसी औद्योगिक परिसर में कार्यरत हैं, वहां उनके लिए उपर्युक्त उपनियम खंड (1) में पुरुष कर्मचारियों के लिए विनिर्दिष्ट पैमाने के अनुसार पृथक शौचालय और मूत्रालय स्थल उपलब्ध कराए जाएंगे।

(3) प्रत्येक शौचालय ढका हुआ होगा और शौचालय और मूत्रालय में प्रत्येक सीट को इस तरह से विभाजित किया जाएगा कि गोपनीयता सुरक्षित हो और प्रत्येक विभाजन में एक निजी दरवाजा और बन्धन होगा।

(4) जहां सभी लिंगों के कर्मचारी किसी औद्योगिक परिसर में कार्यरत हैं, वहां प्रत्येक शौचालय और मूत्रालय ब्लॉक के बाहर हिंदी में और अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में ''केवल पुरुषों के लिए'' या, जैसा भी मामला हो, ''केवल महिलाओं के लिए'' रूप में पठनीय नोटिस और इस तरह के नोटिस पर एक पुरुष या एक महिला, जैसा भी मामला हो का चित्र भी होगा।

(5) जहां पाइप से पानी की आपूर्ति उपलब्ध है, शौचालयों और मूत्रालयों में या उसके आस–पास पर्याप्त संख्या में पानी के नल आसानी से सुलभ कराए जाएंगे और जहां पानी की निरंतर आपूर्ति नहीं है, ऐसे शौचालयों और मूत्रालयों में या उसके आस–पास धोने के प्रयोजनों के लिए डिब्बे के साथ पानी की टंकी उपलब्ध कराई जाएगी।

(6) जब किसी विशेष इलाके में सुनिश्चित जल आपूर्ति के साथ भूमिगत सीवेज की कोई सामान्य प्रणाली प्रदान की जाती है या मौजूद होती है, तो सेप्टिक टैंक शौचालय के अलावा ऐसे इलाके में एक औद्योगिक परिसर में सभी शौचालय और मूत्रालय ऐसे निकटतम सीवेज सिस्टम से जुड़े होंगे।

(7) प्रत्येक शौचालय और मूत्रालय की दीवारों, छतों और विभाजनों को सफेदी से धोया या रंग से धोया जाएगा और इसे चार महीने की प्रत्येक अवधि में कम से कम एक बार दोहराया जाएगा। जिन तारीखों को डिटर्जेंट और कीटाणुनाशकों से धोने या रंग–धुलाई की जाती है, वे तारीखें, जैसा भी मामला हो, नियोजक द्वारा प्रपत्र–37 में अनुरक्षित रजिस्टर में अभिलिखित की जाएंगीः

परन्तु यह कि, उपनियम (7) में कुछ भी शौचालय या मूत्रालय या ऐसी दीवारों, छत और विभाजनों के किसी भी हिस्से की दीवार और छत के सम्बंध में लागू नहीं होगा, जिन पर चमकती हुयी टाइलें बिछायी गयी है या अन्यथा एक चिकनी–पॉलिश की गई अभेद्य सतह दिखने के लिए फिनिश की गयी है, लेकिन ऐसी दीवारों, छत, विभाजन या उसके कुछ हिस्सों को चार महीने की प्रत्येक अवधि में कम से कम एक बार उपयुक्त डिटर्जेंट और कीटाणुनाशक से धोया जाएगा।

(8) अपशिष्ट या गंदा पानी ले जाने के लिए औद्योगिक परिसर में सभी नालियों का निर्माण चिनाई या अन्य अनुमन्य सामग्री से किया जाएगा और ऐसी नालियों को उपयुक्त जल निकासी लाइनों से जोड़कर नियमित रूप से फ्लश और बहिःस्त्राव का निपटान किया जाएगाः

परन्तु यह कि जहां ऐसी कोई जल निकासी लाइन नहीं है, वहां बहिस्त्राव को अहानिकर बनाने के लिए दुर्गंधमुक्त दूर किया जाएगा और फिर उसका निपटान किया जाएगा।

(घ) धुलाई की सुविधाएं–

(1) प्रत्येक औद्योगिक परिसर में तम्बाकू के सम्मिश्रण और छानने या गर्म चूल्हे में बीड़ी को गर्म करने में लगे कर्मचारियों के उपयोग के लिए, धोने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जिनमें साबुन और नेल ब्रश या सफाई के अन्य उपयुक्त साधन सम्मिलित होंगे और ऐसी सुविधाएं सुविधाजनक, सुलभ और स्वच्छ एवं व्यवस्थित स्थिति में उपलब्ध कराई जाएंगी।

(2) यदि महिला कर्मचारी किसी औद्योगिक परिसर में कार्यरत हैं, तो पुरुष कर्मचारियों के सम्बंध में खंड (1) में विनिर्दिष्ट की तरह अलग से धुलाई सुविधाएं ऐसी महिला कर्मचारियों के लिए संलग्न या बंद स्थानों में इस प्रकार प्रदान की जाएंगी कि ऐसे स्थानों के आंतरिक भाग किसी भी स्थान से दिखाई न दें जहां पुरुष कर्मचारी कार्य करते हैं या गुजरते हैं और ऐसे प्रत्येक स्थान पर प्रवेश बोल्ड और सुस्पष्ट अक्षरों में ''केवल महिलाओं के लिए'' के रूप में पठनीय अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में एक नोटिस लगायी जायेगी और इस तरह के नोटिस पर एक महिला की तस्वीर भी होगी।

(3) खंड (1) या खंड (2) के अधीन धुलाई सुविधाओं के प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति ऐसी होगी जो औद्योगिक परिसर में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रति दिन कम से कम 27.3 लीटर प्रदान करती हो और ऐसा पानी एक स्वच्छ स्रोत से लिया जाएगाः

परन्तु यह कि जहां एक निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता संतुष्ट हो जाता है कि इस उपनियम के अधीन विनिर्दिष्ट पैमाने के अनुसार पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराना व्यावहारिक नहीं है, तो वह लिखित रूप में एक प्रमाण-पत्र द्वारा कम मात्रा की आपूर्ति की अनुमति दे सकता है जो किसी भी स्थिति में प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्रति दिन 4.5 लीटर से कम नहीं होगी।

(ङ) शिशुकक्ष–

(1) प्रत्येक औद्योगिक परिसर में, जिसमें तीस या अधिक श्रमिक कार्यरत हैं या पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन नियोजित थे, नियोजक इस नियमावली में निर्धारित मानकों के अनुसार, उनके छह वर्ष की आयु तक बच्चों के उपयोग के लिए एक शिशुकक्ष या शिशुकक्षों का उपबंध करेगा और अनुरक्षण करेगा।

(2) शिशु कक्ष निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा, अर्थात :–

(क) शिशुकक्ष उसमें समायोजित बच्चों की माताओं के लिए सुविधाजनक रूप से सुलभ होगा और जहां तक यथोचित रूप से व्यावहारिक हो, यह औद्योगिक परिसर के किसी भी हिस्से के करीब स्थित नहीं होगा जहां अप्रिय धुआं, धूल या गंध छोड़ी जाती है;

(ख) शिशुकक्ष के रूप में उपयोग किए जाने वाले कमरे या कमरों का निर्माण अच्छी तरह से किया जाएगा और उसकी दीवारें और छत गर्मी प्रतिरोधी सामग्री की होगी और जलरोधी होगी;

(ग) 1.2 मीटर की ऊंचाई तक शिशुकक्ष के फर्श और आंतरिक दीवारों को इस तरह से बनायी या फिनिश किया जाएगा कि एक चिकनी अभेद्य सतह प्रदान की जा सके;

(घ) शिशुकक्ष के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कमरे की ऊंचाई फर्श से छत के सबसे निचले हिस्से तक 3.7 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक बच्चे को उसमें समायोजित करने के लिए 1.9 वर्ग मीटर से कम फर्श क्षेत्र नहीं होना चाहिए;

(ड.) ताजी हवा के संचलन द्वारा पर्याप्त संवातन को सुरक्षित करने और बनाए रखने के लिए शिशुकक्ष के हर हिस्से में प्रभावी और उपयुक्त उपबंध किया जाएगा;

(च) शिशुकक्ष को पर्याप्त रूप से सज्जित और सुसज्जित किया जाएगा और विशेष रूप से निम्नलिखित उपलब्ध कराया जाएगा,–

(एक) दो वर्ष से अधिक के प्रत्येक बच्चे के लिए, एक उपयुक्त बिस्तर;

(दो) दो वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए, आवश्यक बिस्तर के साथ एक उपयुक्त खाट या पालना;

(तीन) प्रत्येक मां के उपयोग के लिए कम से कम एक कुर्सी या अन्य पर्याप्त समान बैठने की व्यवस्था, जब वह बच्चे को दूध पिला रही हो या उसकी देखभाल कर रही हो; तथा

(चार) बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त खिलौनों की पर्याप्त आपूर्ति।

(छ) बच्चों और उनके कपड़ों को धोने के लिए एक शिशुकक्ष में या उसके आस–पास एक उपयुक्त वाशिंग रूम होगा और ऐसा कमरा निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा, अर्थातः–

(एक) 0.9 सेमी की ऊंचाई तक के कमरे के फर्श और आंतरिक दीवारों को इस तरह से बनाया या समाप्त किया जाएगा कि एक चिकनी अभेद्य सतह प्रदान की जा सके;

(दो) कमरे को पर्याप्त रूप से बनाया और संवातित किया जाएगा और फर्श को प्रभावी ढंग से सूखा और साफ सुथरा रखा जाएगा;

(तीन) धुलाई के लिए पानी की आपूर्ति एक स्वच्छ स्त्रोत से होगी और यदि संभव हो तो नल के माध्यम से होगी;

(चार) प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति दिन कम से कम 22.7 लीटर पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी;

(पाँच) प्रत्येक बच्चे के उपयोग के लिए लेबल के साफ कपड़े, साबुन और साफ तौलिये की पर्याप्त आपूर्ति की जाएगी;

(छह) शौचालय से सटे शिशुकक्ष में एकमात्र बच्चों के उपयोग के लिए सेप्टिक प्रकार का शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा और उसे साफ और स्वच्छ स्थिति में रखा जाएगा।

(ज) नियोजक शिशुकक्ष में प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिदिन कम से कम आधा पिंट शुद्ध दूध उपलब्ध कराएगा और ऐसे बच्चे की मां को दैनिक कार्य के दौरान बच्चे को दूध पिलाने के लिए अन्यून पंद्रह मिनट के पर्याप्त अंतराल की अनुमति दी जाएगी।

(झ) उपरोक्त खण्ड (ज) के उपबंधों के अनुसार दूध उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, नियोजक उन बच्चों के लिए जिन्हें शिशुकक्ष में समायोजित किया जाता है, पौष्टिक जलपान की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करेगा।

(ञ) नियोजक बच्चों और शिशुओं की देखभाल में प्रशिक्षित एक महिला और पर्याप्त संख्या में महिला केयरटेकर को एक शिशुकक्ष में समायोजित बच्चों की देखभाल करने के प्रयोजन से नियुक्त करेगा और वह इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त उपकरण और सुविधाएं भी प्रदान करेगा।

स्पष्टीकरण:– शिशुकक्ष में नियुक्त की जाने वाली महिला केयरटेकर की संख्या की गणना प्रत्येक तीस बच्चों के लिए एक महिला केयरटेकर की दर से की जाएगी।

(ट) नियोजक शिशुकक्ष में कार्यरत कर्मचारियों के लिए शिशुकक्ष में ड्यूटी के दौरान उपयोग के लिए उपयुक्त साफ कपड़े प्रदान करेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम में, बच्चे का तात्पर्य छह वर्ष की आयु तक के बच्चे से है।

(च) प्राथमिक चिकित्सा–

(1) प्रत्येक औद्योगिक परिसर में, इस प्रकार उपबंध और अनुरक्षण किया जाएगा, ताकि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या अलमारियाँ सभी कार्य घंटों के दौरान आसानी से सुलभ हो, जिनमें खंड (2) में विनिर्दिष्ट उपकरण हों और इस प्रकार प्रदान और अनुरक्षति किए जाने वाले बॉक्स या अलमारियों की संख्या परिसर में सामान्यतः किसी एक समय में नियोजित प्रत्येक एक सौ पचास कर्मचारियों के लिए एक से कम नहीं होगी।

(2) प्राथमिक चिकित्सा बाक्स या अलमारी को सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस के साथ विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित उपकरण होंगे, अर्थात :–

(क) छह छोटे विसंक्रमित ड्रेसिंग;

(ख) तीन मध्यम आकार के विसंक्रमित ड्रेसिंग;

(ग) तीन बड़े आकार के विसंक्रमित ड्रेसिंग;

(घ) तीन बड़े आकार के विसंक्रमित बर्न हुई ड्रेसिंग;

(ङ) एक (28.350 ग्राम) बोतल जिसमें आयोडीन का 2 प्रतिशत अल्कोहल घोल होता है;

(च) एक (28.350 ग्राम) बोतल जिसमें साल्वोलेटाइल होता है, जिसकी खुराक और प्रशासन का तरीका लेबल पर उपदर्शित किया हो;

(छ) सांप के काटने वाला लैंसेट;

(ज) पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल की एक (28.350 ग्राम) बोतल;

(झ) कैंची एक जोड़ी;

(ञ) आई ड्रॉप्स;

(ट) चिपकने वाला प्लास्टर।

(3) प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या अलमारी को एक ऐसे व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा जो प्राथमिक चिकित्सा उपचार में प्रशिक्षित है और जो औद्योगिक परिसर के कार्य के घंटों के दौरान हमेशा आसानी से उपलब्ध रहेगा।

(छ) कैंटीन–

(1) प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोजक, जिसमें अन्यून ढाई सौ कर्मचारी सामान्यतः नियोजित हैं, औद्योगिक परिसर में या उसके आस–पास एक कैंटीन का उपबंध करेगा।

(2) कैंटीन किसी भी शौचालय या मूत्रालय या धूल के किसी अन्य स्रोत के 15.2 मीटर के भीतर स्थित नहीं होगी।

(3) कैंटीन भवन में कर्मचारियों और बर्तनों के लिए अलग–अलग धोने के स्थानों के अलावा कम से कम एक डाइनिंग हॉल, रसोईघर, स्टोर रूम और पेंट्री सम्मिलित होगी।

(4) भवन की न्यूनतम ऊंचाई 3.7 मीटर से कम नहीं होगी और उसकी सभी दीवारें और छत उपयुक्त ऊष्मा प्रतिरोधी सामग्री की होंगी और जलरोधी होंगी। पर्याप्त संवातन का उपबंध होगा। दरवाजे और खिड़कियां अग्निरोधक निर्माण की होंगी।

(5) कैंटीन को हर समय पर्याप्त रूप से रोशन की जाएगी जब कोई भी व्यक्ति वहाँ आये।

(6) प्रत्येक कैंटीन में,–

(क) कमरों की सभी अंदर की दीवारों और सभी छतों और मार्गों और सीढ़ियों को उस दिनांक से जब उसे आखिरी बार चूने से पुताई या रंग से पुताई या पेंट किया गया था, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार यथास्थिति चूने से पुताई या रंग से पुताई किया जाएगा या तीन साल में एक बार चित्रित किया जाएगा;

(ख) सभी लकड़ी के कार्य को उस दिनांक से जब उसे अंतिमबार वार्निश या पेंट किया गया था को तीन साल में एक बार वार्निश या पेंट किया जाएगा;

(ग) सभी आंतरिक संरचनात्मक लोहे या स्टील के कार्य को जब उसे अंतिमबार वार्निश या पेंट किया गया था को उस दिनांक से तीन साल में वार्निश या पेंट किया जाएगा;

(घ) रसोई की दीवारों के अंदर के हिस्से को प्रत्येक चार महीने में एक बार चूना पुताई किया जाएगा।

(7) जिन तिथियों को चूना पुताई, रंग पुताई, वार्निशिंग या पेंटिंग की जाती है, उन्हें नियोजक द्वारा प्रपत्र–37 में रखे गए रजिस्टर में अनुरक्षित किया जाएगा।

(8) कैंटीन के परिसर को साफ और स्वच्छ स्थिति में रखा जाएगा। अपशिष्ट जल को उपयुक्त ढकी हुई नालियों में ले जाया जाएगा और उपताव पैदा करने के लिए जमा नहीं होने दिया जाएगा। कूड़े के संग्रहण एवं निस्तारण के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी।

(9) डाइनिंग हॉल में एक समय में काम करने वाले कम से कम तीस प्रतिशत कर्मचारी समयोजित होंगे।

(10) डाइनिंग हॉल का फर्श, सर्विस काउंटर के कब्जे वाले क्षेत्र को छोड़कर और मेज और कुर्सियों को छोड़कर किसी भी फर्नीचर को खण्ड (9) में यथा विनिर्दिष्ट समायोजित 93 वर्ग मीटर प्रति डिनर से कम नहीं होगा।

(11) डाइनिंग हॉल और सर्विस काउंटर के एक हिस्से को विभाजित किया जाएगा और महिला कर्मचारियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षित किया जाएगा। महिलाओं के लिए कपड़े धोने की जगह अलग होगी और गोपनीयता को सुरक्षित करने के लिए उनकी जांच की जाएगी।

(12) खंड (9) में यथाविनिर्दिष्ट समयोजित डिनर करने वालों की संख्या के लिए पर्याप्त मेज, कुर्सियाँ या बेंच उपलब्ध होंगी।

(13) कैंटीन के कुशल संचालन के लिए पर्याप्त बर्तन, क्रॉकरी, कटलरी, फर्नीचर और कोई भी अन्य उपकरण उपलब्ध कराया और अनुरक्षित किया जाएगा। कैंटीन में सेवारत कर्मचारियों के लिए उपयुक्त साफ कपड़े भी उपलब्ध कराए जाएंगे और उनका अनुरक्षण भी किया जाएगा।

(14) फर्नीचर, बर्तन और अन्य उपकरण साफ और स्वच्छ स्थिति में बनाए रखे जाएंगे। एक सर्विस काउंटर, यदि प्रदान किया जाता है, तो इसमें चिकनी और अभेद्य सामग्री का शीर्ष होना चाहिए। बर्तनों और उपकरणों की सफाई के लिए गर्म पानी की पर्याप्त आपूर्ति सहित उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(15) खाद्य और खाद्य सामग्री को फ्लाई–प्रूफ तिजोरियों में संग्रहीत किया जाएगा और लकड़ी के लैडलेस या उपयुक्त धातु संदंश जो भी सुविधाजनक हो की मदद से संभाला जाएगा, एक बार उपयोग किए जाने वाले बर्तनों को फिर से उपयोग करने से पहले गर्म किया जाएगा।

(16) कैंटीन में परोसे जाने वाले भोजन, पेय और अन्य वस्तुओं को गैर–लाभ, गैर–हानि के आधार पर परोसा जाएगा।

धारा 74 की उपधारा (4) के खंड (ड) के अधीन नियोजक द्वारा कच्चे माल के जारी किये जाने से सम्बंधित विवाद

109–(1) नियोजक और कर्मचारी या कर्मचारियों के बीच निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई विवादः–

(क) नियोजक द्वारा कर्मचारी को कच्चे माल को जारी करना;

(ख) बीड़ी या सिगार के नियोजक द्वारा अस्वीकृति, या किसी कर्मचारी द्वारा दोनों को अस्वीकार कर दिया गया हो; या

(ग) बीड़ी या सिगार या दोनों की मजूदरी का भुगतान, नियोजक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो;

नियोजक या कर्मचारी या कर्मचारियों द्वारा लिखित रूप में निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को भेजा जा सकता है, जो ऐसी जांच करने के बाद जैसा कि वह आवश्यक समझे और पक्षों को अपने सम्बंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के बाद, विवाद का विनिश्चय करेगा और विवाद के विवरण, पक्षों के अभिवाक, दस्तावेजों और साक्ष्यों और उसके निष्कर्षों के साथ कार्यवाही को अभिलिखित करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन उस पर विनिश्चय से व्यथित विवाद का कोई भी पक्ष लाइसेंसिंग प्राधिकारी को विनिश्चय की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील कर सकता हैः

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी उक्त अवधि के बाद अपील स्वीकार कर सकता है यदि अपीलकर्ता ऐसे प्राधिकारी को संतुष्ट करता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण है।

धारा 74 की उपधारा (4) के खंड (ड) के अधीन बीड़ी या सिगार की अस्वीकृति के सम्बंध में सीमा

110–(1) कोई भी नियोजक या संविदाकार आमतौर पर गृह–कर्मकार सहित किसी भी कर्मकार से प्राप्त एक अवमानक या छाट या अन्यथा पाँच प्रतिशत से अधिक बीड़ी या सिगार या दोनों को अस्वीकार नहीं करेगा।

(2) जहां किसी बीड़ी या सिगार को कर्मकार की जानबूझकर लापरवाही के आधार के अलावा किसी अन्य आधार पर अवमानक या छाट या अन्यथा के रूप में अस्वीकृत किया जाता है, वहां कर्मकार को इस प्रकार अस्वीकृत बीड़ी या सिगार के लिए मजदूरी का भुगतान उस दर के आधे पर किया जायेगा जिस पर उसे बीड़ी या सिगार या दोनों जिन्हें इस प्रकार अस्वीकार नही किया गया है के लिए मजदूरी संदेय है।

धारा 74 की उपधारा(6) के अधीन लाइसेंस का नवीकरण

111–(1) लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन नियम–109 के अधीन यथाविहित अपेक्षित फीस के साथ राज्य सरकार के सरकारी पोर्टल पर किया जाएगा।

(2) आवेदन प्रपत्र–35 में नियम 103 के उपनियम (5) के अधीन विहित नियोजक की सकारात्मक घोषणा के साथ संलग्न किया जाएगा।

(3) यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि लाइसेंस संहिता और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों का अनुपालन करता है, तो वह उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र–36 पर लाइसेंस के प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण करेगा, जिसमें विफल रहने पर ऐसे लाइसेंस का नवीकरण किया गया समझा जाएगा और लाइसेंस के नवीकरण का प्रमाण-पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः तैयार किया जाएगा।

धारा 75 के अधीन अपील

112–(1) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश संहिता की धारा 75 के प्रयोजनों के लिए अपील प्राधिकारी होगा।

(2) धारा 75 के अधीन अपील के सम्बंध में संदेय फीस केवल एक हजार रुपये होगी जो अप्रतिदाय होगा।

(3) लाइसेंस प्रदान करने या उसके नवीकरण से अस्वीकार करने वाले लाइसेंसिंग प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील इस प्रकार होगी, –

(क) आदेश जिसके विरूद्ध अपील की जानी है के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जायेगी;

(ख) आदेश जिसके विरूत्द्ध अपील की जानी है, की एक प्रति संग्नक की जायेगी;

(ग) इस तरह की अपील के आधार और तथ्यों जिसमें ज्ञापन अंतर्विष्ट हो, संलग्न किया जायेगा;

(घ) ऐसी अपील के लिए फीस के भुगतान के प्रमाण के रूप में एक ट्रेजरी चालान संलग्न किया जायेगा।

धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन औद्योगिक परिसरों के बाहर कर्मचारियों द्वारा कार्य करने की अनुमति

113–(1) नियोजक कर्मचारियों के निमित्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित प्रपत्र–38 पर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के माध्यम से औद्योगिक परिसर के बाहर कर्मचारियों द्वारा बीड़ी या तम्बाकू के पत्तों को गीला करने और काटने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा। श्रम आयुक्त सात दिनों की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणियों के साथ आवेदन को राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) राज्य सरकार तीस दिनों की अवधि के भीतर आवेदन का विनिश्चय कर सकेगी।

(3) उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुमति केवल ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगी जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान करने के आदेश में विनिर्दिष्ट होः–

(क) उपर्युक्त अनुमति के लिए आवेदन करने वाले नियोजक के पास ऐसे परिसरों के लिए धारा 74 के अधीन जारी विधिमान्य लाइसेंस होगा;

(ख) बीड़ी या तंबाकू के पत्तों को गीला करने या काटने के लिए जिस स्थान का उपयोग करने का प्रस्ताव है, उस स्थान की उपयुक्तता;

(ग) बीड़ी या तंबाकू के पत्तों को गीला करना या काटना केवल उसी स्थान पर किया जाएगा जिसके लिए अनुमति दी गई है;

(घ) औद्योगिक परिसर के बाहर बीड़ी या तंबाकू के पत्तों को गीला करने या काटने के लिए नियोजक द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या उन कर्मकरों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी जिनके लिए धारा 74 के अधीन लाइसेंस जारी किया गया है;

(ङ) लाइसेंसिंग प्राधिकरण, पूर्वगामी निबंधनों और शर्तों के अलावा, अनुमति में ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तें, व्यक्तिगत मामलों में अवधारित और विनिर्दिष्ट कर सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

धारा 76 की उपधारा (2) के अधीन बाहरी कर्मकारों के अभिलेखों का अनुरक्षण

114–(1) धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन औद्योगिक परिसर के बाहर किए जाने वाले अनुमन्य कार्य का नियोजक द्वारा अनुरक्षित अभिलेख प्रपत्र–39 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुरक्षित किया जायेगा।

(2) नियोजक, उन कर्मचारियों के सम्बंध में, जिन्हें अपने घरों में कार्य करने की अनुमति दी गई है (जिसे आगे गृह कर्मकार कहा गया है), इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र–40 में एक अद्यतन् रजिस्टर/लॉग–बुक अनुरक्षित करेगा।

भाग–पाँच

कारखाना

धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन कारखाना योजनाओं और स्थल योजना का प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन

115–(1) किसी कारखाने के स्थान के लिए तब तक किसी भी स्थल का उपयोग नहीं किया जाएगा और ऐसे स्थल पर या कारखाने में कारखाना या कारखाने के भाग के रूप में किसी भी भवन का निर्माण, उपांतरण या संशोधन, विस्तार या उपयोग में नहीं लिया जाएगा जब तक कि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता से पूर्व अनुमोदन प्राप्त न हो जाए।

(2) जिस स्थल पर कारखाना स्थित होना है, उसके निर्माण या विस्तार के लिए और लाइसेंस के लिए आवेदक द्वारा राज्य सरकार के श्रम विभाग के सरकारी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अधिकारिता वाले सम्बंधित निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को परिसर को कारखाना के रूप मे अधिभोग या उपयोग करने से पूर्व न्यूनतम 30 दिवस के भीतर प्रपत्र–41 में योजना या अनुमति के अनुमोदन हेतु आवेदन करेगा।

(3) आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगेः–

(क) आवेदक द्वारा सम्यक रूप से भरा गया प्रपत्र–42;

(ख) विनिर्माण प्रक्रिया का प्रक्रिया प्रवाह आरेख जिसमें प्रत्येक संयंत्र और मशीनरी पर सुरक्षा युक्तियों, फिटिंग और माउंटिंग, विभिन्न प्रक्रियाओं और उनकी डिजाइन स्थितियों को उपदर्शित किया गया हो, साथ ही इसके विभिन्न चरणों में प्रक्रिया और सुरक्षा युक्तियों के संक्षिप्त विवरण द्वारा पूरक हो और कच्चे माल, मध्यवर्ती और उत्पादों के नाम उनकी सूची के साथ और रसायनों के नाम यदि प्रक्रिया में उपयोग किये जाते है, भी उपदर्शित हो;

(ग) योजनाएं पैमाने के अनुसार तैयार की जाएंगी जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया हो –

(एक) कारखाने की स्थल योजना और आसन्न भवन, जिसमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, पेट्रोल पंप, ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री का भंडारण और अन्य संरचनाएं, सड़कें जल स्रोत, नालियां आदि और स्थल से इसकी दूरी के साथ निकटतम आवासीय क्षेत्र, गांव, शहर की बस्ती का स्थान सम्मिलित हो; तथा

(दो) विभिन्न भवनों की विस्तृत योजना, एलीवेशन और आवश्यक क्रॉस सेक्शन जिसमें सभी प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था, संवातन और आग लगने की स्थिति में निकलने के मार्ग से सम्बंधित सभी सुसंगत विवरणों, अग्निशमन प्रणालियों का विवरण और खतरे के क्षेत्र का विवरण उपदर्शित किया गया हो। योजनाएं स्पष्ट रूप से संयंत्र और मशीनों, गलियारों और मार्गों की स्थिति को भी स्पष्ट रूप से सममितीय रूप में उपदर्शित करेंगी, साथ ही मशीनों और परिसंकटमय क्षेत्र एवं परिसंकट वाली मशीनों को 3 डी दृश्य में अलग से दिखाया जाएगा;

(तीन) आवेदक विनिर्माण प्रक्रिया, स्थल योजनाओं और विस्तृत योजनाओं का प्रक्रिया प्रवाह आरेख इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा सुपाठ्य प्रारूप में प्रस्तुत करेगा। इन दस्तावेजों को ऑटोकैड आदि जैसे कुशल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके नियम 4 की अनुसूची एक के क्रम संख्या 1 से नियम 4 तक में यथाविहित अर्हता और अनुभव रखने वाले व्यक्ति द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किया जाएगाः

परन्तु यह कि यदि तकनीकी कारणों से, विस्तृत योजनाओं या स्थल योजनाओं की ऐसी साँफ्ट प्रति सुपाठ्य नहीं है, तो उपयुक्त पैमाने पर तैयार किए गए दस्तावेजों को अतिरिक्त रूप से तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(घ) प्रपत्र–42 के साथ संलग्न प्रश्नावली के उत्तर;

(ङ) नगर निगम, नगर पंचायत या अधिसूचित क्षेत्र से जैसा भी मामला हो कारखाना या कारखाने के भाग के रूप में किसी भी भवन का निर्माण उपान्तरण या विस्तार उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों हेतु माँडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2025 के अनुसार अनापत्ति का पत्र;

(च) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति का पत्र;

(छ) अग्निशमन विभाग से अनापत्ति का एक पत्र;

(ज) पेट्रोलियम नियम, 1976 में यथा परिभाषित पेट्रोलियम के भंडारण के लिए पेट्रोलिय नियम, 1976 के अधीन जारी लाइसेंस/एनओसी;

(झ) आवेदक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रपत्र –43 में स्थिरता प्रमाण-पत्र;

(ञ) नियम 150 के उपनियम (2) में विहित लाइसेंस फीस का ई–चालान या आँनलाइन भुगतान के माध्यम संदाय।

(4) एक कार्यकक्ष की आंतरिक ऊंचाई, भंडारण, गोदामों और इसी तरह के प्रयोजनों के लिए आशयित के अलावा और केवल कार्यालय के प्रयोजनों के लिए आशयित कमरे, जहां केवल लिपिकीय कार्य किया जाता है, फर्श के स्तर से छत के निचले भाग तक मापी गई 14 फीट से कम नहीं होगी, और यदि छत नालीदार लोहे की है, जो न तो टाइलों से ढकी है और न ही इसके और नालीदार लोहे के बीच कम से कम चार इंच का वायु स्थान के साथ आंतरिक छत या उष्मा प्रतिरोधी सामग्री की परत है, आंतरिक ऊंचाई 20 फीट से कम नहीं होगीः

परन्तु यह कि ये उपबंध उन कारखाने के मामले में लागू नहीं होंगे जो पचास या उससे कम कामगारों को नियोजित करने का प्रस्ताव करता हैः

परन्तु यह और कि ईंट या कंक्रीट की छत वाले भवनों के मामले में, या दोनों के संयोजन के मामले में, न्यूनतम ऊंचाई 12 फीट हो सकती हैः

परन्तु यह भी कि संहिता की धारा 2(1)(ब)(एक) के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त कारखानों और धारा 2(1)(ब)(दो) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कारखानों के मामले में, जिसमें 150 कर्मचारी कार्यरत हैं, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, जहां उसे यह समाधान हो गया है कि कार्य की शर्तें यथोचित रूप से अच्छी हैं, ऐसे कारखानों को इस उपनियम के उपबंधों से छूट दे सकता है।

(5) कारखाने के किसी भी कमरे में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति के लिए जहां यांत्रिक या विद्युत शक्ति का उपयोग किया जाता है, कम से कम 36 वर्ग फुट फर्श के स्थान का उपबंध किया जाएगा जिसमें मशीनरी द्वारा अधिभोग किया गया स्थान छोड़कर कम से कम 500 घन फीट का श्वास स्थान होगा।

(6) कारखाने के प्रत्येक कमरे, बरामदे और अन्य बाड़ों का विवरण प्रपत्र–42 में दर्ज किया जाएगा।

(7) किसी भी भवन, या किसी भवन के भाग में तब तक कोई विनिर्माण प्रक्रिया शुरू या नहीं की जाएगी जब तक कि भवन या भवन के भाग की स्थिरता प्रमाण-पत्र, या अर्हता रखने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र–43 में मुख्य निरीक्षक–सह– सुविधाप्रदता को आँनलाइन परिदान नहीं किया जाता है और उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। किसी कारखाने का कोई भी विस्तारित भाग विस्तार के बाद किसी भी समय कारखाने के भाग के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा या किसी भी संयंत्र या मशीनरी को किसी कारखाने में जोड़ा जाएगा या किसी कारखाने के रूप में उपयोग में लाया जाएगा, और न ही इस तरह के अतिरिक्त भाग को तब तक उपयोग में लाया जाएगा जब तक कि इस तरह के विस्तार या योजना के सम्बंध में एक प्रमाण-पत्र मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता की परिदान नहीं किया जाता है और उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

(8) इस नियम के अधीन स्वीकार किया गया स्थिरता प्रमाण-पत्र स्वीकृति की तिथि से पाँच साल के लिए विधिमान्य होगा यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है।

(9) प्रपत्र–43 पर हस्ताक्षर करने वाले सक्षम व्यक्ति के पास इस प्रयोजन के लिए नियम 4 की अनुसूची में यथाविहित अर्हता और अनुभव होगा।

(10) सरकार के अधिभोग वाले भवन के मामले के सिवाय कोई भी व्यक्ति स्थिरता प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत नहीं होगा, जो उस भवन के स्वामी या बिल्डर के नियोजन में है जिसके सम्बंध में प्रमाण-पत्र दिया गया है।

(11) किसी कारखाने की स्थल–योजना, विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के बाद, यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या सम्बंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि योजनाएं संहिता की आवश्यकता के अनुरूप हैं, तो वह ऐसी शर्तों या ऐसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अध्यधीन जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करें, उन्हें अनुमोदित करेगा और स्थल–प्लान अनुमोदन प्रमाण-पत्र मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा प्रपत्र–44 में ऐसी अवधि के भीतर जारी किया जाएगा, जिसमें साइट का दौरा भी सम्मिलित है, जैसा कि उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) में अधिसूचित किया गया है, जिसमें विफल रहने पर ऐसी योजना को अनुमोदित समझा जाएगा और कारखाने के अनुमोदन का प्रमाण-पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः तैयार किया जाएगा।

(12) इस नियमावली के प्रवृत्त होने से पहले कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा पहले ही अनुमोदित की गई योजनाओं को इस नियमावली के अधीन अनुमोदित समझा जाएगा।

(13) यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता जिसकी अधिकारिता है, जैसा भी मामला हो, आवेदन से संतुष्ट नहीं है या आवेदन अधूरा है, तो वह पंद्रह दिनों के भीतर एक बार में पोर्टल पर अपनी समस्त आपत्तियां उठाएगा और आवेदक अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा या विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यकतानुसार आवश्यक सुधार या संशोधन करेगा। हालांकि, यदि आवेदक मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का जवाब देने में विफल रहता है, तो आवेदन को अनुमोदन के लिए उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) में अधिसूचित समय के बाद अस्वीकार किया जा सकता है।

(14) इस नियम के अधीन दिये गये अनुमोदन को मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा रद्द किया जा सकता है, यदि यह पाया जाता है कि इस तरह का अनुमोदन अधिभोगी या प्रबंधक द्वारा तथ्यों का दुर्व्यपदेशन करके प्राप्त की गई है या कपटपूर्ण दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए हैं या अन्यथा या अधिकांश निर्माण प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार नहीं किया जा रहा है।

धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन लाइसेंस और विहित फीस के लिए आवेदन

116–(1) प्रत्येक कारखाने के अधिभोगी को नियम-115 के अधीन स्थल–योजना के अनुमोदन के लिए आवेदन के साथ–साथ लाइसेंस प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के श्रम विभाग के सरकारी पोर्टल पर संहिता की धारा 79 के अधीन विहित प्रपत्र–45 के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(2) यदि स्थल योजना को नियम–115 के अधीन अनुमोदित किया जाता है और फिर कारखाने का नियोजक/अधिभोगी संहिता और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के सभी उपबंधों का अनुपालन करता है, तो कारखाने को रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और प्रपत्र–46 में कारखाने के लिए लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा जैसा भी मामला हो लाइसेंस में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अनुपालन के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट फीस भुगतान पर जारी किया जाएगाः

स्थापित शक्ति की मात्रा (किलोवाट)	एक वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या							
	50 तक	51 से 100	101 से 150	151 से 300	301 से 500	501 से 1000	1001 से 2500	2500 से ऊपर
शून्य	500	625	750	1000	2000	4000	7500	10000
50 से कम	750	1375	2000	3000	4000	7500	15000	18000
50 से 100	1500	2250	3000	4000	6000	10000	18000	20000
101 से 500	2500	4000	5500	7500	10000	15000	24000	27500
501 से 1000	5000	6250	7500	10000	12000	18000	26000	30000
1000 से 2000	6000	8000	10000	12000	15000	20000	28000	35000
2000 से ऊपर	7000	10500	14000	15000	18000	24000	30000	38000

(3) यदि आवश्यक हो तो पावर फैक्टर 0.9 लिया जाएगा।

(4) उपनियम (2) के अधीन दिए गए लाइसेंस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन लाइसेंस का नवीनीकरण

117–(1) नियम 115 के अधीन प्रदान किया गया प्रत्येक लाइसेंस उस दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा जिस दिन पहला आवेदन प्राप्त हुआ है या उस दिनांक से जब कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के संज्ञान में आया था, जो भी पहले हो।

(2) दस साल तक की अवधि के लिए लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र–45 में प्राधिकारी को ऑनलाइन लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के दिनांक से अन्यून तीस दिन पहले किया जायेगा। सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी प्रपत्र–43 में स्थिरता प्रमाण-पत्र और अधिभोगी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और राज्य सरकार के वेब–पोर्टल पर इसमें विनिर्दिष्ट लेखा–शीर्षक में नियम 115 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित फीस की राशि के भुगतान के प्रमाण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा फीस के साथ आवेदन किया जायेगा।

(3) एक वर्ष के लिए लाइसेंस के नवीकरण के लिए फीस उसके प्रदान किये जाने पर दी गयी फीस के समान होगी। यदि नवीकरण के लिए आवेदन एक वर्ष की अवधि के लिए या दस वर्ष तक कितने भी वर्षों के लिए किया गया है, तो नवीकरण फीस नियम 120 में यथाविहित एक वर्ष के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए संदेय फीस से गुणा किए गए वर्षों की संख्या होगी।

(4) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद किए गए लाइसेंस के नवीकरण के लिए कोई आवेदन तब तक स्वीकार नहीं होगा, जब तक कि उसके साथ लाइसेंस के नवीकरण हेतु संदेय विलम्ब फीस के रूप में पच्चीस प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त फीस सम्यक रूप से जमा नही की जाती है।

(5) उपनियम (2) के अधीन एक आवेदन प्राप्त होने पर, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता यदि उसका समाधान हो गया है कि लाइसेंस के नवीकरण में कोई आपत्ति नहीं है, तो इसे दस साल तक की अवधि के लिए नवीकृत करेगा और आवेदक को प्रपत्र–46 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाइसेंस जारी करेगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) में अधिसूचित किया गया है, जिसमें विफल रहने पर इस तरह के लाइसेंस को नवीकृत समझा जाएगा और लाइसेंस के नवीकरण का प्रमाण-पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः उत्पन्न किया जाएगा।

धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन लाइसेंस का संशोधन

118–(1) यदि लाइसेंस की अवधि के दौरान किसी भी समय, अधिभोगी को किसी भी दिन स्थापित शक्ति की सीमा का विस्तार या किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या या कारखाने के नाम में कोई परिवर्तन या अधिभोगी में कोई परिवर्तन करना आवश्यक लगता है, या ऐसा विवरण लाइसेंस आवेदन पत्र में संदर्भित किया जाता है, वह इस तरह के परिवर्तन से कम से कम पंद्रह दिन पहले मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को लाइसेंस के संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन करेगा और मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता तदनुसार लाइसेंस में संशोधन कर सकता है।

(2) संशोधन के लिए आवेदन प्रपत्र 45 में लाइसेंस में संशोधन हेतु फीस के भुगतान के प्रमाण के साथ ऑनलाइन किया जाएगा, जो कि कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी दिन वृद्धि हेतु आशयित कुल अधिकतम शक्ति या कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने हेतु आशयित कर्मकारों की अधिकतम संख्या जैसा भी मामला हो या दोनों के आधार पर नियम के अधीन मूल लाइसेंस में पहले से छूट दी गयी राशि को घटाकर संदेय फीस की राशि के अलावा एक सौ रुपये होगा।

परन्तु यह कि लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ संशोधनों के प्रस्ताव किए जाते है, तो सौ रुपये की संशोधन फीस संदेय नहीं होगी।

(3) नियम 122 के अनुसार योजना के संशोधन के लिए आवेदन इस तरह के संशोधन से कम से कम 15 दिन पहले ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगाः

परन्तु यह कि इस नियम के भीतर किसी भी कारखाने को केवल किसी संयंत्र या मशीनरी के प्रतिस्थापन के कारण या ऐसी सीमाओं के भीतर विस्तारित नहीं माना जाएगा, जो किसी संयंत्र या मशीनरी को जोड़ने के लिए हो, यदि इस तरह के प्रतिस्थापन या जोड़ मशीनरी या संयंत्र के आसपास सुरक्षित काम करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्पष्ट स्थान को कम नहीं करता हैः

परन्तु यह और कि यदि कोई संशोधन वाष्प, ऊष्मा, धूल या धुएं के निकास या उत्सर्जन से पर्यावरणीय परिस्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो ऐसे संशोधन के लिए नियम के अनुसार पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(4) उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, लाइसेंस प्राधिकारी, यदि इसका समाधान हो जाता है कि लाइसेंस में संशोधन करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) में अधिसूचित अवधि के भीतर प्रपत्र–46 में संशोधन करेगा, जिसमें विफल रहने पर इस तरह के लाइसेंस को संशोधित समझा जाएगा और संशोधित प्रमाण पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः उत्पन्न किया जाएगा।

(5) यदि निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को यह प्रतीत होता है कि किसी कारखाने में कोई भवन या भवन का भाग ऐसी परिस्थितियों में है कि यह मानव जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक है, तो वह कारखाने के अधिभोगी को लिखित रूप में नोटिस दे सकता है कि वह विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर किए जाने वाले भवन और संरचना जीवन परीक्षण को करवाये और सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी परीक्षा और परीक्षणों का प्रमाण-पत्र निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को भेजना होगा।

धारा 79 की उपधारा(1) के खण्ड (ग) के अधीन लाइसेंस का अंतरण

119–(1) लाइसेंस धारक, लाइसेंस की समाप्ति से पहले किसी भी समय, अपने लाइसेंस को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है। यदि किसी लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाती है या दिवालिया हो जाता है या अन्यथा असमर्थ हो जाता है, तो यह आवेदन ऐसे लाइसेंसधारी के कारबार को करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

(2) इस तरह के आवेदन राज्य सरकार के श्रम विभाग के सरकारी पोर्टल पर प्रपत्र–47 में कारबार की सूचना और ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ किए जाएंगे जो आवश्यक हो।

(3) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या लाइसेंस प्राधिकारी, यदि वह अंतरण को मंजूरी देता है, तो अपने हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन लाइसेंस पर इस आशय का एक पृष्ठांकन दर्ज करेगा कि लाइसेंस प्रपत्र–46 में नामित व्यक्ति को अंतरित कर दिया गया है।

(4) ऐसे प्रत्येक आवेदन पर एक हजार रुपये की फीस ली जाएगी।

(5) जिस व्यक्ति को लाइसेंस इस प्रकार अंतरित किया गया है, उसे मूल धारक के रूप में लाइसेंस के अधीन समान शक्तियाँ मिलेगी, और समान दायित्वों के अधीन होगी।

धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन लाइसेंसधारी की मृत्यु या असमर्थता पर प्रक्रिया

120–यदि किसी लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाती है या दिवालिया हो जाता है या अन्यथा असमर्थ हो जाता है, तो ऐसे लाइसेंसधारी का कारबार करने वाला व्यक्ति लाइसेंस द्वारा लाइसेंसधारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, उस समय जब उसे मूल लाइसेंस की शेष अवधि के लिए अपने नाम लाइसेंस के अंतरण हेतु आवेदन करने हेतु यथोचित रूप से अनुज्ञात करना आवश्यक हो, के दौरान संहिता या इस नियमावली के अधीन किसी भी शास्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगाः

परन्तु यह कि, यह अवधि ऐसी तारीख से दो महीने से अधिक नहीं होगी जब कार्यवाही का कारण उत्पन्न होता हैः

परन्तु यह और कि, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या लाइसेंस प्राधिकारी इस समय–सीमा को एक माह तक बढ़ा सकता है, यदि वह व्यक्ति जिसके पक्ष में लाइसेंस का अंतकरण किया जाना है, ऐसे विलंब के लिए पर्याप्त कारण दिखाता है और मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या लाइसेंसिंग प्राधिकारी को पाँच हजार रुपये की शास्ति पर दिए गए कारणों से समाधान हो जाता है।

धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन लाइसेंस रद्द करना

121–यदि किसी भी समय कोई अधिभोगी राज्य सरकार के श्रम विभाग के सरकारी पोर्टल पर विवरण में कारण दिखाते हुए अपने आशय के बारे में सूचित करता है कि जिस परिसर के सम्बंध में लाइसेंस जारी किए गए हैं, उसका उपयोग कारखाने के कार्य के लिए नहीं किया जाएगा, तो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता ऐसे कारखाने के सम्बंध में दिए गए लाइसेंसों को रद्द कर देगा और पोर्टल के माध्यम से अधिभोगी/नियोजक को संसूचित किया जाएगाः

परन्तु यह कि इस तरह के आवेदन को कारखाने के रूप में परिसर के उपयोग की समाप्ति की तारीख से कम से कम दो महीने पहले प्रस्तुत किया जाएगा;

परन्तु यह कि, नियोजक एक वचन देगा कि दो महीने की अवधि से पहले, वह अपने कर्मचारियों को किए जाने वाले अपने सभी बकाया, भुगतानों का भुगतान करेगा और परिसर से सभी परिसंकटमय पदार्थों और अपव्यय को हटा देगा।

धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन अधिभोग सूचना

122–अधिभोग की सूचना प्रपत्र–47 में होगी।

प्रबंधक के परिवर्तन की सूचना

123–(1) अधिभोगी कारखाने के प्रबंधक को नियुक्त करेगा। यदि कारखाने के प्रबंधक को नियुक्त नहीं किया गया है, तो अधिभोगी को कारखाने का प्रबंधक समझा जाएगा।

(2) प्रबंधक के परिवर्तन की सूचना प्रपत्र–48 में होगी। प्रबंधक के परिवर्तन के लिए आवेदन राज्य सरकार के सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) प्रबंधक के परिवर्तन का अनुमोदन मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा लाइसेंस पर ऑनलाइन किया जाएगा।

धारा 80 के अधीन कतिपय परिस्थितियों में परिसर के स्वामी का दायित्व

124–(1) जहां किसी भी परिसर में अलग–अलग भवनों को अलग–अलग कारखानों के रूप में उपयोग करने के लिए अलग–अलग अधिभोगियों को पट्टे पर दिया जाता है, परिसर का स्वामी सामान्य सुविधाओं और सेवाओं जैसे कि संपर्क सड़कों, जल निकासी, जल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता के प्रावधान और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को उपनियम (1) के उपबंधों को पूरा करने के सम्बंध में परिसर के स्वामी को आदेश जारी करने की शक्ति होगी।

(3) जहां किसी भी परिसर में, स्वतंत्र या स्व–निहित, फर्श या फ्लैट अलग–अलग कारखानों के रूप में उपयोग के लिए अलग–अलग अधिभोगियों को पट्टे पर दिए जाते हैं, इस संहिता के उपबंधों के किसी भी उल्लंघन के सम्बंध में परिसर का स्वामी उत्तरदायी होगा, जैसे कि वह किसी कारखाने का अधिभोगी या प्रबंधक था,–

(एक) शौचालय, मूत्रालय और धुलाई सुविधाएं जहाँ तक इन प्रयोजनों के लिए जल की सामान्य आपूर्ति के अनुरक्षण का सम्बंध है;

(दो) स्वामी से सम्बंधित और विशेष रूप से किसी अधिभोगी की अभिरक्षा या उपयोग के लिए नहीं सौंपी गयी मशीनरी और संयंत्र की बाड़ लगाना;

(तीन) फ्लैटों के फर्श तक पहुंच के सुरक्षित साधन, और सीढ़ियों और सामान्य मार्गों का अनुरक्षण और सफाई;

(चार) आग लगने के मामले में पूर्वावधानियाँ;

(पाँच) उत्तोलक और लिफ्टों का अनुरक्षण; तथा

(छह) परिसर में उपलब्ध कराई गई किन्हीं अन्य सामान्य सुविधाओं का अनुरक्षण।

(4) स्वामी के दायित्व से सम्बंधित उपबंध वहाँ लागू होंगे, जहां किसी परिसर में सामान्य शौचालयों, मूत्रालयों और धुलाई सुविधाओं के साथ स्वतंत्र कमरे अलग–अलग कारखानों के रूप में उपयोग के लिए अलग–अलग अधिभोगियोंको पट्टे पर दिए गये हों:

परन्तु यह कि स्वामी शौचालयों, मूत्रालयों और धुलाई सुविधा स्थलों के उपबंध और उनका अनुरक्षण करने से सम्बंधित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(5) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास संहिता की धारा 80 में निर्दिष्ट परिसर के स्वामी को आदेश जारी करने की शक्ति होगी।

(6) जहां किसी परिसर में आंशिक भाग अथवा कक्ष अथवा शेड को अलग–अलग कारखानों के रूप में उपयोग के लिए अलग–अलग अधिभोगियों को पट्टे पर दिया जाता है, परिसर का स्वामी उपर्युक्त नियम के उपबंधों के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा।

धारा 82 के अधीन खतरनाक विनिर्माण कार्य संचालनों की प्रक्रिया

125–(1) निम्नलिखित खतरनाक विनिर्माण कार्य संचालन प्रक्रिया या प्रचालन, कल्याणकारी सुख सुविधाएं, स्वच्छता सुविधाएं, सुरक्षात्मक उपकरण और कपड़े और खतरनाक संचालन के लिए आवश्यक अन्य अपेक्षाओं को इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची–तीन से अनुसूची–पैंतीस में प्रदान किया गया है, अर्थात–

अनुसूची सं0	विशिष्टियाँ
तीन	वातित जल का विनिर्माण और उसके आनुषंगिक प्रक्रिया
चार	सभी प्रकार की इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया
पाँच	विद्युत संचायकों का विनिर्माण और मरम्मत
छः	कांच विनिर्माण और उससे सम्बंधित प्रक्रियाएं
सात	धातुओं को पीसना या ग्लेजिंग और उसके लिए आकस्मिक प्रक्रियाएं

अनुसूची सं0	विशिष्टियाँ
नौ	खतरनाक पेट्रोलियम से गैस का उत्पादन
दस	संपीडित हवा या भाप के विस्फोट से प्रेरित, धातु के शॉट या ग्रिट या अन्य अपघर्षक के जेट द्वारा वस्तुओं की सफाई या चौरसाई करना
ग्यारह	लाइनिंग और टैनिंग कच्ची खाल और खाल और उसके लिए आनुषंगिक प्रक्रिया
बारह	प्रिंटिंग प्रेस और टाइप फाउंड्री पर की जाने वाली कतिपय लेड प्रक्रियाएं
तेरह	डाइक्रोमेट विनिर्माण
चौदह	रासायनिक कार्य
पन्द्रह	कार्सिनोजेनिक डाई इंटरमीडिएट का विनिर्माण अथवा अभिचालन
सोलह	बेंजीन और बेंजीन युक्त पदार्थों का विनिर्माण, संचालन और उपयोग
सत्रह	मिट्टी के बर्तनों का विनिर्माण
अट्ठारह	पत्थर या मुक्त सिलिका युक्त किसी अन्य सामग्री का अभिचालन
उन्नीस	अभ्रक की हैंडलिंग और प्रसंस्करण, अभ्रक की किसी भी वस्तु का विनिर्माण और विनिर्माण की कोई अन्य प्रक्रिया या अन्यथा जिसमें अभ्रक का उपयोग किसी भी रूप में किया जाता है
बीस	संक्षारक पदार्थों की हैंडलिंग या अभिचालन
इक्कीस	पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संपीड़न
बाइस	विलायक निष्कर्षण संयंत्रों में वनस्पति और पशु स्रोतों से तेल और वसा निकालने की प्रक्रिया
तेईस	मैंगनीज और उसके यौगिकों का विनिर्माण या अभिचालन
चौबीस	खतरनाक कीटनाशकों का विनिर्माण या अभिचालन
पच्चीस	कार्बन डाई–सल्फाइड संयंत्रों में विनिर्माण प्रक्रिया या संचालन
छब्बीस	उच्च शोर स्तर से जुड़े प्रचालन
सत्ताईस	विस्कोस प्रक्रिया द्वारा रेयान का विनिर्माण
अट्ठाईस	अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ और ज्वलनशील संपीड़ित गैसें
उन्नतीस	कार्पेट और ऊनी ड्रगेट बनाना या उससे आनुषंगिक या उससे जुड़ा कोई कार्य
तीस	पीतल के बर्तन बनाना या उससे आनुषंगिक या उससे जुड़ा कोई भी कार्य
इक्तीस	ताला और हार्डवेयर बनाना या उससे आनुषंगिक या उससे जुड़ा कोई भी कार्य
बत्तीस	वेल्डिंग प्रक्रिया और उससे आनुषंगिक या उससे जुड़े कोई भी कार्य

अनुसूची सं0	विशिष्टियाँ
तैतीस	तप्त धातुकर्म प्रक्रिया और उससे आनुषंगिक या उससे जुड़े कोई भी कार्य
चौतिंस	उर्वरकों का विनिर्माण या अभिचालन
पैंतिस	कोल्ड स्टोरेज या मिल्क चिलिंग प्लांट या रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करके बर्फ का विनिर्माण और उससे आनुषंगिक प्रक्रियाएं

(2) इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची–तीन से अनुसूची–पैंतीस में विनिर्दिष्ट उपबंध कारखानों के किसी भी वर्ग या विवरण पर लागू होंगे जहां ऐसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट खतरनाक विनिर्माण प्रक्रियाएं या संचालन किए जाते हैं।

(3) उक्त प्रक्रियाओं या किसी अनुसूची के संचालन में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट आवधिक रूप से कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधिभोगी के खर्च पर आवश्यक रूप से पुनः परीक्षण किया जायेगा। कारखाना चिकित्सा अधिकारी प्रपत्र–सात में स्वास्थ्य रजिस्टर में परीक्षणों और परिणामों की प्रकृति भी दर्ज करेगा।

(4) अनुसूची के अधीन चिकित्सा परीक्षण नियम 73 में यथाविहित अर्हता रखने वाले कारखानों चिकित्सा अधिकारी द्वारा निष्पादित की जाएगी।

धारा 135 की उपधारा (2) के खंड (यक) के अधीन गंभीर खतरे के कारण नियोजन को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति

126–(1) जहां निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता को यह प्रतीत होता है कि किसी कारखाने या उसके हिस्से में स्थितियां ऐसी हैं कि वे उसमें नियोजित व्यक्तियों या आसपास के सामान्य लोगों को चोट या मृत्यु के रूप में गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, तो वह कारखाने के अधिभोगी को लिखित रूप में आदेश देकर, उन विवरणों का उल्लेख कर सकता है जिसके सम्बंध में वह कारखाने या उसके भाग को इस तरह के गंभीर खतरे का कारण मानता है और ऐसे अधिभोगी को कारखाने में या उसके किसी भाग में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या से भिन्न खतरा दूर होने तक न्यूनतम कार्यों में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिषिद्ध कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा जारी कोई आदेश तीन दिनों की अवधि के लिए प्रभावी होगा जब तक कि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा उत्तरवर्ती आदेश द्वारा विस्तारित नहीं किया जाता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और उपधारा (2) के अधीन मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार को अपील करने का अधिकार होगा।

(4) कोई भी व्यक्ति जिसका नियोजन उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश से प्रभावित हुआ है, वह मजदूरी और अन्य लाभों का हकदार होगा और जहां भी संभव हो और विहित तरीके से उसे वैकल्पिक रोजगार प्रदान करना अधिभोगी का कर्तव्य होगा।

(5) उपधारा (4) के उपबंध औद्योगिक सम्बंध संहिता, 2020 के अधीन पक्षकारो के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

धारा 83 की उपधारा (1) के अधीन स्थल मूल्यांकन समिति

127–(1) राज्य सरकार, परिसंकटमय प्रक्रिया वाले कारखाने के प्रारंभिक स्थान के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए या ऐसे किसी कारखाने के विस्तार के लिए आवेदनों पर विचार करने की सलाह देने के लिए, श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में एक स्थल मूल्यांकन समिति नियुक्त कर सकती है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –

(क) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता ;

(ख) कारखाना निदेशक का एक प्रतिनिधि;

(ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि;

(घ) पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि;

(ङ) अग्निशमन सेवा महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी;

(च) मौसम विज्ञान विभाग, उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि;

(छ) व्यावसायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ;

(ज) राज्य सरकार के आवास और शहरी नियोजन विभाग का एक प्रतिनिधि; तथा

(झ) पाँच से अनधिक अन्य सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सहयोजित किया जा सकता है, जो होंगे–

(एक) एक वैज्ञानिक जिसके पास कारखाने में अंतर्गस्त परिसंकटमय प्रक्रिया का विशेष ज्ञान हो;

(दो) स्थानीय प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि जिसकी अधिकारिता में कारखाना स्थापित किया जाना है; तथा

(तीन) तीन से अनधिक अन्य व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे ।

(2) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता उक्त समिति का सदस्य–सचिव होगा।

(3) कोई भी सदस्य, जब तक कि न्यायालय द्वारा ऐसा करना अपेक्षित न हो, संहिता के प्रयोजन से अन्यथा, किसी भी समय विनिर्माण या वाणिज्यिक कारबार या किसी भी कार्य प्रक्रिया से सम्बंधित कोई भी जानकारी जो समिति के सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके ज्ञान में आ सकती है, प्रकट नहीं करेगा।

(4) संहिता की धारा 2(1)(यक) के अधीन आच्छादित कारखानों के सम्बंध में साइटों के मूल्यांकन के लिए आवेदन प्रपत्र–49 में 15 प्रतियों के साथ समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे। समिति विचाराधीन आवेदन में किसी विशेष मद के बारे में सूचना प्रस्तुत करने से अभिमुक्ति प्रदान कर सकती है।

(5) जहां कोई प्रक्रिया केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले कारखाने या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम या कंपनी से सम्बंधित है, राज्य सरकार उस समिति के सदस्य के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि, स्थल मूल्यांकन समिति में सहयोजित करेगी।

(6) स्थल मूल्यांकन समिति के पास परिसंकटमय प्रक्रिया से अंतर्ग्रस्त कारखाने की स्थापना या विस्तार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से कोई भी जानकारी मांगने की शक्ति होगी।

धारा 83 की उपधारा (1) के अधीन स्थल मूल्यांकन समिति के कार्य

128–(1) समिति के सचिव साइट के मूल्यांकन के लिए प्राप्त आवेदनों को एक अलग रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत करने की व्यवस्था करेंगे और 7 दिनों की अवधि के भीतर इसे स्वीकार करेंगे।

(2) समिति का सचिव अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से बैठक का समय और दिनांक नियत करेगा और विनिश्चय के लिए प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत सभी आवेदनों को समिति को संदर्भित करेगा।

(3) समिति आवेदनों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने कामकाज के लिए एक प्रक्रिया अपना सकती है।

(4) समिति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कारखाने के स्थान पर प्रतिषेध और निषेध तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रक्रिया और संचालन करने के संदर्भ में किसी स्थल के मूल्यांकन के लिए आवेदन का परीक्षण करेगी।

(5) यदि आवश्यक हो तो स्थल की उपयुक्तता के सम्बंध में अपना दृष्टिकोण तैयार करने के लिए समिति दस्तावेज मंगवा सकती है, विशेषज्ञों का परीक्षण कर सकती है, स्थल का निरीक्षण कर सकती है और अन्य कदम उठा सकती है।

(6) जहां कहीं प्रस्तावित स्थल को उद्योग मंत्रालय अथवा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनापत्ति अपेक्षित हो, वहां ऐसी अनापत्ति प्राप्त होने के बाद ही समिति द्वारा स्थल मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा।

(7) परिसंकटमय प्रक्रिया से जुड़े कारखाने के प्रारंभिक स्थान के लिए या ऐसे कारखाने के विस्तार के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट होंगी।

(क) आवेदक का नाम और पता;

(ख) स्थल स्वामित्व डेटा;

(ग) स्थल का राजस्व ब्यौरा सर्वेक्षण संख्या, प्लॉट संख्या, आवंटन/ रजिस्ट्रीकरण संख्या, आदि;

(घ) ब्यौरा कि क्या इस स्थल को वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यदि हां, तो क्या भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 के अधीन केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है;

(ङ) ब्यौरा कि क्या प्रस्तावित स्थल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(फ) के उपबंधो के दायरे में आता है, यदि हां, तो प्रतिबंधों की प्रकृति;

(च) स्थानीय प्राधिकरण जिसकी अधिकारिता में स्थल स्थित है;

(छ) स्वामित्व के दस्तावेजी साक्ष्य;

(ज) स्पष्ट चिन्हांकन, अर्जित किये जाने हेतु प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल और प्रस्तावित स्थल के समीप स्थित निम्नलिखित के सम्बंध में दर्शाया गया ब्यौरा–

(एक) आसपास में ऐतिहासिक स्मारक, यदि कोई हो;

(दो) पड़ोसी विनिर्माण इकाइयों और मानव आवासों, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों, पेट्रोल प्रतिष्ठानों, आसपास के क्षेत्र में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और अन्य खतरनाक पदार्थों के भंडारण और प्रस्तावित इकाई से उनकी दूरी;

(तीन) आसपास जल स्रोत (नदी, धाराएं, नहरें, बांध और जल शोधन संयंत्र आदि);

(चार) प्रस्तावित इकाई से निकटतम अस्पतालों, अग्निशमन केन्द्रों, नागरिक सुरक्षा स्टेशनों और पुलिस स्टेशनों की दूरी;

(पाँच) उच्च तनाव विद्युत परिषण लाइनें, पानी, तेल, गैस या मलवहन के लिए पाइपलाइन;

(छः) रेलवे लाइनें, सड़कें, स्टेशन, जेटी गैस और आसपास में अन्य समरूप अधिष्ठान;

(सात) मृदा की स्थिति और गहराई का ब्यौरा जिस पर कठोर स्तर अभिप्राप्त किए जा सकते हैं;

(आठ) समीप के टीलों और स्तरों में अंतर दर्शाते हुए कारखाना का समोच्च मानचित्र ;

(नौ) प्रवेश और निकास बिंदुओं के भीतर सड़कों, पानी की नालियों आदि को दर्शाते हुए कारखाने की भूखण्ड योजना।

(झ) परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित ब्यौरा दिए गए होः –

(एक) परियोजना के मुख्य तत्वों का सारांश;

(दो) संगठन की प्रास्थिति (सरकारी, अर्ध–सरकारी, सार्वजनिक या निजी आदि);

(तीन) कारखाने में संभावित रूप से नियोजित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या;

(चार) बिजली और पानी की अधिकतम आवश्यकता और उनकी आपूर्ति के स्रोत;

(पाँच) प्रस्तावित इकाई में भवनों और प्रतिष्ठानों के ब्लॉक आरेख; तथा

(छः) प्रस्तावित आवासन कॉलोनी, अस्पताल, विद्यालय और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण।

(ञ) प्रस्तावित विनिर्माण इकाई/कारखाने के लिए संगठनात्मक संरचना जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया होः–

(एक) सामान्य रूप से प्रस्तावित उद्यम का संगठन आरेख, और स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण विभाग और संचालन और तकनीकी विभाग से उनका सम्बंध;

(दो) प्रस्तावित स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति;

(तीन) अपशिष्ट और बहिः स्राव अपशिष्टों के उपचार के लिए आवंटित क्षेत्र; तथा

(चार) सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण उपायों पर परिव्यय का प्रतिशत।

(ट) साइट से सम्बंधित मौसम विज्ञान सम्बंधी आंकड़े जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया हो–

(एक) पिछले दस वर्षों के दौरान औसत, न्यूनतम और अधिकतम तापमान, आर्द्रता और वायुवेग;

(दो) हवा की दिशा की मौसमी विविधताएं;

(तीन) क्षेत्र में बाढ़ के दौरान अब तक अभिलिखित उच्चतम जल स्तर तक पहुंच; तथा

(चार) क्षेत्र का तडित और भूकंपीय आंकड़े ।

(ठ) संचार लिंक जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया होः–

(एक) वाह्य संचार के लिए टेलीफोन/टेलीक्स/वायरलेस और अन्य संचार सुविधाओं की उपलब्धता; तथा

(दो) प्रस्तावित आंतरिक संचार सुविधाएं।

(ड) विनिर्माण प्रक्रिया की सूचना जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया होः–

(एक) प्रक्रिया प्रवाह आरेख विनिर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में तापमान, दबाव आदि जैसे प्रक्रिया मापदंडों को दर्शाने वाला विस्तृत ;

(दो) प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी पर संक्षिप्त लेखन;

(तीन) महत्वपूर्ण प्रक्रिया के मानदण्ड यथा दबाव निर्माण, तापमान वृद्धि और रन अवे की दशाएं;

(चार) सुरक्षा निहितार्थ वाली प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण अन्य वाहय प्रभाव, जैसे नमी या पानी का प्रवेश, असंगत पदार्थों के साथ संदंश, अचानक बिजली की विफलता; तथा

(पाँच) अंतर्निहित सुरक्षा/प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों या विनिर्माण प्रौद्योगिकी में शामिल उपायों की मुख्य विशेषताएं।

(ढ) परिसंकटमय सामग्रियों की सूचनाएं जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया होः–

(एक) कच्चे माल, मध्यवर्ती, उत्पाद और उप–उत्पाद और उनकी मात्रा (प्रत्येक खतरनाक पदार्थ के सम्बंध में सामग्री सुरक्षा आकडा पत्र के साथ संलग्न);

(दो) कच्चे माल/मध्यवर्ती/उत्पादों के लिए प्रस्तावित मुढय और मध्यवर्ती भंडारण (किसी भी समय संग्रहीत की जाने वाली अधिकतम मात्रा)

(तीन) माल के अंतर्ग्रह और बहिर्वाह के लिए उपयोग की जाने वाली परिवहन विधियां, उनकी मात्रा और अनुसरण किये जाने वाले संभावित मार्ग, तथा

(चार) माल की उठाई–घराई के प्रस्तावित सुरक्षा उपाय, आंतरिक और बाहरी परिवहन, और निपटान (तैयार उत्पादों की पैकिंग और अग्रेषण)

(ण) अपशिष्टों और प्रदूषकों के फैलाव/निपटान की सूचनायें, जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया होः–

(एक) प्रमुख प्रदूषक (गैस, तरल, ठोस), उनकी विशेषताएं और मात्रा (औसत और चरम भार पर);

(दो) जनित ठोस अपशिष्ट की गुणवत्ता और मात्रा, उनके उपचार और निपटान की पद्धतियाँ; और

(तीन) वायु, जल और मृदा प्रदूषण प्रत्याशित समस्याएं और उन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित उपाय, जिसमें बहिस्त्रावों का उपचार और निपटान शामिल है।

(त) खतरनाक प्रक्रिया सम्बंधी सूचनाओं के साथः –

(एक) पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन पर रिपोर्ट की एक प्रति;

(दो) जोखिम मूल्यांकन अध्ययन पर रिपोर्ट की एक प्रति; तथा

(तीन) दुर्घटना की स्थितियों/व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों या इसी तरह के संयंत्रों पर कहीं और (देश के भीतर या बाहर) प्रकाशित (खुली या वर्गीकृत) रिपोर्टें, यदि कोई हों।

(थ) प्रस्तावित सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य उपायों की सूचना के साथः–

(एक) अग्निशमन सुविधाओं और पानी की न्यूनतम मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड और/या आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक अन्य अग्निशमन उपायों का विवरण; तथा

(दो) प्रस्तावित गृह चिकित्सा सुविधाओं का विवरण।

(द) आपातकालीन तैयारियों की सूचना जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया होः–

(एक) कार्यस्थल की आपातकालीन योजना और विस्तृत आपदा नियंत्रण उपाय; तथा

(दो) पड़ोसी कारखानों के समूह के साथ पारस्परिक सहायता योजना के लिए प्रस्तावित व्यवस्था, यदि कोई हो।

(ध) अन्य कोई सुसंगत सूचना।

(8) उपनियम (7) में उल्लिखित आवेदन आवेदक द्वारा निम्नलिखित रीति से प्रमाणित किया जाएगाः

''मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है और इसे प्रस्तुत करते समय किसी महत्वपूर्ण बात को छिपाया नही गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम और पता''

धारा 83 की उपधारा (2) के अधीन स्थल मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

129–स्थल मूल्यांकन समिति खतरनाक प्रक्रिया से युक्त कारखाने की स्थापना के लिए आवेदन की जांच करेगी और निर्धारित प्रपत्र–50 में ऐसे आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन सामग्री सुरक्षा डाटा शीट पर खतरनाक पदार्थों की सूचना अभिप्राप्त करना या विकसित करना

130–सूचना का संग्रहण, विकास और प्रसारः–

(1) खतरनाक प्रक्रिया को करने वाले प्रत्येक कारखाने के अधिभोगी को कारखाने में निर्माण, परिवहन और भंडारण में संभाले जाने वाले प्रत्येक खतरनाक पदार्थ या सामग्री के सम्बंध में सामग्री सुरक्षा डाटा शीट (एमएसडीएस) के रूप में जानकारी प्राप्त करने या विकसित करने की व्यवस्था करनी होगी। यह किसी कर्मकार के अनुरोध पर संदर्भ हेतु उपलब्ध होगा।

(क) ऐसी प्रत्येक सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगीः

(एक) लेबल पर प्रयुक्त पहचान चिन्ह;

(दो) पदार्थ के परिसंकटमय तत्व;

(तीन) परिसंकटमय पदार्थ की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं;

(चार) परिसंकटमय पदार्थ के भौतिक खतरे, जिसमें आग, विस्फोट और प्रतिक्रियाशीलता की संभावना समाविष्ट है;

(पाँच) परिसंकटमय पदार्थ के स्वास्थ्य खतरे, जिसमें जोखिम के संकेत और लक्षण तथा कोई भी चिकित्सा स्थिति सम्मिलित है, जिसे आम तौर पर पदार्थ के संपर्क में आने से बढ़ने के रूप में पहचाना जाता है;

(छः) प्रवेश का प्राथमिक मार्ग या मार्गो;

(सात) अनुसूची–सैंतीस में विहित अभिदर्शन की अनुज्ञेय सीमा;

(आठ) खतरनाक पदार्थ के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए कोई भी आम तौर पर लागू सावधानियां, जो ज्ञात हैं, जिसमें उचित स्वच्छता प्रथाएं, दूषित उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के दौरान सुरक्षात्मक फैलाव और लीक की सफाई के लिए प्रक्रियाएं;

(नौ) कोई भी आम तौर पर लागू नियंत्रण उपाय, जैसे उपयुक्त इंजीनियरिंग नियंत्रण, कार्य अभ्यास, या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग;

(दस) आपातकालीन और प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रियाएं;

(ग्यारह) सामग्री सुरक्षा डाटा शीट तैयार करने की तारीख, या उसमें अंतिम परिवर्तन;

(बारह) सामग्री सुरक्षा डाटा शीट तैयार करने या वितरित करने वाले निर्माता, आयातक, अधिभोगी या अन्य जिम्मेदार पक्ष का नाम, पता और टेलीफोन नंबर, जो परिसंकटमय पदार्थ और यदि आवश्यक हो तो उचित आपातकालीन प्रक्रियाओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकता है।

(ख) किसी परिसंकटमय पदार्थ के सम्बंध में सामग्री सुरक्षा डाटा शीट प्राप्त करने या विकसित करने के दौरान अधिभोगी यह सुनिश्चित करेगा कि सटीक रूप से दर्ज की गई जानकारी, खतरे का निर्धारण करने में उपयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक साक्ष्य को दर्शाती है। यदि वह खतरों के बारे में किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो जाता है, तो नई जानकारी को जल्द से जल्द सामग्री सुरक्षा डेटा शीट में जोड़ा जाएगा।

(ग) ऐसी सामग्री सुरक्षा डाटा शीट का एक उदाहरण अनुसूची–छत्तीस में दिया गया है।

(2) किसी परिसंकटमय पदार्थ के प्रत्येक कंटेनर पर स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा या पहचाना जाएगाः –

(क) कंटेनर की अंतर्वस्तु;

(ख) खतरनाक पदार्थों के निर्माता या आयातक का नाम और पता;

(ग) शारीरिक और स्वास्थ्य खतरे; तथा

(घ) परिसंकटमय पदार्थ के साथ सुरक्षित रूप से काम करने के लिए आवश्यक अनुशंसित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण।

धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन कर्मचारियों के समक्ष सूचना का प्रकटीकरण

131–(1) परिसंकटमय प्रक्रिया क्रियान्वित को करने वाले प्रत्येक कारखाने के अधिभोगी समस्त कर्मचारियों को विनिर्माण, परिवहन, भंडारण और अन्य प्रक्रिया में परिसंकटमय सामग्रियों या पदार्थों के संचालन के सम्बंध में निम्नलिखित सूचना प्रदान करेंगेः

(क) संहिता की धारा 84, 85 और 89 की अपेक्षाएं;

(ख) कारखाने में संचालित की जाने वाली परिसंकटमय प्रक्रिया की एक सूची;

(ग) नियम 130 के अनुसार समस्त सामग्री सुरक्षा डाटा शीट की अवस्थिति और उपलब्धता;

(घ) पदार्थों के संपर्क में आने या संभालने से उत्पन्न होने वाले शारीरिक और स्वास्थ्य सम्बंधी खतरे;

(ड.) शारीरिक और स्वास्थ्य खतरों की सुरक्षा और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अधिभोगी द्वारा किए गए उपाय;

(च) परिसंकटमय पदार्थों की उठाई–धराई, सुरक्षित संचालन, भंडारण और परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले उपाय;

(छ) परिसंकटमय संचालनों की खतरनाक प्रक्रिया में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण;

(ज) इस नियमावली के अधीन परिसंकटमय पदार्थों के कंटेनरों पर प्रयुक्त विभिन्न लेबलों और चिह्नों का अर्थ;

(झ) परिसंकटमय पदार्थों के संपर्क में आने पर प्रकट होने वाले संकेत और लक्षण और किसे रिपोर्ट करना है;

(ञ) किसी परिसंकटमय पदार्थ के फैलाव या रिसाव के मामले में कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले उपाय;

(ट) कारखाने की आपातकालीन योजना के साथ–साथ कर्मचारियों की भूमिका, विशेष रूप से निकासी प्रक्रियाएं;

(ठ) कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अधिभोगी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई भी अन्य जानकारी।

(2) उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित सूचना को संकलित किया जाएगा और कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से पुस्तिकाओं या पत्रकों की आपूर्ति और कार्यस्थलों पर चेतावनी नोटिस के प्रदर्शन के माध्यम से अवगत कराया जाएगा।

(3) कारखानें में प्रदर्शित पुस्तिकाएं, पत्रक और चेतावनी नोटिस अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होंगे और उन्हें समझाया भी जाएगा।

(4) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता अधिभोगी को आवश्यक समझे जाने पर कर्मचारियों को और अधिक जानकारी प्रदान करने का निदेश दे सकता है।

धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, स्थानीय प्राधिकारी को सूचना का प्रकटीकरण

132–(1) परिसंकटमय प्रक्रिया करने वाले प्रत्येक कारखाने के अधिभोगी, धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन कर्मचारियों को दी गई समस्त सूचनाओं की एक प्रति लिखित रूप में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत करेंगे।

(2) कारखाने में प्रयुक्त, उत्पादित या संग्रहीत परिसंकटमय पदार्थों के सम्बंध में सामग्री सुरक्षा डाटा शीट के संकलन की एक प्रति मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और स्थानीय निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के अधीन दी गई सूचना की एक प्रति उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट और उप–जिला मजिस्ट्रेट को भी भेजी जाएगी जहां प्रतिष्ठान स्थित है।

(4) परिसंकटमय प्रक्रिया उद्योग का अधिभोगी मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना भी प्रस्तुत करेगाः–

(क) कारखाने का नामः
(ख) पताः
(ग) उत्पाद
(घ) विनिर्माण प्रक्रियाः
(1) कच्चा मालः
(2) नाम और अधिकतम भंडारण क्षमताः
(ङ) अंतिम उत्पादः
(एक) नाम और अधिकतम भंडारण क्षमताः
(च) मध्यवर्ती उत्पादः
(एक) नाम और अधिकतम भंडारण क्षमताः
(छ) कारखाने के साथ संबद्ध खतरेः
(ज) अपनाए गए सुरक्षात्मक सुरक्षा उपाय :
(झ) आग और विस्फोट का जोखिमः
(ञ) खतरनाक अवशिष्ट के निस्ताण के ब्योरे।

धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन आस–पास रहने वाली आम जनता को सूचना का प्रकटीकरण

133–(1) 'परिसंकटमय प्रक्रिया' संपादित करने वाले प्रत्येक कारखाने के अधिभोगी को राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जिला आपातकालीन प्राधिकरण के परामर्श से आम जनता को सूचित करने के लिए उचित कदम उठाएगा, जो उस क्षेत्र में होने की संभावना है जो दुर्घटना से प्रभावित हो सकता है।

(2) ऐसी सूचना में सम्मिलित होंगेः

(क) कारखाने का नाम और पता जहां स्थित है;

(ख) सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान, नाम और स्थिति से;

(ग) इस बात की पुष्टि कि कारखाने को कारखाना निदेशालय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त है;

(घ) परिसर में संपादित की जाने वाली परिसंकटमय प्रक्रिया (प्रक्रियाओं) के सरल शब्दों में एक स्पष्टीकरण;

(ड.) उपयोग किए जाने वाले परिसंकटमय पदार्थों के सामान्य नाम जिनसे दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है और उनकी प्रमुख हानिकारक विशेषताओं के संकेत;

(च) प्रासंगिक सुरक्षा कानूनों के तहत अधीन अपने कानूनी दायित्वों के अनुपालन में ऐसी दुर्घटना के जोखिम को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों का संक्षिप्त विवरण;

(छ) कारखाने में अपनाए गए अनुमोदित आपदा नियंत्रण उपायों की मुख्य विशेषताएं;

(ज) आम जनता के लिए कारखाने की आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का विवरण;

(झ) चेतावनी सुनने पर जनता को क्या कार्यवाई करनी चाहिए इस सम्बन्ध में सामान्य सलाह;

(ञ) कारखाने में की गई व्यवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण, जिसमें आपातकालीन सेवाओं के साथ संपर्क भी शामिल है, दुर्घटनाओं से निपटा और उनके प्रभावों को कम किया जा सकेय और

(ट) जहां से आगे की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसका विवरण।

धारा 84 की उपधारा (2) के अधीन स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति

134–(1) ''खतरनाक प्रक्रिया'' वाले प्रत्येक कारखाने के अधिभोगी को संहिता और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो के अनुसार कार्यस्थल पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के सम्बंध में अपनी नीति का एक लिखित विवरण तैयार करना होगा और इसे अधिकारिता वाले मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता तिमाही आधार पर दें और यदि उक्त नीति में कोई परिवर्तन होता है तो 15 दिनों के भीतर। और जब भी उनसे अनुरोध किया जाएगा, वे प्रस्तुत करेंगे।

(2) स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होना चाहिए या इससे व्यवहार में होना चाहिए–

(क) स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति संहिता और अन्य प्रासंगिक कानूनों की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप होगी;

(ख) संगठनात्मक ढांचा विभिन्न स्तरों पर स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी सौंपने वाली घोषित नीति का पालन करेगा; और

(ग) नीति को प्रभावी बनाने की व्यवस्था।

(3) विशेष रूप से, स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति में निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करना चाहिए

(क) कर्मचारियों को शामिल करने की व्यवस्था;

(ख) विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उनकी कैरियर उन्नति पर विचार करने का आशय;

(ग) परिसर में प्रवेश करने वाले ठेकेदारों, उप–ठेकेदारों, परिवाहको और अन्य एजेंसियों की जिम्मेदारी;

(घ) कारखाने के वार्षिक रिपोर्ट में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन का पुनः आरम्भ करना;

(ङ) स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण की स्थिति के आवधिक निर्धारण करने और समस्त उपचारात्मक उपाय करने के लिए लेखा परीक्षा और जोखिम निर्धारण जैसे खतरा और संचालन क्षमता अध्ययन (एच ए जेड ओ पी) आदि जैसी प्रासंगिक तकनीकें और विधियाँ तथा अन्य सुरक्षा तकनीकें;

(च) संयंत्र, उपकरण, मशीनरी और सामग्री की खरीद के साथ–साथ कर्मियों के चयन और नियुक्ति से सम्बंधित समस्त निर्णयों में स्वास्थ्य और सुरक्षा को एकीकृत करने के लिए इसका आशय; तथा

(छ) अपने कर्मचारियों को विभिन्न स्तरों पर और जनता व जहाँ भी आवश्यक हो, सूचित करने, शिक्षित करने और प्रशिक्षण देने और पुनः प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करना।

(4) अधिभोगी द्वारा हस्ताक्षरित घोषित स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति की एक प्रति मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को उपलब्ध करायी जाएगी।

(5) स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति को व्यापक रूप जाना जाएगाः–

(क) संविदा कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं, परिवहन कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं आदि सहित समस्त कर्मचारियों को प्रतियां उपलब्ध कराना;

(ख) अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में सहजदृश्य स्थानों पर नीति की प्रतियां प्रदर्शित करना; और

(ग) संचार का कोई अन्य साधन।

(6) अधिभोगी जितनी बार उचित हो सुरक्षा नीति को पुनरीक्षित करेंगे, लेकिन इसे निम्नलिखित परिस्थितियों में आवश्यक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगाः –

(क) जहां कहीं भी कोई विस्तार या संशोधन किया जाता है जिसमें कार्यस्थल पर व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है; या

(ख) जब कभी विनिर्माण प्रक्रिया में नए पदार्थ या वस्तुएं प्रविष्टकी जाती हैं, जिनका ऐसे पदार्थों या वस्तुओं के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।

धारा 84 की उपधारा (7) के अधीन औद्योगिक अपशिष्टों पर सूचना

135–(1) नियम 129 से 131 के अधीन दी गई सूचना में प्रति दिन उत्पन्न ठोस और तरल अपशिष्टों की मात्रा, उनकी विशेषताएं और जैविक उपचार के तरीके जैसे ठोस अपशिष्टों का भस्मीकरण, तरल अपशिष्टों का रासायनिक और जैविक उपचार और उनके अंतिम निपटान की व्यवस्था सम्मिलित होगी।

(2) इसमें स्टैक या अन्य छिद्रों के माध्यम से गैसीय अपशिष्ट निर्वहन की गुणवत्ता और मात्रा के बारे में जानकारी भी सम्मिलित होगी और पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए की गई इसी तरह की व्यवस्थाओं के स्क्रबर्स, साइक्लोन सेपरेटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर के उपबंध जैसी व्यवस्थाएं भी सम्मिलित होंगी।

(3) अधिभोगी उपनियम (1) और (2) में विहित सूचना भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

धारा 84 की उपधारा(5) के अधीन खतरनाक प्रक्रिया में लगाए जाने के लिए प्रस्तावित कारखाने के अधिभोगी द्वारा मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को सूचित करना।

136–(1) अधिभोगी/नियोक्ता धारा 84 की उपधारा (5) के अधीन खतरनाक प्रक्रिया से जुड़े कारखाने की सूचना को प्रकट करेगा, अर्थात्:–

(क) परिसंकटमय प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक कारखाने के अधिभोगी को वास्तविक संचालन और रासायनिक अभिक्रियाओं दोनों से शामिल सभी जोखिमों की पहचान करनी होगी। कच्चे माल के गुणों, बनाए जाने वाले अंतिम उत्पादों और प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किसी भी उप–उत्पाद का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और कर्मचारियों पर प्रभाव सहित किसी भी परिसंकटमय से निपटने के लिए उपबंध किए जाएंगे, जो विनिर्माण के दौरान हो सकते हैं।

(ख) उपनियम (1) में उल्लिखित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, इसके परिसंकटमय और डिजाइन चरण से निपटान चरण तक उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों का विवरण देने वाले निम्नलिखित प्रारूप में सूचना मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को यथाशीघ्र ऑनलाइन के माध्यम से प्रेषित की जानी चाहिए और किसी भी स्थिति में परिसंकटमय प्रक्रिया से जुडे विनिर्माण, हैण्डलिंग या भण्डारण आदि प्रारम्भ करने से 30 दिन पूर्व प्रेषित की जानी चाहिए।

''परिसंकटमय प्रक्रिया उद्योग के अधिभोगी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाः

(क) फैक्टरी का नामः .....

(ख) पता .....

(ग) विनिर्माण प्रक्रिया विवरण ..... (रासायनिक कारखाने की सामग्री के मामले में समस्त अभिक्रियाओं का संतुलन संलग्न किया जाएगा)

(घ) उपयोग किए गए कच्चे माल (नाम, भंडारण का तरीका, अधिकतम भंडारण क्षमता) .....

(ड.) तैयार उत्पाद (नाम और अधिकतम भंडारण क्षमता) .....

(च) मध्यवर्ती उत्पाद (नाम और अधिकतम भंडारण क्षमता).....

(छ) पहचाने गए खतरों (रासायनिक कारखाने के मामले में एच ए जेड ओ पी पर आधारित रसायनों की प्रक्रिया के खतरों, भंडारण और हैंडलिंग को संलग्न किया जाएगा) ....

(ज) उपचारात्मक उपाय (उपकरण, प्रक्रिया नियंत्रण, अभियान्त्रिकी नियंत्रण और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए इनबिल्ट सुरक्षा प्रणाली): .....

(झ) परिसंकटमय अपशिष्ट के निपटान के लिए विवरणः

नाम के साथ अधिभोगी के हस्ताक्षर''

(2) तकनीकी अभिवृद्धि या ऑनलाइन के माध्यम से तीन साल में एक बार बदलने के तुरंत बाद उपरोक्त सूचना को संशोधित और अद्यतन किया जाएगा।

(3) उपरोक्त उपबंधों के अनुपालन के लिए मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा चाही गई कोई भी अतिरिक्त सूचना भी प्रस्तुत की जाएगी।

धारा 84 की उपधारा (7) के अधीन कर्मचारियों और जनसाधारण को दी गई सूचना

137–(1) इस नियमावली के नियम–129 से 131 के अधीन दी गई सूचना को कारखाने के गेट या गेट पर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करके प्रचारित किया जाएगा और ऐसी सूचना जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को भी दी जाएगी।

(2) यह अधिभोगी/नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसी सूचना को जनसाधारण के बीच व्यापक रूप से प्रचारित करे।

धारा 133 की उपधारा (2) के खंड (ययथ) के अधीन सूचना की गोपनीयता

138–(1) 'परिसंकटमय प्रक्रिया' अपनाए जाने वाले कारखाने का अधिभोगी, कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक समस्त सूचनाओं को प्रकट करेंगे–

(क) उसके कर्मकार, और

(ख) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, जिसकी अधिकारिता है,

इन नियमों के अधीन अपेक्षित है। यदि अधिभोगी की राय है, कि प्रक्रिया और फॉर्मूलेशन के बारे में विवरण के प्रकटीकरण से उसके व्यावसायिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो वह मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को ऐसी सूचना रोकने का कारण बताते हुए एक अभ्यावेदन दे सकता है। मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता अधिभोगी को सुनवाई का अवसर देने के बाद अभ्यावेदन पर एक आदेश पारित करेगा।

(2) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के आदेश से व्यथित कोई अधिभोगी तीस दिनों की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है और राज्य सरकार अधिभोगी को सुनवाई का अवसर देने के बाद एक आदेश पारित करेगी।

धारा 85 की उपधारा (क) के अधीन चिकित्सा परीक्षा

139–(1) परिसंकटमय प्रक्रिया में नियोजित कर्मचारियों को एक योग्य चिकित्सक द्वारा चिकित्सा परीक्षा की जाएगी, जिसे आगे कारखाना चिकित्सा अधिकारी कहा गया है, द्वारा निम्नलिखित रीति से की जाएगीः–

(क) नियोजन से पूर्व एक बार, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए व्यक्ति की शारीरिक योग्यता की जांच करने के लिए;

(ख) प्रत्येक छह माह की अवधि में एक बार, उन समस्त कर्मकरों की स्वास्थ्य प्रास्थिति को अभिनिश्चित करने के लिए जो उन व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति अनावृत्त है, और ऐसे किसी कर्मकार के सम्बंध में जिसके मामले में कारखाना चिकित्सा अधिकारी की यह राय हो कि ऐसा किया जाना अपेक्षित है;

(ग) उपरोक्त के रूप में किए गए पूर्व–रोजगार और आवधिक चिकित्सा परीक्षाओं का ब्यौरा प्रपत्र–7 में स्वास्थ्य रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए प्रपत्र–8 में स्वस्थता प्रमाण-पत्र के बिना पहली बार नियोजित नहीं किया जाएगा। यदि कारखाना चिकित्सा अधिकारी किसी व्यक्ति को उपनियम (1) के अधीन आच्छादित किसी प्रक्रिया में नियोजन के लिए अनुपयुक्त घोषित करता है, तो उसे उस क्षेत्र के निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के पास अपील करने का अधिकार होगा, जो एक चिकित्सा अधिकारी के परामर्श के पश्चात् अपील का विनिश्चय करेगा जो इस सम्बंध में अंतिम होगा।

(3) कारखाना चिकित्सा अधिकारी के किसी निष्कर्ष में किसी प्रक्रिया में नियोजित किसी व्यक्ति की किसी असामान्यता या अनुपयुक्तता पाये जाने पर वह सम्बंधित कर्मकार का परीक्षण करेगा और अपने निष्कर्षों की संसूचना 30 दिन के भीतर अधिभोगी को देगा। यदि चिकित्सा अधिकारी की राय है कि इस प्रकार परीक्षित कर्मकार को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रक्रिया से पृथक किया जाना अपेक्षित है, तो वह अधिभोगी को तदनुसार निर्देशित करेगा जो उक्त कर्मकार को उक्त कार्य प्रक्रिया में नियोजित नहीं करेगा। तथापि इस प्रकार पृथक किये गये कर्मकार को तब तक ऐसा वैकल्पिक नियोजन प्रदान किया जाएगा जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्णतः अक्षम न हो जिसमें प्रभावित कर्मकार का उपयुक्त पुनर्वास किया जाएगा।

(4) एक चिकित्सा अधिकारी अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या एक निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के संदर्भ पर एक खतरनाक प्रक्रिया में अपने नियोजन की उपयुक्तता अभिनिश्चित करने का पता लगाने या उसके स्वास्थ्य की प्रास्थिति अभिनिश्चित करने के लिए किसी कर्मकार का चिकित्सा परीक्षण कर सकता है। ऐसे मामले में चिकित्सा अधिकारी की राय अंतिम होगी। इस चिकित्सा परीक्षण के लिए अपेक्षित शुल्क का संदाय अधियोग द्वारा किया जाएगा।

(5) उपनियम (2) के तहत अधीन किसी प्रक्रिया में नियोजन से पृथक किये गए कर्मकार को चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात और स्वास्थ्य रजिस्टर में इस आशय की प्रविष्टियां करने के पश्चात ही उसी प्रक्रिया में पुनः नियोजित किया जा सकता है।

(6) इस नियमावली के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा और उसकी ओर से किए गए किसी भी चिकित्सा सर्वेक्षण के लिए चिकित्सा परीक्षा से गुजरने वाला कर्मकार ऐसी चिकित्सा परीक्षा से गुजरने से इनकार नहीं करेगा।

(7) सम्बंधित कर्मकार को चिकित्सा अभिलेख और रिपोर्ट की एक प्रति निशुल्क में प्रदान की जाएगी।

धारा 85 के खंड (ख) के अधीन अर्ह व्यक्तियों की अर्हता और अनुभव

140—(1) परिसंकटमय पदार्थों की देख—रेख हेतु पर्यवेक्षण से करने के लिए अपेक्षित समस्त व्यक्तियों को निम्नलिखित अर्हता और अनुभव धारित करना होगाः—

(क) पाँच वर्ष के अनुभव के साथ रसायनशास्त्र में उपाधि या रसायन अभियांत्रिकी या प्रोद्योगिक में डिप्लोमा; या

(ख) रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या रसायन अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में दो वर्ष के अनुभव के साथ उपाधि ।

(2) उपरोक्त उपनियम (1) में नियत अनुभव एक रासायनिक उद्योग में प्रक्रिया संचालन और अनुरक्षण में होगा।

(3) मुख्य निरीक्षक—सह—सुविधाप्रदाता को पर्यवेक्षक को स्वास्थ्य और सुरक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है। उक्त प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम और अवधि और प्रशिक्षण आयोजित करने वाले संगठनों को महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान (डीजीएफएएसएलआई) या राज्य सरकार द्वारा महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थानों द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा।

धारा 85 की उपधारा (ग) के अधीन व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र

141—(1) किसी कारखाने के सम्बंध में जहाँ परिसंकटमय प्रक्रिया संचालित की जाती है, नीचे अधिकथित के अनुसार सेवाओं और सुविधाओं के साथ एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र सुव्यवस्थित रूप में उपबंधित और अनुरक्षित किया जाएगा,—

(क) 50 कर्मचारियों तक को नियोजित करने वाले कारखानों के लिएः

(एक) अपने निदान केन्द्र में प्रतिधारण क्षमता के आधार पर एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी की सेवाएं जो अधिभोगी द्वारा अधिसूचित की जाएंगी, जो नियम 145 में यथा निर्धारित पूर्व नियोजन सम्बंधी तथा सामयिक चिकित्सा परीक्षण करेगा और आपात स्थिति के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा;

(दो) प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित कम से कम 5 व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक कार्य अवधि के दौरान सदैव उपलब्ध रहेगा; और

(तीन) समस्त विभागों में पूर्णतः सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा सहायता बॉक्स;

(ख) 51 से 200 तक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिएः

(एक) न्यूनतम 15 वर्गमीटर फर्श क्षेत्रफल से युक्त एक कक्ष वाला व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसकी फर्श और दिवारें, चिकने तथा सुदृढ़, तल से बने हो और वह इस नियमावली से संलग्न अनुसूची के अनुसार पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था स्वच्छता एवं साज—सज्जा से युक्त हो;

(दो) एक अंशकालिक कारखाना चिकित्सा अधिकारी केंद्र का समग्र प्रभारी होगा जो सप्ताह में कम से कम दो बार कारखाने का दौरा करेगा और जिसकी सेवाएं चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान आसानी से उपलब्ध होंगी;

(तीन) सम्पूर्ण कार्य अवधि के दौरान ड्यूटी पर एक अर्ह और प्रशिक्षित ड्रेसर—सह—कंपाउन्डर; और

(चार) सभी विभागों में पूरी तरह से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा सहायता बॉक्स।

(ग) 200 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिएः

(एक) 500 कर्मचारियों तक नियोजित करने वाले कारखानों के लिए एक पूर्णकालिक कारखाना चिकित्सा अधिकारी और प्रत्येक अतिरिक्त 1000 कर्मचारियों या उसके भाग के लिए एक और चिकित्सा अधिकारी;

(दो) एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसमें 15 वर्ग मीटर के न्यूनतम तल क्षेत्रफल के दो कक्ष हो जिनके फर्श और उनकी दीवारें चिकने तथा अपारगम्य तल की निर्मित हो और जिसमें इस नियमावली से संलग्न अनुसूची के अनुसार पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और संवातन के साथ—साथ उपस्कर हों;

(तीन) एक नर्स, एक ड्रेसर–सह–कंपाउंडर और एक स्वीपर–कम–वार्ड–ब्वाय समस्त कार्य अवधि के दौरान; और

(चार) व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त रूप से सुसज्जित होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले कारखाना चिकित्सा अधिकारी के पास इस नियमावली के नियम 73 में विनिर्दिष्ट अर्हता होगीः

परन्तु यह कि औद्योगिक स्वास्थ्य में या इसके समकक्ष डिप्लोमा धारण करने वाले व्यक्ति को यथा पूर्वोक्त प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र रखने की आवश्यकता नहीं होगीः

परन्तु यह और कि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करें, इस उपनियम की आवश्यकता से छूट प्रदान कर सकता है, यदि उसकी राय में आवश्यक योग्यता रखने वाला उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हैः

परन्तु यह भी कि किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो इस नियमावली के लागू होने के दिनाँक को कम से कम तीन वर्ष की अवधि से कारखाना चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, इस शर्त के अध्यधीन उक्त व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण का पूर्वोक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगा।

(3) उपर्युक्त प्रमाण-पत्र वाले पाठ्यक्रम का पाठ्य विवरण, और पाठ्यक्रम का संचालन करने वाले संगठनों को महानिदेशालय, कारखाना परामर्श सेवा और श्रम संस्थान (डीजीएफएएसएलआई), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा डीजीएफएएसएलआई द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा।

(4) कारखाना चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति के एक माह के भीतर, कारखाने का अधिभोगी मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगाः–

(क) कारखाना चिकित्सा अधिकारी का नाम और पता;

(ख) अर्हताएं;

(ग) अनुभव, यदि कोई हो; तथा

(घ) उपनियम जिसके अधीन कारखाना चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

(5) कारखानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए उपकरणों में शामिल होंगेः

(क) गर्म और ठंडे पानी के साथ एक चमकता हुआ सिंक (सदैव उपलब्ध होना चाहिए);

(ख) कम से कम 180 सेमी x 105 सेमी की मेज जिसका शीर्ष भाग चिकना हो।

(ग) उपकरणों को विसंक्रमित स्टरलाइज करने के साधन;

(घ) एक सोफा;

(ङ) कठोरतापूर्वक फिट ढक्कनों वाली दो बाल्टियाँ या पात्र;

(च) एक केतली और स्पिरिट स्टोव या उबलते पानी के अन्य उपयुक्त साधन;

(छ) स्पिरिट्स अमोनिया एरोमैटिकस की एक बोतल (120 मिलीलीटर);

(ज) दो मध्यम आकार के स्पंज;

(झ) दो 'किडनी' ट्रे;

(ञ) प्रसाधन साबुन के चार केक, अधिमानतः एंटीसेप्टिक, साबुन;

(ट) दो गिलास टम्बलर और दो शराब के गिलास;

(ठ) दो नैदानिक थर्मामीटर;

(ड) दो चाय के चम्मच;

(ढ) दो ग्रेजुएटेड (120 मिली) मापने वाले चश्मा;

(ण) आँखें धोने के लिए एक धोने की बोतल (1000 सीसी);

(त) 20 में एक बोतल (एक लीटर) कार्बोलिक लोशन;

(थ) तीन कुर्सियाँ;

(द) एक परदा;

(ध) एक विद्युत हाथ की टार्च ;

(न) टेटनस टाक्सॉइड की पर्याप्त आपूर्ति;

(प) कोरमाइन तरल (60 मिलीलीटर);

(फ) गोलियाँ –एंटीहिस्टामाइन, एंटीस्पास्मोडिक (25 प्रत्येक);

(ब) सुइयों के साथ सीरिंज –2 सीसी और 10 सीसी;

(भ) दो सुई धारक, बड़े और छोटे;

(म) टांके लगाने वाली सुइयाँ और सामग्री;

(य) ड्रेसिंग संदंश की एक जोड़ी;

(य क) ड्रेसिंग संदंश की एक जोड़ी;

(य ख) एक स्केलपेल;

(य ग) एक स्टेथोस्कोप;

(य घ) रबर पट्टी–दबाव पट्टी;

(य ङ) आवश्यक संलग्नकों सहित ऑक्सीजन सिलेंडर;

(य च) एक रक्तचाप उपकरण;

(य छ) एक पटेला हथौड़ा;

(य ज) फेफड़ों के कार्य माप के लिए एक पीक–फ्लो मीटर;

(य झ) एक पेट धोने का सेट; तथा

(य ञ) विनिर्दिष्ट विनिर्माण प्रक्रिया से सम्बंधित कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा संस्तुत कोई अन्य उपस्कर।

(6) उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट उपस्करों के अतिरिक्त, एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र –

(क) 51 से 200 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले कारखानों में शामिल होंगेः –

(एक) 900 एमएमx100एमएमx6एमएम के चार सादे लकड़ी के टुकड़े;

(दो) 350 एमएमx75एमएमx6एमएम के चार सादे लकड़ी के टुकड़े;

(तीन) 250 एमएमx50एमएमx12एमएम के दो सादे लकड़ी के टुकड़े;

(चार) धमनी संदंश की एक जोड़ी;

(पाँच) इंजेक्शन–मार्फिया, पेथिडीन, एट्रोपिन, एड्रेनालाईन, कोरामाइन, नोवाकन (2 प्रत्येक); और

(छः) सर्जिकल कैंची की एक जोड़ी।

(ख) 200 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए, उपकरणों में शामिल होंगेः –

(एक) 900 एमएम x100 एमएम x6 एमएम के आठ सादे लकड़ी के टुकड़े;

(दो) 350 एमएम x75 एमएम x6 एमएम के आठ सादे लकड़ी के टुकड़े;

(तीन) 250 एमएम x50 एमएम x12 एमएम के चार सादे लकड़ी के टुकड़े;

(चार) धमनी संदंश के दो जोड़े;

(पाँच) इंजेक्शन–मॉर्फिया, पेथिडीन, एट्रोपिन, एड्रेनालाईन, कोरमाइन, नोवोकन (2 प्रत्येक); तथा

(छः) सर्जिकल कैंची के दो जोड़े।

धारा 85 की उपधारा (ग) के अधीन एम्बुलेंस वैन

142–(1) किसी परिसंकटमय प्रक्रिया वाले प्रत्येक कारखाने में उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं से सुसज्जित एक सुव्यवस्थित रूप में निर्मित एंबुलेंस वैन उपबंधित और अनुरक्षित की जायेगी, जिसे पूर्णकालिक चालक–सह–मैकेनिक द्वारा संचालित किया जायेगा और जिसमें बीमारी के प्रयोजनार्थ प्राथमिक चिकित्सा सहायता में प्रशिक्षित एक सहायक भी होगा। एम्बुलेंस वैन का उपयोग इसमें निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा और उसे सामान्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र में या उसके निकट तैनात किया जाएगाः

परन्तु यह कि 150 से कम कर्मचारियों को नियोजित करने देने वाला कारखाना आपात स्थिति से निपटने के लिए निकटस्थ चिकित्सालय या अन्य स्थानों से अल्प सूचना पर ऐसी सुविधा प्राप्त करने की व्यवस्था कर सकता है।

(2) एम्बुलेंस वैन में निम्नलिखित उपस्कर होंगेः –

(क) सामान्यः

(एक) मोड़ने और समायोजन उपकरणों के साथ एक पहिएदार स्ट्रेचर जो ऊपर की ओर झुकने में सक्षम है;

(दो) उपस्कर के साथ नियत सक्शन इकाई;

(तीन) उपस्कर के साथ नियत ऑक्सीजन की आपूर्ति;

(चार) आवरण सहित तकिया, चादरें, कंबल तौलिये; और

(पाँच) वमन बैग, बिस्तर पैन, मूत्रालय, कांच।

(ख) सुरक्षा उपस्कर जैसे –

(एक) 30 मिनट का लाइफ फ्लेयर, फ्लड लाइट्स;

(दो) फ्लैश लाइट, अग्निशामक–सूखी पाउडर प्रकार; तथा

(तीन) इंसुलेटेड गाउन्टलेट्स।

(ग) आपातकालीन परिचर्या उपस्कर जैसेः–

(क) पुनर्जीवन उपस्कर जैसे –

(एक) पोर्शन सक्शन यूनिट; पोर्टेबल ऑक्सीजन इकाई;

(दो) बैग – वाल्व–मुखौटा, हाथ से हस्तचालित कृत्रिम;

(तीन) वेंटिलेशन इकाई;

(चार) वायुमार्ग; मुंह की थैलियाँ; ट्रेकिटोमाइएडेप्टर;

(पाँच) शार्ट स्पाइन बोर्ड, प्रशासन इकाई के साथ आईवी तरल पदार्थ; तथा

(छः) बी0पी0 मैनोमीटर; काग; स्टेथस्कोप;

(ख) स्थिरीकरण उपस्करः–

(एक) लंबे और छोटे गद्देदार बोर्ड तार सीढ़ी स्प्लिंट्स; तथा

(दो) त्रिकोणीय पट्टीय लंबे और छोटे स्पाइन बोर्ड।

(ग) ड्रेसिंग जैसेः–

(एक) गेज पैड –4''x4'' यूनिवर्सल ड्रेसिंग 10''x36'';

(दो) एल्यूमीनियम पन्नी का रोल; नरम रोलर पट्टियाँ 6''x5'' गज; 3'' रोल में चिपकने वाला टेपय सुरक्षा पिन; तथा

(तीन) पट्टी चादरें; बर्न शीट;

(घ) विषाक्तता से निपटने के लिए विषाक्तता उपकरण जैसेः–

(एक) इपेके का सिरपय कोडीवेटेड चारकोल प्रीपैक्ड खुराक में सर्प दंश किट; और

(दो) पेय जल;

(ङ) आवश्यकता के अनुसार आपातकालीन दवाएं (केवल अर्ह चिकित्सक की सलाह के अधीन)।

धारा 85 की उपधारा (ग) के अधीन विसंदूषण सुविधाएं

143– खतरनाक कार्य करने वाले प्रत्येक कारखाने में आपात स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए जाएंगेः–

(क) पूर्णतः सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स;

(ख) कर्मचारियों द्वारा धोने के साथ-साथ खतरनाक और संक्षारक पदार्थ से संदूषित कर्मचारियों के कपड़ों को भिगोने के लिए पानी के आसानी से सुलभ साधन; और ऐसे साधन नीचे सारणी में दर्शाए गए मान के अनुसार होंगेः

किसी भी समय नियोजित व्यक्तियों की संख्या	धोने वाले शावरों की संख्या
(एक) 50 कर्मचारियों तक	2
(दो) 51 से 200 कर्मचारियों के मध्य	प्रत्येक अतिरिक्त 50 या उसके हिस्से के लिए 2+1
(तीन) 201 से 500 कर्मचारियों के मध्य	प्रत्येक अतिरिक्त 100 या उसके हिस्से के लिए 5+1
(चार) 501 कर्मचारी और उससे अधिक।	प्रत्येक अतिरिक्त 200 या उसके हिस्से के लिए 8+1।

(ग) आसुत जल या उपयुक्त तरल से भरी पर्याप्त संख्या में आई वॉंश बोतलें,जो बक्सों या अलमारियों में सुविधाजनक रूप से और एक विशिष्ट संकेत द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित की जाती हों जो सदैव आसानी से उपलब्ध हों।

धारा 85 की उपधारा (ग) के अधीन कर्मचारियों को स्वास्थ्य अभिलेख उपलब्ध कराया जाना

144–(1) प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी, जिसमें ''परिसंकटमय प्रक्रिया'' संचालित की जाती है, कर्मकार द्वारा परिसंकटमय प्रक्रिया के प्रति अनावरण के अभिलेख सहित या जैसा भी मामला हो, किसी कर्मकार के चिकित्सीय अभिलेख निम्नलिखित शर्तों के अधीन उसके परिशीलन हेतु सुलभ बनायेगाः–

(क) प्रत्येक छह महीने में एक बार या चिकित्सा परीक्षण के तुरंत बाद, जो भी पहले हो;

(ख) यदि कारखाना चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, की राय है कि कर्मकार में संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी ध्यान देने योग्य बीमारी के स्पष्ट संकेत और लक्षण हैं;

(ग) यदि कर्मकार नियोजन छोड़ देता है;

(घ) यदि निम्नलिखित में से कोई एक प्राधिकारी है, तो निदेश देः–

(एक) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता;

(दो) केन्द्रीय या राज्य सरकार का स्वास्थ्य प्राधिकारी;

(तीन) कर्मकार प्रतिकर आयुक्त;

(चार) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम;

(पाँच) निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा प्रसुविधा); तथा

(छह) महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान।

(2) परिसंकटमय प्रक्रिया के संपर्क में आए कर्मचारियों के रिकॉर्ड अभिलेख सहित अद्यतन स्वास्थ्य अभिलेख की एक प्रति, या, जैसा भी मामला हो, चिकित्सा अभिलेख, कर्मचारी से एक आवेदन प्राप्त होने पर उसे प्रदान किया जाएगा। एक्स–रे प्लेट और अन्य चिकित्सा नैदानिक रिपोर्ट भी उनके चिकित्सक के संदर्भ के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है।

धारा 88 के अधीन रासायनिक और विषैले पदार्थों के संपर्क की अनुमेय सीमाएं

145–किसी भी कारखाने में विनिर्माण प्रक्रियाओं (चाहे परिसंकटमय या अन्यथा) में रासायनिक और विषैले पदार्थों के संपर्क की अधिकतम अनुमेय सीमा अनुसूची–सैंतीस में दिए गए मूल्य की होगी।

धारा 90 के अधीन अपील

146–निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा किए गए आदेश से व्यथित किसी भी कारखाने का अधिभोगी, आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर आदेश पर आपत्ति के आधारों को संक्षिप्त रूप से निर्धारित करते हुए और न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की अनुसूची दो के अनुच्छेद 11 के अनुसार कोर्ट–फीस स्टैम्प धारण करते हुए, अपील कर सकता है, और इसके साथ श्रम आयुक्त को अपील किए गए आदेश की एक प्रति के साथ किया जाएगा, जो दोनों पक्षों को सुनने का अवसर देने के बाद, अपील का यथासंभव शीघ्रता से निपटान करेगाः

परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील पर विचार कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

धारा 91 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन पर्यवेक्षणीय, प्रबंधकीय अथवा गोपनीय पद धारण करने वाले व्यक्ति

147–(1) चीनी कारखानों के अलावा कारखानों में निम्नलिखित व्यक्तियों को पर्यवेक्षण या प्रबंधन के पदों पर माना जाएगा, परन्तु यह कि उन्हें अपने कर्तव्यों के नियमित भाग के रूप में शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता न होः–

(क) प्रबंधक;

(ख) श्रम अधिकारी;

(ग) सुरक्षा अधिकारी;

(घ) तकनीकी विभाग के प्रमुख;

(ङ) अभियन्ता;

(च) पर्यवेक्षक;

(छ) शिफ्ट अधिकारी;

(ज) शिफ्ट प्रभारी;

(झ) प्रधान भंडारपाल परन्तु यह कि वे मात्र पर्यवेक्षकीय क्षमता में नियोजित हों; तथा

(ञ) कोई अन्य व्यक्ति, जो राज्य सरकार की राय में पर्यवेक्षण या प्रबंधन का पद धारण करता हो और उसके द्वारा आदेश के माध्यम से लिखित रूप में घोषित किया जाय।

(2) चीनी कारखानों में, निम्नलिखित व्यक्तियों को पर्यवेक्षण या प्रबंधन के पद धारण करने वाले समझे जायेंगेः –

(क) महाप्रबंधक;

(ख) प्रबंधक;

(ग) मिल सचिव;

(घ) गन्ना प्रबंधक;

(ङ) गन्ना अधीक्षक, जहां गन्ना प्रबंधक न हो;

(च) मुख्य रसायनज्ञ;

(छ) श्रम कल्याण अधिकारी;

(ज) मुख्य अभियंता;

(झ) प्रबंध एजेंट का सचिव या महाप्रबंधक का निजी सहायक;

(ञ) गन्ना विकास अधिकारी;

(ट) वाणिज्यिक विभाग के प्रमुख, जैसे लेखा, क्रय, भण्डारण कानूनी खानपान, आदि; और

(ठ) कोई अन्य व्यक्ति, जो राज्य सरकार की राय में, पर्यवेक्षण या प्रबंधन का पद धारण करता हो और उसके द्वारा आदेश के माध्यम से लिखित रूप में घोषित किया जाय।

(3) व्यक्ति किसी कारखाने में गोपनीय पद धारित करने वाले समझे जायेंगेः–

(क) स्टेनोग्राफर;

(ख) निजी सहायक;

(ग) निजी सचिव;

(घ) कार्यालय अधीक्षक;

(ङ) प्रधान लिपिक, जहां कोई कार्यालय अधीक्षक न हो;

(च) प्रधान मुनीम जहां कोई कार्यालय अधीक्षक या प्रधान लिपिक न हो;

(छ) प्रधान लेखाकार;

(ज) प्रधान रोकड़िया;

(झ) रोकड़िया;

(ञ) प्रधान समय पाल;

(ट) टेलीफोन आपरेटर;

(ठ) रिसेप्शनिस्ट; और

(ड) कोई अन्य व्यक्ति, जो राज्य सरकार की राय में, एक गोपनीय पद धारित करता हो और इस प्रकार उसके द्वारा एक आदेश के माध्यम से लिखित रूप में घोषित किया जाय।

(4) उपनियम (1), (2) और (3) में उल्लिखित समस्त व्यक्तियों की सूची को प्रपत्र-51 में एक रजिस्टर में रखी और अनुरक्षित की जायेगी।

(5) सतत प्रक्रिया कारखानों के लिए, 26 और 27 के उपबंधों और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली को अनुसूची दो में विहित सीमा तक छूट दी जाएगी।

धारा 133 की उपधारा (2) के खंड (ययथ) के अधीन निरीक्षण पुस्तिका

148–(1) प्रत्येक कारखाने का नियोजक या प्रबंधक इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा एक निरीक्षण पुस्तिका बनाए रखेगा। प्रत्येक निरीक्षण नोट तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा।

(2) अधिभोगी/नियोक्ता निरीक्षण पुस्तिका में प्रपत्र-45 को अद्यतन रखेगा।

धारा 133 की उपधारा (2) के खंड (ययथ) के अधीन निरीक्षण का अभिलेख

149–निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या चिकित्सा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय पाए गए सभी दोषों और अनियमितताओं का एक नोट, उसके द्वारा नियम 148 के अधीन बनाई गई निरीक्षण पुस्तिका में तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा, जिसमें संहिता और नियमों की प्रासंगिक धाराओं का संदर्भ दिया जायेगा, जिनका उल्लंघन किया गया है।

भाग–छह

बागान

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निवास–स्थान

150–(1) प्रत्येक नियोक्ता बागान में रहने वाले प्रत्येक कर्मकार और उसके परिवार के लिए कार्यस्थल के यथा सम्भव यथा निकट किराया मुक्त निवास–स्थान सुविधा प्रदान करेगा। नियोक्ता इस बात के लिए स्वतन्त्र रहेगा कि वह ऐसी आवास सुविधा अनेक वर्षों के प्रक्रम में उपबंधित करे, परन्तु यह कि प्रत्येक वर्ष कम से कम पच्चीस प्रतिशत निवासी कर्मकारों के लिए भवन निर्मित किए जाएं।

(2) बागान में कर्मकारों के लिए सभी निवास–स्थानों में महिला कर्मकारों के लिए पृथक कमरे होंगे। ताजी हवा के संचलन द्वारा पर्याप्त वेंटिलेशन को सुरक्षित करने और बनाए रखने के लिए प्रत्येक कमरे में प्रभावी और उपयुक्त प्रावधान किए जाएंगे और पर्याप्त और उपयुक्त प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी और बनाए रखी जाएगी। कमरे या अन्य उपयुक्त वैकल्पिक आवास ऐसे आयामों के होंगे ताकि कमरे का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए रसोई और शौचालय के क्षेत्र को छोड़कर, कम से कम दस वर्ग मीटर का फर्श क्षेत्र प्रदान किया जा सके। आवास का निर्माण इस तरह से किया जाएगा कि गर्मी, हवा, बारिश से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता हो और इसमें चिकनी, कठोर और अपारगम्य फर्श की सतह हो।

(3) निवास–स्थान शुष्क और नमी रहित भूमि पर उपलब्ध करायी जायेगी, जो बागान से संगत दूरी पर होगी और युक्तियुक्त दूरी के भीतर स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति से युक्त होगी। मलेरिया वाले क्षेत्रों में आवास, दलदलों और जल भराव से उचित दूरी पर एवं उच्चतम बाढ़ स्तर से ऊपर वाले क्षेत्र में प्रदान किया जायेगा।

(4) निवास–स्थान उपलब्ध कराये जाने वाले क्षेत्र में और आसपास पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी।

(5) नियोक्ता उस क्षेत्र में स्थित मकानों तक पहुँचने वाली सड़कों और रास्तों के साथ साथ उस क्षेत्र में सीवर और नालियों को भी अच्छी स्थिति में बनाए रखेगा।

(6) नियोक्ता बागान के उन हिस्सों में जनता को निःशुल्क पहुंच से वंचिन नहीं करेगा जहां कर्मकारों को आवासित किया गया है।

(7) नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी घरों के आसपास के क्षेत्र को कचरे और मलमूत्र से मुक्त रखा जाय और शौचालयों और नालियों को दैनिक रूप से साफ किया जाए और उनके अंदर या आस–पास के सभी कचरे को एकत्र करने, हटाने और स्वच्छतापूर्वक निपटारा कराया जाए।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आवासीय योजना

151–(1) इन नियमों के प्रकाशन के दिनांक से छह महीने के भीतर, प्रत्येक बागान के नियोक्ता अनिवार्य रूप से आवास प्रदान करेगा और कर्मकारों के लिए आवास के उपलब्ध के सम्बंध में एक योजना के अनुमोदन के लिए मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत करेगा, जो अपनी टिप्पणियों क साथ इस तीस दिनों के भीतर अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य सरकार तीन महीने की अवधि के भीतर नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित आवास योजना पर निर्णय लेगी।

(2) इस योजना में निम्नलिखित विषयों का उपबंध होगाः–

(क) उस अवधि का विनिर्देश जिसके दौरान बागान में सभी निवासी कर्मकारों के सम्बन्ध में निवास–स्थान उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। ऐसी अवधि नियम 150 में निर्दिष्ट अवधि के बाद की नहीं होगी;

(ख) आवासों के निर्माण के लिये अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्तावित अभिकल्प का प्रकार, ऐसा अभिकल्प ऐसे मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप होः जैसाकि राज्य सरकार द्वारा उपनियम (1) अधीन अनुमोदित किया जायें;

(ग) कर्मकारों के आवासों के रूप में उपयोग के लिए निर्माण या पुनः प्रतिदर्श तैयार किए जाने वाले अवासों की समय-सीमा योजना और स्थल योजना दो प्रतियों में।

(3) समस्त आवासों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित योजना के अनुसार किया जायेगा।

(4) अनुमोदित योजना के अनुसार आवास उपलब्ध कराने में हुई प्रगति को दर्शाने के उद्देश्य से प्रत्येक नियोक्ता प्रत्यक वर्ष 31 जुलाई तक मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता को प्रपत्र-52 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन मकानों का अनुरक्षण

152–(1) नियोक्ता अपने स्वयं के खर्च पर समय-समय पर आवश्यक आवासों की मरम्मत करवाएगा और आवासों उपयुक्त और सुरक्षित स्थिति में अनुरक्षित करेगा।

(2) आवास अध्यासित करने वाला कर्मकार और संहिता एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन नियुक्त निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, ऐसे किसी भी आवास, जो कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो, की दशा में हुई किसी त्रुटि की सूचना नियोक्ता को देगा। जहाँ कोई निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता इस तरह के दोषों को संज्ञान में लाता है, तो यह नियोक्ता का कर्तव्य होगा कि वह बिना किसी देरी के उन्हें सुधारे।

(3) नियोक्ता प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार आवासों की चूने से पुताई कराएगा और सभी दरवाजे खिडकियाँ और अन्य लकड़ी के ढांचे को तीन साल में एक बार वार्निश या पेंट कराएगा। राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नियोक्ता द्वारा ऐसे दिनांकों को अभिलिखित करेगा जिस पर चूना पुताई या पेंटिंग की गई थी।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आवासों का आवंटन और अधिभोग

153–(1) अपने बागान में रहने वाले कर्मकारों और उनके परिवारों को प्रदान किए गए आवास के लिए नियोक्ता द्वारा कोई किराया नहीं लिया जाएगा।

(2) श्रमिक कर्मकार और उसके परिवार के उपयोग के लिए आवास, परिवार युक्त कर्मकार व एक आवास के आधार पर घर आवंटित किए जाएंगेः

परन्तु यह कि यदि किसी परिवार में दो या दो से अधिक कर्मकार श्रमिक हैं तो ऐसे किसी भी परिवार के सम्बंध में परिवार में किसी भी श्रमिक कर्मकार के नाम पर केवल एक घर आवंटित किया जाएगाः

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे कर्मकार की सेवाओं की समाप्ति के मामले में, जिसके नाम पर पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन मकान आबंटित किया गया है, वह मकान उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर आवंटित किया जाएगा जो कर्मकार है।

(3) नियोक्ता उन कर्मकारों को आवास आवंटित कर सकता है जिनके परिवार नहीं है, ऐसे अनधिक चार कर्मकारों के लिए एक आवास की दर से आवास आवंटित कर सकता है।

(4) किसी आवास का अधिभोगी आवास में कोई अनधिकृत परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा।

(5) नियोक्ता की लिखित अनुमति के बिना दूसरे अन्य आवास के अधिभोगी के साथ आवास का आदान–प्रदान नहीं करेगा।

(6) अधिभोगी किसी भी व्यक्ति को घर या उसके किसी हिस्से को किराए पर नहीं देगा।

(7) आवास में रहने वाले सभी कर्मकार और उनके परिवार के सदस्य उपबंधित किए गए शौचालयों का उपयोग करेंगे और मिट्टी को प्रदूषित नहीं करेंगे और घरों और उसके परिसर को साफ सुथरा रखेंगे और पीने के पानी को बर्बाद नहीं करेंगे।

(8) रहने वाले कक्षों या बरामदे में कोई मवेशी या बकरियाँ नही रखी जाएगी और कोई खिडकी या हवादार स्थान अवरूद्ध नही किया जाएगा।

(9) नियोक्ता, ऐसे प्रत्येक कर्मकार, जिसे निवास–स्थान सुविधा प्रदान की गयी है, ऐसे आवास के अधिभोग को नियंत्रित करने वाली शर्तो को लिखित रूप में ऐसी भाषा में सूचित किया जाएगा जिसे कर्मकार समझ सकें।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नियोजन समाप्त होने के पश्चात् वास सुविधा का अधिभोग

154–(1) जब किसी कर्मकार की नियोक्ता की सेवा में मृत्यु हो जाती है या अंतरण पर जाता है, या त्याग-पत्र देता है, या अवकाश पर जाता है, या जब उसकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं, तो वह या उसका परिवार नीचे दी गई विस्तृत अवधि तक आवास प्रतिधारित कर सकता है:–

(क) मृत्यु, अंतरण या सेवा की समाप्ति के मामले में अनधिक दो माह की अवधि के लिए;

(ख) सेवानिवृत्ति या त्याग पत्र के मामले में अनधिक एक माह की अवधि तक के लिए;

(ग) अवकाश के मामले में अवकाश की अवधि के लिए; और

(घ) ऐसे मामले में जहां किसी कर्मकार को सेवा उन्मोचन या पदच्युति के परिणाम स्वरूप औद्योगिक विवाद होता है, जब तक कि मामले का अंतिम रूप से निपटारा नही किया जाता है।

(2) यदि, उस क्षेत्र के अधिकारिता वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को दिए गए आवेदन पर, जहां ऐसे निवास–स्थान स्थित है, तो निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाता है कि कोई कर्मकार या उसके परिवार का कोई सदस्य उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात ऐसे कर्मकार को आवंटित घर को खाली करने से इनकार करता है, तो वह तामील की गई सूचना द्वारा,–

(क) डाक द्वारा; या

(ख) बाहरी दरवाजे या ऐसे आवास के किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर इसकी एक प्रति चिपकाकर; या

(ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) के अधीन विहित सूचना की तामील के किसी अन्य माध्यम द्वारा ऐसे कर्मकार या उसके परिवार के किसी सदस्य या आवास के सम्पूर्ण अथवा किसी भाग के अधिभोग में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात ऐसी सूचना की तामील की तारीख से एक माह के भीतर आवास रिक्त करने का आदेश पारित करेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन आदेश का अनुपालन करने में कर्मकार या आवास का अधिभोगी अन्य व्यक्ति की विफलता की स्थिति में, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता ऐसे कर्मकार, सदस्य या अन्य व्यक्ति को आवास से बेदखल करने के लिए क्षेत्र पर अधिकारिता वाले उप–जिला मजिस्ट्रेट की रेंक से नीचे के अधिकारी को लिखित अनुरोध कर सकता है।

(4) उपनियम (3) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर, उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट उप–जिलामजिस्ट्रेट निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा पारित आदेश का निष्पादन करेगा और ऐसे सदस्य या अन्य व्यक्ति की बेदखली सुनिश्चित करेगा और आवास का कब्जा नियोक्ता को सौंप देगा। उप–जिलामजिस्ट्रेट इस प्रयोजन के लिए, ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो सकता हैः

परन्तु यह कि बेदखली के ऐसे आदेश को निष्पादित करने से पूर्व, बेदखली के आदेश की एक प्रति कर्मकार या परिवार के किसी सदस्य या उक्त आवास के अधिभोगी वाले किसी अन्य व्यक्ति को दी जाएगी।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन पेयजल

155–(1) पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति, प्रत्येक बागान के प्रत्येक कार्यस्थल पर कार्य समय की अवधि में हर समय उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) पेयजल की आपूर्ति किसी भी खुले कुएं या जलाशय से तब तक नही की जाएगी जब तक कि यह हस प्रकार निर्मित स्थित, संरक्षित या अनुरक्षित न किया गया है जिससे वह रासायनिक या बैक्टीरियल और वाह्य अशुद्धियों से प्रदूषण की संभावना से मुक्त हो सके।

(3) जहाँ पेयजल ऐसे कुएँ या जलाशय से आपूर्ति किया जाये, उसमें स्थित जल का, निरीक्षण–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा लिखित आदेश द्वारा अपेक्षित आवधिक रूप से विसंक्रमण किया जायेगा और जिस तारीख को ऐसा विसंक्रमण किया जाए, उसका अभिलेख रखा जायेगाः

परन्तु यह कि यह अपेक्षा ऐसे कुएं या जलाशय पर लागू नही होगी यदि उसमें मौजूद समिति पानी को उपभोग के लिए आपूर्ति करने से पूर्व निष्यंदन या उपचारित किया गया हो।

(4) निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता लिखित आदेश द्वारा, नियोक्ता को निदेश दे सकता है कि वह स्वास्थ्य अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी से कर्मकारों को आपूर्ति किए जाने वाले पानी की मानव उपभोग्यता के सम्बंध में किसी भी समय या अंतराल पर रिपोर्ट प्राप्त करें और प्रत्येक मामले में स्वास्थ्य अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होते ही उसकी एक प्रति निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत करेगा।

(5) पेयजल की आपूर्ति कार्य स्थलों पर पानीवालों या टैंकरों आदि के माध्यम से सुविधाजनक रूप से सुलभ स्थानों पर की जाएगी।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन मूत्रालय की सुविधा

156–(1) प्रत्येक बागान में खेती के अधीन प्रत्येक पांच एकड़ क्षेत्र या उसके भाग के लिए एक मूत्रालय के पैमाने पर शौचालय सुविधा प्रदान की जायेगीः

परन्तु यह कि किसी भी लिंग के लिये कम से कम एक शौचालय होना चाहिए।

(2) शौचालय सुविधाजनक रूप से स्थित होगा और उसमें प्रत्येक लिंग के लिए अनन्य पहुँच होगी।

(3) प्रत्येक शौचालय और मूत्रालय की दीवारों, छतों और विभाजनों को सफेदी और रंगाई पुताई और सफेदी या रंगाई को प्रत्येक चार महीने की अवधि में कम से कम एक बार दोहराया जाऐगा।

(4) शौचालय सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए एक कुशल जल जनित सीवेज प्रणाली से जुड़े शौचालयों के अलावा अन्य शौचालय लोक स्वास्थ्य प्राधिकरणों की अपेक्षा के अनुरूप होना चाहिए।

(5) प्रत्येक शौचालय ढका हुआ होगा और इस प्रकार विभाजित होगा कि गोपनीयता बनी रहे और उसमें समुचित दरवाजे और सिटकिनियाँ लगी होगी।

(6) जहां दोनों लिंग के कर्मकार कार्यरत हैं, वहां प्रत्येक शौचालय या शौचालय ब्लॉक के बाहर, हिंदी में एक नोटिस और अधिकांश श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में 'केवल पुरुषों के लिए' या 'केवल महिलाओं के लिए', जैसा भी मामला हो, प्रदर्शित किया जाएगा। नोटिस में एक पुरुष या एक महिला की आकृति भी होगी, जैसा भी मामला हो।

(7) जहां पाइप से पानी की आपूर्ति उपलब्ध है, ऐसे शौचालय में या उसके आस–पास पर्याप्त संख्या में पानी के नल उपलब्ध कराए जाएंगे, जो आसानी से सुलभ होंगेः

परन्तु यह कि यदि पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध न हो तो पर्याप्त मात्रा में पानी शौचालयों के पास उपयुक्त पात्रों में संग्रहित किया जाएगा।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन मूत्रालय सुविधा

157–(1) मूत्रालय सुविधा प्रत्येक दो एकड़ के क्षेत्र या उसके आंशिक भाग के लिए एक मूत्रालय के पैमाने के आधार पर प्रदान की जाएगी। मूत्रालय पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सुविधाजनक रूप से स्थित होंगे और किसी भी लिंग के लिए अनन्य होंगे।

(2) मूत्रालय लोक स्वास्थ्य की अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए, एक कुशल जल जनिक सीवेज प्रणाली से जुडे मूत्रालयों के अलावा अन्य मूत्रालय लोक स्वास्थ्य प्राधिकरणो की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नालियों का निर्माण एवं उनका अनुरक्षण

158–अपशिष्ट या मल–जल का वहन करने वाली समस्त नालियों का निर्माण, पक्की चिनाई या अन्य सुदृढ़ सामग्रियों से किया जाएगा और नियमित रूप से उनकी सफाई की जाएगी तथा उत्प्रवाहों का निस्तारण उपयुक्त जल निकासी व्यवस्था वाली नालियों से संयोजित करके किया जायेगाः

परन्तु यह कि जहां ऐसी जल निकासी लाईन नही है, वहां बहिःस्राव को दुर्गंध रहित और अहानिकर बनाया जाएगा और फिर स्वास्थ्य अधिकारी के समाधान के अनुसार उपयुक्त रीति से निपटाया जाएगा।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन शिशु सदन

159–(1) प्रत्येक बागान में जिसमें तीस या अधिक महिला कर्मकार नियोजित या पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन नियोजित थी, नियोक्ता को इस नियमावली में निर्धारित मानकों के अनुसार उनके छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए एक या एक से अधिक शिशु सदन उपलब्ध कराने और अनुरक्षित करने होंगे।

(2) प्रत्येक शिशु सदन उसमें आवासित शिशु सदन की माताओं के लिए सुविधाजनक रूप से सुलभ होगा।

(3) प्रत्येक बालक के लिए एक शिशु सदन रखे जाने हेतु 15 वर्ग फुट से कम फर्श क्षेत्र नहीं होना चाहिए।

(4) जिस भवन में शिशु सदन स्थित है वह अच्छे तल के साथ मजबूती से निर्मित होगा।

(5) शिशु सदन भवन की योजना मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा निर्धारित मानक योजना या योजनाओं के अनुसार होगीः

परन्तु यह कि जहां कोई मानक योजना निर्धारित नहीं की गई है या जहां मानक योजना से विचलित होने का प्रस्ताव है, वहां मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(6) शिशु सदन को दो साल से कम उम्र के प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त फर्नीचर और एक पालने से सुसज्जित किया जाएगा।

(7) बड़े बालकों के लिए उपयुक्त बाड़ और छायादार खुले क्रीड़ा स्थल का मैदान प्रदान किया जाएगा।

(8) नियोक्ता नियुक्त करेगा–

(क) एक महिला को शिशु सदन प्रभारी के रूप में, जो बच्चों की माताओं की अनुपस्थिति के दौरान उनकी देख–भाल करेगी, जो ऐसी अर्हतायें और प्रशिक्षण धारण करेंगी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो; और

(ख) उक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पैमाने पर अन्य कर्मचारिवृंद।

(9) शिशु सदन में या पार्श्व में एक उपयुक्त स्नानगृह तथा शौचालय होगा।

(10) प्रत्येक ऐसे दिन, जिस दिन कोई बालक शिशु–सदन में रखा जाता है, प्रत्येक बालक के लिए, जहाँ तक संभव हो, कम से कम आधा पिंट स्वच्छ शुद्ध दूध, अन्यथा चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमोदित मिल्क–पाउडर उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे बालक की माता को अपने दैनिक कार्य के दौरान शिशु सदन में जाकर बालक को स्तनपान कराने के लिए पर्याप्त समय के दो अंतरालों की अनुमति दी जायेगी। दो वर्ष से अधिक आयु के बालको के लिए, उपरोक्त के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्यप्रद जलपान उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) शिशु सदन के कर्मचारीवृंद को शिशुसदन के कर्तव्य के दौरान उपयुक्त स्वच्छवस्त्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) प्रत्येक बालक के लिए, जब तक वह बालक शिशुसदन में रहे, स्वच्छवस्त्रों, साबुन और तेल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी।

(13) उपरोक्त उल्लिखित उपनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियोक्ताओं का समूह संयुक्त रूप से शिशु सदन उपलब्ध करायेगा और उसका अनुरक्षण करेगा और उसके व्ययों को साझा करेगा।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन श्रमिकों के बालकों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं

160—(1) प्रत्येक नियोक्ता, यदि उसके बागान में 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच के कर्मकारों के बालकों की संख्या 25 से अधिक है, तो बालकों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय या विद्यालयों उपलब्ध और अनुरक्षण करना होगाः

परन्तु यह कि नियोक्ता प्राथमिक विद्यालय का उपबंध और अनुरक्षण नहीं करेगा यदि बगान में कर्मकारों के आवास स्थल से एक मील की दूरी के भीतर राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय के प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन बच्चों को निःशुल्क प्रथामिक अथवा उच्च स्तर की शिक्षा देने का कोई विद्यालय जिसमें बागान के कर्मकारों के छः वर्ष से बारह वर्ष तक के बालकों को प्रवेश देने के लिए पर्याप्त सीट उपलब्ध हो, स्थित है अथवा उसे प्रमाथिक शिक्षा हेतु किसी अन्य विधि के अधीन उपकर या कर देना अपेक्षित होः

परन्तु यह कि इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, नियोक्ताओं के समूह को संयुक्त रूप से एक प्राथमिक विद्यालय का उपबंध और अनुरक्षण कराना होगा और उसके खर्चों को साझा करेगा।

(2) इन नियमों के अधीन स्थापित और अनुरक्षित किया जाने वालों प्रत्येक विद्यालय कर्मकारों के आवासों से एक मील की दूरी के भीतर सुविधाजनक रूप से स्थित होगा।

(3) विद्यालय भवन का निर्माण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक योजना या योजनाओं के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां कोई मानक योजना नहीं है या जहां मानक योजना से विचलित होने का प्रस्ताव है, वहां विद्यालय भवन की योजना के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(4) जहां पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, वहाँ विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए उपयुक्त उपकरणों के साथ एक खेल का मैदान भी उपलब्ध किया जाएगा।

(5) नियोक्ता या नियोक्तागण, जैसा भी मामला हो, इस नियमावली के अधीन अनुरक्षित प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए ऐसे शैक्षिक और अन्य उपकरणों का उपलब्ध करेंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए।

(6) सम्बंधित नियोक्ता या नियोक्तागण प्राथमिक विद्यालय में जाने वाले प्रत्येक चालीस बालकों के लिए एक शिक्षक नियुक्त करेंगे। शिक्षक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित अर्हतायें धारित करेगें:

परन्तु यह कि किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो इस नियमावली के प्रारम्भ में बागान में स्कूल शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा है, राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसाकि वह विनिर्दिष्ट करे, किसी भी अर्हता में छूट दे सकेगी।

(7) प्राथमिक विद्यालय में प्रदान किए जाने वाले शिक्षा के पाठ्यक्रम का पाठ्य विवरण, अवधि, पाठ्यचर्या और स्तर ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(8) प्राथमिक विद्यालय में आने वाले कर्मकारों के बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन स्वास्थ्य सुविधाएं

161—बागान कर्मकार को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उसी रूप में उपलब्ध करायी जाऐगीं जैसाकि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा स्वास्थ और परिवार कल्याण विभाग के परामर्श से समय—समय पर अधिसूचित किया जाए।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (ड.) के अधीन आमोद–प्रमोद सम्बन्धी सुविधाएं

162–(1) प्रत्येक नियोक्ता प्रबंध और अनुरक्षण करेगाः–

(क) वयस्क और बाल कर्मकारों के लिए उपयुक्त इनडोर खेलों के उपबंध के साथ कर्मकारों के लिए एक या एक से अधिक मनोरंजन केंद्र या केंद्र;

(ख) जहां उचित दूरी के भीतर पर्याप्त समतल खुली जगह उपलब्ध है, बाह्य खेलों के लिए आवश्यक खेल उपकरण के साथ वयस्क और बाल कर्मकारों के लिए एक खेल का मैदान या खेल के मैदानः

परन्तु यह कि इस नियमावली के उपबंधों के अध्यधीन, नियोक्ताओं का एक समूह मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के अनुमोदन से, संयुक्त मनोरंजन केंद्र और खेल के मैदान उपलब्ध कर सकता है और उसे अनुरक्षित कर सकता है और अपने खर्चों को साझा कर सकता है।

(2) इस नियमावली के अधीन उपबंधित और अनुरक्षित किये जाने वाला प्रत्येक आमोद–प्रमोद केंद्र यथासंभव कर्मकारों के आवास गृहों के समीप सुविधाजनक रूप से स्थित होगा।

धारा 93 की उपधारा(2) के अधीन बागान में परिसंकटमय रसायनों, कीटनाशकों, नाशकजीवमार और विषैले पदार्थों का उपयोग और हैण्डलिंग

163–(1) कोई भी किशोर कर्मकार किसी भी गतिविधि या कार्य में नियोजित नहीं होगा, जहां उन्हें परिसंकटमय रसायनों, नाशकजीवमारों, कीटनाशकों, परिसंकटमय पदार्थों और अन्य विषैले पदार्थों के उपयोग, हैण्डलिंग, भंडारण और परिवहन के संपर्क में आने की संभावना होः

परन्तु यह कि महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन काम करने के लिए उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता हैः –

(क) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) उपबंधिक करने के लिए अधिभोगी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानको को अपनाया जाएगा;

(ख) जहां तक संभव हो, अधिभोगी समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थान को आधुनिक बनाएंगे और उपकरणों का उपयोग करेंगे;

(ग) स्तनपान कराने वाली महिला कर्मकारों को रोजगार से छूट दी जाएगी।

(2) नियोक्ता नियम 75 के अधीन विहित बागान की किसी भी गतिविधि या कार्य में लगी सभी महिलाओं और किशोर कर्मकारों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करेगा और इस नियमावली के नियम 75 में उल्लिखित अभिलेख रखेगा।

धारा 93 की उपधारा(3) के अधीन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और अर्हता

164–(1) धारा 93 की उपधारा(3) के प्रयोजनों के लिए, नियोक्ता एक या एक से अधिक व्यक्तियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करेगा, जिनके पास अपने बागान में कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के उपयोग, संचालन, भंडारण और परिवहन की निगरानी करने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होंगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त पर्यवेक्षकों के पास निम्नलिखित अर्हताए होंगी, अर्थातः–

(क) वह कृषि या किसी विज्ञान में स्नातक होगा या उसके पास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा संचालित रसायनों और विषैले पदार्थों के प्रबंधन पर एक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम होगा या विधि के अधीन स्थापित और मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान की गई समकक्ष डिग्री होगी;

(ख) उसे एक नाम निर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण दिया जाएगा; तथा

(ग) उसके पास कर्मकारों को प्राथमिक चिकित्सा उपचार देने के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस) या सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से वैध प्रमाण-पत्र भी होना चाहिए।

(3) पर्यवेक्षक करेगा–

(क) स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों पर नियोक्ता को सलाह देना;

(ख) उपस्करों, रसायनों, कीटनाशकों आदि के भंडारण के लिए जिम्मेदार होना;

(ग) उपरोक्त प्रक्रिया में शामिल रसायनों, कीटनाशकों और कर्मियों के समन्वय और परिवहन के लिए जिम्मेदार होना;

(घ) कीटनाशक छिड़काव के उपयोग के कारण रसायनों से सम्बंधित किसी भी घटना और/या दुर्घटना की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होना;

(ड.) श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों के साथ अच्छे सम्बंध सुनिश्चित करना;

(च) रसायनों का सही उपयोग और उसके छिड़काव को सुनिश्चित करें जहां रासायनिक छिड़काव से सफाई होता है;

(छ) सुनिश्चित करें कि छिड़काव कर्मियों को सुरक्षात्मक कपड़े और धूल मास्क उपलब्ध कराया जाय और सुनिश्चित करें कि वे अपनी ड्यूटी के समय के दौरान इसका उपयोग कर रहे हैं;

(ज) सुरक्षा प्रक्रिया का सही उपयोग और गुणवत्ता छिड़काव का नियंत्रण सुनिश्चित करें;

(झ) लोगों को रखें, विशेष रूप से बच्चों को छिड़काव के संपर्क में आने के खतरे से दूर रखें;

(ञ) जारी किए जाने पर तैयार किए गए रसायनों और कीटनाशकों की मात्रा पर ध्यान दें;

(ट) बागानों के मजदूरों द्वारा रसायनों के भंडारण, उपयोग और निपटान की निगरानी करना।

धारा 93 की उपधारा(4) के अधीन कर्मकारों का प्रशिक्षण

165—नियोक्ता रसायनों, कीटनाशकों और विषैले पदार्थों के हैण्डलिंग के प्रशिक्षण का आयोजन करेगा और कर्मकारों को प्रदान किए गए उपस्करों के हैण्डलिंग में सुरक्षा सावधानियों को भी अपनाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित मामलों पर किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों की हैण्डलिंग, मिश्रण, सम्मिश्रण और प्रयोग में शामिल प्रक्रिया;

(ख) छिड़काव की गुणवत्ता और उपयोग किए गए घोल की गुणवत्ता को नियंत्रित करना;

(ग) यह देखना कि उपस्कर अच्छी तरह से अनुरक्षित कार्य के बाद साफ किए गए हो;

(घ) कीटनाशक को छिड़काव मशीन में स्थानांतरित करने की विधि;

(ड.) छिड़काव के समय लोगों, विशेष रूप से बच्चों को दूर रखना;

(च) रसायनों और कीटनाशकों को किस प्रकार संग्रहीत किया जाना है;

(छ) कीटनाशक घोल तैयार करने के लिए रसायनों को मिलाने का तरीका;

(ज) छिड़काव के समय सुरक्षात्मक वस्त्र और मास्क का उपयोग;

(झ) विभिन्न कार्यों में निहित खतरों पर प्रशिक्षण;

(ञ) कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के रिसाव के सम्बंध में प्रक्रिया।

धारा 93 की उपधारा(5) के अधीन बागान कर्मकारों की स्वास्थ्य परीक्षा

166—(1) बागान का प्रत्येक नियोक्ता उन सभी कर्मचारियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण की व्यवस्था करेगा, जो नाशकजीवमार, कीटनाशकों रसायनों और विषैले पदार्थों के संपर्क में आते हैं, जिनका बागान में उपयोग नियंत्रण, भंडारण और परिवहन में किया जाता है, जिसे अनधिक नब्बे दिनों के अंतराल पर संहिता के अधीन नियुक्त चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जायेगाः

परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति में विषाक्तता के लक्षण या किसी संक्रामक रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत उसका परीक्षण किया जाएगा और उचित उपचार किया जाएगा।

(2) नियोक्ता ऐसे पदार्थों के उपयोग, हैण्डलिंग, सम्मिश्रण, भंडारण और परिवहन के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना के बारे में तुरंत मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

(3) विषाक्तता के सभी मामलों में, चिकित्सक को बुलाने से पहले सदैव प्राथमिक चिकित्सा उपचार दिया जाना चाहिए। कीटनाशक विषाक्तता के मामलों से निपटने के लिए भारतीय मानक मार्गदर्शिका भाग–एक, प्राथमिक चिकित्सा उपाय [एलएस 4015 (भाग–दो)–1967] इस विषय पर किसी भी अन्य पुस्तक के अलावा इस तरह के प्राथमिक चिकित्सा उपचार के लिए परामर्श किया जाएगा। कर्मकारों को विषाक्तता के प्रभावों और दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में भी शिक्षित किया जाएगा।

(4) छिड़काव कार्य में लगे कर्मकारों को तीन महीने की अवधि तक काम करने के बाद कर्मकारों के अन्य बैच द्वारा बदला जाएगा और प्रतिस्थापित किया जाएगा।

धारा 93 की उपधारा(6) के अधीन बागान कर्मकारों की स्वास्थ्य परीक्षा के अभिलेख

167–(1) नियम 75 और नियम 162 के अधीन आयोजित चिकित्सा परीक्षण के अभिलेख को प्रपत्र-7 के अधीन निर्धारित उपबन्धो और प्रपत्रों के अनुसार रखा जाएगा।

(2) ऐसी चिकित्सा रिपोर्ट की एक प्रति सम्बंधित कर्मकार को और प्रपत्र-7 के अधीन यथा अनुरक्षित चिकित्सा अभिलेख को उपलब्ध प्रदान की जाएगी, और नियोक्ता ऐसे उपबन्ध करेगा कि सम्बंधित कर्मकारों को इन रजिस्टरों तक आसानी से पहुंच मिल सके।

धारा 93 की उपधारा(7) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन धुलाई, स्नान और क्लॉक रूम, सुरक्षात्मक कपड़े और उपस्कर सुविधाएं

168–धुलाई, स्नान और क्लाक रूम की सुविधाएं निम्नलिखित तरीके से नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ अवस्था में और अच्छी दशा में प्रदान की जाएंगी और अनुरक्षित की जाएंगीः–

(क) एक चिकनी, अभेद्य सहत वाली नाली जिसमें प्लग सहित अपशिष्ट पाइप लगा हो, और जिसकी लंबाई इतनी हो कि एक समय मे कार्यरत प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम दो फीट जगह हो, और जिसमें नाली के ऊपर लगे नलों या जैटों से दो फीट से अधिक के अंतराल पर पानी की निरंतर आपूर्ति हो; या

(ख) किसी भी समय नियोजित प्रत्येक दस ऐसे व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वॉश बेसिन, एक अपशिष्ट पाइप और प्लग के साथ फिट और पानी की निरंतर आपूर्ति के साथ-साथ किसी भी मामले में, नेल ब्रश, साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति और साफ तौलिये दैनिक रूप से बदलते हैं;

(ग) काम के घंटों के दौरान पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए उपयुक्त आवास, जिसमें गीला होने पर कपड़ों को सुखाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। इस प्रकार प्रदान किए गए आवास को एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा;

(घ) किसी भी कर्मकार द्वारा कार्यस्थल पर या शौचालय में पान, सुपारी या तंबाकू सहित कोई भी खाद्य पदार्थ, पेय नहीं लाया जाएगा और न ही सेवन नहीं किया जाएगा;

(ङ) परिवहन या प्रयोग के दौरान कीटनाशकों को संभालने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को उपयुक्त वस्त्रों के साथ पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाएगा;

(च) विषैली धूल, वाष्प या गैसों के साँस लेने से रोकने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो उपयुक्त श्वसन उपकरणों के संयोजन में सुरक्षात्मक वस्त्रों का उपयोग किया जाएगा;

(छ) किसी भी कर्मकार को छिड़काव के लिए उपयोग प्रयुक्त रासायनिक घोल को पतला करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही ग्राउटलेट्स, धूलरोधी टोपी, हुड, चश्मे, घुटनों तक लंबा पॉलीथीन एप्रिन, रबड़ के दस्ताने, मोजे के साथ रबड़ के जूते (गम बूट्स), नाक और मुंह को ढकने के लिए नाक का मास्क या प्रक्षालित रूमाल का उपयोग किए बिना छिड़काव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ज) चश्मे के लेंस अच्छी गुणवत्ता के होंगे;

(झ) छिड़काव मशीनों के झटके को कम करने के लिए पीठ पर रबर या गलीचा–पैड का उपयोग किया जाएगा;

(ञ) छिड़काव में लगे प्रत्येक कर्मकार को हर पखवाड़े वाशिंग साबुन की एक पट्टी प्रदान की जाएगी;

(ट) छिड़काव के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, सुरक्षात्मक वस्त्र और अन्य उपस्कर का उचित अनुरक्षण किया जाएगा और जब भी आवश्यक हो तुरंत बदल दिया जाएगा।

धारा 93 की उपधारा(9) के अधीन कीटनाशकों, नाशकजीवमारों, रसायनों और विषैले पदार्थों के परिसंकटमय को दर्शाने वाली सूचना

169—बागान का प्रत्येक नियोक्ता उस स्थान पर या उसके समीप पूर्वावधानी नोटिस प्रदर्शित करेगा जहां कीटनाशकों, रसायनों और जहरीले पदार्थों को संभाला जाता है:—

(क) चौगा, दस्ताने, रबर गम—बूट और चौड़ी किनारी वाली टोपी जैसे सुरक्षात्मक वस्त्र का उपयोग करें;

(ख) कीटनाशकों और नाशकजीवमार से दूषित कपड़े न पहनें;

(ग) सुरक्षात्मक वस्त्रों को साबुन और पानी से धोकर साफ करें;

(घ) बच्चों, बीमार व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को कीटनाशकों और नाशकजीवमार को संभालने की अनुमति न दें;

(ङ) कीटनाशकों और नाशकजीवमार को संभालते समय खाना, पीना, धूम्रपान या चबाना न चाहिए;

(च) अपने मुंह से कभी भी बंद नोजल को न फूंके;

(छ) लीक होने वाले स्प्रेयर का प्रयोग न करें। त्वचा, मुंह और आंखों के संक्रमण से बचें;

(ज) खेतों में बिना देखरेख के छोड़े गए कीटनाशकों को सांस के जरिए अन्दर न लें;

(झ) कभी भी हवा के विपरीत दिशा में कीटनाशकों और नाशकजीवमार का छिड़काव न करें;

(ञ) खेतों में कीटनाशकों और नाशकजीवमार को बिना निगरानी के न छोड़े;

(ट) मनुष्यों और पशुओं को निर्माताओं द्वारा सुझाई गयी अवधि तक कीटनाशकों और नाशकजीवमार के छिड़काव वाले खेतों में प्रवेश करने की अनुमति न दें;

(ठ) कीटनाशकों और नाशकजीवमार के कंटेनरों को कुएं या बहते पानी के पास न धोएं;

(ड) उपयोग के लिए साफ पानी, साबुन और तौलिये सदैव तैयार रखें;

(ढ) काम के बाद खाने, पीने या धूम्रपान करने या चबाने से पहले हाथ और खुली त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं;

(ण) कीटनाशकों और नाशकजीवमार को भण्डारण कक्ष में ताला लगाकर रखें और बच्चों और अन्य अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच से दूर रखें;

(त) छिड़काव किये गए खेत में प्रवेश न करें। निर्माताओं द्वारा सुझाए गए शाकनाशियों सहित सभी कीटनाशकों और नाशकजीवमार के लिए पुनः प्रवेश अवधि का पालन करें;

(थ) कीटनाशकों और नाशकजीवमार को उनके मूल लेबल वाले कंटेनरों में रखें;

(द) तत्काल उपयोग को छोड़कर, कीटनाशकों और नाशकजीवमार को कंटेनरों में न डालें और न ही उन पर लेबल लगाएं;

(ध) कंटेनरों को अच्छी तरह से खाली करने और धोने के बाद सुरक्षित रूप से निपटान करें। उन्हें जल स्रोत से दूर किसी स्थान पर दफनाया जा सकता है;

(न) कंटेनर का उपयोग कभी भी किसी अन्य प्रयोजन के लिए न करें, यदि कंटेनरों से कीटनाशक और नाशकजीवमार के निशान को हटाना असंभव है।

अध्याय—दस

अपराध और शास्तियाँ

धारा 111 की उपधारा(3) के अधीन अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध अपील

170—(1) इस नियमावली के अधीन अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के समक्ष अपील कर सकता है। अधिकारी के आदेश की प्रति प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर अपील की जाएगी।

(2) अपील के साथ (प्रपत्र-57) भी संलग्न किया जाएगाः–

(क) जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है;

(ख) ऐसी अपील के अधीन लगाए गए शास्ति की राशि के पांच प्रतिशत के बराबर एक अप्रतिदेय शुल्क;

(ग) विवादित मुद्दों का एक विवरण;

(घ) दस्तावेजी साक्ष्य जिस पर भरोसा किया गया;

(ङ) चाही गयी राहत।

धारा 114 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट शमन अधिकारी द्वारा अपराधों के शमन की रीति

171–(1) राज्य सरकार द्वारा संहिता की धारा 114 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों के शमन के प्रयोजनों हेतु अधिसूचित अधिकारी, किसी ऐसे अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, जो किसी शमनीय अपराध का शमन कराना चाहता हो, प्रपत्र-53 में प्रस्तुत आवेदन पर, जाँच किए जाने से पूर्व अथवा पश्चात् अथवा, यथास्थिति, अभियोजन संस्थित किए जाने से पूर्व, संहिता की धारा 114 की उपधारा (1) के अधीन शमनीय अपराध के सम्बंध में ऐसे व्यक्ति को प्रपत्र-53(क) में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शमन सूचना जारी करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा अन्यथा, उक्त अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा तथा सूचना प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिवस के भीतर संपूर्ण शमन राशि इलेक्ट्रॉनिक अंतरण अथवा अन्य माध्यम से जमा करेगा।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, शमन राशि प्राप्त होने की तिथि से दस दिवस के भीतर, उक्त सूचना के अनुपालन में राशि जमा करने वाले व्यक्ति को शमन प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(4) यदि उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, सूचना प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर शमन राशि जमा करने में विफल रहता है तथा अभियोजन अभी तक संस्थित नहीं किया गया है, तो उसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में विधि के अनुसार अभियोजन संस्थित किया जाएगा।

(5) धारा 110 की उपधारा (1) के परंतुक तथा संहिता की धारा 114 के अधीन अपराधों के शमन सम्बंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए, सम्बंधित व्यक्ति को प्रासंगिक उपबंधों के अनुपालन का अवसर प्रदान किए बिना कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(6) जहाँ किसी अपराध के सम्बंध में न्यायालय में अभियोजन पूर्व से संस्थित किया जा चुका हो, वहाँ उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, शमन आदेश की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु सम्बंधित न्यायालय को प्रेषित करेगा।

अध्याय–ग्यारह

सामाजिक सुरक्षा निधि

धारा 115 के अधीन सामाजिक सुरक्षा निधि

172–(1) धारा 115 की उपधारा(2) के खण्ड (एक) और उपनियम (2) में उल्लिखित निधि के स्रोत के अलावा, निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त राशि निधि में जमा की जाएगीः–

(क) निधि की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि;

(ख) भारत सरकार, राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों और सांविधिक निकायों द्वारा दिए जाने वाले अनुदान की राशि;

(ग) लाभार्थियों के रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण के लिए प्राप्त राशि और उनके अंशदान।

(घ) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त धनराशि;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त धनराशि;

(च) सामान्य या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित नियोक्ता, उनके संघ या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि से योगदान या दान या कोई अन्य वित्तीय सहायता;

(छ) कोई अन्य स्त्रोत जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाता है;

(ज) उपरोक्त उल्लिखित निधि की राशि का प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2020) और उसके अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में यथा विहित रीति से किया जाएगा।

अध्याय–बारह

प्रकीर्ण

धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन सामान्य लाइसेंस प्राप्त करने की रीति, प्रपत्र और शुल्क

173–संहिता की धारा 119 के अधीन सामान्य लाइसेंस प्राप्त करने वाला व्यक्ति, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के विनिर्दिष्ट वेब-पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारा 119 की उपधारा(1) के अधीन अधिसूचित प्रपत्र-54 में आवेदन करेगा, साथ ही वह इस नियमावली के अध्याय-नौ के नियम 78 के उपनियम (4) और नियम 104 और नियम 115 के अधीन उल्लिखित तालिकाओं में विहित ऐसा संचयी आवेदन शुल्क भी जमा करेगा।

धारा 119 की उपधारा(3) के अधीन सामान्य लाइसेंस प्रदान करने की रीति

174–(1) आवेदन प्राप्त होने पर पदाभिहित प्राधिकारी धारा 119(1) के अधीन गठित समिति की सलाह पर सामान्य लाइसेंस प्रदान करने के सम्बंध में निर्णय लेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन ऐसी जांच के लिए, पदाभिहित प्राधिकारी नियम के अधीन गठित समिति से सिफारिश प्राप्त करेगा जो पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(3) आवेदन और सिफारिश की जांच करने के बाद, यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि सामान्य लाइसेंस जारी किया जा सकता है, तो वह प्रपत्र-55 में ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर इसे जारी करेगा।

(4) गलत सूचना देकर प्राप्त किए गए किसी भी लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है परंतु यह कि उस व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कारण बताने का अवसर दिया गया हो कि लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

धारा 119 की उपधारा(6) के अधीन अपील

175–(1) धारा 119 के अधीन प्राधिकारी के दिनांक द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश के दिनांक से तीस दिनों के भीतर राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से और ऐसी रीति तथा उपनियम (2) में यथा उल्लिखित शुल्क के साथ अपील दायर कर सकता है।

(2) अपील के साथ (प्रपत्र-58) संलग्न होगा।

(क) आदेश के विरूद्ध अपील की;

(ख) सामान्य लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जमा की गई फीस के पांच प्रतिशत के बराबर एक अप्रतिदेय शुल्क;

(ग) विवादित मुद्दों का विवरण;

(घ) दस्तावेजी साक्ष्य जिस पर भरोसा किया गया है;

(ङ) चाही गई राहत।

धारा 121 की उपधारा(2) के अधीन सुरक्षा और स्वास्थ्य से सम्बंधित स्थिति पर सर्वेक्षण

176–(1) राज्य सरकार के निदेश पर, धारा 121 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता या अन्य अधिकारी या अधिकारी संहिता की धारा 121 की उपधारा(2) के उपबंधों के अनुसार, किसी प्रतिष्ठान के सामान्य कार्य घंटों के दौरान किसी भी समय, या किसी अन्य समय में, जैसा कि समिति या सम्बंधित व्यक्ति आवश्यक समझे, प्रतिष्ठान के मालिक या प्रबंधक या उस समय प्रतिष्ठान का प्रभारी होने का दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को लिखित सूचना देने के पश्चात।

प्रतिष्ठान में और बाहर सुरक्षा और स्वास्थ्य से सम्बंधित सर्वेक्षण कर सकता है।

(2) नियोक्ता या प्रबंधक या अन्य व्यक्ति सर्वेक्षण के लिए सभी सुविधायें प्रदान करेगा, जिसमें संयंत्र और मशीनरी की जांच और परीक्षण और सर्वेक्षण से सम्बंधित नमूनों और अन्य आंकड़ों के संग्रह की सुविधा सम्मिलित है।

(3) सर्वेक्षण की सुविधा के प्रयोजन से, आस-पास के प्रत्येक कर्मकार और व्यक्ति, यदि ऐसा है, तो समिति या सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा आवश्यक है, ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा से गुजरने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करें जो ऐसे व्यक्ति द्वारा आवश्यक समझी जा सकती है और अपने पास मौजूद और सर्वेक्षण के लिए प्रासंगिक सभी सूचना प्रस्तुत करें।

(4) उपनियम (2) के अधीन स्वास्थ्य परीक्षण से गुजरने या सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक कर्मकार द्वारा खर्च किया गया कोई भी समय, अतिकालिक कार्य के लिए मजदूरी और अतिरिक्त मजदूरी की गणना के प्रयोजन के लिए, उस समय के रूप में माना जाएगा जिसके दौरान ऐसे कर्मकार ने प्रतिष्ठान में काम किया था।

आज्ञा से,

डॉ0 एम0 के0 शन्मुगा सुन्दरम्,

प्रमुख सचिव।

अनुसूची- I

(नियम 4 के उप नियम-1)

क्रम संख्या.	वह धारा या नियम जिसके तहत योग्यता को मान्यता दी जाती है	आवश्यक योग्यताएँ	इस उद्देश्य के लिए अनुभव	उनके अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाएं
1	2	3	4	5
1	धारा 79 और धारा 2(1)(l) के अंतर्गत बनाए गए नियम — इमारतों के लिए स्थिरता प्रमाण पत्र (Certificateof Stability) और विनिर्माण प्रक्रिया का प्रक्रिया प्रवाह आरेख (Process Flow Diagram), साइट प्लान (Site Plan) तथा विस्तृत योजनाएं (Detailed Plans).	सिविल या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा इसके समकक्ष कोई डिग्री।	(i) संरचनाओं (structures) के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण या मरम्मत में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव; (ii) गैर-परीक्षण विनाशकारी (non-destructive testing) का ज्ञान, वर्तमान में लागू विभिन्न आचार संहिताओं (codes of practices) का ज्ञान, तथा भवन की स्थिरता पर कंपनों और प्राकृतिक बलों के प्रभाव का ज्ञान।.	इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सुविधाएं और उपकरण।
2	धारा 18(2)(f) के अंतर्गत बनाए गए नियम — 'खतरनाक मशीनें' (Dangerous Machines).	इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा इसके समकक्ष कोई डिग्री।	(1) (1) न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव— (a) डिजाइन या संचालन (operation) या रखरखाव (maintenance) में; अथवा (b) संबंधित मशीनरी, उनके गार्ड, सुरक्षा उपकरणों और यंत्रों के परीक्षण, जाँच और निरीक्षण (testing, examination and inspection) में। (2) उन्हें— सुरक्षा उपकरणों और उनके उचित कामकाज से परिचित होना चाहिए।	माप के लिए गेज (Gauges); गति मापने के उपकरण (instruments for measurement of speed); और खतरनाक मशीनों के उपयोग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई अन्य उपकरण या युक्ति (device)।
3	धारा 18(2)(f) — 'लिफ्ट और होइस्ट' (Lifts and Hoists)	इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा इसके समकक्ष कोई डिग्री।	(i) न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव— (a) डिजाइन या संस्थापन (erection) या रखरखाव (maintenance) में; अथवा	भार परीक्षण (load testing), तन्य परीक्षण (tensile testing), गेज, माप के लिए उपकरणगैजेट्स/, और

			(b) लिफ्ट और होइस्ट (Lifts and Hoists) की निरीक्षण और परीक्षण प्रक्रिया (inspection and test procedure) में। (ii) वह— (a) वर्तमान में लागू प्रासंगिक आचार संहिताओं (codes of practices) और परीक्षण प्रक्रियाओं से परिचित होना चाहिए; (b) होइस्ट और लिफ्ट की सुरक्षा से संबंधित अन्य वैधानिक आवश्यकताओं (Statutory requirements) से परिचित होना चाहिए।	होइस्ट तथा लिफ्ट की सुरक्षित कार्य स्थितियों को निर्धारित करने के लिए आवश्यक कोई अन्य उपकरण।
4	धारा 18(2)(f) — 'लिफ्टिंग मशीनें, चेन, रस्सियाँ और लिफ्टिंग टैकल' (Lifting Machines, chains, ropes, and lifting tackles)	इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा इसके समकक्ष कोई डिग्री।	(i) न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव— (a) डिजाइन या संस्थापन (erection) या रखरखाव (maintenance) में; अथवा (b) लिफ्टिंग मशीनों, चेन, रस्सियों और लिफ्टिंग टैकल (lifting machines, chains, ropes and lifting tackles) के परीक्षण, जाँच और निरीक्षण में। (ii) वह— (a) वर्तमान में लागू प्रासंगिक आचार संहिताओं (codes of practices) और परीक्षण प्रक्रियाओं से परिचित होना चाहिए; (b) निर्माण सामग्री के फ्रैक्चर मैकेनिक्स (fracture mechanics) और धातु विज्ञान (metallurgy) से परिचित होना चाहिए; (c) लिफ्टिंग मशीनों और लिफ्टिंग टैकल के तनाव-घटकों वाले करने वहन प पुर्जों औरर लागू होने वाले हीट ट्रीटमेंट (heat	भार परीक्षण (load testing), तन्य परीक्षण (tensile testing), हीट ट्रीटमेंट (heat treatment), माप के लिए उपकरणगैजेट्स/, गेज, और लिफ्टिंग मशीनों, चेन, रस्सियों तथा लिफ्टिंग टैकल की सुरक्षित कार्य स्थितियों को निर्धारित करने के लिए ऐसे अन्य उपकरण।

			treatment) और स्ट्रेस रिलीविंग तकनीकों से परिचित होना चाहिए।.	
5	धारा 18(2)(f) — 'प्रेशर प्लांट' (Pressure Plant)	केमिकल या इलेक्ट्रिकल या मेटलर्जिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा इसके समकक्ष कोई डिग्री।	(i) न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव— (a) डिजाइन या संस्थापन ((erection) या रखरखाव (maintenance) में; अथवा (b) प्रेशर प्लांट (pressure plants) के परीक्षण, जाँच और निरीक्षण में। (ii) वह— (a) प्रेशर वेसल (pressure vessels) से संबंधित प्रासंगिक आचार संहिताओं (codes of practice) और परीक्षण प्रक्रियाओं से परिचित होना चाहिए; (b) अनफायर्ड प्रेशर वेसल (unfired pressure vessels) और दबाव में काम करने वाले उपकरणों की सुरक्षा से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं से परिचित होना चाहिए; (c) प्रेशर वेसल पर लागू होने वाली गैर परीक्षण विनाशकारी- तकनीको(non-destructive testing techniques) से परिचित होना चाहिए।	हाइड्रोलिक परीक्षण (hydraulic test), गैर- परीक्षण विनाशकारी(non-destructive test), माप के लिए गेज उपकरणगैजेट्स/, और प्रेशर वेसल के उपयोग में सुरक्षा निर्धारित करने के लिए अन्य उपकरण या गेज की सुविधाएँ।
6	धारा 18(2)(f) — 'खतरनाक धुएं से सावधानियाँ' (Precautions against dangerous fumes)	रसायन विज्ञान (Chemistry) में मास्टर डिग्री अथवा केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री।	(i) पर्यावरणीय नमूनों के संग्रह और विश्लेषण तथा निगरानी उपकरणों के अंशांकन (calibration) में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव; (ii) वह— रसायनों के खतरनाक गुणों और उनकी अनुमेय सीमा मान (permissible limit values) से परिचित होना चाहिए।	सीमित स्थानों (confined spaces) में काम करने की सुरक्षा के परीक्षण और प्रमाणन के लिए उचित रूप से कैलिब्रेट ((अंशशोधित और प्रमाणित मीटर, उपकरण और युक्तियाँ (devices)।

7	धारा 82 के तहत तैयार की गई विभिन्न अनुसूचियों (Schedules) के अनुसार आवश्यक वेंटिलेशन (वायुवीजन) प्रणाली, जैसे कि निम्नलिखित पर अनुसूचियाँ— (i) धातुओं की ग्राइंडिंग या ग्लेजिंग और उससे संबंधित प्रक्रियाएँ; (ii) संपीड़ित हवा या भाप के झोंके द्वारा संचालित रेत, मेटल शॉट या ग्रिट या अन्य अपघर्षक (abrasive) की धार द्वारा वस्तुओं की सफाई या चिकनाई, खुरदरापन (roughing) आदि करना; (iii) एस्बेस्टस (asbestos) का हथालन और प्रक्रमण (handling and processing); (iv) विस्कोस प्रक्रिया (viscose process) द्वारा रेयॉन का निर्माण; (v) फाउंड्री संचालन (foundry operations)।	मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा इसके समकक्ष कोई डिग्री।	(i) वेंटिलेशन प्रणालियों और धूल, धुएं व वाष्प तथा अन्य सहायक उपकरणों के निष्कर्षण (extraction) और संग्रह के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणालियों के डिजाइन, निर्माण, संस्थापन (installation) और परीक्षण में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव; (ii) वह वेंटिलेशन और धुएं के निष्कर्षण प्रणाली के संबंध में वर्तमान में लागू प्रासंगिक आचार संहिताओं (codes of practice) और परीक्षण प्रक्रियाओं से परिचित होना चाहिए।	वेंटिलेशन प्रणाली का परीक्षण करने की सुविधाएँ; धूल, वाष्प और धुएं के निष्कर्षण प्रणालियों की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए उपकरण और गेज; तथा इन प्रणालियों की दक्षता और पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए आवश्यक कोई अन्य उपकरण। उसके पास भौतिकी (Physics) में स्नातकोत्तर डिग्री या संबंधित सुविधाओं पर कम से कम 7 वर्ष के अनुभव के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक व्यक्ति की सहायता होनी चाहिए।

अनुसूची- **II**

[नियम 50 (Rule 50)]

सतत प्रक्रिया कारखाने (Continuous Process Factories)

1. नीचे उल्लिखित कारखानों के वर्गों में काम के निम्नलिखित वर्गों को नियम 50 में संदर्भित सतत प्रक्रिया (continuous process) की प्रकृति का माना जाएगा और वे नीचे दी गई शर्तों में बताई गई सीमा तक, धारा 26, धारा 27 तथा उनमें बनाए गए नियमों के प्रावधानों से छूट प्राप्त होंगे।–

कारखानों के वर्ग (Classes of Factories)		काम का वर्ग (Class of work)
1	बिजली उत्पादन केंद्र और वितरण सब-स्टेशन (Electrical generating stations and distributing sub-stations).	बॉयलर, टरबाइन, इंजन, जेनरेटर, मोटर, बूस्टर, स्विचबोर्ड, ट्रांसमिशन मशीनरी, केबल, बैटरी और सहायक उपकरणों की देखरेख करने वाले कामगारों का कार्य।
2	जल कार्य और जल पम्पिंग स्टेशन (Water works and water pumping stations)।	बॉयलर, इंजन, मोटर, स्विचबोर्ड, पंप और सहायक उपकरणों की देखरेख करने वाले कामगारों का कार्य।.
3	वैयूम पैन प्रणाली (vacuum pan system) पर काम करने वाली चीनी मिलें और रिफाइनरियां (Sugar factories and refineries working on the vacuum pan system)।	(a) निम्नलिखित की देखरेख करने वाले कामगारों का कार्य - (क (बॉयलर, इंजन, मोटर, स्विचबोर्ड और पंप; (ख पिघलाने को गुड़ तथा पेराई और हैंडलिंग की गन्ने ((melting blow-ups) तक की हैंडलिंग; (ग घोल के गुड़ और रस के गन्ने ((gur liquor) के निस्यंदन (filtration), स्पष्टीकरण (clarification) और क्रिस्टलीकरण (crystallisation) में लगे हुए कामगार; (घ वाष्पीकरण के घोल के गुड़ और रस के गन्ने ((evaporation) और सांद्रण (concentration) में लगे हुए कामगार; (ङ मसाक्यूइट ((massecuite) के क्यूरिंग (curing) में लगे हुए कामगार; (चसुखाने के चीनी (, पेराई और बैगिंग ((bagging) में लगे हुए कामगार; (छ गन्ने (के रस के स्पष्टीकरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों के उत्पादन हेतु चूना पत्थर और सल्फर को जलाने के कार्य में लगे हुए कामगार।
4	डिस्टिलरी (Distilleries)	निम्नलिखित की देखरेख करने वाले कामगारों का कार्य - (क (बॉयलर, इंजन, मोटर, स्विचबोर्ड और पंप; (ख विसरण का महुआ ((diffusion of mahua); (ग शीरे ((molasses) पर कार्य; (घ किण्वन का वॉश ((fermentation of wash); (ङ प्रसार खमीर ((yeast propagation); (च प्रक्रिया आसवन ((distillation process)।
5	ब्रीवरी (Breweries)	निम्नलिखित की देखरेख करने वाले कामगारों का कार्य - (क (बॉयलर, इंजन और पंप; (ख (मेल्टिंग, कॉपर, हॉप बैक, कूलर और रेफ्रिजरेटर।
6	रोजिन और टरपेन्टाइन (Rosin and Turpentine)।	निम्नलिखित की देखरेख करने वाले कामगारों का कार्य - (क (बॉयलर, इंजन, पंप, मोटर और स्विच बोर्ड;

		(ख) रोजिन का आसवन (distillation of rosin); (ग) टरपेन्टाइन का रिफाइनिंग (refining of turpentine); (घ) रोजिन का निस्यंदन (filtration) और ढलाई (casting)।
7	बर्फ कारखाने और दुग्ध शीतलन संयंत्र (Ice factories and Milk Chilling Plants)	निम्नलिखित की देखरेख और कार्यों में लगे हुए कामगारों का कार्य – (क) बॉयलर, गर्म पानी के जेनरेटर (hot water generators) और बर्फ बनाने की मशीनरी; (ख) बर्फ उत्पादन के लिए रिसेप्टेकल्स (receptacles); (ग (दूध उतारने वाला (Milk unloader), दूध लोड करने वाला (Milk loader), चिलिंग मशीन ऑपरेटर (Chilling machine operator), दूध का नमूना एकत्र करने वाला (Milk sample collector), दूध एकत्र करने वाला (Milk collector), रखरखाव (Maintenance) और ईटीपी (ETP - Effluent Treatment Plant)।
8	केमिकल वर्क्स (Chemical works)	निम्नलिखित की देखरेख और कार्यों में लगे हुए कामगारों का कार्य – (क) बॉयलर, पंप और कंप्रेसर; (ख) सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, मैग्नीशियम सल्फेट, फिटकरी (alum), हाइपोसुल्फाइट और सल्फाइट्स ऑफ सोडा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, नाइट्रेट ऑफ पोटाश, एलुमिना और बाई-क्रोमेट ऑफ पोटाश का निर्माण।
9	चंदन की लकड़ी और आवश्यक तेलों का आसवन (Distillation of sandal wood and essential oils)।	बॉयलर और आसवन प्रक्रियाओं (distillation processes) की देखरेख करने वाले कामगारों का कार्य।
10	प्लेट और शीट ग्लास कारखाने और कांच की चूड़ी कारखाने (Plate and sheet glass factories and glass bangles factories)	निम्नलिखित श्रेणियों के कामगारों का कार्य – (क) गैस उत्पादक (gas producers), खिड़की और प्लेट ग्लास मशीन-मैन, टैंकमैन (tankmen), शीट-ग्लास वाहक (sheet-glass carriers) और लिफ्ट अटेंडेंट तथा टैंक और पॉट भट्टियों (pot furnaces) में कांच फूंकने की मशीनों (glass blowing machines) पर कार्यरत कामगार, जब वे कांच की भट्टी के साथ संचालित होती हैं; (ख) फायरमैन, इंजन और बॉयलर अटेंडेंट।
11	स्ट्रॉ-बोर्ड कारखाने (Straw-boards factories)	निम्नलिखित की देखरेख और कार्यों में लगे हुए कामगारों का कार्य (क) बॉयलर, इंजन, टरबाइन, जेनरेटर, मोटर, स्विच-बोर्ड और पंप; (ख) पकाना (cooking), मिलिंग (milling), बीटिंग (beating) और स्ट्रॉ-बोर्ड मशीनें।
12	किलन, लकड़ी का सीजनिंग और बॉबिन स्टोन एनामेलिंग (Kiln, seasoning of timber and bobbin stone	निम्नलिखित की देखरेख और कार्यों में लगे हुए कामगारों का कार्य – (क) बॉयलर, इंजन, पंप, मोटर, डायनेमो और स्विच-बोर्ड; (ख)

	enamelling)	लकड़ी, सीजनिंग, किलन (Kiln); (ग) स्टोन-एनामेलिंग चेंबर(stone-enamellings chamber)।
13	वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण कारखाने (Vegetable oil Hydrogenation factories)	निम्नलिखित की देखरेख और कार्यों में लगे हुए कामगारों का कार्य – (क) बॉयलर, जेनरेटर, मोटर, ट्रांसफॉर्मर, स्विच-बोर्ड और वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट (water softening plants); (ख) रिफाइनिंग, ब्लीचिंग, आसवन (डियोंडराइजेशन/deodorisation) और हार्डनिंग प्लांट, सोल्डरिंग, लेबलिंग, पैकिंग और कंटेनरों का भंडारण; (ग) हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उत्पादन और संपीड़न (compression)।
14	ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसों का उत्पादन और/या संपीड़न (Production and or compression of oxygen and acetylene gases)।	जेनरेटर और कंप्रेशर्स की देखरेख करने वाले कामगारों का कार्य।.
15	साबुन कारखाने (Soap factories)	निम्नलिखित की देखरेख और कार्यों में लगे हुए कामगारों का कार्य – (क) बॉयलर, जेनरेटर, मोटर, स्विच-बोर्ड; (ख) उबालना (boiling), स्क्रैचिंग/स्क्रेचिंग (scrutching) और फ्रेमिंग (framing)।
16	पेपर मिलें (Paper mills)	निम्नलिखित की देखरेख और कार्यों में लगे हुए कामगारों का कार्य – (क) बॉयलर, इंजन, टरबाइन, जेनरेटर, मोटर, स्विच-बोर्ड और पंप; (ख) पकाना (cooking), मिलिंग (milling), बीटिंग (beating), स्ट्रॉ-बोर्ड और कागज निर्माण मशीनें (paper manufacturing machines)।
17	इलेक्ट्रिकल स्टील स्मेल्टिंग फर्नेस (Electrical steel smelting furnaces)	ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोड नियंत्रण, हाइड्रोलिक पंप, स्क्रैप कटिंग और परिवहन, फर्नेसमेन (भट्टी वाले), लाडेनमेन (ladlemen), पिटसाइड वर्कर (pitside workers) और इंगोट के लिए सांचों (moulds) की देखरेख करने वाले कामगारों का कार्य।
18	रोलिंग मिलें (Rolling mills)	विभिन्न रोलिंग मिलों में काम करने वाले इंगोट ट्रांसपोर्टर, फर्नेस मेन (भट्टी वाले(, फर्नेस कुली, टोंग्समेन (जैसे रफर्स और लूपर्स(, कूलिंग बेड पर काम करने वाले कामगार, मोटरमैन, स्ट्रेटनर्स (सीधा करने वाले(, तैयार माल की स्टैकिंग (भंडारण (में लगे कामगार और शेयर्स व अन्य सहायक मशीनरी के अटेंडेंट।
19	स्टार्च कारखाने (Starch factories)	स्टार्च और उसके सह-उत्पादों (by-products) के निर्माण में लगे कामगारों का कार्य, सिवाय उन लोगों के जो इंजीनियरिंग विभागों और कार्यशालाओं (workshops) में नियुक्त हैं।
20	ग्लू और जिलेटिन मिलें (Glue and gelatine mills)	ग्लू और जिलेटिन के निर्माण में लगे कामगारों का कार्य, जिसमें भिगोना (soaking), उबालना (boiling), फैलाना (spreading), काटना (chopping) और सुखाना (drying) शामिल है।

21	बिस्कुट और बेकरी कारखाने (Biscuit and Bakery factories)	डिफ़ाइडर मशीन, आटा कटाई (dough cutting), प्रूफिंग, कूलिंग टनल, स्लाइसिंग, क्रीम मशीन, क्रीम फिलिंग मशीन, शीटर मशीन, जेनरेटर, रखरखाव (maintenance) और चिलिंग यूनिट; आटे को मिलाने (mixing of the dough), बेकिंग, सुखाने (drying) और बिस्कुट पैक करने में लगे कामगारों का कार्य।
22	सीमेंट कारखाने (Cement factories)	निम्नलिखित की देखरेख और कार्यों में लगे हुए कामगारों का कार्य – (क) बॉयलर, इंजन, मोटर, स्विच-बोर्ड और पंप की देखरेख करना; (ख) कच्चे माल की तैयारी में लगे होना, सीमेंट मिलों, निरंतर चलने वाले भट्टों (continuous Kilns) के साथ मिलकर काम करना, सीमेंट की पिसाई (grinding), पैकिंग और भंडारण (storing)।
23	कोल्ड स्टोरेज कारखाने (Cold storage factories).	मोटरों और कंप्रेशर्स की देखरेख करने वाले कामगारों का कार्य।
24	कैपेसिटर बनाने वाले कारखाने (Capacitors making factories)	एल्यूमीनियम पन्नी (Aluminium foils) के एनोडिक, फॉर्मिंग और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं में लगे कामगारों का कार्य।
25	सभी कारखाने (All factories)	बॉयलर की देखरेख करने वाले कामगारों का कार्य।.
26	ऑडियो-वीडियो मैग्नेटिक टेप का निर्माण (Manufacture of audio-video magnetic tape)	निम्नलिखित में लगे कामगारों का कार्य – (क) मिश्रण (mixing), कोटिंग, कैलैंडरिंग और यूटिलिटी सेवाओं के संचालन और प्रक्रियाओं में लगे हुए; और (ख) प्लैनेटरी मिक्सिंग मशीन, हाई स्पीड डिसॉल्वर, पडल मिक्सर, मीडिया मिल टैंक मिक्सर, सैंड मिल, फिल्टर यूनिट; कोटिंग मशीन, कैलैंडरिंग मशीन; एयर कंप्रेसर, एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलिंग प्लांट और कूलिंग टावर की देखरेख करना।
27	पेट्रोल पंप, सीएनजी या अन्य ईंधन भरने का स्टेशन (Petrol pump, CNG or other fuel filling station)	तेल पंप करने या किसी अन्य विनिर्माण प्रक्रिया (manufacturing process) द्वारा ईंधन भरने की सेवाओं में लगे कामगारों का कार्य।
28	फलों पर आधारित पेय पदार्थों का निर्माण (Manufacture of fruit based beverages)	निम्नलिखित प्रक्रियाओं में लगे कामगारों का कार्य - (क (कच्चा माल खंड (Raw material section); (ख) प्रसंस्करण खंड (Processing section); (ग) पैकेजिंग खंड (Packaging section); और तोलने वाली मशीन (weighing machine), सामग्री लाने-ले जाने के लिए फोर्कलिफ्ट (fork lift), बैटरी, चार्जिंग मशीन, डी.एम .प्लांट (D.M. plant), पल्पर पल्प प्रेशराइजर और कूलर, पल्प और सिरप टैंक, ब्लेंडिंग टैंक, पास्चराइज़र, रेडी जूस टैंक, होमोजिनाइज़र, भरने और पैक करने वाली मशीनें, श्रिंक रैपिंग, ट्रे पैकिंग, ऑयल पैकिंग और एयर ब्लोअर तथा कंट्रोल बोर्ड की देखरेख का कार्य।
29	पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का निर्माण (Manufacture of polyester filament yarn)	निम्नलिखित कामगारों का कार्य – (क)- हुए लगे में प्रक्रियाओं और संचालन निम्नलिखित • पॉलीमराइजेशन (Polymerisation); • स्पिनिंग और टेक अप-(Spinning and Take-up);

		• ड्रॉ ट्विस्टिंग टेक्स्टूराइजिंग ड्रॉ/(Draw twisting/draw texturizing); (खबॉयलर (, डीजल जनरेटर सेट, हीट ट्रांसफर मीडिया, कंप्रेसर, वाटर-प्लांट ट्रीटमेंट, स्लरी सर्कुलेशन वेसल (slurry circulation vessel), और (करना। देखरेख की उपकरणों प्रयुक्त में प्रक्रियाओं निर्दिष्ट में (क
30	टेलीविजन, कंप्यूटर या मोबाइल मॉनिटर का निर्माण (Manufacture of Television, Computer or Mobile monitors)	निम्नलिखित कामगारों का कार्य - (क):हुए लगे में प्रक्रियाओं और संचालन निम्नलिखित • शैडो असेंबली मार्क पैनल/(Shadow/Panel Mark Assembly); • स्टेबलाइजिंग और बेकिंग ब्लैक मैट्रिक्स (Stabilising & Baking Black matrix); • स्क्रीन कोटिंग (Screen Coating); • एल्युमनाइजिंग (Aluminising); • पैनल बेकिंग, इंटरनल मैग्नेटिक शील्ड और फ़नल प्रिपरेसन (Panel Baking, Internal Magnetic Shield and Funnel Preparation); • फ्रिट सीलिंग, गन सीलिंग, एग्जॉस्ट (Frit Sealing, Gun Sealing, Exhaust); और • एजिंग प्रक्रियाएं (Aging Processes)। (ख):करना देखरेख की निम्नलिखित • एनीलिंग फर्नेस (Annealing furnace); • ब्लैकनिंग फर्नेस (Blackening furnace); • मास्क वाशिंग मशीन (Mask washing machine); • स्पॉट वेल्डिंग मशीन (Spot welding machine); • स्टैब फर्नेस (Stab furnace); • कोटिंग मशीन (Coating machine); • फॉस्फोर रिकवरी यूनिट (Phosphor recovery unit); • फ्रिट सीलिंग फर्नेस/(Frit sealing/furnace); • एग्जॉस्ट फर्नेस (Exhaust furnace); • फ्रिट मिक्सर (Frit mixer); • ब्लेंडिंग और टेपिंग मशीन (Blending and taping machine); • स्क्रबर (Scrubbers); • हीट एक्सचेंजर (Heat exchangers); • एयर हैंडलिंग यूनिट (Air handling units); • पंप (Pumps); • मोटर और चिलर (Motors and Chillers)।
31	पॉलिएस्टर फिल्म/पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म रोल का निर्माण (Manufacture of polyester film/polypropylene film rolls)	निम्नलिखित कामगारों का कार्य - (क:हुए लगे में प्रक्रियाओं और संचालन निम्नलिखित (• बैच मिक्सिंग (Batch Mixing); • क्रिस्टलाइजिंग और ड्राइंग एक्सट्रूजन (Crystallising and Drying Extrusion); • कास्टिंग और प्राइमरी गोजिंग (Casting and Primary Gauzing);

		• मशीन दिशा ओरिएंटेशन का अणु में दिशा अनुप्रस्थ/ (Orientation of Molecule in Machine Direction/Transverse Direction); • सेकेंडरी गेज सिस्टम (Secondary Gauge System); • वाइंडिंग, फिल्म ट्रिम कटिंग और गेज मॉनिटरिंग (Winding, Film Trim Cutting and Gauge Monitoring); • स्टील कोर पर फिल्म की वाइंडिंग (Winding of Film on Steel Core); • स्लिटिंग और पैकिंग (Slitting and Packing) (ख:करना देखरेख की निम्नलिखित (• फीडर, मिक्सर, क्रिस्टलाइज़र, ड्रायर (Feeder, Mixer, Crystallizer, Dryer); • एक्सट्रूडर (Extruder); • कास्टिंग और प्राइमरी गेज मशीन (Casting and Primary Gauge Machine); • मशीन डायरेक्शन ओरिएंटेटर (Machine Direction Orientater); • ट्रांसवर्स डायरेक्शन ओरिएंटेटर, पुल रोल स्टैंड सेकेंडरी गेज उपकरण (Transverse Direction Orienter, Pull Roll Stand Secondary Gauge Equipment); • वाइंडर (Winder); • स्लिटिंग और पैकिंग मशीन (Slitting and Packing Machine); • प्रिंटिंग मशीन (Printing Machine); • लैमिनेटर और एक्सट्रूजन लैमिनेटर (Laminator, and Extrusion Laminator); • पाउच मेकिंग मशीन (Pouch Making Machine)।
32	सीडी-आर और सीडी-आरडब्ल्यू का निर्माण (Manufacture of CD-R & CD-RW)	निम्नलिखित कामगारों का कार्य - (क:हुए लगे में प्रक्रियाओं और संचालन निम्नलिखित (• मिक्सिंग (Mixing); • मोल्डिंग (Moulding); • डाई कोटिंग (Dye Coating); • इमेज प्रिंटिंग (Image Printing); • ड्राइंग (Drying); • स्पटरिंग (Sputtering); • लैकर डिस्पेंसिंग (Lacquer Dispensing); और • यूवी क्योरिंग (UV Curing)। (ख:करना देखरेख की निम्नलिखित (• प्लैनरी, टेरे मिक्सिंग, हाई स्पीड डिसॉल्वर्स (Plannery, Tere mixing, High speed dissolver); • पडल मिक्सर (Puddle mixture); • मीडिया मिल (Media mill); • टैंक मिक्सर (Tank mixer); • सैंड मिल फिल्टर यूनिट (Sand mill filter unit); • कोटिंग मशीन (Coating machine); • कैलेंडरिंग मशीन (Calendering machine);

		• एयर कंप्रेसर (Air compressors); • एयर हैंडलिंग यूनिट (Air handling units); • चिलिंग प्लांट (Chilling plant); • डी सेट .जी.(D.G. sets); और • कूलिंग टावर (Cooling towers)।
33	रेफ्रिजरेटर का निर्माण (Manufacture of Refrigerators)	निम्नलिखित कामगारों का कार्य - (क:हुए लगे में प्रक्रियाओं और संचालन निम्नलिखित (• वैक्यूम फॉर्मिंग प्रक्रिया (Vacuum Forming Process); • पीयू फोमिंग प्रक्रिया (PU Foaming Process); • असेंबली लाइन (Assembly Line); • ब्रेजिंग और कोल्ड रोल फोर्जिंग (CRF) संचालन (Brazing and Cold Roll Forging (CRF) operations)। (ख:करना देखरेख की निम्नलिखित (• वैक्यूम फॉर्मिंग मशीन (Vacuum Forming Machine); • पीयू फोमिंग मशीन (PU Foaming Machine); • ब्रेजिंग मशीन (Brazing Machine); • पिक एंड प्लेस मशीन (Pick and Place Machine); • पेंट बूथ (Paint booths); • कूलर चिलर/(Coolers/Chiller); • एयर कंप्रेसर (Air compressors); • कूलिंग टॉवर (Cooling Towers); • डीजल जनरेटिंग सेट (Diesel Generating sets); • कोल्ड रोल फोर्जिंग (CRF) मशीन (Cold Roll Forging (CRF) Machine); और • प्रेस मशीन (Press Machines)।
34	वाशिंग मशीन का निर्माण (Manufacture of Washing Machines)	निम्नलिखित कामगारों का कार्य - (क:हुए लगे में प्रक्रियाओं और संचालन निम्नलिखित (• इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेशन (Injection Moulding Operation); • कोल्ड रोल फोर्जिंग (CRF) और असेंबली ऑपरेशन (Cold Roll Forging (CRF) and assembly operation)। (ख:करना देखरेख की निम्नलिखित (• मोल्डिंग मशीन (Moulding Machine); • पिक एंड प्लेस मशीन (Pick and Place Machine); • क्योरिंग मशीन (Curing Machine); • कूलर चिलर/(Coolers/Chiller); • एयर कंप्रेसर (Air Compressor); • हीट एक्सचेंजर (Heat exchanger); • पेंट बूथ (Paint booths); और • डीजल जनरेटर सेट/(Diesel Generating sets)।

2- मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता (Chief Inspector-cum-Facilitator), उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त (Labour Commissioner, Uttar Pradesh) के पूर्व अनुमोदन से, अपने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी तकनीकी कारण से काम के किसी अन्य वर्ग या कारखानों के वर्गों को, ऐसे घोषणाओं के कारणों को विस्तार से लिखित रूप में बताते हुए, एक निरंतर प्रक्रिया (continuous process) के रूप में घोषित कर सकता है।

शर्ते-:

1. ऐसे प्रत्येक कामगार को तीन आठ-घंटे की पारियों (three eight-hour shifts system) की प्रणाली पर नियोजित किया जाएगा। प्रत्येक ऐसे कामगार को प्रत्येक पारी के दौरान, जिसमें उसे काम करना है, कुछ समय के लिए आधे घंटे का विश्राम अंतराल (interval for rest) दिया जाएगा।

2. ऐसे किसी भी कामगार को चौबीस लगातार घंटों के अवकाश के बिना चौदह से अधिक लगातार दिनों के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।.

3. काम के कुल दैनिक घंटे 10.5 से अधिक नहीं होंगे और उनका फैलाव राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी समूह या वर्ग के संबंध में फैलाव (spread over) 12 घंटे का किया जा सकेगा , सिवाय किसी आपात स्थिति के जब किसी शिफ्ट वर्कर को किसी भी दिन 8 घंटे से अधिक समय के लिए नियोजित करना आवश्यक हो ताकि वह अगली शिफ्ट का पूरा या आंशिक काम कर सके। किसी भी स्थिति में कामगार को काम शुरू होने से 24 घंटे की अवधि में 12 घंटे से अधिक के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, और किसी भी तिमाही में ओवरटाइम के घंटों की कुल संख्या भी 115 से अधिक नहीं होगी: बशर्ते कि जहाँ अगली शिफ्ट या उसका कोई हिस्सा जिसके दौरान ऊपर बताए अनुसार किसी शिफ्ट वर्कर को नियोजित किया जाता है, साप्ताहिक अवकाश के दिन पड़ता है, वहाँ प्रतिपूरक विश्राम अवधि (compensatory period of rest) भी ऐसे दिन दी जाएगी जो न तो कोई त्योहार हो और न ही साप्ताहिक अवकाश।
4. प्रबंधक (Manager) अतिरिक्त समय काम की अवधि और प्रतिपूरक विश्राम अवधि की सीमा को संबंधित रजिस्टरों में दर्ज करेगा और ऐसे अतिरिक्त समय के काम के शुरू होने से पहले उसके शुरू होने के समय को उसमें नोट करेगा। पारियों (shifts) की प्रणाली को लागू करने से पहले एक इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर (Inspector-cum-Facilitator) द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
5. कारखाने में एक दिन में 8 घंटे या एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने वाले सभी कामगारों को ऐसे अतिरिक्त घंटों के संबंध में कोड की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार साधारण मजदूरी की दर से दोगुनी दर से भुगतान किया जाएगा।.
6. प्रत्येक कामगार को कोड की धारा 26 और उसमें दिए गए नियमों के अनुसार एक प्रतिपूरक अवकाश (compensatory holiday) दिया जाएगा

शेड्यूल खतरनाक संक्रियाएं (SCHEDULE FOR DANGEROUS OPERATIONS)

(सुरक्षा, कल्याणकारी सुविधाएं, सुरक्षात्मक उपकरण और चिकित्सीय परीक्षण etc.)

[See Rule 125]

अनुसूची-III

वातित जल का निर्माण और उससे संबंधित प्रक्रियाएँ

1. मशीनों की बाड़बंदी (Fencing of Machines).— बोतलों या साइफन (syphons) को भरने वाली सभी मशीनों का निर्माण, स्थापना या बाड़बंदी (fencing) इस प्रकार की जाएगी कि, जहाँ तक व्यावहारिक हो, फटने वाली बोतल या साइफन का कोई भी टुकड़ा कारखाने में नियोजित किसी भी व्यक्ति को न लगे।

2. फेस दस्ताने और गार्ड-(Face-guards and Gauntlets).— (1) अधिष्ठाता (occupier) बोतलों या साइफन (syphons) को भरने में लगे सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए फेस अच्छी उन्हें और करेगा प्रदान दस्ताने और गार्ड- रखेगा। बनाए में स्थिति —

(क) चेहरे, गर्दन और गले की सुरक्षा के लिए उपयुक्त फेस-गार्ड (face-guards); और

(ख) पूरे हाथ और बाजू की सुरक्षा के लिए दोनों बाहों के वास्ते उपयुक्त दस्ताने (gauntlets):

बशर्ते कि —

(i) पैरा 2(1) वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ बोतलें ऐसी स्वचालित मशीन (automatic machine) द्वारा भरी जाती हैं जिसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि फटने वाली बोतल का कोई भी टुकड़ा बाहर न निकल सके; और

(ii) जहाँ मशीन का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि उस पर काम करने वाले कामगार की केवल एक ही बाह को खतरे का सामना करना पड़ता है, वहाँ उस बाह के लिए दस्ताना (gauntlet) प्रदान करना आवश्यक नहीं होगा जिसे खतरे का सामना नहीं करना पड़ता है।.

(2) अधिष्ठाता (occupier) बोतलों या साइफन (syphons) को कॉर्क लगाने, क्राउनिंग करने, स्क्रू करने, वायरिंग करने, फॉइलिंग करने, कैप्सूलिंग करने, साइटिंग करने या लेबलिंग करने में लगे सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए फेस-गार्ड और दस्ताने प्रदान करेगा और उन्हें अच्छी स्थिति में बनाए रखेगा:

(क) चेहरे, गर्दन और गले की सुरक्षा के लिए उपयुक्त फेस-गार्ड (face-guards); और

(ख) बाह की सुरक्षा के लिए दोनों बाहों के वास्ते उपयुक्त दस्ताने (gauntlets) तथा हथेली का कम से कम आधा हिस्सा और अंगूठे तथा तर्जनी के बीच का स्थान।

3. फेस पहनना दस्ताने और गार्ड-(Wearing of Face-guards and Gauntlets).— पैरा 2 में निर्दिष्ट किसी भी प्रक्रिया में लगे सभी व्यक्ति ऐसी प्रक्रियाओं में काम करते समय उक्त पैरा के उपबंधों के तहत प्रदान किए गए फेस और गार्ड- पहनेंगे। दस्ताने

अनुसूची -IV

सभी प्रकार की इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया (All Types of Electroplating Processes)

1. परिभाषाएँ (Definitions).— इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए — (For the purposes of this schedule)—

(क) "विद्युत अपघटनी प्रक्रिया" (Electrolytic process) से तात्पर्य किसी विद्युत अपघट्य (electrolyte) के उपयोग द्वारा धातु की वस्तुओं पर विद्युत अपघटनी लेपन (plating) या ऑक्सीकरण से है।

(ख) "बाथ" (Bath) से तात्पर्य किसी ऐसे बर्तन से है जिसका उपयोग विद्युत अपघटनी प्रक्रिया के लिए या किसी पश्चातवर्ती (subsequent) प्रक्रिया के लिए किया जाता है।

(ग) "नियोजित" (Employed) का अर्थ इस अनुसूची के पैरा 5, 6, 7 और 8 में, बाथ से निकलने वाले तरल पदार्थ के संपर्क में आने वाली किसी भी प्रक्रिया में नियोजित होने से है।

(घ) "निलंबन" (Suspension) से तात्पर्य स्वास्थ्य रजिस्टर में फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी (Factory Medical Officer) द्वारा हस्ताक्षरित लिखित प्रमाण पत्र द्वारा किसी भी बाथ से तरल पदार्थ के संपर्क में आने वाली किसी भी प्रक्रिया में नियोजन से निलंबन से है, जिसके पास ऐसी किसी भी प्रक्रिया में नियोजित सभी व्यक्तियों के संबंध में निलंबन की शक्ति होगी।

(ङ) "प्रथम नियोजन" (First employment) से तात्पर्य फैक्ट्री में किसी विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में प्रथम नियोजन से है और इसमें तीन कैलेंडर महीने से अधिक की निरंतर अवधि के लिए नियोजन की किसी भी समाप्ति के पश्चात उक्त प्रक्रिया में पुनर्नियोजन (re-employment) भी शामिल होगा।

2. निकास ड्राफ्ट (Exhaust draught) — एक प्रभावी निकास ड्राफ्ट प्रत्येक ऐसे बर्तन पर लागू किया जाएगा जिसमें कोई विद्युत अपघटनी प्रक्रिया की जाती है। ऐसा ड्राफ्ट यांत्रिक साधनों द्वारा प्रदान किया जाएगा और प्रक्रिया में निकलने वाली वाष्प या स्प्रे पर यथासंभव उसके उत्पत्ति बिंदु के पास कार्य करेगा। निकास ड्राफ्ट उपकरण को इस प्रकार निर्मित, व्यवस्थित और अनुरक्षित किया जाएगा जिससे कि वाष्प या स्प्रे किसी भी ऐसे कमरे या स्थान में प्रवेश न कर सके जहाँ काम किया जा रहा हो।

3. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिबंध (Prohibition relating to women and young persons) — किसी भी गर्भवती महिला या युवा व्यक्ति को किसी बाथ पर नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि महिला श्रमिकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनकी सहमति से काम पर नियोजित किया जा सकता है: —

(1) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) प्रदान करने के लिए अधिष्ठाता (occupier) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।

(2) अधिष्ठाता यथासंभव उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का समय-समय पर आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।

(3) जो महिला श्रमिक स्तनपान कराने वाली माताएँ (feeding mothers) हैं, उन्हें बाथ पर नियोजन से छूट दी जाएगी ।

4. कार्यकक्षों का फर्श (Floor of workrooms) — बाथ वाले प्रत्येक कमरे का फर्श पानी को रोकने वाला (impervious to water) होगा। फर्श को अच्छी और समतल स्थिति में रखा जाएगा और दिन में कम से कम एक बार धोया जाएगा।

5. सुरक्षात्मक कपड़े (Protective clothing) —

(1) कारखाने का अधिष्ठाता (occupier) बाथ से निकलने वाले तरल पदार्थ के संपर्क में आने की संभावना वाले किसी भी प्रक्रम में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए सुरक्षात्मक कपड़ों की निम्नलिखित वस्तुओं को प्रदान करेगा और उन्हें अच्छी तथा साफ स्थिति में बनाए रखेगा, और संबंधित व्यक्तियों द्वारा ऐसे कपड़े पहने जाएंगे:

(क एप्रन रोधी-जल ((water-proof aprons) और बिब (bibs), तथा

(खलिए के व्यक्तियों वाले करने काम से रूप वास्तविक पर बाथ (, ढीले फिटिंग वाले रबर के दस्ताने (rubber gloves) और रबर के जूते (rubber boots) या अन्य जल जूते रोधी-(water-proof footwear)।

(2) अधिष्ठाता नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए सुरक्षात्मक कपड़ों के भंडारण के वास्ते उपयुक्त आवास (accommodation) और उनके सूखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था प्रदान करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा।

6. चिकित्सा सुविधाएं और परीक्षाओं तथा परीक्षणों का रिकॉर्ड (Medical facilities and record of examinations and tests) —

(1) प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता (occupier) जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रियाएं (electrolytic processes) की जाती हैं —

(क निगरानी चिकित्सा की श्रमिकों नियोजित उसमें ((medical surveillance) के लिए एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी (Factory Medical Officer) को नियुक्त करेगा; और

(खउद्देश्य उल्लिखित में (क) खंड को अधिकारी चिकित्सा कारखाना उक्त (ोे के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा; और

(ग मरहम उपयुक्त ((ointment) की पर्याप्त आपूर्ति और अलग बॉक्स में जल प्लास्टर रोधी-(impermeable waterproof plaster) प्रदान करेगा और बनाए रखेगा, जो श्रमिक के लिए आसानी से सुलभ हो और जिसका उपयोग केवल मरहम तथा प्लास्टर रखने के उद्देश्य से ही किया जाएगा।

(2) कारखाना चिकित्सा अधिकारी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया में नियोजित किए जाने से पहले सभी श्रमिकों की जांच करेगा। ऐसी जांच में हाथों, अग्रबाहुओं (forearms) और नाक का निरीक्षण शामिल होगा और यह एक सप्ताह से अधिक के अंतराल पर नहीं किया जाएगा।

(3) चिकित्सा परीक्षाओं और किए गए उपयुक्त परीक्षणों का रिकॉर्ड स्वास्थ्य रजिस्टर फॉर्म-7 (Form-7) में रखा जाएगा, जिसे इंस्पेक्टर सुविधाप्रदाता-सह-(Inspector-cum-Facilitator) द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

7. चिकित्सा परीक्षण (Medical Examination) -

1) इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक की उसके प्रथम नियोजन के 15 दिनों के भीतर एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। ऐसी जांच में मूत्र में क्रोमियम (chromium in urine) और नाक के सेप्टम में वेध (nasal septum perforation) के परीक्षण शामिल होंगे। कारखाने में उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के बाद किसी भी श्रमिक को तब तक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन के लिए उसे फिट प्रमाणित न कर दिया जाए।

(2) उक्त प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक श्रमिक की कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा हर तीन कैलेंडर महीने में कम से कम एक बार पुनः जांच की जाएगी। ऐसी पुनः जांच में, जहाँ भी कारखाना चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, उप पैराग्राफ-(1) के तहत निर्दिष्ट परीक्षण शामिल होंगे।

(3) कारखाना चिकित्सा अधिकारी किसी श्रमिक की जांच करने के बाद फॉर्म-8 में फिटनेस प्रमाण पत्र (Certificate of Fitness) जारी करेगा। की गई जांच और पुनः जांच का रिकॉर्ड कारखाने के प्रबंधक की हिरासत में रखा जाएगा। उप पैराग्राफ-(1) और (2) के तहत की गई प्रत्येक जांच का रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षणों की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-7 में स्वास्थ्य रजिस्टर (Health Register) में भी दर्ज किया जाएगा।

(4) फिटनेस प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर इंस्पेक्टर सुविधाप्रदाता-सह-(Inspector-cum-Facilitator) द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखे जाएंगे।

(5) यदि किसी भी समय, कारखाना चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी की यह राय है कि कोई श्रमिक इस आधार पर उक्त प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए अब उपयुक्त नहीं है कि उसमें काम जारी रखने से श्रमिक के स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का एक रिकॉर्ड बनाएगा। इन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टि में वह अवधि भी शामिल होनी चाहिए जिसके लिए वह विचार करता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रियाओं में काम के लिए अयोग्य है।

(6) उप पैराग्राफ-(5) के अंतर्गत अयोग्य पाए गए किसी भी व्यक्ति को तब तक पुनर्नियोजित नहीं किया जाएगा या उक्त प्रक्रियाओं में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी आगे की जांच के बाद उसे इन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिर से फिट प्रमाणित नहीं कर देता।

8. चेतावनी पट्टिका (Cautionary placard) — मुख्य इंस्पेक्टर सुविधाप्रदाता-सह-(Chief Inspector-cum-Facilitator) द्वारा निर्दिष्ट रूप में और नियोजित अधिकांश श्रमिकों की भाषा में मुद्रित एक चेतावनी पट्टिका कारखाने में एक प्रमुख स्थान पर लगाई जाएगी जहाँ इसे श्रमिकों द्वारा आसानी से और सुविधापूर्वक पढ़ा जा सके।

9. साप्ताहिक परीक्षा (Weekly examination) — जहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग की जाती है, वहाँ कारखाना चिकित्सा अधिकारी साप्ताहिक रूप से श्रमिक की जांच करेगा और नियोजित व्यक्तियों के हाथों तथा अग्रबाहुओं (forearms) का निरीक्षण करेगा तथा एक रजिस्टर में ऐसे निरीक्षणों का रिकॉर्ड रखेगा।

अनुसूची -V

इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर्स का निर्माण और मरम्मत

(MANUFACTURE AND REPAIRS OF ELECTRIC ACCUMULATORS):

1. बचत (Savings) — यह अनुसूची (schedule) ऐसे इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटरों (electric accumulators) या उनके पुर्जों के निर्माण या मरम्मत पर लागू नहीं होगी जिनमें सीसा (lead) या सीसे का कोई यौगिक नहीं है; या परिसर में किसी स्थिर बैटरी (stationary battery) के हिस्से के रूप में किसी एक्यूमुलेटर की मरम्मत पर लागू नहीं होगी।

2. परिभाषाएँ (Definitions) — इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए —

(a) "प्रथम नियोजन" (First employment) से तात्पर्य कारखाने या कार्यशाला में किसी सीसा प्रक्रिया (lead process) में पहली बार नियोजन से है और इसमें लगातार तीन कैलेंडर महीने से अधिक की अवधि के लिए नियोजन समाप्त होने के बाद उक्त प्रक्रिया में पुनर्नियोजन (re-employment) भी शामिल होगा।

(b) "सीसा प्रक्रिया" (Lead process) से तात्पर्य सीसे या सीसा युक्त किसी भी सामग्री के गलने (melting), ढलाई (casting), पेस्टिंग (pasting), लेड बर्निंग (lead burning), या किसी अन्य कार्य से है, जिसमें ट्रिबिंग (tribbing), या पेस्ट की गई प्लेटों को घिसना (abrading) या काटना (cutting) शामिल है, जिसमें सीसे के किसी भी ऑक्साइड का उपयोग, संचलन, हेरफेर या उसके संपर्क में आना शामिल है।

(c) "कच्चे लेड ऑक्साइड का हेरफेर" (Manipulation of raw oxide of lead) से तात्पर्य किसी भी ऐसी सीसा प्रक्रिया से है जिसमें बर्तन (receptacle) में ले जाने या एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन में किसी उपकरण के माध्यम से स्थानांतरित करने के अलावा कच्चे लेड ऑक्साइड का कोई भी हेरफेर या संचलन शामिल हो।

(d) "निलंबन" (Suspension) से तात्पर्य स्वास्थ्य रजिस्टर (फॉर्म-7) में कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित प्रमाण पत्रों द्वारा किसी भी सीसा प्रक्रिया में नियोजन से निलंबन से है, जिसके पास ऐसी प्रक्रिया में नियोजित सभी व्यक्तियों के संबंध में निलंबन की शक्ति होगी।

3. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिबंध (Prohibition relating to women and young persons) — किसी भी गर्भवती महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी सीसा प्रक्रिया (lead process) में या ऐसे किसी भी कमरे में जहाँ कच्चे लेड ऑक्साइड का हेरफेर (manipulation) या पेस्टिंग की जाती है, नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि महिला श्रमिकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनकी सहमति से काम पर रखा जा सकता है:

(1) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) प्रदान करने के लिए अधिष्ठाता (occupier) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।

(2) अधिष्ठाता, जहाँ तक संभव हो, समय और करेगा आधुनिकीकरण का स्थानों/प्रक्रियाओं उपर्युक्त पर समय-आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।

(3) ऐसी महिला श्रमिक जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं (feeding mother), उन्हें नियोजन से छूट दी जाएगी।

4. कुछ प्रक्रियाओं का पृथक्करण (Separation of certain processes)

प्रत्येक निम्नलिखित प्रक्रिया को इस प्रकार और ऐसी परिस्थितियों में चलाया जाएगा जिससे एक और से दूसरे-अलगाव प्रभावी से प्रक्रिया अन्य किसी(effectual separation) सुनिश्चित हो सके:

(a) कच्चे लेड ऑक्साइड का हेरफेर (manipulation of raw oxide of lead);

(b) पेस्टिंग (pasting);

(c) पेस्ट की गई प्लेटों को सुखाना (drying of pasted plates);

(d) लेड बर्निंग (/टैकिंगtacking) के साथ फॉर्मेशन जो अनिवार्य रूप से इसके संबंध में किया जाता है;

(e) पेस्ट की गई प्लेटों को पिघलाना (melting down of pasted plates)।

5. वायु स्थान (Air space) जिस भी कमरे में सीसा प्रक्रिया (lead process) चलाई जाती है, उसमें कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम 500 घन फीट (cubic feet) का वायु स्थान होना चाहिए, और इस वायु स्थान की गणना करते समय 12 फीट से अधिक की किसी भी ऊंचाई को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

.

6. वेंटिलेशन वायुसंचार /(Ventilation) प्रत्येक कार्य कक्ष-(work-room) में पर्याप्त आकार के इनलेट (inlets) और आउटलेट (outlets) प्रदान किए जाएंगे ताकि कमरे के सभी हिस्सों में कुशल वेंटिलेशन सुनिश्चित और बनाए रखा जा सके।

7. पेस्टिंग रूम में श्रमिकों के बीच की दूरी (Distance between worker in the pasting room) प्रत्येक पेस्टिंग रूम में किसी भी पेस्ट करने वाले (paster) की कार्य स्थिति के केंद्र और उसके सबसे करीब काम करने वाले पेस्ट करने वाले की कार्य स्थिति के केंद्र के बीच की दूरी पाँच फीट से कम नहीं होगी।

8. कार्य फर्श का कक्षों-(Floor of work-rooms)

(1) जिस भी कमरे में सीसा प्रक्रिया (lead process) चलाई जाती है, उसका फर्श—

(a) सीमेंट या इसी तरह की सामग्री का होना चाहिए ताकि वह चिकना हो और पानी को अंदर न जाने दे (impervious to water);

(b) अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिए; और

(c) कमरे में की जाने वाली प्रक्रिया के लिए आवश्यक न होने या उसमें उत्पन्न न होने वाली सामग्री, प्लांट या अन्य बाधाओं से मुक्त रखा जाना चाहिए।

(2) ग्रिड कास्टिंग शॉप (grid casting shops) को छोड़कर ऐसे सभी कमरों में, फर्श को प्रतिदिन पानी से अच्छी तरह छिड़काव करने के बाद साफ किया जाएगा, उस समय जब कमरे में कोई अन्य काम नहीं चल रहा हो।

(3) ग्रिड कास्टिंग शॉप में फर्श को प्रतिदिन साफ किया जाएगा।

(4) उप पैराग्राफ-(1), (2) और (3) की आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ कच्चे लेड ऑक्साइड का हेरफेर या पेस्टिंग की जाती है, वहाँ फर्श—

(a) काम करते समय लगातार नम रखा जाएगा;

(b) जल निकासी (drainage) के लिए उपयुक्त और पर्याप्त व्यवस्था से युक्त होगा;

(c) होज़ पाइप (hose pipe) की मदद से प्रतिदिन अच्छी तरह धोया जाएगा।

9. वर्कबेंचर्स मेज-कार्य /(Workbenches) वे वर्कबेंचर्स जिन पर कोई भी सीसा प्रक्रिया (lead process) चलाई जाती है—

(a) उनकी सतह चिकनी होनी चाहिए और उन्हें अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिए;

(b) उन्हें ऐसी सभी सामग्रियों या प्लांट से मुक्त रखा जाना चाहिए जो वहाँ की जाने वाली प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं हैं या उसमें उत्पन्न नहीं होते हैं;

और ग्रिड कास्टिंग शॉप्स (grid casting shops) को छोड़कर ऐसे सभी वर्कबेंचर्स—

(c) को प्रतिदिन या तो अच्छी तरह गीला करने के बाद या सक्शन क्लीनिंग उपकरण (suction cleaning apparatus) के माध्यम से, ऐसे समय पर साफ किया जाएगा जब वहाँ कोई अन्य काम नहीं चल रहा हो;

और ग्रिड कास्टिंग शॉप्स के ऐसे सभी वर्कबेंचर्स—

(d) को प्रतिदिन साफ किया जाएगा;

और पेस्टिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रत्येक वर्कबेंच—

(e) पूरी तरह से लेड शीट या अन्य अभेद्य (impervious) सामग्री से ढका होगा;

(f) उठे हुए किनारों (raised edges) से युक्त होगा; और

(g) पेस्टिंग का काम चलते समय लगातार नम रखा जाएगा।

10. निकास ड्राफ्ट (Exhaust draught)

(1) निम्नलिखित प्रक्रियाएँ एक कुशल निकास ड्राफ्ट (efficient exhaust draught) के उपयोग के बिना नहीं चलाई जाएंगी:

(a) सीसा या सीसा युक्त सामग्री को पिघलाना (Melting);

(b) कच्चे लेड ऑक्साइड का हेरफेर (Manipulation), जब तक कि यह एक बंद उपकरण (enclosed apparatus) में न किया जाए ताकि कार्य कक्ष में धूल के रिसाव को रोका जा सके;

(c) पेस्टिंग (Pasting);

(d) पेस्ट की गई प्लेटों की छंटाई (Trimming), ब्रशिंग, फाइलिंग या धूल पैदा करने वाली कोई अन्य घिसाई (abrading) या कटाई;

(e) लेड बर्निंग, सिवाय इसके—

(i) फॉर्मेशन रूम में "टैकिंग"(tacking);

(ii) सेल केस के लिए लेड लाइनिंग बनाने हेतु रासायनिक बर्निंग, जो ऐसे तरीके से की जाती है कि कुशल निकास का उपयोग करना अव्यवहारिक हो।

(2) ऐसा निकास ड्राफ्ट (exhaust draught) यांत्रिक साधनों (mechanical means) द्वारा प्रभावित किया जाएगा और इस प्रक्रिया में निकलने वाली धूल या धुएं पर उसके उद्गम स्थल (point of origin) के जितना संभव हो सके पास काम करेगा, ताकि इसे किसी भी ऐसे कमरे की हवा में प्रवेश करने से रोका जा सके जहाँ लोग काम करते हैं।

11. पिघलाने वाले बर्तनों से धुआँ और गैसें (Fumes and Gases from melting pots) किसी भी पिघलाने वाले बर्तन (melting pot) को गर्म करने में उत्पन्न होने वाले दहन के उत्पादों (products of combustion) को उस कमरे में जहाँ व्यक्ति काम करते हैं, फैलने नहीं दिया जाएगा।

12. मैल (कंटेनर का (ड्रॉस(Container of dross)प्रत्येक पिघलाने वाले बर्तन (melting pot) से मैल (dross) हटाए जाने पर उसके लिए कसकर ढक्कन लगाने वाले एक उपयुक्त बर्तन (receptacle) की व्यवस्था की जाएगी और उसका उपयोग किया जाएगा। कार्यजाएगा रखा हुआ ढका बर्तन ऐसा दौरान के रहने में कक्ष-, सिवाय इसके जब उसमें मैल डाला जा रहा हो।

13. सीसा अपशिष्ट के लिए कंटेनर (Container for lead waste) प्रत्येक कार्य बर्तन उपयुक्त एक में कक्ष-(receptacle) उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें पुरानी प्लेटें और अपशिष्ट सामग्री, जिससे धूल उड़ सकती है, जमा की जाएगी।

14. सुखाने वाले कमरे में रैक और शेल्फ (Racks and shelves in drying room)

(1) किसी भी सुखाने वाले कमरे (drying room) में उपलब्ध कराए गए रैक या शेल्फ फर्श से 8 फीट से अधिक ऊंचे और 2 फीट से अधिक चौड़े नहीं होंगे;

बशर्ते कि दोनों तरफ से सेट किए जाने वाले या खींचे जाने वाले रैक या शेल्फ के संबंध में, कुल चौड़ाई 4 फीट से अधिक नहीं होगी।

(2) ऐसे रैक या शेल्फ को केवल अच्छी तरह से गीला करने के बाद ही साफ किया जाएगा, जब तक कि इस उद्देश्य के लिए एक कुशल सक्शन क्लीनिंग उपकरण (suction cleaning apparatus) का उपयोग न किया जाए।

15. चिकित्सा सुविधाएँ और परीक्षाओं तथा परीक्षणों का रिकॉर्ड (Medical facilities and record of examinations and tests)

(1) प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता (occupier) जिसमें इलेक्ट्रिक एक्युमलेटर्स (electric accumulators) का निर्माण और मरम्मत की जाती है— (a) उसमें नियोजित श्रमिकों की चिकित्सा निगरानी (medical surveillance) के लिए एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी (Factory Medical Officer) नियुक्त करेगा; और

(b) उक्त कारखाना चिकित्सा अधिकारी को खंड (a) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा।

16. चिकित्सीय परीक्षण (Medical examination)

(1) सीसा प्रक्रियाओं (lead processes) में नियोजित प्रत्येक श्रमिक का उसकी पहली नियुक्ति के 15 दिनों के भीतर एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी (factory medical officer) द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण में मूत्र और रक्त में सीसा (lead in urine and blood), मूत्र में ALA, हीमोग्लोबिन सामग्री, कोशिकाओं की स्टिपलिंग (stippling of cells) और स्थिरता परीक्षण (steadiness test) शामिल होंगे। कारखाने में अपनी पहली नियुक्ति के 15 दिनों के बाद किसी भी श्रमिक को तब तक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि मेडिकल ऑफिसर द्वारा उसे ऐसे नियोजन के लिए फिट प्रमाणित न कर दिया जाए।

(2) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक का कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा कम से कम हर तीन कैलेंडर महीने में एक बार पुनः परीक्षण (re-examined) किया जाएगा। ऐसा पुनः परीक्षण, जहाँ भी कारखाना चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, उप पैराग्राफ-(1) में निर्दिष्ट परीक्षणों को शामिल करेगा।

(3) श्रमिकों की जाँच करने के बाद कारखाना चिकित्सा अधिकारी फॉर्म-7 में फिटनेस प्रमाण पत्र (Certificate of Fitness) जारी करेगा। किए गए परीक्षणों और पुनः परीक्षणों का रिकॉर्ड प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाएगा और प्रमाण पत्र कारखाने के प्रबंधक की हिरासत में रखा जाएगा। उप पैराग्राफ-(1) और (2) के तहत किए गए प्रत्येक परीक्षण का रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षणों की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-7 में एक स्वास्थ्य रजिस्टर (Health Register) में भी दर्ज किया जाएगा।

(4) फिटनेस प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर, इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर-कम-(Inspector-cum-Facilitator) द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखे जाएंगे।

(5) यदि किसी भी समय कारखाना चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी की यह राय है कि कोई श्रमिक उक्त प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए अब उपयुक्त नहीं है, इस आधार पर कि उसमें बने रहने से श्रमिक के स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का रिकॉर्ड बनाएगा। उन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टि में वह अवधि भी शामिल होनी चाहिए जिसके लिए वह मानता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रियाओं में काम करने के लिए अयोग्य है।

(6) उप पैराग्राफ-(5) में ऊपर बताए अनुसार काम करने के लिए अयोग्य पाए गए किसी भी व्यक्ति को तब तक फिर से काम पर नहीं रखा जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि चिकित्सा अधिकारी, आगे की परीक्षा के बाद, उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिर से फिट प्रमाणित नहीं कर देता।

17. सुरक्षात्मक वस्त्र (Protective clothing)

(1) निम्नलिखित में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षात्मक वस्त्र (protective clothing) प्रदान किए जाएंगे और उन्हें अच्छी मरम्मत की स्थिति में बनाए रखा जाएगा— (a) कच्चे लेड ऑक्साइड का हेरफेर (manipulation of raw oxide of lead);

(b) पेस्टिंग (pasting);

(c) फॉर्मेशन रूम (the formation room);

और ऐसे वस्त्र संबंधित व्यक्तियों द्वारा पहने जाएंगे।

(2) सुरक्षात्मक वस्त्रों में एक वाटरए प्रूफ-प्रन (water-proof apron) और वाटर जूते प्रूफ-(water-proof footwear) शामिल होंगे; और इसके अलावा, कच्चे लेड ऑक्साइड के हेरफेर या पेस्टिंग में नियोजित व्यक्तियों के संबंध में, सिर को ढकने वाले कपड़े (head coverings) शामिल होंगे। सिर को ढकने वाले इन कपड़ों को प्रतिदिन धोया जाएगा।

18. मेस कक्ष भोजन / रूम-(Mess-room)

सीसा प्रक्रियाओं (lead processes) में नियोजित और भोजन के अंतरालों के दौरान परिसर में रहने वाले सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त मेसजाएगा किया रखरखाव उसका और जाएगा किया प्रदान रूम-, जो पर्याप्त मेजों और बेंचों तथा भोजन गर्म करने के पर्याप्त साधनों से सुसज्जित होगा।

मेसजाएगा किया प्रदान तहत के प्रभार के व्यक्ति जिम्मेदार एक रूम-, और इसे साफ रखा जाएगा।

19. क्लोदिंग रूम कक्ष-वस्त्र /(Cloak-room)

सीसा प्रक्रिया (lead process) में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक क्लोदिंग रूम (cloak-room) प्रदान किया जाएगा और उसका रखरखाव किया जाएगा—

a) काम के घंटों के दौरान उतारे गए कपड़ों के लिए एक क्लोदिंग रूम, जिसमें कपड़ों के गीले होने पर उन्हें सुखाने की पर्याप्त व्यवस्था हो। ऐसी सुविधा किसी भी मेसहोगी अलग से रूम-; और

b) पैराग्राफ 17 के तहत प्रदान किए गए सुरक्षात्मक वस्त्रों के भंडारण के लिए अलग और उपयुक्त व्यवस्था।

20. धोने की सुविधाएँ (Washing facilities)

(1) सीसा प्रक्रियाओं (lead processes) में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक स्वच्छ स्थिति में और अच्छी मरम्मत में निम्नलिखित प्रावधान प्रदान किए जाएंगे और रखे जाएंगे:

(a) छत के नीचे (under cover) धोने का एक स्थान, जिसमें या तो—

(i) बिना प्लग के अपशिष्ट पाइप (waste pipe) से युक्त चिकनी और अभेद्य सतह (impervious surface) वाला एक गर्त (trough) हो, जो किसी भी समय नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम दो फीट की अनुमति देने के लिए पर्याप्त लंबाई का हो, और गर्त के ऊपर 2 फीट से अधिक के अंतराल पर नलों या जेट्स (taps or jets) से पानी की निरंतर आपूर्ति हो; या

(ii) किसी भी समय नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वॉश बेसिन हो, जो अपशिष्ट पाइप और प्लग से युक्त हो और जिसमें पानी की निरंतर आपूर्ति चालू हो।

(iii) उपयुक्त सामग्रियों से बने साफ तौलिये की पर्याप्त आपूर्ति जिसे प्रतिदिन बदला जाए, जो आपूर्ति, पेस्टर्स और कच्चे लेड ऑक्साइड के हेरफेर में नियोजित व्यक्तियों के मामले में, ऐसे प्रत्येक श्रमिक के लिए एक अलग चिह्नित (marked) तौलिया शामिल करेगी; और

(iv) साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई सामग्री और नाखून ब्रश (nail brushes) की पर्याप्त आपूर्ति।

(2) मुख्य इंस्पेक्टरफैस-कम-िलिटेटर (Chief Inspector-cum-Facilitator) के लिखित नोटिस द्वारा यदि आवश्यक हो, तो कच्चे लेड ऑक्साइड के हेरफेर या पेस्टिंग वाले कमरों के अत्यंत निकट धोने के साधन अतिरिक्त रूप से प्रदान किए जाएंगे।

21. धोने के लिए दिया जाने वाला समय (Time to be allowed for washing)

कच्चे लेड ऑक्साइड के हेरफेर (manipulation) या पेस्टिंग में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, नियमित भोजन के समय के अलावा, प्रत्येक भोजन से पहले और दिन का काम समाप्त होने से पहले, धोने के लिए कम से कम दस मिनट का समय दिया जाएगा।

बशर्ते कि यदि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बेसिन या दो फीट का गर्त (trough) उपलब्ध हो, तो यह नियम लागू नहीं होगा।

22. स्नान की सुविधाएँ (Facilities for bathing)

कच्चे लेड ऑक्साइड के हेरफेर या पेस्टिंग में लगे सभी व्यक्तियों के लिए, चीफ इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर-कम-(Chief Inspector-cum-Facilitator) की संतुष्टि के अनुसार पर्याप्त स्नान व्यवस्था (bath accommodation) प्रदान की जाएगी, तथा साबुन और साफ तौलिये की पर्याप्त आपूर्ति की जाएगी।

23. कार्यभोजन में कक्षों-, पेय आदि पर प्रतिबंध (Food, drink, etc. prohibited in work-rooms)

किसी भी ऐसे कार्य प्रक्रिया सीसा भी कोई जिसमें में कक्ष-(lead process) चलाई जाती है, किसी भी श्रमिक द्वारा न तो कोई भोजन, पेय, पान और सुपारी या तंबाकू का सेवन किया जाएगा और न ही उसे कार्य कक्ष- में लाया जाएगा।

अनुसूची -VI

कांच निर्माण और उससे संबंधित प्रक्रियाएँ (Glass Manufacture and Process Incidental Thereto)

1. छूट (Exemption)

यदि मुख्य इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर-कम-(Chief Inspector-cum-Facilitator) किसी कारखाने या प्रक्रिया के किसी भी वर्ग के संबंध में संतुष्ट है कि काम के विशेष तरीकों या कारखाने की विशेष परिस्थितियों के कारण या अन्यथा, इस अनुसूची की किसी भी आवश्यकता को उसमें नियोजित व्यक्तियों को बिना किसी खतरे के निलंबित या शिथिल (suspended or relaxed) किया जा सकता है, या यह कि इस अनुसूची का अनुप्रयोग या इसका कोई भी हिस्सा किसी भी कारण से अव्यवहारिक है, तो वह लिखित प्रमाण शर्तों ऐसी और लिए के अवधि इंगित में पत्र-प्रमाण ऐसे द्वारा पत्र-पर, जैसी वह ठीक समझे, ऐसे निलंबन या शिथिलता को अधिकृत (authorised) कर सकता है।

2. परिभाषाएँ (Definitions)

इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए—

परिभाषाएँ ((जारी(Definitions - Contd.)

(a) "कुशल निकास ड्राफ्ट "(**Efficient exhaust draught)** का अर्थ है गैस, वाष्प, धूल या धुएं को हटाने के लिए यांत्रिक साधनों द्वारा प्रभावित स्थानीयकृत वेंटिलेशन (localized ventilation), ताकि उन्हें (वायुमंडलीय सामान्य में परिस्थितियोंरूप से प्रचलित परिस्थितियों के तहत जहां तक व्यावहारिक हो की स्थान ऐसे भी किसी (पर बिंदु उस जो जाएगा माना नहीं कुशल ड्राफ्ट भी कोई है। जाता किया काम जहाँ सके जा रोका से करने प्रवेश में हवा गैस ऐसी जहाँ है रहता विफल में हटाने को धुएं वाले होने उत्पन्न, वाष्प, धुआँ या धूल उत्पन्न होती है।

(b) "प्रथम नियोजन "(**First Employment)** का अर्थ पैराग 3 में निर्दिष्ट प्रक्रिया और कांच फूँकने (glass blowing) में पहला नियोजन है, और इसमें लगातार तीन कैलेंडर महीने से अधिक समय तक नियोजन की किसी भी समाप्ति के बाद ऐसी प्रक्रिया में पुनः नियोजन (re-employment) भी शामिल होगा, और

(c) "सीसा यौगिक "(**Lead compound)** का अर्थ गैलेना (galena) के अलावा सीसे का कोई भी ऐसा यौगिक है, जिसे नीचे वर्णित तरीके से उपचारित करने पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल में घुलनशील सीसे के यौगिक की ऐसी मात्रा प्राप्त होती है जो, लेड मोनोऑक्साइड के रूप में गणना किए जाने पर, विश्लेषण के लिए लिए गए हिस्से के शुष्क वजन के पाँच प्रतिशत से अधिक होती है।

उपचार की विधि (Method of treatment)

उपचार की विधि इस प्रकार होगी:

100°C पर सुझाई गई और अच्छी तरह से मिलाई गई सामग्री की एक तौली हुई मात्रा को, सामान्य तापमान पर हाइड्रोजन क्लोराइड के वजन द्वारा 0.25 प्रतिशत युक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल के अपने वजन से 1,000 गुना के साथ लगातार एक घंटे तक हिलाया जाएगा। इसके बाद इस घोल को एक घंटे के लिए खड़े रहने दिया जाएगा और फिर इसे छाना (filtered) जाएगा। स्पष्ट छानने के बाद (clear filtrate) उसमें मौजूद लेड लवण को लेड सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित (precipitated) किया जाएगा और लेड सल्फेट के रूप में तौला जाएगा।

3. निकास ड्राफ्ट (Exhaust draught)

निम्नलिखित प्रक्रियाएँ केवल एक कुशल निकास ड्राफ्ट (efficient exhaust draught) के तहत या ऐसी अन्य शर्तों के तहत चलाई जाएंगी जिन्हें चीफ इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर-कम-(Chief Inspector-cum-Facilitator) द्वारा अनुमोदित किया गया हो:

(a) "बैच "(batch) बनाने के लिए कच्चे माल का मिश्रण (mixing)।

(b) कांच या कांच की किसी वस्तु की सूखी पिसाई (dry grinding), ग्लेजिंग और पॉलिशिंग।

(c) वे सभी प्रक्रियाएँ जिनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआँ या अमोनियाकल वाष्प (ammonical vapours) निकलती हैं;

(d) भट्ठी के सांचे (furnace mould) या "पॉट"(pots) बनाने की सभी प्रक्रियाएँ, जिसमें उपयोग किए गए की "पॉट्स" है शामिल भी कुचलना या पिसाई; और

(e) सूखे सीसे के यौगिक (dry lead compound) के उपयोग से जुडी सभी प्रक्रियाएँ; और

(f) कांच की चूड़ियों या अन्य कांच के उत्पादों को जोड़ने, पीसने, सजाने, एनलिंग, रीमेल्टिंग, पेंटिंग, प्रिंटिंग, एब्रेसिव ब्लास्टिंग, एचिंग, मार्किंग आदि द्वारा आगे संसाधित करते समय धूल, वाष्प, गैस, धुंध, धुआँ या कालिख (soot) छोड़ने वाला कोई अन्य संचालन।

4. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिबंध (Prohibition relating to women and young persons)

पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट किसी भी संचालन और कांच फूँकने (glass blowing) में या ऐसे किसी भी स्थान पर जहाँ ऐसे संचालन किए जाते हैं, किसी भी गर्भवती महिला या युवा व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि महिला श्रमिकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनकी सहमति से काम पर रखा जा सकता है:—

(1) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) प्रदान करने के लिए अधिष्ठाता (occupier) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।

(2) अधिष्ठाता, जहाँ तक संभव हो, समयउपर्य पर समय-युक्त प्रक्रियाओं और करेगा आधुनिकीकरण का स्थानों/ करेगा। उपयोग का उपकरणों आधुनिक

(3) स्तनपान कराने वाली महिला श्रमिकों (feeding mothers) को नियोजन से छूट दी जाएगी।

5. फर्श और वर्कबेंच (Floors and workbenches)

प्रत्येक कमरे का फर्श और वर्कबेंच जिसमें सीसे के सूखे यौगिक (dry compound of lead) का हेरफेर किया जाता है या जिसमें सिलिका धूल (silica dust) छोड़ने वाली कोई प्रक्रिया चलाई जाती है, गीला रखा जाएगा और निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करेगा:

(a) फर्श निम्नलिखित प्रकार के होंगे—

(i) सीमेंट या समान सामग्री के बने होंगे ताकि वे चिकने और पानी के प्रति अभेद्य (impervious to water) हों;

(ii) अच्छी और ठोस स्थिति में रखे जाएंगे; और

(iii) उस समय को छोड़कर जब कमरे में कोई अन्य काम चल रहा हो, पानी से अच्छी तरह छिड़काव करने के बाद प्रतिदिन साफ किए जाएंगे।

(b) वर्कबेंच—

(i) एक चिकनी सतह वाले होंगे और अच्छी स्थिति में रखे जाएंगे, और

(ii) उस समय को छोड़कर जब वहाँ कोई अन्य काम चल रहा हो, अच्छी तरह से गीला करने के बाद या सक्शन क्लीनिंग उपकरण (suction cleaning apparatus) के माध्यम से प्रतिदिन साफ किए जाएंगे।

.

6. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग (Use of Hydrofluoric Acid)

हाइड्रोफ्लोरिक एसिड (hydrofluoric acid) से कांच का उपचार (treat) किए जाने वाले कमरों पर निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे—

(a) कमरे के सभी भागों में कुशल वेंटिलेशन सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए पर्याप्त आकार के इनलेट और आउटलेट (inlets and outlets) होंगे;

(b) फर्श गट्टा पर्चा-(gutta-percha) से ढका हुआ और तंग होगा तथा एक ढंके हुए नाले की ओर हल्के से ढलान वाला होगा;

(c) कार्यस्थल (work places) निकलते हुए हुड (projecting hoods) में इस प्रकार बंद किए जाएंगे कि उपचार की जाने वाली वस्तुओं को अंदर लाने के लिए आवश्यक शुरुआती उद्घाटन (openings) यथासंभव छोटे हों; और

(d) कुशल निकास ड्राफ्ट (efficient exhaust draught) इस तरह से तैयार किया जाएगा कि गैसें नीचे की ओर (downwards) निष्कासित हों।

7. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का भंडारण और परिवहन (Storage and transport of Hydrofluoric Acid)

हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का भंडारण या परिवहन सीसा (lead) या रबर से बने सिलेंडरों या पात्रों (receptacles) के अलावा किसी अन्य चीज में नहीं किया जाएगा।

8. कार्यभोजन में कक्ष-, पेय आदि पर प्रतिबंध (Food, drinks, etc. prohibited in workroom)

पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट किसी भी प्रक्रिया को चलाने वाले किसी भी कमरे या कार्यस्थल में किसी भी श्रमिक द्वारा न तो कोई भोजन, पेय, पान और सुपारी या तंबाकू लाया जाएगा और न ही उसका सेवन किया जाएगा।

9. सुरक्षात्मक वस्त्र (Protective clothing)

अधिष्ठाता (occupier) पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए काम की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त सुरक्षात्मक वस्त्र, जूते और चश्मे (goggles) प्रदान करेगा, अच्छी मरम्मत में रखेगा और साफ स्थिति में रखेगा, और ऐसे वस्त्र, जूते आदि संबंधित व्यक्तियों द्वारा पहने जाएंगे।

10. धोने की सुविधाएँ (Washing facilities)

पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक स्वच्छ स्थिति में और अच्छी मरम्मत में निम्नलिखित प्रावधान प्रदान किए जाएंगे और रखे जाएंगे:

(a) धोने का एक स्थान जिसमें या तो—

(i) बिना प्लग के अपशिष्ट पाइप (waste pipe) से युक्त चिकनी और अभेद्य सतह (impervious surface) वाला एक गर्त (trough) हो, जो किसी भी समय नियोजित प्रत्येक पाँच ऐसे व्यक्तियों के लिए कम से कम दो फीट की अनुमति देने के लिए पर्याप्त लंबाई का हो, और गर्त के ऊपर 2 फीट से अधिक के अंतराल पर नलों या जेट्स (taps or jets) से पानी की निरंतर आपूर्ति हो; या

(ii) किसी भी समय नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वॉश बेसिन हो, जो अपशिष्ट पाइप और प्लग से युक्त हो और जिसमें पानी की पर्याप्त आपूर्ति चालू हो या हमेशा आसानी से उपलब्ध हो; और

(b) उपयुक्त सामग्रियों से बने साफ तौलिये की पर्याप्त आपूर्ति जिसे साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई सामग्री और नाखून ब्रश (nail brushes) की पर्याप्त आपूर्ति के साथ प्रतिदिन बदला जाए, और

(c) नलों के साथ स्टैंड पाइप-(stand-pipes) की पर्याप्त संख्या—ऐसे स्टैंड चीफ स्थान और संख्या की पाइपों- फैसिलिटेटर-कम-इंस्पेक्टर(Chief Inspector-cum-Facilitator) की संतुष्टि के अनुसार होंगे।

11. चिकित्सा सुविधाएँ और परीक्षण तथा परीक्षा का रिकॉर्ड (Medical facilities and record of examination and tests)

(1) प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता (occupier), जिसमें कांच निर्माण प्रक्रियाएँ (glass manufacturing processes) की जाती हैं—

(a) नियोजित श्रमिकों की चिकित्सा निगरानी (medical surveillance) के लिए एक योग्य कारखाना चिकित्सा अधिकारी (Factory Medical Officer) को नियुक्त करेगा, और

(b) खंड (a) में उल्लिखित उद्देश्य के लिए उक्त कारखाना चिकित्सा अधिकारी को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा।

(2) उक्त चिकित्सक द्वारा किए गए चिकित्सा परीक्षणों और उचित जाँच के रिकॉर्ड को फॉर्म-7 (Form-7) में एक अलग स्वास्थ्य रजिस्टर (Health Register) में रखा जाएगा, जिसे इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर-कम-(Inspector-cum-Facilitator) द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

12. कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण (Medical examination by Factory Medical Officer)

(1) पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं, नीचे दी गई प्रक्रियाओं और कांच फूँकने (glass blowing) में नियोजित प्रत्येक श्रमिक का उसके पहले नियोजन के 15 दिनों के भीतर एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी (Factory Medical Officer) द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षणों में दृष्टि (eyesight) की जाँच, फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण (pulmonary functions tests) और संदिग्ध मामलों में सीने के एक्स रे-(chest X-rays) के साथफूँकने कांच साथ- का काम करने वालों को छोड़कर श्रमिकों के मूत्र में सीसे (lead in urine) के परीक्षण भी शामिल होंगे। कारखाने में अपने

पहले नियोजन के 15 दिनों के बाद किसी भी श्रमिक को तब तक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे ऐसी नियोजन के लिए फिट प्रमाणित न किया जाए।

प्रक्रियाएँ:

- लाल गर्म पिघले हुए कांच से घुंडी गुल्ली/(Ghundi/Gulli) और लोम्स तैयार करना;
- रंगाई, लोम्स की डिजाइनिंग, लोम्स को दोबारा गर्म करना और उनका आकार बदलना;
- बेलन या चूड़ी खींचने वाली मशीनों पर दोबारा गर्म किए गएडिज/ाइन किए गए लोम्स से "कॉइल-चूड़ी" (Bangle-Coils) का हेरफेर;
- बेलन का घूमना (Rotation of belan);
- चूड़ी का हेरफेर करते समय चूड़ी अलगाव/सेटिंग की कॉइल-(Setting/separation);
- चूड़ी खींचने वाली बेलन छड़ के दूसरे छोर पर चूड़ीसंग्रहण का कॉइल-;
- चूड़ी कटाई की कॉइल-(Cutting)।

(2) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक का कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा हर बारह कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार पुनः परीक्षण (re-examined) किया जाएगा। ऐसा पुनः परीक्षण, जहाँ भी कारखाना चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, उप पैराग्राफ-(1) में निर्दिष्ट परीक्षणों को शामिल करेगा।

(3) कारखाना चिकित्सा अधिकारी किसी श्रमिक की जाँच करने के बाद फॉर्म-7 (Form-8) में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा। किए गए परीक्षण और पुनः परीक्षण का रिकॉर्ड प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाएगा और प्रमाण पत्र कारखाने के प्रबंधक की हिरासत में रखा जाएगा। उप पैराग्राफ-(1) और (2) के तहत किए गए प्रत्येक परीक्षण का रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षणों की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-7 (Form-7) में स्वास्थ्य रजिस्टर में भी दर्ज किया जाएगा।

(4) फिटनेस प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर को इंस्पेक्टर से आसानी लिए के निरीक्षण द्वारा फैसिलिटेटर-कम-जाएगा। रखा उपलब्ध

(5) यदि किसी भी समय कारखाना चिकित्सा अधिकारी की यह राय है कि कोई श्रमिक इस आधार पर उक्त प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए अब फिट नहीं है कि उसमें निरंतरता से श्रमिक के स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का एक रिकॉर्ड बनाएगा। उन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टि में वह अवधि भी शामिल होनी चाहिए जिसके लिए वह मानता है कि उक्त व्यक्ति को उक्त प्रक्रियाओं में काम के लिए अयोग्य (unfit) माना जाता है।

(6) उप पैराग्राफ-(5) के अनुसार अयोग्य पाए गए किसी भी व्यक्ति को तब तक दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा या उक्त प्रक्रियाओं में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि कारखाना चिकित्सा अधिकारी आगे की जाँच के बाद, उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिर से फिट प्रमाणित न कर दे।

13. ब्लो पाइप (Blow pipes)

प्रत्येक ग्लास ब्लोअर (glass blower) को एक अलग ब्लो पाइप प्रदान किया जाएगा जिस पर उस व्यक्ति का विशिष्ट चिह्न (distinguishing mark) अंकित होगा जिसे वह जारी किया गया है, और प्रत्येक ग्लास ब्लोअर के लिए अपने ब्लो पाइप को स्टरलाइज (sterilizing) करने के लिए उचित सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध होंगी।

अनुसूची -VII

धातुओं की पिसाई या ग्लेजिंग और उससे संबंधित प्रक्रियाएँ

(Grinding or Glazing of Metals and Processes Incidental Thereto)

1. परिभाषाएँ (Definitions)

इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए—

(a) "ग्राइंडस्टोन "**(Grindstone)** का अर्थ प्राकृतिक या निर्मित बलुआ पत्थर (sandstone) से बना एक ग्राइंडस्टोन है, लेकिन इसमें कोई धातु का पहिया या सिलेंडर शामिल नहीं है जिसमें प्राकृतिक या निर्मित बलुआ पत्थर के ब्लॉक फिट किए गए हों।

(b) "अपघर्षक पहिया "**(Abrasive wheel)** का अर्थ बंधुआ एरी (bonded emery) या समान अपघर्षक से निर्मित एक पहिया है।

(c) "पिसाई "**(Grinding)** का अर्थ, ग्राइंडस्टोन या अपघर्षक पहिये के माध्यम से, यांत्रिक शक्ति की सहायता से धातु को घिसना (abrading) है।

(d) "ग्लेजिंग "**(Glazing)** का अर्थ, किसी भी पहिये, बफ, मोप या समान उपकरण की सहायता से यांत्रिक शक्ति द्वारा धातु का घिसना, पॉलिश करना या फिनिशिंग करना है, जिससे कोई अपघर्षक या पॉलिश करने वाला पदार्थ जुड़ा या लगाया गया हो।

(e) "रेसिंग "**(Racing)** का अर्थ पहली बार उपयोग में लाए जाने से पहले घूमने वाले ग्राइंडस्टोन को मोड़ना, काटना या ड्रेसिंग करना है।

(f) "हैकिंग "**(Hacking)** का अर्थ हैक या समान उपकरण द्वारा ग्राइंडस्टोन की सतह की छंटाई (chipping) करना है।

(g) "रॉडिंग "**(Rodding)** का अर्थ ऐसी सतह पर धातु की छड़, बार या पट्टी लगाकर घूमने वाले ग्राइंडस्टोन की सतह की ड्रेसिंग करना है।

2. अपवाद (Exceptions)

(a) इस अनुसूची की कोई भी बात किसी ऐसे कारखाने पर लागू नहीं होगी जिसमें केवल मरम्मत का काम किया जाता है, सिवाय उसके किसी ऐसे हिस्से के जिसमें एक या अधिक व्यक्ति पूरी तरह से या मुख्य रूप से धातुओं की पिसाई (grinding) या ग्लेजिंग में नियोजित हैं।

(b) पैरा 4 को छोड़कर इस अनुसूची की कोई भी बात किसी ऐसी धातु की पिसाई या ग्लेजिंग पर लागू नहीं होगी जो आंतरायिक (intermittently) रूप से की जाती है और जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी सप्ताह में 12 घंटे से अधिक के लिए नियोजित नहीं किया जाता है।

3. धूल हटाने के उपकरण (Equipment for removal of dust)

कोई भी रेसिंग, सूखी पिसाई (dry grinding) या ग्लेजिंग निम्नलिखित के बिना नहीं की जाएगी—

(a) एक हुड या अन्य उपकरण जो इस प्रकार निर्मित, व्यवस्थित, रखा और अनुरक्षित हो कि फेंकी गई धूल को काफी हद तक रोक सके; और

(b) पर्याप्त आकार का एक डक्ट, जो हवा से तंग (airtight) हो और धूल को ले जाने में सक्षम हो, जिसे रुकावट से मुक्त रखा जाएगा और निरीक्षण तथा सफाई के लिए पहुँच के उचित साधन प्रदान किए जाएंगे, और जहाँ व्यावहारिक हो, इंस्पेक्टर को उपकरण भी किसी आवश्यक लिए के लगाने पता का दबाव के हवा में डक्ट उक्त को फैसिलिटेटर-कम-होगा कनेक्शन एक पर छोर के दूर से पंखे लिए के बनाने सक्षम में जोड़ने; और

(c) धूल को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त ड्राफ्ट उत्पन्न करने वाला एक पंखा या अन्य कुशल साधन:

(परंतुक /Proviso) बशर्ते कि चीफ इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर-कम-(Chief Inspector-cum-Facilitator) किसी अन्य ऐसे उपकरण को स्वीकार कर सकता है जो उसकी राय में, फेंकी गई धूल को रोकने, हटाने और निपटाने के लिए उतना ही प्रभावी हो जितना कि एक हुड, डक्ट और पंखा होता है।

4. पिसाई के संचालन पर नियोजन पर प्रतिबंध (Restriction on employment on grinding operations)

किसी भी समय एक से अधिक व्यक्ति ग्राइंडस्टोन, अपघर्षक पहिये (abrasive wheel) या ग्लेजिंग उपकरण पर पिसाई या ग्लेजिंग की वास्तविक प्रक्रियाएँ नहीं करेगा:

बशर्ते कि यह पैराग्राफ ऐसे किसी भी ग्राइंडस्टोन, अपघर्षक पहिये या ग्लेजिंग उपकरण पर भारी या भारी वस्तुओं (heavy or bulky articles) के हेरफेर में सहायता के लिए व्यक्तियों के नियोजन को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

5. ग्लेजिंग (Glazing)

ग्लेजिंग या अन्य प्रक्रियाएँ, सिवाय उस प्रक्रिया के जो ग्राइंडस्टोन पर गीली पिसाई (wet grinding) से संबंधित है, किसी भी ऐसे कमरे में नहीं की जाएगी जिसमें ग्राइंडस्टोन पर गीली पिसाई की जाती है।

6. हैकिंग और रॉडिंग (Hacking and rodding)

हैकिंग या रॉडिंग तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि प्रक्रिया के दौरान या तो (a) ग्राइंडस्टोन की ऊपरी सतह पर पानी की पर्याप्त आपूर्ति न हो, (b) पैराग्राफ 3 की आवश्यकताओं के अनुसार धूल को रोकने के लिए पर्याप्त उपकरण प्रदान न किए गए हों।

7. धूल उपकरण की जाँच (Examination of dust equipment)

(1) धूल निकालने या दबाने के लिए सभी उपकरणों की हर छह महीने में कम से कम एक बार किसी सक्षम व्यक्ति (competent person) द्वारा जाँच और परीक्षण किया जाएगा, और ऐसी जाँच तथा परीक्षण से सामने आई किसी भी कमी को यथासंभव जल्दू से जल्द ठीक किया जाएगा।

(2) ऐसे परीक्षण और जाँच के विवरण वाला एक रजिस्टर फॉर्म-56 (Form-56) में रखा जाएगा।

8. चिकित्सा सुविधाएँ और परीक्षण तथा परीक्षा का रिकॉर्ड (Medical facilities and record of examinations and tests)

(1) प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता (occupier) जिसमें धातुओं की पिसाई या ग्लेजिंग की जाती है और जहाँ 50 या अधिक श्रमिक नियोजित हैं—

(a) वहाँ नियोजित श्रमिकों की चिकित्सा निगरानी (medical surveillance) के लिए एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी (Factory Medical Officer) को नियुक्त करेगा, और

(b) खंड (a) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए उक्त कारखाना चिकित्सा अधिकारी को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा।

(2) उक्त चिकित्सक द्वारा किए गए चिकित्सा परीक्षणों और उचित जाँच के रिकॉर्ड को स्वास्थ्य रजिस्टर फॉर्म-7 (Form-7) में बनाए रखा जाएगा, जिसे इंस्पेक्टर रखा उपलब्ध से आसानी लिए के निरीक्षण द्वारा फैसिलिटेटर-कम-जाएगा।

9. कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण (Medical examination by Factory medical officer)

(1) धातु की पिसाई या ग्लेजिंग और उससे संबंधित प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक का उसके पहले नियोजन के 15 दिनों के भीतर एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षणों में फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण (pulmonary function tests) और संदिग्ध मामलों में सीने के एक्स रे-(chest X-rays) शामिल होंगे। कारखाने में अपने पहले नियोजन के 15 दिनों के बाद किसी भी श्रमिक को तब तक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि किसी कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे ऐसे नियोजन के लिए फिट प्रमाणित न किया जाए।

(2) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक का हर 12 कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण (re-examined) किया जाएगा। ऐसा पुनः परीक्षण, जहाँ भी कारखाना चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, उप पैराग्राफ-(1) में निर्दिष्ट परीक्षणों को शामिल करेगा।

(3) कारखाना चिकित्सा अधिकारी किसी श्रमिक की जाँच करने के बाद फॉर्म-7 (Form-8) में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा। किए गए परीक्षण और पुनः परीक्षण का रिकॉर्ड प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाएगा और प्रमाण पत्र कारखाने के प्रबंधक की हिरासत में रखा जाएगा। उप पैराग्राफ-(1) और (2) के तहत किए गए प्रत्येक परीक्षण का

रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षणों की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-7 में स्वास्थ्य रजिस्टर में भी दर्ज किया जाएगा।

(4) यदि किसी भी समय कारखाना चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी की यह राय है कि कोई श्रमिक इस आधार पर उक्त प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए अब फिट नहीं है कि उसमें निरंतरता से श्रमिक के स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का एक रिकॉर्ड बनाएगा। उन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टि में वह अवधि भी शामिल होनी चाहिए जिसके लिए वह मानता है कि उक्त व्यक्ति को उक्त प्रक्रियाओं में काम के लिए अयोग्य (unfit) माना जाता है।

(5) उप पैराग्राफ-(4) के अनुसार अयोग्य पाए गए किसी भी व्यक्ति को तब तक दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा या उक्त प्रक्रियाओं में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी आगे की जाँच के बाद, उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिर से फिट प्रमाणित न कर दे।

10. छूट (Exemption)

चीफ इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर-कम-(Chief Inspector-cum-Facilitator) लिखित प्रमाण पत्र द्वारा, उन शर्तों के अधीन जिन्हें वह उसमें निर्दिष्ट कर सकता है, किसी कारखाने के संबंध में इस अनुसूची के किसी भी प्रावधान में ढील दे सकता है या निलंबित कर सकता है, यदि काम के विशेष तरीकों के कारण या अन्यथा ऐसी छूट या निलंबन नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में डाले बिना व्यावहारिक है।

अनुसूची -VIII

सीसे और सीसे के कुछ यौगिकों का निर्माण और उपचार (Manufacture and Treatment of Lead and Certain Compounds of Lead)

1. छूट (Exemptions)

जहाँ चीफ इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर-कम-(Chief Inspector-cum-Facilitator) इस बात से संतुष्ट है कि इस अनुसूची के सभी या कोई भी प्रावधान नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, वह लिखित प्रमाण पत्र द्वारा, ऐसी किसी भी शर्त के अधीन जिसे वह उसमें निर्दिष्ट कर सकता है, किसी भी कारखाने को ऐसे सभी या किसी भी प्रावधान से छूट दे सकता है।

1. परिभाषाएँ (Definitions)

इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए—

(a) "कुशल निकास ड्राफ्ट "**(Efficient exhaust draught)** का अर्थ गैस, वाष्प, धूल या धुएं को हटाने के लिए गर्मी या यांत्रिक साधनों द्वारा प्रभावित स्थानीयकृत वेंटिलेशन है ताकि उन्हें (में परिस्थितियों वायुमंडलीय प्रचलित है। जाता किया काम जहाँ सके जा रोका से फैलने में हवा की स्थान ऐसे भी किसी (से रूप व्यावहारिक यथासंभव वि में हटाने को धुएं उत्पन्न पर बिंदु उस जो जाएगा माना नहीं कुशल को ड्राफ्ट भी किसीफल रहता है जहां ऐसी वाष्प, धुआँ या धूल उत्पन्न होती है।

(b) "पहला नियोजन "**(First Employment)** का अर्थ पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट प्रक्रिया और कांच फूँकने (glass blowing) में पहला नियोजन है और इसमें लगातार तीन कैलेंडर महीने से अधिक की अवधि के लिए नियोजन की किसी भी समाप्ति के बाद ऐसी प्रक्रिया में पुनः नियोजन (re-employment) भी शामिल होगा।

(a) "लेड कंपाउंड "**(Lead Compound)** का अर्थ गैलेना (galena) के अलावा सीसे का कोई भी ऐसा यौगिक है जो नीचे वर्णित तरीके से उपचारित किए जाने पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल को, सीसे के मोनोऑक्साइड के रूप में गणना किए जाने पर, विश्लेषण के लिए लिए गए हिस्से के सूखे वजन के पांच प्रतिशत से अधिक घुलनशील सीसे के यौगिक की मात्रा देता है। पेंट और समान उत्पादों तथा तेल या वसा वाले अन्य मिश्रणों के मामले में शुष्क" "भार(dry weight) का अर्थ उस सामग्री का शुष्क भार है जो पदार्थ को अच्छी तरह से मिलाने और तेल, वसा, वार्निश या अन्य माध्यमों को हटाने के लिए उपयुक्त सॉल्वैंट्स के साथ उपचारित करने के बाद बचती है।

उपचार की विधि निम्नलिखित होगी:

100°C पर सुझाई गई और अच्छी तरह से मिलाई गई सामग्री की एक तौली हुई मात्रा को, सामान्य तापमान पर, हाइड्रोजन क्लोराइड के वजन के हिसाब से 0.25 प्रतिशत युक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल के अपने वजन से 1,000 गुना के साथ, लगातार एक घंटे के लिए हिलाया जाएगा। इसके बाद इस घोल को एक घंटे के लिए खड़े रहने दिया जाएगा और फिर फ़िल्टर किया जाएगा। स्पष्ट फ़िल्टर में निहित सीसे के नमक को तब लेड सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित (precipitated) किया जाएगा और लेड सल्फेट के रूप में तोला जाएगा।

3. अनुप्रयोग (Application)

यह अनुसूची उन सभी कारखानों या कारखानों के हिस्सों पर लागू होगी जिनमें निम्नलिखित में से कोई भी संचालन किया जाता है:

(a) ऐसी भट्टी (furnace) पर काम जहाँ जस्ते (zinc) या सीसे (lead) के अयस्कों की कमी या उपचार किया जाता है।

(b) सीसे वाले राख (ashes) का हेरफेर, उपचार या कमी, सीसे का विरक्तीकरण (desilvering) या स्क्रैप लेड या जिंक का पिघलना।

(c) सोल्डर का निर्माण या सीसे के दस प्रतिशत से अधिक वाले मिश्र धातु (alloys)।

(d) सीसे के किसी भी ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट क्रोमैट, एसीटेट, नाइट्रेट या सिलिकेट का निर्माण।

(e) लेड टेट्राथाइल (lead tetraethyl) को संभालना या मिलाना।

(f) सीसे के यौगिक के उपयोग से संबंधित कोई अन्य संचालन।

(g) उन कार्यहै। जाता किया संचालन भी कोई से में उपर्युक्त जहाँ सफाई की कमरों-

4. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिबंध (Prohibition relating to women and young persons)

पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट किसी भी संचालन में किसी भी गर्भवती महिला या युवा व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि महिला श्रमिकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन काम करने की उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है-:

(1) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) प्रदान करने के लिए अधिष्ठाता (occupier) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।

(2) अधिष्ठाता यथासंभव समय उपकरणों आधुनिक और करेगा आधुनिकरण का स्थानों/प्रक्रियाओं उपर्युक्त पर समय-करेगा। उपयोग का

(3) जो महिला श्रमिक स्तनपान कराने वाली माताएँ (feeding mother) हैं, उन्हें इस नियोजन से छूट दी जाएगी।

5. पालन की जाने वाली आवश्यकताएँ (Requirements to be observed)

सीसे के यौगिकों के उपयोग से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि प्रक्रिया ऐसी है कि उसमें सीसे के यौगिक से धूल या धुआँ उत्पन्न होता है, या उसमें नियोजित व्यक्ति अपने नियोजन के दौरान किसी सीसे के यौगिक से छींटे पड़ने के लिए उत्तरदायी हैं, जब तक कि पैराग्राफ 6 से 14 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है।

6. निकास ड्राफ्ट (Exhaust draught)

जहाँ प्रक्रिया में धूल, धुआँ, गैस या वाष्प उत्पन्न होती है, वहाँ एक कुशल निकास ड्राफ्ट (efficient exhaust draught) के माध्यम से उन्हें हटाने की व्यवस्था की जाएगी, जिसे धूल, धुआँ, गैस या वाष्प पर उसके उद्गम बिंदु के जितना संभव हो सके उतना निकट काम करने के लिए तैयार किया गया हो।

7. चिकित्सा सुविधाएँ और परीक्षण तथा परीक्षा का रिकॉर्ड (Medical facilities and records of examination and tests)

(1) प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता (occupier) जिस पर यह अनुसूची लागू होती है—

(a) वहाँ नियोजित श्रमिकों की चिकित्सा निगरानी (medical surveillance) के लिए एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी (factory medical officer) को नियुक्त करेगा; और

(b) उक्त चिकित्सक को खंड (a) में उल्लिखित उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा।

(2) कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए चिकित्सा परीक्षण और उचित जाँच के रिकॉर्ड को एक अलग रजिस्टर में रखा जाएगा, जिसे इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर-कम-(Inspector-cum-Facilitator) द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

8. कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण (Medical examination by factory medical officer)

(1) सीसे के निर्माण पहले उसके का श्रमिक प्रत्येक नियोजित में कार्यों जुड़े से उपचार/नियोजन के 15 दिनों के भीतर एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षणों में रक्त और मूत्र में सीसे की जाँच, मूत्र में ALA, हीमोग्लोबिन की मात्रा, कोशिकाओं की स्टिपलिंग (stippling of cells) और स्थिरता परीक्षण (steadiness test) शामिल होंगे। कारखाने में अपने पहले नियोजन के 15 दिनों के बाद किसी भी श्रमिक को तब तक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे ऐसे नियोजन के लिए फिट प्रमाणित न किया जाए।

(2) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक का हर तीन कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण (re-examined) किया जाएगा। ऐसा पुनः परीक्षण, जहाँ भी कारखाना चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, उप पैराग्राफ-(1) में निर्दिष्ट परीक्षणों को शामिल करेगा।

(3) कारखाना चिकित्सा अधिकारी किसी श्रमिक की जाँच करने के बाद फॉर्म-7 (Form-8) में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा। किए गए परीक्षण और पुनः परीक्षण का रिकॉर्ड प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाएगा और प्रमाण पत्र कारखाने के प्रबंधक की हिरासत में रखा जाएगा। उप पैराग्राफ-(1) और (2) के तहत किए गए प्रत्येक परीक्षण का रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षणों की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-7 (Form-7) में स्वास्थ्य रजिस्टर में भी दर्ज किया जाएगा।

(4) फिटनेस प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर को इंस्पेक्टर से आसानी लिए के निरीक्षण द्वारा फैसिलिटेटर-कम- जाएगा। रखा उपलब्ध

(5) यदि किसी भी समय कारखाना चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी की यह राय है कि कोई श्रमिक इस आधार पर उक्त प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए अब फिट नहीं है कि उसमें निरंतरता से श्रमिक के स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का एक रिकॉर्ड बनाएगा। उन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टि में वह अवधि भी शामिल होनी चाहिए जिसके लिए वह मानता है कि उक्त व्यक्ति को उक्त प्रक्रियाओं में काम के लिए अयोग्य (unfit) माना जाता है।

(6) उपर्युक्त उप पैराग्राफ-(5) के अनुसार अयोग्य पाए गए किसी भी व्यक्ति को तब तक दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा या उक्त प्रक्रियाओं में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी आगे की जाँच के बाद, उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिर से फिट प्रमाणित न कर दे।

9. कार्यभोजन में कमरों-, पेय आदि पर प्रतिबंध (Food, drinks, etc., prohibited in work-rooms)

पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट कोई भी प्रक्रिया जिन कार्यहै जाती की में कमरों-, उनमें किसी भी श्रमिक द्वारा कोई भी भोजन, पेय, पान और सुपारी या तंबाकू न तो लाया जाएगा और न ही उपभोग किया जाएगा, और भोजन या आराम के अंतरालों के दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी कमरे में नहीं रहेगा।

10. सुरक्षात्मक कपड़े (Protective clothing)

कारखाने के अधिष्ठाता द्वारा उपयुक्त सुरक्षात्मक ओवरऑल (overalls) और सिर के आवरण (head coverings) प्रदान किए जाएंगे, अनुरक्षित रखे जाएंगे और साफ रखे जाएंगे तथा नियोजित व्यक्तियों द्वारा ऐसे ओवरऑल और सिर के आवरण पहने जाएंगे।

11. कार्यकमरों-, औजारों आदि की स्वच्छता (Cleanliness of work-rooms, tools, etc.)

जिन कमरों में व्यक्तियों को नियोजित किया जाता है तथा उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी औजार और उपकरण स्वच्छ स्थिति में रखे जाएंगे।

12. धोने की सुविधाएँ (Washing facilities)

(1) अधिष्ठाता (occupier) नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए उपयुक्त धोने की सुविधाएँ प्रदान करेगा और उनका रखरखाव करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे—

(a) एक चिकनी अभेद्य सतह (smooth impervious surface) वाला गर्त (trough) जो बिना प्लग के अपशिष्ट पाइप (waste pipe) से जुड़ा हो और किसी भी समय नियोजित प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम दो फीट की अनुमति देने के लिए पर्याप्त लंबाई का हो, तथा गर्त के ऊपर दो फीट से अधिक के अंतराल पर नलों या जेट से साफ पानी की निरंतर आपूर्ति हो; या

(b) किसी भी समय नियोजित प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वॉशबेसिन-, जो अपशिष्ट पाइप और प्लग से सुसज्जित हो तथा साफ पानी की निरंतर आपूर्ति के साथ हो, और दोनों ही मामलों में, नेल ब्रश, साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई सामग्री और साफ तौलिये की पर्याप्त आपूर्ति हो।

(2) इस प्रकार प्रदान की गई सुविधाएँ एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में रखी जाएंगी और उन्हें साफ रखा जाएगा।

13. मेस कैंटीन या रूम-(Mess-room or canteen)

अधिष्ठाता नियोजित व्यक्तियों के भोजन करने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त व्यवस्था प्रदान करेगा और उसका रखरखाव करेगा। इस व्यवस्था में किसी भी कार्य मेजों पर्याप्त जो होगा शामिल उपयोग का कमरे एक अलग से कमर- होगा सुसज्जित से बेंचों और, और जब तक गर्म भोजन परोसने वाली कैंटीन प्रदान नहीं की जाती है, तब तक भोजन को गर्म करने के पर्याप्त साधन होंगे। कमरे में ताज़ी हवा के संचार द्वारा पर्याप्त रूप से वेंटिलेशन किया जाएगा, इसे एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा और साफ रखा जाएगा।

14. क्लॉक रूम-(Cloak-room)

अधिष्ठाता नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए, काम के घंटों के दौरान न पहने जाने वाले कपड़ों के लिए उपयुक्त आवास और गीले कपड़ों को सुखाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था प्रदान करेगा और उसका रखरखाव करेगा।

अनुसूची-IX

खतरनाक पेट्रोलियम से गैस का उत्पादन (Generation of Gas from Dangerous Petroleum):

1. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिबंध (Prohibition relating to women and young persons)

खतरनाक पेट्रोलियम से गैस उत्पादन करने वाले किसी भी भवन में किसी भी गर्भवती महिला या युवा व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा, काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, या प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बशर्ते कि महिला श्रमिकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन काम करने की उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है-:

(1) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) प्रदान करने के लिए अधिष्ठाता (occupier) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।

(2) अधिष्ठाता यथासंभव समय आधुनिक और करेगा आधुनिकीकरण का स्थानों/प्रक्रियाओं उपर्युक्त पर समय- करेगा। उपयोग का उपकरणों

(3) जो महिला श्रमिक स्तनपान कराने वाली माताएँ (feeding mother) हैं, उन्हें इस नियोजन से छूट दी जाएगी।

2. फ्लेम ट्रैप (Flame traps)

खतरनाक पेट्रोलियम और संबंधित पाइपिंग और फिटिंग से गैस उत्पन्न करने वाला संयंत्र कम से कम दो कुशल फ्लेम ट्रैप से सुसज्जित होगा, जिन्हें इस प्रकार डिज़ाइन और अनुरक्षित किया गया हो कि किसी भी बर्नर से संयंत्र तक फ्लैश बैक (flash back) को रोका जा सके। इनमें से एक ट्रैप संयंत्र के जितना संभव हो सके उतना पास लगाया जाएगा। संयंत्र और सभी पाइप तथा वाल्व रिसाव से मुक्त स्थापित और अनुरक्षित किए जाएंगे।

3. जनरेटिंग बिल्डिंग या रूम (Generating building or room)

खतरनाक पेट्रोलियम से गैस उत्पन्न करने वाले सभी संयंत्र उचित कारखाने के भवन के बाहर एक अलग अच्छी तरह हवादार भवन (हो व्यावहारिक तक जहाँ जाएंगे। किए खड़े में (जाएगा कहा "बिल्डिंग जनरेटिंग" बाद इसके जिसे, ऐसे सभी जनरेटिंग कमरे अग्नि सामग्री प्रतिरोधी-(fire-resisting materials) से बनाए जाएंगे।

4. आग बुझाने के यंत्र (Fire extinguishers)

खतरनाक पेट्रोलियम से गैस उत्पन्न करने वाले संयंत्र के पास किसी भी आसानी से सुलभ स्थिति में पेट्रोल से लगने वाली आग को बुझाने के एक कुशल साधन का रखरखाव किया जाएगा।

5. चीफ इंस्पेक्टर संयंत्र अनुमोदित द्वारा फैसिलिटेटर-कम-(Plant to be approved by Chief Inspector-cum-Facilitator)

पेट्रोल गैस का निर्माण ऐसे संयंत्र में ही किया जाएगा जिसके डिजाइन और निर्माण को चीफ इंस्पेक्टर-कम-हो गया किया अनुमोदित द्वारा फैसिलिटेटर, अन्यथा नहीं।

6. पेट्रोल का रिसाव (Escape of petrol)

पेट्रोल को किसी भी नाली या सीवर में बहने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

7. धूम्रपान आदि से संबंधित प्रतिबंध (Prohibition relating to smoking, etc.)

जनरेटिंग कमरे या भवन में या उसके आसपास कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा या माचिस, आग या नग्न प्रकाश (naked light) या नग्न प्रकाश या चिंगारी उत्पन्न करने का अन्य साधन नहीं ले जाएगा, और कर्मचारियों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में कारखाने में धूम्रपान और माचिस, आग या नग्न प्रकाश या चिंगारी उत्पन्न करने के अन्य साधनों को ऐसे कमरे या भवन में ले जाने पर प्रतिबंध लगाने वाला चेतावनी नोटिस चस्पा किया जाएगा।

8. पेट्रोल या कंटेनरों तक पहुँच (Access to petrol or containers)

किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को किसी भी पेट्रोल या पेट्रोल रखने वाले या वास्तव में पेट्रोल रखने वाले बर्तन तक पहुँच की अनुमति नहीं होगी।

9. इलेक्ट्रिक फिटिंग (Electric fittings)

सभी इलेक्ट्रिक फिटिंग फ्लेम होंगे बंद में कंडुइट्स मेटल तो या कंडक्टर इलेक्ट्रिक सभी और होंगी की निर्माण प्रूफ-शीथेड-लेड या(lead-sheathed) होंगे।

10. दरवाजों का निर्माण (Construction of doors)

जनरेटिंग कमरे या भवन के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने के लिए बनाए जाएंगे; या फिसलने (slide) वाले होंगे और गैस उत्पन्न होने और जनरेटिंग कमरे या भवन में किसी भी व्यक्ति के काम करने के दौरान किसी भी दरवाजे को इस तरह से लॉक, बाधित या बंद नहीं किया जाएगा कि उसे अंदर से आसानी से और तुरंत न खोला जा सके।

11. कंटेनरों की मरम्मत (Repair of containers)

जिस बर्तन में पेट्रोल रहा हो, उसकी मरम्मत जनरेटिंग कमरे या भवन में नहीं की जाएगी और ऐसे किसी भी बर्तन की मरम्मत तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि उसमें लाइव स्टीम (live steam) न उड़ा दी गई हो और जब तक कि आंतरिक भाग को पूरी तरह से स्टीम से साफ न कर दिया गया हो या यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य समान रूप से प्रभावी कदम न उठाए गए हों कि उसे पेट्रोल या ज्वलनशील वाष्प से मुक्त कर दिया गया है।

अनुसूची -X

संपीडित हवा या भाप के ब्लास्ट द्वारा प्रेरित रेत, मेटल शॉट या ग्रिट या अन्य अपघर्षक के जेट द्वारा वस्तुओं की सफाई या चिकनाई या खुरदरापन आदि करना (Cleaning or Smoothing or Roughening etc. of Articles by a Jet of Sand, Metal Shot or Grit or Other Abrasive Propelled by a Blast of Compressed Air or Steam)

1. परिभाषाएँ (Definitions)

इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए—

(a) "ब्लास्टिंग "**(blasting)** का अर्थ संपीडित हवा या भाप के ब्लास्ट द्वारा प्रेरित रेत, मेटल शॉट, या ग्राफ्ट या अन्य सामग्री के अपघर्षक जेट के उपयोग से किसी भी वस्तु की सतह के किसी भी हिस्से की सफाई, चिकनाई, खुरदरापन, या उसे हटाना है;

(b) "ब्लास्टिंग एन्क्लोजर "**(blasting enclosure)** का अर्थ उसके भीतर ब्लास्टिंग करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक कक्ष, बैरल, कैबिनेट या कोई अन्य संलग्नक है;

(c) "ब्लास्टिंग चैंबर "**(blasting chamber)** का अर्थ एक ब्लास्टिंग एन्क्लोजर है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी काम के संबंध में या अन्यथा किसी भी समय प्रवेश कर सकता है; और

(d) "ढलाई की सफाई "**(cleaning of castings)** जहाँ धातु ढलाई के निर्माण के संबंध में एक आकस्मिक या पूरक प्रक्रिया के रूप में किया जाता है, उसका अर्थ ढलाई को चिपकी हुई रेत या अन्य पदार्थ से मुक्त करना है और इसमें कोर को हटाना और ढलाई का सामान्य चिकनापन शामिल है, लेकिन मुफ्त उपचार शामिल नहीं है।

(e) "पहला नियोजन "**(First Employment)** का अर्थ इस अनुसूची के लागू होने वाली किसी भी प्रक्रिया में पहला नियोजन है और इसमें लगातार तीन कैलेंडर महीने से अधिक की अवधि के लिए नियोजन की किसी भी समाप्ति के बाद ऐसी प्रक्रिया में पुनः नियोजन भी शामिल है, और

2. सैंड ब्लास्टिंग पर प्रतिबंध (Prohibition of sand blasting)

मुक्त सिलिका युक्त रेत या कोई अन्य पदार्थ किसी भी ब्लास्टिंग उपकरण में अपघर्षक के रूप में पेश नहीं किया जाएगा और ब्लास्टिंग के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा;

बशर्ते कि सैंड ब्लास्टिंग के किसी भी संचालन में किसी भी गर्भवती महिला या युवा व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि महिला श्रमिकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन काम करने की उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है-:

(1) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) प्रदान करने के लिए अधिष्ठाता (occupier) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।

(2) अधिष्ठाता यथासंभव समय आधुनिक और करेगा आधुनिकीकरण का स्थानों/प्रक्रियाओं उपर्युक्त पर समय-उपकरणों का उपयोग करेगा।

(3) जो महिला श्रमिक स्तनपान कराने वाली माताएँ (feeding mother) हैं, उन्हें इस नियोजन से छूट दी जाएगी।

3. ब्लास्टिंग संचालन के संबंध में सावधानियाँ (Precautions in connection with blasting operations)

(1) ब्लास्टिंग केवल ब्लास्टिंग एन्क्लोजर में की जाएगी और ब्लास्टिंग एन्क्लोजर में ब्लास्टिंग और उससे तुरंत जुड़े किसी भी काम जैसे कि एन्क्लोजर की सफाई और मरम्मत के अलावा, जिसमें उसमें स्थित संयंत्र और उपकरण शामिल हैं, कोई अन्य काम नहीं किया जाएगा। ब्लास्टिंग एन्क्लोजर का प्रत्येक दरवाजा, छिद्र और जोड़ बंद रखा जाएगा और हवा से तंग (airtight) रखा जाएगा जबकि इसके भीतर ब्लास्टिंग की जा रही हो।

(2) ब्लास्टिंग एन्क्लोजर को हमेशा अच्छी स्थिति में रखा जाएगा और ऐसे एन्क्लोजर से, और उससे जुड़े उपकरणों से, किसी भी कमरे की हवा में धूल को बाहर निकलने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक ब्लास्टिंग एन्क्लोजर के संबंध में, ब्लास्टिंग के लिए उपयोग किए गए और अपघर्षक के रूप में फिर से उपयोग किए जाने वाले अपघर्षक को, ब्लास्टिंग से उत्पन्न होने वाली धूल या अन्य सामग्रियों के कणों से, जहाँ तक व्यावहारिक हो, अलग करने के लिए कुशल उपकरण प्रदान किए जाएंगे और उनका रखरखाव किया जाएगा; और ऐसा कोई भी अपघर्षक किसी भी ब्लास्टिंग उपकरण में तब तक नहीं डाला जाएगा और ब्लास्टिंग के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे अलग न कर लिया जाए;

बशर्ते कि यह खंड ब्लास्टिंग चैंबर के मामले को छोड़कर, इस अनुसूची के लागू होने से पहले निर्मित या स्थापित ब्लास्टिंग एन्क्लोजर पर लागू नहीं होगा, यदि चीफ इंस्पेक्टर करने अलग ऐसा कि है राय यह की फैसिलिटेटर-कम-है। नहीं व्यावहारिक से रूप उचित करना प्रदान उपकरण वाला

(4) प्रत्येक ब्लास्टिंग एन्क्लोजर के संबंध में एन्क्लोजर में उत्पन्न धूल को, यांत्रिक साधनों द्वारा प्रभावित निकास ड्राफ्ट द्वारा बाहर निकालने के लिए कुशल वेंटिलेटर प्लांट प्रदान किया जाएगा और उसका रखरखाव किया जाएगा।

निकाली गई और हटाई गई धूल को ऐसे तरीके से और ऐसे तरीके से निपटाया जाएगा कि यह किसी भी कमरे की हवा में न फैले; और किसी ऐसे कमरे में स्थित प्रत्येक अन्य फ़िल्टरिंग या सेटनिंग डिवाइस, जिसमें ऐसे बैग या अन्य फ़िल्टरिंग या सेटनिंग डिवाइस में भाग लेने वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्ति नियोजित हैं, को खुली हवा में हवादार एक संलग्नक में उस कमरे की सामान्य हवा से पूरी तरह से अलग किया जाएगा।

(5) उप पैराग्राफ-(4) के प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए वेंटिलेशन प्लांट को निरंतर संचालन में रखा जाएगा जब भी ब्लास्टिंग एन्क्लोजर उपयोग में हो, चाहे ब्लास्टिंग वास्तव में उसमें हो रही हो या नहीं, और ब्लास्टिंग चैंबर के मामले में, यह तब भी संचालन में होगा जब कोई भी व्यक्ति सफाई के उद्देश्य से चैंबर के अंदर हो।

4. निरीक्षण और परीक्षा (Inspection and examination)

(1) प्रत्येक ब्लास्टिंग एन्क्लोजर का प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा विशेष रूप से निरीक्षण किया जाएगा जिसमें इसका उपयोग ब्लास्टिंग के लिए किया जाता है। प्रत्येक ब्लास्टिंग एन्क्लोजर, उससे जुड़े उपकरण और वेंटिलेशन प्लांट की पूरी तरह से जाँच की जाएगी और वेंटिलेशन प्लांट के मामले में, हर महीने में कम से कम एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षण किया जाएगा।

(2) ऐसे प्रत्येक निरीक्षण, परीक्षा या परीक्षण के परिणाम का विवरण तुरंत एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और कारखाने में ब्लास्टिंग में या उसके संबंध में नियोजित इंस्पेक्टर भी किसी या फैसिलिटेटर-कम-कर्मचारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। ऐसे किसी भी निरीक्षण, परीक्षा या परीक्षण पर पाए गए किसी भी दोष को निरीक्षण, परीक्षा या परीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा तुरंत अधिष्ठाता, प्रबंधक या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सूचित किया जाएगा और इस अनुसूची की पूर्ववर्ती आवश्यकताओं के पूर्वाग्रह के बिना, बिना किसी देरी के दूर किया जाएगा।

5. सुरक्षात्मक हेलमेट, गॉन्टलेट्स और ओवरऑल का प्रावधान (Provision of protective helmets, gauntlets and overalls)

(1) ब्लास्टिंग चैंबर में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए, चाहे ब्लास्टिंग में हो या उससे जुड़े किसी भी काम में या ऐसे चैंबर की सफाई में, चीफ इंस्पेक्टर सुरक्षात्मक के प्रकार अनुमोदित द्वारा पत्र प्रमाण के फैसिलिटेटर-कम-जाएगा किया रखरखाव उनका और जाएंगे किए प्रदान हेलमेट; और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति चैंबर में रहने के दौरान अपने उपयोग के लिए प्रदान किया गया हेलमेट पहनेगा और चैंबर के बाहर होने तक इसे नहीं हटाएगा।

(2) प्रत्येक सुरक्षात्मक हेलमेट पर एक विशिष्ट चिह्न होगा जो उस व्यक्ति को इंगित करता है जिसके द्वारा इसका उपयोग किया जाने का इरादा है और किसी भी व्यक्ति को ऐसा हेलमेट पहनने की अनुमति या आवश्यकता नहीं होगी जो उसके चिह्न को नहीं ले जाता है या ऐसा हेलमेट जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहना गया है और तब से अच्छी तरह से कीटाणुित नहीं किया गया है।

(3) उपयोग में होने पर प्रत्येक सुरक्षात्मक हेलमेट को प्रति मिनट 170 लीटर से कम की दर से साफ और अनुचित रूप से ठंडी हवा की आपूर्ति की जाएगी।

(4) ब्लास्टिंग करते समय या ब्लास्टिंग में सहायता करते समय सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए उपयुक्त गॉन्टलेट्स और ओवरऑल प्रदान किए जाएंगे, और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति ऐसा व्यस्त रहने पर, प्रदान किए गए गॉन्टलेट और ओवरऑल को पहनेगा।

6. सफाई और अन्य कार्य के संबंध में सावधानियाँ (Precautions in connection with cleaning and other work)

(1) जहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी ब्लास्टिंग उपकरण या ब्लास्टिंग एन्क्लोजर या उससे जुड़े किसी भी उपकरण या वेंटिलेशन प्लांट या उसके परिवेश की सफाई में लगा हुआ है या किसी भी ब्लास्टिंग उपकरण या ब्लास्टिंग एन्क्लोजर या उससे जुड़े किसी भी उपकरण या वेंटिलेशन प्लांट के संबंध में किसी अन्य काम में लगा हुआ है ताकि वह ब्लास्टिंग से उत्पन्न होने वाली धूल में साँस लेने के जोखिम के संपर्क में आए, तो ऐसे साँस लेने से रोकने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय किए जाएंगे।

(2) पैरा 5 में उल्लिखित किसी भी सफाई संचालन के संबंध में, और फ़िल्टरिंग या सेटनिंग उपकरणों से धूल हटाने के संबंध में, धूल को इस तरह से निपटाने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय किए जाएंगे कि यह किसी भी कमरे की हवा में प्रवेश न करे। ऐसे सफाई संचालन के लिए जहाँ भी व्यावहारिक हो, वैक्यूम क्लीनर प्रदान किए जाएंगे और उनका उपयोग किया जाएगा।

7. सुरक्षात्मक पहनने के लिए भंडारण आवास (Storage accommodation for protective wear)

पैरा 5 द्वारा प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक हेलमेट, गॉन्टलेट्स और ओवरऑल के लिए पर्याप्त और उपयुक्त भंडारण आवास प्रत्येक ब्लास्टिंग एन्क्लोजर के बाहर और उसके पास सुविधाजनक रूप से प्रदान किया जाएगा और ऐसे आवास को साफ रखा जाएगा। वास्तविक उपयोग में न होने पर हेलमेट, गॉन्टलेट्स और ओवरऑल को इस आवास में रखा जाएगा।

8. सुरक्षात्मक पहनने का रखरखाव और सफाई (Maintenance and cleaning of protective wear)

इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए प्रदान किए गए और पहने जाने वाले सभी हेलमेट, गॉन्टलेट्स, ओवरऑल और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण या कपड़े अच्छी स्थिति में रखे जाएंगे और जहाँ तक उचित रूप से व्यावहारिक हो, प्रत्येक कार्यदिवस को साफ किए जाएंगे जिस दिन उनका उपयोग किया जाता है। जहाँ ऐसे सुरक्षात्मक कपड़ों या उपकरणों की सफाई से उत्पन्न होने वाली धूल के साँस लेने की संभावना है, वहाँ ऐसे साँस लेने से रोकने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय किए जाएंगे। ऐसे कपड़ों से धूल हटाने के लिए जहाँ भी व्यावहारिक हो, वैक्यूम क्लीनर का उपयोग किया जाएगा और किसी भी कपड़े से धूल हटाने के लिए संपीडित हवा का उपयोग नहीं किया जाएगा।

9. वैक्यूम सफाई संयंत्र का रखरखाव (Maintenance of vacuum cleaning plant)

इस अनुसूची के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले वैक्यूम सफाई संयंत्र को ठीक से बनाए रखा जाएगा।

10. चिकित्सा सुविधाएँ और परीक्षण तथा परीक्षा के रिकॉर्ड (Medical facilities and records of examinations and tests)

(1) प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता जिस पर अनुसूची लागू होती है, करेगा –

(a) कुल कर्मचारियों की संख्या 50 से अधिक होने पर वहाँ नियोजित श्रमिकों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी को नियुक्त करेगा; और

(b) खंड (a) में उल्लिखित उद्देश्य के लिए उक्त कारखाना चिकित्सा अधिकारी को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा।

(2) उक्त चिकित्सक द्वारा किए गए चिकित्सा परीक्षणों और उचित जाँच के रिकॉर्ड को फॉर्म-7 में स्वास्थ्य रजिस्टर में रखा जाएगा, जिसे इंस्पेक्टरजाएगा। रखा उपलब्ध से आसानी लिए के निरीक्षण द्वारा फैसिलिटेटर-कम-

11. कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण (Medical examination by the factory medical officer)

(1) इस अनुसूची की किसी भी प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक श्रमिक का उसके पहले नियोजन के 15 दिनों के भीतर एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षणों में फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण और सीने के एक्स पहले अपने में कारखाने होंगे। शामिल रे-नियोजन के 15 दिनों के बाद किसी भी श्रमिक को तब तक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे ऐसे नियोजन के लिए फिट प्रमाणित न किया जाए और फिटनेस प्रमाण पत्र फॉर्म-7 पर रिकॉर्ड रखा जाएगा।

(2) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक का हर 12 कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा और ऐसा पुनः परीक्षण, जहाँ भी कारखाना चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, हर तीन साल में एक बार फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण और सीने के एक्सकरेगा। शामिल को रे-

(3) किए गए पुनः परीक्षणों का रिकॉर्ड फॉर्म-7 में स्वास्थ्य रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और इंस्पेक्टर-कम-होगा। उपलब्ध से आसानी लिए के निरीक्षण को फैसिलिटेटर

(4) यदि किसी भी समय कारखाना चिकित्सा अधिकारी की यह राय है कि कोई श्रमिक इस आधार पर उक्त प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए अब फिट नहीं है कि उसमें निरंतरता से श्रमिक के स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का रिकॉर्ड बनाएगा। दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टि में वह अवधि भी शामिल होनी चाहिए जिसके लिए वह मानता है कि उक्त व्यक्ति को उक्त प्रक्रियाओं में काम के लिए अयोग्य माना जाता है। प्रक्रिया से इस प्रकार निलंबित व्यक्ति को वैकल्पिक प्लेसमेंट सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी जब तक कि वह कारखाना चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तरह से अक्षम न हो, जिस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को उचित रूप से पुनर्वासित किया जाएगा।

(5) उप पैराग्राफ-(4) के अनुसार अयोग्य पाए गए किसी भी व्यक्ति को तब तक दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा या उक्त प्रक्रियाओं में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि कारखाना चिकित्सा अधिकारी, आगे की जाँच के बाद, उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिर से फिट प्रमाणित न कर दे।

12. युवा व्यक्तियों के नियोजन में प्रतिबंध (Restrictions in employment of young persons)

(1) 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को ब्लास्टिंग में या ब्लास्टिंग में सहायता करने या किसी भी ब्लास्टिंग चैंबर में या किसी भी ब्लास्टिंग उपकरण या किसी भी ब्लास्टिंग एन्क्लोजर या उससे जुड़े किसी भी उपकरण या वेंटिलेशन प्लांट की सफाई में नियोजित नहीं किया जाएगा या ऐसे उपकरण, एन्क्लोजर या प्लांट पर रखरखाव या मरम्मत के काम पर नियोजित नहीं किया जाएगा।

(2) 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ब्लास्टिंग एन्क्लोजर के बीस फीट के भीतर नियमित रूप से काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि एन्क्लोजर एक कमरे में न हो और वह उस कमरे के बाहर हो जहाँ वह एन्क्लोजर से आने वाली किसी भी धूल से प्रभावी रूप से अलग हो।

13. छूट या ढील देने की शक्ति (Power to exempt or relax)

(1) यदि चीफ इंस्पेक्टरकार किसी कि है संतुष्ट से बात इस फैसिलिटेटर-कम-खाने या कारखाने के किसी भी वर्ग में, किसी विशेष निर्माण या प्रक्रिया (में ब्लास्टिंग लिए के (अलावा के पूरक या आकस्मिक प्रक्रिया की बनाने ढलाई धातु उपयोग के अपघर्षक ऐसे प्रक्रिया या निर्माण वह और है आवश्यक उपयोग का पदार्थ अन्य या रेत युक्त सिलिका मुक्त केबिना नहीं की जा सकती है या विशेष परिस्थितियों या काम के विशेष तरीके या अन्यथा के कारण इस अनुसूची की किसी भी आवश्यकता को या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है, या नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य को खतरे में डाले बिना ढील दी जा सकती है या ऐसे किसी भी आवश्यकता का अनुप्रयोग किसी भी कारण से अव्यवहारिक या अनुचित है, तो वह राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, लिखित आदेश द्वारा उक्त कारखाने या कारखाने के वर्ग को इस अनुसूची के ऐसे प्रावधानों से, ऐसे सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी अवधि के लिए छूट दे सकता है जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती है।

(2) जहाँ उप पैराग्राफ-(1) के तहत छूट दी गई है, आदेश की एक प्रति कारखाने के मुख्य प्रवेश द्वार या प्रवेश द्वारों पर एक प्रमुख स्थान पर और उस स्थान पर भी जहाँ ब्लास्टिंग की जाती है, एक नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

अनुसूची -XI

कच्चे खाल और चमड़े की चूनाई (प्रक्रियाएँ संबंधित उससे तथा टैनिंग और (लाइमिंग(Liming and Tanning of Raw Hides and Skins and Processes Incidental Thereto):

1. चेतावनी संबंधी नोटिस (Cautionary notices)

(1) चीफ इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर-कम-(Chief Inspector-cum-Facilitator) द्वारा निर्दिष्ट रूप में एंथ्रेक्स (anthrax) के संबंध में चेतावनी संबंधी नोटिस कारखाने में प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे जहाँ उन्हें नियोजित व्यक्तियों द्वारा आसानी से और सुविधापूर्वक पढ़ा जा सके।

(2) एंथ्रेक्स के संबंध में चेतावनी नोटिस की एक प्रति चीफ इंस्पेक्टर प्रत्येक में रूप निर्दिष्ट द्वारा फैसिलिटेटर-कम-जाए रखा पर काम उसे जब जाएगी दी तब को व्यक्ति नियोजित, और उसके बाद यदि वह अभी भी कार्यरत है, तो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के पहले दिन दी जाएगी।

(3) त्वचा पर क्रोम के प्रभावों के संबंध में चेतावनी संबंधी नोटिस हर उस कारखाने में प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे जिसमें क्रोम समाधानों (chrome solutions) का उपयोग किया जाता है और ऐसे नोटिसों को इस तरह से रखा जाएगा कि नियोजित व्यक्तियों द्वारा उन्हें आसानी से और सुविधापूर्वक पढ़ा जा सके।

(4) कारखाने में प्रमुख स्थानों पर नोटिस चस्पा किए जाएंगे जिनमें "प्रथमोपचार"(first-aid) बॉक्स या अलमारी की स्थिति और ऐसे बॉक्स या अलमारी के प्रभारी व्यक्ति का नाम बताया गया हो।

(5) यदि कारखाने में नियोजित कोई भी व्यक्ति अशिक्षित है, तो उप पैराग्राफ-(1), (2) और (4) में निर्दिष्ट नोटिस की सामग्री को ऐसे अशिक्षित व्यक्ति को सावधानीपूर्वक समझाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और यदि कारखाने

में क्रोम समाधानों का उपयोग किया जाता है, तो उप पैराग्राफ-(3) में निर्दिष्ट नोटिस की सामग्री को भी समझाया जाएगा।

2. सुरक्षात्मक कपड़े (Protective clothing)

अधिष्ठाता (occupier) सुरक्षात्मक कपड़ों के निम्नलिखित लेखों को अच्छी स्थिति में प्रदान करेगा और उनका रखरखाव करेगा-:

(a) क्रोम समाधानों की तैयारी सहित, क्रोम समाधानों के संपर्क में शामिल प्रक्रियाओं में नियोजित व्यक्तियों के लिए जलरोधक जूते, पैर के आवरण, एप्रन और दस्ताने;

(b) लाइम यार्ड (lime yard) में नियोजित व्यक्तियों के लिए दस्ताने और जूते; और

(c) परोपकारी प्रक्रियाओं (a) और (b) में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अलावा, खाल (hides or skins) को संभालने में शामिल प्रक्रियाओं में नियोजित व्यक्तियों के लिए सुरक्षात्मक जूते, एप्रन और दस्ताने:

बशर्ते कि दस्ताने, एप्रन, पैर के आवरण या जूते रबर या चमड़े के हो सकते हैं, लेकिन खंड (a) और (b) के तहत प्रदान किए जाने वाले दस्ताने और जूते रबर के होंगे।

बशर्ते कि हाथ से फ्लशिंग करने वाले या ऐसी प्रक्रियाओं में नियोजित व्यक्तियों को दस्ताने प्रदान नहीं किए जा सकते हैं जिनमें चूना, सोडियम सल्फाइड या अन्य कास्टिक शराब के संपर्क का कोई जोखिम नहीं है।

3. धोने की सुविधाएँ, मेस रूम और क्लॉक रूम (Washing facilities, mess room and cloak room)

नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए साफ स्थिति में और अच्छी मरम्मत में निम्नलिखित प्रदान किए जाएंगे और रखे जाएंगे –

(a) बिना प्लग के अपशिष्ट पाइप से सुसज्जित और एक चिकनी अभेद्य सतह वाला एक गर्त (trough), जो किसी भी समय नियोजित ऐसे प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम 60 सेंटीमीटर की अनुमति देने के लिए पर्याप्त लंबाई का हो, और गर्त के ऊपर 60 सेंटीमीटर से अधिक के अंतराल पर नलों या जेट से पानी की निरंतर आपूर्ति हो; या किसी भी समय नियोजित ऐसे प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वॉशबेसिन-, जो अपशिष्ट पाइप और प्लग से सुसज्जित हो तथा साफ पानी की निरंतर आपूर्ति के साथ हो; दोनों ही मामलों में, नेल ब्रश, साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई सामग्री और साफ तौलिये की पर्याप्त आपूर्ति के साथ;

(b) भोजन के अंतरालों के दौरान परिसर में रहने वाले लोगों की संख्या के लिए पर्याप्त, एक उपयुक्त मेसरूम-, जो पर्याप्त मेजों और बेंचों से और भोजन को गर्म करने तथा पानी उबालने के पर्याप्त साधनों से सुसज्जित हो। मेस रूम –

(i) किसी भी ऐसे कमरे या शेड से अलग होगा जिसमें खाल या चमड़े को संग्रहित, उपचारित या हेरफेर किया जाता है;

(ii) क्लॉकहोगा अलग से रूम-; और

(iii) एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा; और

(c) काम के घंटों के दौरान न पहने जाने वाले कपड़ों के लिए उपयुक्त आवास और सुरक्षात्मक कपड़ों के लिए एक अन्य आवास तथा दोनों ही मामलों में गीले होने पर कपड़ों को सुखाने की पर्याप्त व्यवस्था।

इस प्रकार प्रदान किए गए आवास को हर समय साफ रखा जाएगा और एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा।

4. कार्यभोजन में कमरों-, पेय आदि प्रतिबंधित (Food, drinks, etc. prohibited in workrooms)

किसी भी कार्यखाल जिसमें में शेड या कमर- या चमड़े को संग्रहित, उपचारित या हेरफेर किया जाता है, किसी भी श्रमिक द्वारा कोई भी भोजन, पेय, पान और सुपारी या तंबाकू न तो लाया जाएगा और न ही उपभोग किया जाएगा।

5. चिकित्सा सुविधाएँ और परीक्षण तथा परीक्षा के रिकॉर्ड (Medical facilities and record of examinations and tests)

(1) प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता जिस पर अनुसूची लागू होती है, करेगा –

(a) श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक होने पर वहाँ नियोजित श्रमिकों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी (Factory Medical Officer) को नियुक्त करेगा;

(b) खंड (a) में उल्लिखित उद्देश्य के लिए उक्त कारखाना चिकित्सा अधिकारी को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा;

(c) क्रोमियम पदार्थों के संपर्क में रहने वाले सभी व्यक्तियों के हाथों की सप्ताह में दो बार निरीक्षण की व्यवस्था करेगा; और

(d) श्रमिकों के लिए आसानी से सुलभ बॉक्स में उपयुक्त मरहम और प्लास्टर प्रदान करेगा, उसका रखरखाव करेगा और आपूर्ति करेगा, जिसका उपयोग केवल मरहम और प्लास्टर रखने के उद्देश्य से किया जाएगा।

(2) उक्त चिकित्सक द्वारा किए गए चिकित्सा परीक्षणों और उचित जाँच के रिकॉर्ड को चीफ इंस्पेक्टर-कम-जाएगा रखा में रजिस्टर अलग एक अनुमोदित द्वारा फैसिलिटेटर, जिसे इंस्पेक्टर के निरीक्षण द्वारा फैसिलिटेटर-कम-जाएगा। रखा उपलब्ध से आसानी लिए

6. कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण (Medical examination by Factory Medical Officer)

(1) इस अनुसूची के लागू होने वाली किसी भी प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक श्रमिक का उसके पहले नियोजन के 15 दिनों के भीतर एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षणों में जिल्द की सूजन (dermatitis) के लिए त्वचा परीक्षण और ग्राम स्टेन द्वारा स्थानीय घाव से एंथ्रेक्स बैसिलस का पता लगाना शामिल होगा। कारखाने में अपने पहले नियोजन के 15 दिनों के बाद किसी भी श्रमिक को तब तक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे ऐसे नियोजन के लिए फिट प्रमाणित न किया जाए।

(2) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक का हर बारह कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा। ऐसा पुनः परीक्षण, जहाँ भी कारखाना चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, उप पैराग्राफ-(1) में निर्दिष्ट परीक्षणों को शामिल करेगा।

(3) कारखाना चिकित्सा अधिकारी किसी श्रमिक की जाँच करने के बाद फॉर्म-8 में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा। किए गए परीक्षण और पुनः परीक्षण का रिकॉर्ड प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाएगा और प्रमाण पत्र कारखाने के प्रबंधक की हिरासत में रखा जाएगा। उपपैरा-ग्राफ (1) और (2) के तहत किए गए प्रत्येक परीक्षण का रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षणों की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-7 में स्वास्थ्य रजिस्टर में भी दर्ज किया जाएगा।

(4) फिटनेस प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर को इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

(5) यदि किसी भी समय कारखाना चिकित्सा अधिकारी की यह राय है कि कोई श्रमिक इस आधार पर उक्त प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए अब फिट नहीं है कि उसमें निरंतरता से श्रमिक के स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का रिकॉर्ड बनाएगा। दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टि में वह अवधि भी शामिल होनी चाहिए जिसके लिए वह मानता है कि उक्त व्यक्ति को उक्त प्रक्रियाओं में काम के लिए अयोग्य माना जाता है। प्रक्रिया से इस प्रकार निलंबित व्यक्ति को वैकल्पिक प्लेसमेंट सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी जब तक कि वह कारखाना चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तरह से अक्षम न हो, जिस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को उचित रूप से पुनर्वासित किया जाएगा।

(6) उपर्युक्त उप पैराग्राफ-(5) के अनुसार अयोग्य पाए गए किसी भी व्यक्ति को तब तक दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा या उक्त प्रक्रियाओं में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी, आगे की जाँच के बाद, उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिर से फिट प्रमाणित न कर दे।

अनुसूची -XII

मुद्रण प्रेसों और टाइप फाउंड्री में किए जाने वाले कुछ सीसा कार्य (Certain Lead Process Carried on Printing Presses and Type Foundries)

1. छूट (Exemption)

जहाँ चीफ इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर-कम-(Chief Inspector-cum-Facilitator) इस बात से संतुष्ट है कि इस अनुसूची के सभी या कोई भी प्रावधान नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, वह लिखित प्रमाण पत्र द्वारा, ऐसी किसी भी शर्त के अधीन जिसे वह उसमें निर्दिष्ट कर सकता है, किसी भी कारखाने को ऐसे सभी या किसी भी प्रावधान से छूट दे सकता है। ऐसे प्रमाण पत्र को चीफ इंस्पेक्टर-कम-Facilitator द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

2. परिभाषाएँ (Definitions)

इस अनुसूची में—

(a) "सीसा सामग्री "**(Lead material)** का अर्थ ऐसी सामग्री से है जिसमें कम से कम पाँच प्रतिशत सीसा हो।

(b) "सीसा प्रक्रिया "**(Lead process)** का अर्थ है—

(i) ढलाई और यांत्रिक संयोजन (mechanical composing) के लिए सीसे या किसी सीसे की सामग्री को पिघलाना; और

(ii) प्रयुक्त सीसा सामग्री के साथ मशीनों को पुनः चार्ज करना, या

(iii) पिघलने वाले बर्तनों से मैल (dross) हटाना, प्लंजर की सफाई करना सहित कोई अन्य काम; और

(iv) सीसा सामग्री का हेरफेर, संचलन या अन्य उपचार।

(c) "कुशल निकास ड्राफ्ट "**(Efficient exhaust draught)** का अर्थ गैस, वाष्प, धूल या धुएं को हटाने के लिए गर्मी या यांत्रिक साधनों द्वारा प्रभावित स्थानीयकृत वेंटिलेशन है ताकि उन्हें किसी भी ऐसे स्थान की हवा में फैलने से रोका जा सके जहाँ काम किया जाता है। किसी भी ड्राफ्ट को कुशल नहीं माना जाएगा जो उस बिंदु पर गैस, वाष्प, धुआँ या धूल को सुरक्षित करने में विफल रहता है जहाँ वे उत्पन्न होते हैं।

(d) "पहला नियोजन "**(First Employment)** का अर्थ सीसा प्रक्रिया में पहला नियोजन है और लगातार तीन कैलेंडर महीने से अधिक की अवधि के लिए नियोजन की किसी भी समाप्ति के बाद ऐसी प्रक्रिया में पुनः नियोजन भी शामिल है, और

3. निकास ड्राफ्ट (Exhaust draught)

(1) निम्नलिखित में से कोई भी प्रक्रिया कुशल निकास ड्राफ्ट के बिना नहीं की जाएगी, जब तक कि काम किए जाने वाले किसी भी स्थान में गैस, वाष्प, धुएं या धूल के स्वतंत्र पलायन को रोकने के तरीके से न की जाए, या जब तक कि विद्युत रूप से गरम और थर्मोस्टैटिक रूप से नियंत्रित पिघलने वाले बर्तनों में न की जाए।

(a) सीसा सामग्री या स्लग को पिघलाना; और

(b) सीसा सामग्री को गर्म करना ताकि सीसे युक्त वाष्प निकले;

(2) ऐसा निकास ड्राफ्ट यांत्रिक साधनों द्वारा प्रभावित किया जाएगा और इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि यह अपने उद्गम बिंदु पर जितनी स्पष्ट रूप से संभव हो सके, उत्पन्न धूल, धुएं, गैस या वाष्प पर काम करे।

4. महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिबंध (Prohibition relating to women and young persons)

किसी भी गर्भवती महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी सीसा प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि महिला श्रमिकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन काम करने की उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है-:

(1) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) प्रदान करने के लिए अधिष्ठाता (occupier) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा।

(2) अधिष्ठाता यथासंभव समय आधुनिक और करेगा आधुनिकीकरण का स्थानों/प्रक्रियाओं उपर्युक्त पर समय-करेगा। उपयोग का उपकरणों

(3) जो महिला श्रमिक स्तनपान कराने वाली माताएँ (feeding mother) हैं, उन्हें इस नियोजन से छूट दी जाएगी।

5. निश्चित प्रक्रिया का पृथक्करण (Separation of certain process)

निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रक्रिया को ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों के तहत किया जाएगा जिससे एक दूसरे से और किसी अन्य प्रक्रिया से प्रभावी अलगाव सुरक्षित हो सके —

(a) सीसे या किसी सीसा सामग्री को पिघलाना;

(b) सीसे के सिल्लियों (ingots) की ढलाई;

(c) यांत्रिक संयोजन (mechanical composing)।

6. मैल के लिए कंटेनर (Container for dross)

प्रत्येक पिघलने वाले बर्तन से मैल (dross) हटाए जाने पर उसके लिए कसकर फिट होने वाले कवर के साथ एक उपयुक्त बर्तन प्रदान किया जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा। जब मैल को छोड़कर मशीन के पास काम के कमरे में हो, तो ऐसे बर्तन को ढँक कर रखा जाएगा।

7. कार्य फर्श का कमरे-(Floor of work-room)

हर उस कार्यहै जाती की प्रक्रिया सीसा जहाँ फर्श का कमरे-—

(a) सीमेंट या समान सामग्री का होगा ताकि वह चिकना हो और पानी के प्रति अभेद्य हो;

(b) अच्छी स्थिति में रखा जाएगा; और

(c) पानी से अच्छी तरह से नम करने के बाद रोजाना पूरी तरह से साफ किया जाएगा, ऐसे समय में जब उस स्थान पर कोई अन्य काम नहीं किया जा रहा हो।

8. मेस रूम-(Mess-room)

सीसा प्रक्रिया में नियोजित और भोजन के अंतरालों के दौरान परिसर में रहने वाले सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त मेसजाएगा किया रखरखाव उसका और जाएगा किया प्रदान रूम-, जो पर्याप्त मेजों और बेंचों से सुसज्जित होगा।

9. धोने की सुविधाएँ (Washing facilities)

सीसा प्रक्रिया में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए साफ स्थिति में और अच्छी मरम्मत में निम्नलिखित प्रदान किए जाएंगे और रखे जाएंगे —

(a) एक धोने का स्थान जिसके साथ या तो—

(i) बिना प्लग के अपशिष्ट पाइप से सुसज्जित और एक चिकनी अभेद्य सतह वाला एक गर्त, जो किसी भी समय नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम दो फीट की अनुमति देने के लिए पर्याप्त लंबाई का हो, तथा गर्त के ऊपर 2 फीट से अधिक के अंतराल पर नलों या जेट से पानी की निरंतर आपूर्ति हो; या

(ii) किसी भी समय नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वॉश बेसिन, जो अपशिष्ट पाइप और प्लग से सुसज्जित हो तथा पानी की पर्याप्त आपूर्ति से जुड़ा हो या हमेशा आसानी से उपलब्ध हो; और

(b) उपयुक्त सामग्री से बने साफ तौलियों की पर्याप्त आपूर्ति जो प्रतिदिन साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति के साथ नवीनीकृत की जाती हो।

10. चिकित्सा सुविधाएँ और परीक्षण तथा परीक्षा के रिकॉर्ड (Medical facilities and record of examinations and tests)

(1) प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता जिस पर अनुसूची लागू होती है, करेगा –

(a) श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक होने पर वहाँ नियोजित श्रमिकों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी (Factory Medical Officer) को नियुक्त करेगा;

(b) खंड (a) में उल्लिखित उद्देश्य के लिए उक्त कारखाना चिकित्सा अधिकारी को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा।

(2) उक्त कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए चिकित्सा परीक्षणों और उचित जाँच के रिकॉर्ड को चीफ इंस्पेक्टरजाएगा रखा में रजिस्टर अलग एक अनुमोदित द्वारा फैसिलिटेटर-कम-, जिसे इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर-कम-जाएगा। रखा उपलब्ध से आसानी लिए के निरीक्षण द्वारा

11. कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण (Medical examination by Factory medical officer)

(1) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक श्रमिक का उसके पहले नियोजन के 15 दिनों के भीतर एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षणों में मूत्र और रक्त में सीसे की जाँच, मूत्र में ALA, हीमोग्लोबिन की मात्रा, कोशिकाओं की स्टिपलिंग और पैराग्राफ 3 के खंड (a) और (n) में उल्लिखित प्रक्रियाओं में लगे श्रमिकों के लिए फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण (pulmonary function tests) और सीने का एक्सश रे-एक्स के सीने और परीक्षण कार्य फुफ्फुसीय लिए के अन्य तथा रे-ामिल होंगे। कारखाने में अपने पहले नियोजन के 15 दिनों के बाद किसी भी श्रमिक को तब तक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे ऐसे नियोजन के लिए फिट प्रमाणित न किया जाए।

(2) पैराग्राफ 3 के खंड (a) और (b) में उल्लिखित किसी भी प्रक्रिया में नियोजित सभी व्यक्तियों का हर 3 कैलेंडर महीनों में एक बार कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। पैराग्राफ 3 के शेष खंडों में उल्लिखित किसी अन्य प्रक्रिया में नियोजित लोगों की परीक्षा हर बारह कैलेंडर महीनों में एक बार कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी।

सभी कर्मचारियों के संबंध में ऐसे परीक्षणों में उप पैराग्राफ-(1) निर्दिष्ट सभी परीक्षण शामिल होंगे सिवाय सीने के एक्स जो के रे-3 साल में एक बार होगा।

(3) कारखाना चिकित्सा अधिकारी किसी श्रमिक की जाँच करने के बाद फॉर्म-8 में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा। किए गए परीक्षण और पुनः परीक्षण का रिकॉर्ड प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाएगा और प्रमाण पत्र कारखाने के प्रबंधक की हिरासत में रखा जाएगा। उप पैराग्राफ-(1) और (2) के तहत किए गए प्रत्येक परीक्षण का रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षणों की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-7 में स्वास्थ्य रजिस्टर में भी दर्ज किया जाएगा।

(4) फिटनेस प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर को इंस्पेक्टर से आसानी लिए के निरीक्षण द्वारा फैसिलिटेटर-कम-जाएगा। रखा उपलब्ध

(5) यदि किसी भी समय कारखाना चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी की यह राय है कि कोई श्रमिक इस आधार पर उक्त प्रक्रिया में नियोजन के लिए अब फिट नहीं है कि उसमें निरंतरता से श्रमिक के स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का रिकॉर्ड बनाएगा। दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टि में वह अवधि भी शामिल होनी चाहिए जिसके लिए वह मानता है कि उक्त व्यक्ति को उक्त प्रक्रियाओं में काम के लिए अयोग्य माना जाता है।

(6) उपर्युक्त उप पैराग्राफ-(5) के अनुसार अयोग्य पाए गए किसी भी व्यक्ति को तब तक दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा या उक्त प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी, आगे की जाँच के बाद, उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिर से फिट प्रमाणित न कर दे।

12. कार्यभोजन में कमरों-, पेय आदि पर प्रतिबंध (Food, drinks, etc. prohibited in work-rooms)

किसी भी ऐसे कार्यहै जाती की प्रक्रिया सीसा भी कोई जिसमें में कमर-, किसी भी श्रमिक द्वारा कोई भी भोजन, पेय, पान और सुपारी या तंबाकू का उपभोग नहीं किया जाएगा और न ही लाया जाएगा।

अनुसूची-XIII

डाइक्रोमेट निर्माण (Dichromate Manufacture)

1. निश्चित प्रक्रिया का पृथक्करण (Separation of certain Process)

नीचे दी गई प्रक्रियाएँ जो हानिकारक धूल, धुआँ, वाष्प या धुंध उत्पन्न करती हैं, उन्हें अन्य से अलग किया जाना चाहिए और या तो पूरी तरह से संलग्न होना चाहिए या जहाँ आवश्यक हो उपयुक्त निकास वेंटिलेशन व्यवस्था के साथ हुड प्रदान किए जाने चाहिए—

(i) सोडासेक्शन मिक्स-, जिसमें मिश्रित क्रोमाइट सोडाहै। शामिल जगह की भंडारण के पाउडर ऐश-

(ii) प्रतिक्रियाित फ्रिट (reacted frit) भंडारण।

(iii) फ्रिट घुलना (Frit dissolving)।

(iv) डाइक्रोमेट घोल का वाष्पीकरण।

(v) डाइक्रोमेट वजन और पैकिंग या अन्यथा डाइक्रोमेट पाउडर को संभालना।

2. श्वसन यंत्रों का उपयोग (Use of respirators)

उन ऑपरेशनों में, जो कम अवधि के होते हैं और जिनमें यांत्रिक निकास व्यावहारिक नहीं है, अधिष्ठाता श्रमिकों के उपयोग के लिए श्वसन यंत्र (respirators) प्रदान करेगा।

3. सुरक्षात्मक उपकरण (Protective equipment)

निम्नलिखित प्रक्रियाओं में लगे सभी श्रमिकों के उपयोग के लिए उपयुक्त जूते, दस्ताने और एप्रन प्रदान किए जाएंगे:

(a) अम्लीकरण (Acidification)।

(b) सांद्रता (Concentration)।

(c) अपकेंद्रीकरण (Centrifugalization)।

(d) क्रिस्टलीकरण (Crystallisation)।

(e) पैकिंग।

4. कार्य फर्श का कमरों-(Floor of work-rooms)

प्रत्येक कार्यहोगा फर्श का कमरे-—

(a) अभेद्य सामग्री का और आसान जल निकासी की अनुमति देने वाला,

(b) अच्छी स्थिति में रखा गया,

(c) कमरे में की जाने वाली प्रक्रिया में आवश्यक या उत्पादित नहीं होने वाली सामग्रियों, तख्तों या अन्य बाधाओं से मुक्त रखा गया।

5. क्लॉक रूम-(Cloak-room)

डाइक्रोमेट विभाग में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए काम के घंटों के दौरान उतारे गए कपड़ों के लिए एक क्लॉकजाएगा। किया रखरखाव उसका और जाएगा किया प्रदान रूम-

6. धोने की सुविधाएँ (Washing facilities)

डाइक्रोमेट प्रक्रियाओं में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए साफ स्थिति में और अच्छी मरम्मत में निम्नलिखित प्रदान किए जाएंगे और रखे जाएंगे —

(a) एक अभेद्य सतह वाला गर्त जो बिना प्लग के अपशिष्ट पाइप से सुसज्जित हो और किसी भी समय नियोजित प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम दो फीट की अनुमति देने के लिए पर्याप्त लंबाई का हो, तथा गर्त के ऊपर दो फीट से अधिक के अंतराल पर नलों या जेट से साफ पानी की निरंतर आपूर्ति हो, या

(b) किसी भी समय नियोजित प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वॉश बेसिन जो अपशिष्ट पाइप और प्लग से सुसज्जित हो तथा साफ पानी की निरंतर आपूर्ति के साथ हो; दोनों ही मामलों में, साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई सामग्री और साफ तौलिये की पर्याप्त आपूर्ति के साथ।

7. चिकित्सा आवश्यकताएँ (Medical requisites)

अधिष्ठाता कारखाना चिकित्सा अधिकारी के विवेक पर डाइक्रोमेट प्रक्रियाओं में लगे श्रमिकों के लिए आसानी से उपलब्ध उपयुक्त सुरक्षात्मक त्वचा क्रीम और नाक के मरहम (nasal ointment) की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करेगा और उसका रखरखाव करेगा।

8. चिकित्सीय परीक्षण (Medical examination)

(1) डाइक्रोमेट प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति का ऐसी प्रक्रियाओं में उसके पहले नियोजन के चौदह दिनों के भीतर कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद तीन महीने से अधिक के अंतराल पर कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक परीक्षण का रिकॉर्ड कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-7 में स्वास्थ्य रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(2) किसी भी डाइक्रोमेट प्रक्रिया में नियोजित सभी व्यक्तियों के नाम वाला स्वास्थ्य रजिस्टर फॉर्म-7 में रखा जाएगा।

(3) यदि किसी भी समय कारखाना चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी की यह राय है कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर किसी भी डाइक्रोमेट प्रक्रिया में नियोजन के लिए अब फिट नहीं है कि उसके ऐसे नियोजन में निरंतरता से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा, तो वह ऐसे व्यक्ति के नाम के सामने स्वास्थ्य रजिस्टर में इस प्रभाव के लिए एक प्रविष्टि करेगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य रजिस्टर में दर्ज चिकित्सा अधिकारी की लिखित मंजूरी के बिना डाइक्रोमेट प्रक्रिया पर नियोजित नहीं किया जाएगा।

9. चेतावनी संबंधी नोटिस (Cautionary notices)

शामिल स्वास्थ्य खतरों की प्रकृति के साथ नोटिस संबंधी चेतावनी पर उपायों नियंत्रण लिए के सुरक्षा उनकी साथ-जाएंगे। लगाए पर स्थान प्रमुख एक के कारखाने

अनुसूची -XIV

रासायनिक कार्य (Chemical Works)

1. अनुप्रयोग।—इस अनुसूची के प्रावधान रासायनिक कार्यों (Chemical Works) में किए जाने वाले सभी विनिर्माण और उससे संबंधित प्रक्रियाओं पर लागू होंगे। ये प्रावधान OSH&WC कोड या उसके तहत बनाए गए किसी अन्य नियम या किसी अन्य कोड या नियमों के किसी भी प्रावधान के अतिरिक्त होंगे और उनके अल्पीकरण में नहीं होंगे।

2. परिभाषाएँ।—(a) रासायनिक कार्य (Chemical works) से तात्पर्य किसी भी ऐसे कारखाने या कारखाने के ऐसे हिस्सों से है जो इस अनुसूची की उप-अनुसूची A में नामित हैं। (b) श्वास उपकरण (Breathing apparatus) का अर्थ है (1) आवश्यक कनेक्शनों के साथ एक हेलमेट या फेस पीस जिसके माध्यम से जहरीले, दम घुटने वाले या परेशान करने वाले वातावरण में इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति सामान्य हवा में सांस लेता है, या (2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता (Chief Inspector-cum-Facilitator) द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत कोई अन्य उपयुक्त उपकरण। (c) लाइफ-बेल्ट (Life-belt) का अर्थ चमड़े या अन्य उपयुक्त सामग्री से बनी बेल्ट से है जिसे शरीर के चारों ओर सुरक्षित रूप से बांधा जा सकता है और इससे जुड़े रस्सी की एक उपयुक्त लंबाई होती है, जिनमें से प्रत्येक एक आदमी के वजन को सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत होती है। (d) कुशल निकास वायुप्रवाह (Efficient exhaust draught) का अर्थ है गैस, वाष्प, धुएँ या धूल को किसी भी ऐसे स्थान की हवा में से बाहर निकालने के लिए यांत्रिक या अन्य साधनों द्वारा प्रभावित स्थानीयकृत वेंटिलेशन, ताकि इसे उस हवा में फैलने से रोका जा सके जहाँ काम किया जा रहा है। (e) चिकित्सा अधिकारी (Medical officer) का अर्थ कोड की धारा 42 के तहत नियुक्त चिकित्सा अधिकारी से है। (f) निलंबन (Suspension) का अर्थ कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य रजिस्टर में हस्ताक्षरित लिखित प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाण पत्र में उल्लिखित किसी भी प्रक्रिया में नियोजन से निलंबन है। (g) ब्लीचिंग पाउडर (Bleaching powder) का अर्थ उस ब्लीचिंग पाउडर से है जिसे आमतौर पर क्लोराइड ऑफ़ लाइम कहा जाता है। (h) क्लोरेट (Chlorate) का अर्थ क्लोरेट या परक्लोरेट है। (i) कास्टिक (Caustic) का अर्थ पोटेशियम या सोडियम का हाइड्रॉक्साइड है। (j) कास्टिक पॉट (Caustic pot) का अर्थ एक भट्टी या फ्लू पर तय और ईंटवर्क से घिरे धातु के बर्तन से है, जैसा कि आमतौर पर कास्टिक शराब (लिक्वर) को गाढ़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है, चाहे ऐसे

बर्तन का उपयोग कास्टिक या अन्य शराब को गाढ़ा करने या उबालने के लिए किया जाए। (f) क्रोम प्रक्रिया (Chrome process) का अर्थ पोटेशियम या सोडियम के क्रोमेट या बाइक्रोमेट का निर्माण, या उनके निर्माण के संबंध में इन पदार्थों का हेरफेर, संचलन या अन्य उपचार है। (l) नाइट्रो या अमीनो प्रक्रिया (Nitro or amino process) का अर्थ फिनोल और बेंजीन या इसके समरूपों (होमोलॉजीज) के नाइट्रो या अमीनो डेरिवेटिव का निर्माण और इनमें से किसी भी पदार्थ के उपयोग से विस्फोटक बनाना है।

3. अपवाद।—यदि मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता किसी कारखाने या किसी प्रक्रिया के संबंध में इस बात से संतुष्ट है कि, विशेष परिस्थितियों या काम के विशेष तरीकों के कारण, या प्रक्रिया की अनिरंतरता के कारण या अन्य कारणों से, इस अनुसूची के प्रावधानों की सभी या कोई भी आवश्यकताएं किसी कारखाने या प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं, तो वह लिखित आदेश द्वारा (जिसे वह अपने विवेक से रद्द कर सकता है) ऐसे कारखाने या प्रक्रिया को इस अनुसूची के सभी या किसी भी प्रावधान से छूट दे सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह ऐसे आदेश द्वारा निर्धारित कर सकता है।

भाग **I**—उप-अनुसूची - ए के सभी कार्यों पर लागू

(PART I—APPLYING TO ALL THE WORKS IN SUB-SCHEDULE – A)

सामान्य **(General)**

1. हाउसकीपिंग (सफाई-व्यवस्था)।—(a) रास्तों, कार्यों, मशीनरी और प्लांट के प्रत्येक हिस्से को साफ और व्यवस्थित स्थिति में रखा जाएगा। (b) सामग्री के किसी भी रिसाव (स्पिलेज) को बिना किसी देरी के साफ किया जाएगा। (c) फर्श, प्लेटफॉर्म, सीढ़ियाँ, मार्ग और गैंगवे अस्थायी बाधाओं से मुक्त रखे जाएंगे। (d) सफाई, रखरखाव और मरम्मत की सुविधा के लिए प्लांट के सभी हिस्सों तक पहुँचने के आसान साधन प्रदान किए जाएंगे।

2. रसायनों का अनुचित उपयोग।—(a) श्रमिकों द्वारा किसी भी रसायन या विलायक (सॉल्वेंट) का उपयोग उस प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा जिसके लिए वे आपूर्ति किए जाते हैं। (b) श्रमिकों को ऐसे दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। इन निर्देशों को विभिन्न खंडों (सेक्शन) में प्रमुख स्थानों पर बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया जाएगा।

3. भोजन का भंडारण।—(a) प्लांट के किसी भी हिस्से पर या उसके पास कोई भी भोजन, पेय, तंबाकू, पान या इसी तरह की वस्तुएं संग्रहित या उपभोग नहीं की जाएंगी। (b) परीक्षण।—श्रमिकों को सामग्रियों के परीक्षण से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों, या रसायनों के निर्माण में या उसके संबंध में उपयोग किए जाने वाले किसी भी बर्तन के पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग से अवगत कराया जाएगा। इन निर्देशों को विभिन्न खंडों में प्रमुख स्थानों पर बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया जाएगा।

4. प्रक्रिया के खतरे **(Process hazards)**।—किसी भी बड़े पैमाने पर प्रायोगिक कार्य, या किसी नए निर्माण को शुरू करने से पहले, वास्तविक संचालन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं दोनों से जुड़े सभी खतरों का निश्चित रूप से पता लगाने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएंगे। उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के गुणों, बनाए जाने वाले अंतिम उत्पादों, और निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी उप-उत्पाद (बाय-प्रोडक्ट) का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले कर्मचारियों पर प्रभाव सहित किसी भी खतरे से निपटने के लिए प्रावधान किए जाएंगे। भवन और प्लांट का डिज़ाइन इस प्रकार प्राप्त जानकारी पर आधारित होगा।

5. अनधिकृत कार्मिक।—(a) अनधिकृत व्यक्तियों को कारखाने या प्लांट के किसी भी ऐसे खंड (सेक्शन) में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहाँ विशेष खतरे हों। (b) आगंतुक।—आगंतुकों को, जहाँ आवश्यक हो, उपयुक्त सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे और एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा खतरनाक प्लांट के चारों ओर ले जाया जाएगा।

6. उपकरण **(Instruments)**।—प्रेशर गेज, थर्मामीटर, फ्लो मीटर और तौलने वाली मशीनों आदि सभी उपकरणों का हर छह महीने में एक सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षण किया जाएगा, और इन परीक्षणों के रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखे जाएंगे और अधिकार क्षेत्र वाले इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर की मांग पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

7. कॉक और वाल्व।—ब्लैंक ऑफ आदि की सुविधा के लिए सभी सर्विस लाइनों में पर्याप्त रूप से छोटे अंतराल पर उपयुक्त वाल्व प्रदान किए जाएंगे। सभी कॉक और वाल्व महीने में कम से कम एक बार संचालित किए जाएंगे। रसायनों को ले जाने वाले सभी कॉक, वाल्व और पाइपलाइनों का हर तीन महीने में एक सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षण किया जाएगा, और हर साल सभी सर्विस इंस्टॉलेशन की ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति मुख्य इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर और संबंधित क्षेत्र के इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को भेजी जाएगी तथा इन परीक्षणों और रिपोर्टों के रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखे जाएंगे। सभी सर्विस इंस्टॉलेशन का एक प्लान आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा और अधिकार क्षेत्र वाले इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर की मांग पर प्रस्तुत किया जाएगा।

8. मैनहोल्स।—प्रवेश के लिए तब तक कोई मैनहोल नहीं खोला जाएगा जब तक कि इसके चारों ओर प्रभावी बाड़ (फेंसिंग) न लगा दी गई हो।

9. आपातकालीन निर्देश।—यह सुनिश्चित करने के लिए सरल और विशेष निर्देश दिए जाएंगे कि ज्वलनशील, जहरीली या हानिकारक गैसों, वाष्प, तरल पदार्थों या धूल के रिसाव से निपटने के लिए आपात स्थिति में प्रभावी उपाय किए जाएं। इन निर्देशों को विभिन्न खंडों में प्रमुख स्थानों पर बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया जाएगा। सभी श्रमिकों को ऐसी आपात स्थितियों में उठाए जाने वाले कदमों और उनकी नियोजन के सामान्य खतरों के बारे में प्रशिक्षित और निर्देशित किया जाएगा।

10. प्रतिक्रिया मिश्रणों **(Reaction mixtures)** की सुरक्षा।—यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी कि किसी भी प्रकार की कोई विदेशी वस्तु प्रतिक्रिया मिश्रणों में न गिर सके।

11. विद्युत उपकरण।—विद्युत प्लांट, फिटिंग और कंडक्टरों को, यदि वे नम या संक्षारक वातावरण के संपर्क में हैं, पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाएगा। सभी सर्किटों पर आवधिक परीक्षण किए जाएंगे।

12. कार्य के स्थान।—(a) श्रमिकों को केवल उन्हीं स्थानों में जाने की अनुमति दी जाएगी जहाँ उन्हें काम करने के आदेश दिए गए हैं। (b) कारखाने के खतरनाक खंडों (सेक्शन) में, श्रमिकों की संख्या प्रक्रिया के अनुकूल न्यूनतम रखी जाएगी।

13. रसायनों की पैकिंग**,** भंडारण और परिवहन।—रसायनों को इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त और भंडारण या परिवहन के लिए पर्याप्त ताकत वाले कंटेनरों में पैक और संग्रहीत किया जाएगा। ऐसे सभी कंटेनों पर उचित रूप से लेबल लगाया जाएगा ताकि उन्हें इस तरह से संग्रहीत और परिवहन किया जा सके जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि, रिसाव की स्थिति में, वे न तो कोई खतरनाक मिश्रण पैदा करेंगे, और न ही इसके आसपास के अन्य उत्पादों के साथ या दीवारों, फर्श या उस पर मौजूद धूल के संपर्क में आने से जहरीले या आग के जोखिम को पैदा करेंगे।

आग और विस्फोट के जोखिम **(FIRE AND EXPLOSION RISKS)**

14. साइट।—(a) इमारतों और प्लांटों को इसमें शामिल प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले खतरों को ध्यान में रखकर स्थापित किया जाएगा, और विशेष रूप से उन्हें ऐसी दूरी पर रखा जाएगा जो आसन्न इमारतों में प्रक्रियाओं से जुड़े आग और विस्फोट के जोखिमों के लिए सुरक्षित मानी जाती है। आसन्न कारखानों में की जाने वाली किसी भी प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी उचित विचार किया जाएगा। (b) इमारतों का अलगाव।—जहाँ विशेष खतरे मौजूद हैं, वहाँ प्रक्रिया के विभिन्न भागों के लिए अलग-अलग इमारतों का उपयोग किया जाएगा। उन्हें आग या विस्फोट की स्थिति में एक-दूसरे को नुकसान से बचाने के लिए पर्याप्त दूरी पर अलग रखा जाएगा और ढाल दिया जाएगा, और उपयुक्त ब्लो-आउट पैनलों या छतों के प्रावधान द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। जहाँ आग या विस्फोट का जोखिम काफी अधिक है, वहाँ इमारत को ब्लास्ट या सुरक्षात्मक स्क्रीन दीवारों द्वारा विभाजित किया जाएगा। (c) अग्नि प्रतिरोध।—कार्यकारी इमारतों के निर्माण में किसी भी दहनशील सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि उनके उपयोग की आवश्यकता वाले विशेष कारण न हों, तब उन्हें अग्नि-प्रतिरोधी बनाया जाएगा। छत हल्की अग्नि-प्रतिरोधी निर्माण की होगी और फर्श अभेद्य अग्नि-प्रतिरोधी सामग्री के होंगे और उन्हें नियमित रूप से ऐसी स्थिति में बनाए रखा जाएगा।

15. प्रज्वलन के खतरे (भवन स्थापना सहित)।—(a) किसी भी आंतरिक दहन इंजन और किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर या अन्य विद्युत उपकरण को, जो चिंगारी उत्पन्न करने या अन्यथा दहन पैदा करने में सक्षम हो, किसी इमारत या खतरनाक क्षेत्र में स्थापित या उपयोग नहीं किया जाएगा। विद्युत चालकों को स्क्रू किए गए स्टील कंड्यूट के साथ फिट

किया जाएगा। (b) सभी गर्म निकास पाइपों को एक इमारत के बाहर स्थापित किया जाएगा और अन्य गर्म पाइपों को उचित रूप से सुरक्षित किया जाएगा। (c) पोर्टेबल इलेक्ट्रिक हैंड लैंप का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वे आंतरिक रूप से सुरक्षित प्रकार के न हों, और लचीले तारों से जुड़े पोर्टेबल इलेक्ट्रिक टूल्स का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वे फ्लेम प्रूफ प्रकार के न हों। (d) जहाँ ज्वलनशील वातावरण हो सकता है, वहाँ श्रमिकों द्वारा पहने जाने वाले जूतों के तलवों में कोई धातु नहीं होगी, और ट्रकों या कन्वेयर के पहिए प्रवाहकीय गैर-चिंगारी वाली सामग्रियों के होंगे। कारखाने में या सार्वजनिक लाइनों पर संचालित लोकोमोटिव या अन्य वाहनों से निकलने वाली चिंगारी द्वारा विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थों के प्रज्वलन को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती जाएंगी। (e) किसी भी इलेक्ट्रिक आर्क लैंप या खुली रोशनी (नेकेड लाइट), निश्चित या पोर्टेबल, का उपयोग नहीं किया जाएगा, और किसी भी व्यक्ति के पास कारखाने के किसी भी ऐसे हिस्से में या उसके आसपास माचिस या खुली रोशनी या चिंगारी पैदा करने वाला किसी भी प्रकार का उपकरण नहीं होगा जहाँ ज्वलनशील गैस, वाष्प या धूल से आग या विस्फोट की आशंका हो और ऐसे हिस्सों में सभी तापदीप्त (इतनीसेंडेंट) इलेक्ट्रिक लाइटें डबल एयर-टाइट ग्लास कवर में होंगी। (f) बहुसंख्यक श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में प्रमुख सूचनाएं जो दिन में और रात में पढ़ने योग्य हों, धूम्रपान, खुली रोशनी के उपयोग और माचिस या खुली रोशनी या चिंगारी पैदा करने वाले किसी भी उपकरण को ले जाने पर प्रतिबंध लगाती हैं, प्रत्येक कमरे या स्थान के प्रवेश द्वार पर लगाई जाएंगी जहाँ ज्वलनशील गैस, वाष्प या धूल से आग या विस्फोट का जोखिम हो। अनपढ़ श्रमिकों के मामले में, जब वे पहली बार कारखाने में काम करना शुरू करते हैं और फिर जब वे कारखाने में एक सप्ताह पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें नोटिस की सामग्री को पूरी तरह से और सावधानी से समझाया जाएगा। (g) गैर-चिंगारी उपकरण (**Non-sparking tool)**।—किसी भी चैंबर, स्टिल, टैंक या अन्य बर्तन से अवशेषों को साफ करते समय या निकालते समय नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए गैर-चिंगारी सामग्री से बने फावड़े, खुरचनी (स्क्रैपर) और बाल्टी की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जाएगी जहाँ ज्वलनशील या विस्फोटक खतरा हो सकता है।

नोट— जोखिम हमेशा स्पष्ट नहीं होता है और उत्पन्न हो सकता है, यानी एसिड टैंक में हाइड्रोजन के उत्पादन के माध्यम से।

16. स्थैतिक बिजली (**Static electricity)**।—(a) सभी मशीनरी और प्लांट, विशेष रूप से पाइप लाइनें और बेल्ट ड्राइव, जिन पर स्थैतिक बिजली जमा होने की संभावना होती है, को प्रभावी ढंग से अर्थ किया जाएगा। ज्वलनशील तरल पदार्थों के लिए Receptacles (बर्तन) में स्थैतिक चिंगारी से बचने के लिए अर्थ की गई आपूर्ति टैंकों के साथ धातु के कनेक्शन होने चाहिए। जहाँ आवश्यक हो, आर्द्रता (humidity) को नियंत्रित किया जाएगा। (b) मोबाइल टैंक वैगन को भरने और डिस्चार्ज करने के दौरान अर्थ किया जाएगा, और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानियां बरती जाएंगी कि ऐसा भरने या डिस्चार्ज होने से पहले अर्थिंग प्रभावी है। (c) बिजली चमकने की स्थिति (Lightning conditions)।—जहाँ आवश्यक हो, तड़ित चालक (lightning protection apparatus) सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे और उन्हें अच्छी स्थिति में रखा जाएगा।

17. प्रक्रिया तापन (**Process heating)**।—किसी प्रक्रिया के लिए गर्मी प्रदान करने का तरीका यथासंभव सुरक्षित होना चाहिए और जहाँ खुली लौ (naked flame) का उपयोग आवश्यक हो, प्लांट का निर्माण इस तरह किया जाएगा कि किसी भी बहने वाली ज्वलनशील गैस, वाष्प या धूल को लौ, या निकास गैसों या आग लगने का कारण बनने वाली अन्य गर्म एजेंसी के संपर्क में आने से रोका जा सके। जहाँ तक व्यावहारिक हो, हीटिंग माध्यम को खतरे के तापमान से नीचे एक पूर्व निर्धारित तापमान पर स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जाएगा।

18. सामग्रियों का रिसाव (**Escape of materials)**।—(a) सामान्य कामकाज के दौरान और दुर्घटना या आपात स्थिति दोनों में, आग या विस्फोट का कारण बनने की संभावना वाले किसी भी तरल गैस, वाष्प, धुएँ या धूल के रिसाव और फैलाव को रोकने के लिए सभी प्लांटों, सीवरों, नालियों, फ्लू, डक्ट, कलवर्ट और दबे हुए पाइपों में प्रावधान किए जाएंगे। (b) यदि रिसाव होता है, तो ऐसे पदार्थों को निकलने के बिंदु पर तेजी से और कुशलता से हटाया जाएगा। बहिःस्राव (effluent) को फंसाया जाएगा और खतरे के क्षेत्र के बाहर सुरक्षित किया जाएगा।

19. ज्वलनशील तरल पदार्थों का रिसाव (**Leakage of inflammable liquids)**।—(a) ज्वलनशील तरल पदार्थों वाले बर्तनों से संभावित रिसाव को बंड-दीवारों (bund-walls), संप्स (sumps) आदि के माध्यम से सीमित करने के लिए

प्रावधान किए जाएंगे। (b) ऐसे बर्तनों के आसपास पर्याप्त और उपयुक्त निश्चित अग्निशामक उपकरण (fire-fighting appliances) स्थापित किए जाएंगे।

20. खाली कंटेनरों की सफाई **(Cleaning of empty containers)**।—(a) जिन खाली कंटेनों में ज्वलनशील तरल पदार्थ रखे गए हैं, और जिन धातु के कंटेनरों में सल्फ्यूरिक एसिड रखा गया है, उन्हें यथाशीघ्र स्थायी रूप से सुरक्षित किया जाएगा, और ऐसी सफाई पूरी होने तक उनकी मरम्मत या नष्ट नहीं किया जाएगा। (b) ज्वलनशील सामग्रियों का भंडारण।—ज्वलनशील और दहनशील सामग्रियों को उन रसायनों के पास संग्रहित नहीं किया जाएगा जो आग लगने का कारण बन सकते हैं। (c) कचरे (Rubbish) को बिना किसी देरी के इमारतों से हटाया जाएगा और कसकर ढक्कन वाले विशेष धातु कंटेनरों में रखा जाएगा। सामग्री को रोजाना हटाया जाएगा और उचित रूप से निपटाया जाएगा। ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री वाले अपशिष्ट उत्पादों को कचरे के ढेर पर नहीं रखा जाएगा बल्कि उचित तरीके से नष्ट किया जाएगा।

21. ज्वलनशील तरल पदार्थों के लिए पाइपलाइनों की स्थापना।—ज्वलनशील तरल पदार्थों के परिवहन के लिए सभी पाइपलाइनों को टूटने से बचाया जाएगा, उन्हें इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि वाहनों से यांत्रिक क्षति का कोई जोखिम न हो और उन्हें इस तरह बिछाया जाएगा कि वे बिना किसी हिस्से के संग्रह के पूरी तरह से निकल (ड्रेन) सकें। सभी फ्लैंज्ड जोड़ों, मोड़ों (bends) और अन्य कनेक्शनों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा। कॉक और वाल्व इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि उनमें विस्फोटक अवशेष जमा न हों। सभी कॉक और वाल्व की खुली और बंद स्थितियां बाहर से स्पष्ट रूप से इंगित की जानी चाहिए।

22. प्रतिक्रिया बर्तनों की पैकिंग **(Packing of reaction vessels)**।—प्रतिक्रिया बर्तनों (कवर, मैनहोल कवर और निकास पाइप सहित) और पाइप लाइनों तथा उच्च या निम्न तापमान इन्सुलेटिंग सामग्री के लिए पैकिंग और जोड़ने वाली सामग्री में ऐसी सामग्रियां नहीं होंगी जो दहनशील हैं या जो प्लांट के उत्पादों के साथ प्रतिक्रिया करती हैं।

23. सुरक्षा वाल्व।—प्रत्येक स्टिल और प्रत्येक बंद बर्तन जिसमें गैस उत्पन्न होती है या जिसमें गैस प्रवाहित की जाती है और जिसमें दबाव के खतरनाक स्तर तक बढ़ने की संभावना होती है, उससे एक प्रेशर गेज जुड़ा होगा, और दबाव को कम करने के लिए एक उचित सुरक्षा वाल्व या अन्य समान रूप से कुशल साधन होगा, जिसे अच्छी स्थिति में रखा जाएगा। इस अनुसूची की कोई भी बात संपीड़ित (कंप्रेस्ड) गैसों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली धातु की बोतलों या सिलेंडरों पर लागू नहीं होगी।

24. जोरदार या विलंबित प्रतिक्रियाएँ **(Vigorous or delayed reactions)**।—अत्यधिक जोरदार या विलंबित प्रतिक्रियाओं के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए स्वचालित और दूरस्थ नियंत्रण (ऑटोमैटिक एंड डिस्टेंस कंट्रोल) जैसे उपयुक्त प्रावधान किए जाएंगे। दुर्घटना की स्थिति में स्वचालित बाढ़ (फ्लडिंग) या ब्लैंकेटिंग की व्यवस्था की जाएगी।

25. प्लांट की परीक्षा**,** परीक्षण और मरम्मत।—प्लांट के उन हिस्सों की परीक्षा, परीक्षण और मरम्मत जो विस्फोटक और ज्वलनशील सामग्री के संपर्क में रहे हैं, या जो दबाव में हैं, केवल उचित देखरेख में ही की जाएगी।

26. अलार्म प्रणाली।—(a) इमारतों या प्लांट के विभिन्न हिस्सों में ज्वलनशील सामग्री की आपूर्ति करने वाली गुरुत्वाकर्षण (ग्रेविटी) या दबाव फीड प्रणालियों में ओवरचार्जिंग को रोकने या प्लांट को खतरे में डालने से बचाने के लिए अलार्म सिस्टम, स्वचालित कट-ऑफ़ या अन्य उपकरण लगाए जाएंगे। (b) थोक कंटेनरों में एक समय में किसी इमारत के अंदर लाई जाने वाली ज्वलनशील सामग्री की मात्रा को यथासंभव कम रखा जाएगा। (c) किसी भी कंटेनर से किसी भी इमारत के वायुमंडल में ज्वलनशील और विस्फोटक वाष्प के रिसाव को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे।

गैस**,** वाष्प**,** धुआँ या धूल के जोखिम **(Gas, Vapour, Fume or Dust Risks)**

27. गैसों आदि का रिसाव।–शामिल प्रक्रिया के पूर्ण संवरण (एन्क्लोजर) द्वारा या कुशल निकास वायुप्रवाह (एग्जॉस्ट ड्राफ्ट) के प्रावधान द्वारा प्लांट के किसी भी हिस्से से खतरनाक गैसों, वाष्प, धुएँ या धूल के रिसाव को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाएगी कि नियंत्रण उपाय के विफल होने की स्थिति में, प्रक्रिया तुरंत बंद हो जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए आगे की व्यवस्था की जाएगी कि यदि ऐसा कोई रिसाव होता है, तो सामग्री को तुरंत फंसा लिया जाए (ट्रैप किया जाए), ताकि खतरे को टाला जा सके।

28. बहिःस्राव **(Effluents)** के कारण होने वाला खतरा।—(a) ऐसे बहिःस्राव के मिलने को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती जाएंगी जो खतरनाक या जहरीली गैसें पैदा कर सकते हैं। (b) ऐसे बहिःस्राव, जिनमें अन्य बहिःस्राव की उपस्थिति में ऐसी गैसें हो सकती हैं या जो उत्पन्न कर सकती हैं, उन्हें स्वतंत्र जल निकासी प्रणालियों के साथ प्रदान किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें फंसाया जा सके और सुरक्षित बनाया जा सके।

29. स्टेजिंग।—(a) किसी भी खुले बर्तन के ऊपर स्टेजिंग नहीं बनाई जाएगी जब तक कि बर्तन इस प्रकार निर्मित और हवादार न हो कि ऐसे स्टेजिंग के आसपास वाष्प या धुएँ के उत्सर्जन को रोका जा सके। (b) जहाँ बड़े प्लांटों में उच्च स्तर तक पहुँच प्रदान करने के लिए ऐसी स्टेजिंग प्रदान की जाती है, वहाँ कमरे या इमारत के बाहर और फिर जमीन के स्तर तक पहुँच के सीधे साधनों के साथ सभी स्तरों पर प्रभावी साधन प्रदान किए जाएंगे। (c) ऐसी स्टेजिंग में उपयुक्त हैंडरेल और टो बोर्ड लगे होंगे, और फर्श तथा स्टेजिंग अभेद्य (इम्परवियस) और आसानी से साफ होने वाले होंगे।

30. जोखिम के संबंध में निर्देश।—काम शुरू करने से पहले, प्रत्येक श्रमिक को उन सामग्रियों के गुणों के बारे में पूरी तरह से निर्देश दिया जाएगा जिन्हें उन्हें संभालना है, और प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी गैस, धुएँ, वाष्प या धूल से उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में बताया जाएगा। श्रमिकों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी निर्देश दिए जाएंगे।

31. श्वास उपकरण (ब्रीथिंग अप्प**aratus)**।—((a) प्रत्येक कारखाने में जहाँ खतरनाक गैस या धुएँ के फैलने की संभावना हो, पर्याप्त मात्रा में निम्नलिखित की आपूर्ति प्रदान की जाएगी— (i) इसमें शामिल खतरों के लिए एक स्वीकृत मेक का श्वास उपकरण; (ii) ऑक्सीजन और इसके प्रशासन के उपयुक्त साधन; और (iii) लाइफ-बेल्ट (जीवन रक्षक पेटी)। इस अनुसूची द्वारा आवश्यक श्वास उपकरण और अन्य उपकरण (i) अच्छी स्थिति में रखे जाएंगे और एम्बुलेंस रूम में या मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता (Chief Inspector-cum-Facilitator) द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किसी अन्य स्थान पर रखे जाएंगे, और (ii) अधिष्ठाता द्वारा लिखित रूप में नियुक्त एक सक्षम व्यक्ति द्वारा महीने में एक बार अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाएगा और उनकी स्थिति का रिकॉर्ड उस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई एक पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा, जिसे इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर द्वारा आवश्यकता होने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(b) श्रमिकों को श्वास उपकरण और रेस्पिरेटर के उपयोग में प्रशिक्षित किया जाएगा और समय-समय पर रीफ्रेशर कोर्स कराया जाएगा। (c) रेस्पिरेटर को साफ, सूखे, प्रकाश-रोधी (लाइट-प्रूफ) कैबिनेट में उचित रूप से लेबल लगाकर रखा जाएगा, और यदि धुएँ से प्रभावित होने की संभावना हो, तो उपयुक्त कंटेनरों द्वारा संरक्षित किया जाएगा। रेस्पिरेटर को उपयोग के बाद सुखाया और साफ किया जाएगा और समय-समय पर कीटाणुमुक्त (डिसइन्फेक्ट) किया जाएगा।

32. व्यक्तियों का उपचार।—मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा लिखित रूप में जहाँ भी आवश्यक हो, प्रत्येक कमरे या स्थान पर गैस लगने और जलने के संबंध में आधिकारिक चेतावनी सूचना चिपकाई जाएगी। ऐसी सूचनाएं दिन में और रात में पढ़ने योग्य होंगी और बहुसंख्यक श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में मुद्रित होंगी।

33. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण।—(a) ऑपरेटरों के उपयोग के लिए उपयुक्त सुरक्षात्मक कपड़े प्रदान किए जाएंगे; (i) ऐसे तरल पदार्थों को नियंत्रित करने वाले वाल्व या कॉक का संचालन करते समय जो अपनी प्रकृति, दबाव या तापमान के कारण ब्लो-आउट होने पर अत्यधिक खतरनाक होते हैं या ऐसे तरल पदार्थों वाले सिस्टम में चोक को साफ करते समय यदि उस चोक के पीछे दबाव होने की संभावना हो, (ii) सामान्य कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान या आपात स्थिति में त्वचा के माध्यम से अवशोषण से चोट लगने का खतरा होने पर, (iii) जब भी संक्षारक पदार्थों, गर्म या ठंडे लेखों और नुकीली या खुरदरी वस्तुओं को संभालने में चोट लगने का जोखिम हो, और (iv) जब उनके कपड़ों पर जहरीले पदार्थ के ले जाए जाने का जोखिम हो।

(b) इस अनुसूची की उप-अनुसूची B में निर्दिष्ट प्रक्रिया में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए दस्ताने, ओवरऑल और सुरक्षात्मक जूते, तथा गॉगल्स और रेस्पिरेटर सहित उपयुक्त सुरक्षा उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जाएगी। रेस्पिरेटर मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत प्रकार के होंगे।

(c) असामान्य परिस्थितियों के दौरान या आपात स्थिति में उपयोग के लिए उपयुक्त स्थान पर सुरक्षा उपकरण प्रदान और संग्रहित किए जाएंगे। (d) ऐसे सभी सुरक्षा उपकरणों की उचित और कुशल सफाई के लिए व्यवस्था की जाएगी।

34. क्लोर-रूम (वस्त्र कक्ष)।—इस अनुसूची की उप-अनुसूची B में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए काम के घंटों के दौरान उतारे गए कपड़ों के लिए एक उपयुक्त क्लोर-रूम और ओवरऑल या काम के कपड़ों के भंडारण के लिए क्लोर-रूम से अलग एक उपयुक्त स्थान प्रदान किया जाएगा और रखा जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई आवास व्यवस्था एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में रखी जाएगी, और इसे साफ रखा जाएगा।

35. विशेष स्नान व्यवस्था।—(a) इस अनुसूची की उप-अनुसूची C में निर्दिष्ट प्रक्रिया में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए अलग स्वच्छता सुविधाएं, और पर्याप्त तथा उपयुक्त स्नान सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता की संतुष्टि के अनुसार होंगी। (b) इन प्रक्रियाओं में नियोजित सभी व्यक्तियों के नाम और प्रत्येक व्यक्ति के स्नान करने की तिथि की प्रविष्टि वाला एक स्नान रजिस्टर (बाथ रजिस्टर) रखा जाएगा।

36. बर्तनों (वेसल्स) में प्रवेश।—(a) बचाव कार्य के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए, किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ खतरनाक गैस या धुएँ की उपस्थिति की आशंका का कारण हो, किसी भी व्यक्ति के प्रवेश करने से पहले, इस उद्देश्य के लिए अधिष्ठाता द्वारा लिखित रूप में नियुक्त एक जिम्मेदार व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से ऐसे स्थान की जांच करेगा और इस उद्देश्य के लिए रखी गई एक पुस्तिका में लिखित रूप में प्रमाणित करेगा या तो ऐसा स्थान ऐसे गैस या धुएँ के हर स्रोत से अलग (आइसोलेट) और सील है और खतरे से मुक्त है, या यह कि यह इस प्रकार अलग और सील तथा खतरे से मुक्त नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी स्थान में प्रवेश नहीं करेगा जिसे इस प्रकार अलग और सील तथा खतरे से मुक्त नहीं होने के रूप में प्रमाणित किया गया है, जब तक कि उसने श्वास उपकरण, और (जहाँ उलझने का कारण बनने वाली कोई क्रॉस स्टे या बाधाएं नहीं हैं) एक लाइफ-बेल्ट न पहनी हो, जिससे जुड़ी रस्सी का मुक्त सिरा बाहर एक आदमी के पास छोड़ा जाएगा, जिसका एकमात्र कर्तव्य नजर रखना और यदि वह गैस या धुएँ से प्रभावित प्रतीत होता है तो पहनने वाले को बाहर खींचना होगा। बेल्ट और रस्सी को इस तरह से समायोजित और पहना जाएगा कि पहनने वाले को किसी भी मैनहोल या खुले हिस्से से सिर के बल ऊपर खींचा जा सके।

(b) बचाव के उद्देश्य से ऐसे किसी स्थान पर प्रवेश करने वाला व्यक्ति जिसके लिए क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है, निर्दिष्ट तरीके से श्वास उपकरण और लाइफ-बेल्ट पहनेगा।

37. प्लांट की परीक्षा और मरम्मत।—जहाँ जहरीले पदार्थों के मौजूद होने की संभावना हो, वहाँ प्लांट और पाइपिंग की परीक्षा और मरम्मत केवल एक सक्षम व्यक्ति की देखरेख में की जाएगी, और प्लांट तथा पाइपिंग को अच्छी तरह से साफ और हवादार (वेंटिलेट) करने के बाद ही की जाएगी। जहाजों (वेसल्स) को खोलते समय और पाइपलाइनों के जोड़ों को तोड़ते समय, सक्षम व्यक्ति द्वारा आवश्यक सीमा तक श्वास यंत्र (रेस्पिरेटर), गॉगल्स और सुरक्षात्मक कपड़े पहने जाएंगे।

38. एसिड कार्बायेस का भंडारण।—नाइट्रिक एसिड या "मिश्रित" एसिड वाले कार्बायेस को अन्य इमारतों से अलग खुले किनारों वाले शेड में संग्रहित किया जाएगा, और बलुआ पत्थर (सैंडस्टोन), ईंट या अन्य उपयुक्त अकार्बनिक सामग्री के फर्श पर रखा जाएगा। ऐसे कार्बायेस की प्रत्येक चार पंक्तियों के बीच एक रास्ता प्रदान किया जाएगा और उसे बाधा मुक्त रखा जाएगा। फैले हुए एसिड को धोने के लिए पानी की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध होगी और श्रमिकों को धुएं के संपर्क में आने से बचाने के लिए सभी सावधानियां बरती जाएंगी।

संक्षारक या हानिकारक जोखिम (**Corrosive or Deleterious Risk**)

39. इमारतें।—सभी इमारतों और प्लांटों को संक्षारक और हानिकारक तरल पदार्थों के आकस्मिक रिसाव या छींटे पड़ने से होने वाले संभावित खतरों को ध्यान में रखकर स्थापित किया जाएगा, और उन्हें अच्छी तरह से धोने तथा साफ करने में सुविधा हो इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा। स्टेजिंग और इमारतों के अन्य हिस्सों का निर्माण यथासंभव संक्षारण के प्रति अभेद्य (इम्परवियस) और प्रतिरोधी सामग्रियों से किया जाएगा।

40. रिसाव (**Leakage**)।—(a) सभी प्लांट इस प्रकार डिजाइन और निर्मित किए जाएंगे कि संक्षारक तरल पदार्थ के रिसाव को रोका जा सके। जहाँ आवश्यक हो, प्रक्रिया के खतरनाक चरणों के लिए अलग-अलग इमारतों, कमरों या सुरक्षात्मक संरचनाओं का उपयोग किया जाएगा और इमारतों को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि तरल पदार्थ के किसी भी रिसाव को स्थानीयृत (लोकलाइज) किया जा सके। (b) ऐसे रिसाव के गंभीर प्रभावों को सीमित करने के

लिए कैच-पिट्स, बंड दीवारों या अन्य उपयुक्त सावधानियों की व्यवस्था की जाएगी। कैच-पिट्स को पाइपलाइनों के जोड़ों के नीचे रखा जाएगा जहाँ ऐसे रिसाव से खतरा होने की संभावना हो। (c) मार्ग और कार्य स्टेशन सीधे प्लांट के किसी भी ऐसे हिस्से के नीचे स्थित नहीं होंगे जहाँ खतरनाक तरल पदार्थ के रिसाव का जोखिम हो। ऐसे हिस्सों तक पहुँच को, जहाँ तक संभव हो, प्रतिबंधित किया जाएगा और उपयुक्त बिंदुओं पर खतरे के नोटिस लगाए जाएंगे।

41. रिसाव के खिलाफ सावधानियां।—संक्षारक या हानिकारक पदार्थों के रिसाव को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती जाएंगी और ऐसे किसी भी रिसाव को सुरक्षित बनाने के लिए साधन प्रदान किए जाएंगे।

42. जल निकासी **(Drainage)**।—पर्याप्त जल निकासी प्रदान की जाएगी और यह विशेष उपचार टैंकों तक जाएगी जहाँ साधारण नालियों या सीवर में डिस्चार्ज करने से पहले हानिकारक पदार्थों को बेअसर (न्यूट्रलाइज) किया जाएगा या अन्यथा सुरक्षित बनाया जाएगा।

43. बर्तनों (वेसल्स) को ढकना।—(a) किसी भी खतरनाक सामग्री को रखने वाला प्रत्येक निश्चित बर्तन या संरचना, और इस तरह से ढका हुआ नहीं है कि उसमें किसी भी श्रमिक के शरीर के किसी भी हिस्से के आकस्मिक रूप से डूबने के सभी उचित जोखिम को समाप्त किया जा सके, इस प्रकार निर्मित किया जाएगा कि शीर्ष या किनारों पर कोई पैर रखने की जगह (फुटहोल्ड) न हो। (b) ऐसा बर्तन, जब तक कि उसका किनारा आसन्न जमीन या प्लेटफॉर्म से कम से कम तीन फीट ऊपर न हो, ऐसे आसन्न जमीन या प्लेटफॉर्म से कम से कम तीन फीट की ऊंचाई तक सुरक्षित रूप से बाड़ (फेंस) से घिरा होगा। (c) ऐसे किसी भी बर्तन के पार या अंदर कोई तख्ता या गैंगवे नहीं रखा जाएगा, जब तक कि ऐसा तख्ता या गैंगवे कम से कम 18 इंच चौड़ा न हो, और कम से कम 3 फीट की ऊंचाई तक 9 इंच की दूरी पर स्थित रेलों द्वारा, या अन्य समान रूप से कुशल साधनों द्वारा दोनों तरफ से सुरक्षित रूप से बाड़ से घिरा न हो। (d) जहाँ ऐसे बर्तन आपस में मिलते हैं और उनके बीच की जगह, किसी भी आसपास की ईंट या अन्य काम से मुक्त, या तो चौड़ाई में 18 इंच से कम है या 18 या उससे अधिक इंच चौड़ाई की है, लेकिन कम से कम तीन फीट की ऊंचाई तक दोनों तरफ से सुरक्षित रूप से बाड़ से घिरी नहीं है, तो उनके बीच आवाजाही को रोकने के लिए एक सुरक्षित अवरोध (बैरियर) इस प्रकार रखा जाएगा: बशर्ते कि उप-पैराग्राफ (b) उपर्युक्त पर लागू नहीं होगा— (i) अमोनिया सल्फेट के निर्माण में प्रयुक्त सैचुरेटर्स, (ii) नमकीन पानी (ब्राइन) के वाष्पीकरण पैन के किनारों का वह हिस्सा जिसके लिए रैकिंग, ड्राइंग या फिलिंग की आवश्यकता होती है।

44. वेंटिलेशन (हवादार करना)।—कमरों या इमारतों में जहाँ खतरनाक गैस, वाष्प, धुआँ या धूल उत्पन्न हो सकती है, हर समय पर्याप्त वेंटिलेशन प्रदान किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा।

45. बचने के साधन।—संक्षारक तरल पदार्थ के रिसाव की स्थिति में कमरों या इमारतों से बाहर निकलने के पर्याप्त साधन प्रदान किए जाएंगे और बनाए रखे जाएंगे।

46. कर्मियों का उपचार।—सभी स्थानों पर जहाँ (मजबूत एसिड या खतरनाक) संक्षारक (कॉरोसिव) तरल पदार्थों का उपयोग किया जाता है: (a) आपात स्थिति में उपयोग के लिए प्रदान किया जाएगा— (i) ऐसे तरल पदार्थों से छींटे पड़े व्यक्तियों और उनके कपड़ों को ठंडे पानी से नहलाने (भिगोने) के लिए पर्याप्त और आसानी से सुलभ साधन; (ii) किसी भी ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए पर्याप्त विशेष व्यवस्था, जिसके ऊपर जहरीले पदार्थ के छींटे पड़े हों जो त्वचा के माध्यम से अवशोषित हो सकते हैं; (iii) डिस्टिल्ड वाटर या अन्य उपयुक्त तरल पदार्थ से भरी हुई आई-वाश (आँख धोने वाली) बोतलों की पर्याप्त संख्या, जिन्हें बक्से या अलमारियों में आसानी से स्थित रखा जाएगा और एक विशिष्ट चिन्ह द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा जो हर समय दिखाई दे।

(b) सिवाय इसके कि ऐसे संक्षारक तरल पदार्थों का संचालन छींटे पड़ने या अन्य किसी कारण से व्यक्तिगत चोट के जोखिम को रोकने के लिए इस प्रकार किया जाता है, ऐसे तरल पदार्थों को संभालने वाले लोगों के लिए आँखों और हाथों की पर्याप्त और उपयुक्त सुरक्षा हेतु पर्याप्त और उपयुक्त गॉगल्स (चश्मे) और दस्ताने या अन्य उपयुक्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यदि दस्ताने प्रदान किए जाते हैं, तो उन्हें दिन के काम की समाप्ति पर एकत्र किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी और साफ किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी मरम्मत की जाएगी या उन्हें बदला जाएगा।

47. रखरखाव।—(a) प्लांट या पाइप लाइनों पर कोई भी परीक्षा या मरम्मत किए जाने से पहले, एक सक्षम व्यक्ति ऐसी परीक्षा या मरम्मत की अनुमति देने वाला क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करेगा। (b) पाइप लाइनों में बने गैस या तरल पदार्थ के किसी भी हिस्से (पॉकेट्स) को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी, जो डिस्मेंटलिंग (खोलने) के बिंदु पर कॉरोसिव स्प्रे का कारण बन सकते हैं।

48. धोने की सुविधाएं।—(1) प्रत्येक कारखाने में नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए धोने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और रखी जाएंगी, जिसमें साबुन और नाखून के ब्रश या सफाई के अन्य उपयुक्त साधन शामिल होंगे और सुविधाएं आसानी से सुलभ होंगी तथा उन्हें साफ और व्यवस्थित स्थिति में रखा जाएगा। (2) यदि महिला श्रमिकों को काम पर रखा जाता है, तो अलग से धोने की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और उन्हें इस प्रकार घेरा या पर्दा लगाया जाएगा कि अंदर का हिस्सा किसी भी ऐसे स्थान से दिखाई न दे जहाँ दूसरे लिंग के लोग काम करते हैं या गुजरते हैं। ऐसी सुविधाओं के प्रवेश द्वार पर उस भाषा में एक प्रमुख सूचना होगी जिसे अधिकांश श्रमिकों द्वारा समझा जाता है "केवल महिलाओं के लिए" ("for women only") और इसे चित्रात्मक रूप से भी दर्शाया जाएगा।

49. मेस-रूम की सुविधाएं।—प्रत्येक कारखाने में आराम के अंतराल के दौरान परिसर में रहने वाले लोगों के उपयोग के लिए उपयुक्त और पर्याप्त मेस-रूम या कैंटीन की सुविधा प्रदान की जाएगी और रखी जाएगी, जिसे पर्याप्त टेबल और कुर्सियों या पीठ के सहारे वाली बेंचों से सुसज्जित किया जाएगा और जहाँ पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध हो।

50. एम्बुलेंस रूम।—(a) प्रत्येक कारखाने में जिसमें इस अनुसूची के लागू होने वाली प्रक्रियाओं में 250 से अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, अच्छी स्थिति में एक एम्बुलेंस रूम प्रदान किया जाएगा और रखा जाएगा। एम्बुलेंस रूम एक अलग कमरा होगा जिसका उपयोग केवल उपचार और आराम के उद्देश्य से किया जाएगा। इसका फर्श क्षेत्र 100 वर्ग फीट से कम नहीं होगा और दीवारें तथा फर्श चिकने, कठोर और पानी को अंदर न जाने देने वाले (इम्परवियस) होंगे, और इसे प्राकृतिक तथा कृत्रिम रोशनी के पर्याप्त साधनों से सुसज्जित किया जाएगा। इसमें उप-अनुसूची D में दिखाई गई सभी वस्तुएं होंगी। जहाँ दोनों लिंगों के व्यक्ति नियोजित हैं, वहाँ एम्बुलेंस रूम में उनके अलग उपचार के लिए व्यवस्था की जाएगी। एम्बुलेंस रूम को एक योग्य नर्स या प्रथम चिकित्सा (फर्स्ट-एड) में प्रशिक्षित अन्य व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा, जो काम के घंटों के दौरान हमेशा आसानी से उपलब्ध रहेगा, और कमरे में उपचार किए गए सभी दुर्घटनाओं या बीमारी के मामलों का रिकॉर्ड रखेगा।

(b) प्रत्येक कारखाने में गंभीर दुर्घटना या बीमारी के मामलों को हटाने के उद्देश्य से अच्छी स्थिति में एक उपयुक्त रूप से निर्मित एम्बुलेंस वैन प्रदान की जाएगी और रखी जाएगी, जब तक कि कारखाने के साथ टेलीफोन संचार में किसी अस्पताल या अन्य स्थान के साथ ऐसी गाड़ी को आवश्यकता पड़ने पर तुरंत प्राप्त करने के लिए व्यवस्था न की गई हो।

51. चिकित्सा कार्मिक।—नियोक्ता 50 या अधिक व्यक्तियों को नियोजन देने वाले कारखाने में एक फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर को नियुक्त करेगा।

52. मेडिकल परीक्षण।—निम्नलिखित के निर्माण, प्रसंस्करण, फॉर्मूलेशन या उपयोग में लगे श्रमिकों की कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हर तीन महीने में एक बार जांच की जाएगी और रिकॉर्ड रखा जाएगा: (i) हेक्साएथिल टेट्राफॉस्फेट (Hexaethyl tetraphosphate)। (ii) टेट्राएथिल पाइरोफॉस्फेट (Tetraethyl pyrophosphate)। (iii) O. O. डाइएथिल O P नाइट्रोफेनिल थियोफॉस्फेट (पैराथियोन)। (iv) निकोटीन, निकोटीन सल्फेट। (v) मर्करी (पारे) के डेरिवेटिव। (vi) मिथाइल ब्रोमाइड। (vii) साइनाइड। (viii) आर्सेनिक के डेरिवेटिव। (ix) क्रोम प्रक्रिया के यौगिक। (x) नाइट्रो या अमीनो प्रक्रिया के यौगिक।

(a) इसमें लगे सभी श्रमिकों के नाम वाला एक स्वास्थ्य रजिस्टर (Health Register) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता (Chief Inspector-cum-Facilitator) द्वारा अनुमोदित रूप में रखा जाएगा। (b) कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच के बाद स्वास्थ्य रजिस्टर में एक हस्ताक्षरयुक्त प्रविष्टि द्वारा दिए गए फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना चौदह दिन से अधिक समय के लिए किसी भी व्यक्ति को नए सिरे से काम पर नहीं लगाया जाएगा। (c) नए रूप से काम पर रखा गया प्रत्येक व्यक्ति ऊपर (b) में प्रावधान के अनुसार कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा के लिए निर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित होगा। (d) कारखाने के चिकित्सा अधिकारी को इसमें लगे सभी व्यक्तियों के

संबंध में निलंबन (सस्पेंशन) की शक्ति होगी और निलंबन के बाद किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य रजिस्टर में चिकित्सा अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना काम पर नहीं रखा जाएगा।

53. श्रमिकों के कर्तव्य।—नियोजित प्रत्येक व्यक्ति— (a) इस अनुसूची के अनुसरण में प्रदान किए गए किसी भी फेंसिंग (बाड़), श्वास उपकरण (ब्रीथिंग अप्पaratus), उपकरणों या अन्य आवश्यक वस्तु में किसी भी दोष के बारे में अपने फोरमैन को तुरंत सूचित करेगा जैसे ही उसे ऐसे दोष का पता चलता है; (b) इस अनुसूची द्वारा आवश्यक वस्तुओं, उपकरणों या आवास व्यवस्था का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए करेगा जिसके लिए वे प्रदान किए गए हैं; (c) उपर्युक्त पैराग्राफ 36 (a) और (b) के तहत आवश्यक होने पर श्वास उपकरण और लाइफ-बेल्ट पहनेगा।

54. कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा।—(a) विधिवत अधिकृत किए बिना पैराग्राफ 43 के अनुसरण में प्रदान की गई किसी भी फेंसिंग को हटाना; या (b) किसी भी ऐसे बर्तन के किनारे या बगल में खड़ा होना जिस पर पैराग्राफ 43 लागू होता है; (c) पैराग्राफ 43 के अनुसरण में बनाए गए किसी भी बैरियर को पार करना या पार करने का प्रयास करना; (d) पैराग्राफ 43 के लागू होने वाले किसी भी बर्तन के पार या अंदर कोई ऐसा तख्ता या गैंगवे रखना जो उस नियम का अनुपालन नहीं करता है या ऐसी स्थिति में होने पर ऐसे किसी तख्ते या गैंगवे का उपयोग करना; (e) कार्य के किसी भी ऐसे हिस्से में जहाँ ज्वलनशील गैस, वाष्प या धूल से विस्फोट की आशंका हो, कोई खुली रोशनी (नेकेड लाइट) या कोई लैंप या माचिस या खुली रोशनी या चिंगारी पैदा करने वाला कोई उपकरण ले जाना या धूम्रपान करना; (f) किसी भी ऐसे चैंबर, स्टिल टैंक या अन्य बर्तन से अवशेषों को साफ करते समय या निकालते समय धातु के फावड़े (स्पेड), खुरचनी (स्क्रैपर) या बाल्टी का उपयोग करना जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अन्य पदार्थ थे जो आर्सेनिउरेtted हाइड्रोजन के विकास का कारण बन सकते हैं; और (g) कारखाने में चोटों के इलाज के अलावा किसी भी प्रथम चिकित्सा उपकरण या ड्रेसिंग को फर्स्ट-एड बॉक्स या अलमारी से या एम्बुलेंस रूम से नहीं हटाएगा।

उप अनुसूची-"ए" (SUB-SCHEDULE "A")

"रासायनिक कार्य" (Chemical work) से तात्पर्य किसी भी ऐसे कार्य या कार्य के हिस्से से है जिसमें:

1. निम्नलिखित में से किसी का भी विनिर्माण ((मैन्युफैक्चर, पुनर्प्राप्ति (उपयोग में विनिर्माण या (रिकवरी है जाता किया— (a) पोटेशियम, सोडियम, लोहा, एल्यूमीनियम, कोबाल्ट, निकल, आर्सेनिक, एंटीमनी, जस्ता (कार्बोनेट के मैग्नीशियम या (जिंक, क्रोमेट, क्लोरेट, ऑक्साइड या हाइड्रॉक्साइड; (b) अमोनियम और अमोनिया के हाइड्रॉक्साइड और लवण; (c) सल्फरस, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो-फ्लोरिक, हाइड्रोआयोडिक, हाइड्रोसल्फ्यूरिक, बोरिक, फॉस्फोरस, ऑक्सालिक, आर्सेनियस, आर्सेनिक, लैक्टिक, एसिटिक, टार्टरिक या साइट्रिक एसिड और उनके धात्विक या कार्बनिक लवण, पाइरीडीन, बेंजीन के डेरिवेटिव, सभी खतरनाक कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक; और (d) सायोजेन यौगिक। (e) नियम 2(u) में परिभाषित विनिर्माण में "खतरनाक पदार्थों" (Hazardous substances) का उपयोग, सिवाय समय- अधिनियम विस्फोटक संशोधित पर समय(Explosives Act) और उसके तहत बनाए गए नियमों में परिभाषित "विस्फोटकों" (Explosives) के।
2. एक गीली प्रक्रिया (Wet process) की जाती है— (a) किसी एक या किसी उप या (प्रोडक्ट-बाय) उत्पाद- लिए के निष्कर्षण के धातु से सामग्री अवशिष्ट; या (b) जिसमें रासायनिक निर्माण की किसी भी प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।
3. सल्फर की पुनर्प्राप्ति के लिए या ऐसे कचरे या जल निकासी के किसी भी घटक के उपयोग के लिए क्षारीय कचरे (है। जाता डाला में प्रक्रिया रासायनिक किसी को पानी वाले निकलने उससे या (वेस्ट अल्कली
4. कार्बन डाइसल्फाइड बनाया जाता है या धात्विक सल्फाइड के अपघटन द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पन्न किया जाता है या ऐसे सल्फाइड के उत्पादन में हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग किया जाता है।
5. ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है या क्लोरीन गैस बनाई जाती है या रासायनिक निर्माण की किसी भी प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है।
6. (a) गैस टार या कोल टार या ऐसे टार के किसी भी यौगिक उत्पाद या अवशेष का आसवन (डिस्टिलेशन है। जाता किया उपयोग में प्रक्रिया भी किसी की निर्माण रासायनिक या है जाता किया (b) उनके मध्यवर्ती उत्पादों (हैं। जाते बनाए पदार्थ रंगाई सिंथेटिक लिए के (इंटरमीडिएट्स)

7. कच्चे शेल तेल (संबं उससे या (रिफाइनिंग) शोधन का (ऑयल शेल क्रूडधित कोई भी प्रक्रिया की जाती है।
8. नाइट्रो यौगिकों के निर्माण में नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है।
9. नाइट्रो यौगिकों के उपयोग से विस्फोटक बनाए जाते हैं।
10. ऐसे कीटनाशक जो फॉस्फोरस, निकोटीन, मर्करी ((पारा, नेप्थलीन, सायोजेन, आर्सेनिक, फ्लोरिन, कॉपर ((तांबा, बेंजीन और एथेन यौगिक या डेरिवेटिव और मिथाइल ब्रोमाइड हैं, उनका निर्माण, मिश्रण, सम्मिश्रण (है। जाती की पैकिंग और (ब्लेंडिंग

उप "बी" अनुसूची-**(SUB-SCHEDULE "B")**

1. नाइट्रो या अमीनो प्रक्रिया (।(जूते सुरक्षात्मक और सूट या ओवरऑल के कपड़ों के काम
2. क्रोम प्रक्रिया में कच्चे माल को पीसना (।(सूट ओवरऑल
3. क्रोम प्रक्रिया में क्रिस्टल विभाग और पैकिंग (।(आवरण सुरक्षात्मक
4. क्रोम प्रक्रिया में पैकिंग (।(यंत्र श्वास / रेस्पिरेटर
5. कोई भी कमरा या स्थान जिसमें क्लोरेट को क्रिस्टलीकृत, पीसा या पैक किया जाता है (के सामग्री ऊनी और कपड़ेजूते या ओवरशूज, जिनके तलवों में कोई धातु न हो।(
6. कोई भी कमरा जिसमें मशीनरी द्वारा कास्टिक को पीसा या कुचलया जाता है (लिए के हाथों और आँखों ।(सुरक्षा उपयुक्त अन्य या दस्ताने और गॉगल्स
7. ब्लीचिंग पाउडर कक्ष या ऐसे कक्षों से निकाले गए चार्ज की पैकिंग (उपयुक्तरेस्पिरेटर।(
8. कार्बन डाइसल्फाइड निर्माण की प्रक्रिया में सल्फर पॉट्स से पिघले हुए सल्फर को निकालना (रोधी-अग्नि ओवरऑल के सामग्री, फेसशील्ड-, दस्ताने और जूते।(
9. (a) उन कीटनाशकों का निर्माण, मिश्रण, सम्मिश्रण (फॉस्फोरस जो पैकिंग और (ब्लेंडिंग, निकोटीन, नेप्थलीन, सायोजेन, आर्सेनिक, फ्लोरिन, पारा (तथा हैं डेरिवेटिव या यौगिक के (कॉपर) तांबे और (मर्करी एप्रन के रबर) हैं ब्रोमाइड मिथाइल, केमिकल टाइप गॉगल्स और उपयुक्त रेस्पिरेटर तथा इसके अलावा फॉस्फोरस और निकोटीन डेरिवेटिव्स के लिए रबर के दस्ताने और जूते, तेल के घोल के साथ काम करते समय सिंथेटिक रबर के एप्रन, दस्ताने और जूते, तथा धोने योग्य काम के कपड़े जिन्हें प्रतिदिन धोया जाता है।((b) उन कीटनाशकों का निर्माण, मिश्रण, सम्मिश्रण और पैकिंग जो बेंजीन या एथिलीन के डेरिवेटिव हैं (रेस्पिरेटर उपयुक्त और एप्रन के रबर, अलग से काम के कपड़े जिन्हें बार।(है जाता धोया बार-

उप अनुसूची-"सी" **(SUB-SCHEDULE "C")**

1. नाइट्रो या अमीनो प्रक्रिया।
2. क्रोम प्रक्रिया में क्रिस्टल विभाग और पैकिंग रूम।
3. गैस या कोल टार (और प्रक्रिया की करने (डिस्टिलेशन) आसवन का (अलावा के टार फर्नेस ब्लास्ट रासायनिकनिर्माण की कोई भी प्रक्रिया जिसमें ऐसे टार का उपयोग किया जाता है।
4. उप अनुसूची-"ए" में उल्लिखित कीटनाशकों का निर्माण, मिश्रण, सम्मिश्रण (पैकिंग। और (ब्लेंडिंग

उप-अनुसूची "डी" **(SUB-SCHEDULE "D")**

(i) गर्म और ठंडे पानी की निरंतर उपलब्धता वाला एक ग्लेज्ड सिंक (बेसिन); (ii) चिकने ऊपरी हिस्से वाली एक मेज; (iii) उपकरणों को स्टरलाइज (कीटाणुमुक्त) करने के साधन; (iv) एक आउच (लेटने का सोफा या पलंग); (v) एक स्ट्रेचर; (vi) कसकर ढक्कन वाले दो बाल्टी या कंटेनर; (vii) रबर की दो गर्म पानी की थैलियां (हॉट वाटर बैग); (viii) पानी उबालने के लिए एक केतली और स्पिरिट स्टोव या अन्य उपयुक्त साधन; (ix) बारह सादे लकड़ी के स्प्लिंट (पट्टियाँ) 36" x 4" x ¼"; (x) बारह सादे लकड़ी के स्प्लिंट 4" x 3" x ¼"; (xi) छह सादे लकड़ी के स्प्लिंट, 10" x 2" x ½"; (xii) तीन ऊनी कंबल; (xiii) धमनी को रोकने (आर्टरी) वाले संदंश (फोरसेप्स) की एक जोड़ी; (xiv) ब्रांडी की एक बोतल; (xv) दो मध्यम आकार के स्पंज; (xvi) तीन हाथ के तौलिए; (xvii) दो किडनी ट्रे; (xviii) चार कार्बोलिक साबुन; (xix) दो कांच के गिलास (टम्बलर) और दो वाइन ग्लास; (xx) दो क्लिनिकल थर्मामीटर; (xiii) चाय की

चम्मच के साथ ग्रेजुएटेड मापने वाला गिलास; (xxii) एक आई-बाथ (आँख धोने का कप); (xxiii) कार्बोलिक लोशन (1:20 के अनुपात में) की एक बोतल (2 पाउंड); (xxiv) दो कुर्सियाँ; (xxv) एक स्क्रीन (परदा); (xxvi) एक इलेक्ट्रिक हैंड टॉर्च (लालटेन); (xxvii) एंटी-टेनेस सीरम की पर्याप्त मात्रा; और (xxviii) दो फर्स्ट-एड (प्राथमिक चिकित्सा) बॉक्स, जिनमें से प्रत्येक में शामिल होगा— (a) 24 छोटी स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग; (b) 12 मध्यम आकार की स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग; (c) 12 बड़ी आकार की स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग; (d) 12 बड़ी आकार की स्टरलाइज्ड बर्न (जलने पर उपयोग होने वाली) ड्रेसिंग; (e) आधे औंस के 12 पैकेट स्टरलाइज्ड कॉटन वूल (रुई); (f) सांप काटने के इलाज के लिए एक लैंसेट (छोटा चीरा लगाने का उपकरण); (g) कैंची की एक जोड़ी; (h) पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल की दो (1 औंस) बोतलें; (i) आयोडीन का दो प्रतिशत एल्कोहलिक घोल रखने वाली एक (4 औंस) बोतल; (j) लेबल पर खुराक और सेवन का तरीका दर्शाने वाली सैल वोलेटाइल (Sal Volatile) की एक (4 औंस) बोतल; (k) भारत सरकार के फैक्टरीज के मुख्य सलाहकार (Chief Adviser of Factories) द्वारा जारी प्रथम चिकित्सा (फर्स्ट-एड) पर्ची/पुस्तिका की एक प्रति।

भाग **II**

वे कार्य या उनके हिस्से जिनमें— (i) कास्टिक पॉट्स का उपयोग किया जाता है; या (ii) ब्लीचिंग पाउडर का क्लोरेट निर्मित किया जाता है; या (iii) (a) गैस टार या कोल टार का आसवन (डिस्टिलेशन) किया जाता है या रासायनिक निर्माण की किसी भी प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है; या (b) नाइट्रो या अमीनो प्रक्रिया की जाती है; या (c) क्रोम प्रक्रिया की जाती है; या (iv) कच्चे शेल ऑयल का शोधन (रिफाइनिंग) किया जाता है या उससे संबंधित प्रक्रियाएं की जाती हैं; या (v) नाइट्रो यौगिकों के निर्माण में नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है; (vi) खुले पैन में नमकीन पानी (ब्राइन) का वाष्पीकरण और नमक की स्टोविंग की जाती है; (vii) हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या उसके किसी भी लवण का निर्माण या पुनर्प्राप्ति की जाती है; (viii) उस भट्टी पर काम जहाँ जस्ते (जिंक) के अयस्कों का उपचार किया जाता है; और (ix) उप-अनुसूची "ए" में उल्लिखित कीटनाशकों का निर्माण, मिश्रण, सम्मिश्रण (ब्लेंडिंग) या पैकिंग की जाती है।

1. गैस टार या कोल टार स्टिल में प्रवेश।—(1) बचाव कार्य के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा गैस टार या कोल टार स्टिल में प्रवेश करने से पहले, इसे संलग्न टार स्टिल्स से पूरी तरह से अलग (आइसोलेट) किया जाएगा, या तो निम्नलिखित को डिस्कनेक्ट करके— (a) स्वान नेक से कंडेंसर वर्म तक जाने वाला पाइप; या (b) वर्म या रिसीवर पर तय किया गया अपशिष्ट गैस पाइप; और इसके अलावा, डिस्कनेक्ट किए गए भागों के बीच ब्लाइंड फ्लैंग्स डाले जाएंगे, और स्टिल के निचले हिस्से में स्थित पिच डिस्चार्ज पाइप या कॉक को डिस्कनेक्ट किया जाएगा।

2. ब्लीचिंग पाउडर कक्षों (चैंबर) में प्रवेश।—कोई भी व्यक्ति ब्लीचिंग पाउडर के चार्ज को निकालने के उद्देश्य से किसी कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि— (i) कक्ष को कुशलतापूर्वक हवादार (वेंटिलेट) न किया गया हो; और (ii) कक्ष की हवा का परीक्षण न कर लिया गया हो और यह न पाया गया हो कि उसमें प्रति घन फीट 2.5 ग्रेन से अधिक मुक्त क्लोरीन गैस नहीं है। ऐसे सभी परीक्षणों का विवरण रखने वाला एक रजिस्टर मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता (Chief Inspector-cum-Facilitator) द्वारा अनुमोदित रूप में रखा जाएगा।

3. नाइट्रो और अमीनो प्रक्रियाओं के लिए विशेष सावधानियां।—नाइट्रो या अमीनो प्रक्रियाओं में: (a) यदि क्रिस्टलीकृत पदार्थों को तोड़ा जाता है या किसी घोल (लिक्वर) को हाथ से हिलाया जाता है, तो किसी भी ऐसे स्थान की हवा में धूल या धुएं के रिसाव को यथासंभव रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे जहाँ कोई व्यक्ति नियोजित हो। संचालन में उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों के हत्थों को प्रतिदिन साफ किया जाएगा; (b) कारतूसों (कार्ट्रिज) को हाथ से नहीं भरा जाएगा, सिवाय एक उपयुक्त स्कूप (कड़छी) के माध्यम से; (c) प्रत्येक सुखाने वाले स्टोव (ड्राइंग स्टोव) को बाहरी हवा के लिए इस तरह से कुशलतापूर्वक हवादार किया जाएगा कि स्टोव से गर्म हवा किसी भी कार्य-कक्ष में न खींची जा सके; (d) हवा का एक स्वतंत्र प्रवाह इसके माध्यम से गुजारे जाने तक कोई भी व्यक्ति सामग्री को हटाने के लिए स्टोव में प्रवेश नहीं करेगा; (e) फेनोल या बेंजीन या इसके समरूपों (होमोलॉजीज) के नाइट्रो या अमीनो डेरिवेटिव्स वाले प्रत्येक बर्तन को, यदि उसमें या उसके चारों ओर भाप (स्टीम) प्रवाहित की जाती है, या यदि सामग्री का तापमान उबलते पानी के तापमान पर या उससे अधिक है, तो इस तरह से ढका जाएगा कि भाप या वाष्प जमीन

या काम करने के प्लेटफॉर्म से कम से कम 25 फीट की ऊंचाई पर खुली हवा में छोड़ी जाए, और ऐसे बिंदु पर छोड़ी जाए जहाँ से इसे वापस कार्य-कक्ष में नहीं उड़ाया जा सके।

4. कास्टिक पीसने आदि के दौरान सावधानियां।—(a) कास्टिक को पीसने या कुचलने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रत्येक मशीन को बंद (एनक्लोज्ड) किया जाएगा; और (b) जहाँ निम्नलिखित में से कोई भी प्रक्रिया की जाती है— (i) कास्टिक को पीसना या कुचलना; (ii) पिसे हुए कास्टिक की पैकिंग; (iii) क्रोम प्रक्रिया में पीसना, छानना (सीविंग), वाष्पीकरण या पैकिंग; (iv) नाइट्रो या अमीनो प्रक्रिया में सामग्री को कुचलना या मिलाना या कार्ट्रिज भरना, एक कुशल निकास वायुप्रवाह (एग्जॉस्ट ड्राफ्ट) प्रदान किया जाएगा; (v) उप-अनुसूची "ए" में उल्लिखित कीटनाशक निर्मित, मिश्रित, संमेलित (ब्लेंडेड) या पैक किए जाते हैं।

5. (a) क्लोरेट को किसी ऐसे कमरे या स्थान के अलावा अन्य किसी जगह पर क्रिस्टलीकृत (क्रिस्टलाइज्ड**),** पीसा या पैक नहीं किया जाएगा जिसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए न किया जाए। ऐसे कमरे या स्थान का फर्श सीमेंट या अन्य चिकने**,** पानी को अंदर न जाने देने वाले (इम्परवियस) और न जलने वाले (इनकम्बस्टिबल) पदार्थ का बना होना चाहिए और इसे प्रतिदिन अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए।

(b) क्लोरेट के क्रिस्टलीकरण के लिए**,** या क्रिस्टलीकृत या पिसे हुए क्लोरेट को रखने के लिए लकड़ी के बर्तनों का उपयोग नहीं किया जाएगा**:** बशर्ते कि यह नियम बिक्री के लिए लकड़ी के पीपों (कास्क) या अन्य लकड़ी के बर्तनों में क्लोरेट की पैकिंग को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

6. युवा व्यक्तियों और महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबंध।—**(a) 18** वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति और महिलाएँ किसी भी ऐसी प्रक्रिया में नियोजित नहीं किए जाएंगे जिसमें निम्नलिखित कार्यों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआँ (फ्यूम्स) या अमोनिया जैसी वाष्प निकलती हो— (i) खुले पैन में नमकीन पानी (ब्राइन) का वाष्पीकरण; (ii) नमक की स्टोविंग (सुखाना या भट्ठी में पकाना); (iii) ऐसी भट्टी पर काम जहाँ जस्ते (जिंक) का उपचार किया जाता है; और (iv) उन कार्य-कक्षों की सफाई जहाँ (iii) में उल्लिखित प्रक्रिया की जाती है।

(b) 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को क्रोम प्रक्रिया में या नाइट्रो या अमीनो प्रक्रिया में या किसी ऐसी प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सामग्री का उपयोग किया जाता है या जहाँ ऐसी सामग्री की वाष्प निकलती है**:** कार्बन डाइ-सल्फाइड, सल्फर के क्लोराइड, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, कोई भी कार्बन क्लोराइड यौगिक, या इनमें से किसी भी सामग्री को मिलाने वाला कोई भी मिश्रण।

7. नियोजित प्रत्येक व्यक्ति— **(a)** उन प्रक्रियाओं में जिन पर इस अनुसूची का पैराग्राफ **33** लागू होता है**,** पैराग्राफ **33** के तहत प्रदान किए गए सुरक्षात्मक कपड़े**,** जूते**,** श्वास यंत्र (रेस्पिरेटर)**,** चश्मे या दस्ताने का उपयोग करेगा और इस प्रकार प्रदान किए गए ओवरऑल या सूट**,** या काम के कपड़ों के साथ-साथ काम के घंटों के दौरान उतारे गए कपड़ों को पैराग्राफ **34** के तहत प्रदान किए गए स्थानों पर रखेगा**;**

(b) उन प्रक्रियाओं में जिन पर पैराग्राफ **35** लागू होता है**,** किसी भी भोजन का सेवन करने या परिसर छोड़ने से पहले हाथ और चेहरा सावधानी से धोएगा**;**

(c) किसी भी ऐसी प्रक्रिया में जिस पर इस अनुसूची का भाग **II** लागू होता है**,** किसी भी ऐसी प्रक्रिया के संबंध में आपूर्ति किए गए सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करेगा जिसमें वह लगा हुआ है।

अनुसूची -XV

कार्सिनोजेनिक डाई इंटरमीडिएट्स का निर्माण या संचालन (Manufacture or Manipulation of Carcinogenic Dye Intermediates) आवेदन:

1. आवेदन.-यह अनुसूची उन सभी कारखानों या उनके किसी भी भाग पर लागू होगी जहाँ वे प्रक्रियाएँ की जाती हैं जिनमें पैराग्राफ 3 और 4 में उल्लिखित पदार्थ बनते हैं, निर्मित होते हैं, संभाले जाते हैं, या उपयोग किए जाते हैं, और इसके साथ ही वे प्रासंगिक प्रक्रियाएँ भी जिनके दौरान ये पदार्थ बनते हैं। इस पैराग्राफ में इंगित प्रक्रिया को इसके बाद "प्रक्रियाएँ उक्त"(the said processes) कहा जाएगा और ऐसे संदर्भ का अर्थ इस पैराग्राफ में वर्णित किसी भी या सभी प्रक्रियाओं से होगा।

2. परिभाषाएँ.—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(ए "पदार्थ नियंत्रित" ((Controlled Substances) का अर्थ इस अनुसूची के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित रासायनिक पदार्थों से है।

(बी "ड्राफ्ट निकास कुशल" ((Efficient Exhaust Draught) का अर्थ गैस, वाष्प, धूल या धुएं को हटाने के लिए यांत्रिक साधनों द्वारा प्रभावित स्थानीयकृत वेंटिलेशन से है ताकि उन्हें किसी भी ऐसे स्थान की हवा में फैलने से रोका जा सके जहाँ काम किया जा रहा हो। किसी भी ड्राफ्ट को कुशल नहीं माना जाएगा जो उस बिंदु पर उत्पन्न होने वाले धुएं को हटाने में विफल रहता है जहाँ ऐसी गैस, वाष्प, धुआं या धूल उत्पन्न हुई थी।

(सी प्रथम" (नियोजन "(First Employment) का अर्थ उक्त प्रक्रियाओं में पहला नियोजन और लगातार तीन कैलेंडर महीने से अधिक की अवधि के लिए नियोजन की किसी भी समाप्ति के बाद ऐसी प्रक्रियाओं में पुन :नियोजन है भी, और

(डी "पदार्थ प्रतिबंधित" ((Prohibited Substances) का अर्थ इस अनुसूची के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित रासायनिक पदार्थों से है।

3. प्रतिबंधित पदार्थ.—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों को प्रतिबंधित" के "पदार्थरूप में वर्गीकृत किया जाएगा, सिवाय तब जब ये पदार्थ मौजूद हों या किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के उप-उत्पाद(by-product) के रूप में कुल सांद्रता में एक प्रतिशत से अधिक न हों:— (ए इसके और नफ्थिलामाइन-बीटा (लवण(Beta-naphthylamine and its salts);

(बी बेंजिडाइन (और इसके लवण (Benzidine and its salts);

(सी (4-अमीनो डाइफेनिल और इसके लवण (4-amino diphenyl and its salts);

(डी (4-नाइट्रो डाइफेनिल और इसके लवण (4-nitro diphenyl and its salts); और

(ईहो। शामिल यौगिक भी कोई से इनमें जिसमें पदार्थ भी कोई (.

4. नियंत्रित पदार्थ.—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित रासायनिक नियंत्रित" को पदार्थों-:जाएगा किया वर्गीकृत में रूप के "पदार्थ—

(ए में रूप के उत्पाद-उप के प्रतिक्रिया रासायनिक जिसमें नफ्थिलामाइन अल्फा या नफ्थिलामाइन-अल्फा (-बीटा अधिक से प्रतिशत एक अन्यथा यानफ्थिलामाइन नहीं है, और इसके लवण,

(बीलवण इसके और टोलिडाइन-ऑर्थो (;

(सीलवण इसके और डायनिसिडाइन (;

(डीलवण इसके और डाइक्लोरोबेंजिडाइन (;

(ईऑरामाइन (, और (एफमैजेंटा। (

5. नियोजन का प्रतिषेध।में कारखाने ऐसे भी किसी--, जिसमें किसी प्रतिषेधित पदार्थ का निर्माण, विनिर्माण, प्रक्रमण, हथालन या उपयोग किया जाता है, उक्त प्रक्रियाओं में किसी भी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया

जाएगा, सिवाय इसके कि मुख्य निरीक्षक सुविधाप्रदाता-सह-(Chief Inspector-cum-Facilitator) द्वारा पैरा 23 में यथाविनिर्दिष्ट छूट दी गई हो।

6. नियंत्रित पदार्थों के प्रसंस्करण या रख-रखाव के लिए आवश्यकताएँ।—(1) जहाँ कहीं भी पैराग्राफ 4 में उल्लिखित किसी भी नियंत्रित पदार्थ को बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है, प्रसंस्कृत किया जाता है, संभाला जाता है या उपयोग किया जाता है, वहाँ श्रमिकों द्वारा उस पदार्थ के प्रसंस्करण, उसके भंडारण या परिवहन के दौरान, या प्लांट की सफाई या रखरखाव के समय, या संबंधित उपकरणों, प्लांट, मशीनरी और भंडारण क्षेत्रों में काम करते समय उक्त नियंत्रित पदार्थ के साँस द्वारा भीतर जाने (इन्हेलेशन), निगलने (इंजेशन) या शरीर द्वारा अवशोषण (एब्जॉर्प्शन) को रोकने के लिए सभी व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे।

(2) जहाँ तक संभव हो, सभी संचालन एक पूरी तरह से बंद (एनक्लोज्ड) प्रणाली में किए जाने चाहिए। जहाँ ऐसा घेरा बनाना संभव न हो, वहाँ उस बिंदु पर कुशल निकास वायुप्रवाह (एग्जॉस्ट ड्राफ्ट) लगाया जाना चाहिए जहाँ नियंत्रित पदार्थों के प्रक्रियाओं के दौरान वातावरण में फैलने की संभावना हो।

(3) नियंत्रित पदार्थों को कारखाने में कसकर बंद कंटेनोरे (डिब्बों) में प्राप्त किया जाना चाहिए और जब तक ये पदार्थ प्रक्रिया में या उपयोग में न हों, तब तक उन्हें वैसे ही बंद रखा जाना चाहिए। नियंत्रित पदार्थों को कारखाने से केवल उपयुक्त प्रकार के कसकर बंद कंटेनरों में ही बाहर जाना चाहिए। सभी कंटेनरों पर उनकी सामग्री को इंगित करने के लिए स्पष्ट रूप से लेबल लगाया जाना चाहिए।

.

7. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण।—(1) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मचारी को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की निम्नलिखित वस्तुएँ प्रदान की जाएंगी और जारी की जाएंगी: (a) लंबी पतलून (ट्राउजर) और पूरी आस्तीन (स्लीव) वाली कमीज या ओवरऑल और सिर को ढकने के साधन (हेड कवरिंग)। कमीज या ओवरऑल गर्दन को पूरी तरह से ढकने वाले होने चाहिए। (b) रबर के गम-बूट (जूते)।

(2) सामान्य कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान या आपात स्थिति में चोट लगने का खतरा होने पर उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की निम्नलिखित वस्तुएं पर्याप्त संख्या में प्रदान की जाएंगी: (a) रबर के दस्ताने (हैंड-ग्लोव्स); (b) रबर के एप्रन; (c) एयरलाइन रेस्पिरेटर या अन्य उपयुक्त श्वसन सुरक्षा उपकरण।

(3) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की सभी वस्तुओं को साफ और स्वच्छ स्थिति में तथा अच्छी मरम्मत की स्थिति में बनाए रखना प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी।

8. महिलाओं और युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित प्रतिबंध।—किसी भी गर्भवती महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी ऐसे कमरे में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें उक्त प्रक्रिया की जाती है।

बशर्ते कि महिला श्रमिकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनकी सहमति से काम पर रखा जा सकता है: (1) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) प्रदान करने के लिए अधिष्ठाता (ऑक्यूपायर) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा। (2) अधिष्ठाता, जहाँ तक संभव हो, समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा। (3) जो महिला श्रमिक स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उन्हें इस नियोजन से छूट दी जाएगी।

9. कार्य-कक्ष का फर्श।—प्रत्येक कार्य-कक्ष का फर्श जिसमें उक्त प्रक्रियाएं की जाती हैं, ऐसा होगा: (a) चिकना और पानी को अंदर न जाने देने वाला (इम्परवियस), बशर्ते कि फर्श के निर्माण में डामर (अस्फाल्ट) या तारकोल का उपयोग नहीं किया जाएगा; (b) अच्छी मरम्मत की स्थिति में रखा हुआ; (c) आसानी से पानी निकलने के लिए उपयुक्त ढलान वाला और नालियों (गटर्स) से युक्त; और (d) प्रतिदिन अच्छी तरह से धोया गया हो और निकास का पानी एक बंद चैनल के माध्यम से सीवर में ले जाया गया हो।

10. खाली कंटेनरों का निपटान।—नियंत्रित पदार्थों को रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले खाली कंटेनरों को फेंकने से पहले उनकी सामग्री से अच्छी तरह साफ किया जाना चाहिए और एक निष्क्रिय करने वाले एजेंट (इनएक्टिवेटिंग एजेंट) से उपचारित किया जाना चाहिए।

11. मैन्युअल हैंडलिंग (हाथ से संचालन)।—नियंत्रित पदार्थों को एक हैंडल वाले स्कूप (कड़छी) के माध्यम से ही मिलाया, भरा, खाली किया या संभाला जा सकता है, इसके अलावा अन्य किसी तरीके से अनुमति नहीं होगी। ऐसे स्कूप को प्रतिदिन अच्छी तरह साफ किया जाना चाहिए।

12. जोखिम के संबंध में निर्देश।—उक्त प्रक्रिया में अपनी पहली नौकरी पर आने वाले प्रत्येक श्रमिक को उन जहरीले रसायनों के गुणों के बारे में पूरी तरह से निर्देश दिया जाना चाहिए, जिनके संपर्क में आने की उसे संभावना है, साथ ही इसमें शामिल खतरे और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया जाना चाहिए। श्रमिकों को आपात स्थिति से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी निर्देश दिए जाने चाहिए।

13. चेतावनी पट्टिका (कॉशनरी प्लेकार्ड्स)।—इस अनुसूची से जुड़े परिशिष्ट में निर्दिष्ट रूप में और उक्त प्रक्रिया में नियोजित अधिकांश श्रमिकों की भाषा में मुद्रित चेतावनी पट्टिकाएं कारखाने में उनके द्वारा अक्सर आने-जाने वाले प्रमुख स्थानों पर लगाई जाएंगी, जहाँ पट्टिकाओं को आसानी से और सुविधापूर्वक पढ़ा जा सके। चेतावनी पट्टिकाओं में निहित सावधानियों के बारे में ऐसे सभी श्रमिकों को समय-समय पर निर्देश देने के लिए प्रबंधक द्वारा व्यवस्था की जाएगी।

14. मेडिकल परीक्षण।—(1) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक की पहली नियुक्ति के 14 दिनों के भीतर कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। इस परीक्षा में ऐसे परीक्षण शामिल होंगे जिन्हें कारखाने का चिकित्सा अधिकारी उचित समझे और इसमें मूत्र की एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी (एक्स्फोलिएटिव साइटोलॉजी ऑफ द यूरिन) शामिल होगी। कारखाने में पहली नियुक्ति के 14 दिनों के बाद किसी भी श्रमिक को तब तक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन के लिए फिट प्रमाणित न किया जाए।

(2) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक की कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा कम से कम हर छह कैलेंडर महीने में एक बार पुन: जांच की जाएगी। इस परीक्षण में ऐसे परीक्षण शामिल होंगे जिन्हें कारखाने का चिकित्सा अधिकारी उचित समझे लेकिन इसमें मूत्र की एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी शामिल होगी।

(3) उप-पैराग्राफ (1) के तहत चिकित्सकीय रूप से जांचे गए व्यक्ति को कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-8 में फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। उप-पैराग्राफ (2) के तहत किए गए प्रत्येक पुन: परीक्षण का रिकॉर्ड स्वास्थ्य रजिस्टर फॉर्म-7 में दर्ज किया जाएगा। स्वास्थ्य रजिस्टर कारखाने के प्रबंधक की हिरासत में रखा जाएगा।

(4) उप-पैराग्राफ (1) और (2) में उल्लिखित प्रत्येक परीक्षा का रिकॉर्ड, परीक्षणों की प्रकृति और परिणामों सहित, कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-7 में एक स्वास्थ्य रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(5) फिटनेस के प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर किसी भी इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखे जाएंगे।

(6) यदि किसी भी समय फैक्टरी मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल Officer की यह राय है कि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने की संभावना के आधार पर उक्त प्रक्रियाओं या किसी अन्य कार्य में नियोजन के लिए अब फिट नहीं है, तो वह उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का रिकॉर्ड दर्ज करेगा। इन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टि में वह अवधि भी शामिल होनी चाहिए जिसके लिए वह मानता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रियाओं में या किसी भी काम में, जैसा भी मामला हो, काम के लिए अयोग्य है।

(7) उप-पैराग्राफ (6) में बताए गए अनुसार काम करने के लिए अयोग्य पाए गए किसी भी व्यक्ति को तब तक फिर से काम पर नहीं रखा जाएगा या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि चिकित्सा अधिकारी, आगे की जांच के बाद, उसे फिर से नियोजन के लिए फिट प्रमाणित न कर दे।

15. चिकित्सा सुविधाएं।—(1) जिस कारखाने में उक्त प्रक्रियाएं की जाती हैं, उसका अधिष्ठाता (ऑक्यूपायर) ऐसे कारखाने में नियोजित कर्मचारियों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर को नियुक्त करेगा, जहाँ श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक हो। (2) अधिष्ठाता उप-पैराग्राफ (1) में उल्लिखित उद्देश्य के लिए उसे सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। (3) फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर द्वारा किए गए मेडिकल परीक्षणों और उचित परीक्षणों का रिकॉर्ड अनुमोदित स्वास्थ्य रजिस्टर फॉर्म-7 में रखा जाएगा।

16. श्रमिकों के दायित्व।—उक्त प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे इन नियमों के तहत प्रदान किए गए अनुसार फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर द्वारा मूत्र की एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी सहित मेडिकल परीक्षण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करें।

17. धोने और नहाने की सुविधाएं।—(1) उक्त प्रक्रिया में नियोजित सभी कर्मचारियों के उपयोग के लिए निम्नलिखित धोने और नहाने की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और उन्हें स्वच्छ स्थिति तथा अच्छी मरम्मत में रखा जाएगा: (a) पानी की निरंतर आपूर्ति से युक्त ढंके हुए धोने का स्थान, जिसमें साफ तौलिए, साबुन और नख-ब्रश (नेल ब्रश) उपलब्ध हों और प्रत्येक पाँच ऐसे श्रमिकों के लिए कम से कम एक स्टैंड पाइप हो। (b) खंड (a) के तहत प्रदान किए गए स्टैंड पाइपों में से 50 प्रतिशत ऐसे बाथरूमों में स्थित होंगे जहाँ कारखाने के काम के घंटों के दौरान और उसके बाद एक घंटे के लिए गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के पानी उपलब्ध कराए जाएंगे। (c) धोने और नहाने की सुविधाएं उक्त प्रक्रियाओं वाले क्षेत्र के बहुत करीब होंगी। (d) ऐसे श्रमिकों को व्यक्तिगत रूप से साफ तौलिए उपलब्ध कराए जाएंगे। (e) खंड (a) के तहत उल्लिखित नलों के अलावा, प्रत्येक मंजिल पर एक स्टैंड पाइप प्रदान किया जाएगा जिसमें गर्म पानी उपलब्ध कराया जाए।

(2) कारखाने की यूनिफॉर्म और अन्य काम के कपड़ों को प्रतिदिन धोने की व्यवस्था की जाएगी।

18. कार्य कक्ष में भोजन**,** पेय आदि प्रतिबंधित।—कोई भी श्रमिक किसी भी ऐसे कार्य-कक्ष में जिसमें उक्त प्रक्रियाएं की जाती हैं, भोजन, पेय, पान और सुपारी या तंबाकू का सेवन नहीं करेगा और न ही धूम्रपान करेगा और कोई भी श्रमिक भोजन या आराम के अंतराल के दौरान ऐसे किसी भी कमरे में नहीं रहेगा।

19. क्लोकरूम।—उक्त श्रमिकों में नियोजित श्रमिकों के उपयोग के लिए साफ स्थिति में और अच्छी मरम्मत में निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा: (a) दो डिब्बों (कंपार्टमेंट) वाले लॉकर के साथ एक क्लोकरूम - एक सड़क के कपड़ों के लिए और दूसरा काम के कपड़ों के लिए; और (b) पैराग्राफ 7 के तहत प्रदान किए गए सुरक्षात्मक उपकरणों के भंडारण के लिए लॉकर रूम और मेस रूम से अलग एक जगह। प्रदान की गई आवास व्यवस्था एक जिम्मेदार व्यक्ति की देखरेख में होगी और इसे साफ रखा जाएगा।

20. मेस रूम।—उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित श्रमिकों के उपयोग के लिए जो भोजन के अंतराल के दौरान परिसर में रहते हैं, एक मेस रूम प्रदान किया जाएगा और रखा जाएगा जिसे टेबल और बेंचों से सुसज्जित किया जाएगा और भोजन गर्म करने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किए जाएंगे।

21. धोने के लिए अनुमति दिया गया समय।—प्रत्येक पाली (शिफ्ट) के अंत से पहले उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक को नहाने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अलावा भोजन के लिए नियमित रूप से दिए जाने वाले समय के अतिरिक्त प्रत्येक भोजन से पहले हाथ-मुँह धोने के लिए कम से कम 10 मिनट का समय दिया जाएगा।

22. नियोजित व्यक्तियों की आयु पर प्रतिबंध।—शेड्यूल के लागू होने की तिथि के बाद पहली बार कारखाने में उक्त प्रक्रियाओं में 40 वर्ष से कम आयु के किसी भी श्रमिक को काम पर नहीं लगाया जाएगा।

23. अपवाद - प्रतिबंधित पदार्थ।—(1) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता (Chief Inspector-cum-Facilitator) लिखित प्रमाण पत्र द्वारा (जिसे वह किसी भी समय अपने विवेक से रद्द कर सकता है), उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, किसी भी ऐसी प्रक्रिया को पैराग्राफ 5 के प्रावधानों से छूट दे सकता है जिसके दौरान किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ का निर्माण, प्रसंस्करण, विनिर्माण, संचालन या उपयोग किया जाता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि प्रक्रिया पूरी तरह से बंद और हर्मेटिक रूप से सील प्रणाली में इस तरह से की जाती है कि प्रतिबंधित पदार्थ को प्रणाली से बाहर नहीं निकाला जाता है, सिवाय ऐसी मात्रा के जो प्रक्रिया के नियंत्रण के उद्देश्य के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक न हो या ऐसे उद्देश्यों के लिए जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि उत्पाद किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ से मुक्त है।

(2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता बेंजिडाइन हाइड्रोक्लोराइड के निर्माण, संचालन या उपयोग की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि इससे संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से बंद प्रणाली में इस तरह से की जा रही हों कि बेंजिडाइन हाइड्रोक्लोराइड के अलावा कोई अन्य प्रतिबंधित पदार्थ वहाँ से न निकाला जाए, सिवाय ऐसी मात्रा के जो प्रक्रिया के नियंत्रण के उद्देश्य के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक न हो या ऐसे उद्देश्यों के लिए जो यह सुनिश्चित करने के लिए

आवश्यक हो कि उत्पाद प्रतिबंधित पदार्थों से मुक्त है, और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाते हैं कि बेंजिडाइन हाइड्रोक्लोराइड को, पूरी तरह से बंद प्रणाली में न होने के समय को छोड़कर, हर समय बेंजिडाइन हाइड्रोक्लोराइड के दो भागों में पानी के कम से कम एक भाग के साथ गीला रखा जाता है।

24. अपवाद - सामान्य।—यदि किसी कारखाने के संबंध में, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता इस बात से संतुष्ट है कि प्रक्रिया की असाधारण परिस्थितियों या कम बार होने या किसी अन्य कारण से, इस अनुसूची के सभी या कोई भी प्रावधान कारखाने में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं, तो मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण पत्र द्वारा (जिसे वह किसी भी समय अपने विवेक से रद्द कर सकता है, ऐसे कारखाने को ऐसे सभी या किसी भी प्रावधान से ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, छूट दे सकता है जो वह उसमें निर्दिष्ट करे)।

परिशिष्ट (**APPENDIX**)

चेतावनी पट्टिका सूचना-(**Cautionary Placard-Notice**)

1. एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन के नाइट्रो या अमीनो डेरिवेटिव (उत्पन्न) होने वाले डाई इंटरमीडिएट्स (डाई के मध्यवर्ती उत्पाद) जहरीले होते हैं। आपको इस कारखाने में अक्सर इन रसायनों को संभालना पड़ता है।
2. अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक कपड़ों और उपकरणों का उपयोग करें।
3. हर समय पूरी तरह से साफ-सफाई बनाए रखें और भोजन करने से पहले हाथ-पैर अच्छी तरह धो लें। कारखाने से जाने से पहले स्नान करना अनिवार्य है।
4. आपके शरीर पर गिरने वाले किसी भी रसायन को साबुन और पानी से धो लें। यदि रसायन का घोल शरीर पर छींटे के रूप में पड़ जाए, तो दूषित कपड़ों को तुरंत उतार दें। इन रसायनों से सायनोसिस (रक्त में ऑक्सीजन की कमी) होने की संभावना होती है। तुरंत चिकित्सा अधिकारी या नियुक्त डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह लें।
5. डाई इंटरमीडिएट्स को केवल लंबे हत्थे वाले स्कूप से ही संभालें, कभी भी नंगे हाथों से नहीं।
6. मादक पेय पदार्थों (शराब) का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे रसायनों द्वारा जहर फैलने (पॉइजनिंग) का खतरा बढ़ जाता है।
7. अपने भोजन और पेय पदार्थों को कार्य-स्थल से दूर रखें। कार्य-स्थल पर किसी भी रूप में भोजन, पेय या तंबाकू का सेवन करना प्रतिबंधित है।
8. जहरीले रसायनों के साथ काम करने के गंभीर प्रभाव कई वर्षों के बाद सामने आ सकते हैं। शरीर, कपड़ों, मशीनरी और उपकरणों की पूर्ण स्वच्छता बनाए रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

अनुसूची-XVI

बेंजीन और बेंजीन युक्त पदार्थों का निर्माण, संचालन और उपयोग:

1. यह अनुसूची बेंजीन से विषाक्तता के खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है और कारखानों या उसके भागों के संबंध में लागू होगी जिसमें बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थ निर्मित, संभाले या उपयोग किए जाते हैं।

2. *परिभाषाएँ.*—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए:

(क) 'बेंजीन युक्त पदार्थ' से ऐसे पदार्थ अभिप्रेत हैं जिनमें बेंजीन की मात्रा 1 प्रतिशत से अधिक है;

(ख) 'स्थानापन्न' का अर्थ है एक रसायन जो बेंजीन की तुलना में हानिरहित या कम हानिकारक है और बेंजीन के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है;

(ग) संलग्न प्रणाली से तात्पर्य ऐसी प्रणाली से है जो बेंजीन वाष्प को कार्य वातावरण में जाने की अनुमति नहीं देगी; तथा

(घ) 'कुशल निकास ड्राफ्ट' का अर्थ है गैसों, वाष्पों और धूल या धुएं को हटाने के लिए यांत्रिक साधनों से प्रभावित स्थानीयकृत वेंटिलेशन ताकि उन्हें किसी भी कार्यकक्ष की हवा में जाने से रोका जा सके।

किसी भी ड्राफ्ट को कुशल नहीं माना जाएगा यदि यह उस बिंदु पर उत्पन्न धुएं को हटाने में विफल रहता है जहां ऐसी गैसें, वाष्प, धुएं या धूल उत्पन्न होती हैं।

3. निषेध और प्रतिस्थापन.—(1) बेंजीन और बेंजीन युक्त पदार्थों का उपयोग निम्नलिखित प्रक्रियाओं में निषिद्ध है -

(ए) वार्निश, पेंट और थिनर का निर्माण;

(b) सफाई और विस्नेहन कार्य।

(2) बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थों का उपयोग विलायक या मंदक के रूप में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि जिन प्रक्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है, वे नहीं किए जाते हैं या एक संलग्न प्रणाली में या जब तक प्रक्रियाओं को इस तरह से नहीं किया जाता है जो समान रूप से सुरक्षित माना जाता है जैसा कि इसे एक संलग्न प्रणाली में किया गया था।

(3) जहां उपयुक्त विकल्प उपलब्ध हैं, उनका उपयोग बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थों के बजाय किया जाएगा। हालांकि, यह प्रावधान निम्नलिखित प्रक्रिया पर लागू नहीं होगा:

(क) बेंजीन का उत्पादन;

(ख) वह प्रक्रिया जहां बेंजीन का उपयोग रासायनिक संश्लेषण के लिए किया जाता है; तथा

(ग) मोटर स्पिरिट (उपयोग और ईंधन)।

(4) मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता, राज्य सरकार द्वारा पुष्टि के अध्यधीन, पैरा 2 (ए) में निर्धारित प्रतिशत से और इस पैराग्राफ के उप-पैरा (2) के प्रावधानों से भी शर्तों के तहत और संबंधित नियोक्ताओं और श्रमिकों के साथ परामर्श के बाद निर्धारित की जाने वाली समय की सीमा के भीतर अस्थायी रूप से छूट की अनुमति दे सकता है।

4. *साँस लेने से सुरक्षा*—(1) बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थों के उपयोग से जुडी प्रक्रिया जहां तक संभव हो, एक संलग्न प्रणाली में की जाएगी।

(2) जहां, हालांकि, एक संलग्न प्रणाली में प्रक्रिया को पूरा करना व्यावहारिक नहीं है, जिस कार्यकक्ष में बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वह बेंजीन वाष्प को हटाने के लिए एक कुशल निकास ड्राफ्ट या अन्य साधनों से सुसज्जित होगा ताकि हवा में बेंजीन की सांद्रता 25 भाग प्रति मिलियन मात्रा या 80 मिलीग्राम से अधिक न हो प्रति घन मीटर।

(3) हवा में बेंजीन वाष्प की सांद्रता के माप के लिए वायु विश्लेषण हर 8 घंटे में या ऐसे अंतराल पर किया जाएगा जैसा कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा उन स्थानों पर निर्देशित किया जा सकता है जहां बेंजीन के उपयोग से जुडी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है और इस तरह के विश्लेषण के परिणामों को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। यदि वायु विश्लेषण द्वारा मापी गई हवा में बेंजीन वाष्प की सांद्रता मात्रा से 25 भाग प्रति मिलियन या 80 मिलीग्राम प्रति घन मीटर से अधिक है, तो प्रबंधक तुरंत मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को सांद्रता की रिपोर्ट करेगा जिसमें इस तरह की वृद्धि के कारण बताए जाएंगे।

(4) जिन श्रमिकों को विशेष कारणों से हवा में बेंजीन की सांद्रता के संपर्क में आने की संभावना है या उप-पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट अधिकतम से अधिक कार्यकक्ष को उपयुक्त श्वासयंत्र फेस मास्क प्रदान किया जाएगा। इस तरह के एक्सपोजर की अवधि जहां तक संभव हो सीमित होगी।

5. *त्वचा संपर्क के विरुद्ध उपाय- (*1) जिन श्रमिकों के तरल बेंजीन या बेंजीन युक्त तरल पदार्थ के संपर्क में आने की संभावना है, उन्हें उपयुक्त दस्ताने, एप्रन, जूते और जहां आवश्यक हो, वाष्प तंग रासायनिक चश्मे प्रदान किए जाएंगे, जो बेंजीन या इसके वाष्प से प्रभावित नहीं होने वाली सामग्री से बने हों।

(2) उप-पैराग्राफ (i) में निर्दिष्ट सुरक्षात्मक पहनावे को अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाएगा और नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा।

6. *महिलाओं और युवाओं के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध-* किसी भी गर्भवती महिला या युवा व्यक्ति को बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थों के संपर्क में आने वाले किसी भी कार्यकक्ष में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परन्तु महिला श्रमिकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन काम करने के लिए उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है: -

(1) व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिष्ठाता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) मानकों को अपनाया जाएगा ।

(2) जहां तक संभव हो, अधिष्ठाता समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेंगे।

(3) दूध पिलाने वाली महिला श्रमिकों को रोजगार से छूट दी जाएगी।

7. *लेबलिंग.*- बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थों को रखने वाले प्रत्येक कंटेनर में "बेंजीन" शब्द और अनुमोदित खतरे के प्रतीक स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे और बेंजीन सामग्री के बारे में जानकारी भी प्रदर्शित करेंगे, विषाक्तता के बारे में चेतावनी और रसायन की ज्वलनशीलता के बारे में चेतावनी देंगे।

8. *बेंजीन का अनुचित प्रयोग-(1)* श्रमिकों द्वारा अपने हाथों या अपने काम के कपड़ों की सफाई के लिए बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थों का उपयोग निषिद्ध होगा।

(2) श्रमिकों को इस तरह के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों के बारे में निर्देश दिये जायेंगे।

9. *कार्यकक्ष में भोजन आदि का सेवन करने का प्रतिषेध* - किसी भी कर्मकार को उस कार्यकक्ष में भोजन या पेय का भंडारण या उपभोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थ का निर्माण, संचालन या उपयोग किया जाता है। ऐसे वर्करूम में धूम्रपान और तंबाकू या पान चबाना प्रतिबंधित होगा।

10. *जोखिमों के संबंध में निर्देश-* अपने पहले रोजगार पर प्रत्येक श्रमिक को बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थों , जिन्हें उसे संभालना है, के गुणों के बारे में और इसमें शामिल खतरों के बारे में पूरी तरह से निर्देश दिया जाएगा। श्रमिकों को आपात स्थिति से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में भी निर्देश दिए जाएंगे।

11. *चेतावनी सूचनाएं-* परिशिष्ट 'क' में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में चेतावनी सूचनाएं और अधिकांश श्रमिकों द्वारा आसानी से पढ़ी और समझी जाने वाली भाषा में प्रस्तुत की जाएंगी, जहां बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थों का निर्माण, संचालन या उपयोग किया जाता है।

12. *धोने की सुविधाएं, क्लॉक रूम और मेस-रूम.—उन* कारखानों में जिनमें बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थों का निर्माण, संचालन या उपयोग किया जाता है, अधिष्ठाता स्वच्छ अवस्था में और अच्छी मरम्मत में प्रदान करेगा और बनाए रखेगा:

(1) प्रत्येक 10 व्यक्तियों के लिए कम से कम एक नल के मानक के तहत धुलाई की सुविधाएं, जिसमें साबुन के साथ पानी की निरंतर आपूर्ति हो और प्रत्येक श्रमिक को व्यक्तिगत रूप से एक साफ तौलिया प्रदान किया जाए, यदि निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है ;

(2) प्रत्येक श्रमिक के लिए लॉकर के साथ एक क्लोक रूम, जिसमें दो डिब्बे होते हैं, एक सड़क के कपड़ों के लिए और एक काम के कपड़ों के लिए; तथा

(3) भोजन को गर्म करने के साधनों के साथ टेबल और बेंचों से सुसज्जित एक मेस रूम, परन्तु जहां श्रमिकों के लिए अपना भोजन लेने के लिए कैंटीन या अन्य उचित व्यवस्था मौजूद हो, वहां मेस रूम की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया जाएगा।

13. चिकित्सा परीक्षण- (1) प्रत्येक श्रमिक जिसे बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थों के उपयोग से संबंधित प्रक्रिया में नियोजित किया जाना है, उसे गुजरना होगा-

(क) एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा रोजगार के लिए योग्यता के लिए रक्त परीक्षण सहित एक संपूर्ण पूर्व-रोजगार चिकित्सा परीक्षा; तथा

(ख) प्रयोगशाला की सहायता से फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर रक्त परीक्षण और अन्य जैविक परीक्षणों सहित आवधिक चिकित्सा जांच।

(2) प्रत्येक छह महीने के बाद परीक्षणों सहित पूर्व-रोजगार चिकित्सा परीक्षा और आवधिक चिकित्सा परीक्षा के प्रमाण पत्र, प्रपत्र-7 में एक स्वास्थ्य रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे, जो एक निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा मांग पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) यदि किसी भी समय जांच पर फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी की राय है कि किसी भी श्रमिक ने बेंजीन जोखिम के संकेत या लक्षण विकसित किए हैं, तो वह उक्त रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का रिकॉर्ड बनाएगा और प्रबंधक को लिखित रूप में सूचित करेगा और कारखाने के चिकित्सा अधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर, कारखाने का प्रबंधक इस तरह से उजागर पाए गए कर्मचारी को भेजेगा, फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी को, जो कारखाने के चिकित्सा अधिकारी की खोज से खुद को संतुष्ट करने और आवश्यक जांच करने के बाद, श्रमिक के अस्थायी स्थानांतरण या प्रक्रिया में श्रमिक के निलंबन के आदेश जारी करेगा।

(4) चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक द्वारा की जाएगी और इस प्रकार जांच किया गया श्रमिक इसके लिए कोई खर्च वहन नहीं करेगा।

परिशिष्ट -A

(पैराग्राफ 11)

(ए) खतरा:

(i) बेंजीन और बेंजीन युक्त पदार्थ हानिकारक होते हैं।

(ii) बेंजीन वाष्पों की लंबे समय तक या बार-बार सांस लेने से तीव्र या पुरानी विषाक्तता हो सकती है।

(iii) बेंजीन को त्वचा के माध्यम से भी अवशोषित किया जा सकता है जो त्वचा और अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है।

(ख) किए जाने वाले निवारक उपाय

(i) बेंजीन वाष्प से सांस लेने से बचें।

(ii) त्वचा के साथ बेंजीन के लंबे समय तक या बार-बार संपर्क से बचें।

(iii) बेंजीन से लथपथ या गीले कपड़ों को तुरंत हटा दें।

(iv) यदि किसी भी समय आप बेंजीन वाष्पों की उच्च सांद्रता के संपर्क में आते हैं और चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई, अत्यधिक उत्तेजना और चेतना खोने जैसे संकेत और लक्षण प्रदर्शित करते हैं, तो तुरंत अपने फैक्ट्री मैनेजर को सूचित करें।

(v) बेंजीन के सभी कंटेनरों को बंद रखें।

(vi) बेंजीन और बेंजीन युक्त पदार्थों को फर्श पर फैलने से रोकने के लिए उन्हें सावधानीपूर्वक संभालना, उपयोग करना और संसाधित करना।

(vii) अच्छी हाउस-कीपिंग बनाए रखें।

(ग) उपयोग किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपकरण:

(i) श्वसन सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग उस स्थान पर करें जहां बेंजीन वाष्प उच्च सांद्रता में मौजूद हों,

(ii) आपात स्थिति में, स्व-जनरेटिंग ऑक्सीजन मास्क या ऑक्सीजन या एयर-सिलेंडर मास्क का उपयोग करें।

(iii) अपनी त्वचा और शरीर के अंगों के साथ बेंजीन के संपर्क से बचने के लिए हाथ के दस्ताने, एप्रन, काले चश्मे और गम बूट पहनें।

(घ) तीव्र बेंजीन विषाक्तता के मामले में किए जाने वाले प्राथमिक उपचार उपाय

(i) बेंजीन से गीला होने पर कपड़ों को तुरंत हटा दें।

(ii) यदि तरल बेंजीन आंखों में प्रवेश करता है, तो कम से कम 15 मिनट के लिए साफ बहते पानी के साथ अच्छी तरह से फ्लश करें और तुरंत चिकित्सा के लिए ध्यान दें,

(iii) बेंजीन वाष्प के असामान्य संपर्क के मामले में, तुरंत एक चिकित्सक को बुलाएं। जब तक वह नहीं आ जाता, तब तक निम्न कार्य करें:

यदि उजागर व्यक्ति सचेत है :

(a) उसे खुले में ताजी हवा में ले जाएं।

(b) उसे बिना तकिए के लिटाएं और उसे शांत और गर्म रखें।

यदि बेहोश व्यक्ति :

(a) उसे अधिमानतः बाईं ओर सिर नीचे करके लिटाएं।

(बी) किसी भी झूठे दांत को हटा दें; च्युइंग-गम तंबाकू या अन्य विदेशी वस्तुएं जो उसके मुंह में हो सकती हैं।

(c) सांस लेने में कठिनाई होने की स्थिति में उसे कृत्रिम श्वसन प्रदान करें।

(घ) उथली श्वास या सायनोसिस (त्वचा, होंठ, कान, उंगलियों, नाखून बिस्तरों का नीलापन) के मामले में, उसे चिकित्सा ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण प्रदान किया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उसे कृत्रिम श्वसन देना चाहिए। ऑक्सीजन केवल एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा प्रदान की जानी चाहिए।

अनुसूची-XVII

मिट्टी के बर्तनों का निर्माण:

1. *बचत.*—ये प्रावधान उस कारखाने पर लागू नहीं होंगे जिसमें निम्नलिखित में से कोई भी वस्तु, लेकिन कोई अन्य मिट्टी के बर्तन नहीं बनाए गए हैं-

(ए) बिना चमकता हुआ या नमक चमकता हुआ ईंटें और टाइलें; तथा

(ख) प्लास्टिक की मिट्टी से बना वास्तुशिल्प टेराकोटा और या तो बिना चमकता हुआ या केवल सीसा रहित शीशे के साथ चमकता हुआ।

2. *परिभाषाएँ.*—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए—

(क) *"कुशल निकास ड्राफ्ट" से* धूल या धुएं को हटाने के लिए यांत्रिक या अन्य साधनों से प्रभावित स्थानीयकृत वेंटिलेशन से अभिप्रेत है ताकि इसे किसी भी स्थान की हवा में जाने से रोका जा सके जहां कार्य किया जाता है। किसी भी ड्राफ्ट को कुशल नहीं माना जाएगा जो उस बिंदु पर उत्पन्न धूल या धुएं को प्रभावी ढंग से हटाने में विफल रहता है जहां धूल या धुआं उत्पन्न होता है;

(बी) *"फेटलिंग"* में स्कैलपिंग, टोइंग, सैंड पेपरिंग, रेत चिपकाना, ब्रश करना या मिट्टी के बर्तनों की सफाई की कोई अन्य प्रक्रिया शामिल है जिसमें धूल दी जाती है;

(ग) "*प्रथम रोजगार*" का अर्थ पैराग्राफ 3 के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी प्रक्रिया में प्रथम रोजगार से होगा और इसमें तीन कैलेंडर महीनों से अधिक की निरंतर अवधि के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद उक्त प्रक्रिया में पुन: रोजगार भी शामिल होगा;

(घ) *"जमीन या पाउडर चमकदार पत्थर या क्वार्ट्ज"* प्राकृतिक रेत शामिल नहीं है;

(ङ) "*सीसा रहित शीशा लगाना*" से एक शीशा अभिप्रेत है जिसमें लेड मोनोऑक्साइड के रूप में गणना किए गए सीसे यौगिक के शुष्क वजन के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होता है;

(च) *कम घुलनशीलता वाला ग्लेज*, एक ग्लेज़ से तात्पर्य है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसके शुष्क वजन के पांच प्रतिशत से अधिक तनु करने के लिए उत्पन्न नहीं होता है, एक घुलनशील सीसा यौगिक जिसे नीचे वर्णित तरीके से निर्धारित करने पर लेड मोनोऑक्साइड के रूप में गणना की जाती है-

सामग्री की एक तौली हुई मात्रा जिसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुखाया गया है और अच्छी तरह से मिश्रित किया गया है, को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल के वजन के 1000 गुना वजन के साथ सामान्य तापमान पर एक घंटे के लिए लगातार हिलाया जाना चाहिए, जिसमें हाइड्रोजन

क्लोराइड के वजन से 0.25 प्रतिशत होता है। इसके बाद इस घोल को एक घंटे तक खड़े रहने दिया जाएगा और फिर फ़िल्टर किया जाएगा। स्पष्ट छानने में निहित सीसा नमक को तब लेड सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित किया जाएगा और लेड सल्फेट के रूप में तौला जाएगा;

(छ) "*कुम्हार की* दुकान" में वे सभी स्थान शामिल हैं जहां मिट्टी के बर्तनों का निर्माण दबाने या किसी अन्य प्रक्रिया से किया जाता है और वे सभी स्थान जहां बिस्किट आग लगाने से पहले मिट्टी के बर्तनों को आकार देना, बेचना या अन्य उपचार किया जाता है; और

(ज) "मिट्टी के बर्तन" में मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बर्तन, चीनी मिट्टी के बरतन, चाइनाटाइल्स और ऐसी मिट्टी से बने या मिट्टी और अन्य सामग्री जैसे क्वार्ट्ज, चमकदार पत्थर, फेल्डस्पार और जिप्सम से बने मिश्रण से बनी कोई अन्य वस्तु शामिल है।

3. *कुशल निकास ड्राफ्ट* - निम्नलिखित प्रक्रिया को एक कुशल निकास ड्राफ्ट के उपयोग के बिना नहीं किया जाएगा:

(क) सूखे और बिना झिलमिलाए सीसा यौगिक के हेरफेर या उपयोग से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं;

(ख) किसी भी प्रकार के निपटान संचालन, चाहे ग्रीनवेयर या बिस्किट पर, परन्तुयह गीले फेटलिंग पर लागू नहीं होगा, और यांत्रिक शक्ति की सहायता के बिना मिट्टी के बर्तनों के लेखों के सामयिक परिष्करण पर लागू नहीं होगा;

(ग) दबाव द्वारा टाइल्स या अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए मिट्टी की धूल या किसी अन्य सामग्री को छानना, सिवाय इसके कि जहां -

(i) यह मशीन में किया जाता है ताकि धूल के बाहर निकलने को प्रभावी ढंग से रोका जा सके; या

(ii) स्थानांतरित की जाने वाली सामग्री इतनी नम है कि कोई धूल नहीं छोड़ी जा सकती है;

(घ) मिट्टी की धूल से टाइलों को दबाना, प्रत्येक प्रेस के साथ एक निकास उद्घाटन जुड़ा होना, और टाइलों के अलावा अन्य वस्तुओं की मिट्टी की धूल से दबाना, जब तक कि सामग्री इतनी नम न हो कि कोई धूल न निकल जाए;

(ङ) दबाव द्वारा मिट्टी की धूल से बनी टाइलों को फड़काना, सिवाय इसके कि जहां फेटलिंग पूरी तरह से नम सामग्री पर या उसके साथ की जाती है, और मिट्टी की धूल से बनी अन्य वस्तुओं को फेटलिंग करना, जब तक कि सामग्री इतनी नम न हो कि कोई धूल न निकल जाए;

(च) सैगरों की लोडिंग और अनलोडिंग की प्रक्रिया जहां जमीन और पाउडर चमकदार पत्थर, क्वार्ट्ज, एल्यूमिना या अन्य सामग्रियों की हैंडलिंग और हेरफेर शामिल है;

(छ) मिट्टी के बर्तन बिस्किट की ब्रशिंग, जब तक कि प्रक्रिया ऐसे कमरे में नहीं की जाती है जो कुशल सामान्य यांत्रिक वेंटिलेशन या अन्य वेंटिलेशन के साथ प्रदान की जाती है, जिसे मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा पर्याप्त प्रमाणित किया गया है;

(ज) बिस्किट के बर्तन को पाउडर चमकदार पत्थर या क्वार्ट्ज में निकाल दिया गया है, सिवाय इसके कि जहां यह मशीन में किया जाता है ताकि धूल को प्रभावी ढंग से बाहर निकलने से रोका जा सके;

(झ) डुबकी या अन्य प्रक्रिया द्वारा शीशे का आवरण लगाने के बाद बर्तन की सफाई;

(ञ) मिट्टी के बर्तनों के निकायों और सग्गरों के लिए सामग्री को कुचलना और सूखा पीसना, जब तक कि मशीनों में इस तरह से संलग्न न किया जाए कि धूल को प्रभावी ढंग से बाहर निकलने से रोका जा सके या इतना नम न हो कि धूल को छोड़ा जा सके;

(ट) इन सामग्रियों के पाउडर चमकदार पत्थर, क्वार्ट्ज, मिट्टी के ग्रोग या मिश्रण की छाननी या हेरफेर जब तक कि यह इतना नम न हो कि कोई धूल नहीं छोड़ी जा सकती है;

(ठ) बिजली चालित पहिये पर टाइलों को पीसना जब तक कि पहिया पर एक कुशल पानी के स्प्रे का उपयोग न किया जाए;

(ड) लिफ्ट और कन्वेयर द्वारा सामग्री को उठाना और संवहन करना जब तक कि वे प्रभावी रूप से संलग्न न हों और इस तरह से व्यवस्थित न हों कि किसी भी स्थान में या उसके आस-पास हवा में धूल के बाहर निकलने से रोका जा सके जिसमें व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ढ) प्रवाह सामग्री की तैयारी या वजन, सूखे रंगों की लॉनिंग, रंग धूल और रंग उड़ाना;

(ण) मोल्ड बनाना जब तक कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिब्बे या इसी तरह के पात्र उपयुक्त कवर के साथ प्रदान नहीं किए जाते हैं; तथा

(त) कैलक्लाइंड सामग्री का हेरफेर जब तक कि सामग्री नहीं बनाई गई है और इतनी गीली है कि कोई धूल नहीं छोड़ी जाती है।

4. *प्रक्रिया का पृथक्करण*- निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रक्रिया को इस तरह से और ऐसी शर्तों के तहत किया जाएगा कि एक दूसरे से और अन्य गीली प्रक्रिया से प्रभावी अलगाव को सुरक्षित किया जा सके -

(ए) सामग्री को कुचलना और सुखाना या छानना, टाइलों को दबाना, मिट्टी और ग्रीनवेयर को सुखाना, सग्गरों को लोड करना और उतारना, और सूखे सीसे के यौगिक का उपयोग,

(बी) सभी प्रक्रिया जिसमें एक शुष्क सीसा यौगिक का उपयोग शामिल है।

5. *शीशे का आवरण के उपयोग पर निषेध - किसी* भी शीशे का आवरण जो सीसा रहित शीशा या कम घुलनशीलता वाला शीशा नहीं है, उस कारखाने में उपयोग नहीं किया जाएगा जिसमें मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जाता है।

6. *महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिषेध*- किसी भी गर्भवती महिला या युवा व्यक्ति को पैरा 4 में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रचालन में या किसी भी स्थान पर जहां इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं, नियोजित या कार्य करने का अनुमति नहीं दी जायेगी ।

परन्तु महिला श्रमिकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन काम करने के लिए उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है: -

(1) व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिष्ठाता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) मानकों को अपनाया जाएगा।

(2) जहां तक संभव हो, अधिष्ठाता समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेंगे।

(3) दूध पिलाने वाली महिला श्रमिकों को रोजगार से छूट दी जाएगी।

7. *कुम्हार के चाक के लिए स्क्रीन का प्रावधान*- कुम्हार के पहिये (जॉली और जिगर) में स्क्रीन या इस तरह से निर्माण किया जाएगा कि मिट्टी के स्क्रैपिंग को पहिये से परे फेंका जा सके।

8. सफाई के दौरान धूल का नियंत्रण.- (1) फर्श की सफाई के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल को रोकने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय किए जाएंगे।

(2) नम चूरा या अन्य उपयुक्त सामग्री का उपयोग सफाई प्रक्रिया के दौरान हवा में उठने वाली धूल को रोकने में नम विधि को प्रभावी बनाने के लिए किया जाएगा, जिसे काम बंद होने के बाद किया जाएगा।

9. *कुछ कार्यकक्षों का फर्श*—कुम्हार की दुकानों, स्लिप हाउसों, डुबोने वाले घरों और बर्तन की सफाई के कमरों के फर्श कठोर, चिकने और अभेद्य होने चाहिए और एक वयस्क पुरुष द्वारा नम विधि का उपयोग करके प्रतिदिन अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए।

10.सुरक्षात्मक *उपकरण.—*(1) अधिष्ठाता पैराग्राफ 3 के अंतर्गत शामिल प्रक्रिया में कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चौग़ा और सिर कवरिंग प्रदान करेगा और बनाए रखेगा।

(2) अधिष्ठाता एक जलरोधक या इसी तरह की सामग्री के उपयुक्त एप्रन प्रदान करेगा और बनाए रखेगा, जिसे डिपर्स, डिपर के सहायकों, फेंकने वालों, जॉली श्रमिकों, कैस्टर, मोल्ड निर्माताओं और फिल्टर प्रेस और पग मिल श्रमिकों के उपयोग के लिए दैनिक रूप से स्पंज किया जा सकता है।

(3) उप-पैराग्राफ (2) के अनुसरण में प्रदान किए गए एप्रन को पहनने वालों द्वारा स्पंजिंग या अन्य गीली प्रक्रिया द्वारा प्रतिदिन अच्छी तरह से साफ किया जाएगा। सभी चौग़ा और सिर को ढंकने को सप्ताह में कम से कम एक बार धोया जाएगा, साफ किया जाएगा, शुष्क मरम्मत की जाएगी, और यह धुलाई, सफाई या मरम्मत के लिए अधिष्ठाता द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(4) किसी भी व्यक्ति को उपयुक्त और कुशल धूल श्वासयंत्र पहने बिना धूल भरी सामग्री के बोरे खाली करने, धूल भरी सामग्री का वजन और मिश्रण करने, और बॉल मिलों और प्लंजर को चार्ज करने में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. *धुलाई सुविधाएँ*—(1) अधिष्ठाता पैराग्राफ 8 में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रक्रिया में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ अवस्था में और अच्छी मरम्मत में प्रदान करेगा और बनाए रखेगा-

(क(कवर के नीचे निम्न में से एक धोने की जगहः-

(i) बिना प्लग के अपशिष्ट पाइप के साथ चिकनी अभेद्य सतह के साथ एक गर्त, और किसी भी समय नियोजित प्रत्येक पांच ऐसे व्यक्तियों के लिए कम से कम 60 सेंटीमीटर की अनुमति देने के लिए पर्याप्त लंबाई का, और 60 सेंटीमीटर से अधिक के अंतराल पर गर्त के ऊपर नल या जेट से साफ पानी की निरंतर आपूर्ति करना; या

(ii) किसी भी समय नियोजित प्रत्येक पांच ऐसे व्यक्तियों के लिए कम से कम एक नल या स्टैंडपाइप, और स्वच्छ पानी की निरंतर आपूत होने पर, नल या स्टैंडपाइप को कम से कम 120 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए; तथा

(ख) उपयुक्त सामग्री से बने स्वच्छ तौलिये की पर्याप्त आपूर्ति, नेल ब्रश और साबुन की पर्याप्त आपूर्ति के साथ प्रतिदिन बदली।

12. *धोने के लिए अनुमत समय--प्रत्येक* भोजन से पहले और दिन के कार्य के अंत से पहले, नियमित भोजन के समय के अलावा, पैराग्राफ-3 में उल्लिखित किसी भी प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को धोने के लिए कम से कम दस मिनट की अनुमति दी जाएगी।

13. *मेस-रूम.*- (1) शेष अंतराल के दौरान परिसर के भीतर शेष सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए प्रदान और रखरखाव किया जाएगा, एक उपयुक्त मेस-रूम जो प्रति व्यक्ति 0.93 वर्ग मीटर का आवास प्रदान करता है और इसके साथ सुसज्जित होगा-

(ए) बैक रेस्ट के साथ पर्याप्त संख्या में टेबल और कुर्सियां या बेंच;

(ख) बर्तन धोने की व्यवस्था;

(ग) भोजन को गर्म करने के लिए पर्याप्त साधन; तथा

(घ) पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध है।

(2) कमरे को ताजी हवा के संचलन द्वारा पर्याप्त रूप से हवादार किया जाएगा और एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा और इसे साफ रखा जाएगा।

14. *कार्यकक्षों में भोजन, पेय आदि निषिद्ध* - किसी भी कर्मकार द्वारा किसी भी कार्यकक्ष में, जिसमें पैरा 3 में उल्लिखित प्रक्रियाओं में से कोई भी प्रक्रिया की जाती है, में कोई भोजन, पेय, पान, सुपारी और तम्बाकू नहीं लाया जाएगा या उपभोग नहीं किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति भोजन या विश्राम के लिए अंतराल के दौरान ऐसे किसी भी कमरे में नहीं रहेगा।

15. क्लोक-रूम, आदि—पैराग्राफ 3 में उल्लिखित किसी भी प्रक्रिया में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए प्रदान और रखरखाव किया जाएगा, -

(ए) काम के घंटों के दौरान बंद कपड़ों के लिए एक क्लोक-रूम और ऐसा आवास किसी भी मेस-रूम से अलग होगा; तथा

(ख) पैरा 10 के अंतर्गत प्रदान किए गए सुरक्षात्मक उपकरणों के भंडारण के लिए अलग और उपयुक्त व्यवस्था।

16. *चिकित्सा सुविधाएं और परीक्षाओं और परीक्षणों के अभिलेख* - (1) प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता जिसमें मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जाता है, -

(क) कारखाने में कार्यरत उन कामगारों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी को नियुक्त करना जहां कामगारों की संख्या 50 से अधिक है; तथा

(ख) खंड (क) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए उक्त कारखाना चिकित्सा अधिकारी को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।

(2) उक्त चिकित्सक द्वारा की गई चिकित्सा जांच और उपयुक्त परीक्षणों का रिकॉर्ड एक अलग स्वास्थ्य रजिस्टर फॉर्म-7 में रखा जाएगा, जिसे निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

17. *फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण- (*1) पैराग्राफ 3 के तहत उल्लिखित किसी भी प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक श्रमिक की जांच उसके पहले रोजगार के 15 दिनों के भीतर एक फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। इस तरह की परीक्षा में मूत्र और रक्त में सीसा, मूत्र में एएलए, हीमोग्लोबिन सामग्री, कोशिकाओं का स्टिपलिंग और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और पैराग्राफ 3 के खंड (ए) और (एन) में उल्लिखित प्रक्रिया में लगे श्रमिकों के लिए छाती का एक्स-रे और दूसरों के लिए फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण और छाती का एक्स-रे शामिल होगा। किसी भी श्रमिक को कारखाने में अपने पहले रोजगार के 15 दिनों के बाद काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तरह के रोजगार के लिए फिट प्रमाणित न किया गया हो।

(2) पैराग्राफ 3 के खंड (ए) और (एन) में उल्लिखित किसी भी प्रक्रिया में नियोजित सभी व्यक्तियों की जांच हर 3 कैलेंडर महीनों में एक बार फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पैराग्राफ 3 के शेष खंडों में उल्लिखित किसी भी अन्य प्रक्रिया में कार्यरत लोगों की हर बारह कैलेंडर महीनों में एक बार फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। सभी कर्मचारियों के संबंध में इस तरह की परीक्षाओं में उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट सभी परीक्षण शामिल होंगे, सिवाय छाती के एक्स-रे को छोड़कर जो 3 साल में एक बार होगा।

(3) फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी किसी श्रमिक की जांच करने के बाद फॉर्म-8 में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा। परीक्षा और पुन: परीक्षा का रिकॉर्ड प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाएगा और प्रमाण पत्र कारखाने के प्रबंधक की हिरासत में रखा जाएगा। उप-पैराग्राफ (1) और (2) के तहत की गई प्रत्येक परीक्षा का रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षणों की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-7 में एक स्वास्थ्य रजिस्टर में भी दर्ज किया जाएगा।

(4) फिटनेस का प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

(5) यदि किसी समय फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी की राय है कि कोई श्रमिक अब उक्त प्रक्रिया में रोजगार के लिए उपयुक्त नहीं है, इस आधार पर कि उसमें जारी रहने से कर्मकार के स्वास्थ्य के लिए विशेष खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का रिकॉर्ड बनाएगा। इन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टि में वह अवधि भी शामिल होनी चाहिए जिसके लिए वह मानता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रियाओं में काम करने के लिए अयोग्य है।

(6) कोई भी व्यक्ति जो ऊपर उप-पैराग्राफ (5) में कहा गया है, काम करने के लिए अयोग्य पाया गया है, उसे उक्त प्रक्रिया में पुन: नियोजित या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी, आगे की जांच के बाद फिर से उसे उन प्रक्रियाओं में रोजगार के लिए योग्य प्रमाणित नहीं करता है।

18. *छूट-* यदि किसी कारखाने के संबंध में मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता संतुष्ट है कि इस अनुसूची के सभी या कोई भी प्रावधान ऐसे कारखाने में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं, तो वह लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र द्वारा ऐसे कारखाने को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए सभी या ऐसे प्रावधानों से छूट दे सकता है

जो वह उसमें निर्दिष्ट कर सकता है। इस तरह के प्रमाण पत्र को किसी भी समय मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

अनुसूची-XVIII

पत्थर या मुक्त सिलिका युक्त किसी अन्य सामग्री का हेरफेर:

1. *आवेदन-* यह अनुसूची उन सभी कारखानों या कारखानों के भागों पर लागू होगी जिनमें पत्थर या मुक्त सिलिका युक्त किसी अन्य सामग्री का हेरफेर किया जाता है।

2. *परिभाषाएँ*—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए—

(ए) "पहला रोजगार" का अर्थ पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में पहला रोजगार होगा और तीन कैलेंडर महीनों से अधिक की निरंतर अवधि के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद उक्त प्रक्रिया में पुन: रोजगार भी शामिल होगा;

(ख) "हेरफेर" का अर्थ है पत्थर या किसी अन्य सामग्री को कुचलना, तोड़ना, छिलना, ड्रेसिंग, पीसना, छानना, छलना, मिश्रण, ग्रेडिंग या संभालना या ऐसे पत्थर या सामग्री से जुड़े किसी अन्य प्रचालन का अर्थ है; तथा

(ग) "मुक्त सिलिका युक्त पत्थर या कोई अन्य पदार्थ अभिप्रेत है जिसमें मुक्त सिलिका के भार से कम से कम 5 प्रतिशत नहीं होता है।

3. *हेरफेर में सावधानियां-* किसी कारखाने या कारखाने के हिस्से में कोई हेरफेर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निम्नलिखित में से एक या अधिक उपाय न हों, अर्थात्-

(ए) संसाधित किए जा रहे पत्थर या अन्य सामग्री को गीला करना;

(ख) जल स्प्रे प्रदान करना;

(ग) प्रक्रियाओं को संलग्न करना;

(घ) प्रक्रियाओं को अलग करना; तथा

(ई) स्थानीयकृत निकास वेंटिलेशन प्रदान करना:

(ख) संहिता की धारा 88 में संबद्ध दूसरी अनुसूची सी में निर्धारित सिलिका धूल के लिए अधिकतम अनुमेय स्तर के बराबर या उससे कम स्तर पर कारखाने में किसी भी स्थान पर जहां कोई व्यक्ति कार्यरत है, वहां धूल को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए अपनाया जाता है:

परन्तु ऊपर बताए गए ऐसे उपाय आवश्यक नहीं हैं यदि संचालन की प्रक्रियाएं स्वयं ऐसी हैं कि निर्मित और प्रचलित धूल का स्तर निर्दिष्ट अनुमेय स्तर से अधिक नहीं है।

4. *फर्श का रखरखाव-* (1) सभी मंजिलें या स्थान जहां महीन धूल जमने की संभावना है और जहां किसी व्यक्ति को काम करना है या पास करना है, अभेद्य सामग्री की होगी और ऐसी स्थिति में बनाए रखा जाएगा कि उन्हें नम विधि या किसी अन्य विधि से अच्छी तरह से साफ किया जा सके जो सफाई की प्रक्रिया में धूल को हवा में फैलने से रोके।

(2) प्रत्येक कार्यकक्ष या स्थान की प्रत्येक मंजिल की सतह जहां कोई कार्य किया जाता है या जहां किसी व्यक्ति को अपने कार्य के दौरान गुजरना पड़ता है, कम से कम प्रत्येक शिफ्ट के दौरान एक बार पानी से छिड़काव करने के बाद या किसी अन्य उपयुक्त विधि से धूल से साफ किया जाएगा ताकि सफाई की प्रक्रिया में धूल को हवा में फैलने से रोका जा सके।

5. युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिषेध - किसी भी युवा व्यक्ति को किसी भी ऐसे प्रचालन में नियोजित या कार्य हेतु अनुमत नहीं किया जाएगा जिसमें हेरफेर शामिल है या किसी ऐसे स्थान पर जहां ऐसे कार्य किए जाते हैं।

6. चिकित्सा सुविधाएं और परीक्षाओं और परीक्षणों के अभिलेख - (1) प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता जिस पर अनुसूची लागू होती है, -

(क) उन कामगारों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक योग्य चिकित्सा अधिकारी को नियुक्त करना, जहां कामगारों की संख्या 50 से अधिक है; तथा

(ख) उक्त चिकित्सा अधिकारी को खंड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।

(2) उक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए चिकित्सा परीक्षण और उपयुक्त परीक्षणों का रिकॉर्ड मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित एक अलग रजिस्टर में रखा जाएगा जिसे निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

7. *फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण-(1)* पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार की जांच उसके पहले रोजगार के 15 दिनों के भीतर फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। इस तरह की चिकित्सा परीक्षा में फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण और छाती का एक्स-रे शामिल होगा। किसी भी श्रमिक को अपने पहले रोजगार के 15 दिनों के बाद काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तरह के रोजगार के लिए फिट प्रमाणित न किया जाए।

(2) उक्त प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार की प्रत्येक बारह माह में कम से कम एक बार फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुन: जांच की जाएगी। इस तरह की परीक्षा, जहां भी फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट सभी परीक्षणों को शामिल करेगी, सिवाय छाती के एक्स-रे को जो हर 3 साल में एक बार होगा।

(3) फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी किसी कर्मकार की जांच करने के बाद, फॉर्म-8 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा। किए गए पुन: परीक्षा का रिकॉर्ड प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाएगा और प्रमाण पत्र को कारखाने के प्रबंधक की हिरासत में रखा जाएगा। उप-पैराग्राफ (1) और (2) के तहत की गई प्रत्येक परीक्षा का रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षणों की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य रजिस्टर में फॉर्म-7 में भी दर्ज किया जाएगा।

(4) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

(5) यदि किसी समय फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी की यह राय है कि कोई कर्मकार अब उक्त प्रक्रिया में रोजगार के लिए उपयुक्त नहीं है, इस आधार पर कि उसे जारी रखने से कर्मकार के स्वास्थ्य के लिए विशेष खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का रिकॉर्ड बनाएगा। उन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टि में वह अवधि भी शामिल है जिसके लिए वह मानता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में काम करने के लिए अयोग्य है।

(6) कोई भी व्यक्ति जो ऊपर उप-पैराग्राफ (5) में कहा गया है, कार्य करने के लिए अयोग्य नहीं पाया गया है, उसे उक्त प्रक्रियाओं में पुन: नियोजित या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि चिकित्सा अधिकारी आगे की जांच के बाद उसे उन प्रक्रियाओं में रोजगार के लिए उपयुक्त प्रमाणित न कर दे।

8. *छूट.-यदि* किसी कारखाने के संबंध में, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता इस बात से संतुष्ट है कि असाधारण परिस्थितियों या प्रक्रिया की आवृत्ति के कारण या किसी अन्य कारण से, इस अनुसूची के सभी या कोई भी प्रावधान कारखाने में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं, तो मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र द्वारा कर सकता है, जिसे वह अपने विवेक से किसी भी समय रद्द कर सकता है, ऐसे कारखाने को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए सभी या ऐसे प्रावधानों में से किसी से छूट दे सकता है, यदि कोई हो, जैसा कि वह उसमें निर्दिष्ट कर सकता है।

अनुसूची-XIX

एस्बेस्टस की हैंडलिंग और प्रसंस्करण, किसी का निर्माण एस्बेस्टस का लेख और निर्माण की कोई अन्य प्रक्रिया अन्यथा जिसमें एस्बेस्टस का उपयोग किसी भी रूप में किया जाता है:

1. *आवेदन.*- यह अनुसूची उन सभी कारखानों या कारखानों के हिस्से पर लागू होगी जिनमें निम्नलिखित में से कोई भी प्रक्रिया की जाती है-

(क) एस्बेस्टस को तोड़ना, कुचलना, विघटित करना, खोलना, पीसना, मिलाना या छानना और एस्बेस्टस की हैंडलिंग और हेरफेर से संबंधित कोई अन्य प्रक्रियाएं;

(ख) एस्बेस्टस वस्त्रों के निर्माण की तैयारी और परिष्करण प्रक्रिया सहित सभी प्रक्रियाएं;

(ग) एस्बेस्टस और उसके आकस्मिक प्रक्रियाओं से पूरी तरह या आंशिक रूप से बने इन्सुलेशन स्लैब या अनुभागों का निर्माण;

(घ) पूरी तरह से या आंशिक रूप से एस्बेस्टस से बने इन्सुलेटिंग गद्दे बनाना या मरम्मत करना, और उसके लिए आकस्मिक प्रक्रियाएं;

(ङ) एस्बेस्टस कार्डबोर्ड और कागज का विनिर्माण;

(च) एस्बेस्टस या सीमेंट वस्तुओं का विनिर्माण;

(छ) स्प्रे विधि द्वारा एस्बेस्टस का अनुप्रयोग;

(ज) पूरी तरह से या आंशिक रूप से एस्बेस्टस से बनी वस्तुओं की शुष्क अवस्था में सिलाई, पीसना, मोड़ना, घर्षण करना और पॉलिश करना;

(i) एस्बेस्टस धूल के संग्रह के लिए किसी भी कमरे, बर्तन, कक्षों, स्थिरता या उपकरण की सफाई; तथा

(ञ) कोई अन्य प्रक्रिया जिसमें एस्बेस्टस की धूल को कार्य वातावरण में छोड़ दिया जाता है।

2. *परिभाषा.*—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए—

(क) "अनुमोदित" का अर्थ है मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा तत्समय लिखित रूप में अनुमोदित;

(ख) "एस्बेस्टस" से कोई रेशेदार सिलिकेट खनिज और कोई भी मिश्रण जिसमें एक्शनलाइट, एमोसाइट, एंथोफाइलाइट, क्राइसोलाइट, क्रोसिडोलाइट, ट्रेमोलाइट या उसका कोई मिश्रण है, चाहे वह कच्चा हो, कुचला हुआ हो या खोला गया हो;

(ग) "एस्बेस्टस वस्त्र" से किसी अन्य सामग्री के साथ मिश्रित एस्बेस्टस से बना सूत या कपड़ा अभिप्रेत है;

(घ) "श्वास उपकरण" का अर्थ है आवश्यक कनेक्शन के साथ एक हेलमेट या चेहरे का टुकड़ा जिसके माध्यम से इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति धूल से मुक्त हवा में सांस लेता है, या कोई अन्य अनुमोदित उपकरण;

(ङ) "कुशल निकास ड्राफ्ट" से धूल को हटाने के लिए यांत्रिक साधनों द्वारा स्थानीयकृत वेंटिलेशन अभिप्रेत है ताकि किसी भी स्थान की हवा में धूल को जाने से रोका जा सके जिसमें कार्य किया जाता है। किसी भी ड्राफ्ट को कुशल नहीं माना जाएगा जो उस बिंदु पर उत्पन्न धूल को नियंत्रित करने में विफल रहता है जहां ऐसी धूल उत्पन्न होती है;

(च) "प्रथम रोजगार" का अर्थ पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में पहला रोजगार होगा और तीन कैलेंडर महीनों से अधिक की निरंतर अवधि के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद उक्त प्रक्रिया में पुन: रोजगार भी शामिल होगा;

(छ) "तैयारी" का अर्थ है एस्बेस्टस के उद्घाटन में या उसके लिए आकस्मिक कुचलना, विघटित करना, और कोई अन्य प्रक्रिया; तथा

(ज) "सुरक्षात्मक कपड़े" का अर्थ है समग्र और सिर को ढंकना, जो (किसी भी मामले में) पहने जाने पर एस्बेस्टस की धूल को बाहर कर देगा।

3. *औजार और उपकरण*- प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले कोई भी औजार या उपकरण जिस पर यह अनुसूची लागू होती है, वह ऐसा होगा कि वे अनुमेय सीमा से ऊपर एस्बेस्टस धूल न बनाएं या कुशल निकास ड्राफ्ट से सुसज्जित हों।

4. *निकास ड्राफ्ट*.- (1) निम्नलिखित प्रक्रियाओं और मशीनों से धूल को नियंत्रित करने के लिए एक कुशल निकास ड्राफ्ट प्रदान और रखरखाव किया जाएगा-

(क) विनिर्माण और संवहन मशीनरी, अर्थात्-

(i) मिक्सिंग मशीन तैयार करना, पीसना या ड्राई करना;

(ii) कार्डिंग, कार्ड अपशिष्ट और रिंग कताई मशीनें, और करघे;

(iii) एस्बेस्टस से खिलाए जाने वाली मशीनें या अन्य पौधे; तथा

(iv) पूरी तरह या आंशिक रूप से एस्बेस्टस से बनी वस्तुओं की सिलाई, पीसने, मोड़ने, ड्रिलिंग, घर्षण या पॉलिश करने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनें।

(ख) कार्डिंग मशीन के सिलेंडर या अन्य भागों की सफाई और पीसना;

(ग) कक्ष, हॉपर या अन्य संरचनाएं जिनमें ढीले एस्बेस्टस वितरित किए जाते हैं या गुजरते हैं;

(घ) एस्बेस्टस अपशिष्ट छंटाई के लिए या हाथ से एस्बेस्टस के अन्य हेरफेर के लिए कार्यक्षेत्र;

(ङ) कार्यस्थलों पर बोरे, स्किप या अन्य पोर्टेबल कंटेनरों को भरना या खाली करना, वजन या अन्य प्रक्रियाएं जो हाथ से प्रभावित होती हैं, को आगे बढ़ाया जाता है;

(च) बोरी सफाई मशीनें;

(छ) हाथ से एस्बेस्टस का मिश्रण और मिश्रण; तथा

(ज) कोई अन्य प्रक्रिया जिसमें धूल को काम के माहौल में छोड़ दिया जाता है।

(2) उप-पैराग्राफ (1) के अनुसार प्रदान किए गए निकास वेंटिलेशन उपकरण, जबकि मशीनरी, उपकरण या अन्य संयंत्र या उपकरण के रखरखाव या मरम्मत का कोई भी कार्य जिसके संबंध में यह प्रदान किया जा रहा है, उपयोग में रखा जाएगा ताकि एक निकास ड्राफ्ट का उत्पादन किया जा सके जो किसी भी कार्यस्थल की हवा में एस्बेस्टस धूल के प्रवेश को रोकता है।

(3) निकास उपकरण से निकलने वाली एस्बेस्टस धूल को किसी भी कार्यकक्ष की हवा में खींचने से रोकने की व्यवस्था की जाएगी।

(4) निकास प्रणाली द्वारा किसी भी कार्यकक्ष से हटाई गई एस्बेस्टस असर वाली धूल को उपयुक्त पात्र या फिल्टर बैग में एकत्र किया जाएगा जो सभी कार्य क्षेत्रों से अलग किया जाएगा।

5. *हवादार प्रणालियों का परीक्षण और परीक्षण*- (1) इस अनुसूची द्वारा अपेक्षित धूल निकालने या दबाने के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली सभी हवादार प्रणालियों की जांच और निरीक्षण एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा सप्ताह में एक बार किया जाएगा। 12 महीने की हर अवधि में एक बार एक सक्षम व्यक्ति द्वारा इसकी पूरी तरह से जांच और परीक्षण किया जाएगा। ऐसी परीक्षाओं या परीक्षणों में पाए गए किसी भी दोष को तुरंत ठीक किया जाएगा।

(2) ऐसी परीक्षा और परीक्षणों और संयंत्र की स्थिति और मरम्मत या परिवर्तन (यदि कोई हो) के विवरण वाले एक रजिस्टर को रखा जाएगा और एक निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

6. *कुछ प्रक्रिया के मामले में पृथक्करण*- एस्बेस्टस के हाथ से मिश्रण या सम्मिश्रण, या पूरी तरह से या आंशिक रूप से एस्बेस्टस से बने इन्सुलेट गद्दे बनाना या मरम्मत करना किसी भी कमरे में नहीं किया जाएगा जिसमें कोई अन्य कार्य किया जाता है।

7. *ढीले एस्बेस्टस का भंडारण और वितरण*- सभी ढीले एस्बेस्टस को उपयोग में न होने पर भी उपयुक्त बंद पात्र में रखा जाएगा जो एस्बेस्टस की धूल को बाहर निकलने से रोकते हैं और इस तरह के एस्बेस्टस को ऐसे पात्रों को छोड़कर या परिवहन की पूरी तरह से संलग्न प्रणाली में किसी कारखाने के भीतर वितरित नहीं किया जाएगा।

8. *एस्बेस्टस बोरे.*—(1) कारखाने के भीतर एस्बेस्टस के परिवहन के प्रयोजन के लिए पात्र के रूप में उपयोग किए जाने वाले सभी बोरियों का निर्माण अभेद्य सामग्री से किया जाएगा और अच्छी मरम्मत में रखा जाएगा।

(2) एक बोरी जिसमें एस्बेस्टस है, उसे हाथ से पीटकर नहीं बल्कि पैराग्राफ 3 का अनुपालन करते हुए एक मशीन द्वारा साफ किया जाएगा।

9. *फर्श और कार्यस्थलों का रखरखाव-* (1) प्रत्येक कमरे में जिसमें इस अनुसूची की कोई भी आवश्यकता लागू होती है-

(ए) फर्श, कार्यक्षेत्र, मशीनरी और संयंत्र को स्वच्छ अवस्था में रखा जाएगा और एस्बेस्टस के मलबे से मुक्त रखा जाएगा और एस्बेस्टस के भंडारण के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी जो उपयोग के लिए तुरंत आवश्यक नहीं है; तथा

(बी) फर्श को किसी भी सामग्री, संयंत्र या अन्य वस्तुओं से मुक्त रखा जाएगा जो कमरे में किए गए कार्य के लिए तुरंत आवश्यक नहीं है और जो फर्श की उचित सफाई में बाधा डालेगा।

(2) उप-पैराग्राफ (1) में उल्लिखित सफाई, जहां तक व्यावहारिक हो, वैक्यूम सफाई उपकरण के माध्यम से डिजाइन और निर्मित के रूप में की जाएगी और इसलिए उपयोग किया जाएगा कि एस्बेस्टस धूल न तो बाहर निकलती है और न ही किसी कार्यस्थल की हवा में छोड़ी जाती है।

(3) जब सफाई उप-पैराग्राफ (2) में उल्लिखित विधि के अलावा किसी अन्य विधि से की जाती है, तो सफाई कार्य करने वाले व्यक्तियों और उस कमरे में कार्यरत किसी अन्य व्यक्ति को श्वसन सुरक्षा उपकरण और सुरक्षात्मक कपड़े प्रदान किए जाएंगे।

(4) उप-पैराग्राफ (2) के प्रावधानों के अनुसार उपयोग किए जाने वाले वैक्यूम सफाई उपकरण का उचित रखरखाव किया जाएगा और प्रत्येक सफाई ऑपरेशन के बाद, इसकी सतह को साफ अवस्था में रखा जाएगा और एस्बेस्टस कचरे और धूल से मुक्त किया जाएगा।

(5) एस्बेस्टस कचरे को काम की शिफ्ट के अंत में कार्यस्थल पर फर्श या अन्य सतहों पर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी और बिना किसी देरी के उपयुक्त पात्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। किसी भी समय काम के दौरान होने वाले एस्बेस्टस कचरे के किसी भी रिसाव को हटा दिया जाएगा और बिना किसी देरी के इस उद्देश्य के लिए बनाए गए पात्रों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

10. *श्वास उपकरण और सुरक्षात्मक वस्त्र* - (1) नियोजित प्रत्येक व्यक्ति के उपयोग के लिए एक अनुमोदित श्वास उपकरण और सुरक्षात्मक कपड़े प्रदान किए जाएंगे और अच्छी स्थिति में बनाए रखे जाएंगे-

(ए) ढीले एस्बेस्टस वाले कक्षों में;

(बी) सफाई, धूल जमने, या कक्षों, या उपकरण को छानने में;

(ग) हाथ से चलने वाले सिलेंडरों के माध्यम से डोफर सिलेंडर, या कार्डिंग मशीन के अन्य भागों सहित सिलेंडरों की सफाई में;

(घ) इन्सुलेट गद्दे के निर्माण या मरम्मत में भरने, पीटने या समतल करने में; तथा

(ई) किसी अन्य प्रचालन या परिस्थिति में जिसमें अनुमेय सीमा के भीतर कार्य वातावरण में एस्बेस्टस धूल को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी साधनों को अपनाना अव्यावहारिक है।

(2) इस अनुसूची के अनुसार प्रदान किए गए श्वास उपकरण और सुरक्षात्मक कपड़े पहनते या उतारते समय व्यक्तियों के उपयोग के लिए और उपयोग में न होने पर ऐसे उपकरण और कपड़ों के भंडारण के लिए सुविधाजनक रूप से सुलभ स्थिति में उपयुक्त आवास प्रदान किया जाएगा।

(3) सभी श्वास उपकरण और सुरक्षात्मक कपड़े जब उपयोग में न हों तो उप-पैराग्राफ (2) के अनुसार प्रदान किए गए आवास में संग्रहीत किए जाएंगे।

(4) उपयोग में आने वाले सभी सुरक्षात्मक कपड़ों को एक कुशल निकास ड्राफ्ट के तहत या वैक्यूम सफाई द्वारा फिर से धूल चलाई जाएगी और उपयुक्त अंतराल पर धोया जाएगा। सफाई अनुसूची और प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि पहनने वाले की सुरक्षा में उक्त कपड़ों की दक्षता सुनिश्चित हो सके।

(5) सभी श्वास उपकरण को उचित अंतराल पर साफ और कीटाणुरहित किया जाएगा और एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हर महीने एक बार अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाएगा।

(6) सफाई और रखरखाव और श्वास उपकरण की स्थिति का रिकॉर्ड उस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए एक रजिस्टर में रखा जाएगा जो एक निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध होगा।

(7) किसी भी व्यक्ति को उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, जिसके लिए उस उप-पैराग्राफ के तहत श्वास उपकरण प्रदान किया जाना आवश्यक है, जब तक कि उसे उस उपकरण के उचित उपयोग में पूरी तरह से निर्देश नहीं दिया गया हो।

(8) उप-पैराग्राफ (1) के अनुसरण में प्रदान किया गया कोई श्वास उपकरण जो किसी व्यक्ति द्वारा पहना गया है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं पहना जाएगा जब तक कि इसे पिछली बार पहने जाने के बाद से पूरी तरह से साफ और कीटाणुरहित नहीं किया गया हो और व्यक्ति को उस उपकरण के उचित उपयोग के बारे में पूरी तरह से निर्देश दिया गया हो।

11. *व्यक्तिगत कपड़ों के लिए अलग आवास--उन* प्रचालनों में कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए एक अलग आवास सुविधाजनक रूप से सुलभ स्थिति में प्रदान किया जाएगा, जिन पर यह अनुसूची व्यक्तिगत कपड़ों के भंडारण के लिए लागू होती है। व्यक्तिगत कपड़ों के संदूषण को रोकने के लिए इसे पैराग्राफ 2 के उप-अनुच्छेद (10) के तहत प्रदान किए गए आवास से अलग किया जाना चाहिए।

12. *धोने और नहाने की सुविधाएँ*-(1) अनुसूची द्वारा कवर की गई प्रक्रियाओं में नियोजित सभी श्रमिकों के उपयोग के लिए पर्याप्त धुलाई और स्नान स्थल स्वच्छ अवस्था में और अच्छी मरम्मत में उपलब्ध कराया और अनुरक्षित किया जाएगा, जहां प्रत्येक 15 व्यक्तियों के लिए एक ऐसे स्थान की दर से कवर के तहत पानी की निरंतर आपूर्ति की जाएगी।

(2) धोने की जगहों पर कम से कम एक मीटर के अंतराल पर स्टैंडपाइप लगाए जाएंगे।

(3) स्नान स्थलों की कुल संख्या के आधे से कम बाथरूम प्रदान नहीं किए जाएंगे।

(4) उपयुक्त सामग्री से बने स्वच्छ तौलिये की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जाएगी:

परन्तु ऐसे तौलिए प्रत्येक श्रमिक के लिए व्यक्तिगत रूप से आपूर्ति की जाएंगी, यदि निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है।

(5) साबुन और नेल ब्रश की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जाएगी।

13. *मेस-रूम.- (*1) इस अनुसूची द्वारा कवर किए गए कारखाने में नियोजित सभी श्रमिकों के उपयोग के लिए प्रदान और रखरखाव किया जाएगा, शेष अंतराल के दौरान परिसर में शेष, एक उपयुक्त मेस-रूम जो सुसज्जित किया जाएगा-

(क) बैक-रेस्ट के साथ पर्याप्त टेबल और बेंच, और

(b) चेतावनी भोजन के लिए पर्याप्त साधन।

(2) मेस-रूम को एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा और उसे साफ रखा जाएगा।

14. *युवा व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध* - इस अनुसूची में शामिल किसी भी प्रक्रिया में किसी भी युवा व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा।

15. *धूम्रपान से संबंधित प्रतिषेध* - *कोई* भी व्यक्ति किसी ऐसे क्षेत्र में धूम्रपान नहीं करेगा जहां इस अनुसूची के अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। अधिकांश श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में एक नोटिस ऐसे क्षेत्रों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाले संयंत्र में लगाया जाएगा।

16. *चेतावनी सूचनाएँ*–(1) सभी व्यक्तियों को चेतावनी देने के लिए प्रत्येक एस्बेस्टस प्रसंस्करण क्षेत्र के दृष्टिकोण और परिधि के साथ चेतावनी नोटिस प्रदर्शित की जाएंगी:

(ए) एस्बेस्टस धूल से स्वास्थ्य के लिए खतरे;

(बी) उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता है; तथा

(ग) बिना सुरक्षात्मक उपकरणों के अनधिकृत व्यक्तियों या प्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर मनाही।

(2) ऐसे नोटिस अधिकांश श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषाओं में होंगे।

17. *वायु मॉनीटरिंग*--केंद्रीय उपायों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए, हवा में एस्बेस्टस की निगरानी कम से कम प्रत्येक पाली में एक बार की जाएगी और इस प्रकार प्राप्त परिणामों का रिकॉर्ड इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

18. *चिकित्सा सुविधाएं और चिकित्सा परीक्षाओं और परीक्षणों के रिकॉर्ड*-(1) प्रत्येक कारखाने या कारखाने के उस हिस्से का अधिष्ठाता, जिस पर अनुसूची लागू होती है, -

(क) इस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कामगारों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी को नियुक्त करना, जिसका रोजगार मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता के अनुमोदन के अधीन होगा; तथा

(ख) उक्त चिकित्सक को खंड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।

(2) उक्त चिकित्सक द्वारा की गई चिकित्सा परीक्षाओं और उपयुक्त परीक्षणों का रिकॉर्ड मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित एक अलग रजिस्टर में रखा जाएगा, जिसे निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

19. *फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण-(1)* पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार की उसके पहले रोजगार के 15 दिनों के भीतर एक फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। इस तरह की परीक्षाओं में फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण, थूक में एस्बेस्टस फाइबर का पता लगाने के लिए परीक्षण और छाती का एक्स-रे शामिल होगा। किसी भी श्रमिक को कारखाने में अपने पहले रोजगार के 15 दिनों के बाद काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तरह के रोजगार के लिए फिट प्रमाणित न किया गया हो।

(2) उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक श्रमिक की प्रत्येक बारह कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुन: जांच की जाएगी। इस तरह की परीक्षाओं में, जहां भी फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट सभी परीक्षणों को शामिल किया जाएगा, सिवाय छाती के एक्स-रे को जो 3 साल में एक बार किया जाएगा।

(3) फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी किसी कर्मकार की जांच करने के बाद, फॉर्म-8 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा। परीक्षा और पुन: परीक्षा का रिकॉर्ड प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाएगा और प्रमाण पत्र कारखाने के प्रबंधक के पर्यवेक्षण में रखा जाएगा। उप-पैराग्राफ (1) और (2) के तहत की गई प्रत्येक परीक्षा का रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षण की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-7 में एक स्वास्थ्य रजिस्टर में भी दर्ज किया जाएगा।

(4) स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

(5) यदि किसी समय फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी की यह राय है कि कोई कर्मकार अब उक्त प्रक्रिया में रोजगार के लिए उपयुक्त नहीं है, इस आधार पर कि उसे जारी रखने से कर्मकार के स्वास्थ्य के लिए विशेष खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का रिकॉर्ड बनाएगा। इन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टि में वह अवधि भी शामिल होनी चाहिए जिसके लिए वह मानता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रियाओं में काम करने के लिए अयोग्य है।

(6) कोई भी व्यक्ति जो उप-पैराग्राफ (5) में कहा गया कार्य करने के लिए योग्य नहीं पाया गया है, उसे उक्त प्रक्रिया में पुन: नियोजित या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि चिकित्सा अधिकारी, आगे की जांच के बाद, उसे उस प्रक्रिया में रोजगार के लिए योग्य प्रमाणित नहीं करता है।

20. *छूट*- यदि किसी कारखाने के संबंध में, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता इस बात से संतुष्ट है कि असाधारण परिस्थितियों या किसी अन्य कारण से प्रक्रियाओं की आवृत्ति के कारण, कारखाने में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए इस अनुसूची के सभी या कोई भी प्रावधान आवश्यक नहीं हैं, तो मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता

लिखित रूप में प्रमाण पत्र द्वारा कर सकता है, जिसे वह अपने विवेक से किसी भी समय रद्द कर सकता है, ऐसे कारखाने को ऐसी शर्त, यदि कोई हो, के अधीन सभी या ऐसे प्रावधानों से छूट दे सकता है, जैसा कि वह उसमें निर्दिष्ट कर सकता है।

अनुसूची-XX

संक्षारक पदार्थों की हैंडलिंग या हेरफेर:

1. *परिभाषा.—इस* अनुसूची के प्रयोजनों के लिए—

(ए) "*संक्षारक संचालन*" का अर्थ है किसी कारखाने में किसी संक्षारक पदार्थ के निर्माण, भंडारण, हैंडलिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग या उपयोग का एक प्रचालन; तथा

(ख) *संक्षारक पदार्थ* में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड शामिल हैं। तरल क्लोरीन, तरल ब्रोमीन, अमोनिया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड और उसका मिश्रण और कोई अन्य पदार्थ जिसे राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संक्षारक पदार्थ के रूप में निर्दिष्ट करती है।

2. *फर्श.*- एक कारखाने के प्रत्येक कार्यकक्ष का फर्श जिसमें संक्षारक संचालन किया जाता है, अभेद्य, संक्षारण और आग प्रतिरोधी सामग्री से बना होगा और इस तरह से बनाया जाएगा कि किसी भी संक्षारक पदार्थ के संग्रह को रोका जा सके। इस तरह के फर्श की सतह को जितनी बार आवश्यक हो चिकनी और साफ किया जाना चाहिए और एक अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए।

3. सुरक्षात्मक *उपकरण.—(*1) अधिष्ठाता किसी भी संक्षारक ऑपरेशन में कार्यरत सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए हाथों और पैरों के लिए उपयुक्त सुरक्षात्मक परिधान, उपयुक्त एप्रन, फेस शील्ड, रासायनिक सुरक्षा चश्मे और श्वासयंत्र प्रदान करेगा। उपकरण को अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाएगा और किसी भी अवशोषित रसायनों के दुष्प्रभावों से छुटकारा पाने और कीटाणुरहित करके उपयुक्त उपचार करके स्वच्छ और स्वच्छ स्थिति में रखा जाएगा। जहां भी आवश्यक हो, अधिष्ठाता उपयुक्त सुरक्षात्मक क्रीम और अन्य तैयारी भी प्रदान करेगा।

(2) प्रदान किए गए सुरक्षात्मक उपकरण और तैयारी का उपयोग किसी भी संक्षारक ऑपरेशन में नियोजित व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।

4. *जल सुविधाएं.*- जहां कोई संक्षारक ऑपरेशन किया जाता है, वहां 1.25 सेंटीमीटर व्यास के पाइप से 210 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्वच्छ पानी का स्रोत प्रदान किया जाएगा और एक त्वरित कोडिंग वाल्व के साथ फिट किया जाएगा ताकि किसी भी संक्षारक पदार्थ से कार्यकर्ता को चोट लगने की स्थिति में, घायल हिस्से को पानी से अच्छी तरह से भर दिया जा सकता है। जब भी आवश्यक हो, निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, स्वच्छ पानी के स्रोत के रूप में 210 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर की न्यूनतम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या ऐसे आयाम जो मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित हैं, एक भंडारण टैंक प्रदान किया जाएगा।

5. *चेतावनी सूचना*— निम्नलिखित प्रपत्र में एक चेतावनी सूचना और उस भाषा में मुद्रित जिसे नियोजित अधिकांश श्रमिक समझते हैं, उस स्थान के करीब प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा जहां एक संक्षारक ऑपरेशन किया जाता है और जहां इसे श्रमिकों द्वारा आसानी से और आसानी से पढ़ा जा सकता है। यदि कोई कर्मकार निरक्षर है, तो उसे इस प्रकार प्रदर्शित नोटिस की सामग्री को ध्यान से समझाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

चेतावनी सूचना

खतरा

संक्षारक पदार्थ गंभीर जलन का कारण बनते हैं और वहां की वाष्प बेहद खतरनाक हो सकती है। संपर्क के मामले में,
तुरंत प्रभावित हिस्से में कम से कम 15 मिनट के लिए खूब पानी
का बहाव दे और जल्दी से चिकित्सा सहायता प्राप्त करें।

6. *परिवहन.*- (1) संक्षारक पदार्थों को कंटेनरों या पाइपों के माध्यम से छोड़कर भरा नहीं जाएगा, स्थानांतरित नहीं किया जाएगा या ले जाया नहीं जाएगा और जब उन्हें कंटेनरों में ले जाया जाना है तो उन्हें ध्वनि निर्माण और पर्याप्त ताकत के बक्से में रखा जाएगा।

(2) 11.5 लीटर या उससे अधिक संक्षारक पदार्थ की क्षमता वाले कंटेनर को एक पात्र या टोकरे में रखा जाएगा और फिर कमर की रेखा से नीचे की ऊंचाई पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा ले जाया जाएगा जब तक कि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त रबर पहिएदार ट्रक का उपयोग न किया जाए।

(3) संक्षारक पदार्थों के लिए कंटेनरों को स्पष्ट रूप से लेबल किया जाएगा।

7. *संक्षारक को संभालने के लिए उपकरण*- (1) जार, कारबॉय और संक्षारक के अन्य कंटेनरों को खाली करने के लिए झुकाव, उठाने या पंप करने की व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा।

(2) संक्षारक पदार्थों को नंगे हाथों से नहीं बल्कि एक उपयुक्त स्कूप या उपकरण के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा।

8. *वाल्वों का उद्घाटन.*—संक्षारक पदार्थ रखने वाले कंटेनरों में लगे वाल्वों को बहुत सावधानी से खोला जाएगा। यदि वे स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते हैं, तो उन्हें खोलने के लिए जबरदस्ती नहीं की जायेगी। उसे इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ता द्वारा खोला जाएगा।

9. *टैंक, सिल्स आदि की सफाई* - (1) किसी भी संक्षारक पदार्थ को रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलों या अन्य बड़े कक्षों से अवशेषों को साफ करने या हटाने में, आर्सेन्यूरेटेड हाइड्रोजन (आर्सिन) के उत्पादन को रोकने के लिए लकड़ी या अन्य सामग्री से बने उपयुक्त उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

(2) जब भी किसी कर्मकार के लिए सफाई या अन्य रखरखाव कार्य के प्रयोजन के लिए किसी कक्ष, टैंक, वैट, गड्ढे या अन्य सीमित स्थान में प्रवेश करना आवश्यक हो, जहां एक संक्षारक पदार्थ संग्रहीत किया गया था, तो संहिता की धारा 36 के तहत आवश्यक सभी संभव सावधानियां बरती जाएंगी ताकि कर्मकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(3) जहां भी संभव हो, उपकरण के किसी भी हिस्से की मरम्मत करने से पहले, जिसमें एक संक्षारक पदार्थ को संभाला गया था, ऐसे उपकरण या उसके हिस्से को उपयुक्त तरीकों को अपनाकर किसी भी पालन करने वाले संक्षारक पदार्थ से मुक्त किया जाएगा।

10. भंडारण.—(1) संक्षारक पदार्थों को अन्य रासायनिक पदार्थों जैसे तारपीन, कार्बाइड, धातु पाउडर और दहनशील पदार्थों के साथ एक ही कमरे में आकस्मिक मिश्रण के लिए नहीं रखा जाएगा, जिससे ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है जो या तो हिंसक हो सकती है या जहरीले धुएं और गैसों को जन्म देती है।

(2) संक्षारक पदार्थों के भंडारण के लिए ओवरहेड टैंक, रिसेप्टेकल्स, वत्स या अन्य कंटेनरों को पंप करना या भरना इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि किसी भी संक्षारक पदार्थ के बहने और किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की कोई संभावना न हो।

(3) बीस लीटर या उससे अधिक की क्षमता वाले प्रत्येक कंटेनर और संक्षारक पदार्थ के भंडारण या ले जाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रत्येक पाइपलाइन, वाल्व और फिटिंग की हर साल किसी दोष का पता लगाने के लिए पूरी तरह से जांच की जाएगी, और इस प्रकार पाए गए दोषों को तुरंत दूर कर दिया जाएगा। ऐसी प्रत्येक परीक्षा का एक रजिस्टर रखा जाएगा और जब भी आवश्यक हो, निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

11. *अग्निशामक और अग्निशमन उपकरण.—संग्रहीत* रसायनों की प्रकृति के आधार पर पर्याप्त संख्या में उपयुक्त प्रकार के अग्निशामक या अन्य अग्निशमन उपकरण प्रदान किए जाएंगे। ऐसे अग्निशामक या अन्य उपकरणों का नियमित रूप से परीक्षण और रिफिल किया जाएगा। अग्निशामक या अन्य उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, इस बारे में स्पष्ट निर्देश, उस भाषा में मुद्रित किया जाना चाहिए जिसे नियोजित अधिकांश श्रमिक समझते हैं, प्रत्येक अग्निशामक या अन्य उपकरण के पास चिपकाए जाएंगे।

12. *छूट*--यदि प्रबंधक द्वारा किए गए आवेदन पर किसी कारखाने के संबंध में, मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता संतुष्ट है कि असाधारण परिस्थितियों के कारण, या प्रक्रिया की आवृत्ति के कारण या उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी अन्य कारण के कारण, इस अनुसूची के सभी या कोई भी प्रावधान उसमें नियोजित

व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं, वह लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र द्वारा जिसे वह किसी भी समय रद्द कर सकता है, कारखाने को ऐसे प्रावधानों से छूट दे सकता है और ऐसी शर्तों के अधीन रह सकता है जो वह उसमें निर्दिष्ट कर सकता है।

अनुसूची-XXI

पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संपीड़न:

1. *इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट का स्थान.*- जिस कमरे में इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट स्थापित किया गया है, वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के भंडारण और संपीड़ित करने के लिए संयंत्र से अलग होगा और इलेक्ट्रिक जनरेटर रूम भी होगा।

2.शुद्धता *का परीक्षण--(*1) ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की शुद्धता का परीक्षण सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक पाली में कम से कम एक बार निम्नलिखित पदों पर किया जाएगा-

(ए) इलेक्ट्रोलिसिस कक्ष में;

(बी) गैस-धारक इनलेट पर; तथा

(c) चूषण पर और संपीडक पर।

(2) शुद्धता के आंकड़े एक रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे और ऐसे परीक्षण करने वाले व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे:

परन्तु यदि इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट में अलार्म लाइट के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की शुद्धता का एक स्वचालित रिकॉर्डर लगाया गया है, तो यह केवल सक्शन और कंप्रेसर पर परीक्षण की गई गैसों की शुद्धता के लिए पर्याप्त होगा।

3. *संपीडन के बारे में प्रतिबंध- ऑक्सीजन* और हाइड्रोजन गैसों को संपीड़ित नहीं किया जाएगा यदि ऊपर पैराग्राफ 2 के तहत निर्धारित उनकी शुद्धता किसी भी समय 98 प्रतिशत से कम हो जाती है।

4. *गैसहोल्डर के लिए लिमिट स्विच.*—किसी भी गैसहोल्डर की घंटी को खाली होने पर उसकी सबसे निचली स्थिति के 30 सेंटीमीटर के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और गैसहोल्डर में एक लिमिट स्विच इस तरह से लगाया जाएगा कि सीमा तक पहुंचने पर कंप्रेसर मोटर को बंद कर दिया जाए।

5. *नकारात्मक दबाव स्विच का प्रावधान*—गैसहोल्डर में सीमा स्विच के अलावा, गैसहोल्डर के करीब हाइड्रोजन के लिए सक्शन मेन में या उसके आस-पास एक संवेदनशील नकारात्मक दबाव स्विच प्रदान किया जाएगा और गैसहोल्डर और हाइड्रोजन कंप्रेसर के बीच गैसहोल्डर के खाली होने की स्थिति में कंप्रेसर मीटर को बंद कर दिया जाएगा।

6. *कास्टिक सोडा की शुद्धता.*- खारा जल बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी और कास्टिक सोडा दवा की सीमा के भीतर रासायनिक रूप से शुद्ध होना चाहिए।

7. *ध्रुवीयता के उलट होने के खिलाफ सावधानियां-* इलेक्ट्रोलिसिस कोशिकाओं और विद्युत जनरेटर टर्मिनलों पर विद्युत कनेक्शन का निर्माण किया जाएगा ताकि ध्रुवीयता के उलट होने की संभावना या गलत कनेक्शन को रोका जा सके और इसके अलावा विद्युत जनरेटर टर्मिनलों के स्विचबोर्ड पर गलत कनेक्शन के कारण ध्रुवीयता के उलट होने की स्थिति में बिजली काटने के लिए एक स्वचालित उपकरण प्रदान किया जाएगा।

8. *गैस पाइपों का रंगना-* ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस पाइपों को अलग-अलग रंगों से रंगा जाएगा और हाइड्रोजन गैस पाइप के जोड़ों में रिसाव की स्थिति में, हाइड्रोजन गैस में ड्राइंग करने से पहले पुन: कनेक्शन के बाद पाइप को सभी हवा से शुद्ध किया जाएगा।

9. *फ्लेम प्रूफ फिटिंग का उपयोग-* इलेक्ट्रोलाइजर रूम में सभी विद्युत वायरिंग और उपकरण फ्लेम प्रूफ निर्माण के होंगे या फ्लेमप्रूफ फिटिंग में संलग्न होंगे और इलेक्ट्रोलाइजर रूम में या जहां गैसों का संपीड़न और भरना जारी है, वहां कोई नग्न प्रकाश या लौ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस तरह के चेतावनी नोटिस प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे,

10. *गर्म काम का निषेध.*- इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट और गैसहोल्डर्स और कंप्रेसर के किसी भी हिस्से को वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग या कटिंग के अधीन नहीं किया जाएगा जब तक कि उस हिस्से से किसी भी विस्फोटक पदार्थ को हटाने के लिए कदम नहीं उठाए जाते हैं और इस तरह के संचालन के पूरा होने के बाद किसी भी विस्फोटक पदार्थ को उस हिस्से में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि विस्फोट के जोखिम को रोकने के लिए धातु पर्याप्त रूप से ठंडा न हो जाए।

11.पर्यवेक्षण *के अधीन किए जाने वाले मरम्मत*-- कोई कार्य या संचालन, मरम्मत या अनुरक्षण ऐसे व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के बिना नहीं किया जाएगा, जो अपने प्रशिक्षण, अनुभव और विस्फोट के जोखिम के विरुद्ध आवश्यक सावधानियों के ज्ञान से ऐसे कार्य का पर्यवेक्षण करने में सक्षम है। निर्माण या मरम्मत के बाद किसी भी विद्युत जनरेटर को इलेक्ट्रोलाइज़र पर तब तक चालू नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे सक्षम व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है, जिनके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत निर्माण या मरम्मत सुरक्षित स्थिति में की जाती है और टर्मिनलों को पैराग्राफ 7 द्वारा आवश्यक ध्रुवीयता के लिए जाँच की गई है,

12. *संयंत्र की जांच*- इलेक्ट्रोलाइजर संयंत्र के प्रत्येक भाग और गैसधारकों और संपीडक के पास कायाकल्प करने और जांच की एक नियमित अनुसूची होगी और प्रत्येक दोष को तुरंत ठीक किया जाएगा।

अनुसूची-XXII

विलायक निष्कर्षण संयंत्रों में वनस्पति और पशु स्रोत से तेल और वसा निकालने की प्रक्रिया:

1. *परिभाषाएँ.*—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए—

(क) इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए "सक्षम व्यक्ति" कम से कम इंजीनियर्स संस्थान (भारत) का सदस्य या उक्त संस्था का एक सहयोगी सदस्य होगा जिसके पास एक जिम्मेदार पद पर 10 वर्ष का अनुभव हो, जैसा कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है:

परन्तु तेल और वसा के विशेष ज्ञान के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में स्नातक और एक विलायक निष्कर्षण संयंत्र में 5 साल के न्यूनतम अनुभव के साथ भी एक सक्षम व्यक्ति माना जाएगा:

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार किसी अन्य अर्हताएं को स्वीकार कर सकती है यदि उसकी राय में वे पूर्वोक्त अर्हताओं के समकक्ष हैं।

(बी) विद्युत *मशीनरी या उपकरण पर लागू "लौ प्रूफ संलग्नक*" का अर्थ है एक संलग्नक जो कवर या अन्य पहुंच द्वारों को ठीक से सुरक्षित करने पर सामना करेगा, ज्वलनशील गैस या वाष्प का एक आंतरिक विस्फोट जो प्रवेश कर सकता है या जो बाहरी ज्वलनशील गैस या वाष्प के लिए आंतरिक सूजन (या विस्फोट) को संप्रेषित किए बिना बाड़े के अंदर उत्पन्न हो सकता है;

(ग) "*विलायक*" का अर्थ है वनस्पति तेलों की वसूली के लिए उपयोग किए जाने वाले पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन जैसे ज्वलनशील तरल;

(घ) "*विलायक निष्कर्षण संयंत्र*" से तात्पर्य एक ऐसा पौधा है जिसमें सॉल्वैंट्स के उपयोग से वनस्पति और पशु स्रोतों से तेल और वसा निकालने की प्रक्रिया जारी रखी जाती है।

2. *स्थान और विन्यास*- (1) किसी भी विलायक निष्कर्षण संयंत्र को निकटतम आवासीय इलाके से 30 मीटर की दूरी के भीतर निर्मित या विस्तारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) विलायक निष्कर्षण संयंत्र के चारों ओर संयंत्र से न्यूनतम 15 मीटर की दूरी तक 1-5 मीटर ऊंची निरंतर तार बाड़ लगाई जाएगी।

(3) किसी भी व्यक्ति को बाड़ से घिरे क्षेत्र के अंदर किसी भी माचिस या आग की खुली लौ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) बॉयलर हाउस और अन्य इमारतें खुली लौ प्रक्रियाएं थीं, जो विलायक निष्कर्षण संयंत्र से कम से कम 30 मीटर की दूरी पर स्थित होंगी।

(5) यदि गोदाम और प्रारंभिक प्रक्रिया विलायक निष्कर्षण संयंत्र से 30 मीटर से कम की दूरी पर हैं, तो ये संयंत्र से कम से कम 15 मीटर की दूरी पर होंगे, और 1.5 मीटर ऊंची गैर-दहनशील सामग्री की एक सतत अवरोधक दीवार विलायक निष्कर्षण संयंत्र से कम से कम 15 मीटर की दूरी पर खड़ी की जाएगी ताकि प्रज्वलन के संभावित स्रोतों के संयंत्र सिरों के चारों ओर कम से कम 30 मीटर वाष्प यात्रा तक फैली हो।

3. *विद्युत प्रतिष्ठान.— (*1) सभी विद्युत मोटर और वायरिंग और या तो विद्युत उपकरण स्थापित या विलायक निष्कर्षण संयंत्र में रखे गए लौ प्रूफ निर्माण के होंगे।

(2) संयंत्र और भवन के सभी धातु भागों सहित विभिन्न टैंक और कंटेनर जहां सॉल्वैंट्स संग्रहीत किए जाते हैं, मौजूद हैं और विद्युत उपकरणों के सभी भागों को एक साथ ठीक से जोड़ा जाना चाहिए और पृथ्वी से जोड़ा जाना चाहिए ताकि पृथ्वी की क्षमता से ऊपर ऐसे भागों की विद्युत क्षमता में आकस्मिक वृद्धि से बचा जा सके।

4. *धूम्रपान पर प्रतिबंध-* विलायक निष्कर्षण संयंत्र से 15 मीटर की दूरी के भीतर धूम्रपान सख्त वर्जित होगा। इस प्रयोजन के लिए, क्षेत्रों में "धूम्रपान निषेध" संकेत स्थायी रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे।

5. *घर्षण के विरुद्ध सावधानियां- (*1) विलायक निष्कर्षण संयंत्र में उपयोग किए जाने वाले सीढ़ी, जंजीरों और अन्य उठाने वाले टैकल सहित सभी औजार और उपकरण गैर-स्पार्किंग प्रकार के होंगे।

(2) विलायक निष्कर्षण संयंत्र में कोई मशीनरी या उपकरण बेल्ट चालित नहीं होगा।

(3) किसी भी व्यक्ति को विलायक निष्कर्षण संयंत्र में प्रवेश करने और काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि वह नायलॉन या ऐसे अन्य फाइबर से बने कपड़े पहने हुए हैं जो स्थैतिक विद्युत आवेश उत्पन्न कर सकते हैं या जूते पहनते हैं जिसमें घर्षण से चिंगारी पैदा करने की संभावना है।

6. *अग्निशमन उपकरण.—(*1) विलायक निष्कर्षण संयंत्र में ज्वलनशील तरल आग के विरुद्ध उपयोग के लिए उपयुक्त पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों की पर्याप्त संख्या प्रदान की जाएगी।

(2) भंडारण जल की पर्याप्त आपूर्ति के साथ गीले पाइप या ओपन-हेड जलप्रलय प्रणाली पर एक स्वचालित जल स्प्रे स्प्रिंकलर प्रणाली विलायक निष्कर्षण संयंत्र और ऐसे संयंत्र के आवास वाले पूरे भवन में प्रदान की जाएगी।

7. *बिजली की विफलता के खिलाफ सावधानियां-* बिजली की विफलता की स्थिति में भाप के स्वचालित काटने के लिए और कंडेनसर को गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल आपूर्ति के लिए आपातकालीन ओवरहेड जल भण्डार का प्रावधान किया जाएगा जो बिजली की विफलता के साथ स्वचालित रूप से काम करेगा।

8. *चुंबकीय विभाजक.-* तेल केक को एक हॉपर के माध्यम से एक कन्वेयर द्वारा एक्सट्रूडर को भेजा जाएगा और इसके हस्तांतरण के दौरान लोहे के किसी भी टुकड़े को हटाने के लिए एक चुंबकीय विभाजक प्रदान किया जाएगा।

9. *वेंटिंग.*—(1) आग लगने की स्थिति में अत्यधिक आंतरिक दबाव को दूर करने के लिए सॉल्वैंट्स युक्त टैंकों को आपातकालीन वेंटिंग से संरक्षित किया जाएगा।

(2) सभी आपातकालीन राहत वेंट जमीन से कम से कम 6 मीटर ऊपर समाप्त हो जाएंगे और इस तरह से स्थित होंगे कि वाष्प उस इमारत में फिर से प्रवेश न करें जिसमें विलायक निष्कर्षण संयंत्र स्थित है।

10. *अपशिष्ट जल* - प्रक्रिया अपशिष्ट जल को एक फ्लैश बाष्पीकरणकर्ता के माध्यम से पारित किया जाएगा ताकि किसी भी विलायक को एक नाबदान में छोड़ा जा सके, जो बाड़ वाले क्षेत्र के भीतर स्थित होना चाहिए, लेकिन बाड़ के आठ मीटर से अधिक करीब नहीं होना चाहिए।

11. *वेंटिलेशन.-* विलायक निष्कर्षण संयंत्र अच्छी तरह हवादार होगा और यदि संयंत्र एक इमारत में रखा गया है, तो इमारत को प्रति घंटे कम से कम छह वायु परिवर्तन के प्रावधान के साथ यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान किया जाएगा।

12. *हाउसकीपिंग*--(1) विलायक को विलायक निष्कर्षण संयंत्र द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में संग्रहीत नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि कम मात्रा में जिसे अनुमोदित सुरक्षा डिब्बे में संग्रहीत किया जाएगा।

(2) विलायक और पेंट और तेल को पोंछने के लिए उपयोग किए जाने वाले तैलीय लत्ता, अन्य अपशिष्ट और अवशोषक जैसे अपशिष्ट पदार्थों को अनुमोदित कंटेनरों में जमा किया जाएगा और दिन में कम से कम एक बार परिसर से हटा दिया जाएगा।

(3) विलायक निष्कर्षण संयंत्र के भीतर और संयंत्र से 15 मीटर के भीतर की जगह को किसी भी दहनशील सामग्री से मुक्त रखा जाएगा और तेल या विलायक के किसी भी रिसाव को तुरंत साफ किया जाएगा।

13. *जांच और मरम्मत.*- (1) किसी भी कमजोरी या क्षरण का निर्धारण करने और हर 12 महीने में एक बार पहनने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा विलायक निष्कर्षण संयंत्र की जांच की जाएगी। इस तरह की जांच की रिपोर्ट निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता को उसकी टिप्पणी के साथ दी जाएगी कि संयंत्र काम करने के लिए सुरक्षित स्थिति में है या नहीं।

(2) सक्षम व्यक्ति की प्रत्यक्ष देखरेख के अलावा मशीनरी या संयंत्र की कोई मरम्मत नहीं की जाएगी।

(3) सफाई या मरम्मत के लिए खोलने से पहले और मरम्मत के बाद विलायक पेश करने से पहले संयंत्र को अक्रिय गैस से शुद्ध करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

14. *प्रचालन कार्मिक - विलायक* निष्कर्षण संयंत्र में संयंत्र और मशीनरी का संचालन ऐसे विधिवत योग्य और प्रशिक्षित व्यक्तियों के प्रभार में होगा जो सक्षम व्यक्ति द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त होने के लिए प्रमाणित हैं और किसी अन्य व्यक्ति को संयंत्र और मशीनरी को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15. *महिलाओं और युवाओं का रोजगार--किसी* भी गर्भवती महिला या युवा व्यक्ति को विलायक निष्कर्षण संयंत्र में नियोजित नहीं किया जाएगा।

परन्तु महिला श्रमिकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन काम करने के लिए उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है: -

(1) व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिष्ठाता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) मानकों को अपनाया जाएगा ।

(2) जहां तक संभव हो, अधिष्ठाता समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेंगे।

(3) दूध पिलाने वाली महिला श्रमिकों को रोजगार से छूट दी जाएगी।

16. *वाष्प का पता लगाना.*- एक उपयुक्त प्रकार का लौ प्रूफ और पोर्टेबल दहनशील गैस संकेतक प्रदान किया जाएगा और अच्छे कार्य शील दशा में रखा जाएगा और निर्धारित नियमित अन्तराल पर मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित विभिन्न स्थानों पर वातावरण का नियमित नमूना लिया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

अनुसूची-XXIII

मैंगनीज और उसके यौगिकों का निर्माण या हेरफेर:

1. *आवेदन.*- यह अनुसूची प्रत्येक कारखाने पर लागू होगी जिसमें या किसी भी भाग में कोई मैंगनीज प्रक्रिया की जाती है।

2. *परिभाषाएँ.—इस* अनुसूची के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कुशल निकास वेंटिलेशन" से इसके उद्गम के स्रोत पर धूल या धुएं या धुंध को हटाने के लिए यांत्रिक साधनों से प्रभावित स्थानीयकृत वेंटिलेशन अभिप्रेत है ताकि इसे किसी भी स्थान के वातावरण में जाने से रोका जा सके जहां कोई कार्य किया जाता है। किसी भी ड्राफ्ट को कुशल नहीं माना जाएगा जो उस बिंदु पर धूल या धुएं या धुंध को हटाने में विफल रहता है जहां यह उत्पन्न होता है और इसे कार्यस्थल के वातावरण में भागने और फैलने से रोकने में विफल रहता है;

(ख) "प्रथम रोजगार" का अर्थ है किसी भी मैंगनीज प्रक्रिया में तीन कैलेंडर महीनों से अधिक की निरंतर अवधि के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद पहला रोजगार;

(ग) "मैंगनीज प्रक्रिया" से मैंगनीज या मैंगनीज के किसी यौगिक या मैंगनीज युक्त किसी भी मिश्रण का प्रसंस्करण, निर्माण या हेरफेर अभिप्रेत है; तथा

(घ) "हेरफेर" का अर्थ है मैंगनीज या मैंगनीज के यौगिक या मैंगनीज के मिश्रण को मिलाना, सम्मिश्रण करना, भरना, खाली करना, पीसना, छानना, सुखाना, पैकिंग, झाड़ू लगाना या अन्यथा संभालना, या मैंगनीज का एक यौगिक, या अब या मैंगनीज युक्त कोई मिश्रण।

3. *एक प्रक्रिया का पृथक्करण-* प्रत्येक मैंगनीज प्रक्रिया जो मैंगनीज युक्त धूल, वाष्प या धुंध को जन्म दे सकती है, को पूरी तरह से संलग्न प्रणाली में किया जाएगा या अन्यथा अन्य प्रक्रियाओं से प्रभावी रूप से अलग किया जाएगा ताकि अन्य संयंत्र और प्रक्रियाएं और कारखाने के अन्य भाग और अन्य प्रक्रियाओं पर नियोजित व्यक्ति इससे प्रभावित न हों।

4. *प्रक्रिया का वेंटिलेशन* - कोई भी प्रक्रिया जिसमें मैंगनीज युक्त कोई धूल, वाष्प या धुंध उत्पन्न होती है, एक कुशल निकास वेंटिलेशन के तहत नहीं की जाएगी, जिसे उत्पादन के बिंदु के करीब के रूप में लागू किया जाएगा।

5. *व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण-(1)* कारखाने का अधिष्ठाता किसी भी मैंगनीज प्रक्रिया में कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए अच्छी और स्वच्छ स्थिति में उपयुक्त चौग़ा और सिर कवरिंग प्रदान करेगा और मैंगनीज प्रक्रिया पर काम करते समय व्यक्तियों द्वारा इस तरह के चौग़ा और सिर को ढक कर रखा जाएगा।

(2) कारखाने का अधिष्ठाता धूल, धुएं या धुंध के साँस लेने से रोकने के लिए आपातकालीन स्थिति में कर्मकार द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त श्वसन सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा। ऐसे उपकरणों के पूर्ण सेट की पर्याप्त संख्या हमेशा कार्यस्थल के पास रखी जाएगी और इसे ठीक से बनाए रखा जाएगा और हमेशा आसानी से उपयोग की जाने वाली स्थिति में रखा जाएगा।

(3) अधिष्ठाता नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए भंडारण के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करेगा और बनाए रखेगा और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की सफाई और रखरखाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा।

6. *महिलाओं और युवाओं से संबंधित प्रतिषेध* - किसी भी गर्भवती महिला या युवा व्यक्तियों को किसी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित या कार्य हेतु अनुमत नहीं किया जाएगा।

परन्तुमहिला श्रमिकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन काम करने के लिए उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है: -

(1) व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिष्ठाता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) मानकों को अपनाया जाएगा।

(2) जहां तक संभव हो, अधिष्ठाता समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेंगे।

(3) दूध पिलाने वाली महिला श्रमिकों को रोजगार से छूट दी जाएगी।

7. *कार्यकक्षों में भोजन, पेय आदि निषिद्ध* - *किसी* भी कार्यकक्ष में किसी भी कर्मकार द्वारा उपभोग किए जाने वाले परिसर में भोजन, पेय, पान और सुपारी या तंबाकू को लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें कोई मैंगनीज प्रक्रिया की जाती है।

8. *मेस-रूम-* मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त मेस-रूम प्रदान किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा, जो पर्याप्त टेबल और बेंच और भोजन को गर्म करने के लिए पर्याप्त साधनों से सुसज्जित होगा। मेस-रूम को एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा और उसे साफ रखा जाएगा।

9. *धोने की सुविधाएँ-* मैंगनीज प्रक्रिया पर नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ अवस्था में और अच्छी स्थिति में धोने की सुविधा प्रदान की जायेगी और उसका उचित रखरखाव किया जाएगा -

(ए) ढकी हुई धोने की जगह, निम्न के साथ-

(i) बिना प्लग के अपशिष्ट पाइप के साथ एक चिकनी अभेद्य सतह के साथ एक गर्त, और किसी भी समय नियोजित प्रत्येक दस ऐसे व्यक्तियों के लिए कम से कम 60 सेंटीमीटर की अनुमति देने के लिए पर्याप्त लंबाई का, और 60 सेंटीमीटर से अधिक के अंतराल पर गर्त के ऊपर नल या जेट से पानी की निरंतर आपूर्ति करना; या

(ii) किसी भी समय नियोजित प्रत्येक पांच ऐसे व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वाश बेसिन, जिसमें अपशिष्ट पाइप और प्लग लगे हों और जिसमें पानी की निरंतर आपूर्ति हो; तथा

(ख) साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई सामग्री और नेल ब्रश और साफ तौलिये की पर्याप्त आपूर्ति।

10. *क्लोक-रूम-* यदि मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता को इसकी आवश्यकता होती है, तो मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए कपड़ों के लिए एक क्लोक-रूम प्रदान किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा, जो कपड़े सुखाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था के साथ काम के घंटों के दौरान बंद कर दिया जाएगा।

11. *चेतावनी प्लेकार्ड और निर्देश-* परिशिष्ट में निर्दिष्ट प्रपत्र में नियोजित अधिकांश श्रमिकों की भाषा में मुद्रित चेतावनी नोटिस कारखाने में प्रमुख स्थानों पर चिपकाए जाएंगे जहां उन्हें श्रमिकों द्वारा आसानी से पढ़ा जा सकता है और अधिष्ठाता द्वारा मैंगनीज प्रक्रियाओं में कार्यरत सभी श्रमिकों को उनके कर्तव्यों से जुड़े स्वास्थ्य खतरों और सर्वोत्तम निवारक के बारे में समय-समय पर निर्देश देने की व्यवस्था की जाएगी ताकि वह खुद को बचाने के उपाय और तरीके जान सके। नोटिस हमेशा सुपाठ्य स्थिति में बनाए रखा जाएगा।

12. *चिकित्सा सुविधाएं और परीक्षा और परीक्षणों के अभिलेख* - (1) प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता, जिस पर अनुसूची लागू होती है, -

(क) नियोजित कामगारों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी को नियुक्त करना, जहां कामगारों की संख्या 50 से अधिक है; तथा

(ख) उक्त चिकित्सक को खंड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।

(2) उक्त चिकित्सक द्वारा की गई चिकित्सा परीक्षाओं और उपयुक्त परीक्षणों का रिकॉर्ड एक स्वास्थ्य रजिस्टर फॉर्म-7 में रखा जाएगा, जिसे निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

13. *फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण-* (1) किसी भी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक श्रमिक को उसके पहले रोजगार के 15 दिनों के भीतर एक फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय जांच की जाएगी। इस तरह की परीक्षा में रक्त और मूत्र में सीरम कैल्शियम, सीरम फॉस्फेट और मैंगनीज का पता लगाने के लिए परीक्षण शामिल होंगे और इसमें स्थिरता परीक्षण और अन्य न्यूरोमस्कुलर समन्वय परीक्षण भी शामिल होंगे। किसी भी श्रमिक को कारखाने में अपने पहले रोजगार के 15 दिनों के बाद काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तरह के रोजगार के लिए प्रमाणित न किया गया हो।

(2) मैंगनीज प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक की प्रत्येक तीन कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार एक फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुन: जांच की जाएगी और ऐसी परीक्षा, जहां भी फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, उप-पैराग्राफ (1) में सभी परीक्षणों को शामिल करेगी।

(3) फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी किसी श्रमिक की जांच करने के बाद फॉर्म-8 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा। परीक्षा और पुन: परीक्षा का रिकॉर्ड प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाएगा और प्रमाण पत्र कारखाने के प्रबंधक के पर्यवेक्षण में रखा जाएगा। उप-पैराग्राफ (1) और (2) के तहत की गई प्रत्येक परीक्षा के रिकॉर्ड जिसमें इन परीक्षणों की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म -7 में एक स्वास्थ्य रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(4) फिटनेस का प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

(5) यदि किसी भी समय फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी की राय है कि श्रमिक अब उक्त प्रक्रियाओं में रोजगार के लिए उपयुक्त नहीं है, इस आधार पर कि इसमें जारी रहने से कर्मकार के स्वास्थ्य के लिए विशेष खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का रिकॉर्ड बनाएगा। इन

दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टि में वह अवधि भी शामिल होनी चाहिए जिसके लिए वह मानता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में काम करने के लिए अयोग्य है।

(6) कोई भी व्यक्ति जो उप-पैराग्राफ (5) में कहा गया है कि काम करने के लिए अयोग्य पाया गया है, उसे उक्त प्रक्रियाओं में काम करने के लिए पुन: नियोजित या अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी आगे की जांच के बाद, फिर से उसे उस प्रक्रिया में रोजगार के लिए योग्य प्रमाणित नहीं करता है।

14. *छूट*- यदि किसी कारखाने के संबंध में मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता संतुष्ट है कि किसी असाधारण परिस्थितियों, या प्रक्रिया की आवृत्ति के कारण या किसी अन्य कारण से, इस अनुसूची के सभी या किसी भी उपबंधों का आवेदन ऐसे कारखाने में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, तो वह, लिखित रूप में एक आदेश द्वारा, जिसे वह अपने विवेक से रद्द कर सकता है, ऐसी शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए जो वह उक्त आदेश में निर्दिष्ट कर सकता है, ऐसे कारखाने को सभी या किसी भी प्रावधान से छूट दे सकता है।

परिशिष्ट

चेतावनी सूचना:

मैंगनीज और मैंगनीज यौगिक

1. मैंगनीज और उसके यौगिकों की धूल, धुएं और धुंध साँस लेने पर या निगलने पर जहरीले होते हैं।

2. कार्यस्थल के पास भोजन या पेय का सेवन न करें।

3. भोजन करने से पहले अच्छी तरह से धो लें।

4. कार्य क्षेत्र को साफ रखें।

5. दिए गए सुरक्षात्मक कपड़ों और उपकरणों का उपयोग करें।

6. जब उन स्थितियों में काम करने की आवश्यकता हो जहां धूल, धुएं या धुंध के साँस लेने की संभावना होती है, तो इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए श्वसन सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करें।

7. यदि आपको गंभीर सिरदर्द, लंबे समय तक नींद न आना या शरीर पर असामान्य संवेदनाएं होती हैं, तो प्रबंधक को रिपोर्ट करें जो आपकी परीक्षा और उपचार की व्यवस्था करेगा।

अनुसूची-XXIV

खतरनाक कीटनाशकों का निर्माण या हेरफेर:

1. *आवेदन*- यह अनुसूची उन सभी कारखानों या उनके किसी भी भाग के संबंध में लागू होगी जिनमें खतरनाक कीटनाशक के निर्माण या हेरफेर की प्रक्रिया संदर्भित की गई है या इसके बाद उक्त विनिर्माण प्रक्रिया जारी है।

2. *परिभाषाएँ.—इस* अनुसूची के प्रयोजनों के लिए—

(क) खतरनाक कीटनाशकों से किसी भाग को नियंत्रित करने, नष्ट करने या प्रतिकर्षित करने के लिए या विकास को रोकने या कम करने के लिए प्रस्तावित या उपयोग किया जाने वाला कोई उत्पाद अभिप्रेत है, जिसमें इसके किसी भी फार्मूलेशन, जिसे कीटनाशी संहिता, 1968 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विषैला माना जाता है और इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और कोई अन्य उत्पाद शामिल है, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए;

(ख) कुशल निकास ड्राफ्ट से धुएं, गैस वाष्प, धूल, धुआं या धुंध को हटाने के लिए स्थानीयकृत यांत्रिक वेंटिलेशन अभिप्रेत है ताकि उन्हें किसी भी कार्यकक्ष की हवा में जाने से रोका जा सके जिसमें कार्य किया जाता है। किसी भी निकास ड्राफ्ट को कुशल नहीं माना जाएगा यदि यह उस बिंदु पर उत्पन्न धुएं को हटाने में विफल रहता है जहां ऐसी गैस, धुआं, धूल, वाष्प या धुंध प्रक्रिया से उत्पन्न होती है;

(ग) "प्रथम रोजगार" का अर्थ किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया में पहला रोजगार होगा जिस पर यह अनुसूची लागू होती है और इसमें तीन कैलेंडर महीनों से अधिक की निरंतर अवधि के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद उक्त विनिर्माण प्रक्रियाओं में पुन: रोजगार भी शामिल होगा; तथा

(घ) "हेरफेर" जिसमें मिश्रण, सम्मिश्रण, सूत्रीकरण, भरना, खाली करना, पैकिंग या अन्यथा संभालना शामिल है।

3. *श्रमिकों को निर्देश-* अपने पहले रोजगार पर प्रत्येक श्रमिक को उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त रसायनों के सभी गुणोंखतरनाक उसके जिसमें , गुण भी सम्मिलित होमें सम्बन्ध के , पूरी तरह से निर्देश दिया जाएगा। श्रमिकों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में भी निर्देश दिया जाएगा, ऐसे निर्देश समय-समय पर दोहराए जाएंगे।

4. *चेतावनी सूचना और तख्तियां-* इस अनुसूची के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में चेतावनी संबंधी सूचनाएं और तख्तियां और अधिकांश श्रमिकों की भाषा में मुद्रित सभी कार्यस्थलों में प्रदशत की जाएंगी जिनमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है ताकि उन्हें श्रमिकों द्वारा आसानी से पढ़ा जा सके। कारखाने के अधिष्ठाता और प्रबंधक द्वारा उक्त विनिर्माण प्रक्रियाओं और सुरक्षा के तरीकों में उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य खतरों के बारे में श्रमिकों को समय-समय पर निर्देश देने की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह के नोटिस में कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक आवधिक नैदानिक परीक्षणों के बारे में संक्षिप्त निर्देश शामिल होंगे।

5. *महिलाओं या युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध* - किसी भी गर्भवती महिला या युवा व्यक्ति को किसी ऐसे कमरे में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है या किसी ऐसे कमरे में जिसमें खतरनाक कीटनाशक संग्रहीत किया गया है।

परन्तु महिला श्रमिकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन काम करने के लिए उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है: -

(1) व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिष्ठाता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) मानकों को अपनाया जाएगा।

(2) जहां तक संभव हो, अधिष्ठाता समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेंगे।

(3) दूध पिलाने वाली महिला श्रमिकों को रोजगार से छूट दी जाएगी।

6. *भोजन, पेय और धूम्रपान निषिद्ध* - (1) किसी भी कर्मकार द्वारा किसी भी कार्यकक्ष में भोजन, पेय, तंबाकू, पान या सुपारी नहीं लाया जाएगा या उपभोग नहीं किया जाएगा, जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की गई है।

(2) किसी भी कार्यकक्ष में धूम्रपान निषिद्ध होगा जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है।

7. *सुरक्षात्मक वस्त्र और सुरक्षात्मक उपकरण-*(1) उक्त निर्माण प्रक्रिया में कार्यरत सभी कामगारों के लिए लंबी पैंट और शर्ट या लंबी आस्तीन और सिर कवरिंग वाले चौग़ा वाले सुरक्षात्मक कपड़े उपलब्ध कराए जाएंगे।

(2) (क) उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित सभी कामगारों के लिए रबर के दस्ताने, गम जूते, रबर एप्रन, रासायनिक सुरक्षा चश्मे और श्वासयंत्र से युक्त सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ख) दस्ताने, जूते, एप्रन सिंथेटिक रबड़ से बनाए जाएंगे जहां कीटनाशक में तेल होता है।

(3) ऐसे कपड़ों और उपकरणों के साथ आपूर्ति किए गए श्रमिकों द्वारा सुरक्षात्मक कपड़े और उपकरण पहने जाएंगे।

(4) सुरक्षात्मक कपड़े और उपकरण प्रतिदिन अंदर और बाहर धोए जाएंगे यदि श्रमिक निकोटीन या फास्फोरस युक्त कीटनाशकों को संभालते हैं और अन्य कीटनाशकों को संभालते समय उन्हें बार-बार धोया जाएगा।

(5) सुरक्षात्मक कपड़े और उपकरण अच्छे रखरखाव में बनाए रखे जाएंगे।

8. *फर्श और कार्यक्षेत्र.-* (1) प्रत्येक कार्यकक्ष में फर्श जहां खतरनाक कीटनाशकों में हेरफेर किया जाता है, सीमेंट या अन्य अभेद्य सामग्री की होनी चाहिए जो एक चिकनी सतह प्रदान करती है।

(2) फर्श को अच्छे रखरखाव में बनाए रखा जाएगा, पर्याप्त ढलान के साथ एक नाली की ओर ले जाया जाएगा और नली पाइप के साथ दिन में एक बार अच्छी तरह से धोया जाएगा।

(3) कार्यक्षेत्र जहां खतरनाक कीटनाशकों में हेरफेर किया जाता है, वे चिकनी, गैर-अवशोषित सामग्री से बने होंगे, अधिमानतः स्टेनलेस स्टील और उन्हें प्रतिदिन कम से कम एक बार साफ किया जाएगा।

9. *छलकना और अपशिष्ट.*—(1) यदि कोई खतरनाक कीटनाशक अपने हेरफेर के दौरान कार्य-बेंच, फर्श या किसी कर्मकार द्वारा पहने गए सुरक्षात्मक कपड़ों पर छींटे मारता है या फैलता है, तो ऐसे क्षेत्रों या वस्तुओं के पूरी तरह से परिशोधन के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

(2) खतरनाक कीटनाशक से भिगोए या गंदे कपड़े, लत्ता, कागज या अन्य सामग्री को तंग फिटिंग कवर के साथ एक उपयुक्त पात्र में जमा किया जाएगा। सप्ताह में कम से कम एक बार जलाकर दूषित कचरे को नष्ट किया जाना चाहिए।

(3) उपयुक्त निष्क्रिय करने वाले एजेंटों को जहां उपलब्ध हो, उन्हें रिसाव में भाग लेते समय उपयोग के लिए आसानी से सुलभ स्थान पर रखा जाएगा।

(4) सफाई, रखरखाव और मरम्मत के लिए संयंत्रों के सभी हिस्सों तक पहुंच के आसान साधन प्रदान किए जाएंगे।

10. *खतरनाक कीटनाशकों के लिए उपयोग किए जाने वाले खाली कंटेनर* - खतरनाक कीटनाशकों के लिए उपयोग किए जाने वाले कंटेनरों को उनकी सामग्री से अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए और फेंकने या नष्ट करने से पहले एक इन-एक्टिवेटिंग एजेंट के साथ इलाज किया जाना चाहिए।

11. *मैनुअल हैंडलिंग-(1)* एक खतरनाक कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होगी या लंबे समय तक हैंडल किए गए स्कूप के माध्यम से हाथ से हेरफेर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) इसके हेरफेर के दौरान शरीर के किसी भी हिस्से के खतरनाक कीटनाशक के साथ सीधे संपर्क से बचा जाना चाहिए।

12. *वेंटिलेशन.*—(1) प्रत्येक कार्यकक्ष या क्षेत्र में जबकि खतरनाक कीटनाशक में हेरफेर किया जाता है, ताजी हवा के संचलन द्वारा हर समय पर्याप्त वेंटिलेशन प्रदान किया जाएगा।

(2) जब तक प्रक्रिया पूरी तरह से संलग्न नहीं हो जाती है, तब तक एक खतरनाक कीटनाशक के हेरफेर के दौरान निम्नलिखित ऑपरेशन एक कुशल निकास ड्राफ्ट के बिना नहीं किए जाएंगे-

(ए) खतरनाक कीटनाशक रखने वाले कंटेनर को खाली करें;

(बी) एक खतरनाक कीटनाशक का मिश्रण;

(ग) एक खतरनाक कीटनाशक युक्त तरल या पाउडर फॉर्मूलेशन तैयार करना; तथा

(घ) खतरनाक कीटनाशक को कंटेनर, टैंक, हैम्पर या मशीनों या छोटे आकार के कंटेनरों में बदलना या भरना,

(3) उपरोक्त ऑपरेशन पर प्रदान किए गए निकास ड्राफ्ट की विफलता की स्थिति में, उक्त संचालन को तुरंत रोक दिया जाएगा।

13. *धोने के लिए अनुमत समय.*—(1) प्रत्येक भोजन से पहले और दिन के कार्य के अंत से पहले, नियमित आराम अंतराल के अलावा कम से कम दस मिनट खतरनाक कीटनाशक के हेरफेर में लगे प्रत्येक कर्मकार को धोने की अनुमति दी जाएगी।

(2) खतरनाक कीटनाशकों के हेरफेर में लगे प्रत्येक कर्मचारी को किसी भी भोजन का सेवन करने से पहले और दिन के काम के अंत में भी पूरी तरह से धोना होगा।

14. *धोने और नहाने की सुविधाएँ.* (1) कारखाने में कार्यरत सभी श्रमिकों के उपयोग के लिए स्वच्छ अवस्था में और अच्छे रखरखाव में प्रदान किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा, जहां उक्त विनिर्माण प्रक्रियाएं पर्याप्त धुलाई और स्नान स्थलों पर की जाती हैं, जिसमें प्रत्येक 5 व्यक्तियों के लिए एक ऐसे स्थान की दर से कवर के तहत पानी की निरंतर आपूर्ति होती है।

(2) धोने की जगहों पर स्टैंडपाइप कम से कम एक मीटर के अंतराल पर नहीं लगाए जाएंगे।

(3) धुलाई स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम बाथरूम के साथ प्रदान नहीं किया जाएगा।

(4) उपयुक्त सामग्री से बने स्वच्छ तौलिये की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जाएगी:

परन्तु ऐसे तौलिए प्रत्येक श्रमिक के लिए व्यक्तिगत रूप से आपूर्ति की जाएंगी, यदि निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है।

(5) साबुन और नेल ब्रश की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जाएगी।

15. *क्लोक-रूम-* उस कारखाने में कार्यरत सभी श्रमिकों के उपयोग के लिए *क्लोक-रूम* प्रदान और रखरखाव किया जाएगा जहां उक्त विनिर्माण प्रक्रियाएं की जाती हैं-

(ए) गीले होने पर कपड़े सुखाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था के साथ काम के घंटों के दौरान कपड़ों के लिए एक क्लोक-रूम; तथा

(ख) पैराग्राफ 7 के अंतर्गत प्रदान किए गए सुरक्षात्मक कपड़ों के भंडारण के लिए अलग और उपयुक्त व्यवस्था।

16. *मेस-रूम-*(1) उस कारखाने जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है में कार्यरत सभी श्रमिकों के उपयोग के लिए विश्राम अंतराल के दौरान परिसर में उपस्थित श्रमिकों हेतु उपयुक्त मेस-रूम प्रदान किया जाएगा और रखरखाव किया जाएगा जिसमें -

(ए) बैक रेस्ट के साथ पर्याप्त टेबल और बेंच; तथा

(b) भोजन को गर्म करने के लिए पर्याप्त साधन।

(2) मेस-रूम को एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा और उसे साफ रखा जाएगा।

17. *हेरफेर नहीं किया जाना* - किसी कीटनाशक का निर्माण या हेरफेर किसी कारखाने में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता से इसकी खतरनाक प्रकृति या अन्यथा के संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाए

18. *चिकित्सा सुविधाएं और परीक्षाओं और परीक्षणों के अभिलेख* - (1) प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता जिस पर अनुसूची लागू होती है, -

(क) नियोजित कामगारों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी को नियुक्त करना, जहां श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक है; तथा

(ख) उक्त चिकित्सक को खंड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।

(2) उक्त चिकित्सक द्वारा की गई चिकित्सा परीक्षाओं और उपयुक्त परीक्षणों का रिकॉर्ड एक स्वास्थ्य रजिस्टर फॉर्म-7 में रखा जाएगा जो निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

(3) उन बाड़ों में आग की लपट, गर्मी या हाथ या बिजली के उपकरणों के उपयोग से जुड़ी कोई मरम्मत नहीं की जाएगी जहां बल्क सल्फर संग्रहीत किया जाता है।

19. *तरल सल्फर-* खुली लपटों, बिजली की चिंगारी और धूम्रपान और माचिस सहित प्रज्वलन के अन्य स्रोतों को पिघले हुए सल्फर के आसपास से बाहर रखा जाएगा:

20. *प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण.- (*1) सभी विद्युत भट्टियां और सभी संयंत्र जिनमें कार्बन डाइसल्फाइड संघनित किया जाता है, परिष्कृत या संग्रहीत किया जाता है, हर समय पर्याप्त पर्यवेक्षण में होंगे, जब भट्टियां और संयंत्र चालू हैं।

(2) विद्युत भट्टियों और संयंत्रों के संचालन और रखरखाव के प्रभारी श्रमिकों को ठीक से योग्य और पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।

21. *धोने की सुविधा-* (1) अधिष्ठाता कम से कम एक नल या स्टैंड-पाइप के साथ शेड के नीचे सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक स्वच्छ स्थिति में और अच्छी मरम्मत में प्रदान करेगा और बनाए रखेगा, ऐसे प्रत्येक पांच व्यक्तियों के लिए स्वच्छ पानी की निरंतर आपूर्ति के साथ, नल या स्टैंड-पाइप को साबुन और साफ तौलिये की पर्याप्त आपूर्ति के साथ कम से कम 120 सेंटीमीटर की दूरी पर नहीं रखा जाएगा,

परन्तु प्रत्येक श्रमिक को तौलिए की आपूर्ति व्यक्तिगत रूप से की जाएगी, यदि निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा ऐसा आदेश दिया गया हो।

(2) सल्फर भंडारण, हैंडलिंग और पिघलने के कार्यों में कार्यरत सभी श्रमिकों को नेल ब्रश प्रदान किया जाएगा।

22. *व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण.-* (1) ऑपरेटर के उपयोग के लिए उपयुक्त चश्मे और सुरक्षात्मक कपड़े प्रदान किए जाएंगे जिसमें जेब, दस्ताने और जूते के बिना चौग़ा शामिल है:

(ए) तरल पदार्थ आदि को नियंत्रित करने वाले वाल्व या कॉक का संचालन करते समय;

(ख) सल्फर के बर्तनों से पिघले हुए सल्फर का निकासना; तथा

(c) चारकोल या सल्फर को संभालना।

(2) आपात स्थिति में असामान्य परिस्थितियों के दौरान उपयोग के लिए उपयुक्त श्वसन सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे और उचित स्थान पर संग्रहीत किए जाएंगे।

(3) ऐसे सभी सुरक्षात्मक उपकरणों की उचित और कुशल सफाई की व्यवस्था की जाएगी।

23. *क्लोक-रूम-* प्रक्रियाओं में कार्यरत सभी श्रमिकों के उपयोग के लिए क्लोक-रूम प्रदान और रखरखाव किया जाएगा, काम के घंटों के दौरान रखे गए कपड़ों के लिए एक उपयुक्त क्लोक-रूम और काम करने वाले कपड़ों के चौग़ा के भंडारण के लिए क्लोक-रूम से अलग एक उपयुक्त स्थान प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान किए गए आवास को एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा और इसे साफ रखा जाएगा।

24. *अनधिकृत व्यक्ति* - केवल रखरखाव और मरम्मत कर्मियों, संयंत्र के संचालन से सीधे जुड़े व्यक्ति और अधिकृत व्यक्तियों के साथ आने वाले व्यक्तियों को ही संयंत्र में भर्ती किया जाएगा।

24. *फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की गई.-*(1) पैराग्राफ 1 में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक की जांच फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसके पहले रोजगार के 15 दिनों के भीतर की जाएगी। हैलोजेनेटेड कीटनाशकों के संबंध में इस तरह की परीक्षाओं में रक्त में और वसा के ऊतकों में रसायन के निर्धारण के लिए परीक्षण, ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिकों के संबंध में ईईजी असामान्यताएं और स्मृति परीक्षण शामिल होंगे, ऐसी परीक्षाओं में प्लाज्मा और लाल रक्त कोशिकाओं में कोलिनेस्टरेज़ के अवसाद के लिए परीक्षण शामिल होंगे। किसी भी श्रमिक को कारखाने में अपने पहले रोजगार के 15 दिनों के बाद काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तरह के रोजगार के लिए फिट प्रमाणित न किया गया हो।

(2) उक्त प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार की प्रत्येक छह कैलेंडर माह में कम से कम एक बार फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुन: जांच की जाएगी और ऐसी परीक्षा, जहां भी फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी, उप-पैराग्राफ (1) के अधीन की गई प्रत्येक परीक्षा का रिकॉर्ड इसके अतिरिक्त, उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक की भी कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा हर तीन महीने में एक बार जांच की जाएगी।

(3) फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी किसी कर्मकार की जांच करने के बाद फॉर्म-8 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा। परीक्षा और पुन: परीक्षा का रिकॉर्ड प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाएगा और प्रमाण पत्र कारखाने के प्रबंधक के पर्यवेक्षण में रखा जाएगा। उप-पैराग्राफ (1) और (2) के तहत की गई प्रत्येक परीक्षा का रिकॉर्ड, जिसमें इन परीक्षणों की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-7 में एक स्वास्थ्य रजिस्टर में भी दर्ज किया जाएगा।

(4) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

(5) यदि किसी भी समय फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी की राय है कि कोई श्रमिक अब उक्त प्रक्रिया में रोजगार के लिए उपयुक्त नहीं है, इस आधार पर कि उसे जारी रखने से श्रमिक के स्वास्थ्य के लिए विशेष खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का रिकॉर्ड बनाएगा। उन

दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टि में वह अवधि भी शामिल होनी चाहिए जिसके लिए वह मानता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में काम करने के लिए अयोग्य है।

(6) कोई भी व्यक्ति जो उप-पैराग्राफ (5) में कहा गया है कि काम करने के लिए अयोग्य पाया गया है, उसे उक्त प्रक्रिया में काम करने के लिए पुन: नियोजित या अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि चिकित्सा अधिकारी आगे की जांच के बाद फिर से उसे उन प्रक्रियाओं में रोजगार के लिए योग्य प्रमाणित नहीं करता है।

25. *छूट--यदि* किसी कारखाने के संबंध में, मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता संतुष्ट है कि असाधारण परिस्थितियों या उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की आवृत्ति के कारण या किसी अन्य कारण से जिसे वह लिखित रूप में दर्ज करेगा, इस अनुसूची के सभी या किसी भी प्रावधान कारखाने में कार्यरत कर्मकार की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं, वह लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र द्वारा, ऐसी शर्त पर सभी या किसी भी प्रावधान से ऐसे कारखाने को छूट दे सकता है, जैसा कि वह उसमें निर्दिष्ट कर सकता है, ऐसे प्रमाण पत्र को किसी भी समय मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा उसके कारणों को दर्ज करने के बाद रद्द किया जा सकता है।

परिशिष्ट A

चेतावनी सूचना

कीटाणुनाशक और कीटनाशक

1. रासायनिक पदार्थों युक्त इन ईकाईयों में जहरीले पदार्थ होते हैं।

2. इस क्षेत्र में धूम्रपान, खाना या पीना, तंबाकू चबाना प्रतिबंधित है। इस क्षेत्र में कोई भी खाद्य सामग्री या पेय नहीं लाया जाएगा।

3. उनमें से कुछ रसायनों को त्वचा के माध्यम से अवशोषित किया जा सकता है और विषाक्तता का कारण बन सकता है।

4 भोजन से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए।

5. शिफ्ट के अंत में एक अच्छा स्नान किया जाएगा।

6. इस क्षेत्र में काम करते समय सुरक्षात्मक कपड़े और उपकरण का उपयोग किया जाएगा।

7. खाद्य पदार्थों को रखने के लिए कीटनाशकों के कंटेनरों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

8. शरीर के किसी भी हिस्से पर या फर्श या कार्यक्षेत्र पर रसायनों के रिसाव को तुरंत पानी से धो दिया जाना चाहिए।

9. छींटे के कारण दूषित कपड़ों को तुरंत हटा दिया जाएगा

10. क्षेत्र में साफ-सफाई का ध्यान रखा जाए।

11. नंगे हाथों से कीटनाशकों को न संभालें, हैंडल के साथ दिए गए स्कूप का उपयोग करें।

12. मतली, उल्टी, चक्कर आने जैसी बीमारी के मामले में, प्रबंधक को सूचित किया जाना चाहिए जो कि उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।

13. सभी श्रमिक अपने स्वयं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नियमित रूप से निर्धारित चिकित्सा परीक्षणों के लिए रिपोर्ट करेंगे।

अनुसूची-XXV

कार्बन डाइसल्फाइड संयंत्रों में विनिर्माण प्रक्रिया या संचालन:

1. *आवेदन-* यह अनुसूची उन सभी विद्युत भट्टियों पर लागू होगी जिनमें कार्बन डाइसल्फाइड उत्पन्न होता है और अन्य सभी संयंत्र जहां कार्बन डाइसल्फाइड उत्पन्न होने के बाद संघनित, परिष्कृत और संग्रहीत होता है। यह अनुसूची संहिता और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के अतिरिक्त है और न ही उसका अवमानना करती है।

2. *निर्माण, स्थापना और संचालन-* (1) जिन भवनों में विद्युत भट्टियां क्षेत्र स्थापित हैं और कार्बन डाइसल्फाइड उत्पन्न होने के बाद संघनित और परिष्कृत किया जाता है, उन्हें कारखाने के अन्य भागों से अलग किया जाएगा और इष्टतम वेंटिलेशन सुनिश्चित करने के लिए खुले प्रकार का होना चाहिए और संयंत्र का लेआउट ऐसा होगा कि किसी भी समय किसी भी आग या विस्फोट के जोखिम के संपर्क में केवल न्यूनतम संख्या में श्रमिक ही हों।

(2) प्रत्येक विद्युत भट्टी और प्रत्येक संयंत्र जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड संघनित होता है, परिष्कृत होता है और उनके सभी फिटिंग और अनुपराधिक के साथ संग्रहीत किया जाता है, अच्छे निर्माण, ध्वनि सामग्री और आंतरिक दबाव को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ताकत का होना चाहिए, जिसके अधीन भट्ठी या संयंत्र हो सकता है, और इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि कार्बन डाइसल्फाइड तरल और गैस अपने सामान्य कामकाज के दौरान बंद प्रणाली में हों।

(3) इलेक्ट्रिक फर्नेस सपोर्ट को कंक्रीट या अन्य प्रभावी तरीकों से लगभग 60 सेंटीमीटर मजबूती से ग्राउट किया जाएगा।

(4) प्रत्येक विद्युत भट्टी को निर्माताओं के निर्देशों के अनुसार स्थापित और संचालित किया जाएगा और ये निर्देश निर्माण और संचालन के प्रभारी कर्मियों को स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाएंगे।

(5) सही भट्टी तापमान, सल्फर खुराक, स्वीकार्य वर्तमान, या बिजली की खपत के पालन और चारकोल स्तर की आवधिक जांच के संबंध में निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

3. *इलेक्ट्रोड-*(1) जहां इलेक्ट्रिक भट्टी में स्टील से बने ऊपरी रिंग इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, वे सीमलेस ट्यूब निर्माण के होंगे और इलेक्ट्रोड में निर्मित साइफन के माध्यम से या सकारात्मक दबाव वाले पानी पंप के माध्यम से शीतलन जल प्रणाली से जुड़े होने की व्यवस्था होगी।

(2) उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट ठंडा पानी की व्यवस्था स्वचालित अलार्म सिस्टम से जुड़ी होगी जो इलेक्ट्रोड में ठंडा पानी में रुकावट की स्थिति में सक्रिय होगी और नियंत्रण कक्ष में दृश्यमान और श्रव्य अलार्म सिग्नल देगी और साथ ही भट्ठी के संचालन के लिए बिजली की आपूर्ति बंद कर देगी और भविष्य में पानी की आपूर्ति को रोक देगी। अलार्म सिस्टम और एक्चुएटिंग डिवाइस की हर दिन जांच की जाएगी।

4. *चारकोल स्तर का रखरखाव-* जब कोई इलेक्ट्रिक भट्टी चालू होती है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इलेक्ट्रोड को चारकोल बेड से ढक कर रखा जाए।

5. *टूटना डिस्क और सुरक्षा सील-* कम से कम कंडेनसर और पाइपिंग में चारकोल के टुकड़ों के प्रवेश को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फर्नेस और सल्फर सेपरेटर के बीच ऑफ टेक पाइप पर दो रप्चर डिस्क लगाई जाएं।

6. *टूटना डिस्क और सुरक्षा सील-*(1) पर्याप्त आकार के कम से कम दो टूटना डिस्क जो अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव से दोगुने दबाव पर उड़ जाएंगी, प्रत्येक भट्टी पर प्रदान की जाएंगी और या तो सीधे भट्ठी के शीर्ष पर या प्रत्येक को भट्ठी के जितना संभव हो उतना करीब एक स्वतंत्र पाइप के माध्यम से लगाया जाएगा।

(2) चारकोल विभाजक और सल्फर विभाजक के बीच एक बिंदु से सुरक्षा जल प्रदान और टैप किया जाएगा।

7. *पाइरोमीटर और मैनोमीटर-*(1)। प्रत्येक विद्युत भट्टी को पर्याप्त संख्या में पाइरोमीटर के साथ फिट किया जाएगा ताकि भट्ठी में विभिन्न बिंदुओं पर तापमान का सही ढंग से व्यावहारिक संकेत दिया जा सके। तापमान पढ़ने के लिए डायल नियंत्रण कक्ष में स्थित होंगे।

(2) दबाव को इंगित करने के लिए मैनोमीटर या कोई अन्य उपयुक्त उपकरण प्रदान किए जाएंगे-

(ए) सल्फर विभाजक से पहले और बाद में ऑफ टेक पाइप में; तथा

(बी) प्राथमिक और माध्यमिक कंडेनसर में।

8. *चेक वाल्व-* कार्बन डाइसल्फाइड ले जाने वाली सभी पाइपिंग को उपयुक्त स्थानों पर चेक वाल्व के साथ फिट किया जाएगा ताकि गैस को बंद होने की स्थिति में किसी भी विद्युत भट्टी में वापस बहने से रोका जा सके।

9.विद्युत *भट्टियों का निरीक्षण और रखरखाव-*

(1) प्रत्येक विद्युत भट्टी का निरीक्षण एक सक्षम व्यक्ति द्वारा आंतरिक रूप से किया जाएगा-

(ए) स्थापना के बाद सेवा में रखे जाने से पहले;

(बी) पुनर्निर्माण या मरम्मत के बाद सेवा में रखे जाने से पहले; तथा

(सी) समय-समय पर हर बार भट्टी को सफाई या डी-एशिंग या इलेक्ट्रोड बदलने के लिए खोला जाता है।

(2) जब सफाई या डी-ऐशिंग के लिए एक इलेक्ट्रिक भट्टी बंद हो जाती है-

(ए) ईंट के स्तर की निरंतरता के लिए जांच की जाएगी और दोषपूर्ण पाए जाने वाले किसी भी हिस्से को हटा दिया जाएगा;

(बी) (ए) में निर्दिष्ट स्तर के किसी भी हिस्से को हटाने के बाद, शेल की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया जाना चाहिए; तथा

(ग) गोले बनाने वाली किसी भी प्लेट को इस हद तक खराब पाया जाएगा कि फर्नेस की सुरक्षा खतरे में है, उसे बदल दिया जाएगा।

10. *अभिलेखों का रखरखाव-निम्नलिखित* प्रति घंटा रिकॉर्ड एक लॉग बुक में रखे जाएंगे-

(ए) पैराग्राफ 7 के उप-पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट बिंदुओं पर मैनोमीटर रीडिंग;

(बी) सल्फर विभाजक और प्राथमिक और द्वितीयक कंडेनसर के पास पाइरोमीटर और अन्य सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं द्वारा इंगित गैस तापमान;

(ग) इलेक्ट्रोड में साइफन के माध्यम से पानी का तापमान और प्रवाह; तथा

(d) प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज और वर्तमान ऊर्जा की खपत।

11. *विद्युत उपकरण, वायरिंग और फिटिंग- सभी* इमारतें जिनमें कार्बन डाइसल्फाइड को परिष्कृत या संग्रहीत किया जाता है, उन्हें विद्युत उपकरण, वायरिंग और फिटिंग प्रदान की जाएगी जो आग और विस्फोट से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगी।

12. *धूम्रपान से संबंधित निषेध-* कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा या माचिस, आग या नग्न प्रकाश या इमारतों में नग्न प्रकाश या चिंगारी पैदा करने के अन्य साधन नहीं ले जाएगा, जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड को परिष्कृत या संग्रहीत किया जाता है, और अधिकांश श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में एक नोटिस धूम्रपान और माचिस ले जाने पर रोक लगाने वाले संयंत्र में चिपकाया जाएगा, ऐसे कमरों में आग या नग्न प्रकाश या चिंगारी पैदा करने के अन्य साधन।

13. *भागने के साधन* - आपात स्थिति में व्यक्तियों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सक्षम बनाने के लिए भागने के पर्याप्त साधन प्रदान किए जाएंगे और बनाए रखा जाएगा। प्रत्येक भवन में पर्याप्त चौड़ाई की कम से कम दो स्वतंत्र सीढ़ियाँ प्रदान की जाएंगी, जिसमें विपरीत छोर पर उचित अंतराल की भट्टियां होंगी। इन्हें हमेशा सभी बाधाओं से साफ रखा जाना चाहिए और इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वे आसान मार्ग का खर्च उठा सकें।

14. *आग लगने की स्थिति में चेतावनी-* आग या विस्फोट की स्थिति में चेतावनी देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी जो बिजली पर और बिजली की विफलता के मामले में कुछ यांत्रिक साधनों से संचालित होगी।

15. *अग्निशमन उपकरण*-(1) पर्याप्त संख्या में उपयुक्त अग्निशामक यंत्र या अन्य अग्निशमन उपकरण शामिल जोखिमों से निपटने के लिए और संग्रहीत सामग्री की मात्रा और प्रकृति के आधार पर निरंतर तैयार रखे जाएंगे।

(2) स्पष्ट निर्देश कि अग्निशामक या अन्य उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, जिस भाषा में नियोजित अधिकांश श्रमिक समझते हैं, प्रत्येक अग्निशामक या अन्य उपकरण और उनके उपयोग में प्रशिक्षित कर्मियों को चिपका दिया जाएगा।

16. *बल्क सल्फर*- (1) बल्क सल्फर के भंडारण के लिए खुले या अर्ध-संलग्न स्थानों को उन खतरों को ध्यान में रखते हुए रखा जाएगा जो निकट इंजनों आदि द्वारा दी गई चिंगारी से उत्पन्न हो सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि लौ, धूम्रपान और माचिस और प्रज्वलन के अन्य स्रोत बल्क सल्फर के संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के बादलों के संपर्क में न आएं।

(2) बल्क सल्फर के लिए सभी बाड़े गैर-दहनशील निर्माण के होंगे, पर्याप्त रूप से हवादार होंगे और इस तरह से डिज़ाइन किए गए होंगे कि कम से कम लॉज प्रदान किए जा सकें जिन पर धूल जमा हो सकती है।

(3) बाड़ों में बल्क सल्फर को इस तरह से संभाला जाएगा कि धूल के बादलों का निर्माण कम हो और हैंडलिंग के दौरान कोई लौ धूम्रपान और माचिस या प्रज्वलन के अन्य स्रोतों का उपयोग नहीं किया जाएगा, और जब भी सल्फर को फावड़ा दिया जाता है या अन्यथा हाथ से हटा दिया जाता है तो नॉन-स्पीकिंग औजार का उपयोग किया जाएगा।

(4) उन बाड़ों में आग की लपट, गर्मी या हाथ या बिजली के उपकरणों के उपयोग से जुड़ी कोई मरम्मत नहीं की जाएगी जहां थोक सल्फर संग्रहीत किया जाता है।

17. तरल सल्फर- ओपन फियाम, बिजली की चिंगारी और प्रज्वलन के अन्य स्रोत धूम्रपान और माचिस सहित, पिघले हुए सल्फर के आसपास के क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा।

18. *प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण-* (1) सभी विद्युत भट्टियां और सभी संयंत्र जिनमें कार्बन डाइसल्फाइड संघनित, परिष्कृत या संग्रहीत किया जाता है, हर समय पर्याप्त पर्यवेक्षण में होंगे, जबकि भट्टियां और संयंत्र चालू हैं।

(2) विद्युत भट्टियों और संयंत्रों के संचालन और रखरखाव के प्रभारी श्रमिकों को ठीक से योग्य और पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।

19. *धुलाई की सुविधाएं-* (1) अधिष्ठाता कम से कम एक नल या स्टैंड-पाइप के साथ कवर के तहत काम करने वाले सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए, प्रत्येक पांच ऐसे व्यक्तियों के लिए स्वच्छ पानी की निरंतर आपूर्ति के लिए, नल या स्टैंड-पाइप को साबुन और साफ तौलिए की पर्याप्त आपूर्ति के साथ कम से कम 120 सेंटीमीटर की दूरी पर नहीं होना चाहिए,

परन्तु प्रत्येक श्रमिक को तौलिए की आपूर्ति व्यक्तिगत रूप से की जाएगी, यदि निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है।

(2) सल्फर भंडारण, हैंडलिंग और पिघलने के कार्यों में कार्यरत सभी श्रमिकों को नेल ब्रश प्रदान किया जाएगा।

20. *व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण-* (1) ऑपरेटर के उपयोग के लिए उपयुक्त चश्मे और सुरक्षात्मक कपड़े जिसमें जेब, दस्ताने और जूते के बिना चौग़ा शामिल होगा:

(ए) तरल पदार्थ आदि को नियंत्रित करने वाले वाल्व या कॉक का संचालन करते समय;

(ख) सल्फर के बर्तनों से पिघले हुए सल्फर का निकासना; तथा

(c) चारकोल या सल्फर को संभालना।

(2) आपात स्थिति में असामान्य परिस्थितियों के दौरान उपयोग के लिए उपयुक्त श्वसन सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे और उचित स्थान पर संग्रहीत किए जाएंगे।

(3) ऐसे सभी सुरक्षात्मक उपकरणों की उचित और कुशल सफाई की व्यवस्था की जाएगी।

21. *क्लोक-रूम-प्रक्रियाओं* में कार्यरत सभी श्रमिकों के उपयोग के लिए क्लॉक रूम प्रदान और रखरखाव किया जाएगा, काम के घंटों के दौरान रखे गए कपड़ों के लिए एक उपयुक्त लबादा कमरा और काम करने वाले कपड़ों के चौग़ा के भंडारण के लिए क्लोक-रूम से अलग एक उपयुक्त स्थान प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान किए गए आवास को एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा और इसे साफ रखा जाएगा।

22. *अनधिकृत व्यक्ति-*केवल रखरखाव और मरम्मत कर्मियों, संयंत्र के संचालन से सीधे जुड़े व्यक्ति और अधिकृत व्यक्तियों के साथ आने वाले लोगों को ही संयंत्र में भर्ती कराया जाएगा।

अनुसूची-XXVI

उच्च शोर स्तर वाले संचालन

1. *आवेदन*-यह अनुसूची किसी भी विनिर्माण प्रक्रियाओं में सभी परिचालनों पर लागू होगी जिनमें उच्च शोर स्तर है।

2. *परिभाषाएँ-इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए-*

(ए) "ए-वेटिंग" का अर्थ है शोर माप के उद्देश्य से विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनि की तीव्रता में श्रेणीबद्ध समायोजन करना, ताकि किसी उपकरण द्वारा मापा गया ध्वनि दबाव स्तर मापी गई ध्वनि के प्रति मानव कान की वास्तविक प्रतिक्रिया को दर्शाता है;

(बी) "डीबीए" डेसिबल में ध्वनि स्तर को संदर्भित करता है जैसा कि धीमी मीटर प्रतिक्रिया के साथ ए-वेटिंग नेटवर्क पर काम करने वाले ध्वनि स्तर मीटर पर मापा जाता है;

(ग) "डेसिबल" का अर्थ है "बेल" का दसवां हिस्सा जो दो निर्दिष्ट या निहित मात्राओं के अनुपात को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लघुगणक पैमाने का मौलिक विभाजन है, इस तरह के अनुपात को दर्शाने वाले "बेल्स" की संख्या इस अनुपात के 10 के आधार पर लघुगणक है। शोर का स्तर (या ध्वनि दबाव स्तर) 6 x 10-6 N/m2 या 0.0002 डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर के संदर्भ दबाव से मेल खाता है जो सुनने की सीमा है, यानी औसत स्वस्थ श्रोताओं में सुनने की अनुभूति पैदा करने के लिए आवश्यक सबसे कम ध्वनि दबाव स्तर। संक्षिप्त रूप में डेसिबल डीबी है;

(घ) "प्रथम रोजगार" का अर्थ उन क्षेत्रों में पहला रोजगार होगा जहां शोर पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट अधिकतम अनुमेय जोखिम स्तरों से अधिक है और इसमें तीन कैलेंडर महीनों से अधिक की निरंतर अवधि के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद उक्त क्षेत्रों में पुन: रोजगार भी शामिल होगा;

(ई) "आवृत्ति" प्रति सेकंड या हर्ट्ज़ चक्रों में व्यक्त दबाव भिन्नता की दर है;

(च) "उच्च शोर स्तर" का अर्थ है ए-भारित पैमाने पर मापा गया कोई भी शोर स्तर 90 डीबी या उससे अधिक है; तथा

(छ) 'शोर' का अर्थ है कोई भी अवांछित ध्वनि।

3. *शोर से सुरक्षा-* (1) प्रत्येक कारखाने में, उपयुक्त इंजीनियरिंग नियंत्रण प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे, जहां तक यथोचित रूप से व्यावहारिक है, कि कोई भी कर्मचारी तालिका 1 और 2 में निर्दिष्ट अधिकतम अनुमेय शोर जोखिम स्तरों से अधिक ध्वनि स्तर के संपर्क में न आए।

तालिका 1

निरंतर शोर के मामलों में अनुमेय जोखिम

प्रति दिन एक्सपोजर का कुल समय (निरंतर या कई अल्पकालिक एक्सपोजर), घंटों में	डीबीए में ध्वनि दबाव का स्तर
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1-1/2	102
1	105
3/4	107
1/2	110
1/4	115

टिप्पणियाँ- (1) 115 डीबीआर से अधिक के किसी भी एक्सपोजर की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(2) किसी भी आंकड़े और अगले उच्च या निम्न आंकड़े के बीच गिरने वाले जोखिम की किसी भी अवधि के लिए, जैसा कि कॉलम 1 में दर्शाया गया है, अनुमेय ध्वनि दबाव स्तर को आनुपातिक आधार पर एक्सट्रपलेशन द्वारा निर्धारित किया जाना है।

तालिका 2

विस्फोटक या प्रभाव शोर के अनुमेय जोखिम स्तर

डीबी में चरम ध्वनि दबाव स्तर	प्रति दिन आवेगों या प्रभावों की अनुमत संख्या
140	100
135	315
130	1000
125	3160
120	10000

टिप्पणियाँ- (1) 140 डीबी से अधिक पीक ध्वनि दबाव स्तर में किसी भी एक्सपोजर की अनुमति नहीं है।

(2) किसी भी आंकड़े और अगले उच्च या निम्न आंकड़े के बीच गिरने वाले किसी भी चरम ध्वनि दबाव स्तर के लिए जैसा कि कॉलम 1 में दर्शाया गया है, प्रति दिन आवेगों या प्रभावों की अनुमत संख्या को आनुपातिक आधार पर एक्सट्रपलेशन द्वारा निर्धारित किया जाना है।

(3) इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, यदि शोर स्तर में भिन्नता में एक सेकंड या उससे कम के अंतराल पर अधिकतम शामिल है, तो शोर को एक सतत के रूप में माना जाना चाहिए और तालिका 1 में दिए गए मानदंड लागू होंगे। अन्य मामलों में, शोर को आवेगी या प्रभाव शोर के रूप में माना जाना चाहिए और तालिका 2 में दिए गए मानदंड लागू होंगे।

(4) जब दैनिक शोर जोखिम विभिन्न स्तरों पर शोर जोखिम की दो या दो से अधिक अवधियों से बना होता है, तो प्रत्येक के व्यक्तिगत प्रभाव के बजाय उनके संयुक्त प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए। मिश्रित एक्सपोजर को सीमा मान से अधिक माना जाना चाहिए यदि अंश अतिरिक्त एकता का योग- $\frac{C1+C2}{T1+T2}\frac{Cn}{Tn}$

जहां C1, C2, आदि एक निर्दिष्ट शोर स्तर पर कुल समय या वास्तविक जोखिम को इंगित करते हैं और T1, T2, आदि उस स्तर पर अनुमेय एक्सपोज़र के समय को दर्शाते हैं। उपरोक्त गणना में 90 डीबीए से कम के शोर को नजरअंदाज किया जा सकता है।

(5) जहां यथोचित व्यावहारिक इंजीनियरिंग नियंत्रण या प्रशासनिक उपाय द्वारा उप-नियम (1) में निर्दिष्ट स्तरों तक शोर के जोखिम को कम करना संभव नहीं है, ऐसे नियंत्रण उपायों द्वारा शोर जोखिम को यथासंभव अधिकतम सीमा तक कम किया जाएगा और इस तरह उजागर किए गए प्रत्येक कर्मकार को उपयुक्त कान रक्षक प्रदान किए जाएंगे ताकि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट स्तरों तक शोर के जोखिम को कम किया जा सके।

(6) जहां उप-पैराग्राफ (2) के अनुसार प्रदान किए गए और एक कर्मकार द्वारा पहने जाने वाले कान रक्षक अभी भी उसके कान के पास पहुंचने वाले शोर को कम नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मापा ध्वनि दबाव स्तर से संबंधित कान रक्षकों के डीबीए में क्षीणन मान को घटाकर निर्धारित किया जाता है, तालिका 1 या तालिका 2 के तहत अनुमेय स्तर तक, जैसा भी मामला हो, उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट अनुमेय शोर जोखिम के अनुरूप शोर जोखिम की अवधि को उपयुक्त रूप से कम किया जाएगा।

(7) (ए) उन सभी मामलों में जहां प्रचलित ध्वनि स्तर उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट अनुमेय स्तरों से अधिक है, एक प्रभावी श्रवण संरक्षण कार्यक्रम प्रशासित किया जाएगा जिसमें अन्य श्रवण संरक्षण उपायों के अलावा, अनुमेय स्तर से अधिक शोर के संपर्क में आने वाले श्रमिकों पर किए गए पूर्व-रोजगार और आवधिक श्रवण सर्वेक्षण शामिल होंगे, और ऐसे श्रमिकों का पुनर्वास या तो शोर के स्तर के जोखिम को कम करके या उन्हें उन स्थानों पर स्थानांतरित करके जहां शोर का स्तर अपेक्षाकृत कम या किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से होता है।

(ख) उन क्षेत्रों में नियोजित प्रत्येक कर्मकार जहां शोर उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुमेय एक्सपोजर स्तरों से अधिक है, उसे उसके पहले रोजगार के 14 दिनों के भीतर एक फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा श्रवण परीक्षा के अधीन किया जाएगा और उसके बाद, प्रत्येक 12 महीने में कम से कम एक बार पुन: जांच की

जाएगी। इस तरह की प्रारंभिक और आवधिक परीक्षाओं में ऐसे परीक्षण शामिल होंगे जिन्हें फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी उचित मान सकते हैं, और इसमें 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 और 8000 चक्र प्रति सेकंड के शुद्ध टन के लिए श्रवण सीमा का निर्धारण शामिल होगा।

अनुसूची-XXVII

विस्कोस प्रक्रियाओं द्वारा रेयान का निर्माण

1. परिभाषाएँ.-इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए-

(क) "अनुमोदित" का अर्थ है मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा लिखित रूप में तत्काली अनुमोदित;

(ख) "श्वास यंत्र" से तात्पर्य आवश्यक कनेक्शन के साथ एक हेलमेट या चेहरे का टुकड़ा है जिसके माध्यम से जहरीले, दम घुटने वाले या चिड़चिड़े वातावरण में इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति प्रदूषित हवा में सांस लेता है, या किसी अन्य अनुमोदित उपकरण;

(ग) "मंथन" से वह बर्तन अभिप्रेत है जिसमें क्षार सेल्यूलोज के गूदे को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ उपचारित किया जाता है;

(घ) "डंपिंग" का अर्थ है सूखे मंथन से सेल्यूलोज ज़ैंथेट का घुलने के लिए स्थानांतरण;

(ङ) "कुशल निकास ड्राफ्ट" से किसी भी गैस या वाष्प को हटाने के लिए यांत्रिक साधनों द्वारा स्थानीयकृत वेंटिलेशन अभिप्रेत है, ताकि इसे किसी भी स्थान की हवा में जाने से रोका जा सके जहां काम किया जाता है। किसी भी ड्राफ्ट को कुशल नहीं माना जाएगा यदि यह उस बिंदु पर उत्पन्न किसी भी गैस या वाष्प को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में विफल रहता है जहां ऐसी गैस या धुआं उत्पन्न होता है;

(च) "प्रथम रोजगार" का अर्थ धूआं प्रक्रिया में प्रथम रोजगार से होगा और तीन कैलेंडर महीनों से अधिक की निरंतर अवधि के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद उक्त प्रक्रिया में पुन: रोजगार भी शामिल होगा;

(छ) "धूआं प्रक्रिया" से कोई भी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्पादन, उपयोग या वितरण किया जाता है;

(ज) "लाइफ बेल्ट" का अर्थ है चमड़े या अन्य उपयुक्त सामग्री से बना एक बेल्ट जिसे शरीर के चारों ओर सुरक्षित रूप से बांधा जा सकता है और उस पर उपयुक्त लंबाई की रस्सी लगाई जा सकती है, जिनमें से प्रत्येक एक आदमी के वजन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है; तथा

(i) "सुरक्षात्मक उपकरण" का अर्थ है एप्रन, चश्मा, फेस शील्ड, जूते, दस्ताने और उपयुक्त सामग्री से बने चौग़ा।

2. वेंटिलेशन.- (1) सभी वर्करूम में जहां धूआं प्रक्रिया की जाती है, प्राकृतिक या यांत्रिक साधनों द्वारा पर्याप्त वेंटिलेशन प्रदान किया जाएगा ताकि अन्य नियंत्रण उपायों के साथ, प्रत्येक कार्य वातावरण की हवा में कार्बन-डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की सांद्रता को अनुमेय सीमा के भीतर नियंत्रित किया जा सके।

(2) उप-पैराग्राफ (1) में आवश्यकताओं के बावजूद, निम्नलिखित स्थानों पर हवा में कार्बन-डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की सांद्रता को नियंत्रित करने के लिए एक कुशल निकास ड्राफ्ट प्रदान और रखरखाव किया जाएगा-

(ए) सूखे मंथन के हॉपर डंपिंग;

(बी) कताई मशीनें;

(ग) स्टेपल फाइबर कताई में प्रयुक्त ट्रायो-रोलर्स और कटर;

(घ) यार्न केक के लिए हाइड्रो-एक्सट्रैक्टर्स;

(ई) उपचार प्रक्रियाओं के बाद; तथा

(च) स्पिन बाथ।

(3) जहां तक स्टेपल फाइबर कताई में उपयोग की जाने वाली कताई मशीन और ट्रायो-रोलर और कटर का संबंध है, वे उप-पैराग्राफ (1) में आवश्यकतानुसार प्रदान किए जाने वाले निकास ड्राफ्ट की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से होंगे, जो पूरी तरह से व्यावहारिक रूप से संलग्न होंगे और काम के माहौल में निकलने वाले कार्बन-डाई-सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की अनुचित मात्रा को जन्म दिए बिना आवश्यक संचालन करने में सक्षम बनाने के लिए अनुभागों में उपयुक्त शटर प्रदान किए जाएंगे।

(4) कार्बन-डाई-सल्फाइड के अवशिष्ट वाष्प को प्रारंभिक रूप से समाप्त किए बिना प्रतिक्रिया के पूरा होने के बाद कोई सूखा मंथन नहीं खोला जाएगा, जो वाष्प को समाप्त करने के लिए एक उपयुक्त और कुशल व्यवस्था के संचालन द्वारा जारी रखा जाएगा, जिसे तब तक संचालित किया जाएगा जब तक कि मंथन खुला रखा जाता है।

(5) जब भी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सामान्य रूप से आवश्यक कोई वेंटिलेशन उपकरण उप-पैराग्राफ (2), (3) और (4) अप्रभावी होता है, विफल रहता है या किसी भी उद्देश्य के लिए रोक दिया जाता है, तो जितनी जल्दी हो सके और किसी भी मामले में ऐसी घटना के 15 मिनट के बाद नहींसभी , व्यक्तियों को उन कार्य क्षेत्रों को छोड़ने की आवश्यकता होगी जहां उपर्युक्त उप-पैराग्राफ में निर्दिष्ट उपकरण या प्रक्रियाएं उपयोग में हैं।

(6)(i) उप-पैराग्राफ (2), (3) और (4) में अपेक्षित उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए सभी वेंटिलेशन सिस्टम की जांच और निरीक्षण हर हफ्ते एक बार एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी और 12 महीने की हर अवधि में एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षण किया जाएगा। इस तरह की परीक्षा या परीक्षण द्वारा पाए गए किसी भी दोष को तुरंत ठीक किया जाएगा।

(ii) ऐसी परीक्षा और परीक्षणों के विवरण, और प्रणालियों की स्थिति और आवश्यक पाए जाने वाले मरम्मत या परिवर्तन (यदि कोई हो) वाले रजिस्टर को रखा जाएगा और एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

3. *कताई मशीनों से अपशिष्ट* - कताई मशीनों से अपशिष्ट यार्न को क्लोज फिटिंग कवर के साथ प्रदान किए गए उपयुक्त कंटेनरों में जमा किया जाएगा। इस तरह के कचरे का निपटान परिशोधन के बाद जल्द से जल्द किया जाएगा।

4. *सूखे मंथन की परत.*- सभी सूखे मंथन की अंदर की सतह को एक गैर-चिपचिपा पेंट के साथ लेपित किया जाना चाहिए ताकि सेलूलोज़ ज़ैंथेट मंथन की सतह से चिपक न जाए। इस तरह की कोटिंग को अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाएगा।

5 *वायु निगरानी- (* 1) नियंत्रण उपायों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए, हवा में कार्बन-डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की निगरानी कम से कम प्रत्येक पाली में एक बार की जाएगी और इस प्रकार प्राप्त परिणामों का रिकॉर्ड इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(2) उप-पैराग्राफ (1) में आवश्यकता के प्रयोजन के लिए, तात्कालिक गैस डिटेक्टर ट्यूबों का उपयोग नहीं किया जाएगा। नमूने कम से कम 10 मिनट की अवधि में एकत्र किए जाएंगे और एक अनुमोदित विधि द्वारा विश्लेषण किया जाएगा। जिन स्थानों पर इस तरह की निगरानी की जानी है, वे निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता के निर्देशानुसार होंगे।

(3) यदि कार्बन-डाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड में से किसी एक की सांद्रता संहिता की धारा 88 में संलग्न अनुसूची सी में निर्धारित ऐसे वाष्प या गैस के लिए अनुमेय सीमा से अधिक है और ऐसी घटना की हवा में सांद्रता को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।

6. *धूआं प्रक्रिया कक्ष में रहने का निषेध* - कोई भी व्यक्ति भोजन के लिए अपने अंतराल के दौरान या आराम करने के लिए किसी भी कमरे में नहीं रहेगा जिसमें धुएं की प्रक्रिया की जाती है।

7. *युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध* - किसी भी युवा व्यक्ति को किसी भी धूआं प्रक्रिया में या किसी भी कमरे में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें ऐसी कोई प्रक्रिया की जाती है।

8. *सुरक्षात्मक उपकरण*- (1) अधिष्ठाता उसमें निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए तालिका में निर्दिष्ट सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करेगा और बनाए रखेगा।

सारणी

प्रक्रिया	सुरक्षात्मक उपकरण
1. डंपिंग	चौग़ा, फेस-शील्ड, दस्ताने और जूते- सभी उपयुक्त सामग्री से बने हो।
2. कताई	उपयुक्त एप्रन, दस्ताने और जूते।
3. विस्कोस समाधान के साथ संपर्क को शामिल करने या शामिल करने की संभावना वाली प्रक्रिया	उपयुक्त दस्ताने और जूते।
4. सल्फ्यूरिक एसिड का प्रबंधन	उपयुक्त रासायनिक चश्मा।
5. खतरनाक रसायनों के संपर्क से जुडी कोई अन्य प्रक्रिया	मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा लिखित रूप में एक आदेश द्वारा निर्देशित सुरक्षात्मक उपकरण।

(2) श्रमिकों को आपूर्ति किए गए सभी सुरक्षात्मक उपकरणों के भंडारण के लिए विशेष रूप से एक उपयुक्त कमरा, कमरे या लॉकर प्रदान किए जाएंगे और इस तरह प्रदान किए गए कमरे, कमरे या लॉकर के अलावा किसी अन्य स्थान पर ऐसा कोई उपकरण संग्रहीत नहीं किया जाएगा।

9. *श्वास उपकरण* - (1) प्रत्येक कारखाने में प्रदान किया जाएगा जहां धुएं की प्रक्रिया पर्याप्त आपूर्ति पर की जाती है-

(ए) श्वास उपकरण;

(ख) इसके डिलीवरी के लिए ऑक्सीजन और उपयुक्त उपकरण; तथा

(c) जीवन बेल्ट।

(2) (i) उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट श्वास उपकरण और अन्य उपकरणों को अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाएगा और उचित स्थानों पर रखा जाएगा ताकि आसानी से उपलब्ध हो सकें।

(ii) उप-पैराग्राफ (1) के खंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट श्वास उपकरण और अन्य उपकरणों को उपयुक्त अंतराल पर साफ और कीटाणुरहित किया जाएगा और एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हर महीने एक बार अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाएगा।

(iii) उप-खंड (1) में निर्दिष्ट श्वास उपकरण और अन्य उपकरणों के रखरखाव और स्थिति का एक रिकॉर्ड उस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा जो एक निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध होगा।

(3) पर्याप्त संख्या में श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और समय-समय पर श्वास तंत्र के उपयोग और कृत्रिम श्वसन के प्रशासन में रखा जाएगा ताकि प्रत्येक कमरे में काम के सभी घंटों के दौरान कम से कम 2 ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हों जिसमें धुआं प्रक्रिया की जाती है।

(4) श्वास उपकरण को साफ, सूखे, हल्के प्रूफ अलमारियाँ में ठीक से लेबल किया जाएगा और यदि धुएं के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो उन्हें उपयुक्त कंटेनरों में रखकर संरक्षित किया जाएगा।

(5) किसी भी व्यक्ति को उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, जिसके लिए उस उप-पैराग्राफ के तहत श्वास उपकरण प्रदान किया जाना आवश्यक है, जब तक कि उसे उस उपकरण के उचित उपयोग में पूरी तरह से निर्देश नहीं दिया गया हो।

(6) उप-पैराग्राफ (1) के अनुसरण में प्रदान किया गया कोई भी श्वास उपकरण जो किसी व्यक्ति द्वारा पहना गया है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं पहना जाएगा जब तक कि इसे पिछली बार पहने जाने के बाद से पूरी तरह से साफ और कीटाणुरहित नहीं किया गया हो और व्यक्ति को उस उपकरण के उचित उपयोग के बारे में पूरी तरह से निर्देश दिया गया हो।

10. *इलेक्ट्रिक फिटिंग.*-किसी भी कमरे में सभी इलेक्ट्रिक फिटिंग जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड का उत्पादन किया जाता है, उपयोग किया जाता है या बंद कर दिया जाता है या काम के माहौल में दिए जाने की संभावना होती है, कताई कक्ष के अलावा लौ-सबूत निर्माण के होंगे और सभी इलेक्ट्रिक कंडक्टर या तो धातु नाली में संलग्न होंगे या सीसा-शीथ होंगे।

11. *धूम्रपान आदि से संबंधित निषेध-* कोई भी व्यक्ति जिस कमरे में धुआं प्रक्रिया की जाती है, वहां धूम्रपान या माचिस, आग या नग्न प्रकाश या नग्न प्रकाश या चिंगारी पैदा करने के अन्य साधन नहीं ले जाएगा। अधिकांश श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में एक नोटिस संयंत्र में प्रमुख स्थानों पर पोस्ट किया जाएगा जो धूम्रपान करने और ऐसे कमरों में माचिस, आग या नग्न प्रकाश या चिंगारी पैदा करने के अन्य साधनों को ले जाने पर रोक लगाता है:

परन्तु ऐसे कमरे में आग, नग्न प्रकाश या नग्न प्रकाश या चिंगारी पैदा करने के अन्य साधन केवल तभी किए जा सकते हैं जब किसी जिम्मेदार व्यक्ति के निर्देशन में प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो।

12. *धोने और नहाने की सुविधाएं*-(1) अनुसूची द्वारा कवर की गई प्रक्रियाओं में नियोजित सभी श्रमिकों के उपयोग के लिए एक स्वच्छ अवस्था में और अच्छी मरम्मत में धोने और नहाने की सुविधा उपलब्ध कराया और बनाए रखा जाएगा, पर्याप्त धुलाई और स्नान के स्थान जहां प्रत्येक 25 व्यक्तियों के लिए एक ऐसे स्थान की दर से कवर के तहत पानी की निरंतर आपूर्ति होगी।

(2) धोने की जगहों पर एक मीटर से कम के अंतराल पर स्टैंडपाइप लगाए जाएंगे।

(3) कुल धुलाई स्थानों के कम से कम आधे धुलाई स्थान बिना बाथरूम के नहीं उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) उपयुक्त सामग्री से बने स्वच्छ तौलिये की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जाएगी

परन्तु ऐसे तौलिए प्रत्येक श्रमिक के लिए व्यक्तिगत रूप से आपूर्ति की जाएंगी, यदि निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है।

(5) साबुन और नेल ब्रश की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जाएगी।

13. *विश्राम कक्ष*-(1) फिलामेंट यार्न कताई प्रक्रिया के डॉफिंग प्रचालनों में लगे श्रमिकों के लिए एक विश्राम कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) इस तरह के विश्राम कक्ष में ताजी हवा की आपूर्ति और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

14. चेतावनी सूचना और निर्देश।

(1) निम्नलिखित चेतावनी नोटिस प्रत्येक धूआं प्रक्रिया कक्ष में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

चेतावनी सूचना

1. कार्बन-डाइसल्फाइड (सी; एस) और हाइड्रोजन सल्फाइड (एच; एस) जो इस कमरे में मौजूद हो सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं।

2. सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

3. आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षात्मक उपकरण और श्वास उपकरण का उपयोग करें।

4. इस क्षेत्र में धूम्रपान सख्त वर्जित है।

यह नोटिस अधिकांश श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होगा और प्रदर्शित किया जाएगा जहां इसे आसानी से पढ़ा जा सके। यदि कोई कर्मकार निरक्षर है, तो उसे इस प्रकार प्रदर्शित नोटिस की सामग्री को ध्यान से समझाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

(2) किसी भी कमरे में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक को निर्देश देने की व्यवस्था की जाएगी जिसमें उनके काम से जुड़े स्वास्थ्य खतरों और निवारक उपायों और खुद को बचाने के तरीकों के बारे में धुआं प्रक्रिया की जाती है। इस तरह के निर्देश उसके पहले रोजगार पर दिए जाएंगे और समय-समय पर दोहराए जाएंगे।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए सरल और विशेष अनुदेश तैयार किए जाएंगे कि कार्बन डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के बाहर निकलने से संबंधित आपात स्थिति में प्रभावी उपाय किए जाएंगे। इन निर्देशों को संबंधित क्षेत्रों में प्रदर्शित किया जाएगा और श्रमिकों को ऐसी आपात स्थितियों में की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में निर्देश और प्रशिक्षण दिया जाएगा।

15. *चिकित्सा सुविधाएं और परीक्षाओं और परीक्षणों के अभिलेख* - (1) प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता जिस पर यह अनुसूची लागू होती है, करेगा-

(क) धूआं प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी को नियुक्त करना, जिसका रोजगार मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के अनुमोदन के अधीन होगा; तथा

(ख) उक्त चिकित्सा अधिकारी को खंड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।

(2) उक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई चिकित्सा जांच और उपयुक्त परीक्षणों का रिकॉर्ड मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित एक अलग रजिस्टर में रखा जाएगा, जिसे निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

16. *कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा*- (1) धूआं प्रक्रिया में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक की उसके पहले रोजगार के 15 दिनों के भीतर एक कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। इस तरह की परीक्षाओं में एक्सपोजर गुणांक (मूत्र पर आयोडीन एज़ाइड परीक्षण), और कोलेस्ट्रॉल के साथ-साथ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी) और सेंट्रल नर्वस सिस्टम (सीएनएस) परीक्षण के अनुमान के लिए परीक्षण शामिल होंगे। किसी भी श्रमिक को कारखाने में अपने पहले रोजगार के 15 दिनों के बाद काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तरह के रोजगार के लिए फिट प्रमाणित न किया गया हो।

(2) धूआं प्रक्रिया में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक की प्रत्येक बारह कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुन: जांच की जाएगी। इस तरह की परीक्षा, जहां भी फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट सभी परीक्षणों को शामिल करेगी।

(3) फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी किसी कर्मकार की जांच करने के बाद, प्रपत्र-8 में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा। किए गए पुन: परीक्षाओं का रिकॉर्ड प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाएगा और प्रमाण पत्र को कारखाने के प्रबंधक की पर्यवेक्षण में रखा जाएगा। उप-पैराग्राफ (1) और (2) के तहत की गई मामलों के परीक्षा का रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षणों की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-7 में एक स्वास्थ्य रजिस्टर में भी दर्ज किया जाएगा।

(4) फिटनेस का प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

(5) यदि किसी भी समय फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी की राय है कि कोई श्रमिक अब धूआं प्रक्रिया में रोजगार के लिए उपयुक्त नहीं है, इस आधार पर कि उसे जारी रखने से कर्मकार के स्वास्थ्य के लिए विशेष खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का रिकॉर्ड बनाएगा। उन

दस्तावेजों में उनके निष्कर्षों की प्रविष्टि में वह अवधि भी शामिल होनी चाहिए जिसके लिए वह मानता है कि उक्त व्यक्ति धूआं प्रक्रिया में काम करने के लिए अयोग्य है।

(6) कोई भी व्यक्ति जो ऊपर उप-पैराग्राफ (5) में कहा गया है कि काम करने के लिए अयोग्य पाया गया है, उसे फिर से नियोजित किया जाएगा या धूआं प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि चिकित्सा अधिकारी, आगे की जांच के बाद फिर से उसे ऐसी प्रक्रिया में रोजगार के लिए उपयुक्त प्रमाणित नहीं करता है।

17. *छूट- यदि* किसी कारखाने के संबंध में, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता संतुष्ट है कि असाधारण परिस्थिति या प्रक्रियाओं की आवृत्ति के कारण या किसी अन्य कारण से, कारखाने में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए इस अनुसूची के सभी या कोई भी प्रावधान आवश्यक नहीं हैं, तो मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र, जिसे वह अपने विवेक से किसी भी समय रद्द कर सकता है, ऐसे कारखाने के सभी या ऐसे प्रावधानों यदि कोई हो, जैसा कि वह उसमें निर्दिष्ट कर सकता है, में से किसी को भी ऐसी शर्तों के अधीन जारी करते हुए छूट दे सकता है।

अनुसूची-XXVIII

अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ और ज्वलनशील संपीड़ित गैसें:

1. *आवेदन-* ये नियम उन सभी कारखानों पर लागू होंगे जहां अत्यधिक ज्वलनशील तरल या ज्वलनशील संपीड़ित गैसों का निर्माण, भंडारण, संचालन या उपयोग किया जाता है।

2. *परिभाषाएँ-इस* अनुसूची के प्रयोजनों के लिए-

(क) ज्वलनशील संपीड़ित गैस का अर्थ है विस्फोटक अधिनियम, 1984 के अंतर्गत बनाए गए स्थैतिक और मोबाइल दबाव वाहिकाओं (अनफायर्ड) और नियम, 1981 की धारा 2 में यथा परिभाषित ज्वलनशील संपीड़ित गैस; तथा

(ख) "अत्यधिक ज्वलनशील तरल" का अर्थ है कोई भी तरल जिसमें उसका घोल, पायस या निलंबन शामिल है, जिसका पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 14 और 15 द्वारा निर्दिष्ट तरीके से परीक्षण किया जाता है, तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ज्वलनशील वाष्प छोड़ता है।

3. भंडारण- (1) प्रत्येक कारखाने में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक ज्वलनशील तरल या ज्वलनशील संपीड़ित गैस को एक उपयुक्त निश्चित भंडारण टैंक में, या जमीन के नीचे, खुले में या पर्याप्त आग प्रतिरोधी निर्माण के स्टोर रूम में सुरक्षित स्थिति में स्थित एक उपयुक्त बंद बर्तन में संग्रहीत किया जाएगा।

(2) उपयोग, संचालन या रखरखाव के लिए आवश्यक होने के अलावा, प्रत्येक पोत या टैंक जिसमें अत्यधिक ज्वलनशील तरल या ज्वलनशील संपीड़ित गैस होती है, को हमेशा बंद रखा जाएगा और किसी भी रिसाव को रोकने या तुरंत एक उपयुक्त कंटेनर में निकालने के लिए सभी उचित व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे।

(3) अत्यधिक ज्वलनशील तरल या ज्वलनशील संपीड़ित गैस के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर, पोत, टैंक, सिलेंडर, या स्टोर रूम स्पष्ट रूप से और मोटे अक्षरों में "खतरे-अत्यधिक ज्वलनशील तरल" या "खतरे- ज्वलनशील संपीड़ित गैस" के रूप में चिह्नित होंगे।

4. *अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थों को संप्रेषित करने के लिए संलग्न प्रणाली-जहां* भी यह यथोचित रूप से व्यावहारिक हो, अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थों को एक कारखाने के भीतर पूरी तरह से संलग्न प्रणालियों में पहुंचाया जाएगा, जिसमें भंडारण टैंक या पोत से उपयोग के बिंदु तक पाइपलाइन, पंप और इसी तरह के उपकरण शामिल हैं। इस तरह की संलग्न प्रणालियों को इस तरह से डिजाइन, स्थापित, संचालित और रखरखाव किया जाएगा ताकि रिसाव या फैलने के जोखिम से बचा जा सके।

5. *हवा के साथ ज्वलनशील मिश्रण के गठन को रोकना-* जहां कहीं भी किसी उपकरण, पाइपलाइन, वाल्व, जोड़ या प्रणाली के अन्य भाग से अत्यधिक ज्वलनशील तरल या ज्वलनशील संपीड़ित गैस के रिसाव या रिसाव की संभावना है, हवा के साथ ज्वलनशील मिश्रण के गठन को रोकने के लिए इस तरह के रिसाव या रिसाव को रोकने, निकालने या पतला करने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय किए जाएंगे।

6.इग्निशन की रोकथाम-

(1) प्रत्येक कमरे, कार्यस्थल या अन्य स्थान पर जहां अत्यधिक ज्वलनशील तरल या ज्वलनशील संपीड़ित गैस का भंडारण, संप्रेषित, संभाल या उपयोग किया जाता है या जहां हवा में अत्यधिक ज्वलनशील तरल या ज्वलनशील संपीड़ित गैस के संचय से आग या विस्फोट का खतरा होता है, प्रज्वलन के स्रोतों को बाहर करने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय किए जाएंगे। इस तरह की सावधानियों में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(ए) सभी विद्युत उपकरणों को या तो जोखिम के क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा या वे इस तरह के निर्माण के होंगे और इस तरह स्थापित और बनाए रखा जाएगा ताकि उनके प्रज्वलन का स्रोत होने के खतरे को रोका जा सके;

(ख) खतरनाक सीमा तक स्थैतिक प्रभारों के संचय को रोकने के लिए प्रभावी उपाय अपनाए जाएंगे;

(ग) कोई भी व्यक्ति लोहे या स्टील की कीलों या किसी अन्य उजागर लौह सामग्री वाले किसी भी जूते को पहनने या पहनने की अनुमति नहीं देगा जिससे घर्षण से चिंगारी पैदा होने की संभावना हो;

(घ) धूम्रपान, प्रकाश या माचिस, लाइटर या धूम्रपान सामग्री ले जाना प्रतिबंधित होगा;

(ई) लोहे के फास्टनरों के साथ ट्रांसमिशन बेल्ट का उपयोग नहीं किया जाएगा; तथा

(च) अन्य सभी सावधानियां, जो यथोचित रूप से व्यावहारिक हैं, अन्य सभी संभावित स्त्रोतों से प्रज्वलन की शुरुआत को रोकने के लिए बरती जाएंगी जैसे कि खुली लपटें, सभी घर्षण चिंगारी, मशीनरी या संयंत्र की अधिक गर्म सतह, रासायनिक या भौतिक-रासायनिक प्रतिक्रिया और दीप्तिमान ऊष्मा।

7. *धूम्रपान का निषेध-* कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर धूम्रपान नहीं करेगा जहां अत्यधिक ज्वलनशील तरल या ज्वलनशील संपीड़ित गैस मौजूद है, ऐसी परिस्थितियों में जहां धूम्रपान से आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है। अधिष्ठाता इस आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय करेगा, जिसमें हर उस स्थान पर धूम्रपान पर प्रतिबंध का संकेत देने वाला एक बोल्ड नोटिस प्रदर्शित करना शामिल है, जहां यह आवश्यकता लागू होती है।

8. *अग्निशमन-* प्रत्येक कारखाने में जहां अत्यधिक ज्वलनशील तरल या ज्वलनशील संपीड़ित गैस का निर्माण, भंडारण, संचालन या उपयोग किया जाता है, आग से लड़ने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त साधन प्रदान किए जाएंगे। पर्याप्तता और उपयुक्तता। ऐसे साधनों में से जिनमें अभिव्यक्ति में निश्चित और पोर्टेबल आग बुझाने की प्रणाली, बुझाने की सामग्री, प्रक्रियाएं और अग्निशमन की प्रक्रिया शामिल हैं, लागू भारतीय मानकों द्वारा निर्धारित मानकों और स्तरों के लिए होंगे, और किसी भी मामले में धारा 18 (2) (एफ) के खंड 31 से कम नहीं होंगे और उसके तहत किए गए अशिष्ट होंगे।

9. *छूट-यदि* किसी कारखाने के संबंध में, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता इस बात से संतुष्ट है कि प्रक्रियाओं की आवृत्ति की असाधारण परिस्थितियों के कारण या किसी अन्य कारण से, कारखाने में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए इस अनुसूची के सभी या कोई भी प्रावधान आवश्यक नहीं हैं, तो मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र, जिसे वह अपने विवेक से किसी भी समय रद्द कर सकेगा, ऐसे कारखाने को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जारी करते हुए ऐसे सभी या ऐसे प्रावधानों में से किसी से छूट दे सकता है।

अनुसूची-XXIX

कालीन और ऊनी दवा बनाना या उससे जुड़ा कोई कार्य:

1.परिभाषा-

(ए) "कुशल निकास ड्राफ्ट" से गैस, वाष्प, धूल या धुएं को उस बिंदु पर हटाने के लिए यांत्रिक साधनों से प्रभावित स्थानीयकृत वेंटिलेशन से अभिप्रेत है जहां वे उत्पन्न होते हैं ताकि उन्हें किसी भी स्थान की हवा में जाने से रोका जा सके जहां काम किया जाता है। किसी भी ड्राफ्ट को कुशलता से नहीं माना जाएगा, जो उस बिंदु पर उत्पन्न धुएं को हटाने में विफल रहता है जहां ऐसी गैस, वाष्प, धुआं या धूल उत्पन्न होती है।

(ख) "प्रथम रोजगार" का अर्थ है पैराग्राफ 2 के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी प्रक्रिया में प्रथम रोजगार और यार्न रंगाई प्रक्रिया, और इसमें तीन कैलेंडर महीनों से अधिक की निरंतर अवधि के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद उक्त प्रक्रिया में पुन: रोजगार भी शामिल होगा।

2. निकास ड्राफ्ट-निम्नलिखित प्रक्रियाओं को एक कुशल निकास ड्राफ्ट के तहत या ऐसी अन्य शर्तों के तहत नहीं किया जाएगा जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित की जा सकती हैं:

(a) कच्चे रेशे की कार्डिंग और कताई

(b) बुनाई।

3. *महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध- किसी* भी गर्भवती महिला या युवा व्यक्ति को पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन या किसी भी स्थान जहां इस तरह के ऑपरेशन अथवा यार्न रंगाई प्रक्रिया की जाती हो, में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परन्तु महिला श्रमिकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन काम करने के लिए उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है: -

(1) व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिष्ठाता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) मानकों को अपनाया जाएगा ।

(2) जहां तक संभव हो, अधिष्ठाता समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेंगे।

(3) दूध पिलाने वाली महिला श्रमिकों को रोजगार से छूट दी जाएगी।

4. *वेंटिलेशन-प्रत्येक* वर्करूम को पर्याप्त आकार के इनलेट और आउटलेट प्रदान किए जाएंगे ताकि कमरे के सभी हिस्सों में कुशल वेंटिलेशन को सुरक्षित और बनाए रखा जा सके।

5. *सुरक्षात्मक उपकरण और कपड़े-*(i) कारखाने का अधिष्ठाता पैराग्राफ 2 के तहत शामिल प्रक्रियाओं में कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए धूल श्वासयंत्र प्रदान करेगा और बनाए रखेगा।

(ii) कारखाने का अधिष्ठाता रंगाई प्रक्रिया में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षात्मक कपड़े, दस्ताने प्रदान करेगा और उनका रखरखाव करेगा।

6. चिकित्सा सुविधाएं और परीक्षाओं और परीक्षणों के रिकॉर्ड - (1) प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता जिसमें कालीन और ऊनी दवा निर्माण प्रक्रिया की जाती है-

(क) उसमें कार्यरत कामगारों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी को नियुक्त करना, और

(ख) उक्त चिकित्सक को खंड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।

(2) उक्त फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई चिकित्सा परीक्षाओं और उपयुक्त परीक्षणों के रिकॉर्ड को एक अलग रजिस्टर में रखा जाएगा, जिसे निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

7. *फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा-*

(i) पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट किसी भी प्रक्रिया में और यार्न रंगाई प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक श्रमिक की जांच उसके पहले रोजगार के 15 दिनों के भीतर एक फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। इस तरह की परीक्षा में रक्त में मेथेमोग्लोबिन, या मूत्र में पैरा नाइट्रोफेनॉल का पता लगाने के लिए परीक्षण, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र समारोह के लिए परीक्षण, फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण और छाती का एक्स-रे शामिल होगा। किसी भी श्रमिक को कारखाने में अपने पहले रोजगार के 15 दिनों के बाद काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तरह के रोजगार के लिए फिट प्रमाणित न किया गया हो।

(ii) उक्त प्रक्रियाओं में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी की प्रत्येक 12 कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिर से जांच की जाएगी और इस तरह की पुन: परीक्षा, जहां भी फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, रक्त में मेथेमोग्लोबिन, या मूत्र में पैरा नाइट्रोफेनॉल का पता लगाने के लिए परीक्षण, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्य के लिए परीक्षण, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और छाती का एक्स-रे हर 3 साल में एक बार शामिल होगा।

(iii) फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी किसी कर्मकार की जांच करने के बाद फॉर्म-8 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा। परीक्षा और पुन: परीक्षा का रिकॉर्ड कारखाने के प्रबंधक के पर्यवेक्षण में रखा जाएगा। उप-पैराग्राफ (i) और (ii) के तहत की गई प्रत्येक परीक्षा के रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षणों की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-7 में एक स्वास्थ्य रजिस्टर में भी दर्ज किए जाएंगे।

(iv) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध होंगे।

अनुसूची-XXX

पीतल के बर्तन बनाना या उससे जुड़ा कोई कार्य:

1. *परिभाषाएँ*-

(क) "कुशल निकास ड्राफ्ट" का अर्थ है गैस, वाष्प, धूल या धुएं को उस बिंदु पर हटाने के लिए यांत्रिक साधनों से प्रभावित स्थानीयकृत वेंटिलेशन से जहां वे उत्पन्न हुए थे ताकि उन्हें किसी भी स्थान की हवा में भागने से रोका जा सके जहां काम किया जाता है। किसी भी निकास ड्राफ्ट को कुशल नहीं माना जाएगा, जो उस बिंदु पर उत्पन्न धुएं को हटाने में विफल रहता है जहां ऐसी गैस, वाष्प, धुआं या धूल उत्पन्न होती है।

(ख) "प्रथम रोजगार" का अर्थ है पैराग्राफ 2 के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी प्रक्रिया में प्रथम रोजगार और इसमें तीन कैलेंडर माह से अधिक की निरंतर अवधि के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद उक्त प्रक्रिया में पुन: रोजगार भी शामिल होगा।

(ग) "ड्रेसिंग या फेटलिंग ऑपरेशन" में कास्टिंग से चिपकने वाली रेत, कोर, रनर, राइजर, फ्लैश और अन्य अधिशेष धातु को अलग करना और हटाना और उचित रूप से साफ और चिकनी सतह का उत्पादन शामिल है, लेकिन इसमें (ए) कास्टिंग से धातु को हटाना शामिल नहीं है जब मशीनिंग या कास्टिंग के संयोजन के संबंध में संयोग से किया जाता है, जब वे तैयार या फिट होने के बाद कास्टिंग के संयोजन के संबंध में प्रदर्शन करते हैं, या (बी) कोई भी ऑपरेशन जो इस अनुसूची के अर्थ के भीतर एक नॉक-आउट ऑपरेशन है।

(घ) "नॉक-आउट ऑपरेशन" का अर्थ है सांचों से कास्टिंग को हटाने के सभी तरीके और निम्नलिखित ऑपरेशन, जब इसके संबंध में किए जाते हैं, अर्थात्, स्ट्रिपिंग, कोरिंग-आउट और रनर और राइजर को हटाना।

2. *निकास ड्राफ्ट*-(1) निम्नलिखित प्रक्रियाओं को एक कुशल निकास ड्राफ्ट के तहत या ऐसी अन्य शर्तों के तहत नहीं किया जाएगा जो मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित की जा सकती हैं-

(ए) कास्टिंग प्रक्रियाएं;

(बी) पीतल की वस्तुओं की बफिंग और पॉलिशिंग;

(ग) इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करके पीतल की वस्तु का इलेक्ट्रोप्लेटिंग;

(d) घटना और सफाई।

(2) इस तरह के सूखे यांत्रिक साधनों द्वारा प्रदान किए जाएंगे और प्रक्रिया में दिए गए धूल, वाष्प या स्प्रे पर काम करेंगे, जैसा कि मूल बिंदु पर हो सकता है। निकास ड्राफ्ट का निर्माण, व्यवस्था और रखरखाव इस तरह किया जाएगा कि धूल, वाष्प या स्प्रे को किसी भी कार्यकक्ष या स्थान में प्रवेश करने से रोका जा सके जिसमें काम किया जाता है।

3. *महिलाओं और युवा व्यक्ति से संबंधित निषेध* - किसी भी गर्भवती महिला या युवा व्यक्ति को पैराग्राफ 2 (सी) और 2 (डी) में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में या किसी भी स्थान पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं।

परन्तु महिला श्रमिकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन काम करने के लिए उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है: -

(1) व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिष्ठाता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) मानकों को अपनाया जाएगा।

(2) जहां तक संभव हो, अधिष्ठाता समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेंगे।

(3) दूध पिलाने वाली महिला श्रमिकों को रोजगार से छूट दी जाएगी।

4. *व्यवस्था और भंडारण*- कार्यकक्षों में सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा: -

(क) मोल्डिंग बक्से, दोमट प्लेट, करछुल पैटर्न, पैटर्न प्लेट, फ्रेम, बोर्ड, बॉक्स वेट और अन्य भारी वस्तुओं को इस प्रकार व्यवस्थित और रखा जाएगा कि अनावश्यक जोखिम के बिना काम को आगे बढ़ाया जा सके;

(बी) उपयुक्त और सुविधाजनक रूप से सुलभ रैक, डिब्बे या अन्य पात्र प्रदान किए जाएंगे और अन्य गियर और टोल के भंडारण के लिए उपयोग किए जाएंगे;

(ग) जहां रेत, ईंधन, धातु स्क्रैप या अन्य सामग्री या अवशेषों का थोक भंडारण है, ऐसे भंडारण के प्रयोजन के लिए उपयुक्त डिब्बे, बंकर या अन्य पात्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

5. *इनडोर कार्यस्थलों की सफाई*-(1) प्रत्येक इनडोर कार्यस्थल की दीवारों के सभी सुलभ हिस्सों में कास्टिंग प्रक्रियाएं की जाती हैं और उन दीवारों से चिपकी हुई हर चीज को चौदह महीने की हर अवधि में कम से कम एक बार फर्श से कम से कम 4.2 मीटर की ऊंचाई तक एक उपयुक्त विधि द्वारा प्रभावी ढंग से साफ किया जाएगा। इस पैराग्राफ के अनुसरण में इस तरह की हर प्रभावी सफाई करने का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसमें तारीख भी शामिल है।

(2) एक उपयुक्त विधि द्वारा प्रभावी सफाई हर कार्य दिवस में कम से कम एक बार की जाएगी, प्रत्येक इनडोर कार्यस्थल के फर्श के सभी सुलभ हिस्सों में, जिसमें प्रक्रियाएं की जाती हैं, रेत के हिस्सों के अलावा; और जो भाग रेत के हैं उन्हें अच्छी तरह से रखा जाएगा।

6. *पिघली हुई धातु से जुड़े मैनुअल ऑपरेशन*- (1)

पिघली हुई धातु से जुड़े हाथ के कामों में लगे सभी लोगों के लिए, जिन पर धातु के छींटे पड़ने का खतरा हो सकता है, उस काम के लिए एक कार्य किया रखरखाव से ठीक उसका और जाएगा कराया उपलब्ध स्थान--से जिसमें ,जाएगा

(क) कार्य के सुरक्षित निष्पादन के लिए कौन-सा पर्याप्त है; तथा

(ख) जिसे जहां तक यथोचित रूप से व्यावहारिक रूप से संभव हो, बाधा से मुक्त रखा गया है;

(2) पिघली हुई धातु को पकड़े हुए कंटेनर को हाथ से ले जाने से जुड़े कोई भी ऑपरेशन एक मंजिल पर किया जाएगा, जिसके सभी हिस्से, जहां कोई व्यक्ति ऑपरेशन में लगे हुए समय चलता है, समान स्तर पर होगा:

परन्तु जहां अनुचित जोखिम के बिना ऑपरेशन को करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो, ऑपरेशन में लगे किसी भी व्यक्ति के लिए फर्श से पहुंच के सुरक्षित साधन के साथ प्रदान की गई जगह होने के नाते इस पैराग्राफ में कुछ भी फर्श से एक अलग स्तर पर काम करने की जगह के सामयिक या असाधारण उपयोग को नहीं रोकेगा।

7. *धूल और धुआं-* (1) खुले कोयले, कोक या लकड़ी की आग का उपयोग कार्यकक्ष के अंदर करछुल को गर्म करने या सुखाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि व्यावहारिक रूप से, धुएं या अन्य अशुद्धियों को कार्यकक्ष के वातावरण में प्रवेश करने या शेष रहने से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए जाते हैं।

(2) सांचों को सुखाने के लिए किसी भी खुले कोयले, कोक या लकड़ी की आग का उपयोग उन परिस्थितियों को छोड़कर किया जाएगा जिनमें ऐसी आग का उपयोग अपरिहार्य है।

(3) मोल्ड स्टोव, कोर स्टोव और एनीलिंग भट्टियों को इस तरह से डिजाइन, निर्माण, रखरखाव और काम किया जाएगा ताकि जहां तक व्यावहारिक, आक्रामक या हानिकारक धुएं को किसी भी अवधि के दौरान किसी भी कार्यकक्ष में प्रवेश करने से रोका जा सके, जब कोई व्यक्ति उसमें कार्यरत है।

(4) सभी नॉक-आउट ऑपरेशन किए जाएंगे-

(ए) फाउंड्री के एक अलग हिस्से में उपयुक्त रूप से विभाजित किया गया है, एक कमरा या हिस्सा है जिसमें अब तक यथोचित रूप से व्यावहारिक, प्रभावी और उपयुक्त स्थानीय निकास वेंटिलेशन और सामान्य वेंटिलेशन का एक उच्च मानक प्रदान किया जाता है; या

(बी) फाउंड्री के एक क्षेत्र में, जहां तक यथोचित रूप से व्यावहारिक, प्रभावी और उपयुक्त स्थानीय निकास वेंटिलेशन प्रदान किया जाता है, या जहां इस आवश्यकता का अनुपालन यथोचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, सामान्य वेंटिलेशन का एक उच्च मानक प्रदान किया जाता है।

(5) सभी ड्रेसिंग या फेटलिंग ऑपरेशन किए जाएंगे-

(ए) एक अलग कमरे में या फाउंड्री के एक अलग हिस्से में उपयुक्त रूप से विभाजित किया गया है; या

(ख) इस प्रयोजन के लिए अलग रखी गई फाउंड्री के किसी क्षेत्र में; और, जहां तक यथोचित रूप से व्यावहारिक हो, धूल को दबाने के प्रभावी और उपयुक्त स्थानीय निकास वेंटिलेशन या अन्य समान रूप से प्रभावी साधनों के साथ किया जाएगा, जो धूल की उत्पत्ति के बिंदु के जितना संभव हो उतना करीब काम करता है।

8. *पिघली हुई धातु से निकाले गए या भट्टी से लिए गए मैल और स्किमिंग-ड्रोस और स्किमिंग का निपटान तुरंत एक उपयुक्त पात्र में रखा जाएगा।*

9. *फर्श या वर्करूम-*

(1) प्रत्येक कमरे का फर्श जिसमें पैराग्राफ 2(i)(c) और 2(i)(d) में निर्दिष्ट प्रक्रियाएं की जाती हैं, क्या होगी-

(ए) सीमेंट या इसी तरह की सामग्री ताकि पानी के लिए चिकना और अभेद्य हो;

(बी) ध्वनि स्थिति में बनाए रखा गया है; तथा

(ग) फर्श को प्रतिदिन साफ किया जाएगा।

(2) इनडोर कार्यस्थलों के फर्श जिनमें प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाता है, रेत के हिस्सों के अलावा, कठोर सामग्री की एक समान सतह होनी चाहिए।

(3) ऐसे किसी भी इनडोर कार्यस्थल के फर्श का कोई भी हिस्सा रेत का नहीं होगा, सिवाय इसके कि जहां यह किए गए कार्य के कारण आवश्यक हो।

(4) ऐसे किसी भी इनडोर कार्यस्थल के फर्श की सतह के सभी हिस्से रेत के हैं, जहां तक संभव हो, एक समान और दृढ़ स्थिति में बनाए रखा जाएगा।

10. *वेंटिलेशन-प्रत्येक* वर्करूम को पर्याप्त आकार के इनलेट और आउटलेट प्रदान किए जाएंगे, ताकि कमरे के सभी हिस्सों में कुशल वेंटिलेशन को सुरक्षित और बनाए रखा जा सके।

11. *सुरक्षात्मक कपड़े और सुरक्षात्मक उपकरण-* (1) कारखाने का अधिष्ठाता उन श्रमिकों के उपयोग के लिए निम्नलिखित सुरक्षात्मक कपड़े प्रदान करेगा और बनाए रखेगा जो तरल के संपर्क में आ सकते हैं, पैराग्राफ 2 (i) (सी) में निर्दिष्ट प्रक्रिया में नियोजित हैं-

(ए) वाटरप्रड एप्रन और बिब; तथा

(बी) ढीले रबर के दस्ताने और रबर के जूते या कोई अन्य वाटरप्रूफ जूते।

(2) कारखाने का अधिष्ठाता कारखाने में कार्यरत श्रमिकों के उपयोग के लिए सुरक्षात्मक कपड़ों को रखने और सुखाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था और स्थान प्रदान करेगा और बनाए रखेगा।

(3) कारखाने का अधिष्ठाता पैराग्राफ 2 (i) (ए) और 2 (i) (बी) में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में कार्यरत सभी श्रमिकों के लिए उपयुक्त श्वासयंत्र प्रदान करेगा और बनाए रखेगा।

12. *चिकित्सा सुविधाएं और परीक्षा और परीक्षणों के रिकॉर्ड* - (1) प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता जिसमें पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट प्रक्रियाएं की जाती हैं,

(क) कारखाने में कार्यरत कामगारों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी को नियुक्त करना, जहां श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक है; तथा

(ख) उक्त कारखाना चिकित्सा अधिकारी को खंड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना; तथा

(ग) श्रमिकों के लिए आसानी से सुलभ एक अलग बॉक्स में उपयुक्त मरहम और अभेद्य जलरोधक प्लास्टर की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करना और बनाए रखना और केवल मरहम और प्लास्टर रखने के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है।

(2) उक्त फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई चिकित्सा परीक्षाओं और उपयुक्त परीक्षणों के रिकॉर्ड एक स्वास्थ्य रजिस्टर फॉर्म-7 में रखे जाएंगे, जिसे निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

(3) फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में नियोजित होने से पहले पैराग्राफ 2 (i) (सी) में निर्दिष्ट सभी श्रमिकों की जांच करेगा। इस तरह की परीक्षा में हाथों, अग्र-भुजाओं और नाक का निरीक्षण शामिल होगा।

(4) उप-पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट परीक्षा के रिकॉर्ड एक स्वास्थ्य रजिस्टर फॉर्म-7 में रखे जाएंगे, जिसे निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

13. *फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा-* (1) पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में से किसी में नियोजित प्रत्येक श्रमिक, अपने पहले रोजगार के 15 दिनों के भीतर एक फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी, इस तरह की परीक्षा में मूत्र में क्रोमियम, निकल या कैडमियम के लिए परीक्षण, फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण और छाती का एक्स-रे शामिल होगा। किसी भी श्रमिक को कारखाने में अपने पहले रोजगार के 15 दिनों के बाद काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तरह के रोजगार के लिए फिट प्रमाणित न किया गया हो।

(2) उक्त प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक श्रमिक की प्रत्येक 12 कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुन: जांच की जाएगी और इस तरह की पुन: परीक्षा, जहां भी फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, मूत्र में क्रोमियम, निकल या कैडमियम के लिए परीक्षण, फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण और छाती का एक्स-रे हर 3 साल में एक बार शामिल होगा।

(3) फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी किसी कर्मकार की जांच करने के बाद, फॉर्म-8 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा। परीक्षा और पुन: परीक्षा का रिकॉर्ड कारखाने के प्रबंधक की हिरासत में रखा जाएगा। उप-पैराग्राफ (1)

और (2) के तहत की गई प्रत्येक परीक्षा के रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षणों की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-7 में एक स्वास्थ्य रजिस्टर में भी दर्ज किया जाएगा।

(4) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध होगा।

14. *मेस-रूम-पैराग्राफ* 2 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित सभी श्रमिकों के उपयोग के लिए प्रदान और रखरखाव किया जाएगा और भोजन अंतराल के दौरान परिसर में शेष रहेगा, उपयुक्त मेस-रूम, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति की देखरेख में पर्याप्त टेबल और बेंच से सुसज्जित होगा।

15. *धुलाई की सुविधाएं*- (1) पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ अवस्था में और अच्छी मरम्मत में प्रदान और रखरखाव किया जाएगा: -

(क) किसी भी प्रकार से ढक कर धोने की जगह :-

(i) बिना प्लग के अपशिष्ट पाइप के साथ एक चिकनी अभेद्य सतह वाला एक गर्त, और किसी भी समय नियोजित प्रत्येक पांच ऐसे व्यक्तियों के लिए कम से कम 60 सेमी की अनुमति देने के लिए पर्याप्त लंबाई का एक गर्त, और 60 सेमी से अधिक के अंतराल पर गर्त के ऊपर नल या जेट से पानी की निरंतर आपूर्ति करना; या

(ii) प्रत्येक पांच ऐसे व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वाशबेसिन जो किसी भी समय नियोजित किया गया हो जिसमें अपशिष्ट पाइप और प्लग लगे हों और जिस पर पानी की निरंतर आपूत की जा रही हो; तथा

(अ) साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई सामग्री और नाखून ब्रश की आपूर्ति के साथ दैनिक रूप से नवीनीकृत उपयुक्त सामग्री से बने स्वच्छ तौलिये की पर्याप्त आपूर्ति।

16. *कार्यकक्ष में भोजन, पेय आदि निषिद्ध* - किसी भी कर्मकार द्वारा किसी भी कमरे में भोजन, पेय, पैन और सुपारी या तंबाकू का सेवन या लाया नहीं जाएगा, जिसमें पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं को पूरा किया जाता है।

अनुसूची-XXXI

ताला और हार्डवेयर बनाना या कोई अन्य कार्य आकस्मिक या उससे जुड़ा हुआ है:

1. *परिभाषाएँ*-

(ए) "कुशल निकास ड्राफ्ट" से गैस, वाष्प, धूल या धुएं को उस बिंदु पर हटाने के लिए यांत्रिक साधनों से प्रभावित स्थानीयकृत वेंटिलेशन से अभिप्रेत है जहां वे उत्पन्न होते हैं ताकि उन्हें किसी भी स्थान की हवा में जाने से रोका जा सके जहां काम किया जाता है। किसी भी निकास ड्राफ्ट को कुशल नहीं माना जाएगा, जो उस बिंदु पर उत्पन्न धुएं को हटाने में विफल रहता है जहां ऐसी गैस, वाष्प, धुआं या धूल उत्पन्न होती है;

(बी) "पहला रोजगार" का अर्थ है पैराग्राफ 2 के तहत उल्लिखित किसी भी प्रक्रिया में पहला रोजगार और तीन कैलेंडर महीनों से अधिक की निरंतर अवधि के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद उक्त प्रक्रियाओं में पुन: रोजगार भी शामिल होगा;

(ग) "ड्रेसिंग या फेटलिंग ऑपरेशन" में कास्टिंग से चिपकने वाली रेत, कोर, रनर, राइजर, फ्लैश और अन्य अधिशेष धातु को अलग करना और अन्य हटाना और यथोचित रूप से साफ और चिकनी सतह का उत्पादन शामिल है ,

(ए) कास्टिंग से धातु को हटाना जब मशीनिंग या कास्टिंग के संयोजन के संबंध में संयोग से किया जाता है, जब वे तैयार या फिट होने के बाद कास्टिंग के संयोजन के संबंध में होते हैं, या

(ख) कोई भी ऑपरेशन जो इस अनुसूची के अर्थ के भीतर एक नॉक-आउट ऑपरेशन है;

(घ) "नॉक-आउट ऑपरेशन" का अर्थ है मोल्डों से कास्टिंग को हटाने के सभी तरीके और निम्नलिखित ऑपरेशन, जब इसके संबंध में किए जाते हैं, अर्थात्, रनर और राइजर को अलग करना और हटाना।

2. *निकास ड्राफ्ट*-(1) निम्नलिखित प्रक्रियाओं को एक कुशल निकास ड्राफ्ट के तहत या ऐसी अन्य शर्तों के तहत नहीं किया जाएगा जो मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित की जा सकती हैं:

(ए) धातु के हिस्सों की ढलाई;

(बी) बफिंग और पॉलिशिंग से जुड़े धातु परिष्करण संचालन:

(ग) ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है;

(घ) स्प्रे पेंटिंग।

(2) इस तरह के ड्राफ्ट यांत्रिक साधनों द्वारा प्रदान किए जाएंगे और धूल, वाष्प या स्प्रे पर काम करेंगे, जो कि मूल बिंदु के रूप में आस-पास की प्रक्रियाओं में दिए गए हैं। निकास ड्राफ्ट का निर्माण, व्यवस्था और रखरखाव इस तरह किया जाएगा कि धूल, वाष्प या स्प्रे को किसी भी कार्यकक्ष या स्थान में प्रवेश करने से रोका जा सके, जिसमें काम किया जाता है।

3. *महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध*- किसी भी गर्भवती महिला या युवा व्यक्ति को पैराग्राफ 2 (सी) और 2 (डी) में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में नियोजित या अनुमति नहीं दी जाएगी या किसी भी स्थान पर जहां इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं।

परन्तु महिला श्रमिकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन काम करने के लिए उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है: -

(1) व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिष्ठाता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) मानकों को अपनाया जाएगा।

(2) जहां तक संभव हो, अधिष्ठाता समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेंगे।

(3) दूध पिलाने वाली महिला श्रमिकों को रोजगार से छूट दी जाएगी।

4. *व्यवस्था और भंडारण- कार्यकक्षों* में सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा:

(क) मोल्डिंग बक्से, दोमट प्लेट, करछुल पैटर्न, पैटर्न प्लेट, फ्रेम, बोर्ड, बॉक्स वेट और अन्य भारी वस्तुओं को इस प्रकार व्यवस्थित और रखा जाएगा कि अनावश्यक जोखिम के बिना काम को आगे बढ़ाया जा सके;

(बी) उपयुक्त और सुविधाजनक रूप से सुलभ रैक, डिब्बे या अन्य पात्र प्रदान किए जाएंगे और अन्य गियर और उपकरणों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाएंगे;

(ग) जहां रेत, ईंधन, धातु स्क्रैप या अन्य सामग्रियों का थोक भंडारण है या ऐसे भंडारण के प्रयोजन के लिए उपयुक्त डिब्बे, बंकर या अन्य पात्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

5. *इनडोर कार्यस्थलों की सफाई*-(1) प्रत्येक इनडोर कार्यस्थल की दीवारों के सभी सुलभ हिस्से जिनमें कास्टिंग प्रक्रियाएं की जाती हैं और उन दीवारों से चिपकी हुई हर चीज को चौदह महीने की हर अवधि में कम से कम एक बार फर्श से कम से कम 4.2 मीटर की ऊंचाई तक उपयुक्त विधि द्वारा प्रभावी ढंग से साफ किया जाएगा। इस पैराग्राफ के अनुसरण में इस तरह की हर प्रभावी सफाई करने का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसमें तारीख भी शामिल है।

(2) प्रत्येक इनडोर कार्यस्थल के फर्श के सभी सुलभ भागों के प्रत्येक कार्य दिवस में कम से कम एक बार एक उपयुक्त विधि द्वारा प्रभावी सफाई की जाएगी, जिसमें प्रक्रियाओं को किया जाता है, रेत के भागों के अलावा, और जो हिस्से रेत के हैं, उन्हें अच्छे क्रम में रखा जाएगा।

(3) इनडोर कार्यस्थलों के फर्श जिनमें प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाता है, रेत के हिस्सों के अलावा, कठोर सामग्री की एक समान सतह होगी।

(4) ऐसे किसी भी इनडोर कार्यस्थल के फर्श का कोई भी हिस्सा रेत का नहीं होगा, सिवाय इसके कि जहां यह किए गए कार्य के कारण आवश्यक हो।

(5) ऐसे किसी भी इनडोर कार्यस्थल के फर्श की सतह के सभी हिस्से रेत के हैं, जहां तक संभव हो, एक समान और दृढ़ स्थिति में बनाए रखा जाएगा।

6. *पिघली हुई धातु से जुड़े मैनुअल ऑपरेशन-* (1) पिघली हुई धातु से जुड़े मैनुअल ऑपरेशन पर नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए पिघली हुई धातु से जुड़े मैनुअल प्रदान और ठीक से रखरखाव किया जाएगा, जिसके साथ वे छींटे मारने के लिए उत्तरदायी हैं, उस ऑपरेशन के लिए एक कार्य स्थान -

(क) कार्य के सुरक्षित निष्पादन के लिए कौन-सा पर्याप्त है; तथा

(ख) जिसे जहां तक यथोचित रूप से व्यावहारिक रूप से संभव हो, बाधा से मुक्त रखा गया है।

(2) पिघली हुई धातु रखने वाले कंटेनर को हाथ से ले जाने वाला कोई भी ऑपरेशन एक फर्श पर किया जाएगा, जिसके सभी हिस्से जहां कोई व्यक्ति ऑपरेशन में लगे हुए समय चलता है, समान स्तर पर होगा:

परन्तु जहां अनुचित जोखिम के बिना ऑपरेशन को करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो, ऑपरेशन में लगे किसी भी व्यक्ति के लिए फर्श से पहुंच के सुरक्षित साधन के साथ प्रदान की गई जगह होने के नाते पैराग्राफ में कुछ भी फर्श से एक अलग स्तर पर काम करने की जगह के सामयिक या असाधारण उपयोग को रोकने से नहीं होगा।

7. *धूल और धुआं-* (1) खुले कोयले, कोक या लकड़ी की आग का उपयोग कार्यकक्ष के अंदर करछुल को गर्म करने या सुखाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि व्यावहारिक रूप से, धुएं या अन्य अशुद्धियों को कार्यकक्ष के वातावरण में प्रवेश करने या शेष रहने से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए जाते हैं।

(2) सांचों को सुखाने के लिए किसी भी खुले कोयले, कोक या लकड़ी की आग का उपयोग उन परिस्थितियों को छोड़कर नहीं किया जाएगा जिनमें ऐसी आग का उपयोग अपरिहार्य है।

(3) मोल्ड स्टोव, कोर स्टोव और एनीलिंग भट्टियों को इस तरह से डिजाइन, निर्माण, रखरखाव और काम किया जाएगा ताकि जहां तक व्यावहारिक, आक्रामक या हानिकारक धुएं को किसी भी अवधि के दौरान किसी भी कार्यकक्ष में प्रवेश करने से रोका जा सके, जब कोई व्यक्ति उसमें कार्यरत है।

(4) सभी नॉक-आउट ऑपरेशन किए जाएंगे-

(ए) फाउंड्री के एक अलग हिस्से में उपयुक्त रूप से विभाजित किया गया है, एक कमरा या हिस्सा है जिसमें अब तक यथोचित रूप से व्यावहारिक, प्रभावी और उपयुक्त स्थानीय निकास वेंटिलेशन और सामान्य वेंटिलेशन का एक उच्च मानक प्रदान किया जाता है; या

(ख) फाउंड्री के ऐसे क्षेत्र में, जहां तक यथोचित रूप से व्यावहारिक, प्रभावी और उपयुक्त स्थानीय निकास वेंटिलेशन प्रदान किया जाता है, या जहां इस आवश्यकता का अनुपालन यथोचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, सामान्य वेंटिलेशन का एक उच्च मानक प्रदान किया जाता है।

(5) सभी ड्रेसिंग या फेटलिंग ऑपरेशन किए जाएंगे-

(ए) एक अलग कमरे में या फाउंड्री के एक अलग हिस्से में उपयुक्त रूप से विभाजित किया गया; या

(ख) इस प्रयोजन के लिए अलग रखी गई फाउंड्री के किसी क्षेत्र में; और, जहां तक यथोचित रूप से व्यावहारिक हो, धूल को दबाने के प्रभावी और उपयुक्त स्थानीय निकास वेंटिलेशन या अन्य समान रूप से प्रभावी साधनों के साथ किया जाएगा, जो धूल की उत्पत्ति के बिंदु के जितना संभव हो उतना करीब काम करता है।

8. *पिघली हुई धातु से निकाले गए या भट्टी से लिए गए मैल और स्किमिंग-ड्रोस और स्किमिंग का निपटान तुरंत एक उपयुक्त पात्र में रखा जाएगा।*

9. *वर्करूम का फ्लोर-*

(1) प्रत्येक कमरे का फर्श जिसमें पैराग्राफ 2(1)(सी) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, वह होगा-

(ए) सीमेंट या इसी तरह की सामग्री ताकि पानी के लिए चिकना और अभेद्य हो;

(बी) ध्वनि स्थिति में बनाए रखा गया है।

(2) फर्श को प्रक्रिया में दैनिक रूप से साफ किया जाएगा, पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट किया गया है।

(3) इनडोर कार्यस्थलों के फर्श जिनमें कास्टिंग प्रक्रियाएं की जाती हैं, रेत के भागों के अलावा, कठोर सामग्री की एक समान सतह होनी चाहिए।

(4) ऐसे किसी भी इनडोर कार्यस्थल के फर्श का कोई भी हिस्सा रेत का नहीं होगा, सिवाय इसके कि जहां यह किए गए कार्य के कारण आवश्यक हो।

(5) ऐसे किसी भी इनडोर कार्यस्थल के फर्श की सतह के सभी हिस्से रेत के हैं, जहां तक संभव हो, एक समान और दृढ़ स्थिति में बनाए रखा जाएगा।

10. *वेंटिलेशन- प्रत्येक* वर्करूम को पर्याप्त आकार के इनलेट और आउटलेट प्रदान किए जाएंगे, ताकि कमरे के सभी हिस्सों में कुशल वेंटिलेशन को सुरक्षित और बनाए रखा जा सके।

11. *सुरक्षात्मक कपड़े और सुरक्षात्मक उपकरण- (*1) कारखाने का अधिष्ठाता उन श्रमिकों के उपयोग के लिए निम्नलिखित सुरक्षात्मक कपड़े प्रदान करेगा और बनाए रखेगा जो तरल के संपर्क में आ सकते हैं, पैराग्राफ 2(1)(सी) में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित हैं:

(ए) वाटर प्रूफ एप्रन और बिब; तथा

(बी) ढीले रबर के दस्ताने और रबर के जूते या कोई अन्य वाटरप्रूफ जूते।

(2) कारखाने का अधिष्ठाता कारखाने में कार्यरत श्रमिकों के उपयोग के लिए सुरक्षात्मक कपड़े रखने और चलाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था और स्थान प्रदान करेगा और बनाए रखेगा।

(3) कारखाने का अधिष्ठाता पैराग्राफ 2(1)(ए) और 2(1)(बी) में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में कार्यरत सभी श्रमिकों के लिए उपयुक्त श्वासयंत्र प्रदान करेगा और बनाए रखेगा।

12 *चिकित्सा सुविधाएं और परीक्षा के रिकॉर्ड-* (1) प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता जिसमें पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट प्रक्रियाएं की जाती हैं-

(क) उन कर्मकारों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी को नियुक्त करना जहां कर्मकारों की संख्या 50 से अधिक है; तथा

(ख) उक्त फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी को खंड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना; तथा

(ग) श्रमिकों के लिए आसानी से सुलभ एक अलग बॉक्स में उपयुक्त मरहम और अभेद्य जलरोधक प्लास्टर की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करना और बनाए रखना और केवल मरहम और प्लास्टर रखने के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है।

(2) उक्त फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई चिकित्सा परीक्षाओं और उचित परीक्षणों के रिकॉर्ड को एक स्वास्थ्य रजिस्टर फॉर्म 3 में रखा जाएगा, जिसे निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

(3) फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रियाओं में नियोजित होने से पहले पैराग्राफ 2(1)(सी) में निर्दिष्ट सभी श्रमिकों की जांच करेगा। इस तरह की परीक्षा में हाथों, अग्र-भुजाओं और नाक का निरीक्षण शामिल होगा।

13. *फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा* (1) पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट किसी भी प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक श्रमिक को उसके पहले रोजगार के 15 दिनों के भीतर एक फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। इस तरह की परीक्षाओं में मूत्र में क्रोमियम, कैडमियम या निकल के परीक्षण, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और छाती का एक्स-रे शामिल होगा। किसी भी श्रमिक को कारखाने में अपने पहले रोजगार के 15 दिनों के बाद काम करने

की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तरह के रोजगार के लिए फिट प्रमाणित न किया गया हो।

(2) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक की प्रत्येक 12 कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुन: जांच की जाएगी और इस तरह की पुन: परीक्षा, जहां भी फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, मूत्र में क्रोमियम, कैडमियम या निकल के लिए परीक्षण, फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण और छाती का एक्स-रे हर 3 साल में एक बार शामिल होगा।

(3) फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी, किसी कर्मकार की जांच करने के बाद, प्रपत्र-8 में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा। परीक्षा और पुन: परीक्षा का रिकॉर्ड कारखाने के प्रबंधक की हिरासत में रखा जाएगा। उप-पैराग्राफ (i) और (ii) के तहत की गई प्रत्येक परीक्षा के रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षणों की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-7 में एक स्वास्थ्य रजिस्टर में भी दर्ज किए जाएंगे।

(4) स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध होगा।

14. *मेस-रूम-पैराग्राफ* 2 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित सभी श्रमिकों के उपयोग के लिए प्रदान और रखरखाव किया जाएगा और भोजन अंतराल के दौरान परिसर में शेष रहेगा, एक उपयुक्त मेस-रूम, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति की देखरेख में पर्याप्त टेबल और बेंच से सुसज्जित होगा।

15. *धुलाई की सुविधाएं*- पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक स्वच्छ दशा और अच्छी मरम्मत में प्रदान और रखरखाव किया जाएगा:

(क) कवर के नीचे एक धोने की जगहसे में निम्न ,-

(i) बिना प्लग के अपशिष्ट पाइप के साथ एक चिकनी अभेद्य सतह वाला एक गर्त, और किसी भी समय नियोजित प्रत्येक पांच ऐसे व्यक्तियों के लिए कम से कम 60 सेमी की अनुमति देने के लिए पर्याप्त लंबाई का एक गर्त, और 60 सेमी से अधिक के अंतराल पर गर्त के ऊपर नल या जेट से पानी की निरंतर आपूर्ति करना; या

(ii) प्रत्येक पांच ऐसे व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वाशबेसिन जो किसी भी समय नियोजित किया गया हो जिसमें अपशिष्ट पाइप और प्लग लगे हों और जिस पर पानी की निरंतर आपूत की जा रही हो; तथा

(ख) साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई सामग्री और नेल ब्रश की आपूर्ति के साथ उपयुक्त सामग्री से बने स्वच्छ तौलिये की पर्याप्त आपूर्ति।

16. *कार्यकक्ष में भोजन, पेय आदि निषिद्ध* - किसी भी श्रमिक द्वारा किसी भी कमरे में भोजन, पेय, पान और सुपारी या तंबाकू का सेवन या लाया नहीं जाएगा, जिसमें पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट प्रक्रियाएं की जाती हैं।

अनुसूची-XXXII

वेल्डिंग प्रक्रिया और उसके साथ आकस्मिक या उससे जुडा कोई भी कार्य:

1- परिभाषाएँ— इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए—

(ए) "*वेल्डिंग प्रक्रिया*" *का अर्थ है संलयन* (*तरल अवस्था*) *वेल्डिंग, ठोस/तरल अवस्था में जुड़ना, ऊंचे तापमान पर ठोस चरण वेल्डिंग या ऑक्सी/ईंधन गैस वेल्डिंग/कटिंग/हीटिंग*;

(ख) "कुशल निकास ड्राफ्ट" का अर्थ गैसों, वाष्प, धूल या धुएं को हटाने के लिए यांत्रिक साधनों द्वारा स्थानीयकृत वेंटिलेशन से है ताकि उन्हें किसी भी कार्यकक्ष की हवा में जाने से रोका जा सके। किसी भी मसौदे को कुशल नहीं माना जाएगा यदि इस तरह की गैसों, वाष्प, धूल या धुएं की उत्पत्ति के बिंदु पर उत्पन्न धुएं को हटाने में विफल रहता है;

(ग) "श्वास उपकरण" से तात्पर्य आवश्यक कनेक्शन के साथ एक हेलमेट या चेहरे का टुकड़ा है जिसके माध्यम से इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति धूल या धुएं, या किसी अन्य अनुमोदित उपकरण से मुक्त हवा में सांस लेता है;

(घ) "योग्य वेल्डर" से कोई भी नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास वह योग्यता या अनुभव है जो निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता भारतीय मानकों/अभिसमयों के आधार पर निर्णय ले सकता है।

(ङ) "प्रथम रोजगार" का अर्थ किसी भी प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रियाओं और उसके आकस्मिक प्रक्रियाओं में प्रथम रोजगार से होगा, जिस पर यह अनुसूची लागू होती है और इसमें तीन कैलेंडर महीनों से अधिक की निरंतर अवधि के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में पुन: रोजगार भी शामिल होगा;

2. अपवाद- (1) इस अनुसूची में कुछ भी किसी भी कारखाने पर लागू नहीं होगा जिसमें वेल्डिंग प्रक्रियाएं कभी-कभी केवल मशीनरी रखरखाव उद्देश्य के लिए की जाती हैं और वेल्डिंग प्रक्रियाएं नियमित गतिविधियों का हिस्सा नहीं हैं।

(2) इस अनुसूची में कुछ भी किसी भी वेल्डिंग प्रक्रिया पर लागू नहीं होगा जो अपरंपरागत है और कोई धूल, धुआं, गैस या वाष्प उत्पन्न नहीं करता है।

(3) जहां मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता संतुष्ट है कि इस अनुसूची के सभी या कोई भी प्रावधान किसी भी वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं हैं, तो वह लिखित रूप में प्रमाण पत्र द्वारा, किसी भी कारखाने या कारखानों के वर्ग को ऐसे किसी भी प्रावधान से छूट दे सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उसमें निर्दिष्ट कर सकता है।

3. वेल्डर की योग्यता: किसी भी व्यक्ति को किसी भी कोर वेल्डिंग प्रक्रिया को सौंपा नहीं जाएगा जब तक कि वह उस तरह के वेल्डिंग कार्य के लिए एक योग्य वेल्डर न हो। कोर वेल्डिंग कार्य से जुड़े संबद्ध कार्य अन्य प्रशिक्षित कर्मकार द्वारा सभी सावधानियों और सुरक्षात्मक गियर के साथ किया जा सकता है;

परन्तु कोर वेल्डिंग कार्य और संबद्ध कार्य के बीच किसी भी अस्पष्टता के मामले में, निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता का निर्णय अंतिम होगा।

4. *उपकरणों की आवधिक जांच, परीक्षण और रखरखाव :(1)* प्रत्येक वेल्डिंग मशीन के सभी भागों, गैस/ईंधन सिलेंडर और गर्मी के स्रोतों को ठीक से बनाए रखा जाएगा और समय-समय पर पूरी तरह से जांच की जाएगी और सिलेंडर वाल्व, प्रेशर गेज, रेगुलेटर, फ्लैश बैक अरेस्टर और नोजल के रूप में विभिन्न नियंत्रणों की जांच की जाएगी और उनके काम करने की जांच लगातार अंतराल पर की जाएगी ताकि अधिष्ठाता या प्रबंधक द्वारा नामित एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इसका सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया जा सके। जो अपने अनुभव और विस्फोट के जोखिमों के खिलाफ आवश्यक सावधानियों के ज्ञान से ऐसे कार्य करने के लिए उपयुक्त है;

(2) वेंटिलेशन सिस्टम की समय-समय पर हर छह महीने के बाद सक्षम व्यक्ति द्वारा जांच या परीक्षण किया जाएगा और विवरण फॉर्म-56 में दर्ज किया जाएगा; तथा

(3) एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें खंड (ए) के तहत समय-समय पर किए गए विभिन्न परीक्षणों का विवरण दर्ज किया जाएगा और की गई प्रत्येक प्रविष्टि पर परीक्षण करने वाले सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5. श्वास उपकरण और सुरक्षात्मक वस्त्र-(1) अधिष्ठाता वेल्डिंग प्रक्रियाओं और उसके आकस्मिक प्रक्रियाओं में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार्य की प्रकृति के अनुसार भारतीय मानक के अनुसार उपयुक्त सुरक्षात्मक कपड़े, जूते, चश्मा, वेल्डिंग हेलमेट, दस्ताने, वेल्डिंग सूट, श्वासयंत्र और फेस शील्ड प्रदान करेगा और ऐसे कपड़े, जूते, आदि संबंधित व्यक्तियों द्वारा पहना जाएगा। सीमित स्थान में कार्यरत व्यक्तियों को श्वास उपकरण प्रदान किया जाएगा और वेल्डिंग कार्य की प्रकृति के अनुसार अन्य स्थानों पर यदि आवश्यक हो, तो भी प्रदान किया जाएगा।

(2) इस अनुसूची के अनुसार प्रदान किए गए श्वास उपकरण और सुरक्षात्मक कपड़ों को पहनते या उतारते समय व्यक्तियों के उपयोग के लिए और उपयोग में न होने पर ऐसे उपकरण और कपड़ों के भंडारण के लिए सुविधाजनक रूप से सुलभ स्थिति में उपयुक्त आवास प्रदान किया जाएगा।

(3) सभी श्वास उपकरण और सुरक्षात्मक कपड़े जब उपयोग में न हों तो उप-पैराग्राफ (2) के अनुसार प्रदान किए गए आवास में संग्रहीत किए जाएंगे।

(4) उपयोग में आने वाले सभी सुरक्षात्मक कपड़ों को उपयुक्त अंतराल पर धोया जाएगा। सफाई अनुसूची और प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि पहनने वाले की सुरक्षा में उक्त कपड़ों की दक्षता सुनिश्चित हो सके।

(5) सभी श्वास उपकरण को उचित अंतराल पर साफ और कीटाणुरहित किया जाएगा और एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हर महीने एक बार अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाएगा।

(6) सफाई और रखरखाव और श्वास उपकरण की स्थिति के रिकॉर्ड उस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए एक रजिस्टर में रखे जाएंगे जो एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध होगा।

(7) किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा जिसके लिए श्वास उपकरण आवश्यक है जब तक कि उसे उस उपकरण के उचित उपयोग के बारे में पूरी तरह से निर्देश नहीं दिया गया हो।

(8) उप-पैराग्राफ (1) के अनुसरण में प्रदान किया गया कोई श्वास उपकरण जो किसी व्यक्ति द्वारा पहना गया है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं पहना जाएगा जब तक कि इसे पिछली बार पहने जाने के बाद से पूरी तरह से साफ और कीटाणुरहित नहीं किया गया हो और व्यक्ति को उस उपकरण के उचित उपयोग के बारे में पूरी तरह से निर्देश दिया गया हो।

6. आग और विस्फोट के खिलाफ सावधानी- (1) एसिटिलीन, एलपीजी या अन्य ईंधन गैसों को ले जाने वाले उपकरणों या सिलेंडरों का उचित रखरखाव किया जाना चाहिए। गैस रिसाव के लिए उचित कनेक्शन और वाल्वों को बंद करना एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा अधिष्ठाता या प्रबंधक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) नियोक्ता गैस वेल्डिंग प्रक्रियाओं के उद्देश्य के लिए इग्निशन लाइटर की उपलब्धता और उपयोग सुनिश्चित करेगा।

(3) वेल्डिंग के दौरान आस-पास की दहनशील सामग्री को हटा दिया जाएगा या संरक्षित किया जाएगा, अगर इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

(4) श्रमिकों को प्रबंधक या एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया के बिना किसी भी वेल्डिंग कार्य/प्रक्रिया को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(5) वेल्डिंग कार्य की प्रकृति के आधार पर पर्याप्त संख्या में उपयुक्त प्रकार के अग्निशामक या अन्य अग्निशमन उपकरण प्रदान किए जाएंगे। ऐसे अग्निशामक या अन्य उपकरणों का नियमित रूप से परीक्षण और रिफिल किया जाएगा। अग्निशामक या अन्य उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, इस बारे में स्पष्ट निर्देश, उस भाषा में मुद्रित किया जाना चाहिए जिसे नियोजित अधिकांश श्रमिक समझते हैं, प्रत्येक अग्निशामक या अन्य उपकरण के पास चिपकाए जाएंगे।

7. *निकास ड्राफ्ट* - जहां प्रक्रिया में धूल, धुआं, गैस या वाष्प उत्पन्न होता है, उन्हें एक कुशल निकास ड्राफ्ट के माध्यम से हटाने का प्रावधान किया जाएगा ताकि धूल, धुएं, गैस या वाष्प पर उत्पत्ति के बिंदु तक जितना संभव हो सके काम किया जा सके।

8. *चिकित्सा सुविधाएं और परीक्षा और परीक्षण के अभिलेख- (1)* प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता जिस पर अनुसूची लागू होती है और जिसमें वेल्डिंग प्रक्रियाओं और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं में 50 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, नियम-148 में निर्धारित सुविधाओं के साथ एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए रखेगा।

(2) फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई चिकित्सा परीक्षाओं और उपयुक्त परीक्षण का रिकॉर्ड प्रपत्र-7 में एक अलग स्वास्थ्य रजिस्टर में रखा जाएगा, जिसे निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

9. *फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा-* (1) किसी भी प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक श्रमिक जिस पर यह अनुसूची लागू होती है, उसकी पहली नौकरी के 15 दिनों के भीतर एक फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। इस तरह की परीक्षा में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, चेस्ट एक्स-रे, फंडोस्कोपी और एक्यूइटी टेस्ट शामिल होंगे। किसी भी श्रमिक को कारखाने में अपने पहले रोजगार के 15 दिनों के बाद काम करने की अनुमति नहीं

दी जाएगी जब तक कि कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तरह के रोजगार के लिए फिट प्रमाणित न किया गया हो।

(2) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मचारी की प्रत्येक 12 कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुन: जांच की जाएगी और इस तरह की पुन: परीक्षा, जहां भी फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, उप-पैराग्राफ (1) में विनिर्दिष्ट सभी परीक्षणों को शामिल करेगी, सिवाय छाती के एक्स-रे को जो हर तीन साल में एक बार किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी आंख से संबंधित किसी भी असुविधा या समस्या की शिकायत करता है, तो अधिष्ठाता को तुरंत नेत्र परीक्षण और उसके उपचार को सुनिश्चित करना चाहिए।

(3) फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी किसी कर्मकार की जांच करने के बाद फॉर्म-8 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा। परीक्षा और पुन: परीक्षा का रिकॉर्ड कारखाने के प्रबंधक की हिरासत में रखा जाएगा। उप-पैराग्राफ (1) और (2) के तहत की गई प्रत्येक परीक्षा का रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षण की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म -7 में स्वास्थ्य रजिस्टर में भी दर्ज किया जाएगा।

(4) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध होगा।

(5) यदि किसी समय फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी की यह राय है कि कोई श्रमिक अब उक्त प्रक्रियाओं में रोजगार के लिए इस आधार पर उपयुक्त नहीं है कि इसमें जारी रहने से कर्मकार के स्वास्थ्य के लिए विशेष खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाणन और स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का रिकॉर्ड बनाएगा। उन दस्तावेजों में उसकी निष्कर्ष की प्रविष्टि में वह अवधि भी शामिल होनी चाहिए जिसके लिए वह मानता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रियाओं में काम करने के लिए अयोग्य है।

(6) चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक द्वारा की जाएगी और श्रमिक इसके लिए कोई खर्च वहन नहीं करेगा।

अनुसूची-XXXIII

गर्म धातुकर्म प्रक्रिया और उसके लिए आकस्मिक या उससे जुड़ा कोई भी कार्य:

1- *परिभाषाएँ*- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए-

(ए) "हॉट मेटलर्जिकल प्रक्रियाएं" का अर्थ है पिघलना, शोधन, गलाना, मोल्डिंग, फोर्जिंग ऑपरेशन, हॉट रोलिंग ऑपरेशन, फाउंड्री ऑपरेशन, कास्टिंग; और इसके अलावा यह लोहा, स्टील, लौह या अलौह पिघलने और विभिन्न सामग्रियों के सांचों द्वारा कास्टिंग के उत्पादन पर लागू होता है, जिसमें मोल्डिंग, डाई कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग, सेन्ट्रीफ्यूगल कास्टिंग, निरंतर कास्टिंग और सिल्लियों, बिलेट, स्लैब आदि को बनाने और उसकी स्ट्रिपिंग की प्रक्रिया शामिल है।

(ख) "प्रथम रोजगार" का अर्थ किसी भी प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रियाओं और उसके आकस्मिक प्रक्रियाओं में पहला रोजगार होगा, जिस पर यह अनुसूची लागू होती है और तीन कैलेंडर महीनों से अधिक की निरंतर अवधि के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में पुन: रोजगार भी शामिल होगा;

(ग) "नॉक-आउट ऑपरेशन" का अर्थ है मोल्ड रेत से कास्टिंग को हटाने के सभी तरीके, जब इसके संबंध में किए जाते हैं, अर्थात्, स्ट्रिपिंग, कोरिंग-आउट और रनर और राइजर को हटाना;

(2) सामान्य सुरक्षा उपाय:

(ए) बिना भीड़भाड़ वाली मशीन और प्रक्रिया लेआउट, अच्छी हाउसकीपिंग और वेंटिलेशन, भट्टी के लिए अच्छा मसौदा और गैसों का कुशल निकास, पानी के पर्दे और उज्ज्वल गर्मी और गर्म हवा से सुरक्षा के लिए परावर्तक या इन्सुलेट स्क्रीन, भट्टियों में स्थानीय निकास प्रणाली, गर्म कार्य स्थलों पर ठंडी हवा की बौछारें, शोर शोषक पैनल और कंपन को दबाने के लिए गहरी और विशाल नींव।

(ख) तेज गर्मी से सुरक्षित विश्राम कक्ष उपलब्ध कराए जाने चाहिए और उन्हें वायु और जल वर्षा आदि से सुसज्जित किया जाना चाहिए।

(ग) सभी श्रमिकों को सुरक्षात्मक गर्मी प्रतिरोधी बाजूबंध, गैटर, एप्रन, सुरक्षा जूते, आंख और चेहरे की ढाल, कान के मफ या प्लग और सभी श्रमिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(घ) कच्चे माल और तैयार उत्पादों के संचालन, प्राप्त और भंडारण के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय और सावधानियां बरती जाएंगी।

(ई) विद्युत उपकरणों को अर्थिंग और सुरक्षित रूप से संचालित किया जाना चाहिए

(3) मशीनों का निवारक रखरखाव:

(ए) ट्रेडल गार्ड को पूर्ण कवरेज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा और साथ ही ऑपरेटर के आराम के लिए पर्याप्त निकासी और ट्रेडल कार्रवाई के नियंत्रण को सुनिश्चित किया जाएगा।

(बी) श्रमिकों को विकिरण ऊष्मा से बचाने के लिए फोर्जिंग भट्टी को जितना संभव हो सके परिरक्षित किया जाना चाहिए। यह एस्बेस्टस कवर स्क्रीन, दुर्दम्य सामग्री द्वारा समर्थित धातु ढाल और स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम के गोले के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें विकिरण ऊष्मा परावर्तक गुण होते हैं।

(ग) लहरा, स्लिंग, चेन, प्रॉप्स और चिमटे, चिमटे सहित उपकरणों को आवधिक निरीक्षण और निवारक अनुरक्षण कार्यक्रम द्वारा हमेशा अच्छी कार्य स्थिति में रखा जाना चाहिए।

(घ) वेंटिलेशन सिस्टम की जांच की जाएगी और विवरण एक सक्षम व्यक्ति द्वारा फॉर्म -56 में दर्ज किया जाएगा जैसा कि अनुसूची "ए" में मान्यता प्राप्त है।

4. धूल और धुआं।

(ए) खुले कोयले, कोक या लकड़ी की आग का उपयोग एक कार्यकक्ष के अंदर करछुल को गर्म करने या सुखाने के लिए नहीं किया जाएगा जब तक कि पर्याप्त उपाय नहीं किए जाते हैं, जहां तक व्यावहारिक हो, धुएं या अन्य अशुद्धियों को कार्यकक्ष के वातावरण में प्रवेश करने या शेष रहने से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए जाते हैं।

(ख) सांचों को सुखाने के लिए किसी खुले कोयले, कोक या लकड़ी की आग का उपयोग उन परिस्थितियों को छोड़कर नहीं किया जाएगा जिनमें ऐसी आग का उपयोग अपरिहार्य है।

(ग) मोल्ड स्टोव, कोर स्टोव और एनीलिंग भट्टियों को इस तरह से निर्मित, अनुरक्षित और काम किया जाएगा ताकि किसी भी अवधि के दौरान किसी भी कार्यकक्ष में प्रवेश करने से व्यावहारिक, आक्रामक या हानिकारक धुएं को रोका जा सके, जब कोई व्यक्ति उसमें कार्यरत हो।

(घ) सभी नॉक-आउट ऑपरेशन किए जाएंगे -

(i) फाउंड्री के एक अलग और उचित रूप से विभाजित हिस्से में—में हिस्से या कमरे ऐसे यानी—जहाँ, जहाँ तक उचित रूप से संभव हो, प्रभावी और उपयुक्त लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन और उच्च स्तर का सामान्य वेंटिलेशन उपलब्ध हो; या

(ii) फाउंड्री के एक क्षेत्र में, जहां तक यथोचित रूप से व्यावहारिक, प्रभावी और उपयुक्त स्थानीय निकास वेंटिलेशन प्रदान किया जाता है, या जहां इस आवश्यकता का अनुपालन यथोचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, सामान्य वेंटिलेशन का एक उच्च मानक प्रदान किया जाता है।

(5) सभी ड्रेसिंग या फेटलिंग ऑपरेशन किए जाएंगे - (1) एक अलग कमरे में या फाउंड्री के एक अलग हिस्से में उपयुक्त रूप से विभाजित किया जाएगा; या

(2) फाउंड्री में इसके लिए अलग की गई जगह पर; और जहाँ तक उचित रूप से संभव हो, यह काम असरदार और उपयुक्त लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन या धूल को दबाने के दूसरे उतने ही असरदार तरीकों से किया जाना चाहिए, जो धूल के बनने की जगह के जितना हो सके उतना पास काम करें।

(6) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण: (1) गर्म धातुकर्म प्रक्रियाओं के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) में सुरक्षा जूते, चमड़े के पैर गार्ड, सुरक्षा हेलमेट, हाथ और हाथ की सुरक्षा, चमड़े के एप्रन आदि शामिल हैं। चेहरे और

आंखों की चोटों को रोकने में मदद करने के लिए रंगीन या स्पष्ट लेंस, फेस शील्ड या वायर मेश फेस स्क्रीन के साथ काले चश्मे पहने जाने चाहिए। भट्ठी के पुरुषों को विकिरण ऊष्मा से बचाने के लिए एल्युमिनाइज्ड एस्बेस्टस कपड़े चौग़ा प्रदान किया जाना चाहिए। फोर्जिंग क्रू को शोर से बचाने के लिए ईयर मफ या ईयर प्लग प्रदान किए जाने चाहिए। इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए प्रदान किया गया कोई भी श्वासयंत्र जो किसी व्यक्ति द्वारा पहना गया है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं पहना जाएगा यदि इसे तब से पूरी तरह से साफ और कीटाणुरहित नहीं किया गया है।

(2) सभी श्रमिकों को पीपीई के उपयोग के लिए प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) कर्मचारियों को पीपीई के आवंटन के लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा। पीपीई का रखरखाव भी समय-समय पर सुनिश्चित किया जाएगा और अधिष्ठाता भंडारण के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करेगा और बनाए रखेगा और आपूर्ति किए गए सुरक्षात्मक उपकरणों की सफाई और रखरखाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा।

(4) अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी काम के दौरान उपयुक्त पीपीई पहनें।

(5) ऐसे व्यक्ति जो अपने किसी भी समय के लिए –

(i) ऐसी परिस्थितियों में एक गुंबद या भट्टी की टोंटी पर काम करना या उसमें भाग लेना कि वहां की सामग्री शरीर के संपर्क में आ सकती है, ऐसे तापमान पर सामग्री होने के कारण शरीर के साथ इसके संपर्क में आने से जलन हो सकती है; या

(ii) पिघली हुई धातु डालने में या सहायता करने में लगे हुए हैं; या

(iii) पिघली हुई धातु वाले किसी भी करछुल या मोल्ड को हाथ से ले जाना; या

(iv) ऐसे तापमान पर सामग्री को शामिल करते हुए नॉक-आउट ऑपरेशन में लगे हुए हैं कि शरीर के साथ इसके संपर्क में आने से जलन हो जाएगी; उपयुक्त जूते और गैटर प्रदान किए जाएंगे जो उनके द्वारा पहने जाते हैं, जहां तक उचित रूप से व्यावहारिक हो, उनके पैरों और टखनों में जलने के जोखिम को रोकते हैं।

(v) जहां उपयुक्त हो, उड़ने वाली सामग्री (किसी भी प्रक्रिया के दौरान फेंके गए पिघली हुई धातु के छींटे और चिंगारी और चिप्स सहित) से सुरक्षा के लिए उपयुक्त स्क्रीन प्रदान की जाएंगी।

7. *चिकित्सा सुविधाएं और परीक्षा और परीक्षण के रिकॉर्ड* - (1) प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता जिस पर अनुसूची लागू होती है और जिसमें 50 से अधिक श्रमिक हॉट मेटलर्जिकल प्रक्रियाओं और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं में कार्यरत हैं, नियम 93 में निर्धारित सुविधाओं के साथ व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र का रखरखाव करेगा।

(2) फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई चिकित्सा परीक्षाओं और उपयुक्त परीक्षण का रिकॉर्ड फॉर्म -7 में स्वास्थ्य रजिस्टर में रखा जाएगा।

8. *फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा*- (1) किसी भी प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक श्रमिक जिस पर यह अनुसूची लागू होती है, उसकी पहली नौकरी के 15 दिनों के भीतर एक फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। इस तरह की परीक्षा में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, चेस्ट एक्स-रे या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और आई टेस्ट शामिल होंगे। किसी भी श्रमिक को कारखाने में अपने पहले रोजगार के 15 दिनों के बाद काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तरह के रोजगार के लिए फिट प्रमाणित न किया जाए।

(2) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक की हर 6 कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार एक फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुन: जांच की जाएगी और इस तरह की पुन: परीक्षा, जहां भी फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, फंडोस्कोपी और तीक्ष्णता परीक्षण, छाती का एक्स-रे या फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण शामिल होगा; ऑडियोमेट्री टेस्ट (यदि आवश्यक हो), त्वचा रोगों की जांच, सीबीसी परीक्षण और किसी भी अन्य फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी की चीजों की आवश्यकता। यदि कोई कर्मचारी आंख या त्वचा से संबंधित किसी भी असुविधा या समस्या की शिकायत करता है, तो अधिष्ठाता तुरंत अपेक्षित परीक्षण और उसके उपचार को सुनिश्चित करेगा।

(3) फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी किसी कर्मचारी की जांच करने के बाद फॉर्म-8 में फिटनेस का प्रमाणन जारी करेगा। परीक्षा और पुन: परीक्षा का रिकॉर्ड कारखाने के प्रबंधक के पर्यवेक्षण में रखा जाएगा। उप-पैराग्राफ (1)

और (2) के तहत की गई प्रत्येक परीक्षा का रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षण की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म -7 में स्वास्थ्य रजिस्टर में भी दर्ज किया जाएगा।

(4) फॉर्म-8 में फिटनेस प्रमाण पत्र और फॉर्म-7 में स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध होगा।

(5) यदि किसी समय फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी की राय है कि कोई श्रमिक अब उक्त प्रक्रियाओं में रोजगार के लिए उपयुक्त नहीं है, इस आधार पर कि इसमें जारी रहने से कर्मकार के स्वास्थ्य के लिए विशेष खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का रिकॉर्ड बनाएगा। उन दस्तावेजों में उसकी निष्कर्ष की प्रविष्टि में वह अवधि भी शामिल होनी चाहिए जिसके लिए वह मानता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रियाओं में काम करने के लिए अयोग्य है।

(6) कोई भी व्यक्ति जो उप-पैराग्राफ (5) में कहा गया है कि काम करने के लिए अयोग्य नहीं पाया गया है, उसे उक्त प्रक्रियाओं में फिर से नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि चिकित्सा अधिकारी आगे की जांच के बाद, फिर से उसे इन प्रक्रियाओं में रोजगार के लिए योग्य प्रमाणित नहीं करता *है/*

चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक द्वारा की जाएगी और श्रमिक इसके लिए कोई खर्च वहन नहीं करेगा।

9- अपवाद- जहां मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि इस अनुसूची के सभी या कोई भी उपबंध किसी भी प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं हैं, तो वह लिखित रूप में प्रमाण पत्र द्वारा, किसी कारखाने या कारखानों के वर्ग को ऐसे किसी भी उपबंध से ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे छूट दे सकता है

अनुसूची-XXXIV
उर्वरकों का निर्माण या हेरफेर

1. *आवेदन-* यह अनुसूची उन सभी कारखानों या उनके किसी भी भाग के संबंध में लागू होगी जिनमें उर्वरकों के निर्माण या हेरफेर की प्रक्रिया संदर्भित की गई है या इसके बाद उक्त विनिर्माण प्रक्रिया के रूप में जारी है।

2. *परिभाषाएँ.*— इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए—

(क) उर्वरक से मृदा और/अथवा फसल के उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाने वाला अथवा उपयोग किए जाने और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की अनुसूची-I के भाग क में विनिदष्ट कोई पदार्थ है और इसमें उर्वरक का मिश्रण और उर्वरकों का विशेष मिश्रण तथा कोई अन्य उत्पाद शामिल है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।

(ख) उर्वरकों का मिश्रण अभिप्रेत दो या दो से अधिक उर्वरकों को भौतिक अथवा दानेदार रूप में अक्रिय सामग्री के साथ अथवा बिना भौतिक रूप से मिलाकर तैयार किया गया उर्वरक का मिश्रण है और इसमें एनपीके (नाइट्रोजन-फास्फोरस-पोटेशियम) उर्वरकों का मिश्रण शामिल है, जो सूक्ष्म पोषक उर्वरकों का मिश्रण है।

(ग) कुशल निकास ड्राफ्ट से धुएं, गैस वाष्प, धूल, धुआं या धुंध को हटाने के लिए स्थानीयकृत यांत्रिक वेंटिलेशन अभिप्रेत है ताकि उन्हें किसी भी कार्यकक्ष की हवा में जाने से रोका जा सके जिसमें कार्य किया जाता है। किसी भी निकास ड्राफ्ट को कुशल नहीं माना जाएगा यदि यह उस बिंदु पर उत्पन्न धुएं को हटाने में विफल रहता है जहां ऐसी गैस, धुआं, धूल, वाष्प या धुंध प्रक्रिया से उत्पन्न होती है;

(घ) "श्वास उपकरण" का अर्थ है (1) आवश्यक कनेक्शन के साथ एक हेलमेट या चेहरे का टुकड़ा जिसके माध्यम से एक जहरीले, दम घुटने वाले या चिड़चिड़े वातावरण में इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति साधारण हवा में सांस लेता है, या (2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित कोई अन्य उपयुक्त उपकरण।

(ङ) प्रथम रोजगार का अर्थ किसी विनिर्माण प्रक्रिया में प्रथम रोजगार से होगा जिस पर यह अनुसूची लागू होती है और इसमें तीन कैलेंडर माह से अधिक की निरंतर अवधि के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में पुन रोजगार भी शामिल होगा।

(च) "हेरफेर" जिसमें मिश्रण, सम्मिश्रण, सूत्रीकरण, भरना, खाली करना, पैकिंग या अन्यथा संभालना शामिल है।

3. *श्रमिकों को निर्देश-* अपने पहले रोजगार पर प्रत्येक श्रमिक को उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में संभाले गए रसायनों के खतरनाक गुणों और इसमें शामिल खतरों सहित संपत्तियों पर पूरी तरह से निर्देश दिया जाएगा। श्रमिकों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में भी निर्देश दिया जाएगा, ऐसे निर्देश समय-समय पर दोहराए जाएंगे।

4. *महिलाओं या युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित निषेध* - किसी भी गर्भवती महिला युवा व्यक्ति को किसी भी कमरे में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें उर्वरकों की उक्त निर्माण प्रक्रिया या मिश्रण किया जाता है या किसी भी कमरे में जिसमें उर्वरक संग्रहीत किया जाता है।

परन्तु महिला श्रमिकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन काम करने के लिए उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है: -

(1) व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिष्ठाता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) मानकों को अपनाया जाएगा ।

(2) जहां तक संभव हो, अधिष्ठाता समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेंगे।

(3) दूध पिलाने वाली महिला श्रमिकों को रोजगार से छूट दी जाएगी।

5. *उपकरण-* सभी उपकरणों जैसे प्रेशर गेज, थर्मामीटर, फ्लो मीटर और वेटिंग मशीन का परीक्षण एक सक्षम व्यक्ति द्वारा नियमित अंतराल पर किया जाएगा, और इन परीक्षणों का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाएगा।

6. *सुरक्षा वाल्व-* हर बंद बर्तन जिसमें गैस का उत्पादन होता है या जिसमें गैस पारित की जाती है और जिसमें दबाव खतरनाक डिग्री तक बढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है, उसके साथ एक दबाव नापने का यंत्र जुड़ा होगा, और दबाव को दूर करने के लिए एक उचित सुरक्षा वाल्व या अन्य समान रूप से कुशल साधन, अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाता है और एक सक्षम व्यक्ति द्वारा नियमित अंतराल पर परीक्षण किया जाएगा, और इन परीक्षणों का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाएगा।

7. *संयंत्र की जांच, परीक्षण और मरम्मत-* प्रेशर वेसल या प्लांट के हिस्सों की जांच, परीक्षण और मरम्मत जो अमोनिया और अन्य रसायनों के संपर्क में रहे हैं, या जो वायुमंडलीय दबाव से ऊपर हैं, केवल उचित पर्यवेक्षण के तहत ही किए जाएंगे। प्रेशर वेसल या प्लांट के हिस्सों की जांच और परीक्षण एक सक्षम व्यक्ति द्वारा नियमित अंतराल पर किया जाएगा और इन परीक्षणों के रिकॉर्ड प्रेशर प्लांट के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रदान किए जाएंगे।

8. *अमोनिया और अन्य रसायनों के रिसाव का पता लगाना-* प्रेशर वेसल या प्लांट के पुर्जों के माध्यम से अमोनिया और अन्य रसायनों के रिसाव का पता रासायनिक वाष्प पहचान प्रणाली द्वारा लगाया जाएगा। सल्फर की छड़ियों का उपयोग करके अमोनिया के रिसाव का भी पता लगाया जा सकता है।

9. *अलार्म सिस्टम-* (ए) प्लांट और इमारतों के कुछ हिस्सों को अलार्म सिस्टम, स्वचालित कट-ऑफ या अन्य उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा ताकि ओवरचार्जिंग या अन्यथा संयंत्र को खतरे में डालने से रोका जा सके।

(ख) प्रेशर वेसल या संयंत्र के भागों के माध्यम से अमोनिया और अन्य रसायनों के रिसाव के मामले में रासायनिक वाष्प सेंसर से संकेत प्राप्त करके अलार्म प्रणाली स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाएगी।

(ग) किसी भी समय बल्क कंटेनरों में किसी भवन में लिए गए अमोनिया और अन्य रसायनों की मात्रा यथासंभव कम रखी जाएगी।

10. *श्वास उपकरण-*

(क) प्रत्येक कारखाने में ऐसा प्रावधान किया जाएगा जहां खतरनाक गैस या धुएं की पर्याप्त आपूर्ति से बचने के लिए उत्तरदायी है-

(i) इसमें शामिल खतरों के लिए अनुमोदित मेक का श्वास उपकरण;

(ii) ऑक्सीजन और इसके प्रशासन के उपयुक्त साधन; तथा

(iii) जीवन-बेल्ट।

इस अनुसूची के लिए आवश्यक श्वास उपकरण और अन्य उपकरण (i) अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाएगा और एम्बुलेंस कक्ष में या मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किसी अन्य स्थान पर रखा जाएगा, और (ii) एक सक्षम व्यक्ति द्वारा हर महीने एक बार पूरी तरह से निरीक्षण किया जाएगा, जिसे अधिष्ठाता द्वारा लिखित रूप में नियुक्त किया जाएगा और उनकी स्थिति का रिकॉर्ड उस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई पुस्तक में दर्ज किया जाएगा, जिसे निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा आवश्यक होने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) कामगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा और श्वास तंत्र और श्वासयंत्रों के उपयोग में आवधिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम दिया जाएगा।

(ग) श्वासयंत्रों को एक साफ सूखी प्रकाश-प्रूफ अलमारियाँ में ठीक से लेबल किया जाएगा, और यदि धुएं से प्रभावित होने के लिए उत्तरदायी है, तो उपयुक्त कंटेनरों द्वारा संरक्षित किया जाएगा। उपयोग के बाद श्वासयंत्रों को सुखाया और साफ किया जाएगा और समय-समय पर कीटाणुरहित किया जाएगा।

11. *निकास ड्राफ्ट-* जहां इस प्रक्रिया में धूल, धुआं, गैस या वाष्प उत्पन्न होता है, वहां उन्हें एक कुशल निकास ड्राफ्ट के माध्यम से हटाने का प्रावधान किया जाएगा ताकि धूल, धुआं, गैस या वाष्प पर जितना संभव हो सके मूल बिंदु तक काम किया जा सके।

12. *कार्यकक्ष में भोजन, पेय और धूम्रपान निषिद्ध* - (1) किसी भी कार्यकक्ष में किसी भी श्रमिक द्वारा भोजन, पेय, तंबाकू, पान या सुपारी नहीं लाया जाएगा या उपभोग नहीं किया जाएगा, जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है।

(2) किसी भी कार्यकक्ष में धूम्रपान निषिद्ध होगा जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है।

13. *सुरक्षात्मक कपड़े और सुरक्षात्मक उपकरण-* (1) उक्त निर्माण प्रक्रिया में कार्यरत सभी श्रमिकों के लिए लंबी पैंट और शर्ट या लंबी आस्तीन और सिर कवरिंग के साथ चौग़ा से युक्त सुरक्षात्मक कपड़े प्रदान किए जाएंगे।

(2) उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में कार्यरत सभी कामगारों के लिए रबर के दस्ताने, गम बूट, रबर एप्रन, रासायनिक सुरक्षा चश्मे से युक्त सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

(3) सुरक्षात्मक कपड़े और उपकरण अच्छी स्थिति में बनाए रखे जाएंगे।

14. *वेंटिलेशन-* प्रत्येक वर्करूम या क्षेत्र में जहां उर्वरकों का निर्माण या हेरफेर किया जाता है, ताजी हवा के संचलन द्वारा हर समय पर्याप्त वेंटिलेशन प्रदान किया जाएगा।

15. *कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा* - (1) पैराग्राफ 1 में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक को अपने पहले रोजगार के 15 दिनों के भीतर फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। इस तरह की परीक्षा में रक्त और मूत्र में अमोनिया और अन्य रसायनों के निर्धारण के लिए परीक्षण, फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण, ईईजी परीक्षण, स्मृति परीक्षण और फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित अन्य परीक्षण शामिल होंगे। किसी भी श्रमिक को कारखाने में अपने पहले रोजगार के 15 दिनों के बाद काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तरह के रोजगार के लिए फिट प्रमाणित न किया गया हो।

(2) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक की प्रत्येक छह कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुन: जांच की जाएगी। इस तरह की परीक्षा, जहां भी फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट परीक्षणों को शामिल करेगी।

(3) फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी किसी कर्मकार की जांच करने के बाद, प्रपत्र-8 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा। की गई पुन: परीक्षा का रिकॉर्ड स्वास्थ्य रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा फॉर्म-7 को कारखाने के प्रबंधक

की अभिरक्षा में रखा जाएगा। उप-पैराग्राफ (1) और (2) के तहत की गई प्रत्येक परीक्षा का रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षणों की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-7 में एक स्वास्थ्य रजिस्टर में भी दर्ज किया जाएगा।

(4) स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

16. *छूट*- यदि किसी कारखाने के संबंध में, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता संतुष्ट है कि असाधारण परिस्थितियों या उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की आवृत्ति के कारण या किसी अन्य कारण से जिसे वह लिखित रूप में दर्ज करेगा, इस अनुसूची के सभी या किसी भी प्रावधान कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं, वह लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र द्वारा, ऐसी शर्त पर सभी या किसी भी प्रावधान से, जो वह उसमें निर्दिष्ट कर सकता है, ऐसे प्रमाण पत्र को किसी भी समय मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा उसके कारणों को दर्ज करने के बाद रद्द किया जा सकता है।

अनुसूची-XXXV

कोल्ड स्टोरेज या मिल्क चिलिंग प्लांट या रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करके बर्फ का निर्माण और उसके आकस्मिक प्रसंस्करण

1. *आवेदन*- यह अनुसूची उन सभी कारखानों या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में लागू होगी जिसमें कोल्ड स्टोरेज, मिल्क चिलिंग और अमोनिया या अन्य रसायनों का उपयोग करके बर्फ के निर्माण की प्रक्रिया और अमोनिया या अन्य रसायनों का उपयोग, हैंडलिंग और भंडारण करने वाली अन्य प्रक्रियाएं।

2. *परिभाषाएँ*—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए—

(ए) "आइस प्लांट" का अर्थ है बर्फ के उत्पादन और भंडारण के लिए एक पूर्ण स्थापना, जिसमें आइसमेकर भी शामिल है, यानी वह इकाई है जो संबंधित प्रशीतन मशीनरी, कटाई और भंडारण उपकरण और भवन के साथ पानी को बर्फ में परिवर्तित करती है।

(ख) "कोल्ड स्टोरेज" का अर्थ है फलों, सब्जियों, मांस, मछली आदि जैसे खराब होने वाले उत्पादों को लंबे समय तक नियंत्रित परिस्थितियों में संग्रहीत करने के लिए एक वाणिज्यिक सुविधा।

(ग) मिल्क चिलिंग प्लांट का अर्थ है दूध को कम तापमान पर बनाए रखना ताकि प्रसंस्करण/उत्पाद विनिर्माण से पहले गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की गिरावट को रोका जा सके।

(घ) "रेफ्रिजरेंट" का अर्थ है एक पदार्थ या मिश्रण, आमतौर पर एक तरल पदार्थ, जिसका उपयोग प्रशीतन चक्र में किया जाता है। अधिकांश चक्रों में यह एक तरल से गैस में चरण संक्रमण से गुजरता है और फिर से वापस आ जाता है। ऐसे उद्देश्यों के लिए कई काम करने वाले तरल पदार्थों का उपयोग किया गया है। कोल्ड स्टोरेज, मिल्क चिलिंग और बर्फ के निर्माण की प्रक्रियाओं में आम तौर पर अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है।

(ङ) कुशल निकास ड्राफ्ट से धुएं, गैस वाष्प, धूल, धुआं या धुंध को हटाने के लिए स्थानीयकृत यांत्रिक वेंटिलेशन अभिप्रेत है ताकि उन्हें किसी भी कार्यकक्ष की हवा में जाने से रोका जा सके जिसमें कार्य किया जाता है। किसी भी निकास ड्राफ्ट को कुशल नहीं माना जाएगा यदि यह उस बिंदु पर उत्पन्न धुएं को हटाने में विफल रहता है जहां ऐसी गैस, धुआं, धूल, वाष्प या धुंध प्रक्रिया से उत्पन्न होती है;

(च) "श्वास उपकरण" का अर्थ है (1) आवश्यक कनेक्शन के साथ एक हेलमेट या चेहरे का टुकड़ा जिसके माध्यम से एक जहरीले, दम घुटने वाले या चिड़चिड़े वातावरण में इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति साधारण हवा में सांस लेता है, या (2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित कोई अन्य उपयुक्त उपकरण; तथा

(छ) "प्रथम रोजगार" का अर्थ किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया में पहला रोजगार होगा जिस पर यह अनुसूची लागू होती है और इसमें तीन कैलेंडर महीनों से अधिक की निरंतर अवधि के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में पुन: रोजगार भी शामिल होगा।

3. *श्रमिकों को निर्देश- अपने* पहले रोजगार पर प्रत्येक श्रमिक को उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में संभाले गए रसायनों के खतरनाक गुणों और इसमें शामिल खतरों के संबंध में पूरी तरह से निर्देश दिया जाएगा। श्रमिकों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में भी निर्देश दिया जाएगा, ऐसे निर्देश समय-समय पर दोहराए जाएंगे।

4. *महिलाओं या युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित निषेध-* किसी भी गर्भवती महिला या युवा व्यक्ति को किसी भी कमरे में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है या किसी भी कमरे में जिसमें अमोनिया या अन्य रसायन संग्रहीत हैं।

परन्तु महिला श्रमिकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन काम करने के लिए उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है: -

(1) व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिष्ठाता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) मानकों को अपनाया जाएगा।

(2) जहां तक संभव हो, अधिष्ठाता समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का आधुनिकीकरण करेगा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेंगे।

(3) दूध पिलाने वाली महिला श्रमिकों को रोजगार से छूट दी जाएगी।

5. *उपकरण-* सभी उपकरणों जैसे प्रेशर गेज, थर्मामीटर, फ्लो मीटर और वेटिंग मशीन का परीक्षण एक सक्षम व्यक्ति द्वारा नियमित अंतराल पर किया जाएगा, और इन परीक्षणों का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाएगा।

6. *सुरक्षा वाल्व-* हर बंद बर्तन जिसमें गैस का उत्पादन होता है या जिसमें गैस पारित की जाती है और जिसमें दबाव खतरनाक डिग्री तक बढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है, उसके साथ एक दबाव नापने का यंत्र जुड़ा होगा, और दबाव को दूर करने के लिए एक उचित सुरक्षा वाल्व या अन्य समान रूप से कुशल साधन, अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाता है और एक सक्षम व्यक्ति द्वारा नियमित अंतराल पर परीक्षण किया जाएगा, और इन परीक्षणों का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाएगा।

7. *संयंत्र की जांच, परीक्षण और मरम्मत-* प्रेशर वेसेल या प्लांट के हिस्सों की जांच, परीक्षण और मरम्मत जो अमोनिया और अन्य रसायनों के संपर्क में रहे हैं, या जो वायुमंडलीय दबाव से ऊपर हैं, केवल उचित पर्यवेक्षण के तहत ही किए जाएंगे। प्रेशर वेसेल या प्लांट के हिस्सों की जांच और परीक्षण एक सक्षम व्यक्ति द्वारा नियमित अंतराल पर किया जाएगा, और इन परीक्षणों के रिकॉर्ड दबाव वाहिकाओं के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रदान किए जाएंगे।

8. *अमोनिया और अन्य रसायनों के रिसाव का पता लगाना-* रासायनिक वाष्प पहचान प्रणाली द्वारा प्रेशर वेसेल या प्लांट के हिस्सों के माध्यम से अमोनिया और अन्य रसायनों के रिसाव का पता लगाया जाएगा। सल्फर की छड़ियों का उपयोग करके अमोनिया के रिसाव का भी पता लगाया जा सकता है।

9. *अलार्म सिस्टम-*

(ए) संयंत्र और इमारतों के कुछ हिस्सों में अलार्म सिस्टम, स्वचालित कट-ऑफ या अन्य उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा ताकि ओवरचार्जिंग या अन्यथा संयंत्र को खतरे में डालने से रोका जा सके।

(ख) प्रेशर वेसेल या संयंत्र भागों के माध्यम से अमोनिया और अन्य रसायनों के रिसाव के मामले में रासायनिक वाष्प सेंसर से संकेत प्राप्त करके अलार्म प्रणाली स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाएगी।

(ग) किसी भी समय बल्क कंटेनरों में किसी भवन में लिए गए अमोनिया और अन्य रसायनों की मात्रा यथासंभव कम रखी जाएगी।

10. *श्वास उपकरण* - (ए) श्वास उपकरण प्रत्येक कारखाने में प्रदान किया जाएगा जहां खतरनाक गैस या धुएं की पर्याप्त आपूर्ति से बचने के लिए उत्तरदायी है-

(i) इसमें शामिल खतरों के लिए अनुमोदित मेक का श्वास उपकरण;

(ii) ऑक्सीजन और इसके प्रशासन के उपयुक्त साधन; तथा

(iii) जीवन-बेल्ट।

इस अनुसूची के लिए आवश्यक श्वास उपकरण और अन्य उपकरण (i) अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाएगा और एम्बुलेंस कक्ष में या मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किसी अन्य स्थान पर रखा जाएगा, और (ii) एक सक्षम व्यक्ति द्वारा हर महीने एक बार पूरी तरह से निरीक्षण किया जाएगा, जिसे अधिष्ठाता द्वारा लिखित रूप में नियुक्त किया जाएगा और उनकी स्थिति का रिकॉर्ड उस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई पुस्तक में दर्ज किया जाएगा, जिसे निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा आवश्यक होने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) कर्मकारों को प्रशिक्षित किया जाएगा और श्वास तंत्र और श्वासयंत्रों के उपयोग में आवधिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम दिया जाएगा।

(ग) श्वासयंत्रों को एक साफ सूखी प्रकाश-प्रूफ अलमारियाँ में ठीक से लेबल किया जाएगा, और यदि धुएं से प्रभावित होने के लिए उत्तरदायी है, तो उपयुक्त कंटेनरों द्वारा संरक्षित किया जाएगा। उपयोग के बाद श्वासयंत्रों को सुखाया और साफ किया जाएगा और समय-समय पर कीटाणुरहित किया जाएगा।

11. *निकास ड्राफ्ट*- निम्नलिखित प्रक्रियाओं या प्रचालनों को एक कुशल निकास ड्राफ्ट के तहत या ऐसी अन्य शर्तों के तहत नहीं किया जाएगा जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं:

(ए) "मशीन रूम" या भवन का कोई अन्य कमरा जहां कम्प्रेसर, रिसीवर और प्रशीतन प्रणाली के अन्य घटक और उनके उपकरण स्थापित किए जाते हैं, जहां इस प्रक्रिया में धूल, धुआं, गैस या वाष्प उत्पन्न होता है।

(बी) अमोनिया या अन्य रासायनिक भंडारण कक्ष या इमारतों का हिस्सा, जहां धूल, धुआं, गैस या वाष्प उत्पन्न होता है।

12. *कार्यकक्ष में भोजन, पेय और धूम्रपान निषिद्ध* - (1) किसी भी कार्यकक्ष में किसी भी श्रमिक द्वारा भोजन, पेय, तंबाकू, पान या सुपारी नहीं लाया जाएगा या उपभोग नहीं किया जाएगा, जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है।

(2) किसी भी कार्यकक्ष में धूम्रपान निषिद्ध होगा जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है।

13. *सुरक्षात्मक कपड़े और सुरक्षात्मक उपकरण*- (1) उक्त निर्माण प्रक्रिया में कार्यरत सभी श्रमिकों के लिए लंबी पैंट और शर्ट या लंबी आस्तीन और सिर कवरिंग के साथ चौग़ा से युक्त सुरक्षात्मक कपड़े प्रदान किए जाएंगे।

(2) उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में कार्यरत सभी कामगारों के लिए रबर के दस्ताने, गम बूट, रबर एप्रन, रासायनिक सुरक्षा चश्मे से युक्त सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

(3) सुरक्षात्मक कपड़े और उपकरण अच्छी स्थिति में बनाए रखे जाएंगे।

14. *वेंटिलेशन*- मशीन रूम या भवन के किसी अन्य कमरे में जहां कंप्रेसर, रिसीवर और प्रशीतन प्रणाली के अन्य घटक और उनके उपकरण स्थापित किए जाते हैं और अमोनिया या अन्य रासायनिक भंडारण कक्ष या इमारतों का हिस्सा, जहां धूल, धुआं, गैस या वाष्प का उत्पादन होता है, ताजी हवा के संचलन द्वारा हर समय पर्याप्त वेंटिलेशन प्रदान किया जाएगा।

15. *कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा* - (1) पैराग्राफ 1 में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक की जांच उसके पहले रोजगार के 15 दिनों के भीतर की जाएगी। इस तरह की परीक्षा में रक्त और मूत्र में अमोनिया और अन्य रसायनों के निर्धारण के लिए परीक्षण, फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण, ईईजी परीक्षण, स्मृति परीक्षण और अन्य परीक्षण शामिल होंगे जैसा कि फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी निर्धारित करते हैं। किसी भी श्रमिक को कारखाने में अपने पहले रोजगार के 15 दिनों के बाद काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तरह के रोजगार के लिए फिट प्रमाणित न किया गया हो।

(2) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक की प्रत्येक छह कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुन: जांच की जाएगी। इस तरह की परीक्षा, जहां भी फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी उचित समझे, उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट परीक्षणों को शामिल करेगी।

(3) फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी किसी कर्मकार की जांच करने के बाद, प्रपत्र-8 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा। परीक्षा और पुन: परीक्षा का रिकॉर्ड प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाएगा और प्रमाण पत्र कारखाने के प्रबंधक की अभिरक्षा में रखा जाएगा। उप-पैराग्राफ (1) और (2) के तहत की गई प्रत्येक परीक्षा का रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षणों की प्रकृति और परिणाम शामिल हैं, फैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म-7 में एक स्वास्थ्य रजिस्टर में भी दर्ज किया जाएगा।

(4) स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखा जाएगा।

16. छूट- यदि किसी कारखाने के संबंध में, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता संतुष्ट है कि असाधारण परिस्थितियों या उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की आवृत्ति के कारण या किसी अन्य कारण से जिसे वह लिखित रूप में दर्ज करेगा, इस अनुसूची के सभी या किसी भी प्रावधान कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं, वह लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र द्वारा, ऐसी शर्त पर सभी या किसी भी प्रावधान से ऐसे कारखाने को छूट दे सकता है, जैसा कि वह उसमें निर्दिष्ट कर सकता है, ऐसे प्रमाण पत्र को किसी भी समय मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा उसके कारणों को दर्ज करने के बाद रद्द किया जा सकता है।

अनुसूची-XXXVI

{नियम 108 देखें}

सामग्री सुरक्षा डेटा शीट

1. रासायनिक पहचान:

रासायनिक नाम रासायनिक वर्गीकरण समानार्थी व्यापार नाम
फार्मूला सीएएस संख्या संयुक्त राष्ट्र सं.
विनियमित पहचान शिपिंग का नाम Hazechem No. कोड/लेबल
खतरनाक अपशिष्ट आईडी नं.
खतरनाक सामग्री सी.ए.एस. खतरनाक सामग्री सी.एस.ए.
1. 2. 3.
2. भौतिक और रासायनिक डेटा
उबलते रेंज / बिंदु 0C भौतिक अवस्था उपस्थिति
पिघलने / हिमांक 0C वाष्प दबाव गंध वाष्प घनत्व (वायु- 1) @ 35^0 C mmHg अन्य पानी में घुलनशीलता 30^0 सी मिमी एचजी
विशिष्ट गुरुत्व पीएच पानी – 1 3. आग और विस्फोट के खतरे का डेटा:
ज्वलनशीलता हाँ /नहीं यूईएल% फ्लैश प्वाइंट 0 सी ऑटो इग्निशन तापमान^ 0 सी
TDG ज्वलनशीलता UEL % फ्लैश प्वाइंट 0 C दहन के खतरनाक उत्पाद
स्थैतिक बिजली के प्रति विस्फोट संवेदनशीलता विस्फोट संवेदनशीलता

खतरनाक पोलीमराइजेशन दहनशील तरल विस्फोटक सामग्री संक्षारक सामग्री
ज्वलनशील सामग्री ऑक्सीडाइज़र अन्य
पाइरोफोरिक सामग्री कार्बनिक पेरोक्साइड
4. प्रतिक्रियाशीलता डेटा :
रासायनिक स्थिरता
अन्य सामग्रियों के साथ असंगति
प्रतिक्रियाशीलता प्रतिक्रिया के खतरनाक उत्पाद
5. स्वास्थ्य खतरे का डेटा:
प्रवेश के मार्ग एक्सपोजर/लक्षणों के प्रभाव
आपातकालीन उपचार
टीएलवी (एसीजीआईएच) पीपीएम। एमजी/एम3 सेट पीपीएम। मिलीग्राम/एम3
अनुमेय एक्सपोज़र सीमा आईडी 50 पीपीएम। Mg/m3 ऑर्डर पीपीएम थ्रेशोल्ड Mg / m3 LD50
एनएफपीए खतरा संकेत स्वास्थ्य ज्वलनशीलता स्थिरता विशेष
6. निवारक उपाय:
कार्मिक सुरक्षात्मक उपकरण
हैंडलिंग और भंडारण सावधानियां
7. आपातकालीन और प्राथमिक चिकित्सा उपाय: आग बुझाने का मीडिया
विशेष प्रक्रियाएं
असामान्य खतरे
एक्सपोजर प्राथमिक चिकित्सा उपाय
एंटीडोट्स/खुराक
स्पिल उठाए जाने वाले कदम
अपशिष्ट निपटान विधि
8. अतिरिक्त जानकारी/संदर्भ :
9. निर्माता/आपूर्तिकर्ता डेटा:
आपातकालीन व्यक्ति से संपर्क करें
फर्म का नाम डाक पता शामिल स्थानीय निकाय टेलीफोन/टेलेक्स नं. टेलीग्राफिक पता
मानक पैकिंग
ट्राम कार्ड विवरण/संदर्भ
अन्य
अस्वीकरण: इस सामग्री सुरक्षा डेटा शीट में निहित जानकारी को विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन इसकी सटीकता के रूप में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व, गारंटी या वारंटी नहीं दी जाती है, उनसे प्राप्त होने वाले परिणामों के किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए उपयुक्तता भिन्न हो सकती है। यह निर्माता/विक्रेता पर निर्भर है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सामग्री सुरक्षा डेटा शीट में निहित जानकारी उसके द्वारा निर्मित/नियंत्रित या बेचे गए उत्पाद के लिए प्रासंगिक है, जैसा भी मामला हो। सरकार किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस दस्तावेज की पर्याप्तता के संबंध में व्यक्त या निहित कोई वारंटी नहीं देती है।

अनुसूची-XXXVII

{नियम 124 का उप-नियम (1) देखें}

काम के माहौल में कुछ रासायनिक पदार्थों का अनुमेय स्तर

क्रम संख्या	सार तत्व	जोखिम की अनुमेय सीमा			
		समय भारित औसत एकाग्रता (8 घंटे)		अल्पकालिक एक्सपोज़र सीमा (15 मिनट)*	
		पीपीएम	मिलीग्राम/ एम3**	पीपीएम	मिलीग्राम/ एम3**
1.	एसीटैल्डिहाइड	100	180	150	270
2.	एसिटिक एसिड	10	25	15	37
3.	ऐसीटोन	750	1780	1000	2375
4.	एक्रोलिन	0.1	0.25	0.3	0.8
5.	एक्रिलोनिट्राइल-त्वचा	2	4.5	--	--
6.	एल्ड्रिन-त्वचा	--	0.25	--	--
7.	एलिल क्लोराइड	1	3	2	6
8.	अमोनिया	25	18	35	27
9.	एनिलिन-त्वचा	2	10	--	--
10.	एनिसिडाइन (ओ-पी- आइसोमर्स)-त्वचा	0.1	0.5	--	--
11.	आर्सेनिक और यौगिक (एएस के रूप में)	--	0.2	--	--
12.	बेंजीन (एच.सी.)	10	20	25	7.5
13.	बेरिलियम और यौगिक (जैसा बी) (एस.सी.)	--	0.002	--	--
14.	बोर्नन ट्राइफ्लोराइड-सी	1	3	--	--
15.	ब्रोमाइन	0.1	0.7	0.3	2
16.	ब्यूटेन	800	1900	--	--
17.	2-ब्यूटानोन (मिथाइल-एथिल कीटोन एमबीके)	200	590	300	885
18.	एन-ब्यूटाइल एसीटेट	150	710	200	950
19.	एन-ब्यूटाइल अल्कोहल-त्वचा-सी	50	150	--	--
20.	एससीई/टर्ट, ब्यूटाइल एसीटेट	200	950	--	--
21.	ब्यूटाइल मर्कैप्टन	0.5	1.5	--	--
22.	कैडमियम-धूल और लवण (सीडी के रूप में)	--	0.05	--	--
23.	कैल्शियम ऑक्साइड	--	2	--	--
24.	कार्बेरिल (सेविन)	--	5	--	--
25.	कार्बोफ्यूरान (फुरदान)	--	0.1	--	--
26.	कार्बन डाइसल्फाइड-त्वचा	10	30	--	--
27.	कार्बन मोनोऑक्साइड	50	55	400	440
28.	कार्बोनेट ट्रैक्लोराइड-त्वचा	5	30	--	--
29.	कार्बोनिल क्लोराइड (फॉस्जीन)	0.1	0.4	--	--
30.	क्लोरोबेंजीन (मोनोक्लोरो-बेंजीन)	75	350	--	--

31.	क्लोरिडेन-त्वचा	--	0.5	--	--
32.	क्लोरीन	1	3	3	9
33.	क्लोरोफॉर्म (एससी)	10	50	--	--
34.	बीआईएस- (क्लोरोमिथाइल) ईथर (एचसी)	0.001	0.005	--	
35.	क्रोमिक एसिड और क्रोमेट्स (सीआर के रूप में) पानी में घुलनशील	--	0.05	--	--
36.	क्रोमस लवण (सीआर के रूप में)	0	05	--	--
37.	तांबे का धुआं	--	0.2	--	--
38.	कपास की धूल, कच्ची	--	0.2	--	--
39.	क्रेसोल, सभी आइसोमर्स-त्वचा	5	22	--	--
40.	साइनाइड (सीएन के रूप में)-त्वचा	--	5	--	--
41.	सायनोजेन	10	20	--	--
42.	डीडीटी (डाइक्लोरो डिफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन)	--	1	--	--
43.	डेमेरॉन-त्वचा	0.01	0.1	--	--
44.	डायज़िनॉन-त्वचा	--	0.1	--	--
45.	डिब्यूटाइल पाइथलेट	--	5	--	--
46.	Dichiorvos (DDVP)-त्वचा	0.1	1	--	--
47.	डायल्ड्रिन-त्वचा	--	0.25	--	--
48.	डाइनिट्रोबेंजीन, (सभी आइसोमर्स) - त्वचा	0.15	1	--	--
49.	डिनिट्रोटोल्यूनि-त्वचा	--	1.5	--	--
50.	डायोफेनिल (बिफिनिल)	0.2	1.5	--	--
51.	एंडोसल्फान (थियाडॉन) - त्वचा	--	0.1	--	--
52.	एंड्रिन-त्वचा	--	0.1	--	0.3
53.	एथिल एसीटेट	400	1400	--	--
54.	एथिल अल्कोहल	1000	1900	--	--
55.	एथिलमाइन	10	18	--	--
56.	फ्लोराइड (एफ के रूप में)	--	2.5	--	--
57.	फ़्लोरीन	1	2	2	4
58.	फॉर्मिक एसिड	5	9	--	--
59.	हाइड्राज़िन-त्वचा (एससी)	0.1	0.1	--	--
60.	हाइड्रोजन क्लोराइड-सी	5	7	--	--
61.	हाइड्रोजन साइनाइड-त्वचा-सी	10	10	--	--
62.	हाइड्रोजन फ्लोराइड (F)-C के रूप में	3	2.5	--	--
63.	हाइड्रोजन परऑक्साइड	1	1.5	--	--
64.	हाइड्रोजन सल्फाइड	10	14	15	21
65.	गैसोलीन	300	900	500	1500
66.	आयोडीन -सी	0.1	1	--	--
67.	आयरन ऑक्साइड धूआं (Fe2O3) (Fe के रूप में)	-	5	--	--
68.	आइसोमाइल एसीटेट	100	525	--	--

69.	आइसोमाइल अल्कोहल	100	360	125	450
70.	आइसोब्यूटाइल अल्कोहल	50	150	--	--
71.	सीसा, inorg, धूल और धुएं (Pb के रूप में)	--	0.15	--	--
72.	लिंडेन-त्वचा	--	0.5	--	--
73.	मैलाथियान-त्वचा	--	10	--	--
74.	मैंगनीज धूल और यौगिक (एमएन के रूप में)	--	5	--	--
75.	मैंगनीज धुआं (एमएन के रूप में)	--	1	--	3
76.	पारा (एचजी के रूप में)-त्वचा				
	(i)एल्काइल यौगिक	--	0.01	--	0.03
	(ii)एल्काइल वाष्प को छोड़कर सभी रूप	--	0.05	--	--
	(iii)एरिल और अकार्बनिक यौगिक	--	0.1	--	--
77.	मिथाइल अल्कोहल (मेथनॉल) -त्वचा	200	260	250	310
78.	मिथाइल सेलोसॉल्व-त्वचा (2 मेथॉक्सी इथेनॉल)-scin	5	16	--	--
79.	मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन	50	205	75	300
80.	मिथाइल आइसोसाइनेट	0.02	0.05	--	--
81.	नेफ़थलीन	10	50	15	75
82.	निकेल कार्बोनिल (Ni के रूप में)	0.05	0.35	--	--
83.	नाइट्रिक एसिड	2	5	4	10
84.	नाइट्रिक ऑक्साइड	25	30	--	--
85.	नाइट्रोबेंजीन-त्वचा	1	5	--	--
86.	नाइट्रोजनडाइ-ऑक्साइड गैस	3	6	5	10
87.	तेल धुंध, खनिज	--	5	--	10
88.	ओजोन	0.1	0.2	0.3	0.6
89.	पैराथियान-त्वचा	--	0.1	--	--
90.	फिनोल-त्वचा	5	19	--	--
91.	फोरेट (थिमेट) त्वचा	--	0.05	--	0.2
92.	फॉस्जीन (कार्बोनिल क्लोराइड)	0.1	0.4	--	--
93.	फॉस्फीन	0.3	0.4	1	1
94.	फॉस्फोरिक एसिड (पीला)	--	1	--	--
95.	फास्फोरस (पीला)	--	0.1	--	--
96.	फास्फोरस पेंटाक्लोराइड	0.1	1	--	--
97.	फास्फोरस ट्राइक्लोराइड	0.2	1.5	0.5	3
98.	पिक्रिक एसिड-त्वचा	--	0.1	--	0.3
99.	पाइरीडीन	5	15	--	--
100.	सिलेन (सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड)	5	7	--	--
101.	सोडियम हाइड्रॉक्साइड-सी	--	2	--	--
102.	स्टाइरीन, मोनोमर (फेनिलथिलीन)	50	215	100	425
103.	सल्फ़र डाइऑक्साइड	2	5	5	10

104.	सल्फर हेक्साफ्लोराइड	1000	6000	--	--
105.	सल्फ़्यूरिक एसिड	--	1	--	--
106.	टोल्यूनि (टोलुओल)	100	375	150	560
107.	ओ-ट्यूलुआयोडीन-त्वचा (एससी)	2	9	--	--
108.	ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट	0.2	2.5	--	--
109.	ट्राइक्लोरोएथिलीन	50	270	200	1080
110.	यूरेनियम, प्राकृतिक (यू के रूप में)	--	0.2	--	--
111.	विनाइल क्लोराइड (एचसी)	5	10	--	--
112.	वेल्डिंग धुएं	--	5	--	--
113.	ज़ाइलीन (ओ-, एम, पी-आइसोमर्स)	100	435	150	655
114.	जिंक ऑक्साइड				
	(i)धुआं	--	5	--	10
	(ii) धूल (कुल धूल)	--	10	--	--
115.	ज़िरोनियम यौगिक (Zr के रूप में)	--	5	--	10

पीपीएम: 25 डिग्री सेल्सियस और 760 मिमी एचजी पर मात्रा द्वारा दूषित हवा के प्रति मिलियन भागों में वाष्प या गैस के भाग।

mg/m3 : मिलीग्राम पदार्थ प्रति घन मीटर हवा

*,: दिन में 4 बार से अधिक नोट करें और लगातार एक्सपोजर के बीच कम से कम 60 मिनट का अंतराल रखें।

**,: मिलीग्राम/एम3 एक्स पीपीएम$\frac{\text{molecular weight}}{24.45}$

जी,: छत सीमा को दर्शाता है

त्वचा,: श्लेष्म झिल्ली और आंख सहित त्वचीय मार्ग द्वारा समग्र जोखिम में संभावित योगदान को दर्शाता है।

एस.सी., :d enotes संदिग्ध मानव कार्सिनोजेन

H.C.का अर्थ है पुष्टि की गई मानव कार्सिनोजेन

सार तत्व	पारगम्य समय-भारित औसत एकाग्रता (TWA) (8 घंटे)
(i) सिलिका, SiO2 (a) क्रिस्टलीन (i) क्वार्ट्ज (1) धूल की गिनती के संदर्भ में (2) श्वसन योग्य धूल के संदर्भ में (3) कुल धूल के संदर्भ में	 10600/- (% क्वार्ट्ज + 10) एमपीपीसीएम 10/(% श्वसन योग्य क्वार्ट्ज + 2) मिलीग्राम/एम3 30/- (% श्वसन योग्य क्वार्ट्ज + 3) मिलीग्राम/एम3
(ii) क्रिस्टाबालाइट	क्वार्ट्ज के खिलाफ दी गई आधी सीमाएं।
(iii) ट्राइडिमाइन	क्वार्ट्ज के खिलाफ दी गई आधी सीमाएं।
(iv) सिलिका फ्यूज्ड	क्वार्ट्ज के लिए समान सीमा।
(v)त्रिपोली: क्वार्ट्ज के खिलाफ दिए गए आइटम 2 में सूत्र के समान सीमा।	
(बी) अनाकार सिलिकेट: 10 मिलीग्राम/एम3 कुल धूल।	
[एस्बेस्टस (एच.सी.):	
(ए) अमोसाइट..... 0.1 फाइबर/सीसी*** (बी) क्रिस्टोलाइट..... । 0.1 फाइबर/सीसी*** (c) क्रोसिडोलाइट..... . 0.1 फाइबर/सीसी***	

पोर्टलैंड सीमेंट: 10 मिलीग्राम/वर्ग मीटर, कुल धूल जिसमें 1% से कम क्वार्ट्ज होता है कोयला धूल: 2 मिलीग्राम/वर्ग मीटर, श्वसन योग्य धूल अंश जिसमें 5% क्वार्ट्ज से कम होता है।

एमपीपीसीएम = प्रकाश क्षेत्र तकनीकों द्वारा गिने गए नमूनों के आधार पर प्रति घन मीटर हवा में मिलियन कण।

(i) लंबाई में 5 माइक्रोन से अधिक और चौड़ाई में 5 माइक्रोन से कम फाइबर के लिए, लंबाई से चौड़ाई राशन 3:1 के बराबर या उससे अधिक।

(ii) जैसा कि 400-450 × आवर्धन (4 माइक्रोन bjective) चरण विपरीत रोशनी पर झिल्ली फिल्टर विधि द्वारा निर्धारित किया गया है।

सांस लेने योग्य धूल:

निम्नलिखित विशेषताओं के साथ एक आकार-चयनकर्ता को पारित करने वाला अंश:

वायुगतिकीय व्यास (μ मीटर) (इकाई घनत्व क्षेत्र)	% पासिंग चयनकर्ता
2	90
2.5	75
3.5	50
5.0	25
10	01

कुछ रेडियोन्यूक्लाइड के लिए अनुमेय गतिविधि एकाग्रता स्तर जो आमतौर पर धातु रीसाइक्लिंग उद्योगों में पाए जाते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:

रेडियोन्यूक्लाइड	रेडियोन्यूक्लाइड सांद्रता (बीक्यू/जी*)
सीओ-60	0.1
सीएस-137	0.1
एएम-241	0.1
आईआर-192	1.0”

पाद-टिप्पणी:

1. Bq/g का मतलब बेकरेल प्रति ग्राम है। बेकरेल का अर्थ है प्रति सेकंड रेडियोन्यूक्लाइड का एक परिवर्तन: और रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है।
2. माप में धातु स्क्रैप, अर्ध-तैयार और तैयार उत्पादों पर बाहरी विकिरण स्तर के साथ-साथ माप के स्थान पर पृष्ठभूमि के स्तर शामिल होंगे और उसी के रिकॉर्ड बनाए रखे जाएंगे। यदि सामग्री पर विकिरण का स्तर पृष्ठभूमि विकिरण स्तर से 20 μ/घंटा (माइक्रो रेड प्रति घंटा) से अधिक है।
3. परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) को तत्काल सूचित किया जाएगा।

प्रपत्र-1

[धारा 2 (1) (*एल*) , नियम -4 की और उप नियम (3)]

भाग-I

नियम 4 के तहत किसी व्यक्ति को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन का प्रपत्र

Passport size Photograph

1. नाम
2. जन्म तिथि
3. संगठन का नाम (यदि स्व-नियोजित नहीं है)
4. पदनाम
5. शैक्षिक योग्यता (प्रशंसापत्र की प्रतियां संलग्न की जानी हैं)
6. पेशेवर अनुभव का विवरण (कालानुक्रमिक क्रम में):

संगठन का नाम	सेवा की अवधि	उपाधि	जिम्मेदारी का क्षेत्र

7. सदस्यता, यदि कोई हो, पेशेवर निकायों की
8. (i) उसके निपटान में सुविधाओं (परीक्षा, परीक्षण, आदि) का विवरण।
   (ii) इन सुविधाओं की सटीकता को अंशांकित करने और बनाए रखने की व्यवस्था
9. जिस उद्देश्य के लिए योग्यता का प्रमाण पत्र मांगा जाता है (संहिता के खंड या अनुभागों को बताया जाना चाहिए)
10. क्या आवेदक को किसी क़ानून के तहत सक्षम व्यक्ति घोषित किया गया है (यदि हां, तो विवरण) .....
11. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी .....
12. आवेदक द्वारा घोषणा .....

I, ... इसके द्वारा घोषणा करें कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य है; मैं उपक्रम करता हूं-

(क) मेरे निपटान में उपलब्ध सुविधाओं में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में (या तो जोड़ा या हटाया जाना) या अपने उपरोक्त संगठन को छोड़कर, मैं तुरंत मुख्य निरीक्षक-सह- सूत्रधार;

(ख) सुविधाओं को अच्छी कार्यशील स्थिति में बनाए रखना, समय-समय पर तदनुसार कैलिब्रेट किया जाता है निर्माता के निर्देश या राष्ट्रीय मानकों और प्रासंगिक मानकों के अनुसार; तथा

(ग) सुविधाओं में किसी भी परिवर्तन (या तो अतिरिक्त या या हटाना)।

(घ) योग्यता प्रमाण पत्र में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करना और उनका पालन करना और मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

स्थान:

दिनांक: आवेदक के हस्ताक्षर

संस्था द्वारा घोषणा (यदि कार्यरत हो),

I……..... प्रमाणित करें कि श्री/श्रीमती..... जिसका विवरण ऊपर प्रस्तुत किया गया है, हमारे रोजगार में है और संहिता के तहत एक सक्षम व्यक्ति के रूप में घोषित किए जाने के प्रयोजनों के लिए संगठन की ओर से उसे नामित करता है। मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं -

(क) यदि सक्षम व्यक्ति हमारा रोजगार छोड़ देता है तो मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को सूचित करना;

(ख) विनिर्माता के अनुदेशों के अनुसार अथवा राष्ट्रीय मानकों और संगत मानकों के अनुसार समय-समय पर कैलिब्रेट की गई सुविधाओं को अच्छी कार्यशील स्थिति में प्रदान करना और बनाए रखना; तथा

(ग) सुविधाओं में किसी भी परिवर्तन (या तो जोड़ने या हटाने) को मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को सूचित करना।

दिनांक: हस्ताक्षर

उपाधि

संपर्क
नंबर.....
ई-मेल आईडी:
.....

आधिकारिक मुहर

नोट.—यह घोषणा कंपनी के प्रबंध निदेशक या फर्म के भागीदार या प्रोपराइटर द्वारा की जानी चाहिए, जैसा भी मामला हो।

भाग- II

नियम-4 के तहत किसी संस्थान को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के आवेदन का प्रपत्र

एक. संगठन का नाम और पूरा पता.....

दो. संगठन की स्थिति (निर्दिष्ट करें कि सरकारी, स्वायत्त, सहकारी, कॉर्पोरेट या निजी).....

तीन. जिस प्रयोजन के लिए योग्यता का प्रमाण पत्र मांगा जाता है (संहिता के अनुभाग (अनुभागों) को निर्दिष्ट करें)।

चार. क्या संगठन को इस नियम या किसी अन्य संविधि के तहत एक सक्षम व्यक्ति के रूप में घोषित किया गया है और यदि हां, तो ब्यौरा दीजिए।

पाँच. नियम 4 के साथ संलग्न अनुसूची-I में निर्धारित योग्यताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का विवरण:

क्रम संख्या	नाम और पदनाम	योग्यता	अनुभव	धारा (ओं) और नियम जिसके तहत योग्यता का प्रमाण पत्र मांगा जाता है

6. सुविधाओं का विवरण (उपरोक्त आइटम 3 के लिए प्रासंगिक) और उनके रखरखाव और आवधिक अंशांकन के लिए की गई व्यवस्था।

7. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।

8. घोषणा.....

मैं,.....एतद्द्वारा, ...प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं, मैं वचन देता हूं-

(१) निर्माताओं के निर्देशों के अनुसार या राष्ट्रीय मानकों के अनुसार समय-समय पर कैलिब्रेट की गई सुविधाओं को अच्छे कार्य क्रम में बनाए रखना; तथा

(२) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सक्षमता और अनुदेशों के प्रमाण पत्र में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करना और उनका पालन करना।

स्थान : संस्था के प्रमुख की मुहर और हस्ताक्षर
तिथि : या उस व्यक्ति की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति की

उपाधि

प्रपत्र-2

[धारा 2 (1) (*एल*) ,नियम -4 की और उप नियम (3)]

किसी व्यक्ति या संस्थान को जारी किए गए योग्यता प्रमाण पत्र का प्रपत्र
धारा 2 (1) (l) के तहत बनाए गए नियम 4 के उपनियम 3।

मैं,.....संहिता की धारा 2(1)(1) के *अधीन शक्तियों का प्रयोग करते* हुए और उसके अधीन बनाए गए नियम को एतद्द्वारा मान्यता देता हूं। .... के रोजगार में (संस्था का नाम) या..... (संगठन का नाम) इस तरह के भवन, खतरनाक मशीनरी, लिफ्ट और होइस्ट, लिफ्टिंग मशीन और लिफ्टिंग टैकल, प्रेशर प्लांट, सीमित स्थान, वेंटिलेशन सिस्टम और ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपकरण, जैसा भी मामला हो, के परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण और प्रमाणन करने के उद्देश्य से एक सक्षम व्यक्ति के रूप में ..... धारा ..... के तहत और उसके तहत बनाया गया नियम।

यह प्रमाणपत्र किससे मान्य है..... प्रति.....

यह प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

(१) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण संहिता के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार किए जाएंगे;

(२) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति की प्रत्यक्ष देखरेख में या सक्षम व्यक्ति को मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे;

(३) किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी योग्यता का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा यदि व्यक्ति अपने आवेदन में उल्लिखित संगठन छोड़ देता है;

(४) एक सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और योग्यता के बारे में सूचित करेगी।

(५) ----

(६) ----

स्थान : मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता के हस्ताक्षर
तिथि : आधिकारिक मुहर

नोट.—प्रत्येक प्रासंगिक धारा के तहत एक अलग प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति या संस्था को संहिता की एक से अधिक धाराओं के प्रयोजनों के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

फॉर्म-3

{नियम -5 के उप-नियम (1) का खंड (ए)
देखें}

मौजूदा प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण/नए प्रतिष्ठान/पंजीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए आवेदन

अ. स्थापना विवरण।

एक. लिन नंबर (यदि पोर्टल से स्थापना का विवरण प्राप्त करने के लिए पहले से ही पंजीकृत है):

दो. स्थापना का नाम:

तीन. प्रतिष्ठान का स्थान और पता:

चार. स्थापना के अन्य विवरण:

अ. प्रतिष्ठान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे कर्मचारियों और श्रमिकों की कुल संख्या: .....

आ. संविदा कर्मचारियों और कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या: .....

इ. प्रक्रिया में लगे या संलग्न होने वाले अनुबंध कर्मचारियों की अधिकतम संख्या: .....

ई. कार्यरत अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की कुल संख्या: .....

पाँच. से संबंधित प्रतिष्ठान का प्रकार..... (a). कारखाना (b)। वृक्षारोपण (सी)। मोटर परिवहन उपक्रम (डी)। बीड़ी और सिगार कार्यकर्ता (ई)। भवन या अन्य निर्माण कार्य (च). ऑडियो-विजुअल उत्पादन (जी)। अन्य प्रतिष्ठान

6. (ए) कारखानों के लिए:

निर्माण प्रक्रिया का विवरण	डाक का पूरा पता और योजना अनुमोदन विवरण के साथ कारखाने की स्थिति	अधिभोगी और प्रबंधक का नाम और पता	किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या	मात्रा सहित संभाले और संग्रहीत किए जाने वाले रसायनों का नाम
1	2	3	4	5

छः. (ख) वृक्षारोपण के लिए:

वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	निदेशकों का पूरा नाम और आवासीय पता (कंपनी के मामले में)	नियोक्ता का नाम और पता	नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या	खतरनाक रसायनों, कीटनाशकों, कीटनाशकों के नाम और मात्रा के साथ संभाल और भंडारण किया जाना चाहिए
1	2	3	4	5

छः. (ग) मोटर परिवहन उपक्रम के लिए:

मोटर परिवहन सेवा की प्रकृति जैसे शहर सेवा, लंबी दूरी की यात्री सेवा, लंबी दूरी की माल ढुलाई सेवा	मार्गों की कुल संख्या	कुल मार्ग माइलेज	पिछले वर्ष की अंतिम तिथि पर परिवहन वाहनों की कुल संख्या	पिछले वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित मोटर परिवहन श्रमिकों की अधिकतम संख्या	नियोक्ता का नाम और पता	निदेशकों का पूरा नाम और आवासीय पता (कंपनी के मामले में)
1	2	3	4	5	6	7

छः (घ) बीड़ी और सिगार के कार्य के लिए:

नियोक्ता के वित्तीय संसाधन जैसे (चल और अचल संपत्तियों का विवरण और मूल्य, बैंक संदर्भ, आयकर मूल्यांकन आदि)	क्या नियोक्ता व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत ट्रेडमार्क धारक है	उद्योग में नियोक्ता का पिछला अनुभव	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान औद्योगिक परिसर में निर्मित बीड़ी और सिगार या दोनों का मूल्य	क्या औद्योगिक परिसर की प्रस्तावित साइट किसी मौजूदा औद्योगिक परिसर की साइट में परिवर्तन के बराबर है और यदि हां, तो इस तरह के परिवर्तनों के कारण हैं।
1	2	3	4	5

क्या आवेदक द्वारा आवेदन की तारीख से ठीक पहले बारह महीने की अवधि के दौरान किसी औद्योगिक परिसर को बंद कर दिया गया था और यदि हां, तो इसके कारण हैं	तंबाकू प्राप्त करने का स्रोत	आवेदक द्वारा निर्मित बीड़ी या सिगार, या दोनों, को स्वयं या व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत ट्रेडमार्क के मालिक या पंजीकृत उपयोगकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से बेचा और विपणन किया जाएगा	निदेशकों का पूरा नाम और आवासीय पता (कंपनी के मामले में)	किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या
6	7	8	9	10

6.(ई) भवन और अन्य निर्माण कार्य के लिए:

निर्माण कार्य का प्रकार	कार्य शुरू होने की संभावित अवधि	काम पूरा होने की अपेक्षित अवधि	स्थानीय प्राधिकरण के अनुमोदन का विवरण
1	2	3	4

6.(च) ऑडियो-विजुअल उत्पादन के लिए:

प्रोडक्शन हाउस के निर्माता/निर्माता का नाम और पता	किसी भी दिन अधिकतम ऑडियो-विजुअल कर्मचारियों को नियोजित किया जाएगा
1	2

6.(जी)। अन्य प्रतिष्ठान)

उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या व्यवसाय का विवरण	डाक का पूरा पता और योजना अनुमोदन विवरण के साथ कारखाने की स्थिति	अधिभोगी और प्रबंधक का नाम और पता	किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या	मात्रा सहित संभाले और संग्रहीत किए जाने वाले रसायनों का नाम
1	2	3	4	5

7. (क) अध्याय XI के भाग- I के अधीन प्रधान नियोक्ता के पंजीकरण के लिए:

1	प्रतिष्ठान का नाम और स्थान
2	प्रतिष्ठान का डाक पता
3	प्रधान नियोक्ता का पूरा नाम और पता (व्यक्तियों के मामले में पिता का नाम प्रस्तुत करें)
4	प्रबंधक या प्रतिष्ठान के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पूरा नाम और पता
5	स्थापना में किए गए कार्य की प्रकृति
6	ठेकेदारों और ठेका श्रमिकों का विवरण: (अ) ठेकेदारों के नाम और पते (आ)कार्य की प्रकृति जिसमें ठेका श्रमिकों को नियोजित किया जाता है (इ) प्रत्येक ठेकेदार के माध्यम से किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले ठेका श्रमिकों की अधिकतम संख्या (ई) प्रत्येक ठेकेदार के अधीन प्रत्येक अनुबंध कार्य के शुरू होने की अनुमानित तिथि (उ) ठेकेदार के अधीन ठेका श्रमिकों के नियोजन की समाप्ति की अनुमानित तिथि (ऊ) विशेष रूप से जमा की गई फीस का है

मैं घोषणा करके सुनता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

प्रधान नियोक्ता

7.(बी) अनुबंध के काम के लिए:

नाम और पता ठेकेदार	ठेकेदार का ईमेल पता और मोबाइल	काम का नाम और प्रकृति	अधिकतम संख्या। ठेका श्रमिकों की संख्या	कार्य प्रारंभ होने की तिथि/कार्य पूरा होने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5

7.(ग) किसी प्रतिष्ठान में नियोजित/नियोजित किए जाने वाले अंतर-राज्यीय प्रवासियों का विवरण:

S.No।	नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता				आधार नंबर	मोबाइल नंबर
			कस्बा/गांव	तहसील	जिला	राज्य		

सात. स्वामित्व प्रकार/क्षेत्र:

आठ. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार गतिविधि:

नौ. चयनित एनआईसी कोड का विवरण:

दस. व्यवसाय खोलने की तिथि/प्रारंभ की तिथि:

ग्यारह. प्रतिष्ठान की पहचान: नियोक्ता/प्रतिनिधि का ई-हस्ताक्षर/डिजिटल संकेत:

बारह. नियोक्ता का विवरण:-

अ. नियोक्ता/अधिभोगी/मालिक/एजेंट का नाम और पता:

आ. उपाधि:

इ. नियोक्ता के पिता/पति का नाम:

ई. ईमेल पता, टेलीफोन और मोबाइल नंबर:

तेरह. प्रबंधक/एजेंट विवरण

अ. प्रबंधक/एजेंट या प्रतिष्ठान के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पूरा नाम और पता

आ. प्रबंधक/एजेंट का पता:

इ. ईमेल पता, टेलीफोन और मोबाइल नंबर :

चौदह. अन्य विवरण:

दिनांक: हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर/डिजिटल

स्थान: नियोक्ता के हस्ताक्षर

फॉर्म-3 -अ

[नियम 5 का उप-नियम (4) देखें]

स्थापना के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

पंजीकरण संख्या**:** _____ /OSH/REG/_____ जारी करने की तिथि**:**

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 की धारा 3 की उप-धारा (2) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रतिष्ठान के लिए निम्नलिखित विवरणों वाला पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है..... (स्थापना का नाम)।

स्थापना का विवरण

1. स्थापना का प्रकार: _____ (ड्रॉप डाउन से चुना जाना है)
2. स्थापना का पूरा पता:
3. गतिविधि/व्यवसाय/विनिर्माण प्रक्रिया की प्रकृति:
4. प्रमुख नियोक्ता/अधिभोगी/मालिक का नाम, पता और संपर्क विवरण:
5. प्रतिष्ठान के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार प्रबंधक/व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क विवरण:
6. कर्मचारियों/श्रमिकों की अधिकतम संख्या: _____
7. ठेका श्रमिकों की कुल संख्या, यदि कोई हो: _____

8. ठेकेदारों की संख्या, यदि कोई हो: _____

9. अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या, यदि कोई हो: _____

10. भवन या अन्य निर्माण कार्य का विवरण, यदि लागू हो:

निर्माण कार्य का प्रकार	कार्य शुरू होने की संभावित अवधि	कार्य पूरा होने की अपेक्षित अवधि	स्थानीय प्राधिकरण के अनुमोदन का विवरण

11. पंजीकरण शुल्क का भुगतान: ₹ _____

12. संशोधन विवरण (यदि कोई हो):

---

13. पंजीकरण अधिकारी की टिप्पणियाँ:

पंजीकरण अधिकारी का नाम:

उपाधि:

कार्यालय मुहर/डिजिटल हस्ताक्षर

टिप्पणियाँ:

1. यह प्रमाण पत्र नियोक्ता/आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जारी किया जाता है। किसी भी तरह की गलत बयानी को छिपाने या जानबूझकर गलत बयानी करने पर व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

2. इस प्रमाण पत्र को संहिता के तहत या तत्समय लागू किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक किसी भी लाइसेंस या अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा, जिसमें संहिता की धारा 79 के तहत कारखाना लाइसेंस या ठेका श्रमिकों की नियुक्ति के लिए लाइसेंस, जहां भी लागू हो।

3. नियोक्ता संहिता के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करेगा और आवश्यकतानुसार विवरणों में किसी भी बदलाव को सूचित करेगा/अपडेट करेगा

प्रपत्र-4

{नियम-5 और नियम 85 का उप-नियम (5) देखें}

स्थापना और प्रमुख नियोक्ताओं का रजिस्टर

S.no।	काम की प्रकृति	पंजीकरण संख्या। और दिनांक	नाम और पता, पंजीकृत प्रतिष्ठान का स्थान	नियोक्ता/अधिभोगी का नाम, पता और संपर्क विवरण	फैक्टरी प्रबंधक का विवरण (यदि कोई हो)	नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4	5	6	7
	(अ) कारखानों (आ) वनस्थली (इ) मोटर परिवहन उपक्रम (ई) बीड़ी और सिगार का काम (उ) भवन और अन्य					

	निर्माण कार्य (ऊ) ऑडियो-विजुअल उत्पादन (ऋ) अनुबंध का काम (ऌ) अंतरराज्यीय प्रवासी कार्य (ऍ) कोई अन्य कार्य (ऊपर कवर नहीं किया गया)					

कुल अश्वशक्ति (यदि कोई हो)	ठेकेदारों की कुल संख्या	किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले ठेका श्रमिकों की अधिकतम संख्या	ठेका श्रम लाइसेंस की समाप्ति तिथि	ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों की प्रकृति	टिप्पणियां
9	10	11	12	13	16

प्रपत्र-5

[नियम 7 का उप-नियम (1) देखें]

कार्य शुरू करने या समाप्त करने या पूरा करने के लिए सूचना

ए- स्थापना के शुरू/समाप्ति की सूचना:

एक. पंजीकरण संख्या और प्रतिष्ठान का प्रकार:

दो. स्थापना का नाम और पता:-

तीन. नियोक्ता का नाम और पदनाम:-

चार. स्थापना से संबंधित पत्र जिस पर भेजा जाना है, उसका पूरा पता :-

पाँच. स्थापना के कार्य की प्रकृति :-

छः. नोटिस के मामले में कार्य शुरू करने के लिए कार्य की अनुमानित अवधि {(बीओसीडब्ल्यू से संबंधित स्थापना के मामले में)}:-

सात. समाप्ति के मामले में, समाप्ति की तारीख:

मैं/हम एतद्द्वारा सूचित करता हूं कि जिस प्रतिष्ठान का कार्य है उसका पंजीकरण संख्या 2019 (..... दिनांकित .... से शुरू होने/बंद होने/पूरा होने की संभावना है (तिथि)/..... को (तारीख)

B- काम बंद होने की स्थिति में:

मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों को सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भंडारण से मुक्त रखा गया है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर

सेवा में,1

. पंजीकरण अधिकारी,

.....

2. निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता,

.....

प्रपत्र-6

{नियम 10 का उप-नियम (1) और नियम 59 का उप-नियम (3), (5) देखें}

उपस्थिति रजिस्टर

कारखाने या विभाग का नाम.....

	कार्य प्रारंभ होने का समय	आराम की अवधि				पूरा होने का समय
		से	सेवा मेरे	से	सेवा मेरे	
सोमवार से शुक्रवार शानिवार रविवार रिले के रोटेशन की प्रणाली						

क्रम संख्या	कर्मचारी कोड	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	काम की प्रकृति	मंत्रालय	फॉर्म-13 में दिए गए विवरण के अनुरूप		1ला	2रा	3	4 वां	5वां	6 वां	7 वां	8 वां	9वां	10 वीं 10 वीं	11वीं 11वीं	12 वीं 12 वीं	13 वीं 13 वीं
						समूह या रिले	शिफ्ट													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
महीना।।।।।।।।।।।।।।।। सालों।।।।।।।।।।।।।।।।																				

14 वां	15 वां	16 वां	17 वां	18 वां	19 वां	20 वां	21 वां	22 वां	23 वां	22 वां	25 वां	26 वां	27 वां	28 वां	29 वां	30 वां	31 वां	कुल नहीं। काम किए गए दिनों की संख्या	मूल मजदूरी की दर	भत्ते की दर, यदि कोई हो	ओवरटाइम के कुल घंटे
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

ओवरटाइम की दर	कटौती, यदि कोई हो		अच्छा	भुगतान की गई वास्तविक मजदूरी	श्रमिक द्वारा खोई गई साप्ताहिक छुट्टियों की कुल संख्या	दिनांक (ओं) जिस पर प्रतिपूरक अवकाश दिया जाएगा	संकेत की टिप्पणियाँ यह दर्शाती हैं कि भुगतान तिथियों के साथ किया गया है
	भविष्य निधि के कारण	अग्रिमों के कारण					
44	45	46	47	48	49	50	51

प्रपत्र-7

{नियम 13 के उप-नियम (2) और नियम 74 के उप-नियम (5) और नियम 125 के उप-नियम (3) और नियम 139 के उप-नियम (1) (सी) और नियम 167 के उप-नियम (1), (2) को देखें}

स्वास्थ्य रजिस्टर

चिकित्सा परीक्षा निम्नलिखित प्रोफार्मा के अनुसार एक योग्य चिकित्सक द्वारा आयोजित की जाएगी:

अ. जनसांख्यिकी:

प्रश्न	हल	टिप्पणियां
तारीख		
कार्यकर्ता का नाम		
उम्र		
स्थायी पता		
लिंग		
परिवार के सदस्यों की कुल संख्या		
कुल मासिक परिवार आय		
क्या कर्मचारी ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) योजना के तहत है? यदि हाँ, तो आईपी नंबर प्रदान करें	हाँ/नहीं	
क्या कर्मचारी ईएसआई-योजना के अलावा किसी अन्य स्वास्थ्य योजना के तहत है? (यदि हां, तो योजना का नाम प्रदान करें)	हाँ/नहीं	

आ. व्यावसायिक इतिहास:

प्रश्न	हल	टिप्पणियां
वर्तमान पदनाम		
कार्य प्रोफ़ाइल		
वर्तमान कार्य प्रोफ़ाइल में सेवा की अवधि		
प्रति शिफ्ट काम के घंटे		
प्रति सप्ताह रात की पाली		
प्रति माह रात की पाली		

इ. चिकित्सा इतिहास की संक्षिप्त समीक्षा: पहले या वर्तमान में उपचार के तहत निदान किया गया है या वर्तमान में पीड़ित है

प्रश्न	उत्तर (हां नहीं)	टिप्पणियां
एनीमिया		
पीलिया		
दमा		
सीओपीडी		
किसी अन्य फेफड़ों की बीमारी का इतिहास: (यदि हाँ, तो कृपया निर्दिष्ट करें)		
चक्कर आना/चक्कर आना		

मधुमेह मेलिटस		
उच्च रक्तचाप		
कोई भी कैंसर (यदि हाँ, तो कृपया कैंसर निर्दिष्ट करें)		
क्रोनिक पीठ दर्द		
हाथ या कोहनी में पुराना दर्द		
अंत्रवृद्धि		
हाइड्रोसील		
नस में		
बवासीर		
काम के दौरान विच्छेदन/फ्रैक्चर/अव्यवस्था की चोट का इतिहास (यदि हां, तो कृपया निर्दिष्ट करें)		
जिल्द की सूजन (यदि हाँ, तो साइट निर्दिष्ट करें)		
श्रवण हानि		
दृश्य हानि		
पिछले 1 वर्ष में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाली कोई भी बड़ी बीमारी (यदि हां, तो बीमारी का नाम)		
पिछले 1 वर्ष में व्यावसायिक चोट: यदि हां, तो चोट और आवृत्ति का स्थान निर्दिष्ट करें		

ई. वर्तमान लक्षण-रोग मॉड्यूल

प्रश्न	उत्तर (हां नहीं)	टिप्पणियां
धूम्रपान की आदत		
चबाने वाला तंबाकू या पान मसाला या *गुटखा*		
शराब की लत		
डर्माटोसिस (अड़चन संपर्क जिल्द की सूजन/एक्जिमा/क्लोरएक्ने/एलर्जी संपर्क जिल्द की सूजन)		
रासायनिक एजेंट या जैविक एजेंट की प्रतिक्रिया के साथ आंखों/नाक/गले की म्यूकोसल जलन		
शिफ्ट की शुरुआत में सांस लेने में कठिनाई/सीने में जकड़न/सूखी खांसी जैसे लक्षण		
वर्तमान में टीबी से पीड़ित		
पीलिया या हेपेटाइटिस		
वर्तमान में पीठ के निचले हिस्से में दर्द से पीड़ित हैं		
वर्तमान में हाथ या कोहनी में दर्द से पीड़ित हैं		
वर्तमान में दृश्य समस्याओं से पीड़ित हैं		
वर्तमान में सुनने की समस्याओं से पीड़ित हैं		
कोई भी वर्तमान चोट		

(विच्छेदन/फ्रैक्चर/अव्यवस्था)		
कोई भी वर्तमान मस्कुलोस्केलेटल मोच/उपभेद		

उ. शारीरिक परीक्षा

प्रश्न	उत्तर (हां नहीं)	टिप्पणियां
परीक्षा की तिथि		
सामान्य त्वचा की स्थिति: (यदि कोई जिल्द की सूजन, कृपया इसके स्थान का उल्लेख करें)		
वजन (किलो में)		
ऊंचाई (मीटर में)		
तापमान (0F)		
बीपी		
धड़कन पल्स		
एसपीओ2		
श्वसन दर		
महिला-कर्मचारी के स्तन की जांच		

ऊ. जांच रिपोर्ट:

(अ) नियमित रक्त जांच (रिपोर्ट की फोटोकॉपी संलग्न करें)

(आ)रक्त समूहन और आरएच टाइपिंग और एचबी वैद्युतकणसंचलन (जीवन में एक बार)

प्राचल	उत्तर (सामान्य/वृद्धि/कमी)	मूल्य
एचबी%		
कुल WBC गणना और अंतर गणना		
प्लेटलेट काउंट		
ईएसआर		
एफबीएस		
पीपीबीएस		
एचबीए 1 सी स्तर		
जूड़ा		
क्रिएटिनिन		
कुल प्रोटीन		
एल्बुमिन		
ग्लोब्युलिन		
एसजीओटी		
एसजीपीटी		
बिलीरुबिन		
मूत्र आरई		
मूत्र मुझे		
प्रोस्टेट विशिष्ट एंटीजन (पीएसए)		

ऋ. मानक चेस्ट एक्स-रे (पीए) दृश्य (रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें):

प्राचल	उत्तर (सामान्य/असामान्य)	मूल्य (यदि कोई महत्व

		है)
तारीख		
रिपोर्ट		

ऌ. नेत्र परीक्षा: (रिपोर्ट की फोटोकॉपी संलग्न करें)

प्राचल	मूल्य/परिणाम/व्याख्या
तारीख	
कॉर्नियल अस्पष्टता/डर, मोतियाबिंद आदि जैसी किसी भी असामान्यता के लिए आंख का दृश्य निरीक्षण।	
दृश्य तीक्ष्णता: सही	
दृश्य तीक्ष्णता: बाएँ	
रंग दृष्टि	
दृष्टि का क्षेत्र	
दूरबीन	
पार्श्व फोरिया	
वर्टिकल फोरिया	
त्रिविम दृष्टि और गहराई धारणा परीक्षण	
फंडस (रेटिना) परीक्षा	

ऍ. ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी:

ऎ. अंतिम रिपोर्ट:

ए. ऊंचाई पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए चिकित्सा फिटनेस परीक्षण (जैसा लागू हो सकता है):

ऐ. विस्तृत चिकित्सा इतिहास और दृष्टि, श्रवण, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, श्वसन प्रणाली, हृदय प्रणाली आदि के लिए परीक्षण सहित गहन सामान्य चिकित्सा परीक्षा (सभी कर्मचारियों के लिए लागू के रूप में)

ऑ. विशेष परीक्षा

ए) कार्डियोवास्कुलर: अनियंत्रित उच्च रक्तचाप या इस्केमिक हृदय रोग एक contraindication होगा। उच्च रक्तचाप और असामान्य ईसीजी निष्कर्षों की उपस्थिति में, कर्मचारी को फिटनेस के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ के पास भेजा जाना चाहिए।

बी) भूलभुलैया कार्यों के लिए और स्थिति की भावना के लिए परीक्षण द्विपक्षीय निस्टागमस, रोमबर्ग साइन के लिए नेत्र परीक्षा। द्विपक्षीय निस्टागमस और एक सकारात्मक रोमबर्ग संकेत की उपस्थिति एक पूर्ण contra-संकेत होगा।

ग) न्यूरोलॉजिकल परीक्षा जब्ती विकारों का मूल्यांकन करें: मस्तिष्क और ईईजी का सीटी स्कैन यदि संकेत दिया जाए तो

घ) मधुमेह नियंत्रण स्थिति का आकलन: (मधुमेह मेलिटस से पीड़ित कर्मचारियों के मामले में)

ई) फोबिया (एक्रोफोबिया) और किसी भी अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकार जैसे चिंता या अवसाद का आकलन

च) चक्कर आना और चक्कर आना के लिए मूल्यांकन

ऑ. औद्योगिक सुरक्षा अनुभाग के उपयोग के लिए:

एक. 1 फीट की ऊंचाई पर एक क्षैतिज पट्टी पर स्वतंत्र रूप से चलना: पास /

दो. सुरक्षा बेल्ट पहनना और रस्सी की गाँठ बाँधना: पास/असफल

तीन. बेल्ट पहनकर 9 फीट की ऊंचाई पर एक क्षैतिज संरचना पर चलना: पास/फेल

चार. सामान्य काया (ठीक है/ठीक नहीं है): पास/फेल

ओ. नियोक्ता और योग्य चिकित्सक द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत कोई अन्य जानकारी/परीक्षा/जैविक जांच/परीक्षण।

हस्ताक्षर, मुहर और पंजीकरण संख्या। योग्य की संख्या
मेडिकल प्रैक्टिशनर/ फैक्टरी मेडिकल ऑफिसर

हस्ताक्षर और मुहर
चिकित्सा अधिकारी

फॉर्म-8

{नियम 13 का उप-नियम (2) और नियम 75 का उप-नियम (2) और नियम 139 का उप-नियम (2) देखें}

फिटनेस का प्रमाण पत्र

क्रम संख्या:-

एक. मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से श्री/श्रीमती की जांच की है..... ..... का बेटा/बेटी, ... में रहने वाला कौन ..... के रूप में नियोजित होने का इच्छुक है (पदनाम) ..... में (प्रक्रिया, विभाग और कारखाना/प्रतिष्ठान) और यह कि उसकी आयु..... मेरी परीक्षा से लगभग पता लगाया जा सकता है, ...वर्ष है, और यह कि वह, मेरी राय में, उपर्युक्त कारखाने/प्रतिष्ठान में रोजगार के लिए योग्य/अयोग्य है।

दो. उसे कुछ अवधि के बाद आगे की जांच के लिए पेश किया जा सकता है.....

तीन. पिछले प्रमाणपत्र का क्रम संख्या है.....

चार. मैं इस प्रमाण पत्र को तब तक बढ़ाता हूं जब तक (यदि प्रमाण पत्र नहीं बढ़ाया जाता है, तो जिस अवधि के लिए कार्यकर्ता को काम के लिए अयोग्य माना जाता है, उसका उल्लेख किया जाना चाहिए)

पाँच. परीक्षा के दौरान देखे गए संकेत और लक्षण-

छः. टिप्पणियाँ/सिफारिशें, यदि कोई हो-

जांच किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर/ बाएं अंगूठे का निशान।	*तारीख .....*

हस्ताक्षर, मुहर और पंजीकरण संख्या। योग्य की संख्या
मेडिकल प्रैक्टिशनर/ फैक्टरी मेडिकल ऑफिसर

हस्ताक्षर और मुहर
चिकित्सा अधिकारी

प्रपत्र-9

(नियम 14 का उप-नियम (1) देखें)

कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र

एक.स्थापना का नाम:

दो. कर्मचारी का नाम:

तीन. कर्मचारी की विशिष्ट संख्या या कोड:

चार. पिता का नाम:

पाँच. आधार संख्या:

छः. प्रतिष्ठान की श्रम पहचान संख्या (LIN):

सात. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन)/बीमा संख्या (ईएसआईसी):

आठ. उपाधि:

नौ. कौशल की श्रेणी:

दस.शामिल होने की तिथि:

ग्यारह. मजदूरी, मूल वेतन और महंगाई भत्ता:

बारह. आवास सहित अन्य भत्ता, जो भी लागू हो/हो:

तेरह. उच्च वेतन/उच्च पद प्राप्त करने का अवसर:

चौदह. सामाजिक सुरक्षा ईपीएफओ और ईएसआईसी लाभ लागू:

पंद्रह. स्वास्थ्य जांच:

सोलह. किए जाने वाले कर्तव्यों की व्यापक प्रकृति:

सत्रह. कोई अन्य जानकारी:

हस्ताक्षर करने
वाला/नियोक्ता
/मालिक/एजेंट/प्रबंधक

फॉर्म-10

{ नियम 15 का उप-नियम (3), उप-नियम (4);

दुर्घटनाओं, या खतरनाक घटना की सूचना जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या शारीरिक चोट या विकलांगता होती है

दिनांक.....

प्रति,

.....

.....

सर

मैं एतद्द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 की धारा 10 के तहत नोटिस देता हूं कि इस प्रतिष्ठान में नीचे उल्लिखित व्यक्ति को घातक/गैर-घातक दुर्घटना हुई:

एक. अधिभोगी/नियोक्ता का नाम.....

दो. ईएसआई नियोक्ता कोड नंबर का पता..... ऐसा परिसर जहां दुर्घटना या खतरनाक घटना हुई हो .....

तीन. उद्योग की प्रकृति.....

चार. शाखा या विभाग और सटीक स्थान जहां दुर्घटना या खतरनाक घटना हुई थी.....

पाँच. घायल व्यक्ति का नाम और पता.....

(अ) लिंग .....

(आ) आयु (अंतिम जन्मदिन).....

(इ) घायल व्यक्ति का कब्जा.....

छः. स्थानीय ईएसआई कार्यालय जिससे घायल व्यक्ति जुड़ा हुआ है.....

सात. दुर्घटना या खतरनाक घटना की तारीख, शिफ्ट और समय.....

(अ) वह समय जिस पर घायल व्यक्ति ने दुर्घटना या खतरनाक घटना के दिन काम शुरू किया था.....

(आ) दुर्घटना या खतरनाक घटना के दिन के लिए उसे पूर्ण या आंशिक मजदूरी देय है या नहीं.....

आठ. दुर्घटना या खतरनाक घटना का कारण या प्रकृति.....

नौ. दुर्घटना या खतरनाक घटना का कारण:

(अ) यदि मशीनरी के कारण होता है.....

(१) मशीन का नाम और दुर्घटना या खतरनाक घटना का कारण बनने वाले हिस्से को दें.....

(२) बताइए कि क्या उस समय यह यांत्रिक शक्ति द्वारा स्थानांतरित किया गया था.....

(आ) बताएं कि घायल व्यक्ति उस समय क्या कर रहा था.....

(इ) आपकी राय में, दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय घायल व्यक्ति था.....

(१) उस पर लागू किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करना, या

(२) *अपने* नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी भी आदेश का उल्लंघन करना, या

(३) अपने नियोक्ता के निर्देशों के बिना कारण।

(ई) यदि (सी) का *उत्तर है, (i)(ii)* या *(iii)* सकारात्मक है कि क्या अधिनियम नियोक्ता के व्यापार या व्यवसाय के संबंध में सुरक्षा हासिल करने के उद्देश्य से किया गया था।

(उ) यदि दुर्घटना या खतरनाक घटना नियोक्ता के परिवहन राज्य में यात्रा करते समय हुई है तो क्या.....

(१) घायल व्यक्ति अपने कार्यस्थल से यात्री के रूप में या वहां से यात्रा कर रहा था.....

(२) घायल व्यक्ति अपने नियोक्ता की एक्सप्रेस या निहित अनुमति के साथ यात्रा कर रहा था,

(३) परिवहन नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से संचालित किया जा रहा है, जिसके द्वारा यह नियोक्ता के साथ की गई व्यवस्थाओं के अनुसरण में प्रदान किया जाता है, और

(४) सार्वजनिक परिवहन सेवा के सामान्य क्रम में वाहन का संचालन नहीं किया जा रहा है।

(ऊ) यदि आपातकालीन स्थिति से मिलने के दौरान दुर्घटना या खतरनाक घटना हुई.....

(१) इसकी प्रकृति.....

(२) क्या दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय घायल व्यक्ति को अपने नियोक्ता के व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य से या उस परिसर के बारे में नियोजित किया गया था जिस पर दुर्घटना या खतरनाक घटना हुई थी।

(ऋ) संक्षेप में वर्णन करें कि दुर्घटना या खतरनाक घटना कैसे हुई।

(ऌ) गवाहों के नाम और पते : (1) ..... (2) ……

(ऍं) *(ए)* चोट की प्रकृति और सीमा (जैसे घातक, उंगली का नुकसान, पैर का फ्रैक्चर, सील या खरोंच और सेप्सिस के बाद।

(बी) चोट का स्थान (दाहिना पैर, बायां हाथ या बायां आंख आदि)

(ऎ) *(ए)* यदि दुर्घटना या खतरनाक घटना घातक नहीं है, तो बताएं कि क्या घायल व्यक्ति 48 घंटे से अधिक समय तक अक्षम था।

(बी) काम पर लौटने की तारीख और घंटा।

(ए) *(ए)* चिकित्सक, औषधालय या अस्पताल जिससे या जिसमें घायल व्यक्ति ने उपचार प्राप्त किया या प्राप्त किया है।

(ख) घायल व्यक्ति द्वारा चयनित औषधालय/पैनल चिकित्सक का नाम.....

(१) क्या घायल व्यक्ति की मौत हो गई है.....

(२) यदि हां, तो मृत्यु की तारीख.....

मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपरोक्त विवरण हर मामले में सही हैं।

हस्ताक्षर

का नाम और पदनाम

अधिभोगी या प्रबंधक-नियोक्ता

नियोक्ता का पता और कोड नंबर

(इस स्थान को निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा पूरा किया जाना है)

प्राप्ति की तिथि।

दुर्घटनाओं या खतरनाक घटनाओं की संख्या। कारण संख्या, अन्य विवरण (*जैसे* घातक पैर की चोट, हाथ की चोट, आदि)

जांच की तिथि.....

जांच का परिणाम.....

फॉर्म-11

{नियम 15 का उप-नियम (3) देखें}

खतरनाक घटना की सूचना

एक. प्रतिष्ठान का नाम और पता.....

दो. अधिभोगी/नियोक्ता का नाम.....

तीन. प्रबंधक का नाम.....

चार. उद्योग का नाम.....

पाँच. शाखा या विभाग और सटीक स्थान जहां खतरनाक घटना हुई थी.....

छः. दिनांक और घंटे की घटना.....

सात. दुर्घटना या खतरनाक घटना की प्रकृति (वास्तव में बताएं कि क्या हुआ था)।

आठ. इस तरह की खतरनाक घटना से प्रभावित कर्मचारियों का विवरण।

Sr.no	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी कोड	उपाधि

मैं प्रमाणित करता हूं कि, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपरोक्त विवरण हर मामले में सही हैं।

अधिभोगी/ नियोक्ता/ प्रबंधक के
हस्ताक्षर।

रिपोर्ट भेजने की तिथि.....

(*यह स्थान निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा पूरा किया जाएगा*)

जिला..... डी.ओ. नहीं..... कारण संख्या.....	प्राप्ति की तिथि..... जांच की तारीख.....
जांच का परिणाम:	

फॉर्म-12

{नियम 17 देखें}

बीमारी की सूचना

(एक)स्थापना का नाम और पता:

(दो) स्थापना की प्रकृति:

(तीन) रोगी का विवरण:

(अ) रोगी का नाम:

(आ)आयु और लिंग:

(बी) रोगी की कार्य संख्या:

(ग) रोगी का पता:

(d) रोगी का सटीक व्यवसाय:

(चार)रोग की प्रकृति जिससे रोगी पीड़ित है:

(पाँच) बीमारी का पता लगाने की तिथि:

(छः) मेडिकल प्रैक्टिशनर का विवरण:

(सात) क्या मामले की सूचना चिकित्सा अधिकारी को दी गई है:

नियोक्ता या के हस्ताक्षर
अधिभोगी या प्रबंधक

दिनांक:

फॉर्म -13

{*नियम* 54 *का उप-नियम* (2) *देखें*}

काम की अवधि की सूचना

प्रवर्तन की तिथि.....

उस प्रतिष्ठान का नाम जिसके अंतर्गत यह पंजीकृत है/पंजीकृत किए जाने का प्रस्ताव है..... जगह..... जिला.....

समूह	प्रत्येक समूह के कार्य की प्रकृति	प्रत्येक समूह में कार्यरत श्रमिकों की संख्या		रिले या श्रमिकों का सेट	शिफ्ट या काम की अवधि	प्रत्येक रिले के लिए .....सभी कर्मचारी के प्रति दिन रोजगार के घंटों की संख्या													
						सोमवार		मंगलवार		बुधवार		गुरुवार		शुक्रवार		शानिवार		रविवार	
		स्थायी	अस्थायी			रूप	महिला	रूप	महिला	रूप	महिला	रूप	महिला	रूप	महिला	रूप	महिला	रूप	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

प्रत्येक रिले के लिए काम शुरू करने और समाप्त करने के घंटे (*समय*), *समूह और नियम के तहत तय किए गए आराम के अंतराल*.....

कार्यकर्ता	समूह	प्रत्येक समूह के कार्य का नाम	रिले या श्रमिकों का सेट	शिफ्ट या काम की अवधि	काम शुरू		आराम अंतराल या अंतराल	काम खत्म								
					सोमवार से शुक्रवार	शनिवार	रविवार	सोमवार से शुक्रवार	सेवा मेरे	शनिवार	सेवा मेरे	रविवार	सेवा मेरे	सोमवार से शुक्रवार	शनिवार	रविवार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
रूप महिलाएं किशोरी																

अनुसूची-II में निर्धारित प्रक्रियाओं के समान निरंतर प्रक्रियाओं पर काम करने वाले रिले के संबंध को दर्शाने वाले चार्ट

पहला सप्ताह	दूसरा सप्ताह	तीसरा सप्ताह
सोम मंगल। बुध। शुक्र, शनि, रवि।	सोम मंगल। बुध। शुक्र, शनि, रवि।	सोम मंगल। बुध। शुक्र, शनि, रवि।
शिफ्ट रिले		

फ़ैक्टरी प्रबंधक के हस्ताक्षर..... निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता के हस्ताक्षर.....

कार्य की अवधि की सूचना भरते समय पालन किए जाने वाले निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए

1. सभी श्रमिकों को उनके कार्य की प्रकृति के अनुसार समूहों में विभाजित करें। प्रत्येक समूह में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या दिखाइए।

2. समूहों के लिए *संख्यात्मक (1, 2, 3 और 4, आदि) का प्रयोग करें*।

3. प्रत्येक समूह के खिलाफ काम की प्रकृति दिखाएं।

4. समूहों के रिले बनाएं तदनुसार उन्हें I, II, III, आदि के रूप में निर्दिष्ट करें।

5. नोटिस के ऊपरी आधे हिस्से में प्रत्येक रिले या श्रमिकों के सेट के निश्चित *आराम अंतराल की अवधि को छोड़कर* दैनिक कार्य घंटे दिखाएं।

6. अक्षरों, ए, बी, सी, आदि का प्रयोग करें /शिफ्ट और काम की अवधि के लिए।

7. शिफ्ट को इस तरह से व्यवस्थित न करें कि एक ही समय में एक ही तरह के काम में श्रमिकों के एक से अधिक रिले लगे हुए हों क्योंकि ओवरलैपिंग शिफ्ट निषिद्ध हैं।

8. कर्मचारी के लिए काम की अवधि को इस तरह से व्यवस्थित करें कि किसी भी वयस्क कर्मचारी को किसी भी दिन में 8 घंटे से अधिक काम करने की आवश्यकता न हो और कोई भी कर्मचारी कम से कम आधे घंटे के लिए आराम करने के अंतराल से पहले 5 घंटे से अधिक काम न करे

9. काम के घंटों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि श्रमिकों के साप्ताहिक घंटे सप्ताह में 48 घंटे से अधिक न हों। वयस्क श्रमिकों के काम की अवधि को इस तरह से व्यवस्थित करें कि आराम अंतराल सहित वे 10-1/2 घंटे से अधिक नहीं फैले हों .

10. प्रत्येक नोटिस के फुट-नोट में प्रत्येक रिले या श्रमिकों के सेट के लिए साप्ताहिक अवकाश दिखाएं।

11. इसे लागू किए जाने के दिन से पहले अधिकार क्षेत्र वाले इंस्पेक्टर-सह-सुविधाकर्ता को डुप्लिकेट में काम करने की अवधि की सूचना प्रस्तुत करें । यदि कार्य प्रणाली में कोई परिवर्तन होता है, तो काम की अवधि की संशोधित सूचना प्रस्तुत की जाएगी [धारा 31]

चार्ट भरने के लिए विशेष निर्देश जो केवल निरंतर प्रक्रिया पर काम करने वाले रिले के मामलों में या क्रमिक अवधि में काम करने वाले श्रमिकों के सेटों में उपयोग किया जाना है।

I. कार्य की अवधि दिखाएं *नोटिस के ऊपरी आधे हिस्से में निरंतर प्रक्रियाओं पर वयस्क श्रमिकों के* आराम अंतराल सहित।

फॉर्म-14

{नियम 56 का उप-नियम (1) देखें}

किताब छोड़ो

स्थापना का नाम .....

क्रम संख्या:-..... विभाग:- ..... क्रम संख्या या कर्मचारी .... के रजिस्टर में कोड सेवा में प्रवेश की तिथि:-.....	नाम:- ..... पिता का नाम:-..... भुगतान की तिथि और राशि:-..... देय छुट्टी के बदले में:- .....

1	कैलेंडर वर्ष सेवा	
2	से भुगतान किया गया वेतन..... प्रति.....	
3	मजदूरी अवधि के दौरान अर्जित मजदूरी	
4	नहीं। किए गए कार्य के दिनों की संख्या	नहीं। कैलेंडर वर्ष के दौरान काम किए गए दिनों की संख्या
5	नहीं। छंटनी के दिनों की	
6	नहीं। मातृत्व अवकाश के दिनों की संख्या	
7	नहीं। छुट्टी के दिनों का आनंद लिया	
8	स्तंभों का कुल योग 4 से 7	
9	पिछले वर्ष से छुट्टी का संतुलन	क्रेडिट पर छोड़ दें
10	कॉलम 1 में उल्लिखित वर्ष के दौरान अर्जित छुट्टी	
11	कॉलम 9 और 10 का कुल योग	
12	क्या धारा 32 के तहत योजना के अनुसार छुट्टी देने से इनकार कर दिया गया था	
13	छुट्टी का आनंद लिया..... प्रति.....	
14	ऋण के लिए छुट्टी का संतुलन	
15	मजदूरी की सामान्य दर	
	टिप्पणियाँ यदि कोई हो	

फॉर्म-15

{नियम 57 देखें}

मजदूरी रजिस्टर के साथ छोड़ दें

स्थापना का नाम .....

क्रम संख्या:-..... विभाग:- ..... क्रम संख्या या कर्मचारी के रजिस्टर में कोड :-..... सेवा में प्रवेश की तिथि:-.....	नाम:- ..... पिता का नाम:-..... देय छुट्टी के बदले में किए गये भुगतान की तिथि और राशि:- .....

1	कैलेंडर वर्ष सेवा	
2	से भुगतान किया गया वेतन..... प्रति.....	
3	मजदूरी अवधि के दौरान अर्जित मजदूरी	
4	नहीं। किए गए कार्य के दिनों की संख्या	नहीं। कैलेंडर वर्ष के दौरान काम किए गए दिनों की संख्या
5	नहीं। छंटनी के दिनों की	
6	नहीं। मातृत्व अवकाश के दिनों की संख्या	
7	नहीं। छुट्टी के दिनों का आनंद लिया	
8	स्तंभों का कुल योग **4** से **7**	
9	पिछले वर्ष से छुट्टी का संतुलन	क्रेडिट पर छोड़ दें
10	कॉलम **1** में उल्लिखित वर्ष के दौरान अर्जित छुट्टी	
11	कॉलम **9** और **10** का कुल योग	
12	क्या धारा **32** के तहत योजना के अनुसार छुट्टी देने से इनकार कर दिया गया था	
13	छुट्टी का आनंद लिया..... प्रति.....	
14	ऋण के लिए छुट्टी का संतुलन	
15	मजदूरी की सामान्य दर	
18	टिप्पणियां	

दिनांक: नियोक्ता या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

फॉर्म 16

{नियम 60 देखें}

दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं का रजिस्टर

क्रम संख्या	निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को फॉर्म-10/11 में रिपोर्ट करने की तिथि और बीमा अधिकारियों को नोटिस	रिपोर्ट और नोटिस का समय	घायल व्यक्ति का नाम और पता	लिंग	उम्र	बीमा सं.
1	2	3	4	5	6	7

शिफ्ट, विभाग और कर्मचारी का व्यवसाय	चोट या खतरनाक घटना का विवरण					
	तारीख	समय	स्थान	चोट या खतरनाक घटनाओं का कारण	चोट या खतरनाक घटनाओं की प्रकृति	चोट के समय घायल व्यक्ति वास्तव में क्या कर रहा था
8	9	10	11	12	13	14

नोटिस देने वाले व्यक्ति का नाम, व्यवसाय, पता और हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	प्रविष्टि करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और पदनाम	दो गवाहों का नाम, पता और कब्जा	घायल व्यक्ति के काम पर लौटने की तिथि	राज्य बीमा स्थानीय कार्यालय का नाम जिससे घायल व्यक्ति जुड़ा हुआ है	टिप्पणी, यदि कोई हो
15	16	17	18	19	20

फॉर्म-17

{*नियम* 62 *का उप-नियम* (*ए*) *देखें*}

वार्षिक रिटर्न

31 दिसंबर, 20 को समाप्त होने वाला वर्ष...

एक. मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता/पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस संख्या .....

दो. कारखाने का नाम/प्रतिष्ठान: -.....

तीन. अधिभोगी/नियोक्ता का नाम बताएं:-.....

चार. प्रबंधक का नाम बताएं..... चूंकि.....

पाँच. जिला:-.....

छः. डाक पता, ईमेल-पता और मोबाइल नंबर.....

सात. स्थापना/उद्योग की प्रकृति (सामान्य/खतरनाक/एमएएच).....

आठ. प्रतिष्ठान का मुख्य कार्य/उत्पाद.....

नौ. रोजगार का विवरण:

(१) प्रतिदिन कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या.....

(२) प्रतिदिन कार्यरत श्रमिकों की औसत संख्या [धारा 2(1)(zzl)] .....

औसत दैनिक संख्या की गणना कार्य दिवसों पर उपस्थिति के कुल योग को वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या से विभाजित करके की जानी चाहिए। [उपस्थिति की गणना में (1) एक कार्य दिवस पर अपने निर्धारित कार्य घंटों के आधे से भी कम के लिए एक कर्मचारी की उपस्थिति होगी *छोड़ दिया गया है*, और एक कार्य

दिवस पर अपने निर्धारित कार्य घंटों के आधे या उससे अधिक के लिए उपस्थिति को पूर्ण उपस्थिति के रूप में माना जाएगा (2) अस्थायी और स्थायी दोनों श्रमिकों की उपस्थिति की गणना की जाएगी। अलग-अलग शिफ्ट (*जैसे* रात और दिन की शिफ्ट) पर उपस्थिति को अलग से गिना जाना चाहिए। जिन दिनों पर कारखाना बंद था, चाहे किसी भी कारण से और जिन दिनों पर विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की गई थी, उन्हें कार्य दिवसों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

	कर्मचारी सीधे द्वारा, नियोक्ता	ठेकेदार द्वारा सीधे कर्मचारी	कुल औसत	प्रशिक्षुओं की संख्या	"अन्य प्रशिक्षुओं" की संख्या
रूप					
महिलाएं					
किशोरी					
कुल					

दस. नाम, पता और ईमेल- ठेकेदार का पता.....

ग्यारह. काम करने का समय:

(अ) के लिए प्रति सप्ताह काम किए गए सामान्य घंटे

पुरुष कार्यकर्ता.....

महिला कार्यकर्ता.....

अन्य प्रशिक्षु.....

(आ) धारा 25 के तहत कुल सामान्य मानव घंटे काम किया गया.....

(स्पष्टीकरण; मैन ऑवर में कर्मचारियों द्वारा किया गया कार्य शामिल है)

बारह. वर्ष में कार्य किए गए दिनों की संख्या.....

तेरह. कर्मचारियों को अंतराल के लिए क्या आराम दिया गया था (आधा घंटा या एक घंटा या दो घंटे या अन्य) .....

चौदह. क्या सप्ताह के पहले दिन को साप्ताहिक अवकाश के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था? .....ऐसी संख्या.....

पंद्रह. क्या कारखाना या कारखाना का हिस्सा अनुसूची-II (कार्य के वर्ग का विवरण) के तहत सतत प्रक्रिया में लगा हुआ है.....

सोलह. समय के साथ (धारा 27):

धारा 27 के तहत इस अवधि के दौरान कुल मानव घंटे काम किए गए.....

सत्रह. एक शिफ्ट या उसके हिस्से में लगी महिला कर्मचारियों की औसत संख्या (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच)

(अ) शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच.....

(आ) रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक.....

अठ्ठारह. प्रतिपूरक छुट्टियां

(एक) संहिता की धारा 26 से छूट प्राप्त श्रमिकों की संख्या.....

(दो) निम्नलिखित में छुट्टियां प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या -

(क) उसी महीने.....

(b) अगले महीने.....

(c) तीसरा महीना.....

19. *मजदूरी के साथ छुट्टी (धारा 32):*

(क) वर्ष ..... के दौरान कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या जो उस वर्ष से पहले के वर्ष के दौरान मजदूरी के साथ छुट्टी के हकदार हैं जिसके लिए यह विवरणी प्रस्तुत की गई है.....

(ग) जिस वर्ष के लिए यह विवरणी प्रस्तुत की गई है, उस वर्ष के दौरान मजदूरी के साथ छुट्टी के हकदार व्यक्तियों की संख्या .....

(घ)पिछले वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों को छुट्टी दी गई थी, उनकी संख्या.....

(ङ)उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें उस वर्ष के दौरान छुट्टी दी गई थी जिसके लिए रिटर्न जमा किया गया है.....

(च)(i) वर्ष के दौरान सेवा से छुट्टी दिए गए अथवा बर्खास्त किए गए कामगारों की कुल संख्या.....

(ii) छुट्टी के बदले भुगतान किए गए मजदूरी से छुट्टी पाए गए कामगारों की संख्या.....

(iii) छुट्टी के बदले में भुगतान की गई मजदूरी की कुल राशि.....

(iv) अपनी मर्जी से सेवाएं देने वाले श्रमिकों की कुल संख्या.....

(छ) उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने उस वर्ष के दौरान छुट्टी न लेने के लिए नोटिस दिया था जिसमें छुट्टी प्राप्त हुई .....

20. *(i)* वर्ष के दौरान अनैच्छिक बेरोजगारी के दिनों की कुल संख्या.....

(ii) बेरोजगार कामगारों की संख्या.....

21. क्या कारखाना अंतर्गत आता है-

(i) धारा 2(1)(za).....

(ii) धारा 82.....

(iii) धारा 80.....

22. एक कारखाने या भवन और अन्य निर्माण कार्य में खतरनाक संचालन या खतरनाक प्रक्रिया में कार्यरत कर्मचारियों की औसत दैनिक संख्या.....

23. (i) नहीं। (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है.....

(ii) मुख्य सुरक्षा अधिकारी का नाम और ई-मेल पता.....

(iii) सुरक्षा समिति के सचिव का नाम .....

24. यदि कल्याण अधिकारी की नियुक्ति धारा 24(2)(iv) के तहत की जाती है.....

25. क्या धारा 24(1)(v) और उसमें बनाए गए नियम के अनुपालन में कैंटीन प्रदान की जाती है.....

क्या कैंटीन प्रदान करता है-								
पका हुआ भोजनऔर जलपान, *आदि।*	पका हुआ भोजन केवल	जलपान और केवल चाय	केवल चाय	कैंटीन (दैनिक) को संरक्षण देने वाले श्रमिकों की अनुमानित संख्या	क्या प्रभार लागत मूल्य से कम लगाया जाता है, यदि हां, तो राज्य मदें लागत मूल्य से कम प्रदान की जाती हैं	नियोक्ता द्वारा वहन किए गए व्यय का प्रतिशत (मदों के बारे में विवरण, यदि कोई हो, और सब्सिडी दी गई राशि दी जानी चाहिए)	कैंटीन का प्रबंधन कैसे किया जाता है	सामान्य टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*(*बिंदु *25)*-

1. यदि विवरण देने के लिए कॉलम अपर्याप्त हैं, तो एक अलग शीट संलग्न की जा सकती है और विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है।

2. कॉलम के खिलाफ "शून्य" दर्ज करें जो आपके कारखाने पर लागू नहीं है।

26. क्रेच (आमतौर पर 50 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली स्थापना के लिए)

क्या धारा 24(3) और उसमें बनाए गए नियम के उपबंधों के अनुपालन में क्रेच रूम उपलब्ध कराया गया है/व्यवस्थित किया गया है: .....

[विवरण प्रदान करें, एक अलग शीट संलग्न की जा सकती है]

27. आश्रय, विश्राम कक्ष या दोपहर के भोजन के कमरे (आमतौर पर 50 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान के लिए)

क्या कैंटीन के अलावा धारा 24(2)(iii) और उसमें बनाए गए नियम के अनुपालन में आश्रय, विश्राम-कक्ष या दोपहर का भोजन कक्ष प्रदान किया गया है? [विवरण प्रदान करें, एक अलग शीट संलग्न की जा सकती है]

आश्रय, विश्राम कक्ष या दोपहर के भोजन के कमरे के श्रमिकों की औसत दैनिक उपस्थिति	पीने के पानी के लिए दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण	उपलब्ध कराए गए आवास, फर्नीचर और अन्य उपकरणों का विवरण	सामान्य टिप्पणियाँ
1	2	3	4

28. दुर्घटनाएं

"घातक और गैर-घातक दुर्घटनाएं"

1			2	3	4					
खतरनाक दुर्घटनाओं की कुल संख्या वर्ष के दौरान घटनाएं			मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायलों की संख्या	गैर-घातक दुर्घटनाएं जिनमें श्रमिक वर्ष के दौरान काम पर लौट आए					
					वर्ष के दौरान होने वाली			पिछले वर्ष के दौरान होने वाली		
अनिष्टकर	गैर घातक	चोट के बिना खतरनाक घटना			दुर्घटनाओं की संख्या	घायलों की संख्या	अनुपस्थिति के कारण खोए गए मानव दिवसों की संख्या	दुर्घटनाओं की संख्या	घायलों की संख्या	अनुपस्थिति के कारण खोए गए मानव दिवसों की संख्या

कुल नहीं। इस वापसी अवधि के पिछले वर्ष में घातक दुर्घटनाओं की संख्या.....

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है।

प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोक्ता प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को या उससे पहले अधिकार क्षेत्र वाले निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में एक वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

प्रबंधक के हस्ताक्षर..... *दिनांक*.....	*नियोक्ता के हस्ताक्षर*.....

फॉर्म-18

(नियम 62 का उप-नियम (बी) देखें)

अर्धवार्षिक रिटर्न

..... समाप्त होने की अवधि 30 जून, 20.....

1. मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा जारी लाइसेंस संख्या।
2. कारखाने का नाम.....
3. कब्जा करने वाले का नाम बताइए.....
4. प्रबंधक का नाम बताएं..... चूंकि.....
5. जिला.....
6. डाक पता, ईमेल-पता और मोबाइल नंबर.....
7. उद्योग की प्रकृति (खतरनाक/एमएएच).....
8. कारखाने का मुख्य उत्पाद.....
9. (i) प्रतिदिन कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या.....
   (ii) प्रतिदिन नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या [धारा 2(1)(zzl).....

औसत दैनिक संख्या की गणना कार्य दिवसों पर उपस्थिति के कुल योग को वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या से विभाजित करके की जानी चाहिए। [उपस्थिति की गणना में (1) एक कार्य दिवस पर अपने निर्धारित कार्य घंटों के आधे से भी कम के लिए एक कर्मचारी की उपस्थिति को छोड़ दिया जाएगा, और एक कार्य दिवस पर उसके निर्धारित कार्य घंटों के आधे या उससे अधिक के लिए उपस्थिति का इलाज किया जाएगा पूर्ण उपस्थिति के रूप में (2) अस्थायी और स्थायी दोनों श्रमिकों की उपस्थिति की गणना की जाएगी। अलग-अलग शिफ्ट (जैसे रात और दिन की शिफ्ट) पर उपस्थिति को अलग से गिना जाना चाहिए। जिन दिनों पर कारखाना बंद था, चाहे किसी भी कारण से और जिन दिनों पर विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की गई थी, उन्हें कार्य दिवसों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

	कर्मचारियों को सीधे द्वारा, अधिभोगी	ठेकेदार द्वारा सीधे कर्मचारी	कुल औसत	प्रशिक्षुओं की संख्या	"अन्य प्रशिक्षुओं" की संख्या
रूप					
महिलाएं					
किशोरी					
कुल					

10. ठेकेदार (ओं) का नाम और पता और ईमेल.....
11. इस अवधि में काम किए गए दिनों की संख्या.....
12. कुल संख्या। इस अवधि में घातक दुर्घटना या किसी भी मृत्यु की .....
13. वर्ष ..... में लेखा परीक्षा का महीना
14. यदि लेखापरीक्षा में की गई सिफारिशों का अनुपालन किया गया है (हां/नहीं) ...

मैं/हम, प्रमाणित करते हैं कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी मेरे / हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है।

....

नियोक्ता के हस्ताक्षर *प्रबंधक के हस्ताक्षर*

फॉर्म-19

{*नियम*-64 *का उप-नियम* (2) *देखें*}

नामांकन फॉर्म

यह नामांकन ..... पर किया जा रहा है (तिथि) ..... का दिन (माह) ..... (वर्ष)।

I, …….. ..... का बेटा/बेटी इसके द्वारा यह आवश्यक है कि काम फिर से शुरू करने से पहले मेरी मृत्यु की स्थिति में, मेरे वेतन की शेष राशि, जो मजदूरी का लाभ नहीं उठाया गया है, छुट्टी की अवधि के लिए देय है, ... मेरा ..... कौन है (संबंध)।

सत्यापित करना:

(एक)

दस्तख़त देखिए।-

नाम-

पता-

पहचान प्रमाण संख्या-

(दो)

दस्तख़त देखिए।-

नाम-

पता-

पहचान प्रमाण संख्या-

कर्मचारी के हस्ताक्षर और पता

फॉर्म -20

{नियम 68 का उप-नियम (3) देखें}

अनुपालन/सुधार नोटिस

निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता अनुपालन/सुधार के लिए नियोक्ता/प्रतिष्ठान को नोटिस

प्रति,

कब्जाधारी/नियोक्ता,

……

……

प्रतिष्ठान का नाम और पता	कार्य स्थल का स्थान जहां इस तरह के कार्य को किया जा रहा है	प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या	गतिविधियाँ शामिल
1	2	3	4

चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने आपके प्रतिष्ठान में निरीक्षण किया था..... ..... में स्थित है तारीख ..... और निरीक्षण के दौरान, अधोहस्ताक्षरी ने कुछ उल्लंघन पाए और उनकी राय है कि निम्नलिखित उल्लंघन, जो आपके प्रतिष्ठान में पाए गए थे, उन्हें संहिता के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और लागू अन्य कानूनों के अनुसार सुधार की आवश्यकता है-

उपर्युक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण ..... को किया गया था, निम्नलिखित उल्लंघन देखे गए थे।

एक. ……..
दो. ……..
तीन. ……..
चार. ……..

आपको इसके द्वारा उक्त उल्लंघनों को दूर करने और इस नोटिस प्राप्त करने की तारीख से सात/पंद्रह दिनों के भीतर लिखित रूप में अनुपालन रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता है।

यह नोटिस इन उल्लंघनों के लिए की जाने वाली किसी भी कानूनी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया जा रहा है। आपसे यह सुनने पर कि आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, उल्लंघन या अनियमितताओं के लिए किए गए अनुपालनों को सत्यापित करने की दृष्टि से आवश्यक समझे जाने पर प्रतिष्ठान का फिर से दौरा किया जा सकता है।

आदेश सं. …….

दिनांकित

इंस्पेक्टर कम
फैसिलिटेटर
व्यावसायिक सुरक्षा,
स्वास्थ्य और के तहत
कार्य स्थिति संहिता,
2020

प्रपत्र- 21

{नियम 71 देखें}

थर्ड पार्टी ऑडिटर की मान्यता या नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र
(व्यक्तियों द्वारा भरा जाना है)

एक. नाम:
दो. पिता / पति का नाम:
तीन. जन्म तिथि और आयु:
चार. स्थायी पता:
पाँच. के लिए पता :

(a) अनुकूलता-
(b) टेलीफोन नं. :
(c) मोबाइल नं. :
(d) फैक्स :
(e) ई-मेल :

9. शैक्षिक योग्यता: (प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)
[Sr.No/ डिग्री/डिप्लोमा कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय पूरा होने का वर्ष]

10. आवेदक की नवीनतम तस्वीर पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
11. सुरक्षा में तकनीकी योग्यता (प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)
[सीनियर नंबर/डिग्री/डिप्लोमा कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय पूरा होने का वर्ष]

12. कार्य अनुभव (प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)
[क्रम संख्या/रोजगार तिथि/नियोक्ता का नाम और पता/पदनाम/कार्य की प्रकृति/से]

13. मान्यता के नवीनीकरण के लिए।
प्रमाणपत्र संख्या। और तारीख:

घोषणा

मैंने एतद्द्वारा घोषणा की कि,

(a) थर्ड पार्टी ऑडिटर के रूप में मेरी मान्यता को अतीत में राज्य सरकार द्वारा रद्द या रद्द नहीं किया गया था;

(b) थर्ड पार्टी ऑडिटर के रूप में मेरी मान्यता को अतीत में रद्द या रद्द कर दिया गया था, और इसका विवरण इस प्रकार है: -

निरसन या रद्द करने की तिथि
आदेश संख्या और तारीख, यदि कोई हो
से अवधि

नोट.- यदि मान्यता को अतीत में दो बार रद्द या रद्द कर दिया गया था, तो तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षक मान्यता के लिए पात्र नहीं है।

(c) मैंने पिछले दो वर्षों में तीन या तीन से अधिक लेखा परीक्षाएं की हैं, कारखाने का नाम, पता और लेखा परीक्षा की तारीख दर्शाने वाली सूची संलग्न है।

(d) मैं, ---------- एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

I, …….. करने का वचन दें:

(३) सुविधाओं को अच्छे कार्य क्रम में बनाए रखें, और

(४) मान्यता प्रमाण पत्र में निर्धारित शर्तों, यदि कोई हो, को पूरा करें और उनका पालन करें।

दिनांक: आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान: पूरा नाम:

फॉर्म-22
{नियम 71 देखें}

किसी संस्था को थर्ड पार्टी ऑडिटर के रूप में मान्यता या नवीनीकरण के लिए आवेदन का प्रपत्र

एक. संस्थान का नाम और पूरा पता:

दो. पंजीकरण संख्या के साथ संस्था की स्थिति (निर्दिष्ट करें कि सरकारी, स्वायत्त, सहकारी, कॉर्पोरेट या निजी):

तीन. पत्राचार संस्था का विवरण:

(अ) संस्थान के प्रमुख का नाम

(आ) फोन/मोबाइल नं.

(इ) ई-मेल पता

(ई) फैक्स

चार. क्या इस संस्थान को इस राज्य या किसी अन्य राज्य द्वारा तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक के रूप में घोषित किया गया है? यदि हां, तो विवरण दें।

पाँच. इस एप्लिकेशन के साथ संलग्न अनुलग्नक में कम से कम तीन नियोजित व्यक्तियों का बायोडाटा संलग्न करें:

छः. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी

सात. प्रमाणपत्र संख्या। (नवीनीकरण के मामले में)

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि,-

(अ) थर्ड पार्टी ऑडिटर के रूप में संस्था की मान्यता को अतीत में राज्य सरकार द्वारा रद्द या रद्द नहीं किया गया था;

(आ) थर्ड पार्टी ऑडिटर के रूप में संस्था की मान्यता को अतीत में रद्द या रद्द कर दिया गया था, इसका विवरण इस प्रकार है:

निरसन या रद्द करने की तिथि

ऑर्डर नंबर और तारीख:

से अवधि से:

नोट.- यदि मान्यता को अतीत में दो बार रद्द या रद्द कर दिया गया था, तो संस्थान मान्यता के लिए पात्र नहीं है।

(इ) संस्था ने पिछले दो वर्षों में तीन या तीन से अधिक ऑडिट किए हैं, नाम, कारखाने का पता और ऑडिट की तारीख दिखाने वाली सूची इसके साथ संलग्न है।

(ई) I, ... एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि जिन व्यक्तियों का बायोडाटा आवेदन के साथ संलग्न है, वे उस संस्था के कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति पत्र की प्रतियां इसके साथ संलग्न हैं।

(उ) मैं, एतद्द्वारा घोषणा ---------- हूं कि ---------- (संस्था का नाम) के लिए ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

(ऊ) I, ... करने का वचन दें,-

1- यदि नियोजित व्यक्ति जिसके आधार पर यह मान्यता प्राप्त की गई थी, रोजगार छोड़ते समय प्राप्त किया गया था, तो राज्य सरकार और मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को तत्काल सूचित करें।

2- सुविधाओं को अच्छे कार्य क्रम में बनाए रखें,

3- मान्यता प्रमाण पत्र में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करें और उनका पालन करें।

संस्था के प्रमुख के हस्ताक्षर

उपाधि

दिनांक:

स्थान:

परिशिष्ट:

नियोजित व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी:

एक. नाम:

दो. पिता / पति का नाम:

तीन. जन्म तिथि और आयु:

चार. स्थायी पता:

पाँच. पत्राचार के लिए पता:

छः. टेलीफोन नंबर:

सात. मोबाइल नं.:

आठ. फैक्स :

नौ. ई-मेल :

दस. शैक्षिक योग्यता: (प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)

[सीनियर नंबर/डिग्री/डिप्लोमा कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय पूरा होने का वर्ष नवीनतम फोटोग्राफ पर हस्ताक्षरित।

ग्यारह. सुरक्षा में तकनीकी योग्यता (प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)

[सीनियर नंबर/डिग्री/डिप्लोमा कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय/पूरा होने का वर्ष]

बारह. कार्य अनुभव (प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)

[क्रम संख्या/रोजगार तिथि का नाम और पता/पदनाम/कार्य की प्रकृति, से---------- से----------]

घोषणा

I, …… इसके द्वारा घोषणा करें कि इस अनुलग्नक में दी गई सभी जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। यदि मान्यता प्राप्त है, तो मैं तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पेशेवर नैतिकता के उच्च मानक का पालन करने और बनाए रखने के लिए सहमत हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर:

पूरा नाम :

तिथि :

स्थान :

फॉर्म-23

{ नियम 71 देखें}

तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षक के रूप में मान्यता / मान्यता के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र।

प्रमाणपत्र संख्या: .....

यह सूचित किया जाता है कि मैसर्स / श्री / श्रीमती ....., (पता) .... को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पत्र संख्या 2019 के माध्यम से "तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक" के रूप में मान्यता / नवीनीकृत किया गया है। …… दिनांकित..... उत्तर प्रदेश व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति नियम, 2024 के तहत लेखा परीक्षा करने के उद्देश्य से।

यह प्रमाणपत्र ..... से मान्य है ..... करने के लिए

यह प्रमाण पत्र यहां निर्धारित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है:

एक. ऑडिट उत्तर प्रदेश व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति नियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

दो. प्रत्येक ऑडिट आईएस 14489:1998 या प्रतिष्ठान पर लागू नवीनतम प्रासंगिक मानक के अनुरूप होगा।

तीन. वह या संस्था, लेखा परीक्षा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति, लेखा परीक्षा आयोजित करने के समय शारीरिक रूप से उपस्थित होगा और लॉग बुक में किए गए कार्य का रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

चार. प्रमाणपत्र संख्या। और वैधता अवधि को हमेशा लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर दर्ज किया जाना चाहिए।

पाँच. वैधता अवधि की समाप्ति के बाद कोई लेखा परीक्षा नहीं की जाएगी।

छः. राज्य सरकार इस प्रमाण पत्र की वैधता के दौरान किसी भी समय इसे रद्द करने, रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

सात. वह या संस्था, संस्था के मामले में, लेखा परीक्षा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति, किसी भी कारखाने का ऑडिट नहीं करेगा जहां ऐसा लेखा परीक्षक कार्यरत है, या उस कारखाने का एक अधिभोगी, भागीदार, निदेशक या प्रबंधक, या किसी भी कारखाने का स्वामित्व है, संचालित, प्रबंधित या तत्काल परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों या विस्तारित परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित या जिसमें वह लेखा परीक्षक या ऐसा व्यक्ति उन कारखानों का ऑडिट नहीं करेगा जिनके लिए वह लेखा परीक्षक किसी भी संयंत्र, मशीनरी, कच्चे माल, सुरक्षा उपकरणों या अन्य सामग्री, उपकरण की आपूर्ति करता है।

आठ. वह या संस्था, लेखापरीक्षा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति, किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा, यहां तक कि संस्था के कर्मचारी के मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक होने के बाद भी, किसी भी विनिर्माण या वाणिज्यिक रहस्य या कार्य प्रक्रियाओं या अन्य गोपनीय जानकारी जो एक लेखा परीक्षक के रूप में उनके कर्तव्यों के दौरान उसके ज्ञान में आ सकती है। इस संबंध में कोई भी विफलता ऐसे लेखा परीक्षक या व्यक्ति को आपराधिक या सिविल कार्यवाही के लिए उत्तरदायी बना सकती है, जो उस समय लागू कानून के अनुसार है।

नौ. तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षक के रूप में मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन मान्यता की अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले किया जाएगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर।

फॉर्म-24

{नियम 71 देखें}

ऑडिट रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा

एक. कारखाने का नाम और पता:

दो. अधिभोगी का नाम:

तीन. लेखा परीक्षा की तिथि:

चार. अधिकतम भंडारण मात्रा के साथ कच्चे माल की सूची:

पाँच. अधिकतम भंडारण मात्रा के साथ तैयार उत्पादों की सूची:

छः. विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट:

सात. सभी पौधों (रासायनिक कारखानों) का P I आरेख:

आठ. तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षक का नाम और प्रमाण-पत्र संख्या 1000 और उस व्यक्ति का नाम जिसने ऑडिट किया है:

नौ. क्या आईएस 14489 के अनुसार संलग्न ऑडिट रिपोर्ट, या प्रासंगिक समय पर प्रचलित ऐसे कोई मानक, जो भी नवीनतम हो:

दिनांक:

तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर
/किसी संस्था का व्यक्ति या कर्मचारी
लेखा परीक्षा करने के लिए अधिकृत

मैं एतद्द्वारा ..... को या उससे पहले लेखा परीक्षा की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वचन देता हूं।

दिनांक:

अधिभोगी के हस्ताक्षर
या प्रबंधक या लेखा परीक्षक।

प्रपत्र- 25

{नियम 78 का उप-नियम (1) देखें}

लाइसेंस के लिए आवेदन/लाइसेंस के नवीनीकरण/लाइसेंस में संशोधन

I. प्रतिष्ठान का विवरण जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है:

1. स्थापना का नाम:
2. स्थापना का पता:
   (ए) ईमेल आईडी के साथ प्रधान कार्यालय का पता:
   (बी) ईमेल आईडी के साथ कॉर्पोरेट कार्यालय का पता:
3. टेलीफोन नंबर:
4. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार गतिविधि: (दी गई सभी लागू गतिविधियों का चयन करें)
5. चयनित एनआईसी कोड का विवरण:
6. मुख्य प्रतिष्ठान में किए गए कार्य की प्रकृति :

II. नियोक्ता का विवरण:

एक. नियोक्ता का पूरा नाम:
दो. स्थापना के साथ संबंध।
तीन. नियोक्ता का पूरा पता:
चार. नियोक्ता की ईमेल आईडी:
पाँच. मोबाइल नं. नियोक्ता की संख्या:

लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले ठेकेदार का विवरण:

एक. ठेकेदार का नाम और पता (व्यक्तियों के मामले में उसके पिता का नाम सहित) .....
दो. जन्म तिथि और आयु (व्यक्तियों के मामले में) .....
तीन. संहिता के तहत प्रतिष्ठान के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की संख्या और तिथि.....
चार. प्रमुख नियोक्ता का नाम और पता .....
पाँच. ठेका श्रम का विवरण:
   (अ) कार्य की प्रकृति जिसमें ठेका श्रमिकों को नियोजित किया जाता है या प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाना .....
   (आ) प्रस्तावित ठेका कार्य की अवधि (प्रारंभ और समाप्ति की प्रस्तावित तारीख का विवरण दें) .....
   (इ) कार्य स्थल पर एजेंट या प्रबंधक या ठेकेदार का नाम और पता .....
   (ई) किसी भी दिन प्रतिष्ठान में ठेका श्रमिकों की अधिकतम संख्या को शामिल करने का प्रस्ताव है
छः. किसी भी तारीख को प्रतिष्ठान पर नियोजित किए जाने के लिए अधिकतम अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या प्रस्तावित .....
सात. क्या ठेकेदार को कार्यवाही के भीतर पांच वर्षों के भीतर किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, यदि हां, तो ब्यौरा दीजिए .....

आठ. क्या पहले के अनुबंध के संबंध में लाइसेंस रद्द करने या निलंबित करने या सुरक्षा जमा जब्त करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कोई आदेश था, यदि हां, तो ऐसे आदेश की तारीख .....

नौ. चाहे ठेकेदार ने किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम किया हो, हमने पिछले 5 वर्षों में काम नहीं किया है, यदि हां, तो मुख्य नियोक्ता, स्थापना और कार्य की प्रकृति का विवरण दें, क्या प्रपत्र-26 में मुख्य नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है.....

दस. ..... भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क की राशि

ग्यारह. ..... जमा की गई सुरक्षा की राशि

घोषणा: मैं, ... एतद्द्वारा घोषणा करें कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थान: आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन

एक. लाइसेंस संख्या:

दो. दिनांक:

तीन. लिन और पैन

चार. प्रतिष्ठान का नाम और पता:

पाँच. ठेकेदार का नाम और पता:

छः. विवरण जिसके लिए संशोधन की मांग की गई है:

(अ) वर्तमान में कार्यरत श्रमिकों की अधिकतम संख्या : (यदि नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या में वृद्धि होती है, तो कानून के अनुसार अतिरिक्त शुल्क/सुरक्षा जमा राशि जमा करने की आवश्यकता है:

(आ) किसी भी तारीख को प्रतिष्ठान पर नियोजित किए जाने के लिए अधिकतम अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या प्रस्तावित .....

(इ) ई-भुगतान तिथि के माध्यम से भुगतान की गई फीस का विवरण जिस पर बनाया गया:

(ई) जारी किए गए लाइसेंस में संशोधन की आवश्यकता वाले अन्य विवरण (आवश्यक परिवर्तन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं)

घोषणा: मैं, ... एतद्द्वारा घोषणा करें कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

आवेदन की तिथि: ठेकेदार के हस्ताक्षर

फॉर्म-26

{नियम 78 का उप-नियम (2) देखें}

प्रधान नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित कि:

१. मैंने आवेदक को ..... से काम पर लगा दिया है (ठेकेदार का नाम) _____*(तारीख) से _____(तारीख) तक किए जाने वाले work_____ के लिए मेरे प्रतिष्ठान में एक ठेकेदार के रूप में।*

२. मैं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 और उत्तर प्रदेश व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति नियम, 2021 के सभी प्रावधानों से बंधे होने का वचन देता हूं, जहां तक मेरे प्रतिष्ठान में आवेदक द्वारा अनुबंध श्रमिकों/अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के संबंध में प्रावधान मुझ पर लागू होते हैं।

३. उक्त कार्य में ठेका श्रमिकों को शामिल करना व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 की धारा 57 या एक पुरस्कार या एक समझौते के तहत निषिद्ध नहीं है।

४. संहिता के तहत प्रधान नियोक्ता के रूप में मेरा पंजीकरण नंबर ..... है

*जो भी लागू न हो उसे कृपया बंद कर दें।

दिनांक: प्रधान नियोक्ता के हस्ताक्षर

स्थान: स्थापना का नाम और पता

फॉर्म-27

(नियम-84 और नियम-79 का उप-नियम (1) देखें)

लाइसेंस का प्रारूप

लाइसेंस संख्या। ---------- दिनांक: ----------

भुगतान की गई फीस: रु. ----------

सिक्योरिटी डिपॉजिट: ..... रुपये

एक. इसके द्वारा ..... को लाइसेंस प्रदान किया जाता है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 की धारा 47 की उप-धारा (1) के तहत अनुलग्नक में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन।

दो. ..... काम का नाम और स्थान

तीन. प्रमुख नियोक्ता का नाम.....

चार. पंजीकरण प्रमाण पत्र सं. और प्रमुख नियोक्ता की तारीख.....

पाँच. लाइसेंस तब तक लागू रहेगा..... (इंगित की जाने वाली तारीख)]।

छः. लाइसेंस के तहत एक दिन में नियोजित किए जाने वाले ठेका श्रमिकों/प्रवासी श्रमिकों की अधिकतम संख्या:

तारीख..... हस्ताक्षर और मुहर विशेषज्ञ

संशोधन:

वर्ष जब संशोधित किया गया	अधिकतम ठेका श्रमिकों की संख्या /किसी भी एक दिन पर श्रमिक	संशोधन शुल्क के भुगतान की तिथि	भुगतान की तिथि	जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्राधिकरण के हस्ताक्षर

नवीनीकरण

नवीनीकरण की तिथि	नवीनीकरण के लिए भुगतान किया गया शुल्क	समाप्ति की तिथि	प्राधिकरण की मुहर और हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			

परिशिष्ट

लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

एक. लाइसेंस गैर-हस्तांतरणीय होगा।

दो. प्रतिष्ठान में ठेका श्रमिकों/प्रवासी कामगारों के रूप में नियोजित कामगारों की संख्या किसी भी दिन लाइसेंस में विनिदष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।

तीन. नियमों में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, अनुदान के लिए भुगतान किया गया शुल्क या, जैसा भी मामला हो, लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए गैर-वापसी योग्य होगा।

चार. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को देय मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) या मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) के तहत रोजगार के लिए निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी, जहां लागू हो, और जहां दरें समझौते, निपटान, पुरस्कार या राज्य सरकार द्वारा तय की गई हैं, इस प्रकार तय की गई दरों से कम नहीं।

पाँच. ऐसे मामले में जहां ठेकेदार द्वारा नियोजित कामगार प्रतिष्ठान के मुख्य नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों के समान या समान प्रकार का कार्य करते हैं, ठेकेदार के श्रमिकों की मजदूरी दरें, छुट्टियां, काम के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो प्रतिष्ठान के प्रमुख नियोक्ता द्वारा सीधे उसी या समान प्रकार के काम पर नियोजित श्रमिकों पर लागू होती हैं; बशर्ते कि कार्य के प्रकार के संबंध में किसी भी असहमति के मामले में, इसका निर्णय नामित प्राधिकारी या निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

छः. अन्य मामलों में ठेकेदार के कामगारों की मजदूरी दरें, छुट्टियां, काम के घंटे और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो इस संबंध में नामित प्राधिकारी या निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा विनिदष्ट की जा सकें

सात. प्रत्येक ठेका श्रमिक/प्रवासी श्रमिक व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (2020 का 37) और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित भत्ते, लाभ, सुविधाओं आदि का हकदार होगा।

आठ. प्रत्येक प्रतिष्ठान में जहां 20 या अधिक महिलाएं सामान्य रूप से कार्यरत हैं क्योंकि छह वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों के उपयोग के लिए उचित आयाम के 2 कमरे प्रदान किए जाएंगे। ऐसे कमरों में से एक का उपयोग बच्चों के लिए खेल के कमरे के रूप में और दूसरे का उपयोग बच्चों के लिए बिस्तर के कमरे के रूप में किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए ठेकेदार खेल के कमरे में पर्याप्त संख्या में खिलौने और खेल और सोने के कमरे में पर्याप्त संख्या में खाट और बिस्तर की आपूर्ति करेगा। शिशुगृहों के निर्माण और रखरखाव का मानक ऐसा हो सकता है जो इस संबंध में नामित प्राधिकारी या निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

नौ. लाइसेंसधारी कामगारों की संख्या या कार्य की शर्तों में किसी भी परिवर्तन को नामित प्राधिकारी को सूचित करेगा।

दस. लाइसेंस की एक प्रति उस परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी जहां अनुबंध का कार्य किया जा रहा है।

ग्यारह. ठेकेदार संहिता के सभी प्रावधानों और इन नियमों का पालन करेगा।

बारह. लाइसेंसधारी, प्रत्येक अनुबंध कार्य के शुरू होने और पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 46 के तहत नामित प्राधिकरण को एक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, जिसमें प्रारंभ की वास्तविक तारीख या, जैसा भी मामला हो, फॉर्म-28 में ऐसे अनुबंध कार्य को पूरा करने की सूचना दी जाएगी।

फॉर्म-28

{नियम 79 का खंड (के) उप-नियम (2) और नियम 89 का उप-नियम (1) देखें}

कार्य शुरू होने/पूरा होने की सूचना

एक. ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) के तहत प्रमुख नियोक्ता का नाम/भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27)/व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2021 (2020 का 37)* .....

दो. लिन/पैन नं.

तीन. ईमेल आईडी

चार. मोबाइल नं.

पाँच. ठेकेदार का नाम (यदि लागू हो):

छः. नहीं। और पंजीकरण/लाइसेंस प्रमाण पत्र की तारीख * .....

सात. कार्य के प्रभारी व्यक्ति का नाम :

आठ. लिन/पैन नं. कार्य के प्रभारी व्यक्ति की संख्या:

नौ. कार्य के प्रभारी व्यक्ति की ईमेल आईडी:

दस. मोबाइल नं. कार्य के प्रभारी व्यक्ति की संख्या:

ग्यारह. इसमें शामिल कार्य की प्रकृति और प्रतिष्ठान में प्रदान किए गए किसी भी संयंत्र और मशीनरी सहित सुविधाएं:

बारह. प्रतिष्ठान में उपयोग किए जाने वाले विस्फोटकों के भंडारण, यदि कोई हो, की व्यवस्था:

मैं/हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि कार्य ..... (कार्य का नाम) ..... को दिया गया (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ..... दिनांक .....* को ..... से आरंभ/पूरा किए जाने की संभावना है (तारीख)/पर (तारीख)।

सेवा मेरे

एक. प्राधिकरण

……..

दो. निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता

....

* जो भी लागू न हो उसे कृपया बंद कर दें।

फॉर्म-29

{नियम-81 देखें}

ठेकेदारों का रजिस्टर

क्र.सं.	लाइसेंस संख्या। और तारीख	प्रधान नियोक्ता का नाम और पता	ठेकेदार का नाम और पता	ठेकेदार द्वारा की जाने वाली प्रकृति/गतिविधि	किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले अधिकतम श्रमिक	प्रारंभ की संभावित तिथि	समाप्ति की तिथि	संशोधन का विवरण, यदि कोई हो	तक नवीनीकृत किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

फॉर्म-30

(नियम - 85 का उप-नियम (5) देखें)

सुरक्षा जमा धनवापसी रिलीज का रजिस्टर

क्र.सं.	ठेकेदार का नाम और पता	जमा की गई सुरक्षा की राशि	जमा की गई सुरक्षा की तिथि	भुगतान के लिए सुरक्षा जमा से जारी राशि	प्रतिभूति जमा से भुगतान जारी करने के लिए प्राधिकरण के आदेश का संदर्भ	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7

फॉर्म-31

{नियम -95 देखें}

अनुबंध कर्मचारी का अनुभव प्रमाण पत्र

<u>किससे कभी चिंतित</u>

एक. ठेकेदार/नियोक्ता का नाम*:

दो. लिन/पैन नं। ठेकेदार/नियोक्ता की *:

तीन. ठेकेदार/नियोक्ता* की ईमेल आईडी:

चार. मोबाइल नं. ठेकेदार/नियोक्ता की *:

पाँच. कार्य की प्रकृति और स्थान:

छः. प्रधान नियोक्ता का नाम*:

सात. प्रधान नियोक्ता का लिन/पैन नंबर:*

आठ. प्रधान नियोक्ता :* की ईमेल आईडी

नौ. मोबाइल नं. प्रधान नियोक्ता का:*

दस. कार्यकर्ता का नाम*:

ग्यारह. यूएएन/आधार नंबर*:

बारह. मोबाइल नं. :

तेरह. कर्मचारी रजिस्टर में सीरियल नंबर:

चौदह. पंजीकरण संख्या, श्रमिक और बोर्ड का नाम (यदि ठेका श्रमिक उत्तर प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड या उत्तर प्रदेश असंगठित कामगार कल्याण बोर्ड के साथ लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है):

पंद्रह. रोजगार की अवधि:

सोलह. उपाधि:

दिनांक: ठेकेदार के हस्ताक्षर

स्थान: सील

*जो भी लागू न हो उसे कृपया बंद कर दें।

फॉर्म-32

{नियम 96 का उप-नियम (1) देखें}

मुख्य गतिविधि की घोषणा के लिए आवेदन

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

श्रम और रोजगार,

उत्तर प्रदेश सरकार।

महोदय/महोदया,

एक. …… (स्थापना का नाम और पता) ..... के विनिर्माण में लगी हुई है।

दो. विनिर्माण प्रक्रिया का प्रवाह चार्ट इसके साथ संलग्न है।

तीन..…… गतिविधि प्रतिष्ठान की मुख्य गतिविधि/गैर-प्रमुख गतिविधि है।

चार. विचाराधीन गतिविधि का विवरण .....

…….

…….

पाँच. आवेदन के आधार का विवरण .....

……..

……

छः. प्रश्नगत ..... में कार्यकलाप में नियोजित श्रमिकों की संख्या

सात. प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या.....

प्रार्थना

…….

…….

हस्ताक्षर

(नाम और पता)

सत्यापन:

यह सत्यापित किया जाता है कि एप्लिकेशन की सामग्री मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

हस्ताक्षर

(नाम और पता)

फॉर्म-33

(नियम -96 का उप-नियम (1) देखें)

ऑडियो-विजुअल कार्यकर्ता और ऑडियो-विजुअल प्रोग्राम या ठेकेदार के निर्माता के बीच समझौते का प्रारूप

यह समझौता आज के दिन किया जाता है ..... महीना..... वर्ष ..... के बीच:

एक. मैसर्स ..... (प्रोडक्शन हाउस का नाम) (एक एकल स्वामित्व वाली कंपनी/साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत एक फर्म/कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित और पंजीकृत कंपनी) ..... में कार्यालय होना (इसके बाद के रूप में संदर्भित किया गया है "निर्माता") पर पहला भाग

तथा

दो. श्री/श्रीमती/कुम ..... श्री ..... का बेटा/बेटी/पत्नी दूसरे भाग पर (इसके बाद "ऑडियो-विजुअल वर्कर" के रूप में संदर्भित) पर रहते हैं।

"निर्माता" और "ऑडियो-विजुअल कार्यकर्ता" शब्दों में उनके उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे;

जबकि निर्माता ऑडियो-विजुअल उत्पादन में लगा हुआ है जैसा कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कार्य स्थिति संहिता 2020 की धारा 2 (ई) में परिभाषित किया गया है;

जबकि उक्त निर्माता ऑडियो-विजुअल वर्कर को एक ..... की क्षमता में शामिल करने के लिए इच्छुक है। उपरोक्त ऑडियो-विजुअल प्रोडक्शन में और ऑडियो-विजुअल वर्कर इसे स्वीकार करता है;

अब, इसलिए यह समझौता इस प्रकार किया गया है:

एक. दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि इस समझौते की अवधि ऑडियो विजुअल उत्पादन के पूरा होने तक की तारीख होगी और यह अवधि इससे अधिक नहीं होगी..... लगातार महीने;

दो. कि ऑडियो-विजुअल कार्यकर्ता स्टूडियो, स्थान या कार्य स्थल में भाग लेने के लिए सहमत होता है, जैसा भी मामला हो, उसकी पिछली सगाई की आवश्यकता के अधीन और उसकी पुष्टि पर, अपने संबंधित कार्य के लिए समय पर जब भी उसे निर्माता या उसके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित सूचना की आवश्यकता होगी।

तीन. ऑडियो-विजुअल वर्कर्स की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पूर्वोक्त है, निर्माता भुगतान करने के लिए सहमत होता है और ऑडियो विजुअल वर्कर ..... रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए सहमत होता है (रुपये .....) इस करार पर हस्ताक्षर करने पर अग्रिम रूप में देय और शेष राशि .... में देय समान किश्तें;

चार. यदि यदि ऑडियो विजुअल उत्पादन निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं होता है और निर्माता को अभी भी उत्पादन पूरा करने के लिए ऑडियो विजुअल वर्कर की सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो निर्माता भुगतान करने के लिए सहमत हो जाता है और ऑडियो विजुअल वर्कर आनुपातिक आधार पर अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, जो उसी तरीके से देय होता है जैसा कि ऊपर खंड 3 में बताया गया है, ऑडियो विजुअल उत्पादन के पूरा होने तक;

पाँच. यदि ऑडियो-विजुअल कार्यकर्ता का असाइनमेंट उपरोक्त खंड 1 और 4 में निर्धारित अवधि से पहले पूरा हो जाता है, तो निर्माता ऑडियो-विजुअल वर्कर के खाते का निपटान करेगा और ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के पुन: रिकॉर्डिंग कार्य/सेंसर के शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, समझौते की राशि की शेष राशि का पूरा भुगतान करेगा।

छः. निर्माता द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है कि इस समझौते के प्रयोजनों के लिए-

(अ) एक कार्य दिवस का अर्थ होगा लगातार आठ घंटे से अधिक की अवधि (आराम और जलपान के लिए एक घंटे का ब्रेक शामिल करने के लिए);

(आ) एक कार्य सप्ताह का अर्थ सोमवार से शनिवार तक छह दिन का सप्ताह होगा, दोनों समावेशी, और ऑडियो विजुअल वर्कर रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों पर काम करने के लिए उत्तरदायी नहीं है:

(इ) ऑडियो विजुअल कार्यकर्ता को बिना ब्रेक के लगातार पांच घंटे से अधिक समय तक काम करने की आवश्यकता नहीं होगी; तथा

(ई) स्टूडियो / स्थान / कार्यस्थल से ऑडियो विजुअल वर्कर की रिहाई और अगले बाद की कॉल के बीच बारह घंटे से कम की अवधि नहीं बीतती है।

सात. कि ऑडियो विजुअल वर्कर, यदि आवश्यक हो, तो करेगा, -

(अ) प्रारंभिक कार्य के लिए, शिफ्ट के निर्धारित समय से पहले, जैसा भी मामला हो, स्टूडियो, स्थान या कार्यस्थल में उपस्थित हों, और उस स्थिति में, उसे निर्माता द्वारा ..... रुपये की दर से अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा प्रति घंटा या इस तरह की प्रारंभिक उपस्थिति के लिए उसका हिस्सा;

(आ)एक घंटे के ब्रेक के साथ कार्य दिवस के बाद भी काम करना जारी रखें और उस स्थिति में, उसे निर्माता द्वारा ..... रुपये की दर से अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा विस्तारित घंटों और जलपान, और परिवहन सुविधाओं के दौरान काम के लिए।

आठ. कि निर्माता परिवहन और भोजन प्रदान करेगा या ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए आने-जाने के लिए यात्रा भत्ते का भुगतान करेगा और ड्यूटी पर भोजन भत्ता देगा, जैसा कि निर्माता और ऑडियो विजुअल वर्कर के प्रतिनिधि संगठनों के बीच द्विपक्षीय व्यवस्था द्वारा प्रथागत या तय किया गया है;

नौ. कि निर्माता सभी यात्रा और आवास खर्चों, किराए, भोजन की लागत और ऐसे अन्य भत्तों के लिए भी भुगतान करेगा जो प्रथागत हैं जब ऑडियो विजुअल वर्कर को बाहर स्थान पर काम करने की आवश्यकता होती है;

दस. कि निर्माता ऑडियो विजुअल वर्कर को अपने व्यक्ति को किसी भी चोट या क्षति के लिए बीमा कराएगा, जिसमें उसके रोजगार के दौरान या उसके रोजगार के दौरान उत्पन्न होने वाली दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु और/या इस समझौते के तहत उसके असाइनमेंट की अवधि के दौरान मृत्यु शामिल है;

ग्यारह. जहां निर्माता को आग, दंगे, प्राकृतिक आपदा, सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से ऑडियो-विजुअल के उत्पादन के साथ आगे बढ़ने से रोका जाता है:

(अ) उत्पादन निलंबित होने की स्थिति में उत्पादन के निलंबन की अवधि के दौरान वह इस समझौते के संचालन को निलंबित करने का हकदार होगा। निर्माता ऑडियो विजुअल वर्कर को इस तरह के निलंबन के बारे में लिखित नोटिस देगा और इस तरह के नोटिस की तामील की तारीख तक अपने सभी बकाया का भुगतान करेगा। फिल्म पर काम फिर से शुरू होने पर, यह समझौता पुनर्जीवित होगा और निलंबन की अवधि को छोड़कर, खंड I में निर्धारित अवधि के लिए वैध रहेगा; या

(आ) वह उत्पादन की समाप्ति के रूप में इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा, यदि उत्पादन पूरी तरह से बंद हो जाता है। निर्माता ऑडियो विजुअल वर्कर को इस तरह की समाप्ति के बारे में लिखित रूप में एक नोटिस देगा और समाप्ति के समय ऑडियो विजुअल वर्कर को देय सभी राशि का भुगतान करेगा।

बारह. यदि निर्माता ऑडियो विजुअल वर्कर के कर्तव्यों के प्रदर्शन के संबंध में कदाचार के अलावा अन्य कारणों से या इस समझौते के तहत आवश्यक सेवाओं को करने की अनिच्छा के कारण अपनी अवधि की समाप्ति से पहले इस समझौते को समाप्त करने की इच्छा रखता है, तो निर्माता केवल समझौते की निर्धारित राशि की शेष राशि के भुगतान पर ही ऐसा करने का हकदार होगा। ऑडियो विजुअल वर्कर को इस तरह के भुगतान के बाद ही, निर्माता अपने स्थान पर किसी अन्य ऑडियो विजुअल वर्कर को नियुक्त करने का हकदार होगा;

तेरह. कि निर्माता को अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन के संबंध में ऑडियो विजुअल कार्यकर्ता की ओर से कदाचार के आधार पर इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा या समाप्ति के समय ऑडियो विजुअल कार्यकर्ता को देय राशि का भुगतान करने पर, समझौते के तहत आवश्यक सेवा करने की अनिच्छा के आधार पर, फिल्म में ऑडियो विजुअल कार्यकर्ता के कुल काम और इस समझौते की समाप्ति की तारीख

तक उसके द्वारा पूरे किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए गणना की गई। निर्माता और ऑडियो-विजुअल कार्यकर्ता के बीच सेवाओं की समाप्ति या अन्य शर्तों के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, प्राधिकरणों और न्यायालयों की विवाद समाधान तंत्र, प्रक्रिया और गठन औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उसके तहत बनाए गए नियमों में प्रदान किया गया होगा।

चौदह. इस समझौते को समय से पहले समाप्त करने की स्थिति में, यह निर्माता के पास विकल्प होगा कि वह फिल्म में ऑडियो विजुअल कार्यकर्ता के काम को बनाए रखे या न और साथ ही, यह ऑडियो विजुअल कार्यकर्ता का विकल्प होगा कि वह अपना नाम ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के क्रेडिट टाइटल पर जाने की अनुमति दे या नहीं।

पंद्रह. निर्माता को यह तय करने का अधिकार होगा कि वह स्क्रीन पर ऑडियो विजुअल वर्कर के व्यक्तित्व, उसके कपड़े, मेकअप और हेयर-स्टाइल का प्रतिनिधित्व करने का तरीका तय कर सके और ऑडियो विजुअल वर्कर इस संबंध में निर्माता के निर्देश का पूरी तरह से और स्वेच्छा से पालन करेगा, बशर्ते कि इस संबंध में निर्माता की आवश्यकताओं को ऑडियो विजुअल वर्कर को सूचित किया गया हो और उसके द्वारा स्वीकार किया गया हो।

सोलह. कि ऑडियो विजुअल वर्कर इस बात से सहमत है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सेवाएं इस तरह से प्रदान करेगा जैसे कि निर्माता या, उसके अनुरोध पर, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन का निदेशक निर्देश दे सकता है और उन सभी उचित निर्देशों का पालन करेगा जो वह ऑडियो विजुअल उत्पादन के उत्पादन के लिए दे सकता है।

सत्रह. कि ऑडियो विजुअल कार्यकर्ता स्टूडियो, स्थान या कार्यस्थल के सभी नियमों का पालन करेगा, जैसा भी मामला हो।

अठ्ठारह. कि निर्माता ऑडियो विजुअल वर्कर की लिखित सहमति के बिना इस समझौते का लाभ किसी अन्य व्यक्ति को सौंपेगा या हस्तांतरित नहीं करेगा।

उन्नीस. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंध इस करार पर लागू होंगे।

बीस. कि निर्माता ऑडियो विजुअल कार्यकर्ता की पूर्व अनुमति के बिना, इस समझौते के तहत ऑडियो विजुअल उत्पादन के अलावा किसी भी ऑडियो विजुअल उत्पादन में ऑडियो विजुअल कार्यकर्ता के काम का उपयोग नहीं करेगा।

पार्टियों ने एक-दूसरे की उपस्थिति में और गवाहों की उपस्थिति में ऊपर बताई गई तारीख, महीने और वर्ष पर इस समझौते पर अपना हाथ रखा है।

1 सत्यापित करना — निर्माता के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

2 सत्यापित करना — ऑडियो-विजुअल कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

फॉर्म-34

{नियम 105 और नियम 103 का उप-नियम (1) देखें}

बीड़ी और सिगार के काम के लिए लाइसेंस के अनुदान/नवीनीकरण के लिए आवेदन

1. औद्योगिक परिसर का पूरा नाम.....

2. (i) पूर्ण डाक पता और औद्योगिक परिसर की स्थिति। .....

(ii) पूरा पता जिस पर औद्योगिक परिसर से संबंधित संचार भेजा जाना चाहिए.....

(iii) आवेदक का पूरा पता *.....

3. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी एक दिन नियोजित किए जाने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या।
……..

4. उस व्यक्ति का पूरा नाम और आवासीय पता जो संहिता के प्रयोजनों के लिए नियोक्ता होगा।
……..

5. यदि नियोक्ता एक साझेदारी कंपनी है, तो अन्य भागीदारों या निदेशकों का पूरा नाम और आवासीय पता। (अंत में नोट देखें).....

6. नियोक्ता के वित्तीय संसाधन जैसे, चल और अचल संपत्तियों का विवरण और मूल्य, बैंक संदर्भ, आयकर मूल्यांकन।
…….

7. क्या नियोक्ता व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत ट्रेड मार्क धारक है।
……

8. क्या औद्योगिक परिसर की प्रस्तावित साइट किसी मौजूदा औद्योगिक परिसर की साइट के परिवर्तन के बराबर है और यदि हां, तो इस तरह के परिवर्तन के कारण क्या हैं। ……..

9. तंबाकू प्राप्त करने का स्रोत। ……

10. क्या आवेदक द्वारा निर्मित बीड़ी या सिगार या दोनों* को स्वयं या व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत ट्रेड मार्क के मालिक या पंजीकृत उपयोगकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से बेचा और विपणन किया जाएगा। ……

11. क्या परिसर की योजनाएं संलग्न हैं। (हां नहीं)

12. शुल्क की राशि रु. ……

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रपत्र में प्रस्तुत विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सटीक हैं

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर*

नोट - जहां एक औद्योगिक परिसर किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों या कंपनी के लिए या उसकी ओर से एक ठेकेदार द्वारा चलाया जाता है या चलाने का प्रस्ताव है, उक्त अन्य व्यक्ति या व्यक्ति या कंपनी अधिनियम के तहत है नियोक्ता और फॉर्म में "नियोक्ता" के लिए दर्ज किए जाने वाले विवरण ऐसे व्यक्ति के संबंध में होने चाहिए, व्यक्ति या कंपनी।

*लाइसेंस के लिए आवेदक, हालांकि, या तो ठेकेदार या नियोक्ता हो सकता है।

फॉर्म-35

{नियम 103 का उप-नियम (5) और नियम 111 का उप-नियम (2) देखें}

नियोक्ता द्वारा घोषणा का प्रपत्र

मैं/हम, एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि लाइसेंस के लिए आवेदन में दी गई सामग्री सभी प्रकार से सत्य और पूर्ण है और मैं/हम व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 और उसके तहत बनाए गए उत्तर प्रदेश नियमों के प्रावधानों में प्रदान किए गए लाइसेंस की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि मैं/हम आवेदन में दिए गए किसी भी विवरण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और यदि कोई भी सामग्री गलत पाई जाती है तो मुझे दिया गया लाइसेंस कोड, 2020 के तहत अधिकारियों द्वारा वापस लिया जा सकता है।

दिनांक:

स्थान:

हस्ताक्षर

(नाम और पता)

फॉर्म-36

{*नियम 107 का उप-नियम (1) और नियम 111 का उप-नियम (3)* देखें}

लाइसेंस

पंजीकरण संख्या.....

लाइसेंस संख्या: .....

भुगतान किया गया शुल्क: रु. .....

इसके द्वारा ..... को लाइसेंस प्रदान किया जाता है केवल नीचे वर्णित परिसर के लिए मान्य है जो एक औद्योगिक परिसर के रूप में उपयोग के लिए है जो ..... से अधिक नहीं है अनुलग्नक में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन वर्ष के दौरान किसी भी एक दिन कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा।

लाइसेंस 31 मार्च तक लागू रहेगा.....

औद्योगिक परिसर का नाम.....

औद्योगिक परिसर की स्थिति.....

बिजली से चलने वाली मशीनरी की स्थापना के लिए भी अनुमति दी जाती है।

तारीख.....

प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर

नवीनीकरण

[*नियम 4* देखें]

नवीनीकरण की तिथि	नवीनीकरण के लिए भुगतान की गई फीस	समाप्ति की तिथि
1.2.3.4.		

तारीख.....

प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर

परिशिष्ट

यह लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

1. विनिर्माण प्रक्रिया केवल औद्योगिक परिसर के उस हिस्से में की जाएगी जैसा कि लाइसेंस में उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

2. औद्योगिक परिसर में कार्यरत कर्मचारियों की अधिकतम संख्या किसी भी दिन लाइसेंस में निर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगी।

3. लाइसेंस में निर्दिष्ट नहीं बिजली चालित मशीनरी का उपयोग परिसर में विनिर्माण प्रक्रिया में नहीं किया जाएगा।

4. सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के अलावा, औद्योगिक परिसर का विस्तार नहीं किया जाएगा और समान अनुमति के अलावा, ऐसे परिसर में किसी भी भवन में कोई संरचनात्मक परिवर्तन हॉल नहीं किया जाएगा।

5. लाइसेंस हस्तांतरणीय नहीं होगा।

फॉर्म-37

{ नियम 108 के उपनियम (A) का खंड (2), और नियम 108 के उपनियम (C) का खंड (7) देखें}

सफेदी धोने, रंग धोने, वार्निशिंग, पेंटिंग और सफाई का रिकॉर्ड

औद्योगिक परिसर का हिस्सा (कमरे का नाम)	भागों सफेद धोया, रंग धोया, चित्रित, वार्निश (दीवारों, छत, लकड़ी का काम आदि)	उपचार चाहे सफेद धोया गया हो, पेंट किया गया हो, वार्निश किया गया हो या साफ किया गया हो	जिस तारीख को सफेद धुलाई, पेंटिंग या वार्निशिंग या सफाई की गई थी (डीडी/एमएम/वाईवाई)	टिप्पणियां	नियोक्ता या प्रबंधक के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

फॉर्म-38

{नियम 113 का उप-नियम (1) देखें}

औद्योगिक परिसर के बाहर किए जाने वाले कार्य के लिए आवेदन

प्रति,
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
श्रम और रोजगार,
उत्तर प्रदेश सरकार।

विषय: औद्योगिक परिसर के बाहर किए जाने वाले आवश्यक कार्य के लिए आवेदन

सर

मैं, ..., ... का मालिक/अधिभोगी/नियोक्ता (स्थापना का नाम) मेरे कर्मचारियों की ओर से बीड़ी या तंबाकू के पत्तों को गीला करने और काटने के लिए औद्योगिक परिसर के बाहर किए जाने वाले अपेक्षित कार्य के लिए अनुमति के लिए आवेदन करें।

एक. स्थापना का प्रकार:

दो. स्थापना का नाम और पता:

तीन. लाइसेंस संख्या:

चार. लाइसेंस की तिथि:

पाँच. लाइसेंस की वैधता की तिथि:

छः. काम की प्रकृति:

सात. वह स्थान या स्थान जहां औद्योगिक परिसर के बाहर बाहरी काम करने की आवश्यकता होती है:

आठ. उस स्थान की उपयुक्तता का विवरण जहां बीड़ी या तंबाकू के पत्तों को गीला करने या काटने का बाहरी कार्य प्रस्तावित है:

नौ. उत्पाद का ब्रांड नाम/ट्रेडमार्क:

दस. बीड़ी या तंबाकू के पत्ते प्राप्त करने का स्रोत:

ग्यारह. कार्य प्रारंभ होने की तिथि:

बारह. कार्यरत कर्मचारियों की अधिकतम संख्या:

तेरह. टिप्पणियां:

घोषणा:

एक. मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है।

दो. मैं इस बात का पालन करता हूं कि यदि मेरे कर्मचारियों ने यह अनुमति दी है, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जिन शर्तों के तहत यह अनुमति दी जाएगी, वे मेरे द्वारा पूरी की जाएंगी।

तीन. मैं यह भी आश्वासन देता हूं कि मैं संहिता और उसके तहत बनाए गए नियमों के सभी प्रावधानों का पालन करूंगा और यदि किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है, तो यह अनुमति वापस ली जा सकती है और मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक: की मुहर और

हस्ताक्षर

स्थान:

प्रोपराइटर/ऑक्यूपियर/नियोक्ता

या अधिकृत

हस्ताक्षरकर्ता

फॉर्म-39

{नियम 114 का उप-नियम (1) देखें}

बाहरी काम का रिकॉर्ड

औद्योगिक परिसर के बाहर काम करने की अनुमति देने वाले सरकारी आदेश की संख्या और तारीख : .....

तारीख	वह स्थान या स्थान जहां बाहर काम करने की अनुमति थी	काम की प्रकृति	कर्मचारी का नाम	टिप्पणी करना
1	2	3	4	5

फॉर्म-40

{नियम 114 का उप-नियम (2) देखें}

गृहकर्मचारिणः की लॉग बुक

एक. होम-वर्कर का नाम:

दो. होम-वर्कर का पता, जहां निर्माण प्रक्रिया जारी है:

तीन. महीना और साल:

चार. घर पर किए गए काम का हिसाब

तारीख	कार्यकर्ता को आपूर्ति किया गया कच्चा माल			कार्यकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	नहीं। (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
	तनाव पट्टा	टोबाकू	धागा		
1	2	3	4	5	6

नहीं। मानक बीड़ी की संख्या	नहीं। घटिया या छठ बीड़ियों की	श्रमिक को देय मजदूरी		श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी
		मानक बीड़ी के लिए	घटिया या छठ बीड़ी के लिए	
7	8	9	10	11

तारीख	बकाया में आज तक की मजदूरी की राशि	कार्यकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	नियोक्ता के हस्ताक्षर
12	13	14	15

फॉर्म-41

{नियम 115 का उप-नियम (2) देखें}

योजनाओं के अनुमोदन का प्रपत्र और साइट के लिए अनुमति।

एक-कारखाने का नाम .....

दो- कारखाने का स्थान ..... (यदि संभव हो तो भू-मानचित्रण)

तीन- नियोक्ता का नाम .....

चार-नियोक्ता का पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी .....

पाँच- कब्जा करने वाले ..... का नाम और पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी

छः- चरनी ..... का नाम और पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी

सात- राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यकलाप या प्रस्तावित कार्यकलाप .....

आठ- चयनित एनआईसी कोड ..... का विवरण

नौ- नियोजित या नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या .....

दस- उपयोग की जाने वाली या उपयोग की जाने वाली शक्ति का विवरण

.....

हस्ताक्षर

(नाम और पता)

प्रपत्र- 42

{नियम 115 के उप-नियम (3) के खंड (ए) और (डी) और नियम 115 के उप-नियम (6) को देखें}

[कारखाने में कमरों का विवरण]

कारखाने में कमरे का नाम	पैरों में आयाम					वर्ग फुट में कुल क्षेत्रफल	कमरे में मशीनरी द्वारा कब्जा कर लिया गया फर्श क्षेत्र	श्वास स्थान (घन फीट में सामग्री)।	कमरे में हवा की कुल मात्रा	दरवाजों की संख्या और आकार	हवादार			कमरे की अधिकतम क्षमता	कमरों में नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या	क्या कमरे का उपयोग केवल भंडारण के लिए कार्य-कक्ष के रूप में किया जाना है	निर्माण की तिथि	टिप्पणियां
	लंबाई	चौड़ाई	पराकाष्ठा								खिड़कियों के उद्घाटन की संख्या और आकार	रोशनदान के उद्घाटन की संख्या और आकार	वर्ग फुट में कुल क्षेत्रफल					
			अधिकतम	बहुत छोटा	औसत निकालना													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

अधिभोगी के हस्ताक्षर.....

प्रबंधक के हस्ताक्षर.....

प्रश्नावली फॉर्म-42 के साथ संलग्न

प्रश्नावली पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने से कानून के अनुसार योजनाओं को तैयार करने में सहायता मिलेगी, और इस प्रकार योजनाओं से निपटने में देरी को रोका जा सकेगा।

नोट: साइट-योजनाओं को 100'-1" के न्यूनतम पैमाने पर खींचा जाना चाहिए और अन्य योजनाओं को 10'-1" के न्यूनतम पैमाने पर तैयार किया जाना चाहिए।

1. योजनाएं-

(क) निकटवर्ती भवनों और अन्य संरचनाओं, सड़कों, नालियों आदि सहित आस-पास के परिवेश को दर्शाने वाली एक स्थल-योजना *तीन* प्रतियों में प्रस्तुत की गई है।

(ख) यदि कारखाने के 100 फीट के भीतर भूमिगत सीवेज की व्यवस्था है, तो क्या इसकी स्थिति स्थल योजना में दिखाई गई है?

(ग) क्या *स्थल योजनाओं के साथ-साथ विस्तृत योजनाओं पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की दिशा दर्शाई गई है?*

(घ) क्या परिसर और आस-पास के क्षेत्रों के नगरपालिका संख्या या क्षेत्र संख्या को साइट-प्लान पर दिखाया गया है?

(ङ) क्या कारखाने के परिसर को विशिष्ट रंग में स्थल योजना में स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया है?

(च) क्या दरवाजों, खिड़कियों, वेंटिलेटरों, अग्नि से बचने आदि से संबंधित सभी संगत ब्यौरों को दर्शाते हुए कारखाने की विस्तृत योजनाएं *तीन* प्रतियों में प्रस्तुत की गई हैं?

(छ) क्या सभी नई इमारतें, भवनों के हिस्से (यदि विस्तार हैं) या सीमाओं द्वारा दिखाए गए मौजूदा भवनों में परिवर्तन को एक विशिष्ट रंग में विधिवत चिह्नित किया गया है?

(ज) क्या सभी कमरे, शेड, बाड़े *आदि को* फार्म-42 में सीरियल एंट्री के अनुरूप योजनाओं पर एक सर्कल के अंदर क्रमिक रूप से क्रमांकित किया गया है?

(i) क्या सभी कमरों, शेडों, बाड़ों आदि की रूपरेखा, साइट-योजना में दिखाई गई है और ऊपर आइटम 1 (एच) के समान संख्या आवंटित की गई है?

(ञ) क्या ऐसे कमरे या शेड आदि की अनुभागीय ऊंचाई *को* अलग से दर्शाया गया है?

(ट) क्या अनुभागीय ऊंचाई में *प्रत्येक कमरे, शेड आदि की न्यूनतम और अधिकतम ऊंचाई* स्पष्ट रूप से दिखाई गई है?

(l) क्या जिस सामग्री से छत का निर्माण किया गया है, वह अनुभागीय ऊंचाई को दर्शाता है?

(ड) क्या नियम 70 के उपबंधों के अनुसार सभी कार्यकक्षों की ऊँचाई निम्नानुसार है:

(i) क्या C. I. शीट छत के साथ न्यूनतम ऊंचाई 20 फीट है?

(ii) क्या एसी शीट छत या आरबी/आरसीसी छत के साथ न्यूनतम ऊंचाई 14 फीट है?

(iii) क्या कम से कम 4" के वायु अंतराल के साथ एक ऊष्मा प्रतिरोधी सामग्री की आंतरिक छत 14 फीट की न्यूनतम ऊंचाई पर प्रदान की गई है और ऊष्मा प्रतिरोधी सामग्री का नाम दिया गया है?

(iv) क्या 12 फीट तक की ऊंचाई के लिए छूट मांगी गई है?

(v) क्या कारखाने में किसी भी दिन 150 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित नहीं करने के आश्वासन पर छूट मांगी गई है?

(ढ) क्या योजनाओं में शौचालयों और मूत्रालयों से निकटतम भवन की न्यूनतम दूरी दर्शाई गई है?

(ण) क्या रेखाचित्र में निकटतम कुएं, हैंडपंप या अन्य पेयजल केन्द्रों की न्यूनतम दूरी दर्शाई गई है?

(त) क्या जल केन्द्रों को योजनाओं पर दिखाया गया है?

(प्रश्न) क्या योजनाओं में दिखाए गए सभी दरवाजों और वेंटिलेटरों के आकार और उनकी सटीक स्थिति क्या है?

(द) क्या कारखाने परिसर के भीतर चल रहे गंद, सीवेज, जल बहिस्त्राव और अपशिष्ट उत्पादों को ले जाने के लिए सभी नालों, पाइपों और सीवरों का निर्माण किया गया है और उन्हें योजनाओं में दिखाया गया है?

(एस) क्या विभिन्न मशीनों की स्थिति को उनके नाम के साथ ड्राइंग में दिखाया गया है या फिट करने का प्रस्ताव है?

2. फॉर्म नंबर-42

(क) क्या प्रपत्र संख्या-42 को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाता है, जो सभी कार्यकक्षों, गोदामों आदि के लिए भरा *जाता है/* किसका निर्माण या विस्तार करने का प्रस्ताव है?

(ख) क्या प्रपत्र संख्या-42 के सभी स्तंभों में केवल आंतरिक आयामों को ही दर्ज किया गया है?

(ग) क्या कार्यकक्ष, शेड आदि की सांस लेने की जगह *की* गणना नीचे दिखाए गए अनुसार की गई है:

कमरे का फर्श क्षेत्रफल x इसकी औसत ऊंचाई (14 फीट से ऊपर की ऊंचाई को गणना से बाहर रखा जाना चाहिए)।

(d) क्या प्रपत्र संख्या -42 के कॉलम संख्या 15 में दर्ज की गई अधिकतम क्षमता है? नीचे दर्शाई गई दो गणनाओं के निम्न मूल्य के रूप में दर्शाए गए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या :

(i) कमरे में मशीनरी द्वारा कब्जा किए गए कमरे के कम क्षेत्र का फर्श क्षेत्रफल 36 से विभाजित किया गया है [नियम 70*(2)*]।

(ii) श्वास स्थान [जैसा कि *ऊपर (c)* में है] 500 से विभाजित किया जाता है।

(ड) क्या प्रपत्र संख्या 42 के कॉलम संख्या 15 के अनुरूप प्रत्येक कार्यकक्ष की योजनाओं पर उपरोक्त गणना के अनुसार व्यक्तियों की अधिकतम संख्या (कम मूल्य) भी दर्शाई गई है?

(च) क्या खिड़की, वेंटिलेटर और रोशनदान क्षेत्र कमरे के प्रत्येक 15 वर्ग फुट के फर्श क्षेत्र के लिए 1 वर्ग फुट की न्यूनतम दर पर प्रदान किया गया है? (धारा 23 (2) (II) और इसके नियम) ?

(छ) क्या प्रपत्र संख्या 42 बॉल के कॉलम संख्या 12 और 13 के अंतर्गत खिड़कियां और रोशनदान वेंटिलेशन के लिए खोले जा सकते हैं?

यह अनुशंसा की जाती है कि खिड़कियां और रोशनदान एक दूसरे के विपरीत प्रदान किए जा सकते हैं ताकि क्रॉस वेंटिलेशन प्रदान किया जा सके।

(ज) क्या विनिर्माण प्रक्रिया का फ्लो चार्ट और इसके विभिन्न चरणों में संक्षिप्त विवरण के साथ तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया गया है? *नियम 69(1) (बी)*

3. दरवाजे और वेंटिलेटर-

(ए) क्या प्रत्येक कार्य कक्ष में कम से कम दो दरवाजे या निकास प्रदान किए जाते हैं?

(बी) प्रत्येक दरवाजे या निकास का न्यूनतम आकार 6'-6"x3' है

(ग) क्या दोनों में वेंटिलेटर के दो आसन्न कमरों के साथ समान रूप से कोई दरवाजा गिना गया है?

(द) क्या सभी दरवाजे बाहर की ओर खुल रहे हैं?

(ङ) क्या प्रपत्र संख्या -42 के कॉलम 12 और 13 के अंतर्गत प्रविष्ट खिड़कियां और रोशनदान वास्तव में वेंटिलेशन के उद्देश्य को पूरा करते हैं?

4. आग से बचना.—(एक से अधिक मंजिला इमारतों के मामले में

(क) क्या भवन के दोनों ओर आग से बचने की दो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं?

(ख) क्या इमारतों में ऊपरी मंजिल के प्रत्येक कमरे से आग से बचने की सुविधा उपलब्ध है?

(ग) क्या आग के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री गैर-दहनशील है?

(घ) क्या खिड़कियां, बाहरी सीढ़ी-मामले तक पहुंच प्रदान करने वाले दरवाजे अंदर से तुरंत खोलने की व्यवस्था की गई हैं।

(ङ) क्या कोई अग्नि से बचने या सीढ़ी-मार्ग का निर्माण क्षैतिज के साथ "450 फीट" से अधिक कोण पर किया गया है?

(च) क्या कोई आग से बचने या सीढ़ी की चौड़ाई 45 इंच से कम है?

(छ) क्या कारखाने की इमारत का कोई हिस्सा आग से बचने की सीढ़ी से 150 फीट से अधिक (यात्रा की रेखा के साथ) है?

(ज) क्या उपरोक्त मद 4 (ई), (एफ) *और* (जी) *के लिए दिए गए विवरण* भी प्रस्तुत किए जा रहे विभिन्न चित्रों में स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं?

(i) क्या कारखाने और उसके परिसर का सेटबैक क्षेत्र खुला है और बाधा से मुक्त है?

5. शौचालय और मूत्रालय

(क) क्या पुरुषों और महिलाओं के लिए शौचालयों और मूत्रालयों की अलग-अलग व्यवस्था की जाती है?

(ख) क्या ये इसके नियमों के साथ पठित धारा 23(2)(viii) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं?

(c) क्या आसपास की जमीन 4 फीट की दूरी तक अभेद्य सामग्री से चौतरफा है?

(d) क्या आसपास की जमीन जमीनी स्तर से कम से कम 6" तक बढ़ी हुई है?

(ङ) क्या मुख्य भवन के किसी उद्घाटन के निकट कोई शौचालय, वेंटिलेटर या उद्घाटन है?

(च) क्या कोई शौचालय या मूत्रालय आकाश के लिए खुले किसी भी हस्तक्षेप स्थान के बिना किसी भी कार्य कक्ष के साथ संचार करता है?

(छ) क्या शौचालय फ्लश प्रकार के होते हैं?

(ज) क्या कारखाना परिसर के भीतर चलने वाले गंदगी, सीवेज जल बहिस्त्राव और अपशिष्ट उत्पादों को ले जाने के लिए सभी नालों, पाइपों और सीवरों का निर्माण अभेद्य सामग्री से किया गया है?

(i) क्या फ्लश प्रकार के शौचालयों की नालियां स्थानीय बोर्डों की जल निकासी प्रणाली से जुड़ी हुई हैं?

(ञ) यदि जल निकासी प्रणाली मौजूद नहीं है तो क्या सेप्टिक टैंकों की एक कुशल प्रणाली प्रदान की जाती है?

(k) क्या शौचालयों में छत उपलब्ध कराई जाती है?

6. पीने का पानी-

(ए) क्या स्थानीय बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए स्रोत से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है?

(ख) क्या कारखाने के परिसर में पीने के पानी या आर्द्रीकरण के प्रयोजनों के लिए किसी कुएं का निर्माण किया गया है?

(ग) क्या कुएं का बेलन पक्के और पूरे और गहराई तक पानी के लिए अभेद्य है, जो उप-मृदा जल के निम्नतम स्तर से कम नहीं है?

(घ) क्या कुओं, हैंडपंपों सहित जल केन्द्रों की स्थिति धोने की जगह, शौचालयों और मूत्रालयों से कम से कम 20 फीट की दूरी पर स्थित है?

7. विश्राम आश्रय, कैंटीन और क्रेच—यदि योजनाएं इनमें से किसी से संबंधित हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाना चाहिए-

(i) विश्राम आश्रय:

(ए) क्या भवन धारा 24 (2) (आईएलएल) और इसके नियमों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है।

(ख) क्या छत ऊष्मा प्रतिरोधी पदार्थ है?

(ग) क्या विश्राम स्थल के प्रत्येक कमरे की ऊँचाई फर्श के स्तर से छत के निम्नतम भाग तक कम से कम 12 फ़ीट होनी चाहिए?

(ii) कैंटीन:

(ए) क्या भवन पूरी तरह से धारा 24(1)(v) और इसके नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

(ख) क्या कैंटीन भवन किसी शौचालय, मूत्रालय, बॉयलर हाउस, कोयले, स्टैक कोयले के ढेर आदि से कम से कम 50 गज की दूरी पर स्थित हैं?

(ग) कैंटीन के भवनों की न्यूनतम ऊँचाई फर्श के स्तर से छत के निम्नतम भाग तक कितनी होती है?

(iii) नर्सरी:

(क) क्या शिशु गृह का निर्माण धारा 24(3) और इसके नियमों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है।

(b) क्या भवनों की ऊंचाई फर्श के स्तर से छत के निचले हिस्से तक 12 फीट से कम नहीं है?

हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई प्रश्नावली के उत्तर सही हैं।

प्रबंधक के हस्ताक्षर। *अधिभोगी के हस्ताक्षर।*

एन.बी.—*(i)* उपरोक्त विवरण दिखाने के बाद, इस प्रश्नावली और फॉर्म-42 की योजना और फॉर्म -42 सभी मुख्य निरीक्षक सह सुविधाकर्ता, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के लिए अधिकार क्षेत्र वाले निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

(ii) भवन में बिजली की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया शुरू होने से पहले अर्हता रखने वाले सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित स्थिरता का प्रमाण पत्र फार्म-43 पर प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रपत्र- 43

{नियम 115 के उप-नियम (3) का खंड (i) , उप-नियम (7), (9) देखें, नियम 117 के उप-नियम (2)

किसी कारखाने या कारखाने के हिस्से की स्थिरता का प्रमाण पत्र

(पूरा होने के बाद और काम करने से पहले जमा किया जाना है)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से नीचे वर्णित भवन की योजनाओं और विनिर्देशों की जांच की है, इसके निर्माण और तैयार भवन में उपयोग की जाने वाली वास्तविक सामग्री और विधियों की जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि इसका निर्माण ऐसा है कि इसकी स्थिरता संतोषजनक होगी जब इसका उपयोग कारखाने या कारखाने के हिस्से के रूप में किया जाएगा यहां घोषित किए गए उद्देश्यों के लिए।

1. कारखाने का नाम.....

2. बिल्डर (ओं) या ठेकेदार (ओं) का नाम.....

3. सामान्य प्रकार का निर्माण

(क) हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम (ब्लॉक अक्षरों में).....

(बी) योग्यता.....

(ग) वर्तमान व्यवसाय.....

(घ) स्थायी डाक पता.....

4. जिस उद्देश्य के लिए भवन का उपयोग किया जाना है.....

5. उस कमरे या भवन का नाम जिसके लिए यह प्रमाण पत्र योजना संख्या का संदर्भ देते हुए प्रदान किया गया है।

6. उपरोक्त कमरे/भवन में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति.....

7. चलती शक्ति की प्रकृति और मात्रा.....

तारीख.....

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर
(नाम और पदनाम)

अधिभोगी के हस्ताक्षर
(नाम और पदनाम)

नोट.—प्रमाण पत्र देने वाला व्यक्ति होना चाहिए: *(ए)* सिविल इंजीनियर्स संस्थान का एक कॉर्पोरेट सदस्य, *या (बी)* स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स संस्थान का एक कॉर्पोरेट सदस्य या *(सी)* रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स का एक साथी एसोसिएट या लाइसेंसकर्ता, या *(डी)* सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए और इंजीनियर्स संस्थान (भारत) का कॉर्पोरेट सदस्य भी होना चाहिए, परन्तु कोई भी व्यक्ति, किसी भी सरकार द्वारा कब्जा किए गए या बनाए गए भवनों के मामले को छोड़कर, जहां एक कार्यकारी अभियंता के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है, स्थिरता के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत नहीं किया जाएगा यदि वह भवन के मालिक या बिल्डर के पूर्णकालिक रोजगार में है।

फॉर्म-44

{नियम 115 का उप-नियम (11) देखें}

कारखाने की साइट-योजना के अनुमोदन का प्रमाण पत्र

से,

……
……

प्रति,

……..
……..

साइट योजना संख्या: एफ/प्लान/एलआईसी:

दिनांक:

विषय: नए विस्तार के अनुमोदन और कारखाना भवन योजनाओं के संशोधन और स्थिरता प्रमाण पत्र के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया नए/विस्तार की साइट-योजना के अनुमोदन और कारखाने के निर्माण योजनाओं के संशोधन और स्थिरता प्रमाण पत्र के ..... के अनुमोदन के संबंध में अपने ऑनलाइन आवेदन को देखें। मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता या ..... को प्रस्तुत किया गया (उल्लेख करें लाइसेंसिंग प्राधिकरण)।

आपका उपरोक्त आवेदन यदि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/कारणों के तहत अनुमोदित किया जाता है:
शर्तें/टिप्पणियां-1:
शर्तें/टिप्पणियां-2:
शर्तें/टिप्पणियां-3:
शर्तें/टिप्पणियां-4:
सभी शर्तों/टिप्पणियों पर:

साथ ही स्थिरता प्रमाण पत्र दिनांक ..... जिस पर ..... द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और कार्य कक्ष संख्या/जैसा कि फ़ैक्टरी योजना संख्या ..... में दिखाया गया है। ..... के उपयोग के लिए अनुमोदित है अश्वशक्ति बिजली/..... हॉर्सपावर डीजल/तेल इंजन, कुल ..... उपयोग के लिए अश्वशक्ति को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इन नियमों के प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि शक्ति की मदद से काम शुरू करने से पहले स्थिरता प्रमाण पत्र जारी करना और अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्न:

एक. योजनाओं
दो. साइट योजनाएं
तीन. प्रश्नावली
चार. प्रपत्र- 42
पाँच. प्रवाह चार्ट
छः. स्थिरता का प्रमाण पत्र (फॉर्म- 43)

आपका
.....
.....

फॉर्म-45

{नियम 116 का उप-नियम (1) नियम 117 का उप-नियम (2), नियम 118 का उप-नियम (2) और नियम 148 का उप-नियम (2) देखें}

पंजीकरण और लाइसेंस के अनुदान या नवीनीकरण/संशोधन के लिए कब्जे की सूचना

लाइसेंस नंबर.....

कारखाने का पूरा नाम और उसका लाइसेंस नंबर, यदि पहले से पंजीकृत है:

एक. पिन कोड के साथ पुलिस स्टेशन, तहसील और जिले सहित कारखाने का डाक पता और स्थिति:

दो. पता किस पते पर कारखाने से संबंधित संचार भेजा जाना चाहिए:

तीन. कारखाने का संपर्क नंबर:

चार. कारखाने का ईमेल पता:

पाँच. विनिर्माण प्रक्रिया/प्रक्रियाओं की प्रकृति-

(अ) अगले बारह महीनों के दौरान कारखाने में किया जाता है (पहले से मौजूद कारखानों के मामले में)।

(आ) अगले बारह महीनों के दौरान कारखाने में ले जाया जाना है (सभी कारखानों के मामले में)।

(इ) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण-2008 (एनआईसी) संहिता का विवरण।

(i) उप-वर्ग (6 अंक) -

(ii) एनआईसी के अनुसार विवरण-

छः. पिछले बारह महीनों के दौरान निर्मित प्रमुख उत्पादों के नाम और मूल्य।

सात. मानव शक्ति:

(अ) वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या।

(आ) पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन नियोजित श्रमिकों की अधिकतम संख्या

(इ) कारखाने में नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या।

आठ. उपयोग की जाने वाली शक्ति:

(अ) स्थापित या स्थापित की जाने वाली बिजली की प्रकृति और कुल मात्रा (किलोवाट)

(आ) उपयोग की जाने वाली शक्ति की अधिकतम मात्रा (किलोवाट):

नोट.—यदि मूल रूप से बिजली का उपयोग करने का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन बाद में पेश किया जाता है, तो इस तथ्य को तुरंत मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए।

नौ. नियम के शुरू होने की तारीख के बाद निर्मित या विस्तारित कारखाने के मामले में:

(अ) राज्य सरकार/मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा स्थल के लिए योजनाओं के अनुमोदन की संदर्भ संख्या और तिथि, चाहे वह पुराने या नए भवन के लिए हो और कारखाने के निर्माण या विस्तार के लिए।

(आ) व्यापार अपशिष्ट और अपशिष्टों के निपटान के लिए की गई व्यवस्थाओं के अनुमोदन की संदर्भ संख्या और तिथि, यदि कोई हो, और इस तरह का अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकरण का नाम।

दस. पूरा नाम, पिता का नाम और आवासीय पता-

(अ) वह व्यक्ति जो कोड के प्रयोजनों के लिए कारखाने का प्रबंधक होगा:

(आ) कारखाने का अधिभोगी:

ग्यारह. यदि कारखाना संहिता की धारा 80 के प्रावधानों द्वारा कवर किया गया है, तो पूरा नाम, पिता का नाम और उस परिसर या भवनों के मालिक का पता जिसमें कारखाना स्थित है।

बारह. अर्धवार्षिक (यदि लागू हो) और वार्षिक रिटर्न जमा किया गया (हां / नहीं)।

तेरह. जिस तिथि को प्रबंधक ने कार्यभार ग्रहण किया था

चौदह. वह तिथि जिस पर कब्जाधारी ने परिसर पर कब्जा कर लिया हो या परिसर पर कब्जा कर लिया हो ।

पंद्रह. शुल्क का विवरण:

(बैंक/ई-चालान/इलेक्ट्रॉनिक रूप से, संदर्भ संख्या और तारीख के माध्यम से भुगतान किए गए रुपये में शुल्क की राशि)।

सोलह. अंतिम वार्षिक रिटर्न जमा करने की तिथि-

सत्रह. उत्तर प्रदेश अग्नि नियंत्रण सेवाओं से परिसरों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता-

लाइसेंस में संशोधन

वर्ष जब संशोधित किया जाता है	के लिए मान्य	किसी भी एक दिन में श्रमिकों की अधिकतम संख्या	स्थापित बिजली की कुल मात्रा (किलोवाट)	निर्माण प्रक्रिया	अधिभोगी /नियोक्ता का नाम	परिसर के पते में अद्यतन	लाइसेंस में संशोधन का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है।

अधिभोगी के पूर्ण हस्ताक्षर.....

प्रबंधक के पूर्ण हस्ताक्षर.....

मालिक का पूर्ण हस्ताक्षर, यदि कोई हो.....

तारीख

टिप्पणियाँ।

(1) यह फॉर्म स्याही से ब्लॉक अक्षरों में भरा जाना चाहिए या टाइप किया जाना चाहिए।

(2) यदि आइटम के खिलाफ नामित व्यक्तियों में से कोई भी नाबालिग है, तो तथ्य को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

(3) किसी कारखाने के मामले में जहां भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का VII) के तहत एक प्रबंध एजेंट या एजेंट को अधिभोगियों के रूप में नियुक्त किया गया है, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के संबंध में मद में अपेक्षित जानकारी की आपूर्ति की जानी चाहिए।

फॉर्म-46

{नियम 116 का उप-नियम (2), नियम 117 का उप-नियम (5), नियम 118 का उप-नियम (4) और नियम 119 का उप-नियम (3) देखें}

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत कारखाने के लिए लाइसेंस
(कारखाने में काम करने का लाइसेंस)

पंजीकरण संख्या:-

पुराना पंजीकरण नंबर:-

जारी करने की तिथि :- शुल्क रु.....

श्री. / श्रीमती ..... को लाइसेंस प्रदान किया जाता है। केवल नीचे वर्णित परिसर के लिए मान्य है जो एक कारखाने के रूप में उपयोग के लिए है जो ..... से अधिक नहीं है वर्ष के दौरान किसी भी दिन व्यक्तियों और ..... से अधिक नहीं प्रेरक शक्ति का उपयोग करना KW। यह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन है।

यह लाइसेंस ..... तक लागू रहेगा जब तक कि आगे नवीनीकृत न हो।

लाइसेंस प्राप्त परिसर का विवरण

योजना सं 2 में दर्शाए गए लाइसेंस प्राप्त परिसरों का ब्यौरा क्या है। …… दिनांकित। …./…./…. मैसर्स इंडिया लिमिटेड (मैसर्स विभाग) में स्थित हैं..... पता....., जिला :- .....

और अनुमोदित साइट और विस्तृत योजना पर दिखाए गए परिसर से मिलकर बनता है।

क्रम संख्या	जारी करने की अवधि	के लिए मान्य		शुल्क	चालान नंबर और भुगतान की तारीख
		किसी भी एक दिन में श्रमिकों की अधिकतम संख्या	स्थापित बिजली की कुल मात्रा (किलोवाट)		

लाइसेंस के नवीनीकरण का विवरण

	नवीनीकरण की तिथि	नवीनीकरण के लिए भुगतान की गई फीस	समाप्ति की तिथि
1			
2			

मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता /
लाइसेंसिंग
प्राधिकरण

नोट:

एक-यह एक कंप्यूटर जनित लाइसेंस है।

दो- इस लाइसेंस को श्रम विभाग, यूपी सरकार की वेबसाइट से सत्यापित किया जा सकता है - www.uplabour.gov.in

यह लाइसेंस केवल आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर जारी किया जाता है। श्रम विभाग यहां दी गई जानकारी की शुद्धता की जिम्मेदारी नहीं लेता है। यह लाइसेंस संबंधित विभाग से एनओसी की वैधता के अधीन लागू रहेगा।

फॉर्म-47

{नियम 119 का उप-नियम (2) और नियम 122 देखें}

कब्जे की सूचना

लाइसेंस नंबर.....

वर्ष के लिए.....

01-कारखाने का पूरा नाम और उसका लाइसेंस नंबर, ……..

02- (क) पुलिसस्टेशन, तहसील और जिले सहित कारखाने की एक ड्रेस और स्थिति.....

(*जन्म*) अनुकूलता पता ……..

(ग) कारखाने का संपर्क नंबर और ईमेल पता.....

03-अगले बारह महीनों के दौरान कारखाने में की जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया/प्रक्रियाओं की प्रकृति.....

04-पिछले बारह महीनों के दौरान निर्मित प्रमुख उत्पादों के नाम और मूल्य.....

05-(ए) वर्ष के दौरान किसी भी एक दिन नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या.....

(*ख*) पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन नियोजित कामगारों की अधिकतम संख्या.....

(*ग*) वर्तमान में कारखाने में कार्यरत कामगारों की संख्या कितनी है.....

06-(ए) प्रकृति और बिजली की कुल मात्रा (हिमाचल प्रदेश)स्थापित .....

(*ख*) विद्युत की अधिकतम मात्रा (हिमाचल प्रदेश) .....

नोट.—यदि शक्ति का मूल रूप से उपयोग करने का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन बाद में पेश किया जाता है, तो इस तथ्य को तुरंत मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता या लाइसेंसिंग प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए।

07-नियम के प्रारंभ होने की तारीख के बाद निर्मित या विस्तारित कारखाने के मामले में

(*i*) राज्य सरकार/मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा स्थल के लिए चाहे वह पुराने या नए भवन के लिए हो और कारखाने के निर्माण या विस्तार के लिए योजनाओं के अनुमोदन की संदर्भ संख्या और तारीख

(*ii*) व्यापार अपशिष्ट और बहिस्त्रावों के निपटान के लिए की गई व्यवस्थाओं की संदर्भ संख्या और अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो, और ऐसा अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकरण का नाम

08-पूरा नाम, पिता का नाम और आवासीय पता।

(ऍ) वह व्यक्ति जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कारखाने का प्रबंधक होगा.....

(ii) कारखाने का अधिभोगी —.....09- यदि कारखाना संहिता की धारा 80 के प्रावधानों द्वारा कवर किया गया है, तो पूरा नाम, पिता का नाम और उस परिसर या भवनों के मालिक का पता जिसमें कारखाना स्थित है।

10- आरटर्न सबमिट किया

(जी हां/नहीं)

11- जिस तिथि को प्रबंधक ने कार्यभार ग्रहण किया.....

12- जिस तारीख को कब्जाधारी ने परिसर पर कब्जा कर लिया है या परिसर पर कब्जा कर लिया है.....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि हमारा कारखाना मेरी जानकारी के अनुसार संहिता 2020 के सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है/करेगा।

अधिभोगी के पूर्ण हस्ताक्षर.....

प्रबंधक के पूर्ण हस्ताक्षर.....

तारीख

फॉर्म-48

{नियम 123 का उप-नियम (2) देखें}

प्रबंधक में परिवर्तन की सूचना

1. वर्तमान लाइसेंस संख्या वाले कारखाने का नाम .....

2. कारखाने का डाक पता.....

3. निवर्तमान प्रबंधक का नाम.....

4. नए प्रबंधक का नाम उसके डाक आवासीय पते और टेलीफोन नंबर, यदि कोई हो.....

5. जिस तारीख से नए प्रबंधक ने कार्यभार संभाला.....

तारीख..... नए प्रबंधक के हस्ताक्षर.....

जगह..... अधिभोगी के हस्ताक्षर.....

फॉर्म-49

{नियम 127 का उप-नियम (4) देखें}

साइट मूल्यांकन समिति के लिए आवेदन का प्रपत्र

एक. आवेदक का नाम और पता:

दो. साइट के स्वामित्व की तारीख:

अ. साइट का राजस्व विवरण जैसे सर्वेक्षण संख्या, प्लॉट संख्या, आदि:

आ. क्या इस स्थल को वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यदि हां, तो क्या भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 के तहत केन्द्र सरकार की मंजूरी ली गई है;

इ. क्या प्रस्तावित स्थल ईपी अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(v) के प्रावधानों को आकर्षित करता है, यदि हां, तो प्रतिबंधों की प्रकृति:

तीन. स्थानीय प्राधिकरण जिसके अधिकार क्षेत्र में साइट स्थित है:

चार. साइट योजना:

अ. प्रस्तावित स्थल के आस-पास की सीमाओं और कुल क्षेत्र की स्पष्ट पहचान के साथ साइट योजना और प्रस्तावित स्थल के आस-पास निम्नलिखित विवरण दिखाते हुए:

१. ऐतिहासिक स्मारक, यदि कोई हो, आसपास के क्षेत्र में:

२. पड़ोसी विनिर्माण इकाइयों और मानव आवासों, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों, पेट्रोल प्रतिष्ठानों, आसपास के क्षेत्र में एलपीजी और अन्य खतरनाक पदार्थों के भंडारण और प्रस्तावित इकाई से उनकी दूरी के नाम:

३. आसपास के क्षेत्र में जल स्रोत (नदियाँ, धाराएँ, नहरें, बांध, जल निस्पंदन संयंत्र आदि):

४. निकटतम अस्पताल, फायर स्टेशन, नागरिक सुरक्षा स्टेशन और पुलिस स्टेशन और उनकी दूरी:

५. उच्च तनाव विद्युत पारेषण लाइनें, पानी, तेल, गैस या सीवरेज, रेलवे लाइनों, सड़कों, स्टेशनों, जेटी और अन्य समान प्रतिष्ठानों के लिए पाइपलाइन:

आ. मिट्टी की स्थिति और गहराई का विवरण जिस पर कठोर स्तर प्राप्त हुए:

इ. आस-पास की पहाड़ियों और स्तरों में अंतर दिखाने वाले क्षेत्र का समोच्च मानचित्र:

ई. कारखाने की प्लॉट योजना प्रवेश और निकास बिंदु, भीतर की सड़कें, पानी की नालियों आदि को दर्शाती है:

पाँच. परियोजना रिपोर्ट:

अ. परियोजना की मुख्य विशेषताओं का सारांश:

आ. संगठन की स्थिति (सरकारी, अर्ध-सरकारी, सार्वजनिक या निजी आदि):

इ. कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या:

ई. बिजली और पानी की आवश्यकताओं की अधिकतम मात्रा और उनकी आपूर्ति का स्रोत:

उ. प्रस्तावित साइट में इमारतों और प्रतिष्ठानों का ब्लॉक आरेख:

ऊ. आवास कॉलोनी, अस्पताल, स्कूल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विवरण प्रस्तावित:

छः. प्रस्तावित विनिर्माण इकाई/कारखाने की संगठन संरचना:

अ. का संगठन आरेख:

१. सामान्य रूप से प्रस्तावित उद्यम:

२. स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण विभाग और संचालन और तकनीकी विभागों के साथ उनका संबंध।

आ. स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति के लिए प्रस्तावित:

१. अपशिष्ट और अपशिष्टों के उपचार के लिए आवंटित क्षेत्र:

२. सुरक्षा, स् वास् थ् य और पर्यावरण संरक्षण उपायों पर प्रतिशत परिव्यय।

सात. साइट से संबंधित मौसम संबंधी डेटा:

अ. औसत न्यूनतम और अधिकतम-

१. तापमान

२. नमी

३. हवा का वेग पिछले दस वर्षों के दौरान है

आ. हवा की दिशा की मौसमी विविधताएं

इ. बाढ़ के दौरान अब तक का सबसे अधिक जलस्तर दर्ज किया गया है

ई. क्षेत्र का बिजली और भूकंपीय डेटा

आठ. संचार लिंक:

अ. बाहरी संचार के लिए टेलीफोन/टेलेक्स/वायरलेस और अन्य संचार सुविधाओं की उपलब्धता:

आ. आंतरिक संचार सुविधाएं प्रस्तावित:

नौ. विनिर्माण प्रक्रिया की जानकारी:

अ. प्रक्रिया प्रवाह आरेख:

आ. प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी पर संक्षिप्त लेख:

इ. महत्वपूर्ण प्रक्रिया पैरा-मीटर जैसे दबाव निर्माण, तापमान वृद्धि और रन-अवे प्रतिक्रियाएं:

ई. सुरक्षा अनुप्रयोगों वाली प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण अन्य बाहरी प्रभाव, जैसे कि नमी का प्रवेश या असंगत पदार्थों के साथ पानी का संपर्क, अचानक बिजली की विफलता:

उ. निर्माण प्रौद्योगिकी में अंतर्निहित सुरक्षा/प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों या उपायों/शामिल की मुख्य विशेषताएं:

दस. खतरनाक सामग्रियों की जानकारी:

अ. कच्चे माल, अंतर-मध्यस्थ उत्पाद और उप-उत्पाद और उनकी मात्रा (एक दूसरे के आदेश पदार्थ के संबंध में सामग्री सुरक्षा डेटा शीट शामिल है):

आ. कच्चे माल/मध्यवर्ती/उत्पादों/उप-उत्पादों के लिए प्रस्तावित मुख्य और मध्यवर्ती भंडारण (किसी भी समय संग्रहीत की जाने वाली अधिकतम मात्रा):

इ. सामग्री के प्रवाह और बहिर्वाह के लिए उपयोग की जाने वाली परिवहन विधियाँ, उनकी मात्रा और अनुसरण किए जाने वाले संभावित मार्ग:

ई. निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित सुरक्षा उपाय-

१. सामग्री का प्रबंधन

२. आंतरिक और बाहरी परिवहन

३. निपटान (तैयार उत्पादों की पैकिंग/अग्रेषण):

ग्यारह. अपशिष्ट और प्रदूषण के निपटान/निपटान पर जानकारी:

अ. प्रमुख प्रदूषण (गैस, तरल, ठोस) उनकी विशेषताएं और मात्रा (औसत और चरम भार पर):

आ. उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की गुणवत्ता और मात्रा, उनके उपचार और निपटान की विधि:

इ. वायु, जल और मृदा प्रदूषण की समस्याओं का अनुमान है और इसे नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित उपाय, जिनमें अपशिष्ट का उपचार और निपटान शामिल है:

बारह. प्रक्रिया खतरे की जानकारी:

अ. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पर रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें।

आ. जोखिम मूल्यांकन अध्ययन पर रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें।

इ. प्रकाशित (खुली या वर्गीकृत) रिपोर्ट, यदि कोई हो, दुर्घटना की स्थितियों, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों या इसी तरह के पौधों पर कहीं और (देश के भीतर या बाहर)।

तेरह. प्रस्तावित सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य उपायों की जानकारी:

अ. अग्निशमन सुविधाओं और पानी की न्यूनतम मात्रा, कार्बन-डाई-ऑक्साइड और या आपात स्थिति को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य अग्निशमन उपायों का विवरण:

आ. प्रस्तावित इन-हाउस चिकित्सा सुविधाओं का विवरण:

चौदह. आपातकालीन तैयारियों पर जानकारी:

पंद्रह. ऑन-साइट आपातकालीन योजना

सोलह. पड़ोसी कारखानों के एक समूह के साथ पारस्परिक सहायता योजना के लिए प्रस्तावित व्यवस्था, यदि कोई हो,

सत्रह. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी

मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है और इसे प्रस्तुत करते समय कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं छिपाया गया है।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर।

प्रपत्र- 50

{नियम 129 देखें}

स्थल मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट का प्रारूप राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा

से,

श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
जी.टी. रोड, कानपुर।

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
श्रम और रोजगार,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

विषय: ..... के आवेदन के मामले में स्थल मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना (आवेदक का नाम) ..... में प्रस्तावित निर्माण/विस्तार/स्थान/खतरनाक गतिविधियों के संचालन के संबंध में (कारखाने का नाम)।

महोदय/महोदया,

कृपया सरकारी आदेश संख्या देखें ..... दिनांकित ..... जिसके माध्यम से ..... के आवेदन के मामले में साइट मूल्यांकन समिति (आवेदक का नाम) ..... में खतरनाक गतिविधियों के प्रस्तावित निर्माण/विस्तार/स्थान/संचालन के संबंध में (कारखाने का नाम) का गठन व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 की धारा 83 की उप-धारा (1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किया गया था।

उपर्युक्त समिति ने ..... द्वारा किए गए आवेदन की गहन जांच की है और समिति की रिपोर्ट इस प्रकार है:

अ. आवेदक का नाम और पता:

आ. कारखाने का नाम:

इ. पंजीकरण संख्या (यदि कोई हो):

ई. लाइसेंस संख्या (यदि कोई हो):

उ. साइट स्वामित्व विवरण:

ऊ. समिति के क्षेत्र दौरे की तिथियां:

ऋ. समिति की बैठकों का विवरण (कृपया बैठकों के सभी कार्यवृत्त संलग्न करें):

ऌ. आवेदक द्वारा अपनाए जाने वाले अनुशंसित सुधारात्मक उपायों का विवरण (यदि कोई हो):

ऍ. अपनाए गए सुधारात्मक उपायों का विवरण (विवरण दें):

ऎ. साइट मूल्यांकन समिति की सिफारिशें:

ए. कोई अन्य टिप्पणी/सिफारिशें:

दिनांक: श्रम आयुक्त के हस्ताक्षर

स्थान:

सील

प्रपत्र- 51

{नियम 147 का उप-नियम (4) देखें}

पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय या गोपनीय पदों पर व्यक्तियों का रजिस्टर

कारखाने का नाम .....

लाइसेंस संख्या .....

Sr.No	नाम	पिता का नाम	उपाधि	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	जाने की तिथि
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

प्रपत्र- 52

{नियम 151 का उप-नियम (4) देखें}

आवास की वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न.....

एक. वृक्षारोपण का नाम:

दो. पता और स्थान जहां वृक्षारोपण किया जाता है:

तीन. नियोक्ता का नाम और पता:

चार. वह वर्ष जिसमें वृक्षारोपण संहिता के पूर्वावलोकन के अंतर्गत आया:

पाँच. बागानों में आश्रितों सहित कुल निवासी श्रमिक आबादी:

छः. घरों की आवश्यकता वाले निवासी श्रमिकों की संख्या:

सात. हर साल अनुमोदित योजना के अनुसार उपलब्ध कराए जाने वाले घरों की संख्या:

आठ. अनुमोदित योजना के अनुसार प्रदान किए गए घरों की संख्या-

१. नए घरों का निर्माण।

२. पुराने घरों का अनुकूलन।

अठ्ठारह. मद संख्या 7 में आवश्यक घरों की संख्या प्रदान न करने का कारण:

दिनांक:

नियोक्ता की मुहर और हस्ताक्षर

प्रपत्र- 53

{नियम-171 का उप-नियम (1) देखें}

संहिता की धारा 114 की उप-धारा (1) के तहत अपराधों को शमन करने के लिए कंपाउंडिंग अधिकारी द्वारा दोषी नियोक्ता को नोटिस

नोटिस

प्रति,

…….. (नियोक्ता का नाम)

मैसर्स .....

…… (पता)

कृपया अपने आवेदन को ..... दिनांकित देखें आपके/आपकी कंपनी/प्रतिष्ठान द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 37) के प्रावधानों के उल्लंघन में किए गए अपराधों की संरचना के संबंध में;

चूंकि आपने उक्त अपराध (अपराधों) के गठन के लिए अनुरोध किया है, इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि आपके खिलाफ धारा (अपराधों) के उल्लंघन के लिए अपराध करने के लिए आरोप लगाया गया है..... व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 37) की धारा 1019/100 आपके आवेदन की अधोहस्ताक्षरी द्वारा जांच की गई है और यह पाया गया कि धारा (धाराओं) के तहत उल्लंघन ..... (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि कोई दंड नहीं है, तो इसके लिए धारा (धाराएं) ..... व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 37) के तहत नीचे बताए गए कारणों से कंपाउंडिंग नहीं किया जा सकता है-

1. …….
2. …….

अपराधों की संरचना के लिए आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली कंपाउंडिंग राशि ..... रुपये है इस नोटिस के द्वारा, आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अपराध (अपराधों) के शमन के लिए इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपर्युक्त कंपाउंडिंग राशि जमा करें। यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो आपको कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और धारा (ओं) के तहत अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे..... संहिता के प्रावधानों के अनुसार आपके खिलाफ जारी किया जाएगा;

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उपर्युक्त कंपाउंडिंग राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो आप संहिता की धारा 114 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी किया गया है..... ....., 20 का दिन.....

कंपाउंडिंग ऑफिसर,
सील

की प्रति - क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को

प्रपत्र- 53 (A)
{नियम-171 का उप-नियम (1) देखें}

संहिता की धारा 114 की उप-धारा (1) के तहत अपराधों को कम करने के लिए कंपाउंडिंग अधिकारी द्वारा अपराध करने वाले व्यक्ति को नोटिस

नोटिस

प्रति,
…….. (नियोक्ता का नाम)
मैसर्स .....
…… (पता)

कृपया अपने आवेदन को ..... दिनांकित देखें आपके/आपकी कंपनी/प्रतिष्ठान द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 37) के प्रावधानों के उल्लंघन में किए गए अपराधों की संरचना के संबंध में;

चूंकि आपने उक्त अपराध (अपराधों) के गठन के लिए अनुरोध किया है, इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि आपके खिलाफ धारा (अपराधों) के उल्लंघन के लिए अपराध करने के लिए आरोप लगाया गया है..... व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 37) की धारा 1019/100 आपके आवेदन की अधोहस्ताक्षरी द्वारा जांच की गई है और यह पाया गया कि धारा (धाराओं) के तहत उल्लंघन ..... (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि कोई दंड नहीं है, तो इसके लिए

धारा (धाराएं) ..... व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 37) के तहत नीचे बताए गए कारणों से कंपाउंडिंग नहीं किया जा सकता है-

एक. .....

दो. .....

अपराधों की संरचना के लिए आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली कंपाउंडिंग राशि ..... रुपये है इस नोटिस के द्वारा, आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अपराध (अपराधों) के शमन के लिए इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपर्युक्त कंपाउंडिंग राशि जमा करें। यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो आपको कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और धारा (ओं) के तहत अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे..... संहिता के प्रावधानों के अनुसार आपके खिलाफ जारी किया जाएगा;

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उपर्युक्त कंपाउंडिंग राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो आप संहिता की धारा 114 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी किया गया है..... ....., 20 का दिन.....

कंपाउंडिंग ऑफिसर,

सील

की प्रति - क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को

प्रपत्र- 54

{नियम 173 देखें}

धारा 119 के तहत सामान्य लाइसेंस के लिए आवेदन

संहिता की धारा 119 के तहत लाइसेंस/नवीनीकरण/लाइसेंस में संशोधन के लिए सामान्य आवेदन लागू किया गया		
अ. स्थापना प्रोफ़ाइल		
	स्थापना का नाम	
	स्थापना का पता	
	(अ) ई-मेल-आईडी के साथ प्रधान कार्यालय का पता	
	(आ)ई-मेल-आईडी के साथ कॉर्पोरेट कार्यालय का पता	
	(इ) ई-मेल-आईडी के साथ स्थापना का स्थान	
	संपर्क नंबर	
	एनआईसी (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण) के अनुसार गतिविधि (दी गई सभी लागू गतिविधियों का चयन करें):	
	चयनित एनआईसी कोड का विवरण	
	मुख्य प्रतिष्ठानों में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति	
	स्थापना का पहचानकर्ता: (चयन करें - ई-साइन / डिजिटल साइन)	

आ. नियोक्ता का विवरण		
	नियोक्ता/अधिभोगी का पूरा नाम	
	स्थापना के साथ संबंध	
	नियोक्ता/अधिभोगी का पूरा पता	
	नियोक्ता/अधिभोगी की ई-मेल आईडी	
	सभी अधिभोगियों/भागीदारों/निदेशकों का विवरण ** के साथ प्रस्तुत किया जाना है	

इ. कारखाने का विवरण						
	फैक्टरी का नाम	कारखाने का पूरा पता	एनआईसी (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण) के अनुसार गतिविधि	कारखाने के रूप में प्रयोज्यता की तिथि	उपयोग की जाने वाली अधिकतम शक्ति (किलोवाट)	प्रतिष्ठानों का नाम जिसमें श्रमिकों को नियोजित किया जाना है
	1	2	3	4	5	6
	नाम, आवासीय पता और मोबाइल नं। प्रबंधक/कारखाना प्रबंधक की संख्या					
	अधिकतम नहीं। किसी भी तारीख को प्रतिष्ठान पर नियोजित किए जाने वाले प्रस्तावित कामगारों की संख्या					
	भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क की राशि					
	लेन-देन आईडी/बयान का प्रमाण					
	विनिर्माण प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा					

ई. नियोजित किए जाने वाले ठेका श्रमिकों का विवरण (यदि लाइसेंस की आवश्यकता है)		
	कार्य स्थलों का स्थान	
	एनआईसी (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण) के अनुसार स्थापना/गतिविधि में किए गए कार्य की प्रकृति	
	उन प्रतिष्ठानों का नाम जहां ठेका श्रमिकों को नियोजित करने का प्रस्ताव है	
	प्रारंभ होने की तिथि	
	पूरा होने की तिथि	
	साइट प्रभारी का नाम, पता और मेल	
	अधिकतम नहीं। किसी भी दिन प्रतिष्ठान पर नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या	
	भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क की राशि	
	सुरक्षा जमा की राशि	
0	लेन-देन आईडी/बयान का प्रमाण	
1	पंजीकरण संख्या, यदि प्राप्त की जाती है तो विवरण वे हैं	

७. उन प्रतिष्ठानों का विवरण जिनके लिए एकल लाइसेंस की आवश्यकता है (बीड़ी और सिगार)		
	क्या आवेदक प्रचलित व्यापार और व्यापारिक बाजार अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रेडमार्क धारक है	
	क्या औद्योगिक परिसर की प्रस्तावित साइट किसी मौजूदा परिसर की साइट में परिवर्तन के बराबर है और यदि हां, तो इस तरह के परिवर्तन के कारण क्या हैं	
	आवेदक द्वारा निर्मित बीड़ी या सिगार या दोनों को स्वयं या प्रचलित व्यापार और व्यापारिक बाजार अधिनियम के मालिक या पंजीकृत उपयोगकर्ता या किसी अन्य कारण व्यक्ति के माध्यम से बेचा और विपणन किया जाएगा	
	दिन के किसी भी समय अधिकतम संख्या में श्रमिकों को नियोजित किया जाएगा	
	कार्य प्रारंभ होने की तिथि	
	स्थानों या परिसरों की योजना, विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र, ऐसे स्थानों या परिसरों के तत्काल परिवेश आदि।	

आवेदन की तिथि

नियोक्ता/अधिभोगी के हस्ताक्षर

लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन

	लाइसेंस संख्या और दिनांक	
	पंजीकरण संख्या	
	लिन और पैन (केवल अनुबंध श्रम कार्य के लिए)	
	एनआईसी कोड नंबर (जैसा कि लाइसेंस में दिया गया है)	
	कारखाने/प्रतिष्ठान का नाम और पता	
	पूरा पता जिस पर संचार किया जाएगा (जहां कारखाने का पता संचार के उद्देश्य को भी पूरा करता है, यह जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है)	
	विनिर्माण प्रक्रिया का एक प्रवाह चार्ट जो इसके विभिन्न चरणों में प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, कच्चे माल की सूची, जहरीली गैसों के मिशन सहित उपयोग किए गए मध्यवर्ती उत्पादों, तैयार उत्पादों, उनकी मात्रा, भंडारण और हैंडलिंग, लोडिंग और परिवहन के तरीकों और व्यापार अपशिष्ट और अपशिष्टों के निपटान के लिए व्यवस्था का विवरण (संलग्न किया जाना है) द्वारा पूरक है।	
	वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या	
	स्थापित शक्ति (एचपी में)	
0	जमा किए गए आवश्यक शुल्क का विवरण और प्रमाण	
1	पिछले लाइसेंस की समाप्ति की तिथि	
2	क्या नियोक्ता/ठेकेदार का लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया गया था	

आवेदन की तिथि

नियोक्ता/अधिभोगी के हस्ताक्षर

लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन

	लाइसेंस संख्या और दिनांक	
	लिन और पैन (केवल अनुबंध श्रम कार्य के लिए)	
	कारखाने/प्रतिष्ठान का नाम और पता	
	वर्तमान में कार्यरत श्रमिकों की अधिकतम संख्या	
	विवरण जिसके लिए संशोधन की मांग की गई है	
क)	वर्तमान में कार्यरत श्रमिकों की अधिकतम संख्या	
ख)	श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन (यदि श्रमिकों की संख्या में संशोधन करना है और नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या में वृद्धि हुई है, तो नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क/सुरक्षा जमा जमा करने की आवश्यकता है)	
ग)	परिवर्तन की शक्ति (एचपी में)	
घ)	ऑक्यूपियर या फ़ैक्टरी मैनेजर के नाम में बदलाव	
ङ)	कारखाने के नाम में परिवर्तन	
	कारखाने में की जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया की प्रकृति	(प्रक्रियाओं की सूची)
	विनिर्माण प्रक्रिया में संशोधन के मामले में, पूर्व में की गई विनिर्माण प्रक्रिया का संकेत दें	(प्रक्रियाओं की सूची)
	जमा किए गए आवश्यक शुल्क का विवरण और प्रमाण	
	जारी किए गए लाइसेंस में संशोधन की आवश्यकता वाले अन्य विवरण (आवश्यक दस्तावेजों को आवश्यक परिवर्तन के समर्थन में संलग्न / अपलोड किया जा सकता है)	

आवेदन की तिथि

नियोक्ता/अधिभोगी के हस्ताक्षर

** स्ट्राइकआउट जो भी लागू नहीं है

प्रपत्र- 55

{नियम 174 का उप-नियम (3) देखें}

धारा 119 (2) के तहत सामान्य लाइसेंस का प्रमाण पत्र

लाइसेंस नंबर: ..... पंजीकरण संख्या। .....

एनआईसी विवरण: ..... दिनांक: .....

लाइसेंस इसके द्वारा ..... को प्रदान किया जाता है परिसर के लिए जिसे ..... के रूप में जाना जाता है ..... में स्थित है इसके बाद बताई गई

सीमाओं के भीतर एक कारखाने/प्रतिष्ठान के रूप में उपयोग के लिए, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 की धारा 119 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन।

कारखाने की योजना को ..... पर मंजूरी दी गई है (तिथि) योजना संख्या .....
कारखानों के निदेशक, उत्तर प्रदेश/उप निदेशक/कारखानों के सहायक निदेशक, ... अधिकार क्षेत्र होना

दिनांक:

नामित प्राधिकारी

लाइसेंस का विवरण

	जारी करने की अवधि	के लिए मान्य		लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया गया	देर से भुगतान के लिए अतिरिक्त शुल्क	भुगतान की गई सुरक्षा राशि	भुगतान की तिथि
		अधिकतम नहीं। किसी भी एक दिन में ठेका श्रमिकों/श्रमिकों की संख्या	परिसर में प्रयुक्त अधिकतम शक्ति (एचपी में)				
दिए गए लाइसेंस का विवरण							
नवीनीकरण का विवरण							

नामित प्राधिकारी

संशोधन

संशोधन की तिथि	संशोधन किया गया			संशोधन शुल्क और भुगतान की तारीख	अतिरिक्त शुल्क (यदि कोई हो) और भुगतान की तारीख
	श्रमिक	स्थापित शक्ति	अन्य संशोधनों का विवरण		

नामित प्राधिकारी

परिशिष्ट

संहिता की धारा 119 की उप-धारा (2) के तहत यह एकल लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

एक. यह लाइसेंस केवल व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति, 2020 संहिता की धारा 119 की उप-धारा (1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए है।

दो. प्रतिष्ठान में ठेका श्रमिक/प्रवासी श्रमिकों के रूप में नियोजित कामगारों की संख्या किसी भी दिन लाइसेंस में विनिदष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।

तीन. नियमों में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, अनुदान के लिए भुगतान किया गया शुल्क या, जैसा भी मामला हो, लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए गैर-वापसी योग्य होगा।

चार. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को देय मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) या मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) के तहत रोजगार के लिए निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी, जहां लागू हो, और जहां दरें समझौते, निपटान, पुरस्कार या राज्य सरकार द्वारा तय की गई हैं, इस प्रकार तय की गई दरों से कम नहीं।

(अ) ऐसे मामले में जहां ठेकेदार द्वारा नियोजित कामगार प्रतिष्ठान के मुख्य नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों के समान या समान प्रकार का कार्य करते हैं, ठेकेदार के श्रमिकों की मजदूरी दरें, छुट्टियां, काम के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो प्रतिष्ठान के प्रमुख नियोक्ता द्वारा सीधे उसी या समान प्रकार के काम पर नियोजित श्रमिकों पर लागू होती हैं;

परन्तु कार्य के प्रकार के संबंध में किसी असहमति के मामले में उसका निर्णय संबंधित नामित प्राधिकारी या क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(आ) अन्य मामलों में ठेकेदार के कामगारों की मजदूरी दरें, छुट्टियां, काम के घंटे और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो इस संबंध में संबंधित नामित प्राधिकारी या क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा विनिदष्ट की जा सकें।

पाँच. प्रत्येक ठेका श्रमिक/प्रवासी श्रमिक व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (2020 का 37) और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित भत्ते, लाभ, सुविधाओं आदि का हकदार होगा।

छः. प्रत्येक प्रतिष्ठान में जहां 20 या अधिक महिलाएं सामान्य रूप से कार्यरत हैं क्योंकि छह वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों के उपयोग के लिए उचित आयाम के 2 कमरे प्रदान किए जाएंगे। ऐसे कमरों में से एक का उपयोग बच्चों के लिए खेल के कमरे के रूप में और दूसरे का उपयोग बच्चों के लिए बिस्तर के कमरे के रूप में किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए ठेकेदार खेल के कमरे में पर्याप्त संख्या में खिलौने और खेल और सोने के कमरे में पर्याप्त संख्या में खाट और बिस्तर की आपूर्ति करेगा।

सात. लाइसेंसधारी श्रमिकों की संख्या या काम की शर्तों में किसी भी बदलाव को प्राधिकरण को सूचित करेगा।

आठ. लाइसेंस की एक प्रति उस परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी जहां अनुबंध का कार्य किया जा रहा है।

नौ. ठेकेदार संहिता के सभी प्रावधानों और इन नियमों का पालन करेगा।

दस. लाइसेंसधारी, प्रत्येक अनुबंध कार्य के शुरू होने और पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 46 के तहत नामित प्राधिकरण को एक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, जिसमें प्रारंभ की वास्तविक तारीख या, जैसा भी मामला हो, प्रासंगिक रूप में इस तरह के अनुबंध कार्य को पूरा करने की सूचना दी जाएगी।

प्रपत्र- 56

{ नियम 125 के तहत निर्दिष्ट अनुसूची VII का पैराग्राफ 7(2) और अनुसूची XXXII का पैराग्राफ 4(2) और अनुसूची XXXIII का पैराग्राफ 3(डी) देखें}

दमन प्रणाली की धूल निकालने की परीक्षा और परीक्षण की रिपोर्ट

1. सिस्टम का विवरण

2. हुड-

(ए) हुड की क्रम संख्या

(b) पकड़े गए संदूषक

(c) कैप्चर वेग (निर्दिष्ट किए जाने वाले बिंदुओं पर)

डिजाइन मूल्य वास्तविक मूल्य

(d) हुड पर समाप्त मात्रा

(e) हुड स्थैतिक दबाव

3. कुल दबाव में गिरावट--

(a) जोड़

(बी) प्रणाली के अन्य बिंदु (निर्दिष्ट किए जाने के लिए)

4. नलिकाओं के साथ बिंदुओं पर वाहिनी में परिवहन वेग (निर्दिष्ट किया जाना है)

5. हवा की सफाई करने वाला उपकरण--

(ए) प्रयुक्त प्रकार ... ...

(बी) इनलेट पर वेग ... ...

(सी) इनलेट पर स्थैतिक दबाव ... ...

(घ) आउटलेट पर वेग ... ...

(ई) आउटलेट पर स्थैतिक दबाव ... ...

6. पंखा--

(ए) प्रयुक्त प्रकार ... ...

(बी) वॉल्यूम को संभाला ... ...

(ग) स्थैतिक दबाव ... ...

(घ) पंखे के आउटलेट पर दबाव ड्रॉप ... ...

7. फैन मोटर-

(ए) टाइप ... ...

(बी) किलोवाट में गति और शक्ति ... ...

8. उपरोक्त घटकों में से किसी के परीक्षण के दौरान प्रकट किए गए दोषों का विवरण, यदि कोई हो।

मैं प्रमाणित करता हूं कि (तारीख .....) को उपरोक्त धूल निष्कर्षण प्रणाली को अच्छी तरह से साफ किया गया था और (जहां तक इसके निर्माण परमिट हैं) पूरी तरह से जांच के लिए उपलब्ध कराया गया था। मैं आगे प्रमाणित करता हूं कि उक्त तिथि पर, मैंने उपरोक्त धूल निष्कर्षण प्रणाली की पूरी तरह से जांच की, जिसमें इसके घटक और फिटिंग शामिल हैं और उपरोक्त मेरी परीक्षा की एक सच्ची रिपोर्ट है।

हस्ताक्षर .....

योग्यता .....

पता .....

तारीख.....

(यदि किसी कंपनी या एसोसिएशन द्वारा नियोजित है, तो कंपनी या एसोसिएशन का नाम और पता)

प्रपत्र- 57

{नियम 170 का उप-नियम (2) देखें}

धारा 111(3) के तहत अपील

(अ) स्थापना का नाम और लाइसेंस संख्या

(आ) आदेश के खिलाफ अपील की गई;

(इ) सामान्य लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जमा की गई फीस के पांच प्रतिशत के बराबर एक गैर-वापसी योग्य शुल्क;

(ई) विवाद में मुद्दों का एक बयान;

(उ) दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा किया गया।

(ऊ) राहत मांगी गई।

अधिभोगी का नाम और हस्ताक्षर

प्रपत्र -58

{नियम 175 का उप-नियम (2) देखें}

धारा 119(6) के तहत अपील

(अ) स्थापना का नाम और लाइसेंस संख्या

(आ) आदेश के खिलाफ अपील की गई;

(इ) सामान्य लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जमा की गई फीस के पांच प्रतिशत के बराबर एक गैर-वापसी योग्य शुल्क;

(ई) विवाद में मुद्दों का एक बयान;

(उ) दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा किया गया।

(ऊ) राहत मांगी गई।

अधिभोगी का नाम और हस्ताक्षर

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notificationno. 962/XXXVI-03–2026-1903305, dated August 27, 2026:

No. 962/XXXVI-03–2026-1903305

Dated Lucknow,August 27, 2026

WHEREAS the draft of the Uttar Pradesh Occupational Safety, Health and Working Conditions Rules, 2026 was published as required under sub-section (1) of sections 133 and 135 of the Occupational Safety, Health And Working Conditions Code, 2020 (Act no. 37 of 2020) in the Official *Gazette vide* notification no. 500/XXXVI-3-2026-1903305, dated 23rd of March, 2026 inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date on which the *Gazette* containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS the aforesaid notification was made available to the public on the 23rd of March, 2026;

AND WHEREAS objections or suggestions received from persons and stakeholders have been duly considered by the State Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 133 and 135 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (Act no. 37 of 2020) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of,-

(i) the Uttar Pradesh Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules, 1975,

(ii) the Uttar Pradesh Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 1983,

(iii) the Uttar Pradesh Bidi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Rules, 1969,

(iv) the Uttar Pradesh Factories Rules, 1950,

(v) the Uttar Pradesh Factories (Welfare Officers) Rules, 1955, and

(vi) the Uttar Pradesh Factories (Safety Officers) Rules, 1984,

(vii) the Uttar Pradesh Building and Other Construction (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2009,

(viii) the Uttar Pradesh Code on Occupational Safety, Health And Working Conditions Rules, 2022,

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor is pleased to make the following rules, namely:-

THE UTTAR PRADESH OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND WORKING CONDITIONS RULES, 2026

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title, extent application and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Occupational Safety, Health and Working Conditions Rules, 2026.

(2) They extend to whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) These rules shall apply to factories, workplaces relating to building or other construction works and all other establishments.

(4) They shall come into force from the date of their publication in the Official *Gazette*.

Definitions

2. (1) In these rules, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) "Appendix" means the Appendix as appended to these rules;

(b) "approved" means approved in writing by the 'Chief Inspector-cum-Facilitator or the Officer or the Licensing Authority' notified by the State Government in this regard, as the case may be;

(c) "Authority" means and include committees as designated, by notification, by the State Government under different sections of the Code;

(d) "Appellate officer" means the officer notified by the State Government under section 4 of the Code.

(e) "Appellate authority" means the Appellate authority as prescribed by the State Government under sub-section (6) of section 119 of the Code;

(f) "Apprentice" means an apprentice as defined under clause (aa) of section 2 of the Apprentices Act, 1961(Act no. 52 of 1961);

(g) "belt" includes any driving strap or rope;

(h) "Board" means the Board constituted under section 17 of the Code;

(i) "Calendar Year" means the period of twelve months beginning with the first day of January ;

(j) "Chief Inspector-cum-Facilitator" means Chief Inspector-cum-Facilitator of Uttar Pradesh for establishments as appointed by the State Government through notification:

Provided that for the purpose of factories and for the provisions related with health, safety and welfare of employees/workers under the Code and rules made thereunder, Chief Inspector-cum-Facilitator shall be the person appointed as Director of Factories for Uttar Pradesh;

(k) "Chief Medical Officer" means any person appointed as Chief Medical Officer by the State Government;

(l) "continuous process" means a process in a factory or a part of factory wherein the process is carried on in as declared in Schedule-II;

(m) "child" shall have the same meaning as assigned to it in Clause (ii) of section 2 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (Act no. 61 of 1986);

(n) "Code" means the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (Act no. 37 of 2020);

(o) "degrees" (of temperature) means degrees on the centigrade scale;

(p) "Designated Authority" means a Gazetted Officer/ Committee of the State Government appointed for the purpose of section 46 and sub-section (1) of section 119 of the Code;

(q) "Director of Factories" means any person appointed as Director of Factories by the State Government, as per "the Uttar Pradesh Labour Department (Factories and Boilers Disvision) Officers Service Rules, 1980" as amended from time to time;

(r) "electronically" means and includes maintaining efficient and transparent payroll software so that the requisite information may be seen in a systematic manner for the purposes of attendance register, muster roll, leave register, over time register or wages register, etc;

(s) "Form" means the form appended to these rules;

(t) "fumes" includes gas and vapour;

(u) "hazardous substances" means the chemicals as defined in clause (e) of rule 2 of the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989 or any other such substance which the State Government or the Central Government may notify from time to time;

(v) "Hazardous waste" means the hazardous waste as defined in clause (17) of sub-rule (1) of rule 3 of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016;

(w) "Home worker" means a person who is given raw material by employer or a contractor for makeup *beedis* at home.

(x) "Labour Commissioner" means any person appointed as Labour Commissioner of Uttar Pradesh by the State Government;

(y) "Licencing Authority" means the authority as appointed under various sections of the Code by the State Government;

(z) "Licencing Officer" is the authority as appointed under various sections of the Code by the State Government;

(aa) "Major Accident Hazard (MAH) installation" means as defined in rule 2 (ja) of Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989;

(bb) "Manager" means a person nominated or appointed by the employer of an establishment for the purposes of the Code and rules made thereunder and the person by his position possesses the administrative control over the affairs entrusted with;

(cc) "National Standards" means standards as approved by the Bureau of Indian Standards and in the absence of such standards, the standards approved by the State Government for a specific purpose;

(dd) "Other Apprentice" means a person who is undergoing any contractual training under a contract with the employer other than one under Apprentices Act,1961;

(ee) "Other Establishment" means establishment other than Contract Labour, Inter-state migrant workers , Audio-visual workers, Beedi and cigar workers , Building and Other Construction workers, Factories, Planation.

(ff) "Part Time Worker/Employee" means a person who works for less than half of a normal days work under the Code;

(gg) "Portal" means official web-portal of Labour Department, Government of Uttar Pradesh;

(hh) "Public Health Authority" means the Local Health Officer having jurisdiction over the area;

(ii) "Qualified Nurse" means a person who possesses a qualification in nursing recognized under the Indian Nursing Council Act, 1947, and who is registered with the Uttar Pradesh Nurses and Midwives Council, or otherwise, or a similar registered body of any other State in India;

(jj) "Quarter" means a period of three consecutive months beginning from the 1st of January, the 1st of April, the 1st of July or the 1st of October;

(kk) "Registering Officer" means the Registering Officer appointed by the State Government for the purpose of section 3 of the Code and these rules;

(ll) "Section" means the section of the Code;

(mm) Standard Operating Procedures (Safety)" means the practice followed for the safety and health of workers and safe operation of machinery, process and equipment used in such practices and such practices conform to all or any of the following, namely:-

1. relevant standards approved by the Bureau of Indian Standards or International Standards;
2. National Building Code;
3. manufacturers instruction on safe use of equipment and machinery;
4. Code of practice on safety and health practices published by International Labour Organisation and amended from time to time.

(2) All the words and expressions used in these rules and are not defined shall have the meaning respectively assigned to them under the Code.

Income from other sources under clause (x) of sub-section (1) of section 2

3. For the purposes of clause (x) of sub-section (1) of section 2, such dependents shall not be included who are, for the time being getting wages equivalent to or more than minimum wages applicable to that industry.

Appointment of Competent person under clause (*l*) of sub-section (1) of section 2

4. (1) The Chief Inspector-cum-Facilitator may recognize any person as a competent person within such area and for such period as may be specified for the purposes of carrying out tests, examinations and inspections for such buildings, dangerous machinery, hoists and lifts, lifting machines and lifting tackles, pressure plants, confined spaces, ventilation systems and such other processes or plants and equipments as stipulated in the Code and the Rules made thereunder, located in a factory, if such a person possesses the qualifications, experience and other requirements as set out in Schedule-I annexed to these rules.

Provided that the Chief Inspector-cum-Facilitator may relax the requirements of qualifications in respect of a competent person, if such a person is exceptionally experienced and knowledgeable, but not the requirements in respect of the facilities at his command:

Provided further that the competent person recognized under this provision shall not be more than 65 years of age and shall be physically fit for the purpose of carrying out tests, examinations and inspections.

(2) The Chief Inspector-cum-Facilitator may recognize an institution of repute, having persons possessing qualifications and experience as set out in the Schedule-I annexed to the rule for the purpose of carrying out tests, examinations and inspections for buildings, dangerous machinery, hoists and lifts, lifting machines and lifting tackles, pressure plants, confined spaces, ventilation systems and such other process or plants and equipments as are stipulated in the Code and the rules made thereunder, as a competent person, within such area and for such period as may be specified.

(3) The Chief Inspector-cum-Facilitator may on receipt of an application electronically or otherwise in Form-1, from a person or an institution intending to be recognized as a competent person for the purposes of the Code and the rules made thereunder, register such application and within a period of thirty days of the date of receipt of application, reject the application for reasons to be recorded in writing or if satisfied about the competence and facilities available at the disposal of the applicant, recognize the applicant as a competent person and issue a certificate of competency in Form-2 electronically or otherwise.

(4) The competent person or the institution shall send a monthly report to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction by 10th day of every month. The report shall contain name and address of establishments where testing / examinations had been done, name of the persons who visited the establishment, date of visit and list of equipments with identification number so examined. The competent person shall also furnish any other information that an Inspector-cum-Facilitator may require for the purpose of satisfying himself whether any provision of the rule or instructions have been complied with or not. He shall also report immediately if during his visit he feels that existence of any imminent danger to life exits in the establishment.

(5) The Chief Inspector-cum-Facilitator may, after giving an opportunity of being heard to the person recognized as a competent person revoke the certificate issued to him under sub rule (3):

(i) if he has reason to believe that the competent person:

(a) has violated any of the conditions stipulated in the certificate; or

(b) has carried out a test, examination and inspection or has otherwise carried them in a manner inconsistent with the intent or the purpose of the Code or the rules made thereunder; or

(c) has omitted the act as required under the Code and the rules made thereunder;

(ii) for any other reason to be recorded in writing.

***Explanation*.—**For the purpose of this rule, an institution includes an organization.

(6) The Chief Inspector-cum-Facilitator may, for reasons to be recorded in writing, require re-certification of lifting machines, lifting tackles, pressure plants or ventilation systems, as the case may be, which has been certified by a competent person outside the State of Uttar Pradesh.

CHPATER-II

REGISTRATION OF ESTABLISHMENT

Manner and form of filing an application for registration, fee and late fee under section 3

5. (1) Form of filing application

(a) The employer seeking registration for an establishment shall apply electronically in Form-3 on the web-portal specified for this purpose by giving details about the establishment, and uploading requisite documents, proof of identity and address of the employer(s) as specified in the said form.

(b) The said form shall be signed digitally or in any other manner as may be required on the portal. The applicant shall be responsible for veracity of all the information submitted in the application.

(c) The Permanent Account Number (PAN)/The Tax Deduction and Collection Account Number (TAN) of the applicant or the establishment allocated under the Income Tax Act, 1961/Income Tax Act, 2025 or any other unique number allocated to the establishment under any other Act for the time being in force or any other particular furnished in the said form, may be verified online.

(2) The registering officer under the Code may direct the employer who fails to comply with the requirements of sub-rule (1), to do so within the time stated therein and such employer shall, thereupon comply with the instruction issued by the officer in this behalf.

(3) The employer shall quote the registration number on all the documents prepared or completed by him in connection with the Code or the rules or the regulations or the scheme, as the case may be, and in all correspondence with the office concerned.

(4) (a) Fee for registration of the establishment shall be paid at the following rates -

Number of workers employed in the establishment	Amount of fees in rupees
Ten or more but less than twenty workers	5000.00
Twenty or more but less than fifty workers	10000.00
Fifty or more but less than one hundred workers	15000.00
Hundred or more but less than two hundred and fifty workers	20000.00
Two hundred and fifty or more but less than five hundred workers	25000.00
Five hundred or more but less than one thousand workers	50000.00
One thousand or more workers	100000.00

Provided that the State Government may change the amount of fees for registration by general or special order.

(b) The registering officer, as per provision of the code, shall process the application and issue a certificate of registration in form 3(A).

(5) The Registering Officer shall maintain a register of establishment electronically in Form-4 showing the particulars of establishment in relation to which certificates of registration have been issued by him.

(6) Where a principal employer has not submitted his application for registration within sixty days as required under sub-section (1) of section 3, he shall submit the application for registration along with late fee at the rate of ten percentannually .

(7) The employer, in respect of an establishment already registered under any Central Labour Law as specified in sub-section (8) of section 3, shall provide the details of its registration particulars on the portal of the State Government within six months from the date on which these rules come into force.

(8) A copy of the certificate of registration shall be displayed in the premises of the establishment at conspicuous place in hard copy or electronically.

(9) Any change in ownership, management or any particular furnished in the registration form submitted on the specified portal shall be applied on the portal by the employer within thirty days of such change.

(10) The employer of an establishment and whose business activities are in the process of closure, may apply for cancellation of registration on-line on the official portal, after giving complete details of the dues payable under the Central Labour Codes:

Provided that application for cancellation of registration shall not be entertained unless the employer has furnished all statutory returns, paid all statutory dues under the Central Labour Codes and any other Central or State Labour Law in force, in accordance with the law applicable for the time being and submitted a self-certification to that effect along with the application.

Appeal against order of Registering Officer under section 4

6. (1) The employer aggrieved by the order of registering officer, may file an appeal against such order before the appellate officer as appointed by the State Government for such purpose within thirty days from the date of receipt by him of such order, electronically or otherwise.

(2) The appeal shall be in a form of memorandum and shall set forth concisely the grounds of objection to the order. A certified copy of the order appealed against shall accompany the appeal, electronically or otherwise.

(3) Where the memorandum of appeal is in order, the appellate officer shall admit the appeal, acknowledge it and intimate admission of such appeal, and shall register the appeal in electronic form to be kept for the purpose called the “Register of Appeals”.

(4) When the appeal has been admitted, the appellate officer shall send the notice of the appeal to the Registering Officer, against whose order the appeal has been preferred and the Registering Officer shall thereupon send the records of the case to the appellate officer online electronically.

(5) On receipt of the appeal, the appellate officer shall send a notice to the appellant to appear before him on such date and time as may be specified in the notice for the hearing of the appeal electronically or by registered post.

(6) If on the date fixed for hearing, the appellant does not appear, the appellate officer may dismiss the appeal for default of appearance of the appellants by sending the copy of the order of dismissal to the applicant electronically.

(7) Where an appeal has been dismissed under the provisions of sub-rule (6), the appellant may apply electronically to the appellate officer for the restoration of the appeal within thirty days from the date of receipt of the order of dismissal and if the appellate officer is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from appearing, the appellate officer shall restore the appeal.

(8) The order of the Appellate Officer shall be communicated electronically or otherwise to the appellant and copy thereof shall be sent to the registering officer against whose order the appeal has been preferred and shall be disposed of within a period of thirty days from the date of receipt of appeal.

Notice by the employer of commencement and cessation of work under section 5

7. (1) Every employer to whom section 5 of the Code applies, shall, within thirty days of the commencement and completion of any work, intimate to the Registering Officer and Inspector-cum-Facilitator, having jurisdiction in the area where the proposed establishment or as the case may be, the work is to be executed, intimating the actual date of the commencement, completion of work and cessation of establishment, as the case may be, in Form-5 annexed to these rules electronically on official portal of the State Government.

(2) The notice of cessation of operation shall be enclosed with a certificate that the payment of all dues to the workers employed in establishment have been made and the premises are kept free from the storage of hazardous chemicals and substances.

CHAPTER-III

DUTIES OF EMPLOYER AND EMPLOYEES

Prevention of bodily injuries under clause (a) sub-section (1) of section 6 and clause (za) sub-section (2) of section 135

8. (1) No building, wall, chimney, bridge, tunnel, road, gallery, stairway, ramp, floor, platform, staging, or other structure, whether of a permanent or temporary character, shall be constructed, situated or maintained in any establishment in such a manner as to cause risk of bodily injury.

(2) No machinery, plant or equipment shall be constructed, situated, operated or maintained in any establishment in such a manner as to cause risk of bodily injury.

(3) No process or work shall be carried in any establishment in such a manner as to cause risk of bodily injury.

(4) No materials or equipment shall be stacked or stored in such a manner as to cause risk of bodily injury.

(5) (a) No worker shall be required or allowed to work for such long hours on a continuously running conveyor line or on any similar contrivance used for assembly of machine parts, components, or for material handling requiring work in a specified manner, where continuous manual work in limited or repetitive postures, without reasonable intervals for rest, and/or excessive speed of the conveyor belt or line is likely to cause fatigue or to adversely affect the safety or health of the worker;

(b) The employer shall, on the recommendation of a competent person, prepare and obtain approval of the Inspector-cum-Facilitator for a matrix specifying the maximum permissible speed of such machinery or manual work output, and the corresponding permissible duration of work of a worker:

Provided that any such matrix specified or recommended by a recognized international agency relating to occupational safety and health shall be deemed to have been approved for the purposes of this Code.

(c) The approved matrix shall be displayed conspicuously at or near the concerned conveyor line, assembly line, or workplace.

Explanation— For the purposes of this provision, "matrix" means a documented schedule correlating machine speed or manual work output with permissible duration of work, prepared on ergonomic and occupational health principles.

(6) No charge or fee for facilities and conveniences, — Subject to the provisions of section 24(1)(v), no charge or fee shall be realised from any worker or employee in respect of any arrangement or facility required to be provided, including personal protective equipment (PPE), or any equipment or appliance required to be supplied, by the employer or occupier under the provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, or the rules made thereunder.

Special provisions for employees who are not covered under section 2(1)(zzl)

9. The provisions of the Code and Rules, wherein not specified for employees, shall also apply to the employees who are not covered under section 2(1)(zzl), in relation to the following, as if they were workers within the meaning of the Code and rules-

(i) safety and health;

(ii) maintenance of records, registers and Forms;

(iii) Chapter VII of the Code for any establishment, excluding normal daily working hours and provisions under Section 27 of the Code.

Provisions against danger arising from mechanical transport in establishments under sub-section(1) of section 6

10. (1) No railway wagon shall be moved either by power or hand unless the movements are directly supervised by a responsible person or person especially appointed for this purpose and a person shall be deputed to walk ahead to the wagon or wagons being shunted with a suitable bell or other audible device so as to ensure that no person is allowed to pass in front of or between the moving wagon or wagons. Names of such person or persons shall be separately shown in attendance register in Form-6.

(2) Mechanical Transport or Transport vehicle when moved shall only be operated by persons trained to work them, and such operations shall be under the charge of a responsible supervisor. Employer shall take appropriate step and provide provisions for safe movement of such vehicles.

Special provisions for health, safety and welfare measures for other apprentices

11. (1) Where any apprentices or other apprentices are undergoing training in an establishment the provisions of the Code and Rules shall apply in relation to the health, safety and welfare of these apprentices as if they were workers within the meaning of the Code.

(2) Provisions of the sub-section (1) and (4) of section 25 and the rules made thereunder in relation with normal working hours shall apply to the 'other apprentices' as if they were workers within the meaning of the Code.

Safety provisions for establishments having building five stories or more or the height of building twenty meters or above under sub-section (1) of Section 6

12. (1) The employer, owner, or both, of any establishment or group of establishments, the building of which has five or more floors or a height of twenty metres or more, shall comply with the standards specified in Part-F (Fire and Life Safety) of the National Building Construction Standards, 2026, issued by the Bureau of Indian Standards (BIS), for dealing with fire emergencies, lift failures, *etc.*

(2) The employers, owner or both, as the case may be, shall ensure the availability of requisite facilities as per the Indian standards, training of persons, information dissemination to the people and adequate supervision for safety.

Annual Health Examination of employees of certain establishments under clause (c) of sub-section (1) of Section 6

13. (1) The employer of every establishment shall arrange to conduct free of cost health examination of all the employees who have completed forty years of age, at least once in every twelve months, all persons before employing them, and of the employees who have met an accident resulting in serious bodily injury in previous two years during the course of employment :

Provided that the employees employed in Hazardous process or Dangerous Operations shall be examined in accordance with the provisions of the rule specifically provided therein.

(2) The health examination shall be conducted by a qualified medical practitioner or factory medical officer, as the case may be . Records of such annual examination shall be maintained in a Health Register in Form-7. If the examination is conducted for pre-employment, it shall also be maintained in Form-8 as a Certificate of Fitness. Findings of such examinations shall be shared with the employee concerned.

(3) The medical examination shall include -

(i) Full medical and occupational history;

(ii) Clinical examination with particular reference to-

(a) general physique;

(b) vision - It shall include visual acuity and macular function test or fundoscopy examination;

(c) hearing - Audiometry test, if required;

(d) breathing - Pulmonary function test or X - ray, if required;

(e) upper limbs - Adequate arm function and grip (both arms);

(f) lower limbs - Adequate leg and foot function;

(g) spine-Adequately flexible for the job concerned;

(h) general - Mental alertness and stability with good eye, hand and feet coordination;

(i) complete blood count test, lipid profile

(iii) Any other tests which the examining doctor considers necessary.

Appointment Letter and Identity Card under clause (f) of sub-section (1) of Section 6

14. (1) The employer shall issue a Letter of Appointment to every employee in the establishment on appointment or prior to commencing work. The letter of appointment shall include the particulars as specified in Form-9.The employer shall ensure that particulars of Appointment Letter are consistent with the Code and the rules made thereunder. Any dispute about condition of appointment letter shall be decided by Appellate Officer under section 4 of the Code.

(2) The employer shall also ensure the systematic allotment of a distinct number or code for every employee and shall issue an Identity Card bearing such employee code and other necessary particulars within one month of the appointment:

Provided that such appointment letters and Identity cards shall be issued to all the employees within three months of coming into force of these rules.

(3) If the Identity card of an employee is damaged or lost, the employer shall issue a new Identity card to the employee within one month. The employer may charge Rupees Ten from the employee for issuing a new one and Rupees Fifty for any subsequent issuance within a calendar year subject to the provisions of Section 21 of the Code on Wages, 2019.

(4) The employer shall also ensure that the contract of training has been executed with other apprentices as well and Identity cards have been issued to them within one month.

Notice of accident and dangerous occurrences under sections 10 and 11

15. (1) Where at any place in an establishment an accident occurs which results in the death of any person, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice to inspector- cum -Facilitator having Jurisdiction and confirm it within twelve hours in Form 10 electronically or otherwise and inform by telephone or messenger to the Inspector-cum-Facilitator, Chief Inspector-cum Facilitator, District Magistrate or Subdivisional Officer and the officer-in-charge of the nearest police station; and the family members or kin of the deceased person.

(2) Where at any place in an establishment an accident occurs which results in bodily injury by reason of which the person injured is prevented from working for a period of forty eight hours or more immediately following the accident, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice in Form 10 within twelve hours after the completion of forty eight hours, electronically to the Inspector-cum-Facilitator.

(3) Where in an establishment, there is any dangerous occurrence as specified in rule 16, whether causing any bodily injury or disability or not, a notice in Form 11 shall within twelve hours be sent to-

(a) the Inspector-cum-Facilitator ;

(b) District Magistrate or Sub-divisional Officer:

Provided that if in the case of an accident or dangerous occurrence, death occurs to any person injured by such accident or dangerous occurrence after the notices referred to in the foregoing sub-rules have been sent, the employer or occupier

or manager of the establishment shall forthwith send a notice thereof by telephone and electronically to the authorities and persons mentioned in sub-rules (1) and (2) and also have this information confirmed in writing within twelve hours of the death:

Provided further that, if the period of disability from working for 48 hours or more referred to in sub-rule (3) does not occur immediately following the accident, or the dangerous occurrence, but later on occurs in more than one spell, the report thereof shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator in the Form 10 within 24 hours following the hours when the actual total period of disability from working resulting from the accident or the dangerous occurrence becomes 48 hours.

(4) No person shall be allowed to disturb the site at which a fatal accident has occurred or any other object involved in the accident before the arrival of the Inspector-cum-Facilitator, or a police officer, not below the rank of a Sub-Inspector, or without the consent of such officer:

Provided that such action may be taken as may be necessary to prevent a further accident or to secure persons from danger.

Classes of dangerous occurrences under section 11

16.The following are the classes of dangerous occurrences, whether or not they are attended by personal injury or disablement, namely:-

(a) bursting, of any plant or pipeline or equipment containing petroleum, steam, compressed air or other substance at a pressure greater than the atmospheric pressure;

(b) collapse or failure of a crane, derrick, winch, hoist or other appliances used in raising or lowering persons or goods, or any part thereof, or the overturning of a crane;

(c) explosion, explosion due to explosives, fire, leakage or release of harmful toxic gases, bursting out, leakage or escape of any molten metal, or hot liquid or gas causing bodily injury to any person or damage to any room or place in which persons are employed;

(d) explosion of a receiver or container used for the storage at pressure greater than atmospheric pressure of any gas or gases (including air) or any liquid or solid resulting from the compression of gas;

(e) collapse or failure of lifting appliances or hoist or conveyors or other similar equipment for handling building or construction material or breakage or failure of rope, chain or loose gears; overturning of cranes used in building or other construction work; falling of objects from height;

(f) collapse or subsidence of any wall, floor, gallery, roof bridge, tunnel, chimney, wall, building or subsidence of soil or any other structure, platform, staging, scaffolding or any means of access including formwork; contact work, excavation and collapse of transmission;

(g) spillage or leakage of hazardous substances and damage to their container;

(h) collapse, capsizing, toppling or collision of transport equipment within the establishment;

(i) fall from height of any excavation, loading or transport machinery;

(j) an instantaneous failure of a pillar, part of a pillar or several pillars of coal *(i.e.*, a bump) in working below ground;

(k) a rock-burst in working belowground; a premature collapse of any part of the working;

(l) a breakage, fracture or failure of an essential part of any machine or apparatus whereby the safety of persons may be endangered;

(m) a slide causing injury to any person, damage to any machinery, or interruption of normal mining operations;

(n) failure of dump or side in opencast working; a blowout;

(o) a failure of any structure or installation whereby the safety of persons may

be endangered; or spark generated due to electrical flash-over causing burn injury to any person;

(p) a major uncontrolled emission of petroleum or chemical spillage;

(q) any other occurrence which may be declared as a "Dangerous Ooccurrence" by the State Government by an order.

Notice of certain diseases under sub-section (1) of Section 12

17. Where any worker in an establishment contracts any disease specified in the Third Schedule of the Code, the manager or employer of the establishment shall send a notice electronically or otherwise in Form-12 to the concerned Inspector-cum-Facilitator, Chief Inspector-cum-Facilitator and Chief Medical Officer of the district within forty-eight hours from the date on which it comes to the knowledge of the employer or manager of the establishment.

Manner and Time of Report to Chief Inspector-cum-Facilitator and Chief Medical Officer by a medical practitioner under sub-section (2) of Section 12

18. If any medical practitioner attends on a person who is or has been employed in a establishment and who is or is believed by the medical practitioner, to be suffering from any disease specified in the Third Schedule of the Code, the medical practitioner shall, without delay, send a report electronically or otherwise to Chief Inspector-cum-Facilitator stating:-

(a) the name and full postal address of the patient;

(b) the disease from which he believes the patient to be suffering;

(c) the name and address of the factory in which the patient is or was last employed;

(d) possible reasons for such disease;

(e) condition of other suffering patients and possibilities of spreading of such disease;

(f) preventive measures that can be taken to check spreading the disease (if any); and

(g) other issues, that the medical practitioner thinks important to mention in this regard.

Duties of employees under section 13

19. (1) If an employee comes to know about any unsafe or unhealthy condition in the workplace, he shall report to the occupier/ employer, health and safety representative or safety officer or manager, in case of factories, as soon as practicable.

(2) Every employee shall, in general, wear or keep with him the Identity Card provided by the employer during his working hours in the establishment. If the identity card is lost or damaged, the employee shall report to the manager, in writing. No employee shall misuse the card.

Rights of employees under section 14

20. Every employee shall have the right to-

(a) obtain from the occupier/ employer, information relating to employee's health and safety at work;

(b) get trained for ensuring safety and promoting health within the factory wherever possible, or, to get himself sponsored by the occupier for getting trained at a training center or institute, duly approved by the Chief Inspector-cum-facilitator;

(c) represent to the Inspector-cum-facilitator directly or through his representative in the matter of inadequate provision for protection of his health or safety in the factory.

Report of existence of imminent danger under sub-section (3) of Section 14

21. (1) If at any time employer/occupier on receipt of information from the employee/worker regarding reasonable apprehension of likelihood of imminent serious personal injury or death or imminent danger to safety and health, the employer/occupier shall take immediate remedial action.

(2) The employer/occupier, whether satisfied or not, shall send a report forthwith of such imminent danger and action taken thereon, electronically or otherwise to the Inspector-cum-Facilitator, and to the Chief Medical Officer of the district if required.

CHAPTER IV

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Constitution of State Advisory Board under sub-section (2) of section 17

22. The State Occupational Safety and Health Advisory Board constituted under section 17 of the Code shall consist of the following, namely :-

(a) Minister, Department of Labour and Employment, Government of Uttar Pradesh- *ex officio* Chairperson;

(b) Additional Chief Secretary /Principal Secretary/ Secretary Department of Labour and Employment, Government of Uttar Pradesh- Vice-Chairperson, *ex officio;*

(c) Two officers from Department of Micro, Small and Medium enterprises and Pollution Control Board nominated by the State Government, not below the rank of Special Secretary one of whom shall be a woman-member;

(d) Chairman, the Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow - Member, *ex* officio;

(e) Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh – Member-Secretary, *ex officio;*

(f) Director-General, Health and Family Welfare, Government. of Uttar Pradesh- Member, *ex officio*;

(g) Chief Inspector-cum-Facilitator, Government of Uttar Pradesh- Member, *ex officio*;

(h) Secretary, Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board - Member, *ex officio;*

(i) Secretary ,Uttar Pradesh Unorganized Workers Social Security Welfare Board - Member, *ex officio;*

(j) Secretary, Uttar Pradesh Labour Welfare Board- Member, *ex officio;*

(k) Director, ESICS, Govt. of Uttar Pradesh- Member, *ex officio;*

(l) Director of Factories, Uttar Pradesh- Member;

(m) A representative of professional body associated with the matter for which standards, rules, policies being framed- to be nominated by the State Government– member;

(n) Five representatives of employers to be nominated by the State Government - Members ;

(o) Five representatives from registered trade unions or Federation to be nominated by the State Government - Members;

(p) Five eminent persons from the field of occupational health and safety having a graduation degree in engineering and experience not less than ten years nominated by the State Government- members:

Provided that adequate representation of women shall be given for members to be nominated under clauses (n), (o) and (p) of this rule;

Provided further that, the State Government may invite any person in any meeting of the Board as special invitee, for whom State Government is satisfied that such person is an expert for any such matter which has to be discussed or have arisen before the Board for decision;

Provided also that, such special invitee shall not be entitled to vote in Board's meetings.

Term of Office of State Advisory Board under sub-section (2) of section 17

23. (1) The term of office of the non-official members of the Board shall be three years.

(2) The non-official members of the Board shall hold office at the pleasure of the Government of Uttar Pradesh.

(3) The non-official members shall be removed from the Board if they cease to represent the interest for which they were nominated.

(4) All nominated members shall not be eligible for re-nomination for more than two terms.

Resignation of a member of State Advisory Board under sub-section (2) of section 17

24. (1) Any non-official member may resign by a letter addressed to State Government signed under his hand.

(2) The seat of such member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted or on the expiry of thirty days from the date of receipt of intimation of resignation, whichever is earlier.

Filling of casual vacancies under sub-section (2) of section 17

25. (1) A nominated member appointed to fill a casual vacancy arising due to death, resignation or otherwise of the member shall hold office for the remaining period of the tenure of office of the member, in whose place he is appointed.

(2) When a vacancy occurs for any reason or is likely to occur in the membership of the Board, the Member-Secretary shall submit a report to the State Government who shall take steps to fill the vacancy from amongst the category of persons, to which the person vacating membership belongs and the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of the office of the member in whose place he is appointed.

Cessation of membership under sub-section (2) of section 17

26. If any member of the Board, not being an *ex officio* member, fails to attend three consecutive meetings of the Board, without obtaining the leave sanctioned by the Chairperson of the Board, for such absence, he shall cease to be a member of the Board:

Provided that the State Government may, if it is satisfied that such member was prevented by sufficient cause from attending three consecutive meetings, direct that such cessation shall not take place and on such direction being made, such member shall continue to be a member of the Board.

Disqualification for membership under sub-section (2) of section 17

27. A person shall be disqualified for being a member of the Board-

(i) if he is declared to be of unsound mind and stands so declared by a Competent authority;

(ii) if he is an un-discharged insolvent;

(iii) if he has been convicted for an offence, having imprisonment of three months or more or which in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

Removal from membership under sub-section (2) of section 17

28. The State Government may remove any member of the State Board, if in its opinion such member has ceased to represent the interest which he purports to represent on the Board:

Provided that no such member shall be removed unless reasonable opportunity is given to him of making a representation against the proposed action under this rule.

Travelling Allowance for members under sub-section (2) of section 17

29. (1) The travelling allowance and daily allowance of an official member shall be governed by the rules applicable to him for journey performed by him on official duties and shall be paid by the Authority paying his salary.

(2) the non-Official Members of the Board shall be paid travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the Board at such rates as are admissible to lowest of Group "A" Officer of the State Government.

(3) Special invitees in Board's meetings shall get travelling allowances and daily allowances to attend such meetings of the Board as other non-official members of the Board are entitled to receive.

Notice of meeting of the Board and list of business under sub-section (2) of section 17

30. (1) The State Board shall meet at least once in every six months:

Provided that the Chairperson shall, within fifteen days of the receipt of a requisition in writing from not less than one third of the members of the Board, call a special meeting thereof.

(2) No business shall be transacted at any meeting unless at least half of the members are present:

Provided that if at any meeting less than one-third members are present the Chairperson may adjourn the meeting to another date informing members present and giving notice to the other members that he proposes to dispose of the business at the adjourned meeting whether there is a prescribed quorum or not, and it shall thereupon be lawful for him to dispose of the business at the adjourned meeting irrespective of the member or members attending:

Provided that when the Chairperson calls a meeting for considering any matter which in his opinion is of urgent nature, notice of not less than three days shall be deemed sufficient.

(3) No business, except which is included in the list of business for a

meeting of the Board, shall be considered at such meeting without the permission of the Chairperson of the Board.

Disposal of business under sub-section (2) of section 17

31. (1) Every matter which the Board is required to take into consideration, shall be considered at the meeting of the Board, or if the Chairperson of the Board so directs by sending the necessary papers to every member for opinion and the matter shall be disposed off in accordance with the decision of the majority:

Provided that where there is no opinion of majority on a matter and the members of the Board are equally divided, the Chairperson of the Board shall have a second or a casting vote.

(2) No act or proceedings of the Board shall be invalid merely for the reason of any vacancy in or any defect in constitution of the Board.

Chairperson to preside at meetings under sub-section (2) of section 17

32. (1) The Chairperson shall preside over all meetings of the Board, and if the Chairperson is, for any reason, unable to attend a meeting of the Board, any member nominated by the Chairperson in this behalf, and in the absence of such nomination, any other member elected by the members present from amongst themselves at the meeting, shall preside at the meeting.

(2) Every decision taken at the meeting of the Board shall be recorded in a Minutes Book, which shall be a permanent record.

Quorum of the meetings of the Board under sub-section (2) of section 17

33. No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third members are present:

Provided that if at any meeting less than one-third members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to another date informing members present and giving notice to the other members that he proposes to dispose off the business at the adjourned meeting whether there is a prescribed quorum or not and it shall thereupon be lawful for him to dispose of the business at the adjourned meeting irrespective of the number of members attending.

Appointment of officers and other staff of the State Advisory Board under sub-section (2) of section 17

34. (1) The State Government may appoint as many Gazetted officers of the state Government and such other staff, being in the service of the state Government, as it may think necessary to enable the Board to carry out its functions and duties.

(2) The remuneration payable to such officers and staff shall be such as may be decided by the State Government from time to time.

(3) The officers and staff appointed thereunder shall assist the Chairperson of the Board in convening meetings of the Board.

(4) The officers and staff appointed thereunder, may attend the meetings of the Board, but shall not be entitled to vote at such meetings.

(5) The officers and staff appointed thereunder, shall keep a record of the minutes of the meetings of the State Advisory Board.

(6) The officers and staff appointed thereunder, shall take necessary measures to carry out the decisions taken at the meetings of the Board.

Technical Committee or Advisory Committee of the State Advisory Board under sub-section (3) of section 17

35. (1) The State Government may constitute as many Technical Committees or Advisory Committees on the recommendation of the Board to assist the State Government or the State Advisory Board in discharge of their functions, as it deems fit.

(2) The Technical Committees may be multi-members committee, and consist of members from government, public, autonomous or private institutions/industries.

(3) The members of the committee shall have bachelor's degree in engineering with Diploma/Post graduate Diploma in industrial safety or Master's Degree in (Physics/Chemistry) or MBBS with Associate fellow of Industrial Health (AFIH), with experience of not less than 20 years in the relevant field/industry.

(4) The Chairperson of the Technical Committee shall be the ex-officio member as nominated by the State Government.

(5) The Technical Committee may constitute sub-committees to meet the specific requirements.

(6) The Technical Committee shall follow such rules and procedure including its transaction or the Board from time to time.

Allowances of non-official members of the Technical Committee or Advisory committee under sub-section (3) of section 17

36. Non-official members of the Technical Committee or advisory committee shall be entitled for the same travelling and dearness allowances as the non-official members of the Board are entitled to receive.

Functions of Technical Committees or Advisory committee under sub-section (3) of section 17

37. (1) The Technical Committees or Advisory Committee shall frame, formulate and review standards, rules and regulations on Occupational Safety, Health and Working Conditions under the Code.

(2) The Technical Committee shall meet regularly on need basis and not less than once in a six month.

Resignation of members and vacancies of technical committee or Advisory committee under sub-section (3) of section 17

38. (1) A member of the Technical Committee or Advisory Committee not being an *ex-officio* member, may resign his office by a letter in writing addressed to the State Government through the Chairperson of the Technical Committee or Advisory Committee.

(2) A Chairman of the Technical Committee may resign his office by a letter in writing addressed to the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Ministry of Labour and Employment, Government of Uttar Pradesh.

(3) The seat of such a member or Chairman as case may be shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted by the State Government, or on the expiry of thirty days from the date of receipt of the letter of resignation by the State Government, whichever is earlier.

Cessation of membership under sub-section (3) of section 17

39. If any member of the Technical Committee or Advisory Committee not being an *ex-officio* member, fails to attend two consecutive meetings of such Committee, without obtaining the permission of the Chairperson of such Committee for such absence he shall cease to be a member of such Committee:

Provided that the State Government may, if it is satisfied that such member was prevented by sufficient cause from attending two consecutive meetings, direct that such cessation shall not take place and on such direction being made, such member shall continue to be a member of such Committee.

Disqualification for membership under sub-section (3) of section 17

40. (1) A person shall be disqualified for being a member of the Technical Committee —

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or

(b) if he is an undischarged insolvent; or

(c) if he has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude.

(2) Where a question arises as to whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the State Government shall decide such question, should be treated as final.

Removal from membership under sub-section (3) of section 17

41. The State Government may remove any member or Chairman of the Technical Committee, if in its opinion such member has ceased to represent the interest which he purports to represent on such Committee:

Provided that no such member shall be removed unless a reasonable opportunity is given to him of making a representation against the proposed action under this rule.

Collection of statistics and registration portal for inter-state migrant workers under section 21

42. (1) Every employer shall submit the details of occupational safety and health statistics to the State Government, as well as to the office of Director General, Labour Bureau, electronically on such portal in such form and manner as may be prescribed by the Central Government from time to time.

(2) Every inter-state migrant worker, whether employed or self-employed in the state of Uttar Pradesh shall get himself registered on the portal specified for this purpose.

Constitution of safety committees under section 22

43. (1) In every establishment, a Safety Committee shall be constituted where-

(a) two hundred fifty employees or more are ordinarily employed; or

(b) any process or operation declared to be dangerous under section 82 is carried on; or

(c) a Hazardous Process as defined under section 2(1)(za) or handling of hazardous substance is carried on; or

(d) major accident hazard factories are involved.

(2) The representatives of the management in the Safety Committee shall include-

(a) The employer shall be the Chairman of the Safety Committee; and

(b) A senior official who by virtue of position in the organization can contribute effectively to the functioning of the Committee, shall be the Deputy Chairman; and

(c) A Safety Officer, wherein appointed under these rules , or any other responsible person shall be the Member-Secretary of the Committee; and

(d) Medical officer of the establishment- Member; and

(e) Three representatives, one each from the production, maintenance and purchase departments; and

(f) Number of representatives of workers shall not be less than the number of representatives of employer. Representatives of workers shall be chosen by registered trade union associated with the establishment through general consensus amongst them or through election. In such establishments, where there is no registered trade union, then representatives of workers shall be chosen by workers themselves on the basis of general consensus basis or election:

Provided that proper representation shall be given to women in formation of such safety committee.

(3)The tenure of the Safety Committee shall be for a maximum period of three years:

Provided that in case of any exigency an extension of 6 months can be given with concurrence of two third of the members.

(4) The constitution of safety committee shall be communicated electronically to concerned Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction.

(5) The Safety Committee shall meet as often as necessary but at least once in every quarter. The minutes of the meeting along with follow-up action plans shall be recorded in a register and shall be produced to the Inspector-cum-Facilitator on demand. A copy of minutes of such meeting shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction electronically or otherwise .

(6) the Safety Committee shall have the right to be adequately and suitably informed of –

(a) Potential safety and health hazards to which the employees may be exposed at work place.

(b) Data on accidents as well as data resulting from surveillance of the working environment and of the health of employees exposed to hazardous substances so far as the factory is concerned:

Provided that the Committee shall undertake to use the data on measures to improve the working environment and the health and safety of the employees.

Functions and duties of safety committee under sub-section (1) of section 22

44. (1) Functions and duties of the Safety Committee shall include-

(i) assisting and cooperating with the management in achieving the aims and objectives outlined in the 'Health and Safety Policy' of the establishment; and

(ii) dealing with all matters concerning Health, Safety and Environment and to arrive at solutions to problems encountered; and

(iii) creating safety awareness amongst all employees; and

(iv) undertaking educational, training and promotional activities; and

(v) discussing reports on safety, environment and occupational health

surveys, audits, risk assessment, emergency and disaster management plans and implementation of the recommendations made in the reports; and

(vi) carrying out health and safety surveys and identify causes of accidents; and

(vii) looking into any complaint made on the likelihood of an imminent danger to the safety and health of the employees and suggesting corrective measures; and

(viii) reviewing the implementation of the recommendations made by it; and

(ix) to discuss the report of inquiry into accidents, dangerous occurrences *etc.* and make appropriate recommendations; and

(x) to formulate and implement appropriate safety campaigns based on analysis of accidents and dangerous occurrences; and

(xi) to serve as a forum for communication on Safety and Occupational Health matter; and

(xii) to discuss the Standard Operating Procedures prepared for different operations.

(2) Where owing to the size of the establishment, or any other reason, the functions referred to in sub-rule (1) cannot be effectively carried out by the Safety Committee, it may establish sub-committees as may be required to assist it:

Provided that in any establishment wherein more than one thousand employees are ordinarily employed, not less than two sub-committees shall be formed department-wise or otherwise and an employee of the rank of departmental head shall be the head of the sub-committee. The minutes of meeting shall be shared with the member secretary of the Safety Committee.

Appointment of safety officers under sub-section (2) of section 22 and clause (zzq) of sub-section (2) of section 133

45. (1) In every establishment which is a-

(a) factory wherein five hundred workers or more; or

(b) factory carrying on hazardous process wherein two hundred fifty workers or more; or

(c) building and other construction work wherein two hundred and fifty workers; or

(d) major Accident Hazard installation; or

(e) factory manufacturing sulfuric acid not less than one safety officer shall be appointed by the employer:

Provided that, -

(i) for an establishment specified in clause (a), one additional safety officer shall be appointed if number of workers employed are more than one thousand but not exceeding one thousand five hundred and one more safety officer shall be appointed for every additional one thousand workers or part thereof;

(ii) for an establishments specified in clause (b), clause (c), clause (d) and clause (e) one additional safety officer shall be appointed if number of workers employed are more than five hundred but not exceeding one thousand and one more safety officer shall be appointed for every additional one thousand workers or part thereof.

(2) The occupier of the factory or employer of building or other construction establishment, as the case may be, shall inform the concerned Chief Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction and the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction about the appointment of the Safety Officer or Chief Safety Officer within seven days from such appointment.

Qualifications of Safety Officer under sub-section (2) of section 22

46. A person shall not be eligible for appointment as a Safety Officer unless he-

(1) (a) possesses a degree in any branch of Engineering or Technology from a University established by law and has had practical experience of working in a factory in a supervisory capacity in production or maintenance or Safety Department for a period of not less than two years; or

(b) possesses a degree in Physics or Chemistry from a University established by law and has had practical experience of working in a factory in a supervisory capacity in production or maintenance or Safety Department for a period of not less than five years; or

(c) possesses a diploma in any branch of Engineering or Technology recognized by the State Government and has had practical experience of working in a factory in a supervisory capacity in production or maintenance or safety department for a period of not less than five years; or

(d) possesses a recognized degree in any branch of Engineering or Technology, and has had experience of not less than two years in a department of the Central or the State Government in relation to the administration under any Act or Code which deals with health and safety of workers in a factory or building or other construction works; or

(e) possesses a recognized degree in any branch of Engineering or Technology, and has had at least five years' experience of working in institutions dealing with training, education, consultancy or research in the field of accident prevention in industry or in any institution; and

(2) possesses a degree or diploma in Industrial Safety recognized by the State Government in this behalf or from any Labour Institute under Directorate General Factory Advice Service and Labour Institute (DGFASLI):

Provided that any person, who has an experience of at least two years, not below the capacity of Assistant Director (related with health and safety of workers) in any State or Central Government shall be exempted from such qualification; or

(3) possesses a B.Tech or M.Tech degree in health, safety and environment or fire engineering or any other equivalent qualification granted by any university duly established by law:

Provided further that Chief Inspector-cum-Facilitator may relax the qualifications in respect of sub-rule (2) and (3) with the conditions and reasons in writing, for any establishment or a class of establishments of non-hazardous in nature.

Duties, and other conditions of Safety Officer under sub-section (2) of section 22

47. The duties of the Safety Officers shall be to advise and assist the factory management in the fulfilment of its obligations, statutory or otherwise, concerning prevention of personal injuries and maintaining a safe working environment. These duties shall also include the following, namely—

(a) to advise the departmental heads, supervisors and other such officers in planning and organising measures necessary for the effective control of personal injuries;

(b) to advise on safety aspects in all job studies, and to carry out detailed job safety studies of selected jobs.

(c) to check and evaluate the effectiveness of the action taken or proposed to be taken to prevent personal injuries;

(d) to advise the personnel of store purchase department in ensuring high quality and availability of personal protective equipment's *etc*.;

(e) to advise on matters relating to carrying out plant safety inspections;

(f) to carry out plant safety inspections in order to observe the physical conditions of work and the work practice procedures followed by the employees and to render advice on measures to be adopted for reducing the unsafe physical conditions and preventing unsafe conditions by employees;

(g) to render advice on matters relating to reporting and investigation of industrial accidents and diseases;

(h) to investigate fatal and serious accidents and to suggest remedial measures to the management;

(i) to investigate the reportable cases of industrial disease contracted and dangerous occurrences;

(j) to advise on the maintenance of such records as are necessary relating to accidents, dangerous occurrences and industrial diseases;

(k) to promote setting up of Safety Committees and to act as an adviser and catalyst to such committees;

(l) to organise in association with the concerned department, campaign, competitions, contests and other activities which will develop and maintain the interest of the employees in establishing and maintaining safety conditions of work and procedure;

(m) to design and conduct either independently or in collaboration with the organisations, departments imparting industrial safety training, suitable training and educational programme for the prevention of personal injuries and to hold safety seminars at least once in a year;

(n) to prepare an annual report of accidents and industrial diseases suggesting their remedial measures and to put it up before the annual meeting of the Board of Directors;

(o) to submit a quarterly report electronically or otherwise to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction through his employer in respect of the works in promoting safety, health, hygiene and better working conditions of workers in the establishment conducted by the Safety Department for the previous quarter; and

Prohibition of performances of other duties under sub-section (2) of section 22

48. (1) No Safety Officer shall be required or allowed to do any other work which is inconsistent with or detrimental to the performance of his duties specified in these rules.

(2) The employer of the establishment shall provide each Safety Officer with such facilities, equipments and information as are necessary to enable him to discharge his duties effectively.

CHAPTER-V

HOURS OF WORK AND LEAVE WITH WAGES

Daily and weekly working hours under clause (b) of sub-section (1) of section 25

49. (1) No worker shall be required or allowed to work in an establishment for more than 48 hours in any week.

(2) The period of work of a worker shall be so arranged that inclusive of intervals for rest, shall not spread over for more than ten and a half hours in a day:

Provided that the State Government may by notification in the Official *Gazette* increase the spread over up to 12 hours inclusive of his intervals for rest in respect of any group or class or description of establishment on such conditions as it may deem expedient under section 25.

(3) The periods of work of workers in an establishment each day shall be so fixed that no period shall exceed five hours and that no worker shall work for more than five hours before he has had an interval of rest of at least half an hour.

(4) The working hours in a day may be notified by the State Government, subject to sub-rules (1), (2) and (3), so that the total number of working hours in a week shall be so fixed and followed.

Weekly day of rest under sub-section (2) of section 26 and 135(2)(za)

50. (1) For the purpose of section 26, there shall be posted up in a conspicuous place outside the office of every establishment, a notice showing the weekly day of rest.

(2) Where the weekly day of rest is not the same day for all persons employed in the establishment, the notice shall show the day of rest allowed to each relay, or set of persons or individual.

(3) No worker shall be required or allowed to work in an establishment on the first day of the week (hereinafter referred to as the said day), unless he has or will have a holiday for a whole day on one of the three days immediately before or after the said day:

Provided that no substitution shall be made which will result in any employee working for more than ten days consecutively without a holiday for a whole day:

Provided further that factory or a part of factory or a class of factories which comes under the purview of continuous process factory as set out in Schedule-II shall be allowed to work on daily basis and the first day of week of groups of workers may be different for the purpose of weekly holiday.

(4) Where, in accordance with the provisions of sub-rule (3), any worker works on the said day and has had a holiday on one of the three days immediately before it, that said day shall, for the purpose of calculating his weekly hours of work, be included in the preceding week.

(5) For the purpose of shift changing of a worker; a holiday of 24 consecutive hours shall be insured between the shifts subject to section 28.

(6) The compensatory days of rest shall be so spaced that in any one week not more than two such days shall be allowed to any person.

(7) Inspector-cum-Facilitator of jurisdiction, subject to the control of Chief Inspector-cum-Facilitator, may approve, in writing, any other day as the first day of week for any particular area or a class of establishments.

(8) The State Government or subject to the control of the State Government the Chief Inspector-cum-Facilitator, for reasons specified in writing, may issue the notifications or office order for weekly holiday and/or duration of work for any establishment or class of establishment other than a factory and may exempt sub-rule (3) subject to the provisions of section 26.

(9) A notice of substituted day for the said day shall be delivered to the Inspector-cum-Facilitator electronically or otherwise prior to the substituted day or said day, whichever is earlier in case of a factory. The Manager shall keep record of such substituted holiday.

(10) Notices given under sub-rule (2) may be cancelled by a notice delivered at the office of the Inspector-cum-Facilitator and a notice displayed in the factory not later than the day before the said day or the holiday to be cancelled, whichever is earlier.

(11) In addition to the weekly day of rest under this rule and annual leave with wages admissible under the Code, the State Government may, by notification, provide for eight holidays with wages in a calendar year for any establishment, class of establishments, or all establishments, subject to such conditions as may be specified therein:

Provided that where a worker engaged in a continuous process establishment is required to work on any such holiday, such worker shall be granted compensatory leave with wages within such period as may be specified, not exceeding one month.

Compensatory holidays under sub-section (3) of section 26

51. (1) The compensatory holidays to be allowed under sub-section (3) of section 26 of the Code shall be so spaced that not more than two compensatory holidays are given in one week.

(2) The manager of the establishment shall display, on or before the end of the month in which holidays are lost, a notice in respect of workers allowed compensatory holidays during the following month and of the dates thereof, at the place at which the notice of periods of works prescribed under section 26 is displayed. Any subsequent change in the notice in respect of any compensatory holiday shall be made not less than three days in advance of the date of that holiday.

(3) Any compensatory holiday or holidays to which a worker is entitled shall be given to him before he is discharged or dismissed and shall not be reckoned as part of any period of notice required to be given before discharge or dismissal.

Extra wages and conditions for overtime under section 27

52. (1) Where, in an establishment, a worker works for more than eight hours in any day or for more than forty-eight hours in any week, as the case may be, he shall in respect of such overtime work be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages and shall be paid at the end of each wage period.

(2) In calculating overtime on any day, a fraction of an hour between 15 to 30 minutes shall be counted as 30 minutes and in case of more than 30 minutes it shall be rounded and shall be counted as an hour on actual basis.

(3) In calculating the wages or earnings in the case of a worker paid by the month, the daily wages shall be 1/26th of his monthly wages; and in the case of any other worker it shall be the daily wages or earnings, as the case may be.

(4) Workers may be allowed to work on overtime for more than the normal hours of work subject to following circumstances and conditions, namely:-

(a) urgent repairs;

(b) work in the nature of preparatory or complimentary work;

(c) work which is necessarily so intermittent that the intervals during which they do not work while on duty ordinarily amount to more than the intervals for rest;

(d) work which, for technical reasons, must be carried on continuously;

(e) engaged in making or supplying articles of prime necessity which must be made or supplied every day;

(f) engaged in a process which cannot be carried on except during fixed seasons;

(g) engaged in a process which cannot be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces;

(h) engaged in an engine-rooms or boiler-houses or in attending to power-plant or transmission machinery;

(i) engaged in process on account of the break-down of machinery;

(j) engaged in the loading or unloading of railway wagons or lorries or trucks;

(k) exceptional press of work; and

(l) engaged in any work, which is notified by the State Government in the Official *Gazette* as a work of public importance.

(5) A worker may be allowed to work overtime in any working day subject to the following conditions-

(a) there shall be no overlapping of shifts for such hour of overtime in case of a factory;

(b) the worker shall be intimated in writing or electronically for such hours of overtime before he starts working for such hours and he shall be handed over the overtime slip in duplicate signed by the manager or the authorized person stating the period and duration of work for the day;

(c) a worker shall not be allowed to work on overtime more than 5 days at one stretch;

(d) employer shall ensure that such extra hour will not affect the health and safety of workers adversely owing to engagement in dangerous operations or hazardous processes in case of a factory;

(e) consent of worker for overtime shall be taken, in writing;

(f) overtime is allowed for urgent work to be done to machinery or plant or else, or in case of "*force majeure*" , or preparatory or complementary work which requires such extra time in case of a factory.

(6) Total number of hours of work in any day shall not exceed ten hours.

(7) The period of work of a worker shall be so arranged that inclusive of his intervals for rest, shall not spread over for more than twelve hours in a day:

Provided that total number of hours of overtime shall not exceed one hundred and fifteen hours in any quarter of a year which may be extended up to one hundred and forty four hour with the prior approval of the State Government for any class of establishment.

Circumstances where double employment is allowed under section 30

53. A part time worker/employee in a factory may be allowed to work in another establishment in any category of work notified by the State Government subject to the following conditions, namely :-

(a) separate attendance register shall be maintained;

(b) *pro-rata* basis leave and other amenities shall be provided;

(c) provisions of the Code and rules related to working hours, spread hours, weekly holiday and overtime shall remain applicable:

Provided that the State Government may, by notification, add any category of worker and conditions for double employment.

Notice of period of work under sub-section (2) of section 31

54. (1) Workers working in a shift system shall be rotated suitably. The period of work of workers operating in a single shift shall also be fixed. Such periods of work shall be notified to Inspector-cum-Facilitator electronically or otherwise.

(2) Notice of period of work for the adult workers shall be in Form-13 in accordance with the provisions of the Code and rules and it shall be displayed at conspicuous place in the establishment at or near the main entrance and such notice shall be intimated to Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction electronically. It shall also be kept updated under the provisions of section 31 of the Code.

(3) The notice as mentioned in sub-rule (2) above shall clearly indicate for every day, the period during which an adult employee may be required to work.

(4) No person shall be allowed to work in an establishment otherwise than in accordance with sub-rule (2):

Provided that if a person or persons are working on over time, the period of such hour and such employee shall be displayed duly signed by manager at a conspicuous place.

(5) Any proposed change in the system of work in any establishment, which will necessitate a change in the notice referred to in sub-rule (2), shall be displayed on the notice board after getting previous sanction of Inspector-cum-Facilitator.

(6) No adult worker shall be required or allowed to work in any establishment otherwise than in accordance with the notice of periods of work for adults displayed in the factory and the entries made beforehand against his name in the registers of adult workers of the establishment.

CHAPTER-VI

MAINTENANCE OF REGISTERS, RECORDS AND RETURNS

Maintenance of registers and records under section 33

55. (1) Employer of every establishment shall maintain electronically or otherwise, the records, registers, testing certificates, examinations, forms, reports, licences and No Objection Certificates as prescribed in the Code or rules. These shall be readily available within the premises of the establishment.

(2) In case of manual registers and other records, the same shall be be legibly entered in ink in Hindi/English or the language easily understood by majority of the persons employed.

(3) All registers and records shall be preserved by the employer in original for a period of five calendar years from the date of the last report or entry made therein:

Provided that when the original record is lost or destroyed before the expiry of one year, true copies thereof, if available, shall be preserved for the prescribed period;

Provided further that all the registers and records shall be maintained by the employer in such matters where any case is pending before any authority or before any competent Court, till the final disposal of such cases and the execution of the orders.

(4) Every employer shall produce all registers and records electronically or by registered post or manually on demand, before the Inspector-cum-Facilitator or the Chief Inspector-cum-Facilitator or any person authorised in this behalf by the State Government.

Leave Book under section 32 and section 33

56. (1) The employer or manager shall provide each employee with a book in Form-14 hereinafter called the "Leave Book" under the provisions of section 32.

(2) The leave book shall be the property of the worker and the Manager or his agent shall not demand it except to make entries of the dates of leave or interruption in service and shall not keep it for more than one week at a time. Workers shall submit the leave book when required by the manager within three days.

(3) If a worker loses his Leave book, the manager shall provide him with another copy on the payment of rupees ten, subject to the provisions of section 21 of the Code on Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019) and shall complete it from his record.

Leave with wages under section 32 and section 33

57. The employer or manager shall keep a register for every employee in Form-15 hereinafter called the 'Leave With Wages Register', under the provisions of section 32 of the Code, which shall be filled weekly, or fortnightly or at least once a month.

Overtime register under section 33

58. (1) The employer or manager shall maintain a register for the overtime work of worker under the provision of section 27 of the Code in such format as prescribed under the Uttar Pradesh Code on Wages Rules, 2026 for this purpose.

(2) Any work done by a worker beyond the normal specified periods of work, shall be entered in the overtime slips in duplicate indicating therein the actual period of overtime worked by him. A copy of such overtime slip duly signed by the manager or by a person duly authorised by him in that behalf, shall be given to the workers immediately after completion of overtime work:

Provided that if Inspector-cum-Facilitator or the Officer appointed under section 111 of the Code is satisfied that because of the nature of work carried out in the establishment, it is not possible to issue daily slips to the workers, he may permit issue of weekly slips to the workers on the recommendation of Inspector-cum-Facilitator.

(3) The Overtime Slip shall be maintained in the following and format it may also be issued electronically :-

Overtime Slip

Name and address of the establishment
Name and designation of the worker
Date of work and normal period of work
Overtime period and duration in hours
Work performed on overtime
Signature of the Manager/Authorised person

Register of workers under clause (v) of sub-section (a) of section 33

59(1) The manager or employer of every establishment shall maintain a register of workers, when any work is being carried on in the factory, showing,

(a) the name of each employee in the factory;

(b) the nature of his work;

(c) the group, if any, in which he is included;

(d) where his group works on shifts, the relay to which he is allotted;

(e) such other particulars as may be prescribed.

(2) No workers shall be required or allowed to work in any establishment unless his name and other particulars have been entered in the Register of workers.

(3) The register of workers or attendance register shall be maintained in Form-6.

(4) This register shall be produced or shown on demand by an Inspector-cum-Facilitator or the Medical Officer. The employer or manager shall be responsible for the production of the register on such demand, irrespective of the fact whether he is present or not in the establishment during an inspection.

(5) A register for adolescent workers, employed if any, shall also be maintained separately in Form-6 and shall be labeled as "Attendance Register of Adolescent Workers".

(6) If any person is found in a factory at any time other than during meal or rest intervals, when work is in progress or machinery is in operation, then, unless the contrary is proved, he shall be deemed to be employed in the factory at that time for the purposes of the Code and the rules made thereunder.

Accident Register under section 10, section 11 and section 33

60. The employer or manager of every establishment shall maintain a register of all accidents and dangerous occurrences, which occur in the establishment as prescribed under rule 15 and 16 of these rules respectively under the Code, in a register in Form-16.

Wage slips and payments under section 33 and the provisions of Code on Wages, 2019

61. (1) Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise, to the workers in such form, as prescribed, by the rules made by the appropriate Government under the Code on Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019) on or before the payment of wages.

(2) The wage slip for the payment of overtime work shall be separate from that of regular wage and overtime hours worked by the worker shall be mentioned in it.

Return under section 33

62. The Employer or Manager of every establishment shall furnish electronically or otherwise to the concerned Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction and any other officer or officers specified by the State Government by general or special order the following returns namely :-

(a) on or before January 31, every year an Annual Return in the Form-17;

(b) on or before July 31, every year, a Half-Yearly Return in case of a Major Accident Hazard installation for the period of January 1 to June 30 in the Form-18:

Provided that in the case of an establishment in which work is carried on only during a certain season or seasons of the year, the employer or manager shall submit the return within fifteen days after the closure of that season or last of these seasons, as the case may be.

Display of notices under section 33

63. (1) In addition to the notices required to be displayed in any establishment by or under this Code or rule, there shall be displayed in every establishment a notice containing such abstracts of the Code, notifications and rules of Central Government prescribed for health, safety and welfare provisions under section 18, section 23 and section 24 and such abstract with salient points shall not contain less than 2000 words. The name and office address of the concerned Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction, shall also be displayed.

(2) All notices required by or under this Code to be displayed in an establishment shall be in Hindi and English and shall be displayed at some conspicuous and convenient place, at the notice board and at or near the main entrance of the factory, and the same shall be maintained in a clean and legible condition.

(3) The Chief Inpector-cum-Facilitator may, by order in writing served to the employer or the manager of any factory or building or other construction work, require that there shall be displayed in the factory any other notice or poster relating to the health, safety or welfare of the workers in the factory.

(4) Every employer and manager shall display a painted sign board, with conspicuous letters written in white or luminous paint of any color at the main entrance of every establishment in such a manner which is visible from outside stating the following particulars:

(a) registration or License number of the establishment;

(b) name of the establishment;

(c) address of the establishment (giving plot no, locality, street no., pin code *etc*.);

(d) name of the employer;

(e) name of the manager.

Payment of wages if the worker dies and nomination form under clause (zzq) of sub-section (2) of section133

64. (1) Where a worker dies before he resumes work, the balance of his pay, due for the period of leave with wages not availed of, shall be paid to his nominee within one month of the receipt of intimation of the death of the worker in accordance with clause (vi) of sub-section (1) of section 32 of the Code.

(2) Each worker shall submit a nomination in Form-19, duly signed by him and attested by two witnesses. The nomination shall remain in force until it is revised or cancelled by another nomination.

Production of registers

65. (1) The employer, owner or manager of an establishment shall furnish any information that an Inspector-cum-Facilitator may require for the purpose of satisfying himself of whether any provision of the Code has been complied with or whether any order of an Inspector-cum-Facilitator has been duly carried out. Any demand carried out by an Inspector-cum-Facilitator for any such information, if made, during the

course of an inspection shall be complied forthwith if the information is available in the establishment, or, if made in writing, shall be complied with within fifteen days of receipt thereof.

(2) All registers, forms, certificates, records required to be maintained under the Code and rules shall be preserved for at least a period of five years to which they relate, including the records of testing and medical examination of workers.

(3) Medical records of employees who contracted any notifiable disease or had been declared unfit or suffered from any occupational disease or accident shall be preserved for seven years.

CHAPTER-VII

INSPECTOR-CUM-FACILITATOR AND OTHER AUTHORITY

Qualification and experience for the post of Chief Inspector-cum-Facilitator under sub-section (5) of section 34

66. The qualification and experience for the post of Chief Inspector-cum-Facilitator for various establishments under the Code shall be as follows:-

(1) **For factories:** The qualification and experience for the post of Chief Inspector-cum-Facilitator as prescribed for the post of Director of Factories under the Uttar Pradesh Inspector of Boilers and Factories Service Rules, 1980.:

Provided that if the post of Director of Factories is lying vacant, the State Government may relax the duration of experience prescribed under the above rules for the purpose of promotion to, or holding charge of, the post of Director of Factories subject to suitability of the person.

(2) **For establishments other than factories:** The qualification and experience for the post of Chief Inspector-cum-Facilitator as prescribed for the post of Additional Labour Commissioner, Enforcement Headquarter as per Uttar Pradesh Labour Service Rules, 1991. : Further provided that, in respect of provisions related to health and safety , the power of Chief Inspector-cum-Facilitator shall be exercised by the officer as prescribed in clause (1) of the rule.

Powers of Inspector-cum-Facilitator under clause (iv) of sub-section (1) of section 35

67. An Inspector-cum-Facilitator shall for the purpose of clause (iv) of sub-section (1) of section 35 of the Code, have power to do all or any of the following things, with respect to plantation namely:–

(a) to photograph any child worker; take samples to inspect, examine, measure; take copies of any relevant document, photograph, sketch or test, as the case may be, any house, building or room, or anything provided for the purpose of securing the health or welfare of the workers employed in a plantation and inspect or take copies any register or document to maintained under the Code and these rules;

(b) to require an employer to supply or send any return or information relating to the provisions of the Code or rules made thereunder;

(c) to satisfy himself at each inspection that,–

(i) the provisions of the Code and the rules regarding the health and welfare of workers employed in the plantation are observed;

(ii) the adolescents employed in the plantation have been granted certificates of fitness and that no adolescent is employed who is unfit;

(iii) the prescribed registers and records are properly maintained under Code on Wages, 2019 and the Occupational Safety, Health and working Conditions Code,2020 ;

(iv) the periods of rest and holidays provided by the Code are granted and that the limits of hours of work laid down therein are not exceeded;

(v) the notice of period of work required is duly affixed;

(vi) leave with wages and sickness and maternity benefits are granted in accordance with the provisions of the Code and other labour laws in force;

(vii) to note how far the defects pointed out in the previous inspections have been removed and how far orders previously issued have been complied with; and

(viii) to point out all such defects or irregularities as he may have observed and to give orders for their removal and to record and furnish to the employer a summary of the defects or irregularities and of his orders.

Powers of Inspector-cum-Facilitator under clause (xiv) of sub-section (1) of section 35

68. (1) An Inspector-cum-Facilitator shall, for the purposes of the execution of the Code and Rules, have power to do all or any of the things specified in section 35 of the Code:

Provided that the powers of the public officers, who are not appointed for the post of Inspector of Factories in the Uttar Pradesh Inspector of Boilers and Factories Service Rules, 1980 as amended time to time) as are appointed to Inspector-cum-Facilitator under section 34 or otherwise shall not carry out administration of the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 6, section 10, section 11, section18, section 22, section 26, section 31, sub-section (d) of section 33, section 37, section 43, Part VII of Chapter XI of the Code in factories and establishments relating to building or other construction work. Other provisions related to safety and health under the code and rules made thereunder In respect of establishments other than above, powers relating to health and safety may be exercised by the concerned inspector-cum- facilitator having regard to administrative feasibility, as may be determined by the State Government by order in writing.

(2) The Inspector-cum-Facilitator shall keep a file of the records of inspections, enquiries, orders and compliances thereof.

(3) The Inspector-cum-Facilitator may, as he deems necessary, issue prohibition order or improvement notice after inspection in the Form-20 pointing out the non-compliance of provisions of safety, health and working conditions under the Code, and rules and regulations framed thereunder, to the employer or occupier of the establishment:

Provided that after receiving such order or notice, the employer/ occupier shall ensure that the contraventions mentioned under the said order/ notice are complied with and he shall send a request to concerned Inspector-cum-Facilitator to verify the establishment:

Provided further that after receiving such request the Inspector-cum-Facilitator may, if he thinks to be appropriate, verify the establishment and if he finds that the contraventions observed by him in the aforesaid order or notice are not complied with, he shall start the process of compounding of such offence, if such violation is compoundable, or he shall send a report to a person one rank above the inspecting officer not below the rank of deputy labour commissioner or deputy director of factories or Chief Inspector- cum-Facilitator, as the case may be, for sanctioning the prosecution and upon receiving the approval of the prosecution, he shall launch the prosecution before Competent Court as per the provisions of the Code and the rules made thereunder.

Manner of taking sample under clous (x) of sub-section (1) of Section 35

69. (1) An Inspector-cum-Facilitator may, at any time during the normal working hours of an establishment occupier or manager of the establishment or the other person for the time being purporting to be in charge of the establishment take in the manner hereinafter provided a sufficient sample of any substance used or intended to be used in the establishment such use being;-

a. in the belief of the Inspector-cum-Facilitator, in contravention of any of the provisions of the Code or the rules made thereunder; or

b. in the opinion of the Inspector-cum-Facilitator likely to cause bodily injury to, all injury to the health of, employee in the establishment.

(2) Where the Inspector-cum-Facilitator takes a sample under sub-rule (1), he shall, in the presence of the person informed under that sub-rule, unless such person wilfully absents himself, divide the sample into three portions and effectively seal and suitably mark them, and shall permit such person to add his own seal and mark there to.

(3) The person informed as aforesaid shall, if the Inspector-cum-Facilitator so requires, provide the appliances for dividing, ceiling and marking the sample taken under this rule.

(4) The Inspector-cum-Facilitator shall –

a. forthwith give one portion of the sample to the person informed under sub-rule (1);

b. forthwith send the second portion to a Government Analyst for analysis and report thereon;

c. retain the third portion for production to Court before which proceedings, if any, are instituted in respect of the substance.

(5) Any document purporting to be a report under the hand of any Government Analyst, upon any substance submitted to him for analysis and report under this rule, may be used as evidence in any proceeding instituted in respect of the substance.

Duties Inspector - cum-Facilitator under clause (xiv) of sub-section (1) of section 35

70. (1) All Inspecting Officers, if requested by the employer or manager of the establishment, shall produce an authorized identification card issued electronically or otherwise.

(2) Identification cards shall be issued for Medical Officers appointed under section 42, by Director of Medical and Health Services or the Labour Commissioner, Uttar Pradesh or by their respective appointing authorities. For Inspector-cum-Facilitator, the Identification cards may be issued by the Labour Commissioner or the Chief Inspector-cum-Facilitator electronically or otherwise.

Third party Auditor under section 37

71. (1) The Chief Inspector-cum-Facilitator may recognize a third-party auditor or any institution electronically for the purpose of section 37.

(2) Third Party Auditor shall be of two types:-

(a) Labour Law Auditor who shall audit the establishment for provisions other than health, safety and welfare as defined under section 2 (1)(v) the code.

(b) Technical Occupational Health ,safety and welfare Auditor who shall audit the establishment as defined under section 2 (1)(w) and provisions of health, safety and welfare under section 2 (1)(v) of the Code.

(3) The following shall be the eligibility criteria for third party audit firms-

(a) the firm must be registered in India under a suitable legal framework such as the Companies Act, 2013, the Limited Liability Partnership Act, 2008, in must be a proprietorship, or partnership.

(b) the firm must be registered with the Labour Department;

(c) the labour law auditing firm must have qualified experience in labour laws, and the technical Occupational Safety and Health auditing firm must have experience in auditing under the Factories Act, 1948 and its related rules.

(4) third party labour law auditor or expert shall possess the following qualifications:-

Bachelor's Degree in Law and a minimum of 7 years of experience of labour laws;

or

Bachelor's Degree in Law and a minimum of 7 years of experience as a legal practitioner;

or

a retired Additional/Deputy/Assistant Labour Commissioner of the State of Uttar Pradesh or an equivalent Officer of the Central Government having minimum experience of 5 years in that capacity.

(5) A third party technical/Occupational Safety and Health ,auditor or expert shall possess the following qualification:-

(a) Degree in the branch of Chemical or Mechanical or Electrical or Civil or Production or Environmental or fire and safety Engineering from a recognized institution and having practical experience in manufacturing, maintenance or safety department in supervisory capacity or above in factories or in the field of occupational safety and health for a period of not less than ten years; or

(b) Diploma in branch of Chemical or Mechanical or Electrical or Civil or Production or Environmental or fire and safety Engineering and one year full time diploma in industrial safety from a recognized institution and have practical

experience in manufacturing, maintenance or safety department in the supervisory capacity or above in factories for a period of not less than twelve years; or

(c) a Degree in Bachelor of Science with Physics or Chemistry and one year full time diploma in industrial safety from a recognized Institution and having practical experience in manufacturing, maintenance or safety department of an establishment in supervisory capacity or above in factories for a period of not less than twelve years; or

(d) any equivalent of above four clauses in any combination: Provided that the decision of State Government with respect to equivalency of qualifications and experiences shall be final in case of any dispute. and

(e) a post graduate diploma in industrial safety and health from an Institution recognized by State Government:

provided that a person with qualification and experience prescribed in clause (d) shall be exempted from such requirement.

(6) The maximum age of the expert or Third party Auditor shall be 65 years: provided that the person above 60 years shall have to produce a medical fitness certificate for the purpose from a qualified medical practitioner.

(7) The empanelment of a Third party Auditor or expert shall not be for a period of more than 2 years at a time.

Manner of alternative employment under sub- clause (d) of clause (A) of sub-section (1) of section 38

72. (1) It shall be the duty of the occupier to provide alternative employment to any person whose employment has been affected by an order under sub-clause (a) of clause (A) sub-section (1) of section 38, if any other establishment of the same employer exists within the radius of one hundred kilometers.

(2) The alternative employment may be offered only when the period of employment affected by the order is fifteen days or more.

(3) Such persons shall be given notice at least three days before the actual date of such order.

(4) The wages and other facilities shall not be affected to the detriment of such person.

Qualification of Medical officer under section 42

73. (1) A medical practitioner must possess the following qualifications to be appointed as a Medical Officer in relation to a factory, building or other construction work, plantation, motor transport undertakings and in any other establishments:–

a. must hold any recognized medical qualification as defined in the National Medical Commission Act, 2019, (Act No. 30 of 2019) and should be enrolled on the National Register as defined in clause (m) of section 2 or on the State Register as defined in clause (v) of section 2 of the aforesaid Act; and

b. must possess a Certificate of Training in industrial health of minimum three months duration recognized by the State Government or should possess a diploma in Industrial Health or equivalent in case of factories or building and other construction works carrying out hazardous process or dangerous operation.

(2) No person shall be appointed, to be, or authorised to exercise the powers of a Medical Officer, or having been so appointed or authorised, continue to exercise such powers, who is or becomes the occupier of a factory or is or becomes directly or indirectly interested therein or in any process or business carried on therein on in any patent or machinery connected therewith or is otherwise in the employee of the factory:

Provided that the State Government may, by order in writing and subject to such conditions as may be specified in the order, exempt any person or class of persons from the provisions of this sub-rule in respect of any factory or class or description of factories.

Types of establishments dangerous occupations or prodesses where medical officer shall perform his duties under section 42

74. (1) Medical officer shall carry out examination and furnish report as State Government may direct,-

(a) for examination and certification of workers in an establishment in such dangerous occupation or processes as specified in the First schedule to the Code;

(b) for medical supervision of any establishment or class of establishment where cases of chronic occupational illness have occurred due to arduous nature of any process carried on or hazardous condition of work;

(c) in respect of any establishment or class of establishment or description of establishment in which operations involved in risk of injury to the health of any person or class or persons employed therein;

(d) to undertake occupational health survey for any or class of any establishment, where cases of illness have occurred or there is prevalence of disease as prescribed in Third Schedule to the Code;

(2) The Medical Officer shall, upon demand by the Chief Inspector-cum-Facilitator or an Inspector-cum-Facilitator carry out such examination and furnish him with such report as he may indicate, for any factory or class or description of factories where,-

(a) cases of illness have occurred which it is reasonable to believe are due to the nature of the manufacturing process carried on, or other conditions of work prevailing therein; or

(b) by reason of any change in the manufacturing process carried on, or in the substance used therein, or by reasons of the adoption of any new manufacturing process or of any new substance brought into use in a manufacturing process, there is a likelihood of injury to the health of workers employed in that manufacturing process; or

(c) young persons are, or are about to be employed in any work, which is likely to detrimental to their health.

(3) Examination and certification of adolescents shall be done as may be required from time to time.

(4) Following shall be the dangerous operations or hazardous processes for the purposes of medical examination of workers who are engaged with, namely:-

(i) operations declared dangerous operations under section 82 of the Code;

(ii) factories carrying on hazardous process as per the First Schedule of the Code;

(iii) treatment of Biomedical waste;

(iv) sewerage treatment;

(v) solid waste management;

(vi) marble cutting;

(vii) ready mix concrete;

(viii) hot mix concrete;

(xi) such other occupation or process, as may be declared by the State/Central Government from time to time, to be dangerous operations.

(5) The Medical Officer may examine the persons employed in processes under sub-rule (3) and shall record the results of his examination in the Health Register in Form-7.

(6) If The Medical Officer finds as a result of his examination that any person employed in such process is no longer fit for medical reasons to work in that process, he shall recommend transfer such person from working in that process to a better environment for such time as he may think fit and no person after such recomondation shall be employed in that process without the written sanction of the Medical Officer in the Health Register.

(7) The manager of a factory shall afford to the Medical Officer facilities to inspect any process in which any person is employed or likely to be employed.

(8) The Medical Officer shall send the report/inspection report to Chief inspector-cum-Facilitator and the Inspector-cum- Facilitator having jurisdiction.

(9) The fee for a certificate or examination under this rule shall be specified by State Government by special or general order and it shall be paid by the employer.

Medical Examination and certification of adolescent under clause (c) of sub-section (2) of section 42 and safeguards for employment of adolescents under sub-section (2) of section 93

75. (1) The Medical Officer shall, on the application of any adolescent or his parent or guardian accompanied by a document signed by the employer of an establishment that such person will be employed therein, certify such adolescent to be fit for working in an establishment, or on the application of the employer of an establishment in which any adolescent wishes to work, examine such person and ascertain his fitness for work in that establishment.

(2) The Medical Officer, after examination, may grant to such adolescent, in Form-8, or may renew, a certificate of fitness to work in an establishment as an adolescent, if he is satisfied that the adolescent has completed his fourteenth year, has attained the prescribed physical standards and is fit for such work:

Provided that the Medical Officer may seek opinion of specialists like radiologist, dentist and orthopedic surgeon, as the case may be, for the purpose of determination of age of the adolescent:

Provided further that unless the Medical Officer has personal knowledge of the place where the adolescent proposes to work and of the manufacturing process in which he will be employed, he shall not grant or renew a certificate under this sub-rule until he has examined such place.

(3) A certificate of fitness granted or renewed under sub-rule (2),-

(a) shall be valid only for a period of twelve months from the date thereof;

(b) may be made subject to conditions with regard to the nature of the work in which adolescent may be employed, or requiring re-examination of the adolescent before the expiry of the period of twelve months.

(4) A Medical Officer shall revoke any certificate granted or renewed under sub-rule (2), if in his opinion, the holder of such certificate is no longer fit to work in the capacity stated therein in an establishment.

CHAPTER-VIII

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO EMPLOYMENT OF WOMEN

Special provisions relating to employment of women under section 43

76. The Women employees may be employed before 06:00 a.m. and beyond 07:00 p.m. in any establishment subject to the following conditions:-

(a) no women employee shall be bound to work without her consent taken in writing, before 06:00 AM and after 07:00 PM;

(b) the employer shall make necessary arrangements at the expense of the establishment for her transport from her residence to the establishment and back and he shall make an arrangement for a helpline number at visible common place;

(c) the employer shall provide for supper to all such female employees;

(d) employer shall ensure sufficient supervision during such working hours and journey thereof;

(e) employer shall ensure well maintained toilets, washrooms, changing rooms, drinking facilities, entry and exit points for women and he shall also ensure that passages to these amenities are well lit and near the workplace; and suitable provisions of closed circuit televisions (CCTV) surveillance on the way to these facilities shall be ensured by the employer;

(f) during night shifts not less than four women employees shall be allowed or required to work in the premises or a particular department;

(g) the employer shall intimate the arrangements proposed by him to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction in the area for verification, affording him a minimum period of seven days for such verification;

(h) the employer shall send a monthly report electronically or otherwise to the Inspector-cum-Facilitator under the Code about the details of women employees engaged during night shifts and shall also send express report whenever there is some untoward incident to the Inspector-cum-Facilitator and the local police station as well;

(i) the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction in the area shall enforce the safe working conditions of women employees and carefully take note of any non-compliance in their inspections from time to time;

(j) no women employee shall be employed against the maternity benefit provisions as laid down under the Code on Social Security, 2020 (Act No. 36 of 2020),

(k) additional paid leave may be permitted to the women employees during their menstruation period for the night shifts;

(l) employer shall take appropriate steps to prevent sexual harassment. The employer shall maintain a complaint mechanism in the establishment itself as prescribed in the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (Act No. 14 of 2013) or in any other related enactments;

(m) the women employees shall be made aware of their rights in particular by prominently displaying the guidelines as may be required;

(n) sanitary napkins of adequate quantity conforming to Indian standards shall be provided and maintained in the women's toilets for their use, and the same shall be replenished on daily basis.

(o) disposable bins with lids shall be provided within the women's toilets for the collection of the used napkins. The used napkins shall be disposed of as per the procedure approved by the Inspector-cum-Facilitator.

(p) dedicated telephone numbers of the establishment shall be displayed at conspicuous places both at the establishment as well as inside the vehicles, so that any woman employee can utilize them in case of any exigency or emergency.

Adequate safeguards for employment of women hazardous process or in dangerous operations under section 44

77. (1) Women workers may be employed in hazardous and dangerous operations with their consent.

(2) Women workers who are feeding mothers or pregnant shall be exempted from employment in hazardous and dangerous operations.

(3) All the measures as mentioned in the Code relating to hazardous process and dangerous operations shall be complied with by the occupier or employer, as the case may be.

(4) Women shall be well trained on their job and they shall be rendered knowledge about the hazardous properties of the substances being handled, stored or manufactured at their workplace and measures to overcome with the same.

(5) Women employed in hazardous process or dangerous operations shall be provided all the necessary personal protective appliances at the workplace, they are deployed.

CHAPTER-IX

SPECIAL PROVISIONS FOR CONTRACT LABOUR INTER-STATE MIGRANT WORKERS, AUDIO- VISUAL WORKERS AND BEEDI AND CIGAR WORKERS

PART I

CONTRACT LABOUR

Form and manner of granting Licence, modification and amendment to Contractor under sub-section (1) of section 48

78. (1) Every application by a Contractor for grant of licence regarding supply or engagement by contract labour or undertaking or execution of work through contract labour or modification or amendment of such licence shall be made electronically in Form-25 on the official portal of Government of Uttar Pradesh.

(2) Every application for the grant of a licence or modification or amendment thereof shall be accompanied by a certificate by the principal employer in Form-26, including particulars of information related to the employment of inter-state migrant workers, to the effect that the applicant has been employed by him as a contractor in relation to his establishment and that he undertakes to be bound by all the provisions of the Code and the rules made thereunder in so far as the provisions are applicable to him as principal employer in respect of the employment of contract labour by the applicant.

(3) The application shall be accompanied with a declaration of applicant that the information submitted by him for grant of licence or modification or amendment thereof is correct in all respects and he qualifies the requirement prescribed in rule 79.

(4) Fees to be paid for grant of such licence shall be as specified in the table below:-

TABLE OF FEES FOR CONTRACT LABOUR LICENCE

Sl.no	Number of workers employed by the contractor in the establishment	Amount of fees (in rupees)
(i)	Up to 49 contract worker	No licence is required
(ii)	Fifty or more than fifty but less than hundred workers	2500.00
(iii)	Hundred or more but less than two hundred fifty workers	5000.00
(iv)	Two hundred fifty or more but less than five hundred workers	12500.00
(v)	More than five hundred workers	25000.00

Provided that the State Government may amend the above Table of schedule of fee for contract labour licence by general or special order.

(5) The Contactor shall deposit the security amount calculated at the rate of rupees one thousand for each of the workman to be employed as a contract labour in respect of which application for licence has been made.

79. (1) Every contract labour licence granted by the portal shall be in Form-27.

Terms and conditions of licence and responsibilities of the contractor under clause (a) of sub-section (3) of section 47

(2) Every licence granted under sub-rule (1) shall Contractor contain the responsibilities of the and be subject to the following terms and conditions, namely:-

(a) the licence shall be non-transferable;

(b) the number of workmen employed as contract labour/migrant workmen in the establishment shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the licence;

(c) except as provided in the rules, the fees paid for the grant or, as the case may be, for renewal of the licence shall be non-refundable;

(d) the rates of wages payable to the workmen by the contractor shall not be less than the rates prescribed for the employment under the Minimum Wages Act, 1948 (Act no. 11 of 1948) or the Code on Wages, 2019 (Act no. 29 of 2019), where applicable, and where the rates have been fixed by agreement, settlement, award, or by the State Government, not less than the rates so fixed;

(e) the wage rates, holidays, hours of work and conditions of service of the workmen of the contractor shall be such as may be specified in this behalf by the concerned designated Authority;

(f) every contract labour/migrant worker shall be entitled to allowances, benefits, facilities *etc*. as specified in the Code and these rules;

(g) in every establishment where thirty or more women are ordinarily employed, there shall be provided two rooms of reasonable dimension for the use of their children under the age of six years. One of such rooms shall be used as a play room for the children and the other as bed room/ sleeping room for the children. For this purpose the contractor shall supply adequate number of toys and games in the play room and sufficient number of cots and beddings in the sleeping room. The standard of construction and maintenance of the creches may be such as may be specified in this behalf by the concerned designated Authority or having jurisdiction;

(h) the licensee shall notify any change in the number of workmen or the conditions of work to the Authority;

(i) a copy of the licence shall be displayed prominently at the premises where the contract work is being carried on;

(j) the contractor shall comply with all the provisions of the Code and these rules;

(k) the licensee shall, within fifteen days of the commencement and completion of each contract work, submit a return to the Authority designated under

section 46 of the Code intimating the actual date of the commencement or, as the case may be, completion of such contract work in Form-28;

(l) the Contractor or principal employer shall not appoint any contract worker in core activities as defined in section 2(p) except in cases specified in the proviso to sub-section (1) of section 57 of the Code.

Register of principal employers under sub-section (1) of section 48

80. A register of principal employers, to whom registration has been issued under these rules shall be maintained by the designated Authority in Form–4 electronically.

Register of contractors under sub-section (1) of section 48

81. A register of contractors to whom licences have been issued under these rules shall be maintained by the designated Authority in Form–29 electronically.

Matters to be taken into account in granting or refusing a licence under sub-section (2) of section 48

82. In granting or refusing to grant a licence, the licensing officer shall take the following matters into account, namely:—

(a) For the purposes of obtaining license, the contractor as an entity or as an individual shall not be an un-discharged insolvent or be convicted at any time during the last two years, of an offence which is liable for punishment for more than three months of imprisonment.

(b) whether there is an order of the Central or State Government or an award or settlement for the abolition of contract labour in respect of the particular type of work in the establishment for which the applicant is a contractor;

(c) whether any order has been made in respect of the applicant under sub-section (1) of Section 14 of the Contract Labour (Regulation and Abolition Act, 1970 (Act no 37 of 1970) or Section 51 of the Code, and, if so, whether a period of three years has elapsed from the date of that order;

(d) whether the fees for the application has been deposited at the rate specified; and

(e) whether security has been deposited by the applicant at the rates specified.

Refusal to grant licence under sub-section (2) of section 48

83. (1) On receipt of the application from the contractor, and as soon as possible thereafter, the licensing officer shall investigate or cause investigation to be made to satisfy himself about the correctness of the facts and particulars furnished in such application and the eligibility of the applicant for a licence.

(2) Where the licensing officer is of opinion that the licence should not be granted, he shall, after affording reasonable opportunity to the applicant to be heard, make an order rejecting the application.

(3) The order shall record the reasons for the refusal and shall be communicated to the applicant.

Manner of grant of licences under sub-section (2) of section 48

84. If the application for grant licence or its modification or amendment is complete in all respects, the licence shall be granted by the Authority in Form-27 electronically within such period as specified in the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (UP Act no 3 of 2011) failing which such application shall be deemed to have been granted the licence or amendment, and the certificate of licence or amendment shall be auto generated by the portal.

Refund of security deposit of sub-section (2) of section 48

85. (1) On expiry of the period of licence or after the completion of the work, the contractor may, if he does not intend to have his licence renewed further, make an application along with a no-objection certificate issued by principal employer in this regard, electronically to the Authority for the refund of the security deposited by him along with the copy of licence and notice of completion of work and bank details in which amount is required to be refunded.

(2) If the licensing authority is satisfied that there is no breach of the conditions of licence or there is no order for the forfeiture of security deposit or any portion thereof, he shall direct the refund of the security deposit to the applicant.

(3) If there is any order directing the forfeiture of any portion of contractor's security deposit, the amount to be forfeited shall be deducted from the security deposit, and balance, if any, shall be refunded to the contractor.

(4) Any application for refund shall, as far as possible, be disposed of within thirty days of the receipt of the application.

(5) Record of security amount deposited and refunded shall be maintained in Form–30 electronically by the Authority.

Fees for modification or amendment in license under sub-section (3) of section 48

86. If an application for amendment of licence is made for increasing the number of contract labour, the additional fees as prescribed in sub-rule (4) of Rule 82 and additional security fees as prescribed in sub-rule (5) of Rule 82 shall be deposited by the applicant.

Renewal of license under sub-section (3) of section 48

87. (1) Every contractor shall apply to the Authority, for renewal of licence, electronically on the web-portal specified by this purpose by the State Government.

(2) Every such application shall be submitted on the said portal at least thirty days prior to the expiry of licence period but not before ninety days of such expiry of licence.

(3) The security deposit and the fee chargeable for renewal of the licence shall be the same as for the grant of licence under Rule 82:

Provided that if the application for renewal is not received within the time specified in sub-rule (2), an additional fee of twenty five per cent, shall be payable for such renewal.

(4) It shall be the responsibility of the authority concerned to renew licence within such period as specified in the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (UP Act no 3 of 2011) failing which such licence shall be deemed to have been renewed and the certificate of renewal of licence shall be auto generated by the portal.

Responsibility of contractor under sub-section (4) of Section 48

88. (1) The responsibility of contractor for the payment of wages to contract labour shall be such as that of employer in Code of Wages, 2019 (Act no. 29 of 2019) and the rules made thereunder.

(2) The contractor shall provide to principal employer of the establishment, the details of wages and copy of register of wages within seven days from the date of such payment.

(3) Where under proviso to sub-section (2) of section 55, it is not practicable to disburse payment in the mode specified in sub-section (2) of section 55, the payment shall be made strictly in the presence of authorized representative of principal employer with prior intimation to designated Authority or Inspector-cum-Facilitator electronically or otherwise.

(4) Each licencee/ contractor shall be responsible to follow all the Labour Codes and other labour laws and rules made by Central or State Government in this behalf, as applicable.

(5) The licencee/ contractor shall be responsible to follow the terms and conditions under which the licence has been granted to him.

(6) All contract labour shall be made member of Employees Providant Fund Organization and Employees State Insurance Corporation subject to applicability under the respective provisions of the Code on Social Security, 2020 (Act no. 36 of 2020).

(7) The contractor shall notify any change in the number of workers or conditions of work to the Licensing Authority, electronically.

(8) If, in any case, the contractor fails to follow the provisions of the Code and rules made thereunder or violates other labour laws, the Authority may cancel his licence and may forfeiture the security amount. The Authority may also direct the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction to take appropriate action against such contractor.

Intimation of work order and time limit for intimation under sub-section (1) of section 50

89. (1) When a Contractor receives work order from an establishment either to supply contract labour in the establishment or to execute contract through contract labour in the establishment, he shall within fifteen days from the date of receipt of such order intimate the same electronically or otherwise or through official portal of the Labour Department of the State Government to the Authority appointed under section 119 of the Code in Form-28.

(2) The details of work order shall be sent by the contractor or his authorized representative.

(3) The intimation shall be sent electronically on the web-portal or otherwise to the concerned designated Authority and Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction.

Manner of suspension or cancellation of licence in cases of failure of intimation to appropriate Government under sub-section (2) of section 50

90. Where the Contractor fails to give the aforesaid intimation, the designated authority may after giving a show-cause notice of at least fifteen days and after affording him reasonable opportunity of hearing, may suspend or cancel the licence electronically or otherwise.

Appeal under sub-section (1) of section 52

91. The appellate authority under sub-section (1) of section 52 of the Code shall be Labour Commissioner, Uttar Pradesh.

Wage period for payment of wages under sub-section (1) of section 55

92. (1) The contractor shall fix the wage periods in respect of which wages shall be payable and no wage period shall exceed one month.

(2) The wages of every person employed as contract labour in an establishment or by a contractor shall be paid in accordance with the provisions of Code on Wages, 2019(Act no. 29 of 2019) and the rules made thereunder.

(3) The wages shall be disbursed through bank transfer or electronic mode only.

Manner of payment to those contractual workers where bank transfer or electronic mode is not possible under sub-section (2) of section 55

93. (1) Where under proviso to sub-section (2) of section 55, it is not practicable to disburse payment in the mode specified in sub-section (2) of section 55, the payment shall be made strictly in the presence of authorized representative of principal employer with prior intimation to Inspector-cum-Facilitator electronically or otherwise up to a duration of maximum two months or till opening of their bank account, whichever is earlier.

(2) The contractor shall facilitate the workers to open their bank accounts.

(3) It will be the responsibility of the principal employer to ensure that no worker is paid, in contravention to the provisions of sub-rule (1), beyond the maximum time limit.

Manner of payment of wages to contract workers from security deposit, if contractor fails to pay under sub-section (4) of section 55

94. (1) If the contractor or principal employer does not pay the wages to the contract labour employed by him, designated authority shall conduct or cause to conduct an inquiry and after giving an opportunity to be heard, to the contractor, shall pass an order to make payment, if any, of such wages from the amount deposited by the contractor as security deposit.

(2) The contractor shall re-furnish the security deposit within a period of fifteen days or else, his licence shall be liable to be suspended or cancelled.

Experience certificate under section 56

95. Every contractor concerned shall issue on demand experience certificate in Form–31 to the contract labour on his letter head with his signature and seal adhering the key points like details of the period, work performed, experience gained in various fields as performed by such contract labour.

Form and manner of application for declaration of core activity under clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 57

96. (1) If a question arises, as to whether, any activity of an establishment is a core activity or otherwise, the aggrieved party may make an application in Form-32 to the officer appointed under section 57(1)(a) of the Code.

(2) The said application shall contain complete details of the activity in question and manufacturing processes of the establishment.

(3) The Such application shall also contain the justification for making such an application.

(4) The application shall be accompanied with such documents are deemed necessary by the applicant.

(5) Where the State Government refers any such question *suo-moto* or refers the application to Authority designated under clause (a) of sub-section (2) of section 57, such designated Authority shall send a report to the State Government within a period of two months from the date of receipt of such question or application and thereafter the State Government shall decide the question within two months from the date of receipt of such report.

PART-II

INTER-STATE MIGRANTS WORKERS

Minimum service of entitlement, periodicity, class of travel and matters related with journey allowance under section 61

97. (1) The employer shall pay a lump-sum reasonable amount on account of fare for to and fro journey to the inter-state migrant worker by train (not less than second class sleeper) or by bus or by any other mode of passenger transport from the place of employment to the place of residence in the home State, if he has worked for a period of not less than 180 days in the concerned establishment in preceding twelve months. Such amount shall be paid to the inter-state migrant worker in the following situations :-

(a) on termination of his service before the expiry of the period of employment for any reason whatsoever;

(b) on him being in-capacitated for further employments on account of injury or continued ill-health duly certified as such by a registered medical practitioner;

(c) on cessation of work in the establishment which is not due to any fault on the part of the migrant workman; and

(d) on his resignation from service on account of non-fulfilment of terms and conditions of his employment by the contractor.

(2) If the migrant worker is employed for more than six months, he shall be given journey allowance for to and fro journey from the place of employment to the place of residence, after the expiry of every six months.

(3) The journey allowance shall be paid by the principal employer electronically, as far as practicable.

Beneficiary schemes for inter-state migrant workers under section 62

98. (1) If any inter-state migrant worker chooses the option to avail the benefits of the Public Distribution System in the State of Uttar Pradesh, then the Food and Civil Supplies Department or other department or authority, as specified by the State Government, functioning in the concerned district shall provide them foodgrains and other facilities as per the scheme of the Department or Authority.

(2) For the purpose of sub-rule (1) State Government and the Board, as the case may be, may formulate their mechanism and process.

Toll free helpline number under section 63

99. (1) The Labour Commissioner, Uttar Pradesh shall establish a toll-free helpline to inter-state migrant workers in the manner as may be determined by the State Government by a Government order to address queries and grievances of the migrant workers.

(2) A record of calls on the toll-free number shall be maintained electronically in such form and format has may be specified by the Labour Commissioner in this behalf.

Study of Inter State Migrant worker under section 64

100. (1) The State Government may at any time as it deems necessary, or if directed by the Central Government, conduct a study of Inter-State Migrant Workers from the State of Uttar Pradesh or to the State of Uttar Pradesh to promote safety, health and welfare of inter-state migrant workers.

(2) The manner of such study, composition of study team and other matters shall be such as may be decided by the State Government.

(3) Wherever required, the State Government may also consult expert organizations and different stakeholders involved in safety, health and welfare of the inter-state migrant workers.

PART-III

AUDIO-VISUAL WORKERS

Agreement between audio-visual worker and producer of audio-visual program or contractor under sub-section (2) of section 66

101. (1) The agreement between audio-visual worker, producer of audio-visual program or contractor, if any, shall be in Form-33.

(2) Such agreement shall contain the following particulars:-

(a) name of the audio-visual program;

(b) name and address of the producer and contractor (if any);

(c) name and address of audio-visual worker;

(d) nature of employment of audio-visual worker;

(e) duration of employment; and

(f) terms and conditions of employment such as wages and other benefit, health and working conditions, safety, hours of work, welfare facilities, dispute resolution process or mechanism, which shall not be less than the entitlement of audio-visual worker in the Code.

(3) If such audio visual workers are covered under the provision of an enactment for the time being in force for providing benefit of provident fund to him, a copy of such agreement shall be forwarded by the producer of audio visual program to the concerned provident fund authorities of Central Government.

Dispute resolution mechanism, constitution and other details of authorities

102. The dispute resolution mechanism, process and constitution of authorities and Courts shall be such as provided in the Code on Industrial Relations, 2020 (Act no. 35 of 2020) and rules made thereunder by the State Government.

PART-IV

BEEDI AND CIGAR WORKERS

Form of application for grant of license under sub-section (2) of section 74

103. (1) Every application under sub-section (2) of section 74 for a licence to use or allow to be used any place or premises as an industrial premises shall be made in Form-34 electronically on the official portal of the State Government.

(2) The application shall be accompanied by plans showing,-

(a) the site of such place or premises, the areas therein to be used for manufacturing processes and the immediate surroundings of such place or premises, including adjacent buildings, structures, roads, drains, and the like; and

(b) the plan, elevation and necessary cross-sections of, the details relating to natural lighting, ventilation, means of escape in case of fire, position of the plant and machinery, if any, used, aisles and passage-ways in or in relation to, the various buildings which are intended to be used for manufacturing processes.

(3) Before granting such licence the Authority shall also take into consideration whether the site of an industrial premises is proposed to be altered or whether industrial premises has been closed by the applicant during the period of twelve months immediately preceding the date of the application with a view to cause prejudice to the interests of the labour.

(4) The fee for licence grant or renewal of as specified under sub-Rule (1) of rule 109 shall be paid

(5) The application shall be accompanied with an affirmative electronically through the postal specified for this purpose declaration of the employer under sub-section (4) of section 74 in Form-35 .

Fee for grant or renewal of licence under sub-section (2) of section 74

104. (1) The fees to be paid for grant or renewal of licence shall be as specified in table below.-

	Number of employees proposed to be employed on any day during the financial year	Fee (in Rs.)
(a)	Does not exceed twenty	500
(b)	More than twenty but does not exceed fifty	1000
(c)	More than fifty but does not exceed hundred	1500
(d)	More than hundred	2000

(2) Fee to be paid for grant of duplicate licence shall be rupees one hundred.

(3) If the Authority refuses to grant or renew any licence under section 74, the fees paid therefor shall not be refunded.

Information and site plan regarding application for license under section 119 and sub-section 119 and sub-section (3) of section 74

105. If the occupier/ employer of the beedi and cigar establishment wishes to obtain a licence under the provisions of section 119 of the Code, then he shall mention the maximum number of employees proposed to be employed at any time of the day in the place or premises and shall enclose the plan of the place or premises to be used, in Form- 34.

Terms and conditions of licence under sub-section (4) of seection 74

106. Every licence granted or renewed under section 74 shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) the manufacturing process shall be carried on only in the part of the industrial premises which has been specified for such purpose in the licence;

(b) the maximum number of employees employed in the industrial premises shall not on any date exceed the number specified in the licence;

(c) power driven machinery, not specified in the licence, shall not be used in the manufacturing process in the premises;

(d) except with the prior permission of the Authority in writing, the industrial premises shall not be extended and except with the like permission no structural alteration shall be made in any building on such premises;

(e) the licence shall not be transferable;

(f) except as provided in the rules, the fee paid for grant, or as the case may be, renewal of licence shall be non-refundable.

Grant licence under sub-section (4) of section 74 and renewal

107. If the Authority is satisfied regarding particulars of application for grant of licence he shall issue the certificate of licence on Form-36 electronically within such period as specified in the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act No. 3 of 2011) failing which such licence shall be deemed to have been granted and the certificate of grant of licence shall be auto generated by the portal.

Welfare measures under clause (e) of sub-section (4) of section 74

108. While granting the licence or renewal of the licence, the Licensing Authority shall ensure that the occupier of the beedi and cigar establishment has made the following provisions regarding the welfare of the labourers in the locality and interest of the public:-

A- Cleanliness

(1) In every industrial premises,-

(a) accumulations of dirt and refuse shall be removed daily by sweeping or by any other effective method from the floors and passages of work-rooms and from staircases and passages and disposed of in a suitable manner;

(b) the floor of every work-room shall be cleaned at least once in every week by washing, using disinfectant, where necessary, or by some other effective method;

(c) all inside walls and partitions, of ceilings, of rooms and of walls, side and staircases shall,—

(i) where they are painted or varnished or where they have smooth impervious surface, be cleaned with fresh water and dried at least once in every period of fourteen months;

(ii) where they are painted or varnished, re -painted or re-varnished at least once in every period of five years;

(iii) in any other case, be kept white-washed or colour-washed at least once in every twelve months.

(2) The record of the dates on which white-washing, colour-washing, varnishing, painting or cleaning, as the case may be, was carried out under sub-rule (1), shall be entered by the employer in a register maintained in Form-37.

B. Ventilation- In every work-room or hall of an industrial premises, windows and other forms of openings for ventilation shall be provided in sufficient number to

admit a continued supply of fresh air so as to keep the atmosphere inside such room or hall comfortable and free from dust, fumes and other impurity.

C. Latrines and urinals-

(1) Latrine and Urinal accommodation shall be provided in every industrial premises at the rate of one latrine and urinal seat separately for every twenty male employees:

Provided that where the number of such male employees exceeds hundred, it shall be sufficient if there is one latrine seat for every twenty-five male employees up to the first hundred and one seat for every fifty in excess thereof.

Explanation.—In calculating the number of seats required in accordance with the provisions of this sub-rule any old number of employees less than twenty, twenty-five or fifty, as the case may be, shall be reckoned as twenty, twenty-five or fifty.

(2) Where female employees are employed in any industrial premises, separate latrine and urinal accommodation shall be provided for them in accordance with the same scale as the scale specified for male employees in clause (1) above.

(3) Every latrine shall be under cover and every seat in the latrine and urinal shall be so partitioned off as to secure privacy and each partition shall have a private door and fastenings.

(4) Where employees of all genders are employed in any industrial premises, there shall be displayed outside each latrine and urinal block thereon, a notice in hindi and the language understood by the majority of the employees reading "for men only" or, as the case may be, "for women only" and such notice shall also bear the picture of a man, or a woman, as the case may be.

(5) Where piped water supply is available, a sufficient number of water taps conveniently accessible shall be provided in or near latrines and urinals accommodations and where there is no continuous supply of water, water cisterns with cans shall be provided for washing purposes in or near such latrines and urinals.

(6) When any general system of underground sewage with an assured water supply is provided for or exists in any particular locality, all latrines and urinals in an industrial premises in such locality other than a septic tank latrine, shall be connected with such nearest sewage system.

(7) The walls, ceilings and partitions of every latrine and urinal shall be white-washed or colour-washed and the same shall be repeated at least once in every period of four months. The dates on which the white-washing or colour-washing is carried out washing with detergents and disinfectants is carried out, as the case may be, shall be entered by the employer in the register maintained in Form- 37:

Provided that, nothing in sub-rule (7) shall apply in respect of wall and ceilings of, and partition in a latrine or urinal or any portions of such walls, ceilings and partitions which are laid in glazed tiles or otherwise finished to prove a smooth-polished impervious surface, but such walls, ceilings, partitions or portions thereof shall be washed with suitable detergents and disinfectants at least once in every period of four months.

(8) All drains work on an industrial premises for carrying waste or sullage water shall be constructed in masonry or other permittable materials and shal be regularly flushed and effluent disposed of by connecting such drains with suitable drainage lines :

Provided that where there is no such drainage line, the effluent shall be deodorised in order to render it innocuous and then disposed of.

D. Washing facilities.—

(1) There shall be provided and maintained in every industrial premises, for the use of employees engaged in blending and sieving of tobacco or warming of beedies

in hot ovens, adequate and suitable facilities for washing which shall include soap and nail brushes or other suitable means of cleaning and such facilities shall be convenient, accessible and shall be made available in clean and orderly condition.

(2) If female employees are employed in any industrial premises, separate washing facilities on the same lines as those specified in clause (1) in respect of male employees shall be provided for such female employees in enclosed or screened places in such manner that the interior portions of such places are not visible from any place where male employees work or pass through and the entrance to every such place shall bear a notice in the language understood by the majority of the employees reading "For Women only" in bold and conspicuous letters and such notice shall also bear the picture of a woman.

(3) Water supply for purposes of washing facilities under clause (1) or clause (2) shall be such as to provide at least 27.3 liters per day for each person employed in the industrial premises and such water shall be drawn from a hygienic source:

Provided that where an Inspector-cum–Facilitator is satisfied that it is not practicable to make water supply available in accordance with the scale specified under this sub-rule, he may by a certificate in writing permit the supply of a lesser quantity which shall in no case be less than 4.5 litres per day for each employee.

E. Creches—

(1) In every industrial premises, wherein thirty or more workers are employed or were employed on any day of the preceding twelve months, the employer shall provide and maintain a creche or creches for the use of their children who are upto the age of six years, according to the standards laid down in these rules:

(2) The creche shall conform to the following standards, namely:—

(a) the creche shall be conveniently accessible to the mothers of the children accommodated therein and so far as is reasonably practicable, it shall not be situated in close proximity to any part of the industrial premises where obnoxious fumes, dust or odours are given off;

(b) the room or rooms used as creche shall be soundly constructed and the walls and roof thereof shall be of heat-resisting materials and shall be water-proof;

(c) the floor and internal walls of the creche up to a height of 1.2 metres shall be so laid or finished as to provide a smooth impervious surface;

(d) the height of each room used as a creche shall not be less than 3.7 metres from the floor to the lowest part of the roof and there shall not be less than 1.9 square metres of floor area for each child to be accommodated therein;

(e) effective and suitable provision shall be made in every part of a creche for securing and maintaining adequate ventilation by the circulation of fresh air;

(f) the creche shall be adequately furnished and equipped and in particular there shall be made available,

(i) for each child of more than two years, a suitable bedding;

(ii) for each child of not more than two years of age, a suitable cot or cradle with the necessary bedding;

(iii) at least one chair or other adequate similar sitting accommodation for the use of each mother while she is feeding or attending to the child; and

(iv) sufficient supply of suitable toys for the older children;

(g) there shall be in or adjoining a crèche, a suitable washing room for washing of the children and their clothing and such room shall conform to the following standards, namely:—

(i) the floor and internal walls of the room up to a height of 0.9 cm. shall be so laid or finished as to provide a smooth impervious surface;

(ii) the room shall be adequately laid and ventilated and the floor shall be effectively drained and maintained in a clean and tidy condition;

(iii) the supply of water for washing shall be from a hygienic source and if practicable shall be through taps;

(iv) supply of at least 22.7 litres of water per day for each child shall be made available;

(v) an adequate supply of clean clothes, soap and clean towels shall be made of label for the use of each child;

(vi) adjoining the washroom, a septic type latrine shall be provided for the sole use of the children in the creche and the same shall be kept clean and in a sanitary condition;

(h) the employer shall make available at least half a pint of pure milk for each child everyday in the crèche and the mother of such child shall in the course of daily work, be allowed adequate intervals of not less than fifteen minutes to feed the child;

(i) in addition to providing milk in accordance with the provisions of clasue (h) above, the employer shall provide for children who are accommodated in the crèche, an adequate supply of wholesome refreshment;

(j) the employer shall appoint a woman trained in the care of children and infants and sufficient number of women caretakers for the purpose of looking after the children accommodated in a crèche and he shall also provide suitable equipment and facilities for the purpose.

Explanation: The number of women caretaker to be appointed in the crèche shall be calculated at the rate of one women caretakers for every thirty children.

(k) the employer shall provide for the staff employed in the creche, suitable clean clothes for use while on duty in the creche.

Explanation: In this rule, child means a child upto the age of six years of age.

F. First aid-

(1) In every industrial premises, there shall be provided and maintained, so as to be readily accessible during all working hours, first-aid boxes or cupboards containing the equipment specified in clause (2) and the number of boxes or cupboards to be so provided and maintained shall not be less than one for every one hundred fifty employees ordinary employed at any one time in the premises.

(2) The first-aid boxes or cupboards shall be distinctively marked with a red cross on a white background and shall contain the following equipments, namely:-

(a) six small sterilised dressings;

(b) three medium sized sterilized dressings;

(c) three large size sterilized dressings;

(d) three large size sterilized burns dressings;

(e) one (28.350 grams) bottle containing a 2 percent alcoholic solution of iodine;

(f) one (28.350 grams) bottle containing salvolatile having the dose and mode of administration indicated on the label;

(g) a snake-bite lancet;

(h) one (28.350 grams) bottle of potassium permanganate crystals;

(i) one pair of scissors;

(j) eye drops;

(k) adhesive plaster.

(3) Each first-aid box or cupboard shall be kept in the charge of a person who is trained in first-aid treatment and who shall always be readily available during the working hours of the industrial premises.

G. Canteens-

(1) The employer of every industrial premises wherein not less than two hundred and fifty employees are ordinarily employed, shall provide in, or near the industrial premises, a canteen.

(2) The canteen shall not be situated within 15.2 meters of any latrine or urinal or any other source of dust.

(3) The canteen building shall consist of at least a dining hall, kitchen, store room and pantry in addition to washing places separately for employees and for the utensils.

(4) The minimum height of the building shall be not less than 3.7 meters and all the walls and roof thereof shall be of suitable heat-resisting materials and shall be water-proof. There shall be a provision of adequate ventilation. The doors and windows shall be of fire proof construction.

(5) The canteen shall be sufficiently lighted at all times when any person has access to it.

(6) In every canteen–

(a) all inside walls of rooms and all ceilings and passages and staircases shall be lime-washed or colour-washed at least once in each year or painted once in three years, dating from the period when the some was last lime-washed or colour-washed or painted, as the case may be;

(b) all wood-work shall be varnished or painted once in three years dating from the period when the some was last varnished or painted;

(c) all internal structural iron or steel work shall be varnished or painted in three years dating from the period when the same was last varnished or painted:

(d) the inside portion of the walls of the kitchen shall be lime-washed once in every four months.

(7) The dates on which lime-washing, colour-washing, varnishing or painting is carried out shall be entered by the employer in the register maintained in Form- 37.

(8) The precincts of the canteen shall be maintained in a clean and sanitary condition. Wastewater shall be carried away in suitable covered drains and shall not be allowed to accumulate so as to cause a nuisance. Suitable arrangements shall be made for the collection and disposal of garbage.

(9) The dining hall shall accommodate, at a time, at least thirty percent of the employees working at a time.

(10) The floor of the dining hall, excluding the area occupied by the service counter and any furniture except tables and chairs shall be not less than 93 square metres per diner to be accommodated as specified in clause (9).

(11) A portion of the dining hall and service counter shall be partitioned off and reserved for women employees in proportion to their number. Washing places for women shall be separate and screened to secure privacy.

(12) Sufficient tables, chairs, or benches shall be available for the number of diners to be accommodated as specified in clause (9).

(13) There shall be provided and maintained sufficient utensils, crockery, cutlery, furniture and any other equipment necessary for the efficient running of the canteen. Suitable clean clothes for the employees serving in the canteen shall also

be provided and maintained.

(14) The furniture, utensils and other equipment shall be maintained in a clean and hygienic condition. A service counter, if provided, shall have a top of smooth and impervious material. Suitable facilities including an adequate supply of hot water shall be provided for the cleaning of utensils and equipment.

(15) Food and food materials shall be stored in fly-proof safes and handled with the help of wooden ladless or suitable metal forceps, whichever is convenient. Vessels once used shall be scalded before being used again.

(16) Food, drinks and other items served in the canteen shall be served on a no-profit, no-loss basis.

Disputes relation to issue of raw materials by the employer under clause (e) of sub-section (4) of section 74

109. (1) Any dispute between employer and employee or employees in relation to,-

(a) the issue by the employer of raw materials to the employee;

(b) the rejection by the employer of beedi or cigar, or both rejected by an employee; or

(c) the payment of wages beedi or cigar or both, rejected by an employer;

may be referred in writing by the employer or the employee or employees to the Inspector—cum-Facilitator, who shall, after making such enquiry as he may consider necessary and after giving the parties an opportunity to represent their respective cases, decide the dispute and record the proceedings with the details of dispute, plea of parties, documents and evidences and finding thereof.

(2) Any party to the dispute aggrieved by the decision thereon under sub-rule (1) may prefer an appeal within a period of thirty days from the date of the decision to the Licensing Authority:

Provided that the Appellate Authority may admit an appeal after the said period if the appellant satisfies such Authority that he has sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

Limit with regard to the rejection of beedis o cigars under clause (e) of sub-section (4) of section 74

110. (1) No employer or contractor shall ordinarily reject a sub-standard or *chhat* or otherwise more than five percent of the beedis or cigars, or both, received from a worker including a home-worker.

(2) Where any beedi or cigar is rejected as sub-standard or *chaat* or otherwise on any ground other than the ground of willful negligence of the worker, the worker shall be paid wages for the beedis or cigars, so rejected at one-half of the rate at which wages are payable to him for the beedis or cigars, or both, which have not been so rejected.

Renewal License under sub-section (6) of section 74

111. (1) Every application for renewal of licence shall be made on the Official Portal of the State Government along with required fees as prescribed under rule 109.

(2) The application shall be accompanied with affirmative declaration of the employer as prescribed under sub-rule (5) of rule 103 in Form-35.

(3) If the Authority is satisfied that the licence complies with the provisions of the Code and rules made thereunder, he shall renew the certificate of licence on Form-36 electronically within such period as specified in the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act no. 3 of 2011) failing which such licence shall be deemed to have been renewed and the certificate of renewal of license shall be auto generated by the portal.

Appeals under section 75

112. (1) The Labour Commissioner, Uttar Pradesh shall be the Appellate Authority for the purposes of section 75 of the Code.

(2) Fees payable in respect of appeal under section 75 shall be rupees one thousand only which shall be non-refundable.

(3) An appeal against the order of the Licensing Authority refusing grant or renewal of licence shall be, –

(a) made electronically within a period of thirty days from the date of receipt the order sought to be appealed against;

(b) accompanied by a copy of the order appealed against;

(c) accompanied by a memorandum containing grounds and facts of such appeal;

(d) accompanied by a treasury challan as a proof of payment of fees for such appeal.

Permission to work by employees outside industrial premises under sub-section (1) of section 76

113. (1) The employer shall make an application on Form- 38 addressed to Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Labour Department Government of Uttar Pradesh on behalf of the employees to obtain permission for wetting and cutting of beedi or tobacco leaves by employees outside the industrial premises through Labour Commissioner, Uttar Pradesh. The Labour Commissioner shall forward the application with his comments within a period of seven days to the State Government.

(2) The State Government may decide the application within a period of thirty days.

(3) The permission granted by the State Government under sub-rule (2) shall be valid only for such period as specified in the order granting permission under following conditions:-

(a) the employer who applies for the above permission shall have valid licence issued under section 74 for such premises;

(b) the suitability of the place which it is proposed to be used for wetting or cutting of beedi or tobacco leaves;

(c) wetting or cutting of beedi or tobacco leaves shall be carried on only in the place for which the permission is granted;

(d) the total number of employees employed by the employer for wetting or cutting of beedi or tobacco leaves outside the industrial premises shall not exceed the total number of workers for which licence has been issued under section 74;

(e) the licensing authority may, in addition to the foregoing terms and conditions, determine and specify in the permission such other terms and conditions, in individual cases as it may deem necessary.

Maintenance of recods of outside workers under sub-section (2) of section 76

114. (1) The record to be maintained by the employer, of the work permitted under sub-section (1) of section 76 to be carried on outside the industrial premises, shall be maintained electronically in Form-39.

(2) The employer shall, in respect of the employees who are permitted to work in their houses (hereinafter referred to as the home-workers), maintain an up-to-date register/ log-book in Form–40 electronically.

PART-V

FACTORY

115. (1) No site shall be used for the location of a factory and no building on such site or in a factory shall be constructed, amended or modified, extended or taken into use as a factory or part of a factory unless previous approval is obtained from the Chief Inspector-cum-Facilitator.

(2) Application for approval of plan or permission in Form-41 for site on which the factory is to be situated, for the construction or extension thereof and for license shall be made by the applicant electronically or otherwise on the official portal of the Labour Department of the State Government to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction at least thirty days before he begins to occupy, or use, the premises as a factory.

(3) The application shall be accompanied by the following documents:-

(a) Form-42 duly filled by the applicant;

(b) the Process Flow Diagram of manufacturing process indicating safety devices, fittings and mountings on each plant and machinery, the various processes and their design conditions, supplemented by a brief description of process and safety devices in its various stages and also indicating the names of raw materials, intermediates and products with their inventories and the name of chemicals if used in the process;

(c) plans shall be drawn to scale showing;-

(i) the site plan of the factory and immediate surroundings including adjacent building, hospitals, educational institutions, petrol pumps, storage of inflammable and explosive materials and other structures, roads, water sources, drains *etc,* and location of nearest residential area, village, town settlement with its distance from the site.; and

(ii) the detail plan, elevation and necessary cross sections of the various buildings indicating all relevant details relating to all natural lighting, ventilation and means of escape route in case of fire, details of Fire Fighting Systems and Description of Hazard Area. The Plans shall also clearly indicate the position of the plant and machines, aisles and passage-ways in isometric view also of machines and hazard are and machines having hazard shall shown separately in 3D view;

(iii) The applicant shall submit the Process Flow Diagram of the manufacturing process, site plans, and detailed plans electronically or otherwise in a legible format. These documents shall be prepared and signed by a person possessing the qualifications and experience as prescribed in Serial Number 1 of Schedule-I to rule 4, using efficient software such as AutoCAD, *etc:*

Provided that if due to technical reasons, such soft copy of detailed plans or site plans is not legible, documents drawn to suitable scale may be additionally submitted in triplicate.

(d) replies to the questionnaires annexed to the Form-42;

(e) An NOC, as the case may be, from the Municipal Corporation, Nagar Panchayat, or Notified Area, in accordance with the Model Building Construction and Development Bye-Laws, 2025 for Development Authorities of Uttar Pradesh, for the construction, alteration, or extension of any building forming part of a factory or the factory premises;

(f) a letter of no objection from State Pollution Control Board;

(g) a letter of no objection from Fire Department;

(h) license/NOC issued under the Petroleum Rules, 1976 for storage of petroleum as defined in the Petroleum Rules, 1976;

(i) certificate of stability in Form-43 duly singed by the applicant;

(k) payment of license fee prescribed in sub-rule (2) of rule, 116 through e-challan or online payment.

(4) The internal height of a workroom, other than those intended for storage, godowns and like purposes and also rooms intended solely for office purposes, where only clerical work is done, shall be not less than 14 feet measured from the floor level to the lowest part of the roof, and if the roof is of corrugated iron, which is neither covered with tiles nor has an inner ceiling or lining of heat-resisting material with an air space of at least four inches between it and the corrugated iron, the internal height shall be not less than 20 feet:

Provided that these provisions shall not be applicable in case of factory which proposes to employ fifty or less workmen:

Provided further that in case of buildings having a brick or concrete roof, or a combination of the two, the minimum height may be 12 feet:

Provided also that in case of all factories registered under section 2(1)(w)(i), and factories registered under section 2(1)(w)(ii) of the Code employing up to 150 employees, the Chief Inspector-cum-Facilitator may, where he is satisfied that the conditions of work are reasonably good, exempt such factories from the provisions of this sub-rule.

(5) There shall be provided at all times for each person employed in any room of a factory where mechanical or electrical power is used, at least 36 square feet of floor space exclusive of that occupied by machinery and a breathing space of at least 500 cubic feet.

(6) Particulars of each of the rooms, *verandahs* and other enclosures of the factory shall be entered in Form-42.

(7) No manufacturing process shall be started or carried on in any building, or part of a building until a Certificate of Stability of the building, or part of building in Form-43 signed by a person possessing the qualifications, has been delivered online to the Chief Inspector-cum-Facilitator and accepted by him. No extended portion of any factory shall be used as a part of the factory any time after the extension or any plant or machinery shall be added in any factory or brought into use as any factory, nor brought into use any time after such addition until a certificate in respect of such extension or plan has been delivered to the Chief Inspector-cum-Facilitator and accepted by the Chief Inspector-cum-Facilitator.

(8) The Certificate of Stability accepted under this rule shall be valid for five years from the date of acceptance if no change.

(9) The Competent Person signing Form-43 shall possess the same qualification and experience as prescribed in the Schedule to rule 4 for this purpose.

(10) No person except in the case of a building occupied by Government shall be authorized to sign a certificate of stability, who is in the employment of the owner or the builder of the building in respect of which the certificate is given.

(11) The site-plan of a factory, after receiving online application at the portal of the department, if the Chief Inspector-cum-Facilitator, as the case may be, is satisfied that the plans are in consonance with the requirement of Code, he shall, subject to such conditions or such no objection certificate, as he may specify, approve them and the site-plan approval certificate shall be issued by Chief Inspector-cum-Facilitator within such period in Form-44, including site visit, as notified in Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiaiyam, 2011 (U.P. Act no. 3 of 2011) failing which such plan shall be deemed to have been approved and the certificate of approval of factory shall be auto generated by the portal.

(12) Plans which have already been approved by the Chief Inspector-cum-Facilitator under the Factories Act, 1948 before the coming into force of these rules, shall be deemed to have been approved under these rules.

(13) In case, the Chief Inspector-cum-Facilitator, having jurisdiction, as the case may be, is not satisfied with the application or the application is incomplete, he shall raise his objections on the portal, all at a time within fifteen days and the applicant shall submit his reply or make necessary corrections or amendments as required within the specified time. However, if the applicant fails to respond the objections raised by Chief Inspector-cum-Facilitator, the application may be rejected after the time as notified in Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyum, 2011 (U.P. Act no. 3 of 2011) for approval.

(14) The approval granted under this rule may be revoked by the Chief Inspector-cum-Facilitator , if it is found that such approval has been obtained by the occupier or manager by misrepresentation of material facts or fraudulent document have been submitted along with the application or otherwise or the majority of construction is not being done in accordance with the approval granted.

Application for license and prescribed fees under clause (c) of sub-section (1) of section 79

116. (1) The occupier of every factory shall submit an application together with Form-45 prescribed under section 79 of the Code, on the official portal of the Labour Department of the State Government for grant of a license, along with the application for approval of site-plan under rule 115.

(2) If the site-plan is approved under rule-115 and then employer/ occupier of the factory complies with all the provisions of the Code and rules made thereunder, the factory shall be registered and the license for the factory in Form-46 shall be issued electronically by Chief Inspector-cum-Facilitator as the case may be, on payment of the fees specified below subject to compliance with such conditions as are specified in the license:

Quantity of power (kw) installed	Maximum number of persons to be employed on any day during a Year							
	Up to 50	51 to 100	101 to 150	151 to 300	301 to 500	501 to 1000	1001 to 2500	Above 2500
Nil	500	625	750	1000	2000	4000	7500	10000
Less than 50	750	1375	2000	3000	4000	7500	15000	18000
50 to 100	1500	2250	3000	4000	6000	10000	18000	20000
101 to 500	2500	4000	5500	7500	10000	15000	24000	27500
501 to 1000	5000	6250	7500	10000	12000	18000	26000	30000
1000 to 2000	6000	8000	10000	12000	15000	20000	28000	35000
Above 2000	7000	10500	14000	15000	18000	24000	30000	38000

(3) Power factor shall be taken 0.9, if required.

(4) The license granted under sub-rule (2) shall be digitally signed.

Renewal of license under clause (c) of sub-sction (1) of section 79

117. (1) Every licence granted under rule 115 shall remain in force for a year from the date on which first application is received or from the date when the factory came in the knowledge of the Inspector-cum-Facilitator, whichever is earlier.

(2) An application for the renewal of licence for period of up to ten years shall be made online to the Authority in Form-45 not less than thirty days before the date on which the license expires. The application shall be accompanied by stability certificate in Form-43 issued by Competent Person and duly signed by occupier and fees deposited electronically on the State Government web-portal into the head of account specified therein, as a proof of the payment of the amount of requisite fees for every year as specified in rule 115.

(3) The fees for renewal of licence for one year shall be the same as for the grant thereof. In case an application for renewal has been made for a period of one year or any number of years up to ten years, the renewal fees shall be the number of years multiplied by the fees payable for the grant of license for one year as prescribed in rule 120.

(4) No application for the renewal of licence made after the expiry of the period specified in sub-rule (2) unless it is accompanied by the required fees duly deposited with an additional fee equal to twenty-five percent payable for the licence which is to be renewed, as late fee.

(5) On receipt of an application under sub-rule (2), the Chief Inspector-cum-Facilitator shall, if he is satisfied that there is no objection to the renewal of the licence, renew the same for a period up to ten years and issue licence electronically in Form-46 to the applicant within such period as notified in Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act no. 3 of 2011) failing which such license shall be deemed to have been renewed and the certificate of renewal of licence shall be auto generated by the portal.

Amendment of License under clause (c) of sub-section (1) of section 79

118. (1) If at any time during the term of license, the occupier finds it necessary to extend the limits of the power installed on any day or maximum number of workers to be employed on any day or effects any changes in the name of the factory or change in the occupier or such particular is referred in license application form, he shall make

an application with documents required for amendment of a licence to the Chief Inspector-cum-Facilitator at least fifteen days before such change and the Chief Inspector-cum-Facilitator may amend the licence accordingly.

(2) An application for amendment shall be made on-line in Form–45 along with the proof of payment of fees for amendment of a license which shall be rupees one hundred, in addition to the amount of fees payable under rule on the basis of the total maximum power installed on any one day as intended to increase or the maximum number of workers intended to be employed on any day during the calendar year, or both, as the case may be, less the amount already remitted in the original licence:

Provided that amendment fee of rupees one hundred shall not be payable when the amendments are proposed simultaneously with the application for the renewal of the license.

(3) The application for the amendment of Plan, as per rule 122, shall be submitted online at least 15 days before such amendment:

Provided that any such factory shall not be deemed to be extended within the meaning of this rule by reason only of the replacement of any plant or machinery or within such limits as may be, of the addition of any plant or machinery if such replacement or the addition does not reduce the minimum clear space required for safe working around the machinery or plant:

Provided further that if any amendment adversely affects the environmental conditions from the evolution or emission of steam, heat, dust or fumes which are injurious to health, such amendment shall require prior approval as per the rule.

(4) On receipt of an application under sub-rule (1), Licencing Authority shall, if he is satisfied that there is no objection in amending the licence, amend the same in Form–46 within such period as notified in Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act no. 3 of 2011) failing which such licence shall be deemed to have been amended and the amended certificate shall be auto generated by the portal.

(5) If it appear to the Inspector-cum-Facilitator that any building or part of the building in a factory is in such condition that it is dangerous to the human life and safety, he may serve notice to the occupier of the factory in writing to conduct the building and structure life test to be carried out within the specified time period and the certificate of such examination and tests signed by competent person have to sent to the Inspector -cum-Facilitator .

Transfer of license under clause (c) of sub-section (1) of section 79

119. (1) The holder of a licence may, at any time before the expiry of the licence, apply for permission to transfer his licence to another person. In case, if a licensee dies or becomes insolvent or otherwise disabled, this application may be made by the person carrying on the business of such licensee.

(2) Such application shall be made on the official portal of the Labour Department of the State Government along with notice of occupation in Form-47 and such other documents as may be required.

(3) The Chief Inspector-cum-Facilitator or Licencing Authority shall, if he approves the transfer, enter upon the licence, under his signature/Digital Signature, an endorsement to the effect that the licenses, have been transferred to the person named in Form-46.

(4) A fee of one thousand rupees shall be charged on each such application.

(5) The person to whom the licence is so transferred shall enjoy the same powers, and be subject to the same obligations under the licence as the original holder.

Procedure on death or disability of licensee under clause (c) of sub-section (1) of section 79

120. If a licensee dies or becomes insolvent or otherwise disabled, the person carrying on the business of such licensee shall not be liable to any penalty, under the Code or these rules for exercising the powers granted to the licensee by the licences during such time as may reasonably be required to allow him to make an application for the transfer of the licenses in his own name for the unexpired portion of the original licences:

Provided that this period shall not exceed two months from such date when cause of action arises:

Provided further that Chief Inspector-cum-Facilitator or Licencing Authority may further extend this time limit to one month, if the person in whose favour transfer of license has to be done shows sufficient causes for such delay and the Chief Inspector-cum-Facilitator or Licencing Authority is satisfied with given causes on a penalty of rupees five thousand.

Cancellation of licenses under clause (c) of sub-section (1) of section 79

121. If at any time an occupier notifies of his intention showing causes in details, on the Official Portal of the Labour Department of State Government that the premise, in respect of which licences is issued will not be used for the working of the factory, the Chief Inspector-cum-Facilitator shall cancel the licences granted in respect of such factory and will be communicated to the occupier/ employer through the portal:

Provided that such application shall be submitted at least two months before the date of cessation of use of premises as a factory:

Provided further that, the employer shall give an undertaking that before the period of two months, he shall clear all his dues, payments to be made to his employees and shall remove all the hazardous substances and wastage from the premises.

Notice of occupation under clause (c) of sub-section (1) of section 79

122. The notice of occupation shall be in Form-47.

Notice of change of Manager

123. (1) The occupier will to appoint a manager of factory. In case , manager of factory has not been appointed, the occupier shall be deemed to be the manager of the factory.

(2) The notice of change of manager shall be in Form-48. The application for change of manager shall be submitted online on the official portal of the Statement Government.

(3) The approval of change of manager shall be made online on the licences by the Chief Inspector-cum-Facilitator.

Liability of owner of premises in certain circumstances under section 80

124. (1) Where in any premises separate buildings are leased to different occupiers for use as separate factories, the owner of the premises shall be responsible for the provision and maintenance of common facilities and services such as approach roads, drainage, water supply, lighting and sanitation.

(2) The Chief Inspector-cum-Facilitator or Designated Authority shall have power to issue orders to the owner of the premises in respect for the carrying out the provisions of sub-rule(1).

(3) Where in any premises, independent or self-contained, floors or flats are leased to different occupiers for use as separate factories, the owner of the premises shall be liable, as if he were the occupier or manager of a factory, of any contravention of the provisions of this Code in respect of;-

(i) latrines, urinals and washing facilities in so far as the maintenance of the common supply of water for these purposes is concerned;

(ii) fencing of machinery and plant belonging to the owner and not specifically entrusted to the custody or use of an occupier;

(iii) safe means of access to the floors of flats, and maintenance and cleanliness of staircases and common passages;

(iv) precautions in case of fire;

(v) maintenance of hoists and lifts; and

(v) maintenance of any other common facilities provided in the premises.

(4) The provisions relating to the liability of the owner shall apply where in any premises independent rooms with common latrines, urinals and washing facilities are leased to different occupiers for use as separate factories:

Provided that the owner shall also be responsible for complying with the requirements relating to the provision and maintenance of latrines, urinals and washing facilities.

(5) The Chief Inspector-cum-Facilitator or Designated Authority shall have the power to issue orders to the owner of the premises referred to in section 80 of the Code.

(6) Where in any premises portions or room or a shed are leased to different occupiers for use as separate factories, the owner of the premises shall be liable for any contravention of the provisions of above rule.

Dangerous manufacturing process of operations under section 82

125. (1) The following dangerous manufacturing process or operations, welfare amenities, sanitary facilities, protective equipment and clothing and other requirements necessary for dangerous operations are provided in Schedule-III to Schedule-XXXV appended to these rules, namely:-

Schedule No.	Particulars
III	Manufacture of aerated water and process incidental thereto
IV	All types of electroplating process
V	Manufacture and repair of electric accumulators
VI	Glass manufacturing and processes incidental thereto
VII	Grinding or glazing of metals and processes incidental thereto
VIII	Manufacture and treatment of lead and certain compounds of lead
IX	Generation of gas from dangerous petroleum
X	Cleaning or smoothing of articles by a jet of sand, metal shot or grit or other abrasive propelled by a blast of compressed air or steam
XI	Liming and tanning or raw hides and skins and process incidental thereto
XII	Certain lead process carried on printing presses and type foundries
XIII	Dichromate manufacture
XIV	Chemical works
XV	Manufacture or manipulation of Carcinogenic Dye Intermediates
XVI	Manufacture, handling and usage of benzene and substances containing benzene
XVII	Manufacture of pottery
XVIII	Manipulation of stone or any other material containing free silica
XIX	Handling and processing of asbestos, manufacturing of any article of asbestos and any other Process of manufacture or otherwise in which asbestos is used in any form
XX	Handling or manipulation of corrosive substances
XXI	Compression of oxygen and hydrogen produced by electrolysis of water
XXII	Process of extracting oils and fats from vegetable and animal sources in solvent extraction plants
XXIII	Manufacture or manipulation of manganese and its compounds
XXIV	Manufacture or manipulation of dangerous pesticides
XXV	Manufacturing process or operations in carbon di-sulphide plants
XXVI	Operation involving High Noise Levels
XXVII	Manufacture of Rayon by Viscose process
XXVIII	Highly Flammable Liquids and Flammable Compressed Gases
XXIX	Carpet and woolen drugget making or any work incidental thereto or connected therewith
XXX	Brassware making or any work incidental thereto or connected therewith
XXXI	Lock and hardware making or any work incidental thereto or connected therewith
XXXII	Welding Process and any work incidental thereto or connected therewith
XXXIII	Hot metallurgical process and any work incidental thereto or connected therewith
XXXIV	Manufacturing or manipulation of Fertilizers
XXXV	Cold storage or milk chilling plant or manufacturing of ice using ammonia as refrigerant and processes incidental thereto

(2) The provisions specified in the Schedules-III to Schedule-XXXV annexed with these rules shall apply to any class or description of factories wherein dangerous manufacturing processes or operations specified in such Schedule are carried out.

(3) Every worker employed in the said processes or operations of any Schedule shall necessarily be re-examined by a Factory medical Officer periodically as specified in the Schedule at the cost of occupier. Factory medical officer shall also enter the nature of tests and results in Health Register in Form-7

(4) Medical examination under the Schedule shall be performed by a Factory Medical Officer having qualification as prescribed in rule 73.

Power to prohibit employment on account of serious hazard under clause (za) of sub-section (2) of Section 135

126. (1) Where it appears to the Inspector-cum-Facilitator that conditions in a factory or part thereof are such that they may cause serious hazard by way of injury or death to the persons employed therein or to the general public in the vicinity, he may, by order in writing to the occupier of the factory, state the particulars in respect of which he considers the factory or part thereof to be the cause of such serious hazard and prohibit such occupier from any person in the factory or any part thereof other than the minimum number of persons necessary to attend to the minimum tasks till the hazard is removed.

(2) Any order issued by the Inspector-cum-Facilitator under sub-section (1) shall have effect for a period of three days until extended by the Chief Inspector-cum-Facilitator by a subsequent order.

(3) Any person aggrieved by an order of the Inspector-cum-Facilitator under sub-section (1), and the Chief Inspector-cum-Facilitator under sub-section (2), shall have the right to appeal to the State Government.

(4) Any person whose employment has been affected by an order issued under sub-section (1), shall be entitled to wages and other benefits and it shall be the duty of the occupier to provide alternative employment to him wherever possible and in the manner prescribed.

(5) The provisions of sub-section (4) shall be without prejudice to the rights of the parties under the Industrial Relations Code, 2020.

Site Appraisal Committee under sub-section (1) of section 83

127. (1) The State Government may, for advising it to consider applications for grant of permission for the initial location of a factory involving hazardous process or for the expansion of any such factory, appoint a site appraisal committee under the Chairmanship of Labour Commissioner, comprising of,-

(a) Chief Inspector-cum-Facilitator;

(b) a representative of Director of Industries;

(c) a representative of State Pollution Control Board;

(d) a representative of Department of Environment, Uttar Pradesh;

(e) an officer nominated by Director General of Fire Services

(f) representative of the Department of Meteorology, Uttar Pradesh;

(g) an expert in the field of occupational health;

(h) a representative of the Housing and Town planning Department of the State Government; and

(i) not more than five other members who may be co-opted by the State Government, who shall be,-

(i) a scientist having specialised knowledge of the hazardous process which will be involved in the factory;

(ii) a representative of local authority within whose jurisdiction the factory is to be established; and

(iii) not more than three other persons as deemed fit by the State Government.

(2) The Chief Inspector-cum-Facilitator shall be Member-Secretary of the said Committee.

(3) No member unless required to do so by a Court of law shall disclose otherwise than in connection with the purpose of the Code, at any time any information relating to manufacturing or commercial business or any working process which may come to his knowledge during his tenure as a member on the Committee.

(4) Applications for appraisal of sites in respect of the factories covered under section 2 (1)(za) of the Code shall be submitted to the Chairman of the Committee along with 15 copies in Form-49. The Committee may dispense with the furnishing of the information on any particular item in the application under consideration.

(5) Where any of the process relates to a factory owned or controlled by the Central Government or to a Corporation or a Company owned or controlled by the Central Government, the State Government shall co-opt in the Site Appraisal Committee, a representative nominated by the Central Government, as a member of that committee.

(6) The Site Appraisal Committee shall have power to call for any information from the person making an application for the establishment or expansion of a factory involving a hazardous process.

Functions of the Site Appraisal Committee under sub-section (1) of section 83

128. (1) The Secretary of the Committee shall arrange to register the applications received for appraisal of site in a separate register and acknowledge the same within a period of 7 days.

(2) The Secretary of the Committee shall fix the time and date of meeting with the prior approval of the Chairman and shall refer to committee all the applications received and registered, for decision.

(3) The Committee may adopt a procedure for its working keeping in view the need for expeditious disposal of applications.

(4) The Committee shall examine the application for appraisal of a site with reference to the prohibitions and restrictions on the location of factory and the carrying on the process and operations in different areas as per the provisions of the Environment Protection Act, 1986 and the rules made thereunder.

(5) The Committee may call for documents, examine experts, inspect the site, if necessary, and take other steps for formulating its view in regard to the suitability of the site.

(6) Wherever the proposed site requires clearance by the Ministry of Industry or the Ministry of Environment, Forest and Climate Change of the Government of India, site appraisal shall be considered by the Committee only after such clearance has been received.

(7) The application for grant of permission for the initial location of a factory involving a hazardous process or for the expansion of such factory, shall contain the following particulars:-

(a) name and address of the applicant;

(b) site ownership data;

(c) revenue details of site such as Survey number, plot number, Allotment /Registration number, *etc*;

(d) details as to whether the site is classified as forest and if so, whether approval of the Central Government under section 5 of the Indian Forests Act, 1927 has been obtained;

(e) details as to whether the proposed site attracts the provisions of section 3(2)(V) of the Environment Protection Act, 1986, if so, the nature of the restrictions;

(f) local authority under whose jurisdiction the site is located;

(g) documentary evidence of ownership;

(h) site Plan with clear identification of boundaries total area proposed to be occupied and showing the following details nearby the proposed site:–

(i) historical monument, if any, in the vicinity;

(ii) names of neighbouring manufacturing units and human habitats, educational and training institutions, petrol installations, storages of liquified petroleum gas and other hazardous substances in the vicinity and their distances from the proposed unit;

(iii) water sources (river, streams, canals, dams and water filtration plants etc.) in the vicinity;

(iv) nearest hospitals, fire-stations, civil defence stations and police stations and their distances from the proposed unit;

(v) high tension electrical transmission lines, pipelines for water, oil, gas or sewerage;

(vi) railway lines, roads, stations, jetties gas and other similar installations in the vicinity;

(vii) details of soil conditions and depth at which hard strata can be obtained;

(viii) contour map of the factory showing nearby hillocks and difference in levels; and

(ix) plot plan of the factory showing the entry and exit points roads within, water drains, *etc*.

(i) Project Report stating the following details :-

(i) a summary of the salient features of the project;

(ii) status of the organisation (government, semi-government, public or private *etc*.);

(iii) maximum number of persons likely to be employed in the factory;

(iv) maximum requirement of power and water and sources of their supply;

(v) block diagram of the buildings and installations, in the proposed unit; and

(vi) details of the proposed housing colony, hospital, school and other infrastructural facilities.

(j) Organizational structure for proposed manufacturing unit/factory showing :-

(i) organization diagram of proposed enterprise in general, and health, safety and environment protection departments and their linkage to the operation and technical department;

(ii) proposed health and safety policy;

(iii) area allocated for treatment of wastes and effluents; and

(iv) percentage of outlay on safety, health and environment protection measures.

(K) Meteorological data relating to the site showing :-

(i) average, minimum and maximum of temperature, humidity and wind velocities during the previous ten years;

(ii) seasonal variations of wind direction;

(iii) highest water level reached during the floods in the area recorded so far; and

(iv) lightening and seismic data of the area.

(I) Communication Links showing :-

(i) availability of telephone/telex/wireless and other communication facilities for outside communication; and

(ii) proposed internal communication facilities.

(m) Manufacturing Process Information showing :-

(i) process flow diagram in detail indicating process parameters*, e.g.* temperature, pressure, *etc*. at various stages of manufacturing process;

(ii) brief write-up on process and technology;

(iii) critical process parameters such as pressure build-up, temperature rise and runaway reconditions;

(iv) other external effects critical to the process having safety implications, such as ingress of moisture or water, contcode with incompatible substances, sudden power failure; and

(v) highlights of the built-in safety/pollution control devices or measures incorporated in the manufacturing technology.

(n) Information on Hazardous Materials showing :-

(i) raw materials, intermediates, products and by-products and their quantities (enclosed with material safety data sheet in respect of each hazardous substance);

(ii) main and intermediates, storages proposed for raw materials/ intermediates/ products (maximum quantities at any time to be stored);

(iii) transportation methods to be used for inflow and outflow of materials, their quantities and likely routes to be followed; and

(iv) safety measures proposed for handling of materials, internal and external transportation, and disposal (packing and forwarding of finished products.

(o) Information of dispersal / disposal of wastes and pollutants showing:-

(i) major pollutants (gas, liquid, solid), their characteristics and quantities (average and at peak loads);

(ii) quality and quantity of solid wastes generated, methods of their treatment and disposal; and

(iii) air, water and soil pollution problems anticipated and the proposed measures to control the same, including treatment and disposal of effluents.

(p) Process Hazards Information along with:-

(i) a copy of the report on Environmental Impact Assessment;

(ii) a copy of the report on Risk Assessment study; and

(iii) published (open or classified) reports, if any, on accident situations /

(q) Information of proposed Safety and Occupational Health Measures along with occupational health hazards or similar plants elsewhere (within or outside the country).

(i) details of fire fighting facilities and minimum quantity of water, carbon dioxide and/or other fire fighting measures needed to meet the emergency; and

(ii) details of the proposed in house medical facilities.

(r) Information on emergency preparedness showing :-

(i) on-site emergency plan and detailed disaster control measures; and

(ii) proposed arrangements, if any, for a mutual aid scheme with the group of neighbouring factories.

(s) Any other relevant information.

(8) Application mentioned in sub-rule (7) shall be certified by the applicant in the following manner:

"I certify that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and nothing of importance has been concealed while furnishing it.

Signature of the Applicant

Applicant's full name and address"

Form for submission of report of site appraisal committee under sub-section (2) of section 83

129. The site appraisal committee shall examine application for the establishment of a factory involving hazardous process and make its recommendations to the State Government within a period of ninety days of the receipt of such application in the prescribed Form-50

Obtaining or developing information of hazardous substances on Material Safety Data Sheet under sub-section (1) of section 84

130. Collection, development and dissemination of information-

(1) The occupier of every factory carrying on a hazardous process shall arrange to obtain or develop information in the form of Material Safety Data Sheet (MSDS) in respect of every hazardous substance or material handled in the manufacture, transportation and storage in the factory. It shall be accessible, upon request, to a worker for reference.

(a) Every such Material Safety Data Sheet shall include the following information:

(i) the identification mark used on the label;

(ii) hazardous ingredients of the substance;

(iii) physical and chemical characteristics of the hazardous substance;

(iv) the physical hazards of the hazardous substance, including the potential for fire, explosion and reactivity;

(v) the health hazards of the hazardous substance, including signs and symptoms of exposure, and any medical condition which are generally recognized as being aggravated by exposure to the substance;

(vi) the primary route or routes of entry;

(vii) the permissible limits of exposure prescribed in Schedule-XXXVII;

(viii) any generally applicable precautions for safe handling and use of the hazardous substance, which are known, including appropriate hygienic practices, protective measures during repairs and maintenance of contaminated equipment, procedures for cleanup of spills and leaks;

(ix) any generally applicable control measures, such as appropriate engineering controls, work practices, or use of personal protective equipment;

(x) emergency and first-aid procedures;

(xi) the date of preparation of the Material Safety Data Sheet, or the last change in it;

(xii) the name, address and telephone number of the manufacturer, importer, occupier or other responsible party preparing or distributing the Material Safety Data Sheet, who can provide additional information on the hazardous substance and appropriate emergency procedures if required.

(b) The occupier while obtaining or developing a Material Safety Data Sheet in respect of a hazardous substance shall ensure that the information, recorded accurately, reflects the scientific evidence used in making the hazard determination. If he becomes newly aware of any significant information regarding the hazards, the new information shall be added to the Material Safety Data Sheet as soon as practicable.

(c) An example of such Material Safety Data Sheet is given in the Schedule-XXXVI.

(2) Every container of a hazardous substance shall be clearly labelled or marked to identify:-

(a) the contents of the container;

(b) the name and address of the manufacturer or importer of the hazardous substances;

(c) the physical and health hazards; and

(d) the recommended personal protective equipment needed to work safely with the hazardous substance.

Disclosure of information to the employees under sub-section (1) of section 84

131. (1) The occupier of every factory carrying on a hazardous process shall supply to all employees, the following information in relation to handling of hazardous materials or substances in the manufacture, transportation, storage and other process:

(a) requirements of sections 84, 85 and 89 of the Code;

(b) a list of hazardous process carried on in the factory;

(c) location and availability of all material safety data sheets as per rule 130;

(d) physical and health hazards arising from the exposure to or handling or, substances;

(e) measures taken by the occupier to ensure safety and control of physical and health hazards;

(f) measures to be taken by the employees to ensure safe handling, storage and transportation of hazardous substances;

(g) personal protective equipment required to be used by employees employed in hazardous process of dangerous operations;

(h) meaning of various labels and markings used on the containers of hazardous substances as provided under these rules ;

(i) signs and symptoms likely to manifest on exposure to hazardous substances and to whom to report ;

(j) measures to be taken by the employees in case of any spillage or leakage of a hazardous substance ;

(k) role of employees *vis-a-vis* the emergency plan of the factory, in particular the evacuation procedures;

(l) any other information considered necessary, by the occupier to ensure safety and health of employees.

(2) The information required by sub-rule (1) shall be compiled and made known to employees individually through supply of booklets or leaflets and display of cautionary notices at the workplaces.

(3) The booklets, leaflets and the cautionary notices displayed in the factory shall be in the language understood by the majority of the employees and shall also be explained to them.

(4) The Inspector-cum-Facilitator or the Chief Inspector-cum-Facilitator may direct the occupier to supply further information to the employees as deemed necessary.

Disclosure of information to the Chief Inspector-cum-Facilitator, local authority under sub-section (1) of section 84

132. (1) The occupier of every factory carrying on a hazardous process shall furnish, in writing, to the Chief Inspector-cum-facilitator a copy of all the information furnished to the employees under sub-section (1) of section 84.

(2) A copy of compilation of Material Safety Data Sheets in respect of hazardous substances used, produced or stored in the factory shall be furnished to the Chief Inspector-cum-Facilitator and the local Inspector-cum-Facilitator.

(3) A copy of the information furnished under sub-rule (1) and sub-rule (2) shall also be sent to the District Magistrate and Sub-Divisional Magistrate of the area where the establishment is situated.

(4) The occupier of hazardous process industry shall also furnish information to the Chief Inspector-cum-Facilitator and Inspector-cum-Facilitator electronically every year on following points:

(a) name of the factory:
(b) address:
(c) product
(d) manufacturing process:-
(i) raw material;
(ii) name and maximum storage capacity;
(e) finished product:-
(i) name and maximum storage capacity;
(f) inter-mediate product:-
(i) name and maximum storage capacity;
(g) hazards associated with the factory,
(h) safety measures observed:
(i) fire and explosion risk:

Disclosure of information to the general public living in vicinity under sub-section (1) of section 84

133. (1) The occupier of every factory carrying on a 'hazardous process' shall in consultation with the District Emergency Authority designated by the State Government, take appropriate steps to inform the general public who are likely to be in the area which might be affected by an accident.

(2) Such information shall include:-

(a) name of the factory and address where situated;

(b) identification, by name and position, of the person giving the information;

(c) confirmation that the factory has approval from the Factories Directorate and State Pollution Control Board;

(d) an explanation in simple terms of the hazardous process(es) carried on in the premises;

(e) the common names of the hazardous substances used which could give rise to an accident likely to affect them, with an indication of their principal harmful characteristics;

(f) brief description of the measures to be taken to minimize the risk of such an accident in compliance with its legal obligations under relevant safety statutes;

(g) salient features of the approved disaster control measures adopted in the factory;

(h) details of the factory's emergency warning system for the general public;

(i) general advice on the action members of the public should take on hearing the warning;

(j) brief description of arrangements in the factory, including liaison with the emergency services, to deal with foreseeable accidents of such nature and to minimize their effects; and

(k) details of where further information can be obtained.

Health and Safety Policy under sub-section (2) of section 84

134. (1) The occupier of every factory involving "hazardous process" shall prepare a written statement of his policy in respect of health and safety of employees at work as per provisions of Code and rules made thereunder and intimate it to Chief Inspector-cum-Facilitator and Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction within 15 days if any change happens in said policy and shall submit whenever asked by them.

(2) The health and safety policy should contain or deal with-

(a) the Health and Safety Policy shall be in conformity with statutory requirements of the Code and other relevant statutes;

(b) organisational set up shall carry out the declared policy clearly assigning the responsibility at different levels, and

(c) arrangements for making the policy effective.

(3) In particular, the Health and Safety Policy should specify the,-

(a) arrangements for involving the employees;

(b) intention of taking into account the health and safety performance of individuals at different levels while considering their career advancement;

(c) the responsibility of the contractors, sub-contractors, transporters and other agencies entering the premises;

(d) a resume of health and safety performance of the factory in its Annual Report;

(e) relevant techniques and methods such as audits and risk assessment like Hazard and Operability Study (HAZOP) etc and other safety techniques for periodical assessment of the status on health, safety and environment and taking all the remedial measures;

(f) its intentions to integrate health and safety in all decisions including those dealing with purchase of plant, equipment, machinery and material as well as selection and placement of personnel; and

(g) arrangements for informing, educating and training and retraining its employees at different levels and the public, wherever required.

(4) A copy of the declared Health and Safety Policy signed by the occupier shall be made available to the Chief Inspector-cum-Facilitator, and Inspector-cum-Facilitator.

(5) The Health and Safety Policy shall be made widely known by:-

(a) making copies available to all employees including contractual employees, apprentices, transport employees, suppliers, etc;

(b) displaying copies of the policy at conspicuous places in a language understood by the majority of employees; and

(c) any other means of communication.

(6) The occupiers shall revise the Safety Policy as often as may be appropriate, but it shall necessarily be revised under the following circumstances:-

(a) wherever any expansion or modification having implications on safety and health of persons at works is made; or

(b) whenever new substances or articles are introduced in the manufacturing process having implications in health and safety of persons exposed to such substances or articles.

Information on industrial wastes under sub-section (7) of section 84

135. (1) The information furnished under rules 129 to 131 shall include the quantity of the solid and liquid wastes generated per day, their characteristics and the methods of treatment such as incineration of solid wastes, chemical and biological treatment of liquid wastes and arrangements for their final disposal.

(2) It shall also include information on the quality and quantity of gaseous waste discharge through the stacks or other openings and arrangements such as provisions of scrubbers, cyclone separators, electrostatic precipitators of similar such arrangements made for controlling pollution of the environment.

(3) The occupier shall also furnish the information prescribed in sub-rules (1) and (2) to the State Pollution Control Board.

Intimation to Chief Inspector-cum-Facilitator by the occupier of the factory proposed to be engaged in hazardous process under sub-section (5) of section 84

136. (1) The occupier/employer shall disclose the information of the factory involving hazardous process under sub-section (5) of section 84, namely:-

(a) The occupier of every factory involving hazardous process shall identify all the hazards involved both from actual operations and the chemical reactions. The properties of the raw materials, final products to be made and any by-products derived during the process shall be carefully studied and provisions shall be made for dealing with any hazards including effects on employees, which may occur during manufacture;

(b) information in the following format giving details of the process, its hazards and steps taken or proposed to be taken from the design stage to disposal stage for ensuring the safety as mentioned in sub-rule(1) shall be sent to Chief Inspector-cum-Facilitator and Inspector-cum-Facilitator through online mode at the earliest and in no case less than 30 days before commencing manufacture, handling or storage involving hazardous process:-

Information to be furnished by Occupier of Hazardous Process Industry:

(a) Name of Factory: ……

(b) Address ……

(c) Manufacturing process details …… (in case of chemical factory material balance of all the reactions shall be enclosed)

(d) Raw Materials used (Name, Mode of storage, Maximum storage Capacity) ….....

(e) Finished Products (Name & Maximum storage Capacity) ……

(f) Intermediate Products (Name & Maximum storage Capacity) ……

(g) Hazards identified (process hazards, storage and handling of chemicals based on HAZOP shall be enclosed in case of chemical factory) ……..

(h) Remedial measures (inbuilt safety systems for equipment, process control, engineering controls and administrative controls): ……

(i) Details for disposal of hazardous waste:

Occupier
with name Signature of

(2) The above information shall be revised and updated immediately after change of any of the above information, technological advancement or once in three years through online.

(3) Any further information sought by the Chief Inspector-cum-Facilitator or Inspector-cum-Facilitator for compliance of the above provisions shall also be furnished.

Information to employees and general public under sub-section (7) of section 84

137. (1) Information under rule 129 to 131 of these rules shall be publicised by displaying the same on Notice Board at the gate or gates of the factory and such information shall also be given to District Magistrate and Chief Inspector-cum-Facilitator.

(2) It shall be the responsibility of the occupier/ employer to widely publicise such information to the general public.

Confidentiality of information under clause (zzq) of sub-section (2) of section 133

138. (1) The occupier of a factory carrying on a 'Hazardous Process', shall disclose all information needed for protecting safety and health of the employees to-

(a) his workers, and

(b) Chief Inspector-cum-Facilitator or Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction, as required under these rules. If the occupier is of the opinion that the disclosure of details regarding the process and formulations will adversely affect his business interests, he may make a representation to the Chief Inspector-cum-Facilitator stating the reason for withholding such information. The Chief Inspector-cum-Facilitator shall pass an order on the representation after giving an opportunity to the occupier of being heard.

(2) An occupier aggrieved by an order of the Chief Inspector-cum-Facilitator may prefer an appeal to the State Government within a period of thirty days and the State Government may, after giving an opportunity of being heard to the occupier, shall pass an order and the order.

Medical Examination under sub-section (a) of section 85

139. (1) Employees employed in a 'hazardous process' shall be medically examined by a qualified medical practitioner, hereinafter referred to a Factory Medical Officer, in the following manner:

(a) once before employment, to ascertain physical fitness of the person to do a particular job.

(b) once in a period of 6 months, to ascertain the health status of all the workers in respect of occupational health hazards to which they are exposed, and at a shorter interval in respect of a worker in whose case the Factory Medical Officer is of the opinion that it is necessary to do so ;

(c) the details of pre-employment and periodical medical examinations carried out as aforesaid shall be recorded in the Health Register in Form-7.

(2) No person shall be employed for the first time without a certificate of fitness in Form-8 granted by the Factory Medical Officer. If the Factory Medical Officer declares a person unfit for employment in a process covered under sub-rule (1), he shall have the right to appeal to the Inspector-cum-Facilitator of the area who after consultation with a Medical Officer shall decide the appeal which shall be final in this regard.

(3) Any finding of the Factory Medical Officer revealing any abnormality or unsuitability of any person employed in the process shall, in turn, examine the concerned worker and communicate his findings to the occupier within 30 days. If the Medical Officer is of the opinion that the worker so examined is required to be taken away from the process for health protection, he will direct the occupier accordingly, who shall not employ the said worker in the same process. However, the worker so taken away shall be provided with alternative placement unless he, in the opinion of the Medical Officer is fully incapacitated in which case the worker affected shall be suitably rehabilitated.

(4) A medical officer on his own motion or on a reference from an Inspector-cum-Facilitator may conduct a medical examination of a worker to ascertain the suitability of his employment in a hazardous process or to ascertain his health status. The opinion of the Medical Officer in such a case shall be final. The requisite fee for this medical examination shall be paid by the occupier.

(5) The worker taken away from employment in any process under sub-rule (2) may be employed again in the same process only after obtaining the Fitness Certificate from the Medical Officer and after making entries to that effect in the Health Register.

(6) The worker required to undergo medical examination under these rules and for any medical survey conducted by or on behalf of the Central or the State Government shall not refuse to undergo such medical examination.

(7) A copy of the medical records and reports shall be provided to the concerned worker free of cost.

Qualification and experience of the qualified persons under clause (b) of section 85

140. (1) All persons who are required to supervise the handling of hazardous substances shall possess the following qualification and experience:

(a) a degree in Chemistry or Diploma in Chemical Engineering or Technology with five years experience; or

(b) a Master's Degree in Chemistry or a degree in Chemical Engineering or Technology with two years experience.

(2) The experience stipulated in sub-rule (1) above shall be in process operation and maintenance in a chemical industry.

(3) The Chief Inspector-cum-Facilitator may require the supervisor to undergo training in Health and Safety. The syllabus and duration of the said training and the organisations conducting the training shall be approved by the Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes (DGFASLI) or the State Government in accordance with guidelines issued by the Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes.

Occupational Health Centres under sub-section (c) of section 85

141. (1) In respect of any factory carrying on 'hazardous process' there shall be provided and maintained in good order, an Occupational Health Centre with the services and facilities as per scale laid down hereunder:

(a) For factories employing up to 50 employees,-

(i) the services of a Factory Medical Officer on retainership basis in his clinic which shall be notified by the occupier who shall carry out pre employment and periodical medical examinations as stipulated in rule 145 and render medical assistance during an emergency;

(ii) a minimum of 5 persons trained in first aid procedures of whom at least one shall always be available during the working period; and

(iii) a fully equipped first aid box in all the departments;

(b) For factories employing 51 to 200 employees:

(i) an Occupational Health Center having a room with a minimum floor area of 15 square metre with floors and walls made of smooth and impervious surface and with adequate illumination and ventilation as well as equipment as per the Schedule annexed to these rules;

(ii) a part time Factory Medical Officer shall be in overall charge of the Center who shall visit the factory at least twice in a week and whose services shall be readily available during medical emergencies;

(iii) one qualified and trained Dresser-cum-Compounder on duty throughout the working period; and

(iv) a fully equipped first aid box in all departments.

(c) For factories employing above 200 employees:

(i) one full-time Factory Medical Officer for factories employing up to 500 employees and one more Medical Officer for every additional 1000 employees or part thereof;

(ii) an occupational Health Center having at least two rooms each with a minimum floor area of 15 square metre with floors and walls made of smooth and impervious surface and adequate illumination and ventilation as well as equipment as per the Schedule annexed to this rule;

(iii) one nurse, one dresser-cum-compounder and one sweeper-cum-ward boy throughout the working period; and

(iv) the Occupational Health Center shall be suitably equipped to manage medical emergencies.

(2) The Factory Medical Officer required to be appointed under sub-rule (1) shall have qualifications as specified in rule 73 of these rules:

Provided that a person possessing a Diploma in Industrial Health or its equivalent shall not be required to possess the certificate of training as aforesaid:

Provided further that the Chief Inspector-cum-Facilitator may, subject to such conditions as he may specify, grant exemption from the requirement of this sub-rule, if in his opinion a suitable person possessing the necessary qualification is not available for appointment:

Provided also that in case of a person who has been working as a Factory Medical Officer for a period of not less than three years on the date of commencement of this rule, the Chief Inspector-cum-Facilitator may, subject to the condition that the said person shall obtain the aforesaid certificate of training within a period of three years, relax the qualification.

(3) The syllabus of the course leading to the above certificate, and the organisations conducting the course shall be approved by the Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes (DGFASLI), Ministry of Labour and Employment, Government of India or the State Government in accordance with the guidelines issued by the DGFASLI.

(4) Within one month of the appointment of Factory Medical Officer, the occupier of the factory shall furnish to the Chief Inspector-cum-Facilitator the following particulars:

(a) name and address of the Factory Medical Officer;
(b) qualifications;
(c) experience, if any; and
(d) sub-rule under which the Factory Medical Officer has been appointed.

(5) Equipment for Occupational Health Centre in Factories shall include:-
(a) a glazed sink with hot and cold water (must be always available);
(b) a table with a smooth top of at least 180 cm x 105 cm;
(c) means for sterilizing instruments;
(d) a couch;
(e) two buckets or containers with closely fitting lids;
(f) a kettle and spirit stove or other suitable means of boiling water;
(g) one bottle of spiritus ammonia aromaticus (120 ml.);
(h) two medium sizes sponges;
(i) two 'Kidney' trays;
(j) four cakes of toilet soap, preferably antiseptic, soap;
(k) two glass tumblers and two wine glasses;
(l) two clinical thermometers;
(m) two tea spoons;
(n) two graduated (120 ml.) measuring glasses;
(o) one wash bottle (1000 cc) for washing eyes;
(p) one bottle (one litre) carbolic lotion in 20;
(q) three chairs;
(r) one screen;
(s) one electric hand torch;
(t) an adequate supply of tetanus toxoid;
(u) coramine liquid (60 ml.);
(v) tablets -antihistamine, antispasmodic (25 each);
(w) syringes with needles-2 cc and 10 cc;
(x) two needle holders, big and small;
(u) suturing needles and materials;
(z) one pair of dressing forceps;
(za) one pair of dressing forceps;
(zb) one scalpel;
(zc) one stethoscope;
(zd) rubber bandage-pressure bandage;
(ze) oxygen cylinder with necessary attachments;
(zf) one blood pressure apparatus;
(zg) one patella hammer;
(zh) one Peak-flow meter for lung function measurement;
(zi) one stomach wash set; and
(zj) any other equipment recommended by the Factory Medical Officer relating to the specific manufacturing process.

(6) In addition to the equipments specified in sub-rule (5), an Occupational Health Centre of:
(a) Factories employing 51 to 200 employees, equipments shall include :-
(i) four plain wooden splints of 900 mmx100mmx6mm;
(ii) four plain wooden splints of 350 mmx75mmx6mm;
(iii) two plain wooden splints of 250 mmx50mmx12mm;
(iv) one pair of artery forceps ;
(v) injections-morphia, pethidine, atropine, adrenaline, coramine, novacan (2 each): and
(vi) one pair of surgical scissors;
(b) For factories employing above 200 workers, equipments shall include :-
(i) eight plain wooden splints of 900mmx100mmx6mm;

(ii) eight plain wooden splints of 350 mmx75mmx6mm;

(iii) four plain wooden splints of 250mmx50mmx12mm;

(iv) two pairs of artery forceps ;

(v) injection-morphia, pethidine, atropine, adrenaline, coramine, novocan (2 each) ; and

(vi) two pairs of surgical scissors.

Ambulance van under sub-section (c) of section 85

142. (1) In every factory carrying on a 'hazardous process' there shall be provided and maintained in good condition, a suitably constructed ambulance van equipped with items specified in sub-rule (2) of this rule and manned by a full time driver-cum-mechanic and a helper trained in first-aid, for the purposes of sickness. The ambulance van shall not be used for purposes other than the purpose stipulated herein and will normally be stationed at or near the Occupational Health Centre:

Provided that a factory employing less than 150 employees may make arrangements for procuring such facility at a short notice from a nearby hospital or other places to meet emergency.

(2) The ambulance van shall have the following equipments :-

(A) General -

(a) a wheeled stretcher with folding and adjusting devices with the head of the stretcher capable of being tilted upward ;

(b) fixed suction unit with equipment ;

(c) fixed oxygen supply with equipment ;

(d) pillow with case, sheets, blankets towels ; and

(e) emesis bag, bed pan, urinal, glass ;

(B) Safety equipments such as :-

(a) flares with life of 30 minutes, flood lights ;

(b) flash light, fire extinguisher-dry powder type ; and

(c) insulated gauntlets.

(C) Emergency Care Equipments such as-

(a) Resuscitation Equipments like -

(i) portion suction unit ; portable oxygen unit;

(ii) bag - valve-mask, hand operated artificial;

(iii) ventilation unit;

(iv) airways ; mouth bags; tracheetomyadapters;

(v) short spine board, I. V. fluids with Administration unit ; and

(v) B. P. manometer ; Cugg ; stethoscope;

(b) Immobilization Equipments-

(i) long and short padded boards wire ladder splints; and

(ii) triangular bandage ; long and short spine boards.

(c) Dressings like -

(i) gauze pads -4"x4" universal dressing 10"x36";

(ii) roll of aluminium foils; soft roller bandages 6"x5" Yards ; adhesive tape in 3" roll; safety pins; and

(iii) bandage sheets ; burn sheet ;

(d) Poisoning Equipments to deal with poisoning like-

(i) syrup of Ipecac; Activated Charcoal pre-packeted in doses; snake bite kit; and

(ii) drinking water;

(e) Emergency medicines as per requirement (under the advice of qualified medical practitioner only).

Decontamination facilities under sub-section (c) of section 85

143. In every factory carrying out hazardous process the following provisions shall be made to meet an emergency:

(a) fully equipped first aid box;

(b) readily accessible means of water for washing by employees as well as for drenching of clothing of employees who have been contaminated with hazardous and corrosive substance; and such means shall be as per the scale shown in the table below:

Number of persons employed at any time	Number of drenching showers
(i) Up to 50 employees	2
(ii) Between 51 and 200 employees	2+1 for every additional 50 or part thereof
(iii) Between 201 and 50 employees	5+1 for every additional 100 or part thereof
(iv) 501 employees and above	8+1 for every additional 200 or part thereof

(c) sufficient number of eye wash bottles filled with distilled water or suitable liquid, kept in boxes or cupboards conveniently placed and clearly indicated by a distinctive sign which shall be easily available at all times.

Availability of health records to employees under sub-section (c) of section 85

144. (1) The occupier of every factory carrying out a "hazardous process" shall make accessible the health records, including the record of worker's exposure to the hazardous process or, as the case may be, the medical records of any worker for his perusal under the following conditions:

(a) once in every six months or immediately after the medical examination, whichever is earlier ;

(b) if the Factory Medical Officer or the Medical Officer, as the case may be, is of the opinion that the worker has manifest signs and symptoms of any noticeable disease as specified in the Third Schedule to the Code ;

(c) if the worker leaves the employment ;

(d) if any one of the following authorities, so direct-

(i) the Chief Inspector-cum-Facilitator ;

(ii) the Health Authority of the Central or State Government ;

(iii) Commissioner of Workmen's Compensation ;

(iv) the Director General, Employees' State Insurance Corporation ;

(v) The Director, Employees State Insurance Corporation (Medical Benefits) ; and

(vi) the Director General, Factory Advice Service and labour Institute.

(2) A copy of the updated health records including the record of employees exposed to hazardous process or, as the case may be, the medical records, shall be supplied to the worker on receipt of an application from him. X-ray plates and other medical diagnostic reports may also be made available for reference to his medical practitioner.

Permissible limits of exposure of chemical and toxic substances under Section 88

145. The maximum permissible threshold limits of exposure of chemical and toxic substances in manufacturing processes (whether hazardous or otherwise) in any factory shall be of the value as given in Schedule-XXXVII.

Appeal under section 90

146. Occupier of any factory aggrieved by an order made by Inspector-cum-Facilitator or the Chief Inspector-cum-Facilitator may, within thirty days from the date on which the order is communicated to him, make an appeal, setting forth concisely the grounds of objection to the order and bearing Court-Fees stamp in accordance with Article 11 of Schedule II to the Court Fees Act, 1870, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against, to the Labour Commissioner who shall, after giving an opportunity of being heard to both the parties dispose of the appeal as expeditiously as possible:

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

Persons in supervisory, managerial or confidential positions under clause (a) of sub-section (1) of section 91

147. (1) The following persons in factories, other than sugar factories, shall be deemed to hold positions of supervision or management, provided they are not required to perform manual labour as regular part of their duties:-

(a) Manager;

(b) Labour Officer;

(c) Security Officer;

(d) Heads of Technical Department;

(e) Engineers;

(f) Supervisors;

(g) Shift Officer;

(h) Shift In-charge;

(i) Head Storekeepers provided they are employed solely in a supervisory capacity; and

(j) any other person, who in the opinion of the State Government holds a position of supervision or management and is so declared by it in writing by way of an order.

(2) In sugar factories, the following persons shall be deemed to hold positions of supervision or management:-

(a) The General Manager;

(b) The Manager;

(c) The Mill Secretary;

(d) The Cane Manager;

(e) The Cane Superintendent, where there is no Cane Manager;

(f) The Chief Chemist;

(g) The Labour Welfare Officer;

(h) The Chief Engineer;

(i) The Secretary to the Managing Agent or the Personal Assistant to the General Manager;

(j) The Cane Development Officer;

(k) Heads of Commercial Department, like accounts, purchase, store, legal catering, *etc*; and

(l) any other person who, in the opinion of the State Government, holds a position of supervision or management and is so declared by it in writing by way of an order.

(3) The following persons shall be deemed to hold confidential positions in a factory:

(a) Stenographers;

(b) Personal Assistants;

(c) Personal Secretaries;

(d) Office Superintendent;

(e) Head Clerk, where there is no Office Superintendent;

(f) Head Munim where there is no Office Superintendent or Head Clerk;

(g) Head Accountant;

(h) Head Cashier;

(i) Cashier;

(j) Head Time-keeper;

(k) Telephone Operator;

(l) Receptionist; and

(m) any other person, who in the opinion of the State Government, holds a confidential position and is so declared in writing by it by way of an order.

(4) The list of all persons mentioned in sub-rules (1), (2) and (3) shall be kept and maintained in a register in Form-51.

(5) For continuous process factories, provisions of section 26 and section 27 and rules made thereunder, shall be exempted to such an extent as prescribed in Schedule II.

Inspection Book under clause (zzq) of sub-section (2) of section133

(1) The employer or the manager of every factory shall maintain an Inspection Book electronically or otherwise. Every inspection note shall be prepared in triplicate.

(2) The occupier/ employer shall keep Form-45 up to date in inspection book.

Record of Inspection under clause (zzq) of sub-section (2) of section 33

149. A note of all defects and irregularities discovered at the time of inspection by an Inspector-cum-Facilitator, or a Medical Officer, shall be prepared by him, in triplicate in the inspection book maintained under rule 148, giving reference to relevant sections of the Code and rules, the breach of which has been committed.

PART-VI
PLANTATION

Housing accommodation under clause (a) of sub-section (1) of section 92

150. (1) Every employer shall provide for every worker and his family residing in a plantation, rent free housing accommodation as near as possible to the place of work. It shall be open to an employer to provide such accommodation in the course of several years provided that houses shall be built at least twenty-five per cent of the resident workers every year.

(2) All housing accommodation for workers in a plantation shall have separate rooms for women employees. Effective and suitable provisions shall be made in every room for securing and maintaining adequate ventilation by the circulation of fresh air and there shall also be provided and maintained sufficient and suitable natural or artificial lighting. The rooms or other suitable alternative accommodation shall be of such dimensions so as to provide at least a floor area of ten square meters, excluding area of the kitchen and toilets, for each person making use of the room. The accommodation shall be so constructed as to afford adequate protection against heat, wind, rain and shall have smooth, hard and impervious floor surface.

(3) The housing accommodation shall be provided on dry well-drained land which, consistent with the requirements regarding distance from the plantation, has supplies of wholesome drinking water within a reasonable distance. In malarial tracts the houses shall be provided at a safe distance from the swamps and marshes and above the highest flood level.

(4) Adequate lighting arrangements shall be provided in and around the area in which housing accommodation is provided.

(5) The employer shall maintain in good condition the approach roads and paths to the area where houses are located as also the sewers and drains in that area.

(6) The employer shall not deny to the public free access to those parts of the plantation where the workers are housed.

(7) The employer shall cause the vicinity of all houses to be kept clear of refuse and excreta and the latrines and drains to be cleaned out daily and all refuse in or near them to be collected, removed and disposed of hygienically.

Housing Scheme under clause (a) of sub-section (1) of section 92

151. (1) Within six months of the date of publication of these rules, every employer of Plantation shall necessarily provide accommodation and shall submit to the Chief Inspector-cum-Facilitator for approval a scheme in regard to the provision by him of housing accommodation for workers, who shall with his remarks forward the same to State Government for approval within thirty days. The State Government will decide the housing scheme as proposed by the employer within a period of three months.

(2) The scheme shall provide for the following matters:-

(a) specification of the period during which housing accommodation is proposed to be provided in respect of all resident workers in a plantation, such period being not later than the period referred to in rules 150;

(b) the type of design which is proposed to be adopted for the construction of houses, such design being in conformity with the standards and specification as may be approved by the State Government, under sub-rule (1);

(c) time frame, plan and site-plan, in duplicate, of the buildings to be constructed or remodelled for use as workers' houses.

(3) All houses shall be built in accordance with the scheme as approved in writing by the State Government.

(4) With a view to showing the progress made in providing houses according to the approved scheme every employer shall submit to the Chief Inspector-cum-Facilitator of Plantations a report in Form- 52 by July 31st of every year.

Maintenance of houses under clause (a) of sub-section (1) of section 92

152. (1) The employer shall, at his own expense, execute such repairs to the houses as may be required from time to time and maintain the houses in fit and safe condition for occupation.

(2) A worker occupying a house may, and an Inspector-cum-Facilitator appointed under the Code and rules made thereafter, shall bring to the notice of the employer any defect in the condition of a house which made it dangerous to the health and safety of the workers. Where an Inspector-cum-Facilitator so brings such defects to notice, it shall be the duty of the employer to rectify them without any delay.

Allotment and occupation of houses under clause (a) of sub-section (1) of section 92

153. (1) No rent shall be charged by an employer for the housing accommodation provided to workers and their families residing in his plantation.

(2) Houses shall be allotted on the basis of one house for a worker having a family for the use of the worker and his family:

Provided that if there are two or more workers in a family only one house shall be allotted in respect of any such family in the name of any worker in the family:

Provided further that in case, of termination of services of a worker in whose name a house is allotted under the preceding proviso, the house shall be allotted in the name of any other member of his family who is a worker.

(3) The employer may allot houses to workers not having families at the rate of one house for not more than four such workers.

(4) The occupant of a house shall not make any unauthorised additions to or alterations in the house.

(5) The occupant of a house shall not exchange the house with the occupant of another house except with the written permission of the employer.

(6) The occupant shall not let the house or any portion thereof to any person.

(7) All workers and members of their families occupying the houses shall use the latrines provided and shall not pollute the soil and shall keep the houses and the precincts thereof clean and tidy and shall not waste drinking water.

(8) No cattle or goats shall be kept in the living rooms or verandahs and no windows or air spaces shall be blocked up.

(9) The employer shall bring to the notice of each worker to whom housing accommodation has been provided the conditions governing the occupation of such accommodation in writing in a language which the latter can understand.

Occupation of accommodation after termination of employment under clause (a) of sub-section (1) of section 92

154. (1) When a worker dies in the service of the employer or retires or goes on transfer, or resigns, or goes on leave or when his services are terminated, he or his family may retain the house up to the period as detailed below-

(a) in the case of death, transfer or termination of service, for a period not exceeding two months;

(b) in the case of retirement or resignation, for a period not exceeding one month;

(c) in the case of leave, for the period of leave ; and

(d) in the case where discharge or dismissal of a worker results in an industrial dispute, for so long as the case is not finally disposed of.

(2) If, on the application made to Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction of the area where such housing accommodations are located, the Inspector-cum-Facilitator is satisfied that a worker or any member of his family refuses to vacate the house allotted to such worker after the expiry of the period specified in sub-rule (1), he may, by notice served-

(a) by post; or

(b) by affixing a copy of it on the outer door or some other conspicuous part of such house; or

c) by any other means of serving the notice as prescribed under the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023) after giving proper opportunities of being heard to such worker or a member of his family or any other person who may be in occupation of the whole or any part of the house, shall pass an order to vacate it within one month of the date of service of such order.

(3) In the event of the failure of the worker or any other person who is in occupation of the house to comply with the order under sub-rule (2), the Inspector-cum- Facilitator may make written requisition to the officer not below the rank of a sub-divisional magistrate, having jurisdiction over the area to evict such worker, member or other person from the house.

(4) On receipt of requisition under sub-rule (3), the sub-divisional magistrate specified in sub-rule (3) shall execute the order passed by Inspector-cum- Facilitator and shall ensure the eviction of such member or other person and shall handover the possession of the house to the employer. The sub-divisional magistrate may for this purpose, use such force as may be necessary:

Provided that before executing such order of eviction, a copy of the order of eviction shall be served on the worker or a member of the family or any other person in occupation of the said house.

Drinking Water under clause (a) of sub-section (1) of section 92

155. (1) An adequate supply of drinking water shall be made available in every plantation at every sites, at all times during working hours.

(2) Drinking water shall not be supplied from any open well or reservoir unless it is so constructed, situated, protected and maintained as to free the possibility of pollution by chemical or bacterial and extraneous impurities.

(3) Where drinking water is supplied from such well or reservoir, the water in it shall be sterilized periodically as required by the Inspector-cum-Facilitator by written order, and the date on which sterilizing is carried out shall be recorded:

Provided that this requirement shall not apply to any such well or reservoir if the water therein is filtered and treated before it is supplied for consumption.

(4) The Inspector-cum-Facilitator may, by order in writing, direct the employer to obtain at such time or at such intervals as he may direct, a report from the Health Officer or the Medical Officer, regarding the fitness for human consumption of the water supplied to workers and in every case shall submit to the Inspector-cum-Facilitator a copy of such report as soon as it is received from the Health Officer or Medical Officer.

(5) Drinking water shall be supplied at work sites at conveniently accessible points through paniwalas or by tankers, *etc*.

Urinal Facility under clause (a) of sub-section (1) of section 92

156. (1) Urinal facility shall be provided in every plantation on the scale of one latrine for every five acres of the area under cultivation or part thereof:

Provided that there shall be at least one latrine each for either sex.

(2) The latrine shall be conveniently situated and shall have exclusive access for either sex.

(3) The walls, ceilings and partitions of every latrine and urinal shall be white-washed and colour-washed and the white-washing or colour-washing shall be repeated at least once in every period of four months.

(4) The latrine should conform to public health requirements and latrines other than those connected with an efficient water-borne sewage system, shall comply with the requirements of the Public Health authorities.

(5) Every latrine shall be under cover and so partitioned off as to secure privacy and shall have a proper door and fastenings.

(6) Where workers of both sexes are employed, there shall be displayed outside each latrine or latrine block, a notice in Hindi and also in the language understood by the majority of workers “For Men Only” or “For Women only”, as the case may be. The notice shall also bear the figure of a man or of a women, as the case may be.

(7) Where piped water supply is available, a sufficient number of water taps, conveniently accessible shall be provided in or near such latrine accommodation:

Provided that if piped water supply is not available, sufficient quantity of water shall be kept stored in suitable receptacles near the latrines.

Urinal facility under clause (a) of sub-section (1) of section 92

157. (1) Urinal facility shall be provided on the scale of one urinal for every two acres of the area under cultivation or part thereof. The urinals shall be conveniently situated for both males and females and shall be exclusive for either sex.

(2) Urinals should conform to public health requirements, urinals other than those connected with an efficient water-borne sewage system shall comply with the requirements of the public health authorities.

Construction and maintenance of drains under clause (a) of sub-section (1) of section 92

158. All drains carrying waste or sullage water shall be constructed in masonry or other impermeable materials and shall be regularly flushed, and the effluent shall be disposed of by connecting such drains with a suitable drainage line :

Provided that where there is no such drainage line, the effluent shall be deodorized and rendered innocuous and then disposed of in a suitable manner to the satisfaction of the Health Officer.

Creches under clause (b) of sub-section (1) of section 92

159. (1) In every plantation wherein thirty or more women workers are employed or were employed on any day of the preceding twelve months, the employer shall provide and maintain a creche or creches for the use of their children who are below the age of six years according to the standards laid down in these rules.

(2) Every creche shall be conveniently accessible to the mothers of the children accommodated therein.

(3) There shall be not less than 15 square feet of floor area for each child to be accommodated in a creche.

(4) The building in which the creche is situated shall be of sound construction with a good plinth.

(5) The plan of the creche building shall be in accordance with the standard plan or plans laid down by the Chief Inspector-cum-Facilitator:

Provided that where no standard plan has been laid down or where it is proposed to deviate from a standard plan, the Chief Inspector-cum-Facilitator approval shall be obtained.

(6) The creche shall be furnished with suitable furniture and a cradle for each child below the age of two.

(7) A suitably fenced and shady open air playground shall be provided for the older children.

(8) The employer shall appoint—

(a) a women as Creche-in-charge to look after children during the absence of their mothers, who shall possess such qualifications and training as may be approved by the State Government; and

(b) such other staff on a scale approved by the said authority.

(9) There shall be in or adjoining the creche a suitable washroom and toilet.

(10) At least half a pint of clean pure milk if possible otherwise powdered milk approved by the Medical Officer shall be made available for each child on every day such child is accommodated in the creche and the mother of such child shall be allowed in the course of her daily work two intervals of sufficient time to visit the creche and feed the child. For children above two years of age there shall be provided in addition to the above, an adequate supply of wholesome refreshment.

(11) The creche staff shall be provided with suitable clean clothes for use while on duty in the creche.

(12) An adequate supply of clean clothes, soap and oil shall be made available for each child while such child is in the creche.

(13) Subject to provisions of the above mentioned sub-rules, a group of employer may jointly provide and maintain crèche and share its expenses.

Educational facilities for workers' children under clause (c) of sub-section (1) of section 92

160. (1) Every employer shall, if the number of workers' children between the ages of 6 and 12 in his plantation exceeds 25, provide and maintain a primary school or schools for imparting primary education to the children:

Provided that an employer may not provide and maintain a primary school if there is one under the direct management of the State Government or of any local body for imparting free education to the children up to the primary or higher standard, with enough seats to admit the children between the ages of six and twelve of the workers in his plantation and within a distance of one mile from the place where workers reside in his plantation, or if under any other law he is required to pay a cess or tax for primary education:

Provided further that subject to the provisions of these rules, a group of employers may jointly provide and maintain a primary school and share its expenses.

(2) Every school to be provided and maintained under these rules, shall be conveniently situated within a distance of one mile from the workers' quarters.

(3) The school building shall be constructed in accordance with the standard plan or plans which may be laid down by the State Government:

Provided that where there is no standard plan or where it is proposed to deviate from a standard plan, the State Government's approval of the plan of the school building shall be obtained.

(4) Where adequate space is available, an open air playground with suitable accessories shall also be provided for the children attending the school.

(5) The employer or employers, as the case may be, shall provide for every primary school maintained under these rules, such educational and other equipment as may be considered necessary by the State Government.

(6) The employer or employers concerned shall appoint one teacher for every forty children attending the primary school. The teacher shall possess the qualifications prescribed by the State Government for teachers in Government primary schools:

Provided that in the case of any person who is working as a school teacher in a plantation at the commencement of these rules, the State Government may, subject to such conditions as it may specify, relax any of the qualifications.

(7) The curriculum, duration, standard and syllabus of the course of instruction to be imparted in the primary school shall be such as may be approved by the State Government.

(8) No fees shall be charged from the workers' children attending the primary school.

Health facilities under clause (d) of sub-section (1) of section 92

161. The plantation workers shall be provided with adequate medical facilities as notified by the State Government in consultation with the Department of Medical Heath and Family Welfare from time to time.

Recreational facilities under clause (e) of sub-section (1) of section 92

162. (1) Every employer shall provide and maintain:-

(a) a recreation centre or centres for workers with provision for indoor games suitable for adult and child workers;

(b) where adequate flat open space is available within a reasonable distance, a playground or playgrounds for adult and child workers with necessary sports equipment for outdoor games:

Provided that subject to the provisions of these rules, a group of employers may with the approval of the Chief Inspector-cum-Facilitator, provide and maintain joint recreation centres and playgrounds and share their expenses.

(2) Every recreation centre to be provided and maintained under these rules, shall be conveniently situated as near as possible to the worker's quarters.

Use and handling of hazardous chemicals, insecticides, pesticides and toxic substances in the plantation under sub-section (2) of section 93

163. (1) No adolescent worker shall be engaged in any activity or work where, they are likely to be exposed to the use, handling, storage and transportation of hazardous chemicals, insecticides, pesticides, hazardous substances and other toxic substances:

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-

(a) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(b) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(c) Women workers those are feeding mother shall be exempted from the Employment.

(2) The employer shall ensure the regular health checkup of all women and adolescent worker engaged in any activity or work of plantation as prescribed under Rule-75 and shall keep the records as mentioned in Rule-75 of these rules.

Appointment and qualification of supervisors under sub-section (3) of section 93

164. (1) For the purposes of sub-section (3) of section 93, the employer shall appoint one or more persons as supervisors, having the following qualifications to supervise the use, handling, storage and transportation of insecticides, chemicals and toxic substances in his plantation.

(2) The supervisors appointed under sub-rule (1) shall have the following qualifications, namely:-

(a) he shall be a graduate in agriculture or in any science or he shall possess a certificate course on handling of chemicals and toxic substances conducted by the institute recognised by the Government of Uttar Pradesh or having an equivalent degree conferred by any institution established and recognised under the law;

(b) he shall be given training from a designated training institute; and

(c) he shall also possess valid certificate from Indian Red Cross Society (IRCS) or Saint John's Ambulance Association or any other institution as recognised by the State Government for this purpose, for giving first aid treatment to workers.

(3) The supervisor shall-

(a) advise the employer on health and safety issues;

(b) be responsible for storage of equipment's, chemicals, insecticides etc;

(c) be responsible for co-ordination and transportation of chemicals, insecticides and personnel involved in the above process;

(d) be responsible for reporting any incident and/or accident involving chemicals due to use of insecticide spraying;

(e) ensure good relation with the workers and their representatives;

(f) ensure the correct use of chemicals and its spraying where spraying of chemical scours;

(g) ensure that protective clothing and dust mask are provided to the spraying personnel and make sure that they are using it during their duty time;

(h) ensure correct use of safety procedure and control of quality spraying;

(i) keep people, especially children away from danger of exposure to spraying;

(j) note the quantity of chemicals and insecticides prepared as and when it issued;

(k) monitor storage, usage and disposal of chemicals by the labourers of plantations.

Training of workers under sub-section (4) of section 93

165. The employer shall organize training in handling chemicals, insecticides and toxic substances and also adopt safety precautions in handling equipment's provided to the workers. The training programme shall be organized on the following matters, namely:-

(a) procedure involved in handling ,mixing ,blending and applying of insecticides, chemical and toxic substances;

(b) control the quality of the spraying and the quality of the solution used;

(c) to see that the equipment is well maintained and cleaned after work;

(d) method of transferring the insecticide to the spraying machine;

(e) keeping people, especially children away at the time of spraying;

(f) manner in which the chemicals and insecticides are to be stored;

(g) manner of mixing the chemicals to prepare the insecticide solution;

(h) the use of protective clothing and mask at the time of spraying;

(i) training on the hazards involved in different operations:

(j) the procedure regarding the spillage of insecticides, chemicals and toxic substances.

Medical examination of plantation workers under sub-section (5) of section 93

166. (1) Every employer of a plantation shall arrange to conduct free of cost medical examination compulsory for all the employees, who are exposed to insecticides, pesticides, chemicals and toxic substances which are used, handled, stored or transported in a plantation, at an interval of not more than ninety days by a Medical Officer or Medical practitioner appointed under the Code:

Provided that if any person shows symptoms of poisoning or symptoms of any contagious disease shall be immediately examined and properly treated.

(2) The employer shall report immediately to the Chief Medical Officer of any accident caused due to use, handling, mixing, blending, storage and transportation of such substances immediately.

(3) In all cases of poisoning, first-aid treatment shall always be given before the physician is called. The Indian Standard Guide for handling cases of pesticide poisoning Part-I, First-Aid Measures [LS 4015 (Part-II) – 1967] shall be consulted for such first-aid treatment in addition to any other book on the subject. The workers shall also be educated on the effects of poisoning and the first-aid treatment to be given.

(4) Workers engaged in spraying work shall be changed and replaced by another batches of workers after they have worked for a period of three months.

Records of Medical examination of plantation workers under sub-section (6) of section 93

167. (1) The records of medical examination conducted under rule-75 and rule-162 shall be kept in accordance with the provisions and forms as laid down under Form-7.

(2) A copy of such medical report shall be provided to the concerned worker and medical records, as maintained under Form-7, and the employer shall make such provisions that concerned workers may have the access to these registers easily.

Washing, bathing and cloak room, protective clothing and equipments facilities under clause (a)and clause (b) of sub-section (7) of section 93

The washing, bathing and clock-room facilities shall be provided and maintained in a cleanly state and in good repair for the use of all persons employed in the following manner:-

(a) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe with plug, and of sufficient length to allow at least two feet for every ten persons employed at any one time, and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than two feet; or

(b) at least one wash basin for every ten such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and plug and having a constant supply of water together with, in either case, a sufficient supply of nail brushes, soap or other suitable cleansing material and clean towels changed daily;

(c) suitable accommodation for clothing not worn during working hours with adequate arrangements for drying the clothing, if wet. The accommodation so provided shall be placed under the charge of a responsible person;

(d) no food, drink or eatables including pan, supari or tabacco shall be brought into or consumed by any worker either at the workplace or at the washrooms;

(e) every worker handling insecticides during transportation or application shall be adequately protected with appropriate clothing;

(f) the protective clothing shall be used wherever necessary in conjunction with appropriate respiratory devices for preventing inhalation of toxic dusts, vapours or gases;

(g) no worker shall be allowed to dilute chemical solutions to be used for spraying nor allowed to spray without using gauntlets, dustproof hats, hood, goggles, knee length polythene apron, rubber gloves, rubber boots (gum boots) with socks, nose mask or bleached kerchiefs to cover nose and mouth;

(h) lenses of goggles shall be of good quality;

(i) rubber or rug-pad shall be used on the back to minimise the jerking of spraying machines;

(j) every worker engaged in spraying shall be provided with a bar of washing soap every fortnight;

(k) the equipment used for spraying as well as protective clothing and other equipment shall be maintained properly and replaced whenever necessary immediately.

Display of Notice indicating hazards of insecticides, pesticides, chemicals and toxic substances under sub-section (9) of section 93

169. Every employer of a plantation shall exhibit precautionary notice at or near the place where the insecticides, chemicals and toxic substances are handled-

(a) use protective clothing like overalls, gloves ,rubber gum-boots and wide brimmed hats.

(b) do not wear clothes contaminated with insecticides and pesticides.

(c) clean the protective clothing by washing with soap and water.

(d) do not allow children, sick persons and pregnant women and nursing mothers to handle insecticides and pesticides.

(e) do not eat, drink, smoke or chew while handling insecticides and pesticides.

(f) never blowout clogged nozzles with your mouth.

(g) do not use leaking sprayers. Avoid contamination of the skin, mouth and eyes.

(h) do not inhale the insecticides unattended in the fields.

(i) never spray insecticides and pesticides against the wind.

(j) do not leave insecticides and pesticides unattended in the fields.

(k) do not allow humans and livestock to enter the insecticides and pesticides sprayed fields for a period of time suggested by the manufacturers;

(l) do not wash insecticides and pesticides containers near a well or running stream;

(m) keep clean water, soaps and towels ready for use;

(n) wash hands and exposed skin thoroughly with soap and water before eating, drinking or smoking or chewing after work;

(o) keep the insecticides and pesticides locked in the store room and out of reach of children and other unauthorised persons;

(p) do not enter the spread fields. Follow the re-entry periods for all insecticides and pesticides, including herbicides, suggested by the manufacturers.

(q) keep insecticides and pesticides in their original labelled containers.

(r) do not decant insecticides and pesticides into and label containers, except for immediate use;

(s) dispose the containers safely after thoroughly emptying and washing. They may be buried in a place away from the water source;

(t) never use the container for any other purposes, if it is impossible to remove the traces of insecticide and pesticides from the containers;

CHAPTER-X
OFFENCES AND PENALTIES

Appeal against the penalty imposed under sub-section (3) of section 111

170. (1) Any person aggrieved by an order made by the officer under these rules may prefer an appeal before the Labour commissioner, Uttar Pradesh. The Appeal shall be made within sixty days of receipt of copy of the order of the officer.

(2) The appeal shall be accompanied with (form-57) -

(a) the order appealed against;

(b) a non-refundable fee equivalent to five percent, of the amount of penalty levied on under such appeal;

(c) a statement of issues in dispute;

(d) documentary evidence relied upon;

(e) relief sought.

Manner of compounding of offences by the compounding officer specified under sub-section (1) of section 114

171. (1) The officer notified by the State Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 114 shall on an application in FORM- 53 by an accused person desirous of making composition of a compoundable offence, before or after holding the enquiry or as the case may be, of institution of prosecution, issue electronically a compounding notice in Form-53 (A) to such person for the offence for which is compoundable under sub-section (1) of section 114 of the Code.

(2) The person so noticed under sub-rule (1) may apply to the officer electronically or otherwise and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.

(3) The Officer referred to in sub-rule (1) shall issue a composition certificate within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.4-If a person so noticed fails to deposit the composition amount within the one month from the receipt of the notice before the institution of prosecution, the prosecution shall be proceeded with before the competent Court.

5-No prosecution shall be instituted except in accordance without giving an opportunity to the person to comply with such provisions subjected to proviso of sub-section (1) of Section 110 and compounding as under section 114 of the Code

6-For compounding of an offence, where the prosecution has already been instituted in a court, the officer referred to in sub-rule (1) shall send a copy of such order for intimation to the concerned court for further action.

CHAPTER-XI
SOCIAL SECURITY FUND

Social Security Fund under section 115

172. (1) In addition to source of fund mentioned in clause (i) sub-section (2) of Section 115, and sub-rule (2), the amount received from the following sources shall be credited to the Fund-

(a) amount given by the State Government for the establishment of the fund;

(b) the amount of grant given by the Government of India, the State Government and other authorities and statutory bodies;

(c) amount received for registration/renewal of beneficiaries and their contribution;

(d) amount received for implementation of the scheme notified by the Government of India;

(e) amount received for implementation of the scheme notified by the State Government;

(f) contribution or donation or any other financial support from employer, their association or from Corporate Social responsibility (CSR) Fund as determined by the State Government by general or special order;

(g) any other source which is approved by the State Government from time-to-time;

(2) The amount of above-mentioned Fund shall be administered in such a way as prescribed under the Code on Social Security, 2020 (Act no 36 of 2020) and rules made thereunder by the State Government.

CHAPTER-XII
MISCELLANEOUS

Manner, form and fees for obtaining common license under clause (a) of sub-section (2) of section 119

173. The person seeking common license under section 119 of the Code, shall make an application electronically on the specified web-portal of Department of Labour, Government of Uttar Pradesh to designated authority in Form- 54 notified under sub-section (1) of section 119 along with such cumulative application fees as prescribed in tables mentioned under sub-rule (4) of rule 78 and rule- 104 and rule-115 of Chapter-IX of these rules.

Manner to grant common license under sub-section (3) of section 119

174. (1) On receipt of an application the designated authority shall on advise of committee constituted under section 119 (1) decide as to granting of common license.

(2) For such enquiry under sub-rule (1), designated authority shall obtain the recommendation from the committee constituted under the rule who shall submit its report within a period of fifteen days.

(3) After examining the application and the recommendation, if the authority is satisfied that the common license may be issued, he shall issue the same within a period of forty-five days from the receipt of such application in Form- 55.

(4) Any licence obtained by providing wrong information shall be liable to be cancelled provided that person has been given an opportunity to show cause, electronically or by registered post, as to why the licence should not be cancelled.

Appeal under sub-section (6) of section 119

175. (1) Any person aggrieved by an order passed by the authority under section 119, may file within thirty days from the date of the order, an appeal electronically to State Government and in such manner and with such fee as mentioned in sub-rule (2)

(2) The appeal shall be accompanied with (form-58), —

(a) the order appealed against;

(b) a non-refundable fee equivalent to five percent, of the fees deposited to obtain common license;

(c) a statement of issues in dispute;

(d) documentary evidence relied upon.

(e) relief sought

survey on situation relating to safety and health under sub-section (2) of section 121

176. (1) On the direction of the State Government, the Chief Inspector-cum-Facilitator or other officer or officers appointed under sub- section (1) of 121 may conduct a survey in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 121 of the Code, at any time during the normal working hours of an establishment, or at any other time as informed by him of the Committee or the person to be necessary, after giving notice in writing to the employer or manager of the establishment or any other person who for the time being purports to be the in-charge of the establishment. undertake survey relating to safety and health in the establishment and outside.

(2) The Employer or manager or other person shall afford all facilities for the survey including facilities for the examination and testing of plant and machinery and collection of samples and other data relevant to the survey.

(3) For the purpose of facilitating surveys every worker and person in nearby vicinity, if so, required by the committee or the person conducting the survey, present himself to undergo such medical examination as may be considered necessary by such person and furnish all information in his possession and relevant to the survey.

(4) Any time spent by a worker for undergoing medical examination or furnishing information under sub-rule (2) shall, for the purpose of calculating wages and extra-wages for overtime work, be deemed to be time during which such worker worked in the establishment.

By order,
DR. M.K. SHANMUGA SUNDARAM,
Pramukh Sachiv.

SCHEDULE-I
{See sub rule (1) of Rule 4}

Sl. No.	Section or rule under which competency is recognised	Qualifications Required	Experience for the purpose	Facilities at his command
1	2	3	4	5
1	Rules made under Section 79 and Section2(1)(l) Certificate of stability for buildings and the process flow diagram of the manufacturing process, the site plan and the detailed plans.	A degree in Civil or Structural Engineering or a degree equivalent thereto.	(i) A minimum experience of 10 years in the design or construction or testing or repairs of structures; (ii) Knowledge of non-destructive testing, various codes of practices that are current and the effect of the vibrations and natural forces on the stability of the building.	Requisite facilities and tools required for the purpose.
2	Rules made under Section18(2)(f) Dangerous Machines'.	A degree in Electrical or Mechanical or Textile Engineering or a degree equivalent thereto.	(1) A minimum experience of 7 years in— (a) design or operation or maintenance; or (b) testing, examination and inspection of relevant machinery, their guards, safety devices and appliances. (2) He shall— be conversant with safety devices and their proper functioning.	Gauges for measurement; instruments for measurement of speed and any other equipment or device to determine the safety in the use of dangerous machines.
3	Section18(2)(f) — Lifts and Hoists'	A degree in Electrical or Mechanical Engineering or a degree equivalent thereto.	(i) A minimum experience of 7 years in— (a) design or erection or maintenance; or (b) inspection and test procedure of Lifts and Hoists. (ii)He shall be— (a)conversant with relevant codes of practices and test procedures that are current; (b) conversant with other Statutory requirements covering the safety of the Hoists and Lifts.	Facilities for load testing, tensile testing, gauge, equipment gadgets for measurement and any other equipment, required for determining the safe working conditions of Hoists and Lifts.

4	Section 18(2)(f) — Lifting Machines, chains, ropes, and lifting tackles.	A degree in Electrical or Mechanical or Metallurgical Engineering or a degree equivalent thereto.	(i) A minimum experience of 7 years in— (a)design or erection or maintenance; or (b)testing, examination and inspection of lifting machines, chains, ropes and lifting tackles. (ii) He• shall be— (a)conversant with the relevant code of practices and test procedures that are current; (b) conversant with fracture mechanics and metallurgy of the material of construction. (c) conversant with heat treatment, stress relieving techniques as applicable to stress bearing components and parts of lifting machines and lifting tackles.	Facilities for load testing, tensile testing, heat treatment, equipment gadget for measurement, gauges and such other equipment to determine the safe working conditions of the lifting machines, chains, ropes and lifting tackles.
5	Section 18(2)(f) – 'pressure plant'	A degree in Chemical or Electrical or Metallurgical or Mechanical Engineering or a degree equivalent thereto.	(i) A minimum experience of 10 years in— (a) design or erection or maintenance, or (b)testing, examination and inspection of pressure plants. (ii) He shall be— (a) conversant with the relevant codes of practice and test procedures relating to pressure vessels; (b) conversant with statutory requirements concerning the safety of unfired pressure vessels and equipment operating under pressure; (c) conversant with non-destructive testing techniques as are applicable to pressure vessels.	Facilities for carrying out hydraulic test, non-destructive test, gauges equipments/ gadgets for measurement and other equipment or gauges to determine the safety in the use of pressure vessels.
6	Section18(2)(f) - 'precautions against dangerous fumes'.	A Master's degree in Chemistry or a degree in Chemical Engineering.	(i) A minimum experience of 7 years in collection and analysis of environmental samples and calibration of monitoring equipment; (ii) He shall— be conversant with the hazardous properties	Meters, instruments and devices duly calibrated and certified for carrying out the tests and certifications of safety in working in confined spaces.

			of chemicals and their permissible limit values;	
7	Ventilation system as required under various Schedules framed under Section 82 such as Schedules on— (i)grinding or glazing of metals and Processes incidental thereto. (ii)cleaning or smoothing, roughering, etc. of articles by a jet of sand, metal shot or grit or other abrasive propelled by a blast of compressed air or steam. (iii)handling and processing of asbestos. (iv)manufacture of Rayon by viscose process, (v)foundry operations	A degree in Mechanical or Electrical Engineering or a Degree equivalent thereto.	(i)- A minimum experience of 7 years in the design, fabrication, installation, testing of ventilation systems and systems used for extraction and collection of dusts, fumes and vapours and other ancillary equipment. (ii) He shall be conversant with relevant codes of practice and test procedures that are current in respect of Ventilation and extraction system for fumes.	Facilities for testing the Ventilation system, instruments and gauges for testing the effectiveness of the extraction systems for dust, vapours and fumes and any other equipment needed for determining the efficiency and adequacy of these systems. He shall have the assistance of a person having a post graduate degree in Physics or diploma in Mechanical Engineering with at least 7 years of experience on related facilities.

SCHEDULE-II

{See Rule 50}

Continuous Process Factories

1. The following classes of work in the under mentioned classes of factories shall be deemed to be of the nature of continuous process referred to in Rule 50 and shall be exempt from the provisions of section 26, section 27 and rule made therein to such a extent as stated in the conditions below-

Classes of Factories		Class of work
1	Electrical generating stations and distributing sub-stations.	Work of workers attending to boilers turbines, engines, generators, motors, boosters, switchboards, transmissions machinery, cables, batteries and auxiliaries.
2	Water works and water pumping stations.	Work of workers attending to boilers, engines, motors, switchboards, pumps and auxiliaries.
3	Sugar factories and refineries working on the vacuum pan system.	Work of workers attending to- (a) boilers, engines, motors, switchboards and pumps; (b) handling and crushing cane and handling gur to melting blow-ups; (c) engaged in filtration, clarification and crystallisation of cane juice and gur liquor; (d) engaged in evaporation and concentration of cane juice and gur liquor; (e) engaged in curing the massacuite; (f) engaged in drying, crushing and bagging of sugar; (g) engaged in the burning of lime stone and sulphur, for production of carbon dioxide and sulphur dioxide gases, for the clarification of cane juice.
4	Distilleries	The work of workers attending to- (a) boilers, engines, motors, switchboards and pumps; (b) diffusion of mahua; (c) working of molasses; (d) fermentation of wash; (e) yeast propagation;

		(f) distillation process.
	Breweries	The work of workers attending to- (a) boilers, engines and pumps; (b) melting, coppers, hop back, coolers and refrigerators.
	Rosin and Turpentine.	The work of workers attending to- (a) boilers, engines, pumps, motors and switch boards; (b) distillation of rosin; (c) refining of turpentine; (d) filtration and casting of rosin.
	Ice factories and Milk Chilling Plants	The work of workers attending to- (a) boilers, hot water generators and ice-making machinery; (b) receptacles for the production of ice. (c) Milk unloader , milk loader ,chilling machine operator, milk sample collector , milk collector, maintenance ,etp
	Chemical works	The work of workers attending to- (a) boilers, pumps and compressors; (b) the manufacture of sulphuric, nitric and hydrochloric acids, ammonia, magnesium sulphate, alum, hyposulphate and sulphite of soda, sodium sulphate, sodium sulphide, nitrate of potash, alumina and bi-chromate of potash.
	Distillation of sandal wood and essential oils.	The work of workers attending to boilers and distillation processes.
0	Plate and sheet glass factories and glass bangles factories.	The work of the following classes of workers- (a) gas producers, window and plate glass machine-men, tankmen, sheet-glass carriers and lift attendants and workers employed on glass blowing machines in tank and pot furnaces when run in conjunction with the glass furnace; (b) firemen, engine and boiler attendants.
1	Straw-boards factories.	The work of workers attending to- (a) boilers, engines, turbines, generators, motors, switch-boards and pumps; (b) cooking, milling, beating and straw-board machines.
2	Kiln, seasoning of timber and bobbin stone enamelling.	The work of workers attending to- (a) boilers, engines, pumps, motors, dynamos and switch-boards; (b) timber, seasoning, Kiln; (c) stone-enamellings chamber.
3	Vegetable oil Hydrogenation factories.	The work of workers attending to- (a) boilers, generators, motors, transformers, switch-boards and water softening plants; (b) refining, bleaching, distillation (deodorisation) and hardening plants, soldering, labelling, packing and storing of containers; (c) the production and compression of hydrogen and oxygen gases;
4	Production and or compression of oxygen and acetylene gases.	The work of workers attending to generator and compressors.
5	Soap factories	The work of workers attending to- (a) boilers, generators, motors, switch-boards; (b) boiling, scrutching and framing.
6	Paper mills	The work of workers attending to- (a) boilers, engines, turbines, generators, motors, switch-boards and pumps; (b) cooking, milling, beating, straw-board and paper manufacturing machines.
7	Electrical steel smelting furnaces.	Work of workers attending to transformers, electrode controls, hydraulic pumps, scrap cutting and transporting, furnacemen, ladenmen, pitside workers and workers attending to moulds for ingot.

8	Rolling mills	Ingot transporters, furnace men, furnace coolies, tongs men working at various rolling mills (such as rougher's and loopers) workers on the cooling bed, motormen, strengtheners, workers engaged in stacking of finished material and attendants of shares and other auxiliary machinery.
9	Starch factories	Work of workers engaged in the manufacture of starch and its by-products, except those employed in the engineering departments and workshops.
0	Glue and gelatine mills.	Work of workers engaged in the manufacture of glue and gelatine including soaking, boiling, spreading, chopping and drying.
1	Biscuit and Bakery factories	Work of workers engaged in divider machine, the mixing of the dough, dough cutting, proofing, cooling tunnel, slicing, cream machine, cream filling machine, sheeter machine, generator, maintenance and chilling unit, baking, drying, and packing biscuits or bakeries.
2	Cement factories	The work of workers attending to - (a) attending to boilers, engines, motors, switch-boards and pumps; (b) engaged in preparation of raw materials, cement mills, working in conjunction with the continuous Kilns, cement grinding, packing and storing.
3	Cold storage factories.	Work of workers attending to motors and compressors.
4	Capacitors making factories.	Work of workers engaged in Anodic, forming of Aluminium foils and other connected processes.
5	All factories	Work of workers attending boilers.
6	Manufacture of audio-video magnetic tape	The work of workers attending to- (a) engaged in operations and process of mixing coating, calendaring, and utility services; and (b) attending to planetary mixing machine, high speed dissolver, puddle mixer, media mill tank mixer, sand mill, filter unit; coating machine, calendaring machine; air compressors, air handling unit, chilling plant and cooling towers.
7	Petrol pump, CNG or other fuel filling station	Work of workers engaged in services of fuel filling by pumping of oil or any other manufacturing process.
8	Manufacture of fruit based beverages	The work of workers engaged in processes of the: (a) Raw material section; (b) Processing section; (c) Packaging section; and (d) Work attending to weighing machine, fork lift for material handling, battery, charging machine, D.M. plant, pulper pulp pressuriser and cooler, pulp and syrup tanks, blending tank, pasteuriser, ready juice tank, homogenizer, filling and packing machines, shrink wrapping, tray packing, oil packing and air blower and control boards.
9	Manufacture of polyester filament yarn	The work of workers; (a) engaged in operations and processes of - Polymerisation; - Spinning and Take-up: -Draw twisting/draw texturizing (b) attending to boiler, diesel generator set, heat transfer media, compressor, water-treatment plant, slurry circulation vessel, and equipments used in processes specified in (a) above.
0	Manufacture of Television, Computer or Mobile monitors	The work of workers: (a) engaged in operations and processes of; Shadow/ Panel Mark Assembly; Stabilising & Baking Black matrix: Screen Coating: Aluminising: Panel Baking, Internal Magnetic Shield and Funnel Preparation; Frit Sealing, Gun Sealing, Exhaust; and Aging Processes. (b) Attending to Annealing furnace; Blackening, furnace;

		Mask washing machine; Spot welding machine; Stab furnace; Coating machine; Phosphor recovery unit; Frit sealing/furnace; Exhaust furnace; Frit mixer; Blending and taping machine; Scrubbers; Heat exchangers; Air handling units; Pumps; Motors and Chillers
1	Manufacture of Polyster film/ polypropylene film rolls.	The work of workers : (a) engaged in operations and processes of : Batch Mixing, Crystallising and Drying Extrusion, Casting and Primary Gauzing: Orientation of Molecule in Machine Direction/Transverse Direction; Secondary Gauge System; Winding, Film Trim Cutting and Gauge Monitoring; Winding of Film on Steel Core; Slitting and Packing (b) attending to: Feeder, Mixer, Crystallizer, Dryer; Extruder; Casting and Primary Gauge Machine; Machine Direction Orientater; Transverse Direction Orienter, Pull Roll Stand Secondary Gauge Equipment; Winder; Slitting and Packing Machine; Printing Machine; Laminator, and Extrusion Laminator; Pouch Making Machine.
2	Manufacture of CD-R & CD-RW	The work of workers: (a) engaged in operations and processes of: Mixing; Moulding, Dye Coating, Image Printing, Drying; Sputtering, Lacquer Dispensing; and UV Curing. (b) attending to : Plannery, Tere mixing, High speed dissolver; Puddle mixture; Media mill; Tank mixer; Sand mill filter unit; Coating machine; Calendering machine; Air compressors; Air handling units; Chilling plant; D.G. sets, and Cooling towers.
3	Manufacture of Refrigerators	The work of workers: (a) engaged in Vacuum Forming Process, PU Foaming Process, Assembly Line, Brazing and Cold Roll Forging (CRF) operations, (b) attending to Vacuum Forming Machine, PU Foaming Machine, Brazing Machine, Pick and Place Machine, Paint booths, Coolers/Chiller, air compressors, Cooling Towers, Diesel, Generating sets, Cold Roll Forging (CRF) Machine and Press Machines.
4	Manufacture Washing Machine	The work of workers: (a) engaged in Injection Moulding Operation, Cold Roll Forging (CRF) and assembly operation. (b) attending to Moulding Machine, Pick and Place Machine, Curing Machine, Coolers/Chiller, Air Compressor, heat exchanger, Paint booths, Diesel

2. The Chief Inspector-cum-Facilitator with the prior approval of Labour Commissioner, Uttar Pradesh, may declare, in writing, stating reasons for such declarations in details, any other classes of work or classes of factories for any technical reason, as a continuous process by his general or special order.

Conditions:

1. Such worker shall be employed on three eight-hour shifts system. An interval for rest of half an hour shall be allowed to every such worker some time during each shift he is required to work.
2. No such workers shall be employed for more than fourteen consecutive days without a holiday of twenty-four consecutive hours.
3. The total daily hours of work shall not exceed 10.5 hours, the State Government may by notification in the Official Gazette increase the spread over up to 12 hours inclusive of his intervals for rest in respect of any group or class or description of establishment on such conditions as it may deem expedient under code, except in an emergency when it is necessary to employee a shift worker for more than 8 hours in any day to enable him to work whole or part of the subsequent shift. In no case shall the worker be employed for more than 12 hours in a period of 24 hours from

the commencement of work, and the total number of hours of overtime shall also not exceed 115 in any quarter:

Provided that where subsequent shift or any part thereof during which a shift worker is employed as aforesaid falls on a weekly holiday, compensatory period of rest shall also be given on a day which is neither a festival nor a weekly holiday.

4. The Manager shall also enter the period of extra time worked and the extent of compensatory period of rest in the respective registers and shall note therein the time of commencement of such extra time work before its commencement.
5. The system of shifts shall be approved by an Inspector-cum-Facilitator before enforcement.
6. All workers working in excess of 8 hours a day or 48 hours a week in a factory shall be paid in respect of such additional hours at the rate of twice the ordinary rate of any in accordance with the provisions of Section 27 of the Code.
7. Every worker shall be given a compensatory holiday in accordance with Section 26 of the code and rule therein.

SCHEDULE FOR DANGEROUS OPERATIONS
(Safety, Welfare amenities, Protective Equipments and Medical Examinations etc.)

[See Rule 125]

SCHEDULE-III

MANUFACTURE OF AERATED WATERS AND PROCESSES INCIDENTAL THERETO

1. Fencing of machines.—All machines for filling bottles or syphons shall be so constructed, placed or fenced as to prevent, as far as may be practicable, a fragment of a bursting bottle or syphon from striking any person employed in the factory.

2. Face-guards and gauntlets.—(1) The occupier shall provide and maintain in good condition for the use of all persons engaged in filling bottles or syphons—

(a) suitable face-guards to protect the face, neck and throat, and

(b) suitable gauntlets for both arms to protect the whole-hand and arms:

Provided that—

(i) Paragraph 2(1) shall not apply where bottles are filled by means of an automatic machine so constructed that no fragment of a bursting bottle can escape; and

(ii) where a machine is so constructed that only one arm of the bottles at work upon it is exposed to danger, a gauntlet need not be provided for the arm, which is not exposed to danger.

(2) The occupier shall provide and maintain in good condition for the use of all persons engaged in corking, crowning, screwing, wiring, foiling, capsuling, sighting or labelling bottles or syphons :

(a) suitable face-guards to protect the face, neck and throat, and

(b) suitable gauntlets for both arms to protect the arm and at least half of the palm and the space between the thumb and forefinger.

3.Wearing of face-guards and gauntlets.—All persons engaged in any of the Processes specified in paragraph 2 shall while at work in such Processes, wear the face-guards and gauntlets provided under the provisions of the said paragraph.

SCHEDULE-IV

ALL TYPES OF ELECTROPLATING PROCESS

1. Definitions.—For the purposes of this schedule—
   (a) "Electrolytic process " means the electrolytic plating or oxidation of metal articles by the use of an electrolyte.
   (b) "Bath" means by vessel used for an electrolytic process or for any subsequent process.

(c) "Employed" means in paragraphs 5, 6, 7 and 8 of this schedule, employed in any process involving contact with liquid from a bath and.

(d) "Suspension" means suspension from employment in any process involving contact with liquid from any bath by written certificate in the health register, signed by the Factory medical officer, who shall have power of suspension as regards all persons employed in any such process.

(e) "First employment" means first employment in an electrolytic process in the factory and shall also include re-employment in the said process following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months.

2. Exhaust draught.—An efficient exhaust draught shall be applied to every vessel in which an electrolytic processes is carried on. Such draught shall be provided by mechanical means and shall operate on the vapour or spray given off in the process as nearby as may be at the point of origin. The exhaust draught appliance shall be so constructed, arranged and maintained as to prevent the vapour or spray entering into any room or place in which work is carried on.

3. Prohibition relating to women and young persons.—No pregnant women or young person shall be employed or permitted to work at a bath.

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Women workers who are feeding mothers shall be exempted from the Employment.

4. Floor of workrooms.—The floor or every room containing a bath shall be impervious to water. The floor shall be maintained in good and level condition and shall be washed down at least once a day.

5. Protective clothing.—

(1) The occupier of the factory shall provide and maintain in good and clean condition the following articles of protective clothing for the use of all persons employed in any process at which they are liable to come in contact with liquid from a bath and such clothing shall be worn by the persons concerned :

(a) Water-proof aprons and bibs, and

(b) for persons actually working at a bath, loose fitting rubber gloves and rubber boots or other water-proof footwear.

(2) The occupier shall provide and maintain for the use of all persons employed, suitable accommodation for the storage and adequate arrangements for the drying of the protective clothing.

6. Medical facilities and record of examinations and tests. –

(1) The occupier of every factory in which electrolytic processesare carried on shall-

(a) employ a Factory Medical Officer for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said Factory medical officer all the necessary facilities for the purposes referred to in clause (a):and

(c) provide and maintain a sufficient supply of suitable ointment and inpermiable water proof plaster in separate box readly accessible to the worker and use solely for the purpose of keeping the ointment and plaster.

(2) The factory medical officer shall examine all workers becore they are employed in electrolytic process. Such examination shall include inspection of hands, forearms nad nose and will be carried out at intervels of not more than one week.

(3) The record of medical examinations and appropriate tests carried out shall be maintained in health register Form-7, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator.

7. Medical examination-

(1) Every worker employed in the electrolytic processes shall be examined by a Factory medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for chromium in urine and nasal septum perforation. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Factory Medical Officer.

(2) Every worker employed in the said process shall be re-examined by Factory Medical Officer at least once in every three calendar months. Such re-examination shall, wherever the Factory Medical Officer considers appropriate, include tests as specified under sub-paragraph (1).

(3) Factory Medical Officer after examining a worker shall issue a Certificate of Fitness in Form-8. The record of examination and re-examinations carried out shall be kept in the custody of the manager of the factory. The record of each examination carried out under sub-paragraphs (1) and (2), including the nature and the results of the tests, shall also be entered by the Factory Medical Officer in a Health Register in Form-7.

(4) The Certificate of Fitness and the Health Register shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

(5) If at any time, the Factory Medical Officer or Medical Officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said processes on the ground that continuance therein would involve special danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the Health Register. The entry of his findings in these documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (5) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical Officer after further examination, again certifies him fit for employment in these processes.

8. Cautionary placard.—A cautionary placard in the form specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator and printed in the language of the majority of the workers employed shall be affixed in a prominent place in the factory where it can be easily and conveniently read by the workers.

9. Weekly examination.—Where electrolytic plating is done the Factory Medical Officer shall examine the worker weekly and inspect the hands forearms of the persons employed and shall keep a record of such inspections in a register.

SCHEDULE-V

MANUFACTURE AND REPAIRS OF ELECTRIC ACCUMULATORS:

1. Savings.—This schedule shall not apply to the manufacture or repair of electric accumulators or parts thereof not containing lead or any compound of lead; or to the repair on the premises, of any accumulator forming part of a stationary battery.

2. Definitions.—For the purposes of this schedule—

(a) "First employment" means first employment in a lead process in the factory or workshop and shall also include re-employment said process following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months.

(b) "Lead process " means the melting of lead or any material containing lead, casting, pasting, lead burning, or any other work, including tribbing, or any other abrading or cutting of pasted plates, involving the use, movement or manipulation of, or contact with any oxide of lead.

(c) "Manipulation of raw oxide of lead" means any lead process involving any manipulation or movement of raw oxides of lead other than its conveyance in a receptacle or transfer by means of an implement from one operation to another.

(d) "Suspension" means suspension from employment in any lead process by written certificates in the Health Register (Form-5) signed by the Factory Medical Officer, who shall have power of suspension as regards all persons employed in any such process .

3. Prohibition relating to women and young persons.—No pregnant women or young person shall be employed or permitted to work in any lead process or in any room in which the manipulation of raw oxide of lead or pasting is carried on.

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Women workers who are feeding mothers shall be exempted from the Employment.

4. Separation of certain processes.—Each of the following Process shall be carried on in such a manner and under such conditions as to secure effectual separation from one another, and from any other process :

(a) manipulation of raw oxide of lead ;

(b) pasting;

(c) drying of pasted plates ;

(d) formation with lead burning ("tacking")necessarily carried on in connection therewith;

(e) melting down of pasted plates,

5. Air space.—In every room in which a lead process is carried on, there shall be at least 500 cubic feet of air space for each person employed therein, and in computing this air space no height over 12 feet shall be taken into account.

6. Ventilation.—Every work-room shall be provided with inlets and outlets of adequate size so as to secure and maintain efficient ventilation to all parts of the room.

7. Distance between worker in the pasting room.—In every pasting room the distance between the centre of the working position of any paster and that of the paster working nearest to him shall not be less than five feet.

8. Floor of work-rooms.—(1) The floor of every room in which a lead process is carried on shall be—

(a) of cement or similar material so as to be smooth and impervious to water;

(b) maintained in sound conditions ;and

(c) kept free from materials, plant or other obstruction not required for, or produced in, the process carried on in the room.

(2) In all such rooms other than grid casting shops the floor shall be cleaned daily after being thoroughly sprayed with water at a time when no other work is being carried on in the room.

(3) In grid casting shops the floor shall be cleansed daily.

(4) Without prejudice to the requirements of sub-paragraphs (1), (2) and (3), where manipulation of raw oxide of lead of pasting is carried on the floor shall also be—

(a) kept constantly moist while work is being done;
(b) provided with suitable and adequate arrangements for drainage;
(c) thoroughly washed daily by means of a hose pipe.

9. Workbenches.—The work benches at which any lead process is carried on shall—

(a) have a smooth surface and be maintained in sound condition;

(b) be kept free from all materials or plant not required for, or produced in, the process carried on thereat;

and, all such work-benches other than those in grid casting shops shall—

(c) be cleansed daily either after being thoroughly dampened or by means of a suction cleaning apparatus, at a time when no other work is being carried on thereat;

and, all such work-benches in grid casting shops, shall—

(d) be cleansed daily;and every work-bench used for pasting shall—

(e) be covered throughout with sheet lead or other impervious material;

(f) be provided with raised edges ;and

(g) be kept constantly moist while pasting is being carried on.

10. Exhaust draught.—(1)The following process shall not be carried on without the use of an efficient, exhaust draught:

(a) Melting of lead or materials containing lead ;
(b) Manipulation of raw oxide of lead, unless done in an enclosed apparatus so as to prevent the escape of dust into the workroom ;
(c) Pasting;
(d) Trimming, brushing, filing or any other abrading or cutting of pastered plates giving rise to dust;
(e) Lead burning,other than—
(i) "tacking" in the formation room ;

(ii) chemical burning for the making of lead linings for cell cases necessarily carried on in such a manner that the application of efficient exhaust is impracticable.

(2)Such exhaust draught shall be affected by mechanical means and shall operate on the dust or fume given off in the process as nearly as may be at its point of origin, so as to prevent it from entering the air of any room in which persons work.

11. Fumes and Gases from melting pots.—The products of combustion produced in the heating of any melting pot shall not be allowed to escape into a room in which persons work.

12. Container of dross.—A suitable receptacle with tightly fitting cover shall be provided and used for dross as it is removed from every melting pot. Such receptacle shall be kept covered while in the work-room except when dross is being deposited therein.

13. Container for lead waste.—A suitable receptacle shall be provided in every work-room in which old plates and waste material, which may give rise to dust shall be deposited.

14. Racks and shelves in drying room.—(1)The racks or shelves provided in any drying room shall not be more than 8 feet from the floor nor more than 2 feet in width;

Provided that as regards racks or shelves set or drawn from both sides, the total width shall not exceed 4 feet.

(2)Such racks or shelves shall be cleanced only after being thoroughly dampened unless an efficient suction cleaning apparatus is used for the purpose.

15. Medical facilities and record of examinations and tests. - (1) The occupier of every factory in which manufacture and repair of electric accumulators is carried on shall-

(a) employ a Factory Medical Officer for medical surveillance of the workers employed therein.and

(b) provide to the said Factory medical officer all the necessary facilities for the purposes referred to in clause (a)

16.Medical examination.— Medical examination by factory medical officer

(1) Every worker employed in lead processes shall be examined by a factory medical officer within 15 days of his firs employment. Such examination shall include tests for lead in urine and blood. ALA in urine, haemoglobin content, stippling of cells and steadiness test. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Medical Officer.

(2) Every worker employed in the said processes shall be re-examined by a factory medical officer at least once in every three calendar months. Such re-examination shall, wherever the factory medical officer considers appropriate, include tests specified in sub-paragraph (1)

(3) The Factory Medical officer after examining workers shall issue Certificate of Fitness in Form-8. The record of examination and re-examinations carried out shall be entered in the certificate and the certificate shall be kept in the custody of the Manager of the factory. The record of each examination carried out under sub-paragraphs (1) and (2), including the nature and the results of the rests, shall also be entered by the Factory medical officer in a Health Register in Form-7.

(4) The Certificate of Fitness and the Health Register shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator.

(5) If at any time the Factory Medical Officer or Medical Officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said processes on the ground that continuance therein would involve special danger to the health of the worker he shall make a record of his findings in the said Certificate and the Health Register. The entry of his findings in those documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (5) above shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical Officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

17. Protective clothing.—(1)Protective clothing shall be provided and maintained in good repair for all persons employed in—

(a) manipulation of raw oxide of lead ;
(b) pasting ;
(c) the formation room ;

and such clothing shall be worn by the persons concerned.

(2)The protective clothing shall consist of a water-proof apron and water-proof footwear; and, in addition as regards persons employed in the manipulation of raw oxide- of lead or in pasting, head coverings. The head coverings shall be washed daily.

18.Mess-room.—There shall be provided and maintained for the use of all persons employed in a lead processes and remaining on the premises during the meal intervals, a suitable mess-room, which shall be furnished with sufficient tables and benches and adequate means for warming food.

The mess-room shall be provided under die charge of a responsible person, and shall be kept clean.

19. Cloak-room.—There shall be provided and maintained for the use of all persons employed in a lead process —

a) a cloak-room for clothing put-off during working hours with adequate arrangements for drying the clothing, if wet. Such accommodation shall be separate from any mess-room; and

b) separate and suitable arrangements for the storage of protective clothing provided under paragraph 17.

20. Washing facilities.—(1)There shall be provided and maintained in a cleanly state and in good repair for the use of all persons employed in a lead processes :

(a) A wash place under cover, with either—

(i) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe, without plug, and of sufficient length to allow of at least two feet for every such five persons employed at any one time, and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 2 feet; or

(ii) at least one wash basin for every five such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and plug and having a constant supply of water laid on .

(iii) a sufficient supply of clean towels made of suitable materials renewed daily which supply, in the case of pastoers and persons employed in the manipulation of raw oxide of lead, shall include a separate marked towel for each such worker; and

(iv) a sufficient supply of soap or other suitable cleansing material and of nail brushes.

(2) There shall in addition be provided means of washing in close proximity to the rooms in which manipulation of raw oxide of lead or pasting is carried on if required by notice in writing from the Chief Inspector-cum-Facilitator.

21. Time to be allowed for washing.—Before each meal and before the end of the days, work at least ten minutes, in addition to the regular meal times, shall be allowed for washing to each person, who has been employed in the manipulation of raw oxide of lead or in pasting

Provided that if there be one basin or two feet of trough for each such-person this "rule shall not apply.

22. Facilities for bathing.—sufficient bath accommodation to the satisfaction of the Chief Inspector cum-Facilitator shall be provided for all persons engaged in the manipulation of raw oxide of lead or in pasting, and a sufficient supply of soap and clean towels.

23. Food, drink, etc. prohibited in work-rooms.—No food, drink, pan and supari or tobacco shall be consumed or brought by any worker into any workroom in which any lead process is carried on.

SCHEDULE-VI
GLASS MANUFACTURE AND PROCESS INCIDENTAL THERETO

1. Exemption.—If the Chief Inspector-cum -Fcilitator is satisfied in respect of any factory or any class of process that, owing to the special methods of work or the special conditions in a factory or otherwise, any of the requirements of this schedule can be suspended or relaxed without danger to the persons employed therein, or that the application of this schedule or any part thereof is for any reason impracticable, he may by a certificate in writing authorised such suspension or relaxation as may be indicated in the certificate for such period and on such conditions as he may think fit.

2. Definitions—For the purposes of this schedule—

(a) "Efficient exhaust draught" means localised ventilation affected by mechanical means, for the removal of gas, vapour, dust or fumes so as to prevent them (as far as

practicable under the atmospheric conditions usually prevailing) from escaping into the air of any place in which work is carried on. No draught shall be deemed efficient which fails to remove smoke generated at the point where such gas, vapour, fume, or dust originate.

(b) "First Employment" means first employment in the Process specifiedin paragraph 3 and on glass blowing and shall also include re-employment in such Process following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months, and

(c) "Lead compound"' means any compound of lead other than galena, which, when treated in the manner described below, yields to an aqueous solution of hydrochloric acid a quantity of soluble lead compound exceeding, when calculated as lead monoxide, five per cent of the dry weight of the portion taken for analysis.

The method of treatment shall be as follows :

A weighed quantity of the material, which has been dried at 100°C. and thoroughly mixed shall be continuously shaken for one hour, at the common temperature with 1,000 times its weight of an aqueous solution of hydrochloric acid containing 0.25 per cent by weight of hydrogen chloride. This solution shall thereafter be allowed to stand for one hour and then filtered. The lead salt contained in the clear filtrate shall then be precipitated as lead sulphide and weighed as lead sulphate.

3. Exhaust draught.—The following processes shall not be carried on except under an efficient exhaust draught or under such other conditions as may be approved by the Chief Inspector-cum-Facilitator:

(a) the mixing of raw materials to form a "batch".

(b) the dry grinding, glazing and polishing of glass or any article of glass.

(c) all processes in which hydrochloric acid fumes or ammonical vapours are given off;

(d) all processes in the making of furnace mould or "pots" including the grinding or crushing of used "pots"; and

(e) all processes involving the use of a dry lead compound; and

(f) any other operation which omits dust , vapour or gas or mist or smoke or soot while further processing the glass bangles or other glass products by joining, grinding ,decorating, annealing, remelting, painting, printing, abrasive blasting, etching, marking etc.

4. Prohibition relating to women and young persons.—No pregnant women or young person shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 3 and on glass blowing or at any place where such operations are carried on.

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Women workers who are feeding mothers shall be exempted from the Employment.

5. Floors and workbenches.—The floor and work-benches of every room in which a dry compound of lead is manipulated or in which any process is carried on giving off silica dust shall be kept moist and shall comply with the following requirements:

(a) the floors shall be—

(i) of cement or similar material so as to be smooth and impervious to water;

(ii) maintained in sound conditions; and

(iii) cleansed daily after being thoroughly sprayed with water at a time when no other work is being carried on in the room.

(b) The work-benches shall—

(i) have a smooth surface and be maintained in sound condition, and

(ii) be cleansed daily either after being thoroughly dampened or by means of a suction cleaning apparatus at a time when no other work is being carried on thereat.

6. Use of Hydrofluoric Acid.—The following provisions shall apply to rooms in which glass is treated with hydrofluoric acid—

(a) there shall be inlets and outlets of adequate size so as to secure and maintain efficient ventilation in all parts of the room;

(b) the floor shall be covered with gutta-percha and be tight and shall slope gently down to a covered drain;

(c) the work places shall be so enclosed in projecting hoods teat openings required for bringing in the objects to be treated shall be as small as practicable; and

(d) the efficient exhaust draught shall be so contrived that the gases are exhausted downwards.

7. Storage and transport of Hydrofluoric Acid.—Hydrofluoric acid shall not be stored or transported except in cylinders or receptacles made of lead or rubber.

8. Food, drinks, etc. prohibited in workroom.—No food, drink, pan and supari or tobacco shall be brought into or consumed by any worker in any room or work place wherein any process specified in paragraph 3 is carried on.

9. Protective clothing.—The occupier shall provide, maintain in good repair and keep in a clean condition for the use of all persons employed in the processes specified in paragraph 3, suitable protective clothing, footwear and goggles according to the nature of the work and such clothing, footwear, etc. shall be worn by the concerned persons.

10. Washing facilities.—There shall be provided and maintained in cleanly state and in good repair for the use of all persons employed in the processes specified in paragraph 3 :

(a) a wash place with either—

(i) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe, without plug, and of sufficient length to allow of at least two feet for every five such persons employed at any one time, and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 2 feet; or

(ii) at least one wash basin for every five such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and plug and having an adequate supply of water laid on or always readily available; and

(b) a sufficient supply of clean towels made of suitable materials renewed daily with a sufficient supply of soap or other suitable cleansing material and of nail brushes, and

(c) a sufficient number of stand-pipes with taps-the number and location of such stand-pipes shall be to the satisfaction of the Chief Inspector-cum-Facilitator

11.Medical facilities and record of examination and tests.-(1) The occupier of everyfactory in which glass manufacturing processes are carried out, shall-

(a) employ a qualified Factory Medical Officer for medical surveillance of the workers employed and,

(b) provide to the said Factory Medical Officer all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a).

(2) The records of medical examinations and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained in a separate Health Register in Form-7, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator.

12. Medical examination by Factory Medical Officer.- (1) Every worker employed in processes specified in paragraph 3, processes specified below and on glass blowing shall be examined by a Factory Medical Officer within 15 days of his first employment. Such examinations shall include examination of eyesight, pulmonary functions tests and in suspected cases chest X-rays as well as tests for lead in urine of workers except those working on glass blowing. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Factory Medical Officer .

Processes:

- Preparation of Ghundi/Gulli and loams from the red-hot molten glass;

-Colouring, designing of loams, reheating and reshaping of loams;

-Manipulation of "Bangle-Coils" from reheated/designed loams on the belan or bangle drawing machines;

-Rotation of belan;

-Setting/separation of bangle-coils while manipulation of bangle is being done;

-Collection of bangle-coils at the other end of bangle drawing belan rod;

-Cutting of bangle-coils.

(2) Every worker employed in the said processes shall be re-examined by a Factory Medical Officer at least once in every twelve calendar months. Such re-examination shall, wherever the Factory Medical Officer considers appropriate, include tests as specified in sub-paragraph (1).

(3) The Factory Medical Officer after examining a worker shall issue Certificate of Fitness in Form-8. The record of examination and re-examination carried out shall be entered in the certificate and the certificate shall be kept in the custody of the manager of the factory. The record of each examination carried out under sub-paragraphs (1) and (2) including the nature and the results of the tests, shall also be entered by the Factory Medical Officer in the Health Register in Form-7.

(4) The Certificate of Fitness and the Health Register shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator

(5) If at any time the Factory Medical Officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said processes on the ground that continuance therein would involve special danger to the health of worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the Health Register. The entry of his findings in those documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (5) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Factory Medical Officer after further examination, again certifies him to be fit for employment in those processes.

13. Blow pipes.- Every glass blower shall be provided with a separate blow pipe bearing the distinguishing mark of the person to whom it is issued and suitable facilities shall be readily available to every glass blower for sterilizing his blow pipe.

SCHEDULE-VII

GRINDING OR GLAZING OF METALS AND PROCESSES INCIDENTAL THERETO:

1. Definitions.—For the purposes of this schedule—

(a)"Grindstone" means a grindstone composed of natural or manufactured sandstone but does not include a metal wheel or cylinder into which blocks of natural or manufactured sandstone are fitted.
(b) "Abrasive wheel" means a wheel manufactured of bonded every or similar abrasive.
(c)"Grinding" means the abrading by aid of mechanical power, of metal, by means of a grindstone or abrasive wheel.
(d)"Glazing" means the abrading, polishing or finishing, by aid of mechanical power, of metal, by means of any wheel, buff, mop or similar appliance to which any abrading or polishing substance is attached or applied.
(e)"Racing" means the turning up, cutting or dressing of revolving grindstone before it is brought into use for the first time.
(f) "Hacking" means the chipping of the surface of a grindstone by a hack or similar tool.
(g) "Rodding" means the dressing of the surface of revolving grindstone by the application of a rod, bar or strip of metal to such surface.

2. Exceptions.—(a) Nothing in this schedule shall apply to any factory in which only repairs are carried on except any part thereof in which one or more persons are wholly or mainly employed in the grinding or glazing of metals.

(b) Nothing in this schedule except paragraph 4, shall apply to any grinding or glazing of metals carried on intermittently and at which no person is employed for more than 12 hours in any week..

3. Equipment for removal of dust.—No racing, dry grinding or glazing shall be performed without—

a) a hood or other appliance so constructed, arranged, placed and maintained as substantially to intercept the dust thrown off; and
b) a duct of adequate size, airtight and so arranged as to be capable of carrying away the dust, which duct shall be kept free from obstruction and shall be provided with proper means of access for inspection and cleaning, and where practicable, with a connection at the end remote from the fan to enable the Inspector-cum-facilitator to attach thereto any instrument necessary for ascertaining the pressure of air in the said duct; and
c) a fan or other efficient means of producing a draught sufficient to exhaust the dust:

Provided that the Chief Inspector-cum-Facilitator may accept any other appliance that is in his opinion, as effectual for the interception, removal and disposal of dust thrown off as a hood, duct and fan would be.

4. Restriction on employment on grinding operations.—Not more than one person shall at any time perform the actual processes of grinding or glazing upon a grindstone, abrasive wheel or glazing appliance :

Provided that this paragraph shall not prohibit the employment of persons to assist in the manipulation of heavy or bulky articles at any such grindstone, abrasive wheel or glazing appliance.

5. Glazing.—Glazing or other processes, except process incidental to wet grinding upon a grindstone, shall not be carried on in any room in which wet grinding upon a grindstone is done.

6. Hacking and rodding.—Hacking or rodding shall not be done unless during the process either (a) an adequate supply of water is laid on at the upper surface of the grindstone, (b) adequate appliances for the interception of dust are provided in accordance with the requirements of paragraph 3.

7. Examination of dust equipment.—(1) All equipment for the extraction or suppression of dust shall, at least once in every six months, be examined and tested by a competent person, and any defect disclosed by such examination and test shall be rectified as soon as practicable.

(2) A register containing particulars of such examination and test shall be kept in a Form-56.

8. Medical facilities and record of examinations and tests. - (1) The occupier of every factory in which grinding or glazing of metals are carried out and wherein 50 or more workers are employed, shall-

(a)employ a Factory medical officer for medical surveillance of the workers employed therein.and

(b) provide to the said Factory medical officer all the necessary facilities for the purposes referred to in clause (a).

(2) The record of medical examinations and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained in health register Form-7, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator.

9. Medical examination by Factory medical officer. - (1) Every worker employed in grinding or glazing of metal and processes incidental thereto shall be examined by a Factory medical officer within 15 days of his first employment. Such examinations shall include pulmonary function tests and in suspect cases chest X-rays. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by a Factory medical officer.

(2) Every worker employed in the said processes shall be re-examined by a Factory medical officer at least once in every 12 calendar months. Such re-examination shall, wherever the Factory medical officer considers appropriate, include tests as specified in sub-paragraph (1).

(3) The Factory Medical Officer after examining a worker shall issue a Certificate of Fitness in Form-8. The record of examination and re-examinations carried out shall be entered in the certificate and the certificate shall be kept in the custody of the manager of the factory. The record of each examination carried out under sub-paragraphs (1) and (2), including the nature and the results of the test, shall also be entered by the Factory Medical Officer in a health register in Form-7.

(4) If at any time the Factory Medical Officer or Medical Officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said processes on the ground that continuance therein would involve special danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes.

(5) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (4) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical Officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

10. Exemption. - The Chief Inspector-cum-Facilitator may by certificate in writing, subject to such conditions as he may specify therein, relax or suspend any of the provisions of this schedule in respect of any factory, if owing to the special methods of work or otherwise such relaxation or suspension is practicable-' without danger to the health or safety of the persons employed.

SCHEDULE-VIII

MANUFACTURE AND TREATMENT OF LEAD AND CERTAIN COMPOUNDS OF LEAD:

1. Exemptions.—Where the Chief Inspector-cum-Facilitator is satisfied that all or any of the provisions of this schedule are not necessary for the protection of the persons employed, he may by certificate in writing, exempt any factory from all or any such provisions, subject to such condition as he may specify therein.

1. Definitions.—For the purposes of this schedule—

(a) "Efficient exhaust draught" means localised ventilation affected by heat or mechanical means, for the removal of gas, vapour, dust or fumes so as to prevent them (as far as

practicable under the atmospheric conditions usually prevailing) from escaping into the air of any place in which work is carried on. No draught shall be deemed efficient which fails to remove smoke generated at the point where such vapour, fumes or dust originate.

(b) "First Employment" means first employment in the Process specified in paragraph 3 and on glass blowing and shall also include re-employment in such Process following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months,

(a) "Lead Compound" means any compound of lead other than galena which when treated in the manner described below, yields to an aqueous solution of hydrochloric acid, a quantity of soluble lead compound exceeding, when calculated as lead monoxide, five per cent of the dry weight of the portion taken for analysis. In the case of points and similar products and other mixtures containing oil or fat the "dry weight" means the dry weight of the material remaining after the substance has been thoroughly mixed and treated with suitable solvents to remove oil, fats, varnish or other media.

The method of treatment shall be as follows :

A weighed quantity of the material, which has been dried at 100°C. and thoroughly mixed shall be continuously shaken for one hour, at the common temperature, with 1,000 times its weight of an aqueous solution of hydrochloric acid containing 0.25 per cent by weight of hydrogen chloride. This solution shall thereafter be allowed to stand for one hour and then filtered. The lead salt contained in the clear filtrate shall then be precipitated as lead sulphide and weighed as lead sulphate.

3. Application.—This schedule shall apply to all factories or parts of factories in which any of the following operations are carried on:

(a) work at a furnace where the reduction or treatment of zinc or lead ores is carried on.
(b) the manipulation treatment or reduction of ashes containing lead, the desilvering of lead or the melting of scrap lead or zinc.
(c) the manufacture of solder or alloys containing more than ten percent of lead.
(d) the manufacture of any oxide, carbonate, sulphate chromate, acetate, nitrate or silicate of lead.
(e) handling or mixing of lead tetraethyl.
(f) any other operation involving the use of a lead compound.
(g) the cleaning of work-rooms where any of the operations aforesaid are carried on.

4. Prohibition relating to women and young persons.—No pregnant women or young persons shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 3.

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions:-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Women workers who are feeding mothers shall be exempted from the Employment.

5. Requirements to be observed.—No person shall be employed or permitted to work in any process involving the use of lead compounds, if the process is such that dust or fume from a lead compound is produced therein, or the persons employed therein are liable to be splashed with any lead compound in the course of their employment unless the provisions of paragraphs 6 to 14 are complied with.

6. Exhaust draught.—Where dust, fume, gas or vapour is produced in the process , provision shall be made for removing them by means of an efficient exhaust draught so contrived as to operate on the dust, fume, gas or vapour as closely as possible to the point of origin.

7. Medical facilities and records of examination and tests.—(1) The occupier of every

factory to which the schedule applies shall,-

(a) employ a factory medical officer for medical surveillance of the workers employed therein; and(b) provide the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a)

(2) The record of medical examination and appropriate tests carried out by the factory medical officer shall be maintain in a separate register, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator

8. Medical examination by factory medical officer - (1) Every worker employed in the 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for lead in blood and urine, ALA in urine, haemoglobin content, stippling of cells and steadiness test. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the factory medical officer.

(2) Every worker employed in the said processes shall be re-examined by a factory medical officer at least once in every three calendar months. Such re-examination shall, wherever the factory medical officer considers appropriate include tests specified in sub-paragraph (1).

(3) The Factory Medical Officer after examining a worker will issue a certificate of fitness in Form-8. The record of examination and re-examinations carried out shall be entered in the Certificate and the Certificate shall be kept in the custody of the Manager of the factory. The record of each examination carried out under sub-paragraphs (1) and (2) including the nature and the results of the test shall also be entered factory medical officer in a Health Register in Form-7.

(4) The Certificate of Fitness and the Health Register shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator.

(5) If at any time the Factory Medical Officer or Medical Officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said processes on the ground that continuance therein would involve special danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said Certificate and the Health Register. The entry of his findings in those documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (5) above shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical Officer after further examination again certifies him fit for employment in those processes.

9. Food, drinks, etc., prohibited in work-rooms.—No food, drink, pan and supari or tobacco shall be brought into or consumed by any worker in any work-room in which any of the Process specified in paragraph 3 are carried on and no person shall remain in any such room during intervals for meals or rest.

10. Protective clothing.—Suitable protective overalls and head coverings shall be provided, maintained and kept clean by the factory occupier and such overalls and head covering shall be worn by the persons employed.

11. Cleanliness of work-rooms, tools, etc.—The rooms in which the persons are employed and all tools, and apparatus used by them shall be kept in a clean state.

12. Washing facilities.—(1) The occupier shall provide and maintain for the use of all persons employed suitable washing facilities consisting of—

(a) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe without plug and of sufficient length to allow at least two feet for every ten persons employed at any one time, and having a constant supply of clean water from taps or jets above the trough at intervals of not more than two feet; or

(b) at least one wash-basin for every ten persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and plug and having a constant supply of clean water together with, in either

case, a sufficient supply of nail brushes, soap or other suitable cleaning material and clean towels.

(2) The facilities so provided shall be placed under the charge of a responsible person and shall be kept clean.

13. Mess-room or canteen.—The occupier shall provide and maintain for the use of the persons, employed suitable and adequate arrangements for taking their meals. The arrangements shall consist of the use of a room separate from any work-room which shall be furnished with sufficient tables and benches, and unless a canteen serving hot meals is provided, adequate means of warming food. The room shall be adequately ventilated by the circulation of fresh air, shall be placed under the charge of a responsible person and shall be kept clean.

14. Cloak-room.—The occupier shall provide and maintain for the use of persons employed, suitable accommodation for clothing not worn during working hours, and for the drying of wet clothing.

SCHEDULE IX
GENERATION OF GAS FROM DANGEROUS PETROLEUM:

1. Prohibition relating to women and young persons- No pregnant women or young person shall be employed or permitted to work in or shall be allowed to enter any building in which the generation of gas from dangerous petroleum is carried on.

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Women workers who are feeding mothers shall be exempted from the Employment.

2. Flame traps.—The plant for generation of gas from dangerous petroleum and associated piping and fittings shall be fitted with at least two efficient flame traps so designed and maintained as to prevent a flash back from any burner to the plant. One of these traps shall be fitted as close to the plant as possible. The plant and all pipes and valves shall be installed and maintained free from leaks.

3. Generating building or room.—All plants for generation of gas from dangerous petroleum shall be erected outside the factory building proper in a separate well ventilated building (hereinafter referred to as the "generating building"). So far as practicable, all such generating rooms shall be constructed of fire-resisting materials.

4. Fire extinguishers.—An efficient means of extinguishing petrol fires shall be maintained in any easily accessible position near the plant for generation of gas from dangerous petroleum.

5. Plant to be approved by Chief Inspector-cum-Facilitator—Petrol gas shall not be manufactured except in a plant for generating petrol gas the design and construction of which has been approved by the Chief Inspector-cum-Facilitator

6. Escape of petrol.—Effective steps shall be taken to prevent petrol from escaping into any drain or sewer.

7. Prohibition relating to smoking, etc.—No person shall smoke or carry matches, fire or naked light or other means of producing a naked light or spark in the generating room or building or in the vicinity thereof and warning notice in the language understood by the majority of the employees shall be posted in the factory prohibiting smoking and the carrying of matches, fire or naked light or other means of producing a naked light or spark into such room or building.

8. Access to petrol or containers.—No unauthorized person shall have access to any petrol or to a vessel containing or having actually contained petrol.

9. Electric fittings.—All electric fitting shall be of flame proof construction and all electric conductors shall either be enclosed in metal conduites or be lead-sheathed.

10. Construction of doors.—All doors in the generating room or building shall be constructed to open outwards; or to slide and no door shall be locked or obstructed or fastened in such a manner that it cannot be easily and immediately opened from the inside while gas is being generated and any person is working in the generating room or building.

11. Repair of containers.—No vessel that has contained petrol shall be repaired in a generating room or building and no repairs to any such vessels shall be undertaken unless live steam has been blown into the vessel and until the interior thoroughly steamed out or other equally effective steps have been taken to ensure that it has been rendered free from petrol or inflammable vapour

SCHEDULE-X
CLEANING OR SMOOTHING OR ROUGHENING ETC. OF ARTICLES BY A JET OF SAND, METAL SHOT OR GRIT OR OTHER ABRASIVE PROPELLED BY A BLAST OF COMPRESSED AIR OR STEAM

1. Definitions.- For the purposes of this schedule -

(a)‘blasting’ means cleaning, smoothing, roughening, or removing of any part of the surface of any article by the use of an abrasive jet of sand, metal shot, or graft or other material, propelled by a blast of compressed air or steam;

(b)‘blasting enclosure’ means a chamber, barrel, cabinet or any other enclosure designed for the performance of blasting therein;

(c)‘blasting chamber’ means a blasting enclosure in which any person may enter at any time in connection with any work or otherwise; and

(d)‘cleaning of castings’ where done as an incidental or supplemental process in connection with the making of metal castings, means the freeing of the casting from adherent sand or other substance and includes the removal of cores and the general smoothening of a casting, but does not include the free treatment.

(e) First Employment" means first employment in any of the processes to which this schedule apply and shall also include re-employment in such Process following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months, and

2. Prohibition of sand blasting.- Sand or any other substance containing free silica shall not be introduced as an abrasive into any blasting apparatus and shall not be used for blasting;

Provided further that no pregnant women or young person shall be employed or permitted to work at any operation of sand blasting.

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Women workers who are feeding mothers shall be exempted from the Employment.

3. Precautions in connection with blasting operations.- (1) Blasting shall not be done except in a blasting enclosure and no work other than blasting and any work immediately incidental thereto as clearing and repairing of the enclosure including the plant and appliances situated therein, shall be performed in a

blasting enclosure. Every door, aperture and joint of blasting enclosure shall be kept closed and air tight while blasting is being done therein.

(2) Blasting enclosure shall always be maintained in good condition and effective measures shall be taken to prevent dust escaping from such enclosure, and from apparatus connected therewith, into the air of any room.

(3) There shall be provided and maintained in connection with every blasting enclosure, efficient apparatus for separating, so far as practicable, abrasive which has been used for blasting and which is to be used again as an abrasive, from dust or particles of other materials arising from blasting; and no such abrasive shall be introduced into any blasting apparatus and used for blasting until it has been so separated;

Provided that this clause shall not apply, except in the case of blasting chambers, to blasting enclosures constructed or installed before the coming into force of this schedule, if the Chief Inspector cum facilitator is of opinion that it is not reasonably practicable to provide such separating apparatus.

(4) There shall be provided and maintained in connection with every blasting enclosure efficient ventilating plant to extract, by exhaust draught effected by mechanical means, dust produced in the enclosure. The dust extracted and removed shall be disposed of by such method and in such manner that it shall not escape into the air of any room; and every other filtering or settling device situated in a room in which persons are employed, other than persons attending to such bag or other filtering or settling device, shall be completely separated from the general air of that room in an enclosure ventilated to the open air.

(5) The ventilating plant provided for the purpose of sub-paragraph (4) shall be kept in continuous operation whenever the blasting enclosure is in use whether or not blasting is actually taking place therein, and in the case of blasting chamber, it shall be in operation even when any person is inside the chamber for the purpose of cleaning.

4. Inspection and examination.-(1) Every blasting enclosure shall be specially inspected by a competent person at least once in every week in which it is used for blasting. Every blasting enclosure, the apparatus connected therewith and the ventilating plant shall be thoroughly examined and in the case of ventilating plant, tested by a competent person at least once in every month.

(2) Particulars of the result of every such inspection, examination or test shall forthwith be entered in a register and shall be available for inspection by inspector cum facilitator or any workman employed in or in connection with blasting in the factory. Any defect found on any such inspection, examination or test shall be immediately reported by the person carrying out the inspection, examination or test to the occupier, manager or other appropriate person and without prejudice to the foregoing requirements of this schedule, shall be removed without any delay.

5. Provision of protective helmets, gauntlets and overalls- (1) There shall be provided and maintained for the use of all persons who are employed in a blasting chamber, whether in blasting or in any work connected therewith or in cleaning such a chamber, protective helmets of a type approved by a certificate of the Chief Inspector-cum-Facilitator; and every such person shall wear the helmet provided for this use whilst he is in the chamber and shall not remove it until he is outside the chamber.

(2) Each protective helmet shall carry a distinguishing mark indicating the person by whom it is intended to be used and no person shall be allowed or required to wear a helmet not carrying his mark or a helmet which has been worn by another person and has not since been thoroughly disinfected.

(3) Each protective helmet when in use shall be supplied with clean and not unreasonably cold air at a rate of not less than170 litres per minute.

(4) Suitable gauntlets and overalls shall be provided for the use of all persons while performing blasting or assisting at blasting, and every such person shall while so engaged, wear the gauntlet and overall provided.

6. Precautions in connection with cleaning and other work- (1) Where any person is engaged upon cleaning of any blasting apparatus or blasting enclosure or of any apparatus or ventilating plant connected therewith or the surroundings thereof or upon any other work in connection with any blasting apparatus or blasting enclosure or with any apparatus or ventilating plant connected therewith so that he is exposed to the risk of

inhaling dust which has arisen from blasting, all practicable measures shall be taken to prevent such inhalation.

(2) In connection with any cleaning operation referred to in paragraph 5, and with the removal of dust from filtering or settling devices all practicable measures shall be taken to dispose of the dust in such a manner that it does not enter the air of any room. Vacuum cleaners shall be provided and used wherever practicable for such cleaning operations.

7. Storage accommodation for protective wear- Adequate and suitable storage accommodation for the helmets, gauntlets and overalls required to be provided by paragraph 5 shall be provided outside and conveniently near to every blasting enclosure and such accommodation shall be kept clean. Helmets, gauntlets and overalls when not in actual use shall be kept in this accommodation.

8. Maintenance and cleaning of protective wear.- All helmets, gauntlets, overalls and other protective devices or clothing provided and worn for the purposes of this schedule, shall be kept in good condition and so far as is reasonably practicable shall be cleaned on every weekday in which they are used. Where dust arising from the cleaning of such protective clothing or devices is likely to be inhaled, all practicable measures shall be taken to prevent such inhalation. Vacuum cleaners shall, wherever practicable, be used for removing dust from such clothing and compressed air shall not be used for removing dust from any clothing.

9. Maintenance of vacuum cleaning plant- Vacuum cleaning plant used for the purpose of this schedule shall be properly maintained.

10. Medical facilities and records of examinations and tests- (1) The occupier of every factory to which the Schedule applies, shall –

(a) employ a Factory medical officer for medical surveillance of the workers employed therein where total no of employee exceed 50; and
(b) Provide to the said Factory medical officer all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a).

(2) The record of medical examinations and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained in a Health register in Form-7, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator.

11. Medical examination by the factory medical officer (1) Every worker employed in any of the processes to which this schedule shall be examined by a factory medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include pulmonary function tests and chest X-rays. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the factory medical officer and record shall be kept on certificate of fitness Form-8.

(2) Every worker employed in the said processes shall be re-examined by a factory medical officer at least once in every 12 calendar months and such re-examination shall,wherever the factory medical officer considers appropriate, include pulmonary function test and chest X-ray once in every three years.

(3) The record of re-examinations carried out shall be entered in the Health Register in Form-7 and shall be readily available for inspection to the Inspector-cum-Facilitator.

(4) If at any time the Factory Medical Officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said processes on the ground that continuance therein would involve special danger to the health of the worker he shall make record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person so suspended from the process shall be provided with alternate placement facilities unless he is fully incapacitated in the opinion of the factory medical officer, in which case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(5) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (4) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Factory Medical Officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

12. Restrictions in employment of young persons- (1) No person under 18 years of age shall be employed in blasting or assisting at blasting or in any blasting chamber or in the cleaning of any blasting apparatus or any blasting enclosure or any apparatus or ventilating plant connected therewith or be employed on maintenance or repair work at such apparatus, enclosure or plant.

(2) No person under 18 years of age shall be employed to work regularly within twenty feet of any blasting enclosure unless the enclosure is in a room and he is outside that room where he is effectively separated from any dust coming from the enclosure.

13. Power to exempt or relax.- (1) If the Chief Inspector –cum- facilitator is satisfied that in any factory or any class of factory, the use of sand or other substance containing free silica as an abrasive in blasting is necessary for a particular manufacture or process (other than the process incidental or supplemental to making of metal castings) and that the manufacture or process cannot be carried on without the use of such abrasive or that owing to the special conditions or special method of work or otherwise any requirement of this schedule can be suspended either temporarily or permanently, or can be relaxed without endangering the health of the persons employed or that application of any such requirements is for any reason impracticable or inappropriate, he may, with the previous sanction of the State Government, by an order in writing exempt the said factory or class of factories from such provisions of this schedule, to such an extent and subject to such conditions and for such period as may be specified in the said order.

(2) Where an exemption has been granted under sub-paragraph (1), a copy of the order shall be displayed at a notice board at a prominent place at the main entrance or entrances to the factory and also at the place where the blasting is carried on.

SCHEDULE-XI

LIMING AND TANNING OF RAW HIDES AND SKINS AND PROCESSES INCIDENTAL THERETO:

1. Cautionary notices- (1) Cautionary notices as to anthrax in the form specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator shall be affixed in prominent positions in the factory where they may be easily and conveniently read by the persons employed.

(2) A copy of a warning notice as to anthrax in the form specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator shall be given to each person employed when he is engaged, and subsequently if still employed, on the first day of each calendar year.

(3) Cautionary notices as to the effects of chrome on the skin shall be affixed in prominent positions in every factory in which chrome solutions are used and such notices shall be so placed as to be easily and conveniently read by the persons employed.

(4) Notices shall be affixed in prominent places in the factory stating the position of the “first-aid” box or cupboard and the name of the person in-charge of such box or cupboard.

(5) If any person employed in the factory is illiterate, effective steps shall be taken to explain carefully to such illiterate person the contents of the notice specified in sub-paragraphs (1), (2) and (4) and if chrome solutions are used in the factory, the contents of the notice specified in sub-paragraph (3) as well.

2. Protective clothing.- The occupier shall provide and maintain in good condition the following articles of protective clothing :-

(a) waterproof footwear leg coverings, aprons and gloves for persons employed in processes involving contact with chrome solutions, including the preparation of such solutions;

(b) gloves and boots for persons employed in lime yard; and

(c) protective footwear, aprons and gloves for persons employed in processes involving the handling of hides or skins, other than in processes specified in clauses (a) and (b) above :

Provided that the gloves, aprons, leg coverings or boots may be of rubber or leather, but the gloves and boots to be provided under clauses (a) and (b) shall be of rubber.

Provided further that the gloves may not be provided to persons flushing by hand or employed in processes in which there is no risk of contact with lime, sodium sulphide or other caustic liquor.

3. Washing facilities, mess room and cloak room.- There shall be provided and maintained in a clean state and in good repair for the use of all persons employed –

(a) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe, without plug, and of sufficient length to allow of at least 60 centimetres for every ten such persons employed at any one time, and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 60 centimetres; or at least one wash-basin for every ten such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and plug and having a constant supply of clean water; together with, in either case, a sufficient supply of nail brushes, soap or other suitable cleansing material and clean towels;

(b) a suitable mess-room, adequate for the number remaining on the premises during the meal intervals, which shall be furnished with sufficient tables and benches and adequate means for warming food and for boiling water. The mess room shall –

(i) be separate from any room or shed in which hides or skins are stored, treated or manipulated;

(ii) be separate from the cloakroom; and

(iii) be placed under the charge of a responsible person; and

(c) suitable accommodation for clothing not worn during working hours and another accommodation for protective clothing and also adequate arrangements for drying of the clothing in both the cases, if wet.

The accommodation so provided shall be kept clean at all times and placed under the charge of a responsible person.

4. Food, drinks, etc. prohibited in workrooms- No food, drink, pan and supari or tobacco shall be brought into or consumed by any worker in any workroom or shed in which hides or skins are stored, treated or manipulated.

5. Medical facilities and record of examinations and tests.- (1) The occupier of every factory in which the schedule applies, shall –

(a)employ a Factory Medical Officer for medical surveillance of the workers employed where the no of workers is more than 50;

(b)provide to the said factory medical officer all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a).

(c)arrange for inspection of the hands of all the persons keeping in contact with chromium substances to be made twice a week; and

(d)provide and maintain and supply suitable ointment and plaster in a box readily accessible to the workers and solely used for the purpose of keeping the ointment and the plaster.

(2) The records of medical examinations and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained in a separate register approved by the Chief Inspector-cum-Facilitator, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator.

6. Medical Examination by Factory Medical Officer - (1) Every worker employed in any of the processes to which the schedule applies shall be examined by a factory medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include skin test for dermatitis and detection of anthrox bacillus from local lesion by gram stain. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Factory medical officer.

(2) Every worker employed in the said processes shall be re-examined by the factory medical officer at least once in every twelve calendar months. Such re-examination shall, wherever the Factory Medical Officer considers appropriate, include tests as specified in sub- paragraph (1).

(3) The factory medical officer after examining a worker shall issue a Certificate of Fitness in Form-8. The record of examination and re-examination carried out shall be entered in the Certificate and the Certificate shall be kept in the custody of the manager of the factory. The record of each examination carried out under sub-paragraph (1) and (2), including the nature and the results of the tests, shall also be entered by the factory medical officer in a Health Register in Form-7.

(4) The Certificate of Fitness and the health register shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

(5) If at any time the Factory Medical Officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said processes on the ground that continuance therein would involve special danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person so suspended from the process shall be provided with alternate placement facilities unless he is fully incapacitated in the opinion of the factory medical officer, in which case, the person affected shall be suitable rehabilitated.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (5) above shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical Officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

SCHEDULE-XII
CERTAIN LEAD PROCESS CARRIED ON PRINTING PRESSES AND TYPE FOUNDRIES:

1. Exemption.—Where the Chief Inspector-cum-Facilitator is satisfied that all or any of the provisions of this Schedule are not necessary for the protection of persons employed, he may, by certificate in writing exempt any factory from all or any of such provisions subject to such conditions as he may specify therein. Such certificate may at any time be revoked by the Chief Inspector-cum-Facilitator.

2. Definitions.—In this schedule—

(a)"Lead material" means material containing not less than five percent of lead.

(b)"Lead process ' means—

(i) the melting of lead or any lead material for casting and mechanical composing; and

(ii) the re-charging of machines with used lead material, or

(iii)any other work including removal of dross from melting pots, cleaning of plungers;and

(iv) manipulation, movement or other treatment of lead material.

(c)"Efficient exhaust draught" means localized ventilation effected by heat or mechanical means for the removal of gas, vapour, dust or fumes so as to prevent them from escaping into the air of any place in which work is carried on . No draught shall be deemed efficient which fails to secure gas, vapour, fumes or dust at the point where they originate.

(d) "First Employment" means first employment in the lead Process and also re-employment in such Process following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months, and

3. Exhaust draught.— (1)None of the following Process shall be carried on except with an efficient exhaust draught , unless carried on in such a manner as to prevent free escape of gas, vapour, fumes or dust into any place in which work is carried on, or, unless carried on in electrically heated and thermostatically controlled melting pots.

(a) melting lead material or slugs ;and

(b) heating lead material so that vapour containing lead is given off;

(2)Such exhaust draught shall be affected by mechanical means and so contrived as to operate on the dust, fume, gas or vapour given off as clearly as may be at its point of origin.

4. Prohibition relating to women and young persons.—No pregnant women or young persons shall be employed or permitted to work in any lead process.

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Women workers who are feeding mothers shall be exempted from the Employment.

5. Separation of certain process .—Each of the following processes shall be carried on in such a manner and under such conditions as to secure effectual separation from one another and from any other processes —

(a) melting of lead or any lead material;
(b) casting of lead ingots;
(c) mechanical composing.

6. Container for dross.—A suitable receptacle with tightly fitting cover shall be provided and used for dross as it is removed from every melting pot. Such receptacle shall be kept covered while in the work-room near the machine except when the dross is being deposited therein.

7. Floor of work-room-The floor of every work-room where lead process is carried on shall be
(a) of cement or similar material so as to be smooth and impervious to water;
(b) maintained in sound condition ; and
(c) shall be cleaned throughout daily after being thoroughly dampened with water at a time when no other work is being carried on at the place.

8. Mess-room.—There shall be provided and maintained for the use of all persons employed in a lead process and remaining on the premises during the meal intervals, a suitable mess-room which shall be furnished with sufficient tables and benches.

9. Washing facilities.—There shall be provided and maintained in a clean state and in good repair for the use of all persons employed in a lead process —
(a) a wash place with either—
(i) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe without plug, and of sufficient length to allow at least two feet for every five such persons employed at any one time and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 2 feet; or
(ii) at least one wash basin for every five such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and plug and having an adequate supply of water laid on or always readily available; and
(b) a sufficient supply of clean towels made of suitable material renewed daily with a sufficient supply of soap or other suitable cleansing material.

10. Medical facilities and record of examinations and tests.- (1) The occupier of every factory to which the schedule applies, shall –

(a)employ a Factory Medical Officer for medical surveillance of the workers employed where the no of workers is more than 50;
(b)provide to the said factory medical officer all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a).

(2) The records of medical examinations and appropriate tests carried out by the said factory medical officer shall be maintained in a separate register approved by the Chief Inspector-cum-Facilitator, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator.

11. Medical examination by Factory medical officer.—(1) Every worker employed in any process mentioned under Paragraph 3, shall be examined by a Factory medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for lead in urine and blood, ALA in urine, haemoglobin content, stippling of cells and pulmonary function tests and chest X-ray for workers engaged in process mentioned in clauses (a) and (n) of Paragraph 3 and pulmonary function test and chest X-rays for the others. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Factory medical officer.

(2) All persons employed in any of the said processes mentioned in clauses (a) and (b) of Paragraph 3, shall be examined by a Factory medical officer once in every 3 calendar months. Those employed in any other Process mentioned in the remaining clauses of Paragraph 3 shall be examined by a Factory medical officer once in every twelve calendar months. Such examinations in respect of all the employees shall include all the tests as specified in sub-paragraph (1) except chest X-ray which will be once in 3 years.

(3) The Factory medical officer after examining a worker shall issue Certificate of Fitness in Form-8. The record of examination and re-examination carried out shall be entered in the certificate and the certificate shall be kept in the custody of the manager of the factory. The record of each examination carried out under sub-paragraphs (1) and (2), including the nature and the results of the tests, shall also be entered by the Factory medical officer in a Health Register in Form-7.

(4) The Certificate of Fitness and the Health Register shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

(5) If at any time the Factory Medical Officer or Medical Officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said process on the ground that continuance therein would involve special danger to health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the Health Register. The entry of his findings in these documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (5) above shall be re-employed or permitted to work in the said process unless the Medical Officer, after further examination again certifies him fit for employment in those Processes.

12. Food, drinks, etc. prohibited in work-rooms.—No food, drink, pan and supari or tobacco shall be consumed or brought by any worker into any work room in which any lead process is carried on.

SCHEDULE-XIII
DICHROMATE MANUFACTURE

1. Separation of certain Process.— Process as indicated below which give rise to noxious dust, fume, vapour or mist should be isolated from others and should either be totally enclosed or provided with hoods with suitable exhaust ventilation arrangements where necessary—

(i) Soda-mix Section, including the place of storage of the mixed chromite soda-ash powder.
(ii) Reacted frit storing.
(iii) Frit dissolving.
(iv) Evaporation of the dichromate solution.
(v) Dichromate weighing and packing or otherwise handling of the dichromate powders.

2. Use of respirators.—In operations, which are of shorter duration and in which mechanical exhaust is not practicable, the occupier shall provide respirators for the use of workers.

3. Protective equipment.—There shall be provided for the use of all workers suitable footwear, gloves and aprons, engaged in the following Processes:

(a) Acidification.
(b) Concentration.
(c) Centrifugalization.
(d) Crystallisation.
(e) Packing.

4. Floor of work-rooms.—The floor of every work-room shall be—

(a) of impervious material and allow of easy drainage,
(b) Maintained in sound condition,
(c) kept free from materials, plank or other obstruction not required for or produced, in the process carried on in the room.

5. Cloak-room.—There shall be provided and maintained for the use of all persons employed in the dichromate department a cloak-room for clothing put off during working hours.

6. Washing facilities.—There shall be provided and maintained in a clean state and a good repair, for the use of all persons employed in dichromate processes —

(a) trough with an impervious surface fitted with a waste pipe without plug and of sufficient length to allow at least two feet for every ten persons employed at any one time and having a constant supply of clean water from taps or jets above the trough at intervals of not more than two feet, or

(b) at least one wash basin for every ten persons employed at any one time fitted with a waste pipe and plug and having a constant supply of clean water; together with, in either case, sufficient supply of soap or other suitable cleansing material and clean towels.

7. Medical requisites.—The occupier shall provide and maintain a sufficient supply of suitable protective skin cream and nasal ointment, readily available to the workers engaged on dichromate Processes at the discretion of the Factory medical officer.

8. Medical examination.—Every person employed in a dichromate process shall be examined by the Factory medical officer within fourteen days of his first employment in such Processes and thereafter shall be examined by the Factory Medical Officer at intervals of not more than three months and a record of each examination shall be entered by the Factory medical officer in the Health Register in Form-7.

(2)A Health Register containing names of all persons employed in any dichromate process shall be kept in Form-7.

(3)If any time the Factory Medical Officer or Medical Officer is of opinion that any person is no longer fit for employment on any dichromate processes, on the ground that his continuance in such employment will involve special danger to his health he shall make an entry to this effect in the Health Register against the name of such person. No such person shall be employed on dichromate process without the written sanction of the Medical Officer, entered in the Health Register.

9. Cautionary notices.—Cautionary notices on the nature of health hazards involved together with the control measures for their protection shall be fixed at a prominent position of the factory.

SCHEDULE-XIV
CHEMICAL WORKS

1.Application—The provisions of this Schedule shall apply to all manufactures and processes incidental thereto carried on in Chemical Works. These provisions shall be in addition to and not in derogation of any provisions of the OSH&WC Code or any other rules made thereunder or of any other Code or Rules.

2.Definitions :(a) Chemical works means any factory or such parts of any factory as are named in sub-schedule A of this Schedule.

(b) Breathing apparatus means (1) a helmet or face piece with necessary connections by means of which a person using it in a poisonous, asphyxiating or irritating atmosphere breathes ordinary air, or (2) any other suitable apparatus approved in writing by the Chief Inspector-cum-Facilitator.

(c) Life-belt means a belt made of leather or other suitable material which can be securely fastened round the body with a suitable length of rope attached to it, each of which is sufficiently strong to sustain the weight of a man.

(d) Efficient exhaust draught means localised ventilation affected by mechanical or other means for the removal of gas, vapour, fume, or dust to prevent it from escaping into the air of any place in which work is carried on.

(e)Medical officer means a medical officer appointed under Section 42 of the Code,.

(f) Suspension means suspension by written certificate in the Health Register, signed by the Factory Medical Officer from employment in any processes mentioned in the certificate.

(g)Bleaching powder means the bleaching powder commonly called chloride of lime.

(h)Chlorate means chlorate or perchlorate.

(i)Caustic means hydroxide of potassium or sodium.

(j)Caustic pot means a metal pot fixed over a furnace or flue and surrounded by brickwork, such as is commonly used for concentrating caustic liquor, whether such pot be used for concentrating or boiling caustic or other liquor.

(k)Chrome process means the manufacture of chromate or bichromate of potassium or sodium, or the manipulation, movement or other treatment of these substances in connection with their manufacture.

(l) Nitro or amino process means the manufacture of nitro or amino derivatives of phenol and of benzene or its homologues and the making of explosives with the use of any of these substances.

3.Exceptions.—If the Chief Inspector-cum-Facilitator is satisfied in respect of any factory or any process that, owing to the special conditions or special methods of work, or by reason of the infrequency of the process or for other reasons, all or any of the requirements of the provisions of this Schedule are not necessary for the protection of persons employed in any factory or process , he may by order in writing (which he may in his discretion revoke), exempt such factory or process from all or any of the provisions of this Schedule, subject to such conditions as he may by such order prescribe.

PART I—APPLYING TO ALL THE WORKS IN SUB-SCHEDULE – A

General

1. Housekeeping.—(a) Every part of the ways, works, machinery and plant shall be maintained in a clean and tidy condition.

(b) any spillage of material shall be cleaned up without delay.

(c) Floors, platforms, stairways, passages and gangways shall be kept free of temporary obstructions.

(d) There shall be provided easy means of access to all parts of the plant to facilitate cleaning, maintenance and repairs.

2. Improper use of chemicals.—(a) No chemicals or solvents shall be used by workers for any purposes apart from the process for which they are supplied.

(b) Workers shall be instructed on the possible dangers arising from such misuse. These instructions shall further be displayed in bold letters in prominent places in the different Sections.

3. Storage of food.—(a) No food, drink, tobacco, pan or similar articles shall be stored or consumed on or near any part of the plant.

(b) Testing.-Workers shall be instructed on the possible dangers arising from the testing of materials, or of the use for drinking purposes of any vessel used in, or in connection with, the manufacture of chemicals. These instructions shall further be displayed in bold letters in prominent places in the different Sections.

4. Process hazards.—Before commencing any large scale experimental work, or any new manufacture, all possible steps shall be taken to ascertain definitely all the hazards involved both from the

actual operations and the chemical reactions. The properties of the raw materials used, the final products to be made, and any by-products arising during manufacture shall be carefully studied and provision shall be made for dealing with any hazards including effects on employees, which may arise during manufacture. The design of the building and plan shall be based on the information so obtained.

5. Unauthorized personnel.—(a) unauthorized persons shall not be permitted to enter any Section of the factory or plant where these are special dangers.

(b) Visitors.—Visitors shall be provided, where necessary with suitable safety equipment and shall be accompanied round dangerous plants by a responsible official.

6.Instruments.—All instruments such as pressure gauges, thermometers, flow meters and weighing machines etc. shall be tested in every six months by a competent person, and records of these tests shall be kept in a register and shall be produced on demand of the inspector –cum-Facilitator having jurisdiction.

7. Cocks and valves.—Suitable valves shall be provided in all service lines at sufficiently short intervals for convenience in blanking off, etc. All cocks and valves shall be operated at least once in a month. All cockes, valves and pipelines carrying chemicals should be tested in every three months by a competent person, and shall make audit report of all service installations in every year and shall send a copy of report of Audit to the Chief inspector –cum-Facilitator and inspector cum Facilitator of the region concern and records of these tests and reports shall be kept in a register. A plan of all service installations shall be kept readily available and shall be produced on demand of the inspector –cum-Facilitator having jurisdiction.

8. Manholes.—No manholes shall be opened for entry until effective fencing has been erected round it.

9. Emergency instructions.—Simple and special instructions shall be trained to ensure that effective measures will be carried out in cases of emergency to deal with escape of inflammable, poisonous or deleterious gases, vapours, liquids or dusts. These instructions shall further be displayed in bold letters in prominent places in the different Sections. All workers shall be trained and instructed in the action to be taken in such emergencies, and in the general hazards of their employment.

10. Protection of reaction mixtures.—Suitable arrangements shall be made to ensure that no foreign matter of any sort can fall into reaction mixtures.

11. Electrical apparatus.—Electrical plant, fittings and conductors shall, if exposed to a damp or corrosive atmosphere, be adequately protected. Periodic tests shall be carried out on all circuits.

12. Places of work.—(a) Workers shall only be allowed in those places in which they have been given orders to work.

(b) In dangerous Sections of a factory, the number of workers shall be kept to a minimum compatible with the process .

13. Packing, storage and transport of chemicals.—Chemicals shall be packed and stored in containers suitable for the purpose and of adequate strength for storage or transport. All such containers shall be suitably labelled so that they may be stored and transported in such a manner as to ensure that, in the event of spillage, they will neither produce a hazardous mixture, nor cause the development of toxic or fire risk in contract with other products in its vicinity or with walls, floors or dust thereon.

FIRE AND EXPLOSION RISKS

14. Site.—(a) Buildings and plants shall be located with due regard to the dangers which may arise from the process involved, and in particular shall be spaced at distances which are deemed safe for the fire and explosive risks connected with the Processes in adjacent buildings. Due consideration shall be given to the effect on any Processes carried out in adjacent factories.

(b) Isolation of buildings.—Where special dangers exist, separate buildings shall be used for the different parts of a processes. They shall be spaced at sufficient distances apart and shielded to prevent damage to each other in the event of fire or explosion, and shall be safeguarded by the provision of suitable blowout panels or roofs. Where the risk of fire or explosion is considerable, the building shall be divided by blast or protective screen walls.

(c) Fire resistance.—No combustible materials shall be used in the erection of working buildings, unless there are special reasons necessitating their use, when they shall be rendered fire-resistance. The roof shall be of light fire-resistant construction and floors shall be of impervious fire-resistant material and shall be regularly maintained in such condition.

15. Dangers of ignition (including building installation).—(a) No internal combustion engine and no electric motor or other electric equipment, capable of generating sparks or otherwise causing combustion shall be installed or used in a building or danger zone. Electric conductors shall be fitted with screwed steel conduit.

(b) All hot exhaust pipes shall be installed outside a building and other hot pipes shall be suitably protected.

(c) Portable electric hand lamps shall not be used unless of an intrinsically safe type, and portable electric tools connected by flexible wires shall not be used, unless of the flames proof type.

(d) Where an inflammable atmosphere may occur the soles of footwear worn by workers shall have no metal on them, and the wheels of trucks or conveyors shall be of conducting non-sparking materials. Adequate precautions shall be taken to prevent the ignition of explosive or inflammable substances by sparks emitted from locomotives or other vehicles operated in the factory or on public lines.

(c) No electric arc lamps or naked light, fixed or portable, shall be used, and no person shall have in his possession any match or any apparatus of any kind for producing a naked light of sparking in or on, or about any part of the factory where there is liability to fire or explosion from inflammable gas, vapour or dust and all incandescent electric lights in such parts shall be in double air-tight glass covers.

(f) Prominent notices in the language understood by the majority of the workers and legible by day and by night prohibiting smoking, the use of naked lights and the carrying of matches or any apparatus for producing a naked light or spark, shall be affixed at the entrance of every room or place where there is the risk of fire or explosion from inflammable gas, vapour or dust. In the case of illiterate workers the contents of the notices shall be fully and carefully explained to them when they commence work in the factory for the first time and again when they have completed one week at the factory.

(g) Non-sparking tool.—A sufficient supply of spades, scraper and pails made from non-sparking material shall be provided for the use of persons employed in cleaning out or removing residues from any chamber, still, tank or other vessel where an inflammable or explosive danger may occur.

Note- The risk is not always obvious and may arise,i.e. through the production of hydrozen in acid tank.

16. Static electricity.—(a) All machinery and plant, particularly, pipe lines and belt drives, on which static electricity is likely to accumulate, shall be effectively earthed. Receptacles for inflammable liquids shall have metallic connections to the earthed supply tanks to static sparking. Where necessary, humidity shall be controlled.

(b) Mobile tank wagons shall be earthed during filling and discharge, and precautions shall be taken to ensure that earthing is effective before such filling or discharge takes place.

(c) Lightning conditions.—Lightning protection apparatus shall be fitted where necessary and shall be maintained in good condition.

17. Process heating.—The method of providing heat for a process shall be as safe as possible and where the use of naked flame is necessary, the plant shall be so constructed as to prevent any escaping inflammable gas, vapour or dust coming into contact with the flame, or exhaust gases or other hot agency likely to cause ignition. So far as practicable, the heating medium shall be automatically controlled at a predetermined temperature below the danger temperature.

18. Escape of materials.—(a) Provision shall be made in all plants, sewers, drains, flues, ducts, culverts, and buried pipes to prevent the escape and spread of any liquid gas, vapour, fume or dust likely to give rise to fire or explosions, both during normal working and in the event of accident or emergency.

(b) If escape occurs, such substances shall be removed expeditiously and efficiently at the point of liberation. The effluent shall be trapped and rendered safe outside the danger area.

19. Leakage of inflammable liquids.—(a) Provision shall be made to confine by means of bund-walls, sumps, etc., possible leakages from vessels containing inflammable liquids.

(b) Adequate and suitable fixed fire-fighting appliances shall be installed in the vicinity of such vessels'.

20.Cleaning of empty containers.—(a) All empty containers which have held inflammable liquids, and metal containers which have held sulphuric acid shall be rendered permanently safe as soon as practicable, and shall not be repaired or destroyed until such cleaning has been completed.

(b) Storage of combustible materials.—Combustible and inflammable materials shall not be stored in close proximity to chemicals which are liable to cause ignition.

(c) Rubbish shall be removed from buildings without delay and placed in special metal containers provided with close fitting lids. The contents shall be removed daily and suitably dealt with. Waste products containing inflammable or explosive materials shall not be placed on rubbish heaps but shall be destroyed in an appropriate manner.

21. Installation of pipelines for inflammable liquids.—All pipelines for the transport of inflammable liquids shall be protected from breakage, shall be arranged so that there is no risk of mechanical damage from vehicles and shall be so laid that they drain throughout without the collection of any part. All flanged joints, bends and other connections shall be regularly inspected. Cocks and valves shall be so constructed that explosive residues do not get accumulated therein. The open and closed positions of all cocks and valves shall be clearly indicated on the outside.

22. Packing of reaction vessels.—Packing and jointing materials for reaction vessels (including covers, manhole covers and exhaust pipes) and in pipe lines and high or low temperature insulating materials, shall not contain materials which are combustible or which react with the products of the plant.

23. Safety valves.—Every still and every closed vessels in which gas is produced or into which gas is passed and in which the pressure is liable to rise to a dangerous degree shall have attached to it a pressure gauge, and a proper safety valve or other equally efficient means to relieve the pressure, maintained in good condition. Nothing in this Schedule shall apply to metal bottles or cylinders used for the transport of compressed gases.

24. Vigorous or delayed reactions.—Suitable provision, such as automatic and distant control shall be made for controlling the effects of unduly vigours or delayed reactions. Automatic flooding or blanketing shall be provided for in the event of an accident.

25. Examination, testing and repair of plant.—Examination, testing and repair of plant parts which have been in contact with explosive and inflammable material, or which is under pressure, shall only be carried out under proper supervision.

26. Alarm system.—(a) Gravity or pressure feed systems of supplying inflammable materials to the various parts of the buildings or plant shall be fitted with alarm systems, automatic cut-offs or other devices to prevent overcharging or otherwise endangering the plant.

(b) The amount of inflammable material taken into a building in bulk containers at any one time shall be kept as low as practicable.

(c) Adequate steps shall be taken to prevent the escape of inflammable and explosive vapours from any container into the atmosphere of any building.

Gas, Vapour, Fume or Dust Risks

27. Escape of gases, etc.—Effective steps shall be taken to prevent the escape of dangerous gases, vapours, fumes or dust from any part of the plant, by the total enclosure of the process involved or by the provisions of efficient exhaust draught. Effective arrangements shall be made to ensure that in the event of a failure of the control measure, the process shall stop immediately. Further arrangements shall be made to ensure that in case there is any such escape, the material shall be trapped forthwith, so that the danger may be averted.

28. Danger due to effluents.—(a) Adequate precautions shall be taken to prevent the mixing of effluents which may produce dangerous or poisonous gases.

(b) Effluents, which may contain or give rise in the presence of other effluents to such gases, shall be provided with independent drainage systems to ensure that they may be trapped and rendered safe.

29.Staging.—(a) Staging shall not be erected over any open vessel unless the vessel is so constructed and ventilated as to prevent the omission of vapour or fumes about such staging.

(b) Where such staging is provided to give access to higher levels in large plants, effective means shall be provided at all levels with direct means of access to the outside of the room or building and then to ground level.

(c) Such staging shall be fitted with suitable handrails and toe boards, and the floors and staging shall be impervious and easily cleaned.

30.Instructions as regards risk.—Before commencing work, every worker shall be fully instructed on the properties of the materials they have to handle, and of the dangers arising from any gas, fume, vapour or dust which may be evolved during the process. Workers shall also be instructed in the measures to be taken to cope with any emergency.

31. Breathing apparatus.—(a) There shall be provided in every factory where dangerous gas or fume is liable to escape a sufficient supply of—

(i) breathing apparatus of an approved make for the hazards involved ;

(ii) oxygen and suitable means of its administration; and

(iii) life-belts.

The breathing apparatus and other appliances required by this Schedule shall (i) be maintained in good order and kept in an ambulance room or in some other place approved in writing by the Chief Inspector cum-Facilitator, and (ii) be thoroughly inspected once every month by a competent person, appointed in writing by the occupier and record of their condition shall be entered in a book provided for that purpose, which shall be produced when required by an Inspector-cum-Facilitator.

(b) Workers shall be trained and given a periodic refresher course in the use of breathing apparatus and respirators.

(c) Respirators shall be kept properly labelled in clean dry, light-proof cabinets, and if liable to be affected by fumes, shall be protected by suitable containers. Respirators shall be dried and cleaned after use and shall be periodically disinfected.

32. Treatment of persons.—In every room or place wherever required in writing by the Chief Inspector -cum –Facilitator there shall be affixed the official cautionary notice regarding gasing and burns.

Such notices shall be legible by day and by night and shall be printed in the language understood by the majority of the workers.

33. Personal protective equipment.—(a) Suitable protective clothing shall be provided for the use of operatives; (i) when operating valves or cocks controlling fluids which by their nature, pressure or temperature would be highly dangerous if a blow-out occurred or when, cleaning chokes in system containing such fluids if pressure is likely to exist behind that chokes, (ii) when there is danger of injury absorption through the skin during the performance of normal duties or in the event of emergency, (iii) whenever there is the risk of injury in handling corrosive substances, hot or cold articles and sharp or rough objects, and (iv) when there is the risk of poisonous material being carried away on their clothes.

(b) There shall be provided for the use of all persons employed in the process specified in sub-schedule B of this Schedule an adequate supply of suitable protective equipment including gloves, overalls and protective footwear, and of goggles and respirators. Respirators shall be of a type approved in writing by the Chief Inspector-cum-Facilitator

(c) Protective equipment shall be provided and stored in the appropriate place for use during abnormal conditions or in an emergency.

(d) Arrangements shall be made for the proper and efficient cleaning of all such protective equipment.

34 Cloak-rooms.—There shall be provided and maintained for the use of all persons employed in the Processes specified in sub-schedule B of this Schedule a suitable cloak-room for clothing put off during working hours and a suitable place separate from the cloak-room, for the storage of overalls or working clothes. The accommodation so provided shall be placed in the charge of a responsible person, and shall be kept clean.

35. Special bathing accommodations.—(a) There shall be provided for the use of all persons employed in the process specified in sub-schedule C of this Schedule separate sanitary conveniences, and sufficient and suitable bathing facilities which shall be to the satisfaction of the Chief Inspector-cum-Facilitator

(b) A bath register shall be kept containing the names of all persons employed in these Processes and an entry of the date when each person takes a bath.

36. Entry into vessels.—(a) Before any person entries, for any purposes except that of rescue, any absorber, boiler, culvert, drain, flue, gas purifier, sewer, still tank, tower, vitriol chamber or other place where there is reason to apprehend the presence of dangerous gas or fume, a responsible person appointed in writing by the occupier for the purpose, shall personally examine such place and shall certify in writing in a book kept for the purpose either that such place is isolated and sealed from every source of such gas or fume and is free from danger, or that it is not so isolated and sealed and free from danger. No person shall enter any such place which is certified not to be so-isolated and sealed and free from danger unless he is wearing a breathing apparatus, and (where there are no cross stays or obstructions likely to cause entanglement) a life-belt, the free end of the rope attached to which shall be left with a man outside, whose sole duty shall be to keep watch and to draw out the wearer if he appears to be affected by gas or fume. The belt and rope shall be so adjusted and worn that the wearer can be drawn up head foremost through any manhole or opening.

(b) A person entering, for the purpose of rescue, any such place for which a clearance certificate has not been issued shall wear breathing apparatus and life-belt in the manner specified.

37. Examination and repair of plant.—Where poisonous materials are likely to be present, the examination and repair of plant and piping shall only be done under the supervision of a competent person, and after the plant and piping has been thoroughly cleaned and ventilated. When opening vessels and breaking joints in pipelines, respirators, goggles and protective clothing shall be worn to the extent required by the competent person.

38. Storage of acid carboys.—Carboys containing nitric acid or “mixed’’’ acid shall be stored in open-sided sheds detached from other buildings, and placed on a flooring of sandstone, brick or other

suitable inorganic material. A passage-way shall be provided and kept free from obstruction between every four rows of such carboys. An ample supply of water shall be available for washing away spilt acid and all precautions shall be taken to prevent workers being exposed to fumes.

Corrosive or Deleterious Risk

39. Buildings.—All buildings and plants shall be located with due regard to possible dangers from accidental liberation or splashing of corrosive and deleterious liquids, and shall be so designed as to facilitate through washing and cleaning. The construction of staging and other parts of buildings shall be carried out with materials impervious and resistant to corrosion so far as practicable.

40. Leakage.—(a) All plants shall be so designed and constructed as to obviate the escape of corrosive liquid. Where necessary, separate buildings, rooms or protective structures shall be used for the dangerous stages of the process and the buildings shall be so designed as to localize any escape of liquid.

(b) Catch-pits, bund walls or other suitable precautions shall be provided to restrict the serious effects of such leakages. Catch-pits shall be placed below joints in pipelines where there is danger involved from such leakage.

(c) Passages and work station shall not be situated directly below any part of plant where there is risk of escape of dangerous liquid. Access to such parts shall, so far as practicable, be prohibited and danger notices shall be affixed at suitable points.

41. Precautions against escape.—Adequate precautions shall be taken to prevent the escape of corrosive or deleterious substances and means shall be provided for rendering safe any such escape.

42. Drainage.—Adequate drainage shall be provided and shall lead to special treatment tanks where deleterious materials shall be neutralised or otherwise rendered safe before it is discharged into ordinary drains or sewers.

43.Covering of vessels.—(a) Every fixed vessel or structure containing any dangerous materials, and not so covered as to eliminate all reasonable risk of accidental immersion in it of any portion of the body of a worker, shall be so constructed that there is no foothold on the top or the sides.

(b) Such vessel shall, unless its edge is at least three feet above the adjoining ground or platform be securely fenced to a height of at least three feet above such adjoining ground or platform.

(c) No plank or gangway shall be placed across or inside any such vessel, unless such plank or gangway is at least 18 inches wide, and is securely fenced on both sides by rails spaced at 9 inches apart to a height of at least 3 feet, or by other equally efficient means.

(d) Where such vessels adjoin and the space between them, clear of any surrounding brick or other work, is either less than 18 inches in width or is 18 or more inches in width, but is not securely fenced on both sides to a height of at least three feet, secure barrier shall be so placed as to prevent passage between them :

Provided that sub-paragraph (b) above shall not apply to—

(i) Saturators used in the manufacture of sulphate of ammonia,

(ii) that part of the sides of brine evaporating pans which require raking, drawing or filling.

44. Ventilation.—Adequate ventilation shall be provided and maintained at all times in rooms or buildings where dangerous gas, vapour, fume or dust may be evolved.

45. Means of escape .—Adequate means of escape from rooms or buildings in the event of a leakage of corrosive liquid shall be provided and maintained.

46.Treatment of personnel.—In all places where (strong acids or dangerous) corrosive liquids are used :

(a) There shall be provided for use in an emergency—

(i) adequate and readily accessible means of drenching with cold water persons, and the clothing of persons, who have become splashed with such liquids;

(ii) adequate special arrangements to deal with any person who has been splashed with poisonous material that can be absorbed through the skins;
(iii) a sufficient number of eyewash bottles, filled with distilled water or other suitable liquid, kept in boxes or cupboards conveniently situated and clearly indicated by a distinctive sign which shall be visible at all times.

(b) Except where the manipulation of such corrosive liquids is so carried on as to prevent risk of personal injury from splashing or otherwise, there shall be provided for those who have to manipulate such liquids sufficient and suitable goggles and gloves or other suitable protection for the eyes and hands. If gloves are provided they shall be collected, examined and cleansed at the close of the day's work and shall be repaired or renewed when necessary.

47.Maintenance.—(a) Before any examination or repairs are carried out or plant or pipe lines, a competent person shall issue a clearance certificate permitting-such examination or repairs.

(b) Adequate precaution shall be taken to liberate any pockets of gas or liquid which may have been formed in pipe lines and which may cause corrosive spray at the point where dismantling takes place.

48. Washing facilities.—(1) There shall be provided and maintained in every factory for the use of employed persons adequate and suitable facilities for washing which shall include soap and nail brushes or other suitable means of cleaning and facilities shall be conveniently accessible and shall be kept in a clean and orderly condition.

(2) If female workers are employed, separate washing facilities shall be provided and so enclosed or screened that the interiors are not visible from any place where persons of the other sex work or pass. The entrance to such facilities shall bear conspicuous notice in the language understood by the majority of the workers "for women only" and shall also be indicated pictorially.

49.Mess-room facilities.—In every factory there shall be provided and maintained for the use of those remaining on the premises during the rest intervals, suitable and adequate mess-room or canteen accommodation which shall be furnished with sufficient tables and chairs or benches with back rests and where sufficient drinking water is available.

50. Ambulance Room.—(a) In every factory in which more than 250 persons are employed on the Processes to which this Schedule applies, there shall be provided and maintained in good order an Ambulance Room. The Ambulance Room shall be a separate room used only for the purpose of treatment and rest. It shall have a floor space of not less than 100 square feet and smooth, hard and impervious walls and floor, and shall be provided with ample means of natural and artificial lighting. It shall contain all the items shown in sub-schedule D. Where persons of both sexes are employed, arrangements shall be made at the Ambulance Room for their separate treatment. The Ambulance Room shall be placed under the charge of a qualified nurse or other person trained in First Aid, who shall always be readily available during working hours, and shall keep a record of all cases of accidents or sickness treatment in the room.

(b) In every factory there shall be provided and maintained in good condition a suitably constructed ambulance van for the purpose of the removal of serious cases of accident or sickness unless arrangements have been made with a hospital or other place in telephonic communication with the factory for obtaining such a carriage immediately when required.

51. Medical personnel.—Employer shall employ a Factory Medical Officer in factory employing 50 persons or more.

52. Medical examination.—Workers engaged in the manufacture, processing, formulation or use of the following, shall be examined once in three months by the Factory Medical Officer and records maintained :

(i) Hexaethyl tetraphosphate.
(ii) Tetraethyl pyrophosphate.

(iii) O. O. Diethyl O P nitrophenyl thiophosphate (Parathion).
(iv) Nicotine, nicotine sulphate.
(iv) Mercury derivatives.
(vi) Methyl bromide,
(vii) Cyanides.
(viii) Arsenical derivatives.
(ix) Chrome process compounds.
(x) Nitro or amino process compounds.

(a) A Health Register containing the names of all workers so engaged shall be kept in a form approved by the Chief Inspector-cum-Facilitator

(b) No person shall be so engaged newly for more than fourteen days without a certificate of fitness granted after examination by the Factory medical officer, by a signed entry in the Health Register.

€Every person so engaged newly shall present himself at the appointed time for examination by the Factory medical officer as provided in (b) above.

(d)The Factory medical officer shall have power of suspension as regards all persons so engaged and no persons after suspension shall be so engaged without written sanction from the Medical Officer entered in the Health Register.

53. Duties of workers.—Every person employed shall—

(a) report to his foreman any defect in any fencing, breathing apparatus, appliances or other requisite provided in pursuance of this Schedule as soon as he becomes aware of such defect;

(b) used the articles, appliances or accommodations required by this Schedule for the purpose for which they are provided;

(c) wear the breathing apparatus and life-belt where required under Paragraph 36 (a) and (b) above.

54. No person shall.—(a) Remove any fencing provided in pursuance of Paragraph 43 unless duly authorised ; or (b) stand on the edge or on the side of any vessel to which Paragraph 43 applies; (c) pass or attempt to pass any barrier created in pursuance of Paragraph 43 ; (d) place across or inside any vessel to which Paragraph 43 applies, any plank or gangway which does not comply with that Regulation or make use of any such plan or gangway while in such position; (e) take a naked light or any lamp or matches or any apparatus for producing a naked light or spark into or smoke in, any part of the works where there is liability to explosion from inflammable gas, vapour or dust; (f) use a metal spade, scraper or pail when cleaning out or removing the residues from any chamber, still tank, or other vessel wherein were contained sulphuric acid or hydrochloric acid or other substance which might cause evolution of arseniuretted hydrogen; and (g) removes from a First Aid Box or cupboard or from the Ambulance Room any First Aid appliance or dressing except for that treatment of injuries in the works.

SUB-SCHEDULE “A”

“Chemical work” means any work or part of a work in which:

1. The manufacture or recovery or use in manufacturing of any of the following is carried on—

(a) Carbonates, chromates, chlorates, oxides or hydroxides or potassium, sodium, iron, aluminum, cobalt, nickel, arsenic, antimony, zinc or magnesium;

(b) Ammonium and the hydroxide and salts of ammonium;

(c) Sulphurous, sulphuric, nitric, hydrochloric, hydro-fluoric, hydroiodic, hydrosulphuric, boric, phosphoric, oxalic, arsenious, arsenic, lactic, acetic, tartaric or citric acids and their metallic or organic salts, pyridine, derivatives of benzene, all hazardous organic and inorganic compounds; and

(d) Cyanogen compounds.

(e) use of "Hazardous substances" in manufacturing as defined in rule 2(u) except the "Explosives" as defined in Explosives Act amended from time to time and the rules made thereunder.

2. A wet process is carried on—

(a) for the extraction of metal from one or from any by-product or residual material; or

(b) in which electrical energy is used in any process of chemical manufacture.

3. Alkali waste or the drainage there from is put to any chemical process for the recovery of sulphur or for the utilisation of any constituent of such waste or drainage.

4. Carbon disulphide is made or hydrogen sulphide is evolved by the decomposition of metallic sulphides or hydrogen sulphide is used in the production of such sulphides.

5. Bleaching powder is manufactured or chlorine gas is made or is used in any process of chemical manufacture.

6. (a) Gas tar or coal tar or any compound product or residue of such tars is distilled or is used in any process of chemical manufacture.

(b) Synthetic colouring matters for their intermediates are made.

7. Refining of crude shale oil or any process incidental thereto is carried out.

8. Nitric acid is used in the manufacture of nitro compounds.

9. Explosives are made with the use of nitro compounds.

10. Insecticides which may be phosphorous nicotine, mercury, naphthalene, cyanogen, arsenic, fluorine, copper, benzene and ethane compounds or derivative and methyl bromide are manufactured, mixed, blended and packed.

SUB-SCHEDULE "B"

1. A nitro or amino process (overalls or suits of working clothes and protective footwear).
2. Grinding raw-materials in a chrome process (overall suits).

3. The crystal department and in packing a chrome process (protective coverings).

4. Packing in a chrome process (respirators).

5. Any room or place in which chlorate is crystallised, ground or packed (clothing of woollen materials and boots or overshoes, the soles of which have no metal on them).

6. Any room in which caustic is ground or crushed by machinery (goggles and gloves or other suitable protection for the eyes and hands).

7. Bleaching powder chambers or in packing charges drawn from such chambers (suitable respirators).

8. Drawing off of molten sulphur from sulphur pots in the process of carbon disulphide manufacture (overalls, face-shield, gloves and footwear of fire-proof materials).

9. (a) Manufacture, mixing, blending and packing of insecticides which are phosphorous, nicotine, naphthalene, cyanogen, arsenic, fluorine, mercury and copper compounds or derivatives and methyl bromide (rubber, aprons, chemical type goggles and suitable respirators and in addition rubber gloves and boots for phosphorous and nicotine derivatives, synthetic rubber aprons, gloves and boots when working with oil solutions and washable, working clothing laundered daily).

(b) Manufacture, mixing, blending and packing of insecticides which are derivatives of benzene or ethylene (rubber aprons and suitable respirators, separate work clothes laundered frequently).

SUB-SCHEDULE “C”

1. A nitro or amino process.
2. The crystal department and the packing room in a chrome process.
3. The process of distilling, gas or coal tar (other than blast furnace tar) and any process of chemical manufacture in which such tar is used.
4. The manufacture, mixing, blending and packing of the insecticides mentioned in sub-schedule “A”.

SUB-SCHEDULE "D"

(i) A glazed sink with hot and cold water always available;
(ii) a table with a smooth top;
(iii) means for sterilising instruments;
(iv) a couch;
(v) a stretcher;
(vi) two buckets or containers with close fitting lids ;
(vii) two rubber hot water bags ;
(viii) a kettle and spirit stove or other suitable means of boiling water;
(ix) twelve plain wooden splints 36"x 4"x ¼" ;
(x) twelve plain wooden splints 4"x 3"x ¼";
(xi) six plain wooden splints, 10"x 2"x ½";
(xii) three woollen blankets ;
(xiii) one pair artery forceps ;
(xiv) one bottle of brandy ;
(xv) two medium size sponges;
(xvi) three hand towels ;
(xvii) two kidney trays ;
(xviii) four carbolic soaps ;
(xix) two glass tumblers and two wine glasses;
{xx) two clinical thermometers;
(xxi) graduated measuring glass with teaspoon;
(xxii) one eyebath;
(xxiii) one bottle (2 lb.) carbolic lotion, 1 in 20;
(xxiv) two chairs ;
(xxv) one screen;
(xxvi) one electric hand torch;
(xxvii) an adequate supply of anti-tetanus serum; and
(xxviii) two first aid boxes, each containing—

(a) 24 small sterilized dressings ;
(b) 12 medium size sterilized dressings ;
(c) 12 large size sterilised dressings;
(d) 12 large size sterilised burn dressings;
(e) 12 half ounce packets sterilized cotton wool;
(f) one snake bite lancet;
(g) one pair scissors ;
(h) two (1 oz.) bottles of potassium permanganate crystals;
(i) one (4 oz.) bottle containing a two per cent alcoholic solution of iodine;
(j) one (4 oz.) bottle of sal volatile having the dose and mode of administration indicated on the label;
(k) a copy of the first aid leaflet issued by the Chief Adviser of Factories, Government of India.

PART II

Applying to work or parts thereof in which—

(i) Caustic pots are used; or

(ii) Chlorate of bleaching powder is manufactured ; or

(iii) (a) gas tar or coal tar is distilled or is used in any process of chemical manufacture; or

(b) nitro or amino process is carried on ; or

(c) a chrome process is carried on ; or

(iv) crude shale oil is refined or processes incidental thereto are carried on; or

(v) nitric acid is used in the manufacture of nitro compounds;

(vi) the evaporation of brine in open pans and the stoving of salt are carried on ;

(vii) the manufacture or recovery of hydrofluoric acid or any of its salts is carried on,

(viii) work at a furnace where the treatment of zinc ores is carried on ; and

(ix) insecticides mentioned in sub-schedule "A" are manufactured, mixed, blended or packed.

1. Entry into gas tar or coal tar still.—(1) Before any person enters a gas tar or coal tar still for any purpose except that of rescue, it shall be completely isolated from adjoining tar stills, either by disconnecting—

(a) the pipe leading from the swan neck to the condenser worm ; or

(b) the waste gas pipe fixed to the worm or receiver;

and in addition, blank flanges shall be inserted between the disconnected parts, and the pitch discharge pipe or cock at the bottom of the still shall be disconnected.

2. Entry into bleaching powder chambers.—No person shall enter a chamber for the purpose of withdrawing the charge of bleaching powder unless and until—

(i) the chamber is efficiently ventilated ; and

(ii) the air in the chamber has been tested and found to contain not more than 2.5 grains of free chlorine gas per cubic foot.

A register containing details of all such tests shall be kept in a form approved by the Chief Inspector-cum-Facilitator

3. Special precautions for a nitro and amino Processes-In nitro or amino processes: (a) if crystallised substances are broken or any liquor agitated by hand, means shall be taken to prevent as far as practicable, the escape of dust or fume into the air of any place in which any person is employed. The handles of all implements used in the operations shall be cleaned daily; (b) cartridges shall not be filled by hand except by means of a suitable scope; (c) every drying stove shall be efficiently ventilated to the outside air in such a manner that hot air from the stove shall not be drawn into any work room ; (d) no person shall enter a stove to remove the contents until a free current of air has been passed through it; (e) every vessel containing nitro or amino derivatives of phenol or of benzene or its homologues shall if steam is passed into or around it, or if the temperature of the contents be at or above the temperature of the boiling water, be covered in such a way that steam of vapour shall be discharged into the open air at a height of not less than 25 feet from the ground or the working platform, and at a point where it cannot be blown back again into the work-room.

4. Precautions during caustic grinding, etc.—(a) Every machine used for grinding or crushing caustic shall be enclosed; and (b) where any of the following process are carried on—

(i) grinding or crushing of caustic ;

(ii) packing of ground caustic;

(iii) grinding, sieving, evaporating or packing in a chrome process ;

(iv) crushing or mixing of material or cartridge filling in a nitro or amino process , an efficient exhaust draught shall be provided ;

(v) insecticides mentioned in sub-schedule "A" are manufactured, mixed, blended, or packed.

5. (a) Chlorate shall not be crystallised, ground or packed except in a room or place not used for any other purpose, the floor of which room or place shall be of cement or other smooth, impervious and incombustible material and shall be thoroughly cleaned daily.

(b) Wooden vessels shall not be used for the crystallisation of chlorate, or to contain crystallised or ground chlorate:

Provided that this regulation shall not prohibit the packing of chlorate for sale into wooden casks or other wooden vessels.

6. Restrictions on the employment of young persons and women.—(a) No person under 18 years of age and women shall neither be employed in any process in which hydrochloric acid fumes or ammonia cal vapours are given off from the following operations—

(i) evaporation of brine in open pans;

(ii) stoving of salt;

(iii) work at a furnace where the treatment of zinc is carried on; and

(iv) the cleaning of work rooms where the process mentioned in (iii) is carried on.

(b) No person under 18 years of age shall be employed in a chrome process or in nitro or amino process or in a process in which the following materials are used or where the vapour of such material is given off:

Carbon bi-sulphide, chlorides of sulphur, benzene, carbon tetrachloride trichloroethylene, any carbon chloride compound, or any mixture containing any of each materials.

7. Every person employed—

(a) in a processes to which Paragraph 33 of this Schedule applies shall where the protective clothing, footwear, respirators, goggles or gloves, provided under Paragraph 33 and shall deposit overall or suit, or working clothing so provided as well as clothing put off during working hours, in the places provided under Paragraph 34;

(b) in Processes to which Paragraph 35 applies shall carefully wash the hands and face before partaking of any food or leaving the premises;

(c) in any process to which Part II of this Schedule applies shall use the protective appliances supplied in respect of any process in which he is engaged.

SCHEDULE-XV
MANUFACTURE OR MANIPULATION OF CARCINOGENIC DYE INTERMEDIATES
APPLICATION:

1.Application.-The schedule shall apply in respect of all factories or any part thereof where processes in which the substances mentioned in paragraphs 3 and 4 are formed, manufactured, handled, or used and the processes incidental thereto in the course of which these substances are formed, are carried on. The Process indicated in this paragraph shall be referred to hereinafter as "the said processes " and such a reference shall mean any or all of the process described in this paragraph.

2. Definitions.—For the purpose of this schedule the following definitions shall apply, unless the context otherwise requires :—

(a)"Controlled Substances" means chemical substances mentioned in paragraph 4 of this schedule.

(b) "Efficient Exhaust Draught" means localised ventilation affected by mechanical means for the removal of gas, vapour, dust or fumes so as to prevent them from escaping into the air of any place in which work is carried on. No draught shall be deemed to be efficient which fails to remove smoke generated at the point where such gas, vapour, fume or dust originated.

(c) "First Employment" means first employment in the said processes and also re-employment in such processes following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months, and

(d) "Prohibited Substances" means chemical substances mentioned in paragraph 3 of this schedule.

3. Prohibited Substances.—For the purpose of this schedule, the following chemical substances shall be classified as "prohibited substances" except when these substances are present or are formed as a by-product of a chemical reaction in a total concentration not exceeding one per cent:—

(a) Beta-naphthylamine and its salts ;
(b) Benzidine and its salts ;
(c) 4-amino diphenyl and its salts ;
(d) 4-nitro diphenyl and its salts; and
(e) any substance containing any of these compounds.

4. Controlled substances.—For the purpose of this schedule, the following chemical-substances shall be classified as "controlled substances" :—

(a) Alpha-naphthylamine or alpha naphthylamine containing not more than one per cent of beta-naphthylamine either as a by-product of chemical reaction or otherwise, and its salts,
(b) Ortho-tolidine and its salts ;
(c) Dianisidine and its salts ;
(d) Dichlorobenzidine and its salts ;
(e) Auramine, and
(f) Magenta.

5. Prohibition of employment.—No person shall be employed in the said processes in any factory in which any prohibited substance is formed, manufactured, processed, handled, or used except as exempted by the Chief Inspector cum-Facilitator as stipulated in paragraph 23.

6. Requirements for processing or handling controlled substances.—(1) Whereever any of the controlled substances referred to in paragraph 4 are formed, manufactured, processed, handled, or used, all practical steps shall be taken to prevent inhalation, ingestion or absorption of the said controlled substance by the workers while engaged in processing that substance, and its storage or transport while the plant, or in cleaning or maintenance of the concerned equipment, plant, machinery and storage areas.

(2) As far as possible all operations shall be carried out in a totally enclosed system. Wherever such enclosure is not possible, efficient exhaust drought shall be applied at the point where the controlled substances are likely to escape into the atmosphere during the processes.

(3) The controlled substances shall be received in the factory in tightly closed containers and shall be kept so except when these substances are in processes or in use. The controlled substances shall leave the factory only in tightly closed containers of appropriate type. All the containers shall be' plainly labelled to indicate the contents.

7. Personal protective equipment.—(1) The following items of personal protective equipment shall be provided and issued to every employees employed in the said Processes.

(a) Long trousers and shirts or overalls with full sleeves and head coverings. The shirt or over alls shall cover the neck completely.
(b) Rubber gum-boots.

(2) The following items of personal protective equipment shall be provided in sufficient numbers for use by workers employed in the said processes when there is danger of injury during the performance of normal duties or in the event of emergency :

(a) Rubber hand-gloves;
(b) Rubber aprons;
(c) Airline respirators or other suitable respiratory protective equipment.

(3) It shall be the responsibility of the manager to maintain all items of personal protective equipment in a clean and hygienic condition and in good repair.

8. Prohibition relating to employment of women and young persons.—No pregnant women or young person shall be employed or permitted to work in any room in which the said Process is carried on.

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Women workers who are feeding mothers shall be exempted from the Employment.

9. Floors of work-room.—The floor of every work room in which the said processes are carried on shall be:

(a) smooth and impervious to water provided that asphalt or tar shall not be used in the composition of the floor;

(b) maintained in a state of good repair;

(c) with a suitable slope for easy draining and provided with gutters; and

(d) thoroughly washed daily with the drain water being led into the sewer through a closed channel.

10. Disposal of empty containers.—Empty containers used for holding controlled substances shall be thoroughly cleaned of their contents and treated with an inactivating agent before being discarded.

11. Manual handling.—Controlled substances shall not be allowed to be mixed, filled, emptied or handled except by means of a scoop with a handle. Such scoop shall be thoroughly cleaned daily.

12. Instructions regarding risk.—Every worker on his first employment in the said process shall be fully instructed on the properties of the toxic chemicals to which he is likely to be exposed to, of the danger involved and the precautions to be taken. Workers shall also be instructed on the measures to be taken to deal with an emergency.

13. Cautionary placards.—Cautionary placards in the form specified in Appendix attached to this Schedule and printed in the language of the majority of the workers employed in the said Process shall be affixed in prominent places frequented by them in the factory, where the placards can be easily and conveniently read. Arrangements shall be made by the manager to instruct periodically all such workers regarding the precautions contained in the cautionary placards.

14. Medical examination.—(1) Every worker employed in the said processes shall be examined by a Factory medical officer within 14 days of his first employment. Such examination shall include tests which the Factory medical officer may consider appropriate and shall include exfoliative cytology of the urine. No worker shall be allowed to work after 14 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Factory medical officer.

(2) Every worker employed in the said processes shall be re-examined by a Factory medical officer at least once every six calendar months. Such examination shall include tests which the factory medical officer may consider appropriate but shall include exfoliative cytology of the urine.

(3) A person medically examined under sub-paragraph (1) shall be granted by a Factory medical officer a certificate of fitness in Form-8. Record of each re-examination carried out under sub-paragraph (2) shall be entered in the health register Form-7. The health register shall be kept in the custody of the manager of the factory.

(4)The record of each examination carried out as referred to in subparagraphs (1) and (2) including the nature and the results of the tests shall be entered by the Factory medical officer in a health register in Form-7.

(5) The certificates of fitness and the health register shall be kept readily available for inspection by any Inspector-cum-Facilitator.

(6) If at any time the Factory Medical Officer or Medical Officer is of the opinion that a person is no longer fit for employment in the said processes in any other work on the ground that continuance therein

would involve damage to his health, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in these documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said Processes or in any work as the case may be.

(7) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work unless the Medical Officer, after further examination, again certifies him to be fit for employment.

15.Medical facilities.—(1) The occupier of every factory in which the said processes is carried on shall engage a Factory medical officer for medical surveillance of the employees employed in such processes where number of workers exceed 50.

(2) The occupier shall provide to him all the necessary facilities for the purpose referred to in sub-paragraph (1).

(3) A record of medical examinations and appropriate tests carried out by the Factory medical officer shall be maintained in health register Form-7 approved.

16. Obligations of the workers.—It shall be the duty of the persons employed in the said process to submit themselves for the medical examination including exfoliative cytology of urine by the Factory medical officer or the Factory medical officer as provided for under these rules.

17. Washing and bathing facilities.—(1) The following washing and bathing facilities shall be provided and maintained in a clean state and in good repair for the use of all employees employed in the said Process :

(a) A wash place under cover having constant supply of water and provided with clean towels, soap and nail brushes and with at least one stand pipe for every five such workers.

(b) 50 per cent of the stand pipes provided under clause (a) shall be located in bathrooms where both hot and cold water shall be made available during the working hours of the factory and for one hour thereafter.

(c) The washing and bathing facilities shall be in close proximity of the area housing the said processes.

(d) Clean towels shall be provided individually to such workers.

(e) In addition to the taps mentioned under clause (a), one stand pipe in which warm water is made available shall be provided on each floor.

(2) Arrangement shall be made to wash factory uniforms and other work clothes every day.

18. Food, drink etc. prohibited in the work room.—No worker shall consume food, drink, pan and supari or tobacco or shall smoke in any work room in which the said processes is carried on and no worker shall remain in any such room during intervals for meals or rest.

19. Cloak room.—There shall be provided and maintained in a clean state and in good repair for the use of the workers employed in the said workers:

(a) a cloak room with lockers having two compartments—one for street clothes and the other for work clothes; and

(b) a place separate from the locker room and the mess room for the storage of protective equipment provided under paragraph 7.

The accommodation provided shall be under the care of a responsible person and shall be kept clean.

20. Mess room.—There shall be provided and maintained for the use of workers employed in the said Processes who remain on the premises during the meal intervals, mess room which shall be furnished with tables and benches and provided with suitable means for warming food.

21. Time allowed for washing.—Before the end of each shift 30 minutes shall be allowed for bathing each worker who is employed in the said processes. Further at least 10 minutes shall be allowed for washing before each meal in addition to the regular time allowed for meals.

22. Restriction on age of persons employed.—No worker under the age of 40 years shall be engaged in the factory in the said processes for the first time after the date on which the Schedule comes into force.

23. Exceptions—Prohibited substances.—(1) The Chief Inspector cum-Facilitator of Factories may by a certificate in writing (which he may at his discretion revoke at any time), subject to such conditions if any, as may be specified therein, exempt any process in the course of which any of the prohibited substances is formed, processed; manufactured, handled, or used from the provisions of paragraph 5 if he is satisfied that the process is carried out in a totally enclosed and hermetically sealed system in such a manner that the prohibited substance is not removed from the system except in quantities not greater than that required for the purpose of control of the process or such purposes as is necessary to ensure that the product is free from any of the prohibited substances.

(2) The Chief Inspector-cum-Facilitator may allow the manufacture, handling or use of benzidine hydrochloride provided that all the Process in connection with it are carried out in a totally enclosed system in such a manner that no prohibited substance other than benzidine hydrochloride is removed there from except in quantities not greater than that required for the purpose of control of process or such purposes as is necessary to ensure that the product is free from prohibited substances and that adequate steps are taken to insure that benzidine hydrochloride is except while not in a totally enclosed system, kept wet with not less than one part of water to two parts of benzidine hydrochloride at all times.

24. Exception—General.—If in respect of any factory, the Chief Inspector-cum-Facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances of infrequency of the Process or for any other reason, all or any of the provisions of this Schedule is not necessary for the protection of the workers in the factory, the Chief Inspector cum-Facilitator may by a certificate in writing (which he may in his discretion revoke at any time exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any as he may specify therein).

APPENDIX
Cautionary Placard-Notice

1. Dye intermediates which are nitro or amino derivatives or aromatic hydrocarbons are toxic. You have to handle these chemicals frequently in this factory.

2. Use the various items of protective wear to safeguard your own health.

3. Maintain scrupulous cleanliness at all times thoroughly wash hands and feet before taking meals. It is essential to take a bath before leaving the factory.

4. Wash off any chemicals falling on your body with soap and water. If splashed with a solution of the chemical, remove the contaminated clothing immediately. These chemicals are known to produce cyanosis. Contact the Medical officer or appointed doctor immediately and get his advice.

5. Handle the dye intermediates only with long handled scoops, never with bare hands.

6. Alcoholic drinks should be avoided as they enhance the risk of poisoning by the chemicals.

7. Keep your food and drinks away from work-place. Consuming food, drinks or tobacco in any form at the place of work is prohibited.

8. Serious effects from work with toxic chemicals may follow after many years. Great care must be taken to maintain absolute cleanliness of body, clothes, machinery and equipment.

SCHEDULE-XVI
MANUFACTURE, HANDLING AND USAGE OF BENZENE AND SUBSTANCES CONTAINING BENZENE:

1. This Schedule is made to provide protection against hazards of poisoning from benzene and shall apply in respect of factories or parts thereof in which benzene or substances containing benzene are manufactured, handled or used.

2. Definitions.—For the purpose of this Schedule :

(a) 'substances containing benzene' means substances wherein benzene content exceeds 1 per cent by volume ;

(b) 'substitute" means a chemical which is harmless or less harmful than benzene and can be used in place of benzene;

(c) 'enclosed system' means a system which will not allow escape of benzene vapours to the working atmosphere ; and

(d) 'efficient exhaust draught' means localised ventilation affected by mechanical means for the removal of gases, vapours and dusts or fumes so as to prevent them from escaping into the air of any workroom. No draught shall be deemed to be efficient if it fails to remove smoke generated at the point where such gases, vapours, fumes or dusts originate.

3. Prohibition and substitution.—(1) Use of benzene and substances containing benzene is prohibited in the following Processes —

(a) manufacture of varnish, paints and thinners ;

(b) cleaning and degreasing operations.

(2) Benzene or substances containing benzene shall not be used as a solvent or diluent unless the processes in which it is used is carried or in an enclosed system or unless the processes is carried on in a manner which is considered equally safe as it were carried out in an enclosed system.

(3) Where suitable substitutes are available, they shall be used instead of benzene or substances containing benzene. This provision, however, shall not apply to the following process :

(a) Production of benzene ;

(b) Process where benzene is used for chemical synthesis ; and

(c) Motor spirits (use and fuel).

(4) The Chief Inspector cum facilitator may, subject to confirmation by the State Government, permit exemptions from the percentage laid down in Paragraph 2(a) and also from the provisions of sub-paragraph (2) of this paragraph temporarily under conditions and within limits of time to be determined after consultation with the employers and workers concerned.

4. Protection against inhalation.—(1) The process involving the use of benzene or substances containing benzene shall as far as practicable be carried out in an enclosed system.

(2) Where, however, it is not practicable to carry out the process in an enclosed system, the workroom in which benzene or substances containing benzene are used shall be equipped with an efficient exhaust draught or other means for the removal of benzene vapours to prevent their escape into the air or the workroom so that the concentration of benzene in the air does not exceed 25 parts per million by volume or 80 milligrams per cubic metre.

(3) Air analysis for the measurements of concentration of benzene vapours in air shall be carried out every 8 hours or at such intervals as may be directed by the Chief Inspector-cum-Facilitator at places where process involving use of benzene is carried on and the results of such analysis shall be recorded in a register specially maintained for this purpose. If the concentration of benzene vapours in air as measured by air analysis, exceeds 25 parts per million by volume or 80 milligrams per cubic metre, the Manager shall forthwith report the concentration of the Chief Inspector –cum-Facilitator stating reasons for such increase.

(4) Workers who for special reasons are likely to be exposed to concentration of benzene in the air or the workroom exceeding the maximum referred in sub-paragraph (2) shall be provided with suitable respirators face masks. The duration of such exposure shall be limited as far as possible.

5. Measures against skin contact.—(1) workers who are likely to come in contact with liquid benzene or liquid substance containing benzene shall be provided with suitable gloves, aprons, boots and where necessary vapour tight chemical goggles, made of material not affected by benzene or its vapours.

(2) The protective wear referred to in sub-paragraph (1) shall be maintained in good condition and inspected regularly.

6. Prohibition relating to employment of women and young persons.—No pregnant women or young person shall be employed or permitted to work in any workroom involving exposure to benzene or substances containing benzene.

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Women workers who are feeding mothers shall be exempted from the Employment.

7. Labelling.—Every container holding benzene or substances containing benzene shall have the word "Benzene" and approved danger symbols clearly visible on it and shall also display information on benzene content warning about toxicity and warning about inflammability of the chemical.

8. Improper use of benzene.—(1) The use of benzene or substances containing benzene by workers for cleaning their hands or their work clothing shall be prohibited.

(2) workers shall be instructed on the possible dangers arising from such misuse.

9. Prohibition of consuming food, etc., in workroom.—No worker shall be allowed to store or consume food or drink in the workroom in which benzene or substances containing benzene are manufactured, handled or used. Smoking and chewing tobacco or pan shall be prohibited into such workrooms.

10. Instruction as regards risks.—Every worker on his first employment shall be fully instructed on the properties of benzene or substances containing benzene which he has to handle and of the dangers involved. Workers shall also be instructed on the measure to be taken to deal with an emergency.

11. Cautionary notices.—Cautionary notices in the form specified in Appendix 'A' and presented in the language easily read and understood by the majority of the workers shall be displayed in prominent places in the workrooms where benzene or substances containing benzene are manufactured, handled or used.

12. Washing facilities cloak room and mess-room.—In factories in which benzene or substances containing benzene are manufactured, handled or used the occupier shall provide and maintain in clean state and in good repair :

(1) Washing facilities under cover of the standard of at least one tap for every 10 persons having constant supply of water with soap and a clean towel provided individually to each worker if so ordered by the Inspector-cum-Facilitator ;

(2) A cloak room with lockers for each workers, having two compartments one for street clothing and one for work-clothing ; and

(3) A mess room furnished with tables and benches with means for warming food, provided that where a canteen or other proper arrangements exist for the workers to take their meals, the requirements of the mess room shall be dispensed with.

13. Medical Examination.—(1) Every worker who is to be employed in process involving use of benzene or substances containing benzene, shall undergo—

(a) a thorough pre-employment medical examination including a blood test for fitness for employment by a Factory medical officer; and

(b) periodical medical examination including blood test and other biological tests at intervals of every 6 months by the Factory medical officer with the assistance of a laboratory.

(2) Certificates of pre-employment medical examination and periodical medical examination including tests after every six month, shall be entered in a health register in Form-7, which shall be produced on demand by an Inspector cum Facilitator.

(3) If the Factory Medical Officer on examination at any time is of the opinion that any worker has developed signs or symptoms of benzene exposure, he shall make a record of his findings in the said register and inform the manager in writing and on receipt of the information from the Factory medical officer, the manager of the factory shall send the worker so found exposed, to the Factory medical officer who shall, after satisfying himself with the finding of the factory medical officer and conducting necessary examination, issue orders of temporary shifting of the worker or suspension of the worker in the process .

(4) The medical examination shall be arranged by the occupier or manager of the factory and the worker so examined shall not bear any expenses for it.

APPENDIX -A
(Paragraph 11)

(a) The hazard:

(i) Benzene and substances containing benzene are harmful.

(ii) Prolonged or repeated breathing of benzene vapours may result in acute or chronic poisoning.

(iii) Benzene can also be absorbed through skin which may cause skin and other diseases.

(b) The preventive measures to be taken:

(i) Avoid breathing of benzene vapours.

(ii) Avoid prolonged or repeated contact of benzene with the skin.

(iii) Remove benzene soaked or wet clothing promptly.

(iv) If any time you are exposed to high concentration of benzene vapours and exhibit the sign and symptoms such as dizziness, difficulty in breathing, excessive excitation and losing of consciousness, immediately inform your Factory Manager.

(v) Keep all the containers of benzene closed.

(vi) Handle, use and process benzene and substances containing benzene carefully in order to prevent their spillage on floor.

(vii) Maintain good house-keeping.

(c) The protective equipment to be used:

(i) Use respiratory protective equipment in place where benzene vapours are present in high concentration,

(ii) In emergency, use self-generating oxygen masks or oxygen or air-cylinder masks.

(iii) Wear hand gloves, aprons, goggles and gum boots to avoid contact of benzene with your skin and body parts.

(d) The First-aid .measure to be taken in case of acute benzene poisoning:

(i) Remove the clothing immediately if it is wetted with benzene.

(ii) If liquid benzene enters eyes, flush thoroughly for at least 15 minutes with clean running water and immediately secure medical attention,

(iii) in case of unusual exposure to benzene vapour, call a physician immediately. Until he arrives do the following:

If the exposed person is conscious :

(a) Move him to fresh air in the open.

(b) Lay him down without a pillow and keep him quiet and warm.

If the exposed person in unconscious :

(a) Lay him down preferably on the left side with the head low.

(b) Remove any false teeth; chewing-gum tobacco or other foreign objects which may be in his mouth.

(c) Provide him artificial respiration in case difficulty is being experienced in breathing.

(d) In case of shallow breathing or cyanosis (blueness of skin, lips, ears, fingers, nail beds), he should be provided with medical oxygen or oxygen carbon dioxide mixture. If needed, he should be given artificial respiration. Oxygen should be administered by a trained person only.

SCHEDULE-XVII
Manufacture of pottery:

1. Savings.—These provisions shall not apply to a factory in which any of the following articles, but no other pottery, are made—

(a) unglazed or salt glazed bricks and tiles; and

(b) architectural terracotta made from plastic clay and either unglazed or glazed with a leadless glaze only.

2. Definitions.—For the purposes of this Schedule—

(a) "Efficient exhaust draught" means localised ventilation affected by mechanical or other means for removal of dust or fume so as to prevent it from escaping into air of any place in which work is carried on. No draught shall be deemed efficient which fails to remove effectively dust or fume generated at the point where dust or fume originates;

(b) "fettling" includes scalloping, towing, sand peppering, sand sticking, brushing or any other process of cleaning of pottery ware in which dust is given off;

(c) "first employment" shall mean first employment in any process mentioned under Paragraph 3 and shall also include re-employment in the said process following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months;

(d) "ground or powdered flint or quartz" does not include natural sands;

(e) "leadless glaze" means a glaze which does not contain more than one per cent of its dry weight of a lead compound calculated as lead monoxide;

(f) "low solubility glaze" means a glaze which does not yield to dilute hydrochloric acid more than five per cent of its dry weight, of a soluble lead compound calculated as lead monoxide when determined in the manner described below—

A weighed quantity of the material which has been dried at 100 degrees centigrade and thoroughly mixed shall be continuously shaken for one hour at the common temperature with 1000 times its weight of an aqueous solution of hydrochloric acid containing 0.25 per cent by weight of hydrogen chloride. This solution shall thereafter be allowed to stand for one hour and then filtered. The lead salt contained in the clear filtrate shall then be precipitated as lead sulphide and weighed as lead sulphate;

(g) "potter's shop" includes all places where pottery is formed by pressing or by any other processes and all places whereby pressing or by any other process and all places where shaping, fettling or other treatment of pottery article prior to placing for the biscuit fire is carried on; and

(h) "Pottery" includes earthenware, stoneware, porcelain, chinatiles, and any other articles made from such clay or from a mixture containing clay and other materials such as quartz, flint, feldspar, and gypsum.

3. Efficient exhaust draughts.—The following process shall not be carried on without the use of an efficient exhaust draught:

(a) all processes involving the manipulation or use of a dry and unfritted lead compound;

(b) fettling operations of any kind, whether on greenware or biscuit, provided that this shall not apply to the wet fettling, and to the occasional finishing of pottery articles without the aid of mechanical power;

(c) sifting of clay dust or any other material for making tiles or other articles by pressure, except where—

(i) this is done in machine so enclosed as to effectually prevent the escape of dust; or

(ii) the material to be shifted is so damp that no dust can be given off;

(d) pressing of tiles from clay dust, an exhaust opening being connected with each press, and pressing from clay dust of articles other than tiles, unless the material is so damp that no dust is given off;

(e) fettling of tiles made from clay dust by pressure, except where the fettling is done wholly on or with, damp material, and fettling of other articles made from clay dust, unless the material is so damp that no dust is given off;

(f) process of loading and unloading of saggers where handling and manipulation of ground and powdered flint, quartz, alumina or other materials are involved;

(g) brushing of earthenware biscuit, unless the process is carried on in a room provided with efficient general mechanical ventilation or other ventilation which is certified by the Inspector cum-Facilitator as adequate having regard to all the circumstances of the case;
(h) fettling of biscuit ware which has been fired in powdered flint or quartz except where this is done in machine so enclosed as to effectively prevent the escape of dust;
(i) ware cleaning after the application of glaze by dipping or other process ;
(j) crushing and dry grinding of materials for pottery bodies and saggars, unless carried on in machines so enclosed as to effectively prevent the escape of dust or is so damp that no dust can be given off;
(k) sieving or manipulation of powdered flint, quartz, clay grog or mixture of these materials unless it is so damp that no dust can be given off;
(l) grinding of tiles on a power driven wheel unless an efficient water spray is used on the wheel;
(m) lifting and conveying of materials by elevators and conveyers unless they are effectively enclosed and so arranged as to prevent escape of dust into the air in or near to any place in which persons are employed;
(n) preparation or weighing out of flow material, lawning of dry colours, colour dusting and colour blowing;
(o) mould making unless the bins or similar receptacles used for holding plaster of paris are provided with suitable covers; and
(p) manipulation of calcined material unless the material has been made and remains so wet that no dust is given off.

4. Separation of process.—Each of the following processes shall be carried on in such a manner and under such conditions as to secure effectual separation from one another and from other wet Process —

(a) crushing and dry grinding or sieving of materials, fettling, pressing of tiles, drying of clay and greenware, loading and unloading of saggars, and the use of a dry lead compound,
(b) all Process involving the use of a dry lead compound.

5. Prohibition on use of glaze.—No glaze which is not a leadless glaze or a low solubility glaze shall be used in a factory in which pottery is manufactured.

6. Prohibition relating to women and young persons.—No pregnant women or young person shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in Paragraph 4, or at any place where such operations are carried on.

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Women workers who are feeding mothers shall be exempted from the Employment.

7. Provisions of screen to potter's wheel.—The potter's wheel (jolly and jigger) shall be provided with screens or so constructed as to prevent clay scrapings being thrown off beyond the wheel.

8.Control of dust during cleaning.—(1) All practical measures shall be taken by dampening or otherwise to prevent dust arising during cleaning of floors.

(2) Damp sawdust or other suitable material shall be used to render the moist method effective in preventing dust rising into the air during the cleaning process which shall be carried out after work has ceased.

9. Floor of certain workrooms.—The floors of potter's shops, slip houses, dipping houses and ware cleaning rooms shall be hard, smooth and impervious and shall be thoroughly cleaned daily by an adult male using a moist method.

10.Protective equipment.—(1) The occupier shall provide and maintain suitable overalls and head coverings for all persons employed in process included under Paragraph 3.

(2) The occupier shall provide and maintain suitable aprons of a waterproof or similar material which can be sponged daily, for the use of the dippers, dippers' assistants, throwers, jolly workers, casters, mould makers and filter press and pug mill workers.

(3) Aprons provided in pursuance of sub-paragraph (2) shall be thoroughly cleaned daily by the wearers by sponging or other wet Process. All overalls and head coverings shall be washed, cleaned arid mended at least once a week, and this washing, cleaning or mending shall be provided for by the occupier.

(4) No person shall be allowed to work in emptying sacks of dusty materials, weighing out and mixing of dusty materials, and charging of ball mills and plungers without wearing a suitable and efficient dust respirator.

11. Washing facilities.—(1) The occupier shall provide and maintain, in a clean state and in good repair for the use of all persons employed in any of the Process specified in Paragraph 8—

(a) a wash place under cover with either—

(i) a trough with smooth impervious surface fitted with a waste pipe without plug, and of sufficient length to allow at least 60 centimetres for every five such persons employed at any one time, and having a constant supply of clean water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 60 centimetres; or

(ii) at least one tap or standpipe for every five such persons employed at any one time, and having a constant supply of clean water, the tap or standpipe being spaced not less than 120 centimetres apart; and

(b) a sufficient supply of clean towels made of suitable material changed daily, with sufficient supply of nail brushes and soap.

12. Time allowed for washing.—Before each meal and before the end of the day's work, at least ten minutes, in addition to the regular meal times, shall be allowed for washing to each person employed in any of the process mentioned in Paragraph-3.

13. Mess-room.—(1) There shall be provided and maintained for use of all persons remaining within the premises during the rest intervals, a suitable mess-room providing accommodation of 0.93 square metre per head and furnished with—

(a) a sufficient number of tables and chairs or benches with back rest;
(b) arrangements for washing utensils;
(c) adequate means for warming food; and
(d) adequate quantity of drinking water.

(2) The room shall be adequately ventilated by the circulation of fresh air and placed under the charge of a responsible person and shall be kept clean.

14. Food, drinks, etc. prohibited in workrooms.—No food, drink, pan, supari and tobacco shall be brought into or consumed by any worker in any workroom in which any of the processes mentioned in Paragraph 3 are carried on and no person shall remain in any such room during interval for meals or rest.

15. Cloak-room, etc.—There shall be provided and maintained for the use of all persons employed in any of the process mentioned in Paragraph 3,—

(a) a cloak-room for clothing put off during working hours and such accommodation shall be separate from any mess-room; and

(b) separate and suitable arrangements for the storage of protective equipment provided under Paragraph 10.

16. Medical facilities and records of examinations and tests.—(1) The occupier of every factory in which manufacturing of pottery is carried on, shall—

(a) employ a Factory medical officer for medical surveillance of the workers employed therein where number of workers exceed 50; and

(b) provide to the said Factory medical officer all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a).

(2) The record of medical examination and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained in a separate Health register Form-7, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum Facilitator.

17. Medical examination by Factory medical officer.—(1) Every worker employed in any process mentioned under Paragraph 3, shall be examined by a Factory medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for lead in urine and blood, ALA in urine, haemoglobin content, stippling of cells and pulmonary function tests and chest X-ray for workers engaged in process mentioned in clauses (a) and (n) of Paragraph 3 and pulmonary function test and chest X-rays for the others. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Factory medical officer.

(2) All persons employed in any of the Process mentioned in clauses (a) and (n) of Paragraph 3 shall be examined by a Factory medical officer once in every 3 calendar months. Those employed in any other Process mentioned in the remaining clauses of Paragraph 3 shall be examined by a Factory medical officer once in every twelve calendar months. Such examinations in respect of all the employees shall include all the tests as specified in sub-paragraph (1) except chest X-ray which will be once in 3 years.

(3) The Factory medical officer after examining a worker shall issue Certificate of Fitness in Form-8. The record of examination and re-examination carried out shall be entered in the certificate and the certificate shall be kept in the custody of the manager of the factory. The record of each examination carried out under sub-paragraphs (1) and (2), including the nature and the results of the tests, shall also be entered by the Factory medical officer in a Health Register in Form-7.

(4) The Certificate of Fitness and the Health Register shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

(5) If at any time the Factory Medical Officer or Medical Officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said process on the ground that continuance therein would involve special danger to health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the Health Register. The entry of his findings in these documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (5) above shall be re-employed or permitted to work in the said process unless the Medical Officer, after further examination again certifies him fit for employment in those Processes.

18. Exemption.—If in respect of any factory the Chief Inspector cum Facilitator is satisfied that all or any of the provisions of this Schedule are not necessary for the protection of the persons employed in such factory, he may by a certificate in writing exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions as he may specify therein. Such certificate may at any time be revoked by the Chief Inspector cum-Facilitator without assigning any reasons.

SCHEDULE-XVIII

Manipulation of Stone or any Other Material Containing Free Silica:

1. Application.—This Schedule shall apply to all factories or parts of factories in which manipulation of stone or any other material containing free silica is carried on.

2. Definitions.—For the purpose of this Schedule—

(a) "First employment" shall mean first employment in the processes specified in Paragraph 1 and shall also include re-employment in the said Process following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months;
(b) "manipulation" means crushing, breaking, chipping, dressing, grinding, sieving, mixing, grading or handling of stone or any other material or any other operation involving such stone or material; and
(c) "stone or any other material containing free silica" means a stone or any other solid material containing not less than 5 per cent by weight of free silica.

3. Precautions in manipulation.—No manipulation shall be carried out in a factory or part of a factory unless one or more of the following measures, namely—

(a) dampening the stone or other material being processed;
(b) providing water spray;
(c) enclosing the processes;
(d) isolating the processes; and
(e) providing localised exhaust ventilation:

are adopted so as to effectively control the dust in any place in the factory where any person is employed, at a level equal to or below the maximum permissible level for silica dust as laid down in second Schedule C appended to Section 88 of the Code:

Provided that such measures as above said are not necessary if the processes of operation itself is such that the level of dust created and prevailing does not exceed the permissible level referred to.

4. Maintenance of floors.—(1) All floors or places where fine dust is likely to settle on and wherein any person has to work or pass shall be of impervious material and maintained in such condition that they can be thoroughly cleaned by a moist method or any other method which would prevent dust being airborne in the process of cleaning.

(2) The surface of every floor of every workroom or place where any work is carried on or where any person has to pass during the course of his work, shall be cleaned of dust once at least during each shift after being sprayed with water or by any other suitable method so as to prevent dust being airborne in the process of cleaning.

5. Prohibition relating to young persons.—No young person shall be employed or permitted to work in any of the operations involving manipulation or at any place where such operations are carried on.

6. Medical facilities and records of examinations and tests.—(1) The occupier of every factory to which the Schedule applies, shall—

(a) employ a qualified medical officer for medical surveillance of the workers employed therein where number of workers exceeds 50;and
(b) provide to the said Medical officer all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a).

(2) The record of medical examination and appropriate tests carried out by the said medical officer shall be maintained in a separate register approved by the Chief Inspector cum Facilitator which shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator.

7. Medical examination by Factory medical officer.—(1) Every worker employed in the processes specified in Paragraph 1, shall be examined by a Factory medical officer within 15 days of his first employment. Such medical examination shall include pulmonary function tests and chest X-ray. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment unless certified fit for such employment by the Factory medical officer.

(2) Every worker employed in the said process shall be re-examined by a Factory medical officer at least once in every twelve months. Such examination shall, wherever the Factory medical officer considers appropriate, include all the tests as specified in sub-paragraph (1) except chest X-ray which will be once in every 3 years.

(3) The Factory medical officer after examining a worker, shall issue a Certificate of Fitness in Form-8. The record of re-examination carried out shall be entered in the Certificate and the Certificate shall be kept in the custody of the manager of the Factory. The record of each examination carried out under sub-paragraphs (1) and (2) including the nature and the results of the tests, shall also be entered by the Factory medical officer in Health Register in Form-7.

(4) The Certificate of Fitness and the Health Register shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum-facilitator.

(5) If at any time the Factory Medical Officer or Medical Officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said process on the ground that continuance therein would involve special danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the Health Register. The entry of his findings in those documents also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (5) above shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical Officer after further examination, again certifies him fit for employment in those Processes.

8.Exemption.—If in respect of any factory, the Chief Inspector-cum-Facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or infrequency of the Process or for any other reason, all or any of the provisions of this Schedule are not necessary for protection of the workers in the factory, the Chief Inspector-cum-Facilitator may by a certificate in writing, which he may in his discretion revoke at any time, exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any, as he may specify therein.

SCHEDULE-XIX
HANDLING AND PROCESSING OF ASBESTOS, MANUFACTURE OF ANYARTICLE OF ASBESTOS AND ANY OTHER PROCESS OF MANUFACTUREOR OTHERWISE IN WHICH ASBESTOS IS USED IN ANY FORM:

1. Application.—This Schedule shall apply to all factories or part of factories in which any of the following process are carried on—

(a) breaking, crushing, disintegrating, opening, grinding, mixing or sieving of asbestos and any other Processes involving handling and manipulation of asbestos incidental thereto;

(b) all process in the manufacture of asbestos textiles including preparatory and finishing Process;

(c) making of insulation slabs or Sections, composed wholly or partly of asbestos and Processes incidental thereto;

(d) making or repairing of insulating mattresses composed wholly or partly of asbestos, and processes incidental thereto;

(e) manufacture of asbestos cardboard and paper;

(f) manufacture of asbestos or cement goods;

(g) application of asbestos by spray method;

(h) sewing, grinding, turning, abrading and polishing in the dry state of articles composed wholly or partly of asbestos;

(i) cleaning of any room, vessel, chambers, fixture or appliance for the collection of asbestos dust; and

(j) any other process in which asbestos dust is given off into the work environment.

2. Definition.—For the purpose of this Schedule—

(a) "approved" means approved for the time being in writing by the Chief Inspector cum-facilitator;

(b) "asbestos" means any fibrous silicate mineral and any admixture containing actionlite, amosite, anthophylite, chrysolite, crocidolite, tremolite or any mixture thereof, whether crude, crushed or opened;

(c) "asbestos textiles" means yarn or cloth composed of asbestos mixed with any other material;

(d) "breathing apparatus" means a helmet or face piece with necessary connection by means of which a person using it breathes air free from dust, or any other approved apparatus;

(e) "efficient exhaust draught" means localised ventilation by mechanical means for the removal of dust so as to prevent dust from escaping into air of any place in which work is carried on. No draught shall be deemed to be efficient which fails to control dust produced at the point where such dust originates;

(f) "first employment" shall mean first employment in the processes, specified in Paragraph 1 and shall also include re-employment in the said process following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months;

(g) "preparing" means crushing, disintegrating, and any other process in or incidental to the opening of asbestos; and

(h) "protective clothing" means overall and head covering, which (in either case) will when worn exclude asbestos dust.

3. Tools and equipment.—Any tools or equipment used in Process to which this Schedule applies shall be such that they do not create asbestos dust above the permissible limit or are equipped with efficient exhaust draught.

4. Exhaust draught.—(1) An efficient exhaust draught shall be provided and maintained to control dust from the following processes and machines—

(a) manufacture and conveying machinery, namely—

(i) preparing, grinding or dry mixing machines;

(ii) carding, card waste and ring spinning machines, and looms;

(iii) machines or other plant fed with asbestos; and

(iv) machines used for the sewing, grinding, turning, drilling, abrading or polishing, in the dry state, of articles composed wholly or partly of asbestos.

(b) cleaning and grinding of the cylinders or other parts of a carding machine;

(c) chambers, hoppers or other structures into which loose asbestos is delivered or passes;

(d) workbenches for asbestos waste sorting or for other manipulation of asbestos by hand;

(e) workplaces at which the filling or emptying of sacks, skips or other portable containers, weighing or other processes incidental thereto which is effected by hand, is carried on;

(f) sack cleaning machines;

(g) mixing and blending of asbestos by hand; and

(h) any other process in which dust is given off into the work environment.

(2) Exhaust ventilation equipment provided in accordance with sub-paragraph (1) shall, while any work of maintenance or repair to the machinery, apparatus or other plant or equipment in connection with which it is provided is being carried on, be kept in use so as to produce an exhaust draught which prevents the entry of asbestos dust into the air of any workplace.

(3) Arrangements shall be made to prevent asbestos dust discharged from exhaust apparatus being drawn into the air of any workroom.

(4) The asbestos bearing dust removed from any workroom by the exhaust system shall be collected in suitable receptacles or filter bags which shall be isolated from all work areas.

5. Testing and examination of ventilating systems.—(1) All ventilating systems used for the purpose of extracting or suppressing dust as required by this Schedule shall be examined and inspected once every week by a responsible person. It shall be thoroughly examined and tested by a competent person once in every period of 12 months. Any defects found by such examinations or tests shall be rectified forthwith.

(2) A register containing particulars of such examination and tests and the state of the plant and repairs or alterations (if any) found to be necessary shall be kept and shall be available for inspection by an Inspector cum-Facilitator.

6. Segregation in case of certain process.—Mixing or blending by hand of asbestos, or making or repairing of insulating mattresses composed wholly or partly of asbestos shall not be carried on in any room in which any other work is done.

7. Storage and distribution of loose asbestos.—All loose asbestos shall while not in use, be kept in suitable closed receptacles which prevent the escape of asbestos dust therefrom and such asbestos shall not be distributed within a factory except in such receptacles or in a totally enclosed system of conveyance.

8. Asbestos sacks.—(1) All sacks used as receptacles for the purpose of transport of asbestos within the factory shall be constructed of impermeable material and shall be kept in good repair.

(2) A sack which has contained asbestos shall not be cleaned by hand beating but by a machine, complying with Paragraph 3.

9. Maintenance of floors and workplaces—(1) In every room in which any of the requirements of this Schedule apply—

(a) the floors, workbenches, machinery and plant shall be kept in a clean state and free from asbestos debris and suitable arrangements shall be made for the storage of asbestos not immediately required for use; and

(b) the floors shall be kept free from any materials, plant or other articles not immediately required for the work carried on in the room and which would obstruct the proper cleaning of the floor.

(2) The cleaning as mentioned in sub-paragraph (1) shall, so far as is practicable, be carried out by means of vacuum cleaning equipment as designed and constructed and so used that asbestos dust neither escapes nor is discharged into the air of any workplace.

(3) When the cleaning is done by any method other than that mentioned in sub-paragraph (2), the persons doing cleaning work and any other person employed in that room shall be provided with respiratory protective equipment and protective clothing.

(4) The vacuum cleaning equipment used in accordance with provisions of sub-paragraph (2), shall be properly maintained and after each cleaning operation, its surface shall be kept in a clean state and free from asbestos waste and dust.

(5) Asbestos waste shall not be permitted to remain on the floors or other surfaces at the workplace at the end of the working shift and shall be transferred without delay to suitable receptacles. Any spillage of asbestos waste occurring during the course of the work at any time shall be removed and transferred to the receptacles maintained for the purpose without delay.

10. Breathing apparatus and protective clothing.—(1) An approved breathing apparatus and protective clothing shall be provided and maintained in good condition for use of every person employed—

(a) in chambers containing loose asbestos;

(b) in cleaning, dust settling, or filtering chambers, or apparatus;

(c) in cleaning the cylinders, including the doffers cylinders, or other parts of a carding machine by means of hand-strickles;

(d) in filling, beating, or levelling in the manufacture or repair of insulating mattresses; and

(e) in any other operation or circumstance in which it is impracticable to adopt technical means to control asbestos dust in the work environment within the permissible limit.

(2) Suitable accommodation in a conveniently accessible position shall be provided for the use of persons when putting on or taking off breathing apparatus and protective clothing provided in accordance with this Schedule and for the storage of such apparatus and clothing when not in use.

(3) All breathing apparatus and protective clothing when not in use shall be stored in the accommodation provided in accordance with sub-paragraph (2).

(4) All protective clothing in use shall be re-dusted under an efficient exhaust draught or by vacuum cleaning and shall be washed at suitable intervals. The cleaning Schedule and procedure should be such as to ensure the efficiency of the said clothing in protecting the wearer.

(5) All breathing apparatus shall be cleaned and disinfected at suitable intervals and thoroughly inspected once every month by a responsible person.

(6) Records of the cleaning and maintenance and of the condition of the breathing apparatus shall be maintained in a register provided for that purpose which shall be readily available for inspection by an Inspector cum facilitator.

(7) No person shall be employed to perform any work specified in sub-paragraph (1) for which breathing apparatus is necessary to be provided under that sub-paragraph unless he has been fully instructed in the proper use of that equipment.

(8) No breathing apparatus provided in pursuance of sub-paragraph (1) which has been worn by a person, shall be worn by another person unless it has been thoroughly cleaned and disinfected since last being worn and the person has been fully instructed in the proper use of that equipment.

11. Separate accommodation for personal clothing.—A separate accommodation shall be provided in a conveniently accessible position for all persons employed in operations to which this Schedule applies for storing of personal clothing. This should be separated from the accommodation provided under subparagraph (2) of Paragraph 10 to prevent contamination of personal clothing.

12. Washing and bathing facilities.—(1) There shall be provided and maintained in a clean state and in good repair for the use of all workers employed in the processes covered by the Schedule, adequate washing and bathing places having a constant supply of water under cover at the rate of one such place for every 15 persons employed.

(2) The washing places shall have standpipes placed at intervals of not less than one metre.

(3) Not less than one-half of the total number of washing places shall be provided with bathrooms.

(4) Sufficient supply of clean towels made of suitable materials shall be provided:

Provided that such towels shall be supplied individually for each worker if so ordered by the Inspector cum facilitaor.

(5) Sufficient supply of soap and nail brushes shall be provided.

13. Mess-room.—(1) There shall be provided and maintained for the use of all workers employed in the factory covered by this Schedule, remaining on the premises during the rest intervals, a suitable mess-room which shall be furnished with—

(a) sufficient tables and benches with back-rest, and

(b) adequate means for warning food.

(2) The mess-room shall be placed under the charge of a responsible person and shall be kept clean.

14. Prohibition of employment of young persons.—No young person shall be employed in any of the process covered by this Schedule.

15. Prohibition relating to smoking.—No person shall smoke in any area where the Processes covered by this Schedule is carried on. A notice in the language understood by the majority of the workers shall be posted in the plant prohibiting smoking in such areas.

16. Cautionary Notices.—(1) Cautionary notices shall be displayed at the approaches and along the perimeter of every asbestos processing area to warn all persons regarding:

(a) hazards to health from asbestos dust;

(b) need to use appropriate protective equipment; and

(c) prohibition of entry to unauthorised persons or authorised persons but without protective equipment.

(2) Such notices shall be in the languages understood by the majority of the workers.

17. Air Monitoring.—To ensure the effectiveness of the central measures, monitoring of asbestos in air shall be carried out once at least in every shift and the record of the results so obtained shall be entered in a register specially maintained for the purpose.

18. Medical facilities and records of medical examinations and tests.—(1) The occupier of every factory or part of the factory to which the Schedule applies, shall—

(a) employ a Factory medical officer for medical surveillance of the workers covered by this Schedule whose employment shall be subject to the approval of the Chief Inspector cum-Facilitator; and

(b) provide to the said Factory medical officer all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a).

(2) The record of medical examinations and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained in a separate register approved by the Chief Inspector cum-Facilitator , which shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum-Facilitator.

19. Medical examination by Factory medical officer.—(1) Every worker employed in the process specified in Paragraph 1 shall be examined by a Factory medical officer within 15 days of his first employment. Such examinations shall include pulmonary function tests, tests for detecting asbestos fibers in sputum and chest X-ray. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Factory medical officer.

(2) Every worker employed in the process referred to in sub-paragraph (1) shall be re-examined by a Factory medical officer at least once in every twelve calendar months. Such examinations shall, wherever the factory medical officer considers appropriate include all the tests specified in sub-paragraph (1) except chest X-ray which will be carried out once in 3 years.

(3) The Factory medical officer after examining a worker, shall issue a Certificate of Fitness in Form-8. The record of examination and re-examinations carried out shall be entered in the certificate and the certificate shall be kept in the custody of the manager of the factory. The record of each examination carried out under sub-paragraphs (1) and (2), including the nature and the results of the test, shall also be entered, by the Factory medical officer in a Health Register in Form-7.

(4) The Certificate of Fitness and the Health Register shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum-Facilitator.

(5) If at any time the Factory Medical Officer or Medical Officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said process on the ground that continuance therein would involve special danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the Health Register. The entry of his findings in these documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit to work in the said Processes .

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (5) shall be re-employed or permitted to work in the said process unless the Medical Officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those Process .

20. Exemption.—If in respect of any factory, the Chief Inspector-cum Facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or infrequency of the processes for any other reason, all or any of the provisions of this Schedule is not necessary for protection of the employees in the factory, the Chief Inspector cum-Facilitator may by a certificate in writing, which he may at his discretion revoke at any time, exempt such factory from all or any of such provisions subject to such condition, if any, as he may specify therein.

SCHEDULE-XX
HANDLING OR MANIPULATION OF CORROSIVE SUBSTANCES:

1. Definition.—For the purposes of this Schedule—

(a) "corrosive operation" means an operation of manufacturing, storing, handling, processing, packing or using any corrosive substance in a factory; and

(b) "corrosive substance" includes Sulphuric acid, Nitric acid, Hydrochloric acid, Hydrofluoric acid, Carbolic acid, Phosphoric acid. Liquid chlorine, Liquid bromine, Ammonia, Sodium hydroxide and Potassium hydroxide and a mixture thereof, and any other substance which the State Government by notification in the Official Gazette specify to be a corrosive substance.

2. Flooring.—The floor of every workroom of a factory in which corrosive operation is carried on shall be made of impervious, corrosion and fire resistant material and shall be so constructed as to prevent collection of any corrosive substance. The surface of such flooring shall be smooth and cleaned as often as necessary and maintained in a sound condition.

3.Protective equipment.—(1) The occupier shall provide for the use of all persons employed in any corrosive operation suitable protective wear for hands and feet, suitable aprons, face shields, chemical safety goggles and respirators. The equipment shall be maintained in good order and shall be kept in a clean and hygienic condition by suitably treating to get rid of the ill effects of any absorbed chemicals and by disinfecting. The occupier shall also provide suitable protective creams and other preparations wherever necessary.

(2) The protective equipment and preparations provided shall be used by the persons employed in any corrosive operation.

4.Water facilities.—Where any corrosive operation is carried on, there shall be provided as close to the place of such operation as possible a source of clean water at a height of 210 centimetres from a pipe of 1.25 centimetres diameter and fitted with a quick Coding valve so that in case of injury to the worker by any corrosive substance, the injured part can be thoroughly flooded with water. Whenever necessary, in order to ensure continuous water supply, a storage tank having a minimum length, breadth and height of 210 centimeters, 120 centimeters and 60 centimeters respectively or such dimensions as are approved by the Chief Inspector cum-Facilitator shall be provided as the source of clean water.

5. Cautionary notice.—A cautionary notice in the following form and printed in the language which majority of the workers employed understand, shall be displayed prominently close to the place where a corrosive operation is carried out and where it can be easily and conveniently read by the workers. If any worker is illiterate, effective steps shall be taken to explain carefully to him the contents of the notice so displayed.

CAUTIONARY NOTICE
DANGER

Corrosive substances cause severe burns and vapours there of may be extremely hazardous. In case of contact, immediately flood the part affected with
plenty of water for at least 15 minutes
Get medical attention quickly.

6. Transport.—(1) Corrosive substances shall not be filled, moved or carried except in containers or through pipes and when they are to be transported in containers they shall be placed in crates of sound construction and of sufficient strength.

(2) A container with a capacity of 11.5 litres or more of a corrosive substance shall be placed in a receptacle or crate and then carried by more than one person at a height below the waist line unless a suitable rubber wheeled truck is used for the purpose.

(3) Containers for corrosive substances shall be plainly labelled.

7. Devices for handling corrosives.—(1) Tilting, lifting or pumping arrangements shall be used for emptying jars, carboys and other containers of corrosives.

(2) Corrosive substances shall not be handled by bare hands but by means of a suitable scoop or device.

8. Openings of valves.—Valves fitted to containers holding a corrosive substance shall be opened with great care. If they do not work freely, they shall not be forced open. They shall be opened by a worker suitably trained for the purpose.

9. Cleaning tanks, sills etc.—(1) In cleaning out or removing residues from sills or other large chambers used for holding any corrosive substance, suitable implements made of wood or other material shall be used to prevent production of arseniuretted hydrogen (arsine).

(2) Whenever it is necessary for the purpose of cleaning or other maintenance work for any worker to enter a chamber, tank, vat, pit or other confined space where a corrosive substance had been stored, all possible precautions required under Section 36 of the Code shall be taken to ensure the worker's safety.

(3) Wherever possible, before repairs are undertaken to any part of equipment in which a corrosive substance was handled, such equipment or part thereof shall be freed of any adhering corrosive substance by adopting suitable methods.

10. Storage.—(1) Corrosive substances shall not be stored in the same room with other chemical materials such as turpentine, carbides, metallic powders and combustible materials, to accidental mixing with, which may cause a reaction which is either violent or gives rise to toxic fumes and gases.

(2) Pumping or filling overhead tanks, receptacles, vats or other containers for storing corrosive substances shall be so arranged that there is no possibility of any corrosive substance overflowing and causing injury to any person.

(3) Every container having a capacity of twenty litres or more and every pipeline, valve, and fitting used for storing or carrying corrosive substance shall be thoroughly examined every year for finding out any defects, and defects so found out shall be removed forthwith. A register shall be maintained of every such examination made and shall be produced before the Inspector cum Facilitator whenever required.

11. Fire extinguishers and fire-fighting equipment.—An adequate number of suitable types of fire extinguishers or other fire-fighting equipment, depending on the nature of chemicals stored, shall be provided. Such extinguishers or other equipment shall be regularly tested and refilled. Clear instructions as to how the extinguishers or other equipment should be used, printed in the language which majority of the worker employed understand, shall be affixed near each extinguisher or other equipment.

12. Exemption.—If in respect of any factory on an application made by the Manager, the Chief Inspector cum-Facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances, or the infrequency of the process or for any other reason to be recorded by him in writing, all or any of the provisions of this Schedule are not necessary for the protection of the persons employed therein, he may by a certificate in writing which he may at any time revoke, exempt the factory from such of the provisions and subject to such conditions as he may specify therein.

SCHEDULE-XXI
COMPRESSION OF OXYGEN AND HYDROGEN PRODUCED BY ELECTROLYSIS OF WATER:

1.Location of electrolyser plant.—The room in which the electrolyser plant is installed shall be separate from the plant for storing and compressing the oxygen and hydrogen and also the electric generator room.

2.Testing of purity.—(1) The purity of oxygen and hydrogen shall be tested by competent person at least once in every shift at the following posts—

(a) in the electrolysis room;

(b) at the gas-holder inlet; and

(c) at the suction and of the compressor.

(2) The purity figures shall be entered in a register and signed by the persons carrying out such tests:

Provided that if the electrolyser plant is fitted with an automatic recorder of purity of oxygen and hydrogen with alarm lights, it shall be sufficient to the purity of gases if tested at the suction and of the compressor only.

3. Restrictions as to the compression.—The oxygen and hydrogen gases shall not be compressed if their purity as determined under Paragraph 2 above falls below 98 per cent at any time.

4. Limit switch for gasholder.—The bell of any gasholder shall not be permitted to go within the 30 centimeters of its lowest position when empty and a limit switch shall be fitted in the gasholder in such a manner as to switch off the compressor motor when the limit is reached.

5. Provision of negative pressure switch.—In addition to the limit switch in the gasholder, a sensitive negative pressure switch shall be provided in or adjacent to the suction main for hydrogen close to the gasholder and between the gasholder and the hydrogen compressor to switch off the compressor meter in the event of the gasholder being emptied to the extent as to cause vacuum.

6.Purity of caustic soda.—The water and caustic soda used for making lye shall be chemically pure within pharmaceutical limits.

7. Precautions against reversal of polarity.—Electrical connections at the electrolysis cells and at the electric generator terminals shall be constructed as to preclude the possibility or wrong connections leading to the reversal of polarity and in addition an automatic device shall be provided to cut off power in the event of reversal of polarity owing to wrong connections either at the switchboard of at the electric generator terminals.

8. Colouring of gas pipes.—Oxygen and hydrogen gas pipes shall be painted with distinguishing colours and in the event of leakage at the joints of the hydrogen gas pipe, the pipe after reconnection shall be purged of all air before drawing in hydrogen gas.

9. Use of flame proof fittings.—All electrical wiring and apparatus in the electrolyser room shall be of flame proof construction or enclosed in flameproof fittings and no naked light or flame shall be allowed to be taken either in the electrolyser room or where compression and filling of the gases is carried on and such warning notices shall be exhibited in prominent places,

10.Prohibition of hot work.—No part of the electrolyser plant and the gasholders and compressor shall be subjected to welding, brazing, soldering or cutting until steps have been taken to remove any explosive substance from that part and render the part safe for such operations and after the completion of such operations no explosive substance shall be allowed to enter that part until the metal has cooled sufficiently to prevent risk of explosion.

11.Repair etc. to be done under supervision.—No work or operation, repair or maintenance shall be undertaken except under the direct supervision of a person who, by his training, experience and knowledge of the necessary precautions against risk of explosion is competent to supervise such work. No electric generator after erection or repairs shall be switched on to the electrolysers unless the same is certified by the competent persons under whose direct supervision erection or repairs are carried on to be in a safe condition and the terminals have been checked for the polarity as required by Paragraph 7,

12.Checking of plant.—Every part of the electrolyser plant and the gasholders and compressor shall have a regular Schedule of overhaul and checking and every defect noticed shall be rectified forthwith.

SCHEDULE-XXII
PROCESS OF EXTRACTING OILS AND FATS FROM VEGETABLE AND ANIMAL SOURCE IN SOLVENT EXTRACTION PLANTS:

1. Definitions.—For the purposes of this Schedule—

(a) "Competent person" for the purpose of this Schedule shall be at least a Member of the Institution of Engineers (India) or an Associate Member of the said Institution with 10 years experience in a responsible position as may be approved by the Chief Inspector-cum- Facilitator:

Provided that a graduate in mechanical engineering or chemical engineering technology with specialised knowledge of oils and fats and with a minimum experience of 5 years in a solvent extraction plant shall also be considered to be a competent person:

Provided further that the State Government may accept any other qualifications if in its opinion they are equivalent to the qualifications aforesaid.

(b) "flame proof enclosure" as applied to electrical machinery or apparatus means an enclosure that will withstand, when covers or other access doors are properly secured, an internal explosion of the flammable gas or vapour which may enter or which may originate inside the enclosure without suffering damage and without communicating internal inflammation (or explosion) to the external flammable gas or vapour;

(c) "solvent" means an inflammable liquid such as pentane, hexane and heptane used for the recovery of vegetable oils;

(d) "solvent extraction plant" means a plant in which the process of extracting oils and fats from vegetable and animal sources by the use of solvents is carried on.

2. Location and layout.—(1) No solvent extraction plant shall be permitted to be constructed or extended to within a distance of 30 meters from the nearest residential locality.

(2) A 1-5 metre high continuous wire fencing shall be provided around the solvent extraction plant up to a minimum distance of 15 meters from the plant.

(3) No person shall be allowed to carry any matches or an open flame of fire inside the area bounded by the fencing.

(4) Boiler houses and other buildings were open flame processes are carried on shall be located at least 30 metres away from the solvent extraction plant.

(5) If godowns and preparatory process are at a distance of less than 30 meters from the solvent extraction plant, these shall be at least 15 metres distant from the plant, and a continuous barrier wall of non-combustible material 1.5 meters high shall be erected at distance of not less than 15 meters from the solvent extraction plant so that it extends to at a least 30 meters of vapour travel around its ends from the plant to the possible sources of ignition.

3.Electrical installations.—(1) All electrical motors and wiring and either electrical equipment installed or housed in a solvent extraction plant shall be of flame proof construction.

(2) All metal parts of the plant and building including various tanks and containers where solvents are stored are present and all parts of electrical equipment not required to be energised shall be properly bonded together and connected to earth so as to avoid accidental rise in the electrical potential of such parts above the earth potential.

4.Restrictions on smoking.—Smoking shall be strictly prohibited within 15 meters distance from a solvent extraction plant. For this purpose, "No Smoking" signs shall be permanently displayed in the areas.

5. Precautions against friction.—(1) All tools and equipment including ladders, chains and other lifting tackle required to be used in a solvent extraction plant shall be of non-sparking type.

(2) No machinery or equipment in a solvent extraction plant shall be belt driven.

(3) No person shall be allowed to enter and work in the solvent extraction plant if wearing clothes made of nylon or such other fibre that can generate static electrical charge or wearing footwear which is likely to cause sparks by friction.

6. Fire-fighting apparatus.—(1) Adequate number of portable fire extinguishers suitable for use against flammable liquid fires shall be provided in the solvent extraction plant.

(2) An automatic water spray sprinkler system on a wet pipe or open-head deluge system with sufficient supply of storage water shall be provided over the solvent extraction plant and throughout the building housing such plant.

7. Precautions against power failure.—Provision shall be made for the automatic cutting off of steam in the event of power failure and also for emergency overhead water-supply for feeding water by gravity to condensers which shall come into play automatically with the power failure.

8. Magnetic separators.—Oil cake shall be fed to the extruder by a conveyor through a hopper and a magnetic separator shall be provided to remove any pieces of iron during its transfer.

9. Venting.—(1) Tanks containing solvents shall be protected with emergency venting to relieve excessive internal pressure in the event of fire.

(2) All emergency relief vents shall terminate at least 6 metres above the ground and be so located that vapourswill not re-enter the building in which the solvent extraction plant is located.

10. Waste water.—Process waste water shall be passed through a flash evaporator to remove any solvent before it is discharged into a sump which should be located within the fenced area but not closer than eight metres to the fence.

11. Ventilation.—The solvent extraction plant shall be well ventilated and if the plant is housed in a building, the building shall be provided with mechanical ventilation with provision for at least six air changes per hour.

12. Housekeeping.—(1) Solvent shall not be stored in an area covered by a solvent extraction plant except in small quantities which shall be stored in approved safety cans.

(2) Waste materials such as oily rags, other wastes and absorbents used to wipe off solvent and paints and oils shall be deposited in approved containers and removed from the premises at least once a day.

(3) Space within the solvent extraction plant and within 15 meters from the plant shall be kept free from any combustible materials and any spills of oil or solvent, shall be cleaned up immediately.

13. Examination and repairs.—(1) The solvent extraction plant shall be examined by the competent person to determine any weakness or corrosion and wear once in every 12 months. Report of such examination shall be supplied to the Inspector cum facilitator with his observation as to whether or not the plant is in safe condition to work.

(2) No repairs shall be carried out to the machinery or plant except under the direct supervision of the competent person.

(3) Facility shall be provided for purging the plant with inert gas before opening for cleaning or repairs and before introducing solvent after repairs.

14. Operating Personnel.—The operation of the plant and machinery in the solvent extraction plant shall be in the charge of such duly qualified and trained persons as are certified by the competent person to be fit for the purpose and no other person shall be allowed to operate the plant and machinery.

15. Employment of women and young persons.—No pregnant women or young person shall be employed in the solvent extraction plant.

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Women workers who are feeding mothers shall be exempted from the Employment.

16. Vapour detection.—A suitable type of flame proof and portable combustible gas indicator shall be provided and maintained in good working order and a Schedule

routine sampling of atmosphere at various locations approved by the Chief Inspector-cum-Facilitator shall be drawn out and entered in a register maintained for the purpose.

SCHEDULE-XXIII
MANUFACTURE OR MANIPULATION OF MANGANESE AND ITS COMPOUNDS:

1. Application.—This Schedule shall apply to every factory in which or in any part of which any manganese process is carried on.

2. Definitions.—For the purposes of this Schedule—

(a) "efficient exhaust ventilation" means localised ventilation affected by mechanical means for the removal of dust or fume or mist at its source of origin so as to prevent it from escaping into the atmosphere of any place where any work is carried on. No draught shall be deemed to be efficient which fails to remove the dust or fume or mist at the point where it is generated and fails to prevent it from escaping into and spreading into the atmosphere of a workplace;

(b) "first employment" means first employment in any manganese process following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months;

(c) "manganese process" means processing, manufacture or manipulation of manganese or any compound of manganese or any mixture containing manganese; and

(d) "manipulation" means mixing, blending, filling, emptying, grinding, sieving, drying, packing, sweeping or otherwise handling of manganese, or a compound of manganese, or anymore or any mixture containing manganese.

3. Isolation of a processes.—Every manganese process which may give rise to dust, vapour or mist containing manganese, shall be carried on in a totally enclosed system or otherwise effectively isolated from other Processes so that other plants and processes and other parts of the factory and persons employed on other processes may not be affected by the same.

4. Ventilation of process .—No process in which any dust, vapour or mist containing manganese is generated, shall be carried out except under an efficient exhaust ventilation which shall be applied as near to the point of generation as practicable.

5. Personal protective equipment.—(1) The occupier of the factory shall provide and maintain in good and clean condition suitable overalls and head coverings for all persons employed in any manganese process and such overalls and head coverings shall be worn by the persons while working on a manganese process .

(2) The occupier of the factory shall provide suitable respiratory protective equipment for use by worker in emergency to prevent inhalation of dust, fumes or mists. Sufficient number of complete sets of such equipment shall always be kept near the workplace and the same shall be properly maintained and kept always in a condition to be used readily.

(3) The occupier shall provide and maintain for the use of all persons employed, suitable accommodation for the storage and make adequate arrangement for cleaning and maintenance of Personal Protective Equipment(PPE).

6. Prohibition relating to women and young persons.—No pregnant women or young persons shall be employed or permitted to work in any manganese process.

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Women workers who are feeding mothers shall be exempted from the Employment.

7. Food, drinks etc. prohibited in the workrooms.—No food, drink, pan and supari or tobacco shall be allowed to be brought into premises consumed by any worker in any workroom in which any manganese process is carried on.

8. Mess-room.—There shall be provided and maintained for the use of the persons employed in a manganese process a suitable mess-room which shall be furnished with sufficient tables and benches and adequate means for warming of food. The mess-room shall be placed under the charge of a responsible person and shall be kept clean.

9. Washing facilities.—There shall be provided and maintained in a clean state and in good condition, for the use of persons employed on manganese process —

(a) a wash place under cover, with either—

(i) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe without plug, and of sufficient length to allow at least 60 centimeters for every ten such persons employed at any one time, and having a constant supply of water from tap or jet above the trough at intervals of not more than 60 centimeters; or

(ii) at least one wash basin for every five such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and plug and having a constant supply of water; and

(b) sufficient supply of soap or other suitable cleaning materials and nail brushes and clean towels.

10. Cloak-room.—If the Chief Inspector cum facilitator so requires there shall be provided and maintained for the use of persons employed in manganese process a cloak-room for clothing, put-off during working hours with adequate arrangements for drying the clothing.

11. Cautionary placard and instructions.—Cautionary notices in the form specified in appendix and printed in the language of the majority of the workers employed, shall be affixed in prominent places in the factory where they can be easily and conveniently read by the workers and arrangement shall be made by the occupier to instruct periodically all workers employed in a manganese processes regarding the health hazards connected with their duties and the best preventive measures and methods to protect themselves. The notices shall always be maintained in a legible condition.

12. Medical facilities and records of examination and tests.—(1) The occupier of every factory to which the Schedule applies, shall—

(a) employ a Factory medical officer for medical surveillance of the workers employed where number of workers exceed 50; and

(b) provide to the said Factory medical officer all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a).

(2) The record of medical examinations and appropriate tests carried out by the said Factory medical officer shall be maintained in a health register Form-7, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator.

13. Medical examination by Factory medical officer.—(1) Every worker employed in any manganese process shall be medically examined by a Factory medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for detection of serum calcium, serum phosphate and manganese in blood and urine and also include steadiness tests and other neuromuscular coordination tests. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified for such employment by the Factory medical officer.

(2) Every worker employed in a manganese processes shall be re-examined by a Factory medical officer at least once in every three calendar months and such examination shall, wherever the Factory medical officer considers appropriate include all the tests in sub-paragraph (1).

(3) The Factory medical officer after examining a worker shall issue a Certificate of Fitness in Form-8. The record of examination and re-examinations carried out shall be entered in the Certificate and the Certificate shall be kept in the custody of the manager of the factory. The records of each examination carried out under sub-paragraphs (1) and (2) including the nature and the results of these tests shall also be entered by the Factory medical officer in a Health Register in Form-7.

(4) The Certificate of Fitness and the Health Register shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

(5) If at any time the Factory Medical Officer or Medical Officer is of the opinion that the worker is no longer fit for employment in the said processes on the ground that continuance therein would involve special danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the Health Register. The entry of his findings in these documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit to work in the said process.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (5) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical Officer after further examination, again certifies him fit for employment in that processes.

14. Exemption.—If in respect of any factory the Chief Inspector cum-facilitator is satisfied that owing to any exceptional circumstances, or infrequency of the process or for any other reason, application of all or any of the provisions of this Schedule is not necessary for the protection of the persons employed in such factory he may, by an order in writing which he may at his discretion revoke, exempt such factory from all or any of the provisions on such conditions and for such period as he may specify in the said order.

APPENDIX

CAUTIONARY NOTICE:

Manganese and Manganese Compounds

1. Dust, fumes and mists of manganese and its compounds are toxic when inhaled or when ingested.

2. Do not consume food or drinks near the workplace.

3. Take a good wash before taking meals.

4. Keep the working area clean.

5. Use the protective clothing and equipment provided.

6. When required to work in situations where dusts, fumes or mists are likely to be inhaled, use respiratory protective equipment provided for the purpose.

7. If you get severe headaches, prolonged sleeplessness or abnormal sensations on the body, report to the manager who would make arrangements for your examination and treatment.

SCHEDULE-XXIV

MANUFACTURE OR MANIPULATION OF DANGEROUS PESTICIDES:

1. Application.—This Schedule shall apply in respect of all factories or any part thereof in which the process of manufacture or manipulation of dangerous pesticide hereinafter referred or as the said manufacturing process is carried on.

2. Definitions.—For the purposes of this Schedule—

(a) "dangerous pesticides" means any product proposed or used for controlling, destroying or repelling any part or for preventing growth or mitigating excepts of such growth including any of its formulations which is considered toxic under and is covered by the Insecticides Act, 1968 and the rules made thereunder and any other product, as may be notified from time to time by the State Government;

(b) "efficient exhaust draught" means localised mechanical ventilation for removal of smoke, gas vapour, dust, fume or mist so as to prevent them from escaping into the air of any workroom in which work is carried on. No exhaust draught shall be considered efficient if it fails to remove smoke generated at the point where such gas, fume, dust, vapour or mist originates from the process;

(c) "first employment" shall mean first employment in any manufacturing processes to which this Schedule applies and shall also include re-employment in the said manufacturing processes following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months; and

(d) "manipulation" including mixing, blending, formulating, filling, emptying, packing or otherwise handling.

3. Instruction to workers-Every worker on his first employment shall be fully instructed on the properties including dangerous properties of the chemicals handled in the said manufacturing process and the hazards involved. The workers shall also be instructed in the measures to be taken to deal with any emergency, such instructions shall be repeated periodically.

4. Cautionary notice and placards.—Cautionary notices and placards in the form specified in appendix to this Schedule and printed in the language of the majority of the workers shall be displayed in all workplaces in which the said manufacturing process is carried on so that they can be easily and conveniently read by the workers.Arrangements shall be made by the occupier and the manager of the factory to periodically instruct the workers regarding the health hazards arising in the said manufacturing process and methods of protection. Such notices shall include brief instructions regarding the periodical clinical tests required to be undertaken for protecting health of the workers.

5. Prohibition relating to employment of women or young persons.—No pregnant women or young person shall be employed or permitted to work in any room in which the said manufacturing processes is carried on or in any room in which dangerous pesticide is stored.

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Women workers who are feeding mothers shall be exempted from the Employment.

6. Food, drinks and smoking prohibited.—(1) No food, drink, tobacco, pan or supari shall be brought into or consumed by any worker in any workroom in which the said manufacturing process is carried out.

(2) Smoking shall be prohibited in any workroom in which the said manufacturing process is carried out.

7. Protective clothing and protective equipment.—(1) Protective clothing consisting of long pants and shirts or overalls with long sleeves and head coverings shall be provided for all workers employed in the said manufacturing process .

(2) (a) Protective equipment consisting of rubber gloves, gum boots, rubber apron, chemical safety goggles and respirators shall be provided for all workers employed in the said manufacturing process .

(b) Gloves, boots, aprons shall be made from synthetic rubber where a pesticide contains oil.

(3) Protective clothing and equipment shall be worn by workers supplied with such clothing and equipment.

(4) Protective clothing and equipment shall be washed daily inside and outside if the workers handle pesticides containing nicotine or phosphorus and shall be washed frequently if handling other pesticides.

(5) Protective clothing and equipment shall be maintained in good repair.

8. Floors and workbenches.—(1) Floors in every workroom where dangerous pesticides are manipulated shall be of cement or other impervious material giving a smooth surface.

(2) Floors shall be maintained in good repair, provided with adequate slope leading to a drain and thoroughly washed once a day with hose pipe.

(3) Workbenches where dangerous pesticides are manipulated shall be made of smooth, non-absorbing material preferably stainless steel and shall be cleaned at least once daily.

9. Spillage and waste.—(1) If a dangerous pesticide during its manipulation splashes or spills on the work-bench, floor or on the protective clothing worn by a worker, immediate action shall be taken for thorough decontamination of such areas or articles.

(2) Cloth, rags, paper or other material soaked or soiled with a dangerous pesticide shall be deposited in a suitable receptacle with tight fitting cover. Contaminated waste shall be destroyed by burning at least once a week.

(3) Suitable deactivating agents where available shall be kept in a readily accessible place for use while attending to a spillage.

(4) Easy means of access shall be provided to all parts of the plants for cleaning, maintenance and repairs.

10. Empty containers used for dangerous pesticides.—Containers used for dangerous pesticides shall be thoroughly cleaned of their content and treated with an in-activating agent before being discarded or destroyed.

11. Manual handling.—(1) A dangerous pesticide shall not be required or allowed to be manipulated by hand except by means of a long handled scoop.

(2) Direct contact of any part of the body with a dangerous pesticide during its manipulation shall be avoided.

12. Ventilation.—(1) In every workroom or area whereas dangerous pesticide is manipulated, adequate ventilation shall be provided at all times by the circulation of fresh air.

(2) Unless the process is completely enclosed the following operations during manipulation of a dangerous pesticide shall not be undertaken without an efficient exhaust draught—

(a) empty a container holding a dangerous pesticide;

(b) blending a dangerous pesticide;

(c) preparing a liquid or powder formulation containing a dangerous pesticide; and

(d) changing or filling a dangerous pesticide into a container, tank, hamper or machines or small sized containers,

(3) In the event of a failure of the exhaust draught provided on the above operation, the said operations shall be stopped forthwith.

13. Time allowed for washing.—(1) Before each meal and before the end of the day's work at least ten minutes in addition to the regular rest interval shall be allowed for washing to each worker engaged in the manipulation of dangerous pesticide.

(2) Every worker engaged in the manipulation of dangerous pesticides shall have a thorough wash before consuming any food and also at the end of the day's work.

14. Washing and bathing facilities.—(1) There shall be provided and maintained in a clean state and in good repair for the use of all workers employed in the factory where the said manufacturing processes is carried on adequate washing and bathing places having a constant supply of water under cover at the rate of one such place for every 5 persons employed.

(2) The washing places shall have standpipes placed at intervals of not less than one meter.

(3) Not less than one half of the total number of washing places shall be provided with bathrooms.

(4) Sufficient supply of clean towels made of suitable material shall be provided:

Provided that such towels shall be supplied individually for each worker if so ordered by the Inspector cum facilitator.

(5) Sufficient supply of soap and nail brushes shall be provided.

15. Cloak-room.—There shall be provided and maintained for the use of all worker employed in the factory where the said manufacturing processes is carried on—

(a) a cloak-room for clothing put off during working hours with adequate arrangements for drying clothing if wet; and

(b) separate and suitable arrangements for the storage of protective clothing provided under Paragraph 7.

16. Mess-room.—(1) There shall be provided and maintained for the use of all workers employed in the factory in which the said manufacturing process is carried on and remaining on the premises during the rest intervals a suitable mess-room which shall be furnished with—

(a) sufficient tables and benches with back rest; and

(b) adequate means for warming food.

(2) The mess-room shall be placed under the charge of a responsible person and shall be kept clean.

17. Manipulation not to be undertaken.—Manufacture or manipulation of a pesticide shall not be undertaken in any factory unless a certificate regarding its dangerous nature or otherwise is obtained from the Chief Inspector-cum-Facilitator

18. Medical facilities and records of examinations and tests.—(1) The occupier of every factory to which the Schedule applies, shall—

(a) employ a Factory medical officer for medical surveillance of the workers employed where number of worker exceeds 50; and

(b) provide to the said Factory medical officer all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a).

(2) The record of medical examinations and appropriate tests carried out by the said Factory medical officer shall be maintained in a health register Form-7 which shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator .

(3) No repairs involving flames, heat or use of hand or power tools shall be made in the enclosures where bulk sulphur is stored.

19. Liquid sulphur.- Open flames, electric sparks and other sources of ignition, including smoking and matches, shall be excluded from the vicinity of molten sulphur:

20. Training and supervision.—(1) All electric furnaces and all plants in which carbon disulphide is condensed, refined or stored shall be under adequate supervision at all times while the furnaces and plants are in operation.

(2) Workers in charge of operation and maintenance of electric furnaces and the plants shall be properly qualified and adequately trained.

21. Washing facilities.-(1) The occupier shall provide and maintain in a clean state and in good repair, for the use of all persons employed wash place under cover with at least one tap or stand-pipe, having a constant supply of clean water for every five such persons, the taps or stand-pipe being spaced not less than 120 centimeters apart with a sufficient supply of soap and clean towels, provided that towels shall be supplied individually to each worker if so ordered by the Inspector cum facilitator.

(2) All the workers employed in the sulphur storage, handling and melting operations shall be provided with a nail brush.

22. Personal protective equipments.-(1) Suitable goggles and protective cloth consisting of overalls without pockets, gloves and footwear shall be provided for the use of operator:

(a) when operating valves or cocks controlling fluids etc; sirupal

(b) drawing-off of molten sulphur from sulphur pots; and

(c) handling charcoal or sulphur.

(2) Suitable respiratory protective equipment shall be provided and stored in the appropriate place for use during abnormal conditions in an emergency.

(3) Arrangements shall be made for proper and efficient cleaning of all such protective equipments.

23. Cloak-rooms. There shall be provided and maintained for the use of all workers employed in the processes, a suitable cloak-room for clothing put-off during work hours and a suitable place separate from the cloak-room for the storage of overalls of working clothes. The accommodation so provided shall be placed in the charge of a responsible person and shall be kept clean. paket scoorden).

24. Unauthorised persons.-Only maintenance and repair personnel, persons directly, connected with the plant operation and those accompanied by authorized persons shall be admitted into the plant.

24. Examined by the Factory medical officer.—(1) Every worker employed in the processes mentioned in Paragraph 1 shall be examined by the Factory medical officer within 15 days of his first employment. Such examinations in respect of Halogenated pesticides, shall include tests for determination of the chemical in blood and in fat tissues, EEG abnormalities and memory tests, in respect of organophosphorus compounds, such examinations shall include tests for depression of cholinesterase in plasma and red blood cells. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Factory medical officer.

(2) Every worker employed in the said process shall be re-examined by a Factory medical officer at least once in every six calendar months and such examination shall, wherever the Factory medical officer, The record of each examination carried out under sub-paragraphs (1) Further every worker employed in the said processes shall also be examined once in every three months by the factory medical officer.

(3) The Factory medical officer after examining a worker, shall issue a certificate of Fitness in Form-8. The record of examination and re-examination carried out shall be entered in the certificate and the certificate shall be kept in the custody of the manager of the factory. The record of each examination carried out under sub-paragraph (1) and (2), including the nature and the results of these tests, shall also be entered by the Factory medical officer in a Health Register in Form-7.

(4) The Certificate of Fitness and the Health Register shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum-facilitator.

(5) If at any time the Factory Medical Officer or Medical Officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said process on the ground that continuance therein would involve special danger to the health of the worker he shall make a record of his findings in the said certificate and the Health Register. The entry of his findings in those documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit to work in the said process.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (5) shall be re-employed or permitted to work in the said process unless the Medical Officer after further examination again certifies him fit for employment in those processes.

25. Exemption.—If in respect of any factory, the Chief Inspector cum-Facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or the infrequency of the said manufacturing process or for any other reason which he shall record in writing all or any of the provisions of this Schedule are not necessary for the protection of the worker employed in the factory, he may by a certificate in writing exempt such factory, from all or any of the provisions on such condition as he may specify therein, such certificate may at any time be revoked by the Chief Inspector-cum-Facilitator after recording his reasons therefor.

APPENDIX A
CAUTIONARY NOTICE
Insecticides and pesticides

1. Chemical handled in this plant are poisonous substancees.

2. Smoking, eating food or drinking, chewing tobacco in this area is prohibited. No food stuff or drink shall be brought in this area.

3. Some of those chemicals may be absorbed through skin and may cause poisoning.

4 A good wash shall be taken before meals.

5. A good bath shall be taken at the end of the shift.

6. Protective clothing and equipment supplies shall be used while working in this area.

7. Containers of pesticides shall not be used for keeping foodstuff.

8. Spillage of the chemicals on any part of the body or on the floor or workbench be immediately washed away with water.

9. Clothing contaminated due to splashing shall be removed immediately

10. Scrupulous cleanliness shall be maintained in the area.

11.Do not handle pesticides with bare hands, use scoops provided with handle.

12. In case of sickness like nausea, vomiting, giddiness, the manager should be informed who shall make necessary arrangements for treatment.

13. All workers shall report for the prescribed medical tests regularly to protect their own health.

SCHEDULE-XXV
MANUFACTURING PROCESS OR OPERATIONS IN CARBON DISULPHIDE PLANTS:

1. Application- This Schedule shall apply to all electric furnaces in which carbon disulphide is generated and all other plants where carbon disulphide after generation, is condensed, refined and stored.. This Schedule is in addition to and not in derogation of any of the provisions of the Code and Rules made thereunder.

2. Construction, Installation and Operation- (1) The buildings in which electric furnaces area installed and carbon disulphide after generation is condensed and refined shall be segregated from other parts of the factory and shall be of open type to ensure optimum ventilation and the plant layout shall be such that only a minimum number of workers are exposed to the risk of any fire or explosion at any one time.

(2) Every electric furnace and every plant in which carbon disulphide is condensed, refined and stored with all their fittings and attachments shall be of good construction, sound material and of adequate strength to sustain the internal pressure to which, furnace or the plant may be subjected to, and shall be so designed that carbon disulphide liquid and gas are in closed system during their normal working.

(3) The electric furnace supports shall be firmly grouted about 60 centimeters in concrete or by other effective means.

(4) Every electric furnace shall be installed and operated according to manufacturers' instructions and these instructions shall be clearly imparted to the personnel incharge of construction and operation.

(5) The instructions regarding observance of correct furnace tempèrature, sulphur dose, admissible current, or power consumption, and periodical checking of charcoal level shall be strictly complied with.

3. Electrodes-(1) Where upper ring electrodes made of steel are used in the electric furnace, they shall be of seamless tube construction and shall have arrangement for being connected to the cooling water system through a siphon built in the electrodes or through a positive pressure water pump.

(2) The arrangement for cooling water referred to in sub-paragraph (1) shall be connected with automatic alarm system which will actuate in the event of interruption of cooling water in the electrodes and give visible and audible alarm signals in the control room and simultaneously stop power supply for the furnace operation and stop the future supply of water. The alarm system and the actuating device shall be checked every day.

4.Maintenance of charcoal level- When any electric furnace is in operation, it shall be ensured that the electrodes are kept covered with a charcoal bed.

5. Rupture disc and safety seal- At least: two rupture discs be fitted on the off take pipe between the electric furnace and sulphur separator to prevent entry of pieces of charcoal into the condensers and piping.

6.Rupture disc and safety seal-(1) At least two rupture discs of adequate size which shall blow off at a pressure twice the maximum operating pressure shall be provided on each furnace and shall either be mounted directly on the top of the furnace or each through an independent pipe as close as possible to the furnace.

(2) The safety water shall be provided and tapped from a point between the charcoal separator and the sulphur separator.

7. Pyrometer and manometers-(1). Each electric furnace shall be fitted with an adequate number of pyrometers to give an indication of the temperature as correctly as reasonably practicable at various points in the furnace. The dials for reading the temperatures shall be located in the control room.

(2) Manometers or any other suitable devices shall be provided for indicating pressúre-

(a) in the off take pipe before and after the sulphur separator; and

(b) in primary and secondary condensers.

8.Check valves-All piping carrying carbon disulphide shall be fitted with check valves at suitable positions so as to prevent gas from flowing back into any electric furnace in the event of its shut down.

9.Inspection and maintenance of electric furnaces-

(1) Every electric furnace shall be inspected internally by a competent person-

(a) before being placed in service after installation;

(b) before being placed in service after reconstruçtion or repairs; and

(c) periodically every time the furnace is opened for cleaning or de-ashing or for replacing electrodes.

(2) When an electric furnace is shut down for cleaning or de-ashing-

(a) the brick lining shall be checked for continuity and any part found defective be removed;

(b) after removal of any part of the lining referred to in (a), the condition of the shell be closely inspected; and

(c) any of the plate forming shells found corroded to the extent that safety of the furnáce is endangered shall be replaced.

10. Maintenance of records-The following hourly records shall be maintained in a log book-

(a) manometer readings at the points specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 7;

(b) gas temperature indicated by pyrometers and all other vital points near the sulphur separator and primary and secondary condensers;

(c) water temperature and flow of water through the siphon in the electrodes; and

(d) primary and secondary voltage and current and energy consumed.

11. Electrical apparatus wiring and fittings-All buildings in which carbon disulphide is refined or stored shall be provided with electrical apparatus, wiring and fittings which shall afford adequate protection from fire and explosion.

12. Prohibition relating to smoking-No person shall smoke or carry matches, fire or naked light or other means of producing a naked light or spark in buildings in which carbon disulphide is refined or stored, and a notice in the language understood by a majority of the workers shall be pasted in the plant prohibiting smoking and carrying of matches, fire or naked light or other means of producing naked or spark into such rooms.

13. Means of escape-Adequate means of escape shall be provided and maintained to enable persons to move to a safe place as quickly as possible in case of an emergency. At least two independent staircases of adequate width shall be provided in every building housing the furnaces of reasonable intervals at opposite ends. These shall always be kept clean of all obstructions and so designed as to afford easy passage.

14. Warnings in case of fire-There shall be adequate arrangements for giving warning in case of fire or explosion which shall operate on electricity and in case of failure of electricity, by some mechanical means.

15. Fire-fighting equipment-(1) Adequate number of suitable fire extinguishers or other fire-fighting equipment shall be kept in constant readiness for dealing with risks involved and depending on the amount and nature of materials stored.

(2) Clear instructions as to how the extinguishers or other equipment should be used printed in the language which the majority of the workers employed understand, shall be affixed to each extinguisher or other equipment and the personnel trained in their use.

16. Bulk sulphur- (1) Open or semi-enclosed spaces for storage of bulk sulphur shall be sited with due regard to the dangers which may arise from sparks given off by near locomotives etc. and precautions shall be taken to see that flame , smoking and matches and other sources of ignition do not come in contact with the clouds of dust arising during handling of bulk sulphur.

(2) All enclosures for bulk sulphur shall be of non-combustible construction, adequately ventilated and so designed as to provide a minimum of lodges on which dust may lodge.

(3) The bulk sulphur in the enclosures shall be handled in such a manner a minimise the formation of dust clouds and no flame smoking and matches or other sources of ignition shall be employed during handling, and non-speaking toll shall be used whenever sulphur is shovelled or otherwise removed by hand.

(4) No repairs involving flames, heat or use of hand or power tools shall be made in the enclosures where bulk sulphur is stored.

17. Liquid sulphur-Open fiames, electric sparks and other sources of ignition. including smoking and matches, shall be excluded from the vicinity of molten sulphur.

18. Training and supervision-(1) All electric furnaces and all plants in which carbon disulphide is condensed, refined or stored shall be under adequate supervision at all times while the furnaces and plants are in operation. (2) Workers in charge of operation and maintenance of electric furnaces and the plants shall be properly qualified and adequately trained.

19. Washing facilities-(1) The occupier shall provide and maintain in a clean state and in good repair, for the use of all persons employed wash place under cover with at least one tap or stand-pipe, having a constant supply of clean water for every five such persons, the taps or stand-pipe being spaced not less than 120 centimeters apart with a sufficient supply of soap and clean towels,

provided that towels shall be supplied individually to each worker if so ordered by the Inspector cum-Facilitator.

(2) All the workers employed in the sulphur storage, handling and melting operations shall be provided with a nail brush.

20. Personal protective equipments-(1) Suitable goggles and protective cloth consisting of overalls without pockets, gloves and footwear shall be provided for the use of operator :

(a) when operating valves or cocks controlling fluids etc;

(b) drawing-off of molten sulphur from sulphur pots; and

(c) handling charcoal or sulphur.

(2) Suitable respiratory protective equipment shall be provided and stored in the appropriate place for use during abnormal conditions in an emergency.

(3) Arrangements shall be made for proper and efficient cleaning of all such protective equipment.

21.Cloak-rooms-There shall be provided and maintained for the use of all workers employed in the processes, a suitable cloak-room for clothing put-off during work hours and a suitable place separate from the cloak-room for the storage of overalls of working clothes. The accommodation so provided shall be placed in the charge of a responsible person and shall be kept clean.

22. Unauthorised persons-Only maintenance and repair personnel, persons directly, connected with the plant operation and those accompanied by authorised persons shall be admitted into the plant.

SCHEDULE-XXVI
OPERATIONS INVOLVING HIGH NOISE LEVELS

1. Application-This Schedule shall apply to all operations in any manufacturing processes which have high noise levels.

2. Definitions-For the purpose of this Schedule-

(a) "A-weighting" means making graded adjustments in the intensities of sound of various frequencies for the purpose of noise measurement, so that the sound pressure level measured by an instrument reflects the actual response of the human ear to the sound measured;

(b) "dBA" refers to 'sound level in decibels as measured on a sound level meter operating on the A-weighting network with slow meter response;

(c) "decibel" means one-tenth of "Bel" which is the fundamental division of a logarithmic scale used to express the ratio of two specified or implied quantities, the number of "Bels" denoting such a ratio being the logarithm to the base of 10 of this ratio. The noise level (or the sound pressure level) corresponds to reference pressure of 6×10^{-6} N/m^2 or 0.0002 dynes per square centimeter which is the threshold of hearing, that is, the lowest sound pressure level necessary to produce the sensation of hearing in average healthy listeners. The decibel in abbreviated form is dB;

(d) "first employment" shall mean first employment in areas where the noise exceeds the maximum permissible exposure levels specified in sub-paragraph (1) of paragraph 3 and shall also include re-employment in the said areas following any cessation of employment for a continuous- period exceeding three calendar months;

(e) "frequency" is the rate of pressure variations expressed in cycles per second or hertz;

(f) "high noise level" means any noise level measured on the A-weighted scale is 90 dB or above; and

(g) 'noise" means any unwanted sound.

3.Protection against noise- (1) In every factory, suitable engineering control administrative measures shall be taken to ensure, so far as is reasonably practicable, that no worker is exposed to sound levels exceeding the maximum permissible noise exposure levels specified in Tables 1 and 2.

TABLE 1

PERMISSIBLE EXPOSURE IN CASES OF CONTINUOUS NOISE

Total time of exposure (continuous or a number of short-term exposure) per day, in hours	Sound pressures level in dBA
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1-1/2	102
1	105
¾	107
½	110
¼	115

Notes-(1) No exposure in excess of 115 dBR is to be permitted.

(2) For any period of exposure falling in between any figure and the next higher or lower figure as indicated in column 1, the permissible sound pressure level is to be determined by extrapolation on a proportionate basis.

TABLE 2

PERMISSIBLE EXPOSURE LEVELS OF IMPLOSIVE OR IMPACT NOISE

Peak sound pressure level in dB	Permitted number of impulses or impacts per day
140	100
135	315
130	1000
125	3160
120	10000

Notes- (1) No exposure in excess of 140 dB peak sound pressure level is permitted.

(2) For any peak sound pressure level falling in between any figure and the next higher or lower figure as indicated in Column 1, the permitted number of impulses or impacts per day is to be determined by extrapolation on a proportionate basis.

(3) For the purposes of this Schedule, if the variations in the noise level involve maxima at intervals of one second or less, the noise is to be considered as a continuous one and the criteria given in Table 1 would apply. In other cases, the noise is to be considered as impulsive or impact noise and the criteria given in Table 2 would apply.

(4) When the daily noise exposure is composed of two or more periods of noise exposure at different levels their combined effect should be considered, rather than the individual effect of each. The mixed exposure should be considered to exceed the limit value if the sum of the fraction $\frac{C1+C2}{T1+T2}\frac{Cn}{Tn}$ excess unity-

where the C1, C2, etc. indicates the total time or actual exposure at a specified noise level and T1, T2, etc. denote the time of exposure permissible at that level. Noise- exposure of less than 90 dBA may be ignored in the above calculation.

(5) Where it is not possible to reduce the noise exposure to the levels specified in sub-rule (1) by reasonably practicable engineering control or administrative measure, the noise exposure shall be reduced to the greatest extent feasible by such control measures and each worker so exposed shall be provided with suitable ear protectors so as to reduce the exposure to noise to the levels specified in sub-rule (1).

(6) Where the ear protectors provided in accordance with sub-paragraph (2) and worn by a worker cannot still attenuate the noise reaching near his ear, as determined by subtracting the attenuation value in dBA of the ear protectors concerned from the measured sound pressure level, to a level permissible under Table 1 or Table 2 as the case may be, the noise exposure period shall be suitably reduced to correspond to the permissible noise exposure specified in sub-paragraph (1).

(7) (a) In all cases where the prevailing sound levels exceeds the permissible levels specified in sub-paragraph (1) there shall be administered an effective hearing conservation programme which shall include among other hearing conservation measures, pre-employment and periodical auditory surveys conducted on workers exposed to noise exceeding the permissible levels, and rehabilitation of such workers either by reducing the exposure to the noise levels or by transferring them to places where noise levels are relatively less or by any other suitable means.

(b) Every worker employed in areas where the noise exceeds the maximum permissible exposure levels specified in sub-rule (1) shall be subjected to an auditory examination by a Factory medical officer within 14 days of his first employment and thereafter, shall be re-examined at least once in every 12 months. Such initial and periodical examinations shall include tests which the Factory medical officer may consider appropriate, and shall include determination of auditory thresholds for pure tones of 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 and 8000 cycles per second.

SCHEDULE-XXVII
MANUFACTURE OF RAYON BY VISCOSE PROCESSES

1. Definitions.-For the purposes of this Schedule-

(a) "Approved" means approved for the time being in writing by the Chief Inspector-cum-Facilitator ;

(b) "breathing apparatus" means a helmet or face piece with necessary connection by means of which the person using it in poisonous, asphyxiating or irritant atmosphere breathes unpolluted air, or any other approved apparatus;

(c) "churn" means the vessel in which alkali cellulose pulp is treated with carbon disulphide;

(d) "dumping" means transfer of cellulose xanthate from a dry churn to dissolve;

(e) "efficient exhaust draught" means localised ventilation by mechanical means for the removal of any gas or vapour, so as to prevent it from escaping into the air of any place in which work is carried on. No draught shall be deemed to be efficient if it fails to control effectively any gas or vapour generated at the point where such gas or fume originate;

(f) "first employment" shall mean first employment in the fume process. and shall also include re-employment in the said process following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months;

(g) "fume process" means any process in which carbon disulphide or hydrogen sulphide is produced, used or given off;

(h) "life belt" means a belt made of leather or other suitable material which can be securely fastened round the body with a suitable length of rope attached to it, each of which is sufficiently strong to sustain the weight of a man; and

(i) "protective equipment" means apron, goggles, face shields, footwear, gloves and overalls made of suitable materials.

2.Ventilation.-(1) In all workrooms where a fume process is carried on, adequate ventilation by natural or mechanical means shall be provided so as to control, in association with other control measures, the concentration of carbon-disulphide and hydrogen sulphide in the air of every work environment, within the permissible limits.

(2) Not withstanding the requirements in sub-paragraph (1) an efficient exhaust draught shall be provided and maintained to control the concentration of carbon-disulphide and hydrogen sulphide in the air at the following locations-

(a) dumping hoppers of dry churns;
(b) spinning machines;
(c) trio-rollers and cutters used in staple fibre spinning;
(d) hydro-extractors for yarn cakes;
(e) after treatment processes; and
(f) spin baths.

(3) Insofar as the spinning machine and trio-roller and cutters used in staple fibre spinning are concerned, they shall be, for the purpose of ensuring the effectiveness of the exhaust draught to be provided as required in sub-paragraph (1), enclosed as fully as practicable and provided with suitable shutters in sections to enable required operations to be carried out without giving rise to undue quantities of carbon-di-sulphide and hydrogen sulphide escaping to the work environment.

(4) No dry churn shall be opened after completion of reaction without initial exhausting the residual vapours of carbon-di-sulphide by operation of a suitable and efficient arrangement for exhausting the vapours which shall be continued to be operated so long as the churn is kept open.

(5) Whenever any ventilation apparatus normally required for the purpose of meeting the requirements is sub-paragraphs (2), (3) and (4) is ineffective, fails or is stopped tor any purpose whatsoever, all persons shall be required to leave the work areas where the equipment or processes specified in the above said sub-paragraphs are in use, as soon as possible and in any case not later than 15 minutes after such occurrence.

(6)(i) All ventilation systems provided for the purposes as required in sub-paragraphs (2), (3) and (4) shall be examined and inspected once every week by a respon- sible person, it shall be thoroughly examined and tested by a competent person once in every period of 12 months. Any defects found by such examination or test shall be rectified forthwith.

(ii) A register containing particulars of such examination and tests, and the state of the systems and the repairs or alterations (if any) found to be necessary shall be kept and shall be available for inspection by an Inspector-cum-Facilitator.

3. Waste from spinning machines.-Waste yarn from the spinning machines shall be deposited in suitable containers provided with close fitting covers. Such waste shall be disposed of quickly as possible after decontamination.

4. Lining of Dry Churns.-The inside surface of all dry churns shall be coated with a non-sticky paint so that cellulose xanthate will not stick to the surface of the churn. Such coating shall be maintained in a good condition.

5 Air monitoring.- (1) To ensure the effectiveness of the control measures, monitoring of carbon-disulphide and hydrogen sulphide in air shall be carried out once at least in every shift and the record of the results so obtained shall be entered in a register specially maintained for the purpose.

(2) For the purpose of the requirement in sub-paragraph (1), instantaneous gas detector tubes shall not be used. Samples shall be collected over a duration of not less than 10 minutes and analysed by an approved method. The locations where such monitoring is to be done shall be as directed by the Inspector cum-facilitator.

(3) If the concentration of either carbon-disulphide or hydrogen sulphide exceeds the permissible limits for such vapour or gas as laid down in Schedule C appended to Section 88 of the Code and, suitable steps shall be taken for controlling the concentration in air of such occurrence.

6. Prohibition to remain in fume process room.-No person during his intervals for meal, or rest shall remain in any room wherein fume process is carried on.

7.Prohibition relating to employment of young persons.-No young person shall be employed or permitted to work in any fume process or in any room in which any such process is carried on.

8.Protective equipments- (1) The occupier shall provide and maintain in good condition protective equipment as specified in the table for use of persons employed in the processes referred to therein.

TABLE

Process	Protective Equipment
1. Dumping	Overalls, face-shields, gloves and foot-wear- all made of suitable material.
2. Spinning	Suitable aprons, gloves and footwear.
3. Process involving or likely to involve contact with viscose solution	Suitable gloves and footwear.
4. Handling of sulphuric acid	Suitable chemical goggles.
5. Any other process involving contact with hazardous chemicals	Protective equipment as may be directed by the Chief Inspector cum-Facilitator by an order in writing.

(2) A suitable room, rooms or lockers shall be provided exclusively for the storage of all the protective equipment supplied to workers and no such equipment shall be stored at any place other than the room, rooms or lockers so provided.

9. Breathing apparatus.-(1) There shall be provided in every factory where fume process is carried on sufficient supply of-

(a) breathing apparatus;

(b) oxygen and suitable appliances for its administration; and

(c) life belts.

(2) (i) The breathing apparatus and other appliances referred to in sub-paragraph (1) shall be maintained in good condition and kept in appropriate locations so as to be readily available.

(ii) The breathing apparatus and other appliances referred to in clauses (a) and (b) of sub-paragraph (1) shall be cleaned and disinfected at suitable intervals and thoroughly inspected once every month by a responsible person.

(iii) A record of the maintenance and of the condition of the breathing apparatus and other appliances referred to in sub-clause (1) shall be entered in a register provided for that purpose which shall be readily available for inspection by an Inspector cum-Facilitator.

(3) Sufficient number of workers shall be trained and periodically, retained in the use of breathing apparatus and administering artificial respiration so that at least 2 such trained persons would be available during all the working hours in each room in which fume process is carried on .

(4) Breathing apparatus shall be kept properly labelled in clean, dry, light proof cabinets and if liable to the effect by fumes, shall be protected by placing them in suitable containers.

(5) No person shall be employed to perform any work specified in sub-paragraph (1) for which breathing apparatus is necessary to be provided under that sub-paragraph unless he has been fully instructed in the proper use of that equipment.

(6) No breathing apparatus provided in pursuance of sub-paragraph (1) which has been worn by a person shall be worn by another person unless it has been thoroughly cleaned and disinfected since last being worn and the person has been fully instructed in the proper use of that equipment.

10.Electric fittings.-All electric fittings in any room in which carbon disulphide is produced, used or given off or is likely to be given off in the work environment, other than a spinning room shall be of

flame-proof construction and all electric conductors shall either be enclosed in metal conduit or be lead-sheathed.

11. Prohibition relating to smoking etc.-No person shall smoke or carry matches fire or naked light or other means of producing naked light or spark in a room in which fume process is carried on. A notice in the language understood by the majority of th worker's shall be posted in prominent locations in the plant prohibiting smoking and carrying of matches, fire or naked light or other means of producing naked light or spark into such rooms:

Provided that fire, naked light or other means of producing naked light or spark may be carried on in such room only when required for the purposes of the process itself under the direction of a responsible person.

12. Washing and bathing facilities.-(1) There shall be provided and maintained in a clean state and in good repair for the use of all workers employed in the processes covered by the Schedule, adequate washing and bathing places having a constant supply of water under cover at the rate of one such place for every 25 persons employed.

(2) The washing places shall have standpipes placed at intervals of less than one meter.

(3) Not less than one half of the total number of washing places shall be provided with bathrooms.

(4) Sufficient supply of clean towels made of suitable material shall be provided

Provided that such towels shall be supplied individually for each worker if so ordered by the Inspector cum facilitator.

(5) Sufficient supply of soap and nail brushes shall be provided.

13. Rest room.-(1) A rest room shall be provided for the workers engaged in doffing operations of filament yarn spinning process.

(2) Such a rest room shall be provided with fresh air supply and adequate seating arrangement.

14. Cautionary notice and instructions.-

(1) The following cautionary notice shall be prominently displayed in each fume process room.

Cautionary Notice

1. Carbon-disulphide (C; S) and Hydrogen sulphide (H; S) which may be present in this room are hazardous to health.
2. Follow safety instructions.
3. Use protective equipment and breathing apparatus as and when required.
4. Smoking is strictly prohibited in this area.

This notice shall be in a language understood by the majority of the workers and displayed where it can be easily and conveniently read. If any worker is illiterate, effective steps shall be taken to explain carefully to him the contents of the notice so displayed.

(2) Arrangements shall be made to instruct each worker employed in any room in which a fume process is carried on regarding the health hazards connected with their work and the preventive measures and methods to protect themselves. Such instructions shall be given on his first employment and repeated periodically.

(3) Simple and special instructions shall be framed to ensure that effective measures will be carried out in case of emergency involving escape of carbon disulphide and hydrogen sulphide. These instructions shall be displayed in the concerned areas and workers shall be instructed and trained in the actions to be taken in such emergencies.

15. Medical facilities and records of examinations and tests.-(1) The occupier of each factory to which this Schedule applies, shall-

(a) employ a Factory medical officer for medical surveillance of the workers employed in the fume process whose employment shall be subject to the approval of the Chief Inspector-cum-Facilitator; and

(b) provide to the said Medical officer all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a).

(2) The record of medical examination and appropriate tests carried out by the said medical officer shall be maintained in a separate register approved by the Chief Inspector cum facilitator, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator.

16. Medical examination by the factory medical officer.-(1) Every worker employed in the fume process shall be examined by a factory medical officer within 15 days of his first employment. Such examinations shall include tests for estimation of exposure coefficient (Iodine Azide Test on urine), and cholesterol as well as Electrocardiogram (ECG) and Central Nervous System (CNS) tests. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Factory Medical Officer.

(2) Every worker employed in the fume process shall be re-examined by a Factory Medical Officer at least once in every twelve calendar months. Such examination shall, wherever the Factory Medical Officer considers appropriate, include all the tests as specified in sub-paragraph (1).

(3) The Factory Medical Officer after examining a worker, shall issue a Certificate of Fitness in Form-8. The record of re-examinations carried out shall be entered in the Certificate and the Certificate shall be kept in the custody of the Manager of the Factory. The record of cash examination carried out under sub-paragraphs (1) and (2), including the nature and the results of the tests, shall also be entered by the Factory Medical Officer in a Health Register in Form-7.

(4) The Certificate of Fitness and the Health Register shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

(5) If at any time the Factory Medical Officer or Medical Officer is of opinion that a worker is no longer fit for employment in the fume process on the ground that continuance therein would involve special danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the Health Register. The entry of his findings in those documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the fume process.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (5) above shall be re-employed or permitted to work in the fume process unless the Medical Officer, after further examination again certifies him fit for employment in such process.

17. Exemption.-If in respect of any factory, the Chief Inspector-cum-Facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstance or infrequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this Schedule is not necessary for protection of the workers in the factory, the Chief Inspector-cum-Facilitator in may be a certificate in writing, which he may at his discretion revoke at any time, exempt such factory form all or any of such provisions subject to such conditions, if any, as he may specify therein.

SCHEDULE-XXVIII
HIGHLY FLAMMABLE LIQUIDS AND FLAMMABLE COMPRESSED GASES:

1. Application-These rules will be applicable to all factories where highly flammable liquid or flammable compressed gases are manufactured, stored, handled or used.

2. Definitions-For the purposes of this Schedule-

(a) "flammable compressed gas" means flammable compressed gas as defined in Section 2 of the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) and Rules, 1981 framed under the Explosives Act , 1984; and

(b) "highly flammable liquid" means any liquid including its solution, emulsion or suspension which when tested in a manner specified by Sections 14 and 15 of the Petroleum Act, 1934 (Act No. 30 of 1934), gives off flammable vapours at temperature less than 32 degrees centigrade.

3. Storage-(1) Every flammable liquid or flammable compressed gas used in every factory shall be stored in a suitable fixed storage tank, or in a suitable closed vessel located in a safe position under the ground, in the open or in a store room of adequate fire resistant construction.

(2) Except as necessary for use, operation or maintenance, every vessel or tank which contains or had contained a highly flammable liquid or flammable compressed gas shall be always kept closed and all reasonably practicable steps shall be taken to contain or immediately drain off to a suitable container any spill or leak that may occur.

(3) Every container, vessel, tank, cylinder, or store room used for storing highly flammable liquid or flammable compressed gas shall be clearly and in bold letters marked "Danger-Highly Flammable Liquid" or "Danger- Flammable Compressed Gas".

4. Enclosed systems for conveying highly Flammable Liquids-Wherever it is reasonably practicable, highly flammable liquids shall be conveyed within a factory in totally enclosed systems consisting of pipelines, pumps and similar appliances from the storage tank or vessel to the point of use. Such enclosed systems shall be so designed, installed, operated and maintained as to avoid leakage or the risk of spilling.

5. Preventing formation of Flammable Mixture with Air-Wherever there is a possibility for leakage or spill of highly flammable liquid or flammable compressed gas from an equipment, pipeline, valve, joint or other part of a system, all practicable measures shall be taken to contain, drain-off or dilute such spills or leakage as to prevent formation of flammable mixture with air.

6.Prevention of Ignition-

(1) In every room, workplace or other location where highly flammable liquid or flammable compressed gas is stored, conveyed, handled or used or where there is danger of fire or explosion from accumulation of highly flammable liquid or flammable compressed gas in air, all practicable measures shall be taken to exclude the sources of ignition. Such precautions shall include the following-

(a) all electrical apparatus shall either be excluded from the area of risk or they shall be of such construction and so installed and maintained as to prevent the danger of their being a source of ignition;

(b) effective measures shall be adopted for prevention of accumulation of static charges to a dangerous extent;

(c) no person shall wear or be allowed to wear any footwear having iron or steel nails or any other exposed ferrous material which is likely to cause sparks by friction;

(d) smoking, lighting or carrying of matches, lighters or smoking material shall be prohibited;

(e) transmission belts with iron fasteners shall not be used; and

(f) all other precautions, as are reasonably practicable shall be taken to prevent initiation of ignition from all other possible sources such as open flames, all frictional sparks, overheated surface of machinery or plant, chemical or physical-chemical reaction and radiant heat.

7. Prohibition of smoking-No person shall smoke in any place where highly flammable liquid or flammable compressed gas is present in circumstances that smoking would give rise to a risk of fire. The occupier shall take all practicable measures to ensure compliance with this requirement including display of a bold notice indicating prohibition of smoking, at every place where this requirement applies.

8.Fire Fighting- In every factory where highly flammable liquid or flammable compressed gas is manufactured, stored, handled or used, appropriate and adequate means of fighting a fire shall be provided. The adequacy and suitability of such means which expression includes the fixed and portable fire extinguishing systems, extinguishing material, procedures and the process of fire-fighting, shall be to the standards and levels prescribed by the Indian Standards applicable, and in any case not inferior to the stipulation clause 31 of section 18(2)(f) and rude made thereunder.

9.Exemptions-If in respect of any factory, the Chief Inspector-cum-Facilitator is satisfied that owing the exceptional circumstances of infrequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this Schedule is not necessary for protection of the workers in the factory, the Chief Inspector-cum-Facilitator may by a certificate in writing, which he may at his discretion revoke at any time,

exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any, as he may specify therein.

SCHEDULE-XXIX

CARPET AND WOOLLEN DRUGGET MAKING OR ANY WORK INCIDENTAL THERETO OR CONNECTED THEREWITH:

1.Definition-

(a) "Efficient exhaust draught" means localised ventilation affected by mechanical means for the removal of gas, vapour, dust or fumes at the point where they originate so as to prevent them from escaping into the air of any place in which work is carried on. No draught shall be deemed efficiently, which fails to remove smoke generated at the point where such gas, vapour, fume or dust originates.

(b) "First employment" means first employment in any process mentioned under paragraph 2 and yarn dyeing process, and shall also include re-employment in the said process following any cessation of employment for a continuous period- exceeding three calendar months.

2. Exhaust draught-The following processes shall not be carried on except under an efficient exhaust draught or under such other conditions as may be approved by the Chief Inspector-cum-Facilitator :

(a) Carding and spinning of raw fibre

(b) Weaving.

3. Prohibition relating to women and young persons- No pregnant women or young person ·shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 2, or at any place where such operations are carried on or at yarn dyeing processes.

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Women workers who are feeding mothers shall be exempted from the Employment.

4. Ventilation-Every workroom shall be provided with inlets and outlets of adequate size so as to secure and maintain efficient ventilation to all parts of the room.

5. Protective equipments and clothing-(i) The occupier of the factory shall provide and maintain dust respirator for all persons employed in the processes included under paragraph 2.

(ii) The occupier shall provide and maintain protective clothings, gloves for all persons employed in the dyeing process .

6. Medical facilities and records of examinations and tests--(1) The occupier of every factory in which the carpet and woolen drugget manufacturing process is carried on shall-

(a) employ a Factory medical officer for medical surveillance of the workers employed therein, and

(b) provide to the said Factory medical officer all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a).

(2) The records of medical examinations and appropriate tests carried out by the said Factory medical officer shall be maintained in a separate register, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator.

7. Medical examination by Factory medical officer-

(i) Every worker employed in any of the processes specified in paragraph 2 and in yarn dyeing process shall be examined by a Factory medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for detection of methaemoglobin in blood, or para nitrophenol in urine, test for central nervous system function, pulmonary function test and chest X-ray. No worker shall be allowed

to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Factory medical officer.

(ii). Every worker employed in the said processes shall be re-examined by a Factory medical officer at least once in every 12 calendar months and such re-examination shall, wherever the Factory medical officer considers appropriate, include tests for detection of methaemoglobin in blood, or para nitrophenol in urine, test for central nervous system function, pulmonary function test and chest X-ray once in every 3 years.

(iii) The Factory medical officer after examining a worker, shall issue a Certificate of Fitness in Form-8. The record of examination and re-examination carried out shall be kept in the custody of the Manager of the factory. The records of each examination carried under sub-paragraphs (i) and (ii), including the nature and results of the tests, shall also be entered by the Factory medical officer in a Health Register in Form-7.

(iv)The Certificate of Fitness and the Health Register shall be readily available for inspection by the Inspector cum Facilitator.

SCHEDULE-XXX

BRASSWARE MAKING OR ANY WORK INCIDENTAL THERETO OR CONNECTED THEREWITH:

1. Definitions-

(a) "Efficient exhaust draught" means localised ventilation affected by mechanical means for the removal of gas, vapour, dust or fumes at the point where they originated so as to prevent them from escaping into the air of any place in which work is carried on. No exhaust draught shall be deemed efficient, which fails to remove smoke generated at the point where such gas, vapour, fume or dust originates.

(b) "First employment" means first employment in any process mentioned under paragraph 2 and shall also include re-employment in the said process following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months.

(c) "Dressing or fettling operation" includes stripping and other removal of adherent sand, cores, runners, risers, flash and other surplus metal from a casting and the production of reasonably clean and smooth surface, but does not include (a) the removal of metal from a casting when performed incidentally in connection with the machining or assembling of castings after they have been dressed or fettled, or (b) any operation which is a knock-out operation within the meaning of this Schedule.

(d) "knock-out operation" means all methods of removing castings from moulds and the following operations, when done in connection therewith, namely, stripping, coring-out and the removal of runners and risers.

2. Exhaust draught-(1) The following processes shall not be carried on except under an efficient exhaust draught or under such other conditions as may be approved by the Chief Inspector cum-Facilitator-

(a) casting processes;

(b) buffing and polishing of brass articles;

(c) electroplating of brass article using electrolyte;

(d) degreasing and cleaning.

(2) Such drought shall be provided by mechanical means and shall operate on dust, vapour or spray given off in the Process as nearby as may be at the point of origin. The exhaust draught shall be so constructed, arranged and maintained as to prevent the dust, vapour or spray entering into any workroom or place in which work is carried on.

3. Prohibition relating to women and young person - No pregnant women or young person shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 2(c) and 2(d) or at any place where such operations are carried on.

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Women workers who are feeding mothers shall be exempted from the Employment.

4.Arrangement and storage-For the purposes of promoting safety and cleanliness in workrooms the following requirements shall be observed :-

(a) Moulding boxes, loam plates, ladles patterns, pattern plates, frames, boards, box weights and other heavy articles shall be so arranged and placed as to enable work to be carried on without unnecessary risk;

(b) suitable and conveniently accessible racks, bins or other receptacles shall be provided and used for the storage of other gear and tolls;

(c) where there is bulk storage of sand, fuel, metal scrap or other materials or residues, suitable bins, bunkers or other receptacles shall be provided for the purpose of such storage.

5.Cleanliness of Indoor Workplaces-(1) All accessible parts of the walls of every indoor workplace in which the casting processes are carried on and of everything affixed to those walls shall be effectively cleaned by a suitable method to a height of not less than 4.2 metres from the floor at least once in every period of fourteen months. A record of the carrying out of every such effective cleaning in pursuance of this paragraph including the date, shall be maintained.

(2) Effective cleaning by a suitable method shall be carried out at least once every working day, of all accessible parts of the floor of every indoor workplace in which the processesare carried on, other than parts which are of sand; and the parts which are of sand shall be kept in good order.

6. Manual operations involving molten metal- (1) There shall be provided and properly maintained for all persons employed on manual operations involving molten metal with which they are liable to be splashed, a working space for that operation-

(a) which is adequate for the safe performance of the work; and

(b) which, so far as reasonably practicable, is kept free from obstruction,

(2) Any operation involving the carrying by hand of a container holding molten metal shall be performed on a floor all parts of which, where any person walks while engaged in the operation, shall be on the same level :

Provided that, where necessary to enable the operation to be performed without undue risk, nothing in this paragraph shall prevent the occasional or exceptional use of a working space on a different level from the floor, being a space provided with a safe means of access from the floor for any person while engaged in the operation.

7. Dust and Fumes- (1) Open coal, coke or wood fires shall not be used for heating or drying ladles inside a workroom unless adequate measures are taken to prevent, so far as practicable, fumes or other impurities from entering into or remaining in the atmosphere of the workroom.

(2) No open coal, coke.or wood fires shall be used for drying moulds except in circumstances in which the use of such fires is unavoidable.

(3) Mould stoves, core stoves and annealing furnaces shall be so designed, constructed, maintained and worked as to prevent, so far as practicable, offensive or injurious fumes from entering into any workroom during any period when a person is employed therein.

(4) All knock-out operations shall be carried out-

(a) in a separate part of the foundry suitably partitioned off, being a room or part in which so far as reasonably practicable, effective and suitable local exhaust ventilation and a high standard of general ventilation are provided; or

(b) in an area of foundry in which, so far as reasonably practicable, effective and suitable local exhaust ventilation is provided, or where compliance with this requirement is not reasonably practicable, a high standard of general ventilation is provided.

(5) All dressing or fettling operations shall be carried out-

(a) in a separate room or in a separate part of the foundry suitably partitioned off; or

(b) in an area of the foundry set apart for the purpose; and shall, so far asreasonably practicable, be carried out with effective and suitable local exhaust ventilation or other equally effective means of suppressing dust, operating as near as possible to the point of origin of the dust.

8. Disposal of dross and skimming-Dross and skimmings removed from the molten metal or taken from a furnace shall be placed forthwith in a suitable receptacle.

9. Floor or workroom-

(1) The floor of every room in which the processes specified in paragraphs 2(i)(c) and 2(i)(d) are carried on shall be-

(a) of cement or similar material so as to be smooth and impervious to water;

(b) maintained in sound condition; and

(c) the floor shall be cleaned daily.

(2) Floors of indoor workplaces in which the processes are carried on, other than parts which are of sand, shall have an even surface of hard material.

(3) No part of the floor of any such indoor workplace shall be of sand except where this is necessary by reason of the work done.

(4) All parts of the surface of the floor of any such indoor workplace are of sand shall, so far as practicable, be maintained in an even and firm condition.

10. Ventilation-Every workroom shall be provided with inlets and outlets of adequate size, so as to secure and maintain efficient ventilation to all parts of the room.

11. Protective clothing and protective equipment-(1) The occupier of the factory shall provide and maintain the following protective clothing for use of workers who may come in contact with liquid, employed in Process specified in paragraph 2(i)(c)-

(a) waterproof apron and bib; and

(b) loose rubber gloves and rubber boots or any other waterproof boots.

(2) The occupier of the factory shall provide and maintain adequate arrangements and place for keeping and drying the protective clothing for the use of workers employed in the factory.

(3) The occupier of the factory shall provide and maintain suitable respirator for all - workers employed in processes specified in paragraphs 2(i)(a) and 2(i)(b).

12. Medical facilities and records of examination and tests-(1) The occupier of· every factory in which processes specified in paragraph 2 are carried on shall

(a) employ a Factory medical officer for medical surveillance of the workers employed therein where number of worker exceeds 50; and

(b) provide to said Factory medical officer all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a); and

(c) provide and maintain a sufficient supply of suitable ointment and impermeable waterproof plaster in a separate box readily accessible to the workers and used solely for the purpose of keeping the ointment and the plaster.

(2) The records of medical examinations and appropriate tests carried out by the said Factory medical officer shall be maintained in a health register Form-7, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum-Facilitator.

(3) The Factory medical officer shall examine all workers specified in paragraph 2(i)(c) before they are employed in the electroplating process. Such examination shall include inspection of hands, forearms and nose.

(4) The records of examination referred to in sub-paragraph (3) shall be maintained in a health register Form-7, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum Facilitator.

13. Medical Examination by Factory medical officer-(1) Every worker employed in any of the processes specified in paragraph 2, shall be examined by a Factory medical officer within 15 days of his first employment, such examination shall include test for chromium, nickel or cadmium in urine, pulmonary function test and chest X-ray. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Factory medical officer.

(2) Every worker employed in the said Process shall be re-examined by a Factory medical officer at least once in every 12 calendar months and such re-examination shall, wherever the Factory medical officer considers appropriate, include test for chromium, nickel or cadmium in urine, pulmonary function test and chest X-ray once in every 3 years.

(3) The Factory medical officer after examining a worker, shall issue a Certificate of Fitness in Form-8. The record of examination and re-examinations carried out shall be kept in the custody of the Manager of the factory. The records of each examination carried out under sub-paragraphs (1) and (2), including the nature and results of the tests, shall also be entered by the Factory medical officer in a Health Register in Form-7.

(4) The Certificate of Fitness and the Health Register shall be readily available for inspection by the Inspector cum-Facilitator.

14.Mess-room-There shall be provided and maintained for the use of all workers employed in the processes specified in paragraph 2 and remaining on the premises during the meal intervals, suitable mess-room, which shall be furnished with sufficient tables and benches under supervision of a responsible person.

15. Washing facilities-(1) There shall be provided and maintained in a clean state and in good repair for the use of all persons employed in the processes specified in paragraph 2 :-

(a) a wash place under cover with either :-

(i) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe without plug, and of sufficient length to allow at least 60 cms for every five such persons employed at any time, and having a constant supply of water from taps or jets above trough at intervals of not more than 60 cms; or

(ii) at least one washbasin for every five such persons employed at any one time fitted with a waste pipe and plug and having a constant supply of water laid on; and

(c) a sufficient supply of clean towels made of suitable materials renewed daily with supply of soap or other suitable cleansing material and of nail brushes.

16. Food, drink, etc. prohibited in the workroom-No food, drink, pan and supari or tobacco shall be consumed or brought by any worker into any room in which the processes specified in paragraph 2 are carried on.

SCHEDULE-XXXI

LOCK AND HARDWARE MAKING OR ANY OTHER WORK INCIDENTAL THERETO OR CONNECTED THEREWITH:

1. Definitions-

(a) "Efficient exhaust draught" means localised ventilation affected by mechanical means for the removal of gas, vapour, dust or fumes at the point where they originate so as to prevent them from escaping into the air of any place in which work is carried on. No exhaust draught shall be deemed efficient, which fails to remove smoke generated at the point where such gas, vapour, fume or dust originate ;

(b) "First employment" means first employment in any processes mentioned under paragraph 2 and shall also include re-employment in the said processes following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months;

(c) "dressing or fettling operation" include stripping and other removal of adherent sand, cores, runners, risers, flash and other surplus metal from a casting and the production of reasonably clean and smooth surface, but does not include

(a) the removal of metal from å casting when performed incidentally in connection with the machining or assembling of castings after they have been dressed or fettled, or

(b) any operation which is a knock-out operation within the meaning of this Schedule;

(d) "knock-out operations" means all methods of removing castings from moulds and the following operations, when done in connection therewith, namely, stripping, carrying out and the removal of runners and risers.

2. Exhaust draught-(1) The following processes shall not be carried on except under an efficient exhaust draught or under such other conditions as may be approved by the Chief Inspector cum-Facilitator:

(a) casting the metal parts;

(b) metal finishing operations involving buffing and polishing:

(c) all 'such processesin which electroplating is carried on by using electrolyte;

(d) spray painting.

(2) Such draught shall be provided by mechanical means and shall operate on dust, vapour or spray given off in the processes as nearby as may be åt the point of origin. The exhaust draught shall be so constructed, arranged and maintained as to prevent the dust, vapour or spray entering into any workroom or place in which work is carried on.

3. Prohibition relating to women and young persons-No pregnant women or young person shall be employed or permitted in any of the operations specified in paragraphs 2(c) and 2(d) or at any place where such operations are carried on.

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Women workers who are feeding mothers shall be exempted from the Employment.

4. Arrangement and storage-For the purposes of promoting safety and cleanliness in workrooms the following requirements shall be observed:

(a) moulding boxes, loam plates, ladles patterns, pattern plates, frames, boards, box weights and other heavy articles shall be so arranged and placed as to enable work to be carried on without unnecessary risk;

(b) suitable and conveniently accessible racks, bins or other receptacles shall be provided and used for the storage of other gear and tools;

(c) where there is bulk storage of sand, fuel, metal scrap or other materials or 'residues, suitable bins, bunkers or other receptacles shall be provided for the purpose of such storage.

5. Cleanliness of indoor workplaces- (1) All accessible parts of the walls of every indoor workplace in which the casting processes are carried on and of everything affixed to those walls shall be effectively cleaned by a suitable method to a height of not less than 4.2 metres from the floor at least once in every period of fourteen months. A record of the carrying out of every such effective cleaning in pursuance of this paragraph including the date shall be maintained.

(2) Effective cleaning by a suitable method shall be carried out at least once every working day of all accessible parts of the floor of every indoor workplace in which the processes are carried on, other than parts which are of sand, and the parts which are of sand shall be kept in good order.

(3) Floors of indoor workplaces in which the processes are carried on, other than parts which are of sand, shall have an even surface of hard material.

(4) No part of the floor of any such indoor workplace shall be of sand except where this is necessary by reason of the work done.

(5) All parts of the surface of the floor of any such indoor workplace are of sand shall, so far as practicable, be maintained in an even and firm condition.

6. Manual operations involving molten metal-(1) There shall be provided and properly maintained for all persons employed on manual operations involving molten metal with which they are liable to be splashed, a working space for that operation -

(a) which is adequate for the safe performance of the work; and

(b) which, so far as reasonably practicable, is kept free from obstruction.

(2) Any operation involving the carrying by hand of a container holding molten metal shall be performed on a floor, all parts of which where any person walks while engaged in the operation, shall be on the same level :

Provided that, where necessary to enable the operation to be performed without undue risk, nothing in the paragraph shall prevent the occasional or exceptional use of a working space on a different

level from the floor, being a space provided with a safe means of access from the floor for any person while engaged in the operation.

7. Dust and Fumes-(1) Open coal, coke or wood fires shall not be used for heating or drying ladles inside a workroom unless adequate measures are taken to prevent, so far as practicable, fumes or other impurities from entering into or remaining in the atmosphere of the workroom.

(2) No open coal, coke or wood fires shall be used for drying moulds except in circumstances in which the use of such fires is unavoidable.

(3) Mould stoves, core stoves and annealing furnaces shall be so designed, constructed, maintained and worked as to prevent, so far as practicable, offensive or injurious fumes from entering into any workroom during any period when a person is employed therein.

(4) All knock-out operations shall be carried out-

(a) in a separate part of the foundry suitably partitioned off, being a room or part in which so far as reasonably practicable, effective and suitable local exhaust ventilation and a high standard of general ventilation are provided; or

(b) in an area of the foundry in which, so far as reasonably practicable, effective and suitable local exhaust ventilation is provided, or where compliance with this requirement is not reasonably practicable, a high standard of general ventilation is provided.

(5) All dressing or fettling operations shall be carried out-

(a) in a separate room or in a separate part of the foundry suitably partitioned off; or

(b) in an area of the foundry set apart for the purpose; and shall, so far as reasonably practicable, be carried out with effective and suitable local exhaust ventilation or other equally effective means of suppressing dust, operating as near as possible to the point of origin of the dust.

8. Disposal of dross and skimming-Dross and skimmings removed from the molten metal or taken from a furnace shall be placed forthwith in a suitable receptacle.

9. Floor of workroom-

(1) The floor of every room in which the process esspecified in paragraph 2(1)(c) are carried on shall be-

(a) of cement or similar material so as to be smooth and impervious to water;

(b) maintained in sound condition.

(2) The floor shall be cleaned daily in process esspecified in paragraph 2.

(3) Floors of indoor workplaces in which the casting processes are carried on, other than parts which are of sand, shall have an even surface of hard material.

(4) No part of the floor of any such indoor workplace shall be of sand except where this is necessary by reason of the work done.

(5) All parts of the surface of the floor of any such indoor workplace are of sand shall, so far as practicable, be maintained in an even and firm condition.

10. Ventilation-Every workroom shall be provided with inlets and outlets of adequate size, so as to secure and maintain efficient ventilation to all parts of the room.

11. Protective clothing and protective equipment-(1) The occupier of the factory shall provide and maintain the following protective clothing for use of workers who may come in contact with liquid, employed in processes specified in paragraph 2(1)(c) :

(a) water proof apron and bib; and

(b) loose rubber gloves and rubber boots or any other waterproof boots.

(2) The occupier of the factory shall provide and maintain adequate arrangements and place for keeping and driving the protective clothing for the use of workers employed in the factory.

(3) The occupier of the factory shall provide and maintain suitable respirator for all workers employed in processes specified in paragraphs 2(1)(a) and 2(1)(b).

12 Medical facilities and records of examination-(1) The occupier of every factory in which processes specified in paragraph 2 are carried on shall-

(a) employ a Factory medical officer for medical surveillance of the workers employed where number of workers exceeds 50; and

(b) provide to the said Factory medical officer all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a); and

(c) provide and maintain a sufficient supply of suitable ointment and impermeable waterproof plaster in a separate box readily accessible to the workers and used solely for the purpose of keeping the ointment and the plaster.

(2) The records of medical examinations and appropriate tests carried out by the said factory medical officer shall be maintained in a health register Form 7 which shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator.

(3) The Factory medical officer shall examine all workers specified in paragraph 2(1)(c) before they are employed in the electroplating processes. Such examination shall include inspection of hands, forearms and nose.

13. Medical examination by Factory medical officer.(1) Every worker employed in any of the processes specified in paragraph 2, shall be examined by a Factory medical officer within 15 days of his first employment. Such examinations shall include tests for chromium, cadmium or nickel in urine, pulmonary function test and chest X-ray. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Factory medical officer.

(2) Every worker employed in the said processes shall be re-examined by a Factory medical officer at least once in every 12 calendar months and such re-examination shall, wherever the Factory medical officer considers appropriate, include test for chromium, cadmium or nickel in urine, pulmonary function test and chest X-ray once in every 3 years.

(3) The Factory medical officer, after examining a worker, shall issue a Certificate of Fitness in Form-8. The record of examination and re-examinations carried out shall be kept in the custody of the Manager of the factory. The records of each examination carried out under sub-paragraphs (i) and (ii), including the nature and results of the tests, shall also be entered by the Factory medical officer in a Health Register in Form-7.

(4) The Certificate of Fitness and the Health Register shall be readily available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator.

14. Mess-room-There shall be provided and maintained for the use of all workers employed in the processes specified in paragraph 2 and remaining on the premises during the meal intervals, a suitable mess-room, which shall be furnished with sufficient tables and benches under supervision of a responsible person.

15. Washing facilities-There shall be provided and maintained in a clean state and in good repair for the use of all persons employed in the processes specified in paragraph 2:

(a) a wash place under cover with either-

(i) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe without plug, and of sufficient length to allow at least 60 cms for every five such persons employed at any time, and having a constant supply of water from taps or jets above trough at intervals of not more than 60 cms; or

(ii) at least one washbasin for every five such persons employed at any one time fitted with a waste pipe and plug and having a constant supply of water laid on; and

(b) a sufficient supply of clean towels made of suitable materials renewed daily with supply of soap or other suitable cleansing materials and of nail brushes.

16. Food, drink etc. prohibited in the workroom-No food, drink, pan and supari or tobacco shall be consumed or brought by any worker into any room in which the processes specified in paragraph 2 are carried on.

SCHEDULE-XXXII

WELDING PROCESS AND ANY WORK INCIDENTAL THERETO OR CONNECTED THEREWITH :

1. Definitions.—For the purposes of this schedule—

(a) "Welding process"means Fusion(liquid state)welding ,Solid/Liquid state joining, Solid phase welding at elevated temperature or Oxy/fuel gas welding/ cutting/heating;

(b) "efficient exhaust draught" means localised ventilation by mechanical means for the removal of gases,vapours, dust or fumes so as to prevent them from escaping into air of any workroom. No draught shall be deemed to be efficient if fails to remove smoke generated at the point where such gases,vapours, dust or fumes originate;

(c) "breathing apparatus" means a helmet or face piece with necessary connection by means of which a person using it breathes air free from dust or fumes, or any other approved apparatus;

(d) "qualified welder" means any employed person who possesses the qualification or experience what the Inspector-cum-Facilitator may decide on basis of Indian Standards / Conventions.

(e) "first employment" shall mean first employment in any kind of welding processes and processes incidental thereto to which this Schedule applies and shall also include re-employment in the said manufacturing process following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months;

2. Exceptions-(1) Nothing in this schedule shall apply to any factory in which welding processes are carried on occasionally for machinery maintenance purpose only and the welding processes are not the part of routine activities.

(2) Nothing in this schedule shall apply to any welding process which is unconventional and generates no dust,fumes,gas or vapour.

(3)Where the Chief Inspector-cum-Facilitator is satisfied that all or any of the provisions of this schedule are not necessary for any of the welding processes, he may, by certificate in writing, exempt any factory or class of factories from any such provisions, subject to such conditions as he may specify therein.

3.Qualification of welder: No person shall be assigned any core welding process unless he is a qualified welder for that kind of welding work. Allied work connected with core welding work may be done by other trained worker with all precautions and protective gears;

Provided that in case of any ambiguity between core welding work and allied work, the decision of Inspector-cum-Facilitator shall be final.

4. Periodical examination, testing and maintenance of equipments :(1) All parts of every welding machine ,gas/fuel cylinders and sources of heat shall be properly maintained and thoroughly examined periodically and the various controls as cylinder valves, pressure gauges, regulators, flash back arrester and nozzles and their working shall be examined at frequent intervals to ensure its safe operation by a responsible person designated by the occupier or manager, who by his experience and knowledge of necessary precautions against risks of explosion is fit to undertake such works ;

(2) Ventilation system shall be periodically examined or tested by the competent person after every six months and particulars shall be entered in a Form-56; and

(3) A register shall be maintained in which the details of the various tests carried out from time to time under clause (a) shall be entered and every entry made shall be signed by the competent person making the tests.

5.Breathing apparatus and protective clothing-(1) The occupier shall provide suitable protective clothing, footwear, goggles, welding helmet, gloves, welding suit, respirators and face shields as per Indian standard according to the nature of the work for the use of all persons employed in welding processes and

processes incidental thereto and such clothing, footwear, etc. shall be worn by the persons concerned. Breathing apparatus shall be provided to the persons employed in confined space and shall also be provided, if required, at other places according to the nature of welding work.

(2) Suitable accommodation in conveniently accessible position shall be provided for the use of persons when putting on or taking off breathing apparatus and protective clothing provided in accordance with this Schedule and for the storage of such apparatus and clothing when not in use.

(3) All breathing apparatus and protective clothing when not in use shall be stored in the accommodation provided in accordance with sub-paragraph (2).

(4) All protective clothing in use shall be washed at suitable intervals. The cleaning Schedule and procedure should be such as to ensure the efficiency of the said clothing in protecting the wearer.

(5) All breathing apparatus shall be cleaned and disinfected at suitable intervals and thoroughly inspected once every month by a responsible person.

(6) Records of the cleaning and maintenance and of the condition of the breathing apparatus shall be maintained in a register provided for that purpose which shall be readily available for inspection by an Inspector-cum-Facilitator.

(7) No person shall be employed to perform any work for which breathing apparatus is necessary unless he has been fully instructed in the proper use of that equipment.

(8) No breathing apparatus provided in pursuance of sub-paragraph (1) which has been worn by a person, shall be worn by another person unless it has been thoroughly cleaned and disinfected since last being worn and the person has been fully instructed in the proper use of that equipment.

6. Precaution against fire and explosion- (1) Equipments or cylinders carrying Acetylene, LPG or other fuel gases shall be properly maintained. Proper connections and closing of valves for no gas leakage shall be ensured by a responsible person designated by the occupier or manager.

(2) Employer shall ensure the availability and use of ignition lighter for the purpose of gas welding processes.

(3) Nearby combustible materials during welding shall be removed or protected, if it cannot be moved.

(4) Workers shall not be allowed to perform any welding work/Process without standard operating procedure approved by manager or a responsible person.

(5)An adequate number of suitable type of fire extinguishers or other fire-fighting equipment, depending on the nature of welding work, shall be provided. Such extinguishers or other equipment shall be regularly tested and refilled. Clear instructions as to how the extinguishers or other equipment should be used, printed in the language which majority of the workers employed understand, shall be affixed near each extinguisher or other equipment.

7. Exhaust draught.—where dust, fume, gas or vapour is produced in the Process, provision shall be made for removing them by means of an efficient exhaust draught so contrived as to operate on the dust, fume, gas or vapour as closely as possible to the point of origin.

8. Medical facilities and records of examination and test-(1) The occupier of every factory to which the schedule applies and wherein more than 50 workers are employed in welding processes and

processes connected to it, shall maintain Occupational Health Center with facilities as stipulated in the Rule-148.

(2) The record of medical examinations and appropriate test carried out by the factory medical officer shall be maintained in a separate health register in Form-7, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator.

9. Medical examination by Factory medical officer-(1) Every worker employed in any of the processes to which this schedule applies shall be examined by a Factory medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include pulmonary function test, chest X-ray, fundoscopy and acuity test. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Factory medical officer.

(2) Every worker employed in the said processes shall be re-examined by a Factory medical officer at least once in every 12 calendar months and such re-examination shall, wherever the Factory medical officer considers appropriate, include all the tests as specified in sub-paragraph(1) except chest X-ray which will be once in every three years. If any worker complains of any eye related discomfort or problem, the occupier shall immediately ensure the eye test and its treatment.

(3) The Factory medical officer after examining a worker shall issue a Certificate of fitness in Form-8. The record of examination and re-examinations carried out shall be kept in the custody of the Manager of the factory. The record of each examination carried out under sub-paragraphs (1) and (2), including the nature and the results of the test, shall also be entered by the Factory medical officer in the Health Register in Form-7.

(4) The Certificate of Fitness and the Health Register shall be readily available for inspection by the Inspector cum-Facilitator.

(5) If at any time Factory medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said processes on the ground that continuance therein would involve special danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said Certifying and the Health Register. The entry of his finding in those documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said Processes.

(6)The medical examination shall be arranged by the occupier or manager of the factory and the worker shall not bear any expenses for it.

SCHEDULE-XXXIII
HOT METALLURGICAL PROCESS AND ANY WORK INCIDENTAL THERETO OR CONNECTED THEREWITH:

1- Definitions- For the purpose of this schedule-

(a) "Hot metallurgical processes" means melting, refining, smelting, moulding, forging operations, hot rolling operations, foundry operations, casting; and furthermore it is applicable to production of iron, steel, ferrous or non-ferrous melting and casting by moulds of different materials including the process of shall moulding, die casting, pressure die casting, centrifugal casting, continuous casting and making of ingots, billets, slabs etc and the stripping thereof.

(b) "first employment" shall mean first employment in any kind of welding processes and processes incidental thereto to which this Schedule applies and shall also include re-

employment in the said manufacturing process following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months;

(c) "knock-out operations"means all methods of removing castings from mould sand the following operations, when done in connection therewith, namely, stripping, coring-out and the removal of runners and risers;

(2) General safety measures:

(a) There shall be uncongested machine and process layout, good housekeeping and ventilation, good draft to furnace and efficient exhaust of gases, water curtains and reflective or insulating screens for protection against radiant heat and hot air, local exhaust systems at the furnaces, cold air showers at hot work places, noise absorbent panels and deep and massive foundations to suppress vibrations.

(b) Rest rooms protected against radiant heat should be provided and equipped with air and water showers etc.

(c) Protective heat-resistant armlets, gaiters, aprons, safety footwear, eye and face shield, ear muffs or plugs to workers and safety training shall be provided to all the workers.

(d) adequate safety measures and precautions shall be taken for handling receiving and storage of raw materials and finished products.

(e) electrical equipment must be earthed and operated safely

(3) Preventive maintenance of machines:

(a) treadle guard shall be designed to provide complete coverage and at the same time enough clearance for operator comfort and control of the treadle action shall be ensured..

(b) forging furnace should be shielded as much as possible to protect workers from radiant heat. This can be done by means of asbestos covered screens, metal shield backed by refractory material and stainless steel or aluminum shells having radiant heat reflective qualities.

(c) Equipments including hoists, slings, chains, props and catches, tongs should always be kept in good working order by periodic inspection and preventive maintenance schedules.

(d)Ventilation system shall be examined and particulars shall be entered in Form-56 by a competent person as recognised in schedule “A”.

4.Dust and fumes.-

(a) Open coal, coke or wood fires shall not be used for heating or drying ladles inside a workroom unless adequate measures are taken to prevent, so far as practicable, fumes or other impurities from entering into or remaining in the atmosphere of the workroom.

(b) No open coal, coke or wood fires shall be used for drying moulds except in circumstances in which the use of such fires is unavoidable.

(c) Mould stoves, core stoves and annealing furnaces shall be so designed constructed, maintained and worked as to prevent, so far as practicable, offensive or injurious fumes from entering into any workroom during any period when a person is employed therein.

(d) All knock-out operations shall be carried out –

(i) in a separate part of foundry suitably partitioned off, being a room or part in which, so far as reasonably practicable, effective and suitable local exhaust ventilation and a high standard of general ventilation are provided; or

(ii) in an area of the foundry in which, so far as reasonably practicable, effective and suitable local exhaust ventilation is provided, or where compliance with this requirement is not reasonably practicable, a high standard of general ventilation is provided.

(5) All dressing or fettling operations shall be carried out – (1) In a separate room or in a separate part of foundry suitably partitioned off; or

(2) In an area of the foundry set apart for the purpose; and shall, so far as reasonably practicable, be carried out with effective and suitable local exhaust ventilation or other equally effective means of suppressing dust, operating as near as possible to the point of origin of the dust

(6) Personal protective Equipment: (1).Personal protective equipment (PPE) for Hot Metallurgical Processes and processes Incidental thereto shop workers include safety shoes, leather leg guards, safety helmets, hand and arm protection, leather aprons, etc. Goggles with colored or clear lenses, face shield or wire mesh face screen should be worn to help prevent face and eye injuries. Aluminized asbestos cloth overalls should be provided to furnace men to protect them from radiant heat. Ear muffs or ear plugs should be provided to forging crew to protect them from noise. No respirator provided for the purpose of this schedule which has been worn by a person shall be worn by another person if it has not since been thoroughly cleaned and disinfected.

(2) Training for use of PPE to all the workers shall be ensured.

(3)A register for the allotment of PPEs to the employees shall be maintained. Maintenance of PPEs shall also be ensured periodically and Occupier shall provide and maintain suitable accommodation for the storage and make adequate arrangements for cleaning and maintaining of the protective equipment supplied.

(4) Occupier shall ensure that all the workers wear the appropriate PPEs during the work.

(5) Persons who for any of their time –

(i) work at a spout of or attend to, a cupola or furnace in such circumstances that material there from may come into contact with the body, being material at such a temperature that its contact with the body would cause a burn; or

(ii) are engaged in, or in assisting with, the pouring of molten metal; or

(iii) carry by hand or move by manual power any ladle or mould containing molten metal; or

(iv) are engaged in knocking-out operations involving material at such a temperature that its contact with the body would cause a burn; Shall be provided with suitable footwear and gaiters which worn by them prevent, so far as reasonably practicable, risk of burns to his feet and ankles.

(v) Where appropriate, suitable screens shall be provided for protection against flying materials (including splashes of molten metal and sparks and chips thrown off in the course of any process).

7. Medical facilities and records of examination and test-(1) The occupier of every factory to which the schedule applies and wherein more than 50 workers are employed in Hot Metallurgical processes

and processes connected to it, shall maintain Occupational Health Center with facilities as stipulated in the Rule 93.

(2) The record of medical examinations and appropriate test carried out by the Factory medical officer shall be maintained in health register in Form-7.

8. Medical examination by Factory medical officer-(1) Every worker employed in any of the processes to which this schedule applies shall be examined by a Factory medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include pulmonary function test, chest X-ray or pulmonary function test and eye test. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by Factory medical officer.

(2) Every worker employed in the said processes shall be re-examined by a factory medical officer at least once in every 6 calendar months and such re-examination shall, wherever the Factory medical officer considers appropriate, include fundoscopy and acuity test, chest X-ray or pulmonary function test; audiometry test (if required), checking for skin diseases, CBC test and any other what the Factory medical officer things necessary. If any worker complains of any eye or skin related discomfort or problem, the occupier shall immediately ensure the requisite test and its treatment.

(3) The Factory medical officer after examining a worker shall issue a Certifying of fitness in Form-8. The record of examination and re-examinations carried out shall be kept in the custody of the Manager of the factory. The record of each examination carried out under sub-paragraphs (1) and (2), including the nature and the results of the test, shall also be entered by the Factory medical officer in the Health Register in Form-7.

(4) The Certificate of Fitness in Form-8 and the Health Register in Form-7 shall be readily available for inspection by the Inspector-cum-facilitator.

(5) If at any time Factory Medical Officer or Medical Officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said processes on the ground that continuance therein would involve special danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said Certificate and the Health Register. The entry of his finding in those documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (5) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical Officer after further examination, again certifies him fit for employment in these processes.

The medical examination shall be arranged by the occupier or manager of the factory and the worker shall not bear any expenses for it.

8. Exceptions.-Where the chief Inspector-cum-Facilitator is satisfied that all or any of the provisions of this schedule are not necessary for any of the processes, he may, by certificate in writing, exempt any factory or class of factories from any such provisions, subject to such conditions as he may specify therein.

SCHEDULE-XXXIV

MANUFACTURING OR MANIPULATION OF FERTILIZERS

1. Application.—This Schedule shall apply in respect of all factories or any part thereof in which the process of manufacturing or manipulation of fertilizers hereinafter referred or as the said manufacturing process is carried on.

2. Definitions.—For the purposes of this Schedule—

(a) "fertilizer" means any substance used or intended to be used as a fertilizer of the soil and/or crop and specified in Part A of Schedule I of the Fertilizer (Control) Order, 1985 and includes a mixture of fertilizer and a special mixture of fertilizers and any other product, as may be notified from time to time by the State Government.

(b) "mixture of fertilizers" means a mixture of fertilizer made by physically mixing two or more fertilizers, with or without inert material in physical or granular form and includes a mixture of NPK (Nitrogen-Phosphorus-Potassium) fertilizers, a mixture of micronutrient fertilizers.

(c) "efficient exhaust draught" means localised mechanical ventilation for removal of smoke, gas vapour, dust, fume or mist so as to prevent them from escaping into the air of any workroom in which work is carried on. No exhaust draught shall be considered efficient if it fails to remove smoke generated at the point where such gas, fume, dust, vapour or mist originates from the process;

(d) “Breathing apparatus” means (1) a helmet or face piece with necessary connections by means of which a person using it in a poisonous, asphyxiating or irritant atmosphere breaths ordinary air, or (2) any other suitable apparatus approved in writing by the Chief Inspector-cum-Facilitator.

(e) "first employment" shall mean first employment in any manufacturing process to which this Schedule applies and shall also include re-employment in the said manufacturing process following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months.

(f) "manipulation" including mixing, blending, formulating, filling, emptying, packing or otherwise handling.

3. Instruction to workers— Every worker on his first employment shall be fully instructed on the properties including dangerous properties of the chemicals handled in the said manufacturing process and the hazards involved. The workers shall also be instructed in the measures to be taken to deal with any emergency, such instructions shall be repeated periodically.

4. Prohibition relating to employment of women or young persons— No pregnant women young person shall be employed or permitted to work in any room in which the said manufacturing process or mixing of fertilizers is carried on or in any room in which fertilizer is stored.

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Women workers who are feeding mothers shall be exempted from the Employment.

5. Instruments— All instruments such as pressure gauges, thermometers, flow meters and weighing machines shall be tested at regular intervals by a competent person, and records of these tests shall be kept in a register.

6. Safety valves— Every still and every closed vessels in which gas is produced or into which gas is passed and in which the pressure is liable to rise to a dangerous degree shall have attached to it a pressure gauge, and a proper safety valve or other equally efficient means to relieve the pressure, maintained in good condition and shall be tested at regular intervals by a competent person, and records of these tests shall be kept in a register.

7. Examination, testing and repair of plant— Examination, testing and repair of pressure vessel or plant parts which have been in contact with ammonia and other chemicals, or which is above atmospheric pressure, shall only be carried out under proper supervision. Examination and testing of pressure vessel or plant parts shall be carried out at regular intervals by a competent person and records of these tests shall be provided in the prescribed Form meant for the pressure plant.

8. Leakage detection of ammonia & other chemicals- Leakage of ammonia and other chemicals through pressure vessel or plant parts shall be detected by chemical vapour detection system. Leakage of ammonia may also be detected by using sulfur sticks.

9. Alarm system— (a) Plant and Parts of the buildings shall be fitted with alarm systems, automatic cut-offs or other devices to prevent overcharging or otherwise endangering the plant.

(b) Alarm system shall be activated automatically by receiving signals from chemical vapour sensors in case of leakage of ammonia and other chemicals through pressure vessel or plant parts.

(c) The amount of ammonia and other chemicals taken into a building in bulk containers at any one time shall be kept as low as practicable.

10. Breathing apparatus—

(a) There shall be provided in every factory where dangerous gas or fume is liable to escape a sufficient supply of—

(i) breathing apparatus of an approved make for the hazards involved ;

(ii) oxygen and suitable means of its administration; and

(iii) life-belts.

(b) The breathing apparatus and other appliances required by this Schedule shall :

(i) be maintained in good order and kept in an ambulance room or in some other place approved in writing by the Chief Inspector-cum-Facilitator, and

(ii) be thoroughly inspected once every month by a competent person, appointed in writing by the occupier and record of their condition shall be entered in a book provided for that purpose, which shall be produced when required by an Inspector-cum-Facilitator.

(c) Workers shall be trained and given a periodic refresher course in the use of breathing apparatus and respirators.

(d) Respirators shall be kept properly labeled in a clean dry light-proof cabinets, and if liable to be affected by fumes, shall be protected by suitable containers. Respirators shall be dried and cleaned after use and shall be periodically disinfected.

11. Exhaust draught— Where dust, fume, gas or vapour is produced in the process, provision shall be made for removing them by means of an efficient exhaust draught so contrived as to operate on the dust, fume, gas or vapour as closely as possible to the point of origin.

12. Food, drinks and smoking prohibited in the workroom— (1) No food, drink, tobacco, pan or supari shall be brought into or consumed by any worker in any workroom in which the said manufacturing process is carried out.

(2) Smoking shall be prohibited in any workroom in which the said manufacturing process is carried out.

13. Protective clothing and protective equipment— (1) Protective clothing consisting of long pants and shirts or overalls with long sleeves and head coverings shall be provided for all workers employed in the said manufacturing process.

(2) Protective equipment consisting of rubber gloves, gum boots, rubber apron, chemical safety goggles shall be provided for all workers employed in the said manufacturing process.

(3) Protective clothing and equipment shall be maintained in good condition.

14. Ventilation— In every workroom or area whereas fertilizers is manufactured or manipulated, adequate ventilation shall be provided at all times by the circulation of fresh air.

15. Medical Examination by a Factory Medical Officer — (1) Every worker employed in the processes mentioned in Paragraph 1 shall be examined by the Factory Medical Officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for determination of the ammonia and other chemicals in the blood and urine, pulmonary function test, EEG test, memory test and other tests as prescribed by the Factory Medical Officer. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Factory Medical Officer.

(2) Every worker employed in the said processes shall be re-examined by the Factory Medical Officer at least once in every six calendar months. Such examination shall, wherever the Factory Medical Officer considers appropriate, include tests as specified in sub-paragraph (1).

(3) The Factory Medical Officer after examining a worker, shall issue a certificate of Fitness in Form-8. The record of re-examination carried out shall be entered in the health register Form-7 shall be kept in the custody of manager of the factory. The record of each examination carried out under sub-paragraph (1) and (2), including the nature and the results of the tests, shall also be entered by the Factory Medical Officer in a Health Register in Form-7.

(4) The Certificate of Fitness and the Health Register shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum- Facilitator.

16. Exemption— If in respect of any factory, the Chief Inspector-cum- Facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or the infrequency of the said manufacturing process or for any other reason which he shall record in writing all or any of the provisions of this Schedule are not necessary for the protection of the workers employed in the factory, he may by a certificate in writing exempt such factory, from all or any of the provisions on such condition as he may specify therein, such certificate may at any time be revoked by the Chief Inspector-cum- Facilitator after recording his reasons therefor.

SCHEDULE-XXXV

COLD STORAGE OR MILK CHILLING PLANT OR MANUFACTURING OF ICE USING AMMONIA AS REFRIGERANT AND PROCESSES INCIDENTAL THERETO

1. Application— This schedule shall apply in respect of all factories or any part thereof in which the process of cold storage, milk chilling and manufacturing of ice using ammonia or other chemicals as refrigerants and other processes using, handling and storing ammonia or other chemicals.

2. Definitions—For the purposes of this Schedule—

(a) "ice plant" means a complete installation for the production and storage of ice, including the icemaker itself, that is the unit that converts water into ice together with the associated refrigeration machinery, harvesting and storage equipment, and the building.

(b) "cold storage" means a commercial facility for storing perishable products such as fruits, vegetables, meat, fish etc. under controlled conditions for longer periods.

(c) "milk chilling plant" means to maintain milk at a low temperature so as to prevent any deterioration in quality prior to processing/product manufacturing.

(d) "refrigerant" means a substance or mixture, usually a fluid, used in a refrigeration cycle. In most cycles it undergoes phase transitions from a liquid to a gas and back again. Many working fluids have been used for such purposes. The processes of cold storage, milk chilling and manufacturing of ice are using generally ammonia as refrigerant.

(e) "efficient exhaust draught" means localised mechanical ventilation for removal of smoke, gas vapour, dust, fume or mist so as to prevent them from escaping into the air of any workroom in which work is carried on. No exhaust draught shall be considered efficient if it fails to remove smoke generated at the point where such gas, fume, dust, vapour or mist originates from the process;

(f) “Breathing apparatus” means (1) a helmet or face piece with necessary connections by means of which a person using it in a poisonous, asphyxiating or irritant atmosphere breaths ordinary air, or (2) any other suitable apparatus approved in writing by the Chief Inspector-cum-Facilitator.

(g) "first employment" shall mean first employment in any manufacturing process to which this Schedule applies and shall also include re-employment in the said manufacturing process following any cessation of employment for a continuous period exceeding three calendar months; and

3. Instruction to workers— Every worker on his first employment shall be fully instructed on the properties including dangerous properties of the chemicals handled in the said manufacturing process and the hazards involved. The workers shall also be instructed in the measures to be taken to deal with any emergency, such instructions shall be repeated periodically.

4. Prohibition relating to employment of women or young persons— No pregnant women or young person shall be employed or permitted to work in any room in which the said manufacturing process is carried on or in any room in which ammonia or other chemicals are stored.

Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-

(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).

(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.

(3) Women workers who are feeding mothers shall be exempted from the Employment.

5. Instruments— All instruments such as pressure gauges, thermometers, flow meters and weighing machines shall be tested at regular intervals by a competent person, and records of these tests shall be kept in a register.

6. Safety valves— Every still and every closed vessels in which gas is produced or into which gas is passed and in which the pressure is liable to rise to a dangerous degree shall have attached to it a pressure gauge, and a proper safety valve or other equally efficient means to relieve the pressure, maintained in good condition and shall be tested at regular intervals by a competent person, and records of these tests shall be kept in a register.

7. Examination, testing and repair of plant— Examination, testing and repair of pressure vessel or plant parts which have been in contact with ammonia and other chemicals, or which is above atmospheric pressure, shall only be carried out under proper supervision. Examination and testing of pressure vessel or plant parts shall be carried out at regular intervals by a competent person, and records of these tests shall be provided in the prescribed Form meant for pressure vessels.

8. Leakage detection of ammonia & other chemicals- Leakage of ammonia and other chemicals through pressure vessel or plant parts shall be detected by chemical vapour detection system. Leakage of ammonia may also be detected by using sulfur sticks.

9. Alarm system—

(a) Plant and Parts of the buildings shall be fitted with alarm systems, automatic cut-offs or other devices to prevent overcharging or otherwise endangering the plant.

(b) Alarm system shall be activated automatically by receiving signals from chemical vapour sensors in case of leakage of ammonia and other chemicals through pressure vessel or plant parts.

(c) The amount of ammonia and other chemicals taken into a building in bulk containers at any one time shall be kept as low as practicable.

10. Breathing apparatus— (a) There shall be provided in every factory where dangerous gas or fume is liable to escape a sufficient supply of—

(i) breathing apparatus of an approved make for the hazards involved ;

(ii) oxygen and suitable means of its administration; and

(iii) life-belts.

The breathing apparatus and other appliances required by this Schedule shall (i) be maintained in good order and kept in an ambulance room or in some other place approved in writing by the Chief Inspector-cum-Facilitator, and (ii) be thoroughly inspected once every month by a competent person, appointed in writing by the occupier and record of their condition shall be entered in a book provided for that purpose, which shall be produced when required by an Inspector-cum-Facilitator.

(b) Workers shall be trained and given a periodic refresher course in the use of breathing apparatus and respirators.

(c) Respirators shall be kept properly labelled in a clean dry light-proof cabinets, and if liable to be affected by fumes, shall be protected by suitable containers. Respirators shall be dried and cleaned after use and shall be periodically disinfected.

11. Exhaust draught— The following processes or operations shall not be carried on except under an efficient exhaust draught or under such other conditions as may be approved by the Chief Inspector-cum-Facilitator:

(a) "Machine room" or any other room of the building where compressors, receivers and other components of refrigeration system and their instrumentation are installed, where dust, fume, gas or vapour is produced in the process.

(b) Ammonia or other chemical storage room or part of the buildings, where dust, fume, gas or vapour is produced.

12. Food, drinks and smoking prohibited in the workroom— (1) No food, drink, tobacco, pan or supari shall be brought into or consumed by any worker in any workroom in which the said manufacturing process is carried out.

(2) Smoking shall be prohibited in any workroom in which the said manufacturing process is carried out.

13. Protective clothing and protective equipment— (1) Protective clothing consisting of long pants and shirts or overalls with long sleeves and head coverings shall be provided for all workers employed in the said manufacturing process.

(2) Protective equipment consisting of rubber gloves, gum boots, rubber apron, chemical safety goggles shall be provided for all workers employed in the said manufacturing process.

(3) Protective clothing and equipment shall be maintained in good condition.

14. Ventilation— In Machine room or any other room of the building where compressors, receivers and other components of refrigeration system and their instrumentation are installed and ammonia or other chemical storage room or part of the buildings, where dust, fume, gas or vapour is produced, adequate ventilation shall be provided at all times by the circulation of fresh air.

15. Medical Examination by a Factory Medical Officer — (1) Every worker employed in the processes mentioned in Paragraph 1 shall be examined within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for determination of the ammonia and other chemicals in the blood and urine, pulmonary function test, EEG test, memory test and other tests as prescribed the Factory Medical Officer. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Factory Medical Officer.

(2) Every worker employed in the said processes shall be re-examined by the Factory Medical Officer at least once in every six calendar months. Such examination shall, wherever the Factory Medical Officer considers appropriate, include tests as specified in sub-paragraph (1).

(3) The Factory Medical Officer after examining a worker, shall issue a certificate of Fitness in Form-8. The record of examination and re-examination carried out shall be entered in the certificate and the certificate shall be kept in the custody of manager of the factory. The record of each examination carried out under sub-paragraph (1) and (2), including the nature and the results of the tests, shall also be entered by the Factory Medical Officer in a Health Register in Form-7.

(4) The Certificate of Fitness and the Health Register shall be kept readily available for inspection by the Inspector-cum- Facilitator.

16. Exemption— If in respect of any factory, the Chief Inspector-cum- Facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or the infrequency of the said manufacturing process or for any other reason which he shall record in writing all or any of the provisions of this Schedule are not necessary for the protection of the workers employed in the factory, he may by a certificate in writing exempt such factory, from all or any of the provisions on such condition as he may specify therein, such certificate may at any time be revoked by the Chief Inspector-cum- Facilitator after recording his reasons there for.

SCHEDULE-XXXVI

{see rule108}

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

1. Chemical Identify :

Chemical Name Chemical Classification Synonyms Trade Name		
Formula C. A. S. No. U. N. No.		
Regulated Identification	Shipping Name Codes/Label	Hazechem No.
Hazardous Waste I.D. No.		
Hazardous Ingredients	C.A.S. No. Hazardous Ingredients	C.S.A. No.
1.	2.	3.
2. Physical and Chemical Data		
Boiling Range / Point 0C Physical State Appearance		
Melting / Freezing Point 0C Vapour Density (Air- 1)	Vapour Pressure @ 35^0 C mmHg Solubility in Water	Odour Others

30^0 C mm Hg
Specific Gravity pH Water – 1 3. Fire and Explosion Hazard Data :
Flammability Yes /No UEL % Flash point 0 C Auto ignition Temperature^ 0 C
TDG Flammability UEL % Flash point 0 C Hazardous Products of combustion
Explosion Sensitivity to Impact Explosion Sensitivity to Static Electricity
Hazardous Polymerization Combustible Liquid Explosive Material Corrosive Material
Flammable Material Oxidizer Others
Pyrophoric Material Organic Peroxide
4. Reactivity Data :
Chemical Stability
Incompatibility with other Materials
Reactivity Hazardous Products of Reaction
5. Health Hazard Data :
Routes of Entry Effects of Exposure / Symptoms
Emergency Treatment
TLV (ACGIH) ppm. Mg/m3 STEL ppm. Mg / m3
Permissible Exposure limit ID 50 ppm. Mg/m3 Order ppm Threshold Mg / m3 LD50
NFPA Hazard Signals Health Flammability Stability Special
6. Preventive Measures :
Personnel Protective Equipments
Handling and Storage Precautions
7. Emergency and First Aid Measure : Fire Fire Extinguishing Media
Special Procedures
Unusual Hazards
Exposure First Aid Measures
Antidotes / Dosages
Spills Steps to be taken

Waste Disposal Method
8. Additional Information / References :
9. Manufacturer / Suppliers Data :
Contact Person in Emergency
Name of Firm Mailing Address Local Bodies involved Telephone / Telex nos. Telegraphic Address
Standard Packing
Trameard Details/Reference
Others
10. Disclaimer : Information contained in this Material Safety Data Sheet is believed to be reliable but no representation, guarantee or warranties of any kind are made as to its accuracy, suitability for a particular application of results to be obtained from them might vary. It is up to the manufacturer/seller to ensure that the information contained in the Material Safety Data Sheet is relevant to the product manufactured/handled or sold by him as the case may be. The Government marks no warranties expressed or implied in respect of the adequacy of this document for any particular purpose.

SCHEDULE-XXXVII

{see sub-rule (1) of rule 124}

Permissible levels of certain chemical substances in work environment

Sl. No.	Substance	Permissible limits of exposure			
		Time weighted average concentration (8 hrs)		Short-term exposure limit (15 min)*	
		ppm	mg/m^{3**}	ppm	mg/m^{3**}
1.	Acetaldehyde	100	180	150	270
2.	Acetic Acid	10	25	15	37
3.	Acetone	750	1780	1000	2375
4.	Acrolein	0.1	0.25	0.3	0.8
5.	Acrylonitrile-skin	2	4.5	--	--
6.	Aldrin-skin	--	0.25	--	--
7.	Allyl Chloride	1	3	2	6
8.	Ammonia	25	18	35	27
9.	Aniline-skin	2	10	--	--
10.	Anisidine (o-p- isomers)-skin	0.1	0.5	--	--
11.	Arsenic & compounds (as As)	--	0.2	--	--
12.	Benzene(H.C.)	10	20	25	7.5
13.	Beryllium & Compound (as Be) (S.C.)	--	0.002	--	--
14.	Bornon Trifluoride-C	1	3	--	--
15.	Bromine	0.1	0.7	0.3	2
16.	Butane	800	1900	--	--
17.	2-Butanon (Methyl-ethyl Ketone MBK)	200	590	300	885
18.	n-Butyl acetate	150	710	200	950
19.	n-Butyl alcohol-skin-C	50	150	--	--
20.	Sce/tert, Butyl acetate	200	950	--	--
21.	Butyl Mercaptan	0.5	1.5	--	--
22.	Cadmium-dust and salts (as Cd)	--	0.05	--	--
23.	Calcium oxide	--	2	--	--
24.	Carbaryl (Sevin)	--	5	--	--
25.	Carbofuran (Furadan)	--	0.1	--	--

26.	Carbon disulphide-skin	10	30	--	--
27.	Carbon monoxide	50	55	400	440
28.	Carbonate trachloride-skin	5	30	--	--
29.	Carbonyl Chloride (Phosgene)	0.1	0.4	--	--
30.	Chlorobenzene (monochloro-benzene)	75	350	--	--
31.	Chloridane-skin	--	0.5	--	--
32.	Chlorine	1	3	3	9
33.	Chloroform (S.C.)	10	50	--	--
34.	bis-(Chloromethyl) ether (H.C.)	0.001	0.005	--	
35.	Chromic acid and chromates (as Cr) water soluble	--	0.05	--	--
36.	Chromous Salts (as Cr)	0	05	--	--
37.	Copper fume	--	0.2	--	--
38.	Cotton dust, raw	--	0.2	--	--
39.	Cresol, all isomers-skin	5	22	--	--
40.	Cyanides (as CN)-skin	--	5	--	--
41.	Cyanogen	10	20	--	--
42.	DDT(Dichloro diphenyl trichloroethane)	--	1	--	--
43.	Demeron-skin	0.01	0.1	--	--
44.	Diazinon-skin	--	0.1	--	--
45.	Dibutyl pythalate	--	5	--	--
46.	Dichiorvos (DDVP)-skin	0.1	1	--	--
47.	Dieldrin-skin	--	0.25	--	--
48.	Dinitrobenzene, (all isomers)- skin	0.15	1	--	--
49.	Dinitrotoluene-skin	--	1.5	--	--
50.	Diophenyl (Biphenyl)	0.2	1.5	--	--
51.	Endosulfan (Thiadon)-skin	--	0.1	--	--
52.	Endrin-skin	--	0.1	--	0.3
53.	Ethyl acetate	400	1400	--	--
54.	Ethyl alcohol	1000	1900	--	--
55.	Ethylamin	10	18	--	--
56.	Fluorides (as F)	--	2.5	--	--
57.	Fluorine	1	2	2	4
58.	Formic Acid	5	9	--	--
59.	Hydrazine-skin (S.C.)	0.1	0.1	--	--
60.	Hydrogen Chloride-C	5	7	--	--
61.	Hydrogen Cyanide-skin-C	10	10	--	--
62.	Hydrogen fluoride (as F)-C	3	2.5	--	--
63.	Hydrogen Peroxide	1	1.5	--	--
64.	Hydrogen Sulphide	10	14	15	21
65.	Gasoline	300	900	500	1500
66.	Iodine -C	0.1	1	--	--
67.	Iron Oxide Fume (Fe_2O_3)(as Fe)	-	5	--	--
68.	Isoamyl acetate	100	525	--	--
69.	Isoamyl alcohol	100	360	125	450
70.	Isobutyl alcohol	50	150	--	--
71.	Lead, inorg, dusts and fumes (as Pb)	--	0.15	--	--
72.	Lindane-skin	--	0.5	--	--
73.	Malathion-skin	--	10	--	--
74.	Manganese dust and compounds(as Mn)	--	5	--	--
75.	Manganese Fume (as Mn)	--	1	--	3
76.	Mercury (as Hg)-skin				
	(i)Alkyl compounds	--	0.01	--	0.03
	(ii)All forms except alkyl vapour	--	0.05	--	--
	(iii)Aryl and inorganic compounds	--	0.1	--	--
77.	Methyl alcohol (methanol)-skin	200	260	250	310
78.	Methyl cellosolve-skin (2 methoxy ethanol)-scin	5	16	--	--

79.	Methyl Isobutyl Ketone	50	205	75	300
80.	Methyl Isocyanate	0.02	0.05	--	--
81.	Naphthalene	10	50	15	75
82.	Nickel carbonyl (as Ni)	0.05	0.35	--	--
83.	Nitric acid	2	5	4	10
84.	Nitric oxide	25	30	--	--
85.	Nitrobenzene-skin	1	5	--	--
86.	Nitrogen dioxide	3	6	5	10
87.	Oil mist, minerals	--	5	--	10
88.	Ozone	0.1	0.2	0.3	0.6
89.	Parathion-skin	--	0.1	--	--
90.	Phenol-skin	5	19	--	--
91.	Phorate (Thimet)-skin	--	0.05	--	0.2
92.	Phosgene (Carbonyl Chloride	0.1	0.4	--	--
93.	Phosphine	0.3	0.4	1	1
94.	Phosphoric acid (yellow)	--	1	--	--
95.	Phosphorus (yellow)	--	0.1	--	--
96.	Phosphorus pentachloride	0.1	1	--	--
97.	Phosphorus trichloride	0.2	1.5	0.5	3
98.	Picric acid-skin	--	0.1	--	0.3
99.	Pyridine	5	15	--	--
100.	Silane (silicon tetrahydride)	5	7	--	--
101.	Sodium hydroxide-C	--	2	--	--
102.	Styrene, monomer (Phenylethylene)	50	215	100	425
103.	Sulphur dioxide	2	5	5	10
104.	Sulphur hexafluoride	1000	6000	--	--
105.	Sulphuric acid	--	1	--	--
106.	Toluene (Toluol)	100	375	150	560
107.	O-Tuluiodine-skin (S.C.)	2	9	--	--
108.	Tributyl phosphate	0.2	2.5	--	--
109.	Trichloroethylene	50	270	200	1080
110.	Uranium, natural (as U)	--	0.2	--	--
111.	Vinyl chloride(H.C.)	5	10	--	--
112.	Welding fumes	--	5	--	--
113.	Xylene (o-, m, p-isomers)	100	435	150	655
114.	Zinc oxide				
	(i)Fume	--	5	--	10
	(ii) Dust (Total dust)	--	10	--	--
115.	Zironium compounds (as Zr)	--	5	--	10

ppm: Parts of vapour or gas per million parts of contaminated air by volume at 25° C and 760 mm of Hg.
mg/m^3 : milligram of substance per cubic metre of air
*,:Note more than 4 times a day with at least 60 min. interval between successive exposures.
**,: $mg/m^3 \frac{\text{molecular weight}}{24.45}$ x ppm
G,: denotes Ceiling Limit
Skin,: denotes potential contribution to the overall exposure by the cutaneous route including mucous membranes and eye.
S.C.,:denotes suspected Human Carcinogen
H.C.denotes Confirmed Human Carcinogen

Substance	Permisible time-weighted average concentration (TWA)(8 hrs)
(i) Silica,SiO_2	
(a) Crystaline	
(i) Quartz	
(1) In terms of dust count	10600 / (% Quartz + 10) mppcm
(2) In terms of respirable dust	10 / (% respirable quartz + 2) mg/m^3
(3) In terms of total dust	30 / (% respirable quartz + 3) mg/m^3

(ii) Cristabalite	Half the limits given against quartz.
(iii) Tridymine	Half the limits given against quartz.
(iv) Silica fused	Same limit as for quartz.
(v)Tripoli: Same limit as in formula in item 2 given against quartz.	
(b) Amorphous silicates: 10mg/m3 Total dust.	
[Asbestos (H.C.):	
(a) Amosite.....0.1 fibre/cc*** (b) Chrystolite..... .0.1 fibre/ cc*** (c) Crocidolite..... .0.1 fibre/ cc*** Portland Cement: 10 mg/mº, total dust containing less than 1% quartz Coal Dust: 2 mg/mº, respirable dust fraction containing less than 5% quartz.	

mppcm = Million particles per cubic metre of air, based on impinge samples counted by light-field techniques.

***(i) For fibres greater than 5 µm in length and less than 5 µm in breadth with length to breadth ration equal to or greater than 3:1.

(ii) As determined by the membrane filter method at 400-450 × magnification (4 µm bjective) phase contrast illumination.

Respirable Dust :

Fraction passing a size-selector with the following characteristics:

Aerodynamic Diameter (µ m) (Unit density sphere)	% passing selector
2	90
2.5	75
3.5	50
5.0	25
10	01

Permissible activity concentration levels for some of the radionuclides that are commonly encountered in metal recycling industries as given below :

Radionuclide	Radionuclide concentration (Bq/g*)
Co-60	0.1
Cs-137	0.1
Am-241	0.1
Ir-192	1.0”

Footnote :

1. Bq/g stands for Becquerel per gram. Becquerel means one transformation of a radionuclide per second : and is the SI unit of radioactivity.
2. Measurement shall comprise external radiation levels on the metal scrap, semi-finished and finished products as well as the background levels at the place of measurement and records of the same shall be maintained. If the radiation level on the material exceeds the background radiation level by 20 µ/hr (Micro Rad per hour).
3. The Atomic Energy Regulatory Board (AERB) Shall be promptly intimated.

FORM-1

[Section 2(1)(l) and sub rule (3) of Rule-4]

Part-I

Form of application for grant of Certificate of Competency to a person under Rule 4

Passport size Photograph

1. Name
2. Date of Birth
3. Name of the Organization (if not self-employed)
4. Designation
5. Educational qualification (copies of testimonials to be attached)
6. Details of professional experience (in chronological order):

Name of organization	Period of service	Designation	Area of responsibility

7. Membership, if any, of professional bodies
8. (i) Details of facilities (examination, testing, etc.) at his disposal.
(ii) Arrangements for calibrating and maintaining the accuracy of these facilities
9. Purpose for which certificate of competency is sought (section or sections of the Code should be stated)
10. Whether the applicant has been declared a competent person under any statute (if so, the details)
.....
11. Any other relevant information .....
12. Declaration by the applicant .....

I, ... hereby declare that the information furnished above is true; I undertake-

(a) that in the event of any changes in the facilities at my disposal (either addition or deletion) or my leaving the aforesaid organization, I will promptly inform the Chief Inspector-cum-Facilitator;

(b) to maintain the facilities in good working order, calibrated periodically as per manufacturer's instructions or as per National Standards and Relevant Standards; and

(c) notify to the Chief Inspector-cum-Facilitator any change in the facilities (either addition or deletion).

(d) to fulfill and abide by all the conditions stipulated in the certificate of competency and instructions issued by the Chief Inspector-cum-Facilitator from time to time.

Place:

Date: Signature of the applicant

Declaration by the Institution (if employed),

I…….....certify that Shri/Smt……. whose details are furnished above, is in our employment and nominate him on behalf of the organization for the purposes of being declared as a competent person under the Code. I also undertake that I shall—

(a) notify the Chief Inspector-cum-Facilitator in case the competent person leaves our employment;

(b) provide and maintain the facilities in good working order, calibrated periodically as per manufacturer's instructions or as per National Standards and Relevant Standards; and

(c) notify to the Chief Inspector-cum-Facilitator any change in the facilities (either addition or deletion).

Date:

Signature.....
Designation.....
Contact No…….
e-mail id: ……

Official Seal

Note.—This declaration should be made by the Managing Director of the company or the partner of the firm or the proprietor, as the case may be.

PART-II

Form of application of grant of Certificate of Competency to an Institution under Rule-4

1. Name and full address of the Organisation.....

2. Organisation's status (specify whether Government, Autonomous, Co-operative, Corporate or Private).....
3. Purpose for which certificate of competency is sought (specify section(s) of the Code).
4. Whether the Organisation has been declared as a competent person under this rule or any other statute and if so, give details.
5. Particulars of persons employed and possessing qualifications and experience as set out in Schedule-I annexed to rule 4:

Serial No.	Name and designation	Qualifications	Experience	Section(s) and the Rule under which certificate of competency is sought for

6.Details of facilities (relevant to Item 3 above) and arrangements made for their maintenance and periodic calibration.
7. Any other relevant information.
8. Declaration.....

I,…….hereby, on behalf of …….certify the details furnished above are correct to the best of my knowledge, I undertake to—

(i) maintain the facilities in good working order, calibrated periodically as per manufacturer's instructions or as per National Standards; and
(ii) to fulfil and abide by all the conditions stipulated in the certificate to competency and instructions issued by the Chief Inspector-cum-Facilitator from time to time.

Place :
Date :

Seal and Signature of Head of the Institution
or of the person authorised to sign on behalf
Designation

FORM-2
[Section 2(1)(l) and sub rule (3) of Rule-4]

Form of Certificate of Competency issued to a person or an Institution in pursuance of subrule 3 of rule 4 made under Section2(1)(l).

I,……..in exercise of the powers under Section2(1)(l) of the Code and Rule made thereunder, hereby recognise Shri/Smt. ..... in the employment of ……(Name of the institution) Or……. (Name of organisation) as a Competent Person for the purpose of carrying out tests, examinations and inspections and certification of such building, dangerous machinery, lift and hoists, lifting machine and lifting tackles, pressure plants, confined space, ventilation system and such other process or plant and equipment as the case may be, used in factory located in ……. under Section ……. and the rule made thereunder.

This certificate is valid from…….. to.....

This certificate is subject to the following conditions namely:

(i) tests, examination and inspections shall be carried out in accordance with the provision of the Code and the Rule made thereunder;
(ii) tests, examination and inspections shall be carried out under direct supervision of the Competent Person or by a person so authorised by an institution recognised to the Competent Person;
(iii) the certificate of competency issued in favour of a person shall stand cancelled if the person leaves the organisation mentioned in his application;

(iv) the institution recognised as a Competent Person shall keep the Chief Inspector-cum-Facilitator informed of the names, designations and qualifications of the persons authorised by it to carry out tests, examinations and inspections.

(v) ----

(vi) ----

Place : Signature of the Chief Inspector-cum-Facilitator
Date : Official Seal

Note.—Aseparate certificate should be issued under each relevant Section. A person or an institution may be recognised as a Competent Person for the purposes of more than one Section of the Code.

FORM-3

{See clause (a) of sub-rule (1) of Rule-5}

Application for Registration for existing establishments/ New Establishment/ Amendment to certificate of Registration

A. Establishment Details.

1. LIN Number (if already registered to retrieve details of Establishment from Portal) :
2. Name of Establishment:
3. Location and Address of the Establishment:
4. Others details of Establishment:
   a. Total Number of employees and workers engaged directly or indirectly in the establishment:……
   b. Total Number of the contract employees and workers engaged: ……
   c. Maximum number of Contract employees engaged or to be engaged in process:…….
   d. Total Number of Inter-State Migrant workers employed:……..
5. Type of Establishment relating to..... (a). Factory (b). Plantation (c). Motor transport undertaking (d). Beedi and cigar workers (e). Building or other Construction work
   (f). Audio-visual production (g). Other Establishment
6. (a) For factories:

Details of the manufacturing process	Full postal address and situation of the factory along with plan approval details	Name and address of the occupier and manager	Maximum number of workers to be employed on any day	Name of the chemicals to be handled and stored along with quantity
1	2	3	4	5

6. (b) For plantation:

Total area of plantation in hectares	Full name and residential address(es) of the directors (in case of a company)	Name and address of the employer	Maximum number of workers to be employed	Name of the hazardous chemicals, insecticides, pesticides to be handled and stored along with quantity
1	2	3	4	5

6. (c) For motor transport undertaking:

Nature of motor transport service e.g. city service, long-distance passenger service, long-distance freight service	Total number of routes	Total route mileage	Total number of transport vehicles on the last date of the preceding year	Maximum number of motor transport workers employed on any day during the preceding year	Name and address of the employer	Full name and residential address(es) of the directors (in case of a company)
1	2	3	4	5	6	7

6 (d) For Beedi and Cigar Work:

Financial resources of employer e.g. (particulars and value of movable and immovable properties, bank references, income tax assessment etc.)	Whether the employer is a trademark holder registered under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958	Previous experience of the employer in the industry	Value of beedis and cigars, or both, manufactured at the industrial premises during the preceding financial year	Whether the proposed site of industrial premises amounts to the alteration of the site of any existing industrial premises and if so reasons for such alterations.
1	2	3	4	5

Whether any industrial premises was closed by the applicant during the period of twelve months immediately preceding the date of the application and, if so, reasons therefore	Source of obtaining tobacco	Whether the beedis or cigar, or both, manufactured by the applicant will be sold and marketed by himself or through the proprietor or a registered user of the trademark registered under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 or any other person	Full name and residential address(es) of the Directors (in case of a company)	Maximum number of employees to be employed on any day
6	7	8	9	10

6.(e) For building and other construction work:

Type of Construction work	Probable period of commencement of work	Expected period for completion of work	Details of approval of the local authority
1	2	3	4

6.(f) for audio-visual production:

Name and address of the Producer/ Producers of the production house	Maximum number of audio-visual workers to be employed on any day
1	2

6.(g). Other Establishment)

Details of the industry, trade, business or occupation	Full postal address and situation of the factory along with plan approval details	Name and address of the occupier and manager	Maximum number of workers to be employed on any day	Name of the chemicals to be handled and stored along with quantity
1	2	3	4	5

7. (a) for registration of principal employer under Part-I of Chapter XI:

1	The name and location of the establishment
2	Postal address of the establishment
3	Full name and address of the Principal Employer (furnish father's name in the case of individuals)
4	Full name and addresses of the manager or the person responsible for the supervision and control of the establishment
5	Nature of work carried on in the establishment
6	Particulars of contractors and contract labour: (a) Names and addresses of contractors (b) Nature of work in which contract labour is employed (c) The maximum number of contract labour to be employed on any day through each contractor (d) Estimated date of commencement of each contract work under each contractor (e) Estimated date of termination of employment of contract labour under the contractor (f) Particular is of fees deposited

I hear by declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Principal employer

7.(b)For Contract work:

Name and Address Contractor	Email address& Mobile of Contractor	Name and nature of Work	Maximum No. of Contract labour engaged	Date of Commencement / Probable date of Completion of work
1	2	3	4	5

7.(c)The details of Inter-state migrants employed /to be employed in an establishment:

S.No.	Name	Father's/ Husband's name	Permanent address				Aadhar Number	Mobile Number
			Town/ village	Tehsil	Distric t	State		

7. Ownership Type/Sector:
8. Activity as per National Industrial Classification:
9. Details of Selected NIC Code:
10. Date of opening/Start of business:
11. Identification of the establishment: e-sign/ digital sign of employer/ representative:
12. Details of Employer:-
    a. Name & Address of Employer / Occupier / Owner/Agent:
    b. Designation:
    c. Father's/ Husband's Name of the Employer:
    d. Email Address, Telephone& Mobile No:

13. Manager/ Agent Details

    a. Full name & Address of Manager/ Agent or person responsible for supervision and control of the Establishment
    b. Address of Manager/Agent:
    c. Email Address, Telephone& Mobile No :

14. Other details:

Date: Signature/ e-sign/ digital
Place: signature of employer

FORM–3A

[See sub-rule (4) of Rule 5]

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF ESTABLISHMENT

Registration No.: _____ /OSH/REG/_____ Date of Issue:

A Certificate of Registration containing the following particulars for the establishment is hereby granted under sub-section (2) of Section 3 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 and the rules made thereunder to……..(Name of Establishment).

Particulars of Establishment

1. Type of Establishment: _____ (to be chosen from drop down)

2. Full Address of Establishment:

3. Nature of Activity / Business / Manufacturing Process:

4. Name, Address and Contact Details of Principal Employer / Occupier / Owner:

5. Name, Address and Contact Details of Manager / Person responsible for supervision and control of the establishment:

6. Maximum number of employees / workers: _____

7. Total number of contract labour, if any: _____

8. Number of contractors, if any: _____

9. Number of Inter-State Migrant Workers, if any: _____

10. Details of Building or Other Construction Work, if applicable:

Type of Construction Work	Probable Period of Commencement of Work	Expected Period for Completion of Work	Details of Approval of Local Authority

11. Registration Fee Paid: ₹ _____

12. Amendment Details (if any):

13. Remarks of Registering Officer:

Registering Officer Name:

Designation:

Office Seal / Digital Signature

Notes:

1. This certificate is issued on the basis of the information furnished by the employer / applicant. Any concealment or willful misrepresentation shall attract action under the provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 and the rules made thereunder.

2. This certificate shall not be construed as any licence or approval required under the Code or under any other law for the time being in force, including Factory Licence under Section 79 of the Code or licence for engagement of contract labour, wherever applicable.

3. The employer shall ensure continued compliance with the provisions of the Code and rules made thereunder and intimate / update any change in particulars as required

---

FORM-4

{See sub-rule (5) of Rule-5 and Rule 80}

Register of Establishment and Principal Employers

S.no.	Nature of work	Registration No. and Date	Name and Address, location of the establishment registered	Name, Address and Contact Details of Employer/ Occupier	Details of Factory Manager (if any)	Maximum number of Workers to be employed
1	2	3	4	5	6	7
	(a) Factories (b) Plantation (c) Motor transport undertaking (d) Beedi and cigar work (e) Building and other Construction work (f) Audio-visual production (g) Contract work (h) Interstate Migrant Work (i) Any other work (not covered above)					

Total Horsepower (if any)	Total number of contractors	Maximum number of contract Workers to be employed on any day	Contract labour licence expiry date	Nature of work of contractual labour	Remarks
9	10	11	12	13	16

FORM-5
{see sub-rule (1) of rule 7}

Notice for commencement or cessation or completion of work

A- Notice of Commencement / cessation of Establishment:

1. Registration No and type of establishment:
2. Name and Address of Establishment:-

3. Name & Designation of employer:-

4. Full address to which communication relating to the establishment to be sent :-

5. Nature of work of the establishment :-

6. In case of the notice is for commencement of work the approximate duration of work {(in case of Establishment relating to BOCW)}:-

7. in case of cessation, the date of cessation:

I/We hereby intimate that the work of establishment having registration No. .....dated ..... is likely to commence/cessation/ is likely to be completed with effect from ..... (Date)/ On ..... (Date)

B- In case of cessation of work:

I/we hereby certify that the payment of all dues to the workers employed in the establishment have been made and the premises are kept free from storage of hazardous chemicals and substances.

Signature of the Employer

To,
1. The Registering Officer,
……
2. The Inspector-cum-Facilitator,
……

FORM-6
{See sub-rule (1) of Rule 10 and sub-rule (3), (5) of rule 59}

Attendance Register

Name of Factory or Department……..

	Time of commencement of work	Rest period				Time of completion
		From	To	From	To	
Monday to Friday Saturday Sunday System of rotation of relays						

Serial No.	Employee code	Name of employee	Father's name	Nature of work	Department	Corresponding to that in Form-13		1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th 10th	11th 11th	12th 12th	13th 13th
						Group or relay	Shift													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Month..... Year.....																				

14th	15th	16th	17th	18th	19th	20th	21th	22th	23th	22th	25th	26th	27th	28th	29th	30th	31th	Total No. of days worked	Rate of basic wages	Rate of allowance, if any	Total hours of overtime
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

Rate of overtime	Deduction, if any		Fine	Actual wages paid	Total number of weekly holidays lost by the worker	Date(s) on which compensatory holiday(s) Will be given	Remarks of indication showing that the payments have been made together with the dates
	On account of provident fund	On account of advances					
44	45	46	47	48	49	50	51

FORM-7

{see sub-rule (2) of rule 13 and sub-rule (5) of Rule 74 and sub-rule (3) of Rule 125 and sub-rule (1) (c), of Rule 139 and sub-rule (1), (2) of Rule 167}

Health Register

The medical examination shall be conducted by a qualified medical practitioner as per following proforma:

A. Demographics:

Question	Answer	Remarks
Date		
Name of worker		
Age		
Permanent address		
Gender		
Total Number of family Members		
Total monthly family Income		
Is the employee under ESI (Employees' State Insurance) Scheme? If yes, provide IP Number	Yes/No	
Is the employee under any other health scheme apart from ESI-Scheme? (If yes, provide the name of the scheme)	Yes/No	

B. Occupational History:

Question	Answer	Remarks
Present Designation		
Work Profile		
Duration of service in the present work profile		
Working Hours per shift		
Night Shift Per Week		
Night Shift per Month		

C. Brief Review of Medical History: Diagnosed previously or currently under treatment or Currently suffering from

Question	Answer (yes/no)	Remarks
Anemia		
Jaundice		
Asthma		
COPD		
History of Any other Lung Disease: (If Yes, Please Specify)		
Vertigo/Dizziness		
Diabetes Mellitus		
Hypertension		
Any Cancer (If Yes, Please Specify the Cancer)		
Chronic Low Back Pain		
Chronic Pain in hand or Elbow		
Hernia		
Hydrocele		
Varicose Vein		
Haemorrhoids		
History of amputation/fracture/dislocation injury during work (If Yes, please specify)		
Dermatitis (If Yes, specify Site)		
Hearing Impairment		

Visual Impairment		
Any Major Illness requiring hospitalization in last 1 year (If Yes, Name of the Disease)		
Occupational Injury in Last 1 year: if yes Specify the Location of injury and frequency		

D. Current Symptoms-Diseases Module

Question	Answer (yes/no)	Remarks
Smoking habit		
Chewing Tobacco or Pan Masala or Gutkha		
Alcohol Addiction		
Dermatosis (Irritant Contact Dermatitis/ Eczema/ Chloracne/ Allergic Contact Dermatitis)		
Mucosal Irritation of eyes/Nose/Throat with response to chemical agent or biological agent		
Symptoms like Respiratory Difficulty/ Chest Tightness/ Dry Cough at beginning of shift		
Currently suffering from TB		
Jaundice or Hepatitis		
Currently suffering from Low Back Pain		
Currently suffering from Pain in hand or Elbow		
Currently suffering from Visual Problems		
Currently suffering from Hearing Problems		
Any current injury (amputation/ fracture/ dislocation)		
Any current musculoskeletal sprains/ strains		

E. Physical Examination

Question	Answer (yes/no)	Remarks
Date of examination		
General Skin Condition: (If Any Dermatitis, please mention its location)		
Weight (in Kg)		
Height (in Meter)		
Temperature (^{0}F)		
BP		
Pulse		
SPO2		
Respiratory Rate		
Examination of Breast of female-employee		

F. Investigation report:

(a) Routine blood investigation (attach the photocopy of the report)

(b) Blood grouping and Rh Typing and Hb Electrophoresis (once in a life time)

Parameter	Answer (Normal/ Increase/ Decrease)	Value
Hb%		
Total WBC Count and Differential Count		
Platelet Count		
ESR		
FBS		
PPBS		
HbA1C level		
BUN		
Creatinine		
Total Protein		

Albumin		
Globulin		
SGOT		
SGPT		
Bilirubin		
Urine RE		
Urine ME		
Prostate Specific Antigen (PSA)		

G. Standard Chest X-ray (PA) view (attach the copy of the report):

Parameter	Answer (Normal/ Abnormal)	Value (if any importance)
Date		
Report		

H. Eye examination: (attach the photocopy of the report)

Parameter	value/ result/ interpretation
Date	
Visual inspection of Eye for any abnormality like corneal opacity/scaring, cataract etc.	
Visual Acuity: Right	
Visual Acuity: Left	
Colour Vision	
Field of Vision	
Binocularity	
Lateral Phoria	
Vertical Phoria	
Stereoscopic Vision and Depth Perception Testing	
Fundus (Retina) examination	

I. ECG and Echocardiography:

J. Final report:

K. MEDICAL FITNESS TESTS FOR PERSONS WORKING AT HEIGHT (as may be applicable):

L. Detailed Medical History and in-Depth General Medical Examination including tests for Vision, Hearing, Musculoskeletal System, Respiratory System, Cardiovascular System etc. (As applicable to all employees)

M. Special Examination

a) Cardiovascular: Uncontrolled hypertension or ischemic heart disease will be a contraindication. In the presence of hypertension and abnormal ECG findings, the employee should be referred to a Cardiologist for fitness.

b) Tests for Labyrinthine functions and for sense of position Eye Examination for Bilateral Nystagmus, Romberg sign. The presence of bilateral nystagmus and a positive Romberg sign will be an absolute contra-indication.

c) Neurological examination Evaluate seizure disorders: CT Scan of Brain and E.E.G if indicated

d) Assessment of Diabetic Control Status: (in case of employees suffering from Diabetes Mellitus)

e) Assessment of Phobia (Acrophobia) and any other Mental Health Disorder like Anxiety or Depression

f) Evaluation for Vertigo and Dizziness

N. For use of Industrial Safety Section:

1. Walking freely over a horizontal bar at 1 ft. height: PASS / FAIL
2. Wearing a safety belt and tying the rope knot: PASS/ FAIL
3. Walking over a horizontal structure at 9 ft. height wearing a belt: PASS/ FAIL
4. General physique (O.K./NOT O.K): PASS/ FAIL

O. Any other information/examination/biological investigation/test as mutually agreed by the employer and qualified medical practitioner.

Signature, seal and registration no. of qualified
medical practitioner / factory medical officer

Signature & seal
Medical Officer

FORM-8

{see sub-rule (2) of rule 13 and sub-rule (2) of Rule 75 and sub-rule (2) of Rule 139}

Certificate of Fitness

Serial Number:-

1. I certify that I have personally examined Sh/Smt…… son/daughter of ……., residing at …….. who is desirous of being employed as ……(designation)in ……..(process, department and factory/Establishment) and that his age…….., as nearly as can be ascertained from my examination, is …….years, and that he is, in my opinion, fit/unfit for employment in the above mentioned factory/Establishment.
2. He may be produced for further examination after a period of…….
3. The serial number of the previous certificate is……
4. I extend this certificate until (if certificate is not extended, the period for which the worker is considered unfit for work is to be mentioned)
5. Signs and symptoms observed during examination-
6. Comments/ Recommendations, if any-

Signature/ Left Thumb impression of the person examined.	
	Date .....

Signature, seal and registration no. of qualified
medical practitioner / factory medical officer

Signature & seal
Medical Officer

FORM-9

(See sub-rule (1) of Rule 14)
Letter of appointment to employees

1. Name of establishment:
2. Name of employee:
3. Employee's distinct number or code:
4. Father's name:
5. Aadhar number:
6. Labour Identification Number (LIN) of the establishment:
7. Universal Account Number (UAN)/Insurance Number (ESIC):
8. Designation:
9. Category of skill:
10. Date of joining:
11. Wages, Basic Pay & Dearness Allowance:
12. Other allowance including accommodation whichever is/are applicable:
13. Avenue for achieving higher wages/higher position:
14. Applicability of social security EPFO and ESIC benefits applicable:
15. Health check-up:
16. Broad Nature of duties to be performed:
17. Any other information:

Signature
Occupier/employer
/owner/agent/manager

FORM-10

{ See sub-rule (1), sub-rule (2) of rule 15}

Notice of Accidents, or dangerous occurrence resulting in Death or Bodily Injury or disability

Dated.....

To,

.....

.....

Sir,

I hereby give notice under Section 10 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 that fatal/non-fatal accident occurred in this establishment to the person mentioned below:

1. Name of occupier/Employer.....
2. Address of E.S.I. Employer's Code No.....premises where accident or dangerous occurrence took place.....
3. Nature of Industry.....
4. Branch or department and exact place where the accident or dangerous occurrence took place.....
5. Name and address of injured person.....
   (a) Sex.....
   (b) Age (last birthday).....
   (c) Occupation of the injured person.....
6. Local E.S.I. Office to which the injured person is attached.....
7. Date, shift and hour of accident or dangerous occurrence.....
   (a) Hour at which the injured person started work on the day of accident or dangerous occurrence.....
   (b) Whether wages in full or part are payable to him for the day of the accident or dangerous occurrence.....
8. Cause or nature of accident or dangerous occurrence.....
9. Cause of accident or dangerous occurrence:
   (a) If caused by machinery.....
      (i) Give the name of the machine and the part causing the accident or dangerous occurrence.....
      (ii) State whether it was moved by mechanical power at that time.....
   (b) State exactly what the injured person was doing at that time.....
   (c) In your opinion, was the injured person at the time of accident or dangerous occurrence.....
      (i) Causing contravention of provisions of any law applicable to him, or
      (ii) causing contravention of any orders given by or on behalf of his employer, or
      (iii) causing without instructions from his employer.
   (d) In case reply to (c), (i)(ii) or (iii) is in the affirmative whether the act was done for the purpose of securing safety in connection with the employer's trade or business.
   (e) In case the accident or dangerous occurrence happened while travelling in the employer's transport state whether.....
      (i) the injured person was travelling as a passenger to or from his place of work.....
      (ii) the injured person was travelling with the express or implied permission of his employer,
      (iii) the transport is being operated by or on behalf of the employer or some other person by whom it is provided in pursuance of arrangements made with the employer, and
      (iv) the vehicle is not/being operated in the ordinary course of public transport service.

(f) In case the accident or dangerous occurrence happened while meeting the emergency state.....

(i) its nature.....

(ii) whether the injured person at the time of accident or dangerous occurrence was employed for the purpose of his employer's trade or business in or about the premises at which the accident or dangerous occurrence took place.

(g) Describe briefly how the accident or dangerous occurrence occurred.

(h) Name and addresses of witnesses : (1) …… (2) ……

(i) (a) Nature and extent of injury (e.g. fatal, loss of finger, fracture of leg, sealed or scratch and followed by sepsis.)

(b) Location of injury (right leg, left hand or left eye etc.)

(j) (a) If the accident or dangerous occurrence is not fatal, state whether the injured person was disabled for more than 48 hours.

(b) Date and hour of return to work.

(k) (a) Physician, dispensary or hospital from whom or in which the injured person received or is receiving treatment.

(b) Name of dispensary/panel doctor selected by the injured person.....

(i) Has the injured person died.....

(ii) If so, date of death.....

I certify that to the best of my knowledge and belief, the above particulars are correct in every respect.

Signature
Name and Designation of the
Occupier or Manager-Employer
Employer's Address and Code No

(This space is to be completed by the Inspector-cum-Facilitator)

Date of receipt.

Number of accidents or dangerous occurrences. Causation number, other particulars (e.g. fatal leg injury, arm injury, etc.)

Date of Investigation.....

Result of Investigation.....

FORM-11

{See sub-rule (3) of rule 15}
Notice of dangerous occurrence

1. Name and address of Establishment.....
2. Name of the Occupier/Employer.....
3. Name of the Manager.....
4. Name of Industry.....
5. Branch or Department and exact place where the dangerous occurrence took place.....
6. Date and hour occurrence.....
7. Nature of Accident or Dangerous Occurrence (state exactly what happened).
8. Details of Employees affected by such dangerous occurrence.

Sr.no	Name of the Employee	Employee Code	Designation

I certify that, to the best of my knowledge and belief, above particulars are correct in every respect.

Signature of the Occupier /
Employer/ Manager.

Date of dispatch of report…….

(This space to be completed by Inspector-cum-Facilitator)

District..... D.O. No..... Causation No.....	Date of receipt..... Date of investigation.....
Result of investigation:	

FORM-12

{See Rule 17}

NOTICE OF DISEASE

(1) Name and address of establishment:
(2) Nature of establishment:
(3) Details of Patient:
  (a) Name of Patient:
  (b) Age and gender:
  (b) Works number of Patient:
  (c) Address of Patient:
  (d) Precise occupation of patient:

(4) Nature of disease from which patient is suffering:
(5) Date of Detection of Disease:
(6) Details of Medical Practitioner:
(7) Has the case been reported to the Medical Officer :

Signature of employer or
occupier or manager

Date:

FORM -13

{see sub-rule(2) of rule 54}

Notice of period of work

Date of enforcement.....

Name of establishment under which it is registered/proposed to be registered.....
place.....district.....

Group	Nature of work of each group	Number of workers employed in each group		Relay or set of workers	Shift or period of work	Number of hours of employment per day of ……..all employee for each relay													
						Monday		Tuesday		Wednesday		Thursday		Friday		Saturday		Sunday	
		Permanent	Temporary			Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Hours (time) of beginning and ending work for each relay, group and intervals of rest fixed under rule……..

Worker	Group	Name of work of each group	Relay or set of workers	Shift or period of work	Work commences		Rest interval or intervals	Work end								
					Mondays to Fridays	Saturdays	Sundays	From	To	From	To	From	To	Mondays to Fridays	Saturdays	Sundays
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Men Women Adolescent																

Charts showing the relation of relays working on continuous processes similar to those prescribed in schedule-II

First week	Second week	Third week
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.	Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.	Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.
Shift Relay		

Factory Manager's Signature..... Signature of inspector-cum- Facilitator……

Instructions to be followed while filling in the notice of periods of work

1. Divide all the workers into groups according to their nature of work. Show the number of workers working in each group.

2. Use numerical (1, 2, 3 and 4, etc.) for groups.

3. Show the nature of work against each group.

4. Make relays of groups accordingly specify them as I, II, III, etc.

5. Show the daily working hours exclusive of periods of the fixed rest interval of each relay or set of workers in the upper half of the notice.

6. Use letters, A, B, C, etc. for shifts and periods of work.

7. Do not arrange the shift in such a way that more than one relay of workers is engaged in work of the same kind at the same time as overlapping shifts are prohibited .

8. Arrange the periods of work for employee in such a way that no adult worker is required to work for more than8 hours in any day and that no worker shall work more than 5 hours before he has had an interval of rest for at least half an hour

9. Arrange the working hours in such a way that weekly hours of the workers do not exceed 48 hours a week . Arrange the periods of work of adult workers in such a way that inclusive of rest interval they shall not spread over more than 10-1/2 hours .

10. Show the weekly holiday for each relay or set of workers in the foot-note of each notice.

11. Submit the notice of periods for work in duplicate to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction before the day it is enforced. If there is any change in the system of work a revised notice of periods for work shall be submitted [Section 31]

Special instructions for filling in the chart which is to be used only in cases of relays working on continuous process or of sets of workers working in successive periods.

I. Show the periods of work Inclusive of rest intervals of adult workers on continuous processes in the upper half of the notice.

FORM-14

{See sub-rule (1) of Rule 56}

LEAVE BOOK

NAME OF ESTABLISHMENT .....

Serial No:-..... Department:-……..... Serial no. or code in the Register of employee ..... Date of entry into service:-.....	Name:-..... Father's name:-……..... Date and amount of payment made:-……. in lieu of leave due:-…….....

1	Calendar year service	
2	Wage paid from.....to.....	
3	Wages earned during the wage period	
4	No. of days of work performed	No. of days worked during the calendar year
5	No. of days of lay-off	
6	No. of days of maternity leave	
7	No. of days of leave enjoyed	
8	Total of Columns 4 to 7	
9	Balance of leave from preceding year	Leave to credit
10	Leave earned during the year mentioned in Column 1	
11	Total of Columns 9 and 10	
12	Whether leave in accordance with scheme under Section 32 was refused	
13	Leave enjoyed from……....to……	
14	Balance of leave to credit	
15	Normal rate of wages	
	Remarks if any	

FORM-15

{See Rule 57}

Leave with wages register

NAME OF ESTABLISHMENT .....

Serial No:-..... Department:-..... Serial no. or code in the Register of employee.:-..... Date of entry into service:-…….....	Name:-..... Father's name:-..... Date and amount of payment made in lieu of leave due:-.....

1	Calendar year service	
2	Wage paid from.....……to.....	
3	Wages earned during the wage period	
4	No. of days of work performed	No. of days worked during the calendar year
5	No. of days of lay-off	
6	No. of days of maternity leave	
7	No. of days of leave enjoyed	
8	Total of Columns 4 to 7	
9	Balance of leave from preceding year	Leave to credit
10	Leave earned during the year mentioned in Column 1	
11	Total of Columns 9 and 10	
12	Whether leave in accordance with scheme under Section 32 was refused	
13	Leave enjoyed from.....to.....	
14	Balance of leave to credit	
15	Normal rate of wages	
18	Remarks	

Date: Signature of employer or person authorized by him

Form 16
{see Rule 60}

Register of Accidents and Dangerous Occurrences

Serial No.	Date of report in Form-10/11 to inspector cum-Facilitator and notice to insurance authorities	Time of report and notice	Name and address of the injured person	Sex	Age	Insurance No.
1	2	3	4	5	6	7

Shift, department and occupation of employee	Injury or details of dangerous occurrence					
	Date	Time	Place	Cause of injury or dangerous occurrences	Nature of injury or dangerous occurrences	What exactly was the injured person doing at the time of injury
8	9	10	11	12	13	14

Name, occupation, address and signature or thumb-impression of the person giving notice	Signature and designation of the person who makes the entry	Name, address and occupation of two witnesses	Date of return of injured person to work	Name of the State Insurance Local Office to which the injured person is attached	Remarks, if any
15	16	17	18	19	20

FORM-17

{see sub-rule (a) of Rule 62}

Annual Return

Year ending 31st December, 20…

1. Licence number issued by the Chief Inspector-cum-Facilitator/Registering officer …….
2. Name of the factory/ Establishment:-.....
3. Name the occupier/Employer:-…….....
4. Name the manager.....since……
5. District:-…….....
6. Postal address, email-address and mobile no.....
7. Nature of Establishment/Industry (General/Hazardous/MAH).....
8. Main work/product of the establishment……..
9. Details of employment:
   (i) Average number of employees employed daily…….
   (ii) Average number of workers [Section 2(1)(zzl)] employed daily……

The average daily number should be calculated by dividing the aggregate of attendance on working days by the number of working days in the year.[In reckoning attendances (1) attendance of an employee for less than half of his scheduled working hours on a working day shall be omitted,and attendance for half of his scheduled working hours or more on a working day shall be treated as full attendance (2) attendance of both temporary as well as permanent workers shall be counted. Attendances on separate shifts (e.g. night and days shifts) should be counted separately. Days on which the factory was closed, for whatever cause, and days on which the manufacturing processes were not carried should not be treated as working days.

	Employees directly by, Employer	Employees directly by the contractor	Total average	Number of apprentices	Number of "other apprentices"
Men					
Women					
Adolescent					
Total					

10. Name, address and email- address of the contractor (s).....
11. Working hours:
    (a) Normal hours worked per week for

        Male Worker.....

        Women Worker.....

        Other Apprentices.....

    (b) Total normal Man hour worked under Section 25…….

(Explanation; Man hour includes work done by employees)

12. Number of days worked in the year…..
13. What rest for intervals were given to employees (half an hour or one hour or two hour or others) .....
14. Whether first day of week was substituted as weekly holidays ? …….Such numbers.....
15. Was the factory or part of factory is engaged in continuous process under schedule-II (details of class of work).....
16. Over time(Section 27):

    Total Man hour worked during the period under Section 27……

17. Average number of women employees engaged in a shift or part thereof (Between 7 PM to 6 AM)
    (a) Between 7 PM to 10 PM…….
    (b) 10 PM to 6 AM……
18. Compensatory Holidays
    (1) Number of workers exempted from Section 26 of the code.....
    (2) Number of workers, who received holidays in the—

        (a) Same month.....

        (b) Following month.....

        (c) Third month.....

19. Leave with Wages(Section 32):

    (a) Total number of persons employed during the year …….....

    (b) Number of persons who are entitled to leave with wages during the year preceding the year for which this return is submitted ……

    (c) Number of persons who are entitled to leave with wages during the year for which this return is submitted ……

    (d)Number of persons who were granted leave during the preceding year……

    (e)Number of persons who were granted leave during the year for which the return is submitted ……

    (f)(i) The total number of workers discharged or dismissed from service during the year.....

    (ii) Number of discharged workers paid wages in lieu of leave.....

    (iii) Total amount of wages paid in lieu of leave.....

    (iv) Total number of workers who left the services of their own accord.. .....

    (g) Number of persons who gave notice not to avail themselves of leave during the year in which leave accrued …….

20. (i) Total number of days of involuntary unemployment during the year……

    (ii) Number of unemployed workers.....

21. Does the factory come under—

(i)Section 2(1)(za)……..

(ii) Section 82…….

(iii) Section 80……

22. Average daily number of employee employed in dangerous operations or Hazardous Process in a factory or building and other construction work…….....

23. (i) No. of safety officers employed under Section 22……

(ii) Name of chief safety officer and email address……..

(iii) Name of the secretary of safety committee …….

24. If welfare officer is appointed under Section 24(2)(iv)…….

25. Is a canteen provided in compliance of Section 24(1)(v) and Rule made therein …….

Does the canteen provide—								
Cooked food and refreshment, etc.	Cooked food only	Refreshment and tea only	Tea only	Approximate number of workers patronizing canteen (daily)	Are the charges levied below cost price, if so, state items provided below cost price	Percentage of expenditure borne by the employer (details regarding items, if any, and amount subsidized should be given)	How is the canteen managed	General remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*(Point 25)-

1. If the columns are insufficient for giving details, a separate sheet may be attached and detailed information submitted.

2. Enter "Nil" against the column which is not applicable to your factory.

26. CRECHE (For establishment ordinarily employing more than 50 workers)

Is a creche room provided/arranged in compliance of provisions of the Section 24(3) and rule made therein: ……..

[Provide Details , a separate sheet may be attached]

27. SHELTERS, REST ROOMS OR LUNCH ROOMS (For establishment ordinarily employing more than 50 workers)

Is a shelter, rest-room or lunch room provided in compliance of Section 24(2)(iii) and Rule made therein in addition to a canteen? [Provide Details , a separate sheet may be attached]

Average daily attendance of workers of shelter, rest room or lunch room	Details of facilities provided for drinking water	Details of accommodation, furniture and other equipments provided	General remarks
1	2	3	4

28. ACCIDENTS

"Fatal and non-fatal accidents"

1			2	3	4					
Total number of accidents of dangerous occurrences during the year			Number of persons killed	Number of persons injured	Non-fatal accidents in which the workers returned to work during the year					
					Occurring during the year			Occurring during the previous year		
fatal	Non fatal	injury			Number of accidents	Number of persons injured	Number of man- days lost on account of absence	Number of accidents	Number of persons injured	Number of man- days lost on account of absence

Total no. of fatal accidents in preceding year of this return period……

I/We certify that information given by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge.

The employer of every establishment shall furnish to Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction on or before 31 January of each year an annual return in the form set forth for it.

Signature of Manager.....	Signature of Employer.....
Dated.....	

FORM-18

(see sub-rule (b) of Rule 62)

Half Yearly Return

Period ending ……. 30 june, 20……..

1. Licence number issued by the Chief Inspector-cum-Facilitator .

2. Name of the factory.....

3. Name the occupier.....

4. Name the manager…… since.....

5. District.....

6. Postal address, email-address and mobile no.....

7. Nature of industry (Hazardous/MAH).....

8. Main product of the factory……..

9. (i)Average number of employees employed daily…….

(ii) Average number of workers [Section 2(1)(zzl)] employed daily……

The average daily number should be calculated by dividing the aggregate of attendance on working days by the number of working days in the year.[In reckoning attendances (1) attendance of an employee for less than half of his scheduled working hours on a working day shall be omitted, and attendance for half of his scheduled working hours or more on a working day shall be treated as full attendance (2) attendance of both temporary as well as permanent workers shall be counted. Attendances on separate shifts (e.g. night and days shifts) should be counted separately. Days on which the factory was closed, for whatever cause, and days on which the manufacturing processes were not carried should not be treated as working days.

	Employees directly by, occupier	Employees directly by the contractor	Total average	Number of apprentices	Number of "other apprentices"
Men					
Women					
Adolescent					
Total					

10. Name and address and email- address of the contractor (s).....
11. Number of days worked in the period……
12. Total no. of fatal accident or any death in the period ……
13. Month of audit in the year ……

14. If recommendations made in audit have been complied with(Yes/NO) …

I/We, certify that information given above by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge.

....

Signature of Employer Signature of Manager

FORM-19

{See sub-rule (2) of Rule-64}

Nomination Form

This nomination is being done on the …… (date) day of …….. (month) ……. (year).

I, …….. son/ daughter of ……. hereby require that in the event of my death before resuming work, the balance of my pay, due for the period of leave with wages not availed of shall be paid to …….. who is my …… (relation).

Witness:

(1)
Signature-
Name-
Address-
Identity proof number-

(2)
Signature-
Name-
Address-
Identity proof number-

Signature and address of the employee

FORM –20
{See sub-rule (3) of Rule 68}

COMPLIANCE/IMPROVEMENT NOTICE

Inspector-cum-Facilitators notice to the employer/ of the establishment for compliance/ improvement

To,
The occupier/ employer,
……
……

Name and address of the establishment	Location of work place where such work is being caried on	Registration number of the establishment	Activities involved
1	2	3	4

Since the undersigned made an inspection in your establishment ……. located at …….. on date …… and in the course of inspection, the undersigned found some contraventions and is of the opinion that the following contraventions, which were found in your establishment needs improvement as per the provisions of the Code, rules and regulations made thereunder and other laws in force-

An inspection of the above-named establishment was made on ....., the following contraventions were observed.

1. ……..
2. ……..
3. ……..
4. ……..

You are hereby required to remedy the said contraventions and send the compliance report in writing within seven/fifteen days from the date of receiving this notice.

This notice is being issued without prejudice to any legal action which may be taken for these contraventions. On hearing from you that the requirements have been complied with, the establishment may be again visited as deemed necessary, with a view to verify the compliances done for contravention or irregularities.

Order No. …….

Dated at ……. this …… day of 20…..

Inspector Cum
Facilitator
under the
Occupational Safety, Health
and
Working Conditions
Code, 2020

FORM- 21
{See rule 71}

Application form for recognition or renewal of recognition of Third party Auditor
(to be filled in by individuals)

1. Name:
2. Father/Husband Name:
3. Date of Birth and Age:
4. Permanent Address:
5. Address for :
   (a) Correspondence-
   (b) Telephone No. :
   (c) Mobile No. :
   (d) Fax :
   (e) E-mail :
9. Educational Qualification : (Attach Certified copies)
   [Sr.No/ Degree/Diploma College/Institution/University Year of completion]

10. Applicant's Latest Photograph signed across.
11. Technical Qualification in Safety (Attach certified copies)
    [Sr. No/ Degree/Diploma College/Institution/University Year of completion]

12. Work Experience (Attach certified copies)
    [Sr. No/ Employment Date/ Name and address of Employer /Designation/ Nature of work/From - To]

13. For renewal of recognition.-
    Certificate No. and date:

DECLARATION

I hereby declared that,

(a) my recognition as a Third party Auditor was not revoked or cancelled by the State Government in the past;
(b) my recognition as a Third party Auditor was revoked or cancelled in the past, and its details are as follows :-

Date of revocation or cancellation
Order number and date, if any
Period From- To

Note.- If the recognition was cancelled or revoked twice in the past, the Third party Auditor is not eligible for recognition.

(c) I have carried out three or more than three, Audits in the past two years, the list showing the name, address of the factory and date of audits are attached herewith.
(d) I, ---------- hereby declare that the information furnished above are correct to the best of my knowledge.

I, …….. undertake to:
(iii) Maintain the facilities in good working order, and
(iv) Fulfill and abide by the conditions, if any, stipulated in the certificate of recognition.

Date:
Signature of the Applicant
Place: Full Name:

FORM-22

{See rule 71}

Form of Application for recognition or renewal of recognition to an institution as Third party Auditor

1. Name and full address of the Institution:
2. Institution status (specify whether Government, autonomous, co-operative, corporate or private) with registration number:
3. Correspondence Details of institution:
   (a) Name of head of Institution
   (b) Phone/Mobile No.
   (c) E-Mail address
   (d) Fax
4. Whether the Institution has been declared as a Third party Auditor by this State or any other State? If so, give details.
5. Attach bio-data of at least three employed persons, in the Annexure attached to this application:
6. Any other relevant information
7. Certificate No. (in case of renewal)

DECLARATION

I hereby declare that,-

(a) Recognition of the institution as Third party Auditor was not revoked or cancelled by the State Government in the past;

(b) the recognition of the institution as Third party Auditor was revoked or cancelled in the past, its details are as follows:

Date of revocation or cancellation
Order number and date:
Period From- To:
Note.- If the recognition was cancelled or revoked twice in the past, the institution is not eligible for recognition.

(c) The institution has carried out three or more than three Audits in the past two years, the list showing the name, address of the factory and date of audits are attached herewith.

(d) I, …… hereby declare that the persons whose bio-data it attached to the application are the employees of the institution whose copies of appointment letters are attached herewith.

(e) I, ---------- hereby declare that the information furnished above for ---------- (name of the institution) is correct to the best of my knowledge.

(f) I, …… undertake to,-

(1) notify to the State Government and Chief Inspector-cum-Facilitator immediately, in case the employed person on the basis of which this recognition was procured when leaves the employment,
(2) Maintain the facilities in good working order,
(3) fulfill and abide by all the conditions stipulated in the certificate of recognition.

Signature of the Head of the Institution
Designation

Date:
Place:
Annexure:
Personal Information of the persons employed:

1. Name:
2. Father/Husband Name:
3. Date of Birth and Age:
4. Permanent Address:
5. Address for Correspondence:
6. Telephone No.:
7. Mobile No.:
8. Fax :

9. E-mail :
10. Educational Qualification: (Attach Certified copies)
    [Sr. No/ Degree/Diploma College/Institution/University Year of completion Latest Photograph signed across.]
11. Technical Qualification in Safety (Attach certified copies)
    [Sr. No/ Degree/Diploma College/Institution/University /Year of completion]
12. Work Experience (Attach certified copies)
    [Sr. No/ Employment Date Name and address of Employer/Designation/ Nature of Work, From---------- To----------]

DECLARATION

I, …… hereby declare that all information provided in this annexure is true and correct to the best of my knowledge. If recognized, I agree to abide by and uphold the high standard of professional ethics in discharge of my duties as a Third party Auditor.

Signature of the Applicant :
Full Name :

Date :
Place :

FORM-23

{See rule 71}

Certificate of recognition / renewal of recognition as a Third party Auditor.

CERTIFICATE NO.: ……..

It is to inform that M/S. / SHRI / SMT. ……, (address) …… ……., has been Recognized / Renewed the recognition as a "THIRD PARTY AUDITOR", by the State Government of Uttar Pradesh, vide letter No. …… dated……. for the purpose of carrying out Audit under Uttar Pradesh Occupational Safety, Health and Working Conditions Rules, 2024.

This Certificate is valid from ……..…….. to ……

This certificate is issued, subject to the conditions stipulated hereunder:

1. audit shall be carried out in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Occupational Safety, Health and Working Conditions Rules, 2024.
2. Every audit shall conform to the IS 14489:1998 or latest relevant standard applicable to the establishment.
3. He or the person authorized, in case of the institution, to carry out audit shall be physically present at the time of conducting the Audit and shall maintain the record of the work done in the Log Book.
4. Certificate No. and validity period should invariably be recorded on Audit Report.
5. No audit shall be carried out after expiry of validity period.
6. The State Government reserves the right to revoke, annul or amend this Certificate at any time during its validity.
7. He or the person authorized, in case of the institution, to carry out audit shall not conduct a Audit of any factory where such auditor is employed, or an occupier, partner, director or manager of that factory, or of any factory owned, operated, managed or conducted by immediate family members, relatives or extended family members or wherein that auditor or such person shall not carry out a audit of those factories to which that auditor supplies any plant, machinery, raw material, safety equipments or other materials, equipment.
8. He or the person authorized, in case of the institution, to carry out audit shall not disclose to any unauthorised person, even after ceasing to be a recognized Third party Auditor of the employee of the institution, any manufacturing or commercial secrets or working processes or other confidential information which may come to his knowledge in the course of their duties as an auditor. Any failure in this regard may make such auditor or person liable for criminal or civil Proceedings, in accordance with the law for the time being in force.
9. The application for renewal of the recognition as a Third party Auditor shall be made at least three months before the expiry of the period of recognition.

Signature of the issuing Authority.

FORM-24

{See rule 71}

PROFORMA FOR AUDIT REPORT

1. Name and address of the factory:
2. Name of the Occupier:
3. Date of Audit:
4. List of raw material with maximum storage quantity:
5. List of finished products with maximum storage quantity:
6. Manufacturing process flow chart:
7. P I Diagram of all plants (Chemical Factories):
8. Name of the Third party Auditor and Certificate No. and name of the person who has carried out audit:
9. Whether enclosed Audit Report as per IS 14489, or any such standards prevailing at the relevant time, whichever is latest:

Date:

Signature of Third party Auditor
/Person or employee of an Institution
authorized to carry out audit

I hereby undertake to submit the action taken report on Recommendations of Audit on or before ……

Date:

Signature of the Occupier
or Manager or Auditor.

FORM- 25
{See sub-rule (1) of rule 78}

Application for Licence/ Renewal of Licence/Amendment of Licence

I. Particulars of Establishment for which licence required:

1. Name of Establishment:

2. Address of establishment:

(a) Head Office address along with email Id :

(b) Corporate office address along with email Id:

3. Telephone Number:

4. Activity as per National Industrial Classification : (Select all applicable activities given)

5. Details of selected NIC Code:

6. Nature of work carried on in main establishment :

II. Details of Employer:

1. Full Name of Employer:
2. relationship with establishment.
3. Full Address of Employer:
4. Email Id of employer:
5. Mobile No. of employer:

III. Details of contractor applying for licence:

1. Name and address of the contractor (including his father's name in case of individuals) …….
2. Date of birth and age (in case of individuals) …….
3. Number and date of certificate of registration of the establishment under the code…….
4. Name and address of the principal employer ……..
5. Particulars of contract labour:
   (a) nature of work in which contract labour is employed or is to be employed in the establishment ……..
   (b) duration of the proposed contract work (give particulars of proposed date of commencing and ending) ……..
   (c) name and address of the agent or manager or contractor at the work site …….
   (d) maximum number of contract labour proposed to be implied in the establishment on any day
6. Maximum number of Inter-state migrant worker proposed to be employed on the Establishment on any date …….
7. Whether the contractor was convicted of any offence within the proceeding five years, if so, give details ……

8. Whether there was any order against the contractor revoking or suspending licence or forfeiting security deposits in the respect of an earlier contract, if so, the date of such order ……
9. Whether the contractor has worked in any other establishment we didn't past 5 years if so give details of the principal employer establishment and nature of work whether certificate by the principal employer in Form- 26 is enclosed ……
10. Amount of licence fee paid ……
11. Amount of security deposited ……..

Declaration: I, …… hereby declare that the details given above are correct to the best of my knowledge and belief.

Place: Signature of applicant
Date:

APPLICATION FOR AMENDMENT OF LICENCE

1. Licence No:
2. Date:
3. LIN & PAN
4. Name and address of the establishment:
5. Name and address of the contractor:
6. Details for which amendment is sought :
   (a) Maximum number of worker presently employed : (If there is increase in the maximum number of workers to be employed, then additional fees/security deposit as per law needs to be deposited:
   (b) Maximum number of Inter-state migrant worker proposed to be employed on the Establishment on any date ……..
   (c) Details of fees paid through e payment date on which made :
   (d) Other details requiring amendment in the licence issued (Necessary documents may be uploaded in support of change required)

Declaration: I, …… hereby declare that the details given above are correct to the best of my knowledge and belief.

Date of Application: Signature of the Contractor

FORM-26

{See sub-rule (2) of rule 78}

Form of Certificate by Principal employer

Certified that:

i. I have engaged the applicant …… (name of the contractor) as a contractor in my establishment for the work_____ to be carried out from _____(date) to _____(date).

ii. I undertake to be bound by all the provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 and the Uttar Pradesh Occupational Safety, Health and Working Conditions Rules, 2021 in so far as the provisions are applicable to me in respect of the employment of contract labour/inter-state migrant workmen* by the applicant in my establishment.

iii. The engagement of contract labour in the said work is not prohibited under section 57 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 or an award or a settlement.*

iv. My registration number as Principal Employer under the Code is ……..

*Please strike off whichever is not applicable.

Date: Signature of Principal employer

Place: Name and Address of Establishment

FORM-27
(See sub-rule (1) of Rule-79 and Rule-84)

Format of licence

Licence No. ---------- Date: ----------

Fees paid: Rs. ----------
Security deposit: Rs …….

1. Licence is hereby granted to .....under sub-section (1) of section 47 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 subject to the conditions specified in the Annexure.
2. Name and location of work .....
3. Name of the principal employer…….
4. Registration Certificate no. and date of the principal employer……
5. The licence shall remain in force till.....(date to be indicated)].
6. Maximum number of contract labour/migrant workmen to be employed on a single day under the licence :

Date..... Signature and Seal of the Authority

AMENDMENTS:

Year when Amended	Maximum number of Contract labour /workers on any one day	Date of payment of amendment fee	Date of Payment	Signature of the Issuing Authority

Signature of Authority

RENEWAL

Date of renewal	Fee paid for renewal	Date of expiry	Seal and signature of Authority
1.			
2.			
3.			

ANNEXURE

The licence is subject to the following conditions:

1. The licence shall be non-transferable.
2. The number of workmen employed as contract labour/migrant workmen in the establishment shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the licence.

3. Except as provided in the rules, the fees paid for the grant or, as the case may be, for renewal of the licence shall be non-refundable.

4. The rates of wages payable to the workmen by the contractor shall not be less than the rates prescribed for the employment under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) or Code on Wages, 2019 (29 of 2019), where applicable, and where the rates have been fixed by agreement, settlement, award, or by the State Government, not less than the rates so fixed.

5. In case where the workmen employed by the contractor perform the same or similar kind of work as the workmen directly employed by the principal employer of the establishment, the wage rates, holidays, hours of work and other conditions of service of the workmen of the contractor shall be the same as applicable to the workmen directly employed by the principal employer of the establishment on the same or similar kind of work; provided that in the case of any disagreement with regard to the type of work the same shall be decided by the designated authority or Inspector-cum-Facilitator whose decision shall be final.

6. In other cases the wage rates, holidays, hours of work and conditions of service of the workmen of the contractor shall be such as may be specified in this behalf by the designated authority or Inspector-cum-Facilitator

7. Every contract labour/migrant worker shall be entitled to allowances, benefits, facilities etc, as prescribed in the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) and rules made there under.

8. In every establishment where 20 or more women are ordinarily employed as there shall be provided 2 rooms of reasonable dimension for the use of their children under the age of six years. One of such rooms would be used as a play room for the children and the other as bed room for the children. For this purpose the contractor shall supply adequate number of toys and games in the play room and sufficient number of cots and beddings in the sleeping room. The standard of construction and maintenance of the creches may be such as may be specified in this behalf by the designated authority or Inspector-cum-Facilitator.

9. The licensee shall notify any change in the number of workmen or the conditions of work to the designated authority.

10. A copy of the licence shall be displayed prominently at the premises where the contract work is being carried on.

11. The contractor shall comply with all the provisions of the Code and these Rules.

12. The licensee shall, within fifteen days of the commencement and completion of each contract work, submit a return to the Authority designated under section 46 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) intimating the actual date of the commencement or, as the case may be, completion of such contract work in Form-28.

FORM-28

{see clause(k) sub-rule(2) of Rule- 79 and sub-rule (1) of rule 89}

Notice of commencement/completion of work

1. Name of the principal employer under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970)/Employer under the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996)/ Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2021 (37 of 2020)* …….
2. LIN/Pan No.
3. Email Id
4. Mobile No.
5. Name of the contractor (if applicable):
6. No. and date of Certificate of Registration/Licence * .....
7. Name of person in-charge of the work :
8. LIN/Pan No. of person in-charge of work:
9. Email Id of person in-charge of work:
10. Mobile No. of person in-charge of work:
11. The nature of work involved and the facilities, including any plant and machinery provided in establishment:
12. The arrangements for the storage of explosives, if any, to be used in the establishment:

I/We hereby intimate that the work …….. (Name of work) given to ……. (name of the contractor) having licence/ Registration Certificate No. ..... dated .....* has been/is likely to be commenced / completed with effect from ……..(date)/on (date).

To

1. The Authority
   ……..
2. The Inspector-cum-Facilitator
   ....

* Please strike off whichever is not applicable.

FORM-29
{see Rule-81}
Register of contractors

S. No.	Licence no. and date	Name and address of the Principal employer	Name and address of the contractor	Nature/ activity to be under taken by the contractor	Maximum workers to be employed on any day	Probable date of commencement	Date of cessation	Details of amendment if any	Renewed up to
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FORM-30
(see sub-rule (5) of Rule - 85)
Register of security deposit refund release

S. No.	Name and address of the contractor	Amount of security deposited	Date of security deposited	Amount released from security deposit for payment	Reference of order of authority for release of payment from security deposit	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

FORM-31

{See Rule-95}

EXPERIENCE CERTIFICATE OF CONTRACT EMPLOYEE

To whom so ever concerned

1. Name of contractor/employer*:
2. LIN/PAN No. of the contractor/employer *:
3. Email Id of the contractor /employer*:
4. Mobile No. of the contractor/employer *:
5. Nature and location of work:
6. Name of Principal Employer*:
7. LIN/PAN No. of the Principal Employer:*
8. Email Id of the Principal Employer :*
9. Mobile No. of the Principal Employer:*
10. Name of the worker*:
11. UAN / Aadhaar No.*:
12. Mobile No. :
13. Serial Number in the Employee Register:
14. Registration number, date and name of the labour and Board (if the contract labour is registered as a beneficiary with Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board or with Uttar Pradesh Unorganized Workers Welfare Board):
15. Period of Employment:
16. Designation:

Date: Signature of Contractor
Place: Seal

*Please strike off whichever is not applicable.

FORM-32

{See sub-rule (1) of rule 96}

Application for declaration of core activity

To,

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary,

Labour and employment,

Government of Uttar Pradesh.

Sir/ Madam,

1. ……(name and address of establishment) is engaged in manufacturing of …… .
2. The flow chart of manufacturing process is attached herewith.
3. ……activity is core activity/ non-core activity of the establishment.
4. The details of the activity in question …….

   …….

   …….
5. Details of grounds of the application ……..

   ……..

   ……
6. Number of workers employed in the activity in question ……..
7. Total number of workers employed in the establishment……

Prayer

…….

…….

Signature

(Name and Address)

Verification:

It is verified that the content of the application is true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Signature

(Name and Address)

FORM-33

(see sub-rule (1) of Rule-101)

Format of Agreement between audio-visual worker and producer of audio-visual program or contractor

This agreement is made on this day ..... month .....year.....between:

1. M/s …… (name of production house) (a sole proprietary concern/a firm registered under the Partnership Act, 1932/ a Company incorporated and registered under the Companies Act, 1956) having office at ..... (herein after referred to as the "Producer") on the first part

and

2. Shri/ Smt/ Kum ..... son/ daughter/ wife of Shri ..... residing at (herein after referred to as the "audio-visual worker") on the second part.

The terms "Producer" and "audio-visual worker" shall include their heirs, successors, administrators and legal representatives;

Whereas the Producer is engaged in the audio-visual production as defined in section 2(e) of The Occupational Safety, Health And Other Working Conditions Code 2020;

Whereas the said producer is desirous to engage the Audio-Visual Worker in the capacity of a ..... in the aforesaid Audio-Visual production and the Audio-Visual Worker accepts the same;

Now, therefore this agreement is made as follows:

1. That both the parties agree that the duration of this agreement shall be form the date hereof till the completion of the Audio Visual production and this period shall not exceed..... consecutive months;
2. That the Audio-Visual worker agrees to attend studio, location or work place, as the case may be, subject to the requirement of his previous engagement and on his confirmation, to his respective job punctually as and when he shall be required by a written intimation by the Producer or the person duly authorised by him in writing.

3. That in consideration of the Audio-Visual Workers' services, as aforesaid, the Producer agrees to pay and the Audio Visual Worker agrees to receive a sum of Rs. ..... (Rupees .....) payable as advance on signing of this agreement and the balance of Rs. .....payable in ..... equal instalments;

4. That in the event of the Audio Visual production being not complete within the stipulated period and the Producer still needing the services of the Audio Visual Worker to complete the production, the producer agrees to pay and the Audio Visual Worker agrees to receive additional remuneration on pro-rata basis, payable in the same manner as stated in Clause 3 above, till the completion of the Audio Visual production;

5. That in case the assignment of the Audio-Visual worker is completed earlier that the period stipulated in Clauses 1 and 4 above, the Producer shall settle the account of the Audio-Visual Worker and pay the remaining balance of the agreement amount in full before the commencement of re-recording work/censor of the Audio Visual production, whichever is earlier.

6. It is agreed by the Producer that for the purposes of this agreement-

   (a) a working day shall mean a period not exceeding eight consecutive hours (to include one hours' break for rest and refreshments) ;

   (b) a working week shall mean a six-day week from Monday to Saturday, both inclusive, and the Audio Visual Worker is not liable to work on Sundays and Public Holidays :

(c) the Audio Visual worker shall not be required to work for more than five consecutive hours without a break ; and

(d) a period of not less than twelve hours shall elapse between the Audio Visual Worker's release from the studio/location/work-place and the next succeeding call.

7. That the Audio Visual Worker shall, if so required,-

(a) attend the studios, location or work-place, as the case may be, earlier than the a scheduled time of the shift, for preparatory work, and in that case, he/she shall be paid by the Producer extra wages at the rate of Rs. ..... per hour or part thereof for such early attendance;

(b) continue to work beyond the working day, with one hour break and in that case, he/she shall be paid by the Producer extra wages at the rate of Rs. ..... for the work during the extended hours and refreshments, and transport facilities.

8. That the Producer shall provide transport and food or pay travelling allowances to and fro to report to duty and food allowance while on duty as are customary or fixed by bilateral arrangements between the Producer's and Audio Visual Worker's representative organisations;

9. That the Producer shall also pay for all travelling and accommodation expenses, fares, cost of food and such other allowances as are customary when the Audio Visual Worker is required to work on location outdoors;

10. That the Producer shall get the Audio Visual Worker insured for any injury or damage to his/her person including death caused by accident arising out of or in the course of his/her employment and/or during the period of his/ her assignment under this agreement;

11. That where the Producer is prevented from proceeding with the production of the Audio-Visual by reason of fire, riot, natural calamity, order of the public authority or any other reason beyond his control:

(a) he shall be entitled to suspend the operation of this agreement during the period of suspension of production in case the production is suspended. The producer shall serve notice in writing of such suspension on the Audio Visual Worker and shall pay all his/her dues up to the date of service of such notice. Upon resumption of work on the film, this agreement shall revive and shall remain valid for the period stipulated in Clause I excluding the period of suspension therefrom ; or

(b) he shall be entitled to terminate this agreement as from the cessation of production, in case the production ceases completely. The producer shall serve a notice in writing of such cessation on the Audio Visual Worker and make payment of all the amount due to the Audio Visual Worker at the time of termination.

12. That in case if the Producer desires to terminate this agreement before the expiry of its term for reasons other than misconduct in relation to performance of the Audio Visual Worker's duties or of his/her unwillingness to perform the services required under this agreement, the producer shall be entitled to do so only upon payment of the balance of the stipulated amount of the agreement. Only after such payment to the Audio Visual Worker, the Producer shall be entitled to employ another Audio Visual Worker in his/her place;

13. That the Producer shall have the right to terminate this agreement on ground of misconduct on the part of the Audio Visual worker in relation to performance of his/her duties or his/her unwillingness to perform the service required under the agreement, upon payment to the Audio Visual worker of the amount due at the time of termination, calculated taking into consideration the Audio Visual worker's total work in the film and the work he/she has completed till the date of termination of this agreement. In case of any dispute regarding the termination or other conditions

of services between the Producer and the audio-visual worker, the dispute resolution mechanism, process and constitution of Authorities and Courts shall be such as provided in the Code of Industrial Relations, 2020 and rules made thereunder by the State Government of Uttar Pradesh.

14. That in case of premature termination of this agreement, it shall be the option of the Producer whether or not to retain the work of the Audio Visual worker in the film and at the same time, it shall be option of the Audio Visual worker whether or not to allow his/her name to go on the credit titles of the Audio Visual production.

15. That the Producer shall have the right to decide the manner of representing the Audio Visual Worker's personality on the screen, his/her clothes, make-up and hair-style and the Audio Visual Worker shall fully and willingly comply with the direction of the Producer in this regard, provided that the requirements of the Producer in this respect have been notified to the Audio Visual Worker and accepted by him/her.

16. That the Audio Visual Worker agrees that he/she shall render his/her services to the best of his/her ability in such manner as the Producer or, at his instance, the Director of the Audio Visual production may direct and shall comply with all reasonable instructions that he may give for the production of the Audio Visual production.

17. That the Audio Visual -worker shall comply with all the regulations of the studio, location or work place as the case may be.

18. That the Producer shall not without the consent in writing of the Audio Visual Worker, assign or transfer the benefit of this agreement to any other person.

19. That the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 shall be applicable to this agreement.

20. That the Producer shall not utilise the work of the Audio Visual worker in any of Audio Visual production, other than the Audio Visual production under this agreement, without prior permission of the Audio Visual worker.

The parties have put their hands to this agreement on the date, month and year said above in the presence of each other and in the presence of the witnesses.

1 Witness — Signature of Producer
Name:
Address:

2 Witness — Signature of Audio-visual worker
Name:
Address:

FORM-34

{See sub-rule (1) of rule 103 and Rule 105}

Application for grant/ renewal of licence for Beedi and Cigar Work

1. Full name of the industrial premises……..

2. (i) Full postal address and situation of the industrial premises. .....

(ii) Full address to which communication relating to the industrial premises should be sent…….

(iii) Full address of the applicant.*……

3. Maximum number of employees proposed to be employed on any one day during the financial year. ……..

4. Full name and residential address of the person who shall be the employer for the purposes of the Code . ……..

5. If the employer is a partnership company, full name and residential address of other partners or directors. (see Note at the end)……

6. Financial resources of the employer e.g., particulars and value of movable and immovable properties, bank reference, income-tax assessment. …….

7. Whether the employer is a trade mark holder registered under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958. …….

8. Whether the proposed site of the industrial premises amounts to the alteration of the site of any existing industrial premises and, if so, the reasons for such alteration. ……..

9. Source of obtaining tobacco. ……

10.Whether the beedis or cigars or both manufactured by the applicant* will be sold and marketed by himself or through a proprietor or a registered user of a trade mark registered under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958, or any other person. ……

11. Whether the plans of the premises are enclosed. (Yes/No)

12. Amount of fee Rs. ……

I Hereby declare that the particulars furnished by me in the form are to the best of my knowledge and belief accurate

Date

Signature of applicant*

Note .- Where an industrial premises are run or proposed to be run by a contractor for or on behalf of another person or persons or company, the said other person or persons or company is under the Act the employer and particulars to be entered for “employer” in the Form should be in regard to such person, persons or company.

*The applicant for licence may, however, be either the contractor or the employer.

FORM-35

{See sub-rule (5) of rule 103 and sub-rule (2) of rule 111}

Form of Declaration by employer

I/we, hereby declare that the contents given in the application for licence is true and complete in all respect and I/We fulfill the requirement of the licence as provided in provisions of Occupational Safety Health and Working Conditions Code, 2020 and Uttar Pradesh rules made thereunder.

I/we further declare that I/We will be fully responsible for any of the particulars given in the application and if any of the contents found incorrect the licence given to me/us may be withdrawn by the Authorities under the Code, 2020.

Date:

Place:

Signature

(Name and Address)

FORM-36

{See sub-rule (1) of Rule 107 and sub-rule (3) of Rule 111}

Licence

Registration No.....
Licence No: …….
Fee paid: Rs. ……

Licence is hereby granted to ..... valid only for the premises described below for use as an industrial premises employing not more than ..... employees on any one day during the year subject to the conditions specified in Annexure.

The licence shall remain in force till the 31st day of March.....

Name of industrial premises.....
Situation of the industrial premises.....
Permission is also granted for the installation of power-driven machinery....

Date.....

Signature and Seal of the Authority

Renewal
[See Rule 4]

Date of renewal	Fees paid for renewal	Date of expiry
1. 2. 3. 4.		

Date.....

Signature and seal of the Authority

Annexure

This licence is subject to the following conditions :

1. The manufacturing process shall be carried on only in that part of the industrial premises as specified for the purpose in the licence.
2. The maximum number of employees employed in the industrial premises shall not on any day exceed the number specified in the licence.
3. Power-driven machinery not specified in the licence shall not be used in the manufacturing process in the premises.
4. Except with the prior permission in writing of the competent authority, the industrial premises shall not be extended and except with the like permission, no structural alteration hall be made in any building on such premises.
5. The licence shall not be transferable.

FORM-37

{See clause (2) of sub-rule (A) of Rule 108 and clause (7) of sub-rule (C) of Rule 108 }

Record of white washing, colour washing, varnishing, painting and cleaning

Part of industrial premises (name of room)	Parts white washed, colour washed, painted, varnished (walls, ceilings, woodwork etc.)	Treatment whether white washed, painted, varnished or cleaned	Date on which white washing, painting or varnishing or cleaning was carried out (DD/MM/YY)	Remarks	Signature of employer or manager
1	2	3	4	5	6

FORM-38

{See sub-rule (1) of rule 113}

Application for the work required to be carried out outside the industrial premises

To,
The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary,
Labour and Employment,
Government of Uttar Pradesh.

Subject: Application for the work required to be carried out outside the industrial premises

Sir,

I, ……, proprietor/ occupier/ employer of …… (name of establishment), on behalf of my employees, hereby apply for permission for the work required to be carried out outside the industrial premises for wetting and cutting of beedi or tobacco leaves.

1. Type of establishment:
2. Name and address of establishment:
3. Licence number:
4. Date of licence:
5. Date of validity of licence:
6. Nature of work:
7. Place or places where the outside work is required to be carried out outside the industrial premises:
8. Details of suitability of place where outside work of wetting or cutting of beedi or tobacco leaves is proposed:
9. Brand name/ trademark of product:
10. Source of obtaining beedi or tobacco leaves:
11. Date of commencement of work:
12. Maximum number of employees employed:
13. Remarks:

Declaration:

1. I, hereby declare that all the information furnished by me in the application is true.
2. I abide myself that, if my employees have given this permission, I will ensure that all the conditions under which this permission will be granted, will be fulfilled by me.
3. I also assure that I will follow all the provisions of the Code and Rules made thereunder and if any sort of violations are found at any stage, this permission may be withdrawn and action may be taken against me.

Date: Seal and signature of
Place: proprietor/ occupier/ employer
or authorized signatory

FORM-39

{See sub-rule (1) of rule 114}

Record of outside work

Number and date of Government Order permitting work outside the industrial premises : ……

Date	Place or places where outside work was permitted	Nature of work	Name of employee	Remark
1	2	3	4	5

FORM-40

{see sub-rule (2) of Rule 114}

Home worker's log book

1. Name of home-worker:
2. Address of the home-worker, where is the manufacturing process is carried on:
3. Month and year:
4. Account of work done at home

Date	Raw material supplied to the worker			signature or thumb impression of the worker	No. of beedis received by the employer
	tendu patta	tobacoo	thread		
1	2	3	4	5	6

No. of standard beedis	No. of sub-standard or chhat beedis	wages payable to the worker		wages paid to worker
		for standard beedis	for sub-standard or chhat beedis	
7	8	9	10	11

Date	Amount of wages to date in arrears	signature or thumb impression of the worker	Signature of the employer
12	13	14	15

FORM-41
{See sub-rule (2) of rule 115}

Form of Approval of plans and permission for site.

1- Name of the factory …….
2- Location of the factory ……(if possible geo-mapping)
3- Name of the employer …….
4- Address, telephone number and E-mail Id of the employer ……
5- Name and Address, telephone number and E-mail Id of the Occupier ……..
6- Name and Address, telephone number and E-mail Id of the Manger …….
7- Activity or proposed activity as per national industrial classification ……
8- Detail of selected NIC code ……..
9- Number of the workers employed or to be employed ……
10- Details of power used or to be used ……

Signature

(Name and Address)

FORM- 42

{See clause (a) & (d) of sub-rule (3) of rule 115 and sub-rule (6) of Rule 115}

[Particulars of rooms in the factory]

Name of room in factory	Dimensions in feet					Total area in square feet	Floor area occupied by machinery in the room	Breathing space (contents in cubic feet).	Total volume of air in the room	Number and size of doors	Ventilation			Maximum capacity of the room	Maximum number of persons intended to be employed in the rooms	Whether the room is to be used as a work-room for storage only	Date of construction	Remarks
	Length	Breadth	Height								Number and size of windows openings	Number and size of skylight openings	Total area in square feet					
			Maximum	Minimum	Average													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Signature of the Occupier.....

Signature of the Manager.....

Questionnaire Annexed to Form-42

Careful attention to the questionnaire will assist in drawing up the plans in accordance with the law, and thus prevent delay in dealing with the plans.

Note: The site-plans should be draw to a minimum scale of 100'-1" and the other plans drawn to a minimum scale of 10'-1".

1. Plans—

(a) Has a site-plan showing the immediate surroundings including adjacent buildings and other structures, roads, drains, etc., been submitted in triplicate.

(b) If there is a system of underground sewage within 100 ft. of the factory, has its position been shown in the site plan ?

(c) Have the direction i.e., north, south, east and west been shown on the site-plans as well as on the detailed plans ?

(d) Have the municipal nos. or the field nos. of the premises and the surrounding areas been shown on the site-plan ?

(e) Have the factory premises been clearly demarcated in the site-plan in distinctive colour ?

(f) Have the detailed plans of the factory indicating all relevant details " relating to doors, windows, ventilators, fire escapes, etc., been submitted in triplicate ?

(g) Are all new buildings, parts of buildings (if extensions) or alterations in existing buildings shown by boundaries duly marked in a distinctive colour ?

(h) Are all rooms, sheds, enclosures, etc., serially numbered inside a circle on the plans, corresponding to the serial entry in Form-42?

(i) Are the outlines of all rooms, sheds, enclosures, etc., shown in the site-plan and allotted the same number as in Item 1(h) above?

(j) Is the Sectional elevation of such a room or shed, etc., shown separately?

(k) Is the minimum and 'maximum height of every room, shed, etc., shown clearly in the Sectional elevation ?

(l) Is the material of which the roof is constructed indicated the Sectional elevation?

(m) Are the heights of all the workrooms in accordance with the provisions of Rule 70 as under :
(i) Is the minimum height 20 ft. with C. I. sheet roofing ?
(ii) Is the minimum height 14 ft. with A. C. sheet roofing or R.B./R. C. C. roofing ?
(iii) Has an inner ceiling of a heat resisting material with an air gap of at least 4" been provided at a minimum height of 14 ft. and the name of the heat resisting material given?
(iv) Has an exemption been sought for a height of up to 12 ft. R.B/R. G. C. roofing?
(v) Has an exemption been sought for on the assurance of not employing more than 150 employees in the factory on any day ?
(n) Is the minimum distance of the nearest building from latrines and urinals shown on the plans?
(o) Is the minimum distance of the nearest well, hand-pump or other drinking water centres shown in the drawing ?
(p) Are water centres shown on the plans ?
(q) Are the sizes of all the doors and ventilators shown on the plans along with their exact position?
(r) Are all the drains, pipes and sewers for carrying sullage sewage water effluent and waste products running within the factory premises constructed and shown in the plans ?
(s) Are the positions of various machines fitted or proposed to be fitted shown in the drawings together with their names ?
2. Form No-42
(a) Is Form No-42 submitted in triplicate, filled in for all workrooms, godowns, etc. which are proposed to be constructed or extended ?
(b) Have the internal dimensions only been entered in all the columns of Form No-42?
(c) Is the breathing space of workroom, shed, etc., calculated as shown below:
Floor area of room x its mean height (height above 14 ft. has to be left out of calculation).
(d) Is the maximum capacity entered in Column No. 15 of Form No-42? the maximum number of persons shown as the lower value of the two calculations shown below :
(i) Floor area of a room less area occupied by machinery in the room divided by 36 [Rule 70(2)].
(ii) Breathing space [as in (c) above] divided by 500.
(e) Have the maximum number of persons as worked out above (lower value) been also shown on the plans for each workroom corresponding to Column No. 15 of Form No-42?
(f) Is the window, ventilator and skylight area provided at the minimum rate of 1 sq. ft. to every 15 sq. ft. of floor area of the room ? (Section 23 (2) (II) & its rule) ?
(g) Can the windows and skylights under Columns Nos. 12 and 13 of Form No. 42 Ball be opened for ventilation ?
It is recommended that windows and skylights may be provided one opposite to another so as to provide cross ventilation.
(h) Has a flow chart of the manufacturing process supplemented by its brief description in various stages been submitted in triplicate ?Rule 69(1) (b)
3. Doors and ventilators.—
(a) Is every work room provided with at-least two doors or exits ?
(b) Is the minimum size of every door or exit 6'-6"x3'
(c) Have any doors of ventilators in common with two adjacent rooms been counted in both ?
(d) Are all the doors opening outwards ?
(e) Do the windows and skylights entered under Cols. 12 and 13 of Form No-42 Actually serve the purpose of ventilation ?
4. Fire Escapes.—(In case of buildings of more than one story
(a) Are two fire escapes provided on either side of the building ?
(b) Are the fire escapes accessible from every room in the upper floor in the buildings ?
(c) Is the material used in construction of the fire escapes non-combustible ?
(d) Are the windows, doors giving access to an external stair-case arranged to open immediately from inside.
(e) Is any fire escape or stair-way constructed at an angle greater than "450 ft. with the horizontal?
(f) Is any fire escape or stair way less than 45'Un width ?
(g) Is any part of the factory building further (along the line of travel) than 150 ft. from the fire escape stair ?
(h) Have the particulars given against Items 4(e), (f) and (g) above been also clearly shown in the various drawings being submitted ?
(i) Is the setback area of the factory and its premises uncovered and free from obstruction?
5. Latrines and urinals.—
(a) Are the latrines and urinals provided separately for men and women?
(b) Are these sufficient to meet the requirements of Section 23(2)(viii) read with its Rules ?
(c) Is the surrounding ground up to a distance of 4 ft. all round of impermeable material?

(d) Is the surrounding ground raised to at least 6" above the ground level?

(e) Is any latrines, ventilator or opening in the proximity of any opening of the main building?

(f) Do any latrines or urinals communicate with any work room without any intervening space open to the sky ?

(g) Are the latrines of the flush type ?

(h) Are all the drains, pipes and sewers for carrying sullage, sewage water effluent and waste products running within the factory premises constructed of impermeable material?

(i) Are the drains of flush type latrines connected to the drainage system of the local Boards?

(j) Is an efficient system of septic tanks provided if no drainage system exists?

(k) Are the latrines provided with roofing?

6. Drinking water.—

(a) Is the drinking water provided from a source provided by the local Board.

(b) Is any well constructed in the premises of the factory for drinking water or humidification purposes ?

(c) Is the cylinder of the well pucca and impervious to water throughout and up to a depth not less than the lowest level of sub-soil water ?

(d) Are the positions of water centres including wells, hand pumps situated at least 20 ft. away from the washing place, latrines and urinals ?

7. Rest shelter, canteen and creches.—If the plans relate to any of these, the following questions should also be answered—

(i) Rest shelter:

(a) Does the building fully meet the requirements of Section 24(2)(lll) and it's rules.

(b) Is the roof ef heat-resisting material ?

(c) Is the height of every room in the rest shelter at least 12 ft. from the floor level to the lowest part of the roof ?

(ii) Canteen:

(a) Does the building fully meet the requirements of— Section 24(1)(v) and it's rules.

(b) Are the canteen buildings situated not less than 50 yards from any latrines, urinals, boiler house, coals, stack coals dumps etc.?

(c) What is the minimum height of the buildings of the canteen measured from the floor level to the lowest part of the roof ?

(iii) Creche :

(a) Does the building of creche meet fully the requirements of— Section 24 (3) and it's rules.

(b) Is the height of buildings not less than 12 ft. from floor level to the lowest part of roof ?

We certify that the replies given to the questionnaire above are correct.

Signature of Manager. Signature of Occupier.

N. B.—(i) After showing the above details, the plans and site-plan this questionnaire and Form-42 should all be submitted in triplicate to the Inspector-cum-facilitator having jurisdiction for the approval of the Chief Inspector cum facilitator, Uttar Pradesh.

(ii) A certificate of stability signed by a Competent Person having the qualifications, shall be submitted on Form-43 before the manufacturing process with the aid of power is begun in the building.

FORM- 43

{See clause (i) of sub-rule (3) and sub-rule (7) & (9) of Rule 115, sub-rule (2) of rule 117}

Certificate of Stability of a Factory or Part of a Factory
(To be submitted after completion and before working)

I hereby declare that I have personally examined the plans and specifications of the building described below, the actual materials and methods used in its construction and the finished building and I am satisfied that its construction is such that its stability will be satisfactory when used as factory or part of a factory for the purposes herein declared.

1. Name of the factory…….
2. Name of builder (s) or Contractor (s)……..
3. General type of construction
   (a) Full name of signatory (in block letters)……..
   (b) Qualifications……..
   (c) Present occupation…….
   (d) Permanent postal address…….....
4. Purpose for which the building is to be used……..
5. Name of room or building for which this certificate is granted giving reference to plan no.
6. Nature of work to be carried on in the above room/building……
7. Nature and amount of moving power……

Date……..

Signature of Competent person
(Name and Designation)

Signature of occupier
(Name and Designation)

NOTE.—The person giving the certificate must be: (a) a Corporate Member of the Institution of Civil Engineers, or (b) a Corporate Member of the Institution of Structural Engineers or (c) a Fellow Associate or Licentiate of the Royal Institute of British Architects, or (d) be a graduate in Civil Engineering and be also a Corporate Member of the Institute of Engineers (India), provided that no person, except in the case of buildings occupied or erected by any Government where a certificate may be granted by an officer not below the rank of an Executive Engineer, shall be authorized to sign a certificate of stability if he is in the full time employment of the owner or the builder of the building.

FORM-44
{see sub-rule (11) of rule 115}
Certificate of Approval of site-plan of factory

From,
……
……

To,
……..
……..

Site plan no.: F/plan/lic: Date:

Subject: Regarding approval of new extension and revision of factory building plans and stability certificate.

Sir/Madam,

Please refer to your on-line application regarding approval of the site-plan of new/ extension and revision of factory building plans and stability certificate dated ……. submitted to Chief Inspector-cum-Facilitator or …….. (mention Licencing Authority).

Your aforesaid application if forthwith approved under the following conditions/ reasons according to the provisions of occupational safety health and working conditions code 2020 and rules made there under:
Conditions/ remarks-1:
Conditions/ remarks-2:
Conditions/ remarks-3:
Conditions/ remarks-4:
Over all conditions/ remarks:

As well as the stability certificate dated …… which is signed by ……. and work room number/ as has been shown in the factory plans number …….. is approved for the use of …….. horsepower electricity/ …… horsepower diesel/ oil engine, total ……. horsepower for use is approved. Besides this your attention is sought towards the provisions of these rules according to that before starting the work with the help of power, it shall be compulsory to issue and get the approval of the stability certificate.

Enclosed:
1. Plans
2. Site plans
3. Questionnaires
4. Form- 42
5. Flow chart
6. Certificate of Stability (Form- 43)

Your's
…….
…….

FORM-45

{see sub-rule (1) of Rule 116, sub-rule (2) of rule 117, sub-rule (2) of rule 118 and sub rule (2) of rule 148}

Notice of occupation for Registration and grant or Renewal/ amendment of Licence

LICENCE NUMBER……

Full name of the factory and its licence number, if already registered:

1. Postal address and situation of the factory including the police station, tehsil and district with PIN code:
2. Address to which communication Relating to the factory should be sent:
3. Contact Number of Factory:
4. Email Address of Factory:
5. Nature of manufacturing process/ processes-
   (a) carried on in the factory during the next twelve months (in case of factories already in existence).
   (b) to be carried o in the factory during the next twelve months (in case of all factories).
   (c) Details of National Industrial Classification-2008 (NIC) code.
      (i)sub-class(6 digit)-
      (ii)description as per NIC-
6. Names and values of the principal products manufactured during the last twelve months.
7. Man power:
   (a) Maximum number of workers proposed to be employed on any one day during the year.
   (b) Maximum number of workers employed in any day during the last twelve months
   (c) Number of workers to be employed in the Factory.
8. Power to be used:
   (a) Nature and total amount of power (kW.) installed or proposed to be installed
   (b) Maximum amount of power (kW) proposed to be used:
   NOTE.—If power is not proposed to be used originally but is introduced later, the fact should be immediately communicated to the Chief Inspector-cum-Facilitator.
9. In the case of a factory constructed or extended after the date of the commencement of the rule:
   (a) Reference number and date of approval of the plans for site, whether for old or new building and for construction or extension of factory, by the State Government/ Chief Inspector-cum-facilitator.
   (b) Reference number and date of approval of the arrangements, if any, made for the disposal of trade waste and effluents and the name of the authority granting such approval.
10. Full name, father's name and residential address of-
   (a) The person who shall be Manager of the factory for the purposes of the code:
   (b) The occupier of the factory:
11. If the factory is covered by the provisions of Section 80 of the Code, full name, father's name, and address of the owner of the premises or buildings in which the factory is situated.
12. Half Yearly(if applicable)& Annual return submitted (Yes / No).
13. Date on which the Manager assumed charge
14. Date on which the occupier occupied the premises or will occupy the premises.
15. Detail of fee:
   (Amount of fee in Rupees paid through Bank / E-Challan /Electronically, reference number and date).
16. Last annual return submission date-
17. Validity of No objection certificate for premises from U.P. Fire control services-

Amendments in Licence

Year when amended	Valid for	Maximum number of workers on any one day	Total amount of power installed (KW)	Manufacturing process	Name of occupier/ employer	Updation in address of premises	Details of Amendment in Licence
1	2	3	4	5	6	7	8

I/We certify that information given by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge.
Full signature of occupier……..

Full signature of manager……..

Full signature of owner, if any……..

Date

Notes.

(1) This form should be completed in ink in block letters or typed.

(2) If any of the persons named against the item is minor the fact should be clearly stated.

(3) In the case of a factory where a Managing Agent or Agents have been appointed as occupiers under the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913), information required in the item should be supplied in respect of that person or persons.

FORM-46

{see sub-rule (2) of rule 116, sub rule (5) of rule 117, sub-rule (4) of rule 118 and sub-rule (3) of rule 119 }

LICENCE FOR FACTORY UNDER THE OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND WORKING CONDITIONS CODE, 2020

(Licence to Work a Factory)

Registration No:-
Old Registration No:-
Date Of Issue :- Fee Rs……

Licence is hereby granted to Sh /Smt …….. valid only for the premises described below for use as a factory employing not more than ……persons on any one day during the year and using motive power not exceeding …..... kW. subject to the provisions of the Occupational Safety, Health and Working Condition Code, 2020 and the rules made thereunder.

This licence shall remain in force till …….. unless further renewed.

Description of the Licenced Premises

The licenced Premises shown on plan No. ……..…… dated. …./…./…. are situated in M/S…….. Address…….., District :- ……. and consist of the premises shown on approved site and detailed plan.

Sl. No.	Period of issue	Valid for		Fee	Challan number and date of payment
		Maximum number of workers on any one day	Total amount of power installed (KW)		

Details of Renewal of licence

	Date of renewal	Fees paid for renewal	Date of expiry
1			
2			

Signature of Chief Inspector-cum-Facilitator/
Licencing Authority

Note:

1- This is a computer generated licence.
2- This licence may be verified from the website of the Labour Department, Govt. of UP - www.uplabour.gov.in

This licence is issued solely on the basis of the information submitted by the applicant. The Labour Department does not undertake responsibility for the correctness of the information contained herein. This licence shall remain in force subject to validity of NOC from Concerned Department.

FORM-47
{see sub-rule (2) of rule 119 and rule 122}
Notice of occupation

LICENCE NUMBER……
For the year……

01-Full name of the factory and its licence number, ……..
02- (a) Address and situation of the factory including the police station, tehsil and district……..
(b) Correspondence Address ……..
(c) Contact Number and Email Address of Factory……
03-Nature of manufacturing process/ processes carried on in the factory during the next twelve months……..
04-Names and values of the principal products manufactured during the last twelve months……..
05-(a) Maximum number of workers proposed to be employed on any one day during the year…….
(b) Maximum number of workers employed in any day during the last twelve months……..
(c) Actual number of workers employed in the Factory at present ……
06-(a) Nature and total amount of power (H.P.)installed ……..……
(b) Maximum amount of power (H.P.) …….
NOTE.—If power is not proposed to be used originally but is introduced later, the fact should be immediately communicated to the Chief Inspector-cum-Facilitator or Licencing Authority.
07-In the case of a factory constructed or extended after the date of the commencement of the rule
(i) Reference number and date of approval of the plans for site, whether for old or new building and for construction or extension of factory, by the State Government/ Chief Inspector-cum-Facilitator
(ii) Reference number and date of approval of the arrangements, if any, made for the disposal of trade waste and effluents and the name of the authority granting such approval
08-Full name, father's name and residential address of.-

(i) The person who shall be Manager of the factory for the purposes of the Act…….
(ii)The occupier of the factory — …….09- If the factory is covered by the provisions of Section 80 of the Code, full name, father's name, and address of the owner of the premises or buildings in which the factory is situated

10- Return submitted
(Yes / No)
11- Date on which the Manager assumed charge……
12- Date on which the occupier occupied the premises or will occupy the premises…….
I hereby declare that our factory is complying / will comply with all health and safety provisions of The Code 2020 to the best of my knowledge.

Full signature of occupier……
Full signature of manager……

Date

FORM-48

{See sub-rule (2) of rule 123}

Notice of change in Manager

1. Name of factory with current licence number .....
2. Postal address of the factory.....
3. Name of outgoing manager.....
4. Name of the new manager with his postal residential address and telephone number, if any.....
5. Date from which new manager took over charge.....

Date..... Signature of new Manager.....

Place..... Signature of Occupier.....

FORM-49
{see sub-rule (4) of rule 127}
Form of application to Site Appraisal Committee

1. Name and address of the applicant:
2. Site ownership date:
    a. Revenue details of site such as survey number, plot number, etc:
    b. Whether the site is classified as Forest and if so, whether approval of the Central Government under section 5 of the Indian Forest Act, 1927 has been taken:
    c. Whether the proposed site attracts the provisions of Section 3(2)(v) of the E.P. Act, 1986, if so, the nature of the restrictions:
3. Local authority under whose jurisdiction the site is located:
4. Site plan:
    a. Site plan with clear identification of boundaries and total area proposed to be occupied and showing the following details nearby the proposed site:
        i. Historical monuments, if any, in the vicinity:
        ii. Names of neighbouring manufacturing units and human habitats, educational and training institutions, petrol installations, storages of LPG and other hazardous substances in the vicinity and their distances from the proposed unit:
        iii. Water sources (rivers, streams, canals, dams, water filtration plants etc.) in the vicinity:
        iv. Nearest hospitals, fire stations, civil defence stations and police stations and their distances:
        v. High tension electrical transmission lines, pipelines for water, oil, gas or sewerages, railway lines, roads, stations, jetties and other similar installations:
    b. Details of soil conditions and depth at which hard strata obtained:
    c. Contour map of the area showing nearby hillocks and difference in levels:
    d. Plot plan of the factory showing the entry and exit points, roads within, water drains etc.:
5. Project report:
    a. A summary of the salient features of the project:
    b. Status of the organisation (Government, Semi-Government, Public or Private etc.):
    c. Maximum number of persons likely to be working in the factory:
    d. Maximum amount of power and water requirements and source of their supply:
    e. Block diagram of the buildings and installations, in the proposed site:
    f. Details of housing colony, hospital, school and other infrastructural facilities proposed:
6. Organisation structure of the proposed manufacturing unit/factory:
    a. Organisation diagram of:
        i. Proposed enterprise in general:
        ii. Health safety and environment protection departments and their linkage to operation and technical departments.
    b. Proposed to health and safety policy:
        i. Area allocated for treatment of waste and effluents:
        ii. Percentage outlay on safety, health and environment protection measures.
7. Meteorological data relating to the site:
    a. Average minimum and maximum of-
        i. Temperature
        ii. Humidity
        iii. Wind velocity is during the previous ten years
    b. Seasonal variations of wind direction
    c. Highest water level reached during the floods in the area recorded so far
    d. Lightening and Seismic data of the area
8. Communication links:
    a. Availability of telephone/telex/wireless and another communication facilities for outside communication:
    b. Internal communication facilities proposed:
9. Manufacturing process information:
    a. Process flow diagram:
    b. Brief write-up on process and technology:
    c. Critical process para-metres such as pressure build-up, temperature rise and run-away reactions:

d. Other external effects critical to the process having safety applications, such as ingress of the moisture or water contact with incompatible substances, sudden power failure:
e. Highlights of the build-in safety/pollution control devices or measures/incorporated in the manufacturing technology:

10. Information of hazardous materials:
    a. Raw materials, inter-mediate products and by-products and their quantities (includes Material Safety Data Sheet in respect of each other order substance):
    b. Main and intermediate storages proposed for raw materials/ intermediates/ products/ by-products (maximum quantities to be stored at any time):
    c. Transportation methods to be used for materials inflow and outflow, their quantities and likely routes to be followed:
    d. Safety measures proposed for-
        i. handling of materials
        ii. internal and external transportation
        iii. disposal (packing/ forwarding of finished products):
11. Information on disposal/disposal of waste and pollutions:
    a. Major pollutions (gas, liquid, solid) their characteristics and quantities (average and at peak loads):
    b. Quality and quantity of solid waste generated, method of their treatment and disposal:
    c. Air, water and soil pollution problems anticipated and the proposed measures to control the same, including treatment and disposal of effluent:
12. Process Hazard information:
    a. Enclose a copy of the report on environmental impact assessment.
    b. Enclose a copy of the report on risk assessment study.
    c. Published (Open or Classified) reports, if any, on accident situations occupational health hazards or similar plants elsewhere (within or outside the country).
13. Information of proposed safety and occupational health measures:
    a. Details of firefighting facilities and minimum quantity of water, carbon-di-oxide and or other fire-fighting measures needed to meet the emergencies:
    b. Details of in-house medical facilities proposed:
14. Information on emergency preparedness:
15. On-site emergency plan
16. Proposed arrangements, if any, for mutual-aid scheme with a group of neighbouring factories
17. Any other relevant information

I certify that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and nothing of importance has been concealed while furnishing it.

Name and signature of the applicant.

FORM- 50
{see rule 129}

Format of report of Site Appraisal Committee to be submitted to State Government

From,
Labour Commissioner, UP,
G.T. Road, Kanpur.

To,
Additional Chief Secretary/ Principal Secretary,
Labour and Employment,
Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.

Subject: Submission of report of Site Appraisal Committee in the case of application of ……. (name of applicant) with respect to the proposed construction/ expansion/ location/ operation of hazardous activities in ……. (name of factory).

Sir/ Madam,

Kindly refer to the Govt. order number …… dated …… through which the Site Appraisal Committee in the case of application of ……. (name of applicant) w.r.t. the proposed construction/ expansion/ location/ operation of hazardous activities in ……. (name of factory) was constituted under sub-section (1) of Section 83 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 and rules made thereunder.

The above mentioned committee has examined thoroughly the application made by ……. and the report of the committee is as follows:

a. Name and address of the applicant:
b. Name of the factory:
c. Registration number (if any):
d. Licence number (if any):
e. Site ownership details:
f. Date(s) of field visit(s) of the committee:
g. Details of meetings of the committee (plz .enclose all minutes of meetings):
h. Details of recommended corrective measures to be adopted by the applicant (if any):
i. Details of adopted corrective measures (give details):
j. Recommendations of the Site Appraisal Committee:
k. Any other comments/ recommendations:

Date: Signature of Labour Commissioner
Place:
Seal

FORM- 51
{see sub-rule (4) of rule 147}
Register of persons in supervisory, managerial or confidential positions

Name of the Factory ……
Licence Number ……

Sr.No	Name	Father's name	Designation	Date of joining	Date of leaving
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

FORM- 52

{see sub-rule (4) of Rule- 151}

ANNUAL REPORT OF HOUSING

Annual return for the year.....

1. Name of Plantation:
2. Address and location where plantation is carried out:
3. Name and address of the employer:
4. Year in which the plantation came under the preview of the Code:
5. Total resident labour population including dependents in the plantations:
6. Number of resident workers requiring houses:
7. Number of houses required to be provided according to the approved scheme every year:
8. Number of houses provided according to the approved scheme by-
   i. Construction of new houses.
   ii. adaptation of old houses.

18. Reason for not providing the number of houses as required in item No. 7:

Date:

Seal and Signature of the Employer

FORM- 53

[See rule 171 (1)]

APPLICATION FOR COMPOSITION OF OFFENCE

1. Name of applicant

2. Father's / Spouse name

3. Address of the applicant

4. Name of establishment: : : :

5. Particulars of the offence:….. ..……
……
……
……
……

6. Section of the Code under which the offence is committed
:……..

7. Maximum fine provided for the offence under the Code
:…….

8. Whether prosecution against the applicant is pending or not
……..

9. Whether the offence is a first offence or whether the applicant has committed any other offence prior to the offence. If yes, then, full details of such prior offence
……
……
……
……..

10. Any other information which the applicant desires to provide
……
……
……
……..

Dated:

Applicant

(Name and signature)

FORM- 53 (A)

{See sub-rule (1) of rule-171 }

NOTICE TO OFFENDING PERSON BY COMPOUNDING OFFICER FOR COMPOUNDING THE OFFENCES UNDER SUB-SECTION (1) OF 114 OF THE CODE

NOTICE

To,
…….. (Name of employer)
M/s ……
……(Address)

Kindly refer to your application dated …….. regarding the composition of offence(s) committed in contravention to the provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (Act no 37 of 2020) by you/ your company/ establishment;

Since you have requested for the composition of the said offence(s), you are hereby intimated that the allegation has been made against you for committing offence for violation of section(s) …….. of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (Act no 37 of 2020). Your application has been examined by undersigned and it was found that the violations under the section(s) …… are compoundable while the offence(s) under the section(s) …… may not be compounded for the reasons stated below under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (Act no 37 of 2020)-

1. …….
2. …….

The compounding amount required to be paid by you towards composition of offences is rupees …….. By this notice, you are hereby directed to deposit the abovementioned compounding amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding of the offence(s). In case if you fail to deposit the said amount within specified time, no further opportunity shall be provided to you and necessary direction for filing prosecution under section(s) …….. as per the provisions of the Code against you shall be issued;

You are also hereby informed, that if you fail to deposit the above mentioned compounding amount within the specified time, you will be liable to pay the same as per the provision of sub-section (3) of section 114 of the Code.

This notice is issued under my signature and seal on …….. day of ……., 20……

Compounding Officer,
Seal

Copy to- Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction

FORM- 54
{See Rule 173}

Application for Common Licence under section 119

Common Application for Licence/ Renewal/ Amendment of Licence applied under Section 119 of the Code		
A. Establishment Profile		
	Name of Establishment	
	Address of establishment	
	(a) Head Office address along with e-mail-id	
	(b) Corporate Office address along with e-mail-id	
	(c) Location of establishment along with e-mail-id	
	Contact number(s)	
	Activity as per NIC (National Industrial Classification) (select all applicable activities given):	
	Details of selected NIC code	
	Nature of work carried on in main establishments	
	Identifier of establishment: (select – e-sign/ digital sign)	
B. Details of Employer		
	Full name of Employer/ Occupier	
	Relationship with establishment	
	Full address of Employer/ Occupier	
	e-mail id of Employer/ Occupier	
	Details of all Occupiers/ Partners/ Directors to be furnished along with **	

C. Particulars of the Factory						
	Factory Name	Full address of Factory	Activity as per NIC (National Industrial Classification)	Date of applicability as factory	Max. power to be used (KW)	Name of establishments in which workers to be employed
	1	2	3	4	5	6
	Name, Residential address and Mobile no. of Manager/ Factory Manager					
	Max. no. of workmen proposed to be employed on the establishment on any date					
	Amount of Licence fee paid					
	Transaction id/ proof of deposition					
	Manufacturing process to be carried out					

D. Particulars of the Contract Labour to be employed (if licence is required workwise)		
	Location of work sites	
	Nature of work carried out in establishment/ Activity as per NIC (National Industrial Classification)	
	Name of establishments where contract labour is proposed to be employed	
	Date of commencement	
	Date of completion	
	Name, address and -mail of site in-charge	
	Max. no. of workmen proposed to be employed on the establishment on any day	
	Amount of Licence fee paid	
	Amount of security deposit	
0	Transaction id/ proof of deposition	

1	Registration number, if obtained then details they are of	

	E. Details of establishments for which single licence is required (beedi and cigar)	
	Whether the applicant is a trademark holder registered under prevailing trade and merchandise market act	
	Whether the proposed site of the industrial premises amounts to the alteration of the site of any existing premises and if so the reasons for such alteration	
	Whether the beedis or cigars or both manufactured by applicant will be sold and marketed by himself or through proprietor or registered user of a prevailing trade and mercantile market act or any other reason person	
	Maximum number of labour will be employed at any time of the day	
	Date of commencement of work	
	Plan of the places or premises, the area therein to be used for manufacturing processes, the immediate surroundings of such places or premises etc.	

Date of application

Signature of employer/ Occupier

Application for Renewal of Licence

	Licence number and Date	
	Registration number	
	LIN and PAN (for contract labour work only)	
	NIC code no (as given in the licence)	
	Name and address of the factory/ establishment	
	Full address to which communication shall be carried (where the factory address serves the purpose of communication also, this information need not to be given)	
	A flow chart of the manufacturing process supplemented by a brief description of the process in its various stages, list of the raw material, used intermediate products including mission of toxic gases, etc., finished products, their quantities, methods of storage and handling, loading and transport and details of the arrangement for the disposal of trade waste and effluents (to be enclosed)	
	Max. number of workers to be employed on any day during the year	
	Installed power (in HP)	
0	Details and proof of deposited required fees	
1	Date of expiry of previous licence	
2	Whether the licence of the employer/ contractor was suspended or revoked	

Date of application

Signature of employer/ Occupier

Application for Amendment of Licence

	Licence number and Date	
	LIN and PAN (for contract labour work only)	
	Name and address of the factory/ establishment	
	Max. number of workers presently employed	

	Details for which amendment is sought	
a)	Max. number of workers presently employed	
b)	Change in number of workers (If the number of workers has to amended and there is an increase in number in the maximum number of workers to be employed, then additional fees/ security deposit as per rules needs to be deposited)	
c)	Power to be change (in HP)	
d)	Change in the name of Occupier or Factory Manager	
e)	Change in name of Factory	
	Nature of manufacturing process to be carried out in the factory	(List of processes)
	In case of amendment in manufacturing process, indicate manufacturing process carried out previously	(List of processes)
	Details and proof of deposited required fees	
	Other details, requiring amendment in the licence issued (necessary documents may be attached/ uploaded in support of change(s) required	

Date of application

Signature of employer/ Occupier

** strikeout whichever is not applicable

FORM- 55
{See sub-rule (3) of Rule 174}
Certificate of Common Licence under Section 119 (2)

Licence No: …….
Registration No. …….
NIC details: ……. Date: ……..

Licence is hereby granted to ……. for the premises known as ……. situated at ……. for use as a Factory/ Establishment within the limits stated hereinafter, subject to provisions of the Section 119 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 and the Rules made thereunder.

The plan of Factory is approved on …… (date) plan number …….. by Director of Factories, UP/ Deputy Director/ Assistant Director of Factories, ……. having jurisdiction

Date:

Designated Authority

Details of Licence

	Period of issue	Valid for		Licence Fees paid	Excess fees for late payment	Security amount paid	Date of payment
		Max. no. of contract labour/ workers on any one day	Max. power used in premises (in HP)				
Details of licence granted							
Details of Renewal							

Designated Authority

Amendments

Date of amendment	Amendment made			Amendment fees and date of payment	Additional fees (if any) and date of payment
	Workers	Installed power	Details of Other amendments		

Designated Authority

ANNEXURE

This single licence under sub-section (2) of Section 119 of the Code is subject to the following conditions:

1. This licence is only for the purposes of Sub-section (1) of Section 119 of the Code on Occupational Safety, Health and Working Condition, 2020 and rules made thereunder.

2. The number of workmen employed as contract labour/ migrant labour in the establishment shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the licence.
3. Except as provided in the rules, the fees paid for the grant or, as the case may be, for renewal of the licence shall be non-refundable.
4. The rates of wages payable to the workmen by the contractor shall not be less than the rates prescribed for the employment under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) or Code on Wages, 2019 (29 of 2019), where applicable, and where the rates have been fixed by agreement, settlement, award, or by the State Government, not less than the rates so fixed.
   (a) In case where the workmen employed by the contractor perform the same or similar kind of work as the workmen directly employed by the principal employer of the establishment, the wage rates, holidays, hours of work and other conditions of service of the workmen of the contractor shall be the same as applicable to the workmen directly employed by the principal employer of the establishment on the same or similar kind of work;

   Provided that in the case of any disagreement with regard to the type of work the same shall be decided by the concerned designated authority or Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction, whose decision shall be final.
   (b) In other cases the wage rates, holidays, hours of work and conditions of service of the workmen of the contractor shall be such as may be specified in this behalf by the concerned designated authority or Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction.
5. Every contract labour/migrant worker shall be entitled to allowances, benefits, facilities etc, as prescribed in the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) and rules made there under.
6. In every establishment where 20 or more women are ordinarily employed as there shall be provided 2 rooms of reasonable dimension for the use of their children under the age of six years. One of such rooms would be used as a play room for the children and the other as bed room for the children. For this purpose the contractor shall supply adequate number of toys and games in the play room and sufficient number of cots and beddings in the sleeping room.
7. The licensee shall notify any change in the number of workmen or the conditions of work to the Authority.
8. A copy of the licence shall be displayed prominently at the premises where the contract work is being carried on.
9. The contractor shall comply with all the provisions of the Code and these Rules.
10. The licensee shall, within fifteen days of the commencement and completion of each contract work, submit a return to the Authority designated under section 46 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) intimating the actual date of the commencement or, as the case may be, completion of such contract work in relevant Form.

FORM- 56

{See Paragraph 7(2)of Schedule VII & Paragraph 4(2) of Schedule XXXII & Paragraph 3(d) of Schedule XXXIII specified under Rule 125}

Report of Examination and Test of Dust Extraction of Suppression System

1. Description of system
2. Hood-
   (a) Serial number of hood
   (b) Contaminant captured
   (c) Capture Velocities (at points to be specified)
   Design Value Actual Value

   (d) Volume exhausted at hood
   (e) Hood Static Pressure

3. Total Pressure drop at--
   (a) Joints
   (b) Other points of system (to be specified)
4. Transport velocity in duct at points along ducts (to be specified)

5. Air cleaning device--
   (a) Type used ... ...
   (b) Velocity at inlet ... ...
   (c) Static pressure at inlet ... ...
   (d) Velocity at outlet ... ...
   (e) Static Pressure at outlet ... ...
6. Fan--
   (a) Type used ... ...
   (b) Volume handled ... ...
   (c) Static Pressure ... ...
   (d) Pressure drop at outlet of fan ... ...
7. Fan Motor-
   (a) Type ... ...
   (b) Speed and power in kilowatts ... ...
8. Particulars of defects, if any, disclosed during test of any of the above components.

I certify that on (date .....) the above dust extraction system was thoroughly cleaned and(so far as its construction permits) made available for thorough examination. I further certify thaton the said date, I thoroughly examined the above dust extraction system including itscomponents and fittings and that the above is a true report of my examination.

Signature .....
Qualification .....
Address ……
Date……..

(If employed by a company or association, name and address of the company or association)

Form 57
{See sub-rule (2) of Rule 170}
Appeal under section 111(3)

a) Name and Licence no of establishment
b) the order appealed against;
c) a non-refundable fee equivalent to five percent, of the fees deposited to obtain common licence;
d) a statement of issues in dispute;
e) documentary evidence relied upon.
f) relief sought.

Name and Sign of Occupier

Form 58

{See sub-rule (2) of Rule 175}

Appeal under section 119(6)

a) Name and Licence no of establishment
b) the order appealed against;
c) a non-refundable fee equivalent to five percent, of the fees deposited to obtain common licence;
d) a statement of issues in dispute;
e) documentary evidence relied upon.
f) relief sought.

Name and Sign of Occupier

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 478 राजपत्र–2026–(1172)–599प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 4 सा0 श्रम–2026–(1173)–600प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / आफसेट)।

478 RPH 2026 (Shram Anubhag-3) data 6